

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त

लेखक

केवल कृष्ण ड्यूबेट

एम० ए०, पी-एच० डी०, पी० ई० एल० (I)

अवकाशप्राप्त

प्रिंसिपल, दयालसिंह कालेज, नई दिल्ली
भूतपूर्व अध्यक्ष पञ्जाब विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग ;
सह लेखक : भारतीय अर्थशास्त्र, प्रारम्भिक अर्थशास्त्र
लेखक : स्कॉर्नामिक्स फॉर बेकर्स

(तीया संस्करण)

१९६०

प्रोमियर पब्लिशिंग कम्पनी

पुस्तक प्रकाशक तथा विक्रेता

फव्वारा—दिल्ली

लेखक की अन्य पुस्तकें—

भारतीय अर्थशास्त्र—१९५६	१५)
सुबोध अर्थशास्त्र-सिद्धान्त १९५७	६)
सुबोध भारतीय अर्थशास्त्र १९६०	७)

इनके अतिरिक्त ये ग्रन्थ अंग्रेजी में भी उपलब्ध हैं।

प्रीमियर पब्लिशिंग कम्पनी

(एस० चन्द एण्ड कम्पनी से सम्बद्ध)

ग्रान्थ अली रोड	नई दिल्ली
फव्वारा	दिल्ली
माई हीरा गेट	जालन्धर
लाल बाग	लखनऊ

मूल्य १०.५० नये पैसे

श्यामलाल गुप्ता, प्रीमियर पब्लिशिंग कम्पनी, फव्वारा, दिल्ली द्वारा प्रकाशित
तथा राकेश प्रेस, अजीब गज, दिल्ली में मुद्रित

प्रस्तावना

प्रस्तुत ग्रन्थ मेरी 'Modern Economic Theory' के आठवें संस्करण के आधार पर तैयार किया गया है। इस संस्करण में भाषा को पूर्ववर्ती संस्करण की तुलना में काफी निखार दिया गया है और उस संस्करण में यत्र-तत्र जो त्रुटियाँ रह गई थीं, उनका परिहार कर दिया गया है। इस संस्करण की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कई अध्यायों—विशेषकर नियोजन सिद्धान्त, व्यापार चक्र और घाटे की वित्त-व्यवस्था को फिर से लिखा गया है। पुस्तक की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता लोकहितकारी राज्य सम्बन्धी सामग्री का समावेश है। वर्तमान हिन्दी संस्करण का आकार भी पूर्ववर्ती संस्करण की अपेक्षा कुछ कम कर दिया गया है लेकिन महत्व की कोई बात नहीं छूटने दी गई है।

वर्तमान हिन्दी संस्करण के सशोधन और संपादन का कार्य सर्वधी विश्व प्रकाश एव राजेन्द्र प्रकाश ने किया है। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार स्वीकार करता हूँ। मुझे पूरी आशा है कि यह संस्करण छात्रों तथा अध्यापकों और आर्थिक समस्याओं में रुचि रखने वाले नामान्य प्रदुद्ध जनों के लिए समान रूप से उपयोगी एवं लाभप्रद सिद्ध होगा।

नई दिल्ली
१५ मई, १९६०

—लेखक

विषय-सूची

अध्याय

विषय

पृष्ठ

१ अर्थशास्त्र का स्वरूप तथा क्षेत्र (The Nature and Scope of Economics)

१ परिभाषा की समस्या (The Problem of Definition)—२ क्या अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है ? (Is Economics a Science of Wealth ?)—
 ३ क्या अर्थशास्त्र भौतिक बला का विज्ञान है ? (Is Economics a Science of Material Welfare ?)—४ राबिन्स की परिभाषा (Robbins's Definition)—५ अर्थशास्त्र का क्षेत्र (Scope of Economics)—६ अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध (Relation of Economics to other Sciences)—
 ७ अर्थशास्त्र के नियम (Laws of Economics)—८ आर्थिक धारणाएँ (Economic Assumptions)—९ क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है ? (Is Economics a Science ?)—१० क्या अर्थशास्त्र कला भी है ? (Is Economics also an Art ?)—११ अर्थशास्त्र की विधियाँ (Methods of Economic Science)—१२ अर्थशास्त्र के अध्ययन का उपयोगिता (Value of the Study of Economics)—निर्देश पुस्तकें ।

१—२०

२ आर्थिक शब्द तथा मूल धारणाएँ (Economic Terms and Basic Concepts)

१ भूमिका (Introduction)—२ उपयोगिता (Utility)—३ मूल्य (Value)—४ धन (Wealth)—५ धन का वर्गीकरण (Wealth Classified)—६ धन और आय (Wealth and Income)—७ धन तथा कल्याण (Wealth and Welfare) ।

२१—२६

३ उपभोग (Consumption)

१ उपभोग और उसका महत्त्व (Consumption and its Importance)—२ उपभोग करने की प्रवृत्ति (Propensity to Consume)—३ मान की आवश्यकताएँ (Human Wants)—४ अनिवार्यताएँ, सुवधाएँ तथा विलासिताएँ (Necessaries, Comforts and Luxuries)—५ जीवन स्तर (Standard of Living) ।

३०—३४

४ उपभोग (क्रमशः) (Consumption—Contd.)—आहासी उपयोगिता का नियम (Law of Diminishing Utility)

१ भूमिका (Introduction) २ आहासी सामान्य उपयोगिता का नियम (Law of Diminishing Marginal Utility)—३ आहासी उपयोगिता के नियम की सीमाएँ (Limitations of the Law of Diminishing Utility)—४ आहासी सामान्य प्रतिस्थापता का नियम (The Law of Diminishing Marginal Substitutability)—५ नियम के कुछ अर्थ Some Implications of the Law—६ सामान्य उपयोगिता का महत्त्व (Marginal Utility or Significance)—७ जब एक वस्तु बर प्रयोगों में लाई जा सकती है

७ उत्पादन—सामान्य रूप में (Production—General)

१ उत्पादन का अर्थ (Meaning of Production)—२ उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करने वाले कारण (Factors Determining the Volume of Production)—३ उत्पादन के साधन (Agents of Production)—भूमि (Land)—४ अर्थ तथा महत्व (Meaning and Importance)—५ भूमि का विशेषताएँ (Peculiarities of Land)—६ भूमि का उत्पादकता (Productivity of Land)—निर्देश पुस्तकें। १३—१८

८ श्रम (Labour)

१. श्रम का अर्थ (Meaning of Labour)—२ श्रम की विशेषताएँ (Peculiarities of Land)—३ माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्त (Malthusian Theory of Population)—४ माल्थस के सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of the Malthusian Theory)—५ आधुनिक जनसंख्या सिद्धान्त अनुकूलन सिद्धान्त (Modern Theory of Population the Optimum Theory)—६ माल्थस के सिद्धान्त और आधुनिक सिद्धान्त की तुलना (Malthusian Theory and Modern Theory Compared)—७ अधिक आबादी की शर्तें (Criteria of Over Population)—८ क्या जनसंख्या की वृद्धि पर अभिरोध है ? (Is Increasing Population a Cur e ?)—९ शुद्ध प्रजनन दर (Net Reproduction Rate)—१० श्रम दक्षता के मापन (Factors of Labour Efficiency)—निर्देश पुस्तकें। १९—११२

९ मशीन तथा श्रम विभाजन (Machinery and Division of Labour)

१ मशीन का उपयोग (Use of Machinery)—२ श्रम विभाजन (Division of Labour)—३ श्रम विभाजन के लाभ Advantages of Division of Labour—४ श्रम विभाजन से हानियाँ (Disadvantages of Division of Labour)—५ श्रम विभाजन बाजार द्वारा सीमित होता है (Division of Labour is limited by the Market)—श्रम का प्रादेशिक विभाजन (Territorial Division of Labour)—६ स्थान-संकरण (Localisation)—७ स्थान-संकरण के परिणाम (Consequences of Localisation)—८ उद्योगों का विकेंद्र-करण (Decentralization of Industry)—निर्देश पुस्तकें। ११३—१२०

१० पूँजी (Capital)

१ पूँजी का स्वरूप तथा सत्त्व (Capital, its Nature and Importance)—२ पूँजी के स्रोत (Sources of Capital)—३ पूँजी का निर्माण (Capital Formation)—निर्देश पुस्तकें। १२१—१२३

११ उद्यमी तथा उसकी समस्याएँ (The Entrepreneur and His Problems)

१ उद्यमी का कार्य (Entrepreneur's Role)—२ उद्यम के इच्छों का प्रत्य-योजन (Delegation of Entrepreneurial Functions)—३ उत्पादन का आकार (Scale of Production)—४ अविभाज्यता का सिद्धान्त (Concept of Indivisibility)—५ आन्तरिक तथा बाह्य लाभ (Internal and External Economies)—६ व्यापार के विस्तार की सीमाएँ (Limits to the Expansion of a Business)—७ छोटे पैमाने के उत्पादन से लाभ (Advantages of Small Scale Production)—निर्देश पुस्तकें। १२४—१३६

Perfect Competition)—५ बाजारों के प्रकार अपूर्ण प्रतियोगिता (Market Categories Imperfect Competition)—६ पूर्ण तथा अपूर्ण बाजार (Perfect and Imperfect Markets)—७ अपूर्ण ऋधवा एकाधिकारी प्रति योगिता वाले बाजारों का वर्गीकरण (Market Categories Under Imperfect or Monopolistic Competition Classified)—८ स्टाक विनिमय संगठन (Stock Exchange Organisation)—९ स्टाक विनिमय या रक्थ विपणन के लाभ (Advantages of Stock Exchange)—१० उपाद विनिमय (Produce Exchange)—११ सट्टा (Speculation)—१२ सट्टे के लाभ और खतरे (Benefits and Dangers of Speculation)—निर्देश पुस्तकें १७६—१६३

१७ लागत वक्र तथा पूर्ति वक्र (Cost Curves and Supply Curves)

१ मूलका (Introduction)—२ पूर्ति तथा स्टाक (Supply and Stock)—३ उत्पादन के लागत (Cost of Production)—४ प्रमुख और पूरक लागत (Prime [Variable] and Supplementary [Fixed] Cost)—५ मूल औसत या माय और सामान्य लागत (Total Average and Marginal Costs)—६ सकल लागत वक्र से सीमांत लागत वक्र और माध्य लागत वक्र का पता लगाना (Deriving Marginal and Average Cost Curves from Total Cost Curve)—७ उद्योग का पूर्ति वक्र और पूर्ति का नियम (The Industry Supply Curve and the Law of Supply)—८ पूर्ति का लोच (Elasticity of Supply)—९ पूर्ति में वृद्धि व कमी (Increase and Decrease in Supply)—१० पूर्ति में परिवर्तन के कारण (Causes of Changes in Supply)—११ एक विचित्र पूर्ति वक्र (A Peculiar Supply Curve)।

१६४—२०६

१८ पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकालीन मूल्य निर्धारण (Pricing Under Perfect Competition in the Short Run)

१ साम्यावस्था (Equilibrium)—२ मंग और पूर्ति की साम्यावस्था (Equilibrium of Supply and Demand)—३ अल्पकालीन और दीर्घकालीन साम्यावस्था बनाने के व्यवसायिक अर्थ उद्योग (Equilibrium Short Term and the Long Term The Firm and Industry)—४ प्रचलित कीमत (Market Price)—५ नष्ट करने योग्य वस्तु (When the Commodity is Perishable)—६ लचकदार पूर्ति (Flexible Supply)—७ निश्चित मजदूरी (Fixed Supply)—८ अल्पकालीन सामान्य मूल्य (Short Period Normal Price)—९ कीमत नियन्त्रण तथा राशनिंग (Price Control and Rationing)—१० मंग और पूर्ति के नियम (Laws of Demand and Supply)।

२०७—२२०

१९ पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकालीन सामान्य कीमत का सिद्धान्त (Long Term Theory of Normal Price Under Perfect Competition)

१ सामान्य कीमत तथा बाजार कीमत (Normal Price and Market Price)—२ मारशल का मूल्य सिद्धान्त (Marshall's Theory of Value)—३ समय का महत्व (Importance of Time Element)—४ दीर्घकालीन लागत वक्रों का प्रभुत्व और सामान्य कीमत का निर्धारण (The Nature of Long Run Cost Curves and the Determination of Normal Price)—५ दीर्घकालीन साम्यावस्था और अनुकूलतम व्यवसायिक अर्थ का विचार (Long Period

२३ अपूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य (Value Under Imperfect Competition)

१. अपूर्ण अथवा एकाधिकार प्रतियोगिता (Imperfect or Monopolistic Competition)—२ अपूर्ण प्रतियोगिता किम प्रकार प्रकट हो सकती है ? (How Imperfect Competition may Emerge ?)—३ अपूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य (Value Under Imperfect Competition)—४ विक्रय मूल्य या लागत (Selling Cost)—५ विक्रय लागत तथा अनुकूलतम पैदावार (Selling Cost and Optimum Output)—६. अपूर्ण प्रतियोगिता में व्यावसायिक संस्थाओं का संख्या तथा आकार (Size and Number of the Firms Under Imperfect Competition)—७ अपूर्ण प्रतियोगिता से हानियाँ (Wastes of Imperfect Competition)—८. द्वयाधिकार तथा अल्पाधिकार (Duopoly and Oligopoly)—९ नवीन उत्पादन का मूल्यंकन (Pricing of New Products)—१० सीमान्त का महत्व (Importance of the Margin)—निर्देश पुस्तकें । २७५—२८८

२४ वितरण—सामान्य सिद्धान्त (Distribution—General Principles)

१. भूमिका (Introduction)—२ एक प्रथम विधान का आशयव्यता (Need for a Separate Theory)—३ राष्ट्रीय लाभारा (The National Dividend)—४ राष्ट्रीय आय का माप (Measurement of National Income)—५. राष्ट्रीय आय को मापने में कठिनाइयाँ (Difficulties of Measuring National Income)—६. सीमान्त उत्पादकता का विधान (The Theory of Marginal Productivity)—७ उत्पादी सेवाओं की कीमत तयाना (Pricing of Productive Services)—८ सीमान्त उत्पादन विधान का आलोचना (Criticism of the Marginal Productivity Theory)—निर्देश पुस्तकें । २८६—२९६

२५ किराया या लगान (Rent)

१ किराये या लगान का अर्थप्राय (Meaning of Rent)—२ रिकार्डों का लगान सिद्धान्त (Ricardian Theory of Rent)—३ रिकार्ड का सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of Ricardian Theory)—४ लगान का आधुनिक सिद्धान्त (Modern Theory of Rent)—५ लगान और कामत (Rent and Price)—६ भूमि लगान तथा विहिडम लगान (Ground Rent and Building Rents)—७ खानों, सरानों तथा मीन-क्षेत्रों का लगान (Rent of Mines Quarries and Fisheries)—८ अर्द्ध-लगान या आभास लगान (Quasi Rent)—९ लगान और आर्थिक उन्नति (Rent and Economic Progress)—१० दूसरे साधनों में लगान का तत्व (Rent Element in Other Factors)—११ हस्तान्तरण आय (Transfer Earnings)—निर्देश पुस्तकें । ३००—३१५

२६ मजदूरी (Wages)

१. परिभाषा (Definition)—२ नाम मात्र तथा वास्तविक मजदूरी का तुलना (Nominal Versus Real Wages)—३ मजदूरी का जीवन निवाह सिद्धान्त (The Subsistence Theory of Wages)—४ मजदूरी का निधि सिद्धान्त (The Wages Fund Theory)—५ अवशेष अधिकारी सिद्धान्त (Residual Claimant Theory)—६ मजदूरी का सीमान्त उत्पादन शक्ति सिद्धान्त (Marginal Productivity Theory of Wages)—७ टाउसिग का मजदूरी सिद्धान्त (Taussig's Theory of Wages)—८. मजदूरी में उतार चढ़ाव (Wages

दर में परिवर्तन के परिणाम—(Consequences of Changes in Interest Rates)—निर्देश पुस्तकें । ३४७—३६१

२६ लाभ (Profits)

१ लाभ का स्वरूप (Nature of Profits)—२ सकल लाभ का विश्लेषण (Analysis of Gross Profits)—३ लाभ जोखिम उठाने का एक पुरस्कार (Profits, a Reward for Risk-bearing)—४ लाभ का गतिशील सिद्धान्त (Dynamic Theory of Profits)—५ लाभ, अनिश्चितता का भार उठाने का पुरस्कार, Profits, a Reward for Uncertainty bearing—६ एकाधिकार और लाभ (Monopoly and Profits)—७ लाभ और मजदूरी (Profits and Wages)—८ क्या लाभ लगान का एक रूप है ? (Is Profit a Kind of Rent ?)—९ सामान्य वा सामरस्य लाभ (Normal Profits)—१०. क्या लाभ में समानता की ओर प्रवृत्ति होता है ? (Do Profits tend to Equality ?)—११. लाभ तथा सीमान्त उत्पादन शक्ति (Profit and Marginal Productivity)—१२. लाभ के कार्य (The Functions of Profit)—निर्देश-पुस्तकें । ३७०—३७१

३० विनिमय की कार्यविधि (Mechanism of Exchange)

१ मुद्रा का अर्थ (Meaning of Money)—२ वस्तु विनिमय का कठिनाई (Difficulties of Barter)—३ मुद्रा का विकास (Evolution of Money)—४ मुद्रा के कार्य (The Functions of Money)—५. अच्छे मुद्रा पदार्थों के गुण (Qualities of Good Money Materials)—६. सिक्के और टुकड़ा (Coins and Coinage)—७. कागजी मुद्रा (Paper Money)—८ बैंक मुद्रा (Bank Money)—९ लेखा शोभन मुद्रा (Money of Account)—१० मुद्रा के कुछ अन्य रूप (Some other Forms of Money)—११ ग्रेशम का सिद्धान्त (Gresham's Law)—१२ भारतीय मुद्रा प्रणाली (Indian Monetary System)—निर्देश पुस्तकें । ३७०—३८०

३१ मुद्रा की प्रणालियाँ (Monetary Systems)

१ द्विधातुमान (Bimetallism)—२ रजतमान (Silver Standard)—३ स्वर्ण परिचलन मान (Gold Circulation Standard)—४ स्वर्ण धातु मान वा स्वर्ण पिण्ड मान (Gold Bullion Standard)—५. स्वर्ण विनिमय मान (Gold Exchange Standard)—६ स्वर्ण समारंता मान (Gold Parity Standard) ७ स्वर्ण मान के लाभ तथा हानियाँ (Advantages and Disadvantages of Gold Standard)—८ व्यावहारिक रूप में स्वर्ण मान (Gold Standard in Practice)—९ स्वर्णमान के नियम (Rules of Gold Standard)—१० स्वर्णमान क्यों समाप्त हो गया ? (Why Gold Standard Broke Down ?)—११. स्वर्णमान का भविष्य (Future of Gold Standard)—१२. स्वर्णमान के कार्य (Functions of Gold Standard)—१३. स्वर्ण का गतियों के कारण (The Causes of Gold Movement)—१४. कागजी मान वा प्रबन्धित कागजी मान अथवा चल-मुद्रा विनिमय मान (Paper Standard or Managed Paper Currency or Currency Exchange Standard)—१५. सर्वोत्तम मुद्रा प्रणाली (The Best Currency System)—निर्देश पुस्तकें । ३८३—४०६

Principle)—१० केन्द्रीय बैंक राज्य के अधिकृतिक या बैंकर क रूप में (Banker of the State)—११ के शीय बैंक बैंकों के लिए बैंक के रूप में (The Bankers' Bank —१२ साख का नियन्त्रण (Control of Credit)—१३ साख का नियन्त्रण में कठिनाइयाँ (Difficulties of Credit Control —१४ बैंक दर का नीति (The Bank rate Policy)—१५ बैंक दर की नीति का सिद्धान्त (The Theory of Bank rate Policy)—१६ खुले बाजार पर कृत्य सद्धान्त (Open Market Operations—The Theory)—१७ साख की राशनिंग (Credit Rationing)—१८ अन्य रीतियाँ (Other Methods)—१९ अन्तिम ऋणगता (Lender of last Resort)—२० केंद्र बैंक का राष्ट्रीकरण (Nationalisation of Central Banks)—२१ अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (International Bank for Reconstruction and Development)—निर्देश पुस्तकें।

४४६—४७१

३७ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त (Theory of International Trade)

१ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का पृथक् सिद्धान्त क्यों ? (Why Separate Theory of International Trade ?)—२ तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त (The Theory of Comparative Costs)—३ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा क्यों ? (Why Competition in International Trade ?)—४ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ (The Gain from International Trade)—५ लाभ की मात्रा निर्धारित करने वाले अंश (Factors Determining the Size of Gain —६ व्यापार की शर्तें (Terms of Trade)—७ विदेशी व्यापार का लाभ (Advantages of Foreign Trade)—८ विदेशी व्यापार में हानियाँ (Disadvantages of Foreign Trade — निर्देश पुस्तकें।

६७०—४८३

३८ अवाध व्यापार बनाम रक्षण (Free Trade vs Protection)

१ अवाध व्यापार का सिद्धान्त (The Theory of Free Trade)—२ रक्षण नीति (Protectionism)—३ रक्षण का पक्ष में दलालें (Arguments for Protection)—४ रक्षण के विरुद्ध दलालें (Arguments Against Protection)—५ विदेशी व्यापार पर प्रतिषेध (Barriers to Foreign Trade)—निर्देश पुस्तकें।

४८४—४९१

३९ भुगतान शेष (Balance of Payments)

१ व्यापार शेष तथा भुगतान शेष (Balance of Trade and Balance of Payments)—२ भुगतान शेष में आने वाले विषय (Items Entering Balance of Payments)—३ भुगतान शेष का साम्यावस्था (Equilibrium of Balance of Payments)—४ असमन्वय किम प्रकार सुधारी जा सकता है ? (How Disequilibrium may be Corrected ?)—निर्देश पुस्तकें।

४९२—४९८

४० विदेशी विनिमय (Foreign Exchange)

१ विदेशी विनिमय क्या है ? (Meaning of Foreign Exchange)—२ विदेशी मुद्रा का स्वत्व (Titles to Foreign Exchange)—३ विनिमय का दर (Rates of Exchange)—४ स्वयंमान के अन्तर्गत विनिमय की दरें (Rates of Exchange under Gold Standard)—५ स्वयंमान (Specie Points)

(Remedial Measures to fight Economic Crisis)—निर्देश पुस्तकें ।

५३४—५४६

४३ सार्वजनिक अर्थशास्त्र (Public Economics)

१ विषय प्रवेश (Introduction)—२ राज्य के किराजनाओं का परीक्षा (Views on State Activity)—३ आधुनिक राज्य के कार्य (Functions of a Modern State)—४ राज्य द्वारा हस्तक्षेप (Sphere of State Intervention)—५ व्यवसाय में राज्य हस्तक्षेप (State Intervention in Business)—निर्देश पुस्तकें ।

५४७—५५२

४४ सार्वजनिक वित्त (Public Finance)

१ सार्वजनिक वित्त तथा उसका महत्त्व (Public Finance and its Importance)—२ सार्वजनिक एवं निजी वित्त का अन्तर (Distinction between Public Finance and Private Finance)—३ सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure)—४ सार्वजनिक व्यय के सिद्धान्त (Principles of Public Expenditure)—५ राश्ट्रीय व्यय का वर्गीकरण (Classification of Public Expenditure)—६ उत्पादन पर सार्वजनिक व्यय के प्रभाव (Effects of Public Expenditure on Production)—७ सार्वजनिक व्यय का वितरण पर प्रभाव (Effects of Public Expenditure on Distribution) ।

५५३—५६२

४५ सार्वजनिक वित्त (क्रमशः) (Public Finance—Contd.)

१ सार्वजनिक राजस्व का वर्गीकरण (Classification of Public Revenue)—२ कर, फीस, दर आदि (Tax, Fees Rates etc)—३ करों का वर्गीकरण (Classification of Taxes)—४ कर नति के सिद्धान्त (Canons of Taxation)—५ उत्तम कर प्रणाली की विशेषताएँ (Characteristics of a Good Tax System)—६ भारतीय कर प्रणाली (The Indian Tax System)—७ कराराम में न्याय की समस्या (The Problem of Justice in Taxation)—८ कराराम के कुछ अन्य सिद्धान्त (Some other Theories of Taxation)—९ अनुपातिक बनाम प्रगामी कराराम (Proportional Vs Progressive Taxation)—१० कर देय शक्ति (Taxable Capacity)—११ एकल कर प्रणाली का औचित्य (Feasibility of a Single Tax)—१२ स्थानीय कर (Local Taxation) ।

५६३—५६५

४६ कर का भार या करापात (Incidence of Taxation)

१ कर का भार और उसका महत्त्व (Incidence and its Importance)—२ प्रत्यक्ष और अपेक्षित कर (Direct and Indirect Taxes)—३ प्रयत्न तथा अपेक्षित करों के सापेक्ष गुण और अक्युण (Relative Merits and Demerits of Direct and Indirect Taxes)—४ कर का सम्मिश्रण सिद्धान्त (Diffusion Theory of Taxation)—५ वस्तु कर (Commodity Tax)—६ एकाधिकार पर कर (Tax on Monopoly)—७ आयात तथा निर्यात पर कर (Taxes on Imports and Exports)—८ भूमि पर कर (Taxation on Land)—९ मकान पर कर (Tax on Buildings)—१० अचलदादा कर (Property Tax)—११ दरों का भार (Incidence of Rates)—१२ मृत्यु कर (Death Duty)—१३ आय पर करों का भार (Incidence of Taxes on

(Answer to Critics of Socialism)—१७ समाजवाद की प्रगति (Progress of Socialism)—१८ रूस का प्रयोग (The Russian Experiment)—
१९ समाजवादी राज्य में आर्थिक समस्याएँ (Economic Problems in a Socialist State)—२० कल्याणकारी राज्य (The Welfare State)।

६२४—६४६

परिमिष्ट	...	• ६५०
नवीन अर्थशास्त्र	...	• ६५१

अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त

(MODERN ECONOMIC THEORY)

अध्याय १

अर्थशास्त्र का स्वरूप तथा क्षेत्र

(The Nature and Scope of Economics)

१ परिभाषा की समस्या (The Problem of Definition)—डा० जे० एन० कीन्स (Dr J. N. Keynes) का यह कथन अनुचित नहीं है कि "राज्य अर्थशास्त्र अथवा अर्थविज्ञान अपनी परिभाषाओं में फँसा हुआ है।"¹ अतएव कुछ ऐसे भी अर्थशास्त्री हैं, जैसे रिचर्ड जोग्स (Richard Jones) और कॉम्टे (Comte) जो अर्थशास्त्र की किसी प्रकार की परिभाषा की आवश्यकता ही नहीं समझते। परन्तु एक विद्यार्थी को अपने अध्ययन के आधार के लिए किसी न किसी परिभाषा की बहुत जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त, परिभाषा की ओर ले जानेवाली चर्चा विषय के स्पष्टीकरण के लिए बहुत लाभदायक है। इसलिए हमको समय-समय पर दो गई परिभाषाओं पर विचार करना चाहिए।

२ क्या अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? (Is Economics a Science of Wealth?)—एडम स्मिथ (Adam Smith) के कथनानुसार, अर्थशास्त्र का सम्बन्ध 'राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की जाँच' से था।² प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान (science of wealth) कहा था। अब स्थिति बदल गई है।

धन का अत्यधिक महत्त्व कम हो गया है। आजकल यह सर्वमान्य है कि धन केवल लक्ष्य का एक साधन है, लक्ष्य तो मानवीय कल्याण (human welfare) है। धन न तो मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य तथा उसके प्रयत्नों का अन्त है और न वह समझा जा सकता है कि केवल यह ही मनुष्य के सुख का एकमात्र कारण हो सकता है। अब धन के स्थान पर मनुष्य का महत्त्व अधिक हो गया है। मनुष्य का स्थान प्राथमिक और धन का द्वितीय है। मार्शल (Marshall) का कथन उचित है कि 'अर्थशास्त्र एक ओर धन का अध्ययन है और दूसरी ओर, जो अधिक महत्त्वपूर्ण है, मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है।'³ इस प्रकार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है परन्तु प्राथमिक रूप से मनुष्य का अध्ययन है। इसको मनुष्य के कल्याण का विज्ञान कहा जा सकता है।

1 Keynes J. N. —Scope and Method of Political Economy 1930, p. 133

2 According to Adam Smith, 'Economics was concerned with an enquiry into the nature and causes of wealth of Nations.'

3 'Economics is on the one side a study of wealth and on the other and more important side, a part of study of man' —Marshall, A Principles of Economic (6th ed.) p. 1

• अर्थशास्त्र मनुष्य की उन चेष्टायों का अध्ययन है जो कि मनुष्य के भौतिक कल्याण में सहायक हैं।

अर्थशास्त्रियों ने अपना सम्बन्ध भौतिक कल्याण से क्यों रखा है ? मानवीय कल्याण प्रत्येक प्रकार से ही अमाप्य है। परन्तु अर्थशास्त्रियों के पास एक ऐसा उपकरण है जिससे भौतिक दृष्टिकोण से मनुष्य का कल्याण नापा जा सकता है। यह उपकरण धन है। यह मानव जाति को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के भौतिक साधन प्राप्त कराता है और उसके कल्याण को बढ़ाता है। जो अर्थशास्त्री धन का अध्ययन करते हैं, वे वास्तव में भौतिक कल्याण के कारणों का अध्ययन ही करते हैं।

परन्तु लियोनेल रॉबिन्स (L Robbins) ने इस धारणा पर गीघा वार किया है। वह अर्थशास्त्रियों के लिए यह उचित नहीं समझने कि वे अपने विचार भौतिक कल्याण तक ही सीमित रखें। अर्थशास्त्र के वास्तविक अध्ययन में "भौतिक" तथा 'अभौतिक' दोनों कल्याण मिश्रित हैं। 'मजदूरी का वह मिद्वान अमहनीय होगा जिसके अनुसार धनराशि को या तो 'अभौतिक' सेवाओं के बुझाने में या 'अभौतिक' लक्ष्यों के लिए व्यय किया गया हो।" अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन की 'अभौतिक' परिभाषा को भी एकमत में ग्रहण किया है। रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक "Nature and Significance of Economic Science" में उन पदार्थों के अनेक उदाहरण दिए हैं जो मानवीय कल्याण के लिए अत्यन्त सहायक हैं परन्तु जिनमें कोई भी भौतिकता नहीं है। उदाहरणार्थ डाक्टरों, वकीलों इत्यादि की सेवाएँ। इन सेवाओं का आर्थिक महत्त्व है। वे दुर्लभ हैं और उनका मूल्य है। रॉबिन्स का कथन है "यह तपस्वि के साधनों की भौतिकता नहीं है वरन् उनसे मूल्य निर्णय का सम्बन्ध है जो उनको आर्थिक माल की प्रतिष्ठा देता है।" यह 'भौतिक' परिभाषा निन्दित निर्बाधावादी (Physiocratic) विचारों पर आधारित है। इस प्रकार अर्थशास्त्र का भौतिक तथा अभौतिक दोनों वस्तुओं से सम्बन्ध है।

रॉबिन्स (Robbins) का विरोध केवल 'भौतिक' शब्द से ही नहीं है। वे अर्थशास्त्र का कल्याण से कोई भी सम्बन्ध नहीं रखना चाहेंगे। जो अर्थशास्त्र का कल्याण की दृष्टि से अध्ययन करने हैं उनकी अमनुसिद्ध स्थिति स्पष्ट है। मादक वस्तुएँ धन समझी जाती हैं। परन्तु किसी भी दृष्टिकोण से वे मनुष्य के कल्याण में सहायक नहीं मानी जा सकती। दुर्लभ होने के कारण वे 'मूल्य निर्णय विधि' (Pricing Process) के अधीन हैं। लक्ष्य में उनका आर्थिक महत्त्व है, यद्यपि वे मानवीय कल्याण के लिए उपयोगी नहीं हैं। रॉबिन्स कहते हैं, "कल्याण की बात क्यों की जाए ? इस परदे को बिल्कुल हटा क्यों न दिया जाए ?"

इन अनियमितताओं के अतिरिक्त जिनमें कल्याण में विश्वास करने वाले अर्थशास्त्री फँस जाते हैं कुछ अन्य कारण भी हैं, जो केवल आर्थिक विमर्शों से कल्याण के विचार को हटा देते हैं। कल्याण के विचार समय-समय पर देश-देश में और व्यक्ति

1 "A theory of wages which ignored all those sums which were paid for immaterial services or spent on immaterial ends would be intolerable"

—Robbins, Nature and Significance of Economic Science, p. 6

व्यक्ति के अनुसार भिन्न होते हैं। एक सम्मानित विज्ञान के लिए कल्याण पर्याप्त आधार प्रदान करने में अत्यन्त अस्थिर और अनिश्चित मुभाव है।

एक एतराज यह भी है कि मानवीय कल्याण के निर्धारण में हमको यह निर्णय देना होगा कि हम मानवीय कल्याण के लिए क्या सहायक समझते हैं और क्या इतना सहायक नहीं समझते। हम लोग नीतिशास्त्र (Ethics) के क्षेत्र में पहुँच जाँएँ जब कि रॉबिन्स (Robbins) के मतानुसार अर्थशास्त्र लक्ष्य के सम्बन्ध में तटस्थ है। इसका कार्य नैतिकता का पाठ पढ़ाना और दुरे-भले का अन्तर बताना नहीं सम्भल जाता।

इस प्रकार अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण के कारणों का अध्ययन नहीं सम्भल जा सकता। "अर्थशास्त्र चाहे जिससे भी सम्बद्ध हो, यह भौतिक कल्याण के इस प्रकार के कारणों से सम्बद्ध नहीं है।"¹

४ रॉबिन्स की परिभाषा (Robbins's Definition)—मानव ने अर्थशास्त्र की परिभाषा की समस्या सम्भवतः हल कर दी थी और अनेक विद्वानों के मत उनके विचारों पर निर्धारित हैं। परन्तु रॉबिन्स की पुस्तक "Nature and Significance of Economic Science" के सन् १९३१ में प्रकाशन से बाद-विवाद फिर से चलने लगा।

लियोनेल रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र के स्वरूप के प्रचलित दृष्टिकोण को चुनौती दी। हमने ऊपर उनके कुछ विरोधों का उल्लेख किया है। वह अब तक की स्वीकृत और विद्यमान अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को वर्गीकृत तथा अवैज्ञानिक कहता है। "भौतिक" शब्द ने अर्थशास्त्र का अनावश्यक रंग से मीमित कर दिया है। अर्थशास्त्र की कल्याण की धारणा में व्यापकता और वैज्ञानिक सूक्ष्मता नहीं है। रॉबिन्स का दृढ़ कथन है कि उनकी परिभाषा में इनमें कोई भी चुट्टि नहीं है।

रॉबिन्स के अनुसार "अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मानव-व्यवहार का साध्य और न्यून और अनेक उपयोग वाले साधनों के बीच सम्बन्ध के रूप में अध्ययन किया जाता है।"² विशेषण द्वारा हमको ज्ञात होगा कि यह परिभाषा उन तीन मूल प्रस्तावनाओं को स्पष्ट करती है जो अर्थशास्त्र के आकार के आधार का निर्माण करती हैं।

‘दुर्लभ’ शब्द यहाँ पर एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया गया है। इस दुर्लभता का सम्बन्ध आवश्यकताओं से है। दुर्लभता का अर्थ निरपेक्ष भाव में नहीं लेना चाहिए। एक वस्तु थोड़ी मात्रा में हो सकती है, किन्तु यदि इसका किसी के लिए कोई उपयोग नहीं है तो हम इसको आर्थिक दृष्टिकोण से दुर्लभ नहीं कहेंगे। इस प्रकार दुर्लभता सापेक्ष शब्द है।

(ग) रॉबिन्स की परिभाषा के अन्तर्गत तीसरी प्रस्तावना यह है कि दुर्लभ साधनों के अनेक उपयोग हो सकते हैं। यदि एक वस्तु का एक ही उपयोग हो सकता हो और अन्य कोई नहीं तो उसके सम्बन्ध में बहुत कम आर्थिक समस्याएँ उठेंगी। जब इसका वह उपयोग हो चुकेगा तो वह स्वामित्वहीन वस्तु हो जाएगी और इसका कोई आर्थिक महत्त्व नहीं होगा।

जब तब ये सब परिस्थितियाँ नहीं हैं तब तक कोई आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होगी। केवल साधनों का वर्द्धन अथवा केवल साधनों की दुर्लभता न तो आर्थिक समस्या और न केवल दुर्लभ साधनों की वैकल्पिक प्रयोजनीयता उत्पन्न कर सकती है। “परन्तु जब साध्य की प्राप्ति के लिए मध्य और साधन भीमित तथा वैकल्पिक प्रयोग के योग्य होते हैं और साध्य महत्त्व की दृष्टि से विभेद योग्य होते हैं, तब व्यवहार अथवा ही इच्छा या रुचि (choice) का रूप धारण कर लेता है।”¹ अर्थात् इसका एक आर्थिक रूप होता है।

रॉबिन्स के “मतानुसार आर्थिक चेष्टा अनेक साधनों को पूरा करने के लिए मनुष्य के दुर्लभ साधनों का उपयोग है। ‘साधनों’ का अभिप्राय समय, द्रव्य अथवा किसी अन्य प्रकार की सम्पत्ति से है। वे सब सीमित हैं।”²

प्रत्येक दशा में हम अपने भीमित स्रोतों का अधिकतम उपयोग करने की कोशिश करते हैं। राज्य के दृष्टिकोण से ‘अर्थशास्त्र उन नियमों का अध्ययन है जिन पर एक समाज के स्रोत इस प्रकार नियमित तथा प्रशासित हो जिनमें सामाजिक लक्ष्य बिना क्षय के प्राप्त हो सकें।”³

स्टिगलर (Stigler) के शब्दों में “अर्थशास्त्र उन सिद्धान्तों का अध्ययन है जो प्रतिस्पर्धी लक्ष्यों में न्यून साधनों के बँटवारे को नियत करता है जब कि बँटवारे का उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति को परम सख्या तक बढ़ाना है।”⁴

रॉबिन्स ने इस प्रकार अर्थशास्त्र के भौतिक कल्याण पर आधारित पुराने ढाँचे

1 But when time and means for achieving ends are limited and capable of alternative application and the ends are capable of being distinguished in order of importance then behaviour necessarily assumes the form of choice’ Robbins—Nature and Significance of Economic Science p 14

2 Economic action lies in man’s utilisation of scarce means for the satisfaction of multiple ends. The means refer to time, money or any other form of property. They are all limited. Robbins.

3 Study of the principles on which the resources of a community should be so regulated and administered as to secure communal ends without waste —Wicksteed

4 Economics is the study of the principles governing the allocation of scarce means among competing ends when the objective of allocation is to maximise the attainment of the ends. Stigler G J. Theory of Price (1947), p 12

को तोड़ दिया है और एक नया स्वरूप दिया है, जिसके दो आधार हैं, आवश्यकताओं की वृद्धि तथा साधनों की दुर्लभता।

रॉबिन्स का यह दृढ़ विश्वास है कि उनकी परिभाषा दूसरी परिभाषाओं से श्रेष्ठ है। यह अधिक वैज्ञानिक है। यह उस सकुचित क्षेत्र को बढ़ाती है जिसमें कि भौतिक परिभाषा अर्थशास्त्र को सकुचित करती है। यह कुछ ऐसे सिद्धान्त मानने रखती है जो हर समय प्रत्येक स्थान पर सही हैं। जैसा कि विकस्टीड (Wicksteed) का कथन है 'अर्थशास्त्र के नियम जीवन के नियमों की भाँति हैं और उन क्षेत्रों के प्रतिकूल हैं जिनका कारखाने तथा घन के उत्पादन से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है।'

जब अर्थशास्त्र की यह परिभाषा की जाती है तब इस पर लालच या नीचता अथवा कुवेर की पूजा का कोई आराप नहीं लगाया जा सकता। इसको अब एक 'निहृष्ट' (dismal) विज्ञान नहीं कहा जा सकता। इस पर साध्यों के चुनाव का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। साध्य अच्छे हो या बुरे, इनका अर्थशास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। जहाँ कहीं साध्य अनेक हैं तथा माधन न्यून है वही अर्थशास्त्र का उससे मीधा सम्बन्ध है।

परन्तु रॉबिन्स (Robbins) के भी समालोचक हैं। मार्शल (Marshall) की विचारधारा का अर्थात् अन्त नहीं हुआ है। डरविन (Durbin) फ्रेजर (Fraser) वूटन (Wootton) तथा बेवरिज (Beveridge) जैसे अर्थशास्त्रियों ने मार्शल के अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों की बड़ी रक्षा की है। वूटन (Wootton) का कथन है "अर्थशास्त्रियों के लिए यह बहुत ही कठिन है कि वे अपने विवेचन में अर्थशास्त्र के आदर्शों के महत्त्व का पूर्ण अपहरण करें।" फ्रेजर (Fraser) के अनुसार "अर्थशास्त्र का मूल्य सिद्धान्त अथवा साम्य विश्लेषण से बड़ी अधिक महत्त्वपूर्ण है।" यद्यपि रॉबिन्स (Robbins) की अर्थशास्त्र की धारणा अधिक वैज्ञानिक है फिर भी साध्यों के प्रति वह निरपेक्ष, व्यक्तिगत और तटस्थ है। उनका कहना है "साम्य का अर्थ केवल साम्य या समतोल ही है।"

कहा जाता है कि रॉबिन्स (Robbins) ने अर्थशास्त्र को केवल मूल्य निर्धारण का सिद्धान्त ही बना दिया। अर्थशास्त्र के अध्ययन के अन्य रूपों की उपेक्षा की गई है। रॉबिन्स की परिभाषा उस एकात्मित ज्ञान को जो विद्यमान है परिमित नहीं करती परन्तु यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र से उसके उस भाग को जो पहले से मौजूद था, अलग कर देती है।¹

रॉबिन्स (Robbins) की परिभाषा में मानवीय स्वयं नहीं के समान है। ऐली (Ely) के अनुसार यह दृढ़ कथन उचित होगा कि 'अर्थशास्त्र विज्ञान से बड़ी बढ़कर है। यह एक ऐसा विज्ञान है जो मानव-जीवन के अनेक प्रकार के रूपों में स्थान है जिसके लिए केवल क्रमानुसार विचार ही नहीं बल्कि मानवीय महानुभूति,

1 Robbins it is said has reduced Economics merely to valuation theory. Other aspects of the study of Economics have been relegated to the background. Robbins's definition does not circumscribe an aggregate already in existence but it leaves outside the net still a part of the net already existing. A paper read by M. H. Gopal in the Indian Economic Conference held in 1940.

कल्पना तथा असाधारण माना मे व्यावहारिक ज्ञान का सचित अनुग्रह भी आवश्यक है।”

रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को अधिक निराकार तथा गूढ़ और इसीलिए कठिन बना दिया है। यह साधारण मनुष्य के लिए उसकी उपयोगिता घटा देता है। अर्थशास्त्र की उपयोगिता अधिक मात्रा में ठोस और वास्तविक अध्ययन में है।

५ अर्थशास्त्र का क्षेत्र (Scope of Economics) — विरोध केवल अर्थशास्त्र की परिभाषा पर ही नहीं बरन् उसके क्षेत्र के सम्बन्ध में भी है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र की चर्चा में हमारा सम्बन्ध विशेषकर उसके विषय में सम्बद्ध प्रश्नों से होता है। क्या यह व्यक्ति का पृथक् अध्ययन करता है अथवा समाज के एक सदस्य के रूप में? क्या यह व्यावहारिक समस्याओं को हल कर सकता है? क्या यह वास्तविक विज्ञान (Positive Science) है अथवा आदर्श विज्ञान (Normative Science) है?

विषय (Subject matter) — हम पहले परिभाषा में ही इसके विषय का उल्लेख कर चुके हैं। हम फिर दाहरा सकन हैं कि मनुष्य की व सब चेटाएँ जिनका सम्बन्ध धन से है अथवा वे सब घटनाएँ जो ‘प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से द्रव्य के मापदण्ड से सम्बद्ध की जा सकती हैं’ अर्थशास्त्र से सम्बद्ध हैं। रॉबिन्स (Robbins) का अभिप्राय है कि अर्थशास्त्र का सम्बन्ध उन मानव व्यवहारों से है जो असीमित साध्यों को तृप्त करने वाले वैकल्पिक उपयोग वाले दुर्लभ साधनों के प्रयोग से जुड़े हैं। अवश्य ही इसमें चुनाव और मूल्य निर्णय (valuation) की आवश्यकता है। अतएव यह कहा जाता है कि मूल्य निर्णय प्रत्यक्ष दृष्टिकोण में अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या है।

वास्तव में अर्थशास्त्र का विषय बहुत विस्तृत है। यह मनुष्य की आवश्यकताओं का विश्लेषण करता है और उनकी तृप्ति के नियमों को स्पष्ट करता है। यह उत्पादन के उन चार साधनों के प्रयत्नों का जो धन के उत्पादन में लगे हैं और उनकी कार्य-पटुता की हालतों का अध्ययन करता है। इसके बाद वह यह चर्चा करता है कि माँग और पूर्ति की शक्तियाँ कैसे परस्पर प्रतिन्या करती हैं और धन का वितरण समाज के विभिन्न उत्पादकों में कैसे होता है। विनिमय (exchange) की रचना द्रव्य तथा वैकिंग प्रवाहों पर आधारित है तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याएँ, वैदेशिक विनिमय और सार्वजनिक वित्त भी इसके अध्ययन के मुख्य भाग हैं।

एक सामाजिक विज्ञान (A Social Science) — अर्थशास्त्र प्राथमिक रूप से मनुष्य का अध्ययन है न कि धन का। किन्तु यह एक ऐसे व्यक्ति का, जिसने ससार को छोड़ दिया हो अध्ययन नहीं करता। दूसरी ओर यह उन व्यक्तियों का अध्ययन करता है जो समाज में रहते हैं, अपने कार्यों से समाज को प्रभावित करने हैं और जिन पर समाज का प्रभाव पड़ता है।

क्या यह व्यावहारिक समस्याओं को हल कर सकता है? (Can it Solve

1 ‘Economic is something more than a science a science shot through with the infinite variety of human life calling not only systematic thinking but for human sympathy imagination and in an unusual degree for the saving grace of common sense — Fisher and others—Outline of Economic (1930), p 4

Practical Problems?)—अंग्रेज अर्थशास्त्रियों का प्रायः यह विश्वास है कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य यह नहीं है कि वह व्यावहारिक समस्याओं को हल करे। यद्यपि इन समस्याओं का आर्थिक स्वरूप बहुत महत्त्वपूर्ण और परमावश्यक हो सकता है तब भी केवल आर्थिक आधारों पर ही कोई समस्या हल नहीं की जा सकती, क्योंकि वह राजनीतिक विचारों से भी प्रभावित हो सकती है। 'अर्थशास्त्र के सिद्धान्त में ऐसे निश्चित निष्कर्ष प्राप्त नहीं हैं जिनका नीति के लिए तत्काल प्रयोग हो सकता हो। यह एक सिद्धान्त नहीं वरन् एक प्रणाली है, मस्तिष्क का एक यन्त्र तथा विचार की एक कला है जो इसके अधिकारियों को सही हल प्राप्त करने में सहायता करती है।'¹—कीन्स

हम इस कथन से पूरे तौर पर सहमत नहीं हैं। कोई अर्थशास्त्री इस आदर्श का प्रतिपादन नहीं कर सकता है। एडम स्मिथ (Adam Smith), रिचार्डो (Ricardo) माल्थस (Malthus) तथा इस युग के स्वर्गीय लार्ड कीन्स (Lord Keynes) ने भी अपने-अपने समय की समस्याओं में तीव्र रुचि रखी है। फ्रेजर (Fraser) के शब्दों में 'यह अर्थशास्त्री जो केवल अर्थशास्त्री ही है एक ओचनीय दशा वाला सुन्दर मछली के समान है।'² लुगवेल (Lugwell) के अनुसार यह अर्थशास्त्र का अधूरा विकास है जो उसको व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करने का उत्तरदायित्व रखता है। वूटन (Wootton) यह असतोष प्रकट करते हैं कि 'हम सैद्धान्तिक साधनों के गठने में अधिक समय और उनका व्यावहारिक प्रयोग करने में कम समय व्यतीत करते हैं।'³ अतएव यह अधिकाधिक अनुभव किया जाता है कि अर्थशास्त्री को व्यावहारिक समस्याओं को अवश्य ही हल करना चाहिए। जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो "हमारी प्रवृत्ति एक दार्शनिक की प्रवृत्ति पर्याप्त ज्ञान के हेतु ज्ञान नहीं है वरन् ऐसा ज्ञान है जो शरीर-विज्ञान शास्त्री के दशानुषुप्त ज्ञान के समान पीडाओं को दूर करने में सहायता दे।"⁴—पीगू

अतएव हमारा मत यह है कि अर्थशास्त्री को व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में सहायक होना चाहिए। वह ऐसा करने में अधिक ज्ञान से रहित एक राजनीतिज्ञ की अपेक्षा कहीं अच्छी स्थिति में है। अर्थशास्त्रियों में प्रतिदिन की व्यावहारिक समस्याओं पर सलाह और सहायता ली जाती है। पीगू के शब्दों में "अर्थशास्त्र का मूल्य न तो वृद्धि-सम्बन्धी व्याधामशाखा हाने में है और न अपने लिए सच्चाई

1 The theory of Economics does not furnish a body of settled conclusions immediately applicable to policy. It is a method rather than a doctrine, an apparatus of the mind, a technique of thinking which helps its possessor to draw correct conclusions. —Keynes

2 An Economist who only in Economics is a job pretty much. —Fraser

3 We spend too much time for purely theoretical tool and too little time to try to make practical use of them. —Wootton

4 Our impulse is not the philosopher's impulse, knowledge for the sake of knowledge, but rather the practical engineer's knowledge for the working that his knowledge may help to build. —Pigou

स्थापित करने के साधन में, परन्तु नीतिशास्त्र की दासी तथा व्यवहार का एक दास होने में है।”¹

क्या यह वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्श विज्ञान ? (Is it a Positive or a Normative Science ?) वास्तविक विज्ञान (Positive Science) हमको सिखाता है कि “क्या है” किन्तु आदर्श विज्ञान हमको सिखाता है कि “क्या होना चाहिए।” अर्थात् वह किसी वस्तु के सत्य और असत्य भागों का प्रतिपादन करता है। हम अब यह विचार करेंगे कि अर्थशास्त्र शील का निर्णय कर सकता है या सिर्फ वस्तुओं का ‘कारण’ स्पष्ट कर सकता है। अंग्रेजी प्रतिष्ठित सम्प्रदाय (English Classical School) के मतानुसार अर्थशास्त्री का आर्थिक स्थिति की सत्यता या असत्यता को व्याख्या करने का कोई कार्य नहीं था। सीनियर (Senior) का विचार था कि अर्थशास्त्री सलाह का एक शब्द भी नहीं जोड़ सकता। कैरनस (Cairnes) के अनुसार अर्थशास्त्र साध्यों के सम्बन्ध में पूर्णतया इस प्रकार तटस्थ है जैसे यान्त्रिकी विज्ञान (Mechanics) रेलों के निर्माण की नाना योजनाओं में निष्पक्ष रहता है। हाल ही में रॉबिन्स (Robbins) ने इस तटस्थता को फिर से पुष्ट किया है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र का सम्बन्ध ‘साध्यों’ (ends) के उचित तथा अनुचित होने से नहीं है। ‘अर्थशास्त्री का कार्य अधिकाधिक रूप में एक ऐसे विशेषज्ञ जैसा दिखाई देता है जो यह बता सके कि प्रमुख कार्यों में कैसे नतीज निकलने वाले हैं, किन्तु अर्थशास्त्री के नाते वह उन कार्यों की वाञ्छनीयता के बारे में निर्णय नहीं दे सकता।’ यह कहा जाता है कि अर्थशास्त्री का कार्य तोज करना और व्याख्या करना है न कि समर्थन करना या निन्दा करना। हमारे विचार में यह उचित मत नहीं है।

हम हॉट्ट्रे (Hawtrey) से सहमत हैं कि अर्थशास्त्र नीतिशास्त्र से पृथक् नहीं किया जा सकता है। ‘आर्थिक यथार्थता’ (economic ought) पर भी विचार करना पड़ता है। उदाहरणार्थ धन के अनुचित वितरण के कारण का विश्लेषण करके अर्थशास्त्री यह कहने में क्यों सकोच करें कि इसका उचित रूप से वितरण होना चाहिए ? “अतएव मनोविज्ञान से रहित अर्थशास्त्र को अवश्य ही या तो एक दिखावटी बल्पना या स्पष्ट रूप से अवैज्ञानिक शास्त्र समझना चाहिए। यह हैमलेट का ड्रामा बिना हैमलेट के है।”² अतएव अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान तथा आदर्श विज्ञान दोनों है। हम रॉबिन्स (Robbins) के इस कथन में सहमत नहीं हैं कि वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्श अर्थशास्त्र में इतना अर्थिक अन्तर है कि मनुष्य को कोई उचित उसकी पूर्ति नहीं कर सकती। किसी अच्छे अर्थशास्त्री का यह कर्तव्य है कि वह इस खाई को पूरा करे। जब साध्य भी दिए हुए हों तो अर्थशास्त्र उन साधनों पर निर्णय कर सकता है जो उन साध्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाए जाने चाहिए।

1 Economics is chiefly valuable neither as an intellectual gymnastic, nor as a means of winning truth for its own sake but as a handmaid of Ethics and a servant of practice — Pigou

2 Wolfe in Tugwell's Trends of Economic- (1935) p 160

साध्य और साधन (Ends and Means)—यह उल्लेख किया जा चुका है कि अर्थशास्त्र का सम्बन्ध साधनों से है और साध्य उसके क्षेत्र से बाहर है। इसका अर्थ केवल यह है कि साध्यों या उद्देश्यों के स्थिर करने में अर्थशास्त्र का कोई हाथ नहीं है। यह निश्चित करना सरकार अथवा व्यक्तियों का कार्य है कि वे क्या पाना चाहते हैं अथवा क्या करना चाहते हैं। जब वे यह निश्चिन कर लेते हैं तब अर्थशास्त्री यह मलाहट देने है कि लोगों के बचने कम स्वयं में उन साधनों को कैसे भली भाँति प्राप्त किया जा सकता है। अर्थशास्त्री केवल विशिष्ट साध्यों की पूर्ति के लिए साधनों के न्यूनतम उपयोग का नमूना करते हैं। अर्थशास्त्र साध्यों की सापेक्ष मूल्य निर्णय (relative valuation) के परिमाणों में दिए गए रूप में लेता है। यह केवल इन साधनों की पूर्ति के लिए साधना के उपयोग की व्याख्या कर सकता है। इस विचार से नान्य इतर क्षेत्र में बाहर है।

अतएव यह भतीजा निबलना है कि अर्थशास्त्री पर साध्यों के स्वल्प की कोई जिम्मेदारी नहीं है। साध्य चाहे श्रेष्ठ अथवा अप्रतिष्ठित हो, अर्थशास्त्री उनमें सम्बन्ध नहीं रखता।

६ अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध (Relation of Economics to other Sciences)—अर्थशास्त्र के स्वल्प का अध्ययन करके अब हम इनके अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध पर विचार कर सकते हैं। मानव स्वभाव एक समान है। मनुष्यों की समझाया का आधिक दृष्टिकोण दूसरे—कानून सम्बन्धी राजनीतिक इत्यादि—दृष्टिकोणों से जुड़ा नहीं किया जा सकता। अतएव अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों से गहरा सम्बन्ध है। यह प्रत्येक विज्ञान मुख्यत इतिहास, गणित, सांख्यिकी (Statistics), भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान आदि से बहुधा सहायता लेता है। तब भी अर्थशास्त्र न तो भौतिक विज्ञानों के नियमों को निश्चिन करने का और न उनमें व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। यह उनका प्रयोग केवल अपने निष्कर्षों के आधानों के लिए करता है।

अर्थशास्त्र में मनोविज्ञान का अधिक उपयोग हुआ है। वरण के सिद्धान्त (Law of Choice) का जो अर्थशास्त्र का परम मूल सिद्धान्त है, एक मनोवैज्ञानिक आधार है। मिल (Mill) की व्याख्या के अनुसार 'अर्थशास्त्र एक शीलाचार सम्बन्धी अथवा मनोवैज्ञानिक विज्ञान है।'¹ जेवन्स (Jevons) ने इसको और अधिक मना वैज्ञानिक बना दिया है। उनके लिए "अर्थशास्त्र के सिद्धान्त उपयोगिता तथा आत्महित की रचना और केवल सुख और दुःख की गणना के आधार हैं।"²

वास्तव में अर्थशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से गहरा सम्बन्ध है। कान्टे (Comte) जैसे दार्शनिक, अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र के अधिन मानते और इसे उसका एक अंग समझते। परन्तु समाजशास्त्र का विकास होना अभी बाकी है जहाँकि

1 Mill described Political Economy as a moral or psychological science

2 The theory of Economics is the calculation of its end and self-interest entirely based on a calculus of pleasure and pain.—Jevons

अर्थशास्त्र उन्नत अवस्था पर पहुँच गया है। इसलिए इसका जुदा अध्ययन हो सकता है। यह विशेषीकरण वैज्ञानिक पूर्णता के लिए अत्यधिक सहायक है, यद्यपि इसको पूरे तौर से स्वतन्त्र विज्ञान मानना अनुचित है। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र को पूरी तौर से जुदा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र का गहरा सम्बन्ध है क्योंकि समस्त आर्थिक चेष्टाएँ नैतिक विचारों से अवश्य ही प्रभावित होनी चाहिए। उत्पादन तथा वितरण की चर्चा करने में हमें नैतिक विचार सदैव ध्यान में रखना चाहिए। आर्थिक चेष्टाओं का संचालन आचार के क्षेत्र में ही होना चाहिए। प्राचीन अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को नीतिशास्त्र के अधीन मानते थे। वह (अर्थशास्त्र) केवल 'नीतिशास्त्र का दास ही नहीं था बल्कि उसके इस पुष्ट तथा समृद्धिशाली सहविज्ञान ने उसे कुचलकर मण्ड कर दिया।"

हम अर्थशास्त्र पर नीतिशास्त्र के प्रभाव की पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तब हमने यह विचार किया था कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्श विज्ञान। (देखिए विभाग ५)। नीतिशास्त्र मान्यताओं (values) का अध्ययन है, यह उन साधनों के उचित तथा अनुचित होने का विवेचन करता है जिनकी प्राप्ति के लिए दुर्लभ साधनों का बँटवारा किया जाता है। परन्तु बहुत से आधुनिक अर्थशास्त्री इस मत के हैं कि अर्थशास्त्र का सम्बन्ध उचित-अनुचित अथवा अच्छे-बुरे के प्रश्न से नहीं है। ऐसा करना एक दार्शनिक का काम है। अधिक-से-अधिक एक अर्थशास्त्री यह कह सकता है कि कुछ स्रोतों का उपयोग लक्ष्य के अनुसार उचित नहीं है।

अर्थशास्त्र का न्यायशास्त्र अथवा विधि विज्ञान में भी सम्बन्ध है। आर्थिक क्रियाओं का संचालन कानूनी ढाँचे के अन्दर होना चाहिए। अर्थशास्त्री गैर-कानूनी कामों का, वे चाहे कितने ही आकर्षक क्यों न हों समर्थन नहीं कर सकता। कानून-व्यवस्था हमारी आर्थिक क्रियाओं को सीमित तथा निर्धारित करनी है।

अर्थशास्त्र और इतिहास का भी एक-दूसरे से गहरा सम्बन्ध है। अर्थशास्त्र साधनों और साधनों के सम्बन्ध में तथा उनके अन्तर्गत अनेक समस्याओं का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र का इतिहास समय समय पर इन सम्बन्धों के रूप का अध्ययन करता है। आर्थिक इतिहास एक पृष्ठभूमि बनाता है जिसने सम्मुख आर्थिक सिद्धान्त तथा समस्याओं का भली भाँति अध्ययन किया जा सकता है। इतिहास द्वारा हम पुराने सिद्धान्तों की पुष्टि तथा खडग और नये सिद्धान्तों की खोज कर सकते हैं। मोने की खानों की खोज से मुद्रा-परिमाण-सिद्धान्त (Quantity Theory of Money) और प्लेग की घटना ने भ्रम की माँग तथा पूँति के सिद्धान्त को पुष्ट कर दिया। इसी प्रकार इतिहास, व्यापार-चक्र (trade cycles) के सिद्धान्तों के बनाने में अत्यन्त सहायक हुआ है।

परन्तु जबकि अर्थशास्त्र इतिहास का ऋणी है आर्थिक सिद्धान्त का ज्ञान भी इतिहासकारों के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वास्तव में वह इतिहास जो आर्थिक दशाओं का विश्लेषण त्याग देता है, यदि भ्रम उत्पादक नहीं तो अधूरा तो है ही।

यह कथन सत्य है कि—

"Economics without History has no root,
History without Economics has no fruit"

अर्थान् बिना इतिहास के अर्थशास्त्र जडरहित है और इतिहास बिना अर्थशास्त्र के फलहीन है ।

सय विज्ञानों में अर्थशास्त्र का राजनीतिशास्त्र से सबसे गहरा सम्बन्ध है । यह अब अधिकाधिक माना जाता है कि अर्थशास्त्र वस्तुतः राजनीतिक अर्थशास्त्र होता जा रहा है । इसका अर्थ है कि यह राजनीतिशास्त्र से मिश्रित होता जा रहा है । एक राजनीतिज्ञ के लिए आर्थिक विचारों का बड़ा महत्त्व है । उसे राजनीतिक नीति ग्रहण करने से पूर्व आर्थिक व्यवस्था तथा संस्थाओं का विचार अवश्य करना चाहिए । राजनीतिक नीतियों को निश्चित करने में आर्थिक विचार मुख्य हैं ।

इसी प्रकार राजनीतिक ह्राजात और सम्पूर्ण किसी देश की आर्थिक परिस्थितियों पर गहरा प्रभाव डालती है । इस बात को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि भारतवर्ष में आर्थिक विकास पर राजनीतिक कारणों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है । राजनीतिशास्त्र तथा अर्थशास्त्र एक दूसरे पर अपना-अपना प्रभाव डालते हैं ।

सभी प्रचलित राजनीतिक समस्याओं की तरह में आर्थिक समस्याएँ रहती हैं । मण्डियों तथा कच्चे माल की हथियाने के लिए जोरदार धयत्नों के कारण आधुनिक काल में समस्या युद्ध हुए हैं । हमारे देश की साम्प्रदायिक समस्या वास्तव में एक आर्थिक समस्या रही है । यह किसी विशेष सम्प्रदाय के आर्थिक हितों को बढ़ाने की इच्छा से उत्पन्न होती है । सरकारों को सलाह देने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषदा (Economic Advisory Councils) अथवा "ब्रेन ट्रस्ट" (Brain Trusts) की स्थापना यह स्पष्ट करती है कि अर्थशास्त्र राजनीतिशास्त्र का दास होता जा रहा है । इसी कारण यह कहा जाता है कि अर्थशास्त्र अधिकाधिक राजनीतिक अर्थशास्त्र होता जा रहा है ।

अर्थशास्त्र तथा गणित की सीमा पर एक नया विज्ञान सांख्यिकी (Statistics) है । अर्थशास्त्री सांख्यिकी का, जिसको तथ्य तथा अंकों का शास्त्र कहते हैं अधिकाधिक उपयोग कर रहे हैं । कोई भी आर्थिक चर्चा पूर्ण नहीं होती जब तक कि उसको सम्बन्धित आंकड़े और तथ्यों का सहारा न मिले । तथा किसी भी आर्थिक समस्या का हल सन्तोषजनक नहीं हो सकता जब तक कि सम्बन्धित सही तथा नवीनतम आंकड़े प्राप्त न हों । उदाहरणार्थ भारत की व्याज समस्या को ही लीजिए । बिना सही आंकड़ों को सामने रखे कोई भी आर्थिक नीति अपनाता केवल अंधेरे में छलंग लगाना मात्र होगा ।

आंकड़े और तथ्य आर्थिक सिद्धान्तों को दृढ़ कर सकते हैं अथवा उनको फिर से परीक्षा के लिए मजबूर कर सकते हैं यदि वे तथ्य अथवा अंकों के विपरीत हैं । ऐसा भी हो सकता है कि आंकड़ों और तथ्यों की मूचना अपूर्ण अथवा असुद्ध हो यदि वह एक स्थापित सिद्धान्त को पुष्टि न करे । इस प्रकार सांख्यिकी अर्थशास्त्र सिद्धान्त बनाने वालों के लिए समूल्य सहायता है ।

जैसा कि कोलिन क्लार्क (Colin Clark) का कहना है कि "तमाम किताबों

तथा लेखो म आधुनिक पेचीदा आर्थिक समस्याओं को बिना तथ्यों की ओर सकेत किए हुए व्याख्या करना, यदि दुखद नहीं तो, हँसने के योग्य अवश्य होगा।” फिर “अर्थशास्त्र विज्ञान के विकास में सिद्धान्त का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। परन्तु सिद्धान्त को तथ्यों का आदर करना चाहिए न कि उल्लंघन।”¹

७ अर्थशास्त्र के नियम (Laws of Economics)—अन्य विज्ञानों की भाँति अर्थशास्त्र में भी उसके कुछ साधारण सिद्धान्त हैं जो अर्थशास्त्र के नियम कहलाते हैं। वे नियम समस्त आर्थिक चेष्टाओं की व्याख्या तथा उनका संचालन करते हैं। मार्शल (Marshall) के शब्दों में आर्थिक नियमों की परिभाषा इस प्रकार है—

“आर्थिक नियम या आर्थिक प्रवृत्तियों के विवरण आचरण की उन शालाओं से सम्बन्धित सामाजिक नियमों को कहने हैं जिनमें मोटे तौर पर सम्बन्धित मनोवृत्तियों की शक्ति सूत्रा द्वारा मापी जा सकती है।”² रॉबिन्स (Robbins) की आर्थिक क्रियाओं की परिभाषा के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक नियम एकलपता के मान दण्ड हैं जो उन मानव व्यवहार का संचालन करते हैं, जो असीमित साधनों का पूर्ति के प्रति सीमित स्रोतों की उपयोगिता से सम्बद्ध हैं। सक्षम म य वे सिद्धांत हैं जिनके अनुसार हम दैनिक जीवन में आर्थिक क्रिया कल्पना करते हैं।

कुछ आर्थिक नियम स्वयंसिद्ध हैं, उदाहरणार्थ अधिक लाभ को कम लाभ से श्रेष्ठ समझा जाता है। कुछ अन्य ऐसे आर्थिक नियम हैं जिनका स्वभाव भौतिक नियमों जैसा है उदाहरणार्थ घटती हुई उपज का नियम (Law of Diminishing Returns) परन्तु अधिकतर आर्थिक नियम कल्पित (hypothetical) तथा अनिश्चित होते हैं।

तो भी, यह स्मरण रखना चाहिए कि अर्थशास्त्र के नियम किसी अन्य सामाजिक शास्त्र से अधिक ठीक हैं, क्योंकि आर्थिक घटनाओं का द्रव्य द्वारा माप किया जा सकता है। इतिहास और राजनीतिशास्त्र जैसे किसी अन्य सामाजिक शास्त्र में ऐसा कोई द्रव्य का मापदण्ड नहीं है।

यदि प्रारम्भिक कल्पनाएँ (assumptions) की पूर्ति हो जाए तो आर्थिक नियम अनिवार्य तथा अटल हैं। परन्तु इन कल्पनाओं की सदा पूर्ति नहीं होती। अतएव आर्थिक नियम भविष्य नहीं बता सकते। ‘ऐसा कोई सरल मापदण्ड नहीं है जिससे व्यवसाय के कामों के प्रवाह को मापा जा सके। क्योंकि य श्रम की उमंगों या अनिश्चित आशावाद के अधीन हैं और उनके बारे में भूडोल की तरह पहले से निश्चित रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता।’³ अतएव हम यह नहीं कह सकते कि आगे क्या होगा क्योंकि यह अर्थशास्त्रियों की पूर्ति पर निर्भर है। हम केवल यह कह सकते हैं कि क्या हो सकने की सम्भावना है। अतएव अर्थशास्त्र के नियम केवल प्रवृत्तियों का अथवा सांख्यिकीय अनुमानों का विवरण है।

1 Quoted by Stiglitz in his Theory of Prices (1957) p 18

2 Economic laws or statements of Economic tendencies according to Marshall are those social laws which relate to branches of conduct in which the strength of the motives chiefly concerned can be measured by money price

3 There is no convenient yardstick by which to measure the currents in business affairs for these are subject to gusts of fear or perhaps of fantastic optimism a unpredictable earthquake. —Moore and others—Modern Economics (1940) p 3

ही नहीं ग्रहण कर सकते • सैद्धान्तिक अर्थशास्त्रियों का अन्तर्ग्रहण अध्ययन को बहुधा विज्ञान शब्द से पुकारना भ्रमपूर्ण है।" फिर अर्थशास्त्र के उन्माही विद्यार्थी का समय समय पर यह वाद रखना चाहिए कि स्व माँग तथा पूर्ति की सांगिथियाँ (demand and supply schedules), लागत वक्र (cost curves) अथवा तट-स्यता वक्र (indifference curves) जो उसकी पाठ्य पुस्तकों को इतना मोटा कर देते हैं, कोई भी (कुछ को छोड़कर) किमी तथ्य पर आधारित नहीं हैं। पाठक को एक ऐसी भविष्यवाणी पान के लिए, जो उन घटनाओं की प्रगति के प्रभुत्वशाली मत के प्रभाव से दृढ़ की गई है और जिमका पुनर्ज्ञान किसी माकार ऐतिहासिक अवस्था में किया जा सकता है, विश्लेषक अर्थशास्त्रियों के साहित्य में अधिक छानबीन करने पर भी मुश्किल से ही मिलेगी।¹ फिर अर्थशास्त्र का विज्ञान कैसे कहा जा सकता है ?

फिर यह कहा जाता है कि अधिक घटनाएँ अत्यन्त जटिल बहुरूपी तथा अस्थिर हैं, क्योंकि मनुष्य में इच्छा की स्वतन्त्रता है। एक विज्ञान को इतने क्षीण आधार पर स्थापित करना न केवल कठिन है वरन् अशक्य है। अतएव अर्थशास्त्र का वैज्ञानिक रूप पूर्णतया नष्ट किया गया प्रतीत होता है। परन्तु ऐसी बात नहीं है।

अमुक ज्ञान की दाखा को हम विज्ञान न कहे अथवा नहीं यह इस बात पर निर्भर है कि हम विज्ञान किसे मानते हैं। यदि हम विज्ञान से यह आशा करते हैं कि वह ऐसी विज्ञानों को प्रतिपादित करेगा जो प्रत्येक स्थान पर तथा प्रत्येक समय में लागू हों या वह भविष्य की घटनाओं को घोषित करेगा, तब तो, वास्तव में अर्थशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। परन्तु विज्ञान में होने वाली यह आवश्यक बातें विज्ञान की परिभाषा के आधुनिक मत के अनुकूल नहीं हैं। विज्ञान में हमारा अभिप्राय ज्ञान के एक क्रम-बद्ध रूप (systematized body of knowledge) में है। यह केवल तथ्यों का संचय नहीं है। परन्तु तथ्य इस प्रकार क्रमबद्ध हों कि वे स्वयं ही स्पष्ट हों। जब नियम बना दिए जाते हैं तो ज्ञान की एक शाखा विज्ञान हो जाती है। प्वाइन्केयर (Poincaré) के शब्दों में, "विज्ञान तथ्यों से इस प्रकार बना है जिन प्रकार पत्थरों से एक मकान बनाया जाता है। परन्तु केवल तथ्यों का एकाकरण इस प्रकार विज्ञान नहीं कहा जा सकता जैसे पत्थरों के ढेर को मकान नहीं कहा सकते।"²

इस प्रमाण के अनुसार अर्थशास्त्र अवश्य ही एक विज्ञान है। अर्थशास्त्री ने पहले तो तथ्यों को जमा किया है। फिर तथ्यों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया है तथा उत्तरा उत्तरा अर्थशास्त्रियों द्वारा किया है और जब इन तथ्यों को निश्चित करने वाले आधारों सिद्धान्तों को खोजा तथा उनका वर्णन किया है। अर्थशास्त्र को फिर विज्ञान मानने में क्या कमी रह जाती है ?

यह अब पूरी तौर से मान लिया गया है कि अर्थशास्त्र एक परिपूर्ण विज्ञान है। वास्तव में यह दूसरे विज्ञानों में किसी भी प्रकार घटिया विज्ञान नहीं है। "आर्थिक नियम दूसरे विज्ञानों के नियमों से समता रखते हैं।"³

1 Wootton—Lament for Economics (1935), p 111—115

2 'Science is built up of fact as a house is built up of stones, but an accumulation of facts is no more a science than a heap of stones is a house'—Poincaré

3 Robbins opp citd p 104

परन्तु अर्थशास्त्र के धार्मिक रूप को समझना आवश्यक है। अर्थशास्त्र का विरोधाभास यह है कि एक विज्ञान होते हुए भी यह भौतिक तथा रसायनशास्त्र जैसे प्राकृतिक विज्ञानों की भाँति घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। व्यक्ति में इच्छा की स्वतन्त्रता है। अतएव मानव व्यवहार में भविष्यवाणी करना असम्भव है। डार्विन (Darbin) के कथनानुसार, "निश्चितता हम से जुदा रहेगी और भविष्यवाणी गलत हो जाएगी—जिम प्रकार मनुष्य घनूत्र में मोख सकते हैं उसी प्रकार वे अर्थशास्त्र से भी मोख सकते हैं। इस प्रकार विषय अपनी ही खोज से अपने परिणामों की काट करता रहता है।"^१ इस प्रकार अर्थशास्त्र "निरन्तर बदलने वाले सिद्धान्तों" को प्रस्तुत करता रहता है।

१० क्या अर्थशास्त्र कला भी है? (Is Economics also an Art?)—यह निश्चिन हो चुका है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। परन्तु क्या इसे कला भी माना जा सकता है? अंग्रेज अर्थशास्त्रियों का यह मन है कि अर्थशास्त्र सिर्फ विज्ञान है और कला नहीं। "विज्ञान का रूप, जिमके विकास करने का अर्थशास्त्री प्रयास करेगा, कला के आधार के अनुकूल होना चाहिए। वास्तव में यह स्वयं कला न होगा। यह एक शुद्ध तथा व्यावहारिक विज्ञान है, न कि विज्ञान तथा कला" —मानव

इस मनोवृत्ति को प्रमत्न करने का एकमात्र उपाय यही है कि सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र वैज्ञानिक पूर्णता की एक मात्रा तब तक इसी एक विधि से प्राप्त कर सकता है। इसको एक कला बनाने के प्रयत्न विचार उभरे कार्य में बाधा डालेंगे और उमको वित्तकुल अपूर्ण कला बना देंगे। अर्थशास्त्र का कार्य केवल खोज तथा व्याख्या करना है और विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सूत्र तथा धारणाएँ प्रस्तुत करना नहीं।

फिर भी हम इस मन में सडमत नहीं हैं। पत्रक "कला" का सैद्धान्तिक अथवा वैज्ञानिक पक्ष है और इसी प्रकार प्रत्येक विज्ञान में "कला" अथवा व्यावहारिक पक्ष है। हमारे मतानुसार अर्थशास्त्र में "कला" का भाग अधिक महत्त्व रखता है। यदि अर्थशास्त्र एक निराकार विज्ञान हो जाए, जैसा कि अधिकाधिक हा रहा है, तो साधारण जनता के लिए यह अभिन्न मद हो जाएगी। वह अपनी व्यावहारिक उपयोगिता से अलग हो जाएगा। हमारे मतानुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो प्रकाश डालने वाला तथा फलदायक भी है। वे भी, जो इसे शुद्ध विज्ञान मानते हैं, व्यावहारिक अर्थशास्त्र (Applied Economics) जैसी शाखा को मानते हैं।

११. अर्थशास्त्र की रीतियाँ (Methods of Economic Science)—अर्थशास्त्र के विज्ञान माने जान का एक कारण यह है कि हमारे विज्ञानों की

1 'Certainty will always escape us and prediction miss the mark. Just because men can learn from experience they can learn from Economics itself and as the subject destroys its own conclusions by its own discoveries. — Durbin Economics: Man and his Material Resources (New Education Library) Pp 333 34

2 The type of science that the Economist will endeavour to develop must be one adopted to form the basis of an art. It will not indeed itself be an art. It is a science pure and applied rather than a science and an art. —Marshall

भांति यह वैज्ञानिक रीतियों का उपयोग करता है। अब हमें यह देखना चाहिए कि यह रीतियाँ क्या हैं ?

प्राचीन अंग्रेज अर्थशास्त्रियों ने, जिन्होंने प्रतिष्ठित सम्प्रदाय (Classical School of Economists) बनाया, अर्थशास्त्र को कुछ थोड़े से साधारण सामान्य अनुमानों से विज्ञान बनाने का प्रयत्न किया। जो रीति उन्होंने प्रयुक्त की उसे निगमनीय या आनुमानिक (deductive), वैश्लेषिक (analytical), अमूर्त या शुद्ध (abstract) और तर्कगम्य अथवा बिना परीक्षा वाली (a priori) रीति कहते हैं। उनमें से सीनियर (Senior), मिल (Mill), कर्नेस (Carnes) तथा मुख्यतः रिकार्डो (Ricardo) के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें भी रिकार्डो प्रमुख है। इस रीति के समर्थक मानवीय स्वभाव के कुछ निर्विवाद तथ्यों से शुरु करते हैं और साकार ध्वनितगत स्थितियों के विषयों में अनुमान निकालते हैं, उदाहरणार्थ, वे विश्वास करते हैं कि केवल निजी स्वार्थ ही मनुष्य के दैनिक जीवन का मार्गदर्शक है और वे अनेक मानवीय व्यवहारों को निजी स्वार्थ के रूप में व्याख्या करते हैं तथा उनकी भविष्यवाणी करने का प्रयत्न करते हैं, जो स्पष्ट रूप से अनुचित है।

यदि धारणाएँ ठीक हो तो इस रीति की श्रेष्ठता यह है कि वह सरल, प्रभावशाली तथा निश्चित होगी। वास्तव में यह "यदि" बड़ा महत्त्वपूर्ण है। बहुधा यह धारणाएँ असत्य या थोड़ी मात्रा में सत्य होती हैं। यह अर्थ-विज्ञान को सिद्धान्तवादी (dogmatic) बना देता है, क्योंकि वे अपने अन्तर्गत अपने पूर्ववाक्य (premise) में कोई त्रुटि नहीं मानते। जब अपूर्ण अथवा गलत धारणाओं पर आधारित सामान्य अनुमान सार्वजनिक और सार्वभौमिक रूप से ठीक समझे जाते हैं और इन सामान्य अनुमानों के आधार पर देश की व्यावहारिक रीतियों की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाता है, निगमनीय या आनुमानिक (deductive) रीति हानिकारक सिद्ध होती है।

ऐतिहासिक सम्प्रदाय (Historical School) इस मनोवृत्ति के विरुद्ध है। यह विरोध विशेषकर जर्मनी में अनुभव किया गया था और इसे रासचर (Roscher), हिल्डब्रैंड (Hildebrand) तथा फ्रेडरिक लिस्ट (Frederich List) जैसे अर्थशास्त्रियों ने व्यक्त किया था। इस नये आन्दोलन के अनुयायी इंग्लैंड में क्लिफ लैसले (Cliffe Leslie) भी थे। उन्होंने एक रीति का समर्थन किया जिसे ऐतिहासिक (historical) सामान्यानुमान (inductive) अथवा यथार्थिक (realistic) रीति कहते हैं। यह रीति तथ्यों की जाँच पर जोर देती है और तब सामान्य नियम प्रस्तुत करती है। यहाँ हम "विशिष्ट" से "सामान्य" की ओर जाते हैं जबकि निगमनीय रीति (deductive method) में हम "सामान्य" से "विशिष्ट" की ओर आते हैं।

अवलोकन तथा अनुभव सामान्यानुमानवादी (inductive) अर्थशास्त्री के मुख्य शस्त्र हैं। इस रीति का यही गुण है कि यह यथार्थता पर निर्भर है और इसलिए एक निश्चित आधार रखती है। परन्तु अपूर्ण तथ्यों से तात्कालिक परिणाम निकाले जाने का भय है। यह हो सकता है कि कुछ मुख्य तथ्य छोड़ दिए गए हों और परिणाम अनुचित हो। कॉलिन क्लार्क (Colin Clark) के शब्दों में, "सामान्यानुमान

(Inductive) की रीति तथ्यों रूपी घोटों के आगे सिद्धान्त रूपी गाड़ी लगा देती है।¹² इसके अतिरिक्त, उस विज्ञान में, जो मानवीय क्रियाओं से सम्बद्ध है, अवलोकन तथा अनुभव का बहुत ही सीमित प्रयोग होता है।

इसके विपरीत यह कहा जा सकता है कि यद्यपि सचेत अनुभव (conscious experimentation) अर्थ-विज्ञान से परे है तो भी इतिहास समय-समय पर प्रयोग में लाए गए आर्थिक साधनों के रूप में अनेक अनुभव प्रदान करता है। भारत में विभेद पूर्ण संरक्षण (discriminating protection) का प्रदान करना एक महत्वपूर्ण अनुभव था। आधुनिक काल में सामान्यानुमान रीति (inductive method) का प्रयोग अत्यन्त बढ़ा दिया गया है। प्रत्येक देश में सांख्यिकीय प्रकाशनों (statistical publications) की अधिकता है। "सरकारी पुस्तकें" तथ्यों तथा अकों से भरी हैं और अर्थशास्त्री के पास अपने परिणामों को प्राप्त करने के लिए अधिक तथा विश्वसनीय सामग्री है। आधुनिक युग को सामान्यानुमान युग (inductive era) कहा गया है।

फिर भी आधुनिक अर्थशास्त्री एक रीति पर दूसरी का निषेध करके आश्रय नहीं लेता। वह दोनों का प्रयोग करता है। मार्शल के प्रायः दोहराए हुए शब्दों में, "वैज्ञानिक विचारधारा के लिए सामान्यानुमान तथा आनुमानिक दोनों रीतियों की आवश्यकता होती है, जैसे चने में दाहिने तथा बायें दोनों पैरों की आवश्यकता होती है।"¹³ सर्वप्रथम अर्थशास्त्री आनुमानिक (deductive) विचार पर आधारित एक निश्चित कल्पना (hypothesis) से आरम्भ करता है और तब तथ्यों की कसौटी से उसकी जाँच करता है और तब कल्पना सिद्धान्त का रूप धारण कर लेती है। सिद्धान्त के नियम में परिवर्तित होने से पूर्व उपस्थित दशा के आधार पर और जाँच करनी पड़ती है। इस प्रकार एरिक बाल (Eric Ball) के अनुसार "अनुमान एवं सामान्यानुमान का अन्तर-प्रवेश" (interpenetration of deduction and induction) होता है।

इस प्रकार "रीति के इस प्रतिवाद का वास्तविक हल अनुमान एवं सामान्यानुमान के दिवाचन में नहीं बरन् अनुमान एवं सामान्यानुमान की स्वीकृति में है।"¹⁴—वैगनर (Wagner)। अदसर विशेष पर इन दो रीतियों में से कौनसी काम में लाई जाए, वह जाँच के स्वरूप, उपलब्ध सामग्री तथा जाँच की अवस्था पर निर्भर है। वास्तविक वैज्ञानिक रीति की भिन्न भिन्न तीन अवस्थाएँ हैं अर्थात् अवलोकन, कल्पना तथा तर्क (observation, the use of imagination, and reason) का प्रयोग और अन्त में सिद्धान्तों की पड़ताल।

१२ अर्थशास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता (Value of the Study of Economics)—अर्थशास्त्री का यह अभिमान उचित ही होगा कि उसका विज्ञान निश्चित ही ज्ञान की अन्य शाखाओं में अधिक लाभदायक है। किसी अन्य विज्ञान का

1 The Inductive Method puts the theoretical cart before the factual horse'—Colin Clark

2 'Induction and Deduction are both needed for scientific thought, as the right and left foot are both needed for walking'—Marshall

मानवीय कल्याण से इतना प्रत्यक्ष तथा प्राथमिक सम्बन्ध नहीं होता। अर्थशास्त्री अपने नम्र भाव से मानवीय कल्याण को बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करता है।

अर्थशास्त्र की ज्ञानसम्बन्धी उपयोगिता (intellectual value) बहुत अधिक है। जो आर्थिक समस्याओं के समझने और विश्लेषण में अपना समय व्यतीत करते हैं, उन्हें बुद्धि की तीव्रता के रूप में उच्च पुरस्कार मिल जाता है। मूल्य के अनेक सिद्धान्त, मजदूरी तथा व्याज आदि का अध्ययन, बँदेसिक विनिमय (foreign exchange) की गूढ़ समस्याओं को सुलभाना और जटिल मुद्रा तथा आर्थिक समस्याओं के समझने का प्रयत्न उत्तम मानसिक शिक्षा का अभ्यास प्रदान करते हैं। दृढ़ विचारों द्वारा यह जनता के विचारों को परिष्कार प्रदान करता है।

अर्थशास्त्र के अध्ययन का सांस्कृतिक महत्त्व (cultural value) भी है। अर्थशास्त्र का विद्यार्थी आर्थिक यन्त्र (economic machine) की कार्य-प्रणाली की गूढ़ समस्याओं में प्रवेश करता है। वह समझ लेता है कि वह स्वयं ही किस प्रकार बिना प्रत्यक्ष भटके के और बिना किसी कुशल संचालक के कार्य करती रहती है। प्रत्येक व्यक्ति इस विस्तृत तथा पेचीदा उत्पादन की प्रणाली में कार्यकर्ता है। मार्गासक सुधार की किसी भी योजना में अर्थशास्त्र का महत्त्वपूर्ण अंश अवश्य स्वाभिमान ही रहेगा।

अर्थशास्त्र का व्यावहारिक महत्त्व अथवा व्यावसायिक उपयोगिता भी बहुत है। राजनीतिज्ञ को अर्थशास्त्र का ज्ञान उसके सम्मुख आने वाली राजनीतिक समस्याओं को ग्रहण करने में और सुलभाने में बहुत सहायता देता है। वित्त प्रबन्धक के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान अनिवार्य है। यह अर्थशास्त्र को औद्योगिक स्थिति समझने में सहायता देता है। यह उसको पूंजी (capital) के विरुद्ध धर्म की लड़ाई लड़ने में प्रभावशाली शक्ति प्रदान करता है। अर्थशास्त्र के ज्ञान से वह जान जाएगा कि कब अपनी माँग पर जोर डालना चाहिए और कब शिष्टनापूर्वक झुक जाना चाहिए।

अर्थशास्त्र व्यवसायी मनुष्य का सबसे बड़ा सहायक है। वह व्यापार के सगठन के सिद्धान्तों को सीख सकता है। वह अपने व्यापार की उचित रूप से योजना बना सकता है और उत्पादन तथा क्रय-विक्रय की समस्याओं को सली भाँति हल कर सकता है। इस प्रकार यह व्यापारी को प्रत्यक्ष रूप से सहायता देता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन द्वारा बना हुआ विस्तृत दृष्टिकोण उसको मकट के समय में लाभदायक मिद्ध होता है।

यह देखकर कि आर्थिक विज्ञान के अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं तथा इस ओर विद्यार्थी अत्यधिक संख्या में आकर्षित होते जा रहे हैं, हम डरबिन (Durbin) के शब्दों में यह कह सकते हैं कि "अर्थशास्त्र आज के युग का मानसिक धर्म है।"

आर्थिक विकास की कोई भी अवस्था (stage) क्यों न हो मनुष्य के लिए आर्थिक विचार अधिक महत्त्व रखते रहे हैं। रॉबिन्सन क्रूसो के सामने भी साधनों की दुर्लभता तथा आवश्यकताओं की वृद्धि की समस्याएँ उठीं। समाजवादी राज्य (Socialist State) भी बिना अर्थशास्त्र के कुछ नहीं कर सकता। चाहे शान्ति हो अथवा युद्धकाल ही अर्थशास्त्र मानवीय कल्याण को बढ़ाने में एक सशक्त मित्र है।

अतएव, अर्थशास्त्र प्रत्येक दृष्टिकोण से अत्यन्त लाभदायक तथा महत्त्वपूर्ण

विषय है। इसकी महत्ता अन्य विषयों की महत्ता को ढक लेती है। दूसरे विज्ञानों से प्राप्त किए हुए परिणामों को अन्त में वाणिज्य के प्रयोग में लाना पड़ता है। यही अर्थशास्त्र की महत्ता है। अन्त में आर्थिक संगठन ही मनुष्य की सेवा में अन्य विज्ञानों के परिणामों के तत्त्वों को एकत्रित करता है।

निर्देश पुस्तकें

- Marshall A Principles of Economics
 Robbins L Nature and Significance of Economic Science
 Keynes J N Scope and Method of Political Economy
 Wicksteed Commonsense of Political Economy
 Wootton B Lament for Economics
 Tugwell and others Trends of Economics
 Cairncross A Introduction to Economics Chapter I
 Benham F Economics
 Pigou A C Economics of Welfare
 Economics Man and his Material Resources (New Education
 Library) Ch XII
 Indian Journal of Economics (Allahabad) Vol XX 1939 40
 Fraser L M Economic Thought and Language (1937) Chap
 II and III
 Samuelson P A Economics (1948) Chaps I and II
 Hess and others Outside Readings in Economics
 Stigler G J Theory of Price (1947) Chap I
 Lange O Article on Nature and Scope of Economics ' in
 Review of Economic Studies 1945 46 pp 19 32

आर्थिक शब्द तथा मूल धारणाएँ

(Economic Terms and Basic Concepts)

१ भूमिका (Introduction) — पहले अध्याय में हम अर्थशास्त्र के स्वरूप का प्राथमिक सर्वेक्षण कर चुके हैं। इसके पूर्व कि हम, विषय का विस्तृत अध्ययन प्रारम्भ करें यह आवश्यक है कि हम कुछ उन शब्दों तथा धारणाओं का जिनका हम प्रयोग करेंगे ठीक ठीक अर्थ भली भाँति समझ लें।

‘वस्तु’ अथवा ‘वस्तुओं’ (‘Good’ or ‘Goods’) के प्रयोग का अर्थशास्त्र में विशेष अभिप्राय होता है। कोई वस्तु जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करने योग्य हो ‘वस्तु’ कही जाती है। वस्तुओं का वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है—

(१) निर्मूल्य माल (Free Goods) — उदाहरणार्थ वायु, धूप आदि। य सब प्रकृति की निर्मूल्य देन (Free Gifts of Nature) हैं। य बहुतायत में पाई जाती हैं।

(२) आर्थिक माल (Economic Goods) — ये वस्तुएँ दुर्लभ हैं। इनको प्राप्त करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है तथा बलिदान करना पड़ता है। अर्थशास्त्र आर्थिक वस्तुओं से ही सम्बद्ध है क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं की मन्तुष्टि के लिए दुर्लभ वस्तुओं के उपयोग से ही आर्थिक क्रिया होती है।

यह समझ लेना आवश्यक है कि आर्थिक वस्तुओं की दुर्लभता सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं, यह हमारी आवश्यकताओं से सम्बद्ध है। एक वस्तु बहुत थोड़ी मात्रा में हो सकती है किन्तु यदि मनुष्य न इसके किसी उपयोग की खोज नहीं की तो वह दुर्लभ नहीं कही जावेगी। दूसरी ओर कोई अन्य वस्तु हो सकती है जो अधिक मात्रा में हो किन्तु यदि वह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम हो तो वह दुर्लभ समझी जावेगी। किसी वस्तु की दुर्लभता का विचार वास्तव में सापेक्ष है। इस सम्बन्ध में रॉबिन्स (Robbins) लिखता है, ‘कोई वस्तु उन समय तक आर्थिक महत्त्व की वस्तु नहीं हो सकती जब तक कि वह मनुष्यों के काम की न हो। साथ ही किसी वस्तु या किसी सेवा का आर्थिक महत्त्व तभी माना जाएगा जबकि उसका कुछ मूल्य होगा।’¹

आर्थिक वस्तुओं तथा निर्मूल्य वस्तुओं में स्थायी अन्तर नहीं है। एक वस्तु आज निर्मूल्य वस्तु है कल वही आर्थिक वस्तु हो सकती है अथवा वह एक स्थान पर

1 There is no quality in things taken out of their relation to men, which can make them Economic goods. Whether a particular thing or a particular service is an Economic good depends entirely on its relation to valuation —Robbins

निर्मूल्य वस्तु हो सकती है और दूसरे स्थान पर आर्थिक वस्तु हो सकती है। प्राकृतिक स्रोत के निकट जल एक निर्मूल्य वस्तु है परन्तु एक नगर में नहीं।

एक देश की समृद्धि निर्मूल्य वस्तुओं की मात्रा से मापी जाए अथवा आर्थिक वस्तुओं की मात्रा से? "यह बयनविरोधाभास सा प्रतीत होगा कि एक सम्प्रदाय धन के रूप में जितनी आर्थिक वस्तुएँ रखता है उतना ही वह कम समृद्धिवाली है।" (Taus-
sig)।¹ यह इसलिए है कि सम्प्रदाय वा कल्याण केवल धन अर्थात् दुर्लभ अथवा आर्थिक वस्तुओं पर ही निर्भर नहीं है। निर्मूल्य वस्तुएँ मानवीय कल्याण के लिए स्वयं सहायक हैं। यदि इस ढंग में अधिक वस्तुएँ हैं तो मानवीय कल्याण और विस्तारपूर्वक फैलेगा। किन्तु यदि दूसरी ओर आर्थिक वस्तुओं का धेरा और विस्तृत होता है, तो इसका अभिप्राय यह है कि वे वस्तुएँ जो पहले बिना मूल्य मिल सकती थी अब भुगतान द्वारा ही मिल सकेंगी। स्पष्ट रूप से इसका अर्थ यह है कि मानवीय कल्याण कम होगा।

वस्तुओं के वर्गीकरण कुछ और भी हुए हैं, जैसे, भौतिक वस्तुएँ, अभौतिक वस्तुएँ, हस्तान्तरणीय वस्तुएँ (transferable goods), अ-हस्तान्तरणीय वस्तुएँ; सार्वजनिक वस्तुएँ एवं प्राइवेट वस्तुएँ, वैयक्तिक वस्तुएँ और अ-वैयक्तिक या बाह्य वस्तुएँ, उपभोक्ता वस्तुएँ और उत्पादक वस्तुएँ आदि आदि।

२ उपयोगिता (Utility)—दूसरा शब्द उपयोगिता है जिसका अर्थशास्त्र में बारम्बार प्रयोग होता है। हमने ऊपर देखा है कि प्रत्येक 'वस्तु' अथवा माल का एक गुण है जिससे मनुष्य की आवश्यकता की सन्तुष्टि होती है। अर्थशास्त्र में यह आवश्यकता—सन्तुष्टि करने की शक्ति या उपयोगिता कहलाती है। प्रत्येक वस्तु जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की आवश्यकता की सन्तुष्टि करती है, उपयोगिता रखती है। उपयोगिता किसी वस्तु का प्रयोग मूल्य (value in-use) है।

जब हम यह कहते हैं कि आम की उपयोगिता १० इकाई (units) है और एक पेस्ट्री के टुकड़े की सात इकाई तो हम केवल अपना अधिमान माप (scale of preference) घोषित करना चाहते हैं और इन दो वस्तुओं के उपभोग से अपनी सन्तुष्टि की सापेक्ष मापार्थ प्रकट करना चाहते हैं। अतएव उपयोगिता केवल एक रुढ़िगत प्रतिनिधित्व (conventional representation) अथवा किसी आत्मपरक (subjective) वस्तु का वस्तुपरक (objective) भाव अर्थात् अपने अधिमानों (preferences) की मात्रा है।

प्रत्येक वस्तु में कुछ स्वाभाविक गुण होते हैं जिसके कारण वह मनुष्य की एक आवश्यकता की तृप्ति करती है। परन्तु जब हम उपयोगिता का वर्णन करते हैं तो हमारा सम्बन्ध वस्तु के इस प्रकार के आन्तरिक गुणों से नहीं है। बल्कि हम वस्तु का एक व्यवित्त की आवश्यकता के सम्बन्ध में विचार करते हैं। उदाहरणार्थ एक सिगरेट में स्वयं ही में कुछ गुण होते हैं जिनके कारण वह एक मानवीय आवश्यकता की तृप्ति के योग्य है। परन्तु एक न पीने वाले के लिए यह बेकार है। अतएव उपयोगिता आत्मपरक और सापेक्ष (relative) है।

1 "It may be said with an appearance of a paradox that the more things in the nature of wealth a community has the less prosperous it is"—Tausig

उपयोगिता केवल व्यक्ति व्यक्ति ही से भिन्न नहीं होती। यह एक ही व्यक्ति के लिए भिन्न समय पर भिन्न हो सकती है। रुचि, श्रुतु अथवा फैशन में परिवर्तन किसी वस्तु अथवा किसी सेवा की उपयोगिता पर प्रभाव डाल सकते हैं।

उपयोगिता और सन्तुष्टि (satisfaction) में अन्तर किया जा सकता है। उपयोगिता वस्तु की सन्तुष्टि देने वाली शक्ति को कहते हैं। सन्तुष्टि वह है जो हमें प्राप्त होती है, यह उपयोगिता का परिणाम है। यदि किसी वस्तु में उपयोगिता है तो यह हमें सन्तुष्टि प्रदान करती है।

उपयोगिता और लाभ (usefulness) में और अधिक महत्वपूर्ण अन्तर है। साधारण बोलचाल में दोनों शब्दों के अर्थ में प्रायः गड़बड़ी हो जाती है और वे पर्यायवाची शब्दों की भाँति प्रयुक्त किए जाते हैं। किन्तु वे पर्यायवाची नहीं हैं। यदि कोई वस्तु उपयोगी है तो यह आवश्यक नहीं कि वह हितकर भी है। धूम्रपान करना हितकर नहीं है, शराब पीना अथवा अन्य मादक वस्तुओं का प्रयोग अहितकर है परन्तु अर्थशास्त्री की दृष्टि में सिगरेट, शराब तथा अन्य ऐसी वस्तुओं में केवल इस कारण उपयोगिता है कि मनुष्य इनके लिए भुगतान करने को तैयार रहते हैं; क्योंकि ये उनकी आवश्यकताओं की तृप्ति करती हैं। अर्थशास्त्री वस्तुओं को एक नीतिज्ञ के दृष्टिकोण से नहीं देखता। अतएव उपयोगिता शब्द का कोई नैतिक अभिप्राय नहीं है।

यह भी बताना आवश्यक है कि “उपयोगिता” शब्द का सम्बन्ध केवल उपभोक्ता की वस्तुओं से है उत्पादक की वस्तुओं से नहीं। साइकिल की उपयोगिता उसके लिए है जो उसका प्रयोग करता है। यह उसे सन्तुष्टि प्रदान करती है। परन्तु यन्त्र जिनका प्रयोग साइकिलें बनाने में हुआ है निर्माता (manufacturer) को कोई सन्तुष्टि नहीं देते। वह केवल लाभ से ही प्रेरित होता है और यन्त्र से उसे कोई आत्मिक सन्तुष्टि नहीं मिलती। उपयोगिता का सम्बन्ध आत्मिक सन्तुष्टि से है और किसी अन्य भाव में सन्तुष्टि से नहीं।

३. मूल्य (Value).—‘मूल्य’ दूसरा शब्द है जो अर्थशास्त्र के अध्ययन में प्रायः गड़बड़ी डालता है। एडम स्मिथ (Adam Smith) के शब्दों में, “मूल्य शब्द के दो भिन्न अर्थ हैं और कभी-कभी यह विशिष्ट पदार्थ की उपयोगिता तथा कभी-कभी अन्य वस्तुओं की वह क्रय शक्ति जो उस पदार्थ के अधिकार से प्रकट है, स्पष्ट करता है।” किन्तु मूल्य शब्द का आधुनिक प्रयोग एडम स्मिथ (Adam Smith) के प्रयोग से भिन्न है।

अब अर्थशास्त्री ‘मूल्य’ शब्द का प्रयोग केवल एक ही विचार से करते हैं। एडम स्मिथ द्वारा बताया हुए शब्द के पहले प्रयोग अर्थात् प्रयोग-मूल्य (value-in-use) के लिए वे ‘उपयोगिता’ शब्द का प्रयोग करते हैं। मूल्य शब्द केवल दूसरे विचार में ही अर्थात् विनिमय मूल्य (value-in-exchange)—वास्तविक अथवा सम्भावित (actual or potential) भाव में प्रयोग किया जाता है।

किसी वस्तु के मूल्य का अर्थ केवल यह है कि कितनी अन्य वस्तु अथवा वस्तुएँ इसके विनिमय (exchange) से प्राप्त हो सकती हैं। किसी वस्तु के अपने विनिमय से दूसरी वस्तुओं को प्राप्त करने का शक्ति को मूल्य कहते हैं। यदि एक

फाउन्टेनपैन का आपकी दो पुस्तको से विनिमय हो सकता है तो उसका मूल्य दो पुस्तकी के बराबर होगा। जब मूल्य को द्रव्य के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वह कीमत कहलाता है।

क्या मूल्यी अथवा कीमतों में सामान्य वृद्धि हो सकती है ? (Can there be a General Rise in Values or Prices ?)—मूल्य सापेक्ष है। हम किसी वस्तु के मूल्य को निरपेक्ष (absolute) रूप में नहीं कह सकते। उदाहरणार्थ हम यह नहीं कह सकते कि किसी विविष्ट वस्तु का मूल्य अधिक है जब तक कि हम साथ ही यह न जानें कि कितनी वस्तुएँ यह अपने विनिमय से प्राप्त कर सकती हैं। मूल्यों में सामान्य वृद्धि नहीं हो सकती, जबकि कीमतों में सामान्य वृद्धि हो सकती है।

हम यह समझ लेना चाहिए कि मूल्यों में सामान्य वृद्धि क्यों नहीं हो सकती ? उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार एक फाउन्टेनपैन दो पुस्तको के बराबर है। यदि फाउन्टेनपैन के मूल्य में वृद्धि होती है तो यह पहले की अपेक्षा अधिक पुस्तकें विनिमय में प्राप्त करेगा। दूसरे शब्दों में पुस्तको का मूल्य कम हो जाएगा। दोनों वस्तुओं के मूल्यों में साथ-साथ वृद्धि नहीं हो सकती। इस प्रकार चूँकि मूल्य सापेक्ष है अतएव समस्त वस्तुओं के मूल्यों में एक ही समय में वृद्धि नहीं हो सकती अर्थात् मूल्य में सामान्य वृद्धि नहीं हो सकती।

परन्तु कीमतों में सामान्य वृद्धि हो सकती है जैसा कि युद्धकाल में हुआ। प्रत्येक वस्तु की कीमतें चढ़ गईं। यहाँ समीकरण (equation) के दो पक्ष हैं, वस्तुओं का पक्ष (money side) तथा द्रव्य का पक्ष (goods side)। इस दशा में वस्तुओं के पक्ष में वृद्धि हो गई है जबकि द्रव्य के पक्ष अर्थात् द्रव्य के मूल्य में कमी हो गई है। अतएव जब कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। किन्तु द्रव्य का मूल्य घट जाता है। इस प्रकार कीमतों में सामान्य वृद्धि हो सकती है परन्तु मूल्यों में नहीं।

४ धन (Wealth)—इस विषय में अत्यधिक मतभेद है कि धन क्या है और क्या नहीं। भाग्यवत् इस भौतिक विचार के विषय में अब एक सामान्य मत है। जब भी 'धन' शब्द हमारे सम्मुख आता है तो हम फौरन नकदी भूमि, इमारतों, यन्त्र, लकड़ी के सामान, वधकाधिकारों (Mortgage Rights), सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities), स्टॉक तथा शेयर्स (Stocks and Shares) आदि का विचार करते हैं।

अब यदि हम इन वस्तुओं के स्वरूप को सामान्य रूप देने का प्रयत्न करें तो हम ज्ञात होगा कि वे सब ऐंम पदार्थ हैं जिनकी मनुष्य इच्छा करता है। उनकी आवश्यकता इसलिए होती है कि वे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की तृप्ति कर सकते हैं। सक्षेप में उनमें उपयोगिता है। अतएव किसी वस्तु को 'धन' कहने से पूर्व हम एक गुण (उपयोगिता) जो वस्तुओं में आवश्यक होना चाहिए निश्चित कर सकते हैं।

परन्तु इस विषय पर और विचार करने पर हम यह देखेंगे कि धन की निश्चित कमीटी केवल उपयोगिता ही नहीं है। वायु में अत्यधिक उपयोगिता हानी है। किन्तु

क्या यह धन है ? क्या कोई मनुष्य इसके लिए भुगतान करता है ? नहीं । यह धन नहीं है । हम इस प्रकार की अनेक 'वस्तुओं' को स्मरण कर सकते हैं जैसे धूप, सागर के किनारे की रेत, प्राकृतिक स्रोतों से निकला हुआ जल आदि । वे धन नहीं हैं क्योंकि वे असीमित माना में हैं । अतएव सीमित होना अथवा दुर्लभता धन का दूसरा आवश्यक गुण है ।

एक और भी गुण आवश्यक है अर्थात् हस्तान्तरणीयता (transferability) अथवा विक्रय-शक्ति (marketability) । जब तक हम वस्तुओं पर अधिकार न कर सकेंगे उनका कोई मूल्य न होगा । बिना हस्तान्तरणीयता के अधिकार असम्भव है । जब तक किसी वस्तु का विनिमय न हो सके तब तक वह अधिकारी के लिए धन नहीं हो सकती । वस्तु का स्वयं हस्तान्तरित होना आवश्यक नहीं है केवल अधिकार वा हस्तान्तरित होना यथेष्ट है । इसके अतिरिक्त यह आवश्यक नहीं है कि वस्तुओं का वास्तव में विक्रय हो । उदाहरण के लिए सार्वजनिक पार्क, पुस्तकालय, स्कूल, अस्पताल आदि धन हैं यद्यपि उनका त्रय विक्रय नहीं होता ।

सारंश यह है कि धन के तीन आवश्यक गुण हैं—(i) उपयोगिता, (ii) पूर्ति में दुर्लभता अथवा सीमित होना, तथा (iii) हस्तान्तरणीयता अथवा विक्रय शक्ति ।

धन की उपर्युक्त परिभाषा आर्थिक वस्तुओं के समानार्थ है क्योंकि वे उपयोगिता रखती हैं, सीमित हैं तथा हस्तान्तरणीय (transferable) हैं । जे० एन० कीन्स (J N Keynes) के शब्दों में, ' धन के अन्तर्गत मानवीय आवश्यकताओं की तृप्ति के समस्त प्रभावयुक्त विनिमयशील साधन हैं । प्रत्येक वस्तु जिसमें विनिमय-मूल्य (value-in exchange) (सक्षम में मूल्य) व वह धन है ।'¹

हमको एक प्रश्न पर बल देना चाहिए । धन एक सापेक्ष शब्द है । यह वस्तुओं का मनुष्य से सम्बन्ध है जो उन्हें धन बनाता है । ऐसी अनेक वस्तुएँ हैं जिनका मनुष्य जाति के लिए कभी कोई उपयोग न था । वे निर्मूल्य वस्तुएँ थीं और धन नहीं । उद्योगों के अनेक उपोत्पाद (bye-products) कूड़े की भाँति फेंक दिए जाते थे । हाल ही में भारत में शक्कर के कारखानों में शीरा इतना एकत्रित हो गया था कि वे इस वैकार पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए कुछ भुगतान करने को भी तत्पर थे । शराब खींचने के कारखानों के स्थापित होने से वही शीरा धन बन गया । कालिदास के नाटक एक जगली मनुष्य के लिए धन नहीं है । रॉबिन्स (Robbins) के शब्दों में, ' धन अपने सारपूर्ण गुणों के कारण धन नहीं है । यह दुर्लभ होने के कारण धन है ।'²

धन के इस अभिप्राय में समस्त भौतिक तथा अभौतिक पदार्थ और उनके प्रयोग से उत्पन्न होने वाले अधिकार तथा लाभ और साथ ही सब प्रकार की सेवाएँ, यदि

1 'Wealth consists of all potentially exchangeable means of satisfying human needs. Anything which possesses value in exchange (in short value) is wealth'—J N Keynes

2 'Wealth is not wealth because of its substantial qualities. It is wealth because it is scarce' —Robbins

उनमें विनिमय मूल्य है, धन ही है। प्रेम, मित्रता तथा चरित्र जैसी अत्यन्त प्रशंसनीय वस्तुएँ धन की परिभाषा के बाहर केवल इस कारण हैं कि उनका क्रय-विक्रय नहीं हो सकता।

अब हम कुछ प्रकार की वस्तुओं को इन कसौटियों पर रखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या वे धन हो सकती हैं। हमें एक बार फिर सावधानी से विचार करना चाहिए। हम अन्धविश्वास से यह नहीं कह सकते कि यह धन है और वह धन नहीं। एक वस्तु कुछ दशाओं में, किसी निश्चित स्थान पर अथवा किसी निश्चित समय में धन हो सकती है और अन्य प्रकार की दशाओं में पूर्णतया धन नहीं होती। उदाहरणार्थ साधारणतया वामु धन नहीं है, किन्तु भूमि के नीचे के कमरों में अर्थात् उनकी प्राप्ति के लिए द्रव्य व्यय करना पड़ता है वह धन हो जाती है।

निम्नलिखित पर विचार कीजिए.—

वैयक्तिक गुण (Personal Qualities)—क्या शल्यचिकित्सक (सर्जन) की कुशलता, वकील की तर्क चतुराई, मनुष्य की बुद्धि तथा योग्यता धन है? यह वैयक्तिक योग्यताएँ धन का स्रोत हैं। हम सर्जन को उसकी कार्यकुशलता के लिए पैसा भ्रदा करते हैं। उसने बढ़ावित् इसकी प्राप्ति के लिए काफी पैसा तथा मेहनत की होगी। किन्तु वैयक्तिक गुण धन नहीं माने जाते। वे हस्तान्तरणीय नहीं अतएव विनिमयशील भी नहीं हैं।

वैयक्तिक सेवाएँ (Personal Service)—क्या डाक्टर, वकील, अध्यापक, घरेलू नौकर इत्यादि की सेवाएँ धन हैं? हाँ, वे धन हैं। वे मानवीय आवश्यकता की सतुष्टि कर सकती हैं तथा इसलिए उपयोगिता रखती हैं, वे दुर्लभ हैं और विनिमयशील हैं। ऐसी सेवाएँ पैसे के एवज की जाती हैं।

द्रव्य (Money)—द्रव्य स्वयं क्या है? यह कहा जाता है कि द्रव्य केवल एक विनिमय का माध्यम है। स्वयं इसका कोई मूल्य नहीं होता। अब यह विचार गलत है। धातवीय द्रव्य (metallic money) आसानी से धन माना जा सकता है। इसमें आन्तरिक (intrinsic) मूल्य है और यह दुर्लभ तथा विनिमयशील है। परन्तु कागजी द्रव्य (paper money) भी धन है। यह क्रय-शक्ति (purchasing power) रखता है तथा यह उन वस्तुओं तथा सेवाओं का संप्रह प्रस्तुत करता है जिसे द्रव्य रखने वाला खरीद सकता है। निस्तदेह द्रव्य का विनिमय-मूल्य (value-in-exchange) है और प्रत्येक वस्तु जिसका विनिमय मूल्य है वह धन है।

प्रतिष्ठा (Goodwill)—यह अस्पष्ट है। किन्तु यह अवश्य ही धन है। वाजार में इसकी कीमत होती है। एक फर्म (firm) जिसने अधिक परिश्रम करके या ईमानदारी के व्यवहार द्वारा अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर ली है अवश्य ही प्रतिष्ठा (goodwill) को व्यवसाय के स्वामित्व को किसी अन्य को सौंपते समय द्रव्य में बदल सकती है।

उपाधिओं के प्रलेख (Documents of Title)—ऐसे अनेक प्रकार के प्रलेख हैं जिन्हें उनके स्वामी धन मानते हैं, उदाहरणार्थ चेक, विनिमय-पत्र (Bills of Exchange), प्रतिज्ञा-पत्र (Promissory Notes), वहन-पत्र (Bills of Lading),

राज्य बंध (Govt. Bonds), परम प्रतिभूतियाँ (Giltedged Securities), स्टॉक तथा शेयर प्रमाण-पत्र (Stock and Share Certificates), आगोप लेख (Insurance Policies), भूमि तथा इमारतों से सम्बन्धित रहननामे (Mortgage Deeds) तथा अन्य सम्पत्ति अधिकार (property rights) आदि । यह सब द्रव्य-मूल्य (money value) रखते हैं; यद्यपि आगोप लेखों के विषय में द्रव्य-मूल्य कभी-कभी केवल उसकी अर्पण ग्रहण मात्र (surrender value) के बराबर है । परन्तु यह प्रलेख स्वयं धन नहीं है । यह धन साक्ष्य अथवा केवल उसके प्रमाण-पत्र हैं । वे कहीं पड़े हुए धन को प्रस्तुत करते हैं जिन पर इन प्रलेखों के रखने वालों का अधिकार है । इसलिए वे प्रतिनिधि-धन (representative wealth) कहलाते हैं ।

५. धन का वर्गीकरण (Wealth Classified)—धन वैयक्तिक अथवा निजी किसी प्रकार का भी हो सकता है । एक व्यक्ति का धन उसके ऐसे भौतिक अधिकार हैं जैसे नकदी, भूमि, इमारतें आदि तथा अन्य वैयक्तिक सम्पत्ति, सम्पत्ति का अधिकार, स्टॉक, शेयर, एकस्व (patents) आदि । इसके अन्तर्गत उसके व्यवसाय की ध्याति जैसी अस्पृश्य आस्तियाँ (intangible assets) भी हैं । तो भी उसके वैयक्तिक गुण इससे अलग हैं । उसके ऋण उसके कुल धन से घटा दिए जाते हैं ।

सामाजिक अथवा साम्प्रदायिक धन (Social or Communal Wealth) के अन्तर्गत वे वस्तुएँ शामिल हैं जो सबकी सामूहिक सम्पत्ति हैं । उदाहरण के लिए, सार्वजनिक पार्क, सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक इमारतें, रेलें आदि ।

राष्ट्रीय धन (National Wealth) का अभिप्राय देश के समस्त नागरिकों के धन के कुल योग से है । इसके अन्तर्गत सामाजिक तथा साम्प्रदायिक धन भी शामिल है जिस पर सबका मिला-जुला अधिकार है ।

परन्तु राष्ट्रीय धन की विस्तृत परिभाषा भी की जाती है । विस्तृत रूप में अन्य अनेक वस्तुएँ जिन्हें राष्ट्रीय आस्तियाँ (assets) समझा जा सकता है राष्ट्रीय धन के अन्तर्गत हैं । उदाहरणार्थ पहाड़, नदियाँ, स्वस्थ जलवायु, अच्छा शासन, नागरिकों का चरित्र आदि । इस अर्थ में हिमालय पर्वत, गंगा तथा अन्य इस प्रकार के प्राकृतिक उपहार राष्ट्रीय धन के अन्तर्गत हो सकते हैं ।

सार्वभौमिक धन (Cosmopolitan Wealth) सम्पूर्ण विश्व का धन है । सम्पूर्ण विश्व के सभी देशों के राष्ट्रीय धन का कुल योग सार्वभौमिक धन (Cosmopolitan wealth) है । विस्तृत अर्थों में सार्वभौमिक धन के अन्तर्गत पहाड़ और नदियाँ भी ली जा सकती हैं ।

नकारात्मक धन (Negative Wealth)—नकारात्मक धन से अभिप्राय उस धन में है जो सकारात्मक (positive) धन के विरुद्ध हो । ऋणी के लिए ऋण नकारात्मक धन है परन्तु ऋणदाता के लिए सकारात्मक धन है । कुछ पशु भयकर होने के अतिरिक्त अत्यधिक हानि पहुँचाते हैं और नकारात्मक धन समझे जाते हैं । खरगोज, सुअर तथा बानरो को नकारात्मक धन समझा जा सकता है ।

६. धन और आय (Wealth and Income)—धन और आय में भेद करना अति आवश्यक है । धन एक कोष अथवा एक व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय के स्रोतों अथवा

आस्तियों की राशि है जबकि आय उसमें निकली हुई समय की एक इकाई पर अर्थात् मासात्मिक, माहवारी अथवा वार्षिक उपयोगिता या सन्तुष्टि है। एक मनुष्य अपनी पाँच लाख की सम्पत्ति से २५,००० रुपये की आय करता है। सम्पत्ति धन है और जो कुछ इससे प्राप्त होता है वह आय है।

७ धन तथा कल्याण (Wealth and Welfare)—अर्थशास्त्रियों में धन तथा कल्याण के सम्बन्ध में निरन्तर किन्तु व्यर्थ विवाद पाया जाता है। हम देख चुके हैं कि अर्थशास्त्र धन को न कि मानवीय कल्याण को अपने अध्ययन का केन्द्र-बिन्दु बनाता है। परन्तु अर्थशास्त्र को स्वार्थता पर केन्द्रित होने का दोष देना तथा उसे निकृष्ट विज्ञान कहना अनुचित होगा। अर्थशास्त्रियों ने यह घोषित कर दिया है कि धन का अध्ययन स्वयं उसके लिए नहीं होता परन्तु इसलिए होता है कि वह मानवीय कल्याण को बढ़ाता है। धन पाधन तथा क्षेम या कल्याण साध्य है। दोनों परस्पर भिन्न हैं। धन का अभिप्राय माल की राशि से है किन्तु कल्याण का अस्तित्व की दशा से। यह समस्त मनीषी तथा अमनीषी का योग है।

यह अब मान लिया गया है कि मनुष्य की क्रियाएँ केवल स्वार्थभाव से ही प्रेरित नहीं होतीं। प्रत्येक मनुष्य द्रव्य के लिए उत्सुक है। तो भी, द्रव्य की आवश्यकता स्वयं द्रव्य की प्राप्ति के ही लिए नहीं होती, किन्तु उन वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए होती है, जिनका हमें ज्ञान हो सकता है। अतएव जब अर्थशास्त्री धन का अध्ययन करता है तो कल्याण को नहीं भूलता। इसे सबसे आगे रखा जाता है।

धन का अध्ययन केवल इसलिए किया जाता है कि समार म धन ही केवल मानवीय प्रेरणाओं की तीव्रता का सरल माप है। प्रेम, मित्रता, कुटुम्ब अनुराग, दान आदि जैसी अन्य प्रेरणाएँ भी अपना प्रभाव डालती हैं। किन्तु तथ्य यह है कि आर्थिक क्रिया कलापो के पीछे सबसे अधिक दृढ़ तथा परमावश्यक प्रेरणा द्रव्य प्राय (money meoma) प्राप्त करना है।

एक अन्य कारण भी है कि अर्थशास्त्री कल्याण की अपेक्षा धन का अध्ययन करता है। कल्याण के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के विचार भिन्न-भिन्न हैं। कल्याण के अन्तर्गत क्या है इसके प्रति प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी धारणाएँ हैं। कुछ अपनी भौतिक समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं और कुछ सील, समृद्धि तथा कुछ आध्यात्मिक समृद्धि को उन्नति देने में विश्वास करते हैं। इसके अतिरिक्त कल्याण के विचार समय-समय पर तथा देश-देश में भिन्न रहे हैं। अर्थशास्त्र का आधार एक ठोस धन की नींव है न कि एक प्रति अस्थिर दलदल। इस दशास्था के प्रति सब एकमत हैं।

कुछ विषयों में धन तथा कल्याण में भिन्नता है। वायु अथवा धूप जो जीवन अथवा मानवीय कल्याण के लिए अनिवाय हैं, किसी प्रकार धन नहीं माने जाते हैं। फिर आनन्द, प्रेम, मित्रता, स्वास्थ्य, सस्कृति आदि जो जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और जीवन को रहने योग्य बनाते हैं, धन के क्षेत्र के बाहर हैं। अतएव कुछ वस्तुएँ जो मनुष्य की समृद्धि में अधिक सहायक हैं उनका धन में कोई स्थान नहीं है।

दूसरी ओर भी देखिए। अनेक वस्तुएँ जो धन के अन्तर्गत हैं केवल हमारी भौतिक समृद्धि को नहीं बढ़ातीं अपितु इसके विपरीत इसके लिए हानिकारक भी हैं।

मादक पदार्थ, अश्लील साहित्य तथा अन्य अनेक निन्दित वस्तुएँ तथा सेवार्ये जिन्हें अर्थशास्त्री धन मानना है हमारे कल्याण पर बुरा प्रभाव डालती हैं।

और फिर एक धनवान समाज अवश्य ही एक उन्नतशील समाज का वास्तविक रूप नहीं है। इसके विपरीत घोर भौतिकवाद के इस युग में धनी वर्ग सम्पूर्ण समाज में पाई जाने वाली समस्त भ्रष्टता एवं बुराईयों पर सर्वाधिकार करता हुआ प्रतीत होता है। धन मनुष्य की आत्मा में विष घोलता है, उसे कुमार्ग पर ले जाता है तथा भ्रष्ट करता है।

परन्तु ऐसा नहीं है। कदाचित् हम ने धन का अनुचित निराशावादी रूप में चित्रण किया है। जहाँ हमने इसके भ्रष्ट करने वाले प्रभावों का वर्णन किया है, हम इसकी हितकारी प्रबलता को भी अवश्य स्वीकार करना चाहिए। सब कुछ धन के उपयोग के ढंग पर निर्भर है। एक धनी पुरुष निस्सन्देह अपना और अपने कुटुम्ब का अच्छा जीवन-स्तर (standard of living) स्थापित रखने के लिए सहायक हो सकता है तथा इस प्रकार अपना भौतिक कल्याण बढ़ा सकता है, उसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि वह अपने से कम भाग्यशाली भाइयों की सहायता कर सकता है।

आधुनिक काल में उत्पादन के स्थान पर वितरण पर अधिक जोर दिया जाता है क्योंकि यह विश्वास किया जाता है कि समुदाय का कल्याण केवल कुछ धन पर ही निर्भर नहीं है किन्तु उसके समान वितरण पर विशेष रूप से है। न्यूनतम भुजदूरी (minimum wage) प्रणालियाँ प्रचलित कर दी गयी हैं, अत्यधिक सूद लेने (usury) के विरुद्ध कानून पास किए गए हैं और लाभ सीमित करने के प्रयत्न किए गए हैं। यह सब इसको निश्चित करने के लिए किया गया है कि धन में मानवीय कल्याण के प्रति अधिकाधिक लाभांश (dividends) प्राप्त किए जावें।

सार्वजनिक वित्त (public finance) में आधुनिक प्रवृत्तियाँ देखिए—धनिकों पर तीव्र उत्तरोत्तर कर (steeply progressive tax), श्रेष्ठ चिकित्सा सहायता, अच्छी शिक्षा, अच्छी सड़कें तथा सार्वजनिक पार्क, अजायबघर, पुस्तकालय आदि जैसे अन्य सामाजिक वस्तुओं के साधन आदि के रूप में गरीबों के लिए अधिकतम सुविधाओं का प्रबन्ध। ऐसे सब प्रयत्न स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि धन मानवीय कल्याण को बढ़ाने का एक प्रबल तथा कुछ के अनुसार एकमात्र प्रभावी साधन है। धन और मानव कल्याण में अति निकट सम्बन्ध है।

पान, तथा सामाजिक सस्कारो पर अत्यधिक व्यय आदि । हमको बुद्धिमत्ता से उपभोग करने की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कुशलतापूर्वक उत्पादन तथा समान वितरण की है ।

२ उपभोग करने की प्रवृत्ति¹ (Propensity to Consume) — उपभोग के स्तर से रोजगार की मात्रा निश्चित होती है । इससे पता चलता है कि उपभोग कितना महत्त्वपूर्ण है । उपभोग के सम्बन्ध में व्यक्तियों के निश्चय से उपभोग की मात्रा तय होती है । उपभोग का निश्चय इस बात से होता है कि वचत कितनी हो सकती है । इस प्रकार उपभोग करने की प्रवृत्ति आत्मपरक अवस्थाओं (subjective conditions) से निश्चित होती है (अर्थात् मानवीय चेष्टाएँ) तथा वस्तुपरक (objective) अवस्थाओं से जैसे कीमतें, स्वाद, पूंजीगत लाभ तथा हानि, राजकोपीय नीति (fiscal policy) में परिवर्तन, सूद की दर आदि । परन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण साधन है आय का आकार । उपभोगता की आय के आकार तथा खर्च की गई राशि में परस्पर स्थायी कार्यगत (functional) सम्बन्ध है । इस प्रकार $U = f(Y)$ अर्थात् $U =$ उपभोग, $Y =$ आय और $U =$ कार्यगत सम्बन्ध, और यह आय और उपभोग में परस्पर कार्यगत (functional) सम्बन्ध बताती है ।


हम उपभोग करने की प्रवृत्ति को समझने के लिए एक अनुसूची (schedule) बना सकते हैं जिसमें यह दिखाया गया है कि किसी समुदाय में विभिन्न स्तर पर आय पाने वाले लोग कितनी मात्रा में उपभोग करते हैं । हम इस अनुसूची के स्वरूप के सम्बन्ध में यह धारणा बना सकते हैं, जो कि बिलकुल वास्तविक है, (i) यदि समुदाय की आय में वृद्धि होगी तो उपभोग में भी वृद्धि होगी परन्तु नियम के अनुसार, यह वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि के समान नहीं होगी ।

गणित के अनुसार इस प्रकार है कि यह $\frac{\delta C}{\delta Y} \delta Y$ आय में बहुत कम वृद्धि है और δC यह उपभोग में होने वाली वृद्धि है । $\frac{\delta C}{\delta Y}$ यह आय में हुई वृद्धि का अनुपात है जिसे खर्च किया जाता है तथा इस प्रकार यह उपभोग करने की सीमान्त प्रवृत्ति (marginal propensity) है । यह निश्चयात्मक है परन्तु १ से कम है अर्थात् १ इससे बड़ा है और यह ० से बड़ा है । (ii) नियम के अनुसार लोग अपनी आय से अधिक उपभोग नहीं करते । (iii) जैसे आय में वृद्धि होती है उपभोग करने की सीमान्त प्रवृत्ति में गिरावट आती है । यह धारणा उपभोग करने की प्रवृत्ति के वक्र को रूप देती है जो इस प्रकार है—

TPC वह वक्र है जो कि समुदाय की उपभोग करने की कुल प्रवृत्ति का प्रदर्शन करता है । ४,००० रु० तक कुल आय का उपभोग हो जाता है । इसलिए TPC वक्र तथा चिह्नार्थक रेखा ४५° पर मिल जाती है । इस बिन्दु से आगे यह नीचे की ओर जाती है । जब आय १०,००० रु० हो जाती है तो उपभोग ७,००० रु० है और वचत ३,००० रु० । TPC का मुड़ना यह बताता है कि जैसे आय में वृद्धि होती है,

¹ Stomier and Hague A Text Book of Economic Theory, 1953.

औसत तथा सीमान्त उपभोग (average and marginal consumption) करने



f

की औसत तथा सीमान्त प्रवृत्तियाँ गिरती जाती हैं, परन्तु सीमान्त प्रवृत्ति औसत प्रवृत्ति से अधिक तीव्रता से गिरती है। चूँकि गरीब लोग अभीरो की अपेक्षा अपनी आय का अधिक भाग उपभोग करते हैं, इसलिए यदि हम उपभोग बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अभीरो पर कर लगाना चाहिए और यदि घटाना चाहते हैं तो गरीबों पर कर लगाना चाहिए।

३ मानवीय आवश्यकताएँ (Human

Wants) — उपभोग का अध्ययन मानवीय आवश्यकताओं से जुड़ा है। आवश्यकताएँ घनीम हैं

यद्यपि प्रत्येक मानवीय इच्छा को पूरा करना सम्भव नहीं है, परन्तु किसी इच्छा विरोध का पूरा किया जा सकता है। जब हम किसी आवश्यकता की तृप्ति कर लेते हैं तो दूसरी प्रत्यक्ष हो जाती है और उसका स्थान ले लेती है। मानवीय आवश्यकताओं का यह लक्ष्य सीमा त उपयोगिता ह्रास नियम (diminishing marginal utility) का आधार है। क्योंकि प्रत्येक आवश्यकता की तृप्ति की जा सकती है, इसलिए जैसे-जैसे उपभोग प्रयत्नशील होता जाता है, वैसे ही हमारी संतुष्टि कम से घटती जाती है।

① आवश्यकताएँ पूरक होती हैं (Wants are Complementary) — इसका अर्थ यह है कि एक आवश्यकता की पूर्ण तृप्ति करने में हम अनेक वस्तुओं की एक-साथ आवश्यकता होती है। घोड़ा और गाड़ी बश्मे का शीशा और उसका फ्रेम, फाउन्टेनपेन तथा स्याही आदि की साथ-साथ आवश्यकता होती है। वास्तव में केवल अकेली माँग बहुत कम होती है। प्रत्येक वस्तु की आवश्यकता माँग की प्रणाली का एक भाग है। हमें वस्तुओं को सामूहिक (group) रूप में आवश्यकता होती है।

② आवश्यकताओं में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है — हमारी आवश्यकताएँ असीम हैं किन्तु हमारे साधन सीमित हैं। उपलब्ध साधनों के अनुसार ही हमारी इच्छाएँ सीमित होती हैं। इसलिए हमको वरण (choice) करना ही पड़ता है। हम कौंसी हाउस मिनैमा देखने, खेन-कूद अथवा दगात देखने, किताब खरीदने आदि जाना चाहते हैं। इससे एक सिद्धान्त निकलता है जिसको प्रतिस्थापना नियम (Law of Substitution) कहते हैं।

③ कुछ आवश्यकताएँ वैकल्पिक होती हैं। कभी कभी एक विशिष्ट आवश्यकता की तृप्ति के लिए हमारे सामने भिन्न भिन्न वैकल्पिक साधन होते हैं। जब हम कुछ पीना चाहते हैं तो हम चाय, कौंकी अथवा कोको पी सकते हैं।

④ आवश्यकताएँ बुबारा उत्पन्न हो जाती हैं। बार बार की संतुष्टि उसको स्वभाव से परिणत कर देती है।

४ अनिवार्यताएँ, सुविधाएँ तथा विन्यासिताएँ (Necessaries, Comforts

and Luxuries)—आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए जो वस्तुएँ काम में लाई जाती हैं उनका वर्गीकरण अनिवार्यताओं, सुविधाओं तथा विलासिताओं में किया जा सकता है। “अनिवार्यताओं” से हमारा अभिप्राय उन वस्तुओं और सेवाओं से है जिनकी आवश्यकताओं की तृप्ति अवश्य होना चाहिए। अनिवार्यताओं का वर्गीकरण इस प्रकार है : (१) जीवनरक्षक अनिवार्यताएँ (necessaries for life)—जिनका अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो जीने के लिए नितान्त आवश्यक हैं, (२) कार्य-कुशलता के लिए अनिवार्यताएँ (necessaries for efficiency)—वे हैं जो हमारी कार्यकुशलता में वृद्धि करती हैं, उदाहरणार्थ मेज, कुर्मी तथा एक विद्यार्थी के लिए टेबल लैम्प आदि। उनके प्रयोग से होने वाला लाभ लागत से अधिक है, (३) उद्दिष्ट अनिवार्यताएँ (conventional necessities)—कोई व्यक्ति मादक वस्तु तम्बाकू अथवा शराब का आदी हो गया हो, अथवा उसको एक ऐसा व्यय करना हो जिसकी समाज उससे आशा करता है, उदाहरणार्थ, विवाह और ग्रन्थ सामाजिक सत्कारों पर व्यय; अथवा उसको प्रचलित पोशाक पहननी ही पड़ती है।

सुविधाएँ (Comforts)—वे वस्तुएँ तथा सेवाएँ हैं जिनका एक व्यक्ति अपने आपको सुखी बनाने के लिए अनिवार्यताओं के अतिरिक्त उपभोग करता है, उदाहरणार्थ, गर्मी में बिजली का पंखा तथा जाड़ों में हीटर मोटी गद्देदार कुर्सियाँ अथवा पलंग, कई नौकर आदि। निस्सन्देह ये वस्तुएँ भी निजी कार्यक्षमता को तो बढ़ाती हैं परन्तु धन्य के अनुपात में नहीं।

विलासिताएँ (Luxuries)—कुछ विशिष्ट साधनों के उपयोग अथवा जीवन-स्तर के बाहर मनुष्य जो व्यय करता है उन्हें विलासिताएँ कहते हैं। यह व्यर्थ व्यय है। ऐली (Ely) के अनुसार, विलासिताओं की परिभाषा अत्यधिक निजी उपभोग है। उनका कथन है कि “साधारण भाव में विलासिता का अर्थ कोई भी वह वस्तु है जो व्यर्थ की आवश्यकताओं की सन्तुष्टि करे।”

परन्तु ‘विलासिताएँ’, ‘अनिवार्यताएँ’ तथा ‘सुविधाएँ’ मापेक्ष शब्द हैं। स्थान, समय और व्यक्ति का सामाजिक स्तर भी अनिवार्यताओं, विलासिताओं और सुविधाओं में क्रम परिवर्तन कर सकते हैं। वही वस्तु किसी मनुष्य के लिए विलासिता हो सकती है और दूसरे के लिए अनिवार्यता। एक रईस के लिए जो निकट स्थान पर रहता हो, मोटर विलासिता है, परन्तु एक कुलीन व्यवसायी, मन्त्री अथवा उच्च अधिकारी के लिए ऐसा नहीं है।

५ जीवन-स्तर (Standard of Living)—अनिवार्यताएँ, सुविधाएँ तथा विलासिताएँ जिनके उपयोग का कोई व्यक्ति ग्रन्थस्त हो जाता है, जीवन स्तर बनाती हैं। यह स्तर विभिन्न प्रभावों का परिणाम है। कुछ अंगों में हम अपना जीवन-स्तर अपने माता-पिता से ग्रहण करते हैं और तब हम उसे अपनी रुचि, शिक्षा, अनुभव, सामाजिक वातावरण तथा अनुकरण की प्रेरणा के अनुसार बना लेते हैं। यदि हमारी आय अधिक होती है तो जीवन-स्तर ऊँचा उठाना आनन्ददायक और सरल है। किन्तु आय कम हो जाने पर जीवन-स्तर गिराना बड़ा कष्टकारी लगता है। जीवन-स्तर हमारी कार्यक्षमता और हमारी आय पर प्रभाव पड़ता है।

एक समुदाय का जीवन-स्तर ऊँचा रखा जा सकता है तथा उसकी उन्नति हो सकती है, यदि—

(क) उपयोग के लिए प्राप्त कोई भी आर्थिक स्रोत बेकार न रहे,

(ख) उपलब्ध आर्थिक स्रोतों को उन पदार्थों के उत्पादन में लगाया जाए जिनकी उपभोगता को अधिक जरूरत है,

(ग) समुदाय की आय व्यक्तियों में इस तरह विभाजित की जाए जिससे राष्ट्रीय आय (national income) से अधिकाधिक सन्तुष्टि प्राप्त हो, तथा

(घ) समस्त जनसंख्या तथा पूँजी का कुल संप्रदाय उचित मात्रा में पर्याप्त हो।

६. एंगेल्स का नियम (Engels Law)—एंगेल्स के उपभोग नियम को परिवारा के जीवन निर्वाह स्तर अथवा पारिवारिक आय व्यय के आधार पर रखा गया है। मर्नेस्ट एंगेल्स प्रशा (Prussia) के सांख्यिकीय कार्यालय का अध्यक्ष था। उसने निम्नलिखित मुख्य परिणाम इस बारे में निकाले —

(१) जैसे जैसे आय बढ़ती है भोजन तथा जीवन की अन्य अनिवार्यताओं पर प्रतिशत व्यय घटता जाता है और इसके विपरीत भी सब है।

(२) आय के बढ़ने पर विलामिताओं पर तथा अर्थ सांस्कृतिक और मनोरंजक आवश्यकताओं पर प्रतिशत व्यय बढ़ता जाता है और आय घटने पर घटता जाता है। कम आय में प्रायः लुप्त हो जाता है।

(३) निवास-स्थान का किराया, ईंधन तथा प्रकाश पर प्रतिशत व्यय सब घाया में लगभग समान रहता है।

(४) वितनी भी आय हो कपड़ों पर प्रतिशत व्यय प्रायः एक सा रहता है।

यह सावधानी से ध्यान में रखना होगा कि प्रतिशत व्यय बढ़ता घटता है न कि कुल व्यय।

अध्याय ४

उपभोग (क्रमशः)

(Consumption) (Contd.)

आह्लासी उपयोगिता का नियम

(Law of Diminishing Utility)

१. भूमिका (Introduction)—हमने पिछले अध्याय में 'उपयोगिता' शब्द के अर्थ का अध्ययन किया है। उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु की आवश्यकता तृप्ति की शक्ति से है। हमने यह भी देखा है कि उपयोगिता आत्मपरक है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न है। उपयोगिता का अभिप्राय न तो सन्तुष्टि से है और न "उपयोगिता" शब्द "हितकर" के समानार्थ है। इसका कोई नैतिक महत्त्व नहीं है। अब हम उपभोग में एक महत्त्वपूर्ण नियम जिसे उपयोगिता आधारित है अर्थात् आह्लासी सीमान्त उपयोगिता नियम का अध्ययन करेंगे।

२. आह्लासी सीमान्त उपयोगिता का नियम (Law of Diminishing Marginal Utility)—यह नियम प्रत्येक उपभोक्ता के साधारण अनुभव से सम्बन्ध रखता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक एक करके सेब खाना आरम्भ करता है। पहला सेब उसको अधिक आनन्द देता है। दूसरा सेब खाने के पूर्व उसकी भूख कम हो जाती है और वह सेब, कम तीव्र आवश्यकता होने के कारण, कम सन्तुष्टि प्रदान करता है। तीसरे की सन्तुष्टि दूसरे से और चौथे की तीसरे से कम होगी और इसी प्रकार घटती जाएगी। प्रत्येक क्रमिक सेब की सन्तुष्टि घटती जाएगी यहाँ तक कि वही शून्य हो जाएगी, और यदि उपभोक्ता को और सेब खाना पड़े तो सन्तुष्टि या तो निषेधात्मक (negative) हो सकती है या उपयोगिता अनुपयोगिता में परिवर्तित हो सकती है।


निम्नलिखित तालिका से यह विचार स्पष्ट हो जाएगा—

(१) इकाइयाँ (सेब)	(२) कुल उपयोगिता (सन्तुष्टि की इकाइयाँ)	(३) सीमान्त उपयोगिता (सन्तुष्टि की इकाइयाँ)
१	२०	२०
२	३८	१८
३	५३	१५
४	६४	११
५	७०	६
६	७०	०
७	६२	-८
८	४६	-१६

नोट—यह आंकड़े उपयोगिता की मात्रा की व्याख्या करते हैं। यदि उपयोगिता की मात्रा में पीछे दी हुई तालिका की भाँति परिवर्तन हो तो कोई दूसरे चक्र लिये जा सकते हैं।

जब हमारा कल्पित उपभोक्ता सेव खाता जाता है, प्रत्येक क्रमिक सेव के उपभोग से प्राप्त अतिरिक्त सन्तुष्टि घटती जाती है, यहाँ तक कि छठी इकाई पर शून्य हो जाती है और तब निषेधात्मक हो जाती है (देखो पक्ति ३)। कुल उपयोगिता पाँचवीं इकाई के उपभोग तक बढ़ती जाती है परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह वृद्धि भी आह्लासी (decreasing) यानि घटती जाती है। चैपमैन (Chapman) का कथन है कि "हम किसी वस्तु को जितना अधिक उपभोग करते हैं उतनी ही उसकी इच्छा कम होती जाती है।" मार्शल (Marshall) ने इस नियम को इस प्रकार प्रस्तुत किया है—

'किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु की दी हुई मात्रा में वृद्धि होने से उससे प्राप्त अतिरिक्त लाभ की मात्रा प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है।' हम



चित्र न० ३

यह भी कह सकते हैं कि उसकी मात्रा की प्रत्येक घटौती पर सीमान्त उपयोगिता बढ़ती जाएगी। दूसरे शब्दों में उपयोगिता राशि के विपरीत बदलती है यद्यपि आवश्यकत उसी अनुपात में नहीं। सीमान्त उपयोगिता के ह्रास के दो महत्वपूर्ण कारण हैं (क) प्रत्येक विशेष आवश्यकता सन्तुष्ट होन योग्य है, और (ख) वस्तुएँ एक दूसरे के लिए पूरे तौर पर एक दूसरे के स्थान पर नहीं रखी जा सकती और वे उचित अनुपात में उपभोग की जाती हैं।

रेखाचित्र द्वारा निरूपण (Diagrammatic Representation) — दिया गया

रेखाचित्र सेव के उपभोग पर लागू आह्लासी उपयोगिता के नियम की व्याख्या करता है। (पृष्ठ ३५ पर दी हुई तालिका देखिए।)

1 The more we have of a thing the less we want additional increments of it"—Chapman


2 The additional benefit which a person derives from a given increase of his stock of a thing diminishes with every increase in stock that he already has.—Marshall

OX तथा OY दो अक्ष रेखाएँ हैं। सेब की इकाई OX पर और उपयोगिता की इकाई OY पर मापी गई है। X अक्ष रेखा के एक भाग पर खड़ा हुआ समकोण चतुर्भुज सेब की पहली इकाई की उपयोगिता बतलाता है (देखो रेखाचित्र 2)। इसी भाँति प्रत्येक उपभोग की हुई नमिक इकाई की उपयोगिता समकोण चतुर्भुजों द्वारा प्रस्तुत की गई है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसे-जैसे सेबों का उपभोग होता जाता है यह समकोण चतुर्भुज छोटे होते जाते हैं। छोटे सेब की उपयोगिता कुछ नहीं है, सातवें तथा आठवें की नकारात्मक उपयोगिताएँ हैं जैसा कि X अक्ष रेखा के नीचे दिए हुए समकोण चतुर्भुजों द्वारा दिखाया गया है।

सेबों की बड़ी इकाइयाँ हैं। यदि कोई वस्तु अधिक छोटी इकाइयों में उपभोग की जाए तो समकोण चतुर्भुज पतले होते जाएंगे। हम सैद्धान्तिक रूप से कल्पना कर सकते हैं कि वे इतने पतले हो जाते हैं कि एक रेखा से ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब यदि ऐसे पास-पास रेखाओं के सिरे आपस में मिला दिए जाएँ तो एक ऐसी वक्र रेखा बन जाती है जो कि बाँयें से दाहिनी ओर नीची होती जाती है जैसा कि रेखाचित्र 3 में दिखाया गया है।

यदि वक्र रेखा पर किसी बिन्दु P से PM OX के लम्ब रूप में खींची जाए, तो P M O M, उपभोग की हुई मात्रा की सीमान्त उपयोगिता होगी। यदि उपभोग OM' तक ले जाया जाए तो सीमान्त उपयोगिता निपेधात्मक अर्थात् P' M' हो जाएगी। जब उपभोग OZ है सीमान्त उपयोगिता शून्य होगी।

हमने यह कल्पना की है कि यह नियम उपभोग की प्रथम इकाई के बाद लागू हो जाता है जैसा कि हमारे सेब के दृष्टान्त में है। परन्तु यह सम्भव है कि किसी सीमा तक सीमान्त उपयोगिता बढ़ सकती है। यह उस वक्र रेखा द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है जो कि पहले दाहिनी ओर से बढ़ती है और फिर गिर जाती है। यह बिन्दु-रेखा से बतलाया गया है।



चित्र न० ३

३. आह्लासी उपयोगिता के नियम की सीमाएँ (Limitations of the Law of Diminishing Utility)—घटती हुई उपयोगिता का नियम जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कुछ धारणाओं पर आधारित है।

(1) यह मान लिया गया है कि वस्तु या उपभोग उचित इकाइयों (suitable units) में किया गया है, यदि आप प्यासे होने पर चम्मच भर-भरकर जल पीने लगेँ अथवा यदि आप पूरी चपाती के बजाय टुकड़ों की उपयोगिता जाँचने लगेँ तो आपकी प्यास अथवा भूख पहले शान्त होने की बजाय तीव्र होगी और उपयोगिता घटने की बजाय बढ़ेगी। परन्तु कभी-न-कभी एक ऐसी सीमा आएगी जबकि उपयोगिता

घटने लगेगी। अतएव जब तक इकाई उचित आकार की नहीं है, तब तक नियम लागू न होगा।

(ii) फिर, यह माना गया है कि वस्तु का उपभोग किसी सीमित समय में (within a certain time) किया गया है अन्यथा नियम लागू न होगा। यदि आप अपना पहला भोजन मुबह १० बजे और दूसरा २ बजे दोपहर को करें तो कोई कारण नहीं कि दूसरे भोजन की उपयोगिता कम हो। परन्तु यदि पहला भोजन करने के एक घण्टे के अन्दर आपको दूसरा भोजन मिले तो नियम लागू होगा और दूसरे भोजन की उपयोगिता कम होगी।

(iii) तीसरी धारणा यह है कि उपभोक्ता के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उपभोक्ता में लालसा उत्पन्न न हुई हो। जितना अधिक गाना मनुष्य सुनता है, जितना अधिक साहित्य का अध्ययन करता है, जितनी ज्यादा मदिरा (शराब) पीता है और जितना अधिक द्रव्य एक कजूस के पास होता है, तो इससे हर दशा में उपयोगिता की वृद्धि होगी। ऐसा इसलिए है कि उपभोक्ता के स्वभाव में परिवर्तन हो गया है। अधिक अध्ययन मनुष्य को भाव जगत् में पहुँचा देता है और वह साहित्य को पहले से अच्छी तरह समझ सकता है तथा उसका आनन्द ले सकता है। इसके अतिरिक्त यह नियम माधारण मनुष्यों पर लागू होता है न कि मनकी या कजूस जैसे असाधारण मनुष्यों पर।

(iv) यह भी आवश्यक है कि उपभोक्ता की आय समान रहे। आय में परिवर्तन होने से नियम गलत हो जाएगा। किसी व्यक्ति की आय की वृद्धि से उसके अर्थात् के उन भिन्न-भिन्न प्लॉट्स की कीमत उसकी दृष्टि में बढ़ जाएगी जिनका कि वह पहले अधिक उपयोग न कर सकता था।

(v) वस्तुओं के दुर्लभ सग्रह के प्रति यह नियम लागू नहीं होता। यदि कोई मनुष्य पुराने सिक्के एकत्रित कर रहा है, तो जितने अधिक वह इकट्ठे करेगा, उसकी उत्तनी ही अधिक सन्तुष्टि होगी।

(vi) एक और भी अपवाद है। नियम के अनुसार राशि की वृद्धि होने से उपयोगिता घटती है। परन्तु कभी कभी उपयोगिता में परिवर्तन हमारी राशि में परिवर्तन होने के कारण नहीं बरन् दूसरों की राशि में परिवर्तन होने से होता है। उदाहरणार्थ यदि पुराने सिक्के सग्रह करने वाला शहर में कोई दूसरा व्यक्ति भी है और किसी कारण वह अपने सग्रह को खो देता है तो मेरे सग्रह किए हुए सिक्कों की उपयोगिता अपने आप बढ़ जाती है।

(vii) उपयोगिता हमारी दूसरी वस्तुओं के स्वामित्व पर भी निर्भर है। चाहे हमारे पास गाड़ी बेकार पड़ी हो परन्तु एक छोटा खरीद लेने पर उसकी उपयोगिता तुरन्त बढ़ जाती है।

(viii) उपयोगिता फैशन में परिवर्तन होने पर भी निर्भर है। जैसे ही मेरी पोशाक का फैशन हो जाता है उस पोशाक की उपयोगिता बढ़ जाती है। दूसरी ओर यदि उसका फैशन चला जाता है तो उसकी उपयोगिता कम हो जाती है।

माह्लासी उपयोगिता का नियम दूसरे अधिक नियमों की भाँति केवल एक

प्रवृत्ति (tendency) का विवरण है। यह अनेक स्थितियों पर निर्भर है। इन स्थितियों के न होने पर यह नियम लागू नहीं होता जैसा कि ऊपर लिखे हुए अपवादों में बताया गया है।

४. आह्लासी सीमान्त प्रतिस्थापनीयता का नियम (The Law of Diminishing Marginal Substitutability)—आह्लासी सीमान्त उपयोगिता के नियम के विरुद्ध बहुत से आक्षेप लगाए गए हैं। इस तथ्य के अतिरिक्त कि उपयोगिता आत्मपरक (subjective) होने से अनुमान योग्य है, उपभोक्ता अमत्र वस्तु खरीदते समय जिस सन्तुष्टि की आशा करता है वह वास्तविक अथवा प्राप्त की गई सन्तुष्टि से भिन्न हो सकती है।

और, एक विशिष्ट इकाई पर जिसको सीमान्त इकाई भी कहते हैं, खरीदना बन्द कर देना, विचार-शक्ति तथा सुन्दर गणना को सूचित करता है जो एक औसत उपभोक्ता में नहीं पाई जाती।

इसके अतिरिक्त उपयोगिता के मापन के हर प्रयत्न में यह मान लिया जाता है कि मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता स्थिर रहती है, परन्तु यथार्थ में हर एक नई खरीद के साथ मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता बढ़ जाती है क्योंकि मुद्रा का सग्रह घट जाता है।

आह्लासी उपयोगिता के नियम में एक मुख्य दोष यह है कि ध्यान दूसरी वस्तुओं से हटकर एक ही वस्तु पर केन्द्रित हो जाता है। वास्तव में उपभोक्ता मुद्रा को व्यय करते समय केवल एक जुदा चीज को ही नहीं परन्तु बहुत सी वस्तुओं को, जिनको कि वह उससे खरीद सकता है, सोचता है। अतएव यह अधिक उचित होगा कि उपभोक्ता की माँग उसके अधिमान मापों (scales of preferences) में प्रस्तुत की जाए।^१ यह मान लिया गया है कि हम एक वस्तु को अधिक मात्रा में तभी खरीद सकते हैं जबकि हम दूसरी का बलिदान करें।

यदि एक उपभोक्ता एक विशिष्ट वस्तु की एक इकाई का बलिदान केवल दूसरी वस्तु की अधिक मात्रा के प्रस्ताव से ही कर देन के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, तो यह अधिक सीमान्त प्रतिस्थापनीयता, (greater marginal substitutability) प्रकट करती है। ता भी, आमतौर पर एक उपभोक्ता अपने पास की वस्तु की एक अधिक इकाई का बलिदान करने के लिए दूसरी वस्तु की कम इकाइयों से ही सन्तुष्ट हो जावेगा। अतएव सीमान्त प्रतिस्थापनीयता घट जावेगी। इस प्रकार आह्लासी उपयोगिता के नियम का दूसरा नाम सीमान्त प्रतिस्थापनीयता नियम भी हो सकता है, और यह एक सुधार होगा, क्योंकि यह मार्शल (Marshall) के मुद्रा के स्थिर सीमान्त उपयोगिता (constant marginal utility of money) की धारणा तथा जेवन्स (Jevons) के उपयोगिता के मात्रिक सीमान्त उपयोगिता (quantitative marginal utility) से दूर हट जाता है।

५. नियम के कुछ आशय (Some Implications of the Law)—

१. अध्याय ५ के ३ तथा १३ विभाग देखिए।

आह्लासी उपयोगिता का नियम इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि एक वस्तु की क्रमिक (successive) इकाइयाँ हीन समझी जाती हैं। यद्यपि यह सही है कि यदि एक इकाई हीन लक्षण की है तो इसी से तो उसकी उपयोगिता कम होगी, तो भी नियम कहीं अधिक मूल गुण वाला है। यह गुण से स्वतन्त्र है। सेब एक से ही हो सकते हैं तो भी जैसे उपभोग अधिक होगा, वैसे ही उनकी अतिरिक्त उपयोगिता घटती जाएगी।

यह नियम निर्वाचन से भी स्वतन्त्र है। प्रत्येक क्रमिक सेब की अतिरिक्त उपयोगिता इसलिए नहीं गिरती क्योंकि हमारी इच्छा उसके स्वाद पर केन्द्रित होती है। नियम तो पूरी तौर पर लागू होगा ही, चाहे सेब के अतिरिक्त और कोई वस्तु हमारे सामने हो ही नहीं।

इस नियम से सिद्ध होता है कि अधिक आवश्यक इच्छाओं की सन्तुष्टि पहले की जाती है। जैसे जैसे राति बढ़ती जाती है, वह कम आवश्यक प्रयोगों में लगाई जाती है।

यह नियम हर प्रकार की सन्तुष्टि में लागू होगा। चाहे वह अच्छी हो अथवा बुरी। हम यह नहीं मानते कि उपभोक्ता सदैव विवेकशील होता है।

६ सीमान्त उपयोगिता अथवा महत्त्व (Marginal Utility or Significance) — एक मनुष्य के क्रय का अन्त अथवा सीमा कहाँ है? जब एक मनुष्य कोई वस्तु खरीदता है वह सचेत अथवा अचेत रूप से यह सोच लता है कि उसको कितनी कीमत देनी है और उसको प्रत्येक इकाई से कितनी उपयोगिता मिलती है। जब तक कि उपयोगिता और कीमत समान न हो जाएँ वह खरीदता ही चला जाएगा।


हमारा उपभोक्ता कहाँ रुक जाएगा? यह कीमत पर निर्भर है। यदि कीमत ६ पैसे प्रति सेब है तो वह ५ सेब खरीदेगा क्योंकि वहाँ पर उपयोगिता कीमत के बराबर होगी (सीमान्त उपयोगिता पैसे की इकाइयों में प्रस्तुत की गई है)। यदि कीमत ११ पैसे प्रति सेब है तो वह केवल ४ सेब खरीदेगा। और यदि वे मुफ्त में मिलते हैं तो वह उपभोग करता जाएगा यहाँ तक कि उसकी अतिरिक्त उपयोगिता शून्य हो जाएगी (अर्थात् छोटी इकाई तक)। वह इससे आगे न जाएगा क्योंकि परिणाम अनुपयोगिता (disutility) होगा। वह वहाँ रुक जाता है जहाँ कीमत और उपयोगिता प्रायः बराबर होते हैं। यह सीमान्त क्रय और इसकी अतिरिक्त (extra) उपयोगिता सीमान्त उपयोगिता कहलाती है। यही वह स्थिति है, जहाँ हम सोच विचारकर खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ द्रव्य के त्याग से पीड़ा और वस्तु के खरीदने से लाभ में उचित सन्तुलन है।

सीमान्त उपयोगिता की परिभाषा इस प्रकार भी की गई है कि यह कुल उपयोगिता में किया गया वह जोड़ है जो उचित समझी जान वाली अन्तिम इकाई के उपभोग से मिलता है। इस प्रकार यदि हम ५ सेब खरीदते हैं तो पाँचवाँ सेब सीमान्त सेब है। परन्तु सीमान्त उपयोगिता पाँचवें सेब की उपयोगिता नहीं है, क्योंकि सब सेब समान हैं। इसका सम्बन्ध केवल उन अर्थ से है जो पूर्व योग में इस विशिष्ट इकाई के उपभोग से जुड़ता है। सीमान्त उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह वृद्धि है जो सीमान्त इकाई के उपभोग से मिलती है।

यह सीमा कोई दृढ़ अथवा स्थिर सीमा नहीं है। यह कीमत के अनुसार आगे-पीछे बदलती रहती है। यदि कीमत गिर जाएगी तो सीमा (margin) नीचे हो जाएगी और यदि कीमत बढ़ जाएगी तो सीमा ऊपर चली जाएगी।

७ जब एक वस्तु कई प्रयोगों में लाई जा सकती है (When a Commodity has Several Uses)—कुछ वस्तुएँ निश्चित (specific) होती हैं। सामान्यतः एक वस्तु कई कामों में लाई जा सकती है। पहले इसे सबसे आवश्यक काम में लाया जाता है। और जब प्रथम उपयोग में सीमान्त उपयोगिता दूसरे उपयोग की प्राथमिक उपयोगिता (initial utility) के समान आ जाती है तो यह दोनों कामों में लाई जाने लगेगी। जब दूसरे उपयोग में सीमान्त उपयोगिता तीसरे उपयोग की प्राथमिक उपयोगिता के समान आ जाती है तब वस्तु तीनों कामों में लाई जाती है तथा इसका क्रम इसी प्रकार चलता है। इस घटना का निरूपण नीचे दिए हुए रेखाचित्र द्वारा हो सकता है—


O M इकाइयों तक वस्तु केवल पहले उपयोग में लाई जाएगी क्योंकि तब तक पहले उपयोग में समस्त इकाइयों की उपयोगिता दूसरे उपयोग की प्राथमिक उपयोगिता D' O से अधिक है। यदि हमारे पास O M से अधिक वस्तु है तो यह दोनों कामों में लाई जाएगी परन्तु केवल O M + O M' तक। उसके बाद दूसरे



उपयोग में सीमान्त उपयोगिता, तीसरे उपयोग में प्राथमिक उपयोगिता के बराबर है और वस्तु तीनों कामों में लाई जाएगी, क्योंकि तीसरे उपयोग में कुछ इकाइयाँ उदाहरणार्थ (रेखाचित्र iii) में O M''' दूसरे उपयोग में P'' M'' (रेखाचित्र ii) से अधिक उपयोगिता (P''' M''') रखती हैं।

रेखाचित्र ii एक मिश्रित वक्र है जो कि तीनों कामों में वस्तु की उपयोगिता दिखाता है।

यह विलकुल स्पष्ट है कि यदि एक वस्तु कई प्रयोगों में लाई जा सकती है तो उसकी



तीनों उपयोगों का मिश्रित वक्र
चित्र नं० ५

सीमान्त उपयोगिता उसके एक उपयोग में लाई जाने वाली सीमान्त उपयोगिता से शीघ्र नहीं घटती। जब वह कई उपयोगों में लाई जा सकती है तो उसकी सीमान्त उपयोग का गिराव रुक जाएगा।

८ द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता (Marginal Utility of Money) — क्या घटती हुई सीमान्त उपयोगिता का नियम द्रव्य पर लागू होता है? यह कहा जाता है कि वस्तु के क्रय की सोमा हो सकती है परन्तु द्रव्य के संचय की कोई सीमा नहीं है। द्रव्य एक सामान्य क्रय-भक्ति है। यह खरीदार को अपनी इच्छा की वस्तु खरीदने की सामर्थ्य प्रदान करती है। अतएव यह कहा जाता है कि कभी ऐसी स्थिति नहीं आती जबकि द्रव्य के लिए इच्छा समाप्त हो जाए।

हम इस विवाद के महत्त्व को भाग सकते हैं। परन्तु यह भी सच है कि घटती हुई उपयोगिता का नियम द्रव्य में भी अत्यन्त लागू होना है। जैसे जैसे द्रव्य बढ़ता है, उसका महत्त्व उसके स्वामी के लिए घटता जाता है।

९ सीमान्त उपयोगिता और कीमत (Marginal Utility and Price) — ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि सीमान्त उपयोगिता और कीमत समान होते हैं अथवा कीमत से सीमान्त उपयोगिता मापी जाती है। उपभोक्ता उस समय उपभोग करना बन्द कर देता है जब कीमत और उपयोगिता समान हो जाती हैं। और यह स्तर सीमान्त उपयोगिता का स्तर है। वस्तु की समस्त इकाइयाँ परस्पर बदलने योग्य होने से जो कुछ सीमान्त इकाई के लिए भुगतान किया जाता है वही हर एक इकाई के लिए दिया जाता है। अतएव हम कह सकते हैं कि सीमान्त उपयोगिता कीमत निर्धारित (determines) करती है। यह सीमान्त उपयोगिता है कुल उपयोगिता (total utility) नहीं, जो कीमत निर्धारित करती है, अन्यथा जल की कीमत अधिक होती और साने की कम। वास्तव में सीमान्त उपयोगिता कीमत निर्धारित नहीं करती, यह केवल उसको प्रकट करती है। कीमत निर्धारण करने वाले साधन माँग और पूर्ति हैं। यदि कीमत में परिवर्तन होता है तो सीमान्त उपयोगिता भी बदल जाती है। इस प्रकार कीमत तथा सीमान्त उपयोगिता साथ साथ चलते हैं।

सामाजिक सीमान्त उपयोगिता (Social Marginal Utility) — परन्तु किस की सीमान्त उपयोगिता कीमत निर्धारित करती है? सीमान्त उपयोगिता आत्मपरक (subjective) है और प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न है, जबकि बाजार में एक ही कीमत प्रचलित रहती है। सीमान्त उपयोगिता जिससे बाजार में कीमत निर्धारित होती है, किसी व्यक्ति विशेष की उपयोगिता नहीं बल्कि समुदाय में समस्त व्यक्तियों का एक प्रकार का औसत (average) है, और उसे सामाजिक सीमान्त उपयोगिता (social marginal utility) कहा जा सकता है। यह समस्त समाज की सीमान्त उपयोगिता है।

सीमान्त उपयोगिता तथा पूर्ति (Marginal Utility and Supply) — सीमान्त उपयोगिता बनाना पूर्ति का काम है अर्थात् यह पूर्ति के साथ बढ़ती है। एक निर्मूल्य वस्तु जिसकी पूर्ति असीमित है, उसकी सीमान्त उपयोगिता शून्य है। केवल दुर्लभ पदार्थों की ही सीमान्त उपयोगिता वास्तविक होती है। यह पूर्ति के घटने

पर बढ़ती है और उसके बढ़ने पर घटती है। जब पूर्ति अत्यधिक हो जाती है तो यह शून्य हो जाती है। अतएव सीमान्त उपयोगिता पूर्ति के विपरीत बदलती है।

सापेक्ष सीमान्त उपयोगिता (Relative Marginal Utility)—एक वस्तु की सीमान्त उपयोगिता अन्य वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिता से अलग नहीं है। नाइट (Knight) का कथन है “उपयोगिता सापेक्ष है और इसका सार तुलना (comparison) है।”¹ जब हम यह निर्णय कर रहे हो कि कौनसी वस्तु अधिक मात्रा में खरीदें और कौनसी वस्तु कम मात्रा में तो हम अन्य दूसरी वस्तुओं की, जो कि हम खरीद सकते हैं, सचेत अथवा अचेत रूप से, उपयोगिता की तुलना करते हैं अतएव सीमान्त उपयोगिता का निरपेक्ष (absolute) रूप में विचार नहीं किया जा सकता।

यद्यपि आह्लासी सीमान्त उपयोगिता का नियम केवल एक ही वस्तु के होने पर तथा वरण (choice) न होने पर भी लागू होता है, तो भी हमको व्यवहार में कुछ-कुछ वरण करना ही पड़ता है। बहुत सी अन्य वस्तुएँ हैं, जिन्हें हम खरीद सकते हैं। हम आम खरीदना रोक देते हैं, क्योंकि हम कुछ बेर भी खरीदना चाहते हैं और हम बेर खरीदना भी बन्द कर देते हैं ताकि हम कुछ ताशपाती भी ले सकें। इस प्रकार इन तीनों वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिताएँ एक दूसरे पर आश्रित हो जाती हैं। संक्षेप में सीमान्त उपयोगिता सापेक्ष (relative) है।

१०. आह्लासी सीमान्त उपयोगिता के नियम का व्यावहारिक महत्त्व (Practical Importance of the Law of Diminishing Marginal Utility)—आह्लासी उपयोगिता के नियम का व्यावहारिक महत्त्व बहुत है (१) हमने देखा है कि आह्लासी सीमान्त उपयोगिता का नियम द्रव्य पर भी लागू होता है। यह करा-रोपण (taxation) प्रणाली के सिद्धान्त तथा व्यवहार का आधार है। इस नियम का उत्तरोत्तर कर (progressive taxation) पद्धति में, जो धनी पुरुषों पर अधिक भार डालती है, सार्वजनिक वित्त (public finance) के क्षेत्र में व्यावहारिक प्रयोग है।

(२) नियम यह स्पष्ट करता है कि पूर्ति में वृद्धि होने से वस्तु का मूल्य अवश्य ही क्यो गिर जाना चाहिए। इस प्रकार यह मूल्य सिद्धान्त (theory of value) का आधार बनता है। इस भाँति सामान्य उपभोगिता तथा व्यवसायी के हेतु इस नियम का व्यावहारिक महत्त्व अत्यधिक है।

(३) नियम यह व्याख्या करता है कि माँग वक्र (demand curves) नीचे की ओर क्यो गिरते हैं। इस नियम के कारण ही छोटी उपयोगिता की रेखाएँ वस्तु की रेखा अर्थात् कक्ष रेखा को बड़े भागों में काटती हैं (विभाग दो में उपयोगिता वक्र देखिए।)

(४) यह उपयोग-मूल्य (value in-use) तथा विनिमय मूल्य (exchange-value) की भिन्नता को भी व्याख्या करता है। वायु की अधिक उपयोगिता (उपयोग-मूल्य) है परन्तु विनिमय-मूल्य कम है, क्योंकि इसकी कोई सीमान्त उपयोगिता नहीं है।

1 “Utility is relative and its essence a comparison” — Knight.

दृष्टिकोण पर निर्भर है। उपयोगिता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और एक ही व्यक्ति के लिए समय-समय पर तथा भिन्न-भिन्न स्थितियों में भिन्न होती है। एक व्यक्ति अपने आप अपने मन में भिन्न-भिन्न वस्तुओं की उपयोगिता की तुलना कर सकता है, परन्तु उसके पास कोई बाहरी माप नहीं जिससे कि वह एक वस्तु की उपयोगिता पूर्ण रूप से नाप सके।

हमारे पास किसी मनुष्य की सन्तुष्टि की तीव्रता (intensity) को मापने के लिए कोई मापदण्ड नहीं है। तो भी भाग्यवश हमारे पास द्रव्य के रूप में एक सरल तथा कारगर माप है। द्रव्य उपयोगिताओं को नापता है। दो वस्तुओं की उपयोगिताओं में वही अनुपात होता है जो उनकी तत्सम्बन्धी बाजार की कीमतों में होता है। वास्तव में, हमारा कुछ वस्तुओं के उपभोग करने का अनुभव तथा पुरानी आदत हमको दो वस्तुओं की उपयोगिताओं का द्रव्य से अलग भी तुलना करने के योग्य बना देता है।

निर्देश पुस्तकें

Marshall, A *Principles of Economics*

Davenport, H J *Economics of Enterprise*

Benham, F — *Economics*

Viner, J "The Utility Concept in Economic Theory" in the
Journal of Political Economy, 1925

Knight, F H *Risk, Uncertainty and Profit* (1940), Ch III.

Stigler, G J *Theory of Price*, Ch I.

अध्याय ५
उपभोग (क्रमशः)
(Consumption) (Contd)

प्रतिस्थापन का नियम
(The Law of Substitution)

१ भूमिका (Introduction)—हम यह देख चुके हैं कि आवश्यकताएँ प्रतिस्पर्धी हैं। अतएव हमको अधिक आवश्यक और कम आवश्यक आवश्यकताओं में निरन्तर चुनाव करना होता है। जब हम अपने मन में यह निर्णय कर रहे हों कि किसी वस्तु को कुछ अधिक अथवा कम मात्रा में खरीदें, तो हम वस्तु तथा द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता का सन्तुलन करने लगते हैं। परन्तु हम वास्तव में उस विशिष्ट वस्तु की सीमान्त उपयोगिता तथा उसी द्रव्य से खरीदी जा सकने वाली अन्य बहुत सी वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिताओं का सन्तुलन करते हैं। द्रव्य इस प्रकार हमारे लिए एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक जाने के हेतु एक पुल का कार्य करता है। इसी प्रकार प्रतिस्थापन (substitution) कार्य करता है।

२ नियम की व्याख्या (Statement of the Law)—प्रत्येक समभूदार व्यक्ति अपने माधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहता है। यह इस कारण आवश्यक है कि आवश्यकताओं को देखते हुए हमारे साधन दुर्लभ हैं—यह वह मूल प्रस्तावना है जिससे कि हमने मर्षसास्त्र का अध्ययन आरम्भ किया था। प्रत्येक उपभोक्ता चाहता है कि उसे अधिक से अधिक सन्तुष्टि मिले। इस कारण वह कम उपयोगी वस्तु के बजाय अधिक उपयोगी वस्तु का प्रतिस्थापन करेगा।

कल्पित उपभोक्ता सचेत अथवा अचेत रूप से उस सिद्धान्त पर कार्य करता है जिसको भिन्न नामों में पुकारा गया है, जैसे प्रतिस्थापन का नियम (The Law of Substitution), तटस्थता नियम (The Law of Indifference), सम-सीमान्त उत्पत्ति नियम (The Law of Equi marginal Returns), व्यय मितव्ययिता नियम (The Law of Economy of Expenditure), अथवा अत्यधिक सन्तुष्टि नियम (The Law of Maximum Satisfaction)। इसको प्रतिस्थापन नियम इसलिए कहते हैं, क्योंकि हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी को खरीदते हैं। यह अत्यधिक सन्तुष्टि नियम (The Law of Maximum Satisfaction) इस कारण कहलाता है कि इसके द्वारा हम अपनी सन्तुष्टि चरम सीमा तक पहुँचा सकते हैं। यह सम-सीमान्त उपयोगिता नियम इस कारण कहलाता है कि हम अत्यधिक सन्तुष्टि तभी प्राप्त कर सकते हैं जबकि प्रतिस्थापन की विधि द्वारा सीमान्त उपयोगिताएँ समान कर दी जाती हैं।

यह इस प्रकार होता है—जबकि उपभोक्ता किसी विशिष्ट वस्तु पर कुछ द्रव्य व्यय कर चुकता है तो उसके पश्चात् उसके लिए उस वस्तु की उपयोगिता गिरने

लगती है, और वह गिरती जाती है, जब तक कि वह यह नहीं सोच लेता कि उसको अन्य वस्तु पर व्यय करने से अधिक सन्तुष्टि मिलेगी। वह एक स्थिति के बाद एक वस्तु के बदले में दूसरी का प्रतिस्थापन करता रहता है, यहाँ तक कि कुल द्रव्य जो वह व्यय करना चाहता था समाप्त हो जाता है। ऐसा हो जाने के पश्चात् वह सम-सीमान्त उपयोगिता (equi-marginal utility) प्राप्त कर लेता है। वह अब किसी वस्तु पर अधिक और किसी पर कम व्यय करके कुल उपयोगिता की वृद्धि नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा कर सकता होता तो पहले ही कर लेता। कोई भी हेर-फेर उपयोगिता में लाभ का अपेक्षा अधिक हानिकारक होगा। सबसे उत्तम स्थिति वह होगी जबकि प्रत्येक व्यय की मद में उसकी सीमान्त उपयोगिता बराबर हो जाए। जब किसी उपभोक्ता का खर्च इस प्रकार व्यवस्थान्त हो जाता है, अर्थात् जब प्रत्येक दिशा में सीमान्त उपयोगिता तथा खरीद (purchases) समान होती है तो इसे उपभोक्ता की साम्यावस्था (consumers' equilibrium) कहते हैं। इस तरह उसे और माल खरीदने की इच्छा नहीं रहती। बाजार की कीमतों, उसकी इच्छाएँ (wants) तथा उसकी आय (income) आदि दिए होने पर, उपभोक्ता को साम्यावस्था में न समय माना जाएगा जब सीमान्त उपयोगिताएँ समान हो चुकी हैं तथा अधिकतम सन्तुष्टि मिल चुकी है। इसके बाद फिर उसे अपने खर्च की योजना का पुनरीक्षण (revise) करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह उन्हीं वस्तुओं को तथा उतनी ही मात्रा में खरीदता रहेगा जब तक कि या तो उसकी आय या इच्छाओं में परिवर्तन नहीं हो जाता। इच्छाओं को अपने वातावरण (environments) से परस्पर व्यवस्थापन (adjustment) उपभोक्ता की साम्यावस्था (consumer's equilibrium) का चिह्न है। उपभोक्ता के लिए "तमाम माल (goods) को साम्यावस्था में होने के लिए, तमाम माल का द्रव्य (money) के अर्थों में सीमान्त महत्त्व उनकी द्रव्य कीमतों के साथ अवश्य ही समान होना चाहिए।"¹

एक उपभोक्ता के पास जितना द्रव्य है उससे अधिकतम सन्तुष्टि पाने के लिए वह अपना खर्च इस प्रकार बाँटेगा कि खरीदी हुई वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिता उनकी कीमतों के अनुपात में होगी। इस प्रकार—

क की अधिकतम उपयोगिता ख की अधिकतम उपयोगिता ग की अधिकतम उपयोगिता
क की कीमत ख की कीमत ग की कीमत

और यह क्रम इसी प्रकार चलता है।


इसी प्रकार, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, तो इस वस्तु की कम मात्रा तथा दूसरी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाएगी, ताकि अनुपात वही रहे। टिकाऊ वस्तुओं में यह अनुपात रहना सम्भव नहीं हो सकता है। ऊपर का समीकरण (equation) केवल तभी सही होगा जबकि उपभोक्ता की रुचि तथा अन्य स्थितियों में परिवर्तन न हो।

परन्तु यह स्थिति अवास्तविक है। वास्तविक जीवन में कोई उपभोक्ता भी

1 "To be in equilibrium with respect to all goods the marginal significance of all goods in terms of money must equal their money price"

माधुली सीमान्त व्यवस्थापन करने का कष्ट नहीं करता। मानव गणना करने की मशीन मात्र नहीं है। इसी प्रकार कोई भी इस बात पर पहले से विचार नहीं करता कि अपने वातावरण में किसी बड़े परिवर्तन होने पर क्या प्रतिक्रिया होगी। अतः, उपभोक्ताओं को खरीदारी की सूची रखने की आदत होती है। और इसमें सिर्फ उसी समय परिवर्तन होगा जबकि उनके हालात (circumstances) में परिवर्तन होते हैं।

यह नियम नीचे दिए हुए चित्र द्वारा स्पष्ट हो सकता है। माना दो वस्तुएं दूध तथा रोटी ह जिन पर $OM + OM$ द्रव्य व्यय किया जाता है। माना कि A तथा B रोटी तथा दूध के तत्सम्बन्धी उपयोगिता वक्र हैं। यदि OM रोटी पर और OM दूध पर व्यय होता है तो वस्तुओं (या उन पर व्यय किया हुआ द्रव्य) की सीमान्त उपयोगिता समान होती है $PM = P' + M$ । प्रतिस्थापन नियम अथवा सम सीमान्त उपयोगिता नियम यह दृढतापूर्वक बताता है कि द्रव्य का यह वितरण अत्यधिक कुल उपयोगिता करता है अर्थात् $OMPA + OMPB$ अत्यधिक है। यदि यह ऐसा है तो किसी भी अन्य प्रकार के वितरण को उससे



चित्र न० ६

कम कुल उपयोगिता प्रदान करनी चाहिए। देखे ऐसा है कि नहीं।

मान लिया कि (a) का अन्निप्राय द्रव्य की छोटी मात्रा से है। फिर यह मान लीजिए कि a रोटी पर अधिक और a दूध पर कम व्यय किया जाता है। दूध की सीमान्त उपयोगिता p तक बढ़ जाएगी और रोटी की p तक गिर जाएगी। जैसा कि गहरे रंग के क्षेत्र द्वारा दिखाया गया है। इस नये कम से उपयोगिता की हानि लाभ की अपेक्षा अधिक होगी। कुल उपयोगिता पहले से कम होगी। इस प्रकार उपयोगिताओं का योग अधिकतम होगा, जब सीमान्त उपयोगिताएँ बराबर होंगी।

यह बहुत दुर्लभ है कि इस प्रतिस्थापन की प्रवृत्ति में एक वस्तु दूसरी से पूर्णतः बदल जाए उदाहरणार्थ रोटी के बदले में बिम्कूट और तरकारी के बदले में दही। हम वस्तुओं की एक व्यवस्था चाहते हैं और सबने उपयोगी व्यवस्था की खोज में हम वस्तुओं की मात्रा अर्थात् किसी वस्तु की कुछ अधिक तथा दूसरी की थोड़ी कम मात्रा में कुछ बदल बदल करने का प्रयत्न करते हैं। प्रतिस्थापन (substitution) सीमा (margin) पर होता है।

३ तटस्थता वक्र (Indifference Curves)—मार्शल (Marshall) ने उपभोक्ता का व्यवहार सम्बन्धी जो विश्लेषण उपस्थित किया है, वह दो मान्यताओं पर आधारित है (१) उपभोक्ता अधिकतम उपयोगिता का

शोषण करना चाहता है, (२) उपयोगिताएँ बढ सकती हैं। कुछ लोगो ने विरोध किया है कि उपयोगिता मापी नही जा सकती। इसीलिए मार्शल (Marshall) के उपर्युक्त विश्लेषण के स्थान पर तटस्थता वक्रोय या रेखाचित्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। तटस्थता रेखाचित्रीय विश्लेषण (Indifference curve analysis) में मार्शल की यह मान्यता तो स्वीकार की गई है कि उपभोक्ता अधिकतम उपयोगिता का शोषण करना चाहता है। परन्तु मार्शल की दूसरी मान्यता, अर्थात् 'उपयोगिताएँ बढाई जा सकती हैं' को स्वीकार नही किया गया है यद्यपि, यह मान लिया गया है कि उपयोगिताओं की तुलना की जा सकती है, जैसे अधिक उपयोगिता या कम उपयोगिता आदि।


B. 227 35738

तटस्थता के रेखाचित्रो या वक्रो की व्यवस्था से हम यह पता लगा सकते हैं कि उपभोक्ता किन्ही दो वस्तुओ में से किस वस्तु को कितना अधिक अधिमान (preferences) प्रदान करता है। प्रत्येक तटस्थता वक्र या रेखाचित्र (Indifference Curve) इस मान्यता के आधार पर खींचा गया है कि उसके समस्त सम्भव बिन्दुओ पर सकल उपयोगिता (total utility) समान रहेगी। किसी तटस्थता वक्र (Indifference curve) पर कोई बिन्दु X और Y के सयोग का प्रतिनिधित्व करता है। X और Y के समस्त सम्भव सयोगो का एक गुण यह है कि वे सब एक ही सकल उपयोगिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। फलस्वरूप कोई उपभोक्ता किसी सयोग के विषय में प्राय तटस्थ हो जाता है। या दूसरे शब्दो में हम यह भी कह सकते हैं कि वे समस्त सयोग उसके लिए समान रूप से स्वीकार्य हैं क्योंकि वे सब एक ही सकल उपयोगिता (total utility) का प्रतिनिधित्व करते हैं।

तटस्थता वक्रो या रेखा चित्रो के गुण (Properties of Indifference Curves)—हम तटस्थता वक्र कैसे तैयार करें। प्राय तटस्थता वक्र दाहिनी ओर को भ्रक्तते हैं। यह ऐसा इस कारण होता है कि हम मान लेते हैं कि किसी तटस्थता वक्र पर सकल उपयोगिता स्थिर रहती है, और यदि किसी दी हुई वस्तु की समस्त इकाइयाँ उपभोक्ता को वास्तविक उपयोगिता प्रदान करती है तो उसकी सकल उपयोगिता उसी स्थिति में स्थिर और समान रह सकती है जब कि किसी एक वस्तु में वृद्धि होने के साथ-साथ दूसरी वस्तु में उसी अनुपात में कमी हो जाए। मान लीजिए कि किसी वस्तु X की पाँच इकाइयाँ और किसी अन्य वस्तु Y की दस इकाइयाँ कुछ निश्चित सकल उपयोगिता प्रदान करती हैं। अब मान लीजिए कि किसी कारण-वशा X वस्तु की इकाइयाँ बढकर ६ हो जाती हैं, जब कि Y की इकाइयाँ ज्यो की त्यो १० बनी रहती हैं तो हमारा तटस्थता रेखाचित्र या वक्र बदल जाएगा, क्योंकि X वस्तु की ६ इकाइयो और Y वस्तु की १० इकाइयो से जो सवर्ग उपयोगिता प्राप्त होगी, वह X वस्तु की ५ इकाइयो और Y वस्तु की १० इकाइयो की सकल उपयोगिता की अपेक्षा अधिक होगी। कारण स्पष्ट है, क्योंकि दूसरे सयोग में X वस्तु की अधिक इकाइयाँ हैं और Y वस्तु की उतनी ही इकाइयाँ हैं। अतः किसी तटस्थता वक्र या रेखाचित्र पर सकल उपयोगिता तभी समान और स्थिर रह

सकती है जब कि यदि Y क वस्तु की मात्रा बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मात्रा उसी अनुपात में घट जाए। या इसके विपरीत भी उसी अनुपात में घटता हो।

नीचे के चित्र में P, P' और P'' , वस्तु X और वस्तु Y के विभिन्न संयोग दिखाते हैं जिनकी सकल उपयोगिता समान रहती है। बिन्दु P पर वस्तु X की OM




चित्र न० ७

इकाइयाँ और Y की OQ इकाइयाँ चुन ली गई हैं। P' पर यद्यपि X वस्तु की इकाइयाँ बढ़ गई (OM से OM' तक), किन्तु Y वस्तु की इकाइयाँ गिर गई हैं (OQ से OQ' तक)। इस प्रकार P और P' पर सकल उपयोगिता ब्यों की त्याग स्थिर बनी रहती है।

तटस्थता वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते (Indifference Curves cannot

Intersect) — तटस्थता वक्रों की एक विशेषता यह भी है कि वे एक दूसरे को काट नहीं सकते। यदि तटस्थता वक्र किसी बिन्दु पर काट जाएँगे तो फल गलत होगा।


नीचे के रेखाचित्र में तटस्थता वक्र C_2 की सकल उपयोगिता वक्र C_1 की अपेक्षा अधिक दिखाई गई है। अतः X का $OM+Y$ का OQ बड़ा है बनिस्वत X का $OM+Y$ का OR । अब मान लीजिए कि दोनों वक्र S पर काटते हैं। चूँकि दोनों तटस्थता वक्रों पर S बिन्दु पड़ता है अतः X का $OL+Y$ का $OT=X$ का $OM+Y$ का $OR=X$ का $OM+Y$ का OQ । यह स्थिति गलत है। अतः यह निश्चित हुआ कि तटस्थता वक्र आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकते।



चित्र न० ८

किन्तु इसमें भी तटस्थता वक्र की भावना का स्वरूप निश्चित नहीं हो जाता। गिरते हुए वक्र की तीन सम्भाव्य भावनाएँ हो सकती हैं। यह सीधी रेखा (वक्र B) के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, या यह उद्वृज (convex) की दशा में हो सकता है जैसा कि (वक्र A) है, या इसे न्युज (concave) (वक्र C) के समान प्रस्तुत किया जा सकता है। तटस्थता वक्र (indifference curves) जैसे


कि वे प्राय बनाए जाते हैं, प्रायः (वक्र A) के आकार के होते हैं; अर्थात् वे मौलिक वक्र के कुछ उदुब्ज (convex) होते हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि पुराने आह्लासी सीमान्त उपयोगिता (law of diminishing marginal utility) के नियम में कुछ अतिरिक्त धारणाएँ जोड़ ली गई हैं। अर्थात् "कोई वस्तु जितनी अधिक मात्रा में हमारे पास होगी, उसकी उतनी ही कम सीमान्त उपयोगिता हमारे लिए रह जाएगी, अतः उस वस्तु की कुछ इकाइयाँ दे देने में हमको दूसरी किसी वस्तु की कम से कम मात्रा में इकाइयों की आवश्यकता होगी।"¹ यह शर्त केवल वक्र A में पूरी होती है।



चित्र न० ९

वक्र A, मूलबिन्दु (origin) से उदुब्ज या उन्नतोदर (convex) दिशा की ओर है।

यह वक्र आह्लासी सीमान्त उपयोगिता (diminishing marginal utility) की शर्तों को पूरा नहीं करता। जब हमारे पास वस्तु X (OM) थोड़ी मात्रा में रह जाती है,



चित्र न० १०

तो, उस समय X वस्तु का (MM') देने के लिए हमको Y वस्तु का (QQ') चाहिए। किन्तु जब X वस्तु का भण्डार बड़ा है, उस समय हमारे पास X वस्तु का (OM') भाग है। उसमें से एक इकाई दे देने के लिए (M''M''' = MM') हमको Q'' Q''' पदार्थ की आवश्यकता होगी जो Q Q' से छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है। अतः यदि आह्लासी सीमान्त उपयोगिता का नियम (law of diminishing marginal utility) सच है, तो तटस्थता वक्र की यह शक्य नहीं हो

सकती। उसी प्रकार यदि तटस्थता वक्र (indifference curve) सीधी रेखा के रूप में होगा, तो भी आह्लासी सीमान्त उपयोगिता का नियम लागू नहीं होगा। केवल एक गिरता हुआ वक्र जो मूल बिन्दु (origin) के उदुब्ज या उन्नतोदर होगा, वही आह्लासी सीमान्त उपयोगिता की शर्तों को पूरी करेगा। अतः यदि आह्लासी सीमान्त उपयोगिता का नियम सच्चा है, तो तटस्थता वक्र निश्चय ही मूलबिन्दु (origin) के उदुब्ज या उन्नतोदर दिशा में बनाने चाहिए।

इस प्रकार हम दो धारणाओं पर तटस्थता वक्र बना सकते हैं। (१) किसी तटस्थता वक्र में सकल उपयोगिता (total utility) ज्यों की त्यों बनी रहती है।

1 "The more we have of a thing, lower is its marginal utility, and therefore to part with a given unit of it, we require less and less of the other commodity"

इन कारणों वक्र गिरना हुआ बनता है, और (२) आह्लासी सीमान्त उपयोगिता का नियम अपनी जगह घटल है। इस धारणा को मान लेने पर हम को जो तटस्थता वक्र प्राप्त होता है, वह मूल बिन्दु से उदुब्ज या उन्नतोदर (convex) दिशा में होगा। तटस्थता वक्र (indifference curve) का ढाल किसी स्थान पर दोनों वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिताओं का अनुपात बताएगा।


तटस्थता मानचित्र (Indifference Map).—तटस्थता वक्रों के प्रम को तटस्थता मानचित्र भी कह सकते हैं। कोई तटस्थता वक्र इस माध्यता पर खींचा जाता है कि उन वक्र के सभी बिन्दुओं पर सकल उपयोगिता समान रहेगी, अर्थात् उपभोक्ता विभिन्न संयोगों की ओर से पूर्ण तटस्थ रहेगा। अब हम एक वच्चे का उदाहरण लेंगे जिसे बिस्कुटों और चाकलेटों में से किसी वस्तु को चुनना है। इस वच्चे के अधिमानों (preferences) को नीचे की तालिका में दिया गया है, जिसमें बिस्कुटों और चाकलेटों के अनेक संयोग दिए गए हैं किन्तु उन संयोगों की ओर से उन्नत वच्चा तटस्थ है—

	चाकलेट	और	बिस्कुट
	२	”	११४
या	३	”	६३
या	४	”	७५
या	५	”	५६
या	६	”	४५
या	७	”	३६
या	८	”	२८
या	९	”	२१

यह तालिका उसके अधिमानों की पूरी श्रेणी (scale) को नहीं बरन् उसके एक भाग को प्रकट करती है। ये आंकड़े अक्षयस्थित की धारणियों को प्रस्तुत नहीं करते। कोई भी मर्यादा उन संख्याओं के अतिरिक्त ठीक होगी जो कि यह प्रस्तुत करती हैं कि जितने अधिक चाकलेट वच्चा विनिमय में प्राप्त करेगा उतने ही कम बिस्कुट वह चाकलेट पाने के लिए देने को तैयार होगा। मान लीजिए कि वच्चा ५ चाकलेट और ५६ बिस्कुटों से प्रारम्भ करता है। एक और चाकलेट पाने के लिए १४ (५६—४५) बिस्कुट देने को तैयार है, परन्तु सातवाँ पाने के लिए केवल ९ (४५—३६) ही देने को तैयार है। ऊपर दिए हुए संयोगों को प्रस्तुत करने वाले बिन्दुओं को स्थापित करके और उनका प्रम मानकर हम C_1 तटस्थता वक्र प्राप्त करते हैं।

ऊपर दी हुई तालिका एक अधिमानों के अनुपात को प्रस्तुत करती है जो तटस्थता वक्र में दिखाए गए हैं। पर ऊँचे-नीचे बहुत से अनुपात हो सकते हैं और फिर प्रत्येक नई श्रेणी की सगत में एक दूसरा तटस्थता वक्र ही जाएगा। उदाहरणार्थ, वच्चे का प्रथम संयोग ५ चाकलेट और ५६ बिस्कुट था। परन्तु वह दोनों अधिक मात्रा में ले सकता है, अर्थात् ६ चाकलेट और ७० बिस्कुट अथवा ८ चाकलेट और ८० बिस्कुट इत्यादि। यह बिन्दु उपभोक्ता को एक से दूसरे ऊँचे तटस्थता वक्र


पर ले जाते हैं, जिसमें से प्रत्येक प्रथम वक्र की अपेक्षा अधिक लाभदायक स्थिति प्रस्तुत करते हैं। उमको उन कम लाभदायक संयोगो से ही सन्तुष्ट होना पडेगा जो कि नीचे वाले तटस्थता वक्र से प्रस्तुत होंगे। तटस्थता वक्रों के संयोगो को तटस्थता मानचित्र (Indifference Map) कहते हैं जैसा कि चित्र न० ११ में दिखाया गया है। तटस्थता मानचित्र इस विधि से तैयार किया जाता है कि वक्र C_2 वक्र C_1 की अपेक्षा अधिक ऊँची उपयोगिता प्रदर्शित करता है, प्रकार वक्र C_3 वक्र C_2 की अपेक्षा ऊँची उपयोगिता प्रदर्शित करता है।



चित्र न० ११

उपभोक्ता का साम्य (Consumer's Equilibrium)—तटस्थता वक्र, उपभोक्ता की मनोवैज्ञानिक पसन्द प्रदर्शित करते हैं। उपभोक्ता की पसन्द या अधिमान पर न तो उसकी आय का प्रभाव पडता है और न इच्छित वस्तुओं की कीमतों का ही प्रभाव पडता है। उपभोक्ता जो कुल न्य करेगा, उस सम्बन्ध में हमको केवल यही जानना है कि दोनों वस्तुओं पर कुल कितना व्यय किया जाने को है और उक्त दोनों वस्तुओं की कीमतें क्या हैं। पहले हम कीमत रेखा खींचते हैं जिसके भुजाव से दोनों वस्तुओं के मूल्यों के अनुपात का ज्ञान हो जाता है। कीमत रेखा दो मान्यताओं की धारणा पर खींची जाती है।

(१) दोनों वस्तुओं पर जो कुल व्यय किया जाने को है वह एक सा रहता है; और



चित्र न० १२


(२) दोनों वस्तुओं की कीमतें भी एक-सी रहती हैं।

अब हम पुन उसी बच्चे के बिस्कुट और चॉकलेट सम्बन्धी अधिमान का अध्ययन करेंगे। हम मान लेते हैं कि उसके पास द्रव्य की १२० इकाइयाँ हैं जिन्हे वह बिस्कुटो और चाकलेटा पर व्यय करना चाहता है। मान लीजिए कि बिस्कुट की कीमत द्रव्य की १ इकाई है और चॉकलेट की कीमत द्रव्य की १२ इकाइयाँ

हैं। यदि वह बच्चा अपना समस्त द्रव्य केवल बिस्कुटो पर ही व्यय कर देता है तो उसे

१२० बिस्कुट प्राप्त होंगे, किन्तु चॉकलेट बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इससे विपरीत यदि वह बच्चा समस्त द्रव्य चॉकलेटों पर ही व्यय करना चाहेगा, तो वह केवल १० चॉकलेट खरीद सकेगा। दोनों बिन्दुओं को मिला देने से हमको कीमत लाइन PQ प्राप्त हुई है जिसके भुजाव से दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात प्रकट हो जाता है (जिसे हमने समान मान लिया है) और इसीलिए PQ रेखा सम रेखा (straight line) है। ऊपर की दोनों स्थितियाँ अन्तिम और अत्यन्त असाधारण उपयोगों के उदाहरण थे। वस्तुतः समझदार उपभोक्ता मिला-जुला उपयोग रखना पसन्द करेगा। बात यह है कि उपयोग का स्वरूप कैसा भी हो, साम्य बिन्दु (point of equilibrium) कीमत रेखा पर ही रहेगा क्योंकि, जब दोनों वस्तुओं की कीमतें बरी रहती हैं और दोनों वस्तुओं पर कुल कितना द्रव्य व्यय किया जाने को है यह भी मालूम रहता है, तो फिर यह निश्चित ही है कि साम्य (equilibrium) की कोई भी स्थिति कीमत रेखा PQ पर ही रहेगी। उसी बिन्दु पर दोनों वस्तुओं पर व्यय होने वाली द्रव्य राशि व्यय होगी।

उपभोक्ता की साम्य स्थिति (equilibrium position) प्राप्त करने के लिए हमको अधिमानों की श्रेणी के ऊपर कीमत रेखा रखनी पड़ेगी। इसके लिए आप



CHOCOLATE'S

चित्र न० १३

रेखाचित्र न० १३ देखिए। जिन बिन्दु पर कीमत रेखा तटस्थता वक्र (indifference curve) को छूती है, वही पर उपभोक्ता की साम्य की स्थिति प्रकट होती है। इस चित्र में कीमत रेखा PQ स्पर्शी रेखा (tangent) है, जो तटस्थता वक्र C₂ को T बिन्दु पर छूती है। इसलिए उपभोक्ता का साम्य क्रम चॉकलेटों के सम्बन्ध में = OM (= NT), और बिस्कुटों के सम्बन्ध में ON = (MT), यह निश्चित है कि उपभोक्ता का साम्य बिन्दु तटस्थता वक्र C₂ पर ही पड़ेगा क्योंकि यह

वक्र दो वस्तुओं पर किए जाने वाले निश्चित व्यय को दिखाने वाला सबसे ऊँचा वक्र है। वक्र C₂ उपभोक्ता की पहुँच से परे है और वक्र C₁ वस्तुतः वक्र C₂ की अपेक्षा कम सकल उपयोगिता प्रदर्शित करता है। अतः निश्चित व्यय की परिधि में उपभोक्ता की सकल उपयोगिता वक्र C₂ पर अधिकतम है। यह प्रश्न किया जा सकता है कि तटस्थता वक्र C₂ पर, बिन्दु T ही क्योंकर साम्य बिन्दु है, अन्य कोई बिन्दु जैसे R क्यों नहीं। यद्यपि दोनों बिन्दु अर्थात् T और R सकल उपयोगिता प्रदर्शित करते हैं। फिर भी दोनों वस्तुओं अर्थात् बिस्कुटों और चॉकलेटों की समानतः उपयोगिताओं का अनुपात बिन्दु R पर वही नहीं है जो दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात है। जब तक दोनों अनुपातों में फर्क रहेगा, तब तक उपभोक्ता को अपने व्यय का पुनरीक्षण करने में लाभ है। साम्य में

$$\frac{X \text{ की सीमान्त उपयोगिता}}{Y \text{ की सीमान्त उपयोगिता}} = \frac{X \text{ की कीमत}}{Y \text{ की कीमत}}$$

अतः निष्कर्ष निकलता है कि केवल बिन्दु T ही साम्य बिन्दु हो सकता है क्योंकि उसी बिन्दु पर दोनों सीमान्त उपयोगिताएँ दोनों वस्तुओं के कीमत अनुपात के बराबर हैं (तटस्थता वक्र में बिन्दु T पर झुकाव देखिए)।

अतः कीमत रेखा (price line) और तटस्थता वक्र (indifference curve) के स्पर्श से हमको उपभोक्ता की साम्य स्थिति का पता लगता है। इसका यह अर्थ है कि साम्य में


$$\frac{X \text{ की सीमान्त उपयोगिता}}{Y \text{ की सीमान्त उपयोगिता}} = \frac{X \text{ की कीमत}}{Y \text{ की कीमत}}$$

४ तटस्थता वक्रिय विश्लेषण वस्तुतः मार्शल के माँग विश्लेषण से अधिक विश्वसनीय है (Superiority of Indifference Curve Analysis to the Marshallian Demand Analysis)—निम्नलिखित आधारे पर तटस्थता वक्रिय विश्लेषण, मार्शल (Marshall) के माँग विश्लेषण से अधिक विश्वसनीय है—(१) तटस्थता वक्रिय विश्लेषण (indifference curve analysis) का एक लाभ यह बताया जाता है कि हम बिना यह माने हुए कि उपयोगिता का आधारतः माप किया जा सकता है, उपभोक्ता की पसन्द की समस्या को हल कर सकते हैं। तटस्थता वक्रिय विश्लेषण की सहायता से केवल यह जान लेना आवश्यक है कि उपभोक्ता कौनसा संयोग अधिक पसन्द करता है, जब कि मार्शल (Marshall) के माँग विश्लेषण में यह भी जानना आवश्यक है कि उपभोक्ता एक संयोग को दूसरे संयोग की अपेक्षा कितना अधिक चाहता है। बिना यह ज्ञात किए हुए हम उपभोक्ता की मन स्थिति (behaviour) का पता नहीं लगा सकते और चूँकि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता अतः तटस्थता वक्र (indifference curve) का विश्लेषण, मार्शल (Marshall) के माँग विश्लेषण से अधिक उपयुक्त और विश्वसनीय है क्योंकि उसमें उपयोगिता को मापने की आवश्यकता ही नहीं है।

(२) तटस्थता वक्रिय विश्लेषण के सहारे हमको माँग के सामान्य सिद्धान्त का पूर्ण निरूपण मिल जाता है जबकि मार्शल के उपयोगिता सम्बन्धी विश्लेषण से हमको माँग के सिद्धान्त का उतना पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता। मार्शल के विश्लेषण में एक दोष यह है कि यह इस धारणा पर आश्रित करता है कि उपभोक्ता के द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता समान रहती है, अतः कीमतों में परिवर्तन केवल यह फल उत्पन्न करता है कि वस्तुएँ आपस में भिन्न शर्तों और दरों पर अदली-बदली जाती हैं। फिर भी कीमतों में परिवर्तन होने से दो फल निकलते हैं—प्रथमतः, वास्तविक आय (real income) में अन्तर हो जाता है और द्वितीयतः जिन दरों या शर्तों पर वस्तुओं का परस्पर विनिमय होता है उनमें परिवर्तन हो जाता है। जब किसी वस्तु की कीमत गिर जाती है, इसका यह अर्थ लिया जाता है कि उपभोक्ता अपनी आय में अधिक वस्तु खरीद सकता है या यह कहिए कि वह उसी माल को कम कीमत पर खरीद सकता है, इस प्रकार उसकी वास्तविक आय (real income) बढ़ जाती है। इसको आय-सम्बन्धी

प्रभाव (income effect) कहते हैं और मार्शल के विश्लेषण में दूसरा दोष यह है कि मार्शल यह मान लेता है कि जब किसी एक वस्तु की कीमत गिरती है तो अन्य वस्तुओं का उस वस्तु के मुकाबिले में विनिमय अभिनत (tilted) हो जाता है और इसीलिए कीमत गिरी हुई चीज की माँग बढ़ जाती है। इसको कीमतों की गिरावट का प्रतिस्थापन प्रभाव (substitution effect of price fall) कहते हैं। इस प्रकार किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के दो प्रभाव होते हैं। एक प्रभाव है आय सम्बन्धी प्रभाव (income effect) और दूसरा प्रभाव है प्रतिस्थापन प्रभाव (substitution effect)। चूँकि मार्शल (Marshall) का माँग सम्बन्धी विश्लेषण इस आधार पर खड़ा है कि द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता समान रहती है, अतः वह आय सम्बन्धी प्रभाव (income effect) को नहीं मानता। इसीलिए मार्शल (Marshall) का विश्लेषण ठीक नहीं जँचता।

हम नीचे के चित्र १४ में आय सम्बन्धी प्रभाव (income effect) और प्रतिस्थापन प्रभाव (substitution effect) वक्रीय चित्र देखेंगे।



यदि दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं और उपभोक्ता की द्रव्य की आय बढ़ जाती है तो इसको एक नई कीमत रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा जो मौलिक रेखा के दाहिनी ओर समानान्तर होगी। Fig (A) देखिए। प्रारम्भ में उपभोक्ता का साम्य T बिन्दु पर था, किन्तु द्रव्य सम्बन्धी आय में वृद्धि के साथ जो नई कीमत रेखा P'Q' से दिखाई गई है, उपभोक्ता उच्चतर तटस्थता वक्र C₃ तक पहुँच जाता है। यदि उसकी आय में और अधिक वृद्धि होती है तो नई कीमत रेखा P'Q'' बन जाती है, और तब उपभोक्ता के साम्य की स्थिति तटस्थता वक्र C₄ के बिन्दु T''' पर जा पहुँचती है। अब यदि हम T, T', T'', T''' को मिला देते हैं तो हमको आय-उपभोग वक्र (income consumption

-curve) प्राप्त होता है। इस आय-उपभोग वक्र पर हम देखेंगे कि उपभोक्ता की आय के अन्तर का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, (यह मानते हुए कि दोनों वस्तुओं की कीमतें समान रही हैं)। आमतौर पर यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो वह पहले की अपेक्षा अधिक खरीदना चाहता है, बशर्ते कि कोई खास चीज उसकी निगाह में अब बहुत ही घटिया दर्जे की न बनने लगी हो।

चित्र B में कीमत उपभोग वक्र दिखाया गया है। यह चित्र किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु के उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ता है यही दिखाता है। इस चित्र में कीमत रेखा PQ' वस्तु X की कम कीमत दिखाती है बनिस्बत PQ कीमत रेखा के। (इसका अर्थ यह हुआ कि यदि उपभोक्ता अपनी सारी आय X वस्तु पर ही व्यय करना चाहे, तो वह OQ' खरीद सकेगा न कि OQ जबकि X की कीमत गिर जाती है)। और PQ'' तो X वस्तु की और भी कम कीमत बताता है। दूसरी स्थिति में उपभोक्ता का साम्य (Consumer's equilibrium) बिन्दु T' पर है। यही पर नई कीमत रेखा PQ' , तटस्थता वक्र C_2 को स्पर्श करती है। इसी प्रकार यदि X वस्तु की कीमत और भी गिर जाती है तो साम्य (equilibrium) की नई स्थिति बिन्दु T'' पर होगी। अब बिन्दु P, T, T', T'' को मिला देने से हमको कीमत उपभोग वक्र प्राप्त होगा।

तटस्थता वक्र के विश्लेषण से हमको यह जानने में सहायता मिलती है कि कीमत प्रभाव (price effect) एक तो प्रतिस्थापन प्रभाव (substitution effect) और आय प्रभाव (income effect) से मिलकर बनता है। मान लीजिए कि नई कीमत रेखा PQ है, और उपभोक्ता की साम्य स्थिति बिन्दु T' पर आती है। इसका यह अर्थ हुआ कि आय प्रभाव (income effect) बिन्दु T से हटकर बिन्दु M तक जा पहुँचा। और अब यदि यह M से T तक पहुँचेगा तो ऐसा प्रतिस्थापन प्रभाव (substitution effect) के प्रभाव में होगा।

(३) चूँकि तटस्थता वक्रों का विश्लेषण (indifference curve analysis) से मार्शल (Marshall) की मान्यता, अर्थात् माँग वक्र पर द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता समान रहती है¹ गलत सिद्ध हो जाता है, अतः तटस्थता वक्रों का विश्लेषण से "उपभोक्ता की बचत" के सिद्धान्त पर भी नया प्रकाश पड़ता है, जिस और डा० हिक्स (Dr. Hicks) ने नए परिणाम निकाले हैं।

५ प्रतिस्थापन की सीमान्त दर (Marginal Rate of Substitution)—
एक वस्तु की कितनी मात्रा दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा से प्रतिस्थापन की जाती है अथवा किस दर पर हम एक वस्तु का दूसरी वस्तु से प्रतिस्थापन करते हैं? इसका उत्तर प्रतिस्थापन की सीमान्त दर से मिलता है—इस विचार को डा० हिक्स (Dr. Hicks) और प्रो० आर० जी० एलन (Prof R G Allan) ने प्रस्तुत किया।² मान लीजिए कि अ के पास मिठाई है और ब के पास फल और दोनों ही तबादला करना चाहते हैं। विनिमय-अनुपात एक वस्तु की वह मात्रा होगी जो कि

1 "Along the demand curve, the marginal utility of money income remains constant — Marshall

2 Hicks Values and Capital, 1946, Ch 1, p 20

दूसरी वस्तु के लिए विनिमय में दी जाएगी जैसे मिठाई की जगह फल । परन्तु विनिमय तभी होगा जबकि घ, व दो वस्तुओं का अनुपात प्रथम सीमान्त उपयोगिताएँ भिन्न हों । जब तक कि सीमान्त उपयोगिता के अनुपात भिन्न न हों, विनिमय नहीं हो सकता । इस अनुपात को प्रतिस्थापन की सीमान्त दर (marginal rate of substitution) कहते हैं । हिक्स (Dr Hicks) के शब्दों में, 'हम घ को ब म प्रतिस्थापन की सीमान्त दर की परिभाषा ब की उस मात्रा से कर सकते हैं जो उपभोक्ता को घ की सीमान्त इकाई की हानि के लिए सन्तुलित करती है ।' वास्तव में यह घ की ब में सम्बन्धित सीमान्त उपयोगिता है । विभाग ३ म दी हुई तटस्थता अनुमूर्चों में ब्रका १ अधिक चॉकलेट (२ के बजाय ३) लेने के लिए तथा २१ बिस्कुट (११४ के बजाय १३) देने के लिए तैयार है । प्रतिस्थापन की सीमान्त दर १ २१ है । इस के बाद वह एक चॉकलेट के लिए १८ (१३-७५) बिस्कुटों का त्याग करने को है और इसलिए प्रतिस्थापन दर १ १८ है और इसी तरह घागे भी प्रतिस्थापन की सीमान्त-दर सदैव गिरती रहती है ।

प्रतिस्थापन की सीमान्त दर एक उपभोक्ता को किसी वस्तु की कुछ इकाइयों को दूसरी की कुछ इकाइयों से प्रतिस्थापन करने योग्य बनाती है, जिससे कि वह साम्य (equilibrium) प्रथित अधिकतम लाभ की स्थिति तक पहुँच सके । यह बतलाया जाता है कि 'एक व्यक्ति का किसी समय पर लागू मूल्यों की पद्धति के प्रति अभी साम्य हो सकता है जबकि किन्हीं दो वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात उन दोनों के बीच की सीमान्त प्रतिस्थापन दर को बराबर कर देता है, अन्यथा, उस विनिमय मण्डी की दर पर, उसके लिए यह लाभदायक होगा कि वह किसी वस्तु के एक भाग को दूसरे के सामान्य मूल्य के लिए प्रतिस्थापन करे ।'¹

प्रतिस्थापन की सीमान्त दर इस प्रकार निर्दिष्ट की जा सकती है—अध्याय ४, विभाग २, में दी हुई तालिका पर विचार करो । यह मान लिया गया है कि द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता स्थिर है । मान लिया कि द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता प्रत्येक रूप्य की सन्तुष्टि की ३० इकाइयों के बराबर है । यदि हमारा उपकल्पित उपभोक्ता दो के बजाय तीन सेबों का उपभोग करता है तो कुल उपयोगिता ३८ से बढ़कर ५३ इकाइयाँ हो जाती हैं अर्थात् १५ इकाइयों की वृद्धि होती है । यह छोट घाने के व्यय के बराबर है (३० इकाइयाँ=१ रुपया, १५ इकाइयाँ=८ घाने के) । यह प्रतिस्थापन की सीमान्त दर है । 'प्रतिस्थापन की सीमान्त दर द्रव्य की वह मात्रा है जो कि उस वस्तु की एक इकाई के बराबर की सन्तुष्टि देगी ।'² हम यह भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु के द्रव्य के लिए प्रतिस्थापन की सीमान्त दर के बराबर है जब तक कि प्रचलित मूल्य इस सीमान्त दर से कम है तब तक उस वस्तु के उपभोग को बढ़ाना उपभोक्ता के लिए स्पष्ट रूप से लाभदायक है ।

1 Briggs and Jordan Text Book of Economics (1935) p 94

2 'The marginal rate of substitution is the sum of money which will afford the same satisfaction as one unit of the commodity in question --Boulding K.L. Economic Analysis (1949) p 618

हमको मार्शल (Marshall) के उपयोगिता के विचार को परेटो के विचार (Paretian notion) से विभेद करना चाहिए। मार्शल (Marshall) ने वस्तु के आन्तरिक गुणों को सोचा जिसके कारण यह मन्तुष्टि देती है। इसका कोई भी सम्बन्ध किसी अन्य दूसरी वस्तु से नहीं है। यह निरपेक्ष (absolute) उपयोगिता का विचार है जबकि परेटो (Pareto) का विचार सापेक्ष (relative) है। वह किसी वस्तु की उपयोगिता को किसी दूसरी वस्तु की उन इकाइयों के सम्बन्ध में मानता है जो वस्तु की हानि को पूरा करती है। इस प्रकार प्रतिस्थापन की सीमान्त दर परेटो (Pareto) के उपयोगिता के विचार पर आधारित है। यह अधिक वैज्ञानिक है क्योंकि यह उपयोगिता के मात्रिक (quantitative) माप की आवश्यकता अथवा सम्भावना को त्याग देता है।

६ प्रतिस्थापन नियम का व्यावहारिक महत्त्व (Practical Importance of the Law of Substitution)—प्रतिस्थापन के नियम का विस्तृत उपयोग हो सकता है। समय की उपयोगिता, विभिन्न रूपों में आस्तियों के वितरण तथा विभिन्न कामों के लिए स्रोतों के बटन में इसको लागू किया जाता है। इस नियम को द्रव्य के मौजूदा और भविष्य के उपभोग में भी लागू कर सकते हैं, अर्थात्, वर्तमान व्यय करना तथा भविष्य के लिए बचाना। यह नियम अर्थशास्त्र के सिद्धान्त की प्रत्यक्ष शाखा में लागू होता है।

यह उपभोग में लागू होता है (It Applies to Consumption)—प्रत्यक्ष उपभोगता, यदि वह बुद्धिमान है, तो वह अपने सीमित साधनों से अधिकतम मन्तुष्टि लेना चाहता है। उस लक्ष्य के अनुसार अपने व्यय की व्यवस्था करते समय उसको कम उपयोगिता रखने वाली वस्तु के लिए अधिक उपयोगिता रखने वाली वस्तु का प्रतिस्थापन करना चाहिए, जब तक कि सीमान्त उपयोगिताएँ बराबर न हो जाएँ।

उत्पादन में इसका प्रयोग (Its Application to Production)—धरापारी तथा निर्माता के लिए यह नियम अधिक महत्त्व रखता है। वह लगाए हुए उत्पादन के साधनों का अति उत्तम मितव्ययी संयोग प्राप्त करना चाहता है। इस अभिप्राय से वह एक साधन का दूसरे के लिए प्रतिस्थापन करेगा जिससे कि उनकी सीमान्त उत्पादकता (marginal productivity) समान हो जाए।

विनिमय में इसका प्रयोग (Its Application to Exchange)—हमारे सभी प्रकार के विनिमय में यह सिद्धान्त लागू होता है क्योंकि विनिमय एक वस्तु का दूसरे के लिए केवल प्रतिस्थापन ही है।

इस सिद्धान्त का मूल्य के निर्धारण से महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध है। जब किसी वस्तु की कमी होती है, तो प्रतिस्थापन नियम हमारी सहायता करता है। हम अधिक दुर्लभ (scarce) वस्तु के बदले कम दुर्लभ वस्तु का प्रतिस्थापन करने लगते हैं। इस प्रकार दूसरे की दुर्लभता कम हो जाती है और उसका मूल्य घट जाता है।

इसका वितरण में प्रयोग (Its Application to Distribution)—वितरण में हमारा सम्बन्ध उत्पादन के भिन्न भिन्न साधनों के तत्सम्बन्धी अंशों अर्थात् लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ के निर्धारण से है। ये हिस्से सीमान्त उत्पादकता

के सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित होते हैं। उत्पादन के प्रत्येक साधन का प्रयोग उद्यमी (entrepreneur) द्वारा लाभ की सीमा तक पहुँचाया जाता है और प्रत्येक स्थिति में सीमान्त उत्पादन बराबर होता है। यदि यह बराबर नहीं हो तो प्रतिस्थापन नियम उसकी सीमान्त उत्पादकता बराबर कर देता है। प्रतिस्थापन नियम इसी भाँति राष्ट्रीय वित्त (national dividend) का उत्पादन के भिन्न-भिन्न साधनों में वितरण करने के क्षेत्र में लावायक सिद्ध होता है।

इस प्रकार प्रतिस्थापन नियम का प्रयोग हमारे आर्थिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। यह आर्थिक सिद्धान्त की प्रत्येक शाखा में व्यावहारिक एवं मौखिक महत्त्व रखता है।

७ प्रतिस्थापन नियम की सीमाएँ (Limitations of the Law of Substitution)—प्रत्येक आर्थिक नियमों की भाँति यह नियम भी एक प्रवृत्ति (tendency) का विवरण है। लोगों का वास्तविक व्यवहार इस नियम के विरुद्ध हो सकता है। ऐसा नोचे दी हुई सीमाओं के कारण हो सकता है—

(१) प्रतिस्थापन नियम में पाने वाली सन्तुष्टि की गणना सावधानी से करनी पड़ती है और इस सन्तुष्टि की तुलना व्यय किए हुए द्रव्य तथा उस सन्तुष्टि से करनी होती है, जो कि इसी द्रव्य को किसी दूसरी ओर व्यय करने से हो सकती है। परन्तु हम में से कितने ऐसी उत्तम गणना करने योग्य हैं और कितने ऐसा करने के हेतु धैर्य तथा योग्यता रखते हैं? क्या हम सब ऐसे बुद्धिमान तथा गणना करने में दक्ष हैं? वास्तव में हमारा अधिकांश व्यय हमारे स्वभाव पर निर्भर है। हम न तो इसकी गणना सचेत रूप से करते हैं और न सावधानी से उपयोगिताओं की तुलना करते हैं।

सिर्फ अधिक व्यय करने में एक समझदार आदमी कुछ सोच-विचार करता है और उसका व्यय अधिकतम सन्तुष्टि के नियम के अनुसार होता है।

अधिक से अधिक हम यह कह सकते हैं कि समस्त विचारयुक्त तथा विवेकशील युद्ध सचेत या अचेत रूप में इस नियम का पालन करते हैं। जैसा कि चैपमैन (Chapman) ने कहा है—“हम प्रतिस्थापन नियम अथवा सम-सीमान्त व्यय नियम के अनुसार अपनी आय का वितरण करने में उस प्रकार विवश नहीं होते, जिस प्रकार कि पत्थर का टुकड़ा वायु में फेंके जाने पर भूमि पर गिरने के लिए एक प्रकार से विवश हो जाता है, परन्तु हम वास्तव में ऐसा एक वेदने रूप से करते हैं क्योंकि हम समझ बूझ से काम लेते हैं।”¹

(२) उपभोगता का अज्ञान भी इस नियम के विरुद्ध एक और सीमा है। हो सकता है कि वे विकल्पों के दूसरे उपयोगों को जानते ही नहीं। इसीलिए ज्ञापक प्रतिस्थापन नहीं होता और शायद प्रतिस्थापन नियम (law of substitution) लागू नहीं होता।

1 'We are not, of course compelled to distribute our incomes according to the Law of Substitution or Equal marginal Expenditure, as a stone thrown into the air is compelled, in a sense to fall back to the earth but as a matter of fact, we do in a certain rough fashion, because we are reasonable'

—Chapman. *Outlines of Political Economy*, p. 48

(३) मनुष्य कभी कभी रीति-रिवाजों अथवा फैशन के अधीन हो जाते हैं और सही उपभोग करने योग्य नहीं रहते। जब तक उपभोक्ता स्वयं समझदार न होगा, वह एक वस्तु के स्थान पर दूसरी उपयोगिता को समझ ही नहीं सकता, यह भी इस नियम के मार्ग में एक सीमा है।

(४) एक और सीमा इसलिए लागू हो जाती है क्योंकि वस्तुओं का छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजन नहीं हो सकता, जिससे कि उपभोक्ता सीमान्त उपयोगिताओं को समान कर सके। वास्तविक व्यवहार में सीमान्त उपयोगिताएँ समान की ही नहीं जा सकती, अतः प्रतिस्थापन का नियम केवल सैद्धान्तिक ही रह जाता है।

(५) व्यक्तियों का कोई निश्चित आय व्ययक (Budget) काल नहीं है। यदि एक निश्चित समय भी है तो भी इस सिद्धान्त का लागू होना उपभोग की हुई वस्तुओं की स्थिरता की भिन्न-भिन्न मात्राओं के कारण कठिन है। एक स्थायी वस्तु कई क्रमिक लेखा किये हुए काल में उपभोग की जा सकती है।

(६) अन्त में सम-सीमान्त उपयोगिता नियम (law of equ-marginal utility) की सन्तुष्टि तभी होगी जबकि उपभोग की हुई वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिता तथा उनकी कीमतों के बीच में अनुपात हो। इस प्रकार

$$\frac{\text{क की सीमान्त उपयोगिता}}{\text{क की कीमत}} = \frac{\text{ख की सीमान्त उपयोगिता}}{\text{ख की कीमत}} = \text{ग}$$

जब तक $\text{ग} = 1$ नहीं होगा, नियम की सन्तुष्टि न होगी। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उपभोक्ता एक वस्तु की सीमान्त उपयोगिता तथा उसकी कीमत बराबर करें।

८. उपभोक्ता के अधिमान (Consumer's Preferences)—पिछले अनुच्छेद में हमने यह कहा था कि उपभोक्ता क्या कर सकता है या क्या नहीं। यहाँ पर उपभोक्ता की पसन्दों या अधिमानों के बारे में कुछ कहना असम्भव न होगा। जिस सप्ताह में हम रहते हैं, चुनाव जरूरी है। अर्थशास्त्र में हम मान लेते हैं कि उपभोक्ता अपनी अभिरुचि, लाभ तथा त्याग का उचित विचार सचेत गणना करके करता है। अतएव हम मान लेते हैं कि उपभोक्ता प्रेरणा, स्वभाव, रीति-रिवाज तथा आलस्य से प्रभावित नहीं होता। हम यह भी मान लेते हैं कि प्रत्येक उपभोक्ता पर्याप्त समय यह सोचने में लगाता है कि वह एक वस्तु खरीदे या नहीं और खरीदे तो कितनी? वह सबसे सस्ती दुकान खोजने तथा अच्छा सौदा करने की मेहनत से पीछे नहीं हटता। हम यह सब इस कारण मानते हैं कि अन्यथा आर्थिक सामान्य अनुमान (economic generalisations) असम्भव हो जायेंगे। तब अर्थशास्त्री भिन्न-भिन्न आर्थिक क्षेत्रों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के योग्य नहीं रहेगा।

परन्तु हमको यह न भूल जाना चाहिए कि उपभोक्ताओं की अभिरुचि वास्तव में विवेकपूर्ण नहीं होती। अधिक मनुष्य वस्तुओं को स्वभाव तथा केवल अनुकरण के आधार पर ही खरीदते हैं। उपभोक्ताओं की अभिरुचि की कुछ भी प्रकृति हो तो भी वह हमारी आर्थिक पद्धति में निश्चित करने वाला साधन है।

उपभोक्ता की बचत (Consumer's Surplus)

६ अर्थ (Meaning)—मार्शल ने उपभोक्ता की बचत का विचार सबसे प्रथम प्रस्तुत किया। उनका विचार उस बात के उचित वर्णन करने का था जिससे यह उपभोक्ता परिचित है।

हमारी मानाग्य खरीद-वैच में भी, कुछ न कुछ उपभोक्ता की बचत होती है क्योंकि जो हम बाजार में खरीद करते हैं उससे ज्यादा खरीद करने के लिए तैयार रहते हैं, विशेषकर उन वस्तुओं के खरीदने में जो विशेष लाभदायक तथा सस्ती होती हैं, उदाहरणार्थ फोन्ट काब्रे, मन्दवार दिशामलाई, नमक आदि। यदि कोई विकल्प ही न हो, तो उनके लिए हम जो कुछ देते हैं उनसे कहीं अधिक देने को तैयार हो जायेंगे। जो अतिरिक्त सन्तुष्टि हम पाते हैं, उसी को उपभोक्ता की बचत (Consumer's surplus) कहते हैं।

मार्शल के शब्दों में, 'किसी वस्तु के उपभोग से बचिन रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो बीमन देने को तैयार है और जो कि वह वास्तव में देता है उसका अन्तर ही हम अतिरिक्त सन्तुष्टि की आर्थिक माप है। इसको उपभोक्ता की बचत कह सकते हैं।'¹

मार्शल ने, उपभोक्ता की बचत = जो कुछ हम देने को तैयार हैं, उसमें से जो कुछ हम बाजार में दत हैं उसको घटाकर जो कुछ बचता है, वही उपभोक्ता की बचत है। भाष्य हम यह बताने का प्रयत्न करें कि मूल्य उपभोगिता (total utility) और वस्तुविक्रय दाय के बीच का फर्क ही उपभोक्ता की बचत है।

१० उपभोक्ता की बचत तथा घटती हुई उपभोगिता का नियम (Consumer's Surplus and the Law of Diminishing Utility)—उपभोक्ता की बचत का सिद्धान्त आह्लासी उपभोगिता के नियम से निकलता है। अध्याय ४, विभाग २ में तात्त्विक की देखिए।

मान लीजिए कि प्रत्येक सेब का मूल्य बाजार में १ पैसा है। उपभोक्ता उस सोमा तक सेब खरीदता जाएगा जहाँ तक कि उसकी सीमान्त उपभोगिता मूल्य के बराबर हो जाए। इस नीति वह ५ सेब खरीदेगा और प्रत्येक के लिए १ पैसे देगा। (उपभोगिता की एक इकाई एक पैसे के बराबर मान ली गई है)। इस प्रकार वह कुल ३० पैसे व्यय करेगा परन्तु ५ सेबों से उसकी कुल उपभोगिता ७० पैसों से मापा जाती है। इस नीति वह ४० पैसों के बराबर उपभोक्ता की बचत प्राप्त करता है। यह प्रवृत्ति इस कारण है कि उसने अपने उपभोग से बचिन रहने की अपेक्षा ७० पैसे दे दिए होते परन्तु वह वास्तव में ३० पैसे ही

1 "The excess of the price which he (a consumer) would be willing to pay rather than go without the thing over that which he actually does pay is the economic measure of this surplus satisfaction. It may be called Consumer's Surplus." —Marshall


"For later refinements in the concept of Consumer's Surplus, reference may be made to Rich's article on "The Generalized Theory of Consumer's Surplus" in the "Review of Economic Studies," (1945-46), Vol. XIII (2), No 34.

देता है। यदि मूल्य ११ पैसे हो जाता है तो वह ४ सेब खरीदेगा और ४४ पैसे देगा जब कि कुल उपयोगिता ६४ पैसे के बराबर है। इससे उसको २० पैसे के बराबर उपभोक्ता की बचत मिलेगी और इसी प्रकार आगे होगा।

नीचे उपभोक्ता की बचत का रेखाचित्र द्वारा निरूपण किया गया है —

OX पर वस्तु की खरीदी जाने वाली इकाइयाँ मापी गई हैं और OY पर द्रव्य में उपयोगिता मापी गई है, जिसका अर्थ उस मूल्य से है जो उपभोक्ता, वस्तु की किसी विशिष्ट इकाई के उपभोग की अपेक्षा देने को तैयार है।

यदि प्रचलित कीमत PM है तो उपभोक्ता M इकाई तक खरीदेगा। वह OM मात्रा खरीदेगा। ऐसा इस कारण है कि इस राशि पर उसकी सीमान्त उपयोगिता मूल्य के बराबर है। परंतु उस की पहली इकाइयों की सीमांत उपयोगिता PM से अधिक है। उदाहरणार्थ M इकाई की सीमान्त उपयोगिता PM है परंतु वह इस इकाई के लिए दूसरी इकाइयाँ की भाँति केवल (PM = P M)



चित्र न० १५

प्रचलित मूल्य ही देता है। इस प्रकार M इकाई के लिए P P के बराबर अधिक उपयोगिता प्राप्त करता है। यह उस इकाई की उपभोक्ता की बचत है। इस प्रकार जब OM इकाई P M मूल्य पर खरीदी जाती है तो जो उपभोक्ता की कुल बचत उसको मिलती है वह रंग हुए क्षेत्र U A P से दिखाई गई है। यदि प्रचलित कीमत P M तक बढ़ जाती है तो वह केवल OM मात्रा ही खरीदेगा और उपभोक्ता की बचत एक छोटे त्रिभुज UA P तक गिर जाएगी।

उपभोक्ता की बचत इसलिए होती है कि कुछ खरीदार सीमांत होते हैं तथा दूसरे नहीं। वह खरीदार जो सीमांत खरीदार के ऊपर हैं, बचत प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार एक उपभोक्ता सीमा के भीतर के द्रव्य में अर्थात् वह रुय जो सीमान्त नहीं है, बचत प्राप्त करता है।

उपभोक्ता की बचत की गणना करने में हम परिपूर्ण बाजार (perfect market) की अर्थात् प्रत्येक इकाई के लिए समान कीमत की कल्पना कर लेते हैं। यदि किसी उपभोक्ता के लिए कीमत में अंतर हो अर्थात् पहले की इकाइयों के लिए अधिक कीमत तथा क्रमिक इकाइयों के लिए कम कीमत ली जाए तो परिपूर्ण बाजार की अपेक्षा वस्तु की उसी ही मात्रा के लिए उसको अधिक दना होगा। इस प्रकार भिन्न भिन्न कीमत वाले बाजार की अपेक्षा पूरा बाजार में न्यून करने से बचत प्राप्त होगी।

११ क्या उपभोक्ता की बचत मापी जा सकती है? (Can Consumer's

Surplus Measured ?)—ऐसा मालूम होता है कि यह मापी जा सकती है। हमने ऊपर स्पष्ट कर दिया था कि उपभोक्ता की बचत, जो कुछ हम उपभोग से बचित रहने की अपेक्षा देने को तैयार हैं, तथा जो कुछ वास्तव में देते हैं, दोनों का अन्तर है, अथवा यह नीचे दिए हुए सूत्र से निर्द्वय किया जा सकता है—

उपभोक्ता की बचत = सबल उपयोगिता—मूल्य \times त्रय की हुई इकाइयों की मर्यादा।

यह कितना साधारण प्रतीत होता है।

किन्तु उपभोक्ता की बचत की माप इतनी साधारण नहीं है। उपभोक्ता की बचत को ठीक-ठीक माप के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(१) माँग की कीमतों की पूर्ण सूची प्राप्य नहीं है (A Complete List of Demand Prices is not available)—हम केवल माँग अनुसूची (demand schedule) के एक भाग को ही जानते हैं। क्योंकि हम यह नहीं जानते कि प्रत्येक इकाई के लिए हम कितना देने को तैयार होंगे, इसलिए उपभोक्ता की बचत निर्दिष्ट नहीं की जा सकती। तो भी वास्तविक जीवन में हम माँग अनुसूची के उस भाग से सम्बन्ध रखते हैं जिससे हम भली भाँति परिचिन हैं।

(२) उपभोक्ता की बचत आवश्यकताओं तथा नैतिक अनिवार्यताओं में असीमित और अमापनीय है। आवश्यक तथा नैतिक अनिवार्यताओं में से कोई निश्चित सन्तुष्टि नहीं मिलती। उनकी सन्तुष्टि से केवल कुछ दूर होता है और कोई आनन्द नहीं मिलता। पेंटेन (Patten) इसको 'दुःखमय' अर्थ-व्यवस्था (pain economy) कहते हैं। जब आवश्यक अनिवार्यताओं की सन्तुष्टि हो जाती है तभी उपभोक्ता की बचत का प्रश्न उठ सकता है। इस अवस्था में जिसको पेंटेन (Patten) 'आनन्दमय' अर्थ-व्यवस्था (pleasure economy) कहते हैं, उपभोक्ता की बचत होती है।

(३) उपभोक्ताओं की स्थिति भिन्न होती है (Consumers' Circumstances vary)—कुछ उपभोक्ता धनी तथा कुछ निर्धन होते हैं। एक धनी पुष्ट किसी वस्तु के लिए उसका उपभोग से बचित रहने की अपेक्षा कहीं अधिक देने को तैयार रहता है। उपभोक्ताओं की स्थिति में इस भिन्नता से उपभोक्ता की बचत मापने में कठिनाई होती है। इस कठिनाई को ओसत निकालने में दूर किया जा सकता है। जब धनी तथा निर्धन, अधिक खरीदार होने हैं, तब व्यक्तिगत स्थितियों के अन्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।

(४) उपभोक्ताओं की चेतना भिन्न है (Consumers Differ in Sensibilities)—प्रत्येक उपभोक्ता की भिन्न भिन्न रुचि तथा चेतना (sensitivity) होती है। कुछ दूसरों की अपेक्षा एक वस्तु को पाने के बहुत उत्सुक होते हैं तथा उनके लिए अधिक देने को तैयार रहते हैं।

(५) द्रव्य की सीमागत उपयोगिता में परिवर्तन होता रहता है (Marginal Utility of Money Changes)—जैसे-जैसे हम किसी वस्तु को खरीदते जाते हैं, हमारे पास द्रव्य की मात्रा कम होती जाती है। इसलिए द्रव्य की प्रत्येक इकाई की

सीमान्त उपयोगिता बढ़ जाती है। परन्तु जब हम उपभोक्ता की बचत (Consumer's surplus) मापते हैं तो हम द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता में इस परिवर्तन का ध्यान नहीं रखते। इस आक्षेप के उत्तर में हम कह सकते हैं कि वास्तविक व्यवहार में हम अकेली वस्तु के खरीदने में केवल थोड़ी मात्रा में ही द्रव्य व्यय करते हैं। अतएव द्रव्य की सीमान्त उपयोगिताओं में परिवर्तन बहुत ही कम होता है।

(६) एक और कठिनाई यह है कि एक वस्तु के क्रय में प्रत्यक्ष वृद्धि के साथ पहली क्रय की हुई इकाइयों की आवश्यकता घट जाती है तथा उपयोगिता कम हो जाती है। जब हम उपभोक्ता की बचत मापते हैं तो पहली इकाइयों की उपयोगिता की इस कमी का ध्यान नहीं रखते। उपभोक्ता की बचत ठीक-ठीक मापने के लिए यह संकेत किया जाता है कि पहली इकाइयों की माँग के मूल्य की सूची को लगातार बदलना चाहिए। यह आक्षेप सही होता यदि प्रत्यक्ष इकाई के सामन की लिखी हुई उपयोगिता औसत होती न कि अतिरिक्त उपयोगिता। केवल औसत हर पग पर बदलता है न कि अतिरिक्त उपयोगिता।

(७) फिर प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपस्थिति के कारण भी कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। यह पहले ही बताया गया है कि उनकी उपयोगिता की माप में कैसे कठिनाई उपस्थित हो जाती है।¹ इस कठिनाई को दूर करने के लिए चाय और कॉफी जैसी दो प्रतिस्थापन वस्तुओं को एक मान लेना चाहिए जैसा कि मार्शल ने बताया है।

(८) विशिष्टता के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएँ (Commodities used for distinction)—हीरा जैसी वस्तुओं की कीमत में कमी से माँग में वृद्धि न होगी। जब ऐसी वस्तुएँ सस्ती हो जाती हैं तो वे उपभोक्ता के लिए कोई श्रेष्ठता का भाव नहीं रखती। अतएव उनकी माँग गिर सकती है। इसलिए ऐसी स्थितियों में कीमत में कमी होने से उपभोक्ता की बचत नहीं बढ़ेगी।

इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उपभोक्ता की बचत का ठीक ठीक मापना असम्भव है। परन्तु इस कारण उपभोक्ता की बचत की धारणा व्यर्थ नहीं है। व्यावहारिक जीवन में, चाहे वह व्यवसाय से या सार्वजनिक वित्त से सम्बद्ध हो, उपभोक्ता की बचत की माप के बारे में एक मोटा तथा कार्यपुक्त विचार हम सदैव ही बना सकते हैं।

१२ उपभोक्ता की बचत की आलोचना (Criticism of Consumer's Surplus)—केनन (Cannan), निकलसन (Nickolson), रॉबिन्सन (Robinson) तथा डेविनपोर्ट (Davenport) जैसे अर्थशास्त्रियों ने उपभोक्ता की बचत के सिद्धान्त की बड़ी आलोचना की है। इसके वैज्ञानिक लक्षण पर यह आक्षेप लगाया गया है कि यह ऐसी कल्पनाओं पर आधारित है जो अनुचित हैं। इसका माप करने में हम यह कल्पना कर लेते हैं कि उपयोगिताएँ ठीक-ठीक मापी जा सकती हैं और द्रव्य में बदली जा सकती हैं। यह भी मान लिया जाता है कि किसी वस्तु की

भिन्न भिन्न इकाइयों की भिन्न भिन्न उपयोगिताएँ होती हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता निरक्षेप (absolute) समझ ली गई है जो कि वह वास्तव में नहीं है। यह भी मान लिया जाता है कि द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता स्थिर रहती है। जब हम द्रव्य व्यय करते जाते हैं, तो हमारे पास बची हुई द्रव्य की प्रत्येक इकाई की उपयोगिता घटती जाती है; जबकि वस्तु की सीमान्त उपयोगिता गिरती जाती है। इससे उपभोक्ता की वचन की मापने में अधिक कठिनाई होन लगती है।

किन्तु हिक्स ने सतस्यता वक्र (indifference curve) द्वारा उपभोक्ता की वचन को प्रस्तुत किया है जिसके कारण यह सिद्धान्त इस कल्पना से स्वतन्त्र हो जाता है।¹

अनिवार्यताओं तथा रुढ़ आवश्यकताओं (conventional necessities) के उपभोग में यह नियम लागू नहीं होता क्योंकि ऐसी स्थिति में उपभोक्ता उसमें वचन रहने की अपेक्षा सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। उपयोगिता अनन्त है। इसीलिए यह कहा जाता है कि सारा उपभोक्ता की वचन का विचार काल्पनिक, तथा आभासिक है। कोई व्यक्ति निर्वचन रूप से यह नहीं कह सकता कि किसी वस्तु से वचन रहने की अपेक्षा वह उमड़े लिए कितना देने को तैयार होगा।

यह समालोचना वास्तव में हानिकारक है। केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन आक्षेपों में से किसी भी आक्षेप की भाग्यता पर सन्देह नहीं किया जा सकता। मुख्य आक्षेप यह है कि इसका ठीक प्रकार से सतता में भाषा नहीं आ सकता। यह सूरत ही मानना पड़ता। परन्तु यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वास्तविक जीवन में उपभोक्ता की वचन का विचार मूल रूप से उपस्थित है। किसी वस्तु के उपभोग से वचन रहने की अपेक्षा हम वस्तु के लिए जो कुछ देने हैं उससे अधिक देने को तैयार रहते हैं। इस प्रकार हमको सन्तुष्टि में वचन मिलती है, यद्यपि हम नहीं कह सकते कि सही तौर पर कितनी। यह हमको अवश्य बनाता है कि मण्डी की एक समान कीमत (uniform market price) की पद्धति कुछ उन उपभोक्ताओं की सन्तुष्टि में वचन प्रदान करती है जो उस वस्तु से वचन होने की अपेक्षा उसके लिए अधिक देने के योग्य तथा तैयार हान हैं। वास्तविक जीवन में लन-देन इस भाँति होता है कि उपभोक्ता का अतिरिक्त सन्तुष्टि मिलती है।

१३ उपभोक्ता की वचन के सिद्धान्त का महत्त्व (Importance of the Concept of Consumer's Surplus)—यद्यपि उपभोक्ता की वचन ठीक माप के योग्य नहीं है तो भी इसकी व्यावहारिक उपयोगिता तथा इसका सैद्धान्तिक महत्त्व अधिक है।

(१) सयोगिक महत्त्व (Conjunctural Importance)—इसके द्वारा हम वातावरण तथा अवसर के लाभ अथवा सयोगिक महत्त्व के लाभ की भी तुलना कर सकते हैं। एक मनुष्य जो दिल्ली में २००) १० मासिक पाता है उस मनुष्य की अपेक्षा जीवन की अधिक सुविधाएँ प्राप्त कर सकता है, जो २००) ६० एक ऐसे शहर में पाता है जो सन्धता के कन्द्र से बहुत दूर है। इससे हम भिन्न भिन्न समय में मनुष्यों की

आर्थिक दशाग्रो की तुलना भी कर सकते हैं। जितनी अधिक उपभोक्ता की बचत होगी, उतनी ही अच्छी दशा मनुष्य की होगी।

(२) सार्वजनिक वित्त में महत्त्व (Importance in Public Finance) वित्त-मन्त्री नए कर लगाते समय इस बात का ध्यान रखता है कि किसी वस्तु के लिए लोग कितना देने को तैयार हैं और कर लगाने के कारण बड़ी हुई कीमत से उन पर कितना प्रभाव पड़ता है। जहाँ उपभोक्ताग्रो की बचत हो रही है, वहाँ कर लगाने की अधिक गुञ्जाइश है, क्योंकि लोग अधिक देने को तैयार होंगे। कीमत में वृद्धि होने से माँग पर अधिक प्रभाव न पड़ेगा।

कर लगाने तथा आर्थिक सहायता (bounty) देने में उपभोक्ता की बचत पर अवश्य ही प्रभाव पड़ता है।¹ लेकिन प्रभाव, व्यवसाय में आह्लासी प्रत्याय (diminishing return), स्थिर प्रत्याय (constant return) और वृद्धि प्रत्याय (increasing return) के प्रभावी होने के साथ-साथ भिन्न-भिन्न होंगे। स्थिर प्रत्याय नियम (law of constant return) के लागू होने में उपभोक्ता की बचत राज्य के सकल आगम (gross receipts) से भी अधिक घट जाएगी। “उपभोग के उस भाग पर जो चलता रहता है, उपभोक्ता उतना खो देता है जितना कि राज्य को मिलता है, तथा उपभोग के उस भाग पर जो कीमतों में वृद्धि से खत्म हो जाता है उपभोक्ता की बचत जाती रहती है और राज्य को कुछ भी नहीं मिलता।” इसी प्रकार आर्थिक सहायता (bounty) की दशा में वाउन्टी (bounty) की अपेक्षा उपभोक्ता की बचत में लाभ कम होता है। जहाँ घटती हुई प्राप्ति का नियम या आह्लासी प्रत्याय नियम (law of diminishing returns) लागू होता है वहाँ कर से सकल आगम उपभोक्ता की बचत की हानि की अपेक्षा अधिक हो सकता है। वाउन्टी से उपभोक्ता की बचत बढ़ जायेगी। बढ़ती हुई प्राप्ति के नियम या वृद्धि प्रत्याय नियम (law of increasing returns) में कर अधिक हानिकारक तथा वाउन्टी अधिक लाभदायक होती है। कर उपभोक्ता की बचत में राज्य की आय से अधिक कमी कर देता है तथा वाउन्टी उपभोक्ता की बचत में राज्य से दी हुई रकम से अधिक वृद्धि कर देती है।

(३) एकाधिकार मूल्य के सिद्धान्त में महत्त्व (Importance in the theory of monopoly Value)—इसी प्रकार एक व्यवसायी अथवा एकाधिकारी (monopolist) को ज्ञात हो जाएगा कि यदि वस्तु से उपभोक्ताग्रो को अतिरिक्त सन्तुष्टि मिलती है तो वह कीमतों में सरलता से वृद्धि कर सकता है। यदि आवश्यकता पड़े तो उपभोक्ता अधिक भी देने को तैयार हो जाएँगे। वास्तव में किसी व्यवसायी के लिए यह उचित न होगा कि कीमत को इतना बढ़ा दे कि ममस्त बचत समाप्त हो जावे। वह इस सीमा तक कठिन सौदा न करेगा। वह अपने ग्राहकों की ख्याति को बढ़ाना तथा निभाए रखना चाहेगा और इसलिए समझौते की नीति पर अमल करेगा।

(४) उपभोग-मूल्य तथा विनिमय-मूल्य में भेद (Distinction between value in-use and value in-exchange)—हम जानते हैं कि एक वस्तु का

1 Marshall, A — Principles, Book V, Ch. XIII.

प्रचलित मूल्य उसकी उपयोगिता अथवा उपयोग मूल्य से भिन्न होता है। नमक, दियासलाई जैसी वस्तुओं का उपयोग-मूल्य अधिक है परन्तु उनका विनियम-मूल्य बहुत कम है। ऐसी वस्तुओं में उपभोक्ता की बचत अधिक होती है क्योंकि इनके लिए हम जो कुछ देते हैं उससे कहीं अधिक देने को तैयार रहते हैं। उपभोक्ता की बचत कुल उपयोगिता अर्थात् उपयोग मूल्य पर निर्भर है और यह उपयोग मूल्य अथवा विनिमय मूल्य के अन्तर को स्पष्ट कर देता है। अतः उपभोक्ता की बचत का सिद्धान्त स्पष्टतः उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच का अन्तर स्पष्ट कर देता है। उपभोक्ता की बचत वहाँ अधिक है जहाँ उपयोग-मूल्य अधिक है चाहे विनिमय मूल्य थोड़ा भी क्यों न हो।

(५) उपभोक्ता की बचत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ को नापती है (Consumer's surplus measures the benefits from international trade)—दूसरे देश से व्यापार करने से हम कुछ वस्तुएँ जो सस्ती होती हैं बाहर से मँगाते हैं। बाहर से मँगाने से पहले हम उसी प्रकार की वस्तुओं के लिए अधिक देते थे। वे हमको अतिरिक्त सन्तुष्टि देती हैं जिसकी हम इस प्रकार माप कर सकते हैं—वह मूल्य जो हम देने के लिए तैयार थे, तथा वह मूल्य जो हम वास्तव में देते हैं, उसका अन्तर ही उस सन्तुष्टि का माप होगा। जितनी अधिक यह बचत होगी उतना ही लाभदायक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होगा।

१४ उपभोक्ता का प्रभुत्व (Sovereignty of the consumer)¹—पूँजीवाद अथवा अबाध प्रतियोगिता (free competition) में उपभोक्ता की तुलना एक सम्राट् से की गई है। ममस्त उत्पादक य-न उसकी प्रभुता के अन्दर कार्य करते मान गए हैं। उनके मन की लहरें उसका पक्षपात तथा उसकी इच्छाएँ उत्पादन के साधन पर शासन करती हैं। आधुनिक उद्योग के उद्यमी उसके गुलाम हैं और उसकी आज्ञा पालन करने वाले एजेंट हैं। यदि उपभोक्ता प्रसन्न है तो उद्यमी भी प्रसन्न तथा सौभाग्यशाली होगा और यदि उपभोक्ता असन्तुष्ट है तो उद्यमी के भी भाग्य पर ताला लग जाएगा। इस प्रकार उपभोक्ता को आर्थिक जगत का सम्राट् कहा गया है।

पहले जमाने में उपभोक्ता का अधिकार स्पष्ट था। उपभोक्ता जूतों, कपड़ों इत्यादि का आर्डर करता था और बनाने वाला केवल आज्ञा का पालन सच्चाई से करता था। उपभोक्ता को जो वह चाहता था मिलता था। वह निःसन्देह सम्राट् था।

परन्तु आधुनिक उत्पादक आज्ञानुसार कार्य नहीं करता। वह कार्य का पहले से अनुमान करता है। उद्यमी का यह कार्य है कि वह चतुराई से यह अनुमान लगाए कि कौनसी वस्तुओं से उपभोक्ता अधिक सन्तुष्ट होगा। परन्तु यहाँ भी उपभोक्ता के अधिनायो (preference) का पूरा प्रभाव पड़ता है। यदि उद्यमी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का ठीक-ठीक चतुरतापूर्वक अनुमान नहीं लगा सकता अथवा उसकी स्थिर की हुई कीमतें उपभोक्ता के अनुकूल नहीं हैं तो उसकी वस्तुओं की बिक्री नहीं होगी।

पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में ऐसे उद्यमी ही सफल होंगे जो उपभोक्ताओं को सबसे

1 See Bonham, F — Economics

अधिक सन्तुष्ट रखते हैं। "व्यापक उपभोग सर्वमताधिकार की भाँति है। यह नियन्त्रण का एक लोकप्रिय साधन है। उपभोग के लिए केवल इस गुण की आवश्यकता होगी कि उसका अपनी आय पर अधिकार हो जिसे कि वाछनीय वस्तुएँ प्राप्त होगी। आर्थिक चुनाव में एक उपभोक्ता उतने वोट डालता है जितने डालर कि उसके पास खर्च करने के लिए हो। यदि आर्थिक नियोजकगण अपना रूपया आवश्यकताओं की अपेक्षा खिलौनों पर तथा शुद्ध अथवा सुन्दर वस्तुओं की अपेक्षा बनावटी अथवा भद्दी वस्तुओं पर व्यय करना चाहते हैं तो ऐसी ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। हमारी उद्योग सम्बन्धी क्रियाएँ उपभोक्ता के चुनाव पर चाहे वह चतुर हो अथवा मूढ़, निर्भर हैं और उसी की इच्छाओं पर व्यवसाय की क्रियाओं का संचालन होता है। यह एक विजली के सरकिट को रोकने (close the electric circuit) के समान है, जो कि ऐसी धारा पैदा करे जिससे कि उत्पादन का यन्त्र तीव्र गति से चालू हो सके।"¹ प्रत्येक आर्थिक क्रिया का मौलिक कारण उपभोक्ता की आवश्यकताओं की सन्तुष्टि है।

१५ उपभोक्ता के प्रभुत्व की सीमाएँ (Limitations on Consumer's Sovereignty)—उपभोक्ता इतना निरंकुश सम्राट् नहीं है जैसा कि वह माना गया है। अधिक-से-अधिक हम उसको एक वैधानिक अथवा सीमित सम्राट् कह सकते हैं। वैधानिक सम्राट् प्रजा पर शासन करता है, किन्तु उसे अपना दास मात्र नहीं बनाता। हमारे उपभोक्ता सम्राट् के प्रभुत्व पर कुछ कड़े प्रतिबन्ध हैं।

(क) उसके प्रभुत्व पर सबसे आवश्यक रोक उसकी आय का आकार है। वस्तुएँ उसकी आज्ञानुसार नहीं चलती जब तक कि वह द्रव्य के कोड़े का प्रयोग नहीं करता। उपभोक्ता असली धी चाहता है पर भुगतान के साधन न होने के कारण उस को डालडा से ही सन्तुष्ट रहना पड़ता है।

(ख) उपभोक्ता की सन्तुष्टि उन वस्तुओं पर निर्भर है जो बाजार में मिलती हैं। कुछ भौतिक सीमाएँ भी हैं। वास्तविक उत्पादन किसी समय के औद्योगिक ज्ञान पर निर्भर है और यन्त्रकला का विकास उपभोक्ता की इच्छाओं से पीछे रहता है। हम ध्वनि-रहित रेलगाडियाँ चाहते हैं, परन्तु हम उस समय तक ठहरना होगा जब कि यन्त्रकला का विकास न हो ले। उपभोक्ता के अधिमान समय पर मिलने वाली वस्तुओं से सदैव आगे ही रहते हैं।

(ग) उच्च कोटि की बिक्री कला तथा बराबर विज्ञापन होने से उपभोक्ता की वास्तविक इच्छाओं में सुधार होता है। प्रचार का यन्त्र उपभोक्ता की दृष्टि का नियन्त्रण करने तथा बनाने में लगाया जाता है। अतएव उनको जो कुछ वह खरीदते हैं उससे कुछ भिन्न खरीदने का प्रोत्साहन मिलता है।

(घ) एकाधिकारी भी उपभोक्ता पर नियन्त्रण रखता है। आधुनिक काल में सध अथवा गुटबन्दी की ओर प्रवृत्ति है। कुछ फर्मों का व्यवसाय अथवा उत्पादन पर

¹ Kiekhofer, W. H.—Economic Principles Problems and Policies, (1936), p 652

अधिकार हो जाता है। फिर वे उपभोक्ताओं से, जिनका कीमत तय करने में तथा उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं होता, मतमाने दाम लेती हैं।

(ड) साथ ही सरकारी नियन्त्रण भी है जिनसे हम भली भाँति परिचित हैं। साधारण समय में भी सरकार कुछ मादक वस्तुओं का या तो निषेध कर देती है या उनके उपभोग पर रोक-टोक लगा देती है। सरकार उत्पादन की प्रगति पर प्रभाव डाल सकती है। इसके अतिरिक्त सरकार स्वयं ही सबसे बड़ी उपभोक्ता है और इस लिए कीमत तय करने पर और वस्तुओं के उत्पादन की श्रेणी पर प्रभाव डाल सकती है।

(ख) उपभोक्ता का स्वभाव भी उसको जबड़ देता है और वह अपने बँधे हुए उपभोग की श्रेणियों से हटना नहीं चाहता। अतएव चुनाव की स्वतन्त्रता का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

(छ) उपभोक्ता के चुनाव पर समाज के वातावरण तथा रुढ़ियों का भी निषेधक प्रभाव पड़ता है। अतएव उपभोक्ता की असंमित स्वतन्त्रता केवल एक कल्पना है।

(ज) उपभोक्ता साधारणतया अज्ञानी होते हैं और वे यह नहीं जानते कि उनके लिए क्या उत्तम है। उनका अन्व चुनाव उनके स्वार्थ के अनुसार नहीं होता। अतएव अल्प ज्ञान उपभोक्ता की प्रमुख शक्ति में एक और बाधा है। यदि उपभोक्ता को देव कहे, तो वह अवश्य ही एक अन्धा देव होगा।

(झ) प्रमाणीकृत वस्तुओं की उत्पत्ति बिना व्यक्तियों की रुचि का ध्यान रखे हुए यह सिद्ध करती है कि आधुनिक आर्थिक पद्धति इस बात का पूरा ध्यान नहीं रखती कि उपभोक्ता क्या लेना चाहें। उपभोक्ताओं को एक झुण्ड में मिला दिया जाता है और वह समुदाय की भाँति मान जाते हैं, सम्राट के समान नहीं। उन्हें वस्तु भंडों के झुण्ड के समान माना जाता है।

निर्देश पुस्तकें

- Wicksteed P. H. *Commonsense of Political Economy*, Vol 1.
 Wicksell K. *Lectures on Political Economy* Vol 1
 Erich Roll. *Elements of Economic Theoric*
 Hicks J. R. *Value and Capital*
 Marshall, A. *Principles of Economics*
 Boulding, K. E. *Economic Analysis* (1949), ch 29
 Cairncross A. *Introduction of Economics*
 Benham, F. *Economics*
 Review of Economic Studies, 1941-43 (Symposium on Consumer's Surplus).
 Meyers, A. L. *Elements of Modern Economics* (1951) ch 7.
 (for Indifference Curves)
 Stigler, G. J. *Theory of Price* (1949), pp 67-85.
 Fraser L. M. *Economic Thought and Language* (1947), ch X
 Stonier and Hague. *A Text book of Economic Theory* (1953), ch III

अध्याय ६

माँग

(Demand)

१ माँग (Demand)—माँग तथा इच्छा (desire) अथवा आवश्यकता (need) में भेद करना जरूरी है। एक बीमार बच्चे को टॉनिक (बलवर्द्धक औषधि) की आवश्यकता (need) होती है तथा एक चपराभी को एक रेडियो रखने की इच्छा (desire) होती है। परन्तु ऐसी आवश्यकताएँ तथा इच्छाएँ माँग नहीं होती। उस समय जबकि इच्छा करने वाला मनुष्य जो कुछ चाहता है उसके लिए भुगतान करने के योग्य और तैयार है (willing and able to pay), तो इच्छा माँग में परिवर्तित हो जाती है। चैपमैन (Chapman) के शब्दों में “माँग अधिमानों की मात्रिक अभिव्यक्ति है।”¹

माँग सर्वद्वय किसी कीमत (price) पर होता है। “किसी वस्तु की एक दी हुई कीमत पर माँग उसकी वह मात्रा है जो समय की प्रति इकाई से उस कीमत पर खरीदी जाएगी।”² इसका अभिप्राय केवल यह है कि एक व्यक्ति किसी दी हुई कीमत पर एक वस्तु की जितनी मात्रा को खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा किसी दूसरी कीमत पर वह भिन्न मात्रा खरीदेगा, कम कीमत पर अधिक और अधिक कीमत पर कम खरीदेगा। माँग के बारे में बिना कीमत के निर्देश दिए हुए कुछ भी कहना निरर्थक है। इसके अतिरिक्त माँग सर्वद्वय समय की प्रति इकाई में ही मापी जाती है चाहे वह प्रति दिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह अथवा प्रति वर्ष हो।

विक्रेता के दृष्टिकोण से माँग कीमत (demand price) वह औसत आय है जो वह उस इकाई की विक्री से कमाता है। अतः माँग कीमत तथा औसत राजस्व एक-सी हैं।

यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि कोई भी माँग पृथक् (isolated) नहीं होती। चीजों की माँग एक व्यवस्था (system) के अन्तर्गत होती है। उदाहरणार्थ विद्यार्थी को अकेले पुस्तक की जरूरत नहीं होती, उसे किताबें तथा स्टेशनरी आदि का सामान भी चाहिए। हम चीजें ग्रुप (group) में चाहिएँ। व्यक्ति के रहन-सहन (standard of living) से माँग की व्यवस्था बनती है।

२ माँग अनुसूची (Demand Schedule)—भिन्न-भिन्न कीमतों पर खरीदी हुई अथवा माँगी हुई मात्रा की सूची माँग अनुसूची कहलाती है। माँग अनुसूची (वक्र)

1 ‘Demands are the quantitative expressions of preferences

—Chapman

2 ‘The demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that price’

—Bertram F. Economics (1943), P 36

कीमत तथा मांगी गई मात्रा में कृत्य सम्बन्ध (functional relationship) बताता है। नम्नलिखित एक व्यक्ति ए की सेवा की मांग अनुसूची है।

कीमत की दर्जन	मांगी हुई मात्रा (दर्जनों में)
७	१
६	२
५	३
४	४
३	६
२	८
१	१०

मांग अनुसूची द्वारा व्याख्या किए गए नियम को कीमत के बढ़ने पर घटते हुए या माह्रासी उपभोग का नियम (law diminishing consumption) कहते हैं।^१

बिना एक व्यक्ति की मांग को निश्चित करने वाले तत्त्वों को समझना आवश्यक है। व्यक्तिगत मांग को निश्चित करने वाले तत्त्व हैं (i) व्यक्ति की आय, (ii) उस का स्वभाव अथवा अधिमान, (iii) कीमत का तल, (iv) प्रतिस्थापित वस्तुओं की कीमत तथा (v) सामाजिक रीतियाँ।

सारे बाजार की मांग अनुसूची समस्त भागी खरीदारों की उन मात्राओं के जोड़ने से प्राप्त होती है जो कि भिन्न भिन्न मूल्यों पर वे खरीदने को तैयार हैं। मान लिया बाजार में ५ खरीदार (बैचने वालों के सहित) अ, ब, स, द तथा इ हैं और उनकी सेवा की मांग अनुसूचियाँ इस प्रकार हैं—

कीमत प्रति दर्जन	मांग मात्रा दर्जनों में					योग
६०	अ	ब	स	द	इ	
७	१	३	०	०	०	४
६	२	४	१	०	०	७
५	३	५	३॥	॥	०	१२
४	४	५॥	४	१	॥	१५
३	६	७	५	३	२	२३
२	८	८	६	४	३	२९
१	१०	११	८	५	४	३८

अन्तिम पंक्ति बाजार की कुल मांग मिलाकर दिखाती है। पहली तथा अन्तिम पंक्तियाँ मिलाकर बाजार की मांग अनुसूची बनाई जाती है।

बाजार की मांग अनुसूची बनाने में यह मान लिया जाता है कि मांग की दिशाएँ अर्थात् उपभोगता का स्वभाव, आय तथा अन्य वस्तुओं की कीमतें नहीं बदलती।

परिवर्तन केवल उस विशिष्ट वस्तु की कीमत में होता है। परन्तु ऐसा बहुत कम होता है। फिर भी मांग अनुसूची अधिकतर वास्तविक होती है।

उपर्युक्त जैसी काल्पनिक अनुसूची का खींचना तो बहुत सरल है, परन्तु एक व्यक्ति की मांग-अनुसूची तैयार करना एक कठिन समस्या है। मण्डी की अनुसूची बनाना तो असम्भव-सा ही है। लोगों के लिए यह कहना सरल नहीं है कि वह भिन्न-भिन्न कीमतों पर कितना खरीदेंगे। अधिक-से-अधिक यह उनका अनुमान ही होगा।

बाजार की मांग-अनुसूची व्यक्तिगत मांग-अनुसूची से अधिक सतत (continuous) तथा सपाट (smooth) होती है। एक व्यक्ति अनिश्चित ढंग में व्यवहार कर सकता है। परन्तु वे सब अनिश्चित ढंग समुदाय के निरूपण में समाप्त हो जाते हैं।

यह बड़ी सावधानी से समझ लेना चाहिए कि बाजार की मांग अनुसूची केवल व्यक्तियों की मांग तालिका का जोड़ नहीं होती। एक मांग की दूसरी पर प्रति क्रिया होती है। अतएव बाजार तालिका व्यक्तियों की अनुसूचियों के जोड़ के बजाय बाजार के व्यवहार (behaviour of the market) को बतलाती है।

बाजार की तथा व्यक्तिगत मांग-अनुसूची पर समय का बड़ा प्रभाव पड़ना है। यदि उपभोक्ता की बदली हुई कीमत के माय प्रपत्नी मांग को व्यवस्थित करने का समय मिल जाता है, तो उसकी मांग अधिक लोचदार (elastic) हो जाएगी। दूसरे, विचार के लिए समय जितना ही अधिक होगा उतना ही उम्र पर अनुमान अथवा भावी कीमत का प्रभाव पड़ेगा।


यद्यपि मांग की ठीक अनुसूची तैयार करना बहुत कठिन है, तो भी उम्रका यह तात्पर्य नहीं कि मांग अनुसूची का कोई उद्देश्य नहीं है। हम मानाओं की वह पूर्ण सूची जिसको हम भिन्न भिन्न मूल्यों पर खरीदेंगे, देने में असमर्थ हो सकते हैं। लेकिन प्रचलित कीमत की कुछ सीमाओं में हम सदैव यह मनी भांति विचार कर सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन होने पर हम कितना खरीदेंगे और वास्तव में यही तो मद्द्त्वर रहता है।

इस रूप में विचार करने में मांग अनुसूची का महत्त्व अधिक बढ़ जाता है। वित्तमन्त्री को यह सोचना पड़ता है कि यदि वह लगाने से किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, तो लोग वहाँ तक अपनी खरीदारी कम कर देंगे। बिना ऐसी गणना के आय-व्ययक (budget) का तैयार करना असम्भव होगा। एकाधिकारी (monopolist) को भी अधिकाधिक अपनी आय की खोज में उपभोक्तियों की प्रतिप्रियाओं पर जो कि कीमतों के साथ परिवर्तित होती है, विचार करना ही होगा।

१ मांग-वक्र (Demand Curve)—मांग की अनुसूची को एक वक्र में भी दिखाया जा सकता है जिसे मांग-वक्र कहते हैं। सेबों की मण्डी की मांग का वक्र अगले पृष्ठ पर दिया गया है।

मांगी हुई मात्राएँ (दर्जनों में) OX पर मापी गई हैं तथा कीमत (रुपयों में) OY पर। यदि OX रेखा के माना स्पष्ट करने वाले बिन्दुओं तथा OY की कीमत

स्पष्ट करने वाले बिन्दुओं से लम्ब रेखाएँ खींची जाएँ तो इन लम्ब रेखाओं के मिलने



चित्र १६

के बिन्दु एक वक्र रेखा पर होंगे। माँग अनुसूची से प्रस्तुत की हुई दशामो में सेबों की माँग का वक्र इससे प्रतीत होगा।

वक्र बाएँ से दाहिने को उपयोगिता वक्र की भाँति तिरछा है और यह दिखाता है कि जब कीमत गिरती है तो माँग की मात्रा बढ़ती है और विपरीत रूप से जब कीमत बढ़ती है तो माँग की मात्रा घटती है। माँग वक्र

एक स्थिर स्थिति प्रस्तुत करता है। यह किसी समय के दौरान में परिवर्तन नहीं बतला सकता। आप किसी एक ही कीमत पर माँग मालूम कर सकते हैं। दूसरे आवश्यक तथ्यों को भी शामिल किया गया है।

ऊपर खींची हुई माँग-वक्र की कुछ धारणाओं (assumptions) को समझ लेना आवश्यक है—

(i) यह कल्पना की गई है कि उपभोक्ता के स्वभाव में, किसी भी फेसन अथवा मौसम के कारण, कोई परिवर्तन नहीं होता।

(ii) यह भी कल्पना की गई है कि उपभोक्ता की आय समान बनी रहती है।

(iii) यह भी मान लिया गया है कि उन वस्तुओं की कीमतों में, जिनमें उपभोक्ता का स्वार्थ होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता।

(iv) कीमत-माँग के सम्बन्ध में क्रम अथवा लघु अन्तर (continuity and infinitesimal variations) मान लिया गया है, यद्यपि कभी कभी माँग एकदम बदल सकती है जबकि कीमत में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन होता है। माँग-वक्र इन 'अविरल' (discontinuous) अथवा अलग परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करता।

(v) यह कल्पना की गई है कि माँग अति लघु इकाइयों में बदली जा सकती है। परन्तु यह कल्पना वास्तविक नहीं है। अविभाज्य (indivisible) वस्तुओं का माँग-वक्र बराबर तथा सतत (निरन्तर) नहीं होगा। वह अविरल होगा।

(vi) यह भी मान लिया गया है कि कोई अकेला खरीदार कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता। उसको कीमत को स्थिर मानकर अपनी खरीदारी को व्यवस्थित करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, हम पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना करते हैं तथा एकाधिकार (monopoly) की स्थिति को अस्वीकार करते हैं।

४ माँग-वक्र नीचे क्यों झुकता है? (Why does Demand Curve slope downwards?)—साधारणतया माँग का वक्र नीचे झुकता है। यह आह्लासी

या घटती हुई उपयोगिता के नियम के अनुकूल है। हमारे बहुत से क्रय इस नियम से निश्चित होते हैं। जब कीमत गिरती है तो नए खरीदने वाले बाजार में खरीदना प्रारम्भ कर देते हैं। और सम्भव है पुराने खरीदार भी अधिक खरीदें। चूँकि यह वस्तु सस्ती हो गई है, इसलिए कुछ लोग दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा इसे अधिक खरीदेंगे। केवल ऐसे ही भुकाव वाले वक्र में हमको कीमत की छोटी रेखाएँ मात्रा की कक्ष रेखा लम्बे टुकड़ों को काटती हुई मिलती हैं। यदि आह्लासी उपयोगिता का नियम सच है और यह साधारणतः सच ही होता है, तो वक्र रेखा को नीचे की ओर झुक्ना चाहिए। क्योंकि तभी गिरती हुई कीमता के साथ बढ़ती हुई माँग की घटना प्रस्तुत की जा सकती है।

कीमत के गिरने पर लोगों के अधिक खरीदने के तीन स्पष्ट कारण हैं—

(i) द्रव्य की इकाई बढ जाती है, जिससे एक व्यक्ति अधिक खरीद सकता है।

(ii) जब कोई वस्तु सस्ती हो जाती है तो लोगों का अधिक खरीदना स्वाभाविक होता है।

(iii) जब कोई वस्तु सस्ती हो जाती है तो उसका उपयोग दूसरी वस्तुओं के स्थान में किया जा सकता है। अतः उस वस्तु के पुराने ऋता पहले से अधिक खरीदते हैं और उसके नए ऋता बन जाते हैं। इन सबका प्रभाव यह होता है कि जब कीमत गिरती है तो माँग बढ जाती है।

परन्तु हमको थोड़ा गहराई में जाकर यह मालूम करना चाहिए कि अन्य बातों के पूर्ववत् रहने पर जब कीमत गिरती है तो माँग क्यों बढ़ती है?¹ बेन्हम (Benham) ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया है—प्रत्येक उपभोक्ता अपनी सीमित द्रव्य की मात्रा से अधिक-से अधिक सन्तुष्टि प्राप्त करना चाहता है। अपने अधिमान माप को जानते हुए वह प्रतिस्थापन नियम तथा सम सीमान्त प्राप्ति नियम (law of substitution and equi-marginal returns) के अनुसार अपने व्यय की इस प्रकार व्यवस्था करेगा कि आखिरी इकनो तक से जिसे वह भिन्न भिन्न वस्तुओं पर व्यय करता है, बराबर सीमान्त उपयोगिता प्राप्त हो। यदि कीमतें समान रहती हैं तो वह इस व्यवस्था को चालू रखेगा। परन्तु यदि उस वस्तु की कीमत गिरती है जोकि उसकी वस्तुओं और सेवाओं के चुनावों में है तो उसको अपने व्यय में उसके अनुरूप परिवर्तन करना पड़ेगा। कीमत के गिरने से सीमान्त उपयोगिता तथा कीमत के बीच भिन्नता उत्पन्न हो जाती है जिसे दूर करना होगा। यह वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने से हो सकती है ताकि उसकी सीमान्त उपयोगिता कीमत के बराबर हो जाए। यही कारण है कि मनुष्य कीमत गिरने पर अधिक खरीदने हैं।

अपवादस्वरूप माँग-वक्र (Exceptional Demand Curves)—कभी-कभी माँग-वक्र नीचे झुकने की अपेक्षा ऊपर को उठेगा। दूसरे शब्दों में, मूल्य बढ़ने पर कभी-कभी लोग अधिक भी खरीदेंगे। यह केवल ऊपर घटते हुए वक्र से प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी घटनाएँ बहुत कम होती हैं परन्तु हम कुछ का अनुमान कर सकते हैं। इनकी परीक्षा सबसे पहले सर राबर्ट गिफेन (Sir Robert Giffen) ने की थी।

1 See Benham, F.—Economics (1943), pp 42-43

उनके अनुसार माँग कीमत के बढ़ने से दृढ़ होती है तथा उसके गिरने से कमजोर होती है। बेन्हम (Benham) ने चार स्थितियाँ बतलाई हैं—¹ (१) यदि अधिक कमी (serious shortage) की सम्भावना है तो मनुष्य मयनीत होकर बढ़ती हुई कीमत पर भी खरीदेगा। ऐसी स्थिति कीमतों के अत्यधिक चढ़ाव पर आती है। (२) यदि किसी वस्तु के उपयोग करने से उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रदर्शन होना है तो कमी मनुष्य इस कारण कीमत बढ़ने पर भी अधिक खरीदेगा ताकि वे कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों म गिने जा सकें। इसके विपरीत, यदि माल रद्दी किस्म का हो ता लोग खरीदना बन्द कर देने हैं। (३) कभी-कभी कुछ उपभोक्ता अज्ञान के कारण बड़े हुए मूल्य पर अधिक मात्रा में खरीदते हैं। (४) यदि एक जीवन-रक्षक पदार्थ का मूल्य बढ़ जाता है तो उपभोक्ता को अपना सारा व्यय फिर से व्यवस्थित करना पडगा। वह दूसरे खाने की वस्तुओं पर अपना व्यय कम करके उसको पूरा करने के लिए उस विशेष खाद्य-पदार्थ पर अधिक व्यय करेगा। अतएव उसकी कीमत ऊँची होने पर भी अधिक मात्रा में खरीदी जाएगी।

५ माँग का नियम (The Law of Demand)—अब हम इस अवस्था में हैं कि माँग का नियम प्रस्तुत कर सकें। यह केवल माँग की मात्रा तथा कीमत के सम्बन्ध को बताता है। यह बताता है कि माँग कीमत के विपरीत परिवर्तित होती है पर यह आवश्यक नहीं है कि वह उन्नी अनुपात से बढ़े। यदि मूल्य गिरता है तो माँग बढ़ेगी तथा इसके विपरीत भी एसा ही होगा। इसके इस प्रकार भी कह सकते हैं 'किसी वस्तु अथवा सेवा की कीमत में वृद्धि होने से माँग में कमी हो जाती है और कीमत में कमी होने से माँग में वृद्धि हो जाती है अर्थात् कि माँग की स्थितियाँ एक-सी रहें'। या 'किसी निश्चित समय में किसी वस्तु अथवा सेवा की माँग प्रचलित कीमत पर ऊँची कीमत की अपेक्षा अधिक है और नीची कीमत की अपेक्षा कम है।'²

"किसी निश्चित समय में" अथवा यदि "माँग की स्थितियाँ एक-सी रहें" जैसे वाक्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि माँग पर उन बहुत सी बातों का प्रभाव पडता है जिनका अभी विवेचन किया जाएगा और इनमें से कोई भी प्रभाव नियम को निष्फल बना सकता है।

यह भी कहा जा सकता है कि परिवर्तन एक अनुपात में नहीं होता। यदि कीमत १०% घटती है, तो यह आवश्यक नहीं है कि माँग १०% ही बढ़ेगी। हम केवल यह कह सकते हैं कि जब कीमत घटती है तो माँग बढ़ जाएगी लेकिन यह नहीं कह सकते कि कीमत कितनी बढ़ जाएगी। यह माँग की लोच (elasticity) पर निर्भर है जिसका कि हम अभी विवेचन करेंगे।

नियम की सीमाएँ (Limitations of the Law)—फिर भी माँग के नियम के कुछ अपवाद हैं। दूसरे शब्दों में ऐसी भी स्थितियाँ हैं जबकि कीमत के बढ़ने घटने से माँग नहीं घटती-बढ़ती। ये स्थितियाँ अपवादस्वरूप (ऊपर बतते हुए) माँग वक्रों

1 See Benham F.—Economics (1943), pp 4" B.

2 Thomas, S E.—Elements of Economics, pp 52 53

द्वारा बतलाई गई है। यह नियम तभी तक सच होगा जब तक कि माँग की स्थिति उसी प्रकार रहती है। नियम के सच होने के लिए निम्नलिखित स्थितियों का होना आवश्यक है —


- (i) उपभोक्ता का स्वभाव न बदलना चाहिए।
- (ii) उपभोक्ता की आय बही होनी चाहिए।
- (iii) दूसरी वस्तुओं की कीमतें न बदलनी चाहिए।
- (iv) उसकी बजाए कोई नई वस्तु प्रयोग में न होनी चाहिए।
- (v) कीमत में कोई परिवर्तन की आशा न होनी चाहिए।
- (vi) वह प्रतिष्ठा भेद का प्रतिपादन करने वाली वस्तु न होनी चाहिए। हो

सकता है ये स्थितियाँ एक-सी न बनीं रहे। इसलिए यह नियम भी सच न बना रहे।

६ माँग में परिवर्तन (Changes in Demand)—माँग का नियम माँग तथा कीमत में सम्बन्ध बताता है। यदि कीमत बढ़ती है तो माँग घटती है। तथा इसके विपरीत भी ऐसा ही होता है। परन्तु जब कीमत घटती और बढ़ती है तो माँग के साथ प्रयोग किए हुए वृद्धि और कमी (Increase and Decrease) शब्द पूर्णतया ठीक नहीं समझे जाते। इसे माँग का विस्तार तथा सकुचन (Extension and Contraction) कहना चाहिए। हमको एक ओर विस्तार तथा वृद्धि (Extension and Increase) और दूसरी ओर सकुचन तथा कमी (Contraction and Decrease) के अन्तर को समझना चाहिए।

हम माँग के विस्तार तथा सकुचन शब्दों का प्रयोग तभी करते हैं जबकि केवल कीमत में परिवर्तन होने पर माँग में परिवर्तन होता है। उपभोक्ता निष्क्रिय-सा (Passive) है। वह विशेषकर कीमत से ही प्रभावित होता है। उसकी माँग अनुसूची स्थायी है और उसके अनुरूप एक वक्र भी है, जैसा कि आगे के रेखाचित्र में दिखाया गया है, वह केवल उसी वक्र के ऊपर-नीचे चलता है।

उपभोक्ता DD' वक्र रेखा पर चलता है। यह उसका वह रास्ता है जो उसकी अधिमान माप (scale of preferences) से बनता है। PQ कीमत पर वह OQ मात्रा खरीदेगा। यदि कीमत $P'Q'$ हो जाती है तो वह OQ' मात्रा क्रय करेगा तथा यदि वह $P''Q''$ तक बढ़ जाती है तो उसकी माँग घटकर OQ'' हो जाती है और यह क्रम ऐसे ही चलता है। यदि कीमतें घटती हैं तो उपभोक्ता पीछे हटने लगता है। उसने अपने स्वयं अधिमान बना रखे हैं और अब वह पूर्णतया कीमत द्वारा संचालित है। यह माँग का विस्तार अथवा सकुचन कहलाता है।




चित्र १७

अन्न माँग की वृद्धि को नीजिए। यहाँ उपभोक्ता अपनी माँग को स्थिर कर लेता है, यह कीमत से पृथक् अपनी माँग को बढ़ाता या घटाता है। वह सक्रिय भाग लेता है। उसकी घरेलू आवश्यकताएँ तथा स्थितियाँ उसको मार्ग दिखाती हैं। एक व्यक्ति की आय अथवा उसकी पारिवारिक आवश्यकताओं में वृद्धि हो सकती है। अतएव माप का एक नवीन अधिमान होना आवश्यक हो जाएगा। इस स्थिति में उपभोक्ता पुराने वक्र पर नहीं, बरन् एक नवीन वक्र पर चलेगा।

उदाहरणार्थ जब दूध की कीमत ६ आने सेर से घटकर पाँच आने सेर हो जाती है और उपभोक्ता चार सेर के बजाय पाँच सेर रोज दूध खरीदने लगता है तो इसको माँग का विस्तार (extension) कहेंगे। परन्तु यदि वह कीमत वही रहने पर भी ४ सेर की अपेक्षा ५ सेर खरीदने को तैयार है अथवा वही पुरानी मात्रा कीमत के बढ़ने पर भी खरीदता है तो वह माँग की वृद्धि (increase of demand) कहलाएगी। इन दोनों स्थितियों में वह पहले से अधिक खर्च करने को तैयार है परन्तु माँग को बढ़ाने से खर्च में कोई वृद्धि नहीं हो सकती क्योंकि वह कम कीमत पर अधिक मात्रा खरीदता है। ताराश यह है कि "माँग के बढ़ाव से अभिप्राय कम कीमत पर अधिक मात्रा से है और माँग की वृद्धि से अभिप्राय या तो उसी कीमत पर अधिक मात्रा से है या अधिक कीमत पर उसी मात्रा से। इसी भाँति माँग के संकुचन (contraction) से अभिप्राय अधिक कीमत पर कम मात्रा से है और माँग को कमी से अभिप्राय या तो उसी कीमत पर कम मात्रा से अथवा कम कीमत पर उसी मात्रा से है।" वे आगे के रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

चित्र १८ माँग की वृद्धि प्रस्तुत करता है। OX कक्ष रेखा पर मनो में मात्राएँ और OY पर मूल्य प्रति मन रूपों में नापे गए हैं। माँग में परिवर्तन होने




चित्र १८

से पहले ५) रु० प्रति मन पर (PM) माँग २० मन (OM) व्याज की माँग की थी। अब मान लीजिए कि वही २० मन बढ़ी हुई कीमत ६ ३/४ रु० प्रति-मन (P''M) पर माँगे गए हैं अथवा ५) रु० के मूल्य पर (PM = P'M') माँग ३० मन (OM') है। (य बिन्दु P'' तथा P' एक नए माँग वक्र पर (D'D') पर है जो माँग की वृद्धि प्रकट करते हैं।

चित्र १९ माँग में कमी की व्याख्या करता है। परिवर्तन से पहले माँग ५ (MP) पर २० (OM) मन है। यदि माँग में परिवर्तन होने पर ५) रु० (PM = P'M') की उसी कीमत पर माँग १० (OM') मन हो जाए अथवा ४) (P'M) प्रति

मन पर माँग २० मन (=OM) हो जाय तो बिन्दु P' और P'' एक माँग के नए चक्र D'D' पर होंगे जो माँग को कमी प्रकट करेंगे।

माँग में क्यों परिवर्तन होता है (Why Demand Changes)—यह स्पष्ट है कि माँग में परिवर्तन से हमारा अभिप्राय केवल उसके विस्तार अथवा संकुचन से नहीं है। दूसरी ओर हमारा अभिप्राय यह है कि माँग की परिस्थितियों (conditions) में ही परिवर्तन होता है। उपभोक्ता के अधिमान माप में परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन कीमत के बदले से नहीं होता। दूसरी ओर ऐसे बहुत से कारण हैं जो कि माँग में परिवर्तन लगते हैं। वे उपभोक्ता के अधिमान माप पर प्रभाव डालते हैं और उसे अपनी माँग अनुमूची बदलने के लिए विवश करते हैं।



चित्र १६

निम्नलिखित कुछ ऐसे कारण हैं जो माँग में परिवर्तन करते हैं—

(i) रुचि और फैशन में परिवर्तन (Changes in Tastes and Fashions)—चाय पीने के स्वभाव में वृद्धि ने दूध की माँग को घटा दिया है। पहनावे में परिवर्तन होने से भिन्न प्रकार के कपड़ों की माँग में परिवर्तन हो जाता है। महिलाओं के लम्बे या छोटे बाल रखने के फैशन से बालों की चिमटियाँ, बालों के जाल इत्यादि की माँग में परिवर्तन हो जाता है।

(ii) जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन (Climate or Weather Changes)—यह स्पष्ट है कि माँग में ऋतु के साथ-साथ परिवर्तन होना चाहिए। जाड़े में गरम कपड़ों, कुछ प्रकार की बलबद्धक औपधियों तथा कोयला और लकड़ी की माँग अधिक हो जाती है। गर्मियों में बिजली के पखों, ठण्डे शर्टों तथा बर्फ की माँग हो जाती है।

(iii) जनसंख्या में परिवर्तन (Changes in Population)—राष्ट्रमण्डल के देश तथा अमरीका भारतीयों को अपने देशों में स्वतन्त्र प्रवेश करने की स्वीकृति दें तो यह आशा है कि वहाँ भारत से उत्प्रवास (emigration) शुरू हो जाएगा। यदि भारतीय खाने-पहनने में या अपने रहन-सहन की रीतियों पर स्थिर रहे तो वहाँ ऐसी वस्तुओं की माँग हो जाएगी।

केवल उपभोग करने वाली जनसंख्या के आकार में परिवर्तन ही नहीं बल्कि जनसंख्या की वनावट के अन्तर्गत परिवर्तन भी कुछ वस्तुओं और सेवाओं की माँग पर प्रभाव डालता है। भारतवर्ष जैसे जनसंख्या वृद्धि वाले देश में जहाँ बड़े-बड़े शहरों में प्रतिदिन मैकडो बच्चे पैदा होते हैं वहाँ स्त्रियों, दूध पिलाने वाली बोटलों, निपिल, बच्चों की गाड़ियों इत्यादि की माँग स्वाभाविक ही होगी।

(iv) द्रव्य की मात्रा में परिवर्तन (Changes in the quantity of Money Stock)—जहाँ मुद्रा प्रसार (inflation) है, अतिरिक्त द्रव्य समुदाय की

ऋण शक्ति को बढ़ा देगा और कीमत बढ़ जाएगी। परन्तु कीमतों में वृद्धि प्रत्यक्ष वस्तु में एक-सी नहीं होगी। लोगों को अपने व्यय को फिर से व्यवस्था करनी पड़ेगी। कुछ वस्तुओं की माँग घट जाएगी और कुछ की बढ़ जाएगी। उदाहरणार्थ दावकर की कमी से देशी दावकर और गुड की माँग बढ़ गई और विजली की कमी से मिट्टी के तेल के चिरागों की माँग बढ़ गई।

(v) वास्तविक आय में परिवर्तन (Changes in Real Income)—यहाँ ऊपर दी हुई घटना के विपरीत अर्थात् कीमत के गिरने की घटना है। यहाँ द्रव्य-आय (money-income) अर्थात् मुद्रा की वह मात्रा जो एक व्यक्ति पैदा करता है, तथा वास्तविक आय जिसका अभिप्राय पदार्थ और सेवाओं की उस मात्रा से है जो वह द्रव्य की मात्रा से खरीद सकता है, अन्तर किया जाता है। औद्योगिक उन्नति के समय सस्ते पदार्थों का उत्पादन बढ़ जाता है। मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है या यो कहिए कि वास्तविक आय बढ़ जाती है। पदार्थों की वही मात्रा खरीदने के लिए कम द्रव्य की आवश्यकता होगी। और इस भाँति जो द्रव्य बचेगा उससे दूसरी वस्तुएँ खरीदी जाएँगी। माँग अनुसूचियाँ फिर से बनानी होंगी। कुछ पदार्थों को हटा दिया जा सकता है और पूर्णतया नए पदार्थ खरीदे जा सकते हैं। कुछ पदार्थों की माँग घट जाएगी और कुछ की बढ़ जाएगी।

(vi) आय वितरण में परिवर्तन (Change in Income Distribution)—सार्वजनिक-वित्त के द्वारा, उदाहरणार्थ घणियों पर कर लगाकर तथा निर्धनों पर द्रव्य व्यय करके धन का वितरण होता है। व्यय-शक्ति में परिवर्तन होता है। इससे माँग पर अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा। उस माल की कीमत बढ़ जाएगी, जिसे उस वर्ग के लोग खरीदते हैं जिनकी क्रय शक्ति (purchasing power) घटी हुई है, और इस के विपरीत भी ऐसा ही होगा।

(vii) संचय में परिवर्तन (Change in Savings)—पदार्थों की उपभोगिता की संचय करने की शक्ति (propensity to save) में परिवर्तन होने से भी प्रभावित होती है। अधिक संचय होने से पदार्थों के खरीदने के लिए कम द्रव्य रह जाता है। इसलिये माँग घट जाएगी।

(viii) सम्पत्ति अग्रिमानी में परिवर्तन (Changes in Asset Preferences)—यह पूर्णतया स्पष्ट है कि यदि एक उपभोगिता का द्रव्य अग्रिमानी (liquidity preferences) अधिक बढ़ जाता है तो उसके पदार्थों की माँग में परिवर्तन हा जाएगा। उसकी माँग घट जाएगी।

(ix) एक-दूसरे से सम्बद्ध माँग वाले पदार्थ (Goods with inter-Connected demand)—चाय तथा कॉफी जैसी प्रतिस्थापन वाली वस्तुओं में एक के उपभोग में वृद्धि से दूसरे की माँग में कमी हो जाएगी। घोड़ा और गाड़ी जैसे पूरक वस्तुओं में एक की माँग में वृद्धि दूसरे की माँग को बढ़ा देगी।

गेहूँ और भूसा जैसी सम्युक्त पूर्ति (joint supply) में एक की माँग में वृद्धि से दूसरे की कीमत कम हो जाएगी और इस प्रकार उसकी माँग भी कुछ समय पश्चात् बढ़ जाएगी।

सामासिक माँग (composite or joint demand) में मकान जैसी अन्तिम वस्तु की माँग की वृद्धि से उसके बनाने की आवश्यक वस्तुओं की माँग भी बढ़ जाएगी।

सामासिक पूर्ति (composite supply)—उदाहरणार्थ बिजली, गैस अथवा मिट्टी के तेल से प्राप्त किए हुए प्रकाश म से किसी एक के सस्ते होने पर दूसरी की माँग घट जाएगी।

सामासिक माँग, उदाहरणार्थ, पीने, धोने, नहाने इत्यादि के लिए जल के प्रयोग में से किसी एक के विस्तार अथवा सकुचन से जल की माँग में यथायोग्य परिवर्तन हो जाएगा।

अस्तु, एक वस्तु की माँग केवल उसकी कीमत पर ही नहीं बरन् दूसरी वस्तुओं की कीमतों पर भी निर्भर है।

(५) व्यापार की व्यवस्थाएँ (Conditions of Trade)—व्यापार की उन्नति के समय प्रत्येक वस्तु की माँग कीमतों में वृद्धि होते हुए भी अधिक होती है। इसके विपरीत दूसरी ओर मन्दी के समय में माँग में सामान्य क्षिण्यता होती है।

माँग की लोच (Elasticity of Demand)—हमने माँग के नियम का अध्ययन किया है और यह देखा है कि माँग और कीमत में विपरीत सम्बन्ध है। कीमत में परिवर्तन (घटाव या बढ़ाव) से माँग में भी परिवर्तन (विस्तार, बढ़ाव या सकोच घटाव) हो जाता है। माँग का यह गुण जिससे कीमत में परिवर्तन होने में यह बढ़ती घटती है माँग की लोच कही जाती है। “लोच शब्द माँग और कीमत के बीच-परस्पर सम्बन्ध प्रकट करता है।” यह वह दर (rate) है जिस पर कीमत में परिवर्तन होने से माँग की मात्रा बदलती है। माँग की लोच यह ज्ञेय करती है कि कीमत का परिवर्तन माँग की प्रतिकारिता (responsiveness) बताता है। वास्तविकता यह है कि माँग की लोच सापेक्ष (relative) परिवर्तन का वह माप है, जो किसी निश्चित माँग वक्र में होने वाले सापेक्ष कीमत परिवर्तन के प्रतिकार में माल खरीदता जाता है।¹ श्रीमती जोन रॉबिन्सन (Mrs John Robinson) ने यथार्थ रूप में इसकी परिभाषा इस प्रकार की है, “माँग की लोच, किसी कीमत अथवा पैदावार पर खरीदी गई मात्रा का वह अनुपाती परिवर्तन है जो कीमत में थोड़े हेर-फेर को कीमत में अनुपाती परिवर्तन से भाग देने पर होता है।”²

परन्तु माँग में परिवर्तन मर्दव कीमत के परिवर्तन के अनुपात में नहीं होता। कीमत में थोड़े परिवर्तन से माँग में अधिक परिवर्तन हो सकता है। इस स्थिति में हम कहेंगे कि माँग लोचदार या सचेत अथवा प्रतिकारी (responsive) है। दूसरी ओर यदि कीमत में अधिक परिवर्तन होने से माँग में केवल थोड़ा परिवर्तन होता है

1 “The elasticity of demand is a measure of the relative change in amount purchased in response to a relative change in price on a given demand curve” Meyers, A L—Elements of Modern Economics (1931) p 67

2 The elasticity of demand at any price or at any output is the proportional change of amount purchased in response to a small change in price divided by the proportional change of price.—Robinson, (Mrs) J The Economics of Imperfect Competition (1945) P 18

तो उसको बेलोचदार मांग कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि नमक की कीमत में अधिक परिवर्तन भी हो जाता है तो भी हम उसकी लगभग वही मात्रा खरीदते रहते हैं। ऐसी मांग बेलोचदार (inelastic demand) कहलाती है। परन्तु यदि रेडियो की कीमत गिर जाती है, तो बहुत से व्यक्ति जो पहले उसको नहीं खरीद सकते थे, अब उसको खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो जायेंगे। इस दशा में मांग बढ़ जाएगी, अथवा विस्तृत हो जाएगी अर्थात् वह लोचदार मांग होगी। मार्शल (Marshall) के शब्दों में "मांग की लोच (elasticity) या प्रतिकारकता (responsiveness) बाजार में उतनी ही कम या ज्यादा कही जाएगी जितनी कि मांगी हुई मात्रा कीमत के एक निश्चित उतार पर, कम या ज्यादा बढ़ती है और कीमत के एक निश्चित चढ़ाव पर, ज्यादा या कम घटती है।"¹

तो भी शायद ही कोई वस्तुएं हो जिनकी मांग बिलकुल बेलोचदार (inelastic) हो। मांग कीमत के परिवर्तनों से पूर्णतया अप्रभावित (insensitive) नहीं हो सकती। मांग को बेलोचदार कहने की अपेक्षा हम को कम लोचदार (less elastic) कहना चाहिए। लोच तो केवल डिग्री मात्र ही है।

मांग में वृद्धि इन कारणों से ही हो सकती है जबकि कीमत गिरने पर वर्तमान खरीदार अधिक खरीदने लगे या नये खरीदार खरीदना आरम्भ कर दें। आमतौर पर शक्तिशाली (Potential) खरीदार ही मांग को लोचदार बनाते हैं। उदाहरणार्थ, जब गेहूँ की कीमत गिर जाती है तो वर्तमान खरीदारों की अधिक खरीद से नहीं बरन् नये खरीदारों की बड़ी हुई खरीद के कारण ही गेहूँ की अधिक बिक्री होती है।

आय सम्बन्धी प्रभाव (The Income Effect)—यह प्रभाव उपभोक्ता की सन्तुष्टि में होने वाले परिवर्तनों से सम्बन्धित है जो उसकी आय में परिवर्तन के फलस्वरूप होते हैं, लेकिन कीमत वैसे ही बनी रहती है। परन्तु यदि कीमतें इस प्रकार बदले कि आय में होने वाले परिवर्तन से उस पर कोई भी अच्छा-बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, तो यह प्रतिस्थापन प्रभाव (Substitution effect) कहलाएगा।

७ आय लोच तथा कीमत लोच (Income Elasticity and Price Elasticity)—आय लोच (income elasticity) की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है (मा० लो)—

$$\text{मा० लो} = \frac{\text{माल की खरीद में अनुपाती परिवर्तन}}{\text{आय में अनुपाती परिवर्तन}}$$

चूँकि आय प्रभाव (income effect) प्रायः क्रियात्मक (Positive) होता है, इसी तरह आय लोच (income elasticity) भी क्रियात्मक होती है। जब आय में परिवर्तन से खरीद (Purchases) में कोई परिवर्तन नहीं होता तो यह शून्य (zero) होता है और जब आय में वृद्धि के साथ उपभोक्ता खरीद कम कर देता है तो यह अक्रियात्मक (negative) होता है, अर्थात् रही माल के सम्बन्ध में मांग की कीमत लोच (price elasticity of demand) तथा मांग की आय लोच (income

1 The elasticity (or responsiveness) of demand in a market is great or small according as the amount demanded increases much or little for a given fall in price and diminishes much or little for a given rise in price.—Marshall

elasticity of demand) के अन्तर को ध्यान से समझ लेना चाहिए। माँग की कीमत लोच (price elasticity of demand) और माँग की आय सम्बन्धी लोच (income elasticity of demand) के बीच के भेद को समझ लेना आवश्यक होगा। माँग की लोच (price elasticity) माँग की प्रतिकारकता अथवा सचेतता (responsiveness of sensitiveness) में कीमत में होने वाले (कम) परिवर्तनों को मापती है; आय लोच (income elasticity) खरीदार की आय में होने वाली प्रतिकारकता (responsiveness) की ओर निर्देश करती है। पहले का संकेत खर्च प्रभाव (expenditure effect) की ओर है, दूसरे का संकेत आय प्रभाव (income effect) की ओर है। उपभोक्ता अपेक्षाकृत महँगे माल को जगह अपेक्षाकृत सस्ता माल लेगा वह विषय उपभोक्ता की आय में क्षतिपूर्ति अन्तर (compensating variation) कहलाता है।

जब कि कीमते बदलती हैं और द्रव्य आय स्थिर रहती है, तो भी उपभोक्ता पर अच्छा या बुरा असर हाता है, ऐसे प्रभाव को कीमत प्रभाव (price effect) कहते हैं। इससे खरीदारी तथा वास्तविक आय को फिर से ठीक करना पड़गा और उपभोक्ता पर अच्छे या बुरे प्रभाव को बदलना होगा। इस प्रकार आय प्रभाव (income effect) भी होगा। यह आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव (substitution effect) का मेल (combination) कहलाता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि जहाँ तक अकेले दुकानदार तथा दुकान का सवाल है उत्पादन (product) के लिए माँग बहुत लोचदार होनी है यद्यपि कुल मिलाकर उत्पादन के लिए माँग बेलोचदार (inelastic) हो सकती है। दूसरों की निस्वत अपनी कीमत कम करके वह अपने उत्पाद की माँग में वृद्धि कर सकता है। इस प्रकार माँग वक्र क्षैतिज (horizontal line) होगा।^१ विभिन्न माल की माँग के माप में ये दोनों लोच (elasticities) पर्याप्त रूप से सहायक हैं। इस प्रकार यह कराधान (taxation) के माप में भी सहायक होता है।

हम एक दूसरे पद (term) को भी समझ लेना चाहिए अर्थात् सञ्चरण लोच (cross-elasticity)। यहाँ एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरे की माँग में परिवर्तन हो जाता है। माँग की सञ्चरण लोच (cross elasticity)

Y की खरीद में अनुपाती परिवर्तन

X की कीमत में अनुपाती परिवर्तन

८ माँग की लोच का आह्लासी उपयोगिता के नियम से सम्बन्ध (Relation of Elasticity of Demand with the Law of Diminishing Utility)—माँग की लोच का सिद्धान्त घटती हुई या आह्लासी उपयोगिता के नियम से सम्बद्ध है। सीमान्त उपयोगिता पूर्ति (supply) के अनुसार बदलती है। जब पूर्ति बढ़ती है यह गिरती है और जब पूर्ति घटती है तो यह बढ़ती है। परन्तु प्रत्येक वस्तु की सीमान्त उपयोगिता में कमी एक-मो नहीं होती। नमक जैसी कुछ वस्तुओं में हम तुरन्त ही

१ रेखाचित्र के लिए हमारी पुस्तक "Refresher Course in Economic Theory" के अध्याय ६ को देखिए।

सन्तुष्ट हो जाते हैं और सीमान्त उपयोगिता घुसन्त गिर जाती है। इन स्थितियों में माँग बेलोचदार होती है और मूल्य में कोई भी कमी हम को अधिक क्रय करने को प्रोत्साहित नहीं कर सकती। कुछ दूसरी स्थितियों में सीमान्त उपयोगिता धीरे-धीरे गिरती है, उदाहरणार्थ विलासिताएँ। ऐसी वस्तुओं की कीमतों में कमी से माँग अवश्य बढ़ेगी। अतएव ऐसी वस्तुओं की माँग लोचदार होगी। संक्षेप में, माँग बेलोचदार होती है जब कि सीमान्त उपयोगिता शीघ्रता से गिरती है और लोचदार होती है जब कि वह धीरे-धीरे गिरती है।

६ माँग की लोच तथा उपभोक्ता की बचत (Elasticity of Demand and Consumer's Surplus)—माँग के स्वरूप का प्रभाव उपभोक्ता की बचत की मात्रा पर भी पड़ता है। अनिवार्यताओं तथा प्रतिष्ठा-रक्षक आवश्यकताओं की माँग बेलोचदार होती है। उनकी कीमत बाजार में बहुत कम होती है। परन्तु उपभोक्ता उनके लिए, जो वास्तव में भुगतान करते हैं, उससे अधिक देने को तैयार रहते हैं। जो कुछ वे देने को तैयार हैं और जो कुछ वे वास्तव में देते हैं, उनका अन्तर उपभोक्ता की बचत (consumer's surplus) बताता है। अतएव हम कह सकते हैं कि जब माँग बेलोचदार है तो उपभोक्ता की बचत अधिक होती है और वह जब लोचदार है तो कम।

१०. माँग की लोच कैसे निर्धारित होती है (What determines Elasticity of Demand) —पदार्थों का वर्गीकरण उनकी माँग के स्वभाव के अनुसार करना तथा यह निर्धारित करने के लिए दृढ़ नियम बनाना कि माँग लोचदार या बेलोचदार है, सम्भव नहीं है। परन्तु हम इस सम्बन्ध में साधारण नियम बना सकते हैं। लोच एक सापेक्षिक (relative) शब्द है। किसी व्यक्ति के लिए अथवा एक स्थान पर माँग लोचदार हो सकती है तथा दूसरे के लिए दूसरे स्थान पर यह बेलोचदार हो सकती है। इस महत्त्वपूर्ण शर्त के आधीन हम निम्नलिखित नियम प्रस्तुत कर सकते हैं।

(1) अनिवार्यताओं तथा प्रतिष्ठा-रक्षक आवश्यकताओं के लिए माँग बेलोचदार अथवा कम लोचदार होती है (For necessities and conventional necessities, the demand is inelastic or less-elastic)—हम ऐसी वस्तुओं को चाहे जो कुछ कीमत हो अवश्य एक बंधी मात्रा में खरीदते हैं। भारत जैसे निर्धन देश में तो, नमक जैसी वस्तु की माँग भी कुछ लोचदार होती है। १९२३ में नमक-कर को दूना करने से नमक का उपभोग कम हो गया था। गेहूँ के मूल्य में परिवर्तन उच्च तथा मध्यम वर्ग के लिए सारहीन हो सकता है, परन्तु निर्धनों में उसका उपभोग मूल्य गिरने पर अवश्य ही बढ़ेगा।

यह अवश्य याद रखना चाहिए कि गेहूँ जो जीवन-रक्षक पदार्थ है उसकी माँग चाहे बेलोचदार हो किन्तु प्रतिस्पर्द्धी बाजार में किसी विशेष उद्योग की वस्तुओं की माँग अत्यधिक लोचदार हो सकती है। यदि उस वस्तु की कीमत तनिक भी बढ़ाई जाती तो उसकी माँग प्रायः समाप्त भी हो सकती है।

(ii) विलासिताओं की माँग लोचदार होती है (Demand for luxuries is elastic)—यह ठीक प्रतीत होता है कि रेडियो, रेफ्रिजरेटर तथा सुन्दर लकड़ी

के सामान के मूल्य में कमी से उनकी बिक्री में वृद्धि हो जाएगी। परन्तु वृद्धि कौन करेगा? वास्तव में धनी नहीं। उनके लिए यह वस्तुएँ प्रतिष्ठाकारक आवश्यकताएँ हैं। वे उनको अवश्य ही खरीदेंगे और एक बार खरीदने के बाद वे दुबारा नहीं खरीदेंगे चाहे जितनी भी कीमत बयो न हो। अतएव इनकी माँग धनिक वर्ग के लिए लोचदार नहीं है। गरीबों के लिए विलासिता की वस्तुओं की माँग लोचदार है।

यहाँ भी हम साधारणीकरण नहीं कर सकते। विलासिता एक सापेक्ष शब्द है। निर्धन की कीमती विलासिता धनी के लिए कम कीमत वाली आवश्यकता होती है। एक वस्तु एक देश में विलासिता हो सकती है और दूसरे में अनिवायता। प्राचीन काल की विलासिताएँ आधुनिक काल की अनिवायताएँ बन गई हैं। इस भाँति एक ही वस्तु के लिए कुछ मनुष्यों की माँग लोचदार तथा दूसरों की बेलोचदार हो सकती है।

(iii) प्रतिस्थापन वाली वस्तुओं की माँग लोचदार होती है (For substitutes the demand is elastic)—“माँग की कीमतों में परिवर्तन होने पर भी उनकी माँग में अन्तर इस कारण रहता है कि कुछ वस्तुओं के लिए दूसरी वस्तुओं की बजाएँ, स्पर्धी वस्तुएँ (competitive substitutes) मिल जाती हैं।” जब चाय की कीमत बढ़ जाती है, हम उसकी खरीद को घटा सकते हैं और कॉफी को खरीद सकते हैं तथा इसके विपरीत भी ऐसा कर सकते हैं। कीमत में परिवर्तन होने से माँग में विस्तार या संकुचन हो जाएगा।

तो भी बहुत कम ऐसी वस्तुएँ हैं जो ठीक प्रतिस्थापन कर सकती हैं। कॉफी चाय के पूर्णतया समान नहीं है। इटली, अमरीका तथा अर्जेंटीना में जूट के प्रतिस्थापन (substitute) करने के प्रयत्न किए गए हैं परन्तु वे अधिकतर निष्फल रहे हैं।

(iv) विभिन्न उपयोगों वाले पदार्थों की माँग (Demand for goods having several uses)—ऐसे पदार्थों की माँग लोचदार होती है। कोयला एक ऐसी ही वस्तु है। जब यह सस्ता हो जाता है तो यह खाना पकाने, गरम करने और व्यवसाय सम्बन्धी कार्यों में प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार उसकी माँग बढ़ जाती है। परन्तु जब कीमत बढ़ जाती है तो वह केवल आवश्यक उपयोगों में ही लाया जाएगा और कम खरीदा जाएगा। अतएव माँग घट जाएगी।

(v) सशुद्ध माँग वाली वस्तुएँ (Jointly demanded goods)—सशुद्ध माँग में लोच बहुत कम होती है। यदि गाड़ी के दाम गिर जाएँ और घोड़े के दाम ऊँचे रहे तो गाड़ी की माँग में कोई विशेष वृद्धि न होगी।

(vi) उन पदार्थों की माँग जिनका उपयोग टाला जा सकता है लोचदार होती है (Demand for goods the use of which can be postponed, is elastic)—हम में से अधिक मनुष्यों ने लड़ाई के समय अपने क्रय को जहाँ तक हो सका टाला। उदाहरणार्थ, मकान बनाना, फर्नीचर खरीदना अथवा कई गर्म सूट रखना। जब यह सस्ते होते हैं हम इनकी अधिक मात्रा खरीदते हैं। अतएव उनकी माँग लोचदार होती है।

(vii) लोच कीमतों के स्तर पर भी निर्भर है (Elasticity also depends on the level of prices)—यदि कोई वस्तु बहुत महंगी अथवा बहुत सस्ती है तो उसकी माँग बेलोचदार होगी। यदि कीमत बहुत ऊँची है तो इसमें कमी होने में माँग अधिक न बढ़ेगी। दूसरी ओर यदि यह बहुत कम हो, तो मनुष्य जितनी चाहते हैं उतनी ही खरीद लेंगे। यदि कीमत इससे अधिक गिरती है तो माँग में कोई वृद्धि नहीं होगी। मार्शल के शब्दों में—“माँग की लोच ऊँची कीमतों के लिए अधिक होती है, मध्यम कीमतों के लिए अधिक अथवा विशेष होती है और जैसे कीमत घटती जाती है, वैसे ही लोच भी घटती जाती है और यदि कीमत इतनी गिरे कि सन्तुष्टि की सीमा आ जाय तो लोच धीरे-धीरे लुप्त हो जाएगी।”¹

(viii) एक ही वस्तु की माँग कुछ उपयोगों के लिए बेलोचदार हो सकती है। उदाहरणार्थ मनुष्यों के खाने के लिए गेहूँ और कुछ दूसरे उपयोगों के लिए लोचदार हो सकता है जैसे मवेशियों को खिलाने के लिए गेहूँ।

(ix) माँग की लोच आय के साथ भी परिवर्तित होती है (Elasticity also varies with incomes)—निर्धन व्यक्तियों की माँग, कीमत परिवर्तन से अधिक बदलती है। अपनी थोड़ी आय से अधिकतम लाभ उठाने के लिए, उनको कीमतों के साथ साथ अपनी खरीदारी में परिवर्तन करने के लिए सचेत रहना पड़ता है। दूसरी ओर धनी पुरुष कीमतों की ओर विशेष ध्यान नहीं देते और उसमें परिवर्तन होने पर वस्तुओं की वही मात्रा खरीदते रहते हैं। निर्धन मनुष्य को सस्ती वस्तुओं की ओर झुकना पड़ता है पर धनी मनुष्य को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसकी सामर्थ्य वही खरीदने की बनी रहती है जो कुछ वह खरीद रहा है।

उपर्युक्त विवेचन हमें यह मत दृढ़ करता है कि कोई ऐसा नियम बनाना सम्भव नहीं है कि कौनसी वस्तु लोचदार माँग रखती है और कौन बेलोचदार। जब हम यह जानना चाहते हैं कि माँग लोचदार अथवा बेलोचदार है, तो हमें यह निर्णय कर लेना चाहिए कि किस धरणी के मनुष्य के सम्बन्ध में हम यह जानना चाहते हैं।

११ लोच की माप (Measurement of Elasticity)—व्यवहारिक प्रयोजनों में केवल यह ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है कि माँग लोचदार है या बेलोचदार। यह मालूम करना अधिक उपयोगी है कि यह किस सीमा तक लोचदार है। इस प्रयोजन के लिए इसको मापना आवश्यक है।

चाहे जितनी भी कीमत हो, और लोग बिल्कुल एक-सी मात्रा खरीदते रहे, तो लोच शून्य होगी। इसका अभिप्राय यह है कि चाहे जितनी ऊँची कीमत हो, वे इस मात्रा की अवश्य ही खरीदेंगे, अथवा कीमत चाहे जितनी कम हो, वे कुछ और खरीदने के लिए प्रोत्साहित नहीं किए जा सकते। ऐसी माँग पूर्णतया बेलोचदार है। दूसरी सीमा यह है कि जब कीमत में थोड़ी-सी भी वृद्धि होती है तो आगे खरीदारी पूर्ण रूप से बन्द हो जाती है। यहाँ लोच अनन्त (infinite) कही जाती है अर्थात् वह पूर्णतया

लोचदार है। इन दो सीमाओं के बीच में माँग की लोच की अनेक विभिन्न डिग्रियाँ (varying degrees) होगी।

लोच की माप की दो रीतियाँ (methods) बतलाई गई हैं —

पहली रीति—कीमत में अन्तर होने से पहले और बाद में खरीदार की कुल खरीद की तुलना करना (अथवा कुल रेवेन्यु की अर्थात् विक्रेता की दृष्टि से बेच के कुल मूल्य (value) की) माँग की लोच तीन प्रकार से बतलाई जाती है—(१) एकता या एकीय लोच (unity or unitary elasticity), (२) एकता से अधिक और (३) एकता से कम। जब कीमत में परिवर्तन होने पर कुल व्यय की मात्रा (या कुल रेवेन्यु) एक ही रहती है तब लोच सम (unity) या एक मानी जाती है। कीमत की वृद्धि खरीद में कमी से ठीक सतुलित (balanced) हो जाती है तथा इसका ठीक उल्टा भी इसी प्रकार होता है। एक आयतन हाइपरबोला (rectangular hyperbola) लोच को इकाई बताता है।

दो कीमतों के बीच लोच एकता (unity) से अधिक कही जाती है जब कीमत के गिरने से कुछ व्यय की मात्रा बढ़ती है अथवा कीमत में वृद्धि होने से कुल व्यय की मात्रा घट जाती है।

दो कीमतों के बीच लोच सम या एकता (unity) से कम कही जाती है जब कीमत में वृद्धि से कुल व्यय की मात्रा बढ़ जाती है और मूल्य में कमी होने से घट जाती है।

यह निम्न अनुसूची से स्पष्ट हो जाएगा—

(१) पेंसिलो का मूल्य प्रति दर्जन	(२) माँग की गई मात्रा	(३) = (१) × (२) कुल व्यय (रेवेन्यु)
१ ६० १ ५० न० पें०	३ दर्जन	६० ४ ५० न० पें०
२ " १ २१ " "	४ " "	" ५ ०० " "
३ " १ ०० " "	५ " "	" ५ ०० " "
४ " ० ७१ " "	६ " "	" ४ ५० " "
५ " ० ६२ " "	७ " "	" ४ ३४ " "
६ " ० ५० " "	८ " "	" ४ ०० " "

(१) और (२) के बीच में लोच एकता (unity) से अधिक है क्योंकि

कीमत बढ़ने से कुल व्यय की मात्रा घटती (कुल रेवेन्यु) और कीमत गिरने से बढ़ती है। (२) और (३) के बीच में एकता है क्योंकि कुल व्यय की मात्रा (कुल रेवेन्यु) एक ही रहती है। (४) और (५) के बीच में लोच एकता से कम है क्योंकि कुल व्यय की मात्रा (कुल रेवेन्यु) मूल्य बढ़ने से बढ़ती है और गिरने से गिरती है। मार्शल के शब्दों में "यदि माँग की लोच माल की तमाम कीमतों की एकता (unity) के समान है तो कीमत में कोई भी कमी से खरीदे गए माल की मात्रा के अनुपात में वृद्धि होगी। और, इसलिए कुल व्यय (total outlay) में जो खरीदार माल के खरीदने में खर्च करते हैं कोई परिवर्तन नहीं होगा।" एक वक्र जो सब कीमतों पर

स्थिर कुल व्यय (constant total outlay) बताता है और जहाँ मूल्य में लोच एकता (unity) है तो इसे आयतन आकार का हाइपरबोला (rectangular hyperbola) कहते हैं। ऐसे मामलों को छोड़कर कोई भी वक्र सारी सम्बन्धी में लोच नहीं दिखाता। प्रायः वक्र भिन्न बिन्दुओं पर भिन्न लोच प्रदर्शित करता है।

दूसरी सीमा—दूसरी सीमा में हम कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की माँग की प्रतिशत परिवर्तन से तुलना करते हैं। माना कीमत ५० प्रतिशत बढ़ जाती है। यदि माँग ५० प्रतिशत घट जाती है तो लोच एकता (unity) रहती है; यदि यह ५० प्रतिशत से अधिक घट जाती है तो वह एकता से अधिक होती है, और यदि यह ५० प्रतिशत से कम घटती है तो लोच एकता से कम है।

सूत्र इस प्रकार है—

$$\text{माँग की लोच} = \frac{\text{माँगी गई मात्रा में अनुपाती परिवर्तन}}{\text{कीमत में अनुपाती परिवर्तन}}$$

$$= \frac{\text{माँगी गई मात्रा में परिवर्तन}}{\text{माँगी गई मात्रा}} \times \frac{\text{कीमत में परिवर्तन}}{\text{कीमत}}$$

प्रतीक (symbols) का अनुसार,¹

$$(\eta) = \frac{\frac{\Delta m}{m}}{\frac{\Delta p}{p}} = \frac{\frac{m}{\Delta p}}{\frac{p}{\Delta m}}$$


जिसमें—

- (η) = लोच
- m = मात्रा
- p = कीमत

Δ = मात्रा में लघु (infinitesimal) परिवर्तन अथवा कीमत में लघु परिवर्तन

माँग की लोच सदैव नकारात्मक (negative) होती है, यद्यपि पद्धति के अनुसार उसे सकारात्मक (positive) समझा जाता है। इसलिए तो (η) सदैव शून्य से कम होगी यदि माँग वक्र रीति विन्दु, अर्थात् दाएँ में बाएँ की ओर भुजनी हुई नहीं है।

१२ माँग की लोच का रेखाचित्र द्वारा वर्णन (Diagrammatic Representation of Elasticity of Demand)²—इन दो रेखाचित्रों में DD' माँग वक्र



चित्र १०


है। एक रेखाचित्र में लोच शून्य है और दूसरे में लोच अपार है। शून्य तथा अनन्त के समान लोच ब्रेवेल सैद्धान्तिक ही है। पहले में DD' OY के ओर दूसरे में OX के समानान्तर है। लोच जितनी ही कम होती है, माँग वक्र शून्य वाली वक्र से उतनी ही समीप होती है और लोच जितनी ही अधिक होती है माँग वक्र अनन्त वाली वक्र से उतनी ही समीप होती है। सिर्फ

1 Stigler G J—Theory of Price (1949) p 52

2. For an advanced version see Stigler, pp 51-54

इन्ही दो वक्रों में लोच सभी बिन्दुओं (points) पर समान होगा। दूसरे वक्रों में, भिन्न बिन्दुओं पर लोच भिन्न है जैसा कि रेखाचित्र २१ में दिखाया गया है। चूँकि लोच सर्वत्र बिन्दु पर होनी है न कि वक्र में।

माँग की लोच के नापने की एक और रीति भी है। नीचे के माँग वक्र को लीजिए। नीचे DD' एक सीधी माँग वक्र है लोच भिन्न अंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वक्र पर किसी बिन्दु से D' तक की दूरी — उसी बिन्दु से D तक की दूरी। अतएव बिन्दु P₁ P₂ P₃ पर माँग की लोच—



चित्र २१


$$\frac{D'P_1}{DP_1}, \frac{D'P_2}{DP_2}, \text{ and } \frac{D'P_3}{DP_3}$$

क्योंकि P₂ वक्र के बीच में है,
अतः $\frac{D'P_2}{DP_2} = 1$

इसलिए, लोच एकता (unity) है। यह भी सीधे पड़ता है कि लोच वक्र के निचले बिन्दु पर ऊँचे बिन्दु की अपेक्षा एकता से कम है।¹

यदि इस पर भी माँग वक्र सीधी रेखा में नहीं है, तो उपयुक्त सूत्र लागू होगा। लेकिन फिर भी एक टेंजेंट (स्पर्श-रेखा) को वक्र पर कीमत बिन्दु के स्थान में खींचना पड़ेगा जहाँ लोच को मापा जाता है। इसको निम्न रेखाचित्र में दिखाया गया है।

DD' माँग वक्र है तथा दो स्पर्श रेखाएँ (tangents) PM तथा P'M' क्रमशः TT' बिन्दुओं पर खींची गई हैं। T बिन्दु पर लोच (elasticity) $\frac{TM}{PT}$ के समान होगा। यह स्थिति तब तक लागू होगी जब तक स्पर्श रेखा तथा वक्र परस्पर मिलते हैं अर्थात् कम से कम थोड़े अन्तर के लिए (for an infinitely short distance)। यदि P बिन्दु से जुदा होता है तो एक नई स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी और उसी के अनुसार लोच निर्दिष्ट करनी होगी।



चित्र २२


1. हमारी पुस्तक 'Refresher Course' के अध्याय ६ को देखिए।

$$T' \text{ बिन्दु पर लोच} = \frac{T'M'}{PT'}$$

इससे यह स्पष्ट है कि T बिन्दु पर T' बिन्दु की अपेक्षा अधिक लोच है।

वक्र के ढाल और माँग की लोच को स्पष्ट समझने में गणवटी न करनी चाहिए। वक्र का झुकाव लोच की मात्रा का परिचायक नहीं है। ऊपर के रेखाचित्र २२ में माँग वक्र DD' का झुकाव उतना ही है किन्तु उसके भिन्न बिन्दुओं पर भिन्न लोच दिखाया गया है। यदि लोच और ढाल परस्पर जुड़े हुए हों तो लोच सब जगह स्थिर (constant) होती। लेकिन ऐसा नहीं है। माँग कीमत अक्ष (OY) के पास लोचदार है, और D बिन्दु के पास एकीय आधे मार्ग (unity half way) तक, अर्थात्, P₂ बिन्दु पर, और मात्रा अक्ष (quantity axis) के पास बेलोचदार है, अर्थात् D' बिन्दु के पास। क्योंकि लोच पूर्ण परिवर्तन पर नहीं बल्कि प्रति संकेत परिवर्तन पर निर्भर रहती है इसलिए यह वास्तव में कीमत से सम्बन्धित वक्र की कीमत मात्रा अनुपात¹ पर निर्भर रहती है।

लोच के रेखाचित्र २३ में वक्र BP और AP व भिन्न झुकाव हैं, तो एक ही हुई कीमत पर उनकी एक ही लोच (elasticity) है। मान लीजिए कि OM



चित्र २३

कीमत है। अक्ष X-axis रेखा के समानान्तर रेखा क्षीणो जो BP को R बिन्दु पर काटे और AP को S बिन्दु पर काटे। अब हम कहेंगे कि वक्र BP की लोच बिन्दु R पर

$$\frac{BR}{RP} \text{ है,}$$

उसी प्रकार वक्र AP की लोच S

बिन्दु पर $\frac{AS}{SP}$ है।

अब समकोण त्रिभुज (right angled triangle) BOP में

$$\frac{BR}{RP} = \frac{OM}{MP}$$

किन्तु समकोण त्रिभुज AOP में

$$\frac{OM}{MP} = \frac{AS}{SP}$$

अतः

$$\frac{BR}{RP} = \frac{AS}{SP}$$

इसका अर्थ यह हुआ कि बिन्दु R और बिन्दु S दोनों पर लोच समान है चाहे दोनों वक्रों के ढाल भिन्न-भिन्न आर को है। ऐसे वक्रों को सम लोचदार वक्र (iso-elastic) कहते हैं।

तो भी हम एक स्थिति ऐसी देख सकते हैं जहाँ तत्सम्बन्धी झुकाव तत्सम्बन्धी

¹ See Samuelson, P. A.—Economics (1948), p. 401, especially how the formula has been worked out in the footnote

लौचो का प्रदर्शन करता है। मान लीजिए कि दो वक्र हैं AB और CD जो भिन्न मण्डियों में एक ही माल के माँग का प्रदर्शन करते हैं जैसा कि नीचे बने रेखाचित्र न० २४ में दिखाया गया है। अब हम कह सकते हैं कि CD, AB की अपेक्षा अधिक लोचदार है।

मान लीजिए कि OM कीमत है और बिन्दु M से एक सम रेखा OX के समानांतर खींची जो AB को बिन्दु R पर और CD को बिन्दु S पर काटती है।

अब माँग की लोच बिन्दु R पर

$$= \frac{BR}{RA} \text{ है।}$$

माँग की लोच बिन्दु S पर $\frac{DS}{SC}$ है ,

अब त्रिभुज AOB में

$$\frac{BR}{RA} = \frac{OM}{MA}$$

और त्रिभुज COD में

$$\frac{DS}{SC} = \frac{OM}{MC} \text{ है।}$$

अब चूँकि $\frac{OM}{MC}$ बड़ा है $\frac{OM}{MA}$ की अपेक्षा,


इसलिए $\frac{DS}{SC}$ बड़ा है $\frac{BR}{RA}$ की अपेक्षा।

अर्थात् वक्र CD अधिक लोचदार है वक्र AB की अपेक्षा।

१३ माँग की लोच के सिद्धान्त का व्यावहारिक प्रयोग (Practical

Application of the Concept of Elasticity of Demand)—यह सिद्धान्त सरकारी वित्त-व्यवस्था तथा व्यापार और वाणिज्य में अधिक महत्त्व रखता है। वित्त-मन्त्री यदि उन वस्तुओं पर कर लगाता है जिनकी माँग बेलोचदार है तो वह सरकार की वार्षिक आय के लिए अधिक निश्चित हो सकता है। निःसन्देह कर से कीमत बढ़ जाएगी परन्तु माँग बेलोचदार होने के कारण लोगों को वह वस्तु खरीदना ही पड़ेगी। इस प्रकार माँग घटेगी नहीं। परन्तु मानवता के नाते ऐसे कर नहीं लगाए जाते, क्योंकि ऐसी वस्तुएँ जीवन-रक्षक अनिवार्यताएँ हैं और उन पर कर लगाने से जनता के हित पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

इसी भाँति व्यापारी को यदि वह एकाधिकारी (monopolist) है तो अपनी कीमत निर्धारित करते समय माँग के स्वरूप का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि माँग बेलोचदार है तो उसको लाभ इसमें होगा कि वह ऊँची कीमत ले और उसकी कुछ कम मात्रा बेचे। दूसरी ओर यदि माँग लोचदार है तो वह कीमत कम करके माँग बढ़ा देगा और इस प्रकार एकाधिकारी लाभ को अधिकतम कर सकेगा। लेकिन स्पर्धी उद्योगों की स्थिति में प्रत्येक फर्म के द्वारा उत्पादित माल की माँग लोचदार होती है। इसलिए कोई एक फर्म कीमत निर्धारित नहीं कर सकती।



चित्र २४

लोच का सिद्धान्त सयुक्त उत्पादन पर भी लागू होता है। उनकी पृथक् लागत (cost) मही मालूम की जा सकती। उत्पादक कीमत निर्धारित करते समय माँग और उसके स्वभाव से ही प्रभावित होगा। परिवहन (transport) अधिकारी इस सिद्धान्त के अनुसार दर निर्धारित करते हैं—उतनी ही दर हो जितना कि यात्री भार सह सकें। जब किसी उद्योग में बढ़ती हुई प्राप्ति (increasing returns) का नियम लागू होता है, तो उत्पादक बाजार का विकास करने के लिए कीमत कम कर देते हैं जिससे कि वे बड़े पैमाने के उत्पादन से लाभ उठा सकें। अतएव हम देखते हैं कि लोच का विषय सैद्धान्तिक धर्मा मात्र नहीं है।

औद्योगिक उत्पादन माँग का लोच से प्रभावित होता है, परन्तु इस सम्बन्ध में हम एक व्यक्ति की लोच में तथा समस्त बाजार की लोच में भेद करना पड़ेगा। कीमत में कोई भी कमी होने के कारण एक व्यक्ति एक ही समाचारपत्र या पत्रिका दूसरी बार लेने को प्रोत्साहित न होगा। व्यक्तिगत माँग बेलोचदार है, परन्तु बाजार की माँग बेलोचदार नहीं है और उत्पादक के लिए यह बाजार की माँग ही है जो अधिक महत्त्व रखती है। कीमत में कमी से समस्त बाजार में अवश्य ही बिक्री बढ़ जाएगी। लोच का सिद्धान्त बहुतायत के बीच में निर्धनता के विरोधाभास की व्याख्या करता है। यदि माँग बेलोचदार है तो खूब अच्छी फसल सफलता का एक कारण होने की अपेक्षा विपत्ति पैदा कर सकती है। यह विशेषता तब होती है जब कि उत्पादन शीघ्र नष्ट होने वाला (perishable) हो। एक बुरी फसल की अपेक्षा अच्छी फसल से कम द्रव्य प्राप्त हो सकता है। कुछ समय तक रखी जाने वाली वस्तुओं की माँग कम बेलोचदार अथवा लोचदार होती है। कीमत के घट जाने से वह अधिक खरीदी जाएगी तथा स्टोर की जाएगी। ऐसा किसी एक वर्ष में हो सकता है, परन्तु ५ वर्ष या अधिक समय में ऐसी वस्तुओं की माँग कम लोचदार होती है। उदाहरणार्थ, गेहूँ की माँग। यदि गेहूँ की माँग की लोच सम या एकता (unity) के बराबर है तो उत्पादकों की आय एक सी रहेगी चाहे फसल की कौसी भी स्थिति क्यों न हो। (अतएव कीमत की प्रत्यक्ष स्थिति में यह समान रहेगी।) बुरी फसल होने वाले वर्ष में कीमत की वृद्धि उत्पादन की कमी को पूरा कर देगी। अतएव किसानों की एक निश्चित आय स्थायी बनाने के लिए सरकार को एक विशिष्ट फसल की माँग की लोच की श्रेणी का ध्यान रखना चाहिए और अधिक उत्पादन तथा कमी को रोकने के लिए यथायोग्य कार्य करना चाहिए।

माँग की लोच का प्रभाव मजदूरी (wages) पर भी पड़ता है। यदि श्रम की माँग अपेक्षाकृत बलोचदार है तो मजदूरी बढ़ाना सरल है अन्यथा नहीं।

निर्देश पुस्तकें

- Marshall A Principles of Economics
 Benham F Economics
 Robinson Joan Economics of Imperfect Competition (1942),
 Chs 1 and 2
 Meyers, A L Elements of Modern Economics Chs 6 and 7
 Stigler, G J Theory of Price, Chs 4 and 5
 Samuelson, P A Economics (1948), pp 447-54.

अध्याय ७

उत्पादन—(सामान्य रूप में) (Production—General)

१. उत्पादन का अर्थ (Meaning of Production)—कभी-कभी उत्पादन की परिभाषा 'उपयोगिता का निर्माण' (creation of utility) अथवा 'आवश्यकता को सन्तुष्टि करने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण' बताई जाती है। यह कहा जाता है कि ठीक जिन प्रकार मनुष्य पदार्थ नष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार वह पदार्थ का निर्माण भी नहीं कर सकता, वह उसे केवल उपयोगिता प्रदान कर सकता है। फ्रेजर (Fraser) के शब्दों में "यदि प्रयोग का अर्थ उपयोगिता निकाल लेना है तो उत्पादन का अर्थ उपयोगिता भर देना है।"¹

परन्तु वैज्ञानिक रूप से यह परिभाषा उचित नहीं है। ऐसी वस्तु का उत्पादन करना जिसमें उपयोगिता (utility) हो किन्तु मूल्य (value) न हो आर्थिक दृष्टि से उत्पादन नहीं है। मैं योग की विचारधारा फैला सकता हूँ तथा अपने मित्रों का शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण कर सकता हूँ जिमकी उपयोगिता भी अधिक है। परन्तु जब तक मैं इसे अपना व्यवसाय न बना लूँ मेरी क्रिया उत्पादन के अन्तर्गत नहीं होगी। अतएव उत्पादन को उपयोगिता का निर्माण कहकर नहीं किन्तु मूल्य का निर्माण अथवा उसकी वृद्धि कहकर परिभाषित करना चाहिए।² उपयोगिताएँ तीन रूप में पैदा की जाती हैं : (1) स्वरूप उपयोगिता (form utility), (2) समय उपयोगिता (time utility), और (3) स्थान उपयोगिता (place utility)।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि अर्थशास्त्र के अन्तर्गत उत्पादन के अध्ययन में हमारा सम्बन्ध उत्पादन की तकनीक (technique) से नहीं है। हम तो सिर्फ उत्पादन के आर्थिक रूप से ही सम्बन्धित हैं। उदाहरण के लिए बढ़िया कपड़ा तैयार करना एक तकनीक है। लेकिन फाइन, मीडियम तथा कोर्स कपड़े के सापेक्ष अनुपात को बताना अर्थशास्त्र का विषय है।³

इस भाव में, उत्पादन के अन्तर्गत नीचे दिए हुए उद्योगों के अनेक उत्पादक समावेशित हैं—(१) निकालने वाले उद्योग (Extractive Industries), खनन (Mining), मछली पकड़ना, कृषि करना आदि जिनका अधिकतर सम्बन्ध कच्चे

1 "If consuming means extracting utility from", "producing means putting utility into"—Fraser

2 "Production should be defined, not as creation of utility, but the creation or addition of value"

3 for distinction between Economics and Technology read Robbin's Nature and Significance of Economic Science, Ch II, Sec 3

माल के उत्पादन से है, (२) निर्माण उद्योग (Manufacturing Industries) जो कच्चे माल को तैयार माल में बदलते हैं, (३) वाणिज्य सम्बन्धी सेवाएँ (Commercial Services) जैसे नय विक्रय, परिवहन, बैंकिंग तथा बीमा आदि, तथा (४) उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष सेवाएँ (Direct Services) जैसे घरेलू नौकरो, डाक्टरों वकीला, अध्यापकों आदि की सेवाएँ ।

२ उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करने वाले कारण (Factors Determining the Volume of Production)—उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, हमें उन कारणों का जिन पर कि यह निर्भर है, निरीक्षण करना होगा । उन कारणों का अध्ययन तथा उनकी सापेक्ष महत्ता का उचित ज्ञान हमें उत्पादन में वृद्धि करने वाले रास्ते पर ढाल देंगे ।

(१) किसी देश का उत्पादन सर्वप्रथम उस देश के मनुष्यों, द्रव्य तथा पदार्थों पर निर्भर है । यदि हमारे लोग परिश्रमी तथा साधन सम्पन्न हैं, यदि पूंजी (capital) बहुतायत से है और यदि भूमि हमें अनेक प्रकार के वहुमूल्य पदार्थों प्रदान करती है तो उत्पादन का विस्तार प्रसार निश्चित है ।

(२) उत्पादन में वृद्धि कृषि और उद्योग में विज्ञान के प्रयोगों पर और विकास की तकनीक पर भी निर्भर है । बिना वैज्ञानिक तथा टेक्नीकल ज्ञान के अधिक सफलता नहीं हो सकती ।

(३) इसके अतिरिक्त उत्पादन-साधन, बैंकिंग तथा परिवहन की सुविधाओं पर भी निर्भर होना है । यदि कारीगरों को वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाएँ नहीं हैं तो उन्हें बड़ी अशुद्धिवा होगी । आर्थिक सहायता उत्पादन का मुचाह रूप से संचालन करती है । वस्तुओं के उत्पादन से भी कोई अधिक लाभ नहीं होगा यदि वे बाजार में कम व्यय पर तथा शीघ्र ही न पहुँच सकती हो ।

(४) राजनीतिक कारण भी बहुत महत्वपूर्ण हैं । यदि राज्य सहानुभूति रखता है और उत्पादन में ज्ञान, शिक्षा तथा आर्थिक और अन्य सहायताएँ प्रदान करके क्रियाशील रूप से सहायक होता है तो उत्पादन में वृद्धि हो सकती है । रूस का प्रयोग इस बात का एक दृष्टिप्रमाण है कि इस प्रकार से क्या और कितनी प्रगति हो सकती है ।

(५) अन्त में कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं । जलवायु, मिट्टी, पर्वत तथा नदियाँ सब ही प्राकृतिक प्रसाद हैं । उत्पादन पर प्राकृतिक स्रोतों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई सन्देह नहीं । बाढ़, भूडोल तथा अन्य प्राकृतिक सकट मनुष्य के काम को बिगाड़ देते हैं । यदि उत्पादन में वृद्धि करनी है तथा उसकी रक्षा करनी है तो हम मनुष्य की सेवा के लिए प्राकृतिक शक्तियों का प्रयोग करना सीखना होगा ।

३ उत्पादन के साधन (Agents of Production)¹—'उत्पादन के साधन' वाक्यांश से हमारा तात्पर्य मालिक (स्वामी) तथा उत्पादक तत्वों के सम्प्लायर्स से होता है । इसे सही अर्थों में उत्पादन का साधन कह सकते हैं । फ्रेजर (Fraser) की परिभाषा के अनुसार 'उत्पादन का साधन ग्रुप अथवा मूल उत्पादक स्रोतों के

1 See Fraser, L. M.—Economic Thought and Language (1947) Ch 12

वर्ग के रूप में है।¹ 'साधन' (factor) वाक्यांश उत्पादक तत्वों के वर्ग (class of productive elements) के लिए काम आता है, व्यक्तिगत रूप से जिसके सदस्य साधन की 'इकाइयाँ' (units) माने जाते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री उत्पादन के प्रतिष्ठित साधनों (classical factors of production) की बजाए गुप्तनाम उत्पादक सेवाओं (anonymous productive services) की लय में बात करना पसन्द करते हैं। इनको 'उत्पादक' (inputs) भी कहा गया है, और जो वह पैदा करते हैं उसे 'उत्पादन' (outputs) कहा गया है।

उत्पादन के साधनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है: भूमि, धन, पूंजी तथा व्यवस्था अथवा उद्यम (enterprise)। अर्थशास्त्र में भूमि (land) का अर्थ केवल मिट्टी से ही नहीं होता जैसा कि साधारण बोलचाल में होता है। यह वायु, जल, भूमि के घरातल के ऊपर तथा इसके नीचे से प्राप्त होने वाले सब साधनों के, जिनमें आय प्राप्त होती है समानार्थ है। इसी प्रकार श्रम (labour) का अभिप्राय केवल शारीरिक श्रम अथवा मशकत (manual labour) से ही नहीं, किन्तु द्रव्य सम्बन्धी पुरस्कार के लिए मनुष्य द्वारा किए हुए सब प्रकार के कार्य से है। यह व्यक्ति के समानार्थ है। पूंजी (capital) से अभिप्राय उस तमाम धन-राशि से है जिसमें यन्त्र, औजार, कच्चा माल आदि शामिल हैं और जो कि धन के उत्पादन के लिए काम में लाए जाते हैं। व्यवस्था अथवा उद्यम में उपर्युक्त तीन साधनों को संगठित करना और प्रत्येक को कार्य निर्दिष्ट करना शामिल है। उद्यमी जो कि इस साधन की पूर्ति करता है उत्पादन का कार्य-स्वरूप बनाता है, उसको प्रारम्भ करता है और उसका संचालन करता है तथा जोखिम सहन करता है।

कुछ अर्थशास्त्री इस वर्गीकरण को चार से दो, भूमि तथा श्रम अथवा मनुष्य तथा प्रकृति, में इस कारण घटाते हैं कि केवल वे ही मौलिक अथवा प्रारम्भिक साधन हैं। यह कहा जाता है कि पूंजी का कोई स्वतन्त्र आदि कारण नहीं है और वह केवल भूमि तथा श्रम के प्रयत्नों का परिणाम है, और व्यवस्था केवल श्रम का एक रूप है। परन्तु आदि कारण जो भी हो पूंजी उत्पादन में एक पृथक् साधन के रूप में एक बहुत आवश्यक कार्य करती है तथा एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। इसी प्रकार उद्यमी का कार्य एक भिन्न प्रकार का है और उसे एक भिन्न आधार पर पुरस्कार मिलता है। अतएव चार विभाग वाला वर्गीकरण आधुनिक आर्थिक सस्यार में प्रचलित दशाओं का अच्छी प्रकार से प्रतिनिधित्व करेगा।

• भूमि (Land)

४. अर्थ तथा महत्त्व (Meaning and Importance)—'भूमि' शब्द को अर्थशास्त्र में एक विशेष अर्थ दिया जाता है। इसका अर्थ मिट्टी नहीं है जैसा कि साधारण बोल-चाल में समझा जाता है वरन् यह बहुत विस्तृत अर्थ में प्रयोग किया जाता है। मार्शल (Marshall) के शब्दों में भूमि का अर्थ "वह पदार्थ तथा शक्तियाँ

1. 'Factor of production as a group or class of original productive resources'—Fraser

2. See Stigler, G. J.—Theory of Price (1947), I, pp 114—15.

हैं जिन्हें प्रकृति मनुष्य की सहायता के लिए भूमि तथा जल के रूप में, वायु और रोशनी तथा गर्मी के रूप में स्वतन्त्रता से देती है।¹ 'भूमि उन सभी प्राकृतिक स्रोतों से सम्बन्धित है जिनसे आय होती है अथवा जिनका विनिमय मूल्य (exchange value) है। "इनसे उन प्राकृतिक स्रोतों का भाव व्यक्त होता है जो वास्तव में अथवा सम्भाव्य रूप से लाभदायक तथा दुर्लभ है।'²

आर्थिक विकास के प्रत्येक चरण (stage) में प्रकृति मनुष्य की सबसे लाभदायक सहचरी रही है। शिकारी जीवन तथा मछली पकड़ने की अवस्था (hunting and the fishing stage) में प्रकृति भोजन की अपेक्षा स्वतन्त्रता से पूर्ति करती थी तथा मानवीय जीवन को पालती थी। पशु पालन की अवस्था (pastoral stage) में यदि भूमि का धरातल तथा चरागाह और घास वाली भूमि न होती तो पशुओं तथा भेड़ों के समुदाय पाने तथा रखे नहीं जा सकते थे। कृषि की अवस्था (agricultural stage) में तो भूमि की उपयोगिता स्पष्ट है। मिट्टी, वायु तथा घुप के बिना मनुष्य किस प्रकार फसलों की उपज कर सकता है? जब कृषि की अवस्था दस्तकारी तथा औद्योगिक अवस्था को स्थान देती है तब तो भूमि और भी अनिवायं हो जाती है। प्रत्येक वस्तु का जिसका हम प्रयोग करते हैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अन्त में भूमि से सम्बन्ध है। चाहे जिन और भी हम दृष्टि डालें प्रकृति के प्रति हम स्पष्ट रूप से बहुत अधिक ऋणी हैं। बिना इसके हमारा जीवन ही असम्भव हो जाएगा। मार्शल (Marshall) के शब्दों में, पृथ्वी का धरातल प्रत्येक कार्य के लिए, जो मनुष्य कर सकता है, प्रारम्भिक अवस्था है यह उन्हे उन्के कार्यों के लिए स्थान देता है।'³

५ भूमि की विशेषताएँ (Peculiarities of Land)—उत्पादन के दूसरे साधनों से भेद करने में भूमि में कुछ स्पष्ट विशेषताएँ पाई जाती हैं।

(1) भूमि प्राकृतिक उपहार है (Land is Nature's Gift)—भूमि मनुष्य को प्रकृति द्वारा मिलती है। लेकिन यह कहा जाता है कि मनुष्य ने स्वयं अपने प्रयत्न से वन, भूमि तथा दलदलों को सुधारा है और मनुष्य ने भूमि में खाद डाला है। इस प्रकार भूमि उतनी ही 'मनुष्य द्वारा बनाई हुई' तथा एक 'उत्पन्न किया हुआ' साधन है जितना कि कोई और दूमरा हो सकता है। परन्तु भूमि के बनाने में प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य का भाग लगभग शून्य है। जहाँ तक वायु, घुप तथा भूमि के एक क्षेत्र की स्थिति का सम्बन्ध है, मनुष्य ने वास्तव में उनके लिए कुछ नहीं किया है और वे प्रकृति के वैसे ही अंश हैं जैसे स्वयं पृथ्वी का धरातल।

(2) भूमि मात्रा में निश्चिन् है (Land is fixed in quantity)—भूमि का क्षेत्र बढ़ाया नहीं जा सकता। यह कहा जाता है कि भूमि की कोई सप्टाई बीमत

1 Marshall A —Principles of Economics (1936) p 138

2 'Land stands for all natural resources which yield an income or which have exchange value. It represents those natural resources which are useful and scarce, actually or potentially. —Fraser L M —Ibid P 272

3 'Earth's surface is a primary condition of anything that a man can do, it gives him room for his actions. —Marshall

नहीं है। बाजार में भूमि की प्रचलित कीमत इसकी पूर्ति की प्रभावित नहीं कर सकती। इसकी पूर्ति न तो अधिक कीमत होने के कारण बढ़ सकती है और न कम कीमत होने के कारण घट सकती है। भूमि निश्चिन्त होने से जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है, यह दुर्लभ लगान (Scarcity Rent) प्राप्त करने लगती है।

(iii) भूमि स्थायी है (Land is permanent)—युद्ध में बर्बाद के द्वारा विध्वंस किए जाने पर भी भूमि थोड़े और साधारण सुधार से अपनी उत्पादकता पुनः प्राप्त कर लेगी। भूमि में स्वाभाविक गुण होते हैं जिन्हें रिकार्डों (Records) ने 'मौलिक तथा अविनाशी' (original and indestructible) कहा है।

(iv) भौगोलिक विचार से भूमि में गतिशीलता का अभाव है (Land lacks mobility) यद्यपि अगूर उगाने वाली मिट्टी फ्रांस से कॅलीफोर्निया ले जाई गई है तथा भी भूमि स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाई जा सकती। इसका कारण भिन्न स्थानों में लगाना की असमानता है।

(v) अन्त में, भूमि उपजाऊपन तथा स्थिति की मात्राओं के अनन्त भेद (infinite variations) प्रदान करती है, जिसके कारण भूमि के कोई दो टुकड़े टीक एक-से नहीं होते। यह विशेषता कृषि की सीमा के सिद्धांत को स्पष्ट करती है।

६ भूमि की उत्पादकता (Productivity of Land)—उत्पादन में भूमि की सहायता का महत्त्व उसकी उत्पादकता पर निर्भर है। उत्पादकता कई कारणों पर आधारित है।

(i) प्राकृतिक कारण (Natural Factors)—सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कारण जिस पर भूमि की उत्पादकता निर्भर है प्राकृतिक कारण है। भारत के कुछ भाग गंगा के मैदान की भांति उपजाऊ हैं कुछ ऊँच तथा बजर हैं। वे वैसे ही हैं जैसा प्रकृति ने उन्हें बनाया है।

(ii) मानवीय कारण (Human Factors) उत्पादकता मानवीय कारण पर भी निर्भर है। मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। अगूर माफ किए गए हैं, दलदले सुखाई गई हैं और सिंचाई की सुविधाओं द्वारा बजर भूमि हरे-भरे लहलहाते उपवना में परिणत की गई है।

(iii) स्थिति का प्रभाव (The Situational Factor)—दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण जिस पर भूमि की उत्पादकता निर्भर है, वह है स्थिति का प्रभाव। नगर के पास स्थित भूमि का एक क्षेत्र, चाहे वह दूर बसे हुए भाग की अपेक्षा कम उपजाऊ क्यों न हो, अत्यधिक उत्पादक समझा जाता है।

७ विस्तृत तथा गहन कृषि (Extensive and Intensive Cultivation)—हम अनुभव किया है कि मनुष्य सदैव यह प्रयत्न करता रहता है कि कम से-कम व्यय करके अधिक में अधिक पुरस्कार प्राप्त करे। उसने कृषि में दो रीतियों का प्रयोग किया है—(१) विस्तृत कृषि, (२) गहन कृषि।

विस्तृत कृषि (Extensive Cultivation) में मनुष्य साधारण रूप से जितनी भूमि जोत सकता है उससे अधिक जानना है। वह भूमि में प्रयोग होने वाले श्रम और

धन में कोई अनुरूप वृद्धि नहीं करता। नये देशों में जहाँ भूमि काफ़ी और आवश्यकता से अधिक है, वहाँ मनुष्य विस्तृत कृषि की रीति प्रयोग करता है।

दूसरी रीति गहन-कृषि (Intensive Cultivation) को रीति कहलाती है। इस अवस्था में भूमि बहुत सीमित होती है। अस्तु, प्रत्येक किसान के पास बहुत थोड़ी भूमि होती है। निश्चय ही वह उससे अधिक-से-अधिक काम लेना चाहेगा। वह अधिक पूँजी लगाने को तैयार रहता है। उसको सर्वोत्तम औजार तथा सामग्री खरीदनी चाहिए और जमीन को अच्छी तरह से जोतना चाहिए। उसे प्रपने बीजों का चुनाव सोच-समझकर करना चाहिए और उचित फासला देकर उन्हें बो देना चाहिए। उसके खेत में मिचौड़ी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसे यथाक्रम हेर-फेर (rotation) की विधि अपनानी चाहिए—सक्षेप में उसकी रीति बंजानिक होनी चाहिए।

क्या विस्तृत रीति का अभिप्राय बड़े खेत और गहन रीति का छोटे खेत से है ?

(Does the extensive method imply a large farm and the intensive method a small one)—यह कोई आवश्यक नहीं है। साधारणतया हम देखते हैं कि जहाँ भूमि का क्षेत्रफल विस्तृत है और खेत बड़े हैं, वहाँ किसान कृषि में विस्तृत रीति का प्रयोग करता है और दूसरी ओर जहाँ भूमि सापेक्ष रूप में दुर्लभ (scarce) होती है, वहाँ उसी भूमि को अधिक गहन रीति से जोतना पड़ता है। परन्तु सर्वत्र ऐसा नहीं होता। अमरीका और कनाडा में बड़े खेत हैं, परन्तु किसान कृषि की नई और वैज्ञानिक रीतियों का प्रयोग, जिसको हम गहन रीति कहते हैं, करते हैं। दूसरी तरफ भारत में जहाँ जोतें (holdings) छोटी हैं कृषि पुरानी रीतियों से होती है जो कि विस्तृत रीति कही जा सकती है। इस प्रकार विस्तृत रीति और बड़े खेत तथा गहन रीति और छोटे खेत हमेशा साथ साथ नहीं दीखते।

निर्देश पुस्तकें

- Pigou, A C Economics of Welfare, Part I, Ch 6
 Hicks, J R Social Framework
 Indian National Income Committee Report, 1951
 Census of manufactures
 Robbins L Article in Encyclopaedia of Social Sciences
 Fraser, L M. Economic Thought and Language, Chs 11 and 12
 Stigler, G J Theory of Price (1949) Ch 7
 Knight, H F Risk Uncertainty and Profit, Ch 6, pp 123-40
 Wicksteed Commonsense of Political Economy, Book I, Ch 9, pp 365-67
 Davenport, H J Economics of Enterprise, Ch 22 (for criticism of traditional classification of factors)

अध्याय ८

श्रम

(Labour)

१ श्रम का अर्थ (Meaning of Labour)—साधारण बोलचाल में 'श्रम' का शब्दार्थ अकुशल श्रमिकों (unskilled labour) का दल है। लेकिन अर्थशास्त्र में इसका उपयोग व्यापक अर्थों में होता है। अर्थशास्त्र में कोई भी श्रमिक चाहे वह शारीरिक अथवा मानसिक श्रम करता हो और जो रोजी (द्रव्य की एवज में काम पर लगाया गया हो) पर हो 'श्रमिक' कहलाता है। कोई भी काम जो मन बहलाने के लिए अथवा स्वान्त सुखाय किया जाता है, आर्थिक रूप में वह श्रम नहीं कहलाता।

उत्पादक (productive) तथा अनुत्पादक (unproductive) श्रम के सम्बन्ध में मनभेद है। निर्वाणवादियों (Physiocrats) के अनुसार मिक कृषि (agriculture) को ही उत्पादक श्रम माना गया है। बाद में निर्माण-कार्यों (manufactures) में लगा श्रम भी उत्पादक माना जाने लगा। एडम स्मिथ के अनुसार भी जब तक श्रम का परिणाम भौतिक मूल्य (material value) नहीं होता, इसे अनुत्पादक (unproductive) ही मानना चाहिए। ललित कलाओं (liberal arts) का अध्ययन अनुत्पादक माना जाता था। उनका कथन है कि समाज में सम्मानित वर्ग का श्रम उन नौकरों के समान है जो क्रिमी मूल्य में भी अनुत्पादक है (unproductive of any value) अर्थात् न्याय तथा व्यवस्था करने वाला सत्तासम्पन्न गणिक (sovereign), सेना (army) तथा जल-सेना (navy)। लेकिन आधुनिक धारणा के अनुसार सारा श्रम उत्पादक माना जाता है बशर्ते कि श्रम अर्थ के लिए होना हो।

किन्तु हम उस श्रम के विषय में क्या कहेंगे जो कि नष्ट हो जाता है, अनुचित मार्ग पर लगाया जाता है अथवा अपने उद्देश्य में असफल हो जाता है, उदाहरणार्थ, वह श्रम जो उस पनामा नहर के खोदने में लगाया गया था जो बह गई। मार्शल (Marshall) ऐसे श्रम को उत्पादक श्रम के वर्ग से अलग रखते हैं। परन्तु यह भी ठीक मत नहीं है। उस श्रम को भी जो फलदायक होने में असफल रहा, पारिश्रमिक (remuneration) तो अवश्य मिला। श्रम की प्रवृत्ति उत्पादन की थी, परिणाम से कोई क्षति नहीं। फ्रेजर (Fraser) लिखते हैं 'त्रैकिक मूल्य सिद्धान्त अवस्था ही पलतियों और अविवेक से होता चाहिए, इसलिए श्रम या तो उत्पादक होना चाहिए, अर्थात् कुछ उपयोगिता में आना चाहिए अथवा अर्थशास्त्र की सीमा से बाहर रहना चाहिए।'¹ फ्रेजर ऐसे गणिक का उदाहरण देते हैं जो इनका फिजूल हो जाता है और

1 "As value theory must abstract from mistakes and irrationalities therefore labour must be either productive & c, must issue in some utility or else must fall outside the province of the economic theorist" —Fraser, I, M —Economic Thought and Language (1947), p 180

जिससे प्राण पाने के लिए उसे कुछ दिया जाता है जिससे वह चला जाए। गायक के लिए वह श्रम उत्पादक है। लेकिन वह अनुपयोगिता पैदा करता है। आज की दुनिया में इस किस्म की बहुत सी चटाएँ हैं, जैसे बलात् अपहरण तथा धोखाधड़ी आदि। ये सब कु-उत्पादक (disproductive) श्रम के उदाहरण हैं।

जनदस्युओं (pirates), डाकू, चोर, कगाल, जुगारी, अयोग्य सट्टेबाज़, गिरहकट आदि का काम तथा ऐसी तमाम समाजविरोधी कार्यवाही को अनुत्पादक मानना चाहिए। एक मिथ्या चिकित्सक (quack) या कपट देने वाली शराब अथवा दूसरी मादक वस्तुएँ बनाने वाले अथवा हानिकारक वित्तबैं लिसने वालों का कार्य उत्पादक समझा जाता है क्योंकि उनकी सेवाएँ, कुछ मार्ग-भ्रष्ट मनुष्य जो उनके लिए भुगतान करने को तैयार हैं चाहते हैं। अर्थशास्त्र में हम किसी कार्य को नैतिक दृष्टिकोण से नहीं देखते। वीमा कार्य तथा वध (legitimate) सट्टा उत्पादक समझे जाते हैं, क्योंकि उनकी सेवाएँ उत्पादक के लिए उपयोगी हैं।

२ श्रम की विशेषताएँ (Peculiarities of Labour)—श्रम उत्पादन के दूसरे साधनों से स्पष्ट रूप से भिन्न है। यह जीवित रहने वाला है और यही अन्तर पैदा करता है। श्रम केवल उत्पादन का साधन (means) ही नहीं वरन् उत्पत्ति का लक्ष्य (end) भी है। इसके कुछ लक्षण हैं जो इसको उत्पादन के शेष साधनों से जुदा करते हैं—

श्रम स्वयं श्रमिक से अलग नहीं है (Labour is inseparable from the labourer himself)—“श्रमिक अपना श्रम बेचता है, परन्तु वह स्वयं अपनी सम्पत्ति रहता है, जो उसके पालन और शिक्षा पर होने वाला खर्च उठाते हैं, उन्हें उस कीमत का बहुत कम अंश मिलता है जो उसे बाद में सेवाओं की एवज में मिलता है।” अतएव बहुत से माता-पिता अपने बच्चों पर धन लगाने में या तो असमर्थ या अनिच्छुक होते हैं।

दूसरे, श्रमिक को जो वस्तु बेचनी होती है उसे स्वयं जाकर देनी पड़ती है (The commodity that labour has to sell must be delivered in person)—जिस वातावरण में श्रमिक को काम करना होता है उसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।

तीसरे, श्रम टिकाऊ नहीं है (Labour does not last)—यह नाशवान है। बिना कार्य किया हुआ दिन मर्द के लिए खरा जाता है। चूँकि वह वस्तु जिसे उसे बेचना होता है नाशवान होती है अतएव उसको उस बिना कीमत का ध्यान किए बेचना पड़ता है। जैसा कि एरिक रॉल का कथन है ‘उसकी कोई सुरक्षित कीमत नहीं है।’

चौथे, श्रम में सौदा करने की शक्ति कम होती है। (labour has a very weak bargaining power)—मानिक श्रमिक की मसमथता का लाभ उठाता है और बहुधा उसको जितना उचित है उतने कम देता है।

पाँचवें, श्रम की कीमत में परिवर्तन उनकी पूर्ति पर विलक्षणता से प्रभाव डालता है (Changes in the price of labour react rather curiously on its

supply) — साधारण वस्तुओं की पूर्ति (supply) कीमत के सीधे अनुपात में होती है। अर्थात् जितनी ही कीमत अधिक होगी उतनी ही अधिक पूर्ति होगी तथा इसके विपरीत भी ऐसा ही होगा। परन्तु श्रम की कीमत अर्थात् मजदूरी (wages) में, एक सीमा के नीचे, कमी पूर्ति को बढ़ा सकती है। ऐसी परिस्थिति में कुछ न काम करने वाले लोग भी काम करने को कह सकते हैं ताकि वे अपने कम-से कम जीवन-स्तर को स्थिर रखने के लिए परिवार की आय को पर्याप्त बना सकें। यदि कीमत अर्थात् मजदूरी किसी सीमा से आगे बढ़ जाती है तो पूर्ति घट सकती है। यह भली भाँति विदित है कि भारतीय मजदूर की कमाई में वृद्धि होने से बहुधा कारखानों में अनुपस्थिति (absenteeism) बढ़ जाती है।

अन्त में, माँग और पूर्ति का शीघ्र व्यवस्थापन (adjustment) नहीं हो सकता (There is no rapid adjustment of the supply to demand) — मन्दी (depression) के समय यदि माँग गिर जाती है तो पूर्ति कम नहीं की जा सकती तथा मजदूरी (wages) गिरेगी। परन्तु लड़ाई के समय श्रम की माँग बढ़ जाने से मजदूरी अवश्य ही बढ़ेगी।

मालथस का जनसंख्या सिद्धान्त (Malthusian Theory of Population) — श्रम की पूर्ति के प्रश्न का जनसंख्या से सीधा सम्बन्ध है, श्रम के दो रूप हैं अर्थात् मात्रिक तथा गुणात्मक (quantitative and qualitative)। किसी देश के श्रम की स्थिति का अनुमान करने के लिए इन दोनों रूपों पर विचार करना चाहिए। मात्रिक रूप हमको जनसंख्या के सिद्धान्त का अध्ययन कराता है।

सबसे प्रसिद्ध सिद्धान्त मालथस का जनसंख्या सिद्धान्त है। टामस राबर्ट मालथस (Thomas Robert Malthus) ने “जनसंख्या के सिद्धान्त” पर अपना निबन्ध सन् १७९८ में लिखा था, और अपने कुछ परिणामों को १८०३ के दूसरे प्रकाशन में सुधारा था। इंग्लैंड को शीघ्रता से बढ़ती हुई तथा मार्ग-भ्रष्ट दरिद्र विधि (Poor Law) से प्रोत्साहित जनसंख्या ने इसको अधिक प्रभावित किया। इसको यह डर था कि इंग्लैंड एक विपत्ति की ओर जा रहा था और उसने अपने देशवासियों को सावधान करना अपना परम कर्तव्य समझा। “इसने आदिमियों की अपेक्षा जानवरों की वृद्धि में अधिक सावधानी दिखाई जाने पर” शोक प्रगट किया।

उनका सिद्धान्त बहुत ही साधारण है। उमी के गण्डानुसार ‘प्रकृति से मानवीय लक्षण मन्द अंकगणितीय अनुपात (arithmetical ratio) में बढ़ता है, मनुष्य स्वयं तीव्र गुणोत्तर या रेखागणितीय अनुपात (geometrical ratio) में बढ़ता है, जब तक कि आवश्यकताएँ तथा शोध उसको न रोकें।”

“जनसंख्या में वृद्धि विशेषतया निर्वाह के साधनों से सीमित होती है।” जब निर्वाह के साधन बढ़ते हैं तो जनसंख्या यदि शक्तिशाली और स्पष्ट अवरोध से रोकी न जाए तो स्थायी रूप से बढ़ेगी।

उसने अपना कथन जीव विज्ञान (biological) सम्बन्धी तर्क पर आधारित किया कि हर एक जीव (Organism) न अनुमान किए जाने वाली सीमा तक बढ़ते हैं। सारिका का एक जोड़ा अपने जीवन भर में ११,५००,००० तक बढ़ जाएगा और

२० साल तक १,२००,०००,०००,०००,०००,००० और यदि कन्ये से कन्या मिलाकर खड़े हो तो १५०,००० की मर्यादा में से केवल एक ही इस सप्ताह में बैठने की जगह पा सकेगा। हक्सले (Huxley) के मतानुसार, केवल एक हरे टिट्टे (green-fly) का वंश यदि उम्र में से कोई नष्ट न हो और बढ़ते ही जाएँ तो ग्रीष्म ऋतु के अन्त में चीन की जनसंख्या से भी अधिक हो जाएगा। मानव-जाति का, प्रत्येक २५ साल में, दुगुना होने का अनुमान किया जाता है और एक जोड़ा १,७५० वर्ष में वर्तमान जनसंख्या के बराबर हो जाएगा।

हरे प्राणी के पैदा करने की क्षमता की ऐसी ही प्रकृति है। उत्पत्ति (Procreation) की शक्ति स्वाभाविक अन्तर्वर्ती तथा सतत होती है और उसको बढ़ने का मार्ग मिलना ही चाहिए। कॅन्टिलन (Cantillon) कहते हैं 'कि मनुष्य खलिहान में चूहों की भाँति बढ़ते हैं।' दूसरी ओर साद्य के उत्पादन पर घटती हुई प्राप्ति के नियम (law of diminishing return) का प्रभाव पड़ता है। इन दोनों के आधार पर मालथस (Malthus) ने यह निष्कर्ष निकाला कि जनसंख्या भोजन की पूर्ति से बड़ी प्राप्ति निकल जाती है। यदि निवारक अवरोध (Preventive checks) जैसे कि विवाह त्याग, विवाह-विलम्ब (late marriage) अथवा विवाह से कम बच्चों का होना लागू नहीं किया जाता तो युद्ध, अकाल तथा बीमारी जैसे प्राकृतिक अवरोध (positive checks) प्रभावी होने लगते हैं।

५. मालथस के सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of the Malthusian Theory)—अर्थशास्त्रियों ने मालथस (Malthus) के जनसंख्या सिद्धान्त का मिश्रित स्वागत किया :—

(१) आलोचक यह बतलाते हैं कि मालथस का निराशावाद पश्चिमी देशों के इतिहास के आधार पर सही नहीं है। जनसंख्या में वृद्धि हुई है। परन्तु यह जीवन निर्वाह के साधनों से अधिक नहीं बढ़ी है। वास्तव में अब लोगों का जीवन स्तर इतना ऊँचा है कि मालथस बदाचित् सोच ही न सकते थे।

(२) मालथस ने यह अनुमान नहीं किया था कि मनुष्य पर जीवन-स्तर का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि परिवारों की वृद्धि को जान-बूझकर सीमित रखा जाएगा।

(३) मालथस ने यह साँचा कि निर्वाह के साधनों में वृद्धि से जनसंख्या बढ़ जाएगी, किन्तु इसकी अपेक्षा भौतिक उन्नति के कारण मनुष्य की उत्पत्ति शक्ति (fecundity) के घटने से जनसंख्या बढ़ने से रुक गई।

(४) मालथस ने साद्य के उत्पादन पर अधिक जोर दिया, जब कि दूसरे रूपों में धन का उत्पादन जनसंख्या की वृद्धि के कारण नीचे जीवन स्तर की प्रवृत्ति का सामना करने के लिए एक उच्च माध्यम पाया गया है। एक देश दूसरे देश से साद्य का आयात भी तो कर सकता है।

(५) मालथस का अन्धकारमय अनुमान उच्च तथा मध्य श्रेणी के मनुष्यों के घर्ष-विरोधी (contraceptives) प्रयोगों से भी असत्य हो गया है। पश्चिमी यूरोप के देशों, विशेषकर फ्रांस, की जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से स्थिर रही है।

तो भी अत्यन्त दुःख की बात है कि जनसंख्या अनुचित रूप से मूलतः विश्व में

बढ़ रही है। निर्धन जो अपने बच्चों के पालन-पोषण तथा उन्हें शिक्षा देने में असमर्थ हैं, बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर धनी जो कि अधिक अच्छे गुण वाले बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं, अपनी उत्पत्ति-प्रवृत्ति को रोक रहे हैं। इसका परिणाम राष्ट्र की दरिद्रता और गिरावट है।

(६) मालथस इन बात को पूरी तरह न समझ सका कि घटती हुई प्राप्ति (law of diminishing returns) के नियम का लागू होना लगभग असीमित समय तक रोक जा सकता है। उस प्रवृत्ति को कृषि-कला, संचार (communication) तथा विनिमय के साधन आदि से भली भाँति रोका जा सका है। इस तरह "जनसंख्या की समस्या केवल एक सख्या की समस्या नहीं बल्कि कुशल उत्पादन तथा समान वितरण की समस्या है।" (सैलिगमैन)

मालथस के दिए हुए गणितीय अनुपातों पर भी आपत्ति की गयी है। परन्तु यह स्पष्ट रूप से जोर देने के लिए प्रयोग में लाए गए थे और उसके सिद्धान्त के कोई आवश्यक भाग न थे।

मालथस का सिद्धान्त भारत में लागू होता है (Malthusian theory applies to India)—उपर्युक्त विवरण के पश्चात् भी मालथस के सिद्धान्त में कुछ सच्चाई पाई जाती है। यदि जनसंख्या प्राकृतिक अवरोध अथवा निवारक अवरोध से रोकੀ नहीं जाती, तो यह निर्वाह के साधनों से आगे बढ़ जाएगी। अधिक गर्भ-विरोधी प्रयोग उसके सिद्धान्त को मान्यता का प्रमाण है। यह प्रकट करता है कि मालथस के उपदेश माननीय हैं।

हम भारत में अपने आपको उन्नीसवीं शताब्दी में पाते हैं जिससे मालथस (Malthus) डरता था। हमारे यहाँ सप्ताह में सबसे अधिक जन्म-दर तथा मृत्यु-दर है। हमारी वृद्धि लगभग १ प्रतिशत प्रतिवर्ष हो रही है और इसका परिणाम निर्धनता, बराबर होने वाले व्यापक रोग, अकाल, साम्प्रदायिक दंगे, शिशु मृत्यु (जो कि कभी होते थे) तथा सप्ताह में सबसे नीचा जीवन स्तर है। जहाँ तक भारत, चीन तथा अन्य पिछड़े देशों का सम्बन्ध है, मालथस (Malthus) के उपदेश की सच्चाई पर आपत्ति करना बर्तन है।

५ आधुनिक जनसंख्या सिद्धान्त अनुकूलतम सिद्धान्त (Modern Theory of Population The Optimum Theory) — आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने मालथस (Malthus) के अधिकतम जनसंख्या के सिद्धान्त को स्वीकार कर दिया है जो यदि बढ़ जाए तो देश में आपत्ति फैला दे। अधिकतम जनसंख्या (maximum population) के स्थान पर आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अनुकूलतम (optimum) जनसंख्या के विचार का प्रतिस्थापन किया है।

अनुकूलतम का क्या अर्थ होता है ? (What does the Optimum mean ?) — अनुकूलतम जनसंख्या का अर्थ किसी देश के साधनों को विचार में रखते हुए आदर्श जनसंख्या से होता है। अनुकूलतम संख्या एक देश की सर्वश्रेष्ठ, आदर्श

1 "The problem is not one of mere size (of population) but of efficient production and equitable distribution."—Seligman

तथा इष्ट जनसंख्या है। यह ठीक सत्य है। जब किसी देश की जनसंख्या न तो अधिक है और न कम है परन्तु, कम इतनी है जितनी कि उस देश में होनी चाहिए तो वह अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। साधनों की मात्रा, औद्योगिक ज्ञान तथा पूँजी की कुछ राशिवा पर जनसंख्या का एक निश्चित आकार होगा जिस पर वस्तुओं तथा सेवाओं की वास्तविक आय प्रति व्यक्ति सबसे अधिक होगी। यही अनुकूलतम संख्या है। अतएव अनुकूलतम जनसंख्या वह बड़ी जा सकती है जिस पर प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है।

कम जनसंख्या तथा अधिक जनसंख्या (Under-population and Over-population) — यदि किसी देश की जनसंख्या अनुकूलतम से नीचे अर्थात् जो कुछ होना चाहिए उममें नीचे है, तो वह देश कम जनसंख्या वाला देश कहलाता है। मनुष्यों की संख्या देश में प्राकृतिक तथा पूँजी के साधनों के अल्प प्रयोग के लिए पर्याप्त न होगी। एक नवीन दश में ऐसा माना है। साधन विस्तृत है। अधिक उत्पादन किया जा सकता है परन्तु कुशलतापूर्वक उत्पादन करने के लिए पर्याप्त मनुष्य नहीं है। ऐसी अवस्था में जनसंख्या की वृद्धि में प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी। परन्तु यह वृद्धि अनिश्चित मात्रा में नहीं हो सकती। जब जन-शक्ति (man power) की कमी पूरी हो जाएगी तो प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो जाएगी और हम कहेंगे कि जनसंख्या अनुकूलतम या आदर्श हो गई है।

यदि जनसंख्या फिर भी बढ़ती है, तथा अनुकूलतम से बढ़ जाती है तो अधिक जनसंख्या (over-population) की दशा हो जाएगी। देश में अत्यधिक मनुष्य हो जाएँगे। साधन कम होने से सबका लाभजनक काम देने सम्भव न होगा। थोड़े काम के साधन बरोटा व्यक्तियों में बँटे होंगे। प्रति व्यक्ति आय घट जाएगी, जीवन-स्तर गिर जाएगा लड़ाई अकाल और रोग ऐसे मनुष्यों के स्थायी साथी हो जाएँगे। यह अधिक जनसंख्या के लक्षण हैं।


भारत में हम इन समस्याओं को अपने आपका इस स्थिति में पाते हैं। अब हम अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में किस वापस जा सकते हैं? हमें समस्या की दोनों ओर में मुक्तमाना चाहिए—(1) हम जिस गति से बढ़ रहे हैं उसको हम मन्द करना चाहिए तथा (2) हमें अपने साधनों का विकास करना चाहिए। हमारे देश में प्राकृतिक साधनों का अभी तक पूरा उपयोग नहीं हो सका है। बहुधनीय योजनाएँ (multi-purpose projects), कृषि, उद्योग शीमा, वैश्विक तथा परिवहन (transport) के साधनों का विकास इस लक्ष्य की ओर ले जाने वाले कुछ साधन हैं। जब हम अपनी संख्या को सामित रखते तथा अपनी उत्पादक शक्ति को अधिकतम करने का प्रयत्न करते हैं तो हम अनुकूलतम जनसंख्या के रास्ते पर होते हैं।

निम्नलिखित रेखाचित्र तीन स्थितियों का प्रस्तुत करता है—(1) कम जनसंख्या, (2) अनुकूलतम जनसंख्या, तथा (3) अधिक जनसंख्या।

हम a बिन्दु से (कम जनसंख्या) से चलते हैं और ऊपर की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या बढ़ती है और जब हम b पर पहुँचते हैं तो यह अनुकूलतम है। a से b तक कम जनसंख्या की स्थिति थी और उसमें वृद्धि से हम अनुकूलतम b तक पहुँचे।

जब तक हम h तक पहुँचें, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही थी तथा h पर यह अधिकतम थी। जब हम h पार कर जाते हैं तो प्रति-व्यक्ति आय गिरने लगती है। हम अनुकूलतम से भी अधिक बढ़ गए हैं और हम अब अधिक समस्या में हैं। यदि अब हम सत्या घटा दें तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी।

कम जनसंख्या और अधिक जनसंख्या सापेक्षिक (relative) शब्द हैं। वे साधनों के सापेक्ष हैं। एक देश कम जनसंख्या वाला है क्योंकि उसके साधन अधिक हैं यदि साधन थोड़े होते तो, हम उसे अधिक जनसंख्या वाला कहते। इसी भाँति एक देश को हम अधिक जनसंख्या वाला कहते हैं यदि उसके साधना का विकास कम है। साधना के पूर्ण विकास से अधिक जनसंख्या लुप्त हो सकती है यद्यपि जनसंख्या में कोई कमी न हुई हो।



चित्र २५

अनुकूलतम जनसंख्या स्थिर नहीं बरन अस्थिर है (Optimum is movable and not fixed)—अनुकूलतम जनसंख्या दृढ़ रूप से स्थिर नहीं है। यह देश में उत्पादक स्रोतों (productive resources) में वृद्धि तथा कमी के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। यह अनुकूलतम निरपेक्ष (absolute) नहीं है। यह उपलब्ध साधनों के सापेक्ष है। यदि विकास की योजनाएँ सफलतापूर्वक समाप्त हो रही हों तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और हमारा अनुकूलतम पहलू की अपेक्षा एक नए उच्च स्तर पर पहुँच जाएगा। यदि दूसरी ओर कुछ साधन युद्ध अथवा राजनीतिक भगडा के कारण नष्ट हो जाते हैं या उनको हानि पहुँचती है, तो यह अनुकूलतम जनसंख्या अधिक जनसंख्या हो जाती है तथा नया अनुकूलतम नीचे स्तर पर होगा।

प्रत्येक देश की अवस्था गतिशील (Dynamic) होती है स्थिर नहीं। उत्पादन पद्धति में परिवर्तन होता रहता है, अधिक नए उपाय आरम्भ किए जा रहे हैं, नई क्रियाएँ तथा नये पदार्थों का आविष्कार किया जा रहा है, पूँजी की वृद्धि हो रही है, प्राकृतिक साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। इन स्थितियों में प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए परन्तु जनसंख्या भी थोड़ी-बहुन बढ़ती है। अतएव वह जनसंख्या जिसको हम आज ठीक परिमाण में समझते हैं कल कम अथवा अधिक जनसंख्या हो सकती है। इस प्रकार अनुकूलतम (optimum) निरन्तर बदलता रहता है।

अनुकूलतम सिद्धान्त हम संख्या (जनसंख्या) की वृद्धि के बारे में नहीं बताता। यह जनसंख्या का सिद्धान्त नहीं है। यह तो अनुकूलतम के सिद्धान्त को किसी देश की जनसंख्या पर लागू करना मात्र है।

डा० डाल्टन (Dalton) ने अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धान्त को इस सूत्र में व्यक्त किया है —

$$M = \frac{A - O}{O}$$

जिसमें M = कुव्यवस्था की मात्रा
A = वास्तविक सख्या
O = अनुकूलतम सख्या

यदि "M" सकारात्मक (positive) है तो यह अधिक जनसख्या होगी और यदि यह नकारात्मक (negative) तो वह कम जनसख्या कहलाएगी। तथा जब वह शून्य हो तो जनसख्या अनुकूलतम होगी।

६ मालथस के सिद्धान्त और आधुनिक सिद्धान्त की तुलना (Malthusian Theory and Modern Theory Compared)—इन सिद्धान्तों के अध्ययन से हम उन लोगों से दृष्टिकोणों के महत्त्वपूर्ण अन्तर पर ध्यान दे सकते हैं जिन्होंने उनको प्रस्तुत किया।

(१) मालथस (Malthus) ने अपना ध्यान खाद्य उत्पादन की ओर रखा जबकि अनुकूलतम सिद्धान्त आर्थिक उन्नति के सब पहलुओं पर ध्यान रखता है।

(२) ऐसा मालूम होता है कि मालथस (Malthus) के विचार से किसी देश के लिए एक अधिकतम जनसख्या होती है जिससे अधिक होने पर दुख में वृद्धि होती है। अनुकूलतम सिद्धान्त के अनुसार ऐसी कोई अधिकतम सख्या नहीं होती है।

(३) मालथस (Malthus) के अनुसार अकाल, युद्ध तथा बीमारी अधिक जनसख्या के चिह्न थे। परन्तु अनुकूलतम सिद्धान्त से हमें पता चलता है कि इन दुखद घटनाओं के न होने पर भी जनसख्या अधिक हो सकती है यदि प्रति व्यक्ति आय कम हो जाए अथवा जनसख्या कम हो सकती है यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए।

(४) आधुनिक सिद्धान्त आशावादी है जब कि मालथस (Malthus) का सिद्धान्त निराशावादी है। मालथस को यह डर था कि जनसख्या खाद्य-पदार्थों की अपेक्षा अधिक गति से बढ़ेगी। आधुनिक ज्ञान के अर्थशास्त्रियों को ऐसा डर नहीं है। 'मालथस को आने वाले भरक का डर था, अनुकूलतम सिद्धान्त के प्रस्तुत करने वालों को आने वाले स्वर्ग का भय है।'¹

७ अधिक आबादी की कसौटी (Criteria of Over-population)—यह किस प्रकार जान सकते हैं कि अमुक देश में अधिक आबादी है। इसे जानने की कई कसौटियाँ हैं। मालथस के अनुसार प्राकृतिक विरोधों (positive checks) का लागू होना, जैसे युद्ध, अकाल और व्याधियाँ इस बात का निश्चित संकेत हैं कि देश में अधिक जनसख्या (over population) है। इनके अलावा अर्थशास्त्रियों ने कई दूसरे परीक्षण (tests) भी बताए हैं। उदाहरण के लिए, लगातार व्यापार सन्तुलन (balance of trade) का पक्ष में न होना, बेरोजगारी, गिरता हुआ जीवन स्तर तथा औसत आय (average income) तथा ऊँची प्रजनन तथा मरण-दर।

लेकिन जरा विचार करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह स्थिति सदैव बढ़ती हुई जनसख्या के कारण ही उत्पन्न नहीं होती बल्कि कई दूसरे घातक तथा

1 Malthus was obsessed by the fear of an impending economic Hell, the propounders of the optimism theory are elated with the hopes of a coming Paradise —Chatterjee

राजनीतिक कारणों से पैदा होती है। व्यापार सन्तुलन का विपरीत होना विदेशों में अधिक निवेश (investment) के कारण भी हो सकता है। बेरोजगारी आर्थिक व्यवस्था में अस्थायी रूप से गड़बड़ के कारण हो सकती है। इसी प्रकार औसत आय में कमी और इस तरह निर्वाह स्तर में गिरावट राज्य की दोषपूर्ण आर्थिक नीति के कारण हो सकती है। ऊँची प्रजनन दर का प्रलोभन विस्तृत अर्थ-व्यवस्था तथा सेना को बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए हो सकता है। अधिक मृत्यु-दर देश में अपर्याप्त अथवा अक्षय स्वास्थ्य सेवाओं के कारण भी हो सकती है।

इस तरह अधिक जनसंख्या जानने के लिए कोई निश्चित उपाय नहीं है। साथ ही कम रोजगार (under-employment) की स्थिति दुर्जन स्वास्थ्य तथा गरीबी इस बात का पर्याप्त संकेत है कि तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या देश के दुर्लभ स्रोतों (slender resources) पर भार डाल रही है। भारत में यही स्थिति है।

क्या जनसंख्या की वृद्धि एक अभिशाप है (Is Increasing Population a Curse?) नहीं, सदैव नहीं। और न जनसंख्या की वृद्धि सदैव सुखदायक ही है। अनुकूलतम (optimum) का सिद्धान्त हमको जनसंख्या की गति को ठीक से समझने में सहायता देता है।

डार्लिंग (Darling) ने एक बार भारत के बारे में कहा था कि प्रकृति अथवा अच्छे शासन के सभी गुण जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण मिट गए। वास्तव में भारत अधिक जनसंख्या वाला देश है। निधनता जिसकी समानता संसार में कहीं नहीं है, यहाँ पाई जाती है। जीवन स्तर बहुत नीचा है। मृत्यु-दर संसार भर से ऊँची है। इस देश में अकाल पड़ता ही रहता है और बीमारों फैलती रहती है। अतः भारत के लिए अत्यधिक जनसंख्या अभिशाप है।

परन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या सदैव एक अभिशाप ही नहीं है। अधिक जनसंख्या आर्थिक सहयोग में सहायता देती है तथा उत्पादन प्रोत्साहित करती है। धर्म विभाजन (division of labour) तथा विशेषीकरण (specialisation) के लिए अच्छा अवसर मिलता है। घटती हुई जनसंख्या एक निरन्तर बड़न वाली मण्डी प्रदान करती है जिसमें पूँजी के सुरक्षित तथा लाभदायक निवेश (investment) की गारंटी होती है। हमारा बढ़ती हुई जनसंख्या नई आर्थिक व्यवस्था को अपना देने में सहायक होती है। सदैव बढ़ती हुई जनसंख्या वाले देश में नई पीढ़ी के लोग नए कार्यों के करने को तैयार हो जाते हैं। प्रवर्धित अर्थ-व्यवस्था अपने आपको नए परिवर्तनों तथा आवश्यकताओं के पूर्णतः अनुकूल बना लेती है।

परन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या तभी वाछनीय होगी जबकि जनसंख्या अनुकूलतम से कम है (But increasing population is desirable only when population is less than the optimum)—अर्थात् जब मानव शक्ति ऐसे अनुपातों में पर्याप्त नहीं है कि देश के उचित साधनों का आर्थिक विकास सम्भव है। यदि जनसंख्या अनुकूलतम से अधिक है, तो उसमें कमी वाछनीय होगी।

इसलिए कौनसी जनसंख्या अधिक उचित है—बढ़ती हुई अथवा घटती हुई? हम किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं कर सकते। यह जनसंख्या की वर्तमान स्थिति

पर निर्भर है। यदि यह अनुकूलतम से कम है तो बढ़ती हुई जनसंख्या अधिक अच्छी होगी और यदि यह अनुकूलतम से अधिक है तो इसमें कमी होना उचित है। अनुकूलतम को पाने तथा उसकी ओर जाने की ही आवश्यकता है।

६. शुद्ध प्रजनन दर (Net Reproduction Rate)—यदि कोई राष्ट्र अधिक समृद्धि चाहता है तो उसे निरन्तर यह देखते रहना चाहिए कि देश की जनसंख्या अनुकूलतम (optimum) से आगे न बढ़ने पावे। जनसंख्या की वृद्धि जानने के लिए कुजिन्सकी (Kuczynski) ने एक नवीन रीति बतलाई है, यह शुद्ध प्रजनन या पुनरुत्पादन-दर के ज्ञात करने से सम्बद्ध है। यह ज्ञात होगा कि मृत्यु से जन्म की अधिकता जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि प्रस्तुत करती है। परन्तु यह गलत है। फ्रांस और इंग्लैण्ड में सन् १९४० में जन्म-दर तथा मृत्यु दर का अन्तर २ तथा ५ प्रति १,००० है जो कि जन्म-दर तथा वृद्धि बताता है। वास्तव में यह देश घटती हुई जनसंख्या प्रस्तुत करते हैं। यह इस नई रीति में दिखाया गया है।

कुजिन्सकी (Kuczynski) इस रीति को इस प्रकार वर्णन करते हैं—
'तत्समगत प्रश्न यह नहीं है कि क्या मृत्यु दर से जन्म-दर अधिक है, परन्तु यह है कि क्या जन्म-दर तथा मृत्यु-दर इतनी है कि एक पीढ़ी जिसमें यह स्थायी रूप से पाय जाता है, अपने जीवन काल में अन्त से पहले-पहल पीढ़ी की जगह लेने के लिए पर्याप्त शिशु उत्पन्न करते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर जन्म दर से ही सम्बद्ध हैं अतएव स्त्री जनसंख्या का ध्यान रखना काफी होगा तब तत्समगत प्रश्न यह है कि क्या मृत्यु-दर तथा जन्म-दर इतने हैं कि १,००० नई पैदा हुई लड़कियाँ अपने जीवन काल में १,००० लड़कियों को जन्म देंगी? सर्वप्रथम यह निश्चय करना आवश्यक हो जाता है कि प्रचलित मृत्यु दर के आधार पर १,००० नई पैदा की हुई लड़कियों में कितनी बच्चे पैदा करने वाली अवस्था अर्थात् १५ वर्ष तक पहुँचती हैं, कितनी १६ तक पहुँचती हैं आदि और अन्त में कितनी बच्चा पैदा करने की अवस्था अर्थात् ५० वर्ष को पार कर जाती है।^१ संश्लेष में हम यह मालूम करना है कि पहली १,००० लड़कियों की कितनी लड़कियाँ पैदा होती हैं। यदि १,००० पैदा हुई लड़कियों में से १,००० लड़कियाँ बच्चे पैदा करने की अवस्था तक जीवित रहती हैं तो जनसंख्या समान (stationary) है, यदि १,००० से अधिक बचती हैं तो बढ़ती है अन्यथा घटती है। "वह दर जिस पर कि स्त्री जनसंख्या अपने आपको प्रतिस्थापित कर रही है वास्तविक पुनरुत्पादन दर है।"^२

डाक्टर एरिड चार्ल्स (Dr. Erid Charles) के शब्दों में "मुख्य बात यह है कि एक वर्ष में जन्म-दर तथा स्वयं जनसंख्या की प्रजनन शक्ति का चिह्न नहीं है क्योंकि मानव जाति अपने जीवन के एक विशिष्ट काल में ही माता-पिता हो सकती है।" इस प्रकार केवल जन्म दर तथा मृत्यु दर पर आधारित प्रकल्पित गणना काफी नहीं

१ Kuczynski—Balance of Births and Deaths pp 41 44 quoted in Economic Problems of Modern India edited by Prof Radha Kamal Mukerjee, pp 90—91.

२ 'The rate at which the female population is replacing itself is the net reproduction rate —Kuczynski Ibid

है। हमें प्रत्येक बच्चा पैदा करने वाली ग्राह्य के समुदाय में जन्म की आवृत्ति (frequency) का अथवा मृत्यु-दर का ध्यान रखकर हर समुदाय में जीवित रहने के अवसरों का विचार करना पड़ता है। केवल तभी हम वास्तविक पुनरुत्पादन (reproduction) दर मालूम कर सकते हैं।

हम अपने वास्तविक प्रजनन दर की गणना के लिए मिस्टर ईट्स (Mr Yeats) के जो कि सन् १९४१ में भारत के जनगणना के कमिश्नर थे, ऋणी हैं। निम्न तालिका उनकी रीति स्पष्ट करती है:—

भारतवर्ष में सकल तथा शुद्ध प्रजनन दर
(Gross and Net Reproduction Rate in India)

आयु वर्ग	प्रत्येक ग्रह १,००० स्त्रियों में पैदा हुए बच्चों की कुल संख्या	प्रत्येक ग्रह १,००० स्त्रियों में पैदा की हुई लड़कियों की कुल संख्या	प्रत्येक १,००० पैदा की हुई लड़कियों में से जीवित रहने वालों की संख्या	वर्तमान स्त्रियों वा प्रतिस्थापन करने वाली जीवित स्त्रियों की संख्या
१५-२०	६६१.२	३३२	५४८.६४	१८२
२१-२५	१६७०.०	८०३	४६६.३७	४०१
२६-३०	१५२६.५	७४८	४४७.६५	३३५
३१-३५	६०२.२	६३४	३६४.३८	१७१
३६-४०	४३०.५	२०७	३३६.७७	७०
४१-४५	१८८.८	६१	२२५.३२	२६
४६-५०	७६.६	३८	२१४.०१	६
	५५१६.३	२,८५३	२७६६.७४	१,१६४

सकल (gross) प्रजनन दर पंक्ति ३ में दी गई है जो कि १,००० स्त्रियों में लड़कियों को पैदा होने की संख्या बताती है।

$$\text{यह } \frac{२,८५३}{१,०००} = २.८५३ \text{ है।}$$

शुद्ध (net) प्रजनन दर जो कि पंक्ति (column) ५ में है वर्तमान स्त्रियों का प्रतिस्थापन करने वाली जीवित जनसंख्या बताती है। यह $\frac{१,१६४}{१,०००} = १.१६४$ है।

इसका अर्थ यह है कि एक स्त्री १.१६४ से प्रतिस्थापित होती है। १,००० स्त्रियों की अपेक्षा १,१६४ स्त्रियाँ हो जाती हैं। यह जनसंख्या की वृद्धि बताती है।

सकल तथा शुद्ध प्रजनन दर प्रति इकाई में दिया हुआ है, न कि प्रति १,००० अथवा १०० में।

कुछ अन्य देशों की सकल तथा शुद्ध प्रजनन दर निम्नलिखित है :—¹

देश (country)	वर्ष (year)	शुद्ध उत्पादन दर (net reproduction rate)
यू० एस्० ए०	१९३६-४१	१.०१
जापान	१९२७	१.४४
फ्रान्स	१९३६	०.९
जर्मनी	१९३६	०.९७
इटली	१९३५-३७	१.१३
इटालियन	१९४४	०.९६
सोवियत यूनियन	१९३५	१.४
स्वीडन	१९४१	०.८४

इस तालिका में यू० एम० ए०, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी तथा स्वीडन की शुद्ध प्रजनन दर १.० से कम है। ये देश गिरती हुई जनसंख्या प्रस्तुत करते हैं, उदाहरणार्थ इंग्लैंड में १०० स्त्रियों में ९० जीवित रहती हैं। इटली, सोवियत रूस तथा जापान में शुद्ध प्रजनन समेक (unity) से अधिक है, जिसका अर्थ है बढ़ती हुई आबादी। अमरीका (USA) में शुद्ध पुन उत्पादन पर समेक (unity) के बंद गिरावट प्रस्तुत हो गई, जिसका अर्थ है स्थायी आबादी।

१० श्रम दक्षता के साधन (Factors of Labour Efficiency)—ऊपर हमने श्रम का मात्रिक (quantitative) रूप अर्थात् जनसंख्या की समस्या का वर्णन किया है अब हमको गुणात्मक (qualitative) रूप अर्थात् थमिक दक्षता की समस्या के विषय में ध्यान देना चाहिए।

यह तो निर्विवाद है कि श्रम की कार्यपटुता या दक्षता राष्ट्रीय हित की बात है। यह आर्थिक पुनर्जीवन का शक्ति-सम्पन्न पुर्जा है। जापान की आर्थिक सम्पन्नता अधिकतर जापानियों की देशभक्ति तथा कार्यपटुता के कारण है। कार्यपटु या दक्ष थमिक समय अथवा मान का दुरुपयोग नहीं करता। वह भ्रमों का होशियारी से उपयोग करता है। उस पर निगाह रखने की बहुत कम जरूरत पड़ती है। वह बुद्धि से काम लेता है और उत्सर्ग उपक्रम (initiative) और जिम्मेदारी की प्रबल भावना होती है। कम लागत (cost) पर ज्यादा पैदावार होती है जिससे उद्योग की स्पर्धी शक्ति (competitive power) बढ़ जाती है।

ऐसे बहुत से साधन हैं जो कि यद्यपि अथवा किसी भी देश के थमिकों की मापक कौशलता का विवरण प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित कुछ विशेष ऐसे साधन हैं जो थम की कुशलता या दक्षता पर प्रभाव डालते हैं—

(१) जातीय गुण (Racial qualities)—श्रम की कुशलता जातीय तथा पंक्तिक नस्ल पर जिससे कि थमिक सम्बद्ध होता है निर्भर है। पंजाब के सीमा वाले प्रदेशों का जाट बहुत ही हृष्ट-पुष्ट तथा उद्यमी होता है। एक बंगाली अथवा एक उत्तर प्रदेश का थमिक धारीरिक सहनशीलता में उसके समान नहीं है। यह जातीय गुण के कारण है।

(२) प्राकृतिक तथा जलवायु के कारण (The Natural and the climate factor)—एक ठंडी, शक्ति देने वाली जलवायु कठिन परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करती है जब कि उष्ण (tropical) जलवायु श्रमिक को दुर्बल बना देती है। जहाँ जीविका निरन्तर सघर्ष से प्राप्त करनी पड़ती है, वहाँ मानवीय नस्ल, उस स्थान से जहाँ प्रकृति उदार है उत्तम है। ठंडे तथा सम शीतोष्ण (temperate) भागों में रहने वाले मनुष्य, उष्ण तथा कम उष्ण भागों में रहने वालों की अपेक्षा कार्यपटु एवं दक्ष होते हैं। यही कारण है कि यूरोप के श्रमिक, एशिया के श्रमिकों की अपेक्षा अधिक काम करने वाले एवं कार्यपटु होते हैं।

(३) शिक्षा (Education)—श्रम की दक्षता एवं कार्यकुशलता शिक्षा पर भी निर्भर है। टेक्नीकल तथा साधारण शिक्षा उचित प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करती है तथा चरित्र को दृढ़ बनाती है। इसमें तनिक सन्देह नहीं है कि एक शिक्षित श्रमिक अधिक साधनसम्पन्न तथा जिम्मेदार होता है। एक टेक्नीकल ट्रेनिंग प्राप्त व्यक्ति अवश्य ही अधिक कार्यपटु होगा।

(४) व्यक्तिगत गुण (Individual and Personal qualities)—श्रमिक की कुशलता उसके व्यक्तिगत गुणों पर भी निर्भर है। यदि श्रमिक मजदूर डील-डीन, मानसिक चौकसी, बुद्धि, साधनसम्पन्नता तथा उपक्रम की भावना रखता है तथा यदि वह गम्भीर और अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण है तो वह अधिक उत्पादन करने वाला होगा।

(५) औद्योगिक संगठन तथा उपकरण (Industrial Organisation and Equipments)—औद्योगिक संगठन तथा श्रमिकों को दी हुई सामग्री से भी उनकी कार्यकुशलता एवं दक्षता निश्चित होती है। एक दूसरे दर्जे का उद्यमी जो कि पुरानी मशीन तथा घटिया माल इस्तेमाल करता है बड़िया सामान तैयार नहीं कर सकता। ऐसी स्थितियों में श्रमिक की दक्षता अवश्य कम हो जाएगी।

(६) कारखाने की स्थितियाँ (Factory Environments)—यदि वातावरण खराब है तो श्रम कम कुशल होगा। सकुचित तथा कम हवादार कारखानों में जो कि घने तथा अस्वस्थ स्थितियों में बने हैं श्रमिक भली भाँति कार्य नहीं कर सकता। भारतीय कारखानों की स्थिति ऐसी ही है तभी तो हमारे श्रमिकों की कार्य-दक्षता कम है। इसके विपरीत हवादार तथा प्रफुल्ल वातावरण अच्छा और अधिक काम करने को प्रोत्साहित करता है।

(७) काम के घंटे (Working Hours)—जितने घंटे श्रमिक को काम करना पड़ता है उनका भी कार्यकुशलता पर प्रभाव पड़ता है। काम के लम्बे घंटे जिनमें विश्राम का ठीक प्रबन्ध न हो तथा जिनमें आराम अथवा मनोरंजन के हेतु कोई समय न मिलता हो, श्रमिकों की कार्यक्षमता को गिराने के सिवा और कुछ नहीं करते। यह भी एक कारण है कि भारतीय श्रमिकों की कार्य दक्षता कम है।

(८) सनोपजनक तथा शीघ्र भुगतान (Fair and Prompt Payment)—अच्छी मजदूरी पाने वाला श्रमिक साधारणतः सन्तुष्ट रहता है और काम में मन लगाता है। यह मुख्यतः तभी हाता है जब कि मजदूरी शीघ्र और समय पर दी जाती

है। सही मजदूरी से खाना रुकड़ा और स्वास्थ्यप्रद मकान आदि प्राप्त हो जाता है जिससे पट्टा बढ जाती है। भारत म मजदूरी लो कम है किन्तु १८३६ के मजदूरी भुगतान अधिनियम (payment of wages act) के पास होन के बाद से भुगतान ठीक समय पर हो रहा है।

(६) श्रम संगठन (Labour Organisation)—संगठित प्रयत्न सदैव प्रभावपूर्ण होता है। यदि श्रमिक श्रम कारखान के अंदर श्रम विभाजन के द्वारा तथा कारखाने के बाहर एक मजदूर सघ के रूप म ठीक प्रकार से संगठित है तो श्रमिको की कशलता अवश्य बढ जाएगी।

(१०) सामाजिक तथा राजनीतिक कारण (Social and Political Factors)—सामाजिक सुरक्षा (security) की योजनाएँ जो श्रमिको को आवश्यकता तथा भय से और बेकारी की भयकरता से मुक्त करती ह श्रम के गौरव और मर्यादा को बढाएँगी। वे मेहनत से काम करके समाज की सेवा के लिए तैयार रहेगी। हमारे श्रमिका लो पीठ पर सामाजिक सुरक्षा का हाथ नहीं है। हाल ही म श्रमिको के लिए बीमा योजना और भविष्यनिधि योजनाएँ चालू की गई ह।

भारतीय श्रमिको की काय पट्टा क्यों कम है? (Why Indian Labour is less efficient)—यह स्मरण रहे कि उत्पादन एक सहकारी प्रयत्न (co operative effort) है तथा श्रम की वायकुशलता केवल श्रमिक के व्यक्तिगत गुणो पर निर्भर नहीं है। भारतीय मजदूर स्वाभाविक अयोग्यता के कारण नहीं बरन् प्राकृतिक तथा वातावरण के कारण अपेक्षाकृत कम कायपट्ट है। वह मलिन जलवायु मे रहता है जिससे उसका शरीर दुबल होना है। तेज गर्मी और जाड़ा कारखान के काम को कठिन परीक्षा सा बना देता है। वह जो कुछ पारिश्रमिक पाता ह केवल उसके दुखद जीवन गुजारने भर को होता है। कारखान की हालत बहुत दम घोटनवाली है और उसकी हवि के त्रिपरीत है। उद्यमी लो कुशलता तथा कारखान को सामग्री रही किस्म की है। वह ज्यादा समय तक काम करने को बाध्य किया जाता है। वह अशिक्षित तथा हडिवादी है। वास्तव मे यह आश्चर्य की बात है कि वह इन हालात म इतना काम भी कर रहा है।

निर्देशक पुस्तक

Marshall A Principles of Economics

Adam Smith Inquiry into th Nature and Causes of the Wealth of Nations

Benham F Economics

Pearl The Biology of Population Growth

Yule The Growth of Population and the Factors that control it—F R S S Jan 1 2

Hicks J R Theory of Wages

Robertson E A G Structure of Competitive Industry

Fraser L M Economic Thought and Language (194) Ch 11 and 13

Robbins L Article on Optimum Theory of Population in Essays in Honour of Edwin Cannan

मशीन तथा श्रम-विभाजन

(Machinery and Division of Labour)

१ मशीन का उपयोग (Use of Machinery)—आधुनिक युग यन्त्र युग है। यन्त्र ने मनुष्य पर भी प्रभुत्व जमा रखा है। भीमकाय शक्ति, आश्चर्यजनक सुकुमारता तथा विस्मयकारी जटिलता से युक्त मशीनों ने प्रायः समस्त उत्पादन-व्यवस्था पर अधिकार कर रखा है।

इसके उपयोग (Its Uses)—यन्त्र-व्यवस्था द्वारा हुए हित का दो शब्दों में वर्णन किया गया है शक्ति (Power) और सूक्ष्मता तथा सुतथ्यता (Precision)।¹ मशीनों के प्रयोग से अनेक बड़े लाभ होते हैं, जैसे उत्पादन में उन्नति श्रमिक के लिए सुविधा और समाज-व्यापार आदि।

मशीन के सहारे ही मनुष्य ने प्रकृति पर अपना प्रभुत्व बढ़ाया है और फल-स्वरूप प्रकृति को विशाल शक्तियाँ मानवता की सेवा के लिए काम में ली गई हैं।

समय, स्थल तथा गुस्तराकर्षण शक्ति की भौतिक सीमाएँ (Physical limitations) तीव्र गति से समाप्त होती जा रही हैं। चन्द्रलोक की यात्रा भी अब बिलकुल असम्भव नहीं कही जा सकती। मनुष्य के हाथों काय इतने शीघ्र नहीं हो सकते। सिगरेट का कारखाना एक मिनट में २५० हजार सिगरेट बना सकता है। यन्त्र इस आश्चर्यजनक सूक्ष्मता तथा सुतथ्यता (precision) से कार्य करता है कि प्रत्येक निर्मित सामग्री दूसरे के ठीक अनुरूप होती है। ऐसी एक समान उत्पादन-व्यवस्था बिना, आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था कुछ काम न कर पाती। विभिन्न उद्योगों में प्रणाली की समता के कारण श्रम की गतिशीलता (mobility) और बढ़ गई है। सस्ती तथा उपयोगी सामग्री के उत्पादन द्वारा तथा परिवहन (transport) की सुविधा में वृद्धि के कारण समाज को बहुत लाभ हुआ है। श्रमिक को अचिरकर तथा कष्टसाध्य कार्य से छूट मिल गई है। दिन भर के परिश्रम की अवधि को घटाकर अब वह अधिक अवकाश प्राप्त करता है। उसकी प्रतिभा, कौशल, एवं श्रम निपुणता का स्तर ऊँचा हो गया है। क्योंकि एक आलसी श्रमिक मशीनों का समुचित संचालन नहीं कर सकता।

इसके दुरुपयोग (Its Abuses)—किन्तु इसका दूसरा पक्ष भी है। घन वसे हुए, दुर्गन्धयुक्त, गन्दे नगर, आवश्यकता से अधिक श्रमिकों से युक्त कारखाने, मनुष्य की नैतिकता के लिए अपनी सम्पूर्ण विपत्तियों सहित, औरतों तथा बालकों से अनुचित लाभ, कारीगरों के स्वावलम्बन का अभाव आदि यन्त्र-व्यवस्था के कुछ दोष हैं।

1 Cairncross—Introduction to Economics (1944), p. 46

कारोगर बेचारा 'बल चलाने वाले' की स्थिति को पहुँच गया है। हम जानते हैं कि विदेश से होने वाली यन्त्र-स्पर्द्धा ने किस प्रकार हमारे उद्योगों को मष्ट कर दिया है तथा ढाका की मलमल के बनाने वाले कारोगर अब बड़ी सख्या में कौशल विहीन श्रमिक बन गए हैं। मनुष्य मशीन के भीतर का एक पुर्जा मात्र रह गया है। कलात्मक वस्तु-उत्पादन समाप्त हो गया है। लाभ के लिए निर्मित अविश्वसनीय तथा कम टिकाऊ वस्तुओं में बाजार भरे पड़ हैं। पूंजीवाद तथा फॅक्टरी व्यवस्था की समस्त बुराइयाँ यत्र प्रणाली के साथ प्रारम्भ हो जाती हैं।

क्या मशीनों से बेकारी पैदा होती है ? (Does Machinery Create Unemployment ?)—श्रम की बेकारी के लिए मशीन कहीं तक उत्तरदायी है ? निःसन्देह कत्तो का तात्कालिक प्रभाव श्रमिकों को कार्य से जुदा करना होता है। वह जो बेकार हो जाते हैं विशेषकर वृद्ध श्रमिक सम्भव है उन्हें भविष्य में फिर कोई अच्छा काम न मिले।

लेकिन कुछ समय तो समायोजन (adjustment) में लगेगा ही, और तबमें अग्रे में कभी न कभी व्यवसाय या काम में वृद्धि होगी। इसमें किसको सन्देह होगा कि औद्योगिक व्यवस्था के पूर्व की अपेक्षा आज इंग्लैंड कहीं अधिक लोगों के लिए नौकरी का प्रबन्ध करता है। इस प्रकार अधिक कार्य नियोजन (employment) होता है। मशीन की बनी वस्तुएँ सस्ती होती हैं। उनकी मांग बढ़ जाती है तथा उत्पादन की सम्भावना की और अधिक वृद्धि में और अधिक मनुष्यों को कार्य मिलेगा। अथवा कई नई वस्तुओं की आवश्यकता बड़ेगी तथा उनको बनाने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होगी। यदि मनुष्य अधिक वस्तुएँ नहीं खरीदता तो वह घन जोटगा। इस प्रकार सचिन पूंजी में नए उद्योग चालू होंगे। मशीनों के निर्माण के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होगी। उनकी मरम्मत तथा इन सम्बन्ध के अनेक कार्यों के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होगी। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मशीन से तत्काल तो चाहे बेकारी उत्पन्न हो, किन्तु आगे जाकर इससे अधिक कार्य नियोजन होगा।

२ श्रम विभाजन (Division of Labour)—मशीन के विस्तृत उपयोग के अतिरिक्त, वर्तमान उत्पादन की प्रधान विशेषता श्रम विभाजन है। वास्तव में, श्रम-विभाजन तथा मशीनों का उपयोग साथ साथ चलता है। आज हम यह दावते हैं कि एक वस्तु का निर्माण अनेक प्रणालियों (processes) में विभक्त होता है और प्रत्येक प्रणाली श्रमिकों के जदा ध्रुप द्वारा पूरी होती है। इसे श्रम विभाजन कहते हैं। अधिक उपयुक्त शब्दों में इसे विशेषीकरण (specialisation) कहते हैं।

यह (क) साधारण श्रम-विभाजन (Simple Division of Labour) हो सकता है जबकि कार्य सयुक्त रीति से होता है, और यह कहना सम्भव नहीं होता कि प्रत्येक व्यक्ति ने कितना कार्य किया है—जैसे किसी भारी बोझ के उठान में।

(ख) जटिल श्रम विभाजन (Complex Division of Labour)—जब प्रत्येक प्रणाली बुद्धि युक्त द्वारा की जाती है और (ग) प्रादेशिक श्रम विभाजन (Territorial Division of Labour)—जब किसी स्थान के व्यक्ति किसी विशय सामग्री के उत्पा-

दन की विशेष योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। इसे हम उद्योगों का स्थानीयकरण (Localisation of Industries) कह सकते हैं।

३ श्रम-विभाजन के लाभ (Advantages of Division of Labour)—श्रम-विभाजन-व्यवस्था के अनेक लाभ माने गए हैं। अर्थ-विज्ञान के इस अंश के प्रति ऐडम स्मिथ (Adam Smith) की देन आज भी प्रतिष्ठित समझी जाती है। श्रम-विभाजन निम्नलिखित रूपों में लाभदायी सिद्ध हुआ है —

(१) उत्पादन शक्ति में वृद्धि (Increase in Productivity)—ऐडम स्मिथ (Adam Smith) इसके लिए पिन उत्पादन उद्योग का उदाहरण देते हैं। पिन उत्पादन को वह १८ विभिन्न क्रियाओं में विभक्त करते हैं। दस व्यक्ति एक दिन में ४८,००० पिन बना सकते हैं। अस्तु, एक दिन में एक मजदूर ४,८०० पिन बना लेता है। श्रम विभाजन तथा मशीन के अभाव में एक व्यक्ति एक दिन में कठिनाई से एक 'पिन' बना पाता और बीस पिन तो कदापि न बना सकता।

क्या उत्पादन शक्ति की यह वृद्धि केवल श्रम विभाजन ही के कारण है? (Is Increase in Productivity due simply to Division of Labour)—किन्तु अन्य कारणों की उपेक्षा करके केवल श्रम विभाजन को इस वृद्धि का कारण मान लेना अनुचित होगा। टेक्निकल ज्ञान की प्रगति, अनेक वैज्ञानिक अन्वेषण और खोजें तथा पूंजी का संचय भी अन्य महत्त्वपूर्ण कारण हैं जिनसे उत्पादन-शक्ति में वृद्धि हुई है। इन सभी कारणों से भूमि की उत्पादन शक्ति में वृद्धि हुई है। विज्ञान के कारण भूमि की उत्पादन-शक्ति में वृद्धि हुई है और तकनीकी शिक्षा के द्वारा श्रमिकों की कार्यक्षमता बड़ी है। इन सभी कारणों का सामूहिक फल उत्पादन-सामर्थ्य की वृद्धि है।

(२) श्रम कौशल तथा निपुणता में वृद्धि (Increase in Dexterity and Skill)—अभ्यास से ही मनुष्य में पूर्ण निपुणता आती है। बार-बार एक ही कार्य करने रहने से मजदूर कुशल हो जाता है।

(३) आविष्कारों की अधिक सम्भावना (Inventions are Facilitated)—मशीन स्वतः चलती रहती है। अतः खाली बैठे बैठे श्रमिकों की बौद्धिक एवं मानसिक वृत्तियाँ उस आरंभिक निपुणता से सोच करती हैं। प्रायः नए विचार आते रहते हैं, जिससे आविष्कार सम्भव होते हैं।

(४) यन्त्रों को उपयोग में लाने की सुविधा (Introduction of Machinery Facilitated)—जब मनुष्य को बार-बार एक ही कार्य करना पड़ता है तो अपनी सुविधा एवं बचत के लिए वह कोई सरल मशीनी उपयोग सोच निकालता है। इस साधारण काम को मशीन द्वारा करना सम्भव हो जाता है।

(५) समय की बचत (Saving in Time)—श्रम-विभाजन-व्यवस्था के अन्तर्गत श्रमिकों को एक ही कार्यविधि में लगे रहना होता है। किसी विशेष व्यापार को समझने के लिए समस्त व्यापार की अपेक्षा कम समय लगता है।

(६) औजारों तथा उपकरणों की बचत (Saving in Tools and Implements)—जब श्रमिकों को कुल कार्य का एक भाग ही करना पड़ता है, जैसे, कुर्सी

के पाँव बनाना, तो उसे सब तरह के औजार देने की आवश्यकता नहीं रह जाती । औजारों के एक सेट (set) से कई कारीगर एक समय में काम कर सकते हैं ।

(७) कार्य-नियोजन की अनेकरूपता (Diversity of Employment)—थम विभाजन से कार्य की संख्या तथा विभिन्नता में वृद्धि होती है तथा कार्य-नियोजन (employment) में अनेकरूपता आ जाती है ।

(८) बड़े पैमाने का उत्पादन (Large-scale Production)—थम विभाजन से उत्पादन बड़े पैमाने में होने लगता है । प्रचुर मात्रा में हुए उत्पादन का लाभ सभी प्रकार की वस्तु के रूप में समाज को होना है ।

तैयार माल की मात्रा में ही वृद्धि नहीं होती वरन् उसकी क्वालिटी में भी, चूँकि माल कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किया जाता है ।

(९) उपयुक्त कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति (Right Man in the Right Place)—थम-विभाजन के अन्तर्गत थमिक इस प्रकार बँट जाते हैं कि प्रत्येक थमिक अपने कोशल का कार्य करता है । इस प्रकार कार्य की अनुपयुक्तता तथा असंगति नहीं रहती ।

४ अथम विभाजन से हानियाँ (Disadvantages of Division of Labour)—हमने देखा है कि अथम विभाजन पद्धति से समाज की उत्पादन-सामर्थ्य के अवसरों की वृद्धि होती है । किन्तु चैपमैन (Chapman) का कथन है कि 'किसी उत्पादन प्रणाली का उत्पादन-सामर्थ्य ही उसके महत्त्व की एकमात्र कसौटी नहीं है । जीवन का उद्देश्य केवल सामग्री प्रचुर मात्रा में प्राप्त कर लेना ही नहीं होता ।' हम यह देखना होगा कि मनुष्य जिसके लिए उत्पादन किया जाता है, अथम-विभाजन के कारण किस प्रकार प्रभावित हुआ है । इस दृष्टि से देखने पर यह सिद्ध नहीं होता कि अथम विभाजन से केवल लाभ ही होते हैं । अथम-विभाजन के फलस्वरूप निम्नलिखित दोष भी होते हैं—

(१) नीरसता (Monotony)—थमिक बार-बार एक ही कार्य करने के कारण एक प्रकार की नीरसता का अनुभव करने लगता है तथा कार्य साधारण कोटि का तथा कौशलहीन हो जाता है । उसे अपने कार्य की ओर से अरुचि होने लगती है ।

(२) मनुष्य के विकास में बाधक (Retards Human Development)—मनुष्य का शारीरिक तथा मानसिक विकास उसके कार्य से बहुत प्रभावित होता है । थमिक को एक ही प्रकार का कार्य बार-बार करने से शरीर तथा मन की गति एक ही दिशा में रहती है । एक प्रकार की बार-बार कियाशीलता व्यक्ति के मन को कुण्ठित तथा दृष्टिकोण को सीमित कर देती है । नीरसता से आत्मा का हनन होता है ।

(३) मानवीय प्रेरणा-रहित उद्योग (Industry De-humanised)—थम-विभाजन के अन्तर्गत कई लोग मिलकर एक चीज तैयार करते हैं । "सब लोगो के द्वारा किया गया कार्य किसी भी व्यक्ति का कार्य नहीं होता ।" कारीगरों में उत्तरदायित्व और स्वाभिमान की भावना नष्ट हो जाती है । इस प्रकार उद्योग के भीतर से मानवोचित स्फूर्ति निकल जाती है ।

(४) कौशल की हानि (Loss of Skill) —कुशल शिल्पकार अपना कौशल खो देता है। उसे या तो केवल कातना आता है अथवा बुनना। या तो वह कुर्सी का पाया बना पाता है अथवा फिर कुर्सी पर बैठने का स्थान। सम्पूर्ण कुर्सी बनाने की सामर्थ्य उसमें नहीं रह जाती।

(५) बेकारी की आशंका (Risk of Unemployment)—कार्य के केवल एक अंग के निर्माण का ज्ञान रखने वाले श्रमिक को बेकारी का सदा डर रहता है। यदि उसका प्रस्तुत कार्य छूट जाए तो सम्भव है दूसरे स्थान पर उसे कार्य न मिल पाए। इस प्रकार उसके सामने बेरोजगारी का डर सदैव बना रहता है।

(६) श्रम-विभाजन से पारिवारिक जीवन में गड़बड़ होती है (Disrupts Family Life)—श्रम-विभाजन व्यवस्था में औरतो तथा बच्चों को भी उनके अनुकूल कार्य मिलने का अवसर रहता है। कारखानों में औरतो का अधिक सख्या में कार्य करना गृहस्थ जीवन में गड़बड़ उत्पन्न कर देता है तथा बच्चों को काम में लगाने से राष्ट्र के मूल्यवान मानवीय स्रोत का व्यर्थ हो क्षय होता है। यह राष्ट्रीय हानि है।

(७) श्रम-विभाजन तथा फैक्टरी व्यवस्था से हानियाँ (Division of Labour and Evils of Factory System)—फैक्टरी व्यवस्था से सम्बद्ध होने से श्रम विभाजन में अनेक दोष उत्पन्न हो गए हैं। कारखाने का वातावरण दुर्गन्ध-युक्त बना रहता है। आबादी की अधिकता से चरित्र का पतन होता है। आस पास की गन्दगी से रोग फैलते हैं। मनुष्य मशीन तथा उद्योगपति का दास हो जाता है।

फिर भी श्रम विभाजन पद्धति स्थायी रूप से चल रही है। दिन भर के कार्यों की अवधि का घट जाना तथा अवकाश की वृद्धि, शिक्षा का प्रसार, मजदूरी में वृद्धि आदि कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा श्रम-विभाजन के दोषों को दूर किया जा सकता है और श्रमिक के व्यक्तित्व को ऊँचा उठाया जा सकता है।

श्रम-विभाजन-व्यवस्था के अन्तर्गत क्या श्रमिक अपनी योग्यता के बिल्कुल ही उपयुक्त कार्य में नियोजित किया जाता है? यह आवश्यक नहीं है कि सदैव ऐसा ही हो। किन्तु नियोजक को यह चेष्टा अवश्य रहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुकूल ही कार्य प्राप्त हो। परन्तु सर्वदा यह सम्भव नहीं होता। यह सब 'माँग' पर निर्भर होता है। अनेक विकल्पों (alternatives) में उसे वह कार्य मिलेगा जिसके लिए माँग है और इस प्रकार मिला कार्य उसके सर्वथा उपयुक्त नहीं हो सकता।

श्रम विभाजन के आवश्यक तत्त्व (Requisites of Division of Labour)—श्रम-विभाजन का लागू होना कई बातों पर निर्भर है। इसके लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन होना चाहिए।

उत्पादन निरन्तर होना चाहिए (Production must be Continuous)—अन्यथा विभिन्न श्रमिक वर्गों के बीच समन्वय (co-ordination) नहीं हो सकता। इसके अलावा श्रमिकों में प्रतिभा तथा सहयोग की भावना होनी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि उद्योगपति में आवश्यक संगठन की योग्यता होनी

चाहिए अन्यथा श्रम-विभाजन की व्यवस्था तथा संगठन उचित नहीं होगा। अन्त में बाजार का विस्तार भी श्रम विभाजन को सीमित कर सकता है।

५. श्रम-विभाजन बाजार द्वारा सीमित होता है (Division of Labour is Limited by the Market)—यह बात बहुत स्पष्ट है। यदि जूते बनाने वाला एक जूता छ महीने में बेच पाता है तो उसका आधे दर्जन श्रमिकों को तले बनाने में लगाना तथा आधे दर्जन व्यक्तियों को ऊपरी भाग बनाने में लगाना, अन्य छ. व्यक्तियों को इस प्रकार तले तथा ऊपरी भाग को जोड़ने में लगाना मूर्खता होगी। इस प्रकार की विधि अपनाए के पूर्व उस वस्तु की मांग होनी चाहिए। श्रम विभाजन से बड़ी मात्रा में सामग्री बनेगी और जब तक बाजार में वस्तु की यथेष्ट खपत न हो, अधिक मात्रा में किसी वस्तु का निर्माण निरर्थक होगा। अस्तु, विस्तृत विश्वी का बाजार ही किसी वस्तु के निर्माण तथा विस्तार को निर्धारित करने वाला कारण होता है।

परन्तु कोई भी उद्योगपति व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार इस विषय को नहीं देखता। अपने कारखाने का आकार स्थिर करते समय वह बाजार का विचार रखता है और इस प्रकार विचार के बाद श्रम-विभाजन की सीमा लगाई गई मशीनों तथा कारीगरों के अनुरूप होगी। श्रम विभाजन बहुत हद तक उद्योगपति की संगठन सम्बन्धी योग्यता पर भी निर्भर रहता है।

बाजार श्रम-विभाजन पर भी निर्भर होता है—श्रम-विभाजन के कारण अधिक मात्रा में उत्पादन होने से उत्पादन सस्ता होता है। जब वस्तुएँ सस्ती होती हैं तो अधिक मनुष्य उन्हें खरीदते हैं। इस प्रकार बाजार में विक्री बढ़ जाती है। अस्तु, श्रम-विभाजन तथा विश्वी एक दूसरे पर निर्भर हैं। फिर भी यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि बाजार की सीमा श्रम-विभाजन का निर्धारण करती है।

श्रम का प्रादेशिक विभाजन

(Territorial Division of Labour)

६ स्थानीयकरण (Localisation)—उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रादेशिक श्रम-विभाजन भी कहते हैं। उद्योगों के श्रम के स्थानीयकरण से हमारा अर्थ किसी एक स्थान या भाग में किसी एक उद्योग का स्थापन है। कोई नगर या प्रदेश किसी उद्योग के लिए विशेष स्थान बना लेता है। हमारा जूट उद्योग बंगाल में, लोहे का बिहार में, शक्कर का उत्तर प्रदेश व बिहार में, तथा सूनी उद्योग बम्बई में केन्द्रित है। राज्यों के नगरों में स्थानीयकरण के उदाहरणों में हम लुधियाना (पंजाब) का हौजरी उद्योग, फिरोजाबाद (५० पी०) में बूडियाँ, हजारीबाग (बिहार) में रेशम के निर्माण आदि का जिक्र कर सकते हैं।

स्थानीयकरण को निश्चित करने वाले मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं—

(१) कच्चे माल की निकटता (Nearness to Raw Materials)—कच्चे माल का निकट होना बड़ा लाभदायक है। इससे परिवहन (transport) की लागत कम हो जाएगी। उत्पादन अधिक किफायती होगा। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कई उद्योगों की स्थापना उन भागों में हुई है जहाँ कि कच्चा माल अधिक मात्रा में

प्राप्त है, उदाहरणार्थ, जूट के कारखाने बंगाल में तथा शक्कर के उत्तर प्रदेश में हैं।

(२) बिजली के स्रोतों की निकटता (Nearness to Sources of Power)—उद्योग के लिए दूसरा आकर्षण बिजली के साधनों का उपलब्ध होना है। यदि कोयले की खाने समीप हैं तो बहुत से उद्योग शीघ्र ही वहाँ केन्द्रित हो जावेंगे, उदाहरणार्थ, लोहे के कारखाने एवं अन्य प्रकार के कई उद्योग कोयले की खानों के क्षेत्रों में हैं।

(३) बाजार से समीपता (Proximity to Markets)—किसी उद्योग के लिए त्रिस्तृत बाजार का समीप होना लाभदायक है। परिवहन की लागत में बचत होगी। उपभोग के केन्द्रों के समीप वाले कारखाने दूर वाले कारखानों से अधिक प्रभाव रखते हैं। भारतीय सूती कारखानों का उत्तर भारत तथा बंगाल में विस्तार बाजार के समीप होने के कारण हुआ।

(४) श्रम का उपलब्ध होना (Availability of Labour)—यदि शिक्षित श्रम उपलब्ध है तो यह एक बड़ी सुविधा मानी जाती है। यही कारण है कि उद्योग-पति एक पुराने स्थापित केन्द्र पर ही जमा होते हैं। यदि कोई हौजरी का कारखाना स्थापित करना चाहता है तो वह लुधियाना में स्थापित करने में अपना लाभ समझेगा।

(५) पूँजी का उपलब्ध होना (Availability of Capital)—वित्त-व्यवस्था उद्योग का प्राण है। जहाँ बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएँ उद्योगों की सहायता करने को तैयार तथा तत्पर रहती हैं, यह एक बड़ा आकर्षण है। बम्बई, कलकत्ता जैसे शहर उद्योगों के केन्द्र हैं क्योंकि वहाँ अच्छी साख सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

(६) कभी-कभी राजनीतिक कारण (Political Factors) भी उद्योग के स्थापित होने के कारण बने हैं। हैदराबाद जैसे भारतीय राज्यों ने उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए उनको विशेष सुविधाएँ प्रदान कीं।

७ स्थानीयकरण के परिणाम (Consequences of Localisation)—स्थानीयकरण के फायदे भी हैं और नुकसान भी। ऊपर दिए हुए उद्योगों के जमकर चलने की प्रवृत्ति के कारण स्थानीयकरण के विभिन्न लाभ हैं अर्थात् श्रम, पूँजी, पदार्थों आदि का उपलब्ध होना और विशेष परिवहन, सहायक उद्योग, औद्योगिक पत्रिकाएँ, सघ आदि के लाभ हैं। इसके अतिरिक्त विचारों के विनिमय के लिए पर्याप्त सुविधाएँ हैं, क्वालिटी में सुधार हो सकता है, लागत कम की जा सकती है तथा साधारण समस्याएँ सफलतापूर्वक सुलझाई जा सकती हैं। उस स्थान पर उस वर्ग के श्रमिक को काम अवश्य मिलेगा।

कुछ भी हो स्थानीयकरण एक अभिहित प्रसाद नहीं है। उद्योग का एक स्थान पर निर्भर रहना हानिकारक है। यदि उद्योग गिरी हुई दशा में है तो समस्त श्रमिक जो कि उस पर तथा उसके सहायक उद्योगों पर निर्भर हैं, नुकसान में रहेंगे। यह बहुत से अण्डों को एक टोकरी में ठूँसने के समान है।

इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के श्रम को काम मिलने की कम सम्भावना होती है।

• प्रशिक्षित एवं विशेषीकृत श्रम गतिशील (mobile) नहीं रहता तथा अन्य उद्योगों में नौकरी पाने का कम अवसर रहता है।

इसका स्पष्ट उपचार एक ही है जो प्रायः काम में लाया जाता है अर्थात् पूरक तथा अन्य सहायक उद्योगों का चलाना ।

८ उद्योगों का विकेन्द्रीकरण (Decentralisation of Industries)—
आधुनिक काल में अनेकों विकास हुए हैं जिन्होंने पुराने उद्योगों को उनके स्थानों से हटाकर दूसरे स्थानों पर स्थापित कर दिया है—

(१) परिवहन के साधनों का विकास (The Development in the Means of Transportation) एक ऐसा कारण है । यह विकास वास्तव में एक दुधारा शस्त्र है । एक ओर तो यह केन्द्रित उद्योगों को अपने स्थान में बनाए रखने के लिए सहायक हुआ है । यदि कच्चे माल की पूर्ति जिसके आधार पर उनका विकास हुआ है, खींच हो गई है, तो वह वहीं लाया जा सकता है । यदि बाजार जो कि पहले विस्तृत था, अब काफी नहीं रह गया तो परिवहन के विकास से दूर स्थानों तक फैलाया जा सकता है । परन्तु दूसरी ओर यह भारी यन्त्रों को उन दूर देशों को भेजने में सहायक हुआ है जिनमें बाजार अच्छा है, उदाहरणार्थ स्वीडन की दिमासलाई के कारखाने भारत में खोले गये हैं । थम तथा शिल्पकला में निपुण मनुष्य भी गतिशील हो सकते हैं ।

(२) इसके अतिरिक्त औद्योगिक केन्द्रों में किराया तथा भोडभाड की वृद्धि, जमीन की अधिक कीमत तथा म्यूनिसिपल करों के अधिक बोझ से उद्योग हटा लिये गए हैं, उदाहरणार्थ, सूती मिलें बम्बई से अहमदाबाद शोलापुर तथा अन्य स्थानों को हटाई जा रही हैं ।

(३) अन्त में, बिजली के आने ने जिसे दूर तक ले जाया जा सकता है, उद्योगों को अधिक सुविधा वाले स्थानों पर स्थापित होने के योग्य बना दिया है । उद्योगों को कोयले की खानों जैसी शक्ति के साधनों के समीप रहने तथा दूसरी कठिनाइयों का सामना करने की आवश्यकता नहीं रही ।

उपर्युक्त कारणों से स्थानीयकरण की बहुत सी बातें बेकार हो गई हैं और उद्योगों का विकेन्द्रीकरण हो रहा है ।

निर्देश पुस्तकें

Marshall A Principles of Economics

Adam Smith An Inquiry into the Nature and Causes of the
Wealth of Nations, pp 90 93 and 26

Cannan, E A Review of Economic Theory

Benham F Economics

अध्याय १०

पूंजी

(Capital)

१. पूंजी का स्वरूप तथा महत्त्व (Capital, its Nature and Importance)—अब तक हमने उत्पादन के केवल दो साधनों, भूमि तथा श्रम, का ही अध्ययन किया है। अब हम तीसरे साधन पूंजी पर विचार करेंगे। आधुनिक उत्पादन प्रणाली में पूंजी का बड़ा महत्त्व है। मनुष्य के आदिम जीवनकाल में भी उत्पादन के लिए कुछ औजारों की आवश्यकता पड़ती थी। वर्तमान उत्पादन की विभिन्नता व बृहत् परिमाण केवल इस कारण सम्भव हो सके हैं कि उत्पादन-कार्यों के लिए पूंजी उपलब्ध है। यदि किसी राष्ट्र के पास समुचित पूंजी हो तो देश के जीवन-स्तर को स्थिर रखा तथा उठाया जा सकता है। हर प्रकार के आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत वस्तुओं (capital goods) की आवश्यकता होती है। सिंचाई की योजनाओं को पूरा करने के लिए मशीनों तथा खेती के काम के लिए ट्रैक्टरों की जरूरत पड़ती है। औद्योगिक उन्नति के लिए भी मशीनों की आवश्यकता होती है। सड़कें बनाने में भी मशीनों की जरूरत होती है। अस्तु, पूंजी के बिना किसी प्रकार की आर्थिक उन्नति असम्भव है।

पूंजी शब्द के अर्थों और धारणा के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में परस्पर बड़ा मतभेद है।

पूंजी का स्वरूप तथा उसका तत्त्व बहुत स्पष्ट है। इसका सम्बन्ध आय से होता है। मनुष्य के धन का कुछ भाग इस प्रकार बचता है अथवा उपभोग में आता है जिससे उसे आय की प्राप्ति हो, अथवा उसे उत्पादक कार्य में सहायता मिले। धन के इस भाग को पूंजी कहते हैं। चैपमैन (Chapman)¹ के शब्दों में, "पूंजी वह धन है जिससे आय होती है, अथवा जो आय में सहायक होता है, अथवा ऐसा करने के लिए काम में लाया जाता है।" इस प्रकार इसमें रेलें, जहाज, कारखाने, नहरें, औजार तथा स्टॉक, शेयर, सिन्डिकेट्स तथा बैंक डिपॉजिट्स के रूप में नियोजन भी शामिल है। पीगू (Pigou) ने पूंजी की तुलना एक ऐसी भील से की है, जिसमें ऐसी विभिन्न वस्तुएँ जो बचत (savings) का परिणाम हैं, सदैव शामिल होती रहती हैं। पर वे सब वस्तुएँ जो भील में प्रवेश करती हैं कुछ समय पश्चात् फिर इसमें से निकल जाती हैं।²

1 Chapman—Outlines of Political Economy (1920), p. 73.

2 "Capital is like a lake into which a great variety of things, which are the result of savings are continuously being projected. All things that enter the lake eventually pass out of it again"—Pigou, Economics of Welfare, p. 43.

अब हमें कुछ वस्तुओं की जांच करके यह मालूम करना है कि वे पूंजी हैं अथवा नहीं। जहाँ तक उत्पादक वस्तुओं जैसे मशीन, परिवहन के उपकरण (transport equipment) और उत्पादन की सहायता के लिए उत्पादकों के हाथ में उपभोक्ताओं के माल का सम्बन्ध है सन्देह वा कोई कारण नहीं है। य तो पूंजी है ही, पर प्रश्न यह है कि उपभोक्ता के हाथ में उपयोग की वस्तुएँ पूंजी है या नहीं। इस विषय में अर्थशास्त्रियों के दो मत हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि ये वस्तुएँ पूंजी नहीं होती, क्योंकि जहाँ तक इनका सम्बन्ध है उत्पादन पूर्ण हो चुका है और इमके भाग सौदा नहीं हो सकता। बेनहम (Benham) का कहना है कि यद्यपि ये वस्तुएँ उपभोक्ताओं तक पहुँच चुकी हैं पर बावजूद यही समाप्त नहीं हो जाती। ये वस्तुएँ वर्षों तक काम में आती रहती हैं। इसके सबसे अच्छे उदाहरण मकान, फर्नीचर, रेडियो सेट, मोटर आदि हैं। यही नहीं बल्कि इन वस्तुओं से भागों के सौदा भी हो जाते हैं, उदाहरणार्थ, कमी-कमी मकान वाले अपने मकान को किराए पर उठा देते हैं या मोटर का किराए पर चलाते हैं। बेनहम (Benham) को यह बात अजीब लगती है कि डाक्टर जब कोई परोक्ष देखने कार पर जाए तो उसे पूंजी माना जाए और जब उसके घर वाले उसी पर घूमने जाएँ तो उसे पूंजी न माना जाए। अतएव वह इस प्रकार की सभी वस्तुओं को पूंजी मानेंगे।

क्या भूमि पूंजी है ? (Is Land Capital ?)—भूमि को पूंजी के वर्ग में पाच कारणों से नहीं रखा जाता—

(क) भूमि प्रकृति की ओर से उपहारस्वरूप मिलती है, पर पूंजी मनुष्य स्वयं पैदा करता है।

(ख) पूंजी नाशवान (perishable) होती है, इसके विपरीत भूमि स्थायी व नष्ट न होने वाली होती है।

(ग) भूमि स्थिर होती है पर पूंजी गतिशील (mobile) होती है।

(घ) पूंजी के परिमाण में वृद्धि हो सकती है पर भूमि निश्चित तथा सीमित होती है।

(ङ) पूंजी की आय समान होती है लेकिन भूमि का लगान (rent) भिन्न भिन्न होता है।

पर इन भिन्नताओं को कुछ बड़ा-चड़ाकर दिखाया गया है। वास्तव में भूमि का भी बड़ा तत्व (element) मनुष्य कृत होता है। मनुष्य ने अपने प्रयत्नों से बड़े बड़े रेगिस्तानों को उपजाऊ मैदानों में परिवर्तित कर दिया है। पूंजी की भाँति भूमि भी कुछ सीमा तक नष्ट है क्योंकि बहुत अधिक खेती इसकी उर्वरता (productivity) को समाप्त कर देती है और फिर हम भूमि की सीमा को भले ही न बड़ा सकें पर उसको उत्पादन-शक्ति को तो अवश्य बढ़ा सकते हैं। यह क्षेत्र वृद्धि के समान ही है। भूमि भी एक तरह से गतिशील (mobile) होती है क्योंकि भूमि में उत्पन्न की गई वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से भूमि को भी पूंजी मान लेना अधिक उपयुक्त होगा। भूमि तथा पूंजी का अन्तर किस्म (kind) का नहीं बल्कि मात्रा (degree) का है। पर

यह अवश्य है कि इन तमाम विशेषताओं के उपरान्त भी भूमि पूंजी के समान नहीं है।

क्या द्रव्य पूंजी है ? (Is Money Capital ?) — द्रव्य और पूंजी एक ही वस्तु नहीं है। सब पूंजी तो द्रव्य हो सकती है, पर सब द्रव्य पूंजी नहीं है। पूंजी बनने के लिए यह आवश्यक है कि द्रव्य का उत्पादक कामा म हो।

राष्ट्रीय ऋण (National Debt) का पूंजीगत मूल्य (Capital value) क्या है ? स्टॉकहोल्डर (stockholder) के लिए तो यह पूंजी ही होता है क्योंकि इससे आय होती है। पर सरकार की दृष्टि से यह एक प्रकार का ऋण (debt) प्रकट करता है। जिन सीमा तक राष्ट्रीय पूंजी का प्रयोग सड़कें, नहरें या दूसरे आमदनी वाले कार्यों में होना है, यह पूंजी होती है। पर यदि राष्ट्र के ऋण का प्रयोग युद्ध आदि पर होगा तो इसे पूंजी नहीं कहा जा सकता।

क्या सर्जन का कौशल अथवा टाइपिस्ट की कुशलता जैसे व्यक्तिगत गुण भी पूंजी होते हैं ? (Are Personal Qualities like a Surgeon's Skill or a Typist's Dexterity Capital ?) — नहीं। हस्तान्तरणीय न होने (not transferable) के कारण ये गुण धन के वर्ग (category of wealth) से पहले ही जुदा कर दिए गए हैं। कुछ अर्थशास्त्री इस प्रकार के गुणों को व्यक्तिगत पूंजी का नाम देने के लिए तैयार हैं।

प्राकृतिक उतार, जैसे नदियाँ व पहाड़ आदि क्या हैं ? (What about the Rivers and Mountains ?) — यह असंगत-सा लगता है कि नहरों को तो पूंजी मान लिया जाए पर नदियों को नहीं; पर ऐसी वस्तुएँ पूंजी इसलिए नहीं मानी जाती हैं क्योंकि पूंजी का सम्बन्ध उत्पादन के 'तैयार' (produced) साधनों से है, प्रकृति के उपहारों से नहीं।

क्या सभी धन पूंजी है ? (Is all Wealth Capital ?) — कुछ लोगों का मत है कि सब प्रकार का धन पूंजी होता है क्योंकि मनुष्य का सारा धन किसी न किसी रूप में धन के उत्पादन में सहायक होता है। कोई भी वस्तु जिसकी उपस्थिति से उत्पादन को सहायता मिले और जिसके अभाव में उत्पादन रुकने लगे पूंजी होती है। इस विचार की पुष्टि करने के लिए एक तर्क और भी है। प्रत्येक वस्तु से सन्तुष्टि मिलती है अर्थात् आय होती है, इसलिए हर वस्तु को पूंजी मानना चाहिए। पर आम तौर से केवल धन का वह भाग पूंजी माना जाता है जिसका उपयोग धन के अधिक उत्पादन में हो सके। सब पूंजी धन है पर हर प्रकार का धन पूंजी नहीं होता।

पूंजी और पूंजीवाद में अंतर क्या जा सकता है। जैसा कि हम पहले भी विचार कर चुके हैं, पूंजी का निर्देश (तात्पर्य) सिर्फ उत्पादन के साधनों से है। इसके विपरीत पूंजीवाद समाज की उस दत्ता को कहता है जिनमें इस साधन का अधिकार व उपयोग कुछ व्यक्ति केवल निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। वे इस स्थिति में हैं कि समस्त जनता पर अत्याचार कर सकें। धनवानों की प्रवृत्ति अधिक धनवान होने की होती है, जब कि निर्धन पिसते जाते हैं। इस तरह इने-पिने भाग्यशाली लोगों और

चहुत से अभाग लोगों के बीच की खाई चौड़ी होती जाती है। लेकिन पूंजीवाद की निन्दा का अर्थ पूंजी की निन्दा से नहीं है।

पूंजी के विभिन्न वर्ग किए गए हैं—निजी (private) अथवा व्यक्तिगत (individual) व सामाजिक पूंजी। राष्ट्रीय पूंजी और वैयक्तिक पूंजी (personal capital) का अन्तर वैसा ही अन्तर है जैसा कि धन के विभिन्न वर्गों में था (अध्याय २, विभाग ५)। कार्यबहुल पूंजी (working capital) का अर्थ उस द्रव्य से होता है जिसका व्यापारी अपने व्यवसाय को चलाने में उपयोग करता है।

अचल पूंजी (Fixed Capital) के अन्तर्गत उत्पादकों का टिकाऊ सामान (durable goods) जैसे कारखानों की इमारतें, मशीनें जो स्थायी रूप से कई वर्षों तक काम में आ सकती हैं, सम्मिलित हैं।

परिचल पूंजी (Circulating Capital) का स्वरूप स्थायी नहीं होता। यह एक बार के प्रयोग में ही समाप्त हो जाती है। इसमें उत्पादन के प्रयोग में आने वाले कच्चे माल सम्मिलित हैं, जैसे जूतों के बनाने में चमड़ा अथवा बीज आदि। कृषि के औजार अचल पूंजी होते हैं और श्रम के ऊपर व्यय किया गया रुपया परिचल पूंजी होता है। कृषि में प्रयुक्त पशु अचल पूंजी होते हैं पर उनके पालन का व्यय परिचल पूंजी है।

उपयोजित पूंजी (Sunk Capital)—जिस पूंजी का प्रयोग केवल किसी विशेष कार्य में हो सकता है, और जिसे वैकल्पिक कामों (alternative uses) में नहीं लगाया जा सकता, वह उपयोजित पूंजी कहलाती है जैसे बर्फ के कारखाने में लगी पूंजी का प्रयोग हीजरी के लिए नहीं किया जा सकता।

प्लवमान पूंजी (Floating Capital)—यह इस रूप में होती है कि विभिन्न प्रयोगों में काम में लाई जा सकती है, जैसे द्रव्य, ईंधन, कच्चा माल आदि।

२ पूंजी के कार्य (Functions of Capital)—पूंजी के उपयुक्त वर्गीकरण ने यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान उत्पादन में पूंजी क्या कार्य करती है। पूंजी मर्दव उद्यमी या व्यवसायी की सहायता करती है। प्रथम तो वह इसको उत्पादन के लिए आवश्यक उपकरण, जैसे मशीन तथा पुर्जें खरीदने में प्रयोग करता है या वह कारखाने की इमारत आदि खड़ी करने में प्रयोग कर सकता है।

दूसरे, उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल को खरीदने में पूंजी सहायता देती है।

अन्तिम कार्य पूंजी का यह है कि इसके द्वारा उत्पादन में लगे हुए मनुष्यों के जीवन-निर्वाह की वस्तुओं अर्थात् उपभोक्ताओं की वस्तुओं की प्राप्ति होती है।

उत्पादन की पुञ्जीतन्त्रीय रीतियाँ (Roundabout Production)—कभी-कभी घर का सबसे लम्बा रास्ता सबसे छोटा सिद्ध होता है। वर्तमान पूंजीवादी उत्पादन को कृटिल अथवा पुञ्जीतन्त्रीय कहा जाता है। जिन वस्तुओं से उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन होता है उनके उत्पादन के लिए उत्पादन के साधनों का अधिक उपभोग होता है। उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में बहुत कम मनुष्य व्यस्त होते हैं। प्राचीन काल का शिकारी एक पत्थर या एक छड़ी से भाँसाकार कर लेता

था। जैसा कि चैपमैन (Chapman) का कथन है 'पर आजकल का शिकारी पहले खान खोदता है और तब लोहे को गलाकर शिकार के हथियार बनाता है' और तब उसका शिकार प्रारम्भ होता है।

इस प्रकार की लम्बी रीतियों के प्रयोग में कोई विशेष आकर्षण नहीं। पर तब भी आधुनिक उत्पादन इतना पुञ्जीतन्त्रीय क्यों है? इनका उपयोग इसलिए होता है जिससे अधिक उत्पादन हो और समाज की इच्छानु की सन्तुष्टि में अधिक सहायता मिले।

चैपमैन (Chapman) के शब्दों में, "केवल इसलिए कि कोई प्रणाली अधिक परोक्ष या पुञ्जीतन्त्रीय है वह अधिक मितव्ययी नहीं हो जाती। परन्तु ऐसा होता है कि अधिक मितव्ययी रीतियाँ प्रायः परोक्ष हो जाती हैं।" डाक्टर हेयक (Hayek) ने पूँजीवादी उत्पादन की सुलना एक ऐसे पक्ष से की है जो 'पूँजीवादी तरीकों की अधिकता अथवा न्यूनता से जुलता व बन्द होता है। यह पक्ष जितना ही अधिक तेज चलता है उतना ही अधिक अन्तर बच्चे माल की प्राप्ति और अन्तिम वस्तु के निर्माण में लगने वाले समय के मध्य होता है।"

३ पूँजी का निर्माण (Capital Formation)—यदि रॉबिन्सन क्रूसो (Robinson Crusoe) शिकार के लिए बन्दूक का निर्माण करना चाहता है तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह खाने की सामग्री बड़ी मात्रा में एकत्रित कर ले। समय अथवा प्रतीक्षा (abstinence or waiting) ही पूँजी की जन्मदात्री कही जाती है। परन्तु घनवानों के लिए, जो विलासिता में रहने के उपरान्त भी बचत कर लेते हैं, इसमें किसी प्रकार का कष्ट या त्याग की भावना नहीं होती जो समय शब्द में शामिल है। इसलिए 'प्रतीक्षा' शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त होगा।

शताब्दियों की खोजों के फलस्वरूप प्रारम्भ के भड़े औजारों से बढ़कर पूँजी ने वर्तमान काल की दैत्याकार कलों का रूप ले लिया है।

यह सब बचत का ही परिणाम है (All this is the Result of Saving)—टाजिग (Tausig) के अनुसार "पूँजी को बनाया तथा पैदा तो किया ही जा सकता है पर इसकी बचत और इसका सचय भी होता है।" दूसरे शब्दों में पूँजी का सचय बचन करने की इच्छा व सामर्थ्य पर निर्भर रहना है।

किसी व्यक्ति की बचत करने की सामर्थ्य उसकी आय और व्यय के अन्तर पर निर्भर रहती है। जहाँ तक राष्ट्र का सम्बन्ध है, यह सामर्थ्य उसके व्यापार और उद्योग के समुचित संगठन, परिवहन के साधनों के विकास और 'साख' व बैंकिंग प्रणाली की उन्नति पर निर्भर रहती है। शिक्षा व स्वास्थ्य के उचित प्रबन्ध से, मानव साधनों के अधिकतम विकास व प्राकृतिक साधनों के अधिकतम प्रयोग से भी पूँजी का निर्माण होता है।

बचाने की इच्छा (The Will to Save)—मनुष्य की बचत करने की प्रवृत्ति कई बातों पर निर्भर रहती है। इन बातों में सबसे महत्वपूर्ण ये हैं—घरेलू स्नेह, ऊँचे उठने की इच्छा, सामाजिक अथवा राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की लालसा अथवा केवल सफलता प्राप्ति की भावना।

स्थाप्यो सरकार द्वारा मानव-जीवन और धन की सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध मनुष्य की बचत करने की इच्छा व शक्ति दोनों को बढ़ा सकता है। ऐसी दशा में पूँजी विनियोग (investment) के अन्य साधन भी जैसे बैंक, बीमा कम्पनी, व्यापारिक संस्थाएँ, सरकारी सिन्क्योरिटियो का चलन आदि बढ़ जाएंगे।

ब्याज की ऊँची दर (High Rate of Interest) भी बचत को प्रेरणा देती है। यदि ब्याज की दर ऊँची हो तो अधिक लोग बचत करने लगते हैं।

लेकिन अधिक बचत भी हानिकारक है। इससे उपभोक्ता के माल की माँग कम हो जाएगी और बाजार में मन्दी फैलेगी। अधिक धन्य भी हानिकारक है, ऐसा करने से भविष्य के लिए कोई उपबन्ध (provision) नहीं होगा। इसलिए दोनों में समुचित समन्वय होना चाहिए।

पूँजी निर्माण (capital formation) के अन्तर्गत तीन मुख्य स्तर (broad stages) हैं (क) बचत (savings) इकट्ठा करना जो बचत करने की इच्छा तथा बचत करने की सामर्थ्य पर निर्भर है, (ख) बचत की गतिशीलता तथा विभागीकरण (mobilisation and canalization) और उसको विनियोजित निधि (investible fund) का रूप देना। यह बैंकिंग प्रणाली की दक्षता पर निर्भर है, तथा (ग) पूँजीगत माल का अर्जन (acquisition) जो उद्योगों के प्रयास पर निर्भर है। पूँजी निर्माण के मार्ग में कई बाधाएँ हैं। कुछ बचत को जमाव में दबा कर रखा गया हो (hoarded) लेकिन विनियोजन (investment) में न लगाया गया हो। कुछ बचत को स्वामियों द्वारा पुनः व्यापार में ही लगा दिया गया हो। निधि (funds) के मजबूत होने तथा पूँजीगत माल के अर्जन होने में बीच का समय होता है।

भारत में पूँजी निर्माण में कई कारणों (factors) ने बाधा डाली है। १९४७-४८ के तियाक्त अली बजट ने उद्योगों पर अधिक कर लगाने की नीति अपनाई, राष्ट्रीयकरण का भय, स्टॉक एक्सचेंजों (श्रेष्ठ शब्दों में) में सट्टा (speculation), उद्यम (enterprise) का कदाचार, निर्गम पूँजी (capital issues) पर नियन्त्रण आदि कुछ ऐसे कारण हैं। भारत में शुद्ध (net) घरेलू पूँजी निर्माण (domestic capital formation) का अन्दाज १९५३-५४ में लगाया गया था जो ७१६ करोड़ रु० था। यह उक्त वर्ष की राष्ट्रीय आय (national income) का ७.८% प्रतिशत था। १९४८-४९ के वित्तीय वर्ष में घरेलू पूँजी उस वर्ष की राष्ट्रीय आय की ५.१% थी।

पूँजी को बनाए रखना बहुत जरूरी है। पूँजी के उपभोग से किसी समुदाय (community) के जीवन-स्तर में वृद्धि तो हो सकती है, परन्तु यह मार्ग राष्ट्रीय (व्यापक रूप में) दिवालियापन (national bankruptcy) की ओर ले जाने वाला है। समुदाय की पूँजी—शताब्दियों के प्रयास तथा बलि का संचित परिणाम—तिरोहित हो गई होती। पीगू (Pigou) के शब्दों में “बहुता हुआ चरमा घटते-घटते छोटा पड़ जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि सबसे भारी मद के ठिकाने लगने तक, यह (चरमा) तथा जलाशय जिमसे इसका जन्म हुआ था दोनों ही सूख जाएंगे।”¹

1. “The outgoing stream will diminish to a smaller and smaller

इसलिए, मरम्मत करके, बदलकर तथा नया लगाकर कम से कम मौजूदा पूंजी को अदृश्य ही बनाए रखना चाहिए।

निर्देश पुस्तकें

- Erich Roll Elements of Economic Theory
 Pigou A C Economics of Welfare Part 1, Ch 4
 Wicksell, K Lectures on Political Economy, Vol I
 Cannan, E A Review of Economic Theory
 Cowser The Distribution of Wealth
 Benham Economics.
 Fraser, L M Economic Thought and Language (1947),
 Ch 14
 Stigler, G J Theory of Price (1947), Ch 17
 Kaldor, N Article in Annual Survey of Economic Theory on
 "Recent Controversy on the theory of Capital"
 Econometric Vol 1, No 3 (1937)
 Knight Articles on
 (i) Capital, Production, Time and the Rate of Return in
 Economic Essays in the honour of Gustav Cassel (1933)
 (ii) Capital, Time and Interest Rate in Economics (1934)
 (iii) Prof Hayek and the Theory of Investment in Economic
 Journal (1939)
 (iv) The Quantity of Capital and the Rate of Interest Part
 I and II, Journal of Political Economy August and
 October, 1936

उद्यमी तथा उसकी समस्याएँ

(The Entrepreneur and His Problems)

१ उद्यमी का कार्य (Entrepreneur's Role)—प्राथमिक विकास के प्रारम्भिक काल में स्वतन्त्र श्रमिक की अपनी भूमि अथवा कारखाना होता था। उसमें वह स्वयं अपनी पूँजी लगाता, अपने श्रौजारों से काम करता, संचालन की योजना बनाता और उसकी जोखिम उठाता था। संक्षेप में वह जमींदार, श्रमिक, पूँजीपति तथा उद्यमी के कार्यों को स्वयं निभाता था। लेकिन आज की औद्योगिक जटिलता तथा उत्पादन के स्तर को ध्यान में रखते हुए और उससे पैदा होने वाली समस्याओं के स्वरूप तथा विस्तार को, जो आधुनिक उत्पादन से सम्बद्ध है, देखते हुए यह प्रायः असम्भव दिखाई देता है कि एक व्यक्ति सारे दायित्व अपने ऊपर ले। इस तरह उद्यमी का उदय हुआ। आज उत्पादन के साधन एक दूसरे से जुड़े हैं। भूमि, श्रम तथा पूँजी, प्रत्येक साधन अलग अलग वर्गों के अधिकार में हैं। उद्यमी उन्हें एक साथ मिलाता है तथा उत्पादन के कार्य में लगाता है।

वह संगठन के कार्य में विशिष्ट होता है। उसकी अपनी कोई भी भूमि और प्रायः कोई भी पूँजी नहीं होती तथा साधारणतया उससे परिश्रम भी नहीं कराया जा सकता। उसके पास केवल एक वस्तु अर्थात् संगठन की योग्यता होती है। वह लगान पर भूमि, उधार पूँजी अथवा भाड पर मजदूर पा सकेगा। वह प्रत्येक साधन को उचित अनुपात में उपयोग करेगा जिससे अच्छा परिणाम निकले। इस प्रकार उद्यमी उत्पादन का संगठन करता है।

उद्यमी का कार्य उत्पादन के अन्य साधनों को सहयोजित करना तथा परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना है। वह काम को प्रारम्भ करता है, उसका संगठन तथा निरीक्षण करता है और सारी समस्या का सामना करता है। वह उत्पादन के प्रत्येक साधन को पारिश्रमिक देता है भूमि-स्वामी को लगान, पूँजीपति को ब्याज तथा श्रम को मजदूरी और उनको पदार्थों की बिक्री के पहले भुगतान करता है। यदि आप वचता है तो उसका है। उसके आवश्यक भुगतान करने के बाद कुछ भी शेष न रह सकता है। इस अवस्था में उसका साहम विफल हो सकता है। परन्तु यह भी सम्भव है कि वह पर्याप्त मात्रा में लाभ उठाए। परिणाम जो कुछ भी हो, उसे सब कुछ स्वीकार करने को तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार समस्त कारोबार का उत्तर-दायित्व उसी के ऊपर रहता है।

यदि उसने उपभोक्ता की इच्छाओं का उचित अनुमान लगा लिया है और उसके अनुसार काम किया है तो उसको पर्याप्त फल मिलता है। इस प्रकार संगठन करना तथा जोखिम उठाना (organising and risk-taking) अथवा जैसा कि

कहा जाता है, अनिश्चितता का सामना करना (uncertainty bearing) आधुनिक उद्यमी के दो मुख्य कार्य हैं।

एक सफल उद्यमी में युक्त विचार, मन्तोप, चतुराई, अवलोकन तथा विवेक-शक्ति होनी चाहिए। वह मानवीय स्वभाव को भली भाँति जानने वाला तथा नेतृत्व (leadership) के गुण वाला होना चाहिए। वास्तव में उसमें मस्तिष्क तथा हृदय के गुणों का अपूर्व संयोग होना चाहिए जो उसे एक सफल उद्योग नायक बनाता है। यही कारण है कि भारत में बिरला, टाटा डालमिया तथा थापर जैसे अधिक उद्योग-पति नहीं हैं।

२ उद्यमी के कृत्यों का प्रत्यायोजन (Delegation of Entrepreneurial Functions)—व्यापार-जगत् में कुछ ऐसे विकास हुए हैं जिनके कारण उद्यमी सम्भवतया अपने कुछ कृत्यों का प्रत्यायोजन कर सकता है।

एक समय था जबकि उद्यमी अपने व्यापार को आरम्भ करता, मगठन करता, उसको चलाता तथा उसका वित्त पोषण करता था। सारी जोखिम वह स्वयं उठाता था। मगठन करने तथा जोखिम उठाने के दोना कार्य एक दूसरे में मिश्रित तथा बंधे हुए थे। परन्तु संयुक्त स्तन्ध समवाय सिद्धान्त (jointstock company) के आ जाने से परिवर्तन हो गया है, और कार्य अलग-अलग होते हुए दिखाई देते हैं। 'नियंत्रण जोखिम के साथ-साथ रहता है'—यह सुनहला सिद्धान्त टूट गया है। एक योग्य तथा चतुर उद्यमी के लिए दूसरों से सारी पूँजी एकत्रित करने में कोई कठिनाई न होगी। इनके अतिरिक्त वह योजनाओं को आरम्भ कर सकता है। लेकिन योजनाओं को कार्यान्वित करने का काम वह वैतनिक मैनेजरो पर छोड़ सकता है। इस प्रकार अशुभारो (shareholders) जोखिम उठाते हैं परन्तु मगठन उद्यमी करते हैं और प्रबन्ध वेतन पाने वाले कर्मचारी करते हैं।

बीमा व्यवसाय (insurance business) की उन्नति से भी उद्यमी की बहुतसी चिन्ताएँ तथा जोखिम हट गए हैं। यदि खराब हफ्ता लकर भाग जाता है, यदि कारखाने में आग लग जाती है, और यदि बाहर से मँगाया हुआ माल बीच समुद्र में डूब जाता है तो बीमा कम्पनियाँ हानि को पूरा करने के लिए हैं।

उद्यमी "द्वैधरक्षण" (hedging) के द्वारा कच्चे माल के मूल्य में अचानक उतार-चढ़ाव को हटाकर अपनी हानियों को पूरा कर सकता है।

इसके अतिरिक्त व्यापार ठप्प होने पर भव नुकसान उठाने वाला केवल वही नहीं है, एक बड़ा व्यवसाय-संस्था में लगी हुई विशाल श्रम शक्ति व्यवसाय में हानि-लाभ में भाग लती तथा जोखिम उठाती है।

इस प्रकार यह कहा जाता है कि उद्यमी ने अधिक जोखिम को अशुभारियों पर तथा अनेक दूसरे जोखिमों को बीमा कम्पनियों तथा सट्टेबाजों पर टाल दिया है। व्यवसाय का कार्य वेतन पाने वाले नौकर करते हैं।

निःसन्देह उद्यमी बहुत से कर्षों तथा चिन्ताओं से छुटकारा पा गया है, परन्तु कर्षों का प्रत्यायोजन ऐसा नहीं है जैसा कि दिखाई देता है। उसको कुछ अपनी पूँजी

लगानी पड़ती है। अतएव हमारे स्वीयम सिद्धान्त अर्थात्, 'नियंत्रण जोखिम के साथ है', में कोई उल्लंघन नहीं होता।

३ उत्पादन का आकार (Scale of Production)—उत्पादन में उद्यमी का तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक समस्या उत्पादन के आकार की है। उद्यमी को व्यापार के लिए उचित आकार का विकास करना होता है। आकार जितना बड़ा हो उतना ही किफायती होगा।

बड़े पैमाने के उद्योग से कई लाभ हैं जिनमें से निम्नलिखित इस प्रकार हैं—

(१) श्रम तथा यन्त्र के विशदीकरण होने की अधिक सम्भावना रहती है। प्रत्येक मनुष्य को उस कार्य में लगाया जा सकता है जिसको वह भली भाँति कर सकता है तथा प्रत्येक कार्य सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को मँपा जा सकता है। इस प्रकार श्रम-विभाजन के सब लाभ विशाल पैमाने के उत्पादन में मिलते हैं।

(२) यह भली भाँति स्पष्ट है कि एक बड़ा कृशततापूर्वक स्थापित कारखाना विशिष्ट मशीनों का प्रयोग कर सकता है। एक छोटी रूई की मिल में तैयार माल बनाने तथा साफ कराने की सारी मशीनें नहीं हो सकती। विशिष्ट मशीनों के प्रयोग से अधिक लाभ होता है।

(३) एक बड़ा प्रबसायी आधुनिकतम मशीन लगा सकता है। वह अपना निजी मरम्मत विभाग भी खोल सकता है ताकि उसको अविश्वसनीय मिस्त्रियों पर आश्रित न होना पड़े।

(४) क्रय विक्रय के कुछ वाणिज्यिक लाभ भी हैं। अनेक उत्पादक बड़ी व्यवसाय संस्था के व्यापार को पान के लिए स्पर्द्धा करते हैं। दूसरी ओर एक बड़ा व्यवसाय संस्था का बाजार विस्तृत होता है। कारण ग्राहक का शीघ्र तथा निश्चित वस्तु की पूर्ति होती रहती है। बड़े आकारों की पूर्ति करना अधिक लाभदायक होता है। वे अपने काम में दक्ष खरीदार तथा दक्ष सल्लसेन रखते हैं। उनका क्रय विक्रय बाजार के अनुकूलतम समय पर होता है।

(५) उसके विस्तृत साधन उसको आपत्ति काल में भली भाँति कार्य चालू रखने के योग्य बनाते हैं जबकि एक छोटी संस्था किसी भी भार से बरबाद हो सकती है। केवल बड़ा उद्योग ही लम्बे समय तक हानि उठाकर भी चल सकता है।

(६) वह खोज तथा प्रयोग पर अधिक व्यय कर सकता है जो कि उसको अंत में लागत से कहीं अधिक लाभ पहुँचाता है। छोटा उद्योग ऐसा नहीं कर सकता।

(७) वह विज्ञापन तथा बिक्री के व्यय पर अधिक व्यय कर सकता है और बाजार को अधिक विस्तृत कर सकता है। विन पत्र आदि पर व्यय किया हुआ धन अंत में अधिक लाभ पहुँचाता है। बिक्री बढ़ जाती है।

(८) एक बड़ी संस्था के लिए ऊपर का खर्चा (overhead charges) तथा प्रति इकाई अनुपूरक लागत (supplementary cost) बहुत कम आती है। यह प्रशासन तथा प्रबंध के खर्च हैं जिसमें व्यवस्थापक तथा श्लक्षों का वेतन किराया विज्ञापन तथा फिरते वाले सेल्ममेंतों की लागत शामिल है। सकल लागत (total cost) बहुत बड़ा उत्पादन पर डाली जाती है। इस प्रकार उत्पादन संस्त पड़ता है।

(६) इनके अतिरिक्त बड़ी व्यवसाय-संस्था उपोत्पाद (bye-products) को भली भाँति प्रयोग में ला सकती है। एक बड़ी शक्कर मिल शीरे को न फेंककर उसको मदिरा बनाने के काम ला सकती है। उपोत्पाद (bye-products) के प्रयोग से मुख्य उत्पाद का लागत मूल्य कम बैठता है।

अनुकूलतम पैदावार (What is the Optimum Output ?)—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि विशाल उत्पादन आर्थिक दृष्टि से सस्ता रहता है। परन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं है कि उत्पादन को किसी भी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। अनुकूलतम उत्पादन का स्तर आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। बेन्हम (Benham) के शब्दों में, “प्रत्येक व्यावसायिक संस्था उस सीमा तक उत्पादन करेगी जहाँ तक सीमान्त लागत (marginal cost) कीमत के बराबर हो जाए।” जब कोई उद्यमी अपने उत्पादन का आकार बढ़ाता है तो उसे अधिक व्यय भी करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त व्यय को सीमान्त व्यय (marginal cost) कहते हैं। किन्तु उसको अतिरिक्त लाभ भी मिलता है जिसे सीमान्त लाभ (marginal revenue) कहते हैं। जब तक अतिरिक्त लाभ या सीमान्त लाभ अतिरिक्त व्यय या सीमान्त व्यय से अधिक रहता है, तब तक तो उद्यमी अपने उत्पादन के पैमाने को बढ़ाता चला जाएगा, किन्तु उत्पादन के बढ़ने के साथ-साथ उद्यमी को उत्पादन के साधनों पर अधिकाधिक व्यय करना पड़ेगा। इस प्रकार उसकी लागत (या व्यय) बढ़ती चली जाएगी। किन्तु दूसरी ओर अधिक उत्पादन से उद्यमी की बिक्री बड़ेगी, जिसका अर्थ होगा कि कीमतें गिरेगी। कीमतों के गिरने में अतिरिक्त आय में गिरावट होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्पादन की श्रेणी में वृद्धि करने से सीमान्त लागत बढ़ जाती है और लाभ या सीमान्त कीमत घटती है। इस प्रकार इन दोनों के बीच की खाई कम चौड़ी होने लगती है। किन्तु दोनों के बीच थोड़ी अन्तर की मात्रा भी यह संकेत करती है कि यदि उत्पादन की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो सीमान्त लाभ में वृद्धि होगी। जब दोनों के बीच का अन्तर पूरी तरह समाप्त हो जाता है अर्थात् सीमान्त लागत और सीमान्त लाभ बराबर हो जाते हैं तो फिर व्यवसायी को अधिक लाभ की आशा नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में लाभ अधिकतम सीमा पर पहुँच जाता है। उत्पादन का यह स्तर अनुकूलतम उत्पादन (optimum output) कहलाता है। इसी स्तर पर सीमान्त लागत व्यय मूल्य के बराबर हो जाती है। उद्यमी अपना उत्पादन स्तर बढ़ाता जाएगा जब तक कि उसको लागत से कीमत अधिक मिलती रहेगी। किन्तु ज्यों ही सीमान्त लागत मूल्य के बराबर आजाएगी त्योंही वह उत्पादन बन्द कर देगा। व्यवसाय संस्थाओं की कुशलता में भिन्नता होने से सीमान्त लागत में नहीं, वरन् पैदावार की मात्रा में भिन्नता होगी। अधिक कुशल व्यवसाय संस्था की पैदावार अधिक होगी।”

४ अविभाज्यता का सिद्धान्त (Concept of Indivisibility)—एक बड़ी व्यवसाय-संस्था की बचत का एक महत्वपूर्ण मूल कारण उत्पादन के अविभाज्य साधनों का प्रयोग है। इस अविभाज्यता के सिद्धान्त को भली भाँति समझना चाहिए। एक कालिज के छात्रावास के रमोईश्वर को लीजिए। इसमें कम से कम बर्तनों तथा

सेवकों की सामग्री होनी चाहिए; उदाहरणार्थ, एक रसोइया तथा एक नौकर। यह अविभाज्य साधन है। यदि आप एक रसोइया रखना चाहते हैं तो कम-से-कम आपको इनको रखना होगा। अब यदि यह सामग्री १५ छात्रों के लिए काम दे सकती है तो रसोइया १० छात्रों का रखना गैर-किफायती (uneconomical) होगा। ऐसा होने पर प्रति छात्र लागत अधिक होगी, और रसोइया तथा नौकर कुछ समय के लिए बेकार रहेंगे। छात्रों का एक बड़ा समूह उनको पूर्ण रूप से काम में लगाए रहेगा और उनमें अधिक से-अधिक काम लेगा।

स्टिग्लर (Stigler) ने कई प्रकार की अविभाज्यताएँ (Indivisibilities) प्रकट की हैं—(१) मशीन की अविभाज्यता (Indivisibility of Machinery)। (२) मार्केटिंग की अविभाज्यताएँ (Marketing Indivisibilities)—इनका तात्पर्य सेल्समैन से, खरीद विभाग तथा विज्ञापन से है। जितनी अधिक बिक्री होगी उतना ही प्रति इकाई व्यय कम होगा। (३) वित्त सम्बन्धी अविभाज्यताएँ (Financial Indivisibilities)—इनका तात्पर्य कर्जों में सम्बन्धित व्यवस्थापकीय व्यय से है। अधिक मात्रा में निकाली गई प्रतिभूतियों (securities) को श्रेष्ठचक्र (stock exchange) में दर्ज किया जा सकता है। (४) खोज सम्बन्धी अविभाज्यताएँ (Research Indivisibilities)—यदि खोज में कुछ खपत व्यय किया गया हो तो जितनी अधिक मात्रा में उत्पादन होगा उतनी ही अधिक उसमें किफायत होगी।

५ आन्तरिक तथा बाह्य लाभ (Internal and External Economies)—बड़े पैमाने की किफायत को हम दो भागों में बाँट सकते हैं—आन्तरिक लाभ तथा बाह्य लाभ।

आन्तरिक लाभ (Internal Economies)—ये व्यवसाय की आन्तरिक व्यवस्था से सम्बन्ध रखते हैं। ये एक व्यवसाय नस्था के व्यापारिक भेद हैं। ये विशिष्ट व्यवस्थापक के मस्तिष्क की देन हैं और वह इनको सुरक्षित रखता है। प्रत्येक व्यवस्थापक अपने अनुभव के अनुसार श्रम, मशीन, वित्त व्यवस्था तथा मार्केटिंग आदि का प्रबन्ध करता है। इन सब को आन्तरिक लाभ कहते हैं।

यह भली भाँति ध्यान रखना चाहिए कि आन्तरिक लाभ केवल उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने से ही होते हैं। वे उन रीतियों के प्रयोग में होते हैं जिनको छोटी व्यवसाय-नस्था प्रयोग में लाना उचित नहीं समझती।

आन्तरिक लाभ (Internal Economies) निम्न प्रकार के हो सकते हैं—

(क) टेक्निकल लाभ (Technical Economies)—ये इस कारण होते हैं कि एक बड़ा यन्त्र बनाना सरल है और बड़े यन्त्र के प्रयोग में यांत्रिक लाभ होते हैं। कई प्रणालियों को मिलाने तथा ऊर्ध्वाधरत यत्न (vertical combination) तथा विशिष्टीकरण (specialisation) से भी लाभ होते हैं।

1 Stigler, G. J. —Theory of Price (1947), pp. 135—137

2. For a detailed study see Cairncross (1944), pp. 64-80.

(ख) व्यवस्थापकीय लाभ (Managerial Economies)—य लाभ विशेषोपयुक्त विभाग के स्थापित करने में अथवा कार्य सम्बन्धी विशेषोपयोजन, नियम क्रम और विस्तृत विषयों को अधीन पुरवों को सौंपने से होते हैं।

(ग) वाणिज्यिक लाभ (Commercial Economies)—य वस्तुओं के न्यत्र विक्रय से होते हैं। बड़े व्यवसायों में सौदा करने का लाभ होता है और जिस व्यवसाय-संस्था से वह सौदा करते हैं उससे अधिमान्य व्यवहार (preferential treatment) मिलता है।

(घ) वित्तीय लाभ (Financial Economies)—ये लाभ इसलिए होते हैं कि एक बड़ी व्यवसाय संस्था की साख अच्छी होती है और वह उचित दर पर रुपया उधार ले सकती है। इसके असा का अधिक विस्तृत बाजार होता है जो रुपया लगाने वाले को प्रोत्साहित करता है।

(ङ) जोखिम उठाने सम्बन्धी लाभ (Risk bearing Economies)—एक बड़ी व्यवसाय संस्था जोखिम को विस्तृत कर सकती है और अक्सर उसको दूर भी कर सकती है। वह अनेक प्रकार की उत्पत्ति करके ऐसा कर सकती है। इससे उसकी शक्ति तथा स्थिरता बढ़ जाती है और उस पर व्यापारिक उतार-चढ़ाव का कम प्रभाव पड़ता है। बाजार, पूंति के साधन तथा निर्माण विधि में भी विभिन्नता लाई जा सकती है।

दूसरी ओर बाह्य लाभ (External Economies) किसी एक विशिष्ट व्यवसाय की निजी सम्पत्ति नहीं हैं। सब उसको जानते हैं और उसमें सभी का असा है। ऐसी त्रिफायत प्रायः स्थानीय उद्योग को ही हो सकती है जहाँ सब व्यवसाय संस्थाओं के लाभ के लिए सामूहिक विकास हुए हैं, उदाहरणार्थ विशेष परिवहन व्यवस्था, प्रशिक्षित श्रम प्राप्त करने की सुविधा और ऋण लेने सम्बन्धी सुविधाएँ आदि।

बाह्य लाभों (External Economies) का निम्न वर्गीकरण हो सकता है—

(क) केन्द्रण के लाभ (Economies of Concentration)—ये लाभ कुशल श्रमिक की प्राप्ति से, परिवहन के अच्छे साधनों के होने तथा सुधार के प्रोत्साहन तथा सहायक उद्योगों (sub-idiary industries) आदि के लाभ से सम्बद्ध हैं। बिखरी हुई व्यवसाय संस्थाएँ ऐसे लाभ नहीं उठा सकतीं।

(ख) सूचना के लाभ (Economies of Information)—इन लाभों का सम्बन्ध उन सुविधाओं से है जो एक उद्योग की समस्त व्यवसाय-संस्थाओं को व्यापार तथा औद्योगिक पत्रिकाओं के छपने तथा केन्द्रीय खोज-संस्था में प्राप्त होते हैं।

(ग) अलग करने के लाभ (Economies of Disintegration)—जब एक उद्योग उन्नति करता है तो कुछ कार्यों को अलग-अलग करके विशिष्ट संस्थाओं को सौंपना सम्भव हो जाता है। उदाहरणार्थ, एक विशेष स्थान में स्थापित रूई की मिलें मिलकर एक निष्पीडन यंत्र (calendering plant) में लाभ उठा सकती हैं।

ग्रान्तरिक तथा बाह्य लाभो के बीच म कोई विशेष अन्तर नहीं किया जा सकता । जब अधिक व्यावसायिक संस्थाएँ मिल जाती हैं तो बाह्य लाभ आन्तरिक लाभ हो जाते हैं । कौनसे विविष्ट लाभ आन्तरिक अथवा बाह्य हैं यह केवल इस पर निर्भर है कि किल कार्यों को समुचित करना लाभदायक होगा ।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी उद्योग की वृद्धि से कई हानियाँ (diseconomies) भी हो सकती हैं चूँकि ऐसा करने में कई रद्दी अथवा कम दक्ष साधना का भी काम में लाया जाएगा ।

यह ज्ञान योग्य है कि जैसे-जैसे व्यापारिक तथा टेक्नीकल शिक्षा फैलती है और ऐसी दूसरी उन्नति होनी है तो आन्तरिक लाभों का क्षेत्र सीमित होता जाता है तथा बाह्य लाभो का विस्तृत हाता जाता है । यह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उन्नति का फल है ।

६ व्यापार के विस्तार की सीमाएँ (Limits to the Expansion of a Business) — यद्यपि व्यापार का विस्तार लाभदायक है तो भी ऐसा करना सर्वत्र सम्भव नहीं होता । व्यापार के बढान में विशेष कठिनाइयाँ यह हैं—(अ) वित्तीय (Financial), (ब) व्यवस्थापकीय (Managerial) तथा (स) बाजार सम्बन्धी बाधाएँ (Market Obstacles) । पहले वार्षिक या वित्तीय कठिनाइयों को लीजिए । व्यापार को बढाने के लिए उद्यमी को पूँजी की नवीन पूर्ति (fresh supply) की आवश्यकता होती है । जैसे-जैसे अधिक पूँजी के लिए प्रबन्ध करना सरल नहीं होता फिर भी कठिनाइयाँ ऐसी नहीं हैं जिन पर विजय न प्राप्त की जा सके । एक सफल व्यवसायी को, जो कि ईमानदारी तथा कार्य कुशलता के लिए विख्यात है पूँजी सरलता से मिल जाएगी । यह कहा गया है कि वित्त केवल एक सेवक के समान है ।

परन्तु कुछ अन्य कठिनाइयाँ भी हैं, जैसे-जैसे व्यापार विस्तृत होता है उत्पादन के साधनों का मूल्य बढेगा साधनों के अतिरिक्त पूर्ति को पाने के लिए अधिक लगान भ्रजदूरी तथा भ्रज के रूप में देना पड़ेगा । अतएव लागत (cost) बढ़ जाएगी । हमारे और अतिरिक्त पैदावार (output) बाजार में कीमत को कम कर सकती है । अतएव कुछ समय में लागत धीरे-धीरे बढ़े जायेगी । वह व्यवसायी को बढाता जाएगा जब तक कि सीमान्त राजस्व (marginal revenue) [अतिरिक्त पैदावार से अतिरिक्त आय] सीमान्त लागत (अतिरिक्त पैदावार के कारण अतिरिक्त लागत) से अधिक होगी । विस्तार की सीमा तब आ पहुँचेगी जब सीमान्त राजस्व सीमान्त लागत के बराबर होगा । ऐसी आकार को कम को अनुकूलनम फर्म (optimum firm) कहते हैं ।

सबसे बड़ी कठिनाई व्यवस्था (managerial) सम्बन्धी है । एक उद्यमी चाहे जितना योग्य हो उन सभी समस्याओं को सफलतापूर्वक नहीं सुलझा सकता जो अधिक पैचीदा हैं । यही कारण है कि व्यापार का असीमित रूप से विस्तार नहीं किया जा सकता । एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जबकि उद्यमी को यह ज्ञात होगा कि उसका कारखाना उसकी प्रबन्ध करने की शक्ति से बाहर हो गया है । तब निरीक्षण प्रभाव ज्ञानी न रहेगा और कपट छल में बढाव करने में लागत बढ़ जाएगी । आन्तरिक लाभ धीरे-धीरे लुप्त होते जाएंगे ।

७ छोटे पैमाने के उत्पादन से लाभ (Advantages of Small-scale Production)—छोटे पैमाने के उद्योगों से होने वाली कई किरफायते हैं—

(१) यह कहा जा सकता है कि छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले में अधिक चतुराई से प्रबंध करने की शक्ति होती है। वह शीघ्र निर्णय तथा तत्काल ही नीति को कार्यान्वित कर सकता है, और बाजार के रुख के अनुसार अपने दौंव-पेंच (strategy) अपना सकता है। यहाँ दायित्व बंटा हुआ नहीं होता। उसे ही सारे निर्णय करने पड़ते हैं।

(२) उसकी उपक्रम शक्ति (initiative) दैनिक कार्यों (routine) तथा उत्तरदायित्व से नष्ट नहीं हुई है। उसको बही खाते की लम्बी-चौड़ी पद्धति की और छल-कपट को रोकने के लिए अवरोध की, अथवा भ्रम या मात के नाश को कम करने की कोई आवश्यकता नहीं।

(३) श्रमिकों से निजी सम्पर्क (personal contact) तथा कभी-कभी दयालुता के शब्द से हड़ताल या दुर्घटनाओं की सम्भावना कम हो जाती है। छोटे उद्योगों में प्रायः शान्ति बनी रहती है।

(४) ग्राहकों से निजी सम्बन्ध होने के कारण वह सदैव सन्तुष्ट रहते हैं और इसका फल अच्छा ही होता है। ग्राहक स्थायी बने रहते हैं और माल की माँग बराबर बनी रहती है।

(५) यदि माँग सीमित तथा परिवर्तनशील (limited and fluctuating) है तो उसको अधिक लाभ होगा। ऐसी माँग बड़े व्यवसाय के लिए ठीक नहीं रहती।

(६) प्रायः वह स्वयं अकेला मालिक है। प्रबुद्ध निजी स्वायं उसकी क्रियाशीलता को प्रोत्साहित करता है। वह देर तक काम करता है। कठिन परिश्रम से उसे अपने व्यापार में अवश्य सफलता मिलती है।

टैक्निकल ज्ञान के प्रसार से बाह्य किरफायतों (external economies) को सख्या में वृद्धि होती है और आन्तरिक किरफायतें (internal economies) कम होती हैं। इससे छोटे निर्माता को फायदा होता है। इसके अलावा, जहाँ व्यापार को दैनिक-कार्यों (routine) तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता, छोटे उत्पादक को बड़े उत्पादक की अपेक्षा फायदा रहता है।

छोटे पैमाने का व्यापार अपने को कैसे बनाए रखता है—छोटे पैमाने के व्यापार में होने वाले फायदों के कारण यह बड़े पैमाने के व्यापार से सफलतापूर्वक टक्कर ले सकता है। इसके अलावा कई हालात ऐसे हैं जिनमें छोटे व्यापार को कुछ फायदे होते हैं और सहायता मिलती है, लेकिन बड़े पैमाने के उत्पादन को किरफायत नहीं होती। जब किसी वस्तु की माँग कम और अस्त-व्यस्त होती है तो व्यापार का विस्तार ठीक नहीं है। इन कारणों से यह स्पष्ट है कि कई वस्तुओं की निमासी सीमित है। सबसे पहले भौगोलिक सीमाया (geographical limitations) को ही लीजिए। सम्भव है अमुक वस्तु की माँग खाम तौर पर स्थानीय (local) ही हो। छोटी फर्मों से स्थानीय माँग किरफायत से पूरी हो सकती है। यदि कच्चा माल दूर-दूर मिलता है तो भी उद्योग का विकन्द्रीकरण लाभदायक होगा। ऐसी स्थिति में

स्थानीय कच्चे माल से अधिक लाभ होगा। इसी भाँति कम जनसंख्या वाले नगरी में छोटी तथा विस्तृत इकाइयों में उत्पादन करना अधिक लाभप्रद होगा। यदि बाजार तथा पूर्ति के स्रोत (market and sources of supply) एक ही जगह पर हों ताकि उपभोक्ता तथा उत्पादक एक दूसरे के निकट सम्पर्क में हों, उदाहरणार्थ जैसा कि दूध की पूर्ति में होता है तो ऐसे स्थान पर छोटी व्यवसाय-संस्था अधिक किफायती होती है। इस प्रकार एक छोटी व्यवसाय संस्था को दूरी से आश्रय मिलता है। व्यवसाय-संस्था का विस्तार बाजार के प्रतिरोध (resistance of market) से रुकता है, विशेषतः यदि परिवहन की लागत ऊँची है।

भौगोलिक सीमाओं के अतिरिक्त बाजार मनोवैज्ञानिक कारणों (psychological factors) में भी सीमित रहता है। उपभोक्ता की अपनी पसन्द (preference) होती है जोकि प्रयोग में लाय जाने वाले पदार्थों की वास्तविक अथवा नाम्यनिक श्रेष्ठता पर आधारित है।

इसके अतिरिक्त आधुनिक समय में छोटे उत्पादक को बड़े उत्पादक के विरुद्ध खड़ा रहने में बिजली, सहकारिता आन्दोलन (co-operative movement), औद्योगिक पत्रिकाओं के द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक ज्ञान के विस्तार से सहायता मिलती है। ऐसा ज्ञान केवल बड़े व्यवसायों का ही एकाधिकार (monopoly) नहीं है।

उद्यमों की अपनी मनाभावना के कारण भी छोटी व्यवसाय-संस्थाएँ बनी हुई हैं। 'प्रयोजनों के सम्मिश्रण के कारण—स्वतन्त्र रहने की चेष्टा अथवा अनिश्चितता, अभिमान अथवा लालसा, अथवा निर्माण करने की प्रेरणा स—वेतन की ऊँची दर पर अधीनस्थ (subordinate) के रूप में काम करने की अपेक्षा कुछ लोग अपना छोटा-सा व्यापार ही चालू करना पसन्द करते हैं।'

निर्देश पुस्तकें

- Robinson, E A G The Structure of Competitive Industry. Chapters 3 to 6 and 10
 Robertson Control of Industry
 Benham, F Economics
 Indian Journal of Economics Conference Number, 1946 (for location of Industry)
 Cairncross A Introduction to Economics Chaps 6 and 7
 Clark J M The Economics of Overhead Costs, Chs 4 and 6
 Cassel J M On the Law of the Variable Proportions, Explorations in Economics 1946 pp 223 236
 Fraser L M Economic Thought and Language (1947). Chap 15
 Knight Concept of Entrepreneur
 Schumpeter, J Theory of Economic Development
 D H Robertson, P Sraffa, E A G Robinson, and F G Shove, Symposium on "Increasing Return" and "the Representative Firm" in Economic Journal, 1932

विभिन्न साधनों का परस्पर सहयोग

(Factors in Cooperation)

१ साधनों का संयोग (Combination of Factors)—उद्यमी ने सामान यह समस्या रहती है कि वह अपने व्यवसाय में उत्पादन के विभिन्न साधनों का परस्पर संयोग कैसे करे। उत्पादन के क्षेत्र में प्रतिस्थापन के सिद्धांत (principle of substitution) अथवा सम सीमांत प्राप्ति (equi marginal returns) के लागू करने से उत्पादन के साधनों का सही संयोग प्राप्त होता है। ठीक जिस प्रकार प्रतिस्थापन नियम के अनुसार चलकर उपभोक्ता अपनी सन्तुष्टि को अधिकतम (maximise) कर सकता है उसी प्रकार प्रतिस्थापन के नियम पर चलकर उद्यमी अथवा उत्पादक अपना लाभ (profit) अधिकतम कर सकता है।

समाज में उत्पादन के सब साधनों का उपयोग उद्योगपति के द्वारा होता है। वह सब साधनों का संयोग किरायेत से करने का प्रयत्न करता है। उसका एकमात्र ध्येय लाभ होता है।

सब से अधिक सस्ता व अच्छा मयाग प्राप्त करने के लिए उत्पादक भाति भाति के संयोग (various permutations and combinations) की परीक्षा करता है। ऐसा करने में एकमात्र विचारणीय बात विभिन्न साधनों की पारस्परिक कीमते व कार्यक्षमता होगी। इसके लिए वे हम (Benham)¹ ने निम्नलिखित सूत्र बताया है

यदि $\frac{\text{अ साधन का सीमांत उत्पादन}}{\text{अ का मूल्य}}$

$\frac{\text{ब साधन का सीमांत उत्पादन}}{\text{ब का मूल्य}}$

से अधिक है तो उद्यमी को उत्पादन की

इस प्रकार की प्रणाली का प्रयोग करने में अधिक लाभ होगा जिसमें अ का अधिक और ब का कम प्रयोग हो।

इस विषय में यह बात ध्यान रखन योग्य है कि अधिकतर साधन एक दूसरे से इतने भिन्न होते हैं कि किसी एक साधन को दूसरे से पूर्णतया प्रतिस्थापित (replace) करना एकदम सम्भव नहीं होता। साधारणतया होता यह है कि किसी साधन का उपयोग अधिक किया जाता है किसी का कम। दूसरे शब्दों में प्रतिस्थापन नियम केवल सीमा (margin) पर ही लागू होता है।

पर प्रतिस्थापन नियम से हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचते कि उद्यमी केवल

1 Benham Economics (1940) p 193

उसी माल का उत्पादन करेगा जिसकी कुल लागत न्यूनतम हो। यदि किसी जूते के कारखाने में १० जोड़े जूते प्रतिवर्ष तैयार होते हैं तो बहुत सम्भव है कि उनकी कुल लागत न्यूनतम हो पर केवल १० जोड़े जूते बनाने से उत्पादक को लाभ नहीं होगा? उद्यमी को अधिक चिन्ता इस बात की नहीं होती कि लागत कितनी हुई, उसे तो एकमात्र चिन्ता अपने लाभ को अधिकतम कर लेने की होनी है। इसी प्रकार हम इस सिद्धान्त में यह निष्कर्ष भी नहीं निकाल सकते कि उद्यमी उत्पादन मात्रा इतनी होगी कि जिससे प्रति इकाई औसत लागत न्यूनतम हो। उद्यमी को औसत लागत (average cost) की अधिक चिन्ता नहीं होती। वह इसमें किसी प्रकार की वृद्धि से नहीं घबराता यदि उसकी सीमान्त आय (marginal revenue) सीमान्त लागत (marginal cost) से अधिक रहे। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उद्यमी (entrepreneur) उस समय तक अपने उत्पादन में वृद्धि करता रहेगा जब तक कि सीमान्त आय व सीमान्त लागत समान (equalise) न हो जाएँ।

२ साधनों का विभाजन (Allocation of the Factors)—उत्प्रेक्ष्य विभाग में हमने उद्यम सिद्धान्त का अध्ययन किया जिसमें विभिन्न साधन क्रियाशील उत्पादन विधि (economical production process) से मिलते हैं। इस विभाग में हम यह देखेंगे कि प्रत्येक साधन को किस प्रकार विभिन्न उपयोगों में लगाया जा सकता है। उत्पादन के साधन बहुत सीमित होने हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि उनकी व्यवस्थापना (allocation) विभिन्न उद्योगों में इस प्रकार की जाए कि समुदाय को उनसे अधिकाधिक लाभ हो। इसका अन्तिम निर्णय उपभोक्ता की अपनी पसन्द से होगा।

यदि साधन प्रकृति के उपहार के रूप में है तो उसे हमारे साधनों के साथ इस प्रकार मिला लिया जाएगा कि इसकी सीमान्त उत्पादकता शून्य (zero) हो जाए। क्योंकि इस पर व्यय कुछ नहीं होना इसलिए इसका उपयोग तब तक होगा जब तक कि इससे थोड़ी सी भी सहायता मिलती रहेगी अथवा प्रतिरिक्त उत्पादन शून्य हो जाए।

पर वास्तविकता यह है कि साधन उपहार स्वरूप (free) होने ही नहीं हैं। चूंकि प्रत्येक साधन की कुछ-न-कुछ कीमत देनी ही पड़ती है, इसलिए किसी का भी उपयोग उम सीमा तक नहीं होगा जहाँ पर उसकी सीमान्त उत्पादकता शून्य के बराबर हो जाए। प्रत्येक दुर्लभ साधन (scarce factor) की विभिन्न उद्योगों में इस प्रकार व्यवस्थापना होती है कि हर उद्योग में जिसमें कि उसका प्रयोग हुआ हो उसकी सीमान्त उत्पादकता बराबर रहे। यदि इस्पात उद्योग में थम की सीमान्त उत्पादन शक्ति सब्बर के उद्योग की अपेक्षा अधिक है, तो सब्बर के उद्योग से हटकर थम इस्पात के उद्योग में चला जाएगा। परिणाम यह होगा कि दोनों उद्योगों में थम की सीमान्त उत्पादन समान हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कपास की अपेक्षा गन्ने की खेती से अधिक लाभ होता है तो कपास की कुछ भूमि गन्ने की खेती के उपयोग में आने लगेगी। और यह विचलन (diversion) उस समय तक चलेगा जब तक कि दोनों में भूमि की सीमान्त उत्पादकता समान न हो जाएगी।

इस प्रकार जब तक एक प्रकार क उद्योग स हटाकर दूसरे उद्योग म किसी साधन का वैकल्पिक (alternative) उपयोग वाछनीय नहीं होता तब तक उनका विभाजन (allocation) निर्जीव रहेगा। ऐसा तभी होगा जब कि प्रत्येक दशा म सीमान्त प्राप्ति (marginal return) समान हो। जब तक यह समान नहीं होगा हेर-फेर होता ही रहेगा। जब किसी साधन के सीमान्त उत्पादन का मूल्य हर उद्योग म समान होता है तभी उसकी व्यव थापना पूणतया ठीक होनी है। दूसरे शब्दा म किसी साधन की समता की स्थिति (equilibrium situation) तब आती है जब सम्प्रदाय के लिए प्रत्येक उद्योग म उसके सीमान्त उत्पादन का मूल्य समान होता है।¹

३ प्राप्ति के नियम (Laws of Returns)—उत्पादन के साधनों के संयोग (combination) का उन नियमों (laws) पर बड़ा प्रभाव होता है जिनके अधीन कोई उद्योग हो। अर्थशास्त्री प्राप्ति के तीन नियमों को जानते हैं अर्थात् घटती हुई (diminishing), बढ़ती हुई (increasing) तथा समान (constant) प्राप्ति के नियम। घटती हुई, बढ़ती हुई तथा समान प्राप्ति उस समय कही जाती है, जब सीमान्त प्राप्तियाँ (marginal returns) चढ़ती (rise), गिरती (fall) तथा अपरिवर्तित (unchanged) रहती हैं जैसे जैसे उत्पादन के साधन की मात्रा (quantity) बढ़ती है। लागत (cost) के रूप म, अमुक उद्योग बढ़ती, घटती तथा समान प्राप्ति के अधीन उत्पादन की सीमान्त लागत के गिरने, चढ़ने तथा समान रहने के अनुकूल होता है। ऐसा उद्योग व विस्तार के क्रमानुसार होता है। अब हम प्रत्येक के सम्बन्ध म कुछ विचार करते हैं।

४ घटती हुई प्राप्ति का नियम (Law of Diminishing Returns)—कृषि म घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है। केयरनेस (Carnes) के कथनानुसार यदि यह नियम लागू न हो तो "अर्थशास्त्र इस प्रकार पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगा जैसे कि मानव स्वभाव स्वयं परिवर्तित हो गया हो।" इतना अधिक महत्त्व आहासी या घटती हुई प्राप्ति के नियम का अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों म है।

प्रत्येक कृषक का यह व्यावहारिक अनुभव है कि 'एक निर्धारित भूमि म पूजा तथा धर्म के क्रमशः प्रयोग से, यदि अन्य वस्तुएँ उसी अवस्था में रहे, तो अन्त में उत्पादन दृष्टि अनुपात से कम होगी।' यदि पूँजी और धर्म को दुगुना करने पर, वह उत्पादन को भी दुगुना कर सके तो यह स्पष्ट है कि केवल एक एकड़ भूमि से उतना गहूँ पैदा किया जा सकता है जितना कि सम्पूर्ण विश्व की जनसंख्या के लिए आवश्यक हो। परन्तु ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू हो जाता है। यदि लागत बढ़ा दी जाए तो इसम सन्देह नहीं कि उत्पादन बढ़ेगा परन्तु घटती हुई दर से।

आहासी या घटती हुई प्राप्ति के नियम की सीमाएँ—क्रमगत उत्पत्ति हास नियम सदैव लागू नहीं होता। इस सिद्धान्त के कुछ अपवाद हैं—

(1) कृषि के उन्नत उपाय (Improved Methods of Cultivation)—उत्पादन कला म प्रगति से मानव की कल्पना सन्तित इस नियम की प्रतिक्रिया के

लिए सदैव प्रयत्नशील रहती है। वैज्ञानिक रीति से फसलों का हेर-फेर (rotation), अच्छे बीज, कृषि के आधुनिक यन्त्र, कृत्रिम खाद (artificial manures) और सिंचाई (irrigation) के अच्छे तथा सुगम साधन आदि से आवश्यक उपज अधिक होगी। परन्तु विज्ञान खाद्य-पदार्थ की बढ़ती हुई माँग की पूर्ति नहीं कर सकता। अन्त में प्रकृति का कोप होगा ही और कभी न कभी नियम अवश्य ही लागू होगा।

(ii) नई मिट्टी (New Soil)—जब बिना जुती हुई नई भूमि कृषि के अन्तर्गत आती है तब क्रमशः बढ़ाई हुई श्रम और पूँजी की मात्रा के कारण कुछ समय के लिए सीमान्त उपज बढ़ सकती है। परन्तु कुछ सीमा के बाद घटती हुई प्रवृत्ति स्पष्ट होगी। इसलिए नई भूमि व सम्भवतः प्रक्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम प्रारम्भ में लागू नहीं होता।

(iii) अर्थात् पूँजी (Insufficient Capital)—यदि अभी तक अर्थात् पूँजी लगाई गई है तो अधिक पूँजी के लगाने पर उत्पादन अवश्य बढ़ेगा। किन्तु बाद में सीमान्त उत्पत्ति अवश्य गिरेगी। इस प्रकार किसी उद्यम का प्रारम्भिक स्तर प्रक्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम की शर्तों के अधीन कार्य नहीं करता।

निम्नलिखित तालिका पर विचार कीजिए—

५० एकड़ क्षेत्र द्वारा गेहूँ की उपज (मनो में)

१	२	३	४
श्रमिकों की संख्या	कुल उपज	सीमान्त उपज	औसत उपज
१	८०	८०	८०
२	१७०	९०	८५
३	२७०	१००	९०
४	३६८	११६	९२
५	४३०	६२	८६
६	४८०	५०	८०
७	५०४	२४	७२
८	५०४	०	६३
९	४९५	—९	५५
१०	४४०	—२५	४७

इस तालिका से ऐसा प्रतीत होता है कि आहासी प्राप्ति (उपज) नियम के तीन भिन्न सामान्य विचार अथवा पट्टे हैं—

(१) घटती हुई कुल प्राप्ति का नियम (Law of Total Diminishing Returns)—(स्तम्भ नं० २) इस तरह नवें श्रमिक से उपज घटती प्रारम्भ हो जाती है। प्रत्येक क्रमशः लगाया हुआ श्रमिक उपज में कुछ वृद्धि करता है। किन्तु आठवाँ कुछ वृद्धि नहीं करता तथा नवें और दसवें स्पष्ट रूप से व्यर्थ हैं। क्योंकि मनुष्य बिना मूल्य के नहीं मिल सकते इसलिए कोई बुद्धिमान किसान इस तालिका के द्वारा प्रस्तुत दशाश्रमों में सात श्रमिकों से अधिक नहीं लगाएगा।


(२) घटती हुई सीमान्त प्राप्ति का नियम (Law of Diminishing Mar-

Equal Returns) — (स्तम्भ न० ३) सीमान्त उपज तीसरे श्रमिक तक बढ़ती जाती है। ऐसा इसलिए है कि श्रमिकों का भूमि से अनुपात पहले अपर्याप्त था और भूमि पूर्णतः नहीं जोनी गई थी। कृषि की यह स्थिति प्रामाण्य है और यह व्यवहार में नहीं पाई जाएगी। यदि किसान जानता है कि श्रमिकों की संख्या बढ़ाने से उपज अनुपात में अधिक बढ़ेगी तो वह अवश्य ही ऐसा करेगा। सीमान्त अर्थात् अतिरिक्त उपज तीसरे श्रमिक के बाद घटनी चली जाती है और आठवें पर शून्य हो जाती है। नवें नया दमकें श्रमिक दूसरों के लिए केवल बाधा के कारण हैं तथा सीमान्त उपज को ऋणात्मक (negative) बनाने के लिए उत्तरदायी हैं।

यह स्मरण रखना चाहिए कि सीमान्त उपज उस अन्तिम मनुष्य द्वारा उपज में सम्मिलित नहीं है जिसकी नियुक्ति केवल उचित ही समझी जाती है क्योंकि सब मनुष्य एक से माने जाते हैं। सीमान्त उपज केवल वह वृद्धि (addition) है जो सीमान्त श्रमिक कुल उपज के लिए करता है।

(३) घटती हुई औसत प्राप्ति का नियम (Law of Diminishing Average Returns) — (स्तम्भ न० ४) औसत उपज (average return) चौथे श्रमिक पर अधिकतम सीमा पर पहुँचती है अर्थात् सीमान्त उपज के अधिकतम होने के एक मर्यादा बाद, उसके बाद सीमान्त उपज और साधनता में घटती है। दानो चौथे तथा पाँचवें के मध्य में किसी स्थान पर समान होगी अर्थात् जब पाँचवाँ प्राथिक समय तक काम करता है। किन्तु हम वास्तविक जीवन में मनुष्यों को खाने में नियुक्त नहीं करते हैं।

अतएव सीमान्त तथा औसत उपजों को हमेशा समान करना सम्भव नहीं होगा है। यह भी स्पष्ट है कि जब सीमान्त उपज घटनी है, तो औसत उपज में वृद्धि सम्भव है।



चित्र - ६

रेखाचित्र की सहायता से हम निम्न को इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है।¹

कुल उत्पाद (अर्थात् उपज) बढ़कर अधिकतम (maximum) हो जाती है जबकि यह तीसरी स्टेज पर पहुँच जाती है। सीमान्त उपज सबसे पहले अधिकतम पर पहुँचती है और फिर घटनी शुरू हो जाती है (अर्थात् पहली स्टेज पर)। औसत उपज उसके बाद घटनी शुरू होती है, अर्थात् जहाँ दूसरी स्टेज शुरू होती है। यह स्थिति

1 This diagram is taken from Stigler Theory of Price, (1947) p 123

उपयुक्त तामिका का ही रेखाचित्र के रूप में निरूपण है। स्पष्ट है कि कोई भी समझदार उद्यमी तीसरी स्टेज में, जहाँ सीमान्त उत्पन्न शून्य है, काम नहीं करेगा, जब तक कि परिवर्तनशील साधन (variable factor) स्वतन्त्र है। मायिक दृष्टि से दूसरी स्टेज महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ औसत उत्पाद सीमान्त उत्पाद से अधिक है जो अब भी क्रियात्मक (positive) है।

नियम गहन तथा विस्तृत दशाओं में (The Law in the Intensive and Extensive Forms)—जब तक प्रतिरिक्त उपज का मूल्य खेती के व्यय से अधिक होता है, किसान और निम्न श्रेणी की भूमि लेता चला जाता है। वह खेती के विस्तार को आगे बढ़ाना बन्द कर देगा जबकि प्रतिरिक्त आय (सीमान्त आय) प्रतिरिक्त व्यय (सीमान्त लागत) के बराबर हो जाएगी। यह भूमि खेती के ठीक उपयुक्त है तथा सीमान्त भूमि कहलाती है। विस्तृत दशा में घटती हुई प्राप्ति का नियम उस समय लागू होता है जबकि जुताई निम्न श्रेणी की भूमि तक बढ़ाई जानी है और उपज हर बार घटती चली जाती है।

किन्तु जब किमान भूमि के एक ही टुकड़े में अधिक-से-अधिक धर्म तथा पूँजी को मात्राएँ लगाता जाता है तो प्रत्येक मात्रा में अधिक धर्म और पूँजी लगाने से उत्पादन क्रमशः समानुपात में कम प्राप्त होगा। यह घटती हुई प्राप्ति के नियम का गहन रूप (intensive form) है। वह और अधिक मात्राओं का प्रयोग बन्द कर देगा। जब प्रतिरिक्त व्यय प्राप्त होने वाली प्रतिरिक्त आय के बराबर होता है तो आखिरी मात्रा जिसका प्रयोग बन्द उचित ही समझा जाता है सीमान्त मात्रा कहलाती है। विस्तृत दशा में धर्म तथा पूँजी पर भूमि का अनुपात बढ़ाया जाता है और गहन दशा में भूमि पर धर्म तथा पूँजी का अनुपात बढ़ाया जाता है।

यह समझ लेना उचित है कि इस विषय में यह माना जाता है कि उत्पादन मूल्य में नहीं वरन् मात्रा में मापा जाता है। यह हाँ सकता है कि प्रतिरिक्त उपज तो घट गई हो किन्तु कीमत बढ़ने से इसका मूल्य अधिक हो।

इस नियम की काट कैसे की जाए? (How to Counteract the Law?)—कोई भी वस्तु जो भूमि की कोटि या शक्ति को बढ़ाती है और इसकी उपज में वृद्धि करती है अथवा कोई वस्तु जो उपज के मूल्य में वृद्धि लाती है नियम के संचालन को रोकेगा। आधुनिक मन्थों का प्रयोग मिट्टियों तथा खादों का वृद्धिमानी से मिश्रण, बीज की होशियारी से चुनना और उचित बोआई, गहरी से गहरी जुताई तथा संश्लेषण की सुविधाओं के प्रदत्त आदि में हम इस नियम की काट कर सकते हैं। संश्लेषण में वैज्ञानिक कृषि घटती हुई प्राप्ति के नियम के संचालन को रोक सकती है।

खेती के अलावा, यह नियम निष्कर्षक उद्योगों (extractive industries) जैसे खनन (mining) मीन क्षेत्र (fisheries) तथा भवन निर्माण उद्योगों में भी लागू होता है। खानों के क्षेत्र में यह नियम तब लागू होता है जब खनन के काम की रद्दी, दूर अथवा गहरी खानों तक फैलाया जाता है। इसी प्रकार जब मछली पकड़ने का काम एक स्थान पर केन्द्रित कर दिया जाता है और जब एक ही भवन पर कई मजिने बनाई जाती हैं तब भी घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है।

यह नियम विशेष रूप से कृषि पर क्यों लागू है ? (Why the Law Specially Applies to Agriculture ?)—घटती हुई प्राप्ति का नियम कृषि तथा अन्य निष्कर्षक उद्योगों में विशेष रूप से लागू होता है। इन सब उद्योगों में प्रकृति का प्रभुत्व ममान है। अतएव यह प्रायः कहा जाता है कि उत्पादन में प्रकृति का जिनना भाग है उसमें घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है और मनुष्य का जितना भाग है उसमें बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है। इससे परिणाम यह निकलता है कि कृषि में, जिसमें प्रकृति प्रधान है घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है, जबकि उद्योग में, जिसमें मनुष्य प्रधान है बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है।

कृषि में घटती हुई प्राप्ति के नियम लागू होने के कई कारण हैं। कृषि सम्बन्धी कार्य एक विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं और उनकी उचित देख-भाल नहीं हो सकती। मशीन के प्रयोग में विशिष्टीकरण का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। अतएव बड़े पैमाने के उत्पादन की किफायते कृषि में नहीं प्राप्त हो सकती। कृषि उद्योग के मौसमी होने के कारण और भी सीमाएँ उत्पन्न होती हैं। कृषि सम्बन्धी कार्यों में वर्षा तथा अन्य जलवायु सम्बन्धी परिवर्तनों द्वारा बाधा पड़ने की सम्भावना है। मनुष्य प्रकृति का पूर्ण स्वामी नहीं है और कोई आश्चर्य नहीं कि कृषि में घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है।

इसी प्रकार यह समझ में आने योग्य है कि शिल्प-उद्योगों में बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम लागू हो। इसमें मनुष्य की सूक्ष्म बुद्धि के प्रयोग के लिए अधिकतम क्षेत्र है। श्रम-विभाजन तथा पूर्णतः आधुनिक यन्त्रों के प्रयोग के प्रचार से उत्पादन कल्पना से परे सामान्य तक बढ़ाया जा सकता है। एक स्थान पर श्रमिकों के केन्द्रित होना से देख-भाल आसान तथा प्रभावशाली हो जाती है। प्रकृति के दूषित प्रभाव निरन्तर अलग कर दिए जाते हैं। मनुष्य योजना बनाने, उसे प्रारम्भ करने तथा चलाने में स्वतन्त्र है। वह सब आन्तरिक और बाह्य मितव्ययताएँ (economies) प्राप्त कर सकता है।

परन्तु यह कहना भी अनुचित है कि कृषि में सर्वत्र घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है और शिल्प उद्योगों में बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम। घटती हुई प्राप्ति का नियम हर जगह लागू होता है। विकस्टीड (Wicksteed) के शब्दों में, "यह नियम स्वयं जीवन के नियम की भाँति सब जगह लागू है।" इसका प्रयोग कृषि में ही सीमित नहीं है, यह शिल्प उद्योगों में भी लागू होता है। यदि उद्योग बहुत विस्तृत कर दिया जाय और स्थूल हो जाय, तो उसकी देख-भाल ढीली हो जाएगी और व्यय बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू हो जाएगा। अन्तर केवल इतना ही है कि कृषि में यह जल्दी लागू होता है जबकि उद्योग में बहुत बाद में। यह ही सकता है कि एक बुद्धिमान उद्योगपति यह दशा आने ही न दे। प्रारम्भ में कृषि में भी उत्पादन में वृद्धि होती है। अतएव दोनों नियम निष्कर्षक सम्बन्धी तथा शिल्प-उद्योग सम्बन्धी सब प्रकार के उद्योगों में लागू होते हैं। वास्तव में वे एक ही नियम के दो रूप हैं जिसे अनुपाती नियम (Law of Proportionality) भी कहा जाता है।

५. सामान्य रूप में घटती हुई प्राप्ति का नियम (Law of Diminishing

Returns in a General Form) — इल्लैण्ड के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के समय से भूमि की घटती हुई प्राप्ति के नियम सम्बन्धी विवेचन ने इसके वास्तविक महत्व को एक दिया है। कृषि के विषय में कोई विशेषता नहीं है जिसके कारण नियम को केवल इसी में सम्बद्ध किया जाए। वास्तव में उन्नत देशों में वैज्ञानिक विधि की कृषि ने इस नियम को नहीं के बराबर कर दिया है। यह इससे स्पष्ट है कि जहाँ जीवन स्तर के घटने से खाद्य के उपभोग में वृद्धि हुई है, खाद्य के उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या वास्तव में कम हो गई है।

दयार्थता यह है कि नियम केवल कृषि में ही नहीं लागू होता। इसका सामान्य प्रयोग होता है और इसलिए इसको सामान्य रूप दिया जा सकता है। घटती हुई या उत्तरोत्तर आह्लासों प्राप्ति का नियम केवल माघनों के मिश्रण के सिद्धान्त की ओर संकेत करता है। सामान्य रूप में यह कहा जा सकता है कि यदि एक परिवर्तनशील साधन (variable factor) कुछ स्थायी साधनों (constant factors) में मिलाया जाए, तो परिवर्तनशील साधन की औषत तथा सीमान्त उपज फिर जाएगी। बेन्हम (Benham) ने इस नियम को इस प्रकार बतनाया है “एक सीमा (point) के बाद यदि साधनों के एक अलग को दूसरे साधनों के संयोग से बढ़ाया जाय तो इसमें उच्च साधन का औषत तथा सीमान्त उत्पाद घट जाएगा।” यह इस कारण से है कि संयोग साधनों के एक उचित अनुपात को नहीं दिखाता। दूसरों की तुलना में एक साधन अत्यधिक हो जाता है। जब साधनों के बीच उचित मन्तुलन स्थापित हो जाएगा तब घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू नहीं होगा।

यह नियम इसलिए लागू होता है कि उत्पादन के माघन सीमित हैं। चंपमन के शब्दों में, “यदि अन्य वस्तुें समान रहें, तो एक उद्योग का विस्तार शीघ्र ही प्रथम अन्त में घटती हुई प्राप्ति के नियम के अन्वय ही माघ घटेगा यदि उत्पादन में किसी एक साधन की जो अनिवार्य है अधिक पूरित न प्राप्त हो सकती हो।”

यदि हम जरा ध्यानपूर्वक विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि घटती हुई प्राप्ति का नियम इस कारण लागू होता है कि उत्पादन के साधन एक दूसरे का पूरा रूप में प्रतिस्थापन (substitution) नहीं कर सकते। श्रीमती जोन राबिन्सन (Mrs. Joan Robinson) ने इस बात पर उचित प्रकाश डाला है। श्रीमती राबिन्सन के शब्दों में, “घटती हुई प्राप्ति का नियम यह बताता है कि उत्पादन के एक साधन को दूसरे के लिए प्रतिस्थापन (substitute) करने की मात्रा की एक सीमा है। अथवा, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि साधनों के बीच प्रतिस्थापन की लचक (elasticity) सीमित (limited) नहीं है। यदि यह सच नहीं होता तो जब उत्पादन का एक साधन राशि (amount) में निश्चित होता है और बाकी की

1 As the proportion of one factor in a combination of factors is increased, after a point the average and marginal product of that factor will diminish. —Benham

2 “The expansion of an industry provided that additional supplies of some agent in production which is essential cannot be obtained, is invariably accompanied at once or eventually by decreasing returns other things being equal —Chapman

सप्लाई पूरे तौर पर लचकदार होनी है—पैदावार (output) के भाग को निश्चित साधन की मदद से पैदा करना सम्भव होता। और इसके बाद, जब इस साधन तथा दूसरे साधनों के बीच अनुकूलतम अनुपात (optimum proportion) स्थापित हो जाना तो इसके (इस साधन के) स्थान पर कोई अन्य साधन प्रतिस्थापित करके और पैदावार को स्थिर लागत (constant cost) पर बढ़ाया जा सकता था। इस प्रकार घटती हुई प्राप्ति का नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक विभिन्न तत्वों (elements) को ग्रुपों में बाँट लेना चाहिए जिससे प्रत्येक ग्रुप इस रूप में उत्पादन का साधन बने कि परस्पर साधनों के बीच की प्रतिस्थापना की लचक असीम से कम रह जाए।¹

घटती हुई प्राप्ति के नियम का अर्थ है बढ़ती हुई लागत का नियम। ऐसा मानने पर, यह मालूम होता है कि कुछ साधनों को बड़ी हुई मात्रा में लागू करने से, जबकि दूसरे स्थिर (constant) हैं, पैदावार प्रति इकाई अधिक लागत पर तैयार होगी। आप कुछ भी मान सकते हैं कि या तो प्राप्ति घटती जाती है अथवा लागत बढ़ती जाती है। ये दोनों बातें समान हैं।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि जहाँ से घटती हुई प्राप्ति का नियम प्रारम्भ होता है, वही उत्पादन के साधनों का अधिकतम लाभदायक संयोग (maximum efficient combination) है। यह ऐसा संयोग है जिससे उच्चतर प्राप्ति (higher return) मिलेगी। हम किसी व्यक्ति को अधिक दीर्घे जमीन देकर अर्थात् भूमि को बेकार करके बढ़ती हुई प्राप्ति कर सकते हैं। इसी भाँति श्रम तथा जन-शक्ति बेकार करके प्रति एकड़ बढ़ती हुई प्राप्ति कर सकते हैं। परन्तु यह अर्थशास्त्र की बात नहीं है। इस प्रकार बढ़ती हुई प्राप्ति की ओर किसी भी प्रयास का अर्थ है कि लोगों का कुछ क्षय होगा ही और साधनों के अधिकतम आर्थिक संयोग से हटना पड़ेगा। सही संयोग में प्रत्येक साधन को दूसरे साधनों से ऐसे अनुपात में मिलाया जाएगा कि यदि इसको (इस साधन को) अनेकें बढ़ाया जाता तो इसका औसत उत्पाद घट जाएगा। इसी तरह वह बिन्दु जहाँ से घटती हुई प्राप्ति शुरू होती है, यह बताता है कि यही अत्यधिक कार्यपटु संयोग है।

६ आर्थिक सिद्धान्त में घटती हुई प्राप्ति के नियम का महत्त्व (The Importance of the Law of Diminishing Returns in Economic Theory)—घटती हुई प्राप्ति का नियम प्रतिष्ठित अंग्रेज अर्थशास्त्रियों विशेषतः माल्थस (Malthus) तथा रिकार्डो (Ricardo) द्वारा बनाए गए अनेक आर्थिक सिद्धान्तों का आधार बन गया है। इसको प्रकृति का निष्पत्त नियम कहा गया था। इसके कारण अर्थशास्त्र में बहुत से निराशावादी विचार हुए जिससे इसको निकृष्ट विज्ञान (dismal science) तक कहा गया। माल्थस (Malthus) का जन-संख्या का सिद्धान्त जिसके अनुसार जन-संख्या खाद्य-पदार्थों में अधिक शोषण से बढ़ती है, स्पष्ट रूप से इन यथार्थता पर निर्धारित है कि खाद्यों के उत्पादन में घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है।

1, Robinson, Joan—Economics of Imperfect Competition (1940) p 330.

रिकार्डो (Ricardo) का लगान-सिद्धांत (theory of rent) यह स्पष्ट करता है कि लगान इस कल्पना पर निश्चित होता है कि नीची श्रेणी की भूमि पर कृषि घटती हुई प्राप्ति के नियम के लागू होने के कारण की जाती है। कृषि की सीमा गिरती जाती है और लगान बढ़ता जाता है। व्यवसाय के अनुकूलतम आकार (optimum size) का आदर्शरूप भी इस सिद्धान्त के संचालन से स्पष्ट किया जाता है। मूल्य का सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त तथा सीमान्त उत्पादन का सिद्धान्त, जो राष्ट्रीय लाभांश (national dividend) में उत्पादन के एक साधन का हिस्सा निश्चित करता है, इस आवश्यक नियम के संचालन पर आधारित है। अस्तु घटती हुई प्राप्ति का नियम आर्थिक विचार-धारा में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

७ बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम (Law of Increasing Returns)—यदि उद्योगों में किसी प्रकार के अतिरिक्त विनियोग (investment) के फलस्वरूप अनुपात में अधिक उत्पादन होने लगे अथवा यदि सीमान्त उत्पादन में वृद्धि हो जाए तो ऐसा बढ़ती हुई प्राप्ति के नियम के अन्तर्गत होता है। लगान की दृष्टि से बढ़ती हुई प्राप्ति के नियम के लागू होने पर उद्योग के विस्तार से सीमान्त उत्पादन लागत में कमी हो जाती है। क्योंकि सीमान्त लागत किसी वस्तु की कीमत प्रकट करती है, अतएव जिस उद्योग में बढ़ता हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है उद्यम उद्योग के विस्तार के साथ-साथ वस्तु की कीमत गिरती जाती है।

हम देख चुके हैं कि यदि उत्पादन का रूप बढ़ा दिया जाए तो बड़े लाभ उठाए जा सकते हैं। अतः मशीन के विशिष्टीकरण व दूसरी वाणिज्यिक तथा विविध सुविधाओं के कारण उत्पादन की लागत में कमी हो जाती है और ऐसी दशा में बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है। बड़े पैमाने के उत्पादन की किफायतों में जो कम कीमत पर अधिक उत्पादन संभाव्य होती हैं वे ये हैं—(i) अमातवीय तथा अपाशविक शक्ति स्रोत [जैसे जल तथा पवन-शक्ति, स्टीम (भाप), विजली, आंतरिक अणु-शक्ति], (ii) आर्टोमैटिक स्वयं व्यवस्थापक मशीनी यन्त्र, (iii) स्टैंडर्ड बदन सकने योग्य गुर्जों का उपयोग (iv) अटिल विधि के स्थान पर सादे पुनरावृत्ति वाले कार्य अपनाना, (v) धम विभाजन तथा कार्यों का विशिष्टीकरण, तथा (vi) दूसरे अन्य प्रौद्योगिकीय (technological) साधन।

जब किसी आवश्यक साधन की कमी हो जाती है तो उद्योग घटती हुई प्राप्ति के नियम के प्रभाव में आ जाता है। पर यदि उद्योग के विस्तार के समय उत्पादन सम्बन्धी सब साधन आवश्यक मात्रा में प्राप्त हो तो बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम अवश्य लागू होगा। 'यदि उत्पादन सम्बन्धी साधनों की कमी न हो तो, सब बातें समान रहने पर किसी उद्योग के विकास के साथ साथ बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम प्रारम्भ हो जाता है।'^१

जब साधनों का संयोग अनुचित अनुपात में होता है तो घटती हुई प्राप्ति का

1 Samuelson P 4—Economics (1948) p 21

2 The expansion of an industry Provided that there is no dearth of suitable agents of Production tends to be accompanied, other things being equal by increasing returns.—Chapman op cit p 102

नियम (law of diminishing returns) लागू होता है। जब हम संयोग को सही करने का प्रयास करते हैं तो बढ़ती हुई प्राप्ति उस समय तक होगी जब तक सन्तुलन (balance) पूरी तौर पर वापस नहीं आ जाता।

अविभाज्यता के सिद्धान्त (concept of indivisibility) का भी बढ़ते हुए प्राप्ति के नियम से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसी प्रकार मान लीजिए एक निर्माता व्यवसायी ने अधिक्राधिक भाँग को पूरा करने की दृष्टि से एक मशीन लगाई। परन्तु वास्तव में वह मशीन अपनी शक्ति से कम मात्रा में उत्पादन करती है। ऐसी दशा में यदि किसी दूसरे साधन (factor) में अथवा साधना में वृद्धि कर दी जाए, तो इस अविभाज्य मशीन का अधिक समुचित उपयोग होगा और फलस्वरूप बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम लागू हो जाएगा।

इन दोनों नियमों अर्थात् बढ़ती तथा घटती प्राप्ति (returns) की व्याख्या अनुकूलतम व्यापारिक इकाई (optimum business unit) के रूप में भी हो सकती है। जब हम अनुकूलतम की ओर चल रहे हैं तो हम बढ़ती हुई प्राप्ति (increasing returns) की ओर जब हम अनुकूलतम से दूर को हट रहे हैं तो हमारी घटती हुई प्राप्ति की अवस्था होगी।

८ स्थिर प्राप्ति का नियम (Law of Constant Returns)—जब किसी उद्योग में चाहे कौन भी उत्पादन किसी भी माप में हो पर प्रति इकाई लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब उस समय स्थिर प्राप्ति का नियम लागू होता है। श्रम व पूँजी के विनियोग में वृद्धि के बाद भी यदि उत्पादन की वृद्धि अनुपात के अनुसार हो तब उस उद्योग में स्थिर प्राप्ति नियम (law of constant returns) लागू होता है।

माशुल का विश्वास है कि उद्योग को प्रकृति सदैव घटती हुई प्राप्ति की ओर ले जाती है व मनुष्य की क्रियाएँ उसको बढ़ती प्राप्ति की ओर। यही कारण है कि कृषि में जहाँ प्रकृति का भाग प्रमुख हाता है घटती प्राप्ति होती है पर उद्योग धन्धों में जहाँ बाह्य शक्तियों से विचलित हुए बिना मनुष्य अपनी वृद्धि की शक्ति द्वारा कार्य करता है, बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है। यह भी सम्भव है कि कोई उद्योग ऐसा हो जहाँ न तो बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम और न घटती हुई प्राप्ति का नियम ही लागू हो बल्कि स्थिर प्राप्ति का नियम हो।

किसी ऐसे उद्योग का उदाहरण लीजिए जिसमें कच्चे मालों की (जो प्रकृति के भाग को प्रकट करते हैं) लागत का अनुपात उतना ही है जितना कि माल तैयार करने की लागत का अनुपात है। प्रत्येक उद्योग में दो विभिन्न प्रवृत्तियाँ काम करती हैं। जब उद्योग का विस्तार होता है तो कुछ व्यय बढ़ जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं। यह हो सकता है कि कोई ऐसा उद्योग हो जिसमें यह दोनों प्रवृत्तियाँ समान हो जाएँ व स्थिर प्राप्ति हो। इस सम्बन्ध में कभी कभी प्राकृतिक शुद्ध ऊन से कम्बल बनाने के उद्योग का उदाहरण दिया जाता है। यह कहा जाता है कि इस उद्योग में कच्चा माल (ऊन) घटती हुई प्राप्ति के नियम से प्रभावित होता है। पर इसकी कमी माल तैयार करने की सुविधाओं से पूरी हो जाती है और परिणामस्वरूप स्थिर प्राप्ति नियम लागू होता है।

अनुकूलतम नियम (optimum theory) स्थिर प्राप्ति नियम की कार्य-प्रणाली को समझाने में हमारी सहायता कर सकता है। हम देख चुके हैं कि अनुकूलतम उत्पादन की प्रवृत्ति में बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम होता है व उसके उपरान्त की प्रवृत्ति में घटती हुई प्राप्ति का नियम, पर यदि हम अनुकूलतम (optimum) को पायें, तो ऐसा चाहे कितना ही थोड़े समय को क्यों न हो, स्थिर प्राप्ति नियम लागू होगा।

६ अभिनवीकरण (Rationalisation)—अभी तक हमने व्यवितगत कारखानों की दृष्टि से साधनों के संगठन का अध्ययन किया, अब हम उद्योग को सम्पूर्ण मानकर उसका अध्ययन करेंगे। अभिनवीकरण उद्योग के सर्वोत्तम संगठन को कहते हैं।

सन् १९१४-१८ के महायुद्ध के बाद बहुत सी भूमि छिन जाने व युद्ध क्षतिपूर्ति (reparations) की कठिन माँग से ग्राह्य होने के कारण जर्मनी के सम्मुख अपने उद्योगों में पुनर्निर्माण की समस्या थी। उसकी पुनर्निर्माण की प्रणाली को अभिनवीकरण कहते हैं। जर्मनी के बाद अभिनवीकरण की लहर दूसरे देशों में भी पहुँची। और इसको नई औद्योगिक क्रान्ति की सजा दी गई।

बालफर (Balfour) के शब्दों में “वास्तव में यह (अभिनवीकरण) टैकनीक (technique) तथा संगठन की रीति है जिसका उपयोग प्रयास तथा माल की न्यूनतम क्षय द्वारा काम चालू रखना है। इसके साथ ही, धर्म का वैज्ञानिक ढंग पर संगठन, मैटीरियल (माल) तथा उत्पाद का प्रमाणीकरण (standardisation) तथा व्यवस्थापन को सरल करना और परिवहन तथा मार्केटिंग की प्रणाली में बाह्य सुधार आदि करना है।”¹

अभिनवीकरण (Rationalisation) के मुख्य तत्व यह हैं—आधुनिकीकरण (modernisation), वैज्ञानिक प्रबन्ध (scientific management) व एकीकरण (amalgamation)। उद्योग की हर उत्पादक इकाई में सबसे आधुनिक मशीनें, प्लांट (plant) तथा दूसरे उपकरण होना चाहिए जिससे सभी उपकरण बढिया किस्म के हों। अभिनवीकरण के अन्तर्गत पुरानी व टूटी फूटी मशीनों का तुरन्त हटा देना चाहिए। केवल आधुनिकतम कारखानों में ही उत्पादन होना चाहिए।

पर केवल आधुनिकता (modernisation) ही पर्याप्त नहीं होती। आधुनिकता के साथ प्रबन्ध भी वैज्ञानिक होना आवश्यक है। अमेरिका में टेलर (Taylor) द्वारा वैज्ञानिक प्रबन्ध के निचार का प्रादुर्भाव हुआ। इसके अन्तर्गत समय अध्ययन (time study), गति अध्ययन (motion study) तथा श्रान्ति अध्ययन (fatigue study) हैं। यह आवश्यक होता है कि कारखानों के कर्मचारियों को न्यूनतम समय में काम करने की सर्वोत्तम ढंग की शिक्षा दी जाए।

किसी उत्पादन की प्रत्येक इकाई की अधिकतम कार्यक्षमता सम्पूर्ण उद्योग की

1 Rationalisation is the method of technique and organisation designed to secure the minimum waste in effort and material added to that the scientific organisation of labour the standardisation of materials and products and the simplification of processes and physical improvements in the system of transport and marketing —Balfour

समस्याओं का निवारण नहीं कर देती है। यही नहीं, इससे हर इकाई के सर्वाधिक उत्पादन के द्वारा अत्यधिक उत्पादन की समस्या भी पैदा हो सकती है। अस्तु, अभिनवीकरण (rationalisation) का मूल सिद्धान्त केवल इकाइयों की ही कार्यक्षमता बढ़ाना नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण उद्योग को स्वस्थ व दक्ष बनाना होता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि उद्योग में व्यस्त सबकी कार्य-प्रणाली सामूहिक (collective) हो। उद्योगों की बहुत सी नुटियाँ केवल इसलिए पैदा होती हैं कि उनकी इकाइयाँ जुदा (isolated), स्वतन्त्र (independent) तथा असमन्वयित (un-co-ordinated) होती हैं। इसलिए उत्पादक इकाइयों का घनिष्ठ एकीकरण अति आवश्यक है। उद्योग की कठिन समस्याओं जैसे मार्केटिंग की कठिनाइयों का निराकरण बिना केन्द्रीय नियन्त्रण के सफलता से नहीं हो सकता। अस्तु, इकाइयों के परस्पर एकीकरण (amalgamation) का सहारा लिया जाता है। उद्योग को सम्पूर्ण रूप देने के लिए अदक्ष इकाइयों को समाप्त कर, दक्ष एवं उत्पादक इकाइयों का संगठन कर लिया जाता है। अभिनवीकरण के अन्तर्गत उत्पादन केवल उन इकाइयों तक ही सीमित रहता है जिनमें उत्पादन-व्यय निम्नतम होता है। तैयार माल का कोटा निश्चित करते समय वैज्ञानिक मार्केटिंग का ध्यान रखना चाहिए, जिससे माल की दुलाई में पुनरावृत्ति न हो, और समीपस्थ इकाइयों से समीपस्थ मण्डियों का सम्बन्ध स्थापित हो।

अभिनवीकरण (Rationalisation) से कई लाभ हैं—

(१) मापमान की विकायते (Economies of Scale)—अभिनवीकरण से उद्योग में उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इसलिए बड़ी मात्रा के उत्पादन को सभी सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। हर प्रकार की सुविधा होती है। ऋय-विक्रय की सुविधा, स्थान व औजारों की सुविधा, विशिष्ट श्रम व विशिष्ट कल की सुविधा। यही नहीं, खोज व प्रयोग आदि पर अतिक्रमण व्यय किया जा सकता है।

(२) जीवन स्तर में उन्नति (Improvement in the Standard of Living)—अधिक मात्रा में तथा स्टैंडर्ड उत्पादन से लागत (cost) गिर जाती है व वस्तुएँ निर्वन्धों तक पहुँचने लगती हैं। फलस्वरूप जीवन-स्तर ऊपर उठ जाता है।

(३) प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि (Increase in Competitive Strength)—इस प्रकार के उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता का भय नहीं रहता। यह लागत निराकर विश्व-व्यापार से होड़ लगा सकता है।

(४) स्थिरता (Stability)—अधिक वित्तीय स्रोतों व बड़े व्यापार के कारण वह उद्योग जिसमें अभिनवीकरण हुआ है, बुरे समय का सामना अधिक तत्परता से कर सकते हैं। मंदी (depression) का पूर्व ज्ञान हो जाता है और उससे बचने के उपाय करके बहुत से कष्टों को रोका जा सकता है।

लेकिन अभिनवीकरण अमिथित प्रसाद नहीं है। अभिनवीकरण से बहुत सी कठिनाइयाँ व समस्याएँ भी पैदा होती हैं। वे यह हैं—

(१) वित्तीय कठिनाइयाँ (Financial Difficulties)—अभिनवीकरण के लिए अत्यधिक व्यय की आवश्यकता है। उद्योग का ढाँचा बहुत खर्चीला हो जाता है।

फलस्वरूप वह कभी-कभी अधिक पूँजी वाली कम्पनियों की प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकता। फिर अधिक पूँजीकृत (Capitalised) होने का भी भय रहता है।

(२) श्रम का विस्थापन (Displacement of Labour)—अभिनवीकरण में मशीनों का प्रयोग अत्यधिक बढ़ जाता है। इससे श्रम बेकार सा हो जाता है। इसलिए यदि इसके कारण मनुष्यों को बर्बाद हों तो अभिनवीकरण का समर्थन नहीं किया जा सकता। पर दीर्घकाल में श्रम के लिए कार्य-क्षेत्र बढ़ जाता है।

(३) एकाधिकार के दोष (Abuses of Monopoly)—शक्तिशाली एकाधिकार सभ (powerful combines) उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। यद्यपि वह दर कम कर सकते हैं फिर भी वे अत्यधिक कीमत लेते हैं। एकाधिकार के साथ-साथ अन्य दोष भी प्रवृत्त कर जाते हैं।

(४) नये व्यापारियों के लिए अवसरों का अभाव—बड़े बड़े एकाधिकार सभ (combines) नये उद्यमियों को उठने का अवसर नहीं देते। नये प्रतियोगियों का दमन कर दिया जाता है। इससे राष्ट्र का अहित होता है।

अभिनवीकरण पर इन बुराइयों के होते हुए भी पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है। प्रतियोगी पूँजीवाद (competitive capitalism) प्रायः समाप्त सा है। बड़े शोक की बात है कि हमारे उद्योगपति अब भी उन्नीसवीं शताब्दी में रह रहे हैं। हमारे पटसन के उद्योग, शक्कर के उद्योग व सूती कपड़े के उद्योग सहयोगिता की कमी के कारण बड़ी हानि उठा रहे हैं। और अभी तक भी उन्होंने जुदा रहने के मार्ग को नहीं छोड़ा है। वे साथ तैरने से अकेले डूबना अधिक पसन्द करते हैं। सब शक्ति है सिद्धान्त को अभी तक नहीं अपनाया गया है। भारत में केवल सीमेंट उद्योग ही एक ऐसा उद्योग है जिसने मूल्य सभ बनाकर बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया है। हमें ऐसा विश्वास है कि युद्धोत्तर मधुपर्क का सामना करने के लिए हमारे उद्योग भी अभिनवीकरण को अपनावेंगे।

निर्देश पुस्तकें

- Benham, F Economics
 Meakin New Industrial Revolution
 Urwick The Meaning of Rationalisation
 Brady Rationalisation Movement in Germany

उत्पादन के साधनों की गतिशीलता

(Mobility of the Factors of Production)

१ गतिशीलता के भेद (Types of Mobility)—उपभोक्ताओं के अधिमान माप (scale of preference) में किसी भी परिवर्तन में उत्पादन क्रिया के प्रवाह में अनुरूप परिवर्तन आवश्यक होगा। इस दिशा में उत्पादन के साधनों की गतिशीलता अत्यन्त सहायक होती है। गतिशीलता से हमारा अभिप्राय केवल भौतिक अथवा भौगोलिक गतिशीलता अर्थात् उत्पादन के साधन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही नहीं होता है। परन्तु गतिशीलता का अभिप्राय एक ही स्थान पर अथवा अन्य स्थान पर एक साधन का वैकल्पिक प्रयोग (alternative use) से भी होता है। इस अर्थ में गतिशीलता के अर्थ कार्यगत गतिशीलता, स्थानीय गतिशीलता तथा औद्योगिक गतिशीलता (1 e between occupation, place and industries) हैं।

हम उत्पादन के प्रत्येक साधन के सम्बन्ध में गतिशीलता की सीमा का अध्ययन करेंगे।

२ भूमि की गतिशीलता (Mobility of Land)—अर्थशास्त्र में 'भूमि' (Land) का अभिप्राय पर्वतों, समुद्रों, नदियों, जलवायु, मिट्टी, वायु, घूप आदि प्राकृतिक साधनों से है। बाँध बनाकर नदियों के प्रवाह को बदलना तथा पानी को नहरों की ओर ले जाना सम्भव है। किन्तु हम पर्वतों अथवा इमारतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। गतिशीलता के सम्बन्ध में 'भूमि' हमारे प्रयत्नों को रोकती है क्योंकि भूमि की भौगोलिक गतिशीलता असम्भव है।

परन्तु गतिशीलता की केवल यही किस्म नहीं है जिसको हम जानते हैं। जिस रूप में हमने गतिशीलता की परिभाषा की है उसमें उसका अभिप्राय एक साधन का वैकल्पिक प्रयोगों में लाए जा सकने की सम्भावना से है। क्या भूमि पूर्णतया विशिष्ट (absolutely specific) नहीं है? यद्यपि भूमि कुछ मात्रा में विशिष्टता रखती है, तो भी किसी सीमा तक इस पर अनेक प्रकार की फसलें उत्पन्न की जा सकती हैं। एक व्यक्ति अपनी भूमि को एक नगर से हटाकर दूसरे में नहीं पहुँचा सकता, तो भी एक स्थान पर उसे बेचकर तथा दूसरे स्थान पर उसे खरीदकर वह उसे गतिशीलता प्रदान करता है। एक अन्य विधि भी है। एक मनुष्य जिसके पास भिन्न भिन्न स्थानों पर भूमि है, वह धर्म तथा पूँजी को एक स्थान पर हटा सकता है और वहाँ की भूमि को अच्छा कर सकता है तथा दूसरे स्थान की भूमि की उपेक्षा कर सकता है। इस प्रकार, एक भूमि अधिक उत्पादक हो जाती है तथा दूसरी उत्पादकता से वंचित रहती

1 जित्नी अध्ययन के लिए देगिए बेन्डम का अर्थशास्त्र।

है। उत्पादकता ही वास्तव में हम चाहते हैं। इस प्रकार भूमि भी गतिशील हो जाती है।

परन्तु भूमि उस समय अधिक गतिशील हो जाती है, जबकि उसकी उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। व्यावहारिक रूप से यह भूमि की सेवा (service of land) का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करती है तथा एक साधन का मूल्य निरूपण (value) स्वयं उसके कारण नहीं परन्तु उस सेवा के कारण है जो वह करता है। इस प्रकार भूमि इतनी अगतिशील नहीं है जितनी समझी जाती है। इसके अनेको वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। गेहूँ उत्पन्न करने वाली भूमि को चरागाह में परिवर्तित किया जा सकता है और इसका उल्टा भी सच है। यदि कुछ और नहीं किया जा सके तो इसकी उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। गतिशीलता की यह मात्रा सम्प्रदाय के लिए उन वस्तुओं के क्रम को, जिन्हें वह सबसे अधिक पसन्द करता है, उत्पन्न करने के लिए यथेष्ट है।

३ श्रम की गतिशीलता (Mobility of Labour) — मनुष्य सबसे कम गतिशील कहा जाता है। हम विचार करेंगे कि श्रमिकों में हर प्रकार की गतिशीलता किस सीमा तक पाई जाती है। यहाँ पर यह दोहराया जा सकता है कि गतिशीलता तीन प्रकार की होती है, अर्थात् औद्योगिक, स्थानीय तथा कार्यगत गतिशीलता।

औद्योगिक गतिशीलता (Mobility between Industries) — विभिन्न उद्योगों के बीच गतिशीलता में कोई कठिनाई नहीं होती। एक उद्योग में लगा हुआ मूनीम, टाइप दाबू अथवा एक चौकीदार मरलता से ऐसा ही कार्य किसी अन्य उद्योग में प्राप्त कर सकता है।

स्थानीय गतिशीलता (Mobility between Places) — जहाँ तक श्रम की एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशीलता का सम्बन्ध है जिसे भौगोलिक गतिशीलता कहते हैं उसमें अनेको बाधाएँ पाई जाती हैं। परिवहन का बहुत भय होता है। कोई मनुष्य परिचित वातावरण से निकलकर दूसरे स्थान पर बसना नहीं पसन्द करता। कुछ ही लोग एक नए स्थान पर नवीन रूप से जीवन प्रारम्भ करने का साहस रखते हैं।

भारत में अत्यधिक जनसंख्या वाले नगर, घने औद्योगिक स्थान, रहने की सुविधाओं का अभाव, गन्दा वातावरण अधिक जीवन निर्वाह-व्यय, सदा रहने वाला व्यापक रोगों का चक्र श्रमिकों को भयभीत करने के लिए यथेष्ट है। इसी कारण भारतीय श्रम पर रायल कमीशन (Royal Commission) ने लिखा था कि औद्योगिक व्यवसाय में श्रम आकर्षित नहीं होता वरन् ढकेला जाता है। ऐसे हालात श्रम की गतिशीलता के मार्ग में बाधक होते हैं। यचार तथा परिवहन के साधनों की उन्नति ने भौगोलिक गतिशीलता को बहुत सुविधाजनक बना दिया है।

कार्यगत गतिशीलता (Mobility between Occupations) — कार्यगत गतिशीलता सबसे अधिक कठिन है। यह दो प्रकार की होती है।

(क) क्षैतिज गतिशीलता (Horizontal Mobility) एक ही प्रकार के दो व्यवसायों में गतिशीलता है। उदाहरणार्थ, इतिहास का प्रोफेसर प्रबंधशास्त्र का प्रोफेसर

हो जाता है या एक लोहार एक बढई हो जाता है। इस प्रकार की गतिशीलता इतनी कठिन नहीं होती।

(ख) उदग्रश्रम गतिशीलता (Vertical Mobility) से अभिप्राय ऊँचे प्रकार के व्यवसाय में गतिशीलता से है। उदाहरणार्थ, एक क्लर्क एक अध्यापक हो जाता है अथवा एक मिस्त्री एक इंजीनियर हो जाता है। यह गतिशीलता अत्यन्त कठिन है। स्वाभाविक योग्यता के अतिरिक्त भिन्न भिन्न व्यवसायों में भिन्न भिन्न निपुणता तथा ज्ञान की आवश्यकता होती है तथा एक मनुष्य के लिए स्वयं को दूसरे व्यवसाय के उपयुक्त बनाना, जहाँ अधिक ज्ञान की जरूरत है, सरल नहीं है।

किसी निधन व्यक्ति को यह बताना कि उसके लिए सब व्यवसाय जुले हुए हैं, उसका निष्ठुरतापूर्वक उपहास करना है। उद्योगों द्वारा लगाई गई बाधाओं के अतिरिक्त परीक्षाएँ, अधिकार देने की प्रथा तथा सेवा काल के लिए अधिक पारितोषिक सेना (उदाहरणार्थ अधिकृत तथा सस्थापित के लेखामाल के सम्बन्ध में) प्रभावशाली बाधाएँ हैं जिन्हें थोड़े ही लोग दूर कर सकते हैं। कुछ कार्यों जैसे उच्च दीवानी के अफसर की पदवी में अथवा राजनीति की सेवाओं की पदवियाँ के लिए उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा तथा माता-पिता के प्रभाव की आवश्यकता होती है।

आर्थिक समायोजन (adjustment) के लिए कुछ-कुछ गतिशीलता तो बहुत जरूरी है। यदि आर्थिक प्रणाली को टूटने से रोकना है तथा मानवीय पीडा को कम करना है तो यह जरूरी है कि श्रम गतिशील हो। श्रम की गतिशीलता आर्थिक प्रणाली को लचीलापन (flexibility) देने में सहायक है। इस तरह गतिशीलता बहुत लाभदायक है।

यद्यपि श्रम की गतिशीलता में अनेकों महत्वपूर्ण बाधाएँ हैं, तो भी उद्योग की नई आवश्यकताओं के अनुरूप आर्थिक साधनों के व्यवस्थित करने के लिए यह यथेष्ट है, जब तक कि परिवर्तन बहुत शीघ्र तथा मौलिक न हो, जो बहुधा नहीं होता है।

४ पूँजी की गतिशीलता (Mobility of Capital)—पूँजी के अनेकों रूप होते हैं। धालू पूँजी काफी गतिशील होती है। औजार तथा यन्त्र और साधारण मशीनें प्रत्येक उद्योग द्वारा प्रयोग में लाई जा सकती हैं और आसानी से तथा बिना अधिक व्यय के किसी स्थान पर हटाई जा सकती हैं। राष्ट्र की पूँजी का यह भाग भी गतिशील है।

परन्तु सम्प्रदाय की पूँजी के सबसे कीमती भाग में स्थिर पूँजीकृत वस्तुएँ शामिल हैं अर्थात् कारखानों की इमारतें, मशीनें रेलों के स्थायी सामान जैसे रेल की पटरियाँ, स्टेशन की इमारतें, नहरें, नलकूप (tube wells) आदि। इनमें गतिशीलता नहीं होती। ऐसी सब पूँजी स्थायी रूप से स्थिर होती है और आसानी से अन्य स्थानों पर नहीं ले जाई जा सकती। दूसरे महायुद्ध में भी पूँजी की गतिशीलता का उदाहरण मिलता है। जब नाजी जर्मनें मास्को (Moscow) से मुस्किल से बारह मील रह गए थे, रूसियों को अपने यन्त्र तथा कलें उखाड़ना तथा उन्हें यूराल पर्वत के पीछे ले जाना पड़ा था। किन्तु यहाँ व्यय का कोई महत्व नहीं था। सामान्य दस्ताओं में ऐसा कभी नहीं किया जाएगा।

और फिर बाकी पूँजी आमतौर से निम्न (sunk) प्रयत्न विनिष्ट भी होती है। आप एक सूती कपड़ के कारखाने को एक शक्कर के कारखाने में नहीं बदल सकते। न जूट का कारखाना शक्कर के कारखाने में बदला जा सकता है। इसलिए न केवल स्थायी पूँजी को अक्षय हो वही रहना चाहिए जहाँ वह है, वरन् उसका प्रयोग भी वही कार्य में रहना चाहिए, जिस अभिप्राय से वह लगाई गई थी। जब हम ऐसी पूँजी पर विचार करते हैं तो उसकी अगतिशीलता भौगोलिक कारणों से होती है।

परन्तु गतिशीलता से हमारा अभिप्राय केवल भौगोलिक गतिशीलता नहीं है। इसका अर्थ वैकल्पिक प्रयोगों में आने की सम्भावना भी है। इस विचार से पूँजी भी बाकी मात्रा में गतिशील होती है। परिवहन (transport) के साधनों के द्वारा कुछ भी ले जाया जा सकता है। मशीन में थोड़ा-बहुत परिवर्तन करके पूर्णतया भिन्न प्रकार की वस्तुएँ उत्पादित की जा सकती हैं।

५ क्या आधुनिक आर्थिक प्रणाली परिवर्तनशील है? (Is Modern Economic System Adaptable?)—यह विवेचन करने के पश्चात् कि उत्पादन के अनेक साधन वहाँ तक गतिशील हैं, अब हम यह देख सकते हैं कि आधुनिक आर्थिक प्रणाली सम्पूर्ण रूप से स्थायी है अथवा गतिशील। क्या उसमें परिवर्तन हो सकते हैं अथवा क्या हम सदा एक विनिष्ट आर्थिक अवस्था के अनुसार कार्य करना पड़ेगा?

हम देख चुके हैं कि व्यवहार में उत्पादन के साधनों की गतिशीलता में बाधा होती है। भूमि की भौतिक गतिशीलता असम्भव है। भूमि को सफाई, सुवाई (drainage) तथा कृषियोग्य बनाने में कभी-कभी बहुत अधिक पूँजी लगाने की आवश्यकता होती है। हमें ऋतु, जलवायु तथा वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। यह भूमि की गतिशीलता में कुछ बाधाएँ हैं।

धन भी स्वतन्त्रतापूर्वक गतिशील नहीं है। कुछ ही लोग अपने थोड़े-से लाभ के लिए अपने घर तथा देश को छोड़ना पसन्द करते हैं। लोग भाषा की कठिनाइयों तथा रीति-रिवाजों की भिन्नताओं के कारण अपने देश के वातावरण में रहना पसन्द करते हैं। भिन्न-भिन्न व्यवसायों के लिए आवश्यक दक्षता में भिन्नता, कुछ व्यवसायों के लिए आवश्यक शिक्षा पर अत्यधिक व्यय, दूसरा में सेवा-काल का अधिक समय, सामाजिक असामर्थ्य तथा राज्य के नियमों के कारण किसी व्यवसाय में स्वतन्त्र प्रवेश सम्भव नहीं होता।

पूँजी भी स्थायी होती है। उसकी उलाहने तथा हटाने में अधिक व्यय तथा समय नष्ट होना है। यह इतनी विनिष्ट हो जाती है कि किसी अन्य प्रयोग में लाए जाने योग्य नहीं रहती।

ये वास्तविक कठिनाइयाँ हैं। परन्तु इन सबके होते हुए भी उत्पादन-अर्थ-व्यवस्था का आकार काफी लचीला है। भूमि पर अनेक प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं और इसके अनेक वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। धन की औद्योगिक गतिशीलता (mobility between industries) आसान है और स्थानीय गतिशीलता (mobility between places) की सुविधा संचार व परिवहन के सस्ते व कुशल

साधनों के द्वारा हो रही है। कार्यगत गतिशीलता में शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तृत रूप से बढ़ने तथा यन्त्र-सम्बन्धी शिक्षा से सहायता मिल रही है। नई पीढ़ी का आगमन पुरानी पीढ़ी की अगतिशीलता को पूरा करता है। पूंजी की भौतिक गतिशीलता सम्भव नहीं भी हो सकती है, तो भी एक निश्चित यन्त्र से अनेक प्रकार की वैकल्पिक वस्तुएँ तैयार की जा सकती हैं जिससे अन्तिम वस्तुओं अथवा उप-भोग्यताओं की वस्तुओं की बनावट में परिवर्तन बिना कठिनाई से किया जा सकता है। अतएव जब एक उद्योगपति उत्पादन में परिवर्तन करने का निश्चय कर लेना है तो उत्पादन के साधन कोई विशेष कठिनाई प्रस्तुत नहीं करते।

संचार तथा परिवहन के साधनों के विकास ने स्थान तथा समय (time and space) का लोप कर दिया है। वैज्ञानिक उन्नति तथा मशीनी ज्ञान में वृद्धि ने उद्योगपति को अज्ञात सम्भावनाएँ उपलब्ध करा दी हैं। अनेक नये उद्योगों की उन्नति हो गई है तथा अनेक पुराने उद्योग नष्ट हो गए हैं। परिवर्तन शान्तिपूर्वक तथा अगोचर रूप से और आर्थिक प्रणाली को बिना कोई धक्का पहुँचाए हुए है। अतएव हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक आर्थिक प्रणाली पूर्णतया परिवर्तनशील अथवा अनुकूल बनने योग्य। द्वितीय महायुद्ध ने यह दिखा दिया है कि किस सीमा तक तथा कितनी शीघ्रता से राष्ट्रीय स्रोत (resources) परिवर्तित हो सकते हैं, तथा उन प्रयोगों में लाए जा सकते हैं, जिनको समाज सबसे अधिक आवश्यक समझता है।

निर्देश पुस्तक

Benham, F. Economics, Chapter XIV

अध्याय १४

व्यवसाय-संगठन के रूप

(Forms of Business Organisation)

१ **व्यक्तिगत उद्यमी (The Individual Entrepreneur)**—उद्यमी के कार्य का संगठन अनेकों प्रकार में किया जा सकता है। सबसे प्राचीन तथा सबसे अधिक सहजता में 'एक व्यक्ति' का व्यक्तिगत व्यवसाय है।

एक व्यक्ति' बान व्यापार का मालिक अपनी पूँजी स्वयं लगाता है तथा कुछ उपहार भी ल सकता है। वह एक किराये की दुकान लेता और यदि आवश्यकता हुई तो एक सहानुभूति की सेवा प्राप्त करेगा। वह स्वयं नये तथा विनये करता है। वह अपनी स्वयं प्रबन्धक है। वह कार्य प्रारम्भ करता है, उनकी व्यवस्था करता है, कार्य का मन्वन्तन करता है तथा पूरी जोशिम उठाता है। इस प्रकार भासिक (Sole Proprietor) स्वयं ही पूँजी, उद्योग तथा बहुत सी दशाया में थम के भी कार्य का संयोग करता है।

इस प्रकार का व्यवसाय साधारणतः छोटे पैमाने पर किया जाता है। खेती तथा मत्तरी प्रकार के कुटकर व्यापार में व्यक्तिगत उद्योग व्यवस्था अधिकतर देशों में पाई जाती है।

इस प्रकार के व्यवसाय संगठन के कई लाभ हैं —

(१) आर्थिक हिता तथा व्यवसाय के मन्वन्तन का पूरा दायित्व का संयोग दक्षता के लिए सहायक होता है। अनेकता उद्योगगति बहुत परियथम से अधिक समय तक काम करता है।

(२) सारे व्यवहार तथा कार्य ठीक व्यवस्था द्वारा किफायत से किए जाते हैं और हर प्रकार का क्षय कम हो जाता है। किसी तरह के बटिया और खर्चों से बचने की कोई आवश्यकता नहीं रहती।

(३) सभी प्राज्ञता की ओर व्यक्तिगत ध्यान देना तथा कम से-कम लागत पर पूरी मन्वन्तन देना सम्भव होता है। रुचि तथा फँसने में प्रत्येक परिवर्तन का ध्यान रखा जाता है और यथासंभव पूर्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है।

(४) व्यक्तिगत उद्यमी की मन्वन्तन तथा परिचरन्तनशीलता की मन्वन्तन करने की स्थिति में होता है। व्यवसाय की स्थिति में तीव्र परिवर्तन के लिए शीघ्र निर्णय सम्भव हो जाता है।

(५) इस प्रकार का व्यवसाय सरलता में प्रारम्भ किया जा सकता है और उद्यमी ही सरलता में बन्द भी किया जा सकता है। अनेकता स्वामी ही वेबन एकमात्र उमसे सम्बद्ध है।

अपने सीमित क्षेत्र में व्यवसाय-संगठन का यह रूप बहुत उच्च कोटि का कार्य-पटु और किफायती है।

परन्तु ऐसे उद्यमी को कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है—

(१) एक व्यक्ति के पास साधारणतः बहुत कम पूंजी होती है, जिससे कि व्यवसाय का विस्तार, चाहे वह कितनी ही लाभदायक क्यों न हो, नहीं हो पाता।

(२) एक व्यक्ति अपने व्यवसाय के विभिन्न अंगों की अच्छी तरह देख-भाल नहीं कर सकता। यह उसको बहुत ही किफायती से तथा लाभदायक विनिमय (Investment) की सुविधाओं से वंचित कर देती है।

(३) व्यवसाय के ऐसे आदिम ढंग से संगठित होने पर न तो पहले नम्बर का व्यवसाय स्थापित किया जा सकता है और न कोई देश औद्योगिक नेतृत्व ही पा सकता है।

(४) प्रायः एक व्यक्ति का व्यवसाय छोटे पैमाने पर चलता है। ऐसे व्यवसाय को बड़े पैमाने पर चलाना सम्भव नहीं होता, क्योंकि बड़े व्यवसाय में प्रशिक्षित और विशेषीकृत श्रम; विशेषीकृत मशीनरी आदि की आवश्यकता रहती है। यही नहीं, बड़े व्यवसाय में कम स्थान, क्रय-विक्रय में किफायत और अन्वेषण और खोज पर कम व्यय होता है। ये सुविधाएँ एक व्यक्ति-व्यवसाय में कहीं सम्भव हैं। सत्य यह है कि व्यक्तिगत उद्यमी को कई प्रकार की आन्तरिक और बाह्य सुविधाओं और किफायती से वंचित रह जाना पड़ता है।

२. भागिता (Partnership) — 'एक व्यक्ति'—व्यवसाय की सीमाओं से दूसरे प्रकार का व्यवसाय संगठन अर्थात् भागिता उत्पन्न होती है। दो, तीन या अधिक मनुष्य संगठन करते हैं, पूंजी एकत्रित करते हैं और निश्चित अनुपात में लाभ हानि में भाग लेने के लिए राजी होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य उस व्यवसाय में बराबर पूंजी लगाए। एक पार्टनर (साझेदार) केवल अपनी योग्यता का ही उपयोग कर सकता है। इसी प्रकार यह आवश्यक नहीं कि लाभ और हानि एक ही अनुपात में बाँटे जावें। भागिता की शर्तें अधिक लोचदार होती हैं। साझेदारों का दायित्व तथा अधिकार (responsibilities and Privileges) भागिता के विलेख (partnership-deed) में स्पष्ट होते हैं, जिनको आपसी सम्मति से बदला जा सकता है। जब तक व्यवसाय सस्था के कार्य वैध (legal) हैं, तब तक राज्य की ओर से कोई नियन्त्रण नहीं हो सकता।

भागिता समस्त औसत दर्जे वाले व्यवसायों के लिए एक बहुत उचित व्यवसाय-व्यवस्था है जहाँ कि स्वामी के व्यक्तिगत प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, आटे की मिलें, हॉजरी के कारखाने, इमारती सामान के कारखाने, बरफ के कारखाने, खेल-कूद के सामान बनाने वाले कारखाने, वैकिंग मस्पायें आदि। यद्यपि भागिता व्यवसाय इतने अधिक नहीं है जितने कि एक व्यक्ति वाले व्यवसाय हैं, तो भी ये बहुत ही प्रचलित तथा महत्त्वपूर्ण हैं।

भागिता के लाभ (Advantages of Partnership)—संगठन के इस रूप के बहुत से लाभ हैं—

(१) अकेले उद्यमी की अपेक्षा उनके पास अधिक साधन होते हैं। वे अधिक पूँजी, अधिक व्यवसाय सम्बन्धी योग्यता तथा अधिक जन-शक्ति (man power) का उपयोग करते हैं। इस प्रकार भागिता के व्यवसाय बड़े पैमाने पर चलाये जा सकते हैं और उनमें अधिक लाभ भी होता है।

(२) सब के परस्पर लाभ के लिए व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करना सम्भव हो जाता है। प्रत्येक साझेदार व्यवसाय की जजोर की एक कडी है। इस प्रकार भागिता व्यवसाय में अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठा अर्जित की जा सकती है।

(३) व्यवसाय अधिक बड़े पैमाने पर चलाया जा सकता है, जिसे अनेक प्रकार की वचत हो सकती है। उदाहरणार्थ म्थान की, औजारों की, धम विद्युत तथा मशीनों की श्रय-विक्रय में लाभ की, खोज, अनुभव तथा विज्ञापन पर अधिक व्यय की किरफायत।

(४) स्वामित्व तथा प्रबन्ध का मिलान कुशलता तथा विफायती कार्यों को प्रोत्साहित करता है। साझेदारों को हानि उठानी पड़ती है और यदि लाभ हो तो मुनाफे में रहते हैं। इसलिए प्रत्येक साझेदार का व्यवसाय में पूरा ध्यान रहता है।

(५) भागिता-व्यवसाय-व्यवस्था में आसानी से परिवर्तन लाए जा सकते हैं और बहुत ही उचित और शीघ्र निष्पत्ति लिए जा सकते हैं। उनके कार्य में देरी नहीं होती। सभी साझेदारों में परस्पर सम्पर्क रहता है और वे सब एक मत होकर व्यापार करते हैं।

(६) असीमित दायित्व का होना साझेदारों के सट्टे की प्रवृत्तियों तथा जोखिम और भ्रष्टदर्शी उद्योग करने की प्रवृत्तियों को रोकता है। व्यवसाय के किसी भी साझेदार को व्यवसाय के ऋण को अदा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक साझेदार सोच समझकर काम करता है और यथासम्भव कम से कम जोखिम उठाता है।

भागिता पौष्ट्येय गतिशील, लोचदार तथा कुशल मानी जाती है यदि सभी साझेदार एकमत में होकर कार्य करें।

साझेदारी से हानियाँ (Disadvantages of Partnership)—यदि साझेदार पूर्णतया हार्दिक सहयोग से कार्य करते हैं तो व्यवसाय अवश्य ही ऊँचा उठेगा। परन्तु इसमें 'यदि' बहुत महत्वपूर्ण है।

(१) वास्तविक व्यवहार में साझेदार बहुत ही स्वार्थी होते हैं और वे कम से कम कार्य करके अधिकतम फल पाने का यत्न करते हैं। कोई आपस पड़ने पर वे एक दूसरे को दोष देते हैं। आपसी अनुकूलता के बजाय उनमें कलह और द्वेष रहता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भागिता अल्पकालीन होती है। भागिता व्यवसाय में प्रायः हानि ही होती है।

(२) कानून के अनुसार किसी साझेदार की मृत्यु होने पर या उसके दिवालिया घोषित होने पर या उसके पागल हो जाने पर भागिता का अन्त हो जाना चाहिए। इसलिए कोई नहीं कह सकता कि साझेदारी का कब अन्त हो जाए।

(३) परन्तु सबसे बड़ी कठिनाई असीमित दायित्व (unlimited liability)

सम्बन्धी है। प्रत्येक साभेदार किसी समय प्रत्येक अन्य साभेदार को फेंका सकता है। व्यवसाय के फेल हो जाने की स्थिति में सारा ऋण किसी भी साभेदार से वसूल किया जा सकता है। असीमित दायित्व व्यवसाय मस्या की नीति को दबू और अमाहसी बना देता है। कभी-कभी उचित जोखिम भी नहीं उठाए जाते। इस प्रकार कभी-कभी लाभ के स्वर्णिम अवसर खो दिए जाते हैं।

(४) इसके अतिरिक्त साभेदारी के खेत इतने सीमित होते हैं कि साभेदार कोई बड़ा व्यापार नहीं कर सकते। स्पष्टतः, रेलवे अथवा जहाज, मातायात, बीमा या लोहा इस्पात का बड़ा व्यवसाय भागिता के आधार पर नहीं किया जा सकता।

संगठन के इस रूप से आधुनिक व्यापार तथा उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती।

सीमित भागिता (Limited Partnership)—साधारणतः साभेदारों का दायित्व असीमित होता है परन्तु कानून एक साभेदार को अपना दायित्व स्वीकृति से कुछ मात्रा तक सीमित रखने के लिए स्वीकृति दे सकता है। लेकिन ऐसा साभेदार प्रबन्ध में कोई भाग नहीं ले सकता। सीमित भागिता में भी कुछ ऐसे साभेदार अवश्य होते हैं जिनका दायित्व असीमित हो। व्यवसाय-मस्या के सारे साभेदार अपने दायित्व को सीमित नहीं कर सकते।

३ **सयुक्त स्कन्ध समवाय (Joint Stock Company)**—नि मर्दह उवाइन्ट स्टॉक या सयुक्त स्कन्ध समवाय व्यवसाय संगठन का अधिक महत्वपूर्ण और प्रचलित रूप है और यह साभेदारी की कठिनाइयों तथा अयोग्यताओं को दूर करने का प्रयत्न करता है।

सयुक्त स्कन्ध समवाय दो प्रकार के होते हैं—

(१) निजी सीमित समवाय (Private Limited Companies),

(२) सार्वजनिक सीमित समवाय (Public Limited Companies)।

(१) निजी सीमित समवाय—एक निजी सीमित समवाय में, शेवकों के अलावा कम-से-कम दो तथा अधिक-से-अधिक ५० सदस्य होते हैं। जब एक भागिता व्यवसाय इतना बड़ जाता है कि साभेदारों की हानि उठाने की दायित्व यकिन अधिक बड़ जाती है तो वे अपने दायित्व को एक निजी सीमित कम्पनी की रजिस्ट्री कराकर परिमित कर सकते हैं। इस ढंग से वे व्यवसाय का नियन्त्रण अपने हाथों में रख सकते हैं।

संगठन के इस रूप में भागिता के प्रत्येक लाभ जैसे गोपनीयता, शीघ्रता, निजी-स्वार्थ जिनसे विफायत तथा कार्यपटुता बढती है, अपरिमित दायित्व (unlimited liability) से पैदा होने वाली हानियों से मुक्त पाए जाते हैं। एक निजी सीमित समवाय को व्यवसाय आरम्भ करने से पहले कम-से-कम पूंजी का इकट्ठा करना आवश्यक नहीं होता और न उसको इस बात की आवश्यकता होती है कि वह सयुक्त स्कन्ध समवाय के रजिस्ट्रार के यहाँ वार्षिक आय-व्यय का विवरण अथवा सतुलन पत्र (balance sheet) जमा करे। यह जनता से अपनी शेयर पूंजी (share capital)

म जमा करने के लिए नहीं कह सकती। शेयरों या अंशों का हस्तान्तरण भी नहीं हो सकता।

अधिकतर माध्यमिक श्रेणी के उद्योग इस तरह चलाए जाते हैं। यदि व्यवसाय अछड़ा चलता है तो वे अन्त में सार्वजनिक सीमित समवायों (public limited companies) में निश्चित ही परिवर्तित हो जाते हैं। इन प्रकार के व्यवसाय नगठन में परिवार के लोगों का प्रभुत्व बना रहता है। वे बिना आवश्यक जोखिम उठाए हुए व्यवसाय पर अपने परिवार का नियन्त्रण आसानी से बनाए रख सकते हैं।

(२) सार्वजनिक सीमित समवाय—सार्वजनिक सीमित समवाय के निर्माण से निजी सीमित समवाय के दोषों का निवारण हो जाता है। कम से कम ७ सदस्यों से सार्वजनिक सीमित कम्पनी बनाई जा सकती है। इसने लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है। प्रवक्तकों (promoters) को समुक्त स्कन्व समवायों के रजिस्ट्रार के पास निवेदन करना पड़ता है। (क) मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (Memorandum of Association) जिसमें कम्पनी का नाम, उद्देश्य, हिस्से का वर्णन तथा हिस्से की पूंजी की मात्रा तथा यह प्रकाशन कि हिस्सेदारों का दायित्व परिमित है। (ख) सस्था के अन्तर्निगम (Articles of Association) जिसमें कम्पनी के उपनियम होते हैं।

यदि रजिस्ट्रार मन्तुष्ट है कि समस्त वैध आवश्यकताएँ पूरी कर दी गई हैं तो वह समावेशन प्रमाण-पत्र (certificate of incorporation) दे देगा। लेकिन वह व्यवसाय आरम्भ नहीं कर सकती जब तक कि निर्गमित पूंजी (issued capital) की कम से कम प्रतिशत जमा न हो चुकी हो। यह पूंजी लगाने वालों के हिशों को सुरक्षित रखने के लिए होती है ताकि पूंजी लगाने वालों को फॉर्मर उनके धन की झूठी कम्पनियों के प्रवक्तकों (promoters) द्वारा ठग न लिया जाए।

अंश पूंजी (share capital) को एक साथ इकट्ठा नहीं किया जाता। प्रार्थना-पत्र के साथ थोड़ा-सा भुगतान किया जाता है, फिर थोड़ा हिस्सों के बटन (allotment) के समय पर देना पड़ता है और फिर शेष उस समय माँगा जाता है जबकि कम्पनी की पूंजी की आवश्यकता होती है।

हिस्सा के बटन के ६ महीने में प्रवक्तकों को सब हिस्सेदारों की एक साधारण मीटिंग बुलानी पड़ती है जिसको सविहित मीटिंग (statutory meeting) कहते हैं और जो सचालकों (directors) का चुनाव करती है। वे प्रवक्तक जिन्होंने कम्पनी को चलाया है और जो यह जानते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, वही साधारणतः मंचालक चुन लिये जाते हैं। एक बार चुन लिये जाने पर वे कभी छोड़ने की इच्छा प्रकट नहीं करते। उनके पास प्रतिपत्र (proxy) पर्याप्त सस्था में होने के कारण वे प्रत्यक्ष वष स्वयं चुन लिये जान का प्रबंध कर लेते हैं।

शयर तथा शेयर पूंजी (Shares and Share Capital)—अधिकृत (authorised), रजिस्टर्ड (registered) अथवा अभिहित (nominal) पूंजी, पूंजी की वह मात्रा है जिससे कम्पनी को रजिस्ट्री होती है। यह अधिकतम मात्रा है जिसको कम्पनी को हिस्से बेचकर एकत्रित करने का अधिकार होता है। निर्गमित

पूँजी (issued capital), पूँजी की वह मात्रा है जिसको जनता को अभिदान (subscribe) करने के लिए कहा जाता है। अभिदत्त पूँजी (subscribed capital) पूँजी की वह मात्रा है जो लोगों को बेची जाती है। प्रदत्त पूँजी (paid-up capital), वह मात्रा है जिसका कि अशुधारी या शेयर होल्डर वास्तव में भुगतान करते हैं।

शेयर तीन प्रकार के होते हैं अर्थात् अधिमान (preference), साधारण (ordinary), तथा आस्थगित (deferred)।

अधिमान हिस्से (Preference shares) साधारण अशुधारियों को कुछ देने से पहले अधिमान अशुधारियों को उनकी पूँजी पर कुछ प्रतिशत भुगतान करने का जिम्मा लिया जाता है। अधिमान शेयर संचयी (cumulative) हो सकते हैं जबकि उन पर लाभांश (dividend) संचित होता जाता है। अधिमान्य शेयर अचंचयी (non-cumulative) भी हो सकते हैं। इस अवस्था में अशुधारी को सभी लाभांश मिलता है जबकि लाभ पर्याप्त मात्रा में होता है। फिर भागी अधिमान शेयर (participating preference shares) होते हैं। यदि लाभ एक निश्चित सीमा से बढ़ जाता है तो एक निश्चित प्रतिशत के अतिरिक्त वे लाभ में और हिस्सा लेते हैं।

साधारण अशुधारी (Ordinary Share Holders)—लाभांश के लिए इन अशुधारियों की गणना अधिमान अशुधारियों के बाद होती है।

आस्थगित अंश (Deferred Shares)—य चलाने वालों (founders) के अंश भी कहे जाते हैं। इन्हें दूसरे प्रकार के अशुधारियों के दावों के भुगतान होने के बाद हिस्सा मिलता है। साधारणतः, यह हिस्सा प्रवर्तक अपने लिए रख लेते हैं और यह लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा पाने की विधि है।

ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियाँ या संयुक्त स्कन्ध समवाय ऋण पत्र (debentures) बेचकर भी कोष बढ़ाती हैं। ऋण पत्रों का अर्थ है कम्पनी द्वारा लिया गया दीर्घावधि का ऋण। ऋण पत्रधारी कम्पनी के ऋणदाता होते हैं। उनको व्याज देना पड़ता है, चाहे लाभ हो या न हो।

४ संयुक्त स्कन्ध समवाय या ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी के लाभ व हानियाँ (Merits and Demerits of Joint Stock Companies)—व्यवसाय व्यवस्था के इस रूप में बहुत से लाभ होते हैं—

(१) कम्पनी का व्यवसाय साधारणतः एक बड़े पैमाने का व्यवसाय होता है। अतएव उसमें बड़े पैमाने के उत्पादन के सभी बाह्य तथा आन्तरिक आर्थिक लाभ, जैसे विशेषीकृत मशीनों और श्रम की सुविधा, स्थान की किफायत, न्य विक्रय विभाग की किफायत, विज्ञापन अनुसन्धान और नय प्रयोगों आदि के लाभ होते हैं।

(२) इनके अतिरिक्त बहुत से लाभ ऐसे हैं जो इस संगठन से विशेषतः सम्बद्ध हैं। अथ छोटे होते हैं और वे सभी अर्थात् मतकर रहने वालों से लेकर सटोरियों तक खरीद सकते हैं। इस तरह अधिक पूँजी एकत्रित की जा सकती है।

(३) दायित्व के परिमित तथा शेयरों या अंशों के हस्तान्तरण-योग्य होने के कारण बहुत से लोग शेयर पूँजी खरीदने के लिए (अर्थात् अपना हिस्सा लेने के लिए) प्रोत्साहित होते हैं। इस प्रकार पूँजी की छोटी तथा बिक्री हुई मात्रा गति-

धील हो जाती है और उत्पादक कार्यों में लगा दी जाती है। अतः समाज में बचत की आदत पड़ती है। अच्छे गुणों वाले किसी भी उद्यमी को पूंजी की कमी से कठिनाई नहीं उठानी पड़ती।

(४) दायित्व के परिमित होने से जोखिम उठाना आसान हो जाता है और व्यवसाय के बहुत से नये क्षेत्र खुल जाते हैं। यदि वास्तव में कोई हानि होती है तो वह विस्तृत रूप से बँट जाती है। सीमित दायित्व के सिद्धान्त से नये लोग भी पूंजी लगाने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें मारी पूंजी के नाश का भय नहीं रहता। इससे बड़ी पूंजी भी एकत्रित हो जाती है।

(५) रूपया लगाने वाले के दृष्टिकोण से भी इसके अधिक लाभ हैं। उसका दायित्व केवल परिमित ही नहीं होता वरन् वह अपने रूपये को अधिक व्यवसायों में विस्तृत कर सकता है। उसको सारी रकम एक व्यवसाय में ही नहीं फँसानी पड़ती। इसके अतिरिक्त वह कम्पनी से सर्वे वें लिए बँधा नहीं है। जब कभी भी वह उसे छोड़ना चाहता है तो वह अपने शेयर बेच सकता है।

(६) भागिता के विपरीत कम्पनी एक बँध संस्था है। यह शेयर होल्डरों अथवा संचालकों से पृथक् एक बँध व्यक्ति (legal person) है। यह मुकदमा चला सकती है और इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इस प्रकार यह सर्वे जीवित रहती है। इसके अतिरिक्त सर्वे जीवित रहने के कारण ही से पूंजी लगाने वाले इसमें पूंजी लगाने को प्रेरित किए जा सकते हैं, यद्यपि कई सालों तक इसमें किन्हीं भी प्रकार की लाभ की आशा नहीं की जा सकती।

(७) पूंजीपति तथा उद्यमी के कार्य पृथक् पृथक् हो जाते हैं। इस विशेष-पयोजन में उत्पादन की कार्यक्षमता बढ़ गई है क्योंकि पहले पूंजीपतियों के पास बहुधा व्यवसाय चाने की योग्यता नहीं थी और उद्यमी के पास बहुधा पूंजी नहीं थी। संयुक्त स्कन्ध समवाय सिद्धान्त ही वस्तुतः बड़े बड़े राष्ट्रों की आर्थिक उन्नति के लिए उत्तरदायी है।

(८) इसकी व्यवस्था लोकतन्त्रीय दक्ष तथा किरायाती होती है। संचालकों का चुनाव अशुद्धी करते हैं। वे विस्तृत दृष्टि के शासन मन्वन्वी योग्यता वाले तथा व्यवसाय तीक्ष्णता वाले व्यक्ति होते हैं। उनकी दक्ष सलाह तथा उनका अनुभवी पथ-प्रदर्शन कम्पनी को साधारण कीमत पर मिल जाता है।

हानियाँ (Demerits)—इसका दूसरा पक्ष भी है—

(१) व्यवसाय केवल सिद्धान्त में लोकतन्त्रीय है, वास्तव में यह स्वल्पतन्त्र (oligarchy) है। संचालक वास्तव में अपने आप नियुक्त होते हैं और जब तक चाहते हैं बने रहते हैं। सत्य यह है कि अशुद्धीयों की आवाज में कोई बल नहीं है।

(२) कुछ संचालक सिद्धान्तहीन होते हैं और सीधे-सादे रूपया लगाने वालों को ठगते हैं। वे आन्तरिक जानकारी का अपनी भलाई के लिए प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए वे घोषणा कर सकते हैं कि कम्पनी फेस होने वाली है। तब अशुद्धी की कीमत गिर जाएगी। तब वे स्वयं गिरी हुई कीमत पर अशुद्धी खरीद सकते हैं।

(३) झूठा प्रचार जनता को धोखा देता है। विवरण पत्रिका में जो अशुद्धी

दशा बताई जाती है वह कभी-कभी बिलकुल भ्रष्ट होती है। सर्वसाधारण को सच्ची सूचना प्रायः नहीं मिलती।

(४) सच लक बहुधा वकील तथा डाक्टर होने हैं जिनका व्यवसाय के कार्य में न तो कोई अनुभव और न कोई ज्ञान होता है। उनकी योग्यता केवल शेयर की योग्यता होती है। ऐसे सचालक सफल सचालक नहीं हो सकते।

(५) ऐसे व्यवसाय में व्यक्तिगत भलाई बुराई के भाव का अभाव रहता है। व्यवसाय के मालिक अर्थात् शेयर होल्डर या अशुधारी केवल लाभ ही से सम्बन्ध रखते हैं। नौकरों के कल्याण का ध्यान वे न पाने वाले मनेजर नहीं करते। वे इस बहाने से अपनी असमर्थता दिखाते हैं। यह मानवीय भावना की हानि एक बड़ी हानि है। व्यवसाय पूणत स्वार्थी हो जाता है।

(६) देनदारी परिमित होने और शेयर हस्तान्तरित होने के कारण शेयर होल्डर या अशुधारी कम्पनी में रुचि नहीं रखते। उनमें से बहुत कम अशुधारियों की मीटिंग में जाते हैं। उनका उदासीनता से सारी शक्ति कुछ सचालकों के हाथ में आ जाती है। इस प्रकार कम्पनी का लोकतन्त्रात्मक स्वरूप नष्ट हो जाता है।

(७) कभी कभी सचालक अदूरदर्शी उद्योगों को चालू कर देते हैं क्योंकि दूसरों के रूपों से खेलना आसान है। इस प्रकार कभी-कभी कम्पनी को भारी हानि भी हो सकती है।

(८) व्यवस्था प्रबन्ध की शक्ति से बाहर और बहुत ही भारी हो जाती है। यह जल्दी निणय नहीं कर सकती। यह उन व्यवसायों के लिए ठीक है जो कि बने हुए नियमों पर चल सकते हैं। इस प्रकार की व्यवसाय संस्था ऐसे कामों के लिए उचित नहीं है जो कि नए हो अथवा जिनमें स्थिति के बदलने से पद्धति तथा उत्पादन में निरन्तर परिवर्तन की आवश्यकता होती है या जहाँ ग्राहक कठिनाई से बन पाते हैं और या किसी मामूली बहाने से विगड़ जाते हैं।

इन सब हानियों के उपरान्त भी यह कहा जा सकता है कि सयुक्त स्कन्ध समवाय सिद्धान्त की अनुपस्थिति में देश का औद्योगिक विकास तथा प्राकृतिक साधनों का कुशल उपयोग सम्भव नहीं हो सकता। यह उत्पादन का एक कुशल तथा शक्तिशाली तन्त्र है। आजकल प्रायः समस्त बड़े उद्योग और व्यवसाय सयुक्त स्कन्ध सिद्धान्त पर चल रहे हैं।

५ सूत्रधारी कम्पनी (Holding Company)—सूत्रधारी कम्पनी एक विधि है जिसके द्वारा एक कम्पनी दूसरी कम्पनी पर नियन्त्रण रखती है। मान्य विधि यह है कि कम्पनी दूसरी कम्पनी के अधिकतम शेयरों को खरीद लेती है। जो कम्पनी शेयरों को खरीदती है और दूसरी पर नियन्त्रण रखती है, उसको सूत्रधारी कम्पनी कहते हैं और वह कम्पनी जिसके अंश इस प्रकार खरीदे जाते हैं उसको सहायक कम्पनी (subsidiary company) कहते हैं। कभी-कभी एक कम्पनी दो या तीन उन्नतिशील और लाभ में बढ़ने वाली कम्पनियों के अधिकतम शेयरों को खरीदने के लिए स्थापित की जाती है। कुछ हालतों में सूत्रधारी कम्पनी स्वयं एक उन्नतिशील

और लाभ में चलने वाली कम्पनी होती है तथा वह उन एक दो कम्पनियों को खरीद लेना चाहती है जो उससे प्रतियोगिता (competition) रखती हैं।

सूत्रधारी कम्पनी की विधि सयुक्तिकरण की कक्षापत्तें (economies of integration) लाने में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई है। दूसरी कम्पनी के औद्योगिक दक्षता रखने वाले तथा योग्य व्यक्तियों का लाभ उठाया जाता है, माल तथा स्टोर के एक साथ खरीदने से विभिन्न लाभ उठाए जा सकते हैं। सामूहिक व्यवस्था के कारण प्रबन्ध सम्बन्धी लाभ होते हैं, पेटेन्ट एकत्रित किए जा सकते हैं। जब कुछ कम्पनियों की अपने को मिटाने की अनिच्छा के कारण प्रत्यास (Trust) बनाना असम्भव प्रतीत होता है, तो सूत्रधारी कम्पनी की विधि बहुत ही सुविधाजनक मालूम पड़ती है। ट्रस्ट (न्यास) के रूप में यह लाभदायक सिद्ध होती है और व्यापारी सघ (Cartel) से ज्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि दूसरी व्यवस्था के अन्तर्गत उसके सदस्यों की निष्ठा (loyalties) मिलनी जरूरी नहीं होती।

सूत्रधारी कम्पनी के कुछ दोष भी हैं। नियन्त्रण करने वाला गुप अगों की अधिक सख्या रखता है और अशुभारियों के अल्प पक्ष का ध्यान रखे बिना मनमानी कर सकता है। यह विधि सन्क्रामक (contagious) है, इसके अंग दूर-दूर फैल जाते हैं और यह अपने अनुयायियों तथा सहायकों की लम्बी जंजीर बना लेते हैं। प्रशुधारियों का रूपमा काम में लाया जाता है। परन्तु कम्पनी के कार्यों में उनका कोई बस नहीं। यह उचित तथा लोकतन्त्रीय विधि नहीं है।

जनता के दृष्टिकोण से सूत्रधारी कम्पनी में एक और हानि पाई जाती है। यदि सहायक (subsidiary) प्राइवेट कम्पनी है तो वह ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियों या सयुक्त स्क्व समवाया के रजिस्ट्रार को स्थिति विवरण देने को बाध्य नहीं है। सूत्रधारी कम्पनी यदि चाहे तो सहायक कम्पनी को अपने व्यवसाय की हालत बताने के लिए बाध्य नहीं है। इस तरह संबंधाधारण को वास्तविक स्थिति से अपरिचित रखा जाता है।

६ सहकारी संगठन, उत्पादक-सहकारिता (Co-operative Organisation Producers' Co operation)—पूँजीपति व्यवस्था (capitalistic enterprise) से पृथक् सहकारी व्यवस्था भी है। श्रमिक यह जानते हैं कि उद्योगपति लाभ का अधिकतम भाग ले जाते हैं। वे यह जानकर कि बिना उद्योगपति के वे स्वयं उद्योग चला सकते हैं, श्रमिक व्यवसाय का कार्य स्वयं करना निश्चित करते हैं। वे कुछ पूँजी आपस में इकट्ठी करते हैं तथा शेष उधार लेते हैं, वे अपना अधपक्ष तथा व्यवस्थापक स्वयं चुन लेते हैं तथा कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। सारे खर्च पूँजी पर व्याज, वेतन तथा मजदूरी का भुगतान करने के पश्चात् वे लाभ का आपस में वितरण कर लेते हैं। इस प्रकार का संगठन उत्पादी (productive) सहकारिता अथवा उत्पादक सहकारिता (producer's co-operation) कहा जाता है।

उत्पादक सहकारिता के प्रयोग आम तौर पर असफल रहे हैं। इसका कारण दुर्टना कठिन नहीं है। उद्यमी के शोभ्य हो जाने से लाभ भी लुप्त हो जाते हैं। यह उनका उपक्रम, नैतत्वगुण (initiative), नवासन की शक्ति तथा संगठन की योग्यता

है जिससे लाभ होते हैं। परन्तु श्रमिक मनेजरो को उनकी मेहनत की अदायगी करने को तैयार नहीं होते। चुने हुए फोरमैन (foremen) अपने अधीन व्यक्तियों पर उचित रूप से शासन नहीं कर पाते। हर एक का व्यवसाय किसी का व्यवसाय नहीं होता, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसमें लाभ होते ही नहीं।

उपभोक्ता-सहकारिता (Consumers' Co-operation)—एक दूसरे प्रकार की सहकारिता है जो अधिक सफल हुई है। यह उपभोक्ता सहकारिता कहलाती है। इस व्यवस्था में एक स्थान के उपभोक्ता छोटे ग्राम में पूंजी एकत्रित करके एक निजी भण्डार खोल लेते हैं। दूसरे व्यापारी की भाँति वे थोक विक्रेताओं से वस्तुएँ खरीदते हैं। तथा इन वस्तुओं को साधारण प्रचलित दर पर अपने सदस्यों को बेचते हैं। लाभ सदस्यों में उनकी क्रय के अनुपात में अथवा हिस्सों के अनुपात में जो कि अधिक प्रचलित है, बाँटा जाता है। साधारणतः ग्राम बराबर-बराबर खरीदे जाते हैं, अतएव लाभ भी सदस्यों में बराबर-बराबर बाँटा जाता है।

निर्वाचित प्रबन्ध समिति बिना वेतन लिए कार्य करती है। अतएव व्यवस्था लोकतन्त्रात्मक तथा निःसुक्त होती है। व्यवसाय अत्यन्त साधारण होता है तथा उसके संचालन के लिए अधिक व्यापार-निरीक्षण तथा योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। भण्डार में कुछ प्रामाणिक वस्तुएँ होती हैं और यहाँ बहुत किस्म का माल बेचने की कोशिश नहीं की जाती। यह उपभोक्ताओं की निजी दूकान होती है। अतएव वे अनुचित माँग नहीं रखते और सहज ही सन्तुष्ट हो जाते हैं। प्रचार के लिए कुछ भी ध्यय नहीं करना पड़ता। बिक्री निश्चित होती है।

यह सहकारी भण्डार बहुत सफल हुए हैं और इनमें से कुछ के हजारों सदस्य हैं। अनेक दशाओं में वे केवल उपभोग की वस्तुएँ बेचने में ही सन्तुष्ट नहीं पाते, वरन् उन्होंने अपने उत्पादन करने वाले संगठनों में भी वृद्धि की है। वे साधारण पूंजीवादी व्यवस्था के अनुसार चलाये जाते हैं और उनमें योग्य समितियों के नियन्त्रण में कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थापक (managers) नियुक्त किए जाते हैं।

सहकारी आन्दोलन कृषि तथा उसके सम्बद्ध व्यवसायों के लिए अत्यन्त हितकारक सिद्ध हुआ है। यह सफलतापूर्वक सर्वप्रथम जर्मनी और डैन्मार्क में लागू हुआ और अब यह हर देश में फैल गया है। भारत में सहकारी विभाग प्रत्येक राज्य (State) में काम कर रहे हैं। अधिकतर यह कृषि साख समितियाँ (agricultural credit societies) हैं परन्तु गैर-साख तथा गैर कृषि सम्बन्धी समितियाँ भी स्थापित हो रही हैं।

७ सरकारी उद्यम (State Enterprise)—हर देश में कुछ सार्वजनिक व्यवसाय केन्द्रीय, राज्य अथवा स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जाते हैं। डाक तथा तार की व्यवस्था साधारणतः केन्द्रीय सरकार करती है और जल, गैस, बिजली, ट्राम अथवा बस जैसी लोक प्रयोगी सेवाएँ नगरपालिका निगमों (municipal corporations) द्वारा व्यवस्थापित होती हैं।

सरकारी उद्यम का संगठन उसी भाँति होता है जैसा कि प्राइवेट व्यवसाय में जिसमें साधारणतया मुख्य व्यवस्थापक, फोरमैन, कार्य व्यवस्थापक (works mana-

ger), लेखापाल, कोषाध्यक्ष हर विभाग के अध्यक्ष आदि होते हैं। सरकारी उद्यमों का कार्य साधारणतः उसी भाँति होता है जैसा कि सयुक्त स्कन्ध समवाय या ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी में होता है।

परन्तु इसमें एक मुख्य अन्तर है। सारे श्रमिक सरकारी नौकर हैं जिनकी नौकरी स्थायी होती है और जिनको नौकरी से हटने पर पेन्शन मिलती है। पूंजी राज्य के खजाने से दी जाती है जो कि अन्त में करदाता द्वारा आती है। यदि कोई लाभ होता है, तो वह भी राज्य को जाता है।

सरकारी उद्यम के लाभ तथा हानियाँ (Merits and Demerits of State Enterprise)—सरकारी उद्यम के कुछ लाभ होते हैं। सरकार की साख (credit) किसी निजी व्यक्ति अथवा कम्पनी से कहीं ऊँची होती है। अतएव राज्य को पूंजी एकत्रित करने में विशेष सहूलियत होती है और वह भी अनुकूल दर पर।

इसके अनिश्चित सरकार सब किस्म के बुद्धिमान लोगों को काम में लग सकती है। सरकारी नौकरी सर्वश्रेष्ठ बुद्धि वाले लोगों को आकर्षित करती है। सरकारी नौकरी के लिए कुछ आवण्ट होता है। इस प्रकार मानवीय दृष्टिकोण से, राज्य उद्यम अधिक अनुकूल होता है।

सरकारी व्यवसाय साधारणतः एकाधिकार (monopoly) होता है। इसमें एकाधिकार के सभी लाभ होते हैं। बिजली निश्चित होती है। विज्ञापन पर व्यय अनावश्यक होता है। सरकारी उद्यम कम दाम पर उत्तम सेवा प्रदान करते हैं।

परन्तु साधारणतया अर्थशास्त्रियों का विचार है कि सरकारी तन्त्र व्यवसाय चलाने में प्राइवेट व्यवस्था से अच्छे नहीं हैं। सरकारी प्रबन्ध की पदावधि निश्चित होती है। उसको वेतन में निश्चित वृद्धि प्रति वर्ष मिलती है तथा उसको उसकी वरिष्ठता (seniority) के अनुसार पद-वृद्धि मिलती है। अतएव वह प्राइवेट कम्पनी के व्यवस्थापक की भाँति मचालन अथवा परिश्रम नहीं कर सकता। प्राइवेट कम्पनी का प्रबन्धक किसी दिन भी निकाला जा सकता है, यदि संचालक यह विश्वास कर लें कि वह अच्छा काम नहीं कर रहा है।

सरकारी नौकर लागत कम करने में अथवा रीतिथियों में उन्नति कम करने में कम प्रयत्नशील होता है क्योंकि उसको इससे स्वयं कुछ लाभ नहीं होता।

सरकारी नौकर ऊँचे अफसरों का सामना कर सकता है, यदि उसको तरक्की की कोई अभिलाषा नहीं है। यदि वे अनिष्ट करने पर तुले हैं तो अधिक से-अधिक उसका तबादला कर दिया जाएगा या उसके वेतन की वार्षिक वृद्धि (increment) रोक दी जाएगी। वह अपने आपको किसी एक मनुष्य का नौकर नहीं समझता वरन् राज्य का नौकर समझता है, और यही सारा अन्तर है।

सरकार द्वारा व्यवस्थापित व्यवसाय में उत्तरदायित्व का स्थान दीर्घनृपता या लालफीनाशाही से लेती है। वहाँ अफसर का डर रहता है। वहाँ काम में अधिक देरी होती है। एक कागज बहुत से अफसरों के पास से गुजरता है और उसमें कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं करता।

सरकारी उद्यम में कुछ अन्य दोष भी हैं जैसे जल्दी जल्दी बदली (transfers),

भाई-भतीजावाद (nepotism), सिफारिश से नौकरी पाना, तथा उन्नति योग्यता पर निर्भर न होना आदि-आदि ।

यदि सरकारी उद्यम में हानि होती है तो कोई भी फिक्र नहीं करता । उसमें असाधारणियों का कोई सहायक अंग नहीं होता जिसका संचालक सामना करें । कर देने वाला गुंगा होता है । यदि उसमें हानि होती है तो कोई यह नहीं सोचता कि वह उसकी हानि है । उसके प्रतिनिधि विधानसभाओं (legislatures) में निःसन्देह अधिक शोर मचाएँगे, परन्तु सरकार के दल के सदस्यों की सत्था प्रायः अधिक होती है इसलिए कारवा चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं ।

अतएव यह सुझाया गया है कि केवल सुरक्षित व्यवसाय जो कि नित्य कर्म (routine) की भाँति है, जहाँ बाजार को प्राप्त करने तथा उनको मँभालने का प्रश्न नहीं है, और जिनका वास्तव में एकाधिकार होता है, राज्य को दिए जा सकते हैं । विचार लाभ उठाने का नहीं है परन्तु स्वच्छता तथा सेवा की नियमित व्यवस्था प्राप्त करने का है जिससे पब्लिक को लाभ कमाने वाले लालची उद्यमियों की दया पर आश्रित न रहना पड़े ।

निर्देश पुस्तकें

Taussig, F W. Principles of Economics Vol I, (1946)

Benham F Economics

Hartley Withers Stocks and Shares

अध्याय १५ एकाधिकार (Monopoly)

१ एकाधिकार का क्या अर्थ है ? (Meaning of Monopoly)—कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी वस्तु की पूर्ति (supply) की शक्ति, कम या अधिक मात्रा में, किसी एक उत्पादक या उत्पादकों के एक समूह के पास आ जाती है। इस प्रकार वे उत्पादक उस वस्तु की कीमत पर प्रत्यक्ष प्रभाव रखते हैं। तब यह कहा जाएगा कि उन उत्पादकों ने उस वस्तु पर एकाधिकार कर लिया है या उनका उस वस्तु पर एकाधिकार हो गया है। कीमत पर प्रभाव डालने की योग्यता ही एकाधिकार का सार है। इसका अर्थ है कि उक्त वस्तु की पूर्ति के सम्बन्ध में प्रतियोगिता थोड़े अथवा पूर्णरूप से हट जाती है। एकाधिकारी किसी वस्तु का अकेला उत्पादनकर्ता होता है। उस उद्योग विनियम की वही फर्म होती है। इसलिए वह फर्म उद्योग कहलाता है।

किन्तु ऐसा बहुत ही कम होता है कि प्रतियोगिता बिल्कुल ही हटा दी गई हो। जिस प्रकार सम्पूर्ण प्रतियोगिता बहुत कम देखने में आती है, उसी प्रकार पूर्ण अथवा शुद्ध एकाधिकार भी बहुत कम होता है। वास्तविक जगत् में अकेला उत्पादनकर्ता कोई नहीं होता, एकाधिकारी अपूर्ण प्रतियोगी नहीं है। एकाधिकार में भी प्रतियोगिता (monopolistic competition) हाती है। अर्थशास्त्र की परिभाषा में 'एकाधिकार' शब्द व्यवसाय के विभिन्न प्रकार के संगठन या गुटों (combinations) से तात्पर्य होता है, जैसे ट्रस्ट या कार्टेल (trust and cartels) आदि।

एकाधिकार कभी कभी प्राकृतिक (natural), कानूनी (legal), सामाजिक (social), और स्वैच्छिक (Voluntary) एकाधिकारों में विभाजित किए जाते हैं। प्राकृतिक एकाधिकार प्राकृतिक दुर्लभता (scarcity) के कारण होते हैं। कानूनी एकाधिकार एकस्व अधिकार (patent) के कारण होते हैं। सामाजिक एकाधिकार से अभिप्राय गैस, बिजली, पानी के वितरण जैसे जनोपयोगी सेवा-कार्यों (public utility services) से है। स्वैच्छिक एकाधिकार उत्पादकों में स्वयं किए गए समझौतों के कारण होते हैं और वे संगठन के भिन्न भिन्न तरीकों का संकेत करते हैं। ये करार (agreements) इस प्रकार हो सकते हैं (क) पैदावार में कमी अथवा नियमन (reduction or regulation in output), (ख) कीमत तथा बिक्री की दूसरी शर्तें नियत करना (fixation of price and other terms of sale), तथा (ग) प्रदेश विभाजन (division of territory)।

२ संयोगों के भेद (Types of Combinations)—व्यापार सम्बन्धी संयोगों के अनेक प्रकार के प्रस्थान भेद हैं। क्षैतिज संयोग (horizontal combinations) उस

समय होता है जबकि मिलने वाले कारोबार एक ही तरह के उत्पादन-कार्य में लगे हुए हैं। उदग्र संगठन (vertical combination) उस दशा में होता है जबकि उत्पादन की भिन्न अवस्थाओं को मिश्रित किया जाए जैसे कि कटाई और बुनाई। ट्रस्ट या न्यास (trust) और कार्टेल या मूल्य संध (cartels) भी संयोगों के दो प्रख्यात भेद हैं।

ट्रस्ट या न्यास (Trust)—जब कई कम्पनियाँ आपस में मिलकर पूर्णतया एक नई कम्पनी की रचना करती हैं, तो इसको ट्रस्ट या न्यास कहते हैं। उन मिलने वाली कम्पनियों का कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता, बल्कि पूर्णतया एक नई कम्पनी बन जाती है। इसे एक संविलयन (merger) भी कहा जा सकता है। सन् १९३६ में भारत की तात्कालिक सब सीमेंट कम्पनियों ने मिलकर एक नई कम्पनी बनाई जिस का नाम ए० सी० सी० (एसोशिएटेड सीमेंट कम्पनीज़ ऑफ इण्डिया) रखा गया।

कार्टेल या मूल्य संध (Cartels)—परन्तु यदि मिलने वाले कारोबार अपना पृथक् अस्तित्व नहीं छोड़ना चाहते, तब वे एक कार्टेल या मूल्य संध बनाते हैं। ये कारोबार अलग-अलग चलते हैं और उनका प्रबंध भी अलग-अलग होता है। परन्तु वे सब अपनी उत्पादित वस्तुओं को एक सामूहिक विक्रय संस्था को दे देते हैं। सन् १९३६ में भारत में चीनी के कारखानों ने मिलकर एक अखिल भारतीय खांड सिंडीकेट (All-India Sugar Syndicate) स्थापित किया और सबने अपनी तैयार की हुई चीनी के बेचने का कार्य उसको सौंप दिया। 'कार्टेल' या मूल्य संध शब्द का अभिप्राय ऐसे ही संयोग से है।

ट्रस्ट या न्यास और कार्टेल या मूल्य संध में अन्तर जानना आवश्यक है। ट्रस्ट में अग्रभूत कारोबारों (constituent concerns) की जगह एक नया कारोबार ले लेता है। किन्तु मूल्य संध या कार्टेल में सब कारोबार अपना अलग-अलग अस्तित्व स्थापित रखते हैं। ट्रस्ट में उत्पादन और वितरण दोनों एक ही केन्द्रित अधिकार में रहते हैं, जबकि मूल्य संध में केवल वितरण ही एक केन्द्रित अधिकार में रहता है और उत्पादन-कार्य भिन्न-भिन्न फर्मों द्वारा होता है। न्यास एक स्थायी संस्था है, जिसमें सम्मिलित कारोबार अपने अस्तित्व को पूर्णतया मिटा देते हैं परन्तु दूसरी ओर मूल्य संध प्रायः थोड़े काल के लिए होता है। मूल्य संध में सम्मिलित कारोबार अलग अपने हित की ओर निरन्तर ध्यान देते रहते हैं और जब कभी वे चाहते हैं तो सम्मिलित समूह से अलग हो जाते हैं। कुछ बातों में ट्रस्ट से मूल्य संध अन्तःसमझा जाता है। यह अधिक लोचदार (flexible) होता है। वह उत्पादकों का अपने अपने कारोबार को कुशलतापूर्वक चलाने की स्वतन्त्रता देता है। ट्रस्ट में अत्यधिक पूंजी लगान का भय रहता है। जबकि मूल्य संध में ऐसा भय नहीं रहना।

सूत्रधारी समवाय (Holding Company)—हम यह पहले बतला चुके हैं कि एक कम्पनी किस प्रकार दूसरी कम्पनी पर नियन्त्रण कर सकती है। (अध्याय १४, विभाग ५)। कहा जाता है कि सन् १९११ में न्यू जर्सी की स्टैण्डर्ड आयल कम्पनी लगभग ४० दूसरी कम्पनियों पर नियन्त्रण करती थी। पंजाब नेशनल बैंक लाहौर के नेशनल बैंक पर नियन्त्रण रखता है। डालमिया कम्पनी ने भारत बीमा कम्पनी पर नियन्त्रण किया।

गुट बनाने की प्रवृत्ति होती है। कोई भी बड़ी फर्म किसी कमजोर फर्म के साथ, जिसे वह कुचल सकती है, गुट में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होती।

(ड) प्रामाणिक वस्तुएँ (Standardised Products)—यदि उत्पन्न की हुई वस्तुएँ एक ही प्रकार की हैं तो उसके एक उत्पादक और दूसरे उत्पादको में अन्तर नहीं होगा। इसमें सघ सरलता से स्थापित हो जाता है।

(च) किसी देश की परम्परा भी सम्युक्त कार्य के लिए अनुकूल होने पर सघ निर्माण में सहायक बनती है।

एकाधिकार को शर्तों अथवा एकाधिकार शक्ति प्रकट होने में प्रो० पीगू (prof pigou) दो बातें बताते हैं—

(क) जब उद्योग के किसी विशेष धर्मव्यक्तिक मस्यापन (typical individual establishment) को बड़े स्तर पर चलाना किफायती होता है, तथा

(ख) जब व्यवसाय (business) के किसी विशेष धर्मव्यक्तिक इकाई (typical individual unit) को बड़े स्तर पर चलाना किफायती होता है, अर्थात् जब कई मस्यापनों का नियन्त्रण एक प्राधिकारी (authority) के हाथ में होता है, जैसे भारत में प्रचलित मैनैजिंग एजेंसी प्रणाली।

बेन्हम (Benham) कहता है, 'एकाधिकार की सफलता की कुंजी पैदावार का नियन्त्रण है।' जब तक एकाधिकारी का पूर्ति (supply) पर नियन्त्रण नहीं है उसकी एकाधिकार शक्ति नष्ट हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसे नए लोगों को उस क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकना चाहिए। बेन्हम (Benham) कहता है—'वे परिस्थितियाँ जो नवागत (newcomer) को आने से रोकती हैं अथवा रोधक हैं, और इस तरह पैदावार की वृद्धि में बाधा डालती हैं, ऐसा प्रतिष्ठान है जिम पर एकाधिकार की शक्ति आधारित है।'¹ उत्पादन के क्षेत्र में किसी आवश्यक वस्तु का नियन्त्रण, विशेष तथा ऊँची लागत की मशीनों की जरूरत तथा एकस्व अधिकार (patent rights) नए उद्यमियों को उसके क्षेत्र से बाहर रखेंगे और उसकी (एकाधिकारी की) शक्ति बनाए रखेंगे।

४ सयोग के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ (Circumstances Unfavourable for Combination)—कुछ ऐसी भी अवस्थाएँ हैं, जो सयोग के निर्माण में रुकावट पैदा करती हैं। यदि नवागन्तुको के लिए विशेष कठिनाइयाँ न हों तो, उस दशा में सयोग अथवा एकाधिकार की सम्भावना बहुत कम रह जाती है। यदि उत्पादक इधर-उधर फैले हुए हैं और प्रत्येक उत्पादक थोड़ा थोड़ा माल बाजार में भेजता है, तो उस दशा में भी सयोग का बनना कठिन होगा। यदि किसी वस्तु के उत्पादन में उसके गुण का विशेष ध्यान रखना होता है और उस पर व्यक्तिगत ध्यान देना आवश्यक होता है, तो उस समय भी किसी बड़े सयोग के बनने की सम्भावना कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त जिस समय कुछ उत्पादक पहले से ही किसी एकाधिकार की अवस्था में होते हैं, तब भी उनके लिए सयोग स्थापित करने का आकर्षण कम होता है।

1 The circumstances, which prevent or deter newcomers and thus enable output to be restricted are the foundations upon which the power of Monopoly is based"—Benham

संयोग को अतिक्रान्त करने वाली शक्तियाँ (Forces that threaten a combination)—एक धार के बने सघ को हमेशा ही बनाए रहना आसान नहीं होगा। दो शक्तियाँ ऐसी हैं जो उसको निरन्तर जुदा (disintegrate) करने का प्रयत्न करती रहती हैं। ये शक्तियाँ भीतर और बाहर से अपना कार्य करती रहती हैं।

सघ में भाग लेने वाली कुछ ऐसी फर्में होती हैं जो यह अनुभव करती हैं कि सम्भ्रंता उनकी निष्ठा (loyalty) पर अधिक दबाव डाल रहा है। उन्हें पता चलता है कि सघ या संयोग उनके हित में कार्य नहीं कर रहा है। हो सकता है कि सघ में सम्मिलित होने वाली फर्मों में से कुछ ने टैक्निकल या प्रारंभिक उन्नति कर ली है, और वे यह समझते हैं कि वे अपना व्यवसाय स्वयं देखने में समर्थ हैं। यदि सम्भ्रंते की रवायट न होती तो वह बाजार को अधीन कर लेने की आशा करते। सम्भवतः उन्हें अपनी सामर्थ्य से कम काम करना होता है और उन्हें पता होता है कि जिस शक्ति का उपयोग नहीं हो या रहा है, वह उनके लिए अत्यधिक हानि है। सम्भवतः कोटा (quota) नियत करना अन्यायपूर्ण समझा जाता है। कभी-कभी बुरे समय का सामना करने के लिए भी सघ या संयोग का उपयोग किया जाता है और जब समय में परिवर्तन हो जाता है तो सघ की भी आवश्यकता नहीं रहती। योग्य फर्में अनुभव करने लगती हैं कि वह अयोग्य फर्मों को जीवित रखने के लिए स्वार्थ त्याग कर रही हैं। इस प्रकार व्यापार और उद्योग में परिवर्तन होते रहने से सघ में सम्मिलित सब फर्मों में निष्ठा (loyalty) स्थापित रखना अति कठिन है और कभी कभी असम्भव भी हो जाता है। इन्हीं कारणों से निरन्तर संयोग लड़खड़ा रहे हैं।

५. एकाधिकारों के गुण तथा दोष^१ (Merits and Demerits of Monopolies)—एकाधिकार स्थापन प्रायः बड़ी व्यापार संस्थाएँ होती हैं और इस प्रकार उन्हें बड़े स्तर के उत्पादन की सभी क्वालिफिकेसनें प्राप्त होती हैं। नियमित तथा सन्तोषजनक पूर्ति निश्चित होती है और बृहत् स्रोतों के कारण वे बुरे समय का भली प्रकार सामना कर सकते हैं। संयोग या गुट (combination) दूसरे सदस्यों के आधिकारों तथा व्यापार चिह्नों (trade marks) का उपयोग कर सकता है। उन्हें ज्वान्ट-स्टॉक (समुभूत स्कन्थ) सिद्धान्तों के लाभ भी प्राप्त हैं। इसका अलावा उन्हें अपनी एकाधिकारों पूर्ण स्थिति से भी कुछ फायदे होते हैं। इस तरह वे क्रय-विक्रय में क्वालिफिकेसनें बरत सकते हैं। उन्हें उत्तम कौशल (superior skill) प्राप्त है और इसलिए दक्षता (efficiency) का उच्च स्तर प्राप्त है। वितरण (distribution) की ओर वे अपने बिक्री विभागों (sales departments) का ज्यादा क्वालिफिकेसनें से प्रबन्ध कर सकते हैं, चूँकि उन्हें प्रचार (Publicity) पर अधिक खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती।

एकाधिकार उपभोक्ताओं पर और धनधुओं के गुण तथा मात्रा पर प्रभाव डालता है, और उसके साथ ही उत्पादन के साधनों के उपयोग और पारिधमिक को भी प्रभावित करता है।

1 For a brilliant defence of monopolies see Schumpeter's *Capitalism, Socialism and Democracy*

(1) उत्पादन के साधनों का पारिथमिक घट जाता है क्योंकि एकाधिकार की अवस्था में जन साधनों की मांग प्रतिद्वन्द्वी फर्मों के मुकाबले में कम हो जाती है।

(ii) सघ या संयोग में हर फर्म के लिए साधनों का कोटा (quota) नियत कर दिया जाता है, ताकि वह अपने सामर्थ्य से कम काम करे। इस प्रकार उत्पादन की कुछ शक्ति बेकार रह जाती है।

(iii) चूंकि कोटे का अनुकालिक पुनरीक्षण (periodic revision) होता रहता है, इसलिए हर फर्म यह प्रयत्न करती है कि उसे आगामी पुनरीक्षण के अवसर पर अधिक कोटा मिले। इस उद्देश्य के लिए मगभौता चालू रहने के काल में वह चुपचाप अतिरिक्त साधनों को जुटा लेते हैं। इन सब का फल यह होता है कि उद्योग की उत्पादन-शक्ति फासतू तौर पर बढ जाती है।

(iv) इस कोटा प्रणाली का एक फल यह भी होता है कि उत्पादन-कार्य कम कार्य-कुशल इकाइयों (units) में भी होने लगता है। कमजोर फर्मों को जीवित रखने के लिए योग्य फर्मों को अपनी सामर्थ्य से कम उत्पादन करना पडता है। ये बातें स्पष्ट उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि लागत जहरत से ज्यादा होती है।

(v) एकाधिकार अवस्था में उत्पादन के साधन उपभोक्ताओं की इच्छानुसार वितरित नहीं किए जाते, बल्कि एकाधिकारी के निजी निर्णय के आधार पर वे वितरित होते हैं। इसलिए एकाधिकार उपभोक्ता की सम्पूर्ण सत्ता (sovereignty) को सीमित करता है और उत्पादन के साधनों को भी अधिक से अधिक पारिथमिक या लाभ लेने से रोकता है।

(vi) एकाधिकारी नयी पूंजी और नये उद्यम के मार्ग में बाधक होता है और उद्योग में उनके प्रवेश को रोकता है। नय रवत का समावेश सम्भवतः समाज के लिए बहुत लाभदायक होता, किन्तु एकाधिकारी, प्रतियोगी उद्योगों को कुचलकर, समाज को इस लाभ से वंचित करता है।

(vii) एकाधिकारी टैक्नीकल उन्नति को भी समय के पीछे डाल देता है। वह अपने अधिकतम लाभ की विन्ता करता है। कभी कभी उसको यह उचित नहीं मालूम होता है कि वह पुरानी मशीनें बदलकर नई मशीनें लगाए। उसे प्रतिद्वन्द्विता का डर नहीं रहता, जिसके फलस्वरूप वह नवीन आविष्कारों और रीतियों की सहायता लेकर उत्पादन के खर्चों में भी कमी नहीं करता। प्रतियोगिता के अन्तगत जो फर्म आधुनिक मशीनों का (उपकरणों का) उपयोग करती हैं, वही बाजी मार ले जाती हैं। इससे उद्योग में आविष्कार को प्रोत्साहन मिलता है। एकाधिकार के कारण उपभोक्ता उत्पादन के दूसरे कार्यपट्ट तरीकों से होने वाले फायदा से वंचित रहता है।

(viii) एकाधिकार में उत्पादन प्रतिद्वन्द्वी दशाओं के उत्पादन से कम होता है। बजार की हालत खराब न हो, इसलिए उत्पादन कम कर दिया जाता है, या नष्ट कर दिया जाता है। ब्राजील की कॉफी इस्टीमेट (Coffee Institute of Brazil) ने सन् १९३१ और १९३४ के बीच में २० लाख टन से अधिक कॉफी नष्ट कर दी थी। उत्पादन के कुछ अंग जान-बूझकर बेकार रखे जाते हैं या मशीनों से कम काम

लिया जाता है, वशत कि उनसे पूरी तौर से काम लेने पर एकाधिकार लाभ में कमी होने की सम्भावना मालूम होती हो।

(12) एकाधिकार में कीमतें सामान्यतः ऊँची होती हैं, हालांकि ऐसे कारण बहुत से हैं जिनसे कि एकाधिकार की दशा में भी वस्तु का दाम कम होना चाहिए। एकाधिकारी को भीतरी और बाहरी बचत की भी भारी गुंजाइश होती है। वह 'अविभाज्य' (indivisible) साधनों का पूर्ण उपयोग कर सकता है। उसे अपनी वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचार के लिए भी अधिक धन व्यय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्रय विक्रय में भी उसे सदैव सुविधा रहती है। उसके कारखाने का आकार अनुकूलतम (optimum) निर्माण और उत्पादन के निकटतर हो सकता है। इसलिए एकाधिकारी को वे सब सुविधाएँ हैं जिनसे वह उत्पादन के खर्च को कम कर सकते हैं। इस पर भी हम देखते हैं कि एकाधिकारी जो कीमतें लेता है, वे प्रतिद्वंद्वी दशा की कीमतों से आम तौर पर अधिक होती हैं। मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है जिसके कारण कि एकाधिकारी अपनी स्थिति का पूरा पूरा लाभ उठाता है। यद्यपि एकाधिकारी को उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए, परन्तु वह करता यही है। कभी-कभी एकाधिकारी अपने ग्राहकों पर अनुचित शक्तें लगाते हैं अथवा उनके साथ विभेदकारी व्यवहार करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एकाधिकार से उपभोक्ताओं को हानि होती है, जबकि वास्तव में उन्हें हानी नहीं चाहिए।

(13) अन्त में हम यह भी देखते हैं कि एकाधिकार से धन के वितरण (distribution of wealth) पर भी बुरा प्रभाव होता है। एकाधिकारी धनवान होते हैं और उनकी प्रवृत्ति अधिक-से-अधिक धनवान बनने की रहती है। इस प्रकार एकाधिकार के अस्तित्व से धन वितरण में असमानता बढ़ती जाती है।

(14) एकाधिकारी विधान सभा के सदस्यों को भ्रूस आदि देते हैं और इस प्रकार व्यापार सदाचार (morality) तथा लोक सदाचार के स्तर को गिराते हैं।

६ एकाधिकार के प्रति मौजूदा प्रवृत्तियाँ (Recent Tendencies Towards Monopolies)—एक जमाना था जब उद्योग तथा व्यापार में गुटों और संयोगों (combinations) को सशय की दृष्टि से देखा जाता था। वे समुदाय के व्यापक हितों में बाधक समझे जाते थे। अमरीका में ट्रस्ट या ग्लान्स के खिलाफ कानून पास किए गए, और राज्य संघन संघ चलन (combination movement) के ऊपर बड़ी दृष्टि रखने लगे। संयोगों या संघों की खतरनाक समझा जाता था।

परन्तु अब यह दृष्टिकोण बदल गया है। एकाधिकारी व्यवस्था अब समाज के लिए सदा हानिकर नहीं समझी जाती। बल्कि किसी उद्योग को वैज्ञानिक रूप देने के लिए अब यह ढंग आवश्यक समझा जाता है। प्रथम विश्व-युद्ध के बाद जर्मनी के उद्योग को स्वतः अपने अस्तित्व के लिए अपना अभिनवीकरण (rationalisation) करना पड़ा। भीतरी प्रतिद्वन्द्व को दूर कर दिया गया और प्रतिद्वन्द्वी इकाइयों की एक-संगठन के अधीन कर दिया गया था, जो उत्पादन और वितरण का नियन्त्रण करता था। उस समय जर्मनी में संघ सम्बन्धी चलन (combination movement) का बहुत आश्चर्यजनक फल हुआ। यह आन्दोलन वहाँ से अमरीका, जापान और अन्य

देशों में फैल गया। हर जगह पर राज्यों ने सघ या व्यापारिक संयोग स्थापित करने के प्रयत्न किए हैं। महान् मन्दी (great depression) ने सघ-व्यवस्था को विशेष योग प्रदान किया, क्योंकि उद्योगों को फिर से संगठित करने के लिए उनको अभिनवीकरण (rationalisation) रूप देना और उन्हें स्थिर बनाए रखना आवश्यक समझा गया था। इसलिए एकाधिकार और औद्योगिक कार्य-पटुता के बीच बहुत गहरा सम्बन्ध है।

७ एकाधिकारी पर रोक (Checks on the Monopolist)—ऊपर दिए हुए विवरण से गायद ऐसा लगेगा कि एकाधिकारी अपने लाभ का ही ध्यान रखकर मनमाना दाम ले लेता है। परन्तु एकाधिकारी स्वेच्छाचारी के रूप में व्यवहार नहीं कर सकता। एकाधिकारी शक्ति के दुरुपयोग पर अनेक प्रतिबन्ध हैं—

पहली बात तो यह है कि एक एकाधिकारी सम्भाव्य प्रतिद्वन्द्वियों (potential rivals) से सदैव डरता रहता है। यदि वह अत्यधिक कीमती कर देता है तो कुछ अन्य उद्योग परिचालक अवश्य ही उस क्षेत्र में आ जाएंगे और ऊँचे दामों से लाभ उठाएंगे।

दूसरे, यह भी हो सकता है कि उपभोक्ता भी चुपचाप उन्हें सहन न करे। उनके शोषण की भी आखिर एक सीमा है। दामों में एक पैसे की वृद्धि भी उनके विनाश का कारण हो सकती है। उपभोक्ता सक्रिय रूप में उनकी वस्तु का बहिष्कार कर सकते हैं। इसलिए कोई भी एकाधिकारी उपभोक्ताओं की सहानुभूति को टुकड़ाने का साहस नहीं कर सकता।

तीसरे, शायद ही कोई ऐसी वस्तु हो जिसका प्रतिस्थापन (substitution) कम या पूरा रूप से न हो सके। इस प्रकार प्रतिस्थापित वस्तुओं से एकाधिकारी को शोषण प्रवृत्ति को बहुत कुछ सीमित किया जा सकता है। उपभोक्ता एकाधिकारी वस्तु और प्रतिस्थापित वस्तु के दामों में केवल एक विशेष सीमा तक ही अन्तर को सहन करते हैं। जैसे ही वह अन्तर उस सीमा को पार कर जाता है, वैसे ही प्रतिस्थापित वस्तु अपनी जगह बना लेती है।

चौथे, एकाधिकारी माँग की स्थितियों पर लापरवाही करके स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं कर सकता। उसको कदम कदम पर माँग की स्थिति पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यदि माँग लोचदार है तो एकाधिकारी की दशा भी उसी के अनुसार कमजोर होती है।

पाँचवें, हम यह देख चुके हैं कि सघ या व्यापारिक संयोग के भीतर की शक्तियाँ उसे निरन्तर आतंकित रखती हैं। इस कारण व्यापारिक संयोग के अस्तित्व को बनाए रखना सरल नहीं है। सघ एक प्रकार का ऐसा मकान है, जो भीतर से अपने ही विरुद्ध विभाजित है और इसीलिए एकाधिकारी मनमानी नहीं कर पाते।

अन्त में, हम यह देखते हैं कि राज्य द्वारा हस्तक्षेप (state intervention) का भय तो रहता ही है। कोई भी राज्य जनता के हितों का रक्षक होते हुए किसी एकाधिकारी को समाज का शोषण करते नहीं देख सकता। आवश्यकता पड़ने पर

राज्य हस्तक्षेप करने के लिए सदा तैयार रहता है। एकाधिकारी की स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति पर यह कार्यवाही हितकर नियन्त्रण के रूप में कार्य करती है।

८ एकाधिकार पर सार्वजनिक नियन्त्रण तथा स्वामित्व¹ (Public Control and Ownership of Monopolies)—एकाधिकारी आम तौर पर उत्पादन कम कर देता है जिससे कि वह ऊँचा दाम लेकर अपना लाभ बढ़ा सके। यह रीति वास्तव में समाज-विरोधी है। राज्य को एकाधिकारी के लाभ के लिए जनता के दोषपूर्ण करने की कुप्रवृत्ति का नाश और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अवश्य ही जनता के रक्षक की हैसियत से हस्तक्षेप करना चाहिए।

एकाधिकारों को नियन्त्रित करने के लिए सम्भावित उपाय—

(1) न्यास विरोधी विधान बनाना (Trust-preventing and Trust-breaking Legislation)—अमरीका में धारमन एन्टी-ट्रस्ट लॉ, १८९० (Sherman Anti-Trust Law of 1890) और सन् १९१४ में क्लेयटन एन्टी-ट्रस्ट लॉ (Clayton Anti-Trust Law of 1914) म्बोकार किए गए। जर्मनी और आस्ट्रिया में भी मूल्य गथा (Cartels) के विरुद्ध कानून बने। परन्तु इस प्रकार के कानून सर्वत्र कारगर न हुए। जब एक प्रकार का सघ या न्यास कानून विरुद्ध घोषित किया गया तो बकीलों के सातुयं ने एक दूसरी ही तजवीज निकाल दी। कभी-कभी अनियमित समझौते नियमित समझौतों की जगह ले लेते। सन् १९२७ में इंग्लैंड में व्यापारिक ढोहं ने व्यापार और उद्योग की कमेटी को जो सूचना दी थी उससे मालूम हुआ कि राजकीय नियन्त्रण को केवल आधिक सफलता ही मिली थी।

(ii) अनुचित रीतियों की रोक (Suppression of Unfair Practices)—प्रोफेसर पीग ने कहा है कि राज्य को सम्भाव्य प्रतिद्वन्द्व की रक्षा करनी चाहिए और कुरीतियों (clubbing devices), को जिनसे सम्भाव्य प्रतिद्वन्द्वी डरकर भागते हैं, नियन्त्रण करना चाहिए। इस प्रकार की कुरीतियाँ य हैं—जैसे विनाशकारी कीमते घटाना (dumping), विकट प्रतिद्वन्द्विता और बहिष्कार (boycott)। परन्तु वह भी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यदि इन कुरीतियों के नियन्त्रण करने में और सम्भाव्य प्रतिद्वन्द्व को बनाए रखने में सफलता मिली भी तो वह अपूर्ण ही होगी। वह आगे कहता है “इन व्यापारिक कुरीतियों को विधान द्वारा भी सर्वथा निर्मूल करना कठिन है।”

(iii) लाभ और कीमतों पर नियन्त्रण (Control of Prices and Profit)—लाभ और कीमतों पर नियन्त्रण रखकर राज्य एकाधिकार को नियमित कर सकता है। परन्तु इसके मार्ग में व्यावहारिक बाधाएँ हैं। कोई ऐसी कीमत नियत करना जो कि उपभोक्ता के लिए उचित है और उत्पादक के लिए भी ठीक है इतना सरल नहीं है। फिर भी एकाधिकार को नियन्त्रित करने का प्रयत्न लाभदायक होगा। उपभोक्ताओं की भी समस्याएँ बनाई जा सकती हैं।

(iv) प्रचार (Publicity)—इंग्लैंड में सन् १९१८ में ट्रस्ट या न्यास की

1 For illustrations of public control in a world of monopolies see J. K. Galbraith's *American Capitalism*

कमेटी ने एकाधिकारी शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसके प्रचार और सार्वजनिक देखरेख की तजवीज की थी। इस बात की भी तजवीज की गई थी कि एकाधिकारियों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए और उनके कारनामे जनता के सम्मुख लाए जाएं। आशा की जाती है कि इन उपायों से एकाधिकारी वर्ग को उचित अवस्था में रखा जा सकेगा।

एकाधिकारों पर राज्य के नियन्त्रण के लाभ (efficacy) के सम्बन्ध में, प्रो० पीगू (Prof Pigou) यह परिणाम निकालते हैं "प्राइवेट एकाधिकार पर राज्य नियन्त्रण के किसी भी स्वरूप के अन्तर्गत आदर्श (ideal) तथा वास्तविक (actual) के बीच पर्याप्त खाई रहनी जरूरी है। नियन्त्रण की रीति, चाहे क्रियात्मक (positive) हो अथवा निषेधात्मक (negative), मक्षेप में, सरल स्पर्धा की तुलना में, उद्योग की कीमत स्तर (price level) तथा उचित पैदावार के बीच सन्तुलन का बहुत अपूर्ण उपाय होगा। इसके अलावा यह रीति बहुत खर्चीली होगी।" जैसा कि प्रो० डूरैंड (Durand) ने कहा है "सरकार द्वारा कीमतों तथा प्राइवेट सत्ताओं के लाभ के नियमन में क्षय, शक्ति तथा लागत को दोहराने (duplication) आदि के तत्त्व सन्निहित रहते हैं।"¹

(v) राष्ट्रीयकरण और जन-संचालन (Nationalisation and Public Operation)—अन्त में, एकाधिकार व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। यदि व्यापार बे-रोकटोक एक स्तर पर चल रही है और उसका बाजार निश्चित है तो राज्य बेखटके उस व्यापार को अपने हाथ में ले सकता है। ऐसे उद्योगों में व्यक्तिगत उद्यम और दिलचस्पी के लिए कोई विशेष गुंजाइश नहीं रह जाती। ऐसे व्यापार का संचालन कोई भी अधिकारी कर सकता है, और व्यापार का प्रशासन तथा जन-उपयोगी व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। निजी उद्यम में राज्य की ओर से नियन्त्रण करने में तकनीक कठिनाइयों के सम्बन्ध में प्रोफेसर पीगू का कहना है "राज्य का नियन्त्रण इस आधार पर उचित है कि इसमें स्रोतों (resources) का विभिन्न व्यवसायों में उचित वितरण होगा और इस प्रकार समुदाय में कल्याण को प्रोत्साहन मिलेगा।"²

६ क्रयाधिकार (Monopsony) एक ऐसा शब्द है जो कि खरीदारों के एकाधिकार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यदि बेचने वाला कहता है, "हमसे खरीदो या तुम न खरीदो" तो खरीदने वाला भी उसको मूंहतोड़ जवाब दे सकता है।

1 'Under any form of state control over private monopoly, a considerable gap between the ideal and the actual is likely to remain. The method of control, whether positive or negative, is, in short, an exceedingly imperfect means of approximating industry toward the price level and output proper to simple competition. Moreover, it is apt to prove a costly method.'—Pigou

2 'Government regulation of prices and profits of private concerns always involves a large element of waste, of duplication of energy and cost' Prof Durand

3 'In view of many technical difficulties in the way of public control over private enterprise, I advocate public operation on the ground that it will bring about a right distribution of resources among different occupations and thus promote the economic welfare of the community.'—Prof Pigou

अध्याय १६

चिनिमय--बाजार (Exchange—Markets)

१ बाजार का अर्थ (Meaning of Markets)—जेवन्स (Jevons) का कहना है, 'मूलतः, बाजार, नगर में एक ऐसा सर्वजनिक स्थान होता था, जहाँ आवश्यक व दूसरे प्रकार की वस्तुएँ विक्रय के लिए रखी जाती थी। पर अब इस शब्द के अर्थ का विस्तार करके इसको यह अर्थ दे दिए गए हैं कि बाजार ऐसे व्यक्तियों का समुदाय है जिनमें आपस में व्यापारिक सम्बन्ध हों और जो किसी वस्तु के बड़े-बड़े सौदे करते हों। किसी बड़े शहर में उतने ही बाजार हो सकते हैं जितनी कि वहाँ महत्वपूर्ण व्यापारिक शाखाएँ हाती हैं तथा इस प्रकार के बाजार स्थानीय भी हो सकते हैं और नहीं भी। किन्तु बाजार के साथ स्थान विशेष (locality) का भाव आवश्यक नहीं है। यदि व्यापारी आपस में भेले, सभाओं, विज्ञापनों, डारुखाना और दूसरे उपायों से आवागमन रखते हों और भले ही वह किसी नगर में, अथवा प्रदेश में या देश में फँस गए हों, किन्तु तब भी वे बाजार का निर्माण कर सकते हैं।'^१ फासीसी अर्थशास्त्री कुर्नो (Cournot) के शब्दों में "बाजार शब्द से अर्थशास्त्र के विद्वानों का आशय किसी विशेष हाट से, जहाँ वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता हो, नहीं होता, बल्कि उस सम्पूर्ण प्रदेश से होता है, जिससे ग्राहक और विक्रेताओं के बीच इस प्रकार का स्वतन्त्र आदान-प्रदान हो कि उन्हीं वस्तुओं की कीमत अधिक शीघ्रता और सरलता से समान हो सके।"^२

इस प्रकार बाजार के लिए निम्न चीतें आवश्यक हैं (१) वह वस्तु जिसका क्रय या विक्रय व्यवहार होना है, (२) ग्राहकों व विक्रेताओं का मौजूद होना, (३) एक स्थान, चाहे वह एक प्रदेश विशेष हो, एक देश अथवा पूर्ण सत्तार हो, (४) विक्रेता व ग्राहकों में इस प्रकार का आदान-प्रदान हो कि एक वस्तु की कीमत एक समय में एक ही रहे।

(क) क्षेत्रफल (area) के आधार पर बाजार को स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्वव्यापी बाजारों में बाँटा जा सकता है, तथा (ख) समय (time) के आधार पर बाजार का विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है—किमी दिन अथवा समय विशेष के भाव (market price), अल्पकालीन कीमत, दीर्घकालीन कीमत अथवा बहुदीर्घकालीन अथवा लौकिक (secular) बाजार, जिसका विस्तार एक पीढ़ी तक हो।

२ बाजारों का विकास (Evolution of Markets)—जैसे बाजार का विकास देते हैं, सदैव वे बँसे नहीं थे। बाजारों का वर्तमान स्वरूप दीर्घकालीन विकास

1 'The traders may be spread over a whole town, or region, or a country and yet form a market if they are by means of fairs, meetings, published price lists, the post office or otherwise, in close communication with each other'—Quoted by Marshall—Economics of Industry, pp 131-35

2 'Economists understand by the town market, not any particular market place in which things are bought and sold, but the whole of any region in which buyers and sellers are in such free intercourse with one another that the price of the same goods tend to equality easily and quickly'—Cournot

का फल है। बाजारों के विकास का अध्ययन दो दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। (क) भौगोलिक (Geographical) और (ख) कार्यात्मक (functional)।

भौगोलिक दृष्टि से बाजार के विकास की चार अवस्थाएँ हैं—(१) प्रारम्भ में पारिवारिक (family) बाजार हुआ करता था, जिसमें एक कुटुम्ब के बीच विनिमय होता था, (२) उसके बाद स्थानीय बाजारों (local markets) का विकास हुआ, जिसमें क्रय विक्रय एक नगर अथवा गाँव तक ही सीमित था, (३) इसके बाद राष्ट्रीय बाजारों (national markets) का जन्म हुआ, जब एक वस्तु के लिए सम्पूर्ण राष्ट्र एक बाजार माना जा सके, तथा (४) आज का विश्व बाजार (world market) है, जिसमें कुछ चीजों का व्यापार विश्वव्यापी होता है।

स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्व-बाजार साध-साध ही चलते हैं। कुछ चीजों का बाजार सर्वथा स्थानीय होता है, जैसे ताजा दूध, कुछ वस्तुओं का बाजार राष्ट्रीय होता है, जैसे किसी भारतीय अनुसूचित अधिकाधिक के अन्न और बहुत सी वस्तुओं का बाजार विश्वव्यापी होता है जैसे जूट, कपास, चाय, मूल्यवान् घातुएँ आदि। भौगोलिक विकास सदैव परिवहन साधनों की प्रगति और प्रशीतन (refrigeration) जैसी वैज्ञानिक रीतियों के विकास पर निर्भर रहता है।

जहाँ तक कार्यात्मक विकास (functional development) का प्रश्न है, बाजार का विकास इन अवस्थाओं में हुआ—(१) साधारण अथवा मिश्रित बाजार (the general or mixed market)—इस प्रकार के बाजार में एक ही स्थान पर नाना प्रकार की चीजों का क्रय विक्रय होता था। (२) विशिष्ट बाजार (the specialised market)—हर वस्तु के लिए जुदा मण्डी (मार्केट) जैसे, आञ्जल सूत, कपड़ा, धर्म मार्केट, द्रव्य मार्केट, विदेशी विनिमय मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज (श्रेष्ठ चत्वर) तथा प्रोड्यूस एक्सचेंज आदि। (३) नमूनों द्वारा विक्रय (marketing by sample)—वस्तुओं का मान-नयन कर लिया जाता है (standardised) और क्रय-विक्रय नमूनों के आधार पर होता है। (४) ग्रेडिंग द्वारा विक्रय (marketing by grades)—इस रीति में वस्तुओं की सही-सही क्वालिटी दी जाती है, जिससे नमूना देखने की भी आवश्यकता नहीं रहती। गेहूँ की ५९१-सी तथा ८-ए नम्बर की किस्में बड़ी प्रतिद्व हैं। और ४ एफ, तथा एम जी. एफ. जी भारत में कपास की प्रतिद्व किस्में हैं।

३. बाजार का विस्तार (The Extent of the Market)—बाजार का आकार बहुत सी बातों पर निर्भर है—

(१) वस्तुओं के लक्षण (The Character of Commodities)—जहाँ वस्तुओं का बाजार विस्तृत हो सकता है जिनमें निम्न गुण हो (i) ले जाई जाने योग्य (portable), (ii) टिकाऊ (durable), (iii) नमूना बनाने, थोड़ीबढ़ करने और सही विवरण देने योग्य, और (iv) ऐसी कि जिनकी पूर्ति (supply) में वृद्धि की जा सकती हो। इस प्रकार की वस्तुओं में गेहूँ, सोना, सरकारी सिम्पूरिटियाँ आदि शामिल हैं। भारी सामान जैसे इट्टें तथा सीध ही खराब होने वाली चीजें जैसे ताँडे फल, तरकारी आदि का मार्केट सीमित होता है।

(२) वस्तुओं की मांग का रूप (The Nature of the Demand for Commodity)—जिस वस्तु की मांग विश्वव्यापी होगी उसका व्यापार ऐसी वस्तुओं की अपेक्षा, जिनकी मांग सीमित है, अधिक विस्तृत होगा, जैसे सोना, चाँदी ।

(३) संचार तथा परिवहन (Communications and Transport) के विकसित साधनों के कारण भी माल को दूर दूर ले जाना सम्भव हुआ है और इस प्रकार मार्केट की सीमाएँ काफी बढ गई हैं ।

(४) शान्ति और सुरक्षा (Peace and Security)—यदि शान्ति और सुरक्षा न हो तो माल एक स्थान से दूर के स्थान तक नहीं भजा जा सकता । युद्ध-काल में शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती, इसलिए बाजारों का क्षेत्र सीमित हो जाता है ।

(५) मुद्रा और साख की रीति (Currency and Credit System)—यदि मुद्रा और साख की रीति अधिक विकसित है, तो त्रय विक्रम दूर दूर के स्थानों में बढी सरलता और लाभ के साथ हो सकता है ।

(६) राज्य की नीति (The Policy of the State)—राज्य की नीति से बाजार सीमित हो सकते हैं । निषेधात्मक करों तथा कोटे (quota) आदि से मार्केट सीमित होते हैं ।

(७) श्रम विभाजन की मात्रा (The Degree of Division of Labour)—पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं (अध्याय ११, विभाग ५) कि किस प्रकार बाजार का क्षेत्र श्रम विभाजन को सीमित करता है । इसका उल्टा नियम भी उतना ही सत्य है, क्योंकि बाजार का क्षेत्र भी उत्पादन कार्य में प्रयुक्त श्रम विभाजन पर निर्भर करता है । जितना ही अधिक श्रम-विभाजन होगा माल उतना ही सस्ता होगा और मार्केट की सीमाएँ विस्तृत होगी ।

४ बाजारों के प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता (Market Categories Perfect Competition)—जिस स्थिति में किसी उद्योग विशेष में लगी व्यवसाय संस्थाएँ कार्य करती हैं उसका अध्ययन पूर्ण प्रतियोगिता (Perfect competition) और अपूर्ण प्रतियोगिता (Imperfect competition) शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है ।

हम बाजार को उस समय पूर्ण प्रतियोगितापूर्ण (perfectly competitive) कहेंगे, जब किसी उद्योग की अलग अलग व्यवसाय संस्थाओं का सम्बन्धित वस्तु की कीमत पर कोई नियन्त्रण नहीं होता, अर्थात् किसी व्यवसाय संस्था को प्रचलित कीमत स्वीकार करने पड़ती है और संस्था स्वयं कीमत को किसी प्रकार प्रभावित नहीं कर सकती । अतः पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में व्यवसाय संस्था को अपना उत्पादन प्रचलित कीमता के अनुसार समायोजित करना पड़ता है । यदि ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है जिसमें इका दुकान व्यवसाय संस्थाओं का वस्तु की कीमत पर एकाधिकार न हो जाए, तो निम्नलिखित स्थितियाँ पैदा करना आवश्यक है—

(१) व्यवसाय संस्था का वस्तु की पूर्ण पर नियन्त्रण न होना चाहिए । यह शर्त सभी पूरी हो सकती है जबकि प्रत्येक व्यवसाय संस्था समस्त उद्योग के समस्त उत्पादन का कुछ अंश ही उत्पादन करे । इसका यह अर्थ है कि बाजार में क्रेताओं

(buyers) और विक्रेताओं की बहुत बड़ी संख्या होती चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक विक्रेता इस आधार पर उत्पादन करता है कि वह प्रचलित कीमत पर जितना माल चाहे बेच सकता है।


(२) जिन वस्तुओं का ऋय विक्रय होता है, वे प्रमापीकृत (standardized) होनी चाहिए, अर्थात् सभी व्यवसाय संस्थाएँ एक ही प्रमाण की चीजों का उत्पादन करें और विभिन्न व्यवसाय संस्थाओं की उत्पादित वस्तुओं में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। यदि उत्पादित वस्तुएँ एक प्रमाण की न होंगी तो यह नहीं कहा जा सकता कि व्यवसाय संस्था का कीमत पर नियन्त्रण नहीं होगा क्योंकि कोई व्यवसाय संस्था विशिष्ट उत्पादन की कीमत पर अवश्य ही नियन्त्रण रख सकती है।

(३) क्रेताओं (Buyers) को भी स्वभावतः प्रमापीकृत होना पड़ेगा अर्थात् उन्हें किसी विशेष विक्रेता की वस्तु विशेष के प्रति विशेष आकर्षण नहीं रखना चाहिए। यदि वे ऐसा करेंगे, तो उस विशेष विक्रेता की वस्तु वही नहीं रह जाएगी जो अन्य विक्रेता बाजार में बेच रहे हैं।

(४) व्यवसाय संस्थाओं को किसी उद्योग विशेष में पदापेक्ष करने या उसे छोड़ने की पूरी छूट रहनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यवसाय संस्था का दुर्लभ कच्चे माल पर नियन्त्रण न रहना चाहिए। इस प्रकार यह निश्चित रहेगा कि किसी व्यवसाय संस्था का माल की पूर्ति पर एकाधिकार न होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्पादन के साधनों का पूर्ण गतिशील होना अत्यन्त आवश्यक है।

(५) समान कीमत प्रचलित होने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि क्रेता और विक्रेता दोनों एक दूसरे की इच्छाओं को परस्पर जानें। यदि कोई विक्रेता विशेष, अपनी उत्पाद को अन्य विक्रेताओं की अपेक्षा कम कीमत पर देने को तैयार है तो सभी खरीदार या क्रेता यह बात जान जाएंगे। वे सब उसी विक्रेता के माल को खरीदने पहुँचेंगे। इसका फल यह होगा कि मा तो अन्य विक्रेता भी अपनी वस्तु की कीमत गिराने पर मजबूर होंगे या फिर उस विक्रेता को सारी उत्पाद शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद उसको मजबूरन अपनी वस्तु की कीमत अन्य विक्रेताओं के बराबर करनी पड़ेगी।

अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पूर्ण प्रतिযোগिता के बाजार में व्यवसाय संस्था का वस्तु की कीमत पर नियन्त्रण नहीं होता। वह प्रचलित कीमत को स्वीकार



(चित्र २७)

करती है और इस आधार पर चलती है कि प्रचलित कीमत पर वह जितना माल बेचना चाहे, बेच सकती है। हम रेखाचित्र के द्वारा भी इस निष्कर्ष को रेखांकित कर सकते हैं। रेखाचित्र २७ के द्वितीय भाग में माँग वक्र DD' पूर्ण लोचदार है। व्यवसाय संस्था के सामने

प्रचलित कीमत क्षितिज रेखा पर है यद्यपि उद्योग का माँग वक्र गिरता हुआ वक्र (रेखाचित्र १) है।

५ बाजारों के प्रकार . अपूर्ण प्रतियोगिता (Market Categories : Imperfect Competition)—वास्तविक जीवन में प्रतियोगिता कभी पूर्ण नहीं होती। निम्न-लिखित कारणों और परिस्थितियों से प्रतियोगिता अपूर्ण हो सकती है—


(१) विभिन्न श्रेणी की वस्तुओं का उत्पादन (Product differentiation)—कोई चीज चाहे मुख्य रूप से एक ही उपयोग की हो, किन्तु कभी-कभी उसके अलग-अलग नाम रख दिए जाते हैं। उदाहरणार्थ मैकलीन टचपेस्ट बनाम बिनाका टचपेस्ट। यदि किसी उपभोक्ता के विचार से एक वस्तु दूसरी का पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं है तो ऐसा माना जाएगा कि उत्पादक का अपनी विशेष वस्तु की कीमत पर कुछ नियन्त्रण है।

(२) क्रेता और विक्रेता सम्भवत एक दूसरे की इच्छाओं और पसन्दों का ज्ञान न रखते हो या क्रेताओं की कीमत की मात्रा का या विक्रेताओं की उम कीमत पर पूर्ति की मात्रा का ज्ञान एक एक दूसरे को न हो।

(३) हो सकता है कि क्रेता और विक्रेता एक दूसरे की कीमत सम्बन्धी नीतियों का ज्ञान रखते हो, किन्तु वे उस ज्ञान का लाभ उठाने की क्षमता ही न रखते हो। कभी-कभी स्वभाव, रुढ़िवादिता या पूर्वाग्रह भी इस ओर बाधा डालते हैं अर्थात् वे या तो सबसे सस्ती दुकान से चीजें न खरीदें या विक्रेता सबसे अधिक कीमत देने वाले को न देंगे।

(४) कभी-कभी परिवहन व्यय (transport cost) भी वस्तुओं में भिन्नता उत्पन्न कर देते हैं। परिवहन व्ययों के कारण समान कीमत नहीं रह पाती। फल-स्वरूप कुछ खरीदारों को सस्ती व्यवसाय सस्थाओं से माल खरीदने में रुकावट पैदा होती है।

अपूर्ण प्रतियोगिता में व्यवसाय सस्था का मांग वक्र प्रचलित कीमत (OD) पर पूर्ण लोचदार नहीं रहता। यह झुकता हुआ वक्र है जिसकी लोच असीम (DD) है। ऐसा अनेकों कारणों से होता है जिनका ऊपर वर्णन किया जा चुका है। अर्थात् व्यवसाय सस्था का कीमत के ऊपर कुछ नियन्त्रण है, उत्पादन प्रमाणी-कृत न हो या खरीदार किसी विशेष नाम वाली वस्तु को ही खरीदना पसन्द करे मानो लक्स साबुन के मुकाबले हमाम को पसन्द करें, या एक दूकान को दूसरी की अपेक्षा अधिक पसन्द करें, शायद अधिक सफाई के कारण या उमकी भौगोलिक स्थिति या निकटता के कारण या बिक्री करने वालों (salesmen) के मृदु स्वभाव के कारण आदि आदि। इसका फल यह होता है कि खरीदार किसी विशेष नाम की उसी वस्तु के लिए अधिक कीमत चुकाने को तैयार है, या यह कहिए कि अन्य उसी गुण की वस्तु की कीमत कम होने पर भी कभी-कभी खरीदार दूसरे नाम की उसी वस्तु के लिए अधिक कीमत देता है।



यदि दूसरे नाम की वस्तु का विक्रेता अपनी चीज की कीमत को बढ़ा लेता है तो वह अपने ग्राहकों को खोयेगा नहीं। और यदि वह अपनी चीज की कीमत को गिरा

भी देता है तो भी वह अधिक ग्राहक न बना सकेगा। इसीलिए भ्रक्ता हुआ भाग बच रहता है।

यदि पूण प्रतियोगिता में कीमत OD से ऊपर जाती है तो व्यवसाय सस्था के अपने सारे ग्राहक छिन जाएंग किन्तु अपण प्रतियोगिता म कुछ ग्राहक OD से अधिक कीमत स्वय उसी प्रकार की वस्तु के लिए देने को तयार रहते ह। पूण प्रतियोगिता में यदि कोई व्यवसाय सस्था अपनी कीमत OD से नीचे कर देती है तो वह जितना माल चाहे बेच सकती है किन्तु अपूण प्रतियोगिता में कीमत के गिरान से केवल योडे से ही अतिरिक्त ग्राहक आकर्षित किए जा सकते हं क्योंकि हो सकता ह ग्राहक किनी दूसरे काम की वस्तु को पसंद करते हो और उसके लिए वे पहले की ही ऊंची कीमत देन को तयार हो।

इस प्रकार हमन देखा कि पूण प्रतियोगिता की स्थिति म कोई विक्रता अपनी वस्तु का नामकरण बदलकर भी प्रचलित कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। किन्तु अपूण प्रतियोगिता की स्थिति में जिसको एकाधिकारी प्रतियोगिता भी कह सकते हं विनता कीमत पर प्रभाव डाल सकता है। अपण प्रतियोगिता म एकाधिकारी के समान विनता चाहे तो पूर्ति की मात्रा निश्चित कर सकता है या अपनी वस्तु की कीमत मनमानी रख सकता है।

६ पूण तथा अपूण बाजार (Perfect and Imperfect Markets)—

पूण बाजार और अपूण बाजार के बीच भेद समझ लेना आवश्यक होगा। यह पूण और अपूण प्रतियोगिता से मिलता जुलता है जब सम्भाव्य (potential) विक्रता और ग्राहका को इस बात का ज्ञान होता है कि किन किन कीमतों पर सोदा हो रहे हं दूसरे ग्राहक व विक्रता किस कीमत पर सोदा करने को तयार हं और जब कोई भी ग्राहक किसी भी विक्रता से वस्तु खरीद सकता है तो बाजार पूण कहलाता है। इसके विपरीत परिस्थितियों म बाजार अपूण होता है। ऐसी परिस्थितियों म किसी वस्तु की कीमत सारे बाजार म एक ही रहणी (परिवहन व आयात कर आदि के व्यय निकालकर)। पूण बाजार का यह अर्थ कि क्रताओं तथा विक्रताओं को न सिर्फ पूरा ज्ञान ही होगा बल्कि वे इस ज्ञान का अपने लाभ के लिए पूरा उपयोग भी कर सकेंगे। मान्य के मन्दा म बाजार जितना ही अधिक पूण होगा उतनी ही किसी वस्तु की कीमत का एक समय म बाजार के सब भागो म, एक-सा होने की अधिक सम्भावना रहेगी। पूण बाजार की एक मुख्य विशेषता यह है कि एक ही गुण की विभिन्न वस्तुओं को विभिन्न वस्तुएं माना जाता है। पूण बाजार म एक चीज के लिए एक समय म एक ही कीमत होगा।

इसके विपरीत निम्नलिखित किसी एक कारण होने पर बाजार अपूण हो जाएगा। क्रताओं तथा विक्रताओं को मांग कीमत (demand price) तथा उस कीमत पर वस्तु के बचे जान की मात्रा का एक दूसरे पर प्रभाव का ज्ञान नहीं होता। क्रताओं तथा विक्रताओं म एक दूसरे की मूल्य नीति के ज्ञान का अभाव नहीं होता परन्तु उनम उस ज्ञान के प्रयोग की शक्ति नहीं होती। स्वभाव स्निग्धता पक्षपात अथवा राज्य नियंत्रण उहे मस्त से मन्ने विक्रता से क्रय करने अथवा महंगे-से महंग

खरीदार को बेचने से रोक सकता है। किसी वस्तु की सभी इकाइयाँ एक वास्तविक श्रेणी की नहीं हो सकती। वे एक-दूसरे से या तो स्थान द्वारा अलग की जा सकती हैं अथवा भिन्न तथा अपूर्ण प्रतियोगी मात्राओं में मिल सकती हैं। इसलिए स्वभावतः बाजार में एक ही समय में एक ही वस्तु की कई कीमतें प्रचलित हो सकती हैं। यह अपूर्ण बाजार का लक्षण है। इसके विपरीत पूर्ण बाजार में एक वस्तु की एक ही कीमत रहती है।

दूसरे शब्दों में यदि बाजार में एक वस्तु की एक समय में एक ही कीमत है, तो बाजार पूर्ण समझा जाता है। पर यदि एक ही समय में एक वस्तु की कई कीमतें प्रचलित हैं, तो बाजार अपूर्ण समझा जाता है।

निम्नलिखित कारणों से मार्केट पूर्ण होता है—

(1) स्वतन्त्र और पूर्ण प्रतियोगिता (Free and Perfect Competition)—स्वतन्त्र और पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेतकों और विक्रेताओं के ऊपर किसी प्रकार का भी नियन्त्रण न रहना चाहिए। वे जिसको चाहे बेचें तथा जिससे चाहे खरीदें। स्वतन्त्र और पूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकार के लिए गुजायश नहीं है।

(ii) परिवहन के सस्ते और सुलभ साधन (Cheap and Efficient Means of Transport)—बाजार में एक वस्तु की कीमत तभी समान रह सकती है जबकि कीमत में परिवर्तन की सूचना आसानी से और जल्दी से बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में भेजी जा सके। उसके लिए यह भी आवश्यक है कि वस्तु उस जगह पर, जहाँ वह अधिक कीमत पर विक्रती है, जल्दी आसानी से और सस्ते दामों में भेजी जा सके।

(iii) विस्तृत क्षेत्र (Wide Extent)—कभी-कभी पूर्ण बाजार और विस्तृत बाजार के समान अर्थ समझे जाते हैं। हम इसी अध्याय के अनुच्छेद ३ में कह चुके हैं कि किन किन परिस्थितियों में बाजार का विस्तार निम्न रहता है। हमने बताया था कि किसी वस्तु का बाजार तभी विस्तृत होगा जब कि वह वस्तु एक जगह से दूसरी जगह परिवहन योग्य न हो, टिकाऊ हो, श्रेणीबद्ध करने के योग्य हो और उसकी माँग काफी हो।

अब हम कुछ वस्तुओं के उदाहरण लेकर यह नियम करने का प्रयत्न करेंगे कि उनका बाजार पूर्ण होगा या अपूर्ण।

नियोजित पूँजी (Invested Capital) अर्थात् (स्टॉक तथा बोनड) का बाजार पूर्ण बाजार का बहुत अच्छा उदाहरण है। चूँकि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट (stock exchange market) अधिक संगठित होता है। बोनडों का भाव बताना, सौदे तय करने और उन्हें पूरा करने की रीतियाँ बिल्कुल निश्चित व सर्वविदित होती हैं। कीमतों का परिचलन शीघ्र व सुगम होता है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कठोर-से कठोर कानूनी नियन्त्रण भी इतनी कुशलता से धोखे व जोखिम नहीं बचा सकता, जितनी सफलता से इस प्रकार के बाजारों में नैतिक स्तर को ऊँचा रखकर काम किया जा सकता है।"—(टॉमस)।

मूल्यवान् धातुओं, प्रथम श्रेणी की हुडियो, विदेशी मुद्राओं व महत्त्वपूर्ण बच्चे मालों के बाजार भी बहुत संगठित होते हैं। इसलिए इन चीजों के बाजार को भी पूर्ण बाजार कहा जा सकता है।

उपभोगता माल का मार्केट, जो वास्तव में खुदरा होता है इस तरह कम पूर्ण है। विभिन्न स्थानों में कीमतों में भी काफी अन्तर रहता है। इस प्रकार थोक मार्केट की अपेक्षा खुदरा (retail) मार्केट कम पूर्ण होते हैं।

नियमित, उत्पादकों की वस्तुएँ थोक विकती हैं इसलिए इनके बाजार अधिक पूर्ण होते हैं। थ्रम मार्केट प्रायः अपूर्ण होता है, चूँकि थ्रम अपेक्षाकृत कम गतिशील होता है, उसमें सौदा करने की शक्ति क्षीण होती है और थ्रमिक अधिकतर अज्ञानी होते हैं इसलिए थ्रम का बाजार सामान्यतः अपूर्ण होता है। अस्तु, वास्तविक सम्पदा (real estate) का बाजार सामान्यतः पूर्ण होता है, क्योंकि ग्राहक खरीदने के पहले अत्यधिक कष्ट उठाकर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बाजार में द्रव्य उधार लिया-दिया जाता है और उसकी दर में अप्रति के खतरे और ऋण काल के अनुसार सूद की दरों में अन्तर होता है। विषय रूप से भारत में द्रव्य बाजार (money market) को अपूर्ण समझना चाहिए।

७ अपूर्ण अथवा एकाधिकारी प्रतियोगिता वाले बाजारों का वर्गीकरण (Market Categories under Imperfect or Monopolistic Competition Classified)—अपूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजारों की एक विशेषता यह है कि किसी व्यवसाय संस्था का माँग वक्र (demand curve) पूर्ण लोचदार नहीं होता। इसका यह तात्पर्य है कि उक्त व्यवसाय संस्था का कीमत निर्धारण पर कुछ नियन्त्रण है। इसके परवाह हम अपूर्ण प्रतियोगिता के अधीन बाजारों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। ऐसी अपूर्ण प्रतियोगिता इस कीमत के नियन्त्रण पर आधारित होती है जो कोई व्यवसाय संस्था स्थापित कर सके।

(i) एकाधिकार अथवा सरल एकाधिकार (Monopoly or Simple Monopoly) का अर्थ प्रतिस्थापित वस्तुओं का अथवा प्रतियोगी उत्पाद का न होना है जिससे एकाधिकारी दूसरे माल की कीमत की अपेक्षा अपने माल की कीमत स्वतन्त्र रूप से निश्चित कर सके।

(ii) द्व्यधिकार (Dyopoly) ऐसी स्थिति है जबकि मार्केट में सिर्फ दो व्यवसाय संस्थाएँ होती हैं और प्रमाणीकृत या प्रतिस्थापना योग्य माल की निकामी के लिए उनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा रहती है।

(iii) धोलीगोपली या अल्पजनाधिकार (Oligopoly) ऐसी स्थिति है जिसमें छोटे-छोटे कई दूकानदार होते हैं और उनमें परस्पर होठ चलती है और इस प्रकार प्रत्येक दूकानदार यह कहता है कि उसकी पर्याप्त (output) में मार्केट की कीमत पर असर पड़ेगा। इसलिए कीमत निर्धारित करते समय प्रत्येक व्यवसाय संस्था को प्रतियोगी व्यवसाय संस्था की प्रतिक्रिया का ध्यान रखना होगा।

(iv) एकाधिकारवादी प्रतियोगिता (Polypoly or Monopolistic Competition) ऐसी स्थिति है जहाँ अनेक व्यवसाय संस्थाएँ हैं जो एक ही वस्तु के मुकाबिले की प्रतिस्थापित वस्तुएँ बेचती हैं। प्रतियोगी एकाधिकार (polypoly) में किसी व्यवसाय संस्था का कीमत के निर्धारण पर प्रायः नगण्य प्रभाव रहता है। कारण यह है कि एक ही वस्तु के अनेकों प्रकार बाजार में प्रतियोगिता करते हैं। एकाधि

कारवादी प्रतियोगिता (polypoly) और अल्पजनाधिकार (oligopoly) में मुख्य अन्तर यह है कि एकाधिकारवादी प्रतियोगिता (oligopoly) में कीमत नीति निर्धारित करते समय व्यवसाय संस्था अपनी कीमत नीति का दूसरी व्यवसाय संस्थाओं की कीमत नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी कोई चिन्ता नहीं करती, क्योंकि यदि वह कीमत घटाती है तो अनेकों व्यवसाय संस्थाओं के ग्राहक उसको मिलेंगे अतएव उसे बदले की कार्यवाही का कोई भय नहीं रहता ।

८. स्टॉक विनिमय संगठन (Stock Exchange Organisation)—हमारे यहाँ के स्टॉक विनिमय अधिकतर लन्दन के स्टॉक विनिमय बाजार के आधार पर बनाए गए हैं । इसके सदस्यों के दो वर्ग होते हैं—(१) आडती (jobbers) और (२) दलाल (brokers) ।

आडती स्वतन्त्र रूप से व्यवसाय करते हैं, किन्तु वह जनता से सीधा सम्पर्क नहीं रख सकते । उन्हें दलालों के द्वारा काम करना होता है । इसके विपरीत दलालों को केवल दलाल ही रहना होता है । वे स्वतन्त्र रूप से कोई क्रय-विक्रय नहीं कर सकते । इस विशिष्टता का प्रयोजन धोखे को कम करना है ।

शेअों (Shares) के क्रय-विक्रय की प्रणाली इस प्रकार है । समाहित ग्राहक अथवा विक्रेता को दलालों की एक फर्म में आर्डर देना पड़ता है, जो एक आडती (jobber) के साथ सम्पर्क करते हैं । मान लीजिए 'अ' कुछ हिस्से क्रय करना चाहता है । वह स्टॉक के एक दलाल को उन्हें खरीदने का आदेश देता है । तब दलाल स्टॉक-विनिमय में जाता है, और आडती से मिलकर उन हिस्सों के भाव माँगेगा । स्टॉक विनिमय के नियमों के अनुसार आडती को सदैव क्रय विक्रय के लिए तैयार रहना चाहिए । उसे उन हिस्सों को, जिनकी उसे आवश्यकता नहीं है, क्रय के लिए और उन हिस्सों को भी, जो उसके पाम नहीं हैं, बेचने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए । अतएव आडती को हमेशा दो कीमतें बतानी पड़ती हैं । एक तो वह जिस पर वह खरीदेगा और दूसरी वह कीमत, जिस पर वह बेचेगा । क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जो अन्तर होता है, वही आडती का लाभ होता है । उसे आडती की आडत (jobber's turn) कहते हैं ।

यदि दूसरा पक्ष भाव को स्वीकार कर लेता है तो सौदा तै हो जाता है । अन्य सब स्टॉक और शेअरों के सौदों का भुगतान इस उद्देश्य के लिए निश्चित दिनों में होता है । यह भुगतान के दिन कहलाते हैं । इनमें पहले दिन तो यह निश्चित किया जाता है कि दोनों पक्ष अपने सौदे को पूरा करने में समर्थ हैं अथवा नहीं । मान लीजिए कि ग्राहक अपने खरीदे हुए शेअरों का रकबा चुकाने में असमर्थ है, तो ऐसी दशा में उसका दलाल आडती को अगली भुगतान के दिन तक जो साधारणतया १५ दिन बाद पड़ता है, स्थगित करने को कहेगा । आडती इस सुभाव को मान लेता है, पर खरीदार को उस रकम पर, जो उसे देनी थी, और अब जिसे वह अगले भुगतान के दिन देने की प्रतिज्ञा करता है, ब्याज देना पड़ेगा । इस प्रकार का भुगतान अग्रोनयन-प्रसार (contango) कहलाता है ।

किन्तु यदि खरीदार के पास क्रय करने का रुपया है, पर आडती बेचे हुए शेअरों

का प्रबन्ध नहीं कर सकता, तो आदती भुगतान की टाल के लिए कहेगा। इसके लिए उसे क्षया देना पड़ेगा, क्योंकि अशो क मिलने में देर होने के कारण खरीदार को लाभांश (dividend) की हानि होगी। आदती समय पर शेयर न देने का जुर्माना खरीदार को देना है, वह विलम्बघृति या क्षतिपूर्ति (Backwardation) कहलाता है।

पर यदि दोनों बर्ग सौदे को पूर्ण करने के लिए तैयार व समर्थ हैं, तो अगले दो दिनों में जिन्हे 'अन्त दिन या टिकट दिन' (Intermediate or Ticket Days) कहते हैं, सारी कायंबाही कर ली जाती है। खरीदार का विवरण विक्रेता के पास भेज दिया जाता है, जिससे कि शेयर नियमानुसार, खरीदार के नाम किए जा सकें। चौथे तथा अन्तिम दिन स्पष्ट का भुगतान व शेयरो का प्रदान होता है।

६ स्टॉक विनिमय या स्कन्ध विपणन के लाभ (Advantages of Stock Exchange)—स्टॉक विनिमय या स्कन्ध विपणन के मगठन से अनेक लाभ होते हैं—

(१) यह नियोजित पूंजी (invested capital) के लिए बाजार प्रदान करता है। स्कन्धा और अशो का सन्तोषजनक वर्गीकरण ही सञ्चता है और उनके बेचने व प्राप्त करने में सुगमता होती है। आवश्यकता पड़ने पर शेयरो या अशो का मालिक अपने शेयरो या अशो पर स्टॉक विनिमय या स्कन्ध विपणन द्वारा नकदा प्राप्त कर सकता है।

(२) इस मगठन की व्यापारिक नैतिकता निवेशको (investors) में विश्वास पैदा करती है तथा फलस्वरूप स्टॉक विनिमय व्यापार प्रारंभ उद्योग में नवीन पूंजी आवर्षित करने में बड़ी मदद करता है। यदि नियोजित पूंजी भासानी से प्राप्त न की जा सके तो नवीन पूंजी को व्यापारिक और औद्योगिक व्यवसायो में आने का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।

(३) स्टॉक विनिमय (Stock Exchange), स्कन्धो और अशो के सौदे को सुगम व सस्ता बना देता है और इससे पूंजी की गतिशीलता और परिवर्द्धन में सुगमता होती है।

(४) प्रतिभूतियो या सिक्कूरिटियो का 'सही मूल्य' स्टॉक-विनिमयो या स्कन्ध विपणन में निश्चित होता है। इसमें काम करने वाले काम में निपुण होते हैं और वह स्टॉक की सही कीमत, जो उसकी प्राप्ति पर निर्भर करता है अनुमान कर सकते हैं। निस्सन्देह कभी-कभी स्टॉक विनिमय में सट्टा करने वाले सिक्कूरिटियो की कीमत ऊपरी सीर से बढ़ा देते हैं और कभी अनुचित रूप से गिरा भी देते हैं। परन्तु इस प्रकार के परिवर्तन अस्थायी होते हैं। कभी न-कभी कीमत अवश्य ही अपने सही स्थान पर आ जाती है।

१० उत्पाद विनिमय (Produce Exchange)—जिस प्रकार स्टॉक या स्कन्धो तथा अशो या शेयरो के क्रय विक्रय के लिए विनिमय होते हैं, उसी प्रकार उत्पाद-विनिमय भी होते हैं, जिनमें गेहूँ, चना, कपास व सन आदि में सट्टा (speculation) होता है। इन उत्पाद विनिमय बाजारो के विभिन्न नाम होते हैं, जैसे 'गल्ला व्यापारी सघ', 'कम्पनी' या 'चैबर' आदि। केवल सघ की ओर से मान्य सदस्य ही सौदे कर सकते हैं। सघ के पास विभिन्न फर्मों की, जिनके साथ

सदस्य सौदे कर सकते हैं, एक सूची होती है। केवल वे ही व्यक्ति इन कम्पनियों के सदस्य हो सकते हैं जिनके पास काफी जायदाद आदि हो। प्रवेश शुल्क बहुत अधिक होता है।

एक कोठा (५०० मन) से कम परिमाण की वस्तु में सौदा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को सौ रूपए प्रति कोठे की गुजाइश (margin) रखनी पड़ती है। यह गुजाइश कभी १०० रूपये से कम नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो या तो समिति सौदे को रद्द कर देती है अथवा इसके पहले की गुजाइश हानि को पूरा करने में पर्याप्त न रहे, सौदा तय कर लेती है।

सौदे दो प्रकार के होते हैं—(१) हाजिर माल (Spot); इसका आशय यह है कि सौदा तुरन्त पूर्ण हो जाना चाहिए। (२) वायदा (Forward Transactions) अर्थात् जब सौदा वर्तमान मूल्य के अनुसार हो तो वस्तु का प्रदान एक निश्चित तिथि पर भविष्य में होता है।

इस प्रकार के सब सौदे हिन्दुस्तानी महीनों के अनुसार होते हैं, जैसे, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, भादो, असोज, मगहर, माघ आदि। पहले १५ दिन में विक्रेता को यह अधिकार होता है कि ग्राहक को वस्तु लेने के लिए कहे और बाद के १५ दिनों में माँगने का अधिकार खरीदार को होता है। महीने के अन्तिम दिन पर खरीदार व विक्रेता दोनों में से कोई भी माल लेने या देने की सूचना दे सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई ज्येष्ठ, आषाढ का सौदा है, तो १६ ज्येष्ठ से ज्येष्ठ के महीने के अन्त तक किसी भी दिन विक्रेता माल ले लेने की सूचना दे सकता है। खरीदार १ आषाढ से १४ आषाढ तक कभी भी माल माँग सकता है। आषाढ की १५ तारीख को, जो उस मास का आखिरी दिन है, और जिस दिन के लिए सौदा किया गया था, खरीदार या विक्रेता दोनों में से कोई भी माल उठाने अथवा देने की सूचना दे सकता है।

यदि खरीदार माल उठाने में, उस समय जब उससे कहा जाए, असमर्थ होता है, या विक्रेता समय पर माल नहीं दे सकता, तो कम्पनी सौदे को पूर्ण कर देती है। यदि इससे कोई हानि होती है तो वह उसको परी करनी पड़ती है जिसके कारण कि वह हानि हुई। जब खरीदार माल माँगता है, तो उसे कुल माल का २५ प्रतिशत मूल्य (value) कम्पनी के पास जमा कर देना पड़ता है, और विक्रेता माल सौप देने के बाद कम्पनी से मूल्य ले सकता है।

पर यदि दोनों में से कोई भी पक्ष सौदा पूर्ण करने में असमर्थ होता है, तो उसे नई कीमत पर, जो दूसरे पक्ष के लिए सुविधाजनक हो, सौदा रखने की आज्ञा मिल जाती है। किन्तु इसके पूर्व पुरानी रकम का भुगतान हो जाना चाहिए और उस भुगतान का अन्तर उस पक्ष को मिलना चाहिए, जिसे कीमत के परिवर्तन से लाभ हुआ हो, अर्थात् यदि कीमत गिर गई हो तो खरीदार को अन्तर का भुगतान करना ही होगा।

११. सट्टा (Speculation)—विभिन्न बाजारों में सौदे केवल क्रय-विक्रय के लिए ही नहीं होते, बल्कि सट्टे के लिए भी होते हैं। सट्टे में व्यापारी वस्तुओं को किसी विशेष समय में होने वाली कीमतों के परिवर्तन के लाभ की आशा से खरीदते

अथवा बेचते हैं। जब कीमतों के हेर-फेर से लाभ उठाने के लिए सौदा वर्तमान कीमत पर करने के पश्चात् उसकी व्यवस्था किसी भविष्य की निश्चित तिथि के लिए कर दी जाती है तो उस सौदा करने को सट्टा कहते हैं।

इसलिए सट्टे की शर्तें ये हैं (क) सौदा चालू कीमत (current price) पर किया जाता है। (ख) इसका भुगतान किसी भावी तिथि (future date) में होता है। (ग) यह सौदा किसी लाभ के लिए किया जाता है। इसमें माल लेना या देना नहीं होता, केवल अन्तर की रकम ही दी जाती है। सट्टे को भविष्य का व्यवसाय (dealings in future) भी कहते हैं। जिस वस्तु की माँग काफी विस्तृत है और जिसको उचित रूप से ग्रेड (grade) दिया गया है और जिसकी कीमत चढती-उतरती (fluctuating) है वह मर्च के लिए उपयोगी होती है—

सट्टा दो प्रकार का होता है—

(1) बंध सट्टा (Legitimate Speculation)—इस प्रकार के सट्टे में उन लोगों की गतिविधि (activity) शामिल है जो अपने कार्य में प्रवीण होते हैं। वे हर काम वैज्ञानिक और सही रीति से करते हैं। वे माँग की भविष्यवाणी करने व भविष्य की पूर्ति (supply) का अनुमान लगाने का प्रयत्न करते हैं। इस काम के लिए वे सभी प्रकार के झंझड़ों की सूचनाओं का प्रयोग करते हैं। वे काम में आने वाली हर प्रकार की सूचना को इकट्ठा करके भविष्य के उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाते हैं। इन्हीं वैज्ञानिक तथा सचेत गणनाओं के आधार पर वे सौदे करते हैं और यही वास्तविक सट्टा होता है।

(ii) अवैध सट्टा (Illegitimate Speculation)—यह सर्वथा जुमा होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको माँग और पूर्तियों की शक्तियों का ज्ञान नहीं होता। वे बिना सोचे समझे अंधे होकर सौदा कर लेते हैं। इस प्रकार के सट्टोरिये बाजार भाव को अपने अनुमान बताने का प्रयत्न करते हैं। प्रायः इनका अनुमान सही की अपेक्षा गलत अधिक होता है। यह स्पष्ट जुमा खेलने के समान है। अक्सर इस प्रकार के नासमझ सट्टोरिये अपने को बरबाद कर लेते हैं।

उचित व अनुचित सट्टे में केवल इतना अन्तर है कि पहले में निपुण सट्टोरिये काम करते हैं और दूसरे प्रकार के सट्टे का सम्बन्ध नाममझ सट्टोरियो से है जो निपुण सट्टोरियो के अर्थ सिध्य होते हैं, पर सौदा एक ही प्रकार का करते हैं। यदि इसी सौदे को निपुण सट्टोरिये करते हैं तो वह बंध होता है अन्यथा अवैध।

सट्टे का वर्गीकरण प्रतियोगी सट्टा (competitive speculation) तथा एकाधिकारी सट्टा (monopolistic speculation) के रूप में हुआ है। पहले वर्ग के सट्टोरिये कीमतों पर प्रभाव डालने अथवा नियंत्रण करने में अपने को समर्थ नहीं पाते। इसके विपरीत एकाधिकारी सट्टोरिये बड़े बड़े सौदों में अपने भारी वित्तीय खर्च लगाकर, जान-बूझकर कीमतों में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। ऐसे सट्टोरिये कीमतों में उतार-चढ़ाव कम करने की अपेक्षा बढ़ाते हैं। इस प्रकार के हस्तक्षेप से वे प्रतियोगी अर्थ-व्यवस्था की स्वतन्त्र कार्यवाही में बाधा डालकर उसे बिगाड़ते हैं और किसी समुदाय के स्रोतों के अनुकूलतम (optimum) वितरण को रोकते हैं।

सट्टे के बाजार में प्रयोग में आने वाले कुछ शब्द^१ ये हैं—बुल्ल (Bulls) वे लोग होते हैं जो इस आशा से स्टॉक और ग्रश खरीदते हैं कि मूल्य में वृद्धि होगी।

बियर्स (Bears)—बियर्स वर्तमान में इसलिए विक्रय करते हैं कि उन्हें यह भय होता है कि भविष्य में कीमत गिरेगी। जब कीमत बढ़ रही है तो बाजार "तेजी" (bullish) का मूल्यारोहण कहलाता है। एक-से मूल्यों के बाजार को 'मूल्यपात' अथवा "मन्दी" का बाजार (bearish or mandi) कहते हैं।

द्वंद्व रक्षण (Hedging)—जब व्यवसायी या उत्पादक कीमतों के उतार-चढ़ाव के जोखिम से बचने के लिए कोई तरीका करता है, तो उसे द्वंद्व-रक्षण अथवा अफ्रेजी में (hedging) कहते हैं। उसे कई महीनों के लिए कच्चा माल खरीदकर रखना पड़ता है। यदि कीमत गिर जाए तो उसे हानि होगी। ऐसी परिस्थितियों में वह यह सोचेगा कि उसे अपनी खरीदारी को टाल देना चाहिए था। यदि कीमत बढ़ जाती है तो उसे लाभ होता है। वह अपने उत्पादन-कार्य में जोखिम लेने के लिए तैयार होता है, पर कच्चे माल के मूल्यों के उतार चढ़ाव में नहीं। वह उससे बचना चाहता है। इसे वह कैसे कर सकता है ?

उदाहरण के लिए एक आटा पीसनेवाले को ले लीजिए। उसने १०) ६० प्रति मन के हिसाब से २०,००० मन गेहूँ लिया। पर बाद में मूल्य गिरकर ८) ६० प्रति मन हो गया। इससे उसे २) ६० प्रति मन अर्थात् ४०,०००) ६० की हानि हुई। पर यदि मूल्य बढ़कर १२) ६० प्रति मन हो जाए तो उसे ४० ०००) ६० का लाभ होगा। वह यह प्रयत्न करेगा कि इस हानि की सम्भावना न रहे, चाहे लाभ हो अथवा न हो। ऐसी परिस्थिति में वह द्वंद्व रक्षण (hedging) का सहारा लेगा। जब वह १०) ६० प्रति मन के भाव से २०,००० मन गेहूँ स्थायी बाजार में खरीदता है तो उसी कीमत पर भविष्य बाजार में बेच देता है। अब मान लीजिए, कीमत गिरकर ८) ६० प्रति मन हो गयी और उसे स्थायी बाजार में ४०,०००) ६० का घाटा हुआ। पर भविष्य के बाजार में उसे ४० ०००) ६० का लाभ होगा, क्योंकि तब उसे, ८) ६० प्रति मन के हिसाब से गेहूँ मिलेगा और वह उसे १०) ६० प्रति मन के भाव से बेचेगा। इस प्रकार एक सौदे की हानि दूसरे सौदे के लाभ से पूरी हो जाती है। और इस प्रकार न उसकी हानि होती है और न लाभ, और वह यही चाहता था। वह अपने आटा पीसने के व्यवसाय के लाभ के अतिरिक्त किसी प्रकार की हानि अथवा लाभ का भार उठाना नहीं चाहता।

विकल्प (Options)—सटोरिया विकल्प खरीद लेता है, जिसके द्वारा वह हानि वाले सौदे में से निवृत्त सकता है। विकल्प तीन प्रकार के होते हैं —

(१) याचना विकल्प (Call Option)—मान लीजिए, मैंने १०) ६० मन के हिसाब से गेहूँ लिया किन्तु भुगतान के समय उसकी कीमत गिरकर ८) ६० प्रति मन रह गयी। इस प्रकार मुझे २) ६० प्रति मन की हानि हुई। पर मैंने यदि याचना-

१ इन शब्दों का प्रारम्भ इस प्रकार हुआ, सब अपने शत्रु को ऊपर और रीढ़ नीचे पेंक देता है।

विकल्प अर्थात् एक आना मन देकर, खरीदने या न खरीदने का अधिकार खरीद लिया है तो मे १ आना फी मन देकर मैं न खरीदने के विकल्प का प्रयोग करूँगा। इस प्रकार २) ६० मन के स्थान पर मुझे केवल एक आना फी मन का घाटा होगा।

(ii) बेचने अथवा न बेचने का विकल्प (Put Option)—मैंने ५,००० मन रोहूँ १०) ६० फी मन के हिसाब से बेचने का सौदा किया, किन्तु नियत तिथि पर बाजार भाव १२) ६० हो गया। इससे मुझे २) ६० प्रति मन का घाटा होगा अर्थात् कुल १०,०००) ६० का। पर यदि मैंने (Put Option) खरीद ली है, तो मुझे बेचने से इनकार कर देने का भी अधिकार होगा। किन्तु विकल्प ले लेने से मेरी हानि कुल सौदे की हानि की तुलना में नाममात्र की होगी।

(iii) दोहरी विकल्प (Double Option)—इस प्रकार के विकल्प से मुझे इस बात का अधिकार हो जाएगा कि मैं अपना हानि-लाभ ध्यान में रखकर वस्तु खरीदूँ अथवा बेच दूँ। पर इस दोहरी विकल्प को खरीदकर मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे लाभ ही होगा। क्योंकि लाभ या हानि इस बात पर निर्भर करता है कि मैंने विकल्प की क्या कीमत दी है तथा कीमत में परिवर्तन की क्या सीमा है। यदि मैंने दोहरे विकल्प के लिए ४ आने प्रति मन दिया है और कीमत में परिवर्तन भी ४ आने के बराबर ही हुआ है, तो न हानि होगी, न लाभ। पर यदि उतार-चढ़ाव इससे अधिक होगा तो मैं खरीदने अथवा बेचने के अपने अधिकार को प्रयोग में लाकर लाभ उठा लूँगा। पर यदि कीमत परिवर्तन दोहरे विकल्प से कम हुआ, तो मुझे अवश्य ही हानि होगी।

१२ सट्टे के लाभ और खतरे (Benefits and Dangers of Speculation)—आधुनिक व्यापार व्यवसाय में सट्टे का एक महत्त्वपूर्ण और लाभप्रद स्थापन है। इसके अपने अनेक निजी लाभ हैं। संपन्न के नियत भाग में मॉग व पूर्ति की शक्तियों को समान करके यह कीमत को स्थिर रखता है। मान लीजिए, कपास की वर्तमान कीमत १०) ६० प्रति मन है और एक प्रभावशाली सट्टोरिया इस निर्णय पर पहुँचता है कि कीमत १८) ६० तक बढ़ेगी। इस निर्णय के आधार पर वह अधिक-से-अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न करेगा। दूसरे सट्टोरिये भी यही करेंगे। इससे कपास की माँग अनायास ही बढ़ जाएगी, और फलस्वरूप उसके भाव में वृद्धि हो जाएगी। थोड़े ही समय में कीमत बढ़कर १०) ६० से १३) ६० हो सकती है। यदि सट्टा न होता तो कीमत बढ़कर १८) प्रति मन हो गयी होती, पर सट्टोरियों ने भविष्य में बेचने के लिए कपास बड़ी मात्रा में खरीद ली। इससे भविष्य में पूर्ति बढ़ जाएगी और फलस्वरूप कीमत उतनी नहीं बढ़ेगी, जितनी बढ़ने की आशा थी। बहुत सम्भव है कि १८) ६० प्रति मन के बजाय यह १५) ६० पर ही रुक जाए। इससे अर्थ यह हुए कि सट्टे के कारण कीमत का अन्तर घटकर (१८-१०) ६० से २) ६० (१५-१३) ६०) रह गया।

कीमतों में भीषण परिवर्तन समाज के लिए हानिकारक होता है। स्थिर कीमतें (steady prices) (१) उपभोक्ता, (२) उत्पादन, तथा (३) समस्त समाज के लिए बहुत लाभदायक होती हैं।

(1) जब कीमतें स्थिर होती हैं, तो उपभोक्ता अपने व्यय का अधिक सही अनुमान लगा सकता है। कीमतों के भीषण परिवर्तन से उसके पारिवारिक बजट में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है जिससे पारिवारिक आर्थिक जीवन में अनिश्चितता आ जाती है।

(ii) उत्पादन को भी सटोरियों के कार्यों से लाभ होता है। वर्तमान औद्योगिक प्रणाली में माँग के बहुत पूर्व ही उत्पादन कार्य प्रारम्भ हो जाता है। यदि कच्चे माल की कीमतों में भीषण उतार चढ़ाव होंगे, तो उत्पादक के सारे हिसाब उलट-पलट जाएँगे। सटोरियाँ इस भय को कम कर देती हैं।

(iii) यही नहीं, सट्टे से मारे समाज को लाभ होता है, क्योंकि अपने कार्यों से सटोरिय समाज का ध्यान भविष्य में सम्भावित वस्तु की कमी अथवा अधिकता की ओर आकर्षित करते हैं। यदि वस्तु कम होने वाली है तो हम नियन्त्रण से काम लेना चाहिए। और यदि उसकी पूर्ति बढ़ने वाली है तो उसको अधिक परिमाण में रखना अनावश्यक व जोखिम से भरा होगा।

(iv) सटोरियों से वस्तु के आर्थिक वितरण में भी काफी सहायता मिलती है। वे अपने कार्य में कुशल होते हैं। वे केवल यही नहीं जानते कि कीमतें कब घटेंगी अथवा बढ़ेंगी बल्कि यह भी जानते हैं कि कीमत कहीं अधिक है और कहीं कम। वस्तु की गति उस ओर होती है जहाँ कीमतें अधिक होती हैं। "सटोरियाँ वर्तमान पूर्ति में कोई बृद्धि नहीं कर देती, यह उनको घटाता भी नहीं है, पर उसके कार्य वर्तमान व भविष्य की माँग व पूर्ति को समता की ओर लाते हैं।" और हम कह सकते हैं कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान को मिताना है।

(v) स्कन्ध विनिमय में सट्टा, स्टॉक या स्कन्ध विनिमय के सौदे सुगम करके पूँजी बढ़ाता है, तथा पूँजी लगाने वाले का मार्गदर्शक का काम करता है। यह नई पूँजी को बढ़ाने में सहायक होता है।

निर्देश पुस्तकें

- Robinson, Joan The Economics of Imperfect Competition.
 Chamberlain, E H The Theory of Monopolistic Competition,
 Ch I
 Pigou, A C Economics of Welfare.
 Marshall, A Principles of Economics (1936), pp 112, 322-32
 Benham, F Economics (1940), pp 20-42.

अध्याय १७

लागत वक्र तथा पूर्ति वक्र

(Cost Curves and Supply Curves)

१ भूमिका (Introduction)—मूल्य निश्चय करना (valuation) अर्थ-शास्त्र की मुख्य समस्या है। दो प्रकार की शक्तियों (अर्थात् पूर्ति तथा माँग) के आधार पर मूल्य (value) निश्चित होता है। अब तक हमने माँग का अध्ययन किया है। अब हम पूर्ति के विषय में अध्ययन करेंगे।

२ पूर्ति तथा स्टॉक (Supply and Stock)—पूर्ति से हमारा तात्पर्य उस राशि से है जो हम किसी मूल्य विशेष पर बिक्री के लिए देते हैं। हम पूर्ति की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं कि 'पूर्ति किसी वस्तु की मात्राओं की वह अनुसूची है जो विक्रय के लिए विभिन्न कीमतों पर किसी समय में, उदाहरणार्थ एक दिन, एक सप्ताह आदि जिसमें पूर्ति की सभी दशाएँ स्थिर हो प्रस्तावित की जाए।'¹ मेयर्स

परन्तु पूर्ति और स्टॉक में अन्तर है। स्टॉक तो वस्तु के उस सम्पूर्ण परिमाण को कहते हैं जो थोड़ा समय कभीतर बाजार में बिकने के लिए रखा जा सकता है और पूर्ति का अर्थ उस मात्रा से है जो बाजार में बिक्री के लिए वास्तविक मात्रा में लाई जाती है। इस वर्ग में शीघ्र नष्ट होने वाली मछली व फूल जैसी वस्तुओं की पूर्ति तथा स्टॉक की समान गणना होती है। क्योंकि जितना माल भी स्टॉक में है वह जल्दी से जल्दी बिक ही जाना चाहिए अन्यथा वह नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो वस्तुएँ शीघ्र नष्ट नहीं होती उनको कीमत अनुकूल न होने पर विक्रय से रोका जा सकता है। यदि कीमत अधिक है तो विक्रेता कुछ मात्रा का अधिक भाग बेचने को तैयार होते हैं पर यदि वस्तु की प्रचलित कीमत कम होती है तो स्टॉक राशि का बहुत थोड़ा सा भाग विक्रय के लिए निकाला जाता है। मक्षेप में स्टॉक ही का दूसरा नाम सम्भावित पूर्ति (potential supply) है।

३ उत्पादन की लागत (Cost of production)—वे समस्त व्यवसाय संस्थाएँ जो एक ही वस्तु का उत्पादन करें किसी उद्योग का निर्माण करती हैं। बाजार का पूर्ति वक्र माल की उस समस्त मात्रा का निर्देश करता है, जो उस उद्योग की सभी व्यवसाय संस्थाओं ने बिक्री के लिए प्रस्तुत किया है। बाजार की पूर्ति का वक्र प्राप्त करने के लिए हमको पहले अलग अलग व्यवसाय संस्थाओं की पूर्ति के वक्र प्राप्त करने होंगे। इस प्रकार हम किसी व्यवसाय संस्था की लागत की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। उत्पादन लागत नाम मात्र (nominal) भी हो सकती है और वास्तविक

1 We may define supply as a schedule of the amount of a good that would be offered for sale at all possible prices at any one instant of time or during any one period of time, for example a day a week and so on in which the conditions of supply remain the same. (Meyers)

(real) भी । उत्पादन की नाम मात्र लागत द्राविक लागत खर्च (money cost of production) कहलाता है । इसे उत्पादन पर आने वाला खर्चा भी कहते हैं । “द्राविक पर्दे को छेदने” के कई प्रयास किए गए । इसके बाद वास्तविक उत्पादन पर लागत का अन्दाज लगाने के कई प्रयत्न हुए । उत्पादन की वास्तविक लागत के कई अर्थ लगाए जाते हैं । एडम स्मिथ (Adam Smith) ने श्रमिक के कपटो और त्यागो को वास्तविक लागत माना है । मार्शल (Marshall) ने इसके अन्तर्गत “विभिन्न योग्यताओं के प्रयत्नो की वास्तविक लागत” और “प्रतीक्षा की वास्तविक लागत” शामिल किया है ।¹ मार्शल ने इसे सामाजिक लागत कहा है । आस्ट्रेलिया के अर्थ-शास्त्रियों ने और उनके अनुयायियों ने वास्तविक लागत को एक नया रूप दिया है । उनके अनुसार एक विशेष जिस की वास्तविक लागत “उस जिस की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला आगामी सर्वश्रेष्ठ त्याग है ।” इसे अवसर लागत (opportunity cost) अथवा विस्थापन लागत (displacement cost) भी कहते हैं ।

यहाँ हम उत्पादन की लागत का प्रयोग द्राविक लागत आदि शब्दों (terms) के प्रयोग के संदर्भ में करेंगे । इसे उद्यमी की लागत कहते हैं । अतएव हम उद्योगपति की उत्पादन लागत की विवेचना करती हैं और देखना है कि ऐसी लागत कीमत को किस भाँति प्रभावित करती है । बाद में इन द्राविक लागतों के आधार पर हम उन आधारभूत तत्त्वों का निष्कर्ष निकालेंगे जो कीमत निर्धारित करते हैं ।

उद्यमी की उत्पादन लागत में निम्न तत्त्व सम्मिलित रहते हैं²—(i) श्रमिक की मजदूरी (wages of labour), (ii) पूँजी पर ब्याज (interest on capital), (iii) भूमि अथवा दूसरी सम्पत्ति का किराया (लगान) अथवा ‘रायस्टी’ (iv) कच्चे माल की लागत, (v) मशीनों को ठीक करवाने अथवा बदलवाने पर व्यय, तथा (vi) उद्यमी का लाभ, जिसके आधार पर वह उत्पादन को चालू रख सके । लागत का वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है—(१) उत्पादन लागत जिसमें माल की लागत, मजदूरी लागत, ब्याज लागत आदि अर्थात् परोक्ष तथा अपरोक्ष दोनों प्रकार की लागतें शामिल हैं; (२) विक्री लागत, जिसमें विज्ञापन की लागत शामिल है, तथा (३) दूसरी लागतें, जिसमें धीमा के दाम, दर तथा कर आदि शामिल हैं ।

४ प्रमुख और पूरक लागत (Prime [Variable] and Supplementary [Fixed] Cost)—उद्यमी की द्राविक लागत को एक अन्य दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है । कुछ लागतें विकासो के अनुगत से थोड़ी या बहुत भिन्न-भिन्न होती हैं, जबकि अन्य स्थिर रहती हैं और पहले की भाँति भिन्न नहीं होतीं । पहली को प्रमुख लागत और दूसरी को पूरक लागत अथवा ऊपरी लागत (overhead) कहते हैं । उन का भुगतान अवश्य होना चाहिए, भले ही वस्तु का उत्पादन अस्थायी रूप से स्थगित क्यों न हो । यह पूरक लागत है और इनमें कारखाने का किराया, मशीनों में लगी पूँजी का ब्याज और स्थायी कर्मचारियों का वेतन सम्मिलित रहता है । दूसरी ओर

1 Marshall A Principles of Economics (8th edition), p 310

2 अधिक जानकारी के लिए—

Meade Economic Analysis and Policy, pp 2-5

प्रमुख लागत (prime costs) परिवर्तनीय खर्च होते हैं। यह लागत पैदावार में भेद होने से बढ़ती रहती है। इसमें उत्पादन में प्रयोग में आने वाले कच्चे माल की लागत और अनियमित व्ययों की मजदूरी सम्मिलित होती है। यह व्यय तभी होने है जब फ़ैक्टरी चालू रहती है।

प्रमुख (परिवर्तनीय) और पूरक (स्थिर) लागत खर्च का अन्तर केवल अल्प कालीन समय में नागू होता है। कोई भी वस्तु अल्प समय तक स्थिर नहीं रह सकती। कालांतर में वस्तु-चारिया में हेर-फेर हो सकता है। नगी हुई पूँजी की रकम में भी नतीजा सकता है और फ़ैक्टरी के आकार में भी अन्तर पड़ सकता है। अतएव दीर्घकाल में सभी व्यय परिवर्तनीय अथवा प्रमुख होते हैं।¹

५ सकल औसत या माध्य और सीमांत लागत (Total Average and Marginal Costs) — निम्नलिखित तालिका का देखिए—

एक व्यवसाय संस्था की उत्पादन लागत


उत्पादन की इकाईयाँ	सकल पूरक लागत	सकल लागत	औसत पूरक लागत	माध्य प्रमुख लागत	माध्य लागत	सीमांत लागत
१	२	३	४	५	६	७
०	३०	०	३०	—	०	—
१	३०	१०	४०	४०	४०	४०
२	३०	२०	४५	२२.५	३५	३५
३	३०	२५	४८	१६	३२	३२
४	३०	३२	४८	१२	३०	३०
५	३०	४०	४८	९.६	३०	३०
६	३०	५२	४८	८	३०	३०

किसी वस्तु की सकल लागत में सकल प्रमुख (variable) लागत तथा सकल पूरक (fixed) लागत का योग रहता है। जहाँ तक सकल पूरक लागत (fixed cost) का सम्बन्ध है वह उत्पादन की सभी इकाइयों के लिए समान रहती है, किन्तु क्या क्या उत्पादन बढ़ता है, तथा तथा प्रमुख लागत में वृद्धि होती जाती है। जब उत्पादन शून्य हो जाता है तो प्रमुख लागत (variable cost) भी शून्य हो जाती है, उत्पादन में बढ़ने से प्रमुख लागत भी बढ़ती है। किन्तु उत्पादन की वृद्धि का अनुपात समान नहीं रहना। प्रारम्भ में प्रमुख लागत (variable cost) शीघ्रता से बढ़ती है किन्तु क्या क्या उत्पादन का पैमाना बड़ा होता जाता है प्रमुख लागत की वृद्धि में कुछ कमी होती जाती है, यद्यपि कभी कभी बाद में प्रमुख लागत भी तेजी से बढ़ती है। ऐसा उस समय होता है जबकि उत्पादन में इकाइयों से ५ इकाई तक जा पहुँचता है। ऐसा इस कारण होता है कि प्राथिक क्रियायतों का अनुसन्धान प्रकाशक महत्व हो जाता है।


कुल लागत वक्र जिसमें स्थिर (पूरक), परिवर्तनीय (कीमत लागत) तथा औसत लागत शामिल हैं इनका निम्नलिखित लागत वक्र¹ द्वारा निरूपण किया जा सकता है।

रेखाचित्र (1) में SS पूरी लागत का वक्र है जिसमें स्थिर लागत भी है (जिसे वक्र ST तथा X-axis के बीच में दिखाया गया है) और परिवर्तनीय (variable) लागत भी (जिसे SS और ST वक्र के बीच में दिखाया गया है)।

प्रति इकाई माध्य लागत वह सकल लागत है जो उत्पादन की इकाइयों से भाग आने पर आएगा। यह माध्य पूरक लागत (average fixed cost) तथा माध्य प्रमुख लागत (average variable cost) का योग है। रेखाचित्र (1) में हमने माध्य पूरक लागत वक्र (average fixed cost curve) तथा माध्य प्रमुख लागत वक्र (average variable cost curve) खींचे हैं। सकल पूरक लागत (total fixed cost) उत्पादन की प्रत्येक इकाई के लिए समान है, अतः माध्य पूरक लागत वक्र झुकता हुआ वक्र है जो आयत अर्धवृत्त (rectangular hyperbola) की शकल में है। माध्य प्रमुख लागत वक्र (AVC) पहले झुकता है फिर ऊंचा उठ जाता है ज्यों ही विशाल उत्पादन की किरायायें प्रमुख हो जाती हैं। इन दोनों लागतों को



(1)



चित्र २६

(ii)

जोड़ देने से हमको माध्य लागत वक्र (average cost curve) मिलता है (AC) जो उत्पादन की प्रति इकाई के अनुसार है। पहले-पहल औसत लागत बड़ी स्थिर लागत तथा थोड़ी पैदावार के कारण बहुत ऊंची है। जैसे पैदावार बढ़ती है, स्थिर लागत इकाई उत्पादन की बड़ी संख्या के ऊपर फैली हुई है, और औसत लागत गिरती है। इसका कारण कई आन्तरिक किरायायें (internal economies) तथा अविभाज्य साधनों का प्रयोग है। लेकिन जब घटती हुई प्राप्ति का नियम प्रबन्ध की अमुविधा तथा मशीनों की कमी के कारण शुरू होता है, तो प्रमुख (variable) लागत और इसलिए औसत लागत बढ़ना शुरू हो जाती है। वक्र के नीचे का भाग मुड़कर U की शकल की तरह होता है।

¹ Easily understandable cost curves of all types will be found in Tarshus Elements of Economics Chp 6-9


सीमान्त लागत, सकल व्यय में, उत्पादन में साधारण वृद्धि के कारण, वृद्धि है। सीमान्त लागत वक्र (MC) रेखाचित्र (ii) में प्रथम तो प्रमुख लागत के विपरीत प्रयोग के कारण ज्या-ज्या उत्पादन बढ़ता है त्या-त्याँ वह गिरता है किन्तु बाद में वह उठता है ज्यों-ज्यों अधिक उत्पादन प्रमुख लागत के विपरीत प्रयोग के साथ बढ़ता जाता है।

यह देखा जा सकता है कि औसत बदलती या माध्य प्रमुख लागत गिरती जाती है जब तक कि सीमान्त लागत इसके नीचे है लेकिन यह जहाँ पर MC रेखा AVC को काटती है बढ़ना शुरू हो जाती है। सीमान्त लागत सदा औसत बदलती या माध्य प्रमुख लागत से जल्दी बढ़ेगी। ऐसा ही सम्बन्ध सीमान्त लागत तथा औसत लागत में है।

ऐसी चीजें जो लागत का प्रभावित करती हैं वे ये हैं—(i) पैदावार का स्तर (level of output), (ii) उत्पादन के साधनों के लिए दी गई कीमत में परिवर्तन, (iii) उत्पादन के तरीकों में जल्दति, और (iv) बल और कारखानों की शक्ति में या आकार में परिवर्तन। आखिरी दशा में नई औसत पूरी लागत वक्र (average total cost curve) (ATC) पहले-पहल जबकि पैदावार कम है पुरानी औसत पूरी लागत वक्र (ATC) के ऊपर होगी, लेकिन जब पैदावार काफी बढ़ गयी हो तो नया वक्र पुराने वक्र के नीचे होगा।

यह याद रखना चाहिए कि प्रमुख या परिवर्तनीय लागत की वृद्धि से सीमान्त लागत (marginal cost) तथा औसत कुल लागत (average total cost) बढ़ जायेंगी। लेकिन स्थिर लागत के बढ़ने से औसत पूरी लागत बढ़ सकती है और सीमान्त लागत नहीं बढ़ेगी क्योंकि सीमान्त लागत के माने होते हैं एक बढ़ती इकाई की उत्पादन के द्वारा पूरी लागत में वृद्धि करना। और यह उचित नहीं होगा कि इस इकाई पर वेतन, व्याज एवं किराए में वृद्धि के दान को लादा जाए। इनमें जो वृद्धि होती है वह अपनी इकाई के उत्पादन के द्वारा नहीं होती।

४ सकल लागत वक्र से सीमान्त लागत वक्र और माध्य लागत वक्र का पता लगाना (Deriving Marginal and Average Cost Curves from Total Cost Curve)—रेखाचित्र ३० में SS सकल लागत वक्र (total cost curve) है। यदि इस सकल लागत वक्र SS पर माध्य या सीमान्त लागत वक्र निकालना चाहें तो हमको निम्नलिखित क्रिया के अनुसार चलना होगा।




चित्र ३०

P से O तक सीधी रेखा खींचो। तब बिन्दु P पर माध्य लागत (average cost) स्पर्शी रेखा (POX) द्वारा कोण जो X रेखा से बनेगा उसके द्वारा दिखाई जायगी। इस रेखाचित्र में यह बराबर है PQ/OQ। इसी प्रकार हम मुख्य लागत वक्र के अन्य बिन्दुओं पर भी औसत लागतों या माध्य लागतों का पता

चला सकते हैं। इन सभी बिन्दुओं को मिलाकर हमें U आकार का औसत वक्र जैसा कि रेखाचित्र ३१ में है, मिलेगा।

बिन्दु P को सीमान्त लागत (Marginal Cost) मानलूम करने के लिए, हम वक्र SS के बिन्दु P पर स्पर्शी रेखा खींचते हैं। अब सीमान्त लागत जो बिन्दु P पर सकल लागत दिखाता है, RP पर रेखा X के साथ कोण की स्पर्शी रेखा को प्रदर्शित करती है। ऐसी स्थिति में यह स्पर्शी रेखा के कोण PRQ के मूल्य के बराबर है, और यह PQ/RQ के बराबर है या इसे PM/LM भी कह सकते हैं।




चित्र ३१

इसी प्रकार हम जान सकते हैं कि सकल लागत वक्र के विभिन्न बिन्दुओं पर सीमान्त व्यय कितना है और उनको मिलाकर हमको सीमान्त लागत वक्र (marginal cost curve) मिलता है। (देखो रेखाचित्र ३१ में MC)।

औसत लागत या माध्य लागत तथा सीमान्त लागत के बीच सम्बन्ध (Relation between Average Cost and Marginal Cost)—इस अध्याय के आरम्भ में जो अकगणितीय सूची दी गई थी, उसके देखने से पता चलेगा कि जब औसत लागत या माध्य लागत गिरती है, तो सीमान्त लागत उसके नीचे ही रहेगी, और जब औसत या माध्य लागत ऊँची उठती है तो सीमान्त लागत उसके ऊपर रहेगी। जिस बिन्दु पर औसत लागत वक्र न तो उठ रहा हो, न गिर रहा हो, अर्थात् जहाँ वह न्यूनतम बिन्दु पर हो, वहाँ सीमान्त लागत वक्र उसको काटेगा। रेखाचित्र ३१ में बिन्दु P को देखो। इस बिन्दु पर औसत लागत और सीमान्त लागत बराबर होगी।

७ उद्योग का पूर्ति वक्र, और पूर्ति का नियम (The Industry Supply Curve and the Law of Supply)—अब हम व्यक्तिगत व्यवसाय संस्थाओं के लागत वक्रों की सहायता से बाजार का पूर्ति वक्र तैयार कर सकते हैं।



चित्र ३२

पूर्ण प्रतियोगता में मूल्य—किसी व्यवसाय संस्था का सीमान्त लागत व्यय। चूंकि व्यवसाय संस्थाओं को कीमत का पना रहता है, वे उस कीमत पर उस सीमा तक उत्पादन करेंगे, जहाँ तक क्षतिज कीमत रेखा सीमान्त लागत वक्रों को काटेगी नहीं। मान लीजिए कि उस उद्योग में केवल दो व्यवसाय संस्थाएँ (firms) हैं। ऐसी

स्थिति में कीमत रेखा OP पर उद्योग का उत्पादन = OA + OB। कीमत में परिवर्तन करके तथा उन भिन्न कीमतों पर उन व्यवसाय मस्याओं के उत्पादन का पता लगा कर हम उद्योग का पूर्ति वक्र (Industry Supply Curve) जान सकते हैं।

पूर्ति का कीमत के साथ कृत्यकारी (functional) सम्बन्ध है। 'यदि और परिस्थितियाँ पूर्ववत् हों, तो वस्तु की कीमत बढ़ने से पूर्ति में वृद्धि होती है व कीमत घटने से पूर्ति कम हो जाती है।' कीमत के अनुसार ही बिक्री के लिए दी जाने वाली मात्रा पर सीधा प्रभाव पड़ता है अर्थात् जितनी अधिक कीमत होगी उसकी पूर्ति भी उतनी अधिक होगी और इसके ठीक विपरीत भी ऐसा ही होगा।

माँग अनुसूची की तरह जो कि समझाई जा चुकी है (अध्याय ६, विभाग २) हम किसी व्यक्ति की पूर्ति अनुसूची बना सकते हैं। बाजार में विभिन्न कीमतों पर विक्रेता वस्तुओं की जिस परिमाण में पूर्ति करते हैं उनको जोड़कर हम किसी वस्तु की पूर्ति अनुसूची बना सकते हैं। पूर्ति अनुसूची कीमतों तथा मात्रा में सम्बन्ध बताती है जो कि कुछ व्यक्ति उत्पादन करने तथा बेचने के लिए तैयार हैं।

मान लीजिए सेवो की पूर्ति अनुसूची इस प्रकार है—

मूल्य प्रति दर्जन (रुपए में)	पूर्ति की मात्रा (दर्जनों में)
७	४३
६	४०
५	३६
४	३१
३	२५
२	१८
१	१०


इसमें हमें यह ज्ञात होता है कि जब कीमत ७ रुपए प्रति दर्जन तक बढ जाती है तो ४३ दर्जन सेवो को बिक्री के लिए बाजार में रक्खा जाता है। पर ज्यों-ज्यों कीमत गिरती जाती है, पूर्ति की मात्रा भी कम होती जाती है, यहाँ तक कि जब कीमत गिरकर १ रुपया प्रति दर्जन हो जाती है तो केवल दस दर्जन सेव बिकने के लिए आते हैं। इसके अर्थ यह हुए कि ज्यों-ज्यों कीमत गिरती जाती है, पूर्ति कम होती जाती है और ज्यों-ज्यों कीमत बढती जाती है, पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है। इसी को पूर्ति का नियम कहते हैं।

उपर्युक्त पूर्ति अनुसूची को एक पूर्ति वक्र के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

पूर्ति की गई वस्तुएं रेखा OX पर दिखाई गई हैं और कीमतें OY पर दिखाई गई हैं। SS' पूर्ति वक्र (supply curve) है। यदि किसी बिन्दु P' में जो पूर्ति वक्र पर है, OX पर PM लम्ब खींचा जाए तथा OY पर PO' लम्ब खींचा जाए तो, PM पर जो कीमत OO' के बराबर है, PO' (=OM) मात्रा की पूर्ति होगी।

इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूर्ति वक्र दाहिनी ओर से बाईं ओर को झुकता है, जबकि माँग वक्र बाईं ओर से दाहिनी ओर को झुकता है। इसका कारण

यह है कि जब कीमत गिरती है तो माँग बढ़ जाती है पर पूर्ति कम होती है और जब कीमत बढ़ती है तो माँग कम हो जाती है व पूर्ति में वृद्धि होती है।



चित्र २३

यदि कीमत बहुत अधिक गिर जाए तो पूर्ति बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। वह कीमत जिससे कम में बेचने वाला बेचने से इनकार कर देता है रक्षित कीमत (reserve price) कहलाती है। इस कीमत पर खरीदार अपना स्टॉक खरीदता है।

खरीदार की रक्षित कीमत (reserve price) को निर्धारित करने में कई तत्त्व सहायक होते हैं—

(१) रक्षित कीमत प्रायः माल की खराब होने की स्थिति (perishability) पर आधारित है। माल जितना शीघ्र खराब होने वाला होगा, उतनी ही उस माल की रक्षित कीमत नीची होगी।

(२) जहाँ तक ऐसे माल का सबाल है जो नष्ट होने वाला नहीं है, रक्षित कीमत इस बात पर आधारित रहेगी कि बेचने वाले का आगामी कीमत (future price) का क्या अंदाज (प्रान्क्लन) है।

(३) यह भविष्य की लागत पर भी आधारित होगा। यदि लागत गिरने की आशा है तो रक्षित कीमत कम हो जाएगी (गिर जाएगी) और ठीक इसके विपरीत भी ऐसा ही होगा।

(४) रक्षित कीमत (reserve price) माल डोने पर होने वाले खर्च पर भी आधारित है। इसलिए जितने समय तक स्टॉक रोका जा सकता है, एक बहुत

महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। जितनी लम्बी यह अवधि होगी उतनी ही रक्षित कीमत कम हो जाएगी।

(५) इसके अन्तगत बेचने वाले का अवसादन अधिमान (liquidity preference) इसका एक महत्वपूर्ण तत्त्व है। नकद (cash) की माँग जितनी तीव्र होगी, उतनी ही रक्षित कीमत गिर जाएगी।

(६) कई व्यापारी जिद के कारण पहले हुई लागत पर अधिक जोर देते हैं और रक्षित कीमत अधिक रख लेते हैं चाहे इससे उन्हें ज्यादा ही नुकसान उठाना पड़।

८ पूर्ति की लोच (Elasticity of Supply)—जब कीमत में थोड़ी सी कमी से भी पूर्ति बहुत गिर जाती है तो पूर्ति अपेक्षाकृत लोचदार होती है। लेकिन जब कीमत में बहुत बड़ी कमी हो जाने पर भी पूर्ति में बहुत कम कमी होती है तो पूर्ति अपेक्षाकृत लोचहीन कहलाती है। इसके विपरीत यदि तनिक कीमत बढ़ने से पूर्ति में अतीव वृद्धि हो जाए तो पूर्ति लोचदार होती है। पर यदि कीमत बहुत अधिक बढ़ जाने पर पूर्ति में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हो तो पूर्ति लोचहीन होती है।

वास्तव में पूर्ति की लोच उस सरलता की माप है जिससे एक व्यवसाय बढ़ाया जा सकता है तथा उसका सीमान्त लागत (marginal cost) पर प्रभाव जाना जा सकता है। यदि कीमत में थोड़ी वृद्धि से बहुत सी व्यवसायी संस्थाएँ (firms) आ जाएँ जिनकी अत्यल्प औसत लागत कीमत के बराबर रहती हैं तथा सीमान्त लागत नहीं बढ़ती तो पूर्ति पर्याप्त लोचदार कहो जाती है। तब भी यदि बड़ा हुआ उत्पादन केवल कीमत में अपरिमित वृद्धि में पाया जा सकता है तथा कोई नई व्यवसाय संस्था (firm) उद्योग की ओर आकर्षित नहीं होती तो पूर्ति लोचदार नहीं होगी। इन दो सीमाओं के बीच लोच की कई श्रेणियाँ होंगी। लोच की श्रेणी एक विशिष्ट स्थिति में व्यवसाय संस्थाओं की सीमान्त लागत वक्रों के ढाल (slope) तथा औसत लागत वक्र के आकार पर निर्भर होगी।


'पूर्ति की मात्रा व कीमत में कुछ ऐसा ही सम्बन्ध है जैसे कुत्ते व सीटी में होता है। सीटी जितनी ही अधिक तीव्रता से बजेगी उतनी ही अधिक तेजी से कुत्ता दौड़ेगा। इसी प्रकार कीमत बढ़ते ही मात्रा अनायास ही बढ़ जाती है। यदि कुत्ता सचेत होगा—अर्थशास्त्र की भाषा में लोचदार होगा—तो सीटी की क्षीण भी ध्वनि से वह दौड़ पड़ेगा। पर यदि कुत्ता सचेतहीन अथवा लोचहीन होगा, तो जब तक सीटी बहुत जोर से नहीं बजेगी वह नहीं दौड़ेगा।'¹

एक खड़ी सीधी रेखा से पूर्ण रूप में बेलोचदार पूर्ति का पता चलता है (पर्याप्त शून्य लोच (zero elasticity) का तथा क्षैतिज (horizontal) सीधी रेखा में अनिश्चित रूप से लोचदार पूर्ति का। इन दोनों चरम सीमाओं के बीच लोच विभिन्न मापानुक्रम में पाई जाएगी। निम्नलिखित सूत्र लोच का सामान्य माप है—

$$\text{पूर्ति की लोच} = \frac{\text{सप्लाई की जाने वाली राशि में वृद्धि}}{\text{सप्लाई की गई राशि}} \times \frac{\text{कीमत में वृद्धि}}{\text{कीमत}}$$

पूर्ति (सप्लाई) की लोच मापने के लिए निम्नलिखित रेखाचित्र की सहायता ली जा सकती है ---

SS' पूर्ति वक्र है। इस पर कोई P बिन्दु लीजिए। P बिन्दु से PT एक स्पर्श रेखा खींचो जो X-axis पर T बिन्दु तक हो। इसके बाद P बिन्दु से PM लम्ब बनाइए जो X-axis पर M बिन्दु तक बने। इस तरह सप्लाई की लोच




चित्र २४

$$= \frac{PT}{Pt} = \frac{MT}{OM}$$

६. पूर्ति में वृद्धि व कमी (Increase and Decrease in Supply) — प्रयत्नशास्त्री प्राय कहते हैं कि यदि और वार्ते समान रहे तो कितनी लाग में एक अद्वितीय मांग तथा पूर्ति अनुमूची होगी किन्तु प्रत्येक बार्ने शायद ही कभी समान रहती है। इस प्रकार पूर्ति और मांग में एक परिवर्तन होगा।

पूर्ति को उस समय वृद्धिशील कहा जाता है जब कि उसी कीमत पर बिन्दी के लिए अधिक माल दिया जाता है अथवा उभी मात्रा को कम कीमत पर दिया जाता है। पूर्ति को गिरा हुआ (decreasing) कहा जाता है जब उसी कीमत पर बिन्दी के लिए कम दिया जाता है अथवा वही मात्रा ऊँची कीमत पर दी जाती है। इस बात का निम्नलिखित रेखाचित्र द्वारा निरूपण किया गया है।

यदि परिवर्तन के पूर्व पूर्ति वक्र SS है तो S'S' पूर्ति में कमी दिखाता है क्योंकि उसी मूल्य PM (=P'M') पर पूर्ति की मात्रा कम हो जाती है OM के



चित्र २५

बजाय OM'। S''S'' पूर्ति में वृद्धि दिखाता है क्योंकि उसी मूल्य PM (=P''M'') पर अधिक मात्रा विक्रय के लिए रखी जाती है, OM के बजाय OM''।

बिचारियों को सावधानी के साथ 'पूर्ति की मात्रा में वृद्धि' तथा 'पूर्ति में वृद्धि' का अन्तर जान लेना चाहिए। 'पूर्ति में वृद्धि' का अर्थ यह है कि पूरा पूर्ति वक्र दाहिनी ओर एक नए स्थान को ग्रहण कर लेता है। यह पूर्णतया एक नया वक्र है।

परन्तु 'पूर्ति की मात्रा में वृद्धि' का अर्थ केवल यह है कि ऊँची कीमत पर अधिक विक्री

के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है। पूर्ति वक्र वही रहता है। उसी वक्र के साथ-साथ चलना केवल कीमत के परिवर्तन के साथ पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन बतलाना है। यह पूर्ति की अनुसूची अथवा पूर्ति की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं प्रस्तुत करती।

पूर्ति की कीमत के परिवर्तन से समायोजित होने के लिए समय लगने के दृष्टिकोण से हम तीन प्रकार की पूर्तियों में भेद कर सकते हैं—

(i) बाजार पूर्ति (Market Supply)—यह क्षणिक पूर्ति होती है और इसमें पूर्ति की मांग में परिवर्तन से समायोजित होने का समय नहीं मिलता। ऐसी कोई अत्यल्प कीमत नहीं है जिसमें कम पर विक्रेता विक्रय नहीं करेंगे। मांग की स्थिर मानकर कीमत विक्रेताओं की अपनी पूरी राशि अथवा उसके कुछ भाग को बेचने की लालसा पर पूर्णतया निर्भर होगी।

(ii) अल्पकालीन पूर्ति (Short period Supply)—यह उस पूर्ति को सूचित करता है जो वर्तमान उत्पादन के साधनों के द्वारा ही की जा सकती है। इसमें आवश्यकता के अनुसार उद्योग को बढ़ाने या घटाने का समय नहीं होना।

(iii) दीर्घकालीन पूर्ति (Long term Supply)—इसमें उद्योग को बढ़ाने अथवा घटाने में काफी समय लगता है। इसमें पुरानी कला की जगह नई कला को बनाने तथा उनके प्रयोग का समय होता है अथवा यदि आवश्यकता है तो मौजूदा कला की क्षमता बढ़ाने का समय होता है।

१० पूर्ति में परिवर्तन के कारण (Causes of Changes in Supply)—
पूर्ति में वृद्धि अथवा कमी कई कारणों से होती है।

सर्वप्रथम तो उत्पादन के विभिन्न साधन जैसे कच्चा माल आदि की कीमतों में वृद्धि से किसी वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ जाती है। उसमें पूर्ति की मात्रा कम हो जाएगी। इसके विरुद्ध उन साधनों की कीमतों में कमी होने पर उत्पादन बढ़ जाएगा और फलस्वरूप पूर्ति भी बढ़ जाएगी।

दूसरे अहाँ तक कृषि में उत्पादों का सम्बन्ध है अच्छी वर्षा, मिचोई में उन्नति, खाद की अधिक पूर्ति और उत्पादन की उन्नतिशील रीतियों के प्रयोग से स्वभावतः पूर्ति में वृद्धि होगी। इसके विपरीत यदि वर्षा नहीं होगी, अथवा बाढ़, आग, नाशक कीट, नुकान या भूचालों का प्रकोप होगा तो पूर्ति कम हो जाएगी। भारत में अधिक धन उपजाओ आन्दोलन के फलस्वरूप खाद्य में वृद्धि हुई।

तीसरी बात यह है कि तकनीक (technique) में उन्नति होने में उत्पादन की लागत में कमी आती है और इससे पूर्ति बढ़ जाती है। दूसरी ओर वस्तु के उत्पादन पर अथवा उत्पादन के साधनों पर अधिक कर लगने से पूर्ति में कमी हो जाती है।

चौथी बात यह है कि यदि आयतों की मात्रा को बढ़ाया जाए तथा परिवहन और संचार को प्रोत्साहन दिया जाए, तो इन साधनों में उन्नति से किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। पर यदि परिवहन की सुविधाओं के कारण निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है तो पूर्ति में कमी हो जाती है।

पाँचवीं यह है कि राजनीतिक उथल-पुथल अथवा युद्ध से व्यापार की दशा बदल जाती है और इससे बहुत सी वस्तुओं की कमी हो जाती है।

छठी यह कि उत्पादकों के किसी आपसी समझौते से जान-बूझकर भी वस्तु की पूर्ति कम की जा सकती है। पूर्ति का कुछ भाग कीमत बढ़ाने के अभिप्राय से नष्ट कर दिया जा सकता है। महान् मन्दी के दिनों में उत्पादकों के अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के द्वारा रबर, चाय और दूसरी वस्तुओं का उत्पादन नियन्त्रित कर दिया गया था। ब्राजील में तो इसलिए बड़ी मात्रा में कहवा समुद्र में फेंक दिया गया था।

अन्त में, उत्पादन, विक्रय व आयात पर लगने वाले करों का भी पूर्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अपने देश में किसी वस्तु के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए किसी देश की सरकार उस वस्तु के विदेशों से आयात पर भारी आयात कर लगाकर उसकी पूर्ति को कम कर देती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कभी-कभी सरकार कुछ वस्तुओं के उत्पादन पर नियन्त्रण लगा देती है जैसे भारत में अफीम पर।

माँग व पूर्ति पर प्रभाव डालने वाली बातें (Factors effecting both Demand and Supply)—अभी तक हमने केवल उन बातों का अध्ययन किया है जिनका प्रभाव केवल माँग पर या केवल पूर्ति पर पड़ता है। पर कुछ बाने ऐसी भी हैं, जिनका प्रभाव एक ही समय में माँग व पूर्ति दोनों पर पड़ता है—

(i) द्रव्य प्राय में परिवर्तन (Change in Money Incomes)—मुद्रा-विस्तार (inflation) के दिनों में लोगों की द्रव्य आय बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थितियों में वस्तुओं की माँग बढ़ जाती है। इसका प्रभाव पूर्ति पर भी पड़ता है। कीमत में वृद्धि से लाभ उठाने के अभिप्राय से पूर्ति भी बढ़ती है। मुद्रा सकुचन (deflation) के दिनों में जब द्रव्य की मात्रा कम हो जाती है, तो कीमते गिर जाती हैं। इसमें माँग तो बढ़ती है पर पूर्ति कम होने लगती है।

(ii) तकनीक में सुधार (Improvement in Technique)—जहाँ तकनीक और प्रावैधिक पद्धति में उन्नति हो जाती है, वहाँ उत्पादन का परिणाम और पूर्ति बढ़ जाती है। फलस्वरूप वस्तुएँ सस्ती हो जाती हैं और लोगों की वास्तविक आय बढ़ जाती है। पर हम यह देख चुके हैं कि वास्तविक आय में किसी प्रकार के परिवर्तन से माँग में भी परिवर्तन हो जाता है।


(iii) मजदूरी में वृद्धि या कमी (Wage induced Inflation or Deflation)—यदि मजदूरी बढ़ती है तो श्रमिक की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है। इससे माँग बढ़ जाती है। पर मजदूरी की वृद्धि का प्रभाव उत्पादन लागत के बढ़ जाने के कारण वस्तु की पूर्ति पर भी पड़ता है।

(iv) क्रेताओं की रुचि और प्रतिष्ठा तथा क्रेताओं और विक्रेताओं की आय में परिवर्तन से माँग व पूर्ति प्रभावित होंगे।

(v) सामाजिक अथवा राष्ट्रीय धन का आकार तथा वितरण (Size and Distribution of Social or National Wealth)—यदि धन का वितरण समान होता है तो कुछ व्यक्ति कम धनी तथा कुछ कम निर्धन हो जाते हैं। इस प्रकार लोगों की क्रय-शक्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है जिससे माँग भी प्रभावित होती है। और माँग में इन परिवर्तनों के फलस्वरूप वस्तु की पूर्ति में भी परिवर्तन हो जाता है।

११ एक विचित्र पूर्ति वक्र (A Peculiar Supply Curve)—पूर्ति का साधारण नियम यह बताता है कि ऊँची कीमत पर पूर्ति की मात्रा अधिक होगी। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सीमा तक तो यह सम्बन्ध देखने में आता है लेकिन उसके बाद सम्बन्ध उलट जाता है अर्थात् ऊँची कीमत पर पूर्ति कम होगी। श्रम के सम्बन्ध में ऐसा देखने में आ सकता है। मजदूरी बढ़ने पर लोग अधिक काम करने को प्रोत्साहित होते हैं। लेकिन एक सीमा के बाद लोग काम की अपेक्षा आराम को ज्यादा पसन्द करते हैं। ऊँची मजदूरी मजदूरों को छुट्टी लेने के योग्य बना देती है और काम के घण्टों को कम कर देती है।

व्याज की दर का भी ऐसा प्रभाव हो सकता है। साधारणतः व्याज की ऊँची दर से बचत में वृद्धि होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एक बँधी रकम बचाना चाहते हैं। इसलिए व्याज की दर जब ऊँची होगी तो वे कम बचत करेंगे। इसे पूर्ति वक्र के पीछे की ओर के घुमाव में समझाया जा सकता है। और इसे इस तरह दिखाया जा सकता है।



DD प्रारम्भ का माँग वक्र है और DD नया माँग वक्र है, जिससे माँग में वृद्धि दिखाई गई है। SS पूर्ति वक्र है। Q बिन्दु तक ऊँची कीमत के कारण पूर्ति भी बढ़ती जाती है। किन्तु इसके बाद विपरीत स्थिति आ जाती है। P एक बिन्दु ऊँची माँग वक्र पर है और कीमत PM से $P'M'$ तक ऊँची जा चुकी है। किन्तु पूर्ति OM से OM' तक घट चुकी है।

अध्याय १८

पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकालीन मूल्य निर्धारण (Pricing Under Perfect Competition in the Short Run)

१ साम्यावस्था (Equilibrium)—कभी-कभी आधुनिक अर्थशास्त्र को साम्यावस्था सम्पन्न विश्लेषण कहा गया है। मन्तुलन की स्थिति को साम्यावस्था कहते हैं। जब परस्पर विरोधी दिशाओं में कार्य करने वाली शक्तियाँ परस्पर समान हो जाती हैं वह वस्तु जिसे वे प्रभावित करती हैं, साम्यावस्था की स्थिति में कही जाती है। एक पत्थर के टुकड़े को रस्मी में बाँधकर हवा में हिला दीजिए, तो वह इधर-उधर भ्रूणने के उपरान्त एक जगह स्थिर हो जाएगा, बशर्ते कि उसे फिर से न हिलाया जाए। अब पत्थर साम्य की स्थिति में है। इस विधि प्रकार की साम्यावस्था को स्थायी साम्यावस्था (stable equilibrium) कहते हैं, क्योंकि पदार्थ हिलाए जाने के उपरान्त अपनी पूर्व-स्थिति में आने का प्रयत्न करता है। जब साधारण गडबड से अधिक गडबड हाती है जिससे मूल स्थिति नहीं आ पाती तो ऐसी अवस्था को अस्थिर साम्यावस्था (unstable equilibrium) कहते हैं। तटस्थ साम्यावस्था (neutral equilibrium) की अवस्था उस समय होती है जब गडबड पैदा करने वाले हालात न तो उसे मूल स्थिति में लाते हैं और न उसे उससे आगे बढ़ाते हैं। वह जैसी होती है वैसी ही रहती है। पीगू (Pigou) ने इन तीन स्थितियों की विवेचना इस प्रकार की है स्थिर साम्यावस्था उस जलपोत के समान है जिसकी तली में भारी सड़तीर (keel) हो, पड़े हुए अण्डे की स्थिति तटस्थ साम्यावस्था की हुई, और यदि अण्डा एक ओर खड़ी स्थिति में रखा हो तो यह स्थिति अस्थिर साम्यावस्था की हुई। साम्यावस्था को उस समय एकपक्षी (partial) कहते हैं जब यह सीमित आँकड़ा (limited data) पर आधारित होती है परन्तु पूरे आँकड़ों पर आधारित होने से साम्यावस्था सामान्य (general) कहलाती है।

स्थिर (static) अर्थ-व्यवस्था का सिद्धान्त साम्यावस्था की व्याख्या इस प्रकार करता है कि मौजूदा आँकड़े निर्धारित समय में तबदील नहीं होंगे। ये आँकड़े आबादी, आय तथा लोगों की रुचि, टेक्नीकल ज्ञान की स्थिति तथा स्रोतों आदि के आकार तथा गठन हैं। आर्थिक स्थिति या तो बदलती नहीं अथवा क्रमशः धार-धार बदलती है। गतिशील (dynamic) अर्थशास्त्र का सिद्धान्त साम्यावस्था का अध्ययन नहीं करता बल्कि वह तो उन आर्थिक शक्तियों का जो अन्तिम ध्येय तक पहुँचने से पूर्व हैं और इन मार्ग में गुजरती हैं, अध्ययन करता है। रॉबिन्सन के अनुसार "हम स्थिर नियमों का अध्ययन करते हैं (अर्थात् स्थिर अर्थशास्त्र का) जिससे गतिशील अर्थशास्त्र के परिवर्तन वाले नियमों को समझ सकें।"¹


1. We study the laws of rest (i.e. static Economics) in order to understand the laws of change in Dynamic Economics —Robbins

२. माँग और पूर्ति की साम्यावस्था (Equilibrium of Supply and Demand)—साम्य का विचार माँग और पूर्ति पर लागू किया गया है। य दो शक्तियाँ विरोधी दिशाओं में कार्य करने वाली हैं। अधिक पूर्ति कीमत में कमी लाती है और माँग की अधिकता में वृद्धि उत्पन्न करती है। जब विरोधी दिशाओं में इन दोनों शक्तियों का सन्तुलन स्थापित हो जाता है तो वे किसी उस एक मूल्य को ही बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं, जिसे साम्य कीमत (equilibrium price) कहते हैं।

निम्न तालिका सेवों की माँग और पूर्ति को मिलाती है और यह दिखवाती है कि किस प्रकार इन दो विरोधी शक्तियों के बीच साम्य होता है।

कीमत प्रति दर्जन	माँग की मात्रा (दर्जनों में)	पूर्ति की मात्रा (दर्जनों में)
७	४	४०
६	७	३३
५	१२	१६
४	१५	२६
३	२३	२३
२	२६	१६
१	३८	१०

इस सूची से यह पता चलता है कि जब कीमत ३ रुपया प्रति दर्जन है, तब पूर्ति की मात्रा २३ दर्जन है, और २३ दर्जन ही माँगी जाती है। पूर्ति माँग के बराबर है। अतः साम्य-मूल्य (equilibrium price) ३ रुपयें हैं। किसी प्रकार भी इस कीमत में कोई बाधा उन शक्तियों को क्रियाशील बना देगी और वे उसी कीमत को फिर से स्थिर करने का प्रयत्न करेगी। उदाहरणार्थ यदि कीमत बढ़कर ४ रुपया प्रति दर्जन हो जाती है तो पूर्ति २६ दर्जन हो जाएगी जबकि माँग केवल १५ दर्जन ही रह जाएगी। सीमित माँग को अपने हाथ में करने के लिए बेचने वालों में होने



चित्र ३७

रेखाएँ, जो उपर्युक्त उदाहरण द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, एक साथ दिखाई गई हैं।

वाली प्रतिभोगिता कीमत को साम्य पर ला देगी। अतः ३ रुपयें साम्य-कीमत है। २३ दर्जन साम्य की मात्रा (equilibrium amount) कहलाती है जिसे साम्य कीमत पर खरीदा और बेचा जाता है। रेखाचित्र ३७ इसी बात पर प्रकाश डालता है। माँग और पूर्ति की वक्र

दोनों वक्र रेखाएँ एक दूसरे को P स्थान पर काटती हैं जो कि दोनों वक्र रेखाओं पर पड़ता है। PM एक लम्ब है जिसे OX पर खींचा गया है तथा OP लम्ब OY पर खींचा गया है। PM (=BB' = ३) रुपए साम्य मूल्य है।

यदि कीमत P'M' (४ रुपये) प्रति दर्जन बढ़ जाता है तो माँग OM' (= १५) पूर्ति OM (= २६) से नयी कीमत में कम हो जाएगी। कीमत का साम्य PM (= ३ रुपये) से नीचे गिर जाएगा। यदि कीमत २ रुपये रह जाती है, तो जब कि इस कीमत पर माँग पूर्ति से अधिक होगी तो इसके विपरीत होगा। क्रेताओं में होने वाली प्रतियोगिता इसे साम्य-कीमत अर्थात् ३ रुपये तक ऊँचा उठा देगी।

देश की अर्थ-व्यवस्था पर बाजार की कीमत के प्रभाव (Functions of Price Mechanism)—इससे यह स्पष्ट है कि आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत मार्केट प्राइस (बाजार कीमत) दो मुख्य कार्य करना है—

(i) यह मौजूदा सप्लाई को खरीदारों में बाँटना है, जिससे वे सब जो यह कीमत अदा करने के लिए तैयार होने हे माल खरीद सकते हैं, तथा

(ii) सीमित सप्लाई को कालावधि में वांटना है। मार्केट प्राइस (कीमत) इन प्रभावों को किस प्रकार क्रियायत, कायपटुता तथा व्यापक रूप में कार्यान्वित करती है, यह राशन प्रणाली की असुविधाओं, खर्चीली तथा अपटु व्यवस्था से स्पष्ट है।

३ अल्पकालीन और दीर्घकालीन साम्यावस्था बनाम व्यवसाय सस्या एवं उद्योग (Equilibrium Short term and the Long term, the Firm and Industry)—मूल्य सिद्धान्त के अन्तर्गत हम किनी व्यवसाय सस्या को साम्यावस्था में कहेंगे यदि उसका सबल लाभ अधिकतम है। किसी व्यवसाय सस्या के लाभ को हम उस समय अधिकतम कहेंगे जब वह सस्या अपने उत्पादन को न तो बढ़ाना चाहती हो और न घटाना चाहती हो, और यदि वह सस्या उत्पादन की मात्रा में तनिक भी परिवर्तन करे तो ऐसी शक्तियाँ अपना प्रभाव डालना प्रारम्भ कर देंगी कि उत्पादन प्रारम्भिक अवस्था पर पहुँच जाएगा। यदि उत्पादन साम्यावस्था से कम है तो उत्पादन को साम्यावस्था तक बढ़ाकर लाभ की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, और यदि उत्पादन साम्यावस्था से अधिक है, तो व्यवसाय सस्या उत्पादन को घटाकर भी अपना लाभ बढ़ा सकती है।

किसी उद्योग के लिए साम्यावस्था की स्थिति उस समय आती है जबकि उस उद्योग की कीमतों के चढ़ाव में कोई रुचि नहीं रहती। न उसकी रुचि उत्पादन के स्तर में परिवर्तन करने की रहती है। ऐसी स्थिति उस समय उत्पन्न हो जाती है जबकि मौजूदा व्यवसाय सस्याओं को अपने उत्पादन का स्तर बदलने में कोई रुचि नहीं रहती और न नई व्यवसाय सस्याएँ उस उद्योग में व्यवसाय करने के लिए प्रदर्शित करती हैं।

साम्यावस्था अल्पकालीन भी हो सकती है और दीर्घकालीन भी। अल्पकालीन साम्यावस्था में हम मान लेते हैं कि उद्योग की उत्पादन-क्षमता (plant size) स्थिर है। समय इतना अल्प होता है कि नई व्यवसाय सस्याओं के लिए उद्योग में प्रवेश करना सम्भव नहीं होता, और न उद्योग की वर्तमान व्यवसाय सस्याओं को नये तौर

में कारखाने खड़े करने का अवसर होता है। किन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं है कि अल्पकाल में उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा सकती। ये (पर्म) अपनी मशीनों आदि से अतिरिक्त प्रयोग के द्वारा अपना उत्पादन बढ़ा सकती है। उदाहरणार्थ, जहाँ पहले एक पारी (shaft) में काम होता था वहाँ दो पारियों में काम करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से उत्पादन में वृद्धि नई निर्माणी (plant) का फल नहीं होता। इस प्रकार अल्पकालीन साम्यावस्था उस अनुकूल स्थिति का परिणाम है जो किसी निर्माणी (plant) की निश्चित उत्पादन क्षमता पर निर्भर करती है।

दीर्घकालीन साम्यावस्था का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें आर्थिक शक्तियों को पूर्ण और स्वतन्त्र समायोजन करने का अवसर रहता है। अल्पकाल में यदि माँग बढ़ जाती है तो बड़ी हुई माँग की पूर्ति तभी हो सकती है जबकि स्थापित निर्माणी (plant) से अधिक काम लिया जाए। किन्तु यदि माँग निरन्तर बढ़ी हुई बनी रहे तो निर्माणी में अतिरिक्त मशीनें आदि लगाकर उमम वृद्धि की जा सकती है। दीर्घकालीन साम्यावस्था में उत्पादन-क्षमता और स्टॉक निरन्तर बदलते रहते हैं।

इस आधार पर हम कीमत निर्धारण की प्रक्रिया का (i) प्रचलित बाजार कीमत, (ii) अल्पकालीन सामान्य कीमत, तथा (iii) दीर्घकालीन सामान्य कीमत नामक तीनों के मधीन अध्ययन कर सकते हैं।

(१) प्रचलित या बाजार कीमत (market price) वह कीमत है जो किसी समय पर प्रचलित होती है। यह कई घटनाओं का परिणाम होती है। समय इतना कम होता है कि अतिरिक्त पूर्ति के लिए मौजूदा स्टॉक में से ही व्यवस्था करनी होगी। समय की कमी के कारण निर्माणी (plant) से अधिक काम लेकर भी तो उत्पादन की मात्रा में विशेष वृद्धि सम्भव नहीं होती।

(२) अल्पकालीन सामान्य कीमत (short term normal price) उस समय प्रचलित होगी जबकि उत्पादकों को इतना समय दे दिया गया है कि वे नई माँग को अपनी स्थापित निर्माणी (plant) की उत्पादकता क्षमता के अनुकूल समायोजित कर सकें। इसलिए अल्पकालीन व्यवस्था में कीमतों के ऊपर पूर्ति का मात्रा का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, किन्तु प्रचलित या बाजार कीमत (market price) की अवस्था में पूर्ति का कीमत के ऊपर इतना प्रभाव नहीं रहता, यद्यपि इतना निश्चित है कि कीमतों के ऊपर माँग का प्रभाव पूर्ति के प्रभाव से अवश्य ही अधिक होता है।

(३) दीर्घकालीन सामान्य कीमत (long term normal price) का सम्बन्ध माँग और पूर्ति के स्वतन्त्र और पूर्ण समायोजन से है। इसका अर्थ यह है कि दीर्घकालीन सामान्य कीमत के निर्धारण में पूर्ति का प्रभाव अधिक पड़ता है क्योंकि यदि अतिरिक्त पूर्ति की आवश्यकता पड़े, तो वह अतिरिक्त निर्माणी की व्यवस्था से ही पूरी होगी। किन्तु इस अध्याय में हम केवल प्रचलित या बाजार कीमत (market price) के अध्ययन तक ही अपने आपको सीमित रखेंगे।

४ प्रचलित कीमत (Market Price)—एक निश्चित समय पर माँग तथा पूर्ति की प्रतियोगी शक्तियों में साम्य के परिणामस्वरूप अल्पकालीन कीमत निर्धारित

होती है। अल्पकालीन कीमत या प्रचलित कीमत वह कीमत होती है जो एक बाजार में किसी विशिष्ट दिन में प्रचलित होने का प्रयत्न करती है। यह उस समय की माँग तथा पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों के द्वारा प्रभावित होती है। यह प्रभाव अस्थायी तथा क्षणिक होता है। दूसरे दिन अथवा दूसरे घण्टे में ही माँग और पूर्ति अथवा माँग या पूर्ति भिन्न हो सकती है। इस प्रकार अल्पकालीन कीमत अस्थिर घटनाओं तथा थोड़े काल की शक्तियों का परिणाम है। अतएव अल्पकालीन कीमत प्रति दिन तथा प्रति घण्टे बदलती रहती है।

मार्केट प्राइस (बाजार कीमत) को निर्धारित करने में प्रतिस्पर्धा का बड़ा हाथ है। बेचने वालों में स्पर्धा होने से कीमतें कम हो जाती हैं और इसके विपरीत खरीदारों में स्पर्धा होने से कीमतें बढ़ जाती हैं। परन्तु सचाई यह है कि न तो सभी बेचने वाले और न सभी खरीदार ऐसा प्रभाव डालते हैं। यह तो सीमान्त खरीदार और सीमान्त बेचने वाले के लिए है जिन्हें प्रचलित या बाजारू कीमत से सन्तुष्टि मिले। इस कीमत पर सीमान्त खरीदार खरीदने के लिए लालायित होते हैं। यदि कीमत जरा भी अधिक होती, तो वे कभी भी नहीं खरीद सकते थे। इसी प्रकार सीमान्त बेचने वाले वे हैं जो बेचने के लिए लालायित होते हैं। जरा कीमत कम होने पर वे कभी भी नहीं बेचते।

प्रचलित कीमत के निर्धारण में हम पूर्ण मार्केट (perfect market) की कल्पना करते हैं (देखिए अध्याय १६, विभाग ६)। दूसरे शब्दों में यह माना जाता है कि सारे खरीदार और बेचने वाले के पास माँग और पूर्ति की सारी सूचना है। और वे सब इन कीमतों के विषय में जानते हैं जो दी जा रही हैं और मान्य हैं। वास्तविक जगत् में ऐसी सम्भावना बहुत कम जगह है। ऐसी स्थिति में सही प्रचलित कीमत (market price) सीधे तौर पर नहीं बनती। पहले कुछ सौदे होते हैं, जो कि वास्तविक कीमत से थोड़ा कम-अथवा कीमत पर तय होते हैं और इसके पश्चात् होते-होते, व्यापारी सही कीमत (true price) पर पहुँच जाते हैं जिस पर बाजार में अधिकतर सौदे होते हैं।

शुद्ध प्रतियोगी मार्केट में, बेचने वाले और खरीदारों को कीमत ही मार्ग-दर्शन कराने वाला साधन है, क्योंकि किसी भी खरीदार को किसी खास बेचने वाले से लगाव नहीं होता और न बेचने वाले को खरीदार से। चूँकि प्रत्येक बेचने वाले के लिए मार्केट प्राइस निश्चित होती है और यह धारणा की जाती है कि वह इस कीमत पर सारी पैदावार बेच देगा, तो फिर उसे क्या पड़ी है कि वह कीमत गिरा दे यद्यपि उसकी रक्षित कीमत (reserve price) मार्केट प्राइस से कम हो। यदि रक्षित कीमत मार्केट प्राइस से अधिक हो, तो वह कुछ भी नहीं बेच पाएगा, क्योंकि जहाँ तक एक व्यक्तिगत दुकानदार का सवाल है उसके माल की माँग पूरे तौर पर लोचदार है।

सप्लाई में सम्पूर्ण परिवर्तन तथा/अथवा माँग में पूर्ण परिवर्तन क्रमशः तभी होगा जबकि बहुत से बेचने वाले अपनी रक्षित कीमत बदल दें तथा/अथवा बहुत से खरीदार अपने खरीदने की मात्रा के निर्णय को जो वे विभिन्न कीमतों पर खरीदने को

तैयार हूँ बदल दें। यदि मांग वेलोचदार (inelastic) हुई तो मार्केट प्राइस तेजी से गिरेगी और पूर्ति (supply) बढ़ेगी।

जहाँ तक बेचने वाले के पास पहले से खरीदे गए माल का सवाल है कोई भी समझदार बेचन वाला अवसर लागत (opportunity cost) को लागत नहीं मानेगा। पिछले सर्वे भौजूदा विकल्पों (alternatives) या लागतों—पर प्रभाव नहीं डाल सकेगा। वह यह नहीं सोचेगा कि उसने कल क्या खर्च किया (मूलकाल में) बल्कि यह सोचेगा कि उसे कल क्या प्राप्त होगी (भविष्य की कीमत के बारे में)। यदि भविष्य की कीमतें ऊँची होने की आशा है तो वह स्टॉक जमा करेगा यही नहीं बल्कि वह भविष्य के लिए और खरीदेगा। परन्तु यदि भविष्य में कीमतें गिरने का खतरा है तो वह सारा स्टॉक बेच देगा और भविष्य के लिए भी कुछ बचाकर नहीं रखेगा।


अब हम यह देखें कि विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं की कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती हैं।

५. जब वस्तु सड़न वाली होती है (When the Commodity is Perishable) — एक उदाहरण इसे स्पष्ट कर देगा। मान लीजिए कि मछली जैसी सड़न वाली वस्तु की १०० सेर की मात्रा बाजार में लाई जाती है। यह मात्रा किस कीमत पर बची जाएगी। चूंकि वस्तु सड़न वाली है इसलिए सब मात्रा उसी दिन बेच देनी होगी। इन कल्पना कर लेते हैं कि मछली के बेचने वालों में निम्नी माँग उसके लिए कुछ नहीं है। कुछ मछली के उपभोक्ता ऐसे हों जो शायद ५ रुपय प्रति सेर की कीमत देने को तैयार हो जाएँ। बजाय इसके कि मछली का उपभोग न करें क्योंकि मछली की सीमान्त उपयोगिता उनके लिए बहुत अधिक है। परन्तु इस कीमत पर शायद बचल पांच सेर मछली बेची जा सकेगी। इसी प्रकार धनेकी ऐसे उपभोक्ता होंगे जो अपनी सीमान्त उपयोगिता के अनुसार कम कीमत देने को तैयार होंगे। हम इस बाजार की माँग तालिका बनाते हैं। यह कुछ कुछ इस प्रकार होगी—

कीमत प्रति सेर रुपय में	माँग की मात्रा सेरो में
५—०—०	५
४—०—०	७
३—०—०	१२
२—०—०	२०
१—०—०	४०
५० नए पैसे	६०
२५	८०
१२	१००
६	१५०

धन में कीमत १२ न० पैसे प्रति सेर पर निश्चित हो जाएगी। क्योंकि इसी कीमत पर सारी मछली बिक जाएगी। ये उपभोक्ता जिनकी मछली की सीमान्त

उपयोगिता १६ न० पैसे के बराबर है, सीमान्त उपभोक्ता होंगे और यदि सब मछली को बेचना है तो उन्हें आकर्षित करना आवश्यक है। परन्तु क्योंकि पूर्ण बाजार (perfect market) में एक वस्तु की एक ही कीमत हो सकती है, इसलिए मछली की कीमत १६ न० पैसे प्रति सेर होगी। धनी मनुष्य भी जो ५ रुपये सेर देने को तत्पर थे, उसी दर पर खरीदेंगे। उन्हें ४ रु० ८१ न० पैसे उपभोक्ता की बचत प्राप्त होगी।



चित्र ३८

ऊपर दिया हुआ चित्र यह स्पष्ट करता है कि मछली की अल्पकालीन कीमत कैसे निर्धारित होती है।

मात्रा को OX पर तथा कीमत को OY पर दिखाया गया है। क्योंकि पूर्ति स्थायी है। इसलिए पूर्ति वक्र SM OY के समानान्तर होगा।


पूर्ति तथा माग वक्रों के मिलने के बिन्दु को P कहा गया है। इसलिए PM अल्पकालीन कीमत होगी जिस पर १०० सेर मछली बेची जाएगी। $PM = १६$ नये पैसे।

६ लचकदार पूर्ति (Flexible Supply) — जब वस्तु सड़ने वाली न हो तो यह सच्य की जा सकती है। ऐसा तब होता है जब विक्रेताओं को भविष्य में अच्छी कीमत की आशा हो। उस दशा में विक्रय के लिए मात्रा निश्चित नहीं होगी। यह कीमत के साथ बदलेगी। खिलौनों का उदाहरण लीजिए। माँग के वे ही अंक लेकर हम खिलौनों के लिए भी एक पूर्ति-तालिका तैयार कर सकते हैं। यदि कीमत बहुत अधिक है (माना ५ रुपये) तो सम्पूर्ण माना बाजार में विक्रय की जाएगी। परन्तु यदि कीमत गिरती है तो कुछ बिक्रेता दूसरे दिन की प्रतीक्षा करेंगे अथवा खिलौनों को अपने बच्चों के लिए रख देंगे। उस दशा में खिलौनों के लिए विक्रेताओं की सीमान्त उपयोगिता न्यूनतम होगी जिसके नीचे वे कोई कीमत स्वीकार नहीं

करेंगे। जिस कीमत पर बेचने वाले अपना स्टॉक खरीदने को तैयार रहते हैं उसे रक्षित कीमत (reserve price) कहते हैं। लवकदार पूर्ति की स्थिति में उत्पादको की अपने माल की माँग मात्रा के रूप में (quantitatively) महत्त्वरहित होती है, इसलिए इसे छोड़ा जा सकता है। यहाँ अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उत्पादन कितना किया जाए और जब माल का उत्पादन ही नहीं किया जा सके अथवा सप्लाई निश्चित हो तो यह प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए लागत (cost) ही मूल कारण है जिससे सप्लाई निश्चित होती है। इस तरह पैदावार बढ़ने से सामान्य रूप में लागत प्रति इकाई बढ़ेगी। अतः पूर्ति वक्र साधारण रूप से ऊपर की तरफ चलता है, वार्ड से दाएँ की ओर। अतः

कीमत प्रति खिलौना (घानों में)	खिलौनों की माँग की मात्रा	खिलौनों की पूर्ति की मात्रा
८०	५	१००
६५	७	९०
५८	१२	८०
३२	२०	७०
१६	४०	६५
८	६०	६०
४	८०	४०
३	१००	२०
१	१५०	१०

मौल्य भाव के बाद कीमत की प्रवृत्ति ८ घाना या ३० नये पैसे प्रति खिलौना निर्धारित होने की होगी। यह कीमत उस कीमत से अधिक है जिस पर मछली बेची



चित्र ३३

गई थी क्योंकि खिलौने के विक्रेता प्रतीक्षा कर सकते थे। ५० खिलौनों के रखनेवालों ने इस कीमत पर बेचना अस्वीकार कर दिया है। वे अच्छे समय की प्रतीक्षा करेंगे अथवा उनमें से कुछ खिलौने अपने बच्चों को देना पसन्द करेंगे, बशर्त इसके कि कम कीमत स्वीकार करें।

८ घाने या ३० नये पैसे ऐसी कीमत है जो खिलौनों के उस विशिष्ट बाजार

में उस विशिष्ट दिन की पूर्ति तथा माँग में साम्य का परिणाम है। आगे दिया हुआ वक्र यह दिखाता है कि खिलौनों के सम्बन्ध में साम्य कीमत कैसे स्थापित होगी।

पहले की तरह OY पर कीमत तथा OX पर मात्रा (इकाइयों में) दिखाई गई है। S'S' पूर्ति वक्र तथा DD माँग वक्र है। P परस्पर मिलने का बिन्दु है। MP इस प्रकार साम्य कीमत है। PM = c आने या ५० न० पं०।

यदि यह मान लिया जाय कि माँग और पूर्ति की मात्रा में वृद्धि की कोई सीमा नहीं है, तो रेखाएँ ऊपर की ओर टूटी-टूटी नहीं होंगी और वक्र सम होंगे।

अभी तक हम यह समझने का प्रयत्न कर रहे थे कि कीमत किस प्रकार माँग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। पर वास्तविकता यह है कि माँग और पूर्ति स्वयं अनेक बातों से निर्धारित होती हैं। माँग और पूर्ति एक प्रकार का कृत्रिम सूत्र है। "माँग और पूर्ति कीमत का अन्तिम हल नहीं है। वे तो सामान्य रूप से अन्य विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण, कारणों तथा साधनों को बताने में सहायक सिद्ध होते हैं जिनका कीमत से सम्बन्ध रहता है।"¹


७ निश्चित सप्लाई (Fixed Supply)—अभी तक हमने यह कल्पना की थी कि सम्बन्धित वस्तु का, चाहे वह सड़ने वाली हो अथवा न हो, पुनः उत्पादन हो सकता है और उसकी पूर्ति लोचदार है। अब यह देखना है कि उन वस्तुओं की मार्केट कीमत, जिनका स्टॉक निश्चित है, कैसे निर्धारित होती है। यहाँ पर हम उन वस्तुओं का विचार करते हैं जिनकी पूर्ति सदैव के लिए निश्चित है। यहाँ पर वस्तुओं का स्टॉक केवल दो-एक दिन के लिए निश्चित नहीं है जैसे कि सड़ने वाली वस्तुओं का स्टॉक था। ऐसी वस्तुएँ पुरानी हस्तलिखित लिपियाँ, पुराने कलाकारों के चित्र, अद्वितीय हीरे आदि हो सकते हैं। संद्वान्तक दृष्टि में ऐसी स्थितियों में तथा उन दशाओं में जिनका ऊपर विवेचन हो चुका है, बहुत कम अन्तर है। ऐसी वस्तुओं की कुल मात्रा निश्चित होती है। फिर भी विक्रेता प्रतीक्षा कर सकता है। अन्त में कीमत उपभोक्ताओं की सीमान्त उपयोगिता द्वारा निर्धारित की जाएगी। कीमत की न्यूनतम सीमा स्वयं विक्रेता की सीमान्त उपयोगिता द्वारा निर्धारित होगी। यदि ऐसी वस्तु की केवल एक इकाई बेची जाती है तो क्रेता द्वारा लगाई गई अधिकतम कीमत उसकी अधिकतम सोमा को निर्धारित करेगी। यदि एक ही वस्तु की अनेक इकाइयाँ हैं तथा उन सब का विक्रय एक ही समय होता है, तो उपभोक्ताओं की सामूहिक रूप से सीमा न्त उपयोगिता कीमत को निर्दिष्ट करेगी। ऐसी कीमत का वस्तु के उत्पादन-व्यय से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। पुनः उत्पादन के व्यय का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वस्तु का पुनः उत्पादन नहीं हो सकता। इस अवस्था में सीमान्त उपयोगिता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, चाहे समय अल्प हो अथवा दीर्घ।

एक न्यूनतम कीमत है जिससे कम पर बेचने वाला बेचना पसन्द नहीं करेगा। इसे रक्षित कीमत (reserve price) कहते हैं। इस कीमत पर वे अपने माल की

1 Supply and Demand are not ultimate explanations of price. They are simply useful to catch all categories for analysing and describing the multitude of forces, causes and factors impinging on price.—Samuelson P. A.—Economics, 1948 p. 462

स्वयं मांग करते हैं। बेचने वालों की अपने माल के लिए मांग प्रौर खरीदारों की मांग मिलकर कुल मांग बनती है और निश्चित स्टाक के परस्पर प्रभाव (inter-action) से कीमत निर्धारित होती है। इस बात को निम्नलिखित रेखाचित्र द्वारा इस प्रकार समझाया गया है।

ES निश्चित सप्लाई वक्र है। DD के द्वारा बेचने वालों की मांग का पता चलता है तथा TD चिह्नित वक्र (dotted curve) से कुल मांग वक्र का पता



चित्र ५०

चलता है। T परस्पर प्रभाव (inter-action) का बिन्दु है जो कुल मांग तथा निश्चित सप्लाई के बीच स्थित है। लेकिन ST=PM इस प्रकार PM कीमत है तथा OM बेची गई मात्रा बताती है और MS बहू मात्रा है जो न बेची गई हो।

ऐसी स्थितियाँ पुन उत्पादन योग्य वस्तुओं की स्थिति से इस बात में भिन्न होती हैं कि बाद वाली स्थिति में सीमान्त उत्पादन-व्यय घटने में पूर्ण की वृद्धि को सीमित करता है। जब तक यह व्यव कीमत से नहीं निकलेगा, पूरा उत्पादन योग्य वस्तुओं का उत्पादन रक जायगा। प्रचलित


कीमत (market price) के विपरीत सामान्य कीमत (normal price) की यह एक समस्या है। हम इस पर आगे के एक अध्याय में विचार करेंगे।

घ अल्पकालीन सामान्य मूल्य (Short Period Normal Price)—व्यवसाय सस्था की साम्यावस्था (the equilibrium of the firm) का सिद्धान्त इस धारणा पर आधारित है कि व्यवसाय सस्थाओं की अधिकतम लाभ प्राप्ति करने की होती है। अतः हमको व्यवसाय सस्था की साम्यावस्था उस बिन्दु पर मिलेगी जहाँ उसे अधिकतम लाभ मिलेगा। वही अधिकतम उत्पादन सीमा होगी जो कोई व्यवसाय सस्था किसी निश्चित निर्माणी (plant) के द्वारा उत्पादित कर सकती है।

पूर्ण प्रतिযোগिता में बाजार मूल्य व्यक्तिगत उत्पादन के लिए निश्चित होता है, उसकी उत्पत्ति से इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। सीमान्त लागत बाजार मूल्य के समान होती है। सीमान्त लागत मूल्य से कम रहने पर उत्पादक उत्पत्ति बढ़ाता रहेगा; किन्तु उत्पत्ति अधिक न बढ़ सकने पर सीमान्त लागत मूल्य से कम रहने से उत्पादक को साधारण लाभ होगा। मूल्य गिरने पर उत्पत्ति कम करने से सीमान्त लागत कुछ कम होगी किन्तु मूल्य से कुछ अधिक रहने पर उन्हें घाटा रहेगा, किन्तु अनियत लागत मूल्य के बराबर होने पर भी उत्पादक अव्यय की दृष्टि से उत्पादन करते रहेंगे।

पूर्ण प्रतियोगिता में चूंकि एक उद्योग में प्रनेको व्यवसायी लगे रहते हैं, इसलिए किसी एक व्यवसाय सस्था का उत्पादन समस्त उद्योग के उत्पादन की मात्रा की अपेक्षा नगण्य होता है। अतः किसी एक व्यवसायी का कीमत के ऊपर नियन्त्रण नहीं रहता। यह इस नियम पर कार्य करती है कि प्रचलित कीमत पर वह जितना चाहे बेच सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में किसी व्यवसाय का माँग वक्र प्रचलित कीमत पर पूर्ण लोचदार रहता है। इसलिए यदि किसी उत्पादन की इकाई से कुछ अतिरिक्त उत्पादन मिल जाता है तो वह वस्तु की कीमत के बराबर रहता है। लाभ उस समय अत्यधिक होगा जब उस अतिरिक्त उत्पादन की इकाई का उत्पादन उस अतिरिक्त लागत के बराबर है जो उस पर व्यय हुआ है। अतः यह अतिरिक्त लागत सकल लागत में जुड़ेगी। यह लागत और सीमान्त लागत एक ही चीजें हैं। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकालीन सामान्य मूल्य उस सीमा पर स्थिर होता है जहाँ वह सीमान्त लागत के बराबर होता है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में अल्पकालीन साम्यावस्था का नियम यह है —

कीमत = अल्पकालीन सीमान्त लागत



चित्र ४१

ऊपर दिए हुए रेखाचित्र (1) में MC सीमान्त लागत वक्र है। कीमत OP व्यवसाय सस्था को मिलती है, अतः उत्पादन-स्तर उम बिन्दु तक पहुँचता है जहाँ कीमत और सीमान्त लागत बराबर बैठती हैं अर्थात् उत्पादन OR पर जाकर रुकता है। इस प्रकार ऊपर के रेखाचित्र (1) में कीमत रेखा, सीमान्त लागत वक्र को दो बिन्दुओं K और Q पर काटती है। अब प्रश्न यह है कि बिन्दु K और Q को साम्यावस्था के बिन्दु क्यों न माना जाए। इसका उत्तर यह है कि यद्यपि कीमत रेखा PQ, सीमान्त लागत वक्र को बिन्दु K पर भी काटना है तो भी बिन्दु K साम्यावस्था का बिन्दु नहीं है क्योंकि बिन्दु K पर लाभ अधिकतम नहीं है बल्कि न्यूनतम है। यदि उत्पादन OG से आगे बढ़ता, तो सकल लाभ बढ़ते क्योंकि एक उत्पादन की इकाई की अतिरिक्त लागत, कीमत के अनुसार अतिरिक्त प्राप्ति से कम होगी। इसलिए Q ही (K नहीं) साम्यावस्था का बिन्दु है, क्योंकि Q पर ही हमको अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए हम अल्पकालीन साम्यावस्था के लिए पूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित नियम निर्धारित कर सकते हैं —

कीमत—अल्पकालीन सीमागत लागत और भीमान्त लागत बढ़ती रहनी चाहिए।

यदि कीमत बढ़कर OP तक जा पहुँचे तो (OR') नई उत्पादन साम्यावस्था होगी।

वैकल्पिक रूप से हम व्यवसाय संस्था की साम्यावस्था को सकल राजस्व और सकल लागत वक्रों की सहायता से भी दिखा सकते हैं। ऐसी स्थिति में लाभ, सकल राजस्व और प्राप्तिधा के बीच तथा सकल लागत के बीच का अन्तर है। जिस बिन्दु पर अन्तर अधिकतम है वह अधिकतम लाभ की स्थिति दिखाएगा। अतः वही साम्यावस्था की स्थिति है।

रेखाचित्र (11) में TC सकल लागत वक्र है और TR सकल राजस्व वक्र है। जिस बिन्दु पर सकल लाभ अधिकतम है वह इन वक्रों पर दो स्पर्शी रेखाओं के स्पर्शने से दिखाया जाएगा। TR सग रेखा है, अतः इस पर स्वीची हुई स्पर्शी रेखा वही सम रेखा होगी। किन्तु TC वक्र पर स्वीची हुई स्पर्शी रेखा TR रेखा के समानान्तर होगी और P पर सांश करेगी। इस प्रकार PP दोनों वक्रों के बीच अधिकतम अन्तर है और इसलिए वही अधिकतम लाभ की स्थिति दिखाता है। इस दिशा में उत्पादन OR है। इस स्थिति में कीमत या राजस्व बढ़ाकर है P R/OR को रेखाचित्र (11) के OP के समान ही होगा।

उद्योग की अल्पकालीन साम्यावस्था (Short-Term Equilibrium of the Industry)—जहाँ अल्पकालीन उद्योग का पूर्ति वक्र उद्योग के माँग वक्र को काटेगा, वही उद्योग अल्पकालीन साम्यावस्था में होगा। उद्योग के पूर्ति वक्र को तैयार करने की विधि अध्याय १७, अनुच्छेद ७ में समझाई गई थी। रेखाचित्र (12) में उद्योग का माँग वक्र और उद्योग का पूर्ति वक्र दोनों M बिन्दु पर काटते हैं। और OP अल्पकालीन सामान्य कीमत है और ON उद्योग का उत्पादन दिखाती है। यदि माँग वक्र $D D$ तक पहुँच जाता है तो नई साम्यावस्था की कीमत OP होगी और उद्योग का नई साम्यावस्था का उत्पादन ON होगा।


१ कीमत नियन्त्रण तथा राशनिंग (Price Control and Rationing)—हम कीमत के नियन्त्रण तथा राशनिंग को पूर्णतया जानते हैं। लड़ाई के समय मुद्रा स्थिति (inflation) तथा दूसरे कारणों से कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं। सरकार आवश्यक पदार्थ जनसमूह के सरीदने की शक्ति के बाहर हो जाने हैं। यदि सरकार कामों पर रोक न लगाए तो भय रहता है कि वही असंतोष क्रान्ति का रूप धारण न करे। राज्य की स्थिरता भंग होने के डर के कारण कन्ट्रोल आवश्यक प्रतीत होने लगता है।

कामों का नियन्त्रण अधिकतर उस सीमा से बहुत नीचे होता है जो यदि माँग और पूर्ति के नियम को स्वतन्त्रता से काम करने देते में हो जाने की आशंका रहती है। इस काम कीमत पर दुर्लभ प्राप्त वस्तुओं की माँग बढ़ जाती है—“यह एक सगोठ

की कुंसियो जैसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को, आर्केस्ट्रा समाप्त होने पर खाली थैला देकर छोड़ दिया जाता है।" इस निम्न कीमत पर अप्राप्य वस्तुओं पर बहुत ऊपट रहती है। असुविधा तथा गड़बड़ को रोकने के हेतु दाम का नियन्त्रण राशनिंग का रूप धारण कर लेता है। चोर-बाजारी शुरू हो जाएगी। इसकी सीमा लोगों की कर्तव्यपरायणता, देश-भक्ति तथा ईमानदारी पर अवलम्बित है। यह बहुत सीमा तक प्रशासन की शासन-क्षमता पर भी निर्भर है। राशन कूपन या राशन की पर्चियाँ उतनी ही दी जाएँ कि माँग पूर्ति से अधिक न बढ़ने पावे ताकि माँग और पूर्ति के बीच प्रचलित कीमत पर साम्यावस्था स्थापित हो सके।

साधारण समय में साम्यावस्था कीमत प्रणाली के द्वारा बनी रहती है। यानी कीमत माँग घटाने के हेतु बढ़ती है। लेकिन लड़ाई के समय कीमत प्रणाली भंग हो जाती है। या यो कहिए कि लोक-हित को आगे रखते हुए इसे काम नहीं करने दिया जाता। लड़ाई के समय में कीमत प्रणाली का काम कीमत नियन्त्रण तथा राशनिंग द्वारा किया जाता है।

यह स्थिति चित्र द्वारा स्पष्ट हो जाती है। DD माँग वक्र है और SS पूर्ति वक्र है। उन्हें स्वतन्त्र कर देने से वे Q पर समतुल्य (equilibrate) हो जाएँगे। यह बहुत ही ऊँची



चित्र ४२

कीमत है। सरकार RT रोक लगाती है (ceiling)। लेकिन इस कीमत पर माँग पूर्ति से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यह PP' (gap) या बीच से दिखाया गया है। कीमत बढ़ना चाहती हैं जो कि PP' पर तीर के द्वारा मकेत किया गया है। राशनिंग कर देने से माँग कम कर दी जाती है। घटी हुई माँग D'D' से अंकित की गई है, जो पहले वक्र के बाएँ तरफ है। अब यह घटी हुई नई माँग रेखा तथा पूर्ति रेखा SS एक दूसरे को P पर काटती है। यह अधिकतम कीमत है। यहाँ दाम पर नियन्त्रण तथा राशनिंग के द्वारा साम्यावस्था (equilibrium) स्थापित की गई है।

१०. माँग और पूर्ति के नियम (Laws of Demand and Supply)—अब हम इस स्थिति में हैं कि पूर्ति और माँग के कुछ महत्वपूर्ण नियमों की परिभाषा कर सकें। बेन्हम (Benham) ने अपनी पुस्तक में चार नियमों का वर्णन किया है—

(१) कीमत वस्तु की उस मात्रा को, जो विक्रेता क्रय के लिए देने को तैयार हैं, व उस मात्रा को, जो ग्राहक क्रय करना चाहते हैं, समता की ओर ले जाती है।

(२) साधारणतः अधिक कीमत की अपेक्षा कम कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा की माँग होगी। इसके विपरीत लैची कीमत पर लैची कीमत की अपेक्षा वस्तु की अधिक मात्रा विक्रय के लिए निकाली जाएगी।


(३) माँग में वृद्धि से कीमत बढ़ जाती है और फलस्वरूप पूर्ति की वृद्धि होती है, पर माँग गिरने से कीमत में कमी हो जाती है। इससे पूर्ति भी घट जाती है।

(४) पूर्ति को वृद्धि कीमत गिरा देती है—जिससे माँग बढ़ जाती है। पूर्ति कम हो जाने से कीमत में वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप माँग गिर जाती है।


यह ध्यान में रखना चाहिए कि माँग में परिवर्तन दिए होने पर (अर्थात् पूर्ति लोचदार है या नेलोचदार) पूर्ति वक्र की प्रवृत्ति का कीमत पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।

प्रो० मेयर्स (Prof Meyers) इस सम्बन्ध में इस प्रकार लिखते हैं :

“अन्य बातों के पूर्ववत् रहने पर, माँग की वृद्धि कीमत और विनिमय-मात्रा को बढ़ा देती है, और माँग की घटी से कीमत और विनिमय-मात्रा घट जाती है। माँग में दिए हुए परिवर्तन पर, पूर्ति में जितनी अधिक लोच-शक्ति होगी, उतनी ही कम कीमत बदलेगी और विनिमय मात्रा में उतनी ही अधिक तबदीली होगी। इसके विपरीत पूर्ति जितनी ही कम लोचदार होगी, उतनी ही अधिक कीमत में परिवर्तन होगा और उतना ही कम विनिमय मात्रा में परिवर्तन होगा।”¹ यदि पूर्ति पूर्णतः लोचदार है, तो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। माँग में वृद्धि होने से केवल विनिमय-मात्रा में ही परिवर्तन होगा। दूसरी ओर यदि पूर्ति पूर्णतः नेलोचदार है, तो



चित्र ४३ (i)



चित्र ४३ (ii)

माँग के बढ़ने में कीमत बढ़ेगी लेकिन विनिमय मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होगी। इसका रेखाचित्र ऊपर दिया गया है—


SS' पूर्ति की रेखा है और DD माँग की पुरानी रेखा और D'D' माँग का नई रेखा है जो माँग में वृद्धि दिखाता है। माँग में परिवर्तन उतना ही है लेकिन पूर्ति की लोच में विभिन्नता है। कीमत PM से बढ़कर P'M' हो जाती है और विनिमय मात्रा

OM से OM' । रेखाचित्र ४३ (ii) में पूर्ति कम लोचदार है किन्तु साथ ही कीमत में अधिक परिवर्तन है (अर्थात् PM से P'M' तक) । किन्तु इसके साथ ही विनिमय की मात्रा में उतना ही कम परिवर्तन है; (अर्थात् OM से OM') ।

अब हम यह अध्ययन करेंगे कि माँग की भिन्न-भिन्न लोच पर, पूर्ति में परिवर्तन होने से कीमत और विनिमय-मात्रा किस तरह प्रभावित होती है । प्रो० मेयर्स ने इस सम्बन्ध में अपने निष्कर्ष को इस प्रकार लिखा है—


“अन्य बातों के पूर्ववत् रहने पर, पूर्ति में वृद्धि होने से कीमत घटती है और विनिमय-मात्रा में वृद्धि होती है । पूर्ति में घटी होने से, कीमत बढ़ती है और विनिमय-मात्रा में कमी आती है । पूर्ति में दिए हुए परिवर्तन पर माँग में जितनी अधिक लोच होगी, कीमत में उतनी कम और विनिमय-मात्रा में उतना ही अधिक परिवर्तन होगा । इसके विपरीत, माँग जितनी कम लोचदार होगी, कीमत में उतना ही अधिक और विनिमय-मात्रा में उतना ही कम परिवर्तन होगा ।” यदि माँग पूर्णतः लोचदार है और पूर्ति में वृद्धि होती है तो इसके कीमत में घटी नहीं होगी । केवल विनिमय-मात्रा में ही वृद्धि होगी । दूसरी ओर, यदि माँग पूर्णतः बेलोचदार है तो पूर्ति में वृद्धि होने से कीमत गिरेगी लेकिन विनिमय-मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा । इसके रेखाचित्र इस प्रकार खींचे जाएँगे ।

दोनों ही चित्रों में DD माँग की रेखा है, SS पूर्ति की पुरानी रेखा और S'S' पूर्ति की नई रेखा है जो पूर्ति में वृद्धि दिखाती है । चित्र ४४ (i) में माँग की रेखा लोचदार है और चित्र ४४ (ii) में बेलोचदार । कीमत और विनिमय मात्रा में जो अन्तर पड़ता है वह PM से P'M' और OM से O'M' द्वारा दिखाया गया है । रेखाचित्र (ii) जो बेलोचदार माँग दिखाता है, में कीमत के सम्बन्ध में अधिक परिवर्तन है (PM से P'M') और मात्रा के सम्बन्ध में उतना ही कम परिवर्तन है (OM से OM') ।



चित्र ४४ (i)

लोचदार पूर्ति के सहित माँग में वृद्धि



चित्र ४४ (ii)

बेलोचदार पूर्ति के सहित माँग में उतनी ही वृद्धि

जब माँग और पूर्ति दोनों में परिवर्तन होता है—उपर्युक्त सिद्धान्तों को उस

समय लागू करते हुए जबकि माँग और पूर्ति दोनों में ही परिवर्तन होता है, प्रो० मेयर्स ने निम्नलिखित सिद्धान्त स्थापित किए हैं—

(१) जब माँग और पूर्ति दोनों ही एक दिशा की ओर चलती हैं तो कीमत पर एक-दूसरे का प्रभाव कट जाता है, और विनिमय मात्रा पर पड़ने वाला प्रभाव और तेज हो जाता है।

(२) जब माँग और पूर्ति का मुकाबला एक ही ओर होता है लेकिन एक में दूसरी की अपेक्षा अधिक परिवर्तन होता है, तो जिसमें अधिक परिवर्तन होता है उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। किन्तु उसका प्रभाव कीमत पर उतना ही कम होगा और उसका प्रभाव विनिमय की मात्रा पर उतना ही अधिक होगा, लेकिन यदि दूसरी रेखा अपरिवर्तित रहे, तो उसका प्रभाव कीमत पर अधिक और विनिमय-मात्रा पर अपेक्षाकृत कम पड़ेगा।

(३) जब माँग और पूर्ति विपरीत दिशा में बदलते हैं, तो वे कीमत पर एक-दूसरे के प्रभाव का प्रबल कर देते हैं और विनिमय मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव को काट देते हैं।

(४) जब माँग और पूर्ति विपरीत दिशा में बदलते हैं लेकिन एक में दूसरे से अधिक परिवर्तन होता है तो जिस रेखा में अधिक परिवर्तन होता है उसका प्रभाव अधिक होगा। हाँ, यह बात अवश्य है कि दूसरी रेखा के न बदलने पर, उसका प्रभाव कीमत पर अपेक्षाकृत अधिक और विनिमय-मात्रा पर कम पड़ेगा।

अध्याय १६

पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकालीन सामान्य कीमत का सिद्धान्त (Long Term Theory of Normal Price under Perfect Competition)

१. सामान्य कीमत तथा बाजार-कीमत (Normal Price and Market Price) — पिछले अध्याय में हमने उत्पादन-व्यय के बारे में विचार किया था जिससे सामान्य या स्वान्नाविक कीमत प्रभावित होती है। अब हम सामान्य कीमत का अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके पहले हमें यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि सामान्य कीमत क्या है, और यह किस तरह बाजार-कीमत (Market price) से भिन्न है।

बाजार-कीमत मांग और पूर्ति के किसी भी पक्ष में परिवर्तन होने से बदल सकती है। एक बाजार विशेष में अत्यधिक मछलियों के आ जाने से कीमत गिर जाएगी। इसी तरह अचानक गर्मी बढ़ जाने से वस्त्रों की कीमत बढ़ सकती है। ये अस्थायी (temporary) प्रभाव हैं और बाजार-कीमत में क्षणिक बाधाएँ डालते हैं। इन बाधाक कारणों के न होने पर कीमत एक निश्चित सतह (level) पर वापस जाने के लिए प्रयत्नशील होगी। यह सम्भव है कि यह सतह सदा के लिए निश्चित न हो। परन्तु यदि उत्पादन का परिमाण और विधि स्थिर रहते हैं तो यह एक निश्चित कीमत मानी जा सकती है जिसके चारों ओर बाजार-कीमत चक्कर काटती है। एडम स्मिथ (Adam Smith) ने इस सतह को "प्राकृतिक" (natural) कीमत और मार्शल ने इसे "सामान्य" (normal) कीमत का नाम दिया है।

अब हमें सामान्य और बाजार-कीमत के बीच जो अन्तर है उसे संक्षेप में बताएँगे।

(१) बाजार कीमत वह कीमत है जो किसी एक समय में उस समय की मांग तथा पूर्ति के अस्थायी साम्य (equilibrium) के फलस्वरूप होती है।

दूसरी ओर, सामान्य कीमत, वास्तविक कीमत नहीं होती। यह वह कीमत है जिसके होने की दीर्घकाल में सम्भावना है। जब वह समय आ जाएगा तब उस समय की वास्तविक कीमत को बाजार-कीमत कहेंगे, और जिसकी आगे चलकर सम्भावना होगी, उसे सामान्य कीमत कहेंगे।

(२) बाजार-कीमत अस्थायी कारणों तथा चलायमान घटनाओं का परिणाम है जबकि सामान्य कीमत स्थायी कारणों से निर्धारित होती है। दीर्घकाल में अस्थायी कारण दूर हो जाते हैं और एक-दूसरे को तटस्थ कर देते हैं।

(३) बाजार-कीमत हर रोज या हर घंटे बदलती रहती है, लेकिन दी हुई परिस्थितियों में, सामान्य कीमत स्थिर रहती है। यह वह केन्द्र है जिसके चारों ओर बाजार-कीमत घूमती है। बाजार-कीमत यदि कभी सामान्य कीमत से दूर भी थोड़े

समय के लिए हट जाती है तो वह पुनः सामान्य कीमत की सतह पर वापिस आ जाती है।

(४) सब वस्तुओं की बाजार-कीमत होती है लेकिन सामान्य कीमत उन्हीं वस्तुओं की हो सकती है जो पुनः उत्पादन योग्य हों। यदि वस्तुएँ फिर से उत्पन्न नहीं की जा सकतीं तो उनकी सामान्य कीमत का विचार करना व्यर्थ है क्योंकि उनकी उत्पादन लागत कुछ नहीं होगी।

२. माशल का मूल्य सिद्धान्त (Marshall's Theory of Value)—हम सोच माँग (सीमान्त उपयोगिता) और पूर्ति (सीमान्त लागत) को निर्धारित करने वाली विभिन्न शक्तियों को अच्छी तरह जान चुके हैं। अब हम इस दशा में हैं कि मूल्य का सिद्धान्त भली प्रकार समझ सकें। हम मार्शल (Marshall) से आरम्भ करते हैं। मार्शल मूल्य को निर्धारित करने में उत्पादन लागत और सीमान्त उपयोगिता को समान महत्त्व देते हैं। उनका प्रसिद्ध सादृश्य कैंची की दो फलों से दिया जाता है जो कि निम्नांकित है। "जिस प्रकार हम इस बात पर भ्रम न करने हैं कि कैंची के दो फलों में ऊपर का फल कागज को काटता है अथवा नीचे का, उसी प्रकार इस बात पर बाँध-विवाद हो सकता है कि मूल्य को उपयोगिता निर्धारित करती है अथवा उत्पादन-व्यय। यह सच है कि जब एक फल शान्त रहता है और काटने का काम दूसरे को बलाने से हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि काटने का काम दूसरे के द्वारा होता है। लेकिन यह विवरण पूर्णतः ठीक नहीं है। यह तभी तब स्वीकार किया जा सकता है जब तक यह इस बात का वैज्ञानिक रूप में स्पष्टीकरण करने का दावा नहीं करता।"¹

पूर्ण प्रतिबोधिता की स्थिति में माँग व पूर्ति की शक्तियों का इस और भुकाव रहता है कि वह अपनी साम्यावस्था (equilibrium) स्थापित करने का प्रयत्न करती है। 'कीमत एक महाराज के बीच के पत्थर की तरह होती है जो कि दोनों ओर के दबाव से (अर्थात् एक ओर माँग और दूसरी ओर पूर्ति) साम्य बनाए रहता है।'

हर एक व्यक्ति के लिए बाजार भाव दिया रहता है और वह अपने व्यक्तिगत कार्य या नीति से उसे सुधार नहीं सकता। उसके लिए बाजार भाव एक मवेत होता है जिसके द्वारा वह अपना क्रय अथवा विक्रय करता है। ये व्यक्तिगत क्रय-विक्रय कीमत द्वारा निर्धारित होने हैं, लेकिन य मिलकर कुल माँग और कुल पूर्ति का रूप ग्रहण कर लेते हैं। उस दशा में यह कीमत को निर्धारित करते हैं। अस्तु, माँग, पूर्ति और कीमत एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं। ये एक प्याले में तीन बँदों के समान हैं जिसके सम्बन्ध में यह कहना कठिन है कि कौन किसके सहारे है।

इस प्रकार 'माँग की ओर से कीमत सीमान्त उपयोगिता से बराबर होती है और पूर्ति की ओर से यह सीमान्त उत्पादन-लागत अथवा सीमान्त फर्म की लागत के बराबर होती है। जिस स्थान पर सीमान्त उपयोगिता और सीमान्त लागत का साम्य होता है यदि उसे मुद्रा में अंकित किया जाए तो वह कीमत कहलाती है।'—सिल्वरमैन।

अर्थशास्त्रियों ने यह समझाने का प्रयत्न किया है कि उपयोगिता (utility) से दीर्घ-कालिक व अल्पकालिक कीमतों का निर्धारण होता है। अस्तु, इन तीनों विचारों के आधार पर मूल्य के तीन सिद्धान्त मान लिये गए हैं—(१) मूल्य का धर्म सिद्धान्त (Labour Theory of Value), (२) मूल्य का उत्पादन लागत सिद्धान्त (Cost of Production Theory of Value), और (३) मूल्य का सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त (Marginal Utility of Value)।

२ विकल्प, अवसर अथवा हस्तान्तरण लागत (Alternative, Opportunity or Transfer Cost)—आजकल के कुछ अर्थशास्त्री “वास्तविक लागत” शब्द का प्रयोग अवसर लागत अथवा हस्तांतरण लागत के अर्थ में करते हैं। अमरीकी अर्थशास्त्री डेवेनपोर्ट (Davenport) ने इस सिद्धान्त की व्याख्या इस प्रकार की है “मान लीजिए एक बच्चे को नाशपाती और एक आड़ू दोनों दिए गए, पर कोई शीतान लडका उन्हें छीनने का प्रयत्न करता है। ऐसे समय में उस बच्चे के लिए सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं होगा कि वह नाशपाती को रास्ते की झाड़ियों में गिराकर आड़ू लेकर भाग निकले। और जब तक आततायी नाशपाती उठाए तो कही जाकर छिप जाए। ऐसी दशा में आड़ू की लागत क्या हुई? यह अवश्य है कि आड़ू बच्चे को उपहार के रूप में दिया गया था। इस दृष्टि से उसकी लागत कुछ भी नहीं है। पर तब भी इसको अपने पास रखने के लिए बच्चे को नाशपाती छोड़नी पड़ी। इस उदाहरण में “लागत” शब्द का प्रयोग ठीक नहीं जान पड़ता, शायद “बदलना” अथवा “त्यागना” (displacement or forgoing) शब्द ठीक होंगे। या मान लीजिए कोई आपसे कहे कि घुड़सवारी कर लीजिए या शाम को नाटक देख लीजिए। तो यह कहना अटपटा लगेगा कि दोनों में से किसी एक की स्वीकृति दूसरे को एवज में है, फिर भी यह अवश्य है कि एक काम करने के लिए दूसरे से वंचित रहना होता है। या इसी को इस प्रकार समझ लीजिए कि आपके पास एक डालर है। उससे आप चाहे तो एक पुस्तक खरीद लें या एक चाकू। और अन्त में आप एक पुस्तक खरीद लेते हैं तो पुस्तक खरीदने की तीव्रतर इच्छा का प्रदर्शन इस बात से इतना नहीं होता कि डालर बचाने में कितना परिश्रम करना पड़ा था, या डालर स्वयं कितना मूल्यवान है, जितना कि उसके वैकल्पिक प्रयोग से। . . आपके लिए पुस्तक की अधिक-से-अधिक क्या लागत है, इसकी सब से अच्छी परीक्षा इसमें है कि पुस्तक खरीदने की इच्छा ने चाकू खरीदने की इच्छा पर कितनी विजय पाई।”¹ चूंकि उत्पादक स्रोत (productive resources) सीमित हैं, इसलिए किसी एक वस्तु का उत्पादन दूसरी वस्तु के उत्पादन के बढ़ते ही में हो सकता है। जिस वस्तु का इस प्रकार बलिदान होता है वह उत्पादित वस्तु को वास्तविक लागत होती है।

इस दृष्टि से लागतों का महत्त्व (Significance of Costs in this Sense)—एक ही स्रोत (resource) के लिए बहुत सी प्रतियोगी मांगें होती हैं, (जो उपभोक्तानों की सीमान्त उपयोगिता पर निर्भर करती हैं)। क्योंकि साधन दुर्लभ (scarce) होते हैं, इसलिए एक समय में एक ही मांग की पूर्ति हो सकती है,

1. Davenport—The Economics of Enterprise, page 61

और वह भी दूसरी माँग के त्याग करने पर। फलस्वरूप साधनों की प्रवृत्ति उन प्रयोगों से, जिनमें उनकी माँग की कीमत उपभोक्ताओं की सीमान्त उपयोगिता के योग से कम होती है, उन प्रयोगों की ओर, जिनमें वह अधिक होती है, जानें की होती है। और ऐसा सब तक होता है, जब तक वह विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में सम्बन्धित समान प्रयोगों में इस प्रकार बँट जाते हैं कि विभिन्न प्रयोगों में उनकी सीमान्त उपयोगिता समान हो जाती है।

इस प्रकार माँग-कीमत (demand price) अथवा सीमान्त उपयोगिता (marginal utility) ही इस बात का निर्णय करती है कि उत्पादन के किसी साधन का कितना भाग किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग में लाया जाएगा। इसलिए किसी वस्तु की पूर्ति (supply) उस आकर्षण पर निर्भर करती है, जो उस वस्तु की माँग कीमत (या सीमान्त उपयोगिता) उत्पादन के विभिन्न साधनों के प्रति करती है। यदि माँग कीमत अधिक नहीं है तो साधनों का प्रयोग उस वस्तु के उत्पादन में किया जाता है जिसकी माँग कीमत अपेक्षाकृत अधिक है। मूल रूप में एक वस्तु की उत्पादन लागत एक व्यवसाय में उत्पादक सेवाओं के बनाए रखने के लिए दी गई प्रतिधारण कीमत (retention price) का जोड़ है तथा यह उतना होता है जितना कि वे दूसरी अग्रह पा सकते हैं।

माथिक सिद्धान्त के क्षेत्र में अवसर लागत के मत का बड़ा महत्व है। यह प्रांतरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों तरह के मूल्य निर्धारणों में लागू होता है। यह आप के वितरण में भी लागू होना है।

फिर भी इसके लागू होने की कुछ सीमाएँ हैं। यह उन उत्पादन सेवाओं पर जो असाधारण अथवा विशेष प्रकार की हैं लागू नहीं होता। एक विशेष साधन के वैकल्पिक उपयोग नहीं होते। अतः इसकी अदम्य लागत अथवा हस्तान्तरित लागत शून्य होती है। इसलिए ऐसी साधन के भुगतान का स्वभाव लगान की तरह होता है (जिस लगान रहित लागत भी कह सकते हैं)। इसके अतिरिक्त अवसर लागत का सिद्धान्त अप्रवृत्ति के तत्त्व का विचार में नहीं रखता। साधन किसी व्यवसाय में रहने से अनिच्छुक हो सकते हैं। ऐसी दशा में जहाँ पर कि एक साधन की चाह को बदलना होता है तो वैकल्पिक व्यवसाय में प्रयोग में लाने के लिए उस साधन की उसका हस्तान्तरित लागत से अधिक भुगतान देना पड़ेगा। इन बिना अर्थ सम्बन्धी विचारों के दृष्टिकोण में द्रव्य लागत के मत का यहिष्कार कर देना चाहिए। अवसर लागत के सिद्धान्त की फिर से व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है - "A के बनाने में उपादक सेवा X की लागत राशि B है जो X उत्पादन कर सकता है तथा बिना अर्थ-सम्बन्धी उत्पादन (अथवा लागत) जो B के उत्पत्ति करने में होता है (अथवा इतना कम) के बराबर होता है।" यह बताया जा चुका है कि सिद्धान्त में द्रव्य का अभिप्राय फिर से डालने के लिए बिना अर्थ सम्बन्धी (non-pecuniary) उत्पादन,

1. The cost of productive services X in making A is equal to the amount of B that X could produce plus (or minus) the non-pecuniary returns (or cost) attached to producing B --Stigler, G J -Theory of Price 1947 p. 108

अर्थ सम्बन्धी उत्पादन में बदला जाए। परन्तु इस काम के लिए सदैव मुद्रा मापदण्ड (monetary denominator) का पाना सम्भव नहीं है।

इसके अतिरिक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि उत्पादक सेवाओं की इकाइयाँ बहुत कम एक सी (homogeneous) होती हैं।

इसके अतिरिक्त यह सिद्धान्त पूर्ण प्रतियोगिता पर निर्भर है जो बहुत कम होता है।

व्यक्तिगत लागत तथा सामाजिक लागत में भिन्नता के कारण भी इस सिद्धान्त का विरोध किया जा सकता है। एक वस्तु की लागत मिल मालिक को १० हो सकती है परन्तु समाज को उसकी लागत उसका कारखाने से निकले हुए धुएँ के कारण खराब स्वास्थ्य के रूप में होगी।

इन सब सीमाओं तथा विपमताओं के होते हुए भी लागत का यह सिद्धान्त अर्थात् अबसर लागत व वैकल्पिक लागत का सिद्धान्त सबसे अधिक मान्य सिद्धान्त है। सिद्धान्त की कुछ विशेषताएँ ध्यान देने योग्य हैं—

(1) एक वस्तु की उत्पादन लागत दूसरी वस्तुओं की, जिनके उत्पादन में वही उत्पादक सेवाएँ सहायता दे सकती हैं, माँग-कीमता पर निर्भर है।

(2) लागत का यह विश्लेषण इस बात से नष्ट नहीं हो जाता कि वस्तु का उत्पादन कई साधनों के संयोग से होता है क्योंकि हर साधन का सीमान्त उत्पादन जाना जा सकता है।

अब हम मूल्य के अनेक सिद्धान्तों का अध्ययन करेंगे। सबसे प्रथम धर्म-सिद्धान्त को ही ले लिया जाए।

३ धर्म-सिद्धान्त¹ (Labour Theory)—धर्म सिद्धान्त के अनुसार किसी वस्तु के मूल्य का निर्णय उस परिश्रम से होता है जो उसे बनाने में व्यय किया जाता है। इस सिद्धान्त का सम्बन्ध एडम स्मिथ (Adam Smith), रिकार्डो (Ricardo) व कार्ल मार्क्स (Karl Marx) आदि के नामों से है। एडम स्मिथ (Adam Smith) के पूर्व पेटी (Petty) व लॉक (Locke) भी धर्म को मूल्य का स्रोत मानते थे।

एडम (Adam Smith) का विश्वास था कि मूल्य का अन्तिम मान धर्म ही होता है। 'किसी वस्तु की वास्तविक कीमत उसके आकांक्षी मनस्य के लिए वह परिश्रम व मेहनत होती है जो उस मनुष्य को उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए करना पड़ता है। जो वस्तु द्रव्य द्वारा खरीदी जाती है, उसका "क्रय" वास्तव में धर्म ही करता है।'²

पर एडम स्मिथ (Adam Smith) का विचार था कि केवल समाज की प्रारम्भिक स्थितियों में ही धर्म, विनिमय-मूल्य का आधार था। बाद में क्योंकि भूमि

¹ See Fraser L M—Economic Thought and Language 1947, pp 117—123

² The real price of everything what everything really costs to the man who wants to acquire it is the toil and trouble of acquiring it what is bought with money or with goods is purchased by labour as much as what we acquire with the toil of our body'—Adam Smith—Wealth of Nations, Book I, Ch V

दुर्लभ हो गई व पूंजी का संचय शुरू हुआ, इसलिए इनके स्वामियों को भी कीमतें देनी पड़ी, और इस प्रकार श्रम अब उत्पादन की एकमात्र लागत नहीं रह गया। फलस्वरूप एडम स्मिथ (Adam Smith) उत्पादन लागत के सिद्धान्त की ओर बढ़े। इसके विपरित रिकार्डो (Ricardo) का यह विश्वास था कि तत्कालीन जगत् में भी किसी वस्तु का मूल्य अथवा दूसरी वस्तुओं के प्रति उसकी विनिमय शक्ति श्रम की उस मात्रा पर निर्भर करती है, जो उसके उत्पादन के लिए आवश्यक होती है।¹

पर इसका यह अर्थ नहीं कि रिकार्डो ने भूमि और पूंजी को उत्पादन का साधन नहीं माना। उसका विचार था कि भूमि की लागत का कोई महत्त्व नहीं होता, क्योंकि अनाज की कीमत खेती में प्रयुक्त ऐसी अनुपजाऊ भूमि की उत्पादन लागत पर निर्भर करती है, जिस पर कोई लागत नहीं देना पड़ता। और जहाँ तक पूंजी का सम्बन्ध है यह तो सतीत में किए गए श्रम का फलस्वरूप है।

एडम स्मिथ (Adam Smith) यह मानते थे कि श्रम में गुणों के अनुसार भिन्नता होती है, इसलिए उनका यह विचार था कि सिवाय बहुत ही पिछड़े समाजों के और कहीं श्रम की तुलना नहीं हो सकती, और श्रम के सिद्धान्त का सम्बन्ध ऐसे ही समाजों से है। पर चूंकि रिकार्डो (Ricardo) उन्नत जातियों में भी श्रम को ही मूल्य का मूल मानते थे, इसलिए उन्हें विभिन्न गुणों वाले श्रमों की तुलना करने में पैदा होने वाली कठिनाइयों को भी समझना पड़ा। इन कठिनाइयों को रिकार्डो (Ricardo) ने इस प्रकार समझाया था कि यह भेद बाजार में इस प्रकार स्थिर हो जाते हैं कि हर प्रकार का श्रम मूल्य के क्रमिक स्तर में अपनी उचित जगह पर पहुँच जाता है। रिकार्डो (Ricardo) के अनुसार, इस क्रमिक स्तर में बहुत कम परिवर्तन होते हैं। उनका कहना है कि यदि 'एक सुनार का एक दिन का श्रम एक साधारण श्रमिक के एक दिन के श्रम से अधिक मूल्यवान है, तो यह श्रम बहुत पहले व्यवस्थित होकर मूल्य के क्रमिक स्तर में अपने उचित स्थान पर पहुँच चुका होगा।' पर यह व्याख्या कोई विशेष सन्तोषजनक नहीं है।

श्रम सिद्धान्त के विरुद्ध एक बहुत बड़ा आरोप यह है कि यह ऐसी वस्तुओं के मूल्य की, जिनका उत्पादन नहीं हो सकता, कोई व्याख्या नहीं करता। पर इनका उत्तर रिकार्डो (Ricardo) ने इस प्रकार दिया है "कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनका मूल्य उनकी न्यूनता से निश्चित होता है। ... उनके मूल्य से उस आवश्यक श्रम के परिमाण से कोई सम्बन्ध नहीं होता, जो उत्पादन में लगाया जाता है और इसलिए धन व उन वस्तुओं के उपभोक्तारों की प्रवृत्तियों के अनुसार उसमें परिवर्तन हुआ करते हैं।" आजकल की भाषा में इससे रिकार्डो (Ricardo) का तात्पर्य यह था कि उपभोक्तारों की सीमान्त उपयोगिता इस प्रकार की वस्तुओं का मूल्य निश्चित करती है। यहाँ तक तो उनके विचार वर्तमान अर्थशास्त्रियों के विचारों के अनुकूल ही हैं पर उनकी यह व्याख्या श्रम सिद्धान्त के आलोचकों को सन्तुष्ट नहीं कर सकती क्योंकि इससे सिद्धान्त की अपूर्णता ही अधिक प्रकट होती है।

¹ Principles of Political Economy and Taxation in Works of David Ricardo by McCulloch, p 9

४ समाजवादी व श्रम सिद्धान्त (The Socialists and the Labour Theory)—रिकाडो (Ricardo) के श्रम सिद्धान्त ने समाजवादियों को विशेष रूप से आकर्षित किया। चूँकि मूल्य का उद्गम श्रम ही है, पर कुल मूल्य का बहुत कम भाग मजदूरी के रूप में मिलता है, इसलिए यह प्रमाणित करना सरल था कि पूँजी-पति उत्पादन का बड़ा भाग हड़प कर श्रमिकों का शोषण करते हैं। रूसो (Rousseau) के पश्चान्त टामसन (Thomson), ग्रे (Gray) व ब्रे (Bray) जैसे समाजवादियों ने पूँजीवादी शोषण का एक अपना निजी सिद्धान्त बना लिया और रॉडबर्टस (Rodbertus) व कार्ल मार्क्स (Karl Marx) ने तो इस सिद्धान्त को अपनी पुस्तक का प्रमुख आधार बनाया।

वैज्ञानिक समाजवाद (scientific socialism) के मूल प्रवर्तक कार्ल मार्क्स (Karl Marx) ने अपने विचार अपनी पुस्तक 'दास कैपिटल' (Das Capital) में प्रकट किए हैं। इस पुस्तक में उन्होंने पूँजीवाद पर अक्राध्य आक्षेप किए हैं। कार्ल मार्क्स (Karl Marx) का विश्वास था कि मूल्य प्रयोग में लाए गए मानवीय श्रम को कहते हैं (value as crystallised human labour)। उनकी दृष्टि में किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम पर ही निर्भर होता है। अर्थात् इसे श्रम समय (labour time) कह सकते हैं जो सामाजिक रूप से (socially) बहुत जरूरी है। अपने इस विचार की व्याख्या उन्होंने इस प्रकार की है—“मूल्य श्रम के उस समय पर अवलम्बित है जो किसी वस्तु को साधारण परिस्थितियों में योग्यता और तीव्रता की औसत मात्रा से बनाने में लगता है, जो उत्पादन काल में प्रचलित है।”¹

कार्ल मार्क्स (Karl Marx) ने भी पूँजी की वही व्याख्या की जो कि रिकाडो (Ricardo) ने पूर्व श्रम (past labour) के आधार पर की थी। जहाँ तक श्रम की क्वालिटी के अन्तर का प्रश्न है, उसका विचार था कि 'कुशल श्रम का महत्त्व केवल यह है कि वह साधारण श्रम का तीव्र रूप है।' उनके विचार में कुशल श्रम की एक निश्चित मात्रा साधारण श्रम की बड़ी मात्रा के बराबर ही है। उनका कहना था कि 'अनुभव यह बतलाता है कि यह कमी निरन्तर पूरी हो रही है। एक वस्तु के बनाने में चाहे जितना भी कुशल श्रम लगा हो पर यदि उसको साधारण श्रम द्वारा निर्मित किसी वस्तु के समान कर दिया जाए तो उसका मूल्य साधारण श्रम की ही एक निश्चित मात्रा का प्रदर्शन करेगा।' मार्क्स (Marx) के अनुसार कुशल व अकुशल श्रम का यह अनुपात रुडि द्वारा निश्चित होता है। उनका कहना था कि कुशल श्रम का मूल्य इसलिए अधिक होता है कि इस प्रकार के श्रम को अर्जित करने में अकुशल (unskilled) श्रम की अपेक्षा अधिक समय व श्रम की आवश्यकता होती है।²

५. मार्क्स का शोषण व अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त (Marx's Theory of

1 'Marx defined value of a commodity as the labour time required to produce an article under the normal conditions of production, and with the average degree of skill and intensity prevalent at the time'—Capital Vol 1, Part 1, Chap 1, Sec 1

2 Ibid Part III, Ch VII Sec 2

Surplus Value and Exploitation) — अपने श्रम सिद्धान्त के आधार पर मार्क्स ने अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त का विकास किया। उन्होंने बताया कि श्रमिक को उत्पादन कार्य चालू रखने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसके पास औजार व दूसरी सुविधाएँ हों, किन्तु यह सुविधाएँ उसके पास नहीं होती। इसलिए वह अपने श्रम का पूँजीपति के हाथों बच देता है। पूँजीपति के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि वह श्रमिक को उससे द्वारा निर्मित वस्तु का पूरा मूल्य दे। यहाँ मार्क्स (Marx) ने एक दूसरे प्रतिष्ठित सिद्धान्त (classical theory) अर्थात् मजदूरी जीवन निर्वाह सिद्धांत (subsistence theory of value) का आधार लिया है जिसके अनुसार मजदूरी का स्तर ऐसा है कि श्रमिक केवल जीवन निर्वाह कर सके। पर होता यह है कि अपने जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त धन प्राप्त करने लायक काम कर लेने के बाद भी श्रमिक काम करता ही रहता है। मार्क्स के शब्दों में 'इतने समय तक जितने में कि श्रम अपने मूल्य के बराबर कीमत का काम कर लेता है काय कर चुकने के बाद भी श्रम का बाय जारी ही रहता है। वभी कभी श्रम का काम छ घंटे की अपेक्षा चारह घंटे तक चल सकता है इसलिए श्रम शक्ति का काय केवल अपने मूल्य का ही उत्पादन करना नहीं बल्कि इससे भी अधिक उत्पादन करना है। यह अतिरिक्त मूल्य उत्पादित वस्तु के मूल्य का उन साधना के मूल्य का जिनका प्रयोग उसके उत्पादन में हुआ, अंतर होता है। दूसरे शब्दों में उत्पादन व साधना के व श्रम शक्ति के मूल्य का अंतर यह अतिरिक्त मूल्य होता है।¹ इस अतिरिक्त मूल्य के द्वारा पूँजीपति अधिक श्रम खरीद कर और अधिक अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। अस्तु, पूँजीपति वग श्रम वग का शोषण कर अधिक धनवान हो जाता है। इस प्रकार मूल्य के सिद्धान्त के आधार पर मार्क्स ने श्रम का शोषण का सिद्धान्त प्रतिपादित किया।

६ मूल्य के श्रम सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of Labour Theory of Value) — मूल्य के श्रम सिद्धान्त की कई प्रकार से आलोचना की गई है। कुछ आलोचनाओं का सम्बन्ध तो रिकार्डो (Ricardo) द्वारा प्रतिपादित साधारण सिद्धान्त से है पर दूसरी आलोचनाओं का मुख्य विषय इस सिद्धान्त का समाजवादियों और विशेषकर काल मार्क्स (Karl Marx) द्वारा स्पष्टीकरण है। आलोचना के विभिन्न दृष्टिकोण हैं —

(i) श्रम कई प्रकार और कई श्रेणियों का है। इसलिए उसका कोई समान माप नहीं हो सकता।

(ii) वस्तु का मूल्य उत्पादन में श्रम के सम्मिलित हो जाने के उपरांत भी अक्सर घटा-बढ़ा करता है।

(iii) इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त में उन वस्तुओं का कोई वर्णन नहीं है, जिनका मूल्य तो होता है पर जिनके उपादन में किसी प्रकार के श्रम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें उन वस्तुओं का भी कोई वर्णन नहीं है जिनके श्रम से सम्बन्धित मूल्य का कोई ठोस अनुपात नहीं होता।

(iv) फिर आधुनिक काल की प्रतिस्पर्धी साम्प्रदायिकता (competitive

equilibrium) के दृष्टिकोण से भी मार्क्स के 'अतिरेक मूल्य' के सिद्धान्त की जो कि श्रम सिद्धान्त पर आधारित है, आलोचना की गई है। प्रतियोगितापूर्ण स्थिति में अतिरेक मूल्य समाप्त हो जाना चाहिए। विट्टाकर (Whittaker) के शब्दों में 'यदि एक फर्म का उत्पादन उस उद्योग के कुल उत्पादन के अनुपात में बहुत कम है (जैसा कि अंग्रेजी वस्त्र उद्योग में उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक था जिससे मार्क्स ने बहुत से उदाहरण लिए हैं) तो एक फर्म के उत्पादन में किसी प्रकार की वृद्धि से वस्तु के बाजार भाव पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसलिए उत्पादित वस्तु की प्रति इकाई के अतिरेक मूल्य में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होगा। यदि अधिक इकाइयों का उत्पादन होगा तो फर्म की कुल अतिरेक मूल्य में वृद्धि होगी। फलस्वरूप व्यवसाय संस्था या फर्म अपने उत्पादन की मात्रा बढ़ाने का प्रयत्न करेगी। यही नहीं, उस उद्योग के सभी कारखाने इस बात का प्रयत्न करेंगे और यदि उत्पादन बढ़ जायगा तो वस्तु का बाजार भाव गिरने लगेगा। इसका परिणाम यह होगा कि अतिरेक मूल्य कम होते-होते समाप्त हो जायगा।'¹

इस प्रकार ऊपर की तौर से मूल्य का श्रम सिद्धान्त न्याय व समन्याय (justice and equity) पर आधारित अवश्य प्रकट होता है पर इससे मूल्य की कोई सन्तोषजनक व्याख्या नहीं होती।

७ मूल्य का उत्पादन लागत सिद्धान्त (The Cost of Production Theory of Value)—कॉन्टिलन (Cantillon) ने किसी वस्तु के मूल्य की (जिसे वह वास्तविक मूल्य कहते थे) परिभाषा इस प्रकार की है "किसी वस्तु का मूल्य उत्पादन में प्रयोग होने वाले श्रम व भूमि की मात्रा के माप को कहते हैं। पर ऐसे माप में भूमि की उर्वरता व श्रम के गुण का ध्यान रखना चाहिए।"² पर इस मूल्य का वस्तु के बाजार भाव से कोई सामंजस्य नहीं होता, क्योंकि उसका बाजार मूल्य तो उपभोक्ताओं की माँग पर निर्भर होता है। इस प्रकार उन्होंने मूल्य के पुरातन सिद्धान्त की जीव डाली, जिसको बाद में एडम स्मिथ (Adam Smith), सीनियर (Senior) व जान स्टुअर्ट मिल (J S Mill) ने भी विस्तृत किया।

जिस मूल्य को कॉन्टिलन (Cantillon) "वास्तविक मूल्य" कहते थे, उसे आगे चल कर एडम स्मिथ (Adam Smith) "स्वाभाविक मूल्य" ('natural value') व मार्शल (Marshall) "सामान्य मूल्य" ('normal value') बहने लगे। इस सिद्धान्त के अनुसार किसी वस्तु का स्वाभाविक तथा सामान्य मूल्य उसके उत्पादन की लागत पर निर्भर करता है।

रिकार्डो (Ricardo) पूँजी को बीता हुआ श्रम कहते हैं। लेकिन सीनियर (Senior) का कहना है कि व्याज प्रतीक्षा अथवा धन से वंचित रहने का भुगतान है। उनका विश्वास था कि सयम (abstinence) से रहना भी उत्पादन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि श्रम। सयम एक प्रकार का त्याग है और इसलिए

1. Whittaker A History of Economic Ideas, pp 429 30

2 "Value is the measure of the quantity of land and labour entering into its production, having regard to the fertility or produce of the land to the quality of the labour"—Cantillon

उत्पादन की वास्तविक लागत, जिससे मूल्य निश्चित होता है, केवल थ्रम में ही नहीं बल्कि थ्रम व समय दोनों में होती है। यही नहीं, उसने लागत में से भूमि के लभान को भी निकाल दिया। सीनियर (Senior) का सिद्धान्त बहुत कुछ एडम स्मिथ (Adam Smith) के सिद्धान्त पर आधारित था। उसे इस बात का ज्ञान था कि चूँकि प्रतियोगिता कभी पूर्ण नहीं होती, इसलिए मूल्य केवल दीर्घकाल में ही उत्पादन लागत के बराबर होता है।

मिल (J S Mill) यह मानते थे कि समय का लागत पर प्रभाव पड़ता है पर उन्होंने "प्राप्ति के नियमों" ("laws of return") के प्रभाव का विश्लेषण करके इस सिद्धान्त को और भी विस्तृत कर दिया है। सीनियर (Senior) की भाँति वह भी मूल्य व लागत के सामञ्जस्य को दीर्घकालिक विशेषता समझते थे। पर मिल (J S Mill) ने थ्रम व समय के वास्तविक लागत की अपेक्षा मुद्रा व्यय ही पर अधिक जोर दिया और यही पर मार्शल ने मिल (Mill) के मूल्य के लागत सिद्धान्त (cost theory of value) को आगे बढ़ाया।

मार्शल (Marshall) के लिए उत्पादन लागत कँची का केवल एक फल है। उसका कहना था कि मूल्य रूपी कँची का एक फल तो उत्पादन लागत है, और दूसरा सीयान्त उपयोगिता (marginal utility)। मार्शल ने वास्तविक लागत (real costs) तथा मुद्रा-लागत (money costs) को यह कहकर समान करने का प्रयत्न किया कि यद्यपि मुद्रा न्यय उद्यमी की दृष्टि से बड़ा महत्त्वपूर्ण है, पर समुदाय के लिए सबसे अधिक महत्त्व वास्तविक लागत (कठिन प्रयत्न व प्रतीक्षा) का ही है। इसके अतिरिक्त उमका विश्वास था कि यदि प्रयत्नों के रूप में मुद्रा की क्रय शक्ति स्थिर रहे, और प्रतीक्षा के भुगतान को दर भी स्थिर रहे तो लागत वा मुद्रा में माप वास्तविक लागत (real costs) के समान ही होगा। पर साथ ही साथ मार्शल (Macahall) का यह भी कहना है कि "इन प्रकार का सामञ्जस्य सदैव आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता।"

हम देख चुके हैं कि उद्यमी के रूप में उत्पादन लागत का विचार, वैसे गणना की दृष्टि से चाहे कितना ही लाभदायक क्यों न हो, पर मूल्य की समस्या की कोई व्याख्या नहीं करता, क्योंकि यह वस्तु की कीमत को केवल उत्पादन के विभिन्न साधनों की कीमत के आधार पर ही व्याख्या करता है। जब तक प्रयत्नों के रूप में किए गए उत्पादन की वास्तविक लागत को मुद्रा लागत (money cost) में परिवर्तित न कर दिया जाए, तब तक इस प्रकार की लागत को हम उत्पादन लागत में शामिल कर ही नहीं सकते। लागत की धारणा में इस कठिनाई के अतिरिक्त उत्पादन लागत मूल्य सिद्धान्त में और भी बहुत सी त्रुटियाँ हैं।

आलोचना (Criticism)—निम्नलिखित कारणों से मूल्य का उत्पादन लागत सिद्धान्त मूल्य को उचित रूप से व्याख्या नहीं कर पाता —

इस सिद्धान्त में ऐसे थ्रम व पूँजी का, जिसका अनुचित उपयोग हुआ हो, कोई वर्णन नहीं है।

उत्पादन के पदचात् बहुत सम्भव है कि मूल्य बढ़ जाय। सिद्धान्त दुर्लभ

वस्तुओं और विशेषकर ऐसी वस्तुओं, जैसे पुराने कलाकारों द्वारा निर्मित चित्रों व मूर्तियों आदि के मूल्य की कोई व्याख्या नहीं करता। कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जिनकी उत्पादन लागत का अनुमान लगाना असम्भव होता है। ऐसा विशेष रूप से उन वस्तुओं में होता है जो उप-उत्पाद के रूप में अपचा भिताकर तैयार की जाती हैं। इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न व्यवसाय सस्था या फर्म व हर फर्म को विभिन्न इकाइयों के अनुसार उत्पादन लागत में भिन्नता आ जाती है; और ऐसी परिस्थिति में यह निश्चित करना कठिन होता है कि इनमें से किस व्यवसाय सस्था या फर्म की लागत या कौनसी लागत मूल्य निर्धारित करती है।

८. पुनरुत्पादन लागत का सिद्धान्त (Cost of Reproduction Theory)—

ऐसा बहूत कम होता है कि किसी वस्तु का सामान्य मूल्य उत्पादन लागत के बराबर ही हो। परिवर्तनशील सत्तार में जहाँ तकनीक सम्बन्धी परिवर्तन प्रतिदिन हो रहे हैं, यह आवश्यक नहीं कि दीर्घकाल में उत्पादन लागत किसी एक दिन की उच्च लागत के बराबर ही हो। अधिकतर ऐसा है कि दीर्घकाल में उत्पादन लागत उस लागत के बराबर होती है, जो वस्तु के पुनरुत्पादन में लगती है। इसलिए केरी (Carey) का कहना है कि सामान्य मूल्य को समझने के लिए उत्पादन लागत की अपेक्षा पुनरुत्पादन लागत (cost of reproduction) का सिद्धान्त अधिक उपयोगी होगा।

पर इससे कोई विशेष लाभ नहीं हाता। मार्शल (Marshall) के अनुसार उत्पादन की सामान्य लागत व पुनरुत्पादन की सामान्य लागत ऐसे शब्द हैं, जिनको एक दूसरे के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। वास्तव में किसी वस्तु की दीर्घकाल में उत्पादन लागत क्या होगी, इसके अर्थ ही यह है कि पुनरुत्पादन (reproduction) की लागत क्या होगी।

यद्यपि यह अवश्य है कि पुनरुत्पादन के मूल्य व लागत में उत्पादन के मूल्य व लागत की अपेक्षा अधिक समानता है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि पुनरुत्पादन की लागत ही मूल्य निर्धारित करती है। इस सम्बन्ध में उन सब आरोपों का जो उत्पादन लागत सिद्धान्त के विषय में द्वाए गए हैं, यहाँ उल्लेख किया जा सकता है।

यदि कोई सुगमता से उस समय तक प्रतीक्षा कर सके जब वस्तु का पुनरुत्पादन सम्भव होगा तो पुनरुत्पादन के व्यय का कुछ प्रभाव वस्तु के मूल्य पर हो सकता है। जब तक नई पूर्ति नहीं आती, उस समय तक तो माँग की तीव्रता (intensity of demand) पर ही मूल्य निर्भर होगा।

कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जब कि पुनरुत्पादन की लागत का कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मार्शल (Marshall) के शब्दों में, "किसी धिरे हुए शहर में अनाज, किसी रोगग्रस्त द्वीप में कुनीन जिसकी पूर्ति कम हो गई है, राफेल (Raphael) के चित्र, ऐसी पुस्तक जिसे पढ़ना कोई पसन्द नहीं करता, पुराने ढग का जगो जहाज, आधिक्य या कमी के बाजार में मछली, फूटी हुई घण्टी, पुराने रिवाज की पोशाक अथवा नष्ट गाँव में किसी मकान इत्यादि की कीमत तथा पुनरुत्पादन की लागत में कोई सम्बन्ध नहीं होता।"¹

६ मूल्य का सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त (Marginal Utility Theory of Value)—मूल्य के सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त के अनुसार सीमांत उपयोगिता द्वारा वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। दूसरे शब्दों में वस्तु की दुर्लभता (scarcity) से सम्बन्धित माँग ही मूल्य निर्धारित करती है। उत्पादन लागत का एकमात्र कार्य वस्तु की दुर्लभता निर्धारित करता है। महत्त्वपूर्ण बात तो वस्तु की दुर्लभता है, चाहे उस दुर्लभता का कारण कुछ भी हो। वह कारण वस्तु की स्थिर मात्रा, प्रथम उत्पादन के साधनों की दुर्लभता के कारण, चाहे उसके उत्पादन में कठिनाइयाँ उसकी दुर्लभता का कारण हो सकती हैं। फिर भी मूल्य का निर्धारण वही सिद्धान्त करेगा। उस दुर्लभता का कारण यह भी हो सकता है कि उसके उत्पादन में कठिनाइयाँ होने के कारण उत्पादन के साधन दूसरे उद्योगों से प्रतिस्थापित होकर ऊँची कीमत पर मिलने लगे हों। पर चूँकि वडे हुए भाव, बड़ी हुई माँग कीमत का ही दूसरा रूप है, इसलिए माँग कीमत या उपभोगिताओं की सीमान्त उपयोगिता (जिन पर कि यह मूल्य निर्भर है) ही मूल्य निर्धारित करती है। यह मूल्य की एकात्मक व्याख्या है।

उपर्युक्त बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि मूल्य के इस सिद्धान्त में व उत्पादन लागत के सिद्धान्त में बहुत थोड़ा अन्तर है, क्योंकि उत्पादन लागत सिद्धान्त को मानने वाले भी यह कहते हैं कि उत्पादन-लागत पूर्ति निर्धारित करती है, जिससे कीमत निर्दिष्ट होती है। पर वास्तव में दोनों सिद्धान्त दूर से समान दीखते हुए भी एक दूसरे से मूल रूप में भिन्न हैं। सीमान्त उपयोगिता के सिद्धान्त के अनुसार उत्पादन-लागत पर मूल्य निर्भर नहीं होता। यह अवश्य है कि उत्पादन-लागत स्थूलता पर प्रभाव डालती है, किन्तु वह भी परोक्ष रूप से। जैसा कि हम देख भी चुके हैं, दुर्लभता सर्वदा उत्पादन लागत के कारण ही नहीं होती। (जैसा कि अल्प वस्तुओं के सम्बन्ध में होता है)। इसलिए मूल्य के निर्धारण में न तो उद्योगी की लागत का उतना महत्त्व है, न समाज के त्यागपूर्ण प्रयत्नों का ही उतना महत्त्व है जितना कि परस्पर प्रतिस्पर्धी माँगों का है। वस्तुतः, प्रतिस्पर्धी माँगों के अनुसार वस्तुओं की पूर्ति व लागत अपने आपको व्यवस्थित कर लेती हैं। विकल्पों (alternatives) के त्याग के रूप में ही लागत, जिन्हे आंतर, वैकल्पिक तथा हस्तांतरण लागत भी कहते हैं, कीमत व मूल्य पर कुछ प्रभाव डालती है। दीर्घकाल में माँग में उपक्रमों के वह सब ध्वंस सम्मिलित हो जाते हैं, जो उत्पादन के विभिन्न साधनों को अन्य प्रयोगों से प्रतिस्थापित करने में उभरे करने पड़ते हैं। इसलिए लागत का यह सिद्धान्त उपयोगिता पर आधारित है।

यही कारण है कि वर्तमान रूप में सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त 'एकात्मक' ('monistic') कहा जाता है और यह मार्शल की दुहरी (dual) व्याख्या से भिन्न है। मार्शल (Marshall) का विचार था कि उपयोगिता व लागत दो स्वतन्त्र चर्च होते हैं जो मूल्य के निर्धारण में समान रूप से सहयोग देते हैं। उनके महत्त्व की मात्रा समय के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। पर एकात्मक व्याख्या की उत्पादन लागत भी उपयोगिता का एक अंग है, इसलिए वह स्वतन्त्र अर्थ नहीं मानी जा सकती। धीरे

चूँकि लागत वैकल्पिक उपयोगिता प्रकट करती है इसलिए पूर्ति व माँग दोनों ही उपयोगिता पर ही निर्भर होती है ।¹

पर आस्ट्रिया (Austria) के अर्थशास्त्रियों व उनके समर्थकों ने, जिनमें मुख्य ब्रिटिश अर्थशास्त्री विकस्टीड (Wicksteed) है, पूर्ति व माँग की शक्तियों के समीकरण को और भी बढ़ा दिया है । विकस्टीड² (Wicksteed) ने यह प्रमाणित किया है कि बाजार में ग्राहक व विक्रेताओं के मस्तिष्क में काम करने वाली शक्तियों में कोई विशेष अन्तर नहीं होता । जब निश्चित कीमत, जिसे विक्रेता की सुरक्षित कीमत (seller's reserve price) कहा जाता है, गिर जाती है तो विक्रेता वस्तु को बाजार से हटा लेता है । ऐसी परिस्थिति में वह ग्राहक की हैसियत में दिखाई देता है । दूसरे शब्दों में, कीमत के एक विशेष स्तर पर पहुँच जाने पर वह स्वयं एक तरह से अपनी वस्तु को क्रय करना प्रारम्भ कर देता है । ब्रिग्स (Briggs) व जारडन (Jordan) के शब्दों में, 'नीलाम के समय इस प्रकार के सब विक्रेता, जिन्हें लोग नहीं पहचानते, कीमतें बढ़ाने के निमित्त प्रतियोगिता में सम्मिलित हो जाते हैं ।'³

आजकल सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त मूल्य का सर्वमान्य सिद्धान्त है क्योंकि .

(क) यह हर समय के मूल्य की व्याख्या करता है, चाहे वह समय थोड़ा हो या अधिक,

(ख) माँग अथवा पूर्ति या दोनों में होने वाले परिवर्तनों के कारण मूल्य में जो परिवर्तन होते रहते हैं उनका स्पष्टीकरण यह सिद्धान्त करता है, तथा

(ग) "दुर्लभ, खराब, अपूर्ण अथवा नष्ट वस्तुओं के मूल्य की एकमात्र सन्तोषजनक व्याख्या इसी सिद्धान्त में मिलती है । ऐसी वस्तुओं के मूल्य का कोई सम्बन्ध उत्पादन लागत से नहीं होता । यह सिद्धान्त पानी, धूप आदि ऐसी वस्तुओं के मूल्य का भी स्पष्टीकरण करता है, जो अत्यधिक उपयोगी होने हुए भी विशेष मूल्यवान् नहीं होती ।"

१० प्राप्ति के नियमों का मूल्य पर प्रभाव (The Influence of the Laws of Returns on Value) — यह देखा जा चुका है कि किसी निश्चित समय में मूल्य माँग व पूर्ति के सम्बन्ध से निर्धारित होता है, पर दीर्घकाल में इसकी प्रवृत्ति उत्पादन की सीमान्त लागत के बराबर होने की होती है । उत्पादन के नियम उत्पादन लागत पर और फलस्वरूप दीर्घकाल में मूल्य पर प्रभाव डालते हैं । अब देखना यह है कि उत्पादन के इन तीनों नियमों का मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है—

१ आह्लासी या घटती हुई प्राप्ति का नियम (Law of Diminishing Returns) — यदि किसी उद्योग में इस नियम का प्रभाव हो तो जितना भी अधिक उत्पादन होगा, प्रति इकाई व्यय उतना ही अधिक होगा । इसके प्रतिकूल उत्पादन जितना ही कम होगा, व्यय भी उतना ही कम हो जाएगा । यदि वस्तु की माँग बढ़ जाती है, तो औसत मूल्य भी बढ़ेगा और इससे पूर्ति में वृद्धि होगी । पर अतिरिक्त पूर्ति

1 Whittaker—A History of Economic Ideas, p 458

2 Wicksteed—Commonsense of Political Economy, Vol II, Ch 4

3 Briggs and Jordan—Text Book of Economics, p 78

(additional supply) प्राप्त करने में औसत लागत बढ़ जाएगी और इसलिए मूल्य बढ़े रहेंगे। किन्तु इसके विपरीत यदि माँग घट जाएगी तो फल विपरीत होंगे।

२. बढ़ती हुई प्राप्ति का नियम (Law of Increasing Returns)—पर यदि उद्योग वृद्धि उत्पादन नियम के प्रभाव में है, तो अतिरिक्त पैदावार (additional output) अनुपात से कम लागत पर प्राप्त होगी। ऐसी दशा में यदि माँग बढ़ जाएगी तो पूर्ति कम लागत पर प्राप्त हो सकेगी। फलस्वरूप कीमत गिर जाएगी। माँग के बढ़ने से कीमत में वृद्धि अवश्य होगी पर दीर्घ काल में जब पूर्ति भी बढ़ जाएगी तब अन्त में कीमत में कमी हो जाएगी। लेकिन यदि माँग में कमी हो तो इसके बिल्कुल विपरीत होगा। यदि माँग कम हो जाती है, तो उत्पादन में भी कमी होगी, और बढ़ती हुई प्राप्ति नियम में इसका परिणाम यह होगा कि औसत लागत बढ़ जाएगी। अस्तु, इस दशा में कीमत में पूर्ति के विपरीत परिवर्तन होता रहना है, अर्थात् अधिक पूर्ति पर कम कीमत और कम पूर्ति पर अधिक कीमत होगी।

३ प्राप्ति का स्थिर नियम (Law of Constant Returns)—प्राप्ति के स्थिर नियम की दशा में उत्पादन के हर परिमाण में लागत स्थिर रहती है। इसलिए यदि माँग घटने-बढ़ने के कारण पूर्ति में वृद्धि अथवा कमी करनी पड़ती है, तो उसका कोई प्रभाव कीमत पर नहीं पड़ता।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्राप्ति (returns) के नियमों का प्रभाव केवल दीर्घकाल में ही होता है या इसी को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि उत्पादन के नियम सामान्य मूल्य (normal value) को प्रभावित करते हैं, प्रचलित मूल्य (market value) को नहीं।

निर्देश पुस्तकें

Adam Smith Wealth of Nations (Cannan's Edition).

Ricardo Principles of Political Economy and Taxation (Sraffa's Edition)

Jevons The Theory of Political Economy (Third Edition)
p 95 onwards

Davenport The Economics of Enterprise, p 61 (Theory of Enterprise)

Wicksteed Commonsense of Political Economy

Cassell Theory of Social Economy

Henderson, H D Supply and Demand, 1932, p 166.

Meyers, A L Elements of Modern Economics, 1951, pp 149—52 (for opportunity cost)

Fraser, L M Economic Thought and Language, 1947, Ch. VII.

अध्याय २१ परस्पर निर्भर मूल्य (Inter-Related Values)

१. सयुक्त पूर्ति (Joint Supply)—पृथक् माँग (isolated demand) की समस्या बहुत कम पैदा होती है। यही स्थिति पृथक् पूर्ति (isolated supply) की भी है। माँग पक्ष में, न सिर्फ सयुक्त रूप से माल की माँग होती है जो परस्पर प्रतिस्थापन (substitutes) करते हैं बल्कि व्यक्ति की भिन्न माँगें परस्पर सम्बद्ध हो जाती हैं। ऐसा इस कारण से होता है चूँकि उसकी आय सीमित होती है और उसे प्रतियोगी माँगों में बाँटना पड़ता है। इसी प्रकार पूर्ति पक्ष में भी न सिर्फ सयुक्त पूर्ति की समस्या बनी रहती है बल्कि उत्पादन के साधन दुर्लभ (scarce) होने के कारण पूर्तियाँ परस्पर सम्बद्ध (inter connected) हो जाती हैं। अब हमें यह देखना है कि परस्पर-सम्बद्ध वस्तुओं की दशा में मूल्य (value) किस तरह निश्चित होता है। पहले सयुक्त-पूर्ति को ही लीजिए, यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं का उत्पादन साथ-साथ होता है, तो उनकी पूर्ति सयुक्त मानी जाती है अथवा उसे सयुक्त उत्पादन कहते हैं। उदाहरण के लिए, गोشت और ऊन, गेहूँ और भूसा, कपास व बिनोला, कोयला व गैस आदि।

प्रत्येक वस्तु की पूर्ति व माँग का साम्य उसका बाजार भाव निर्धारित करता है। जहाँ तक सामान्य कीमत (normal price) का सम्बन्ध है, वहाँ सयुक्त उत्पादन की वस्तुओं की कीमतों के योग से उन सब के उत्पादन की सीमान्त लागत (marginal cost of production) पूरी हो जानी चाहिए।

ऐसी स्थिति में या तो वे दोनों वस्तुएँ (यदि वे दो हो तो) एक ही अनुपात में बनती हैं, अथवा उनके अनुपात में भिन्नता भी हो सकती है। पहली स्थिति में तो एक वस्तु की कीमत के तनिक भी बढ़ने से दूसरे की कीमत तुरन्त गिरने लगेगी। पर शतें यह है कि दूसरी वस्तु की माँग में कोई परिवर्तन न हुआ हो। दूसरी स्थिति में क्योंकि अनुपात में भिन्नता हो सकती है, इसलिए एक वस्तु की कीमत में किसी प्रकार की वृद्धि से दूसरी वस्तु की कीमत में उसी मात्रा में कमी नहीं होगी, जिस मात्रा में कि प्रथम उदाहरण में हुई थी।

सयुक्त उत्पादन आज की प्रणाली है (Joint Products are the Rule)—आजकल औद्योगिक तकनीक इतनी विकसित हो गई है कि बहुत कम वस्तुएँ ऐसी हैं, जिनका उत्पादन पृथक् रूप से होता है। इसलिए अर्थशास्त्र के अध्ययन में सयुक्त उत्पादन का बड़ा महत्त्व है। वह उपोत्पाद (by-products) जो पूर्वकाल में फेंक दिए जाते थे, अब व्यापारिक कार्यों में प्रयुक्त हो रहे हैं। आजकल निर्माणशालाओं में अनेक प्रकार की चीजें निर्मित हो रही हैं। रेलों द्वारा सयुक्त लागत पर बहुत-सी

सेवाएँ मिल रही हैं। ऐसी सेवाओं (अथवा माल) की कीमतों का निर्णय इस आधार पर होता है कि यातायात (traffic) क्या सहार करता है। यद्यपि उत्पादन लागत मयुक्त है पर उत्पादित वस्तुएँ अनेक होती हैं, और हर प्रकार की वस्तु की पृथक् उत्पादन लागत का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। इसीलिए इन वस्तुओं की कीमत मयुक्त पूर्ति के आधार पर निश्चित होती है।

२ सयुक्त माँग (Joint Demand)—परस्पर सम्बन्धित माँग दो प्रकार के सम्बन्ध प्रस्तुत करती है (१) सम्पूरक (complementary) तथा (२) प्रतिस्थापित (substitutive)। अब हम पहले सम्पूरक सम्बन्ध का अध्ययन करेंगे।

जिन वस्तुओं की माँग साथ-साथ होती है, उनकी माँग को सयुक्त माँग कहते हैं। मोटरकार व पेट्रोल, कतम व स्याही, टेनिस बाल व रैकट आदि सयुक्त माँगें हैं। इस सम्बन्ध में व्युत्पन्न माँग (derived demand) के उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण हैं। व्युत्पन्न माँग उन पदार्थों व सेवाओं की होती है जिनके द्वारा वस्तु का उत्पादन होता है।

जब दो वस्तुएँ सम्पूरक होती हैं, जैसे फाउन्टेनपेन तथा स्याही, तो एक वस्तु (फाउन्टेनपेन) की माँग में वृद्धि दूसरी (स्याही) की माँग भी बढ़ा देगी। यदि एक की भी कीमत घट जाएगी तो दोनों की माँग में वृद्धि हो जाएगी। इसके अर्थ यह है कि यदि फाउन्टेनपेन की कीमत घट जाती है तो स्याही की कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी माँग भी बढ़ जाएगी। इन कीमतों के बदलने की सीमा फाउन्टेनपेन की माँग तथा स्याही की पूर्ति की लोच पर निर्भर होगी।

यह बात इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगी। मान लीजिए कि मकानों की माँग अचानक बढ़ जाने से उनकी कीमत बढ़ जाती है। मकानों की कीमतों में यह वृद्धि उनमें प्रयोग होने वाले पदार्थों की कीमत पर क्या प्रभाव डालेगी? इसका तात्कालिक प्रभाव यह होगा कि मकान बनाने में प्रयोग होने वाले विभिन्न पदार्थों की माँग बढ़ जाएगी। इससे उनकी कीमत में वृद्धि होगी। पर उनमें से प्रत्येक की कीमत की वृद्धि की मात्रा समान नहीं होगी क्योंकि प्रत्येक की पूर्ति की परिस्थितियाँ विभिन्न हैं। और यह भी सम्भव है कि उनके प्रयोग के अनुपात में परिवर्तन करके उनकी माँग को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए प्रत्येक की कीमत में वृद्धि को निर्धारित करने में बहुत-सी परिस्थितियाँ काम करेगी। इनमें से मुख्य माँग की लोच व दुर्लभता की मात्रा (elasticity of demand and degree of scarcity) हैं। अस्तु—

(क) यदि अन्य बातें समान हो तो जो वस्तु अधिक दुर्लभ होगी, उसकी कीमत में वृद्धि भी अधिक होगी। (ख) यदि कुछ वस्तुओं की कीमत अधिक बढ़ जाए तो उनके प्रयोग के अनुपात को कम किया जा सकता है। ऐसी दशा में कीमत की यह वृद्धि कुछ हद तक रोकी जा सकती है। कुछ वस्तुओं के बजाय दूसरी सस्ती चीजें मिल जाती हैं, जिनसे उनकी कीमत अधिक नहीं बढ़ पाती। (ग) यह भी हो सकता है कि मकान के कुछ पदार्थ वैकल्पिक प्रयोगों (alternative uses) में अधिक लाभदायक हों, और इसलिए यदि मकान मालिक उनकी अत्यधिक कीमत न दें तो ऐसी दशा में उनकी दूसरे प्रयोग में लाया जाएगा और कीमतें अप्रत्याशित रूप से बढ़

आयेंगी। (घ) यदि किसी पदार्थ की लागत उत्पादित वस्तु की कुल लागत (total cost) से बहुत कम अनुपात में हो तो उसकी कीमत अधिक बढ़ सकती है क्योंकि इससे वस्तु की कीमत व फलस्वरूप उसकी माँग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि किसी अग्रभूत वस्तु (constituent) की कीमत (जैसे थ्रम) मकान की लागत के अत्यधिक भाग के बराबर होगी तो उसकी कीमत अधिक नहीं बढ़ सकती क्योंकि इससे मकान की कीमत बढ़ जाएगी व फलस्वरूप उसकी माँग कम हो जाएगी। माँग की कमी कीमत को फिर गिरा देगी और इसका प्रभाव उस पदार्थ पर जिसकी कीमत अचानक बढ़ गई थी, उल्टा पड़ेगा।

इसलिए, इस प्रकार की सभी वस्तुओं की कीमत उस वस्तु की, जिसके उत्पादन में इनका प्रयोग होता है, सीमान्त उपयोगिता द्वारा निश्चित होती है, दीर्घकाल में हर वस्तु का उपयोग इतनी मात्रा में होना चाहिए कि उसकी सीमान्त उत्पादन लागत समान हो जाए। अधिकतर उनमें से प्रत्येक की व्यक्तिगत रूप से सीमान्त उपयोगिता पृथक् करना सम्भव नहीं होता।

स्थानापन्न वस्तुएँ (Substitutes) जैसे चाय तथा कॉफी में एक की कीमत में वृद्धि से दूसरे की माँग बढ़ जाएगी। फलस्वरूप दूसरे की कीमत भी बढ़ जाएगी। कीमत के गिरने से उल्टा प्रभाव पड़ेगा। मिश्रित लोच (cross elasticity) का सामान्य विचार इस सम्बन्ध को बताने का मार्ग दर्शक है। स्थानापन्न वस्तुओं के सम्बन्ध में मिश्रित-लोच निम्नलिखित नियम से जानी जा सकती है—

$$\text{मि० लो०} = \frac{\text{च की मात्रा में सम्बन्धित परिवर्तन}}{\text{क की कीमत में सम्बन्धित परिवर्तन}}$$

$$\text{मि० लो०} = \text{मिश्रित लोच, च} = \text{चाय तथा क} = \text{कॉफी}$$

क्या कोई श्रंत संयुक्त माँग में अपनी पूर्ति रोक कर पारिश्रमिक बढ़ा सकता है ?

यदि उत्पादन का यह अंश अत्यन्त आवश्यक है तो इसका पारिश्रमिक अवश्य बढ़ जाएगा क्योंकि इसके बिना उत्पादन कार्य ही बन्द हो जाएगा। उसकी पूर्ति का अवरोध उत्पादन बन्द कर देगा। फलस्वरूप उत्पादित वस्तु जैसे (मकान) की कीमत में वृद्धि होना अवश्यम्भावी है। ऐसी दशा में यह कीमत दूसरे साधनों की लागत से अधिक हो जाएगी और इस अतिरिक्त लाभ में से ही निरोधित साधन (थ्रमिको का एक विशिष्ट समुदाय) को चुकाया जाएगा। “मार्शल” ने इस व्युत्पन्न माँग के नियम (Law of Derived Demand) की व्याख्या इस प्रकार की है—

“वह कीमत जो उत्पादित वस्तु के किमी साधन को दी जाएगी, सर्वद्व उस अन्तर तक सीमित रहेगी, जो कि उस कीमत में, जिस पर कि वस्तु का विक्रय हो सकता है व उन कीमतों का योग, जिन पर दूसरे साधनों की पूर्ति होती है प्रयोग के लिए मिल सकती है।”¹

1. “The price that will be offered for anything used in producing a commodity is for each separate amount of the commodity, limited by the excess of the price at which that amount of the commodity can find purchasers, over the sum of the prices at which the corresponding supplies of the things needed for making it will be forthcoming”—Marshall Principles of Economics, 1936, p 383

कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, जिनमें श्रमिकों का एक समूह अपनी पूर्ति रोक कर अपनी मजदूरी बढ़ाने में सदैव सफल रहता है। यह भी सयुक्त माँग की स्थिति है। वह परिस्थितियाँ ये हैं—(१) उत्पादित वस्तु (मकान) की माँग, जिसमें ऐसे मनुष्यों की सेवाएँ प्रयोग में लाई जाती हैं लोचहीन (inelastic) होनी चाहिए। (२) ऐसे समूह की सेवाएँ अति आवश्यक हो तथा उनका स्थानापन्न न मिल सके। (३) यह भी आवश्यक है कि उनकी मजदूरी कुल मजदूरी का थोड़ा भाग हो। ऐसी दशा में उद्यमी उनकी बड़ी हुई मजदूरी की माँग को स्वीकार कर सकेगा। (४) साथ ही साथ दूसरे साधनों की माँग लोचपूर्ण व पूर्ति लोचहीन हों, जिससे कि माँग में तनिक रुकावट भी उसकी पूर्ति की कीमत को गिरा दे। इससे असहयोगी अंश (non-co-operating factor) अपना पारिश्रमिक बढ़ा सकेगा।

३ सामासिक पूर्ति (Composite Supply)—जिन वस्तुओं की पूर्ति कई वृत्तिक साधनों द्वारा हो सकती है उनकी पूर्ति को 'सामासिक पूर्ति' कहते हैं, क्योंकि उनकी पूर्ति का निर्माण विभिन्न साधनों से प्राप्त पूर्ति द्वारा होता है। उदाहरण के लिए नमक खानों से भी प्राप्त हो सकता है और समुद्र के पानी से भी सुखाकर बनाया जा सकता है। पर इसके सबसे अच्छे उदाहरण स्थानापन्न या प्रतिस्थापित वस्तुएँ हैं। उनकी कीमत एक दूसरे से लगभग एक स्थिर 'दूरा' पर घटा या बढ़ा करती है, ऐसी वस्तुओं में से प्रत्येक की कीमत दीर्घकाल में उस बिन्दु पर स्थित हो जाती है, जहाँ उसके उत्पादन की सीमांत लागत उपभोक्ताओं के लिए सीमांत उपयोगिता के समान होनी है।

४ सामासिक माँग (Composite Demand)—जिस वस्तु के एक से अधिक उपयोग होते हैं उसकी माँग सामासिक होती है। उसकी सम्मिलित माँग का निर्माण उसके विभिन्न उपयोगों की माँग से होता है। उदाहरण के लिए कोयले का प्रयोग रेलवे इंजन में, कारखानों में कमरे को गरम करने में तथा खाना पकाने में होता है। इन विभिन्न उपयोगों में कोयले की कीमत लगभग समान रहती है। उदाहरण के लिए, यदि रेलवे में कोयले की माँग बढ़ जाती है तो तमाम कोयला रेलवे में जाने लगेगा। परिणामस्वरूप दूसरे उपयोगों में उसकी पूर्ति कम हो जाएगी जिससे उन प्रयोगों में भी उसकी कीमत बढ़ जाएगी। इसलिए सामासिक माँग वाली वस्तुओं की कीमत विभिन्न प्रयोगों में, उनकी सीमांत उपयोगिता द्वारा निर्धारित होती है क्योंकि वस्तु एक प्रयोग में हटाकर दूसरे प्रयोग में लाई जा सकती है। दीर्घकाल में इनकी कीमत इतनी होनी चाहिए, जिससे कि उनकी सीमांत उत्पादन की लागत पूर्ति हो सके।

निर्देश पुस्तकें

Henderson H D Supply and Demand

Clark J M Economics of Overhead Costs, 1923 Ch XI, pp.

216-232

Stigler, G J Theory of Price

अध्याय २२

एकाधिकार में मूल्य

(Value Under Monopoly)

१ एकाधिकार कीमत निश्चित करना (Fixing Monopoly Price)—
पिछले तीन अध्यायों में मूल्य अथवा कीमत का अध्ययन करते समय हमने यह मान लिया था कि ग्राहकों व विक्रेताओं, दोनों के बीच पूर्ण प्रतिस्पर्धा (perfect competition) पाई जाती है। पर इस अध्याय में हम इसकी प्रतिकूल स्थितियों का अध्ययन करेंगे अर्थात् एकाधिकार का। विस्तृत अर्थ में एकाधिकार शब्द का प्रयोग 'पूर्ति अथवा माँग किसी भी दृष्टिकोण से किए गए वस्तु तथा सेवा की कीमत के नियन्त्रण के लिए होता है। पर संकुचित रूप में इसका आशय व्यापारियों अथवा उत्पादकों के उस सघ से होता है, जो वस्तुओं या सेवाओं की पूर्ति की कीमत का नियन्त्रण करता है।'¹

प्रत्येक विक्रेता व उत्पादक अधिक से अधिक लाभ कमाने की चेष्टा करता है। चूँकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में, कीमत सीमान्त लागत के बराबर होती है, इसलिए उत्पादकों को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है, जो लागत का एक अंग होता है। पर एकाधिकार की स्थिति में एकाधिकारी को सामान्य से अधिक लाभ कमाने की शक्ति होती है। अपनी वस्तु को सीमान्त उत्पादन व्यय से अधिक दामों पर बिकर वह यह लाभ प्राप्त करता है। सीमान्त लागत तथा कीमत के बीच का यह अन्तर ही एकाधिकार शक्ति की मात्रा का माप है।

यह तो स्पष्ट है कि कोई भी एकाधिकारी पैदावार की मात्रा व कीमत दोनों ही निश्चित नहीं कर सकता। वह या तो एक निश्चित मात्रा में पैदावार करके यह प्रतीक्षा करता है कि माँग की शक्ति उसकी वस्तु की कीमत निर्धारित करे, अथवा कीमत निश्चित कर वह माँग के लोच पर छोड़ देता है कि उत्पादन किस परिमाण में हो। अधिकतर एकाधिकारी दूसरा रास्ता अपनाता है।

अब प्रश्न यह है कि एकाधिकारी के लिए कौनसी कीमत सबसे अधिक लाभप्रद होगी। सैद्धान्तिक दृष्टि में तो वह ऐसी ही कीमत निश्चित करेगा जिससे लाभ सर्वाधिक हो। शुद्ध एकाधिकार सीमित करने वाला है।² उसकी भाँय स्थिर होती है जोकि उपभोक्ताओं की समस्त आय के बराबर होती है। यदि उनकी कुल लागत सबसे कम है तो उनका एकाधिकार लाभ अधिकतम होगा। वह इतना शक्तिशाली होता है कि अपने उत्पाद के छोटे से भाग को भी बहुत अधिक ऊँची कीमत पर बेच सकता है। किन्तु ऐसी स्थिति वास्तव में व्यवहारिक रूप से सम्भव

1 Thomas S E Op cit p 215

2 See Ch XV, Section 1

नहीं है। वास्तव में यह आवश्यक नहीं है कि एकाधिकार कीमत अत्यधिक ऊँची या नीची हो। यदि एकाधिकारी कीमत को बहुत अधिक बढ़ा देगा तो वस्तु की बहुत थोड़ी इकाइयाँ बिकेंगी। साथ ही यदि कीमत बहुत कम होगी तो उसे प्रति इकाई बहुत कम लाभ होगा। इसलिए उसे कीमत इन प्रकार निश्चित करना चाहिए, जिससे कि प्रति इकाई पर एकाधिकारी का लाभ बेची हुई इकाइयों से गुणा करके योग्य अधिकतम हो।

२ सीमान्त राजस्व व सीमान्त लागत की साम्यता (Equalisation of Marginal Revenue and Marginal Costs)—सीमान्त लागत क्या होती है इसकी व्याख्या की जा चुकी है। सीमान्त लागत वह लागत है जो अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से उत्पादन की कुल लागत में जोड़ने से प्राप्त होती है। इसी प्रकार सीमान्त राजस्व वह आगम है जो अतिरिक्त इकाई के विप्रेषण से प्राप्त आय को एकाधिकार के कुल आगम में जोड़ देने से प्राप्त होता है। इसमें यह स्पष्ट है कि जब तक उत्पादित व विक्रय की गई अतिरिक्त इकाई से लागत की अपेक्षा आय अधिक बढ़ती है, तब तक एकाधिकारी को अपना उत्पादन व विक्रय बढ़ाने में लाभ होगा। इसके विपरीत होने पर उत्पादन कम करना ही लाभदायक होगा। जिस बिन्दु पर सीमान्त लागत व सीमान्त राजस्व समान होने ह वह अनुकूलतम उत्पादन है, अर्थात् वह, जो सर्वाधिक एकाधिकारी लाभ प्रकट करता है। यह बिन्दु कहाँ होगा, यह मार्ग व व्यय की सूची पर निर्भर होगा। नीचे इसी का सूत्रम अंकित उदाहरण दिया जा रहा है—

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
कीमत	मांगी गई इकाइयाँ	कुल राजस्व	सीमांत राजस्व	पूँति वा उत्पादन	कुल लागत	सीमांत लागत	सीमान्त लागत
(₹०)	(दजन)	(₹०)	(₹०)	(दजन)	(₹०)	(₹०)	(₹०)
४	१	४	४	४	८१	४	१७
८	२	१६	७	८	६४	४	१५
७	३	२१	५	७	४६	७	१३
६	४	२४	३	६	३६	६	११
५	५	२५	२	५	२५	५	९
४	६	२४	—१	४	१६	४	७
३	७	२१	—३	३	९	३	५
२	८	१६	—५	२	४	२	३
१	९	९	—७	१	१	१	१

उपर की तालिका में कीमतें, मांगी गई इकाइयाँ, पूँति की हुई इकाइयाँ तथा कुल लागत का अनुमान दिया गया है। अग्य अत्र इन प्रकार प्राप्त हुए हैं—

(क) कुल राजस्व = कीमत × मांगी गई इकाइयाँ।

(ख) सीमान्त राजस्व १ इकाई का कुल राजस्व ६ है, २ इकाइयों का १६ है २ इकाइयों का सीमान्त राजस्व $१६ - ६ = ७$ है, और आगे भी यह क्रम इसी प्रकार चलेगा।

(ग) औसत लागत कुल लागत—पूर्ति की इकाइयों।

(घ) सीमान्त लागत ८ इकाइयों की लागत ६४ है।

९, " ८१ है।

६ इकाइयों की सीमान्त लागत $८१ - ६४ = १७$ होगी।

यदि हम यह मान लें कि एक दर्जन की इकाई को भंग नहीं किया जा सकता, तो यदि तीन इकाइयाँ उत्पादित करके बेची जाएँ तो एकाधिकारी का लाभ अधिकतम होगा, क्योंकि यही वह बिन्दु है जहाँ सीमान्त लागत व सीमान्त राजस्व समान होता है। अस्तु—


इकाइयाँ (Units)	कुल आमद (Total Revenue) (₹०)	कुल लागत (Total Cost) (₹०)	शुद्ध एकाधिकारी राजस्व (Net Monopoly revenue) (कुल राजस्व—कुल व्यय)
१	६	१	=
२	१६	४	१२
३	२१	९	१२
४	२४	१६	=
५	२५	२५	०
६	२४	३६	-१२
७	२१	४९	-२८
८	१६	६४	-४८
९	९	८१	-७२

उपर्युक्त दृष्टान्त में तीन इकाइयों का एकाधिकारी राजस्व सर्वाधिक है। दो इकाइयों का भी सर्वाधिक है। यदि इकाई भंग की जा सकती तो यह गणित की अज्ञात न होती। वास्तव में ऊपर की परिस्थितियों में सर्वाधिक लाभप्रद उत्पादन २३ इकाइयों अर्थात् २ व ३ इकाइयों के मध्य में होना चाहिए।

३ सीमान्त राजस्व तथा औसत राजस्व (Marginal Revenue and Average Revenue)—सीमान्त आमद को औसत आमद से भिन्न किया जा सकता है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि DD (माँग) वक्र को AR (औसत राजस्व) वक्र भी कहा जा सकता है क्योंकि यह एक इकाई की औसत कीमत जिस पर कि वस्तु की भिन्न भिन्न मात्राएँ बेची जा सकती हैं प्रस्तुत करती है, तथा ग्राहक की दी हुई कीमत विक्रेता के दृष्टिकोण से राजस्व है। अतएव औसत राजस्व सामान्य बाजार-कीमत के अनुरूप होता है। इसके विपरीत सीमान्त राजस्व कुल राजस्व का वह दृढ़ जोड़ है जो हर क्रमिक इकाई की बिक्री से होता है। शुद्ध (Net) शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब बिक्री के लिए अधिक लाया जाता है तो कीमत गिरती है जिससे पहले वाली अधिक कीमत पर बेची जाने वाली इकाइयों में कमी होती है। इस हानि

को बिक्री के लिए अधिक लाई जाने वाली मात्रा के बिके दामों में से घटा देना चाहिए। तब हम राजस्व के शुद्ध जोड़ को पा सकेंगे और यही सीमान्त राजस्व है।

श्रीमत् राजस्व तथा सीमान्त राजस्व का सम्बन्ध निम्न रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है—



AR औसत राजस्व अथवा (माँग) वक्र है और MR बिन्दुओं में चिह्नित वक्र सीमान्त राजस्व वक्र है। यदि माँग वक्र एक क्षैतिज (horizontal) रेखा में प्रस्तुत होता है अर्थात् उत्पादन के बढ़ जाने पर भी कीमत वही रहे तो दोनों वक्र AR तथा MR समान हो जावेंगे। दूसरे शब्दों में सीमान्त राजस्व औसत राजस्व के बराबर है। इसका कारण यह है कि बड़ी हुई पूर्ति पहली कीमत पर ही बिकती है और वह

हानि होने से बच जाती है जो कि बड़ी हुई पूर्ति के कारण कीमत के गिर जाने से होती।

यदि AR नीचे गिरता है (अथवा माँग वक्र नीचे को झुकता है) तो औसत राजस्व तथा सीमान्त राजस्व में भिन्नता होगी जैसा कि ऊपर के रेखाचित्र में दिखाया गया है। यह क्लिकुल स्पष्ट है कि जब कीमत गिरती है जैसा कि गिरते हुए AR वक्र में मालूम होता है तो सीमान्त राजस्व सदैव औसत राजस्व से कम होगा क्योंकि गिरती हुई कीमत से बड़ी हुई पूर्ति की बिक्री पर कुछ हानि अवश्य होगी। यही कारण है कि MR वक्र AR वक्र के नीचे है। बिन्दु T पर सीमान्त राजस्व शून्य होगा और नकारात्मक (negative) हो जाता है क्योंकि बड़ी इकाइयों से प्राप्त किया हुआ अधिक राजस्व समस्त पिछला इकाइयों पर औसत राजस्व में हानि होने से उलट जाएगा।

सीमान्त राजस्व तथा औसत राजस्व का सम्बन्ध औसत राजस्व अर्थात् (माँग) वक्र की लोच (elasticity) पर भी आधारित है। उस बिन्दु पर जहाँ माँग की लोच (औसत राजस्व) एकता (unity) है, सीमान्त राजस्व शून्य (zero) है। यह स्थिति क्रियात्मक (positive) है जहाँ लोच एकता (unity) से अधिक है, और नकारात्मक (negative) है जहाँ लोच एकता से कम है। दूसरे शब्दों में सीमान्त राजस्व वहाँ सदैव क्रियात्मक होता है जहाँ औसत राजस्व वक्र लोचदार होता है तथा सदैव नकारात्मक होता है जहाँ औसत राजस्व बेलोचदार होता है।^१

४ एकाधिकार में अनुकूलतम उत्पादन (Optimum Output under Monopoly)—यह बात ध्यान देने योग्य है कि अनुकूलतम उत्पादन प्रतिधोमिता की

1. See Stoner and Hague Text Book of Economic Theory (1953), pp

अपेक्षा एकाधिकार में कम होता है। पिछले एक अध्याय में हम यह देख चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक अपने उत्पादन में परिवर्तन करके कीमत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल सकता। इसका कारण यह है कि उसका उत्पादन कुल पूंजी का बहुत छोटा भाग होता है। वर्तमान कीमत पर वह जितना चाहे बेच सकता है। यदि वह कीमत थोड़ी कम कर देता है तो सब लोग उसी से खरीदेंगे और वह यदि कीमत थोड़ी बढ़ा देता है तो वह कुछ भी नहीं बेच सकेगा।

एकाधिकारी की स्थिति भिन्न होती है। पर एकाधिकारी जब उत्पादन बढ़ाता है, तो अतिरिक्त उत्पादन के विक्रय के हेतु उसे कीमत में कमी करनी पड़ती है। इस प्रकार केवल उसकी अतिरिक्त पैदावार की ही कीमत नहीं गिरती, बल्कि कुल उत्पादन की भी कीमत कम हो जाती है। और चूंकि उत्पादन उसकी वस्तु के विक्रय की कीमत को प्रभावित करता है, इसलिए कीमत प्रतियोगिता की दशा में उत्पादन करने वाले को उसी भाँति महत्वपूर्ण नहीं होगा। एकाधिकारी अपने उत्पादन को उस सीमा तक बढ़ा नहीं सकता जितना कि प्रतियोगिता की दशा में उत्पादक कर सकता है। वह इसे केवल उसी बिन्दु तक विस्तृत कर सकता है, जहाँ उसकी सीमान्त लागत सीमान्त राजस्व के बराबर होती है।

पृष्ठ २६२ पर दी गई तालिका इस बात को अधिक स्पष्ट करती है। इसमें पूर्ण व अपूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं की तुलना की गई है। जो बात अपूर्ण प्रतियोगिता के सिलसिले में सच है वही एकाधिकार में तो और भी अधिक लागू होती है।

तालिका से यह प्रकट होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में माँग की कीमत (कालम च) स्थिर रहती है, क्योंकि किसी क्रम में उत्पादन बढ़ जाने से कीमत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। प्रतियोगिता में उत्पादक के लिए माँग कीमत स्थिर रहने के कारण सीमान्त राजस्व भी स्थिर रहता है। अस्तु, उत्पादन का विस्तार उस बिन्दु (११ इकाइयों) तक होगा, जहाँ सीमान्त लागत माँग कीमत के बराबर होगी।

अपूर्ण प्रतियोगिता में जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है (कालम भ) माँग की कीमत गिरती जाती है। ऐसी दशा में सीमान्त राजस्व भी कम होने लगता है, यहाँ तक कि वह ऋणात्मक (negative) हो जाता है। इस परिस्थिति में ७ इकाइयों पर उत्पादक को उत्पादन का विस्तार बन्द कर देना होगा। यदि वह अधिक उत्पादन करेगा तो उसकी सीमान्त लागत सीमान्त राजस्व से अधिक हो जाएगी। ७ इकाइयों पर यह दोनों लगभग बराबर हैं।

यह बात विचारणीय है कि प्रतियोगिता में उत्पादक के लिए सीमान्त प्राप्ति (marginal receipts) व सीमान्त राजस्व तथा माँग की कीमत या बाजार-कीमत एक ही बात है। पर अपूर्ण प्रतियोगिता वाले उत्पादक या एकाधिकारी के लिए यह दोनों एक अर्थ नहीं रखते। ७ इकाइयों तक अर्थात् अनुकूलतम उत्पादन तक माँग कीमत सीमान्त लागत से अधिक है।

यदि माँग की लोच (अर्थात् राजस्व) वक्र एकता (unity) से कम है तो कोई भी एकाधिकारी अपनी पैदावार निश्चित नहीं करेगा जब तक सीमान्त लागत नकारात्मक (negative) न हो जाएँ। चूंकि जहाँ लागतें क्रियात्मक (positive)

माँग की अवस्थाएँ (Demand Conditions)

लागत अवस्थाएँ (Cost Conditions)

(क) उत्पादन की इकाइयाँ	पूर्व व अपूर्ण प्रति रोजिना के लागत मान की गः				पूर्ण प्रति रोजिना				माँग की अवस्थाएँ (Demand Conditions)		
	(ख) श्रमिक व्यय ₹० १० पैसे	(ग) कच्चा माल व्यय ₹० १० पैसे	(घ) शीमा त व्यय ₹० १० पैसे	(ङ) शीमा त श्रमिक व्यय ₹० १० पैसे	(च) कुल लागत ₹० १० पैसे	(ज) शीमा त श्रमिक व्यय ₹० १० पैसे	(झ) कुल लागत ₹० १० पैसे	(झ) शीमा त श्रमिक व्यय ₹० १० पैसे	(ञ) कुल लागत ₹० १० पैसे	माँग की शीमा त श्रमिक व्यय ₹० १० पैसे	पूर्ण प्रति रोजिना ₹० १० पैसे
१	१५	३२	३२	३२	१०	१०	१०	१०	१०	१५	५०
२	१५	५०	५०	३७	१०	१०	२०	१०	१०	१५	५०
३	१२	५०	५०	५०	१०	१०	५०	१०	१०	१२	५०
४	१२	३७	३७	५०	१०	१०	५०	१०	१०	१२	५०
५	११	२५	२५	५०	१०	१०	५०	१०	१०	११	५०
६	१०	७५	७५	७५	१०	१०	७५	१०	१०	१०	५०
७	१०	३७	३७	७५	१०	१०	७५	१०	१०	१०	५०
८	१०	३२	३२	३२	१०	१०	३२	१०	१०	७	५०
९	१०	३०	३०	३०	१०	१०	३०	१०	१०	७	५०
१०	१०	३०	३०	३०	१०	१०	३०	१०	१०	७	५०
११	१०	५०	५०	५०	१०	१०	५०	१०	१०	७	५०
१२	१०	३७	३७	५०	१०	१०	५०	१०	१०	७	५०
१३	१०	३७	३७	५०	१०	१०	५०	१०	१०	७	५०
१४	१०	७५	७५	७५	१०	१०	७५	१०	१०	७	५०
१५	१०	३७	३७	३७	१०	१०	३७	१०	१०	७	५०
१६	१०	३०	३०	३०	१०	१०	३०	१०	१०	७	५०

हैं वहाँ पैदावार में वृद्धि का अर्थ होगा कि उसके कुल राजस्व (प्राप्ति—receipts) में उसकी लागत से कम वृद्धि होगी। मान लीजिए कि लोच एक है (अर्थात् माँग कीमत में परिवर्तन के अनुपात के अनुसार बढ़ती है), एकाधिकारी अपनी पैदावार का निश्चय तब तक नहीं करेगा जब तक सीमान्त लागत शून्य नहीं हो जाती। चूँकि एकाधिकारी की कीमतें क्रियात्मक होती हैं, इसलिए दोनों स्थितियाँ असम्भव हैं।

स्टोनियर तथा हेग (Stonier and Hague) द्वारा निम्नलिखित रेखाचित्र का निरूपण किया गया है, जिससे सब बात स्पष्ट हो जाती है—

R से आगे, लोच एकता (unity) से कम है, R तथा R' के

बीच यह एकता है, और R के बाईं ओर यह एकता से अधिक है। एकाधिकारी R के बाईं ओर अपनी पैदावार की मात्रा निश्चित करेगा। पैदावार OM तब होगी जहाँ सीमान्त राजस्व सीमान्त लागत के बराबर होगा।


५. प्राप्ति नियम, माँग की लोच तथा एकाधिकार कीमत (Laws of Returns, Elasticity of Demand and Monopoly Price)—हम पहले के एक अध्याय में देख चुके हैं कि किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों प्रति इकाई स्थिर लागत, वृद्धि लागत अथवा ह्रास लागत (constant, increasing and decreasing costs) पर उत्पादित की जा सकती हैं। अब प्रश्न यह है कि एकाधिकार मूल्य के सिद्धान्त में यह नियम क्या परिवर्तन कर देता है। एकाधिकार की कीमत निश्चित करने के सिद्धान्त में कोई परिवर्तन नहीं होता। एकाधिकारी हर दशा में यही प्रयत्न करेगा कि ऐसी कीमत निश्चित हो या इतना उत्पादन किया जाए कि एकाधिकार राजस्व सर्वाधिक हो। और ऐसा करने के लिए वह उत्पादन का विस्तार तब तक करता रहेगा जब तक कि उसकी सीमान्त लागत सीमान्त राजस्व के बराबर न हो जाएगी। यह स्थिति कम उत्पादन पर पैदा होगी, अथवा अधिक उत्पादन पर इसका निर्णय प्राप्ति नियम व माँग की लोच मिलकर करेगा।

प्रत्येक दशा में एकाधिकारी को दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा—

(क) एकाधिकारी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सीमान्त लागत का बढ़ते हुए उत्पादन से क्या सम्बन्ध है, अर्थात् उत्पादन प्राप्ति के किम नियम (law of return) के अन्तर्गत हो रहा है।

(ख) उपभोक्ताओं की माँग की लोच की क्या दशा है। अस्तु.....

(1) यदि पदार्थ का उत्पादन स्थिर प्राप्ति नियम के अनुसार हो रहा है, तो



चित्र ५०

1. Stonier and Hague Op cit, pp 97 98,

इस बात का निर्णय कि उत्पादन बढ़ाया जाए अथवा कम किया जाए, माँग की लोच करेगी, क्योंकि ऐसी दशा में प्रति इकाई लागत स्थिर होती है। यदि माँग अत्यधिक लोचदार होगी (अर्थात् कीमत में तनिक गिरावट से माँग बढ़ जाती है और कीमत में तनिक-सी वृद्धि से माँग घट जाती है) तो एकाधिकारी को अपना उत्पादन बढ़ा कर एवं कीमत कम कर देने से अत्यधिक लाभ होगा। पर यदि माँग लोचहीन होगी तो उसे पूर्ति कम करके एवं कीमत में वृद्धि लाने से लाभ होगा।

(ii) यदि उत्पादन घटती हुई प्राप्ति के नियम के अन्तर्गत हो रहा हो, तो एकाधिकारी को पूर्ति में कमी करके तथा ऊँची कीमत पर विक्रय करने से लाभ होगा। उसका उत्पादन सबसे कम उस समय होगा जब बढ़ती लागत की दशा में (घटती हुई प्राप्ति की अवस्था में) इसका मेल बेलोचदार माँग से होगा।

(iii) यदि वस्तु बढ़ती हुई प्राप्ति की दशा में पैदा की जा सकती है तो एकाधिकारी के लिए यह लाभदायक होगा कि वह पैदावार को बढ़ाए और कीमत गिरा दे। उसकी पैदावार (output) सबसे अधिक उम्र समय होगी जब घटती लागत पर तैयार किए गए माल (अर्थात् बढ़ती हुई प्राप्ति में) का मेल बहुत लोचदार माँग से होगा।

६ एकाधिकार मूल्य के सिद्धान्त का सारांश (Theory of Monopoly Value Summed up)—इस प्रकार एकाधिकार की परिस्थिति में मूल्य के निर्णय के सम्बन्ध में हम निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचते हैं। चूंकि अपूर्ण प्रतियोगिता में भी एकाधिकार की कुछ मात्रा होती है, इसलिए अपूर्ण प्रतियोगिता में भी यह निष्कर्ष लागू होते हैं—

(क) पूर्ण प्रतियोगिता की भाँति एकाधिकार में भी कीमत का निर्धारण माँग व पूर्ति की शक्तियाँ ही करती हैं। पर अन्तर केवल इतना है कि एकाधिकारी पूर्ति में इच्छानुसार वृद्धि अथवा कमी ला सकता है। ऐसा करने के लिए उसके पास दो विकल्प हैं (i) वह कीमत को निश्चित करके वस्तु को उपभोक्ताओं की माँग के अनुसार विक्रय के लिए छोड़ दे। (ii) वस्तु के उत्पादन तथा विक्रय का परिमाण निश्चित करके कीमत का निर्धारण पूर्ति से सम्बन्धित माँग पर छोड़ दे। पर कोई भी एकाधिकारी दोनों बातें एक साथ नहीं कर सकता।

(ख) यदि एकाधिकारी कम कीमत रखे तो वह अधिक इकाइयों का विक्रय कर सकता है।

(ग) एकाधिकारी सदैव अपने राजस्व को अधिक से अधिक करना चाहता है। इसलिए वह कीमत इस प्रकार निश्चय करेगा कि उसके लिए प्रति इकाई राजस्व व विक्रय की गई इकाइयों का गुणनफल सर्वाधिक हो।

(घ) यदि एकाधिकारी को वस्तु की प्राप्ति में कुछ भी व्यय न करना पड़ा हो तो वह विक्रय को इतना बढ़ाएगा कि उसकी सीमान्त प्राप्ति (receipts) शून्य हो जाए। ऐसा इसलिए होगा कि वस्तु पर कुछ व्यय न होने के कारण क्रियात्मक सीमान्त प्राप्ति (positive marginal receipts) की मात्रा उसके एकाधिकार राजस्व को बढ़ा देगी।

(ड) यदि वस्तु के उत्पादन में उत्पादन की लागत सम्मिलित हो, तो एकाधिकारी केवल वस्तु की उस मात्रा का उत्पादन करेगा, जिससे प्राप्त सीमान्त प्राप्ति (receipt) सीमान्त उत्पादन लागत के बराबर हो।

(च) पूर्ण प्रतियोगिता में "सीमान्त प्राप्ति" व विक्रय कीमत समान होती है। इसका कारण यह है कि ऐसी दशा में विक्रेता की कम या अधिक विक्री का कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर एकाधिकार (व अपूर्ण प्रतियोगिता) में अनुकूलतम (Optimum) उत्पादन के समय सीमान्त प्राप्ति विक्रय कीमत से कम होती है क्योंकि इन परिस्थितियों में विक्रय कीमत गिर जाती है।


(छ) पर यदि सब बातें समान रहे तो एकाधिकार व अपूर्ण प्रतियोगिता के उत्पादन का अनुकूलतम उत्पादन पूर्ण प्रतियोगिता की परिस्थिति में उत्पादन करने वालों की अपेक्षा कम मात्रा में होगा। इसका कारण यह है कि इससे पहले कि सीमान्त लागत विक्रय कीमत के बराबर हो जाए, अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में उत्पादन बन्द हो जाता है। पर प्रतियोगिता में उत्पादक उस समय तक विक्रय में विस्तार कर सकता है, जब तक उसकी सीमान्त-लागत तत्कालीन बाजार भाव के बराबर न हो जाए।

(ज) यह याद रखना आवश्यक है कि जिस परिवर्तनशील ससार में हम रहते हैं उसमें माँग तथा लागत की दशाओं में परिवर्तन का ठीक अनुमान लगाना असम्भव है। एक एकाधिकारी अधिकतम उत्पादन के बिन्दु का ठीक पता नहीं लगा सकता। कीमत निर्धारण में महत्त्वपूर्ण साधन सही माँग नहीं वरन् एकाधिकारी का सही माँग का अनुमान है। उत्पादन तथा कीमत में छोटे-छोटे समायोजनों से तथा परीक्षा और गलती करके वह अनुकूलतम पैदावार प्राप्त कर सकता है। पर अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है और आज का अनुकूलतम भविष्य के लिए केवल मार्गदर्शक ही सिद्ध होता है।

७ एकाधिकार कीमत निर्धारण का रेखाचित्र द्वारा निरूपण (Diagrammatic Representation of the Determination of Monopoly Price)—

रेखाचित्र ५१ में एकाधिकार उत्पादन तथा कीमत का एकीकरण बढ़ती हुई प्राप्ति नियम अथवा घटती लागत नियम के अन्तर्गत प्रस्तुत करता है।¹

AR माँग वक्र या औसत राजस्व वक्र है; MR सीमान्त राजस्व वक्र है, ATUC कुल इकाइयों का औसत लागत वक्र है; तथा MC सीमान्त लागत वक्र है। P वह बिन्दु है जहाँ पर सीमान्त राजस्व तथा सीमान्त लागत वक्र एक दूसरे को काटते हैं। इस प्रकार OM उत्पादन पर सीमान्त लागत सीमान्त राजस्व के बराबर है।




चित्र ५१—घटती हुई लागत

1. See Meyers, A. L.—Elements of Modern Economics, 1931, p. 180

यह अनुकूलतम उत्पादन है। अर्थात् इस पर एकाधिकार लाभ प्रथिततम है। इस उत्पादन पर औसत राजस्व (अथवा कीमत) TM तथा औसत (कुल इकाइयों की) लागत QM है अर्थात् कीमत लागत से TQ अधिक है।

.. एकाधिकार लाभ = कुल राजस्व अर्थात् क्षेत्रफल $OMTS$ - कुल लागत अर्थात् $OMQR = RQTS$



चित्र ५२ - बंदी हुई लागत

यह आयताकार क्षेत्रफल $RQTS$ जो एकाधिकार लाभ बताता है सबसे अधिक है जो इन लागत की अवस्थाओं में पाया जा सकता है।


रेखाचित्र ५२ यह बताता है कि जब घटती हुई प्रारंभिक का नियम अथवा बढ़ती लागत का नियम लागू होता है तो एकाधिकारी कैसे उत्पादन तथा कीमत में एकीकरण स्थापित करता है।

रेखाचित्र ५२ में लागत दृष्ट नहीं है जो कि रेखाचित्र ५१ में है। परन्तु AR (औसत राजस्व) अथवा माँग धीरे-धीरे झुकती है और इसलिए अधिक लोचदार है। माँग एकाधिकारी को कम-से-कम औसत लागत के बिन्दु के आगे उत्पादन करने को प्रोत्साहित देने के लिए काफी है। अनुकूलतम उत्पादन OM है जहाँ सीमान्त लागत और सीमान्त राजस्व बराबर है। ये दोनों वक् बिन्दु P पर काटते हैं। औसत कीमत अथवा कीमत TM है और औसत लागत QM । TQ औसत कीमत तथा औसत लागत का अन्तर है।

एकाधिकार लाभ = कुल राजस्व अर्थात् क्षेत्रफल $OMTS$ - कुल लागत अर्थात् क्षेत्रफल $OMQR = RQTS$ । यह सबसे बड़ा क्षेत्रफल है जो इन वक्को के अन्तर्गत खींचा जा सकता है।

रेखाचित्र ५३ का सम्बन्ध स्थिर लागत (constant cost) से है जिसका निरूपण क्षेत्रिक रेखा द्वारा किया गया है।

OM पैदावार होने पर, सीमान्त लागत (MC) = सीमान्त राजस्व (MR)। OP एकाधिकार कीमत है और $PQRL$ एकाधिकार लाभ है।



चित्र ५३ - स्थिर लागत

अब पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार अथवा अपूर्ण प्रतियोगिता में अन्तर जान लेना चाहिए।

(क) प्रतियोगिता में, फर्म का सीमान्त लागत वक्र साम्य पंदावार (equilibrium output) के बिन्दु के करीब या उस पर उठ जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में गिरते हुए लागत वक्र साम्यावस्था के साथ अमगत (incompatible) हैं। लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में कोई भी फर्म बढ़ती हुई (rising), गिरती हुई (falling) अथवा स्थिर सीमान्त लागतों (constant marginal costs) की दशा में भी साम्यावस्था में हो सकती है यदि सीमान्त राजस्व सीमान्त लागत के समान (equal) हो।

(ख) दूसरे अन्तर का सम्बन्ध लाभ के आकार से है। पूर्ण प्रतियोगिता में, अतिसामान्य (super normal) लाभ समाप्त हो जाएंगे, लेकिन एकाधिकार की अवस्था में अतिसामान्य लाभ होते रहेगे।

८ कीमत विभेद (Price Discrimination) — अभी तक हमने यह मान लिया था कि एकाधिकारी अपनी वस्तु की सब ग्राहकों से एक ही कीमत लेता है, पर बहुधा ऐसा नहीं होता। एकाधिकारी कभी-कभी विभिन्न व्यक्तियों से जुदा कीमत लेते हैं। पर ऐसा तभी हो सकता है, जब कि व्यक्तियों का सम्बन्ध 'विभिन्न बाजारों' अथवा प्रतियोगी समूहों से हो। इसे कीमत विभेद कहते हैं।

कीमत विभेद कई प्रकार का हो सकता है—

(१) व्यक्तिगत (personal), (२) स्थानीय (local) अथवा (३) व्यवसाय या प्रयोग के अनुसार। जब विभिन्न व्यक्तियों से विभिन्न कीमतें ली जाती हैं, तब विभेद व्यक्तिगत होता है। पर जब स्थान के अनुसार कीमत में अन्तर आ जाता है, तो विभेद स्थानीय अर्थात् राशि-पातन (dumping) कहलाता है, और यदि वस्तु के प्रयोग के आधार पर कीमत घटती बढ़ती रहती है तो इसका यह परिवर्तन व्यवसाय के अनुसार होता है। जैसे बिजली घरेलू जीवन की अपेक्षा औद्योगिक प्रयोग के लिए अधिक सस्ती मिलती है। कई बार एकाधिकारी भिन्न भिन्न लेवल लगाकर माल को विशेष रूप से नया बताने की कोशिश करता है और इस प्रकार विभेद कीमत लेता है। कीमत विभेद इन कारणों से पैदा होता है—

(क) उपभोक्ता की पसन्द अथवा स्वभाव, (ख) वस्तु का गुण, तथा (ग) दूरी तथा सीमा-रोक।

वस्तु की माँग की तीव्रता में अन्तर होने के कारण ही विभेद सम्भव होता है। यदि एकाधिकारी का पूर्ण पर पूर्ण रूप से निष्पन्न होना है, तो वह तीव्रता के अनुसार माँग को विभाजित कर सकता है। इस प्रकार वह उन लोगों से जो अधिक कीमत दे सकते हैं अधिक कीमत लेता है और जो कम कीमत दे सकते हैं उनसे कम कीमत लेता है। साथ ही विभेद तब भी हो सकता है जब कि बाजार की अपूर्णता के कारण ग्राहक एक विक्रेता से दूसरे के पास आसानी से नहीं जा सकता।

कीमत विभेद को सम्भव तथा लाभदायक बनाने के लिए निम्नलिखित मुख्य शर्तें आवश्यक हैं—

(१) विभिन्न मण्डलों में माँग की लोच भिन्न होनी चाहिए। तब एकाधिकारी अपनी मण्डलों को बाँटता चला जाएगा। वह ऐसा उस समय तक करता रहेगा जब तक

विभिन्न लोच वाले दो खरीदार एक ही मृप में नहीं प्रा जाते, अथवा जब तक प्रत्येक मण्डी म माँग की लोच समान न हो जाए। एकाधिकारी ऐसी मण्डी (market) न अधिक दाम लेना लाभदायक पाएगा जहाँ लोच कम है और जहाँ (लोच) अधिक है कम कीमत लेना चाहेगा।

(ii) बाजार को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटने तथा उनको अलग रखने को लागत उठाने अधिक न होनी चाहिए कि माँग की लोचों के अन्तर को बराबर कर दे।

(iii) विक्रेताओं म आपस म पूर्ण समझौता होना चाहिए नहीं तो स्वतन्त्र प्रतियोगियों को तेज बाजार म बेचने से लाभ होगा।

(iv) जब वस्तु साम घाड़र पर बेची जाती है तो विभेद (discrimination) सम्भव होता है क्योंकि सब खरीदने वाले यह नहीं जान सकते कि दूसरे से क्या लिया जा रहा है।

पीगू (Pigou) के अनुसार, लाभदायक तथा सफल विभेद (discrimination) के लिए दो बातें जरूरी हैं (क) किसी वस्तु की किसी इकाई को, जिसे एक मण्डी में बेचा जा सकता है दूसरी मण्डी म बेचना सम्भव नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति उम समय होती है जब उपभोक्ताओं की सीधी सेवा की जाती है, जैसे दूधपाको, डाक्टरों तथा वकीलों प्रादि के द्वारा की जाने वाली सेवाएँ अथवा वे सेवाएँ जो सीधे वस्तु से सम्बन्धित हो, जैसे रेल द्वारा माल का परिवहन। हस्तान्तरण (transference) अथवा माल भेजने पर परिवहन की लागत बढ़ाकर इसे रोकना सम्भव है अथवा अधिक प्रशुक्ल (tariff) द्वारा अथवा ऐसी सविदाएँ (contracts) जिनके द्वारा बेचन पर रोक हो, इस प्रवृत्ति पर अक्रुच अगाथा जा सकता है। (ख) यह भी सम्भव नहीं होना चाहिए कि माँग को एक इकाई एक मण्डी विशेष से दूसरे म पूरी हो सके। ऐसी स्थिति उस समय पैदा होगी जब मण्डी धन (wealth) के आधार पर विभक्त हाती है। कोई भी धनी व्यक्ति किसी मुफ्त रियासत (free concession) का फायदा उठाने के लिए शरीब होगा नहीं चाहेगा। सिल्क का व्यापारी कोयले का व्यापारी सिर्फ इसलिए नहीं बन सकता जिसमें उसे वस्तु भाडा (freight) कम देना पड़े।

कीमत विभेद तथा पैमाना (Price Discrimination and Output)— जब दो बाजारों म माँग की लोच भिन्न होती है तो यह पाया जाएगा कि उत्पादन को एक इकाई को बिक्री से सीमान्त आयम (revenue) वहाँ अधिक होगा जहाँ लोच अधिक है, तथा जहाँ लोच कम है वहाँ सीमान्त आयम या राजस्व भी कम होगा। अतएव जहाँ लोच कम है वहाँ उत्पादन घटाना और कीमत बढ़ाना तथा जहाँ लोच अधिक है वहाँ उत्पादन बढ़ाना और कीमत घटाना लाभदायक होगा। इस प्रकार दोनों बाजारों म सीमान्त आयम बराबर हो जाएगा। पर क्या उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी या घट जाएगी अथवा बही रहेगी? ओमती रॉबिन्सन (Mrs Robinson) ने इसका उम प्रकार उत्तर दिया है “यह बात साबित करना सम्भव है कि विभेद के अन्तर्गत कुन उत्पादन साधारण एकाधिकार की अद्वेषा अधिक या कम होगा, जैसे जैसे अलग बाजारों में माँग वक्रों में से अधिक लोचदार एक कम लोचदार

मांग वक्र की अपेक्षा अधिक या कम टेढ़ा होगा, और यह कि कुल उत्पादन वही होगा यदि मांग वक्र सीधी रेखाएँ हैं या अन्य दूसरी दशा में जबकि टेढ़ापन बराबर है।" यह तब भी लागू होता है जब कि सीमान्त लागत साधारण एकाधिकार तथा विभेद एकाधिकार में एक ही है। परन्तु यदि सीमान्त लागत गिर रही है तो विभेद एकाधिकार में उत्पादन में अधिक वृद्धि हो जाएगी और यदि सीमान्त लागत बढ़ रही है तो उत्पादन में अधिक कमी हो जाएगी। पूर्ण रूप से यह अधिक सम्भव है कि विभेद से कुल उत्पादन में कमी की अपेक्षा वृद्धि हो।

कुछ उदाहरणों से उपर्युक्त बात समझ में आजाएगी। कुछ पुस्तकों के सम्बन्ध में प्रथम संस्करण की कीमत ऊँची निर्धारित की जाती है। जिन पाठकों की रुचि उस पुस्तक के पढ़ने में अति तीव्र होती है, या जिनको उस पुस्तक की सीमान्त उपयोगिता अत्यन्त ऊँची रहती है वे उस पुस्तक का अवश्य खरीदेंगे। जब उक्त पुस्तक का प्रथम संस्करण समाप्त हो जाता है तो उसका द्वितीय संस्करण कम कीमत का निकाला जाता है। अब वे लोग भी उक्त पुस्तक को खरीद सकेंगे जिनकी उक्त पुस्तक सम्बन्धी सीमान्त उपयोगिता कम है। यह क्रम कई बार भी चल सकता है और इस प्रकार उक्त पुस्तक की विक्री कई गुनी अधिक बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिन लोगों की उस पुस्तक के सम्बन्ध में तीव्र मांग है वे सस्ते संस्करण के लिए अपनी खरीद को स्थगित नहीं रख सकते। इस प्रकार एकाधिकारी उपभोक्ताओं की वचन (consumers surplus) का बहुत बड़ा अंश हड़प कर जाता है, और स्वयं अपना एकाधिकारी लाभ उस सीमा तक बढ़ा लेता है जहाँ तक सामान्य स्थिति में प्रायः सम्भव नहीं होता।

क्या कीमत विभेद समाज के लिए लाभदायक है? (Is Price Discrimination Beneficial to Society?)¹—कुछ दशाओं में कीमत विभेद समाज के लिए लाभप्रद होता है, विशेषकर ऐसी सेवाओं में जो समाज के लिए लाभप्रद हो। यदि गरीबों के लिए कीमतें कम कर दी जाएँ तो प्रति इकाई सामान्य लाभ न होने के कारण उत्पादन-लागत पूरी नहीं हो सकेगी। यदि कीमत अधिक कर दी जाए तब भी विक्रय कम होने के कारण प्राप्ति कम होगी। फलस्वरूप सम्भव है कि वस्तु का उत्पादन ही बन्द हो जाए। इस प्रकार कुछ उत्पादन की मात्रा को अवश्य कम होगी क्योंकि विभेद एकाधिकार में औसत आगम (revenue) साधारण एकाधिकार की अपेक्षा अधिक होता है। 'यह हो सकता है कि यदि विभेद की मनाही हो तो रेल ही न बनाई जाए या डाक्टर अपनी प्रक्टिस ही न शुरू करें। यह उचित है कि ऐसी दशाओं में विभेद की अनुमति दी जावे।' ऐसी दशा में यदि विभेदपूर्ण कीमतें ली जाएँ तो प्राप्ति से लाभ के साथ लागत पूरी हो सकेगी और इस प्रकार हर व्यक्ति को लाभ हागा।

चूँकि विभेद के अन्तर्गत कुछ व्यक्तियों के लिए कीमत बढ़ा दी जाती है और कुछ के लिए कम कर दी जाती है यह स्पष्ट है कि कीमत विभेद कुछ के लिए लाभ-

दायक और कुछ के लिए हानिकारक है। परन्तु सामाजिक कल्याण पर शुद्ध प्रभाव इस बात पर निर्भर होगा कि समाज किस वर्ग का पक्षपात करता है। यदि सामाजिकता के लिए कीमत घटा दी जाती है और कुछ "वर्गों" के लिए कीमत बढ़ा दी जाती है तो समाज को दुबो होने की कोई बात नहीं है क्योंकि ऐसी व्यवस्था का तात्पर्य है समाज के अधिक कल्याण को बढ़ाना। परन्तु भौतिक विभेद की दशा में यह भी सम्भव है कि कम लोचदार बाजार (जिसे लिए कीमत बढ़ाई जाती है) स्वदेशी बाजार हो सकता है जबकि विदेशी बाजार अधिक लोचदार हो और इसलिए जिनमें कीमत घटानी पड़। ऐसी दशा में अपने देशवालों की अपेक्षा विदेशवालों को अधिक लाभ होगा। ऐसा विभेद समुदाय के लिए हानिकारक होता है। तो भी इसमें एक शर्त लागू होती है। यदि उद्योग में बढ़ती हुई प्रगति का नियम या घटती हुई सीमान्त लागू का नियम लागू होता है तो विभेदपूर्ण एकाधिकार में उद्योग एकाधिकार की अपेक्षा अधिक उत्पादन से कम लाभदायक बाजार को भी लाभ होगा। इस प्रकार विदेशों में राशिपानन (dumping) से स्वदेशी बाजार में भी कीमत गिर जाती है। और इस तरह उन देश की भी लाभ होता है।

जब विभेद राशिपानन (dumping) का रूप ले लेता हो तो यह घातक हो जाता है।

६ राशिपानन द्वारा कीमत विभेद (Price Discrimination by Dumping)—जब उत्पादक दूसरे देशों में अपने देश में कम कीमत पर उसी वस्तु को बेचते हैं तो उनका यह काम "राशिपानन" (dumping) कहलाता है। कभी-कभी ऐसा करने से (लागत से भी कम कीमत पर बेचने से) एकाधिकारी को लाभ भी होता है।

राशिपानन से एकाधिकारी के कई फायदे मिलते हैं—(क) या तो वह माँग का सही अनुमान न लगने से बाजार अधिक उत्पादित वस्तु के स्टॉक के विक्रय के हेतु करता है। (ख) कभी-कभी वह विदेशों के बाजार से प्रतिस्पर्धियों को मगाने के लिए भी राशिपानन का सहारा लेता है। (ग) अथवा विदेशों से नए व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए राशिपानन करता है। (घ) वृद्ध परिमाण में उत्पादन के साथ उद्योग के हेतु भी एकाधिकारी ऐसा करता है।

राशिपानन का उदाहरण इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है—

घरेलू बाजार (Home Market)

विक्रय कीमत (Sale price)	उत्पादन कीमत (Production price)	उत्पादों का मात्रा (No of units)	शुद्ध आय (Net revenue)
२० १० १०	२० १० १०		२० १० १०
१० ००	५ ००	१००	५०० ००
१ ७५	४ ७५	१५०	७५० ००
१ २५	४ ५०	२००	१५० ००
८ ५०	४ २५	२५०	१,०६२ ५०
७ ७५	४ ००	३००	१,१२५ ००
७ ००	३ ७५	३५०	१,१८७ ५०
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
१ ७५	१ २५	४००	१,००० ५०
४ ७५	२ ७५	४५०	८७७ ५०

इस उदाहरण से यह प्रकट है कि यदि एकाधिकारी केवल घरेलू बाजार के लिए ही उत्पादन करता तो ३५० इकाइयों का उत्पादन करता, और उसे ७ रु० प्रति इकाई बेच देता। इससे उसे सबसे अधिक शुद्ध आगम की प्राप्ति होगी।

(रु० १,१३७-५० नए पैसे)।

अब मान लीजिए कि उसने बजाए ३५० इकाइयों के ४५० इकाइयों का उत्पादन किया। उसकी कुल लागत रु० ४५० × २.३ = रु० १,२३७-५० नए पैसे होती। ३५० इकाइयों पर उसकी कुल लागत ३५० रु० × ३.३ = १,३१२ रु०-५० नए पैसे होती।

इस प्रकार एकाधिकारी १०० इकाइयों का और उत्पादन करके अपनी कुल लागत में ७५ रु० (१,३१२ रु० ५० नए पैसे—१,२३७ रु० ५० नए पैसे) की कमी कर सकता है।

इसलिए यदि उसे अपनी इन १०० इकाइयों को बाहर में नष्ट भी करना पड़े तब भी इन १०० इकाइयों का उत्पादन उसके लिए लाभदायक होगा। और यदि वह परिवहन (transport) के व्यय से कुछ अधिक कीमत पर उन्हें विदेशों में बेच सके तो उसे और भी लाभ रहेगा। इस कीमत पर कोई विदेशी उत्पादक उससे प्रतियोगिता नहीं कर सकेगा।

पर ऐसे बड़े लाभ बहुत कम होते देखे गए हैं। हमने तो सिद्धान्त को समझाने के लिए एक अभाषारण उदाहरण ले लिया था। और फिर यदि वस्तु की घरेलू कीमत व विदेशी कीमत में इतना अन्तर हो कि उस वस्तु के दोबारा उत्पादन के लिए देश में आने पर यह अपनी लागत को भी पूरा कर ले तो उसका पुनः निर्यात प्रारम्भ हो जाएगा, बशर्त कि बहुत अधिक कर न लगा दिए जाएँ। विदेश राशिगतन से बचने के लिए बड़े ऊँचे आयात-कर लगा देते हैं, विशेषकर उस समय जब कि उनके निजी उद्योग प्रभावित होते हैं। यह एक अस्थायी स्थिति है और उस देश में जिसमें माल डम्प (dump) किया जाता है उसे कोई स्थायी लाभ नहीं होता।

निम्न रेखाचित्र एकाधिकारी द्वारा कीमत विभेद की रीति प्रस्तुत करता है—

एकाधिकारी ने अपने बाजार को दो भागों में बाँट दिया है जिनको D₁ और

D₂ बन्ने द्वारा दिखाया गया है।

A D कुल माँग प्रस्तुत करता है। और

MR₁ बाजार में सीमान्त आगम (marginal revenue) है और MR दूसरे में।

AMR कुल सीमान्त आगम वक्र है। MC

सीमान्त लागत वक्र है। OM₁ एक बाजार


का उत्पादन है और OM₂ दूसरे का। कुल

उत्पादन OM है। OM, P₁M पर बेचा

जाता है और OM₂, P₂M₂ पर। एकाधि-

कार आगम रें हूए क्षेत्र से दिखाया गया

है। यह AMR कुल सीमान्त आगम वक्र (कुल आगम) तथा MC सीमान्त लागत



चित्र ५४

है। यह AMR कुल सीमान्त आगम वक्र (कुल आगम) तथा MC सीमान्त लागत

वक्र (कुल लागत) के बीच में है। यह देखा जा सकता है कि अनुकूलतम उत्पादन (optimum production) OM उस बिन्दु पर है जहाँ सीमान्त लागत वक्र (MC) कुल सीमान्त प्रागम वक्र (AMR) को काटता है। हर एक बाजार में विक्री की मात्रा वह है जिसके लिए सीमान्त प्रागम (MR₁ या MR₂) सीमान्त लागत (CM=C₁M₁=C₂M₂) के बराबर है।

१०. क्या एकाधिकार कीमत ऊँची कीमत होती है ? (Is Monopoly Price a High Price ?)—हम देख चुके हैं कि एकाधिकारी अपने उत्पादन को नियन्त्रित करके सीमान्त उत्पादन लागत से अधिक कीमत पर वस्तु का विक्रय कर सकता है। परस्पर प्रतियोगी कीमतेँ वस्तु के सीमान्त उत्पादन लागत को समान करने की प्रवृत्ति रखती हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि एकाधिकारी की कीमतेँ सर्वद्व प्रतियोगी कीमतों से अधिक ही होती हैं। बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं कि एकाधिकार की कीमतेँ कम ही रहे और कभी-कभी तो कुछ कारणों से यह कीमतेँ प्रतियोगिता की कीमतों से भी कम हो सकती हैं।

अपनी विशेष भविष्यवाणी जैसे उत्पादन का परिमाण, प्रचार तथा बाजार व्यय की कमी के कारण कभी कभी एकाधिकारी प्रति इकाई कम लागत पर उत्पादन कर लेता है। ऐसी दशा में यदि वह अपनी सीमान्त लागत से अधिक कीमत ले, तो भी वह प्रतियोगिता में उत्पादित वस्तु की सीमान्त लागत से कम ही रहेगा। यह विशेष-कर उन उद्योगों में होता है जो महँगे और बड़ी मशीना का प्रयोग करते हैं तथा जिनकी वस्तुओं की माँग लचकिल होती है। ऐसे उद्योग में उत्पादन की वृद्धि से प्रति इकाई लागत कम हो जाती है और बड़ा हुआ उत्पादन अधिक लाभ से बेचा जा सकता है, चाहे कीमत कम ही क्या न हो।

साधारणतया एकाधिकार कीमत प्रतियोगिता की कीमत से कम नहीं होती। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि एकाधिकार कीमत अत्यधिक ऊँची होती है। एकाधिकार के अधिकार पर भी अनेक बन्धन होते हैं—उसके अधिकार असीम नहीं होते। वह सर्वद्व अत्यधिक ऊँची कीमत नहीं ले सकता। इसके अतिरिक्त एकाधिकारी सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाली कीमत के स्तर से भी अतन्निष्ठ हो सकता है, तथा कुछ और भी विचारणीय बातें हैं, जिनकी बहुत कम एकाधिकारी उपेक्षा कर सकते हैं।¹

परन्तु इन तमाम नियन्त्रणों के होते हुए भी साधारणतया एकाधिकार की कीमतेँ प्रतियोगी कीमतों से अधिक ही होती हैं। इस तरह हमारा निष्कर्ष यह है कि एकाधिकारी ऐसी दशा में यदि वह चाहे कीमतों को नीचे स्तर पर रख सकता है, कि तु ऐसा वह करता नहीं। इसलिए, यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि एकाधिकार कीमतेँ अधिक ही हो, तथापि वास्तव में वह होती अधिक ही हैं।

११. कयाधिकार में कीमत (Price under Monopsony)²—प्रतियोगी क्रय (competitive buying) तथा कयाधिकार (monopsony) में यह अन्तर है

1 Chapter VI—Section 6

2 See Joan Robinson—The Economics of Imperfect Competition,

कि पहले मे बहुत से खरीदार हैं और उसमें मे किसी का भी क्रय बाजार कीमत पर प्रभाव नहीं पड़ता है। हर एक के लिए पूर्ति पूर्ण रूप से लोबदार होती है। यदि उसकी लगाई हुई कीमत में तत्रिक परिवर्तन हो जाता है तो उसकी खरीदारी पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ, यदि उसने बाजार भाव से कम कीमत लगाई, तो वह कुछ भी न खरीद सकेगा। जहाँ तक हर एक खरीदारी का सम्बन्ध है, बाजार भाव दिया हुआ होता है। वह उतनी मात्रा खरीदेगा जो उसकी सीमान्त उपयोगिता की कीमत के बराबर कर देगी। क्रयाधिकार (monopsony) में एक ही खरीदने वाली एजेंसी होती है या खरीदार मिल जुलकर कार्य करते हुए मान लिय जाते हैं।

एक क्रयाधिकारी अपने क्रय की ऐसी व्यवस्था करेगा कि सीमान्त लागत सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए क्योंकि उसको वस्तु की पूर्ति की कीमत का भुगतान करना ही पड़गा। प्रतियोगिता में कीमत अथवा औसत लागत सीमान्त उपयोगिता के बराबर होती है। सीमान्त लागत तथा कीमत में अन्तर तभी होगा जबकि उद्योग में लागत वृद्धि या लागत घटती नियम लागू होता है। जब स्थिर लागत नियम लागू होता है, तो औसत लागत (अर्थात् कीमत) तथा सीमान्त लागत बराबर होती हैं। और प्रतियोगिता तथा क्रयाधिकार में खरीदी हुई मात्रा एक होगी। जब उद्योग में वृद्धि पूर्ति लागत नियम लागू होता है तो क्रयाधिकारी जितनी अधिक मात्रा खरीदता है उतनी ही अधिक कीमत उसको देनी पड़ेगी। वस्तु की पूर्ति कीमत की अपेक्षा उसकी सीमान्त लागत अधिक होगी। पूर्ति की गिरती हुई कीमत में जितनी अधिक मात्रा खरीदी जाएगी उतनी कम पूर्ति की कीमत होगी और सीमान्त लागत पूर्ति की कीमत से कम होगी। इस हालत में वह प्रतियोगिता की अपेक्षा अधिक खरीदेगा।

१२ उभयपक्षीय एकाधिकार (Bilateral Monopoly)—यह शब्द उस स्थिति पर लागू होता है जब कि एक क्रय के एकाधिकार के साथ साथ विक्री का एकाधिकार भी होता है। वास्तविक तमाम में ऐसी स्थिति का होना सामान्य नहीं है। एकाधिकारी ऐसे पैमाने पर कार्य करना चाहता है जहाँ कि सीमांत आगम के बराबर है क्योंकि ऐसा करने से उनको अधिकतम एकाधिकार लाभ प्राप्त होता है। दूसरी ओर एक क्रयाधिकारी (monopsonist) वह मात्रा खरीदना चाहता है जिसमें कि सीमान्त लागत सीमान्त उपयोगिता के बराबर हो जाए। यह बताता है कि खरीदार के लिए अनुकूलतम कीमत एक होती है और बेचने वाले के लिए दूसरी। यह निर्धारित करने के लिए कि इन कीमतों के बीच कौनसी कीमत स्थापित होगी, इसके लिए कोई धार्मिक सिद्धान्त नहीं है। माँग तथा लागत वक्र का पूरा ज्ञान नहीं है और यह ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता कि कितनी मात्रा किस कीमत पर विकेगी। कीमत प्रत्येक वस्तु की भिन्न परिस्थितियों पर निर्भर होगी। बहुत सी स्थितियों में यह समझौते की कीमत होगी जो दोनों पक्षों की मौल्य तौल की शक्ति से प्रभावित होती है। धार्मिक प्रेरणा के अतिरिक्त प्रशासनिक (administrative) कारण भी निम्न में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

निर्देश पुस्तकें

- Meyers, A L —Elements of Modern Economics, 1951, Ch. 13.
 Marshall, A —Principles of Economics and Industry and Trade
 Pigoon, A C —Economics of Welfare
 Benham, F —Economics
 Robinson, Joan—The Economics of Imperfect Competition,
 1944 Chs 15 and 20
 Chamberlin, E H —Theory of Monopolistic Competition
 Robinson, E A G —Monopoly
 Stigler G J —Theory of Price 1947, Chs 11—14
 Watkins, M W —Industrial Combinations and Public Policy,
 1927
 Macgregor, D H —Industrial Combination 1935
 Tarshus, L —Elements of Economics 1946 Chs 15 and 16

अपूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य

(Value Under Imperfect Competition)

१ अपूर्ण अथवा एकाधिकृत प्रतियोगिता (Imperfect or Monopolistic Competition) — अभी तक हमन मूल्य को पूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण एकाधिकार की स्थिति में निर्धारित होने पर विचार किया है। ये दोनों परिस्थितियाँ वास्तविक जीवन में घटित होने वाली नहीं हैं। अधिकतर वास्तविक परिस्थितियाँ इन दोनों के बीच में रहती हैं, जिनको “एकाधिकृत प्रतियोगिता” (Monopolistic Competition) अथवा “अपूर्ण प्रतियोगिता” (Imperfect Competition) अथवा समूह साम्यावस्था (Group Equilibrium) का नाम दिया जाता है। इस अध्याय में हम इस विषय पर विचार करेंगे कि ऐसी परिस्थितियों में मूल्य निर्धारण कैसे होता है।

जब एक अथवा सम्मिलित रूप से कई विक्रेता (combined body of sellers) होते हैं तो इसे एकाधिकार का नाम दिया जाता है। किन्तु जब विक्रेता कई होते हैं और प्रत्येक का अपना मार्केट होता है, उस समय इसे अपूर्ण प्रतियोगिता अथवा एकाधिकृत प्रतियोगिता की स्थिति कहते हैं। यह स्थिति प्रतियोगी एकाधिकारियों की है। वे न तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में तैयार किया जाने वाला माल तैयार करते हैं, और न ऐसा ही जो इससे सर्वथा भिन्न हो अथवा ऐसा जो एकाधिकार में तैयार किए जाने वाले के समान हो। उत्पाद-विभेद बना रहता है, तैयार किया गया माल भिन्न किस्म का होता है परन्तु बिलकुल भिन्न भी नहीं होता। फिर भी काफी प्रतियोगिता होती है। इसलिए ऐसी स्थिति एकाधिकार की अपेक्षा प्रतियोगिता की अधिक होती है।

जब प्रतियोगिता अपूर्ण होती है, (i) वहाँ पर उत्पादन के साधनों को एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में आने-जाने पर प्राकृतिक अथवा कृत्रिम बन्धन होते हैं। यह बन्धन उनकी सीमान्त उत्पादन-शक्ति को विभिन्न व्यवसायों में समान होने से रोकते हैं। (ii) नियन्त्रण की इकाई बड़ी होनी चाहिए, जो वस्तुओं का उत्पादन घटा-बढ़ाकर उसकी कीमत पर प्रभाव डाल सके, तथा (iii) विज्ञापन द्वारा या किन्हीं दूसरे कारणों की सहायता से व्यापारी परदे के पीछे इस प्रकार कार्य करते हैं कि कीमत तथा गुण छिपे रहते हैं। जब प्रतियोगिता अपूर्ण होती है तब प्रतियोगी उत्पादक कठिनाइयों के कारण अपने मूल्य को कम करके एक दूसरे के ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर सकते। इस प्रकार वह अपने ग्राहकों को खोए बिना भी पर्याप्त ऊँची कीमतें वसूल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति को बे-कीमत (non-price) प्रतियोगिता कहते हैं। लाभ सुरक्षित रहता है। लेकिन दीर्घावधि में प्रसाधारण लाभ प्रतियोगियों के द्वारा उसी प्रकार का माल तैयार करने के कारण समाप्त हो जाता है।

एकाधिकृत प्रतियोगिता से प्रत्येक फर्म का औसत आय (average revenue) बरु स्वतन्त्र तथा दिया हुआ होता है। यह (बरु) नीचे की ओर मुड़ता है और इसका रूप (shape) उपभोक्ताओं के स्वाद तथा समस्त प्रतिस्पर्धी उत्पादकों के मिश्रित कार्य पर आधारित होता है।

२ अपूर्ण प्रतियोगिता किस प्रकार प्रकट हो सकती है (How Imperfect Competition May Emerge)—एकाधिकार की कुछ स्पष्ट घटनाओं पर पिछले अध्याय में विचार किया जा चुका है। कुछ ऐसे भी कारण हैं जो प्रतियोगिता को अपूर्ण बना देते हैं। यहाँ कुछ अर्द्ध एकाधिकार (Semi-monopoly) की अवस्थाएँ उत्पन्न हो सकती हैं, जो ऊपरी तौर से प्रतियोगिता करन वाले विक्रेताओं का एकाधिकार के लाभ की प्राप्ति के लिए उकसाती हैं। ऐसी हात तब उपस्थित होती है जब किसी वस्तु का बाजार अपूर्ण होता है चाहे उस वस्तु के उत्पादकों की संख्या बहुत बड़ी क्यों न हो। उत्पादक अपनी वस्तुओं के साथ सेवाओं को मिलाकर तथा अन्य तराँकों से अपनी अपनी वस्तुओं को ग्राहकों की दृष्टि में पृथक् कर लेते हैं। इससे उन्हें सीमित एकाधिकार की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की एकाधिकार प्रतियोगिता की परिस्थितियाँ निम्नलिखित कारणों से पैदा हो सकती हैं—

(क) परिवहन सम्बन्धी लागत खर्च (The Existence of Transport Costs)—परिवहन सम्बन्धी खर्च बाजार के क्षेत्र को सीमित कर सकते हैं और इस प्रकार प्रतियोगी वस्तुओं के क्षेत्र से अलग रख सकते हैं। यह एक विक्रेता को एकाधिकार कीमतें लेने योग्य बना देगा।

(ख) उपभोक्ताओं में योग्यता, समाचार व सूचना का अभाव (Lack of Knowledge on the Part of Consumers)—उपभोक्ता इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि वह उसी वस्तु को दूसरे उत्पादक से सस्ती कीमत पर खरीद सकते हैं और इस प्रकार वह प्रतियोगिता मूल्य में अधिक देन को तैयार हो जाते हैं।

(ग) क्वालिटी में वास्तविक और अनुमानित अन्तर (Real or Imaginary Differences in Quality)—यह भी वस्तु का विभेद (differentiation) कहलाता है। उपभोक्ता विशिष्ट चिह्न वाली वस्तुओं, जैसे चाय, कॉफी, साबुन, सिगरेट, कपड़े इत्यादि का प्रयोग करने लग जाते हैं। यह कम उन वस्तुओं के उत्पादकों को इस योग्य बनाता है कि वे प्रतियोगिता की कीमतों से अधिक ले सकें।

(घ) चम्क-मटक बाजार में फैशनेबिल दुकानें (Shops Situated in Fashionable Quarters)—कुछ उपभोक्ता वस्तुओं को फैशनेबिल (चम्क-मटक) वाली दुकानों से खरीदना पसन्द करते हैं, जैसे चाँदनी चौक और सदर बाजार का अपेक्षा कनाट प्लेस व नई दिल्ली से। इसी कारण कनाट प्लेस वाले दुकानदार उन्हीं वस्तुओं के लिए अधिक दाम लेते हैं।

अन्तिम दो हालतों में अगर कीमत बहुत अधिक होती है तो उपभोक्ता या तो उन चिह्न वाली वस्तु को भयवा उस खरीदने के स्थान को बदल देता है।

अपूर्ण प्रतियोगिता के लक्षण (Symptoms of Imperfect Competition)—ऐसी स्थिति की जाँच करने के लिए कि हालात शुद्ध प्रतियोगिता (pure

competition) अथवा एकाधिकृत अथवा अपूर्ण प्रतियोगिता के हैं, यह बातें जल्दी हैं—(i) विज्ञापन, (ii) विभिन्न ट्रेड चिह्न तथा लेबल आदि का उपयोग, (iii) मूल्य-वचन (price quotation), तथा (iv) कीमतों में भेद (price variations)।

३ अपूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य (Value Under Imperfect Competition)—अपूर्ण प्रतियोगिता की परिस्थिति में मूल्य निर्धारण मौलिक रूप से पूर्ण प्रतियोगिता से भिन्न होता है। जब प्रतियोगिता अपूर्ण होती है तो जिस वस्तु का क्रय विजय होता है वह प्रामाणिक नहीं होती और इसलिए कीमत के आधार पर प्रतियोगिता सम्भव नहीं है। अब खरीदार केवल एक वस्तु ही नहीं खरीदते बल्कि उन सेवाओं को भी साथ साथ खरीदते हैं जो उस वस्तु के साथ जुड़ी हुई होती हैं (अर्थात् माल भण्डारों की स्थिति, पैकिंग, ट्रेड चिह्न बेचने वालों के व्यक्तित्व आदि बातों को परस्पर)।¹ वे अपनी पसन्द की वस्तु के लिए अपेक्षाकृत अधिक देने को तैयार रहते हैं। वे कितना अधिक देंगे, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसकी वास्तविक उपयोगिता कितनी है अथवा बेचने वाला उसके विषय में क्या कहना है बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि खरीदार की दृष्टि में वह वस्तु अपेक्षाकृत कितनी अच्छी लगती है।

वे कौनसी बातें हैं जो अपूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण पर प्रभाव डालती हैं? अपूर्ण प्रतियोगिता में भी विक्रेता अपनी वस्तुओं की मण्डियों को बढ़ाना चाहते हैं। यह वे दूसरों के छाप या ब्रांड्स के अपहरण के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो इसके लिए उन्हें पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षाकृत कहीं अधिक कीमत गिरानी पड़ेगी। दो प्रतियोगी वस्तुओं की कीमतों के बीच का अन्तर अपेक्षाकृत उभोक्ताओं के मन में उन वस्तुओं के सापेक्ष गुण-भेद की अपेक्षा अधिक होना चाहिए तब नहीं जाकर दूसरों के ग्राहक तोड़े जा सकेंगे। लेकिन ऐसा करते समय उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अन्य विक्रेता भी दाम गिरा सकते हैं और आगे चलकर कीमत को बढ़ाना न तो ठीक होगा और न सम्भव ही होगा। प्रतियोगी बाजार की अपेक्षा विभेदपूर्ण बाजार में जो भा मूल्य नीति बेचनेवाला अपनाएगा, उसे उसके दीर्घकालीन परिणामों का ध्यान में रखना होगा। कभी-कभी माल की बड़ी जमा राशि निकालने के लिए कीमतों में व्यापक कमी कर दी जाती है। कभी कभी नामवर चीजों की भी कीमत कम कर दी जाती है। किन्तु इस प्रकार कीमतों में कमी व प्रतियोगिता के कारण कीमतों में कमी में अन्तर है।

यदि कीमत को गिरावट दूसरों पर अधिक प्रभाव नहीं डालती या दूसरों के ग्राहकों में से केवल थोड़े से ही लोगों को खींचती है, तो बढ़ते का डर बहुत कम होगा। साधारणतः प्रत्येक विक्रेता को 'भूल-सुधार' (trial and error) के सिद्धांत पर चलना होगा। प्रतियोगी वस्तुओं की कीमतें बदलती रहती हैं और यह मालूम करना कि अमुक कीमत का प्रतियोगी विक्रेताओं पर क्या-कसा प्रभाव पड़ेगा असम्भव-सा है। सही माँग अनुसूची बना लेना प्रायः असम्भव है। इसलिए यदि कोई

कीमत सन्तोषजनक पाई गई है तो अपूर्ण प्रतियोगिता की परिस्थिति में विक्रेता उसी को स्थिर रखेगा ।

वह कौनसा सिद्धान्त है जिसके अनुसार विक्रेता अपने उत्पादन की अनुकूलतम मात्रा और कीमत निश्चित करेगा । अपूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार से बहून-कुल मिलती-जुलती है । केवल भन्तर यह है कि एकाधिकार में एक व्यक्ति या फर्म का सारे बाजार पर अधिकार होता है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में बाजार कई भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग में एक छोटा-सा एकाधिकारी होता है । अस्तु, प्रत्येक भाग में कीमत का निर्धारण एकाधिकार के मूल्य सिद्धान्तों के अनुसार होता है । एकाधिकार की तरह, अपूर्ण प्रतियोगिता में भी कीमत उस स्थान पर निश्चित होगी जहाँ पर सीमान्त लागत और सीमान्त आगम (marginal cost and marginal revenue) की उत्पादक इकाइयों समान (equal) होंगी । अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पादक पैदावार को उस समय तक बढ़ाते रहेगा और उसकी पैदावार उस समय अनुकूलतम (optimum) होगी जब तक कि सीमान्त आगम सीमान्त लागत के बराबर न हो जाएगा । दोनों के बराबर होने पर उत्पादन आदर्श बिन्दु पर पहुँच जाएगा । यह बात ध्यान देने योग्य है कि सीमान्त आगम वह आगम है जो अतिरिक्त पैदावार की बिक्री से प्राप्ति के कुल आगम में जोड़ा जाता है ।


यहाँ यह याद रखना होगा कि सीमान्त लागत और सीमान्त आय को समतुल्य करने का सिद्धान्त एकाधिकारी प्रतियोगिता में तभी तक लागू होगा जब तक कि एक विक्रेता की वस्तु की माँग-रेखा अपरिवर्तित रहती है । उद्योग में नई प्रतियोगी फर्मों के आने से माँग और फलस्वरूप लाभ में परिवर्तन होगा । शुरू में जब प्रतियोगिता अपूर्ण होती है, तो माँग कम लोचदार होती है । अब मान लो कुछ नई फर्में खुल जाती हैं और ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से उनकी स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है । इसका फल यह होगा कि कुछ ग्राहक उनकी और खिच पाएँगे और माँग रेखा ढाँई और खिसक जाएगी । इसी प्रकार यदि और नई फर्में आती जाएँगी, तो माँग घटती चली जाएगी । यदि नई फर्मों का आना सामान्य है, और यदि एकाधिकार लाभ प्राप्त हो रहे हैं, तो जब तक एकाधिकार लाभ समाप्त न हो जाएगा नई फर्में आती रहेंगी ।¹ उद्योग प्रतियोगिता बढ़ेगी स्थिति-स्थिति लागत वक्र भी प्रभावित होगे । अर्थात् यदि उत्पादन घटेगा तो लागत बढ़ेगी; इस प्रकार भी शर्त-शर्त लाभ तिरोहित होता चला जाएगा ।

पिछले अध्याय के तीसरे विभाग में यह दिखाया गया है कि अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कैसे निश्चित होती है । उसको देखने से पता चलता है कि एकाधिकार की तरह अपूर्ण प्रतियोगिता में भी, सीमान्त आय कीमत से कम होती है । पूर्ण प्रतियोगिता में वह कीमत के बराबर होती है । अपूर्ण प्रतियोगिता में अनुकूलतम पैदावार की मात्रा पूर्ण प्रतियोगिता के हिसाब से कम होती है । अनुकूलतम


¹ See *ibid* pp 186—96 for diagrams illustrating the effects of entry of rival and the final situation when monopoly profit disappears

पैदावार वह राशि है जिस पर लाभ (एकाधिकारी के लिए एकाधिकार घागम—अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में) अधिकतम होता है।

निम्नांकित रेखाचित्रों में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मूल्य निश्चय करने की विधि का निरूपण किया गया है। रेखाचित्र ५५ (१) में अल्पावधि में होने वाली स्थिति समझाई गई है और रेखाचित्र ५५ (२) में दीर्घावधि में।



रेखा चित्र ५५ (१) अल्पावधि



रेखा चित्र ५५ (२) दीर्घावधि

अल्पावधि में, अनुकूलतम पैदावार OM है, जबकि MR तथा MC P बिन्दु पर काटते हैं, अर्थात् सीमान्त घागम सीमान्त लागत के बराबर है। इस तरह P'QRS असाधारण लाभ होता है। लेकिन, दीर्घावधि [चित्र ५५ (२)] में यह प्रतियोगी अवस्था के कारण खत्म हो जाता है। अनुकूलतम पैदावार अधिक होती है।

४ विक्रय-मूल्य या लागत (Selling Cost)¹—विज्ञापन, प्रचार-कार्य तथा बेचने में जो खर्च होता है उसे विक्रय लागत कहते हैं। विक्रय की परिभाषा इस प्रकार है—'यह वह लागत खर्च है जो खरीदार को एक वस्तु की अपेक्षा दूसरी खरीदने के लिए बाध्य करता है या जो खरीदार को एक दूकान की अपेक्षा दूसरी दूकान से खरीदने के लिए विवश करता है।'

यदि बाजार पूर्ण हो यानी अगर खरीदारों को कीमतों के बारे में पूरी जानकारी हो तथा चीजों की क्वालिटी की पूरी पूरी जानकारी है तो विज्ञापन बेकार होगा। इससे कोई भी खरीदार आकर्षित नहीं होगा। विज्ञापन प्रतियोगितापूर्ण बाजार में भी अनावश्यक होगा जहाँ कि प्रामाणिक वस्तुएँ विकती हैं। एकाधिकारी को भी विज्ञापन पर खर्च करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके साथ स्पर्धा करने के लिए कोई नहीं होता। असलियत में पूर्ण प्रतियोगिता तथा पूर्ण एकाधिकार तो होता ही नहीं। बहुत थोड़े खरीदार होंगे जो पारखो हो अथवा बाजार की हालतों

1 See Meyers, A L.—Elements of Modern Economics, 1951, p 195

See also Stigler, G J.—Theory of Price, 1947, p 157, and Joan Robinson—The Economics of Imperfect Competition, 1945, p. 335

से पूरे परिचित हो। बहुत से ब्रैंडो (brands) में चुने जाने की प्रतियोगिता रहती है। यह विज्ञापन के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है जो या तो नई वस्तुओं का ज्ञान दिलाता है या खरीदारों को साचाह करवाता है कि पुरानी वस्तु अब भी ठीक से चल रही है। विक्रय लागत इस तरह अपूर्ण बाजार (imperfect market) या एकाधिकारी प्रतियोगिता (monopolistic competition) से सम्बन्धित है। उत्पादन की भिन्नता से विज्ञापन और विपणन व्यय आवश्यक हो जाते हैं।

विक्रय लागत तथा माँग वक्र (Selling Costs and Demand Curve)— विक्रय लागत अर्थात् विज्ञापन व्यय और विप्रेी व्यय पुराने ग्राहकों को ख़ादा कीजें खरीदने के लिए लालायित कर सकता है और नए ग्राहक भी बना सकता है। इसका अर्थ है माँग में वढोतरी। नई माँग का वक्र जो माँग की बढ़ती बताता है, पुराने वक्र के ऊपर या उसके दाहिने तरफ होगा लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वक्र की तोच पुराने की ही तरह हो। यह नए ग्राहकों को खरीद की शक्ति पर निर्भर है। अगर वे कीमत से ज्यादा प्रभावित होते हैं तो वह अधिक लोचदार होंगे, यही तो पुराने वक्र से कम लोचदार होगी। अगर नए ग्राहक वस्तुओं की अच्छाई से प्रेरित हैं तो नया वक्र ऊपरी भाग में कम लोचदार होगा क्योंकि कीमत घासाने से बढ़ाई जा सकती है। यदि ग्राहक यह सोचते ह कि वह वस्तुओं को केवल कम दाम पर ही खरीद सकते हैं तो नया वक्र नीचे के भाग में पुराने से अधिक लोचदार होगा।

५ **विक्रय लागत तथा अनुकूलतम पैदावार (Selling Costs and Optimum Output)**—अधिक उत्पादन की खपत के लिए तीन दग हैं जिनमें पहला विज्ञापन है। दूसरे दो तरीके कीमत कम करना तथा बढाशक्ति में सुधार करना है। विक्रय लागत का बीच में आ जाना अधिक फायदेमन्द पैदावार निर्धारित करने में बाधक है। यह स्पष्ट है कि अधिक मूल्य विक्रय लागत (total selling costs) अधिक पैदावार को उसी कीमत पर बेचने में या उसी पैदावार को उँचे दाम पर बेचने में आवश्यक है। निम्नांकित सूत्र अनुकूलतम पैदावार (optimum output) की निश्चय करने में उपयोगी होगा—


कुल लाभ = (कीमत) × (पैदावार) -- (उत्पादन लागत + विक्रय लागत)

अब समस्या यह है कि वह कौनसी पैदावार है जिस पर शुद्ध आय ख़ादा से ज्यादा होगी। हम देख चुके हैं कि विक्रय लागत एक नया माँग वक्र बनाता है। अधिक-से-अधिक फायदा निकालने का एक तरीका यह है कि विक्रय लागत को उस क्षात माँग के तिलसिले में स्थिर लागत माना जाए। एक रेखाचित्र इस विक्रय लागत के लिए और माँग वक्र जो यह उत्पन्न करता है बनाया जा सकता है।¹

AR औसत आय (माँग) वक्र है, MR औसत आय है; PL औसत उत्पादन-लागत है, लाइनदार क्षेत्रफल इसके ऊपर का विक्रय लागत बताता है। इसको PL में जोड़ने से औसत कुल इकाई लागत यानी ATUC हमको मिलता है। DEFP इस दशा में अधिक से-अधिक आय बताता है।

ऊपर की दशा में विन्य लागत को स्थिर लागत माना गया है। दूसरा तरीका यह है कि विक्रय लागत को बदलती लागत समझा जाए, जो कि बड़े हुए उत्पादन को उसी दाम पर बेचने में सहायक है। अधिक-

से-अधिक कुल लाभ का बिंदु विभिन्न उत्पादन लेने से तथा ऊपर का मूल्य लगाने से ज्ञात किया जा सकता है। हर उत्पादन के लिए हम कुल लाभ कुल प्राप्ति (returns) से कुल लागत जिसमें विक्रय लागत भी सम्मिलित है, घटाने से मालूम कर सकते हैं। इस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौनसा उत्पादन अधिक से-अधिक लाभदायक मिद्ध होगा।



चित्र ५६

बढ़ी हुई विक्रय-लागत बनाम दाम का घटाना (Increased Selling Cost Vs Price Cutting)¹—हमने पहले बतला दिया है कि क्वान्टिटी के सुधारने के अलावा दो और ढंग हैं जिससे बिक्री बढ़ सकती है। यानी कीमत का घटाना या विक्रय लागत का बढ़ाना (यानी, विज्ञापन तथा सेल्समेनो पर अधिक खर्च करना)। इन दोनों में कौनसा तरीका अच्छा है? यह स्पष्ट है कि खरीदार लोगों के दृष्टिकोण से कीमत घटाना ज्यादा अच्छा है।

व्यापारी के दृष्टिकोण से विज्ञापन पर व्यय करना कीमत घटाने से अच्छा है क्योंकि विज्ञापन जब अच्छा परिणाम न दे तो रोक जा सकता है। लेकिन कीमत को एक बार घटाकर फिर बढ़ाना दुष्टिमानी न होगी। इसके अलावा कीमत को घटाना अनैतिक समझा जाता है। परन्तु विज्ञापन का विरोध कोई नहीं करेगा।

लेकिन कीमत घटाना प्रतियोगियों और विरोधियों पर सीधा आक्रमण है अतः बदला शीघ्र और तेज होता है। जो व्यापार कीमत घटाकर बढ़ाया जाता है वह अन्य प्रतियोगियों द्वारा और अधिक कीमत घटा कर छीन लिया जा सकता है। लेकिन विज्ञापन द्वारा खरीदारों के मन में विज्ञापित वस्तु जग जाती है। जिस हद तक विज्ञापन-कार्य सफल होता है लाभ स्थायी होता है।

६ अपूर्ण प्रतियोगिता में व्यावसायिक सस्याओं की संख्या तथा आकार (Size and Number of the Firms under Imperfect Competition)—जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में व्यावसायिक सस्याओं की संख्या इस प्रकार समतल की जाती है कि साम्य (equilibrium) की स्थिति में हर एक फर्म अनुकूलतम अथवा सर्वोत्तम आकार वाली होगी। इन हालातों में अनुकूलतम आकार से नीचे वाली व्यवसायी सस्याएँ अपना कारोबार विस्तृत करेंगी। जैसे वे बढ़ेंगी उनकी लागत गिरेगी लेकिन उनके अतिरिक्त उत्पादन से प्राप्त कीमत वही रहेगी। अगर

1 Meyers, A L. Elements of Modern Economics, 1951, pp 211-14

प्रतियोगिता अपूर्ण है, तो सम्भव है वह फर्म न बड़े। उसके बढ़ाने में निःसन्देह सीमान्त व्यय कम हो जाएगा, लेकिन साथ-साथ इसकी कीमत भी कम हो जाएगी क्योंकि उसकी उत्पादन की मात्रा उसकी कीमत पर प्रभाव डालेगी। यह सम्भव है कि कीमत कम हो जाने पर विक्रय के लाभ में भी अधिक हानि हो, इसलिए वह फर्म अपने बढ़ने का प्रयत्न नहीं करेगी। अस्तु अयोग्य फर्म (inefficiency firms) जब तक अपूर्ण प्रतियोगिता है, तब तक रह सकती है। इस तरह सभी फर्म अनुकूलतम प्रकार की नहीं होंगी। उपर्युक्त कथन से यह भी स्पष्ट है कि अपूर्ण प्रतियोगिता में किसी व्यवसाय के अन्दर व्यवसायी समस्याओं की समस्या पूर्ण प्रतियोगिता में व्यवसायी समस्याओं की समस्या से अधिक हो सकती है। यह इसलिए सम्भव है कि अयोग्य फर्म पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाहर निकल जाती है।

७ अपूर्ण प्रतियोगिता से हानियाँ (Wastes of Imperfect Competition)—अपूर्ण प्रतियोगिता से निम्नलिखित हानियाँ होती हैं—

(क) प्रतियोगिक विज्ञापन-व्यय (Expenditure on Competitive advertisement) साधारणतया प्रतियोगिता की हानियों की सूची में शामिल किया जाता है। पर वास्तव में यह पूर्ण प्रतियोगिता के कारण नहीं, बल्कि अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण होता है। यदि प्रतियोगिता पूर्ण हो तो इतनी लागत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तब तो हरेक फर्म अपनी कीमत को थोड़ा कम करके अपनी बिक्री बढ़ा लेगी। किन्तु अपूर्ण प्रतियोगिता में उपभोक्ताओं की परम्परागत पसन्दों को तोड़ने के लिए कीमत में बहुत भारी कमी करने की आवश्यकता होगी। इससे यह बात ज्ञात होती है कि प्रचार पर खर्चा व्यय करके उपभोक्ताओं को फुलाना 'कि अमुक प्रचारक सस्या की उत्पादित वस्तु अन्य प्रतिद्वन्द्वियों से अच्छी है,' देश और जाति की आधिपत्य हानि पहुँचाना है।

(ख) एक ही वस्तु के दुहरा परिवहन का व्यय (Expenditure on Cross Transport) भी ऐसा ही एक अपव्यय है। उत्तर भारत की एक व्यवसाय नस्या दक्षिण भारत के उपभोक्ताओं को कोई वस्तु बेचती है तथा उसी समय वही वस्तु दक्षिण भारत की सस्या उत्तर भारत में बेचती है। इस प्रकार की दशा भी पूर्ण प्रतियोगिता के न होने के कारण पैदा होती है। इनमें व्यय ही दुहरा परिवहन व्यय होता है।

(ग) अपूर्ण प्रतियोगिता का तीसरा अपव्यय यह है कि हर एक फर्म जिसके लिए वह अधिक उपयुक्त है, उसमें विशेषता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न ही जाती है। क्योंकि अपूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं में हर एक सस्या को प्रचार पर खर्चा व्यय करना पड़ना है और अपने प्रतिरोधियों से ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए भी कीमतें कम करनी पड़ती हैं। इसलिए प्रत्येक फर्म अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार तथा गुण वाली वस्तुओं को उत्पन्न करना अधिक ठीक समझती है।

(घ) अपूर्ण प्रतियोगिता से होने वाले अपव्यय के सम्बन्ध में पहले ही बताया जा चुका है। अपूर्ण प्रतियोगिता की एक और हानि यह है कि ऐसी हालतों में वह योग्य व्यवसायी सस्याएँ, जोकि कम व्यय में उत्पादन कर सकती हैं अयोग्य फर्मों

(inefficient firms) को बाजार से हटाने में असमर्थ होती हैं। यदि प्रतियोगिता पूर्ण है तो फर्म अपना कुल उत्पादन इतना बढ़ाएंगी कि कीमत सीमान्त लागत तक आ जाए, जिसके फलस्वरूप अयोग्य व्यावसायिक संस्थाएँ पूर्ति (Supply) करने में असमर्थ रहे। लेकिन यदि प्रतियोगिता अपूर्ण है तो योग्य व्यावसायिक संस्था को अपनी प्रतिरोधी अयोग्य व्यावसायिक संस्था के उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी श्रम व्यय करना पड़ेगा या इस उद्देश्य प्राप्त के लिए अपनी कीमत को घटाना पड़ेगा।

(इ) अपूर्ण प्रतियोगिता उन वस्तुओं के मान को स्थापित करने में बाधा डाल सकती है, जो उत्पादन के सर्वोच्च तरीके को प्रयोग में लाने के लिए आवश्यक हो। मान लीजिए कि ऊँची उत्पादन-लागत पर विभिन्न प्रकार की मोटरें कई फर्मों द्वारा बनाई जाती हैं। यदि केवल कुछ डिजाइनों की ही मोटरें बनाई जाएँ तो बड़ी मात्रा की पैदावार के लाभ के कारण प्रति इकाई लागत काफी घटाई जा सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता में इन प्रकार की बृहद् उत्पादन करनेवाली इकाइयाँ निकलेंगी। अपूर्ण प्रतियोगिता में कोई उत्पादक एक विशेष डिजाइन की कारों अधिक संख्या में उत्पादन करने का खतरा नहीं उठाएगा क्योंकि अपने प्रतिस्पर्द्धी उत्पादकों के पास से क्रेताओं को आकर्षित करने के लिए जो व्यय होगा, वह अधिक मात्रा में उत्पादन की किफायती से अधिक होगा।

८. द्वयधिकार तथा अल्पाधिकार (Duopoly and Oligopoly)—प्रभी तक हमने ऐसी स्थिति पर विचार किया है जहाँ एक अकेला एकाधिकारी (एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का एक समूह) सारे बाजार का मालिक होता है। पर दूसरी स्थितियाँ भी इस संसार में आ सकती हैं। एक वह है जब कि एक के बजाय दो एकाधिकारी एकाधिकार की शक्ति रखते हो। इसको द्वयधिकार (duopoly) कहते हैं। दूसरी वह है जब दो से अधिक या कुछ विक्रेता एकाधिकार शक्ति रखते हो। इसको अल्पाधिकार कहते हैं।

द्वयधिकार (Duopoly) में एकाधिकारी एक समान वस्तु को बेचते मान लिए जाते हैं। उनकी उत्पादित वस्तुएँ प्रायः समान होती हैं, बहुधा दोनों में दलबन्दी होगी। वे एक कीमत मान लें अथवा भाग स्थिर कर लें, या प्रादेशिक बँटवारा कर लें जिसमें वह अपनी वस्तुएँ बेचें। विशेषकर ऐसा तब होगा जबकि उनकी लागत बराबर या लगभग बराबर है और माँग स्थायी तथा कम लोचदार है। स्पष्ट रूप से यह दलबन्दी ऐसी स्थितियाँ पैदा कर देती है जो कि एकाधिकार से विलकुल मिलती जुलती हैं और कीमत निर्धारण एकाधिकार की भाँति ही होगा।

यदि दोनों में कोई समझौता नहीं होता, तो स्थिति बदल जाएगी। सबसे अधिक सम्भावना इस बात की है कि उनमें सदैव कीमत की लड़ाई होगी। सबसे महत्त्वपूर्ण सोचने की बातें हैं लागत तथा प्रतिस्पर्द्धी को निकालने में लाभ, दोनों फर्मों का सापेक्ष आकार (relative size), माँग की लोच तथा ग्राहकों की गतिशीलता, जिस पूर्ति से कि प्रतिस्पर्द्धी दूसरे की नीति में परिवर्तन होने से प्रत्याघात करता है तथा

जिस सीमा तक कीमत में रियायत को गुप्त रखा जा सकता है और इस प्रकार प्राप्ति भी ।

अल्पाधिकार (Oligopoly) में कीमत का सिद्धान्त (Pricing theory) मूल रूप में वही है। अन्तर केवल इतना ही है कि जितनी अधिक फर्म होगी उतना ही अधिक अन्तर सीमान्त लागत में होगा और सम्भोजे की सम्भावना भी अधिक दूर होगी। विज्ञापन, अनुसन्धान, विनियोग तथा मुनाफे का अनुमान अनिश्चित होता है। उद्यमी का स्वभाव चाहे आशावादी हो या निराशावादी, स्थिति को और जाटल बना देता है। चूंकि वे सब प्रामाणिक उत्पादन में सम्बन्ध रखते हैं और वे हर एक कुल उत्पादन का एक बड़ा भाग उत्पन्न करते हैं इसलिए हर एक की कीमत व उत्पादन नीति दूसरे पर अधिक प्रभाव डालती है, परन्तु कोई भी नहीं बना सकता कि कैसे। "अल्पाधिकार द्वारा निश्चित की गई कीमत जितना उत्पाद विभेद नहीं है अनिश्चित बन जाती है। किन्तु व्यापक रूप में उत्पादको की संख्या अधिक होने पर कम होगी जब तक कि अन्त में पूर्ण प्रतियोगी साम्यावस्था पर पहुँचने तक काफ़ी हो जाती है।"

जिस दशा में उत्पाद विभेद है एकाधिकारी कैसे होने की और भी कम सम्भावना है। चूंकि उत्पाद समान नहीं होते अल्पाधिकारी उत्पादक अपने प्रादुर्भाव को कम किए बिना ही कीमतों का चढ़ा सकता है और गिरा सकता है तीव्र प्रतिस्पर्धा की सम्भावना नहीं रहती। तो भी उनमें परम्पर प्रतिस्पर्धा की तीव्र भावना एकाधिकार प्रतियोगिता को जन्म दे सकती है। दीर्घाधि में कीमत ऐसे स्तर पर तय हो सकती है जो एकाधिकार कीमत तथा तीव्र प्रतिस्पर्धा के बीच का हो।

अल्पाधिकार में एक फर्म की वस्तु के लिए माँग का स्वरूप एक विशेषता रखता है। वर्तमान कीमत में ऊँची कीमत पर यह लोचदार और वर्तमान कीमत से नीची कीमत पर यह कम लोचदार है। यदि वह कीमत बड़ा देता है तो वह अपने बाजार का बहुत बड़ा भाग (अपने प्रतिस्पर्धी को) खो देता है और यदि कीमत गिरा देता है तो विक्री की मात्रा बढ़ जायेगी परन्तु अधिक नहीं क्योंकि उनके प्रतिस्पर्धी भी कीमत घटा देंगे। अल्पाधिकार उद्योग में कोई भी फर्म कीमत घटाकर बाजार को छोड़ नहीं सकती क्योंकि प्रतियोगिता (Competition) अपूर्ण है।

दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि अल्पाधिकार में कीमत अधिक स्थिर होती है। यह न तो माँग में परिवर्तन होने से आधिक घटती-बढ़ती है और न पूर्ति में। उदाहरणार्थ, यदि माँग बढ़ती है तो कोई भी फर्म कीमत बढ़ाने का साहस इस भय से न करेगी कि दूसरी फर्म कीमत न बढ़ाएँ और वह बाजार खो बैठे। वह कीमत इस भय से कम न करेगी कि दूसरी फर्म भी अपना कीमत घटाकर उसको उसके प्राथमिक लाभ से कहीं अधिक न कर दें।

इसी प्रकार अल्पाधिकार में लागत का भी कीमत तथा उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरणार्थ यदि मजदूरी गिर जाती है तो हर एक फर्म कीमत को कम करना चाहेगी परन्तु उसको निश्चय न होगा कि दूसरी व्यवसाय सहायें भी अपनी कीमतें कम कर देंगी। प्रतियोगी उद्योग में किसी एक फर्म के कार्यों से

उद्योग की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि फर्म बहुत सी होती हैं। पर उत्पाधिकार में फर्मों की संख्या बहुत कम होती है, और इसलिए किसी भी फर्म का कोई भी कार्य दूसरों पर प्रभाव अवश्य डालता है।

६ नवीन उत्पादन का मूल्यांकन (Pricing of New Products)¹—नवीन उत्पादन का मूल्यांकन एक प्रकार से अंधेरे में कूदना है। अनुभवी कारीगर या निर्मातागण अंधों की तरह नहीं भागते बल्कि वैज्ञानिक तरीकों पर प्रयोग करते हैं। नई वस्तु को बाजार में कई श्रेणियाँ (stages) पार करनी पड़ती हैं। प्रारम्भिक नवीनता घटती जाती है तथा वस्तु अपनी विशेषता खो देती है। “नए उत्पादों में रक्षित विशेषता पाई जाती है जो प्रतियोगिता के कारण कम होती जाती है।” इसकी विभिन्न श्रेणियाँ ये हैं— मार्केट में नए माल का पेटेंट होता है। यह अनिश्चित अवस्था है। माल की निक्कासी के साथ विक्री बढ़ती है। इससे प्रतियोगिता उत्पन्न होती है। बाजार में नए प्रतियोगी आते हैं जिससे माल में फर्क करना कठिन हो जाता है। कीमतें कम होनी लगनी हैं तथा माल ग्राम हो जाता है। इसलिए प्रत्येक श्रेणी के अनुसार कीमत नीति बनानी पड़ती है।

उद्योगी के सम्मुख निम्नांकित विशेष कार्य रहते हैं—

(i) माँग का अनुमान लगाना (To Estimate Demand)—उपभोक्ता की पसन्द वास्तविक तथा सम्भावित (actual and potential) जानना होता है। कुछ प्रश्न का हल आवश्यक होता है जैसे क्या वस्तु की माँग होगी अथवा नहीं। किस कीमत पर यह अधिक आकर्षित होगी? किस कीमतों पर क्या विक्री होगी और इन कीमतों का दूसरी वस्तुओं के बनाने वालों पर क्या असर पड़ेगा?

(ii) बाजार लक्ष्य निर्धारित करना (To Decide on Market Targets)—यह लक्ष्य बाजार के हिस्से पर जो यह अपनाना चाहता है निर्धारित है, साथ ही यह पैदा करने का ढंग तथा वितरित करने के जरिए पर भी निर्धारित है। उत्पादन तथा वितरण की लागत द्वारा भी बाजार के लक्ष्य का निर्धारण होगा।

(iii) उन्नतिशील कौशल की रचना (To Design Promotional Strategy)—इसके पहले कि बनानेवालों की कीमत लगाने सम्बन्धी इच्छा समाप्त हो, वह खर्च जो बाजार बनाने में तथा अधिकार देने आदि में खर्च हुए हैं, वसूल कर लेने चाहिए।

(iv) वितरण के रास्ते निकालना (To Choose Distribution Channels)—नई वस्तुओं की कीमत लगाने में विग्रह लागत का भी ध्यान रखना चाहिए। अब हमको कीमत लगाने के ढंग को, जो दो विशेष श्रेणियों में होती है, जिससे वस्तुओं को गुजरना पड़ता है, देखना है। (क) अग्रगामी मूल्य स्तर (pioneering stage) तथा (ख) परिपक्व मूल्य-स्तर (stage of maturity)।

(क) अग्रगामी मूल्य (Pioneering Pricing)—इस हालत में कारीगर (manufacturer) के लिए दो रास्ते खुले हैं—

¹ Joel Dean, Harvard Business Review, November 1950 pp 45-52, reprinted in Hess and others—Outside Readings in Economics, 1951, Ch 15

(1) ऊँची कीमत जिसको Skimming Price कहते हैं, और

(2) नीची कीमत जिसको Penetration Price कहते हैं।

ऊँची कीमत (Skimming Price) बाजार में किसी प्रतिवादी के आने के पहले बाजार को मयने या दुहने (skim) के लिए होती है। यह उन वस्तुओं के लिए उचित है जो मौजूदा वस्तुओं से अत्यधिक भेद बतवाती हैं और जिन पर आरम्भ में ही अधिक खर्च होता है। ऊँची कीमत के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि पहले-पहले माँग अपेक्षाकृत बेलाचदार होती है, यह बाजार के तत्त्व को मथ लेती है जिससे कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह रक्षित है, और साथ ही ऊँचे दाम द्वारा पैदावार, वितरण तथा तरक्की के लिए अधिक खर्चा लगाने की व्यवस्था होती है।

नीची कीमत (Penetration Price) यह कीमत है जो नीची है और पूरे बाजार पर सीधे धारण करती है और अधिक मुनाफे की आशा भी रखती है। जहाँ पर ऊँची कीमत में माँग की लोच बढ़ती है वहाँ के लिए थोड़ी कीमत उपयोगी सिद्ध होगी। यह वहाँ के लिए भी उपयोगी होगी जहाँ प्रतिस्पर्धा का भारी डर है तथा जहाँ पैदावार उपभोक्ता के खर्च के लिए आमानी से उपयोगी हो। अधिक उत्पादन जो कम दामों पर अधिक माँग की पूर्ति के लिए किया गया हो उत्पादन की लागत में घटत करेगा।

उत्पादक या कारीगर को चाहिए कि वह इस बात पर अच्छी तरह विचार कर ले कि अपने उत्पाद की कीमत ऊँची (skimming price) रखेगा या नीची (penetration price) रखेगा। सोच-समझकर निणय कर लेने के बाद ही उसे अपना मार्ग निश्चित करना चाहिए।

(ख) परिपक्व मृत्युचक्र (Pricing in Maturity)—Brand preference में कमजोरी लाना, वस्तुओं के बीच भौतिक विभिन्नता को कम करना जब कि उत्पादन स्टैंडर्ड (standardised) हो, व्यवितगत होड़ करने वाले चिन्ह की अधिकता का होना, बाजार का शिखर पर होना और उत्पादन के साधन का स्थिर हो जाना आदि नई वस्तुओं में प्रतिस्पर्धा (competitive status) को नीचा करने के कुछ सक्षम हैं। जब कि ऐसे चिन्ह प्रतीत होते हैं और निर्माता को यह मालूम होता है कि बाजार उसके हाथ से निकलता जा रहा है तो उसे कीमत कम कर देनी चाहिए और इस तरह एक मजबूत दीवार उसके विरोधी के रास्ते में खड़ी हो जाती है। उसकी अपनी वस्तु को उन्नतिशील बनाने का प्रयत्न करना चाहिए और साथ ही मार्केट का विभाजन (segmentation) भी करना चाहिए, जिससे पैदावार 'सम्पन्न श्रेणी में आ जाए और ऊँची प्राय वालों को आकर्षित करे।' इस तरह कम तथा इतनी कम भी नहीं कीमत (Low and not so low a price) ही के बीच छूट का विकल्प रहता है।

१० सीमांत का महत्त्व (Importance of the Margin)¹—हम सीमांत

1 Richard, A. Lester—Shortcomings of Marginal Analysis The American Economic Review March, 1946, pp 72-82 reprinted in Hess and others—Outside Readings in Economics, 1951, Ch 18

विश्लेषण की ओर निर्देश करने का अवसर मिला किन्तु सीमान्त विश्लेषण का अर्थ-विज्ञान के कई प्रकारणों में भारी महत्त्व है। सत्य यह है कि सीमान्त विश्लेषण का सिद्धान्त अर्थ-विज्ञान को समझने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इसका महत्त्व इसमें होता है कि "सीमान्त पर ही माँग और पूर्ति के परिवर्तित सम्बन्ध परस्पर स्पष्ट होकर परिवर्तन सम्भव करते हैं, अर्थात् यह ज्ञान होता है कि अब अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। सीमान्त पर ही व्यवसाय की अमफलता अथवा दिवालियापन का ज्ञान होता है। सीमान्त पर ही नई फर्म अथवा उद्योगपति उन्नति की ओर बढ़ते हैं। सीमान्त पर ही एक वस्तु अथवा काम की जगह दूसरी वस्तु अथवा काम को लगाया या प्रतिस्थापित किया जाता है। सीमान्त पर ही नये सामान की माँगों की पूर्ति को प्राप्त साधनों के अन्तर्गत विभाजित किया जाता है। और द्रव्य के वर्तमान और भविष्य के उपयोग के लिए किस भाँति वितरण हो, इस नतीजे पर पहुँचा जाता है। विकस्टीड (Wichsteed) के शब्दों में "जहाँ कहीं भी वह (सीमान्त) अपना प्रभाव जमा चुकी है वही वह अपनी प्रभुता स्थापित करती है। यही पर मनुष्य के प्रयत्नों की दिशा की आर्थिक परीक्षा होती है और उसे वही से निर्देश मिलते हैं। विभाजन के प्रत्येक बिन्दु पर वह साधनों के विवरण की जाँच करती है।"

पैदावार के सम्बन्ध में भी सीमान्त का अपना एक विशेष महत्त्व है। यह पैदावार का रूप स्थिर करने का माप-दण्ड होता है। यह निश्चय करने के लिए कि उत्पादन कितनी मात्रा में होना चाहिए, उत्पादक सामान्य उत्पादन लागत को दृष्टि में नहीं रखता वरन् वह सीमान्त उत्पादन-व्यय पर ध्यान देता है। उसके लिए यह जानना अधिक आवश्यक होगा कि पैदावार में वृद्धि करने के लिए उसे कितना अधिक और व्यय करना होगा। इस अतिरिक्त निकामी पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की वह अनुमानित आय से तुलना करेगा। जो नियम उसे अपनाना होगा वह सीमान्त लागत की सीमान्त कीमत से समानता होती है।

प्रतियोगितापूर्ण स्थिति में प्रत्येक फर्म की सीमान्त लागत एकनी होगी क्योंकि सब के लिए कीमतें बराबर हैं। जो सस्थाएँ कार्यकुशल न होंगी, वे उत्पादन शीघ्र ही बन्द कर देंगी क्योंकि उनकी सीमान्त लागत कीमत से शीघ्र ही अधिक होने और उनके विपरीत कुशल सस्थाओं की निकासी अधिक होने से उनकी सीमान्त लागत कीमत के समान आ जाएगी।

उस बिन्दु पर जहाँ सीमान्त लागत सीमान्त राजस्व (revenue) से मिलती है लाभ अधिकतम हो जाता है (अथवा यूँ कहिए कि हानि न्यूनतम हो जाती है)। जब तक सीमान्त राजस्व सीमान्त लागत से अधिक होता है, पैदावार बढ़ जाएगी चूँकि जब इससे लागत की अपेक्षा कुल प्राप्ति (total receipts) में बढोत्तरी होगी। लेकिन जिस अवस्था में सीमान्त लागत सीमान्त राजस्व से बढ जाती है, तो पैदावार सिकुड जाती है, चूँकि इससे कुल लागत की अपेक्षा कुल प्राप्ति घटकर कम हो जाएगी। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में प्रत्येक व्यक्तिगत बेचने वाले की कीमत निश्चित होती है। इसलिए वह कीमतें कम किये बिना ही जितना माल चाहे बेच सकता है। इस प्रकार सीमान्त राजस्व तथा कीमतें समान होती हैं।

यह मकेत बर देना उचित होगा कि सीमान्त बिन्देना अथवा खरीदार का कोई विशेष महत्त्व नहीं होगा । वह बहनों में से एक होता है । प्रत्येक बिन्देना अथवा खरीदार का महत्त्व होता है । कीमत का निर्धारण कुल माँग और पूर्ति से होता है । सीमान्त केवल मूल्य की ओर इगिन करता है—वह उस पर शासन नहीं करता ।

निर्देश पुस्तकें

- Chamberlin, E. H. Theory of Monopolistic Competition
 Meade J. H. Economic Analysis and Policy
 Stigler, G. J. Theory of Price, 1947, Ch 13
 Meyers, A. L. Elements of Modern Economics, 1951, Chs
 10 13 and 14
 Boulding K. E. Economic Analysis 1949, Ch 27
 Tarshis, L. Elements of Economics 1946 Chs 15 and 16.

अध्याय २४

वितरण : सामान्य सिद्धान्त

(Distribution : General Principles)

१ भूमिका (Introduction)—अब तक हम अर्थशास्त्र की तीन शाखाओं का अध्ययन कर चुके हैं—अर्थान् उत्पादन, उपभोग और विनिमय। अब हम वितरण का अध्ययन करेंगे। वर्तमान प्रसंग में 'वितरण' का अर्थ व्यापारियों तथा विचोतियों के वितरण कार्यों (चेष्टाओं) से नहीं है। चैपमैन (Chapman) के शब्दों में, "वितरण किसी वस्तु द्वारा उत्पादित किये गए धन को एजेंटों अथवा उनके मालिकों के तथा जो भी उत्पादन में सक्रिय रहे हैं, उनके बीच बाँटने से सम्बन्ध रखता है।"¹ दूसरे दृष्टिकोण से वितरण के सिद्धान्त का सम्बन्ध उत्पादन के साधन की सेवाओं के मूल्यांकन (evaluation) से है अर्थात् इन साधनों की इकाइयों की माँग तथा पूर्ति की दशाओं का अध्ययन करना और उन प्रभावों का जिनके कारण उनकी मार्केट कीमत में परिवर्तन होता है। इस रूप में वितरण का सिद्धान्त अधिकतर विनिमय (अथवा मूल्य) सिद्धान्त का विस्तार (extension) मात्र है।

२. एक अलग सिद्धान्त की आवश्यकता (Need for a Separate Theory)—विनिमय में हमने पढ़ा कि कीमतों का सिद्धान्त क्या है। यह वह सिद्धान्त है, जिसके द्वारा किसी वस्तु की कीमत निर्धारित की जाती है। क्या वही सिद्धान्त उत्पादन के एजेंटों द्वारा, जो सेवा की जाती है, उसकी कीमत निर्धारित नहीं कर सकता। नहीं, एक अलग सिद्धान्त की आवश्यकता है। मार्शल (Marshall) वितरण के अलग सिद्धान्त की आवश्यकता इसलिए उचित समझने है कि "स्वतन्त्र व्यक्ति अपने काम पर उसी प्रकार उन्हीं सिद्धान्तों पर नहीं लाये जा सकते, जिस प्रकार कि मशीन, एक घोड़ा या एक दास लाया जा सकता है।" वे आगे कहते हैं कि "अगर वे ऐसे होते तो मूल्य के वितरण और विनिमय अगो में बहुत कम अन्तर होता और, क्योंकि आकस्मिक असफलताओं की माँग और पूर्ति में समायोजन (adjustment) की मुँजाइश को छोड़ कर प्रत्येक उत्पादन का एजेंट उतना बदला चाहता है जो कि उत्पादन की लागत को सभी तरह से पूर्ण कर सके।"²

इस प्रकार मूल्य का सिद्धान्त, जो कि वस्तुओं (commodities) के मूल्य निर्धारण में मदद देता है, वह पूर्ण रूप से सेवाओं (services) के मूल्य अथवा विभिन्न

1 "The Economics of distribution accounts for the sharing of the wealth produced by a community among the agents, or the owners of the agents, which have been active in its production" —Chapman—Outlines of Political Economy, p. 278.

2 Marshall, A —Principles of Economics, 8th Ed., p 504

उत्पादन के एजेंटों के राष्ट्रीय लाभांश (national dividend) के भाग के मूल्य निर्धारित करने में लागू नहीं होता। दो बातों में दोनों सिद्धान्त—मूल्य का सिद्धान्त और वितरण का सिद्धान्त—एक दूसरे से मिलते जुलते हैं—(१) माँग पक्ष में, दोनों वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य सीमान्त उपयोगिता अथवा सीमान्त उत्पादन शक्ति के द्वारा निर्धारित किये जाते हैं, और (२) पूर्ति के परिवर्तन से, जो तात्कालिक प्रभाव मूल्य के ऊपर पड़ता है, वह भी एक भ्रमण ही होता है जैसे पूर्ति में प्रसार उसके मूल्य को कम कर देगा, तथा इसके विपरीत भी उल्टा ही होगा।

किन्तु पूर्ति पक्ष में कुछ मुख्य अन्तर हैं, प्रधानतया जहाँ तक कीमत का प्रभाव पूर्ति पर पड़ता है। जब एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो पूर्ति पहुँचाई का लाभ उठाने के लिए बढ़ जाती है। परन्तु उत्पादन के एजेंटों के मामले में ऐसा नहीं होता। उदाहरणार्थ यदि किराया अथवा मजदूरी बढ़ जाती है तो भूमि व श्रम की पूर्ति क्रमशः नहीं बढ़ेगी। इस प्रकार उत्पादन के साधनों की पूर्ति उनके पुरस्कार-परिवर्तन के साथ शीघ्रता से नहीं बदलती। एक एजेंट की पूर्ति माँग के अनुसार उतनी तेजी से नहीं बदल सकती जितनी कि वस्तु की पूर्ति बदल सकती है।

यही नहीं, एक उत्पादन के एजेंट की उत्पादन-लागत निर्धारित नहीं की जा सकती। उत्पादन के एजेंट की उत्पादन-लागत के बारे में कहना, जैसा कि धर्म के बारे में कहना भ्रमण-सा मालूम पड़ता है। क्या आप एक मजदूर की अथवा एक एकड़ भूमि की उत्पादन-लागत बता सकते हैं? इस प्रकार यद्यपि एक वस्तु के विषय में हम कह सकते हैं कि उसका मूल्य दीर्घकाल में लगभग उत्पादन-लागत के बराबर हो जाता है परन्तु यह प्रश्न उत्पादन के एजेंट के सम्बन्ध में नहीं उठ सकता क्योंकि उसकी लागत निर्धारित नहीं की जा सकती।

इन विषयवस्तुओं के होते हुए भी माँग और पूर्ति का सामान्य सिद्धान्त उत्पादन के एजेंटों के लिए भी लागू होता है। परन्तु उसमें कुछ आवश्यक सुधार करने होते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि मूल्य के सिद्धान्त से वितरण का सिद्धान्त अलग रखा जाए।

३. राष्ट्रीय लाभांश (The National Dividend)—हमें पहले यह जानना जरूरी है कि किस वस्तु का वितरण करना है। यह वस्तु है राष्ट्रीय लाभांश अथवा राष्ट्रीय आय (national income) जिसे सहकारी एजेंटों (co-operative agents) में बाँटना है। राष्ट्रीय लाभांश की परिभाषा विभिन्न रूपों में की गई है। 'राष्ट्रीय लाभांश (national dividend), उत्पादन के समस्त साधनों का वह समस्त शुद्ध योग है, जिसमें से उत्पादन के समस्त साधनों को उनके प्रयत्न के रूप में भुगतान किया जाता है।' राष्ट्रीय लाभांश वस्तुओं के रूप में भी हो सकता है और सेवाओं के रूप में भी। यह वह सकल शुद्ध उत्पादन है जो प्रतिस्थापनों, मरम्मत आदि के व्यय को छाँट कर बच रहता है। मार्शल (Marshall) के शब्दों में, वर्ष भर की कुल अशेष उत्पत्ति राष्ट्रीय आय है। 'किसी देश के धर्म और पूँजी द्वारा प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके प्रतिवर्ष पार्थिव व अर्थार्थिक वस्तुएँ तथा विभिन्न प्रकार की जो सेवाएँ उत्पन्न होती हैं, उनकी कुल अशेष उत्पत्ति, देश की राष्ट्रीय आय है। यही किसी देश की

वास्तविक राष्ट्रीय आय या वार्षिक राजस्व या राष्ट्रीय लाभांश है।" पीगू (Pigou) के अनुसार, "राष्ट्रीय आय समाज की पदार्थ-निष्ठ आय (विदेश से प्राप्त आय इसमें सम्मिलित है) का वह भाग है, जो द्रव्य द्वारा नापी जा सकती है।"

इस प्रकार पीगू (Pigou) के अनुसार राष्ट्रीय लाभांश को निश्चित करने में केवल वही वस्तुएँ व सेवाएँ शामिल की जानी चाहिएँ, जिनका बाजार में विनिमय हुआ हो। यह परिभाषा उन सेवाओं को, जो एक व्यक्ति स्वयं अपने लिए या अपने कुटुम्ब के व्यक्तियों की अथवा दोस्तों की निशुल्क करता है, अलग रखती है। उसी प्रकार सार्वजनिक सम्पत्ति, जैसे वागों अथवा पुलों (टोल-रहित) आदि द्वारा उठाये जाने वाले निशुल्क लाभों को भी शामिल नहीं करती। यह परिभाषा बहुत सखीर्ण है और इसके विरुद्ध कई आक्षेप किये गए हैं। पीगू ने स्वयं एक आक्षेप का उल्लेख किया है। यदि एक आदमी घर की नौकरानी से शादी कर लेता है तो राष्ट्रीय आय कम हो जाएगी। यह इसलिए कि अथ सेवाओं के लिए कुछ चुकाना नहीं पड़ता, हालाँकि सेवाएँ वही हो रही हैं।

राष्ट्रीय आय की परिभाषा (National Income Defined)—राष्ट्रीय आय वह समस्त साधन आय (factor income) (अर्थात् ध्रम तथा सम्पत्ति का अर्जन) है जो माल तथा सेवाओं के चालू उत्पादन की सहायता से राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था द्वारा उत्पन्न होता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निदेश उत्पादन के साधनों से है (अर्थात् ध्रम तथा सम्पत्ति से) जिसकी पूति राष्ट्रीय राज्य-क्षेत्र (national territory) के सामान्य निवासियों द्वारा होती है।

राष्ट्रीय राज्य-क्षेत्र वह क्षेत्र (territory) है जो देश के सीमा-शुल्क (customs) सीमान्त के भीतर होता है। जोय राज्य-क्षेत्र ऐसे देश के लिए दूसरे देश होते हैं। फिर भी राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र (national territory) की उपर्युक्त परिभाषा में कुछ कमियाँ हैं। उदाहरणार्थ किसी देश के उड़ते हुए वायुयान तथा विदेश जाते हुए जलपोत जिन पर राष्ट्रीय झंडा लगा है, उन्हें, चाहे वे किसी भी देश के जल-प्राणण (territorial waters) में हों अथवा ऊपर वायु में उड़ रहे हों राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र के भाग ही माने जाने चाहिएँ। इसी प्रकार विदेशी झंडे से सज्जित जलपोत तथा जहाज चाहे वे उस देश के जल-प्राणण में हों अथवा ऊपर वायु में उड़ रहे हों दूसरे देश के माने जाने चाहिएँ। दूतालय, सरकारी मिशन या सशस्त्र सेनाएँ चाहे वे किसी देश की, किसी अन्य देश में हों, उन्हें फिर-देश के राष्ट्रीय राज्य-क्षेत्र के अन्दर गणना चाहिए। इसी प्रकार विदेशी दूतालय, सरकारी मिशन तथा सशस्त्र सेना को जो राष्ट्रीय राज्य-क्षेत्र में स्थापित है उस देश के सम्बन्ध में जूरा विश्व के भीतर मानना चाहिए।

सामान्य निवासी उन्हें कहा जाता है जिनका निवास-स्थान उस देश के राष्ट्रीय सीमांत में स्थापित होता है। किन्तु देश के यात्री या टूरिस्ट जो बाहर विदेशों में भ्रमण करते हैं उस देश के सामान्य निवासी माने जाते हैं, लेकिन किसी देश के नागरिक को प्रायः बाहर रहते हैं उन्हें ऐसा नहीं माना जाता। किसी देश के सरकारी प्रतिनिधि जो विदेश भूमि पर रह कर सेवा कर रहे हैं उन्हें उसी (अपने देश का) देश का सामान्य निवासी माना जाता है।

आय की उत्पत्ति उसी राज्यक्षेत्र से मानी जाती है जिस पर कि आय उत्पादक (income generating) आधिक्य चेष्टा होती है। किसी देश के राज्य क्षेत्र से बनाई गई आय को शुद्ध भौगोलिक (net geographical) अथवा गृह उत्पाद (domestic product) कहा जाता है। चूंकि किसी देश के राज्य-क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली साधन आय (factor income), आय प्राप्ति के साधनों की मालकियत (ownership of income-earning factors) के कारण विदेशियों को प्रोद्भूत (accrue) हो सकती है तथा मात्र आय का एक भाग जिसकी उत्पत्ति विदेशी राज्य क्षेत्र में है उसी कारण से उन देश के सामान्य नागरिकों के लिए प्रोद्भूत हो सकती है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय तथा शुद्ध गृह उत्पाद (net domestic product) में भेद है। इसमें (राष्ट्रीय आय में) शुद्ध गृह उत्पाद तथा विदेशों से शुद्ध आय शामिल है। दूसरे प्रकार की आय साधन आय का वह अतिरिक्त (excess) है जिसकी उत्पत्ति विदेशों में होती है लेकिन देश के सामान्य वासियों को प्रोद्भूत होती है और यह वह आय है जो किसी देश में प्रारम्भ होने वाली साधन आय के अलावा है लेकिन जो बाकी सभार के सामान्य निवासियों को प्रोद्भूत नहीं है।

चूंकि साधन आय का उदय माल तथा सेवाओं के उत्पादन से होता है, और चूंकि यह आय माल और सेवाओं से बढ़ती है (expanded), इसलिए माल और सेवाओं की तीव्र पर्यायी परिभाषाएँ देना सम्भव है। पहली, राष्ट्रीय आय की परिभाषा के अन्तर्गत बताया गया था कि यह बँटने वाले अंशों का कुल योग है (sum of distributive shares) अर्थात् यह आय भुगतान (income payments) का कुल जोड़ है जोकि उत्पादन के साधनों की सहायता से निर्दिष्ट काल में किसी राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र के सामान्य निवासियों द्वारा पूर्ति से प्राप्त होता है। दूसरे, इसे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (net national product) कह सकते हैं अर्थात्, माल और सेवाओं द्वारा प्राप्त कुल शुद्ध पैदावार (aggregate net output) जो किसी काल में राष्ट्रीय राज्य-क्षेत्र के सामान्य निवासियों के उपभोग (consumption) अथवा पूंजी निर्माण (capital formation) के लिए मिलती है। इस रूप में इसका तात्पर्य 'किसी निर्दिष्ट काल में समस्त आधिक्य चेष्टाओं के अन्तर्गत जोड़ गए कुल शुद्ध मूल्य (aggregate net values) तथा बाहर से प्राप्त शुद्ध आय' है। तीसरे, इसको शुद्ध राष्ट्रीय व्यय (net national expenditure) कह सकते हैं, अर्थात् किसी निर्दिष्ट काल में राष्ट्रीय राज्य-क्षेत्र के सामान्य निवासियों द्वारा अन्तिम उपभोग तथा गृह और विदेशी विनियोजन (foreign investment) पर किया गया कुल खर्च। निर्दिष्ट काल प्रायः एक वर्ष होता है। इस प्रकार परिभाषा करने से राष्ट्रीय आय के अर्थ प्रत्यक्ष हमारे सामने आते हैं, अर्थात् व्ययवित्त रूप से उपभोग पर व्यय (personal consumption expenditures), सकल निजी तथा घरेलू विनियोजन (gross private domestic investment), शुद्ध विदेशी विनियोजन (net foreign investment), तथा सरकार द्वारा माल तथा सेवाओं का खर्च। इन चारों मदों के जोड़ से सकल राष्ट्रीय उत्पाद (gross national product) का मूल्यांकन (मार्केट कीमत पर) का पता चलता है। यदि हम इस कुल योग में से पूंजी उपभोग (घिसाई तथा टूट

फूट) तथा राजकीय सहायता बिना परोक्ष कर घटा दें तो इस प्रकार शुद्ध राष्ट्रीय आय निकल आती है।

४ राष्ट्रीय आय का माप (Measurement of National Income)—
राष्ट्रीय आय की उपर्युक्त तीन परिभाषाओं के कारण इस (राष्ट्रीय आय) को मापने के तीन वैकल्पिक उपाय (alternative methods) सामने आते हैं। पहला उपाय "भ्रमस्त उत्पादकों के सकल उत्पाद (विक्री + स्वतः उपभोग + स्टॉक में वृद्धि) के कुल मूल्य को जोड़ लेना और फिर उसमें से इन उत्पादकों का दूमरे उत्पादकों के कुल क्रय तथा उत्पादन के दौरान में उपभोग में आने वाले उपकरणों की घिसाई आदि को घटा देना" है। उत्पादकों की सकल पैदावार के मूल्य में से, मध्यवर्ती उत्पाद उपभोग तथा उत्पादन के दौरान में काम आने वाले उपकरणों की घिसाई आदि के खर्च कम करने से उसके द्वारा जोड़ा गया शुद्ध मूल्य (net value) अथवा अ-दोहरे उत्पाद (unduplicated produce) के कुल मूल्य में उसके अंशदान (contribution) का पता चलता है। इस प्रकार के शुद्ध आंकड़े (net figures) का प्राक्कलन (estimate) प्रत्येक उद्योग के बारे में लगाया जा सकता है। इन प्राक्कलनों के जोड़ से साधन लागत (factor cost) पर होने वाले शुद्ध-गृह उत्पादन (net domestic product) का पता चलता है। इस कुल योग (aggregate) में बाहर से प्राप्त आय जोड़ने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन अथवा साधन लागत पर राष्ट्रीय आय का पता चलना है। उपर्युक्त उपाय को राष्ट्रीय आय प्राक्कलन करने का उत्पाद उपाय (product method) कहते हैं।

दूसरा उपाय राष्ट्रीय राज्य-क्षेत्र में रहने वाले सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादन के साधनों को प्रोद्भूत (accrue) होने वाली आयों का जोड़ है, अर्थात् मजदूरी (wages) तथा दूसरे प्रकार की श्रमिकों को होने वाली आय, ब्याज, किराया तथा अनिर्गमित उद्यमों (unincorporated enterprises) की आय (माल के स्टॉक में परिवर्तन मात्र होने से प्राप्त आय) जोड़ना। इस प्रक्रिया को राष्ट्रीय आय मापने का आय उपाय (income method) कहते हैं।

तीसरा उपाय उपभोग तथा विनियोग के लिए उपलब्ध तैयार माल के मार्केट मूल्य को जोड़ना है तथा इसमें ऐसे समायाजन (adjustment) शामिल हैं जो मार्केट कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद को साधन लागत से प्राप्त शुद्ध राष्ट्रीय आय में से घटाने के लिए जरूरी हो। अर्थात् अप्रत्यक्ष कर राजकीय सहायता बिना घटा दिए जाएँ।

५ राष्ट्रीय आय को मापने में कठिनाइयाँ (Difficulties of Measuring National Income) — भारत जैसे अर्द्ध-विकसित देश में राष्ट्रीय आय मापने के कार्य में कई कठिनाइयाँ हैं, जैसे धारणा सम्बन्धी (conceptional) तथा सांख्यिकी (statistical)। इनमें से मुख्य ये हैं :

(क) पैदावार की जितनी मात्रा का द्रव्य से विनिमय नहीं होता, इसका कारण चाहे यह हो कि उसका उपभोग उत्पादक स्वयं कर लेते हैं अथवा दूसरी वस्तुओं

तथा सेवाओं से वस्तु विनिमय (barter) हो जाता है, तो यह समस्या खड़ी हो जाती है कि राष्ट्रीय पैदावार में क्या शामिल किया जाए तथा इसका क्या मूल्य अंका जाए।

(ख) अनियमित उद्यमों (unincorporated enterprises) के व्यापार की मात्रा, जिससे खाने इस प्रकार तैयार नहीं होंगे कि पैदावार की मात्रा तथा मूल्य आदि के प्राक्कलन (estimation) में आसानी हो। इस प्रकार की सूचना तो सिर्फ राज्य की ओर से बालू तथा नियमित उद्योगों में ही आसानी से प्राप्त हो सकती है।

(ग) एक उद्योग की पैदावार दूसरे उद्योग की पैदावार का काम करती है जिससे इसका मूल्य दूसरे में भी जुड़ जाता है, तो इस दोहरे हिसाब (double counting) को घटाने की समस्या बनी रहती है। इस तरह मूल्यांकन प्रणिया बहुत जटिल हो जाती है।

(घ) उपलब्ध सामग्री (data) व्यापक (comprehensive), शुद्ध (accurate) तथा अद्यतवधिक (up to-date) नहीं होती जो राष्ट्रीय आय के मूल्यांकन में सही रूप से सहायता कर सके।

(ङ) जहाँ (जैसा कि भारत में है) अर्थव्यवस्था के भीतर कृत्यों (functions) के विनिष्ठीकरण की कमी है, वहाँ राष्ट्रीय आय का औद्योगिक उत्पत्ति (industrial origin) से वर्गीकरण करना असम्भव हो जाता है।

६. सीमान्त उत्पादकता का सिद्धान्त (The Theory of Marginal Productivity)—उद्यमी विभिन्न साधनों की सेवा खरीदता है। उसी के जरिए विभिन्न साधनों को किराया (rent), मजदूरी (wages), तथा ब्याज (interest) आदि के रूप में अपना पारितोषिक मिलता है। उद्यमी उत्पादन के विभिन्न साधनों को लगाने में प्रतिस्थापन के सिद्धान्त के अनुसार कार्य करता है। जब तक सब साधनों का सीमान्त उत्पादन समान नहीं होता वह एक साधन को दूसरे साधन से बदलता रहता है। यह संयोग सबसे अधिक किराया तथा अधिक-से अधिक लाभ देने वाला होता है। तो फिर सीमान्त उत्पादकता क्या है ?

किसी साधन के सीमान्त उत्पादन का अर्थ उस मात्रा से होता है जो उसकी इकाई द्वारा कुल उत्पादन में बढ़ोतरी होती है अर्थात् वह इकाई जिसे मालिक अपने काम में लगाना लगभग या सीमान्त उचित समझता है। व्यापार की सीमा पर किसी साधन को जो कुछ भुगतान किया जाता है, वह उस साधन की इकाई द्वारा बढ़े हुए उत्पादन के मूल्य के बराबर होता है।

इसलिए उत्पादन के साधन उन स्थानों से हट कर जहाँ पर सीमान्त उत्पादन शक्ति कम होती है, वहाँ चले जाते हैं, जहाँ सीमान्त उत्पादन शक्ति अधिक होती है। इस प्रकार उत्पादन के किसी साधन की दो हुई पूर्ति ऐसे ढंग से बाँटी जाती है कि सब प्रयोगों में उसका सीमान्त उत्पादन बराबर रहे।

इस प्रकार साम्य (equilibrium) की दशा में (i) उत्पादन के किसी साधन की सीमान्त उत्पादन शक्ति सब व्यवसायों में बराबर रहती है। (ii) प्रत्येक उत्पादन के साधन की सीमान्त उत्पादन शक्ति उसी व्यवसाय के अन्य उत्पादन साधनों

की कीमत द्वारा आँची जाती है। (iii) उत्पादन के विभिन्न साधनों की सीमान्त उत्पादकताएँ अपनी-अपनी कीमतों के अनुपात में रहती हैं।

इसलिए व्यवसाय के पूर्ण क्षेत्र में उत्पादन के प्रत्येक साधन का, उसकी सीमान्त उत्पादन शक्ति के हिसाब से ही भुगतान किया जाता है। इस तरह राष्ट्रीय लाभांश का वितरण कोई गड़बड़ घुटाला नहीं है जैसा कि हड़तालों और तालाबन्दी वाले बताते हैं। यह निश्चित रूप से आर्थिक सिद्धान्त पर आधारित है।

यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रतियोगिता के क्षेत्र में काम करने वाला एक व्यवसायी उत्पादन के साधनों के लिए जो कीमतें देता है वह पहले ही से निर्धारित होती हैं। चूँकि उसके उत्पादन के साधनों की माँग कुल माँग का महत्वहीन भाग होता है, इसलिए उसके कम व अधिक साधन लगाने से उनकी कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका काम साधनों को काम में लाकर उस बिन्दु पर पहुँचाना होता है, जिससे कि उनकी सीमान्त उत्पादन शक्ति उनकी कीमत के बराबर हो जाए, जो कि बाजारू शक्तियों से पहले से ही निर्धारित होती है। उसी प्रकार उत्पादन के एक साधन का मूल्य, किसी व्यक्तिगत व्यवसायी की सीमान्त उत्पादन शक्ति से नहीं, बल्कि व्यवसायों की एकत्रित सीमान्त उत्पादन शक्ति के द्वारा निर्धारित किया जाता है।

उपर्युक्त सिद्धान्त कुछ धारणाओं में ठीक है। प्रथम यह मान लिया जाता है कि साधन की सब इकाइयाँ समान (homogeneous) होती हैं, जिससे कि जैसी एक इकाई अच्छी होती है उसी प्रकार दूसरी भी। दूसरे, विभिन्न साधनों को एक-दूसरे की जगह पर लगाया जा सकता है। इसलिए सीमान्त पर यह सम्भव है कि कुछ अधिक भूमि या ध्रम या पूँजी लगाई जा सके। यदि प्रतिस्थापन (Substitution) सम्भव नहीं है तो विभिन्न साधनों की सीमान्त उत्पादन शक्ति असमान (unequal) रहेगी। तीसरे, यह भी मान लिया जाता है कि किसी साधन की मात्रा में इच्छानुसार परिवर्तन लाया जा सकता है। इस प्रकार यह सम्भव हो जाता है कि उसी साधन का कुछ अधिक या कुछ कम भाग काम में लाया जाए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो उस साधन का प्रयोग उस बिन्दु तक नहीं ले जाया जा सकता, जिससे उसकी सीमान्त उत्पादन शक्ति उसके व्यय के बराबर हो सके। चौथे, यह भी मान लिया जाता है कि विभिन्न कार्यों में उत्पादन के साधन इधर उधर भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अगर एक साधन, एक व्यवसाय अथवा कार्य से दूसरे में प्रयोग न किया जा सके तो उसकी सीमान्त-उत्पादन शक्ति विभिन्न व्यवसायों में असमान रहेगी। अन्त में, यह सिद्धान्त घटती हुई प्राप्ति के नियम (law of diminishing returns) पर आधारित है। इसका अर्थ यह है कि अन्य वस्तुएँ बराबर रहने पर किसी साधन की पूर्ति की अननुपातिक वृद्धि से योग उत्पादन आह्लासी-रुम के अनुपात में बढ़ता है।

इन्हीं धारणाओं के अन्तर्गत यह है कि उत्पादन के चार साधनों में से प्रत्येक अर्थात् जमीन का लगान (rent of land), पूँजी पर व्याज (interest on capital), ध्रम की मजदूरी (wages of labour) तथा उद्यमी का लाभ (profits of enterprise) सीमान्त शुद्ध उत्पाद के मूल्य के समान होने का प्रयास करते हैं।

७ उत्पाद सेवाओं की कीमत लगाना (Pricing of Productive Services)¹—वितरण का अध्ययन करते समय हमको उत्पादी सेवाओं की कीमत का भी ध्यान रखना होगा। उपभोग्य वस्तुओं और उत्पादी सेवाओं के बीच चर्चीय सम्बन्ध रहता है। उपभोक्ता, उपभोग्य वस्तुएँ खरीदते हैं, और बदले में उत्पादी सेवाएँ बेचते हैं। इसके विपरीत उद्यमी या व्यवसायी उत्पादी सेवाएँ खरीदते हैं और उपभोग्य वस्तुएँ बेचते हैं। इस प्रकार यहाँ भी माँग और पति के मौलिक नियम लागू होते हैं।

माँग के सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी प्रतियोगी व्यवसाय संस्था का माँग वक्र उस सेवा के सीमान्त उत्पादन के मूल्य वक्र के बराबर है। चूँकि क्रमागत हास उत्पत्ति नियम लागू होता है इसलिए माँग वक्र झुकता हुआ होगा। यदि प्रत्येक उत्पादी सेवा के लिए उसकी सीमान्त उत्पत्ति को देखते हुए समान मूल्य चुकाया जाए, तो सबल उत्पादन इतना पर्याप्त होगा कि उत्पादी सेवाओं में लगे प्रत्येक व्यक्ति को यथेष्ट पारिश्रमिक मिल जाएगा।

उत्पादी सेवाओं की माँग के सम्बन्ध में निम्नलिखित चार भोटे नियम स्मरण रखने चाहिए।²

(१) सहकारी उत्पादी सेवाओं की संख्या जितनी ही अधिक होगी उतनी ही ऊँची उत्पादी सेवाओं की मात्रा की कीमत होगी।

(२) जितनी अधिक मात्रा में उत्पादी सेवाएँ लगाई जाएंगी, उतनी ही नीची माँग कीमत प्रति इकाई होगी।

(३) उत्पादी सेवा की माँग कीमत उतनी ही अधिक होगी जितनी कि तैयार माल की अधिक कीमत उस उद्योग में होगी जिसमें कि उक्त उत्पादी सेवा का प्रयोग हुआ था।

(४) सेवा जितनी ही अधिक उत्पादी होगी उतनी ही ऊँची उस सेवा की मात्रा की माँग कीमत होगी।

किसी उद्योग का माँग वक्र उस उद्योग में लगी व्यवसाय संस्थाओं के माँग वक्रों का सकल योग होता है। इसी प्रकार हम उन सब उद्योगों का माँग वक्र निकाल सकते हैं जिनमें एक विशेष उत्पादी सेवा का प्रयोग हो रहा हो।

किसी साधन का पूर्ति वक्र उसकी पूर्ति की विविध अवस्थाओं पर निर्भर है। उदाहरण के लिए हम धम को ले लें। धम अत्यन्त उत्पादी सेवा है। किन्तु धम कई अवस्थाओं पर निर्भर होगा जैसे देश की जनसंख्या, जनसंख्या का भौगोलिक और औद्योगिक फ़ैलाव, धम की कार्यकुशलता, सवनाधारण की शिक्षा और प्रशिक्षण पर व्यय परिवहन और यातायात सम्बन्धी व्यय, प्रत्याशित आय, विशय प्रकार के काम में रुचि और आसोद प्रसोद व छट्टी की अवस्थाएँ आदि। इस प्रकार सम्बन्धित आँकड़ों और सूचनाओं के आधार पर उत्पादी सेवाओं का पूर्ति वक्र बनाया जा सकता है।

जब हम दोनों वक्र बना लें—अर्थात् माँग वक्र और पूर्ति वक्र, तो फिर

1 Stigler G J—Theory of Price 1947 Ch X

2 Ibid p 182

कीमत निर्धारण सामान्य माँग और पूर्ति के नियमों के अनुसार होगा। माँग और पूर्ति की शक्तियों में साम्य आने पर ही उत्पादी सेवाओं की बाज़ारी कीमत निर्धारित होगी।

८ सीमान्त उत्पादन सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of the Marginal Productivity Theory)—इन स्वयंसिद्धियों के होते हुए भी यह सिद्धान्त अर्थशास्त्र-वेत्ताओं द्वारा सर्वमान्य नहीं है। इसकी बहुत सी आलोचनाएँ की गई हैं।

(i) पहली साधारण आलोचना यह है कि एक उत्पादित वस्तु उत्पादन के सभी साधनों का सामूहिक प्रयत्न है। उनमें से हर एक का भाग अलग करना असम्भव है। यह आलोचना टाउसिग (Tausig) और डेवनपोर्ट (Davenport) द्वारा की गई है, जो कि स्पष्ट रूप से सीमान्त उत्पादन शक्ति का गलत अर्थ लगाने से हुई है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, सीमान्त उत्पादन केवल सीमान्त साधन के प्रयत्न का फल नहीं है। हम तो केवल प्रयोग की सीमा के आधार पर वस्तु का उत्पादन उस साधन के निमित्त करते हैं। यह तो केवल वह वृद्धि है, जो कुल उत्पादन में इसकी एक और इकाई लगाने से होती है, अथवा वह घटी है जो इसकी एक इकाई कम करने से होती है।

(ii) दूसरी आलोचना हावसन ने की है। वे कहते हैं कि यदि किसी विशेष साधन की इकाई हटा ली जाती है तो सारा व्यवसाय इतना अमगणित हो जाता है कि हटाई हुई इकाई की उत्पादन शक्ति से बहुत अधिक हानि उत्पादन में होती है। यह आलोचना भी सिद्धान्त के गलत प्रयोग से उत्पन्न होती है। हमारा ध्यान छोटे व्यवसाय के सगठन और साधन की बड़ी इकाइयों की ओर रहता है। अगर हम बड़े व्यवसाय और साधन की छोटी इकाइयों पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि सीमा पर से साधन की एक इकाई हटा लेने से दूसरे साधनों की उत्पादन शक्ति पर कोई प्रभाव न पड़ेगा।

(iii) इसके अतिरिक्त एक प्रतिकूल विचार है जिसके अनुसार सभी साधनों के सीमान्त उत्पादन का जोड़ कुल उत्पादन से कम होगा। और इस प्रकार जो अन्तर होगा वह किसी एक साधन द्वारा नहीं बल्कि सबके सहयोग द्वारा होगा। विकस्टीड (Wicksteed) ने इस आलोचना का उत्तर दिया है। वह यह मान लेते हैं कि सभी साधनों की वृद्धि से उत्पादन का परिमाण भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। लेकिन यह स्वयंसिद्धि, जिससे ज्ञात होता है कि व्यवसाय, स्थायी प्राप्ति (returns) नियम को मानता है, सर्वद्व उचित नहीं आती और इसमें कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं।

(iv) एक अन्य आपत्ति, जो शुद्ध सीमान्त उत्पादन (marginal net product) को मापने में होती है, जॉन रॉबिन्सन (Joan Robinson)¹, पीगू (Pigou)² और जे० आर० हिक्स (J. R. Hicks)³ द्वारा उल्लिखित की गई है। यह आपत्ति

1 The Economics of Imperfect Competition, p 327

2 Economics of Welfare

3 The Theory of Wages

बताई गई है कि बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन में जो विक्रायते होती हैं, वह किसी फर्म के साधन की इकाई की सीमान्त उत्पादन-शक्ति के मुकाबिले में सम्पूर्ण व्यवसाय की उत्पादन-शक्ति से कम होती है। ऐसा इसलिए है कि जब कोई इकाई किसी व्यवसाय में अधिक लगाई जाती है, तब उसके कारण एक बहुत बड़ा थम-विभाजन हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यवसाय नई पूँति के लिए स्वयं अपने को ठीक प्रवर्धित कर लेता है तो यह विवक्षित सम्भव है कि किसी विशेष फर्म के साधन की सीमान्त उत्पादन शक्ति सम्पूर्ण व्यवसाय से कम हो क्योंकि इसका हटाया जाना व्यवसाय को एक विशेष फर्म में अधिक हानि पहुँचा सकता है। इसलिए ऐसे उद्योगों में एक साधन की सीमान्त उत्पादन शक्ति अनिर्धारित रहती है।

(v) हाब्सन (Hobson) का कहना है कि अधिकांश दत्ताओं में साधन (factors) के प्रयोगों को अलग अलग करना सम्भव नहीं है। व' अनुपात जिससे साधनों को काम में लाया जा सकता है व्यवसाय की विशेष कला की दशाओं, स्थायी पूँजी जैसे मशीन आदि के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उदाहरणार्थ, कुछ मशीनें ऐसी हैं जिनके लिए केवल एक मजदूर की आवश्यकता होगी। दो को लगाना गैर-विक्षापनी होगा। जब हम किसी साधन के प्रयोग को बदल नहीं सकते, तो उसकी सीमान्त उत्पादन शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। साधारणतया इसके लिए उत्तर दिया जाता है कि जिस अनुपात में विभिन्न साधनों को मिलाया जाता है, उनकी विभिन्नता में बहुत सम्भावनाएँ रहती हैं।

(vi) अन्त में, इसका भी विरोध किया जाता है कि इस सिद्धान्त में पूँति को स्थानी मान लिया जाता है। कार्य-रूप में अधिकतर एक साधन का पुरस्कार उसकी पूँति पर भी प्रभाव डालता है। यह सिद्धान्त माँग की समस्याओं पर ही विचार करता है, पूँति की नहीं।

(vii) यह याद रखना चाहिए कि यह सिद्धान्त अभी ठीक उत्तरेगा जबकि यह मान लिया जाए कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता (perfect competition) की दशाएँ हैं। क्योंकि वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होती, इसलिए साधनों का पारिश्रमिक उसके सीमान्त उत्पादन के बराबर नहीं होता। इसके अतिरिक्त उत्पादन के विभिन्न साधनों के अंशों का निर्धारण पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में इस रीति से नहीं होगा। साथ ही यह नहीं समझ लेना चाहिए कि जो पारिश्रमिक सीमान्त उत्पादन के बराबर होगा है, वह नैतिक दृष्टि से न्याययुक्त भी है।

जैसा कि सेमुएलसन (Samuelson) कहते हैं "यह सीमान्त उत्पादन सिद्धान्त यह सिद्धान्त नहीं है जो मजदूरी, लागत अथवा चक्रव की व्याख्या करता है। इसकी अपेक्षा यह केवल यह बताना है कि किस भाँति फर्म उत्पादन के साधनों को किराए पर लेती है जबकि एक बार उनकी कीमत मालूम हो जाती है।"¹

यह सिद्धान्त वास्तव में क्रियात्मक है, न कि आदर्शत्मक (positive and not normative) है। यह सिद्धान्त यह नहीं बताना कि सीमान्त उत्पाद के आधार पर साधन को दिया गया पुरस्कार (reward) उचित ही है।

वितरण के सिद्धान्त की आलोचना करते हुए फ्रेजर (Fraser) कहते हैं :
 "कोई भी अर्थशास्त्री यह दृढ़तापूर्वक नहीं कह सकता कि सिद्धान्त अब भी पूरा है
 अर्थात् सैद्धांतिक रूप में यह ठीक ही है। इसमें अपने गुणों की खराबी है। चूंकि यह
 सरल और दृढ़ है, इसलिए यह अमूर्त तथा अव्ययविक (abstract and impersonal)
 है। इसमें कई बातें छोड़ दी गई हैं। इसके स्वयंसिद्ध प्रमाण बहुत दृढ़ तथा
 संकुचित हैं।"¹

निर्देश पुस्तकें

Marshall, A Principles of Economics

Hubert Phillips Values and Distribution

Clark The Distribution of Wealth

Readings in the Theory of Income Distribution Chapters 3, 8
 and 11, (American Economic Association)

Fraser, L M. Economic Thought and Language, 1947
 Ch XVII

1 Fraser Economic Thought and Language 1947, p 354

किराया या लगान

(Rent)

१ किराये या लगान का अर्थ (Meaning of Rent) — पिछले अध्याय में हमने वितरण के सामान्य सिद्धान्त का अध्ययन किया था। अब हम उत्पादन के प्रत्येक साधन के अर्थ को अलग-अलग लेंगे। हमें सबसे पहले किराये (लगान) का विश्लेषण कर लेना चाहिए, जो उत्पादन के प्रथम साधन अर्थात् भूमि (Land) का पारितोषिक (reward) है।

लगान क्या है? — साधारण भाषा में 'लगान' का आशय किसी वस्तु के किराये से होता है, जैसे मकान, ताँगे अथवा मशीन आदि का किराया। पर अर्थशास्त्र में "आर्थिक लगान" (economic rent) शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया जाता है। अर्थशास्त्र में इसका अर्थ केवल उस भुगतान से होता है जो किराएदार भूमि (अर्थात् प्रकृति का मूल उपहार) के उपयोग के बदले में करता है। पर यह आवश्यक नहीं है कि काश्तकार जो किराया जमींदार को देता है वह किराया "आर्थिक लगान" के बराबर हो। बहुत सम्भव है कि इस किराये में उस पूँजी का व्याज भी सम्मिलित हो जो जमींदार भूमि में इमारत बनवाने अथवा बाड़े या नाली का प्रबन्ध करने में लगाता है। लगान का वह भाग या किराये के भुगतान का वह भाग जो केवल भूमि के प्रयोग के लिए दिया जाता है उसे आर्थिक लगान (economic rent) कहते हैं। और किराने जो कुछ सारा भुगतान जमींदार को करता है उसे सविदा व्याज या सविदा भाटक (contract rent) कहते हैं।

अर्थशास्त्र में लगान का प्रयोग अधिकतर अधिक्य (surplus) के अर्थ में होता है अर्थात् उत्पादन का एक साधन वर्तमान व्यवसाय में अपनी पूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यकता से कितना अधिक प्राप्त करता है। यह सरलता से समझा जा सकता है कि इस अर्थ में लगान तभी हो सकता है जबकि उत्पादन के साधन की पूर्ति पूर्ण लोच (elasticity) से कम है और अधिकतर साधनों का यही हाल है। यदि किसी साधन की पूर्ति पूर्ण लोचदार है, तो यह अपनी पूर्ति के ऊपर कोई बचन नहीं प्राप्त कर सकता क्योंकि जब यह साधन अपनी पूर्ति कीमत से अधिक पाता हुआ पाया जाता है, तो इस साधन की अधिक इकाइयाँ लगा दी जावेंगी और वृत्त समाप्त हो जावेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में एक साधन की बाजार-कीमत उसकी पूर्ति-कीमत के बराबर होगी।

पर जब पूर्ति एक साधन के पारितोषिक (reward) के साथ-साथ घटती-बढ़ती नहीं है तो यह अपनी पूर्ति पर आवश्यकता से अधिक प्राप्त किए जाएगी और इसको इस बात का डर न होगा कि साधन की नई इकाइयाँ आकर उसको उसके अधिक

पारितोषिक से वचित कर देंगी। सामान्य दृष्टिकोण से भूमि की पूर्ति पूर्णतः सोच-रहित है और इस प्रकार इसकी पूर्ति इसके उपाजित धन से प्रभावित नहीं है। ऊँचा लगान उसकी अधिक मात्रा को आकर्षित नहीं कर सकता और न कम लगान उसको कम ही कर सकता है। इसकी पूर्ति कीमत शून्य है। इसलिए इसकी पूरी आय आर्थिक दृष्टिकोण से लगान कहलाती है। इस प्रकार आर्थिक लगान वह लाभ या आधिक्य (surplus) है जो किसान के पास उत्पादन के समस्त व्यय चुकाने के बाद तथा अपनी मेहनत का पारिश्रमिक लेने के बाद बच रहता है। इसलिए यह लागत या व्ययों के बाद बचत या लाभ या आधिक्य है। अगले अनुच्छेद में हम यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि यह लाभ या आधिक्य, आता कहाँ से है। यही कारण है कि "लगान" शब्द का प्रयोग साधारणतया भूमि से जुड़ा हुआ है, हालाँकि जैसा कि यहाँ बताया गया है, लगान की धारणा सब साधनों में लागू होती है।

हमने ऊपर कहा है कि सामान्य दृष्टिकोण से भूमि (तथा अन्य प्राकृतिक उपहारों) से प्राप्त सारा धन लगान कहा जा सकता है क्योंकि उनकी कोई पूर्ति कीमत नहीं होती अथवा उनकी उत्पादन-लागत शून्य होती है। तो उत्पादन के ऐसे साधनों के लिए कोई भुगतान ही क्यों किया जाता है? इसका कारण केवल यह है कि वे अपनी माँग के सम्बन्ध में सीमित हैं। लगान कैसे उत्पन्न होता है? सौ साल से भी पहले डेविड रिकार्डो (David Ricardo) ने इसका उत्तर दिया था।

२ रिकार्डो का लगान सिद्धान्त (Ricardian Theory of Rent)—रिकार्डो ने लगान की परिभाषा इस प्रकार की है — 'लगान जमीन से उत्पादित वस्तु के उस भाग को कहते हैं, जो जमींदार को भूमि की मूल व अक्षय शक्ति (original and indestructible powers) के उपयोग के लिए दिया जाता है। इसको बहुत से लोग भूल से पूँजी पर व्याज के रूप में समझने हैं और साधारण भाषा में किसी भी प्रकार के उस भुगतान को लगान कहते हैं जो किसान जमींदार का देता है।'¹

रिकार्डो के अनुसार आर्थिक लगान उम वास्तविक बचत को कहते हैं जो कृषि की लागत निकाल लेने के बाद बचता है। कृषि की यह लागत थम, पूँजी व साहम की सेवाओं के भुगतान से पूर्ण की गई है।

यह आधिक्य (surplus) क्यों होता है, इसे एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। मान लीजिए, किसी देश में अ, ब, स, द चार प्रकार की भूमि है। भूमि के कुछ-कुछे दूसरे भागों की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है, कुछ-कुछे कमतर, अथवा परिवहन के साधनों की दृष्टि से अधिक अच्छी स्थिति में है। इन सब बातों को ध्यान में रख कर हम यह मान लें कि इन चारों प्रकार की भूमि के टुकड़ों में 'अ' सबसे श्रेष्ठ है तथा ब, स, और द क्रमशः द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के टुकड़े हैं। इन चारों प्रकार की भूमि में थम व पूँजी (labour and capital) की समान इकाईयाँ लगाने से टुकड़ों में गेहूँ की पैदावार इस क्रम से होती है —

1 'Rent is that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil' Ricardo

श्रम व पूँजी की इकाइयाँ	गेहूँ का उत्पादन प्रति एकड़ (मनो में)			
	अ	ब	स	द
१ ली	१५	१४	१३	१२
२ री	१४	१३	१२	११
३ री	१३	१२	११	१०
४ धी	१२	११	१०	९
५ धी	११	१०	९	८
६ धी	१०	९	८	७

यदि अ वर्ग की भूमि पर्याप्त मात्रा में हो और प्रति एकड़ श्रम व पूँजी की एक इकाई (dose) लगा देने से गेहूँ की सम्पूर्ण माँग प्रचलित दर पर ही पूरी की जा सके तो इस भूमि का कोई लगान नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में यह प्रकृति के उपहार स्वरूप ही होगी।

अब मान लीजिए कि जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है कि अ वर्ग की सम्पूर्ण भूमि जुत जाती है और इस पर भी बढ़ती हुई माँग को पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में अ वर्ग की भूमि में और अधिक श्रम व पूँजी लगाई जाएगी व ब वर्ग के टुकड़ों पर भी खेती होने लगेगी। यह तभी हो सकेगा जबकि गेहूँ के दाम इतने बढ़ जाएँ कि अ वर्ग की भूमि में श्रम व पूँजी की और अधिक इकाइयाँ (doses) ब वर्ग की भूमि में श्रम और पूँजी की पहली इकाई लगाने से लाभ हो। दूसरे शब्दों में हमारी ऊपर की सूची के अनुसार १४ मन गेहूँ इतने में बिकता चाहिए कि श्रम व पूँजी की लगी एक इकाई की लागत (cost) निकल जाए। अस्तु, अ वर्ग की भूमि में श्रम व पूँजी की दो इकाइयों (doses) के लगाने से $१५ - १४ = २६$ मन गेहूँ पैदा होगा। पर दोनों इकाइयों के व्यय को पूरा करने के लिए $१४ \times २ = २८$ मन गेहूँ पर्याप्त है। इस प्रकार अ वर्ग की भूमि में १ मन गेहूँ की बचत है। इसलिए किसान चाहे तो बिना लगान दिए ब वर्ग की भूमि को जोत सकते हैं और प्रति एकड़ श्रम व पूँजी की एक इकाई लगा कर १४ मन गेहूँ पैदा कर सकते हैं अथवा भूमि के मालिकों को १ मन गेहूँ या द्रव्य में उनके बराबर मूल्य लगान के रूप में देकर प्रति एकड़ श्रम व पूँजी की एक इकाई लगा कर १४ मन गेहूँ प्राप्त कर सकते हैं। यदि पूर्ण प्रति-योगिता (perfect competition) होगी तो अ वर्ग की भूमि का लगान अवश्य स्थिर हो जाएगा।

अब चूँकि गेहूँ की माँग बढ़ती ही जाती है और साथ साथ कीमत भी बढ़ती जाती है, इसलिए यह क्रम चलता रहेगा। एक और तो श्रेष्ठ भूमि के टुकड़ों पर श्रम व पूँजी की अधिकाधिक इकाइयाँ (doses) लगती रहेगी, दूसरी और निम्नतर भूमि के टुकड़े खेती के लिए जुतने लगेगे। प्रस्तुत श्रम व पूँजी की इकाइयाँ इस प्रकार लगाई जाएँगी कि खेती की सीमा पर उत्पादन बराबर रहे। उदाहरणार्थ, यदि श्रम व पूँजी

की १४ इकाइयाँ प्राप्य हैं तो उनमें से ५ तो अ भूमि में लगेंगी, ४ ब में, ३ स में व २ द में। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग की भूमि में लगी अतिम अथवा सीमान्त इकाई से समान प्राप्ति (same return) होगी (११ मन गेहूँ)। ऐसी दशा में गेहूँ का कुल उत्पादन $६५ + ५० + ३६ + २३ = १७४$ मन होगा। इस योग से अधिक उत्पादन किसी दूसरी व्यवस्था द्वारा नहीं हो सकेगा पर इन इकाइयों का प्रयोग तभी हो सकेगा, जबकि गेहूँ का मूल्य इतना ही हो कि केवल ११ मन गेहूँ से ही अम व पूंजी की इन इकाइयों की लागत पूरी हो जाए।

ऐसी परिस्थिति में विभिन्न प्रकार की भूमियों का लगान इस प्रकार होगा —
 अ वर्ग की भूमि का लगान = $(१५ + १४ + १३ + १२ + ११) - (११ \times ५)$
 = (कुल उत्पादन) - (कुल लागत)
 = $६५ - ५५ = १०$ मन

ब वर्ग की भूमि का लगान = $५० - ४४ = ६$ मन

स वर्ग की भूमि का लगान = $३६ - ३३ = ३$ मन

द वर्ग की भूमि का लगान = $२३ - २२ = १$ मन


यहाँ हमने उत्पादन के रूप में लगान का हिसाब लगाया है। उत्पादन के प्रचलित माप के अनुसार इसे द्रव्य के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।

सीमान्त अथवा लगान हीन भूमि (Marginal or No rent Land) — जब सीमान्त उत्पादन ११ मन है तो हमारे उदाहरण में सभी प्रकार की भूमि के टुकड़े लगान देते हैं। यदि सीमान्त उत्पादन १२ मन हो जाए तो द वर्ग की भूमि का लगान नहीं रहेगा। ऐसी दशा में यह भूमि सीमान्त अथवा अन्तिम भूमि हो जाएगी। ऐसी भूमि को “लगान-हीन भूमि” कहते हैं। इन भूमि में उत्पादन व्यय के ऊपर किसी बचत का उत्पादन नहीं होता। इनकी पैदावार केवल इतनी है कि उत्पादन की लागत पूरी हो सके। अस्तु, बाकी सब श्रेष्ठ टुकड़ों के लगान को इस टुकड़े के वाद से तथा इसके आधार पर नापा जाएगा।

यह सीमान्त भूमि सबसे कमजोर अथवा खराब न भी हो। हमको भूमि के गुण को नहीं बरन् उसका श्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग भी देखना है। सीमान्त भूमि अर्थात् वह भूमि जो हस्तान्तरण की सीमा (margin of transfer) पर है, श्रेष्ठ भूमि हो सकती है। वह भूमि जो कपास की जोत के लिए श्रेष्ठ हो सकती है गेहूँ के लिए भी श्रेष्ठ हो सकती है। यदि कपास की कीमत गिर जाती है तो यह भूमि सबसे पहले गेहूँ में लगाई जाएगी और इसलिए कपास के दृष्टिकोण से सीमान्त हो जाएगी। यह सीमान्त भूमि का आधुनिक वृत्तान्त (modern version) कहा जा सकता है।

आगे के चार रेखा चित्र यह दिखाते हैं कि लगान कैसे पैदा होता है। रेखा-चित्र (१) श्रेष्ठ भूमि अर्थात् A वर्ग भूमि को प्रस्तुत करता है, रेखा चित्र (२) B वर्ग भूमि, रेखाचित्र (३) C वर्ग भूमि और रेखाचित्र (४) की भूमि D सबसे कम उपजाऊ या सबसे खराब भूमि है। हर एक चित्र में A C औसत लागत वक्र है और MC सीमान्त लागत वक्र। P_1, P_2, P_3, P_4 तथा P_5 बढ़ती हुई कीमतें प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, हर एक भूमि उस बिन्दु तक जोती जाएगी जहाँ

सीमान्त लागत कीमत के बराबर होती है (marginal cost equals price)। मान लीजिए कि बाजार कीमत P_1 है तो केवल अ वर्ग की भूमि को जुताई होगी। P_1 पर MC (सीमान्त लागत वक्र), AC (औसत लागत वक्र) को काटता है, अर्थात्



चित्र ५३

सीमान्त लागत औसत लागत के बराबर है। वह कीमत के भी बराबर है। इसलिए कुल प्रायम (revenue) (जो कि कीमत पर आधारित है) कुल लागत के बराबर है और कोई भी आधिक्य या लाभ (surplus) धरवा लगान नहीं है। अब मान लिया जाए कि कीमत P_2 तक बढ़ जाती है। अब B वर्ग भूमि जोती जाने लगेगी पर यह कोई लगान न देगी। A वर्ग भूमि लगान देना प्रारम्भ कर देगी। इस स्थिति पर रेखा-चित्र ५३ (२) में MC और AC P_2 पर एक दूसरे को काटते हैं। जैसाकि पहले बताया गया है, यहाँ कोई बचन नहीं है। परन्तु रेखा चित्र ५३ (१) जो A वर्ग भूमि को प्रस्तुत करता है देखो। रमा हुआ क्षेत्र $ABCP_1$ लगान प्रस्तुत करता है। यह क्षेत्र ab अर्थात् सीमान्त लागत तथा औसत लागत के अन्तर को OM_1 अर्थात् उत्पादन से गुणा करने से मिलता है। जब कीमत P_3 तक बढ़ जाती है तो C वर्ग भूमि से कोई लगान नहीं मिलता और B वर्ग भूमि से लगान मिलने लगेगा। जब कीमत P_4 तक बढ़ जाती है, तो D वर्ग भूमि सीमान्त भूमि या न लगान देने वाली भूमि हो जाती है, C वर्ग भूमि से लगान मिलने लगता है और A तथा B वर्ग भूमि का लगान बढ़ जाएगा। जब कीमत P_5 तक बढ़ जाती है तो D वर्ग भूमि से भी दुर्लभता (scarcity) के कारण लगान मिलने लगता है। जब यह स्थिति हो जाती है तो हर प्रकार की भूमि का लगान हर चित्र में रंगे हुए क्षेत्र से दिखाया गया है।

क्या सीमान्त अथवा लगानहीन भूमि का वास्तव में कोई अस्तित्व है ?

(Does marginal or no-rent land really exist?)—बहुत से लोगो का विचार है कि इस प्रकार की भूमि होती ही नहीं है। पर इस विचार में अधिक सार नहीं है। लगानहीन भूमि होती है। इसका लगान पूँजी के ब्याज के कारण होता है। भूमि स्वयं इस योग्य नहीं होती कि इसमें कोई आधिक्य प्राप्त हो। उदाहरणार्थ किसी ऊपर जमीन (waste land) को, जो बेकार पड़ी हो, लगान पर लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। पर यदि मालिक उसमें कुछाँ बचवा दे तो बहुत सम्भव है कि

भावी आसामी उसके लिए कुछ देने को तैयार हो जाएं। इससे यह प्रकट है कि भुगतान कुआं बनाने में लगी पूंजी के कारण किया जाएगा, भूमि के कारण नहीं। बड़े खेतों में लगानहीन भूमि का अस्तित्व पता नहीं चलता क्योंकि इसमें लगान कुछ रुपये प्रति एकड़ के रूप में होता है। पर बड़े खेत में अच्छे और बुरे मभी प्रकार के एकड़ होते हैं : बुरी भूमि यदि अकेली दी जाए तो उसका कुछ भी लगान नहीं मिलेगा, यदि मिलेगा भी तो वह आर्थिक लगान नहीं बल्कि दुर्लभता के कारण उत्पन्न लगान होगा।

दुर्लभता का लगान (Scarcity Rent)—आर्थिक लगान के अलावा दुर्लभता का लगान भी होता है। चूंकि कीमत बढ़ती है इसलिए भूमि में गहन कृषि (intensive cultivation) प्रारम्भ हो जाती है और लागत पर बचत होने लगती है। पर यह बचत किसी लगान-रहित भूमि के अस्तित्व के कारण नहीं होती, क्योंकि लगानहीन भूमि होनी ही नहीं। बल्कि बचत भूमि की दुर्लभता के कारण होती है। इसलिए इस प्रकार के लगान को दुर्लभता का लगान कहते हैं।

① अस्तु, थोठे भूमियों के लगान में दो प्रधान लक्षण होते हैं—उनके लगान में सीमान्त भूमि पर अतिरिक्त लाभ और दूसरे दुर्लभता का लगान सम्मिलित होता है। उदाहरण के लिए यदि कृषि इतनी गहन हो कि 10 घण की भूमि लगान के रूप में २ मन गेहूँ देने लगे तो थोठे भूमि आर्थिक लगान के अतिरिक्त २ मन गेहूँ दुर्लभता के लगान का भी देगी। थोठे भूमि का दुर्लभता का लगान वही होता है जो खराब भूमि का, परन्तु वह आर्थिक लगान भी प्रदान करती है।

३ रिकार्डों के सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of Ricardian Theory)—रिकार्डों के सिद्धान्त की बड़ी आलोचना हुई है। प्रथम तो "भूमि की मूलतः तथा अविनाशी शक्ति" नाम की काई वस्तु नहीं होती। अच्छी भूमि भी लगातार जुतने के उपरान्त अपना उपजाऊपन खो देती है। इससे उत्तर में यह कहा जा सकता है कि उपजाऊपन की समाप्ति के बाद भी याद अच्छी भूमि में बुरी भूमि के माथ-माथ खाद डाला जाए तो अच्छी भूमि बुरी भूमि की अपेक्षा अपनी उत्पादन शक्ति दीर्घ प्राप्त कर लेगी। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि पुराने देशों में जहाँ सदैव खाद डाली जाती है भूमि की ऊपरी पत सदैव मनुष्य के द्वारा निमित्त हूमा करती है। भूमि की ऊपरी पत प्राकृतिक नहीं बनी रहती। पर यह बात नहीं है क्योंकि जलवायु, हवा, घप और स्थिति प्राकृति को आर में नियत होने हैं। इमोंनए वे "मन और अविनाशी" होने हैं।

दूसरी बात जो इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में कही जाती है वह यह है कि रिकार्डों (Ricardo) ने 'उपजाऊपन' शब्द का प्रयोग अनिश्चित अर्थ में किया है। स्थिति के अतिरिक्त उपजाऊपन किसान की योग्यता व उत्पादन के साधनों पर भी निर्भर करता है, और फिर उपजाऊपन का सम्बन्ध उत्पादित फसलों से भी है।

तीसरी बात यह है कि रिकार्डों के सिद्धान्त के अनुसार लगान रहित भूमि के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया गया जिससे केवल कारण की लागत कम हो जाती है। और अधिकतर ऐसा होता भी है—कुछ भूमि में टुकड़े ऐसे अवश्य होते हैं जिनसे

नाममात्र का लगान दबूत होता है। पर इस प्रकार की भूमि में किसी प्रकार का आर्थिक लगान प्राप्त नहीं होता। यह सम्भन्धा लगान की उत्पत्ति के सिद्धान्त से हट हो जाती है। सिद्धान्त के वास्तविक प्रयोग के लिए यह आवश्यक नहीं है कि लगान-रहित भूमि हो ही।

बीचे, इसके प्रतिरिक्त रिकार्डों के सिद्धान्त के अनुसार लगान का जन्म उन प्राकृतिक भिन्नक लाभों (natural differential advantages) के कारण होता है, जो अच्छी भूमि में भीमान्त भूमि की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पर यदि यह मान भी लिया जाए कि मारी भूमि प्रथम श्रेणी की है, तब भी अब गहन खेती की जाती है, घटती हुई प्राप्ति के नियम के कारण लगान अवश्य होगा। वास्तव में उत्पन्न वस्तु में धन व पूंजी की लगी हुई भीमान्त इकाई की क्षति-पूर्ति उत्पाद द्वारा अवश्य होनी चाहिए। इसलिए प्रारम्भ में लगी हुई इकाइयों से लागत पर बचत की प्राप्ति होगी जो लगान का रूप ले लेगी।

पाँचवें, यहाँ नहीं बगे (Carey) व रोशर (Rooscher) के मतानुसार ऐतिहासिक अध्ययन यह सिद्ध करता है कि यह मान लेना कि नए देशों में केवल सर्व-श्रेष्ठ भूमि की उत्पाद ही नवप्रथम हानी है गलत है। जब तो यह है कि ऐसे देशों में सर्वप्रथम उमी भूमि के टुकड़ा पर लगी होती है, जो मरलतापूर्वक प्राप्त हो सकें, और यह आवश्यक नहीं है कि भूमि के ऐसे टुकड़े सर्वश्रेष्ठ ही हों। पर वाकर (Walker) का कहना है कि सर्वश्रेष्ठ भूमि में रिकार्डों (Ricardo) का आशय केवल उपजाऊ भूमि में ही नहीं, बल्कि ऐसी जमीन में था, जो उपजाऊन तथा स्थिति की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ हो।

और फिर रिकार्डों का यह कहना भी गलत बताया जाता है कि चूंकि भीमान्त भूमि पर कोई लगान नहीं होता और कीमत का निर्धारण भीमान्त भूमि की लागत से होता है इसलिए लगान का उत्पादकी कानन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

आधुनिक अर्थशास्त्रियों का विचार है कि यह निरर्थक सामूहिक रूप में अर्थ-व्यवस्था के दृष्टिकोण से नहीं है कि भूमि की संपत्ति पूरे तौर पर लोचहीन (inelastic) होती है और उस पर आधिक्य अथवा लगान प्राप्त होता है। यह आधिक्य (surplus) लागत में शामिल नहीं किया जाता और इस प्रकार कीमत (price) में नहीं जुड़ता। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किमान अथवा उद्योग के लिए, भूमि की दूसरे काम में बचने जाने में बचाने के लिए अदायगी (payment) करनी पड़ती है। इन भुगतान का हस्तांतरण प्राप्ति (transfer earnings) कहते हैं और यह लागत का तत्व (element) होने से कीमत में जुड़ता है। व्यक्तिगत रूप से किसान के लिए मारा लगान ही लागत है।

अन्य में रिकार्डों के सिद्धान्त की सबसे महत्वपूर्ण आलोचना उन लोगों ने की है जो यह मानने को कभी तैयार नहीं हैं कि किसी ऐसे सिद्धान्त के द्वारा जो उत्पादन के अन्य साधनों पर लागू नहीं होता, लगान का निर्धारण किया जाए। इन मत के लोग लगान को भी मजदूरी, म्याज और लाभ की भाँति ही समझते हैं। उनका कहना है कि रिकार्डों ने लगान की जो विशेषता बताई है, वह वास्तविक नहीं है।

४ लगान का आधुनिक सिद्धान्त (Modern Theory of Rent)—
रिकाडों के सिद्धान्त में दो बातें प्रमुख हैं। (क) उनका यह विश्वास था कि लगान केवल इसलिए दिया जाता है कि कुछ भूमि दूसरे प्रकार की भूमि की अपेक्षा श्रेष्ठ होनी है। (ख) उनका यह भी विश्वास था कि लगान रहित भूमि से लगान का माप होता है।

आधुनिक लेखकों ने इन दोनों बातों पर अविश्वास प्रकट किया है। उनका यह कहना है कि यह बात कोई विशेष महत्त्व नहीं रखती कि कोई भूमि बिल्कुल अच्छी, बिल्कुल बुरी, अथवा वर्गिक (gradable) है। वास्तव में लगान का सब से महत्वपूर्ण कारण भूमि से उत्पादित वस्तु की दुर्लभता है। यदि वस्तु दुर्लभ होगी, तो भूमि भी दुर्लभ हो जाएगी।

सच तो यह है कि लगान दिया ही इसलिए जाता है कि भूमि से माँग की अपेक्षा उत्पादन कम होता है। जब तक इस प्रकार की दुर्लभता रहती, लगान अवश्य रहेगा चाहे दश भर के सारे भूमि के टुकड़े समान रूप से उपजाऊँ क्या न हों। यही बात मजदूरी, व्याज और लाभ के सम्बन्ध में भी है।

अस्त लगान को किसी विशेष वर्ग में रखने का कोई उचित कारण नहीं है, क्योंकि श्रम व पूँजी की भाँति भूमि का भी लगान उसकी सीमान्त उत्पत्ति के अनुसार होता है।

इसके अतिरिक्त लोगों ने लगान रहित भूमि के विचार की भी आलोचना की है। लगान रहित भूमि, रिकाडों (Ricardo) के सिद्धान्त में लगान के माप का आधार है। पर आज़कल के लेखकों का कहना है कि कुछ परिस्थितियों में भले ही लगान रहित भूमि का अस्तित्व हो पर यह आवश्यक नहीं है कि लगान रहित भूमि ही सदा लगान का कारण हो। उदाहरण के लिए कुछ भूमि के टुकड़े किसी विशेष प्रयोग के ही योग्य होते हैं, जैसे अनाज पैदा करने के लिए। यदि अनाज के मूल्यों में कमी हो जाने के कारण उस भूमि पर खेती करना लाभप्रद न रहे तो ऐसे टुकड़ों पर खेती बन्द हो जाएगी। अथवा उनसे केवल अनाज के उत्पादन का व्यय भर ही निकल सकेगा। इस प्रकार की भूमि का महत्त्व लगान के सम्बन्ध में उस अर्थ में नहीं होता जिसकी बहना रिकाडों (Ricardo) ने की थी। यदि ऐसी भूमि पर कृषि जारी रहती है तो उसमें अनाज की पूर्ति बढ़ जाती है, जिसमें लगान कम हो जाता है और यदि उस पर खेती बन्द हो जाती है तो पूर्ति कम हो जाने के कारण लगान बढ़ जाता है। अस्तु, इस प्रकार की सीमान्त भूमि के अस्तित्व से लगान की समस्या का सन्तोषप्रद उत्तर नहीं मिलता।

पर जब हमारा ध्यान किसी विशेष फसल में नहीं होता तो उन दशा में सब प्रकार की भूमि का कोई न कोई प्रयोग ही हो सकता है। ऐसी दशा में हर भूमि में प्रयोग के अनुसार सीमान्त कृषि विभिन्न होती है।

५ लगान और कीमत (Rent and Price)—लगान के वर्तमान सिद्धान्त और रिकाडों के सिद्धान्त में एक और भी अन्तर है। रिकाडों का विश्वास था कि लगान का उत्पादन लागत से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए इसका कोई प्रभाव

कीमत पर नहीं पड़ता। कीमत में वृद्धि के कारण लगान का जन्म होता है न कि इसकी विपरीत स्थिति में। हम यह देख चुके हैं कि रिकार्डों ने सिद्धान्त के अनुसार लगान, लागत पर प्राप्ति होने वाली बचत को कहते हैं। कीमत सीमान्त भूमि की, जिस पर कोई लगान नहीं होता, उत्पादन लागत द्वारा निश्चित होती है और इसलिए लगान का कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्रम तथा पूँजी की सीमान्त इकाई का भुगतान अपने आप हो जाता है। सच तो यह है कि रिकार्डों के सिद्धान्त के अनुसार कीमत सीमान्त स्थिति निश्चित करती है, न कि सीमान्त स्थिति कीमत को। अतएव लगान कीमत का कोई भाग नहीं होता। लगान वास्तव में निश्चित की गई कीमत है (price determined) न कि कीमत निश्चित करने वाला (price-determining) साधन।

यह सच है कि भूमि की विभिन्नता से कीमत नियत नहीं होती। यदि "A" भूमि "B" भूमि की अपेक्षा अधिक मूल्यवान् है तो 'A' भूमि को जो अतिरिक्त लाभ होगा, उससे वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वास्तव में यह दो विभिन्न बातें हैं। क्योंकि हर भूमि को उसके उरजाऊपन व सीमान्त उत्पादन के आधार पर कीमत मिलेगी। इसलिए भूमि के दोना टुकड़ों के लगान में अंतर होगा। इसी प्रकार मजदूरी का भी जुदा रूप होता है। और यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार के जुदा भुगतानों का श्रम के उत्पादन के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना, पर मजदूरी का कीमत पर प्रभाव पड़ता है।

दूसरे रूप में भी यह कहा जा सकता है कि लगान कीमत का कोई भाग नहीं होता। भूमि प्रकृति की उपहार स्वरूप है, इसकी पूर्ति को स्थिर रखने के लिए किसी प्रकार के भुगतान की आवश्यकता नहीं होती। अस्तु लगान का भूमि कीमत से कोई सम्बन्ध नहीं होता और वह उसकी उत्पादित वस्तुओं की कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता।

पर जब हम सारी भूमि का नहीं बल्कि भूमि के केवल उस भाग का, जिसका कोई विशेष प्रयोग हो रहा हो अध्ययन कर रहे हैं तब लगान कीमत को अवश्य प्रभावित करता है। अवसर लागत (opportunity cost) के सिद्धान्त से यह बात स्पष्ट है। भूमि के अधिकतर भागों के कई प्रयोग हो सकते हैं। यदि भूमि का एक वस्तु के उत्पादन में प्रयोग हो रहा है तो वह दूसरे प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। न्यूनतम कीमत जिसका इसकी भुगतान करना होगा, इसी होगी जो कि यह भूमि अपने सबसे लाभदायक वैकल्पिक प्रयोग (alternative use) में प्राप्त करती है। यह अक्सर लागत अथवा हस्तान्तरण (transfer) कीमत कहलाती है। भूमि के प्रयोग के लिए इस भुगतान का प्रभाव कीमत पर पड़ता है। हम जानते हैं कि बाजार कीमत उस बिन्दु पर निर्धारित होती है जहाँ कीमत अधिकतम मूल्यवाली भूमि (जिसको उद्योग में रखना पड़ता है) की सीमान्त लागत के बराबर है और इस सीमान्त लागत में हस्तान्तरण कीमत मिली होती है।

प्रत्येक फर्म के दृष्टिकोण से सब साधनों का सारा लगान उत्पादन-लागत में शामिल होना चाहिए और इसलिए कीमत को प्रभावित करना चाहिए। यदि किसान

किसी दूसरे की भूमि प्रयोग में ला रहा है, तो जो लगान वह देता है, वह उसकी लागत है। मालिक विज्ञान की दशा में भी लगान लागत है परन्तु इसकी उपस्थिति छिपी हुई है। यदि वह इस भूमि को खुद में जोड़ता तो उसके लिए उसको जो भुगतान मिलता वह इस भूमि की अवसर लागत है।

इस समस्या का एक दूसरा पहलू भी है। कीमत वस्तु की माँग से सम्बन्धित दुर्लभता (scarcity) द्वारा भी निश्चित होती है। वह उद्यमी जो लगान देता है, वह उसकी लागत का एक अंग होता है। यदि लगान अधिक होगा तो वह कम भूमि से काम चलाने का प्रयत्न करेगा। और यदि लगान कम होगा तो वह अधिक भूमि को काम में लेगा। यदि उद्यमी अधिक भूमि पर प्रयोग करेगा तो दूसरे प्रयोगों के लिए भूमि की कमी हो जाएगी। और यदि वह कम भूमि का प्रयोग करेगा तो दूसरे कामों के लिए भूमि की मात्रा बढ़ जाएगी। इस प्रकार विभिन्न प्रयोगों में भूमि की पूर्ति को प्रभावित करके लगान भिन्न-भिन्न वस्तुओं के मूल्य पर निश्चयात्मक प्रभाव डालता है।

यदि हम इस समस्या का सूक्ष्म विश्लेषण करें तो डेवनपोर्ट (Davenport) के शब्दों में तो लगान कीमत निश्चित करता है और न कीमत लगान निश्चित करती है। सच तो यह है कि कीमत और लगान दोनों पर ही भूमि से उत्पादित वस्तुओं की पारस्परिक दुर्लभता का प्रभाव पड़ता है। यही सिद्धान्त मजदूरी, व्याज और लाभ के सम्बन्ध में भी लागू होता है।

६ भूमि लगान तथा बिल्डिंग लगान (Ground Rent and Building Rent) — अभी तक हमने केवल कृषि की भूमि का ही अध्ययन किया है। पर लगान नगरों की भूमि पर भी होता है। नगरों में भी ग्यूनता के दृष्टिकोण से लगान प्राप्त होता है। भिन्न स्थानों पर स्थित भूमि के टुकड़ों का लगान भिन्न होगा। व्यापार के केंद्रों के निकट अथवा खास सड़क या रेलवे स्टेशनों के समीप होने के कारण भूमि में श्रेष्ठता आ जाती है। शहरों में भी भूमि के कुछ टुकड़ें ऐसे होते हैं, जिनमें किसी प्रकार की बचत की प्राप्ति नहीं होनी फिर भी उनको अच्छी स्थिति में अवस्थित होने के कारण हम अधिक लगान पर खरीद सकते हैं। ऐसी भूमि को हम सीमान्त भूमि (marginal sit) कह सकते हैं।

पर सीमान्त भूमि पर भी माँग के अनुरूप यूनता के कारण लगान हो सकता है। इस प्रकार की भूमि फल आदि उत्पन्न करने अथवा बाग लगाने के काम आ सकती है। ऐसी दशा में अच्छी भूमि के टुकड़ों से दो प्रकार का लगान प्राप्त होता है। एक तो भिन्नता (differential type) के फलस्वरूप, दूसरा दुर्लभता (scarcity) का लगान। पर यह याद रखना चाहिए कि भिन्नता का लगान भी समस्या की कोई समुचित व्याख्या नहीं है। उदाहरण के लिए बड़े शहरों में बड़े बाजारों की दुकानों के किराये अधिक होने के दो कारण होते हैं। पहला तो भूमि की दुर्लभता, दूसरा विभिन्न प्रयोगों के लिए उसी भूमि की माँग की प्रतियोगिता के कारण सापेक्ष दुर्लभता।

जो किराया या लगान इमारतों के लिए दिया जाता है उसमें दो अंग होते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसमें एक ओर तो भूमि का किराया होता है तथा

दूसरी ओर भूमि पर बनी हुई इमारत के प्रयोग का लगान होता है। इमारत में दूसरे वर्ष भी शामिल होते हैं। यदि इस प्रकार के व्यय लगान से पूरे नहीं होंगे तो मकानों की पूर्ति कम हो जायेगी। यदि इस प्रकार के मकानों के मालिक इन्हें बेच देंगे तो उनका यह खर्च होगा कि मकान की जा कीमत उन्हें मिले उसमें भूमि का पूँजीकृत मूल्य (capitalised value) व इमारत का लगान सम्मिलित हो।

७ खानों खदानों तथा नील क्षेत्रों का लगान (Rent of Mines, Quarries and Fisheries) — खानें तथा खदानें वृषि की भूमि की अपेक्षा कमी न कभी समाप्त हो जाती हैं। इसलिए खानों के पट्टे लेने वालों को लगान देते हैं, उनमें दो अंग होते हैं। पहला लगान और दूसरा खान के खर्च हो जाने के कारण अधिकार शुल्क (royalty)। अर्द्ध खानों का लगान खानों की लगान नीमान्त पर प्राप्त वचत के रूप में होने वाला भिन्नक अधिक्य (differential surplus) है। लगान की वास्तविक व्याख्या यही है कि खानों तथा खदानों की पूर्ति उनको माँग से कम होती है और ग्यूनना व सिद्धान्त के आधार पर लगान का निर्णय होता है।

जहाँ तक मत्स्य भण्ड (fisheries) का सम्बन्ध है, यदि मछलियों की पूर्ति निरन्तर हो तो उनमें प्राप्त अर्थ में उसका लगान को प्रकृति का निर्णय होगा। यह लगान उन मछलीवाहों (fishermen) के लगान से ऊपर नापा जाएगा, जिनमें कम मछलियाँ प्राप्त होती हैं। पर यदि मछलियों के समाप्त होने की आशंका हो तो इनमें भी खानों वाला सिद्धान्त लागू होगा। मूल्य में यह सत्य है कि सर्वत्र लगान दुर्लभता के सिद्धान्त से निर्दिष्ट होता है।

८ अर्द्ध लगान या आभास लगान (Quasi Rent) — सर्वप्रथम मार्शल (Marshall) ने अर्थशास्त्र में अर्द्ध लगान का प्रयोग किया था। मार्शल के अनुसार अर्द्ध-लगान उस वचत का कहते हैं जो भूमि के अलावा उत्पादन के दूसरे साधनों द्वारा होती है। अर्थशास्त्र में भूमि से प्राप्त आय को 'लगान' कहते हैं और अर्द्ध-लगान उस आय का कहते हैं जो मनुष्य के प्रयत्न से बनी मशीना और दूसरे यन्त्रों से होती है। अर्द्ध-लगान या आभास लगान उन लगानों का कहते हैं जिसका सम्बन्ध उस तथाम आय से होता है, जो माँग बढ़ जाने के कारण उत्पादन के कुछ साधनों में प्राप्त होती है। अर्द्ध लगान उस समय में प्राप्त होता है, जब उत्पादन साधनों की पूर्ति माँग के अनु-सार बढ़ाई नहीं जा सकती। इस प्रकार आभास लगान अल्पकालीन लाभ है। लगान और अर्द्ध-लगान में सब से बड़ा अन्तर यह है कि प्रकृति के उपहार स्वरूप, भूमि की पूर्ति स्थिर होती है, पर उत्पादन के दूसरे साधनों जैसे इमारतें, कल आदि की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है।

अर्द्ध-लगान अस्थायी अधिक्य (वचत) है। जैसे-जैसे इमारतों साधनों मिलने लगता है और नए मकान बनने प्रारम्भ हो जाते हैं, वैसे ही वैसे यह वचत समाप्त होने लगती है। इस प्रकार की वचत दूरगो टिकाऊ वस्तुओं (durable goods) में भी हो सकती है। इसी भाँति किसी प्रकार के कौशल (skill) की स्थायी कमी के कारण अर्द्ध लगान पैदा हो जाता है, जो एक समय पश्चात् ही बढ़ाया जा सकता है।

दीर्घकाल में मशीना आदि टिकाऊ और इस प्रकार की अन्य वस्तुओं से

प्राप्त प्राय तत्कालीन व्याज की दर के बराबर होनी चाहिए। अस्थायी रूप से ऐसी वस्तुओं से अतिरिक्त लाभ या अर्द्ध लगान अवश्य प्राप्त होगा।

अर्द्ध-लगान को व्याज से भिन्न समझना चाहिए। व्याज वह प्राप्ति है जो मुफ्त तथा प्लवमान पूंजी (free and floating capital) से होती है। अर्द्ध-लगान वह प्राप्ति है जो विशिष्टीकृत तथा उपयोजित पूंजी (specialised and sunk capital) अर्थात् पूंजी के पुराने विनियोजन (investment) से प्राप्ति होती है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि आर्थिक लगान तथा अर्द्ध-लगान का अन्तर और वास्तव में किसी भी उत्पादक साधन के उत्पादन में केवल मात्रा का अन्तर होता है।

यह आवश्यक है कि इस विषय में एक भ्रम निवारण हो जाए। बहुत से लोगो ने अर्द्ध लगान को अनावश्यक लाभ कहा है। उनका तात्पर्य यह है कि आभास लगान (quasi rent) लागत का अंश नहीं है। इस प्रकार के भ्रम का कारण यह है कि दीर्घकालीन और अल्पकालीन परिस्थितियाँ में समुचित अन्तर नहीं किया जाता। अल्प काल में अर्द्ध लगान अनावश्यक लाभ समझा जा सकता है क्योंकि यह कीमत का अंग नहीं होता और इसको प्राप्त करने के लिए कोई विशेष व्यय नहीं करना पड़ता। परन्तु दीर्घकाल में अनेक अतिरिक्त व्यय करने पड़ते हैं और यह आवश्यक है कि व्यापारी को अपने इन खर्चों का पूरा प्रतिफल मिले। ऐसी परिस्थितियों में आभास लगान व्यय का एक अंग होना है और इसलिए इसे 'आवश्यक लाभ' समझना चाहिए।

६. लगान और आर्थिक उन्नति (Rent and Economic Progress)—

आर्थिक उन्नति का लगान पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। आर्थिक उन्नति तीन बातों से प्रकट होती है। (क) उत्पादन के साधनों में औद्योगिक उन्नति, (ख) परिवहन के साधनों में उन्नति, (ग) जनसंख्या में वृद्धि।

(ख) कृषि में उन्नति में सब प्रकार की भूमि पर बराबर प्रभाव पड़ता है। यह भी हो सकता है कि केवल श्रेष्ठ भूमि अथवा निम्नतर भूमि पर ही प्रभाव पड़े। यदि सब प्रकार की भूमि पर बराबर प्रभाव पड़े तो अनाज की पूर्ति बढ़ जाएगी। और चूंकि माँग वहीं रहेगी इसलिए इसकी कीमत गिर जाएगी और रिवाडों के सिद्धान्त के अनुसार श्रेष्ठ भूमि के लगान गिरने लगेंगे। दूसरे जर्दों में कृषि में उन्नति से अनाज की पूर्ति बढ़ने के कारण श्रेष्ठ भूमि का लगान घट जाएगा।

यदि इस उन्नति का प्रभाव केवल सीमान्त भूमि पर ही पड़े तो रिवाडों (Ricardo) के सिद्धान्त के अनुसार लगान फिर गिरने लगेंगे क्योंकि ऐसी दशा में श्रेष्ठ भूमि के उत्पादन और सीमान्त के उत्पादन में बहुत कम अन्तर रह जाएगा। इसके विपरीत यदि इस उन्नति का प्रभाव केवल श्रेष्ठ भूमि के टुकड़ों पर पड़ेगा, तो लगान श्रेष्ठ भूमि की उत्पादन शक्ति अधिक होने के कारण बढ़ जाएगा। पर यदि इस उत्पादन शक्ति के कारण कीमतों में किसी प्रकार का अवसर दया जाए तो लगान गिर भी सकता है। अस्तु, लगान सदैव उत्पादित वस्तु की माँग व पूर्ति पर निर्भर करता है। कृषि में किसी प्रकार की उन्नति का प्रभाव जो लगान पर पड़ता है, वह

कृषि के सीमान्त के प्रभाव के कारण इतना नहीं पड़ता जितना कि भूमि अथवा उसकी उत्पादन की दुर्लभता को प्रभावित करने से पड़ता है।

(ख) जहाँ तक परिवहन के साधनों में उन्नति का सम्बन्ध है, परिवहन के साधनों की उन्नति का लगान पर भ्रवश्य प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि दूर-स्थित स्थान भी बाजार के सम्पर्क में आ जायेंगे, इसलिए उनके लगान बढ़ जायेंगे। किन्तु अधिक अच्छी जगह स्थित भूमि के लगान गिर जाएंगे। इसी बात को भूमि की दुर्लभता के आधार पर भी समझाया जा सकता है। यदि यातायात के साधनों में उन्नति से दुर्लभता में वृद्धि होगी तो लगान बढ़ जाएगा। पर इसके विपरीत परिस्थिति में लगान गिरने लगेंगे।

(ग) जनसंख्या की वृद्धि सर्वत्र लगान को बढ़ाती है। रिकार्डो (Ricardo) के सिद्धान्त के अनुसार अधिक गहन खेती व निम्नतर भूमि के प्रयोग के कारण ऐसा होगा। पर इसी बात को अधिक आधुनिक ढंग से इस प्रकार कहा जा सकता है कि जनसंख्या की वृद्धि से माँग के अनुसार भूमि की दुर्लभता बढ़ जाती है जिससे लगान में वृद्धि हो जाती है।

१० दूसरे साधनों में लगान का तत्त्व (Rent Element in other Factors)—लगान का तत्त्व केवल भूमि में ही नहीं बल्कि उत्पादन के दूसरे साधनों में भी पाया जाता है।

(१) लाभ में भी लगान तत्त्व (Rent Element in Profits)—सारे उद्योगों में एक ही योग्यता नहीं रखते। इसमें ऐसे उद्योग भी होते हैं जो कम लाभ पर भी किसी प्रकार अपना काम चलाया करते हैं। इस प्रकार के उद्योगों को लाभ बहुत कम होने है किन्तु ऐसे उद्योग भी होते हैं जो अपनी योग्यता के कारण कम व्यय में उत्पादन कार्य चला लेते हैं। इनको अधिक लाभ प्राप्त होता है जिसकी तुलना श्रेष्ठ भूमि से प्राप्त बचत से की जा सकती है। इन उद्योगों का यह लाभ कुछ-कुछ श्रेष्ठ भूमि की स्थिति से प्राप्त लाभ की भाँति होता है। इस प्रकार लाभ में भी लगान का तत्त्व पाया जाता है। कुछ अर्थशास्त्री लाभ को योग्यता का लगान (rent of ability) कहते हैं।

(२) मजदूरी में लगान का तत्त्व (Rent Element in Wages)—श्रमिकों में भी विभिन्न प्रकार की कुशलता पाई जाती है। मजदूरी श्रमिक की कुशलता के अनुसार मिलती है। जो मजदूर अधिक कुशल होता है, उसे दूसरे मजदूरों की तुलना में उसी प्रकार की बचत प्राप्त होती है। यह सिद्धान्त आसानी से प्राप्त जमीनों के लगान के समान है।

(३) ब्याज में लगान का तत्त्व (Rent Element in Interest)—प्रचलित ब्याज सीमान्त विनियोजक (marginal investor) का प्रतिफल होता है अर्थात् वह व्यक्ति जिसे बचाने का प्रोत्साहन दिया गया है। पर कुछ लोग कम दर पर भी बचत करना चाहते हैं। इस प्रकार के विनियोजकों को एक प्रकार की बचत भी प्राप्त होती है। यह बचत विस्तृत रूप में लगान के समान होती है। पर ब्याज में गहरे लगान का भी तत्त्व होता है। अन्तिम विनियोजक सीमान्त विनियोजक है जो

प्रचलित व्याज दर पर भी घन बचाने को तैयार रहते हैं। किन्तु इससे पहले जो रुपया उन्होंने विनियोजित कर रखा है, वह लगान के ही समान व्याज देता है।

नौकरी में या प्रयोग में किसी साधन को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि उसको न्यूनतम अदायगी का लालच और आश्वासन अवश्य दिया जाए। इससे अधिक होने वाली आमदनी (बचत) का स्वरूप लगान का है। और यह तत्त्व प्रत्यक साधन में पाया जाता है।

११ हस्तान्तरण आय (Transfer Earnings)—समाज के पास बहुत कम साधन ऐसे होते हैं, जिनके कई प्रयोग न हों। उत्पादन के कुछ ही साधन बहुत विशिष्ट होते हैं। वास्तव में अधिक आय का आकषण ही साधना को सदैव हस्तान्तरण के लिए प्रेरित करता है। इस हस्तान्तरण से आय में जो वृद्धि होती है, वह अर्थशास्त्र में हस्तान्तरण आय कहलाती है।

हस्तान्तरण आय के सिद्धान्त का सम्बन्ध आर्थिक लगान के सिद्धान्त से बहुत घनिष्ठ है। मान लीजिए कि भूमि के किसी टुकड़े में गन्ने के बजाय कपास पैदा करने से अधिक लाभ होता है। पर यदि कपास का लाभ गिर जाए और गन्ने के लाभ में वृद्धि हो जाए तो भूमि में गन्ने का उत्पादन होने लगेगा। ऐसी दशा में भूमि अधिक आय की प्राप्ति के लिए एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में लाई जाएगी। यदि किसी साधन को आय हस्तान्तरण होने के बाद प्राप्त हान वाली आय से अधिक हो तो वह लगान कहलाती है। बेंहम (Benham) के अनुसार, 'साधारणतया उस बचत को जो कोई इकाई अपनी हस्तान्तरण आय पर प्राप्त करती है लगान का रूप दे दिया जाता है।' यदि कोई भूमि का टुकड़ा केवल कपास के उत्पादन में ही लगा हो अर्थात् वह और कुछ न उत्पादन कर सकता हो तब उसकी हस्तान्तरण आय शून्य होगी, और उस भूमि की कपास का उत्पादन लगान समझा जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि साधन की एक इकाई किसी उद्योग में अपने को उस उद्योग में देने रहने की पर्याप्त मात्रा से अधिक पैदा करती है तो वास्तविक आय और हस्तान्तरण आय का अन्तर उस उद्योग के दृष्टिकोण से लगान कहा जा सकता है।

इस प्रकार, हस्तान्तरण आय के सिद्धान्त का आधार पर कहा जा सकता है कि जो भूमि सारी आर्थिक व्यवस्था के आधार पर इस कारण अधिक लगान उपाजित करती है कि उसकी पूर्ति बलोचदार है वही भूमि सम्भव है कि किसी दूसरे उपयोग में बिलकुल भी लगान उपाजित न कर सके क्योंकि उस उद्योग के दृष्टिकोण से उस भूमि की पूर्ति पूर्ण लोचदार हो सकती है। सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भूमि किसी वैकल्पिक प्रयोग में नहीं लगाई जा सकती। इसलिए इस दृष्टिकोण से उचित भूमि की हस्तान्तरण आय शून्य मानी जाएगी। इसी कारण भूमि से पैदा किया हुआ हर प्रकार का लाभ, लगान (rent) है। किन्तु किसी उद्योग विशेष में भूमि अपनी हस्तान्तरण आय से भी अधिक लाभ उपाजित कर सकता है, अतः यह अतिरिक्त आय, उस उद्योग की दृष्टि से जिनमें उस भूमि का प्रयोग हो रहा है, लगान (rent) है। किसी विशेष उद्योग को किसी भूमि के टुकड़े को अपने प्रयोग में बनाए रखने के लिए लालच देना आवश्यक हो जाता है, ताकि वह दूसरे वैकल्पिक उपयोग या प्रयोग

मजदूरी

(Wages)¹

१ परिभाषा (Definition) — श्रम उत्पादन का दूबरा साधन है और जा कुछ उस मिलता है उस “मजदूरी” कहते हैं। ‘मजदूरी’ शब्द व्यापक अथवा सीमित अर्थ में प्रयुक्त हो सकता है। व्यापक अर्थ में इसका अर्थ श्रम की सेवाओं वा भुगतान है। कुछ लेखक मजदूरी शब्द को सीमित अर्थों में प्रयोग करते हैं। बेंहम (Benham) कहते हैं ‘मजदूरी की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है कि सविदा (contract) द्वारा व्यवसायी, जो स्वयं मजदूर की सेवाओं के लिए दता है वह मजदूरी कहलाती है।’² हम मजदूरी को व्यापक अर्थ में प्रयोग करते हैं, तथा उसे राष्ट्रीय लाभांश (national dividend) का वह भाग मानते हैं, जो किसी व्यवसायी के लिए अथवा स्वतन्त्र रूप से अपने हाथों अथवा मस्तिष्क द्वारा कार्य करने वालों के लिए होता है।

मजदूरी काम के हिसाब से अथवा जितने समय तक मजदूर काम पर लगा होता है, उसके हिसाब से दी जाती है। पहली ‘खण्ड-मजदूरी’ (piece wage) और दूसरी ‘समय-मजदूरी’ (time wage) कहलाती है।

जब कार्य एक निश्चित परिमाण का होता है और एक निश्चित समय में करना पड़ता है तो यह अभिहस्ताकृत कार्य (task work) के नाम से प्रसिद्ध होता है।

कभी-कभी ‘समय-मजदूरी’ निश्चित कर दी जाती है तथा खण्ड मजदूरी द्वारा वस्तुओं के उत्पादन के हिसाब से उसे अनुपूर्त किया जाता है। कभी-कभी मजदूरों के घुट को सामूहिक रूप से अधिक काम करने पर पारितोषिक मजदूरी दे दी जाती है।

कुछ अवस्थाओं में मजदूरी कानून द्वारा भी नियत कर दी जाती है। कुछ अतिरिक्त श्रमशील व्यापारों (sweated trades) में न्यूनतम मजदूरी नियत की जा सकती है। कुछ लोग राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की राय देते हैं, जो कि सब उद्योगों पर लागू हो।

२ नाममात्र तथा वास्तविक मजदूरी की तुलना (Nominal Versus Real Wages)—मजदूरी के सिद्धांतों का अध्ययन करने से पूर्व हम नाममात्र की मजदूरी और वास्तविक मजदूरी के बीच के अंतर को समझाने का प्रयत्न करेंगे। नाममात्र

1 Wages के लिए हमने मन्गूरा तथा मन्गूरा दोनों ही शब्द काम में लिये हैं। मजदूरी शब्द का प्रयोग हनार मविधान के अनुवाद में हुआ है। (इंटरनेट भारत का मविधान, अनुच्छेद ४३)

2 A wage may be defined as a sum of money, paid under contract by an employer to a worker for services rendered’ —Benham.

मजदूरी तथा वास्तविक मजदूरी में बहुत भारी अन्तर है। नाममात्र मजदूरी वह है, जो द्रव्य (money) के रूप में प्राप्त अथवा भगतान की जाती है। परन्तु केवल द्रव्य मजदूरी एक मजदूर की आर्थिक स्थिति का सही परिचय नहीं दे सकती। वास्तविक मजदूरी जानने के लिए जो एक व्यक्ति के जीवन का स्तर निर्दिष्ट करती है, निम्न-लिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए

(क) द्रव्य की शक्ति (The Purchasing Power of Money)—जब एक जगह की दूरी जगह के साथ और एक समय की दूसरे समय के साथ मजदूरी की तुलना की जाती है तो द्रव्य की शक्ति पर भी ध्यान रखना होगा। ऊँची मजदूरी का एक अर्थ इंग्लैंड और अमरीका में इसलिए सम्भव है कि वहाँ के गजारों में कीमतें बहुत ऊँची हैं।

(ख) सहायक आमदनी (Subsidiary Earnings)—निश्चित द्रव्य मजदूरी के अतिरिक्त एक नौकर अपनी अनिश्चित आय, बन्सु या द्रव्य के रूप में अधिक कर सकता है। उदाहरण के लिए, बन्सु नौकर के रहने के खर्च, अत्यापकों के लिए दूरगना या परीक्षा शुल्क आदि। सहायक आमदनी वह भी कहा जा सकती है, जो मजदूर परिवार के अन्य व्यक्तियों को नौकरी का अवसर मिल जाने से उपलब्ध हो जाती है।

(ग) अनिश्चित भुगतान के बिना अतिरिक्त काम (Extra Work Without Extra Payment)—अगर किसी नौकर को दिना उचित भुगतान के अधिक कार्य करना पड़ता है तो उनकी वास्तविक मजदूरी उतनी ही कम हो जाती है। बैंक क्लर्कों को नियम घण्टा के काम का ही वेतन मिलना है। परन्तु वह हिसाब किताब की गलती ठीक करन के लिए प्रायः अधिक समय के लिए रोक दिए जाते हैं। ऐसे अधिक काम के लिए उन्हें कुछ नहीं मिलता।

(घ) नौकरी की नियमितता अथवा अनियमितता (Regularity or Irregularity of the Employment)—नियमित अथवा अधिक सुरक्षित व्यवसाय अल्प मजदूरी दे सकता है फिर भी उसमें वास्तविक मजदूरी, उस अनियमित और अरक्षित नौकरी की अपेक्षा जिसमें अधिक द्रव्य-मजदूरी मिलती है, अधिक हो सकती है। उदाहरणार्थ, एक मनुष्य जिसे ५ रुपये दैनिक मिलते हैं, परन्तु काम का मिलना अनिश्चित है, उतना सम्पन्न नहीं होगा जितना नियमित रूप से २ रुपये कमाने वाला व्यक्ति होगा।

(ङ) काम की दशाएँ (Conditions of Work)—कुछ व्यवसाय दूसरों की अपेक्षा अच्छे होते हैं तथा कुछ में दूसरों की अपेक्षा काम के घण्टे कम होते हैं, काम कुछ अधिक अथवा कम आरामदायक हो सकता है; व्यवसायो अधिक या कम दयालु हो सकता है। यह सब बातें किसी मनुष्य की वास्तविक मजदूरी मालूम करते समय ध्यान में रखनी होगी।

(च) भविष्य की आशाएँ (Future Prospects)—यदि किसी व्यक्ति को भविष्य में ऊँची उन्नति की आशा है तो वह कम द्रव्य मजदूरी (money-income) को भी ऊँची वास्तविक मजदूरी से अच्छी समझेगा। इसके विपरीत यदि प्रारम्भ में

ऊंचा वेतन भी हो किन्तु भविष्य में अधिक उन्नति की सम्भावना न हो, तो वह उतनी अच्छी मजदूरी नहीं मानी जाएगी।

३ मजदूरी का जीवन-निर्वाह सिद्धान्त (The Subsistence Theory of Wages)—किसी देश में प्रचलित मजदूरी के सामान्य स्तर की व्याख्या के लिए कई सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। पहले हम जीवन निर्वाह सिद्धान्त को लेते हैं। यह सिद्धान्त सर्वप्रथम फ्रांसीसी अर्थशास्त्र वेत्ताओं के फिजियोक्रैटिक स्कूल से निकला और उनीसवीं शताब्दी में आधाररूप से मान लिया गया। जर्मनी के अर्थशास्त्र वेत्ता लैसले (Lassalle) इसे मजदूरी का लौह सिद्धान्त (Iron Law of Wages or the Brazen Law of Wages) कहते थे। कार्ल मार्क्स ने इसे अपने शोषण सिद्धान्त का आधार बनाया है।

इस सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी उनीसवीं शताब्दी पर ठहर जाती है, जहाँ कि मजदूर उस मजदूरी से कम पर अपनी और अपने परिवार की जीविका न चला सके। अगर मजदूरी इस स्तर से ऊपर उठती है तो मजदूरों को शादी करने और अपने परिवार को बड़ाने का प्रोत्साहन मिलता है। श्रम पूर्ति की वृद्धि से मजदूरी जीविका की सीमा तक आ जाती है। यदि मजदूरी इस सीमा से नीचे गिर जाती है, तो शादी व पैदाइश का उत्साह नहीं रहता तथा आहार क अभाव के कारण मृत्यु-दर बढ़ जाती है और श्रम में श्रम पूर्ति कम हो जाती है और यह तब तक चलता रहता है, जब तक कि मजदूरी को बढ़ा कर पुन जीविका की सीमा तक नहीं कर दिया जाता।

पिछड़े हुए देशों में मजदूरी जीविका स्तर के आस-पास रहती है, लेकिन यह सिद्धान्त अधिक उन्नतिशील देशों, जैसे इंग्लैंड, अमरीका आदि में लागू नहीं होता। यह सिद्धान्त माल्थस (Malthus) के जनसंख्या सम्बन्धी नियम पर आधारित है। लेकिन यह गलत है कि मजदूरी में वृद्धि के कारण जनसंख्या के अनुपात में भी वृद्धि होगी। मजदूरी की उन्नति से रहन सहन का दर्जा भी तो बढ़ सकता है। डेनमार्क (Denmark) और हॉलैंड (Holland) में कृषि मजदूर जीविका की सीमा से अधिक मजदूरी पाते हैं। यूरोप और अमरीका सरोत्तम औद्योगिक देशों में मजदूरी बराबर बढ़ती जा रही है और मजदूर वर्ग एक शताब्दी पहले जैसे था उससे बहुत अधिक सुखी है।

इस सिद्धान्त की दूसरी आलोचना यह है कि जीविका की सीमा कुछ दशाओं को छोड़ कर लगभग सभी मजदूर वर्गों की एक सी होती है। इस प्रकार यह सिद्धान्त विभिन्न व्यवसायों में मजदूरी के अन्तरों को प्रकट नहीं करता।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि यह सिद्धान्त केवल श्रम की पूर्ति (Supply) की ओर से ही लिया गया है, इसमें माँग की ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया है। माँग की ओर से व्यवसायी मजदूर के काम को देखता है उसकी जीविका को नहीं।

४ मजदूरी का निधि सिद्धान्त (The Wages Fund Theory)^१—यह

१ See Dobb M—Wages 1932, Ch IV, Sec 3 p, 100

२ Ibid Ch IV Sec 6 See also Marshall's Principles, Appendix (a)

सिद्धान्त जे० एम० मिल (J S Mill) ने सम्बन्धित है। मिल (J. S Mill) ने लिखा कि 'मजदूरी अथ नौ मांग व पूर्ति पर अथवा जैसा कि कहा जाता है, पूंजी और जनसंख्या के बीच के अनुपात पर निर्भर करती है। यहाँ पर जनसंख्या शब्द का अर्थ मजदूर वर्ग की संख्या, तथा वह मजदूर, जो किराये पर काम करता है, उनसे है, और पूंजी का अर्थ 'व्यवसाय' की कुल पूंजी से नहीं, परन्तु जितनी पूंजी प्रत्यक्षत अथ सरोदने में व्यय होती है, उनी से है।'

इस सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी दो चीजों पर आश्रित है, (1) मजदूरी निधि (wage fund) अथवा चल पूंजी (circulating capital) जिससे अथ का पय किया जाए (2) नौकरी च हन वाले मजदूरों की संख्या। इसलिए मजदूरी तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक कि या तो मजदूरी निधि न बढ़ जाए अथवा मजदूरों की संख्या कम न हो जाए। लेकिन चूंकि सिद्धान्त की दृष्टि में मजदूरी-निधि नियत है, इसलिए मजदूरी सभी घट सकती है, जब मजदूरों की संख्या में कमी हो। इसलिए, यह प्रकट होना है कि इस सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी बढ़ाने के लिए ट्रेड यूनियनों के सब प्रयत्न निरर्थक हैं। यदि वे एक व्यापार में अपनी मजदूरी बढ़ाने लें तो यह घड़ी हुई मजदूरी दूसरे पर प्रभाव डालेगी क्योंकि मजदूरी निधि निश्चित है तथा इन ट्रेड यूनियनों का आवादी व ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता। ट्रेड यूनियन या श्रमिक संघ समस्त श्रमिक वर्ग की मजदूरी नहीं बढ़वा सकते।

इस सिद्धान्त की बहुत आलोचनाएं की गई हैं और अब तो इसे बिल्कुल ख़ुद ही कर दिया गया है। मिल (J S Mill) ने स्वयं इसे अपनी 'अर्थशास्त्र के सिद्धान्त' नाम की पुस्तक के दूसरे संस्करण में से हटा दिया था।

मिल (J S Mill) का विचार था कि मजदूरी केवल चल पूंजी में से ही दी जाती है। इस विषय पर कि मजदूरी का प्रधान स्रोत पूंजी है अथवा वर्तमान उत्पाद वस्तुएं, काफी वाद विवाद रहा। कुछ दशाओं में जहाँ पर उत्पादन शीघ्र होता है वहाँ मजदूरी वर्तमान उत्पादन के अनुसार दी जाती है और दूसरी दशा में जहाँ उत्पादन का ढंग लम्बा होता है वहाँ मजदूर प्रत्यक्ष अथवा विनिमय (exchange) के रूप में मजदूरी नहीं पाते। इन दशाओं में उनकी मजदूरी पूंजी से ही प्राप्त होती है।

मिल (J S Mill) कहते हैं कि मजदूरी पूंजी के एक निश्चित भाग से दी जाती है जो कि हमारे लिए नियत रहता है। यह भी सच नहीं है, क्योंकि कोई निश्चित मजदूरी निधि नहीं होती और वह निधि लोचदार (elastic) होती है। इसका परिमाण (volume) लाभ के अनुसार बदलता है। इन चीजों को ठीक प्रकार से निर्धारित करने के लिए अथ की संख्यानुसार उत्पादक शक्ति एक आवश्यक शर्त है।

यह सिद्धान्त स्वतः सिद्ध है। यह सिद्धान्त यह नहीं बताता कि मजदूरी निधि के बौन कौन से स्रोत हैं तथा इसका किस प्रकार अनुमान लगाया जाता है। यह केवल इतना ही बताता है जो अपने आप प्रत्यक्ष है कि मजदूरी-निधि को मजदूरों की संख्या से भाग देने पर मजदूरी निकल आती है।

फिर इसमें यह भी माना गया है कि पूंजी और अथ में कुछ विरोध रहता है, जो वास्तव में नहीं होता। इस सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी, लाभ बढ़ने पर ही बढ़ाई

जा सकता है, परन्तु वास्तव में ऐसी दशा नहीं होती है। व्यवसाय की समृद्धि में मजदूरी और लाभ दोनों बढ़ सकते हैं। यह भी समझना भूल है कि मजदूरी के बढ़ने से पूँजी विदेश में चली जाएगी। पूँजी ऐसी चीज नहीं है और न लाभ ही ऐसे बेलोचदार हैं। पूँजी के लाभ समय समय पर घटते-बढ़ते रहते हैं।

मजदूरी-निधि सिद्धान्त इस बात को समझने में कि भिन्न भिन्न व्यवसायों की मजदूरी में कयो अन्तर रहता है, मदद नहीं करता। इसके अलावा, मजदूरी की दरें, जो विभिन्न देशों में प्रचलित हैं, वे वहाँ की पूँजी से कोई सम्बन्ध नहीं रखती। नए देशों में पूँजी कम होती है, परन्तु मजदूरी अधिक होती है। पुराने देशों का हाल इसके विपरीत है।

५. अवशेष अधिकारी सिद्धान्त (Residual Claimant Theory)—यह सिद्धान्त अमरीका के अर्थशास्त्र वेत्ता वाकर (Walker) के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार मजदूरी वह बचत है, जो उत्पादन के अन्य साधनों का भुगतान करने के बाद बच रहे। वाकर (Walker) के अनुसार लगान, लाभ और ब्याज (rent, profit and interest) निश्चित नियमों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं किन्तु मजदूरी से सम्बन्धित ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है। इसलिए, कुल उत्पादन में से लगान, लाभ, ब्याज की रकम भुगतान करने के बाद, जो रकम बचती है, वही मजदूरी है। इस प्रकार इस सिद्धान्त से श्रम की योग्यता बढ़ने पर मजदूरी बढ़ने की सम्भावना हो सकती है। इस दृष्टिकोण से अवशेष अधिकारी सिद्धान्त आशावादी सिद्धान्त है, जबकि मजदूरी वा जीवन-निर्वाह सिद्धान्त (subsistence theory of wages) और मजदूरी-निधि सिद्धान्त (wages fund theory) निराशावादी सिद्धान्त है।

इस सिद्धान्त को भी बहुत से अर्थशास्त्र वेत्ताओं ने अस्वीकृत कर दिया है। इसमें अनेक दोष हैं। पहली बात तो यह है कि यह सिद्धान्त यह नहीं बतलाता कि ट्रेड यूनियन किस प्रकार मजदूरी बढ़ा सकती हैं। दूसरे, वह यह नहीं बताता कि मजदूरी के ऊपर श्रम की पूर्ति का क्या प्रभाव होता है। तीसरे, यह समझने में कठिनाई होती है कि वही माँग और पूर्ति का नियम, जो कि उत्पादन के अन्य साधनों को पुरस्कार देता है, मजदूरी पर क्यों लागू नहीं होता। अन्त में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अवशिष्ट दावेदार उद्यमी होता है न कि मजदूर।

६. मजदूरी का सीमान्त उत्पादन शक्ति सिद्धान्त (Marginal Productivity Theory of Wages)¹—यह सिद्धान्त श्रम की माँग और पूर्ति दोनों का ध्यान में रखता है। इसके अनुसार मजदूरी माँग व पूर्ति के साधनों की शक्ति के बीच साम्यावस्था (equilibrium) द्वारा निर्धारित होती है। किमी विशेष समय पर पूर्ति दी रहती है और माँग का विशेष महत्त्व होता है। अधिक काल होने पर श्रम की पूर्ति घट-बढ़ सकती है और पूर्ति की शक्तियाँ विशेष महत्त्वपूर्ण हो जाती हैं। परन्तु ये शक्तियाँ सीमान्त उत्पादन शक्ति के ऊपर प्रभाव डालती हैं। इसलिए इस सिद्धान्त

1 For a detailed study see Readings in the Theory of Income Distribution pages 221—236, D. H. Robertson's article on "Wage Grumbles".

को सीमान्त उत्पादन शक्ति सिद्धान्त कहते हैं। इस सिद्धान्त में श्रम की माँग और पूर्ति का समान रूप से महत्त्व है।

श्रम की माँग (Demand for Labour)—'श्रम की माँग' निकाली हुई माँग होती है। यह उन चीजों की माँग से पैदा होती है, जो उत्पादन में मदद देती हैं। इसलिए किसी वस्तु की माँग में आशा के अनुकूल उन्नति उस श्रम की माँग को बढ़ा देती है, जो उस वस्तु को पैदा करती है। श्रम की माँग उस हालत में नहीं बढ़ती जब कि उनकी मजदूरी कुल मजदूरी का बहुत छोटा भाग हो, परन्तु माँग उस हालत में घट-घट सकेगी जबकि उत्पादन वस्तु की माँग लीचदार हो अथवा बढ़ते में सस्ती चीजें उपलब्ध हो।

जिम प्रकार वस्तुओं की माँग कीमत (demand price) होती है, उसी प्रकार श्रम की माँग कीमत होती है। एक नए प्रकार के देश की विभिन्न परिस्थितियों में श्रम की माँग उद्योगपति की आरम्भ होती है, जो अपने व्यवसाय में लाभ उठाने के लिए उत्पादन के अन्य साधनों तथा श्रम को लगाना है। इसीलिए श्रम की माँग की कीमत वह मजदूरी है, जो एक उद्योगपति एक विशेष प्रकार के श्रम के लिए देने को तैयार है। मान लीजिए कि वह एक नए वाद दूनरा मजदूर काम पर लगाना है। कुछ समय के बाद घटती हुई प्राप्ति का नियम (Law of Diminishing Returns) लागू हो जाएगा। प्रत्यक्ष बढ़ा हुआ मजदूर कुल उत्पादन को घटती दर पर बढ़ाएगा। मात्तिक उसी विन्दु पर अनिश्चित मजदूर लगाना बन्द करेगा, जबकि उसके द्वारा योजित उत्पादन में वृद्ध मजदूरी के बराबर अथवा उसके द्वारा लगाई गई अधिक लागत में कम होगा। श्रम प्रकार मजदूरी, जो वह उसे देगा (श्रम की सीमान्त इकाई) उस बढ़ हुए उत्पादन अथवा सीमान्त उत्पादन शक्ति के मूल्य के बराबर होगी। लेकिन चूंकि सभी मजदूर एक ही श्रेणी के होंगे इसलिए जिस मजदूरी का भुगतान सीमान्त मजदूर को होगा, वही सब मजदूरों को होगा।

श्रम की पूर्ति (Supply of Labour)—जब हम माँग की दृष्टि में मजदूरी की व्याख्या करते हैं तो पूर्ति को स्थिर मान लेते हैं। इसी प्रकार हम माँग को स्थिर मान कर यह कह सकते हैं कि जब श्रम की पूर्ति बढ़ती है, तो उसकी सीमान्त उत्पादन शक्ति गिर जाती है और जब पूर्ति गिर जाती है, तब श्रम की उत्पादन शक्ति बढ़ जाती है। पहली हालत में मजदूरी गिरेगी और दूसरी में बढ़ेगी।

इसलिए श्रम की पूर्ति पर विभिन्न साधनों का प्रभाव पड़ता है। अन्य चीजें समान रहने पर अधिक मजदूरी मिलने से अधिक श्रम आकर्षित होगा और इसके विपरीत विलोमतः ऐसा ही होगा। परन्तु यह सब उद्योगों में लागू नहीं होता। यह विशेष उद्योग में ही लागू है। दूसरे साधन इस प्रकार हैं। विवाह के प्रति सामान्य धारणा, परिवार का आकार, मरति निरोध (birth control), औषधि सहायता का स्तर, स्वच्छता की व्यवस्था आदि। श्रम की कुल पूर्ति आवादी के बढ़ाव पर निर्भर करती है। किसी विशेष व्यवसाय में दूसरे उद्योगों की अपेक्षा श्रम की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है, यदि ऐसे उद्योग में श्रम की उत्पादन शक्ति बढ़ जाने से मजदूरी भी बढ़ जाय।

दी हुई श्रम की पूर्ति को पूर्ण प्रतियोगिता में, विभिन्न उद्योगों में इस प्रकार बाँटा जाता है कि श्रम की सीमान्त उत्पादन शक्ति सभी उद्योगों में एक-सी रहे। परन्तु यदि श्रम एक जगह से दूसरी जगह या एक उद्योग से दूसरे उद्योग में स्वतन्त्रतापूर्वक नहीं जा सकता तो श्रम की सीमान्त उत्पादन शक्ति विभिन्न उद्योगों में भिन्न-भिन्न होगी तथा उसी प्रकार के श्रम के लिए अलग-अलग मजदूरी होगी।

अन्त में हम कह सकते हैं कि सम्भाव्य मजदूरी (potential workers) की सख्या दी होने पर, श्रम पूर्ति को परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है, यह श्रम-इकाइयों की वह अनुसूची (schedule) है जो कि विभिन्न मजदूरी स्तर पर मजदूर (श्रमिक) देने के लिए तैयार होते हैं। यह दो बातों पर निर्भर है : (क) ऐसे श्रमिकों की सख्या जो विभिन्न मजदूरियों पर काम करने को तैयार हैं तथा जो काम करने लायक हैं, (ख) काम करने के घंटों (working hours) की सख्या जिनमें प्रत्येक श्रमिक विभिन्न मजदूरियों पर काम करने को तैयार है तथा काम करने लायक है।


ऐसी स्थिति में जब श्रमिकों के काम करने की शक्ति (staying power) नहीं रहती और भूखो मरना ही एकमात्र रास्ता रहता है, श्रमिकों की व्यापक रूप से पूर्ति पूर्णतया लोचहीन (inelastic) रहती है। इसका अर्थ यह है कि मजदूरी (wages) कम की जा सकती है। थोड़े समय तक, मजदूरी में कटौती से श्रम की पूर्ति में सम्भव है कोई कमी न हो। लेकिन यदि मजदूरी बहुत कम कर दी जाए तो मालिकों में परस्पर स्पर्धा से ही मजदूरी अधिक हो जाएगी। लम्बे श्रम तक श्रम की पूर्ति बहुत लोचदार नहीं होती।

सीमान्त उत्पादन शक्ति के सिद्धान्त की परिमितताएँ (Limitations of the Marginal Productivity Theory)—वितरण के सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर हम सीमान्त उत्पादन शक्ति के विषय में पहले ही धारणाएँ पड़ चुके हैं।¹ इस सिद्धान्त को जब हम मजदूरी पर लागू करते हैं तो फिर से दोहरा लेना चाहते हैं कि यह सिद्धान्त कुछ स्वयंसिद्धियों के बीच ठीक बैठता है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति, श्रम स्वतन्त्रतापूर्वक एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जा सकता हो, सब श्रम एक समान हो, निश्चित व्याज व सगान की दरें तथा स्थिर उत्पादित वस्तु की कीमतें। यह एक गतिहीन सिद्धान्त है। परन्तु यह सार गतिशील है। श्रम के इधर-उधर जाने में भी अनेक प्रतिबन्ध होते हैं। सारा श्रम एक श्रेणी का नहीं होता। उत्पादन के अन्य साधनों का उचित पुरस्कार स्थायी नहीं होता, श्रम द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य भी बदलता रहता है। इन सब परिवर्तनों के फलस्वरूप सिद्धान्त में, विशेष रूप से जब यह सिद्धान्त वास्तविक परिस्थितियों की कगौटी पर रखा जाता है, दोष पैदा हो गए हैं। फिर भी यह सिद्धान्त बताता है कि श्रम की प्रवृत्ति श्रम की पूर्ति और श्रम की माँग में सामञ्जस्य लाने की है। श्रम की सीमांत उत्पादकता का सिद्धान्त हमको वे मौलिक तत्त्व अवश्य बताता है जो मजदूरी की दर निर्धारित करते हैं।

¹ See Chapter XXIV

मजदूरी का आधुनिक सिद्धान्त श्रम में लागू होता है, जो श्रम का मुख्य सिद्धान्त है तथा जिससे साधारणतया वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है। बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य की भाँति मजदूरी भी क्रमशः किसी क्षण में मिलने वाली मजदूरी (wages at any given moment) तथा दीर्घावधि में मिलने वाली मजदूरी (wages in the long run) होती है। "किसी क्षण में मिलने वाली मजदूरी में मजदूरी उद्यमी को मजदूर की सीमान्त उत्पादन शक्ति के अनुसार निर्धारित करनी पड़ती है, जब कि दीर्घकालीन मजदूरी तो उतनी ही होनी चाहिए, जिससे कि मजदूर अपने रहन-सहन के स्तर को बनाए रख सके। दीर्घकाल में मजदूरी की सीमा बह होती है जहाँ पर मजदूर की सीमान्त उत्पादन शक्ति श्रम के पूँति मूल्य के बराबर हो, जो कि रहन सहन के स्तर के अनुसार नियत किया गया हो।"² वास्तव में वास्तविक मजदूरी दो सीमाओं के बीच होती है। ऊपर की सीमा मजदूर की सीमान्त उत्पादन शक्ति के अनुसार व्यवसायी निर्धारित करता है और निचली सीमा उसके जीवन-स्तर से निर्धारित होती है। इन दोनों सीमाओं के बीच वास्तविक मजदूरी दोनों दला के सम्बन्धित मीदा करन की शक्ति के अनुरार निश्चित होती है।

दीर्घावधि तथा प्रतियागिता की स्थिति में मजदूरी श्रम के सीमान्त तथा औसत उत्पादन की शक्ति के समान होती है। यदि उत्पादन की सीमान्त शक्ति औसत उत्पादन शक्ति से अधिक होती है, तो जयदा मजदूर लगाना ठीक रहगा और ऐसा तब तक होगा जब तक सीमान्त उत्पादन शक्ति (marginal productivity) औसत उत्पादन शक्ति (average productivity) के स्तर तक गिर जाती है। इसके विपरीत, जब सीमान्त उत्पादन शक्ति औसत उत्पादन शक्ति से कम होती है तो सीमान्त उत्पादन शक्ति के औसत उत्पादन शक्ति तक उठने में कम मजदूरी (श्रमिकों) की जरूरत होगी। इस प्रकार सीमान्त उत्पादन शक्ति तथा औसत उत्पादन शक्ति की समान होना की प्रवृत्ति रहती है। चूँकि मजदूरी सीमान्त उत्पादन शक्ति के समान होती है, इसलिए वह (मजदूरी) औसत उत्पादन के समान भी होती है। इस समस्या का निरूपण निम्नलिखित रेखाचित्र द्वारा किया गया है—



चित्र ५८

R रेखा के द्वारा मजदूरी स्तर दिखाया गया है। AP औसत उत्पादन शक्ति वक्र है तथा MP सामान्य उत्पादन शक्ति का वक्र है। ये दोनों वक्र P बिन्दु पर परस्पर काटने हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों स्थितियों में—

अर्थात् सीमान्त उत्पादन शक्ति तथा औसत उत्पादन शक्ति—मजदूरी समान होगी

है। जब AP ऊँचा उठता है, $MP > AP$ और जब AP गिरता है, $MP < AP$ । लेकिन जब वे (दोनों वक्र) साम्यावस्था (state of equilibrium) में होते हैं अर्थात् जब AP न ऊपर उठता है न नीचे गिरता है $MP = AP$ । इसलिए मजदूरी $= MP = AP$ ।

७ टॉजिंग का मजदूरी सिद्धान्त¹ (Tauszig's Theory of Wages)—
अमरीका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री टॉजिंग (Tauszig), मजदूरी के सीमान्त उत्पादकता शक्ति के मुद्दे हुए रूप को लेते हैं। उनके अनुसार यह सिद्धान्त बताता है कि मजदूरी, थम की कटौती के सीमान्त उत्पादन का प्रतिनिधित्व करती है।

वे सोचते हैं कि मजदूर सीमान्त उत्पादन का कुल योग नहीं पा सकता। यह इसलिए कि उत्पादन में समय लगता है और थम का अंतिम उत्पादन, शीघ्रता से प्राप्त नहीं हो सकता। परन्तु मजदूरी को उस समय तक सहामता देनी होती है। यह पूंजीपति व्यवसायी के द्वारा होता है। व्यवसायी आशा की हुई मजदूरी का सीमान्त उत्पादन के मूल्य के बराबर भुगतान नहीं करता। वह आखिरी उत्पादन (output) से अग्रिम रकम देने के कारण खतरे को अपने ऊपर लेने के लिए कुछ प्रतिशत कम कर लेता है। टॉजिंग (Tauszig) के अनुसार यह कटौती प्रचलित ब्याज की दर के अनुसार होती है। सीमान्त व्यवसायी मर्यादा या सीमान्त भूमि के ऊपर लगे हुए समस्त थम के सकल उत्पादन में से उपर्युक्त कटौती काटने के बाद जो रकम बचती है, वह मजदूरी कहलाती है। उस वस्तु की वर्तमान कीमत भविष्य की अनुमानित कटौती तथा बदले पर निर्भर रहती है।

टॉजिंग इस सिद्धान्त की दो कमजोरियाँ स्वयं बतलाते हैं। पहली यह कि यह धुंधली तथा भावपरक (abstract) है जो कि वास्तविक जीवन की समस्या से दूर है। इसके लिए वह उत्तर देते हैं कि यह कमजोरी लगभग सभी माने हुए सिद्धान्तों में पाई जाती है। दूसरी, और अधिक गम्भीर आपत्ति यह है कि मिश्रित उत्पादन की चालू ब्याज की दर पर कटौती होती है, लेकिन उसके विरुद्ध के अनुसार ब्याज की दर मजदूरों को अग्रिम रूपों के देने के ढग का फल होती है, क्योंकि मजदूरों को जो कुछ दिया जाता है, उन्हीं के आधार पर वह अधिक उत्पादित करते हैं और उन्हीं आधिक्य पर यह निर्भर है। यह तो वक्र के रूप में तर्क करते रहने के समान है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए टॉजिंग (Tauszig) प्रस्ताव करते हैं कि हम सीमान्त उत्पादन शक्ति का समय अविभाज्य के अनुसार (on the rate of time preference) स्वतन्त्रतापूर्वक ब्याज की दर निर्धारित कर लेनी चाहिए, और हम उस ब्याज जो इस प्रकार निर्धारित किया जाता है, थम की सीमान्त उत्पादन की कटौती मालूम कर सकते हैं परन्तु यह उपर्युक्त कठिनाई का वास्तविक हल नहीं है। यह तो समस्या को टालना मात्र है।

अन्त में टॉजिंग का यह सिद्धान्त मजदूरी के अवशिष्ट अधिकारी सिद्धान्त (Residual Claimant Theory of Wages) का दूसरा रूप है। वे कहते हैं कि कुल उत्पादन में से लाभ, ब्याज, लगान घटाने से जो बचता है वही मजदूरी है।

1 For detailed study consult Tauszig's Readings in the Theory of Income Distribution pp 278-293

इस प्रकार इस सिद्धान्त पर मजदूरी के अवशिष्ट अधिकारी सिद्धान्त की सब आपत्तियाँ लागू हो सकती हैं ।

८ मजदूरी में उतार चढाव (Wages Fluctuations) —मोटे तौर पर, मजदूरी निम्नलिखित स्थितियों में बढ़ती है —

(1) काम में लगी आबादी (working population) में मृत्यु अथवा उत्प्रवास (emigration) के कारण कमी । (ii) मजदूरी की कार्य-पटुता में वृद्धि । (iii) देश में आर्थिक विकास की वृद्धि । विशेष तथा तीव्र आर्थिक विकास से मजदूरी की माँग बढ़ जाती है और इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय लाभांश (national dividend) में वृद्धि होती है जो कि उत्पादन के साधनों के लिए पारिश्रमिक के स्रोत का काम करता है । (iv) प्राकृतिक स्रोतों के वैज्ञानिक उपयोग (scientific exploitation) का भी यही प्रभाव होता है । (v) मजदूर मजदूर सघों का निर्माण । (vi) मालिकों की कार्यपटुता में तरक्की अथवा मालिकों की संख्या में वृद्धि जिससे श्रम में तीव्र स्पर्धा होती है । (vii) युद्ध ।

इसके विपरीत निम्नलिखित स्थितियों में मजदूरी गिर सकती है —

(1) आबादी में वृद्धि । (ii) आर्थिक मन्दी । (iii) दूषित स्वास्थ्य, अकाल, धराब आवास तथा विचषिच (congestion) आदि के कारण श्रम की कार्यपटुता में कमी और (iv) युद्ध के कारण राष्ट्रीय आस्तियों (national assets) का बरबाद होना ।

९ मजदूरी व रहन सहन का स्तर (Wages and the Standard of Living)¹ —उन्नीसवीं शताब्दी के समाप्त होने पर कुछ लेखकों ने जीवन-निर्वाह सिद्धान्त (Subsistence theory of wages) को अधिक सुधार कर लिया । वे इस बात पर सन्तोष कर चुके थे कि मजदूरी केवल जीवन-निर्वाह की सीमा तक नहीं होती परन्तु रहन-सहन के उस दर्जे पर निर्धारित रहती है जिस में रहन की उन्हे आदत हो गई है । इस दृष्टि लिए गए सिद्धान्त में कुछ सच्चाई अवश्य है क्योंकि रहन सहन का दर्जा अधिकतर मजदूरी के ऊपर विभिन्न तरीकों से प्रभाव डालता है । प्रथमतः मजदूर जहाँ तक सम्भव होगा, उस मजदूरी को स्वीकार न करेंगे, जो उनके रहन-सहन के स्तर से कम होगी तथा श्रम की पूर्ति न होना से व्यवसायों को उनकी माँग माननी पडगी । दूसरे, अच्छे रहन सहन में रहन से और उनकी कार्यपटुता बढ़ने से उनकी सीमान्त उत्पादन शक्ति बढ़ जाएगी और इस प्रकार मजदूरी भी बढ़ जाएगी । तीसरे, रहन सहन का स्तर आबादी की वृद्धि की सीमा को नियत कर मजदूरी के ऊपर प्रभाव डालता है । यदि मजदूरी से उस मजदूर के रहन सहन का स्तर ठीक नहीं रहता तो वह बच्चों की वृद्धि को रोक कर तथा शादी न करके उसे ठीक करेगा । यह श्रम की पूर्ति को कम करेगा और सीमान्त उत्पादन शक्ति तथा मजदूरी को बढ़ाएगा ।

यह ध्यान में रखना चाहिए कि रहन सहन का दर्जा मजदूरी पर अधिक

¹ Dobb's treatment is excellent See Chap IV Secs 4 and 5 P

आश्रित है किन्तु मजदूरी रहन-सहन के दर्जे पर उस सीमा तक निर्भर नहीं है। केवल रहन-सहन के स्तर पर हठ करने से ही मजदूरी नहीं बढ़ जाएगी। मजदूरी सीमान्त उत्पादन शक्ति के बढ़ने पर ही बढ़ सकेगी। इस प्रकार मजदूरी का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से रहन सहन के स्तर पर पड़ता है जबकि रहन-सहन के स्तर का मजदूरी पर परोक्ष (indirect) प्रभाव होता है अर्थात् थम की कार्यपटुता के जरिए।

१०. मजदूरी और कार्यक्षमता (Wages and Efficiency)—मजदूरी और कार्यक्षमता या कार्यपटुता में गहरा सम्बन्ध है। मजदूर में जितनी अधिक कार्यपटुता होगी, उसकी उतनी ही अधिक उत्पादन-शक्ति होगी। इससे उसकी मजदूरी भी बढ़ जाएगी। ऊँची मजदूरी से उसके रहन-सहन का स्तर भी ऊँचा होगा। रहन-सहन के स्तर के ऊँचे होने से उसका भोजन अच्छा होगा, अच्छे कपड़े, अच्छा घर तथा शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए उचित अवसर मिलेगा। इन सब चीजों के कारण मनुष्य की उत्पादन शक्ति तथा सन्तानों को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, और वह अपनी सन्तानों को इस योग्य बना देगा कि वे और अधिक मजदूरी प्राप्त कर सकें। इसके विरुद्ध कम मजदूरी से रहन-सहन का स्तर नीचा रखने से उत्पादन-शक्ति कम हो जाएगी तथा कमाने की शक्ति भी कम हो जाएगी। इस प्रकार एक दूषित चक्र पैदा हो जाएगा जिसमें छुटकारा पाना मनुष्य के लिए कठिन हो जाएगा।

११. मजदूरी तथा आविष्कार (Wages and Inventions)—आविष्कारों द्वारा किस प्रकार मजदूरी प्रभावित होती है, इसका उत्तर इस बात पर आश्रित होगा कि नये आविष्कारों से थम और पूँजी में क्या क्वायत होती है। अगर आविष्कार का प्रभाव थम की क्वायत पर होता है, तो थम की माँग कम हो जाएगी। तब इसकी सीमान्त उत्पादन-शक्ति गिर जाएगी और मजदूरी भी कम हो जाएगी। दूसरी ओर, यदि आविष्कार पूँजी की माँग को कम कर देता है, तो पूँजी थम से अधिक बढ़ जाएगी और उसकी सीमान्त उत्पादन शक्ति थम से कम हो जाएगी। तब मजदूरी गिरेगी नहीं, परन्तु बढ़ जाएगी। कार्यरूप में कुछ ही आविष्कार या तो अकेले थम में अथवा पूँजी में क्वायत कर देते हैं परन्तु अधिक्तर आविष्कार पूँजी की अपेक्षा थम में क्वायत करते हैं। इस प्रकार अल्प काल में वह मजदूरी को कम कर देते हैं। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि दीर्घकाल में भी मजदूरी कम बनी रहे। दीर्घकाल में मजदूरी बढ़ सकती है। क्योंकि नए आविष्कारों के कारण राष्ट्रीय लाभांश बढ़ेगा, क्योंकि नए आविष्कार कच्चे माल या प्राकृतिक स्रोतों (resources) की मात्रा को कम कर देंगे जो कि एक निश्चित उत्पादन करने में काम में लाए जाते हैं। फलतः, उत्पादन के साधनों को अन्य क्षेत्रों में भी काम में लाया जा सकेगा।

इस बात की समझ लेना चाहिए कि बड़े हुए थम का भाग राष्ट्रीय लाभांश के सापेक्ष होगा अथवा निरपेक्ष (relative or absolute)। यह सम्भव है कि स्वतन्त्र रूप में नए आविष्कारों के कारण मजदूरी निरपेक्ष रूप से बढ़ जाए तथा दीर्घकाल में पूँजी की तुलना में सम्भव है मजदूर का शेयर (share) कम हो जाए।

१२. सापेक्ष मजदूरी (Relative Wages)—प्रब तक हम सामान्य मजदूरी के सम्बन्ध में विचार कर रहे थे। हमने उन साधारण सिद्धान्तों का निरीक्षण

क्रिया है, जिनसे राष्ट्रीय लाभांश का भाग उत्पादन के अन्य साधनों में न जाने के बजाए श्रम की ओर जाता है।

सापेक्ष मजदूरी की समस्या भिन्न है। यहाँ हमें विभिन्न उद्योगों, व्यवसायों तथा व्यवसायों की श्रेणियों अथवा एक ही उद्योग या श्रेणी के लोगों में मजदूरी क्यों भिन्न होती है, इसके कारणों पर प्रकाश डालना है। प्रत्येक व्यवसाय में मजदूरी की समस्या अलग है। परन्तु साधारण मजदूरी को निर्धारित करने का सिद्धान्त सब जगह एक है। मजदूरी सभी जगह श्रम की सीमान्त उत्पादन शक्ति के लगभग समान होती है। परन्तु श्रम की उत्पादन शक्ति में विभिन्न व्यवसायों और श्रेणियों में हर एक प्रकार के श्रम के साधनों की माँग के कारण कमी होने से विभिन्नता होगी। या हमें यह भी बताना है कि मजदूरी, प्रत्येक प्रकार के मजदूर द्वारा उत्पादित माल की माँग पर निर्भर करती है।

यदि श्रम स्वतन्त्रतापूर्वक सभी उद्योगों में आ-जा सकता होता तो वास्तविक मजदूरी हर काम में लगाए हुए उस श्रम की सापेक्ष कार्यपटुता (relative efficiency) के अनुपात पर आधारित होती। मजदूरी की वास्तविक मजदूरी (न कि नाममात्र की मजदूरी) कार्यपटुता की उसी सीमा पर समान होती। यदि एक उद्योग के मजदूर अपनी कार्यपटुता के अनुपात से अधिक वास्तविक मजदूरी पा रहे हैं, तो श्रम उसी व्यवसाय में तब तक जाएगा, जब तक बड़े हुए श्रम की पूर्ति वहाँ की सीमान्त उत्पादन शक्ति और मजदूरी को कम न कर देगी। यदि एक उद्योग में श्रम की सापेक्ष योग्यता के आधार पर निर्धारित की हुई मजदूरी से कम मजदूरी मिलती है, तो इसके विपरीत दृष्टा होगी। वास्तविक जगत् में एक उद्योग से दूसरे उद्योग में विशेषतया विभिन्न वर्गों (different grades) में स्वतन्त्रतापूर्वक श्रम आ-जा नहीं सकता। इस प्रकार बहुत सी श्रेणियाँ “स्पर्द्धा न करने वाले दल” बन जाते हैं।

सापेक्ष मजदूरियों में अन्तर क्यों? (Why Relative Wages Differ?)—उन कारणों को जो विभिन्न उद्योगों, राजगारों (employments), पेशों (professions) तथा स्थानों में मजदूरी में अन्तर लाते हैं, संक्षेप में, इस प्रकार कह सकते हैं—

(i) कार्यपटुता में अन्तर (Differences in Efficiency)—यह प्रत्यक्ष अलग जगह के आन्तरिक गुणों के कारण है, जो प्रशिक्षण (training) की या अन्य परिस्थितियों के अनुसार हो सकती है जिसमें कि काम किया जाता है। जब मजदूरों की कार्यकुशलताओं में भिन्नता है तो उनकी मजदूरी भी भिन्न होनी चाहिए।

(ii) स्पर्द्धाहीन दलों का होना (Existence of Non competing Groups)—जैसा कि ऊपर समझाया जा चुका है, यह तब होता है, जब एक कम भुगतान करने वाले से अधिक भुगतान करने वाले व्यवसाय में श्रम के इधर-उधर होने में कठिनाइयाँ होती हैं। यह कठिनाइयाँ भौगोलिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों से होती हैं, उदाहरण के लिए, परिवहन (transport) के साधनों की कमी, जाति बन्धन, गृहस्थ बन्धन अथवा टेक्नीकल शिक्षा का अभाव।

(iii) व्यापार सीखने की कठिनाइयाँ (The Difficulties of Learning

a Trade)—कठिन व्यापारों में निपुण व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है। उनकी पूर्ति माँग से कम है और इसलिए उनकी मजदूरी अधिक है।

(iv) रोजगार के उपयुक्त होने अथवा उसके सामाजिक मान आदि में भेद (Differences in Agreeableness or Social Esteem of Employment)—जो उद्योग अस्विकर हैं, वे मजदूरों को आकर्षित करने के लिए अधिक मजदूरी देते और अगर अस्विकर कार्य अयोग्य श्रमिकों द्वारा किया जाएगा (चाहे इसका कारण जातपात हो अथवा दूसरे गुण) तो मजदूरी कम होगी, जैसे भारत के मेहतर।

(v) भविष्य की सम्भावना (Future Prospects)—यदि किसी उद्योग में भविष्य में उन्नति की आशा है, तो लोग इसमें कम मजदूरी पर भी कार्य करता स्वीकार कर लेंगे, परन्तु एक अन्य उद्योग जिसमें मजदूरी अधिक मिल रही है, परन्तु भविष्य में उन्नति की कोई सम्भावना नहीं, तो उसे नहीं करेंगे। किसी भी पेशे में वहाँ मिलने वाली सुविधाओं के कारण मजदूरी में अन्तर होता है।

(vi) जिन धन्धों में ज्यादा जोखिम तथा डर रहता है वहाँ उपलब्धि (emoluments) अधिक होती है।

(vii) रोजगार में नियमितता और अनियमितता का भी मजदूरी के स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नियमित रोजगार में लोग कम मजदूरी भी स्वीकार कर लेते हैं।

यह बात फिर से ध्यान में रखनी चाहिए कि यह सब साधन उद्योगों और वर्गों में श्रम की माँग व पूर्ति के समायोजन (adjustment) पर प्रभाव डाल कर मजदूरी में अन्तर उपस्थित करते हैं। मजदूरी प्रत्येक दशा में श्रम की माँग की दृष्टि से पूर्ति की कमी के द्वारा निर्धारित की जाती है अथवा श्रम के हर प्रकार के कार्यों की सीमान्त उत्पादन शक्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है।

१३ स्त्रियों की कम मजदूरी (Low Wages of Women)—अधिकतर उसी श्रम के लिए स्त्रियों को पुरुषों से कम मजदूरी दी जाती है। इसके कई कारण हैं। एक तो यह आदत अथवा रीति के कारण है। बहुत काल तक स्त्रियों का सम्प्रदेशों में भी सविकाएँ समझा जाता रहा। आज भी वे खन्ड धन्धों में ही घिरी रहती हैं जिसके कारण उनकी मजदूरी कम है।

दूसरे, चूँकि वह अपने काम को जीविका का अंग नहीं बनाती इसलिए वह अपने को ठीक प्रकार से निश्चित व कुशल बनाने का प्रयत्न नहीं कर सकती। उनका मुख्य उद्देश्य विवाह करना होता है और इसके पश्चात् वे अधिकतर स्वतन्त्र रूप में कामना छोड़ देती हैं।

तीसरे, इन्हीं कारणों से स्त्रियाँ अपने को मजदूर सभा में मगठिन नहीं कर सकती, जो कि उनके लिए ऊँची मजदूरी दिलाने में नहायक हो सकते हैं। उनका काम पर लगाना बहुत कम समय के लिए होता है। वे पढ़ाई छोड़ कर केवल विवाह होने तक नौकरी करना चाहती हैं। इसलिए वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं करती।

चौथे, स्त्रियाँ कम मजदूरी लेकर काम करने के लिए इस कारण तैयार हो

जाती हैं क्योंकि उन पर बहुत कम उत्तरदायित्व होता है। अधिकतर वे अपनी आय पर ही आश्रित नहीं रहती। पति, भाई, पिता आदि को उनकी माली (financial) सहायता करनी पड़ती है।

और अन्त में, पुरुष स्त्रियों से अधिक उत्तरदायी, विश्वासी एवं योग्य कार्यकर्ता विभिन्न कारणों से माने जाते हैं। पुरुष अधिक शक्तिशाली होता है तथा बड़े से बड़े कठिन कार्य को कर सकता है। अधिकतर स्त्री शारीरिक कारणों से आंशिक अथवा पूर्ण रूप से अपने जीवन के कुछ काल में काम करते न असमर्थ रहती है।

निर्देश पुस्तकें

Marshall, A Principles of Economics

Benham, F Economics

Tarshis, L Elements of Economics, 1946, Ch 38.

Readings in the Theory of Income Distribution, pp 221 236

Hicks, J R Theory of Wages 1932

Bobb, M Wages (revised Edition 1946)

Stigler, G J Theory of Price 1947

Robinson S The Economics of Imperfect Competition 1945,

Chs 20, 21 and 22

Meyers A L Elements of Modern Economics, 1951 Ch 16

श्रम की कुछ समस्याएँ

(Some Problems of Labour)

१. ट्रेड यूनियन या कार्मिक संघ (Trade Unions)—इस अध्याय में हम श्रम सम्बन्धी कुछ समस्याओं का अध्ययन करेंगे। कुछ समस्याएँ ये हैं, जैसे श्रमिक संघ (Trade Unions), श्रम सम्बन्धी झगड़े, वेतन की नई योजनाएँ, बेरोजगारी की समस्याएँ आदि। पिछले अध्याय में हमने राष्ट्रीय लाभांश (national dividend) में श्रमिकों के भाग (share) निर्धारण करने वाले सामान्य सिद्धान्तों का विवेचन किया था। परन्तु ये सब सिद्धान्त सर्वत्र स्वतन्त्रतापूर्वक प्रभावी नहीं होते। नियोजक या मालिक को श्रम की अपेक्षा कुछ अधिक सुविधाएँ रहती हैं। इसलिए श्रमिकों को ट्रेड यूनियनों के रूप में अपने को संगठित करना पड़ता है। वेब्स (Webbs) के शब्दों में, “कार्मिक संघ मजदूरी पाने वालों का एक ऐसा निरन्तरगामी संगठन है जो उनके कार्यों की अवस्थाओं को ठीक रखने तथा सुधारने के लिए बनाया जाता है।”

श्रम शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं में से है। उसमें कोई रक्षित-शक्ति (reserve power) नहीं रहती। यदि एक दिन काम न मिला तो उस दिन की श्रम-शक्ति सर्वत्र के लिए नष्ट हो जाती है। इसलिए मजदूर के सामने दो ही विकल्प रह जाते हैं। या तो वह काम करे या भूखे मरे। इसलिए विभिन्न देशों के श्रमिक वर्गों ने औद्योगिक विकास के प्रारम्भिक काल में इस बात का अनुभव किया कि जब तक वे कार्मिक संघ या ट्रेड यूनियन बनाकर काम की शर्तें तय करने में (सौदा करने में) सुधार नहीं करते तब तक मालिकों के द्वारा, उनके शोषण का गम्भीर भय बना रहेगा।

ट्रेड यूनियनों के कृत्य (Functions of Trade Unions)—आधुनिक औद्योगिक देशों में कार्मिक संघ दो प्रकार का कार्य करते हैं—एक तो संघर्ष का (militant), दूसरे भ्रातृत्व का (fraternal)। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए श्रमिक संघ संघर्ष के साधन हैं। उनका लक्ष्य उचित मजदूरी, कार्य की दशाएँ और शर्तों में सुधार तथा कुछ समय से उद्योग के नियन्त्रण में भाग प्राप्त करना है। इन अधिकारों की रक्षा के लिए श्रमिक वर्ग को कठोर संघर्ष करना पड़ता है। उनके मुख्य हथियार हैं—हड़ताल और वायकाट। यह श्रमिक संघों के लड़ने के साधन हैं। किन्तु श्रमिक संघ कुछ भ्रातृत्वपूर्ण और कल्याणकारी कृत्य भी करते हैं। इस दिशा में वे एक दूसरे की सहायता करते हैं। सदस्यों के चन्दे से एक कोष (fund) बना कर वे मजदूरों को बीमारी व दुर्घटना के समय आर्थिक सहायता देते हैं और औद्योगिक झगड़ों के समय बेकारी, हड़ताल और तालाबन्दी की दशा में सहायता करते हैं। ये भ्रातृत्व सम्बन्धी कृत्य कहलाते हैं।

२ **कार्मिक सघ और मजदूरी (Trade Unions and Wages)**—श्रमिक सघों का मुख्य उद्देश्य मजदूरी की वृद्धि करना है। इसके विपरीत पुराने अर्थशास्त्रियों का विचार है कि मजदूरी बढ़ने से लाभ में कमी हो जाएगी और इसका उत्पादन पर दुरा असर पड़ेगा।

तथापि, कार्मिक सघ दो प्रकार से मजदूरी बढ़वा सकते हैं।

(1) श्रमिक सघ इस बात को सुनिश्चित करा सकते हैं कि मजदूरी को उनकी सीमान्त उत्पादन शक्ति का पूरा मूल्य मिले। पूर्ण प्रतियोगिता की परिस्थिति में तो मजदूरी सीमान्त उत्पादन शक्ति के समान होती है। परन्तु वास्तव में ससार में प्रतियोगिता पूर्ण नहीं होती। इसलिए श्रमिकों की सौदा करने की शक्ति निर्मूल होने के कारण मजदूरी उत्पादन शक्ति के अनुकूल नहीं होती। इस शक्ति में वृद्धि करके श्रमिक सघ उत्पादन शक्ति के स्तर तक मजदूरी बढ़वा सकते हैं।

(ii) श्रमिक सघ मजदूरी को उत्पादन शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। (क) वे मालिक को अधिक आधुनिक यन्त्र एवं मगठन का उपयोग करने के लिए बाध्य करते हैं। (ख) वे मजदूरी की कार्यपटुता बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। यह मजदूरी के स्वभाव में सम्भारता, क्लिफायत एवं ईमानदारी की आदतों को बढ़ाकर तथा नई पीढ़ी को अधिक अच्छी सामान्य शिक्षा अथवा कार्य-प्रशिक्षण देकर किया जा सकता है। (ग) कार्मिक सघ मजदूरी के किसी विशेष वर्ग की पूर्ति (supply) कम करके उसके उत्पादन शक्ति के मूल्य को बढ़ा सकते हैं।

कुछ विशेष हानिताएँ ही ऐसी हैं जिनमें सप्लाई (पूर्ति) कम करने से मजदूरी के वर्ग-विशेष को मजदूरी बढ़ाई जा सकती है—(१) उस प्रकार की श्रमिक वर्ग की माँग लोचहीन हो, जिसका अर्थ यह है कि जिस वस्तु के उत्पादन में वह वर्ग सहायक होता है, उसकी माँग लोचहीन हो। (२) उस वर्ग की मजदूरी कुल उत्पादन लागत का तथा उस माल के कुल मूल्य का छोटा भाग हो, तथा (३) उत्पादन की अन्य अवस्थाएँ भी अधिक मजदूरी देने को विवश करने के लिए अनुकूल हो। दूसरे शब्दों में उनका अन्य उपयोग न हो सके। परन्तु इस बात की आशंका रहती है कि मालिक श्रमिकों के बढ़ते में काम करने वाले यन्त्रों का उपयोग करने लगे, और इससे श्रमिकों की माँग कम हो जाए और उसके फलस्वरूप मजदूरी भी कम हो जाए।

श्रमिक सघ मजदूरी तब बढ़वा सकते हैं जब मजदूर उनके सदस्य हो और कोई अन्य मजदूर उनके स्थान पर काम करने के लिए बाहर से न बुलाया जा सके।

३ **कार्मिक सघों के गुण और दोष (Merits and Demerits of Trade Unions)**—श्रमिक सघों के मुख्य लाभ ये हैं—

(1) एक सुदृढ़ कार्मिक सघ (trade union) औद्योगिक शान्ति तथा स्थिरता में सहायक होता है क्योंकि सामूहिक रूप में समझौता उनके अधिकार मजदूरों द्वारा मान्य होने के कारण वह उनकी मान्यता और सहमति प्राप्त करता है।

(ii) मजदूरी के प्रामाणिक एवं उचित स्तर पर बल देने से ये प्रयोग्य प्रयत्न (असमर्थ) मालिकों को उद्योग के विह्वल करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार उद्योग दृढ़ आधार पर उन्नति की ओर अग्रसर होता है।

(iii) पारस्परिक सहायता से उन्होंने मजदूरों की कार्यपटुता को काफी बढ़ाया है। मजदूरी की वृद्धि से मजदूर वर्ग की गरीबी और गंदगी को कम करने में भी सहायता मिलती है।

(iv) श्रम लागत बढ़ने से श्रम बचाने वाले यन्त्रों के उपयोग की प्रेरणा मिली है। इससे टैकनिकल प्रगति हुई है।

दूसरों और श्रमिक संधों की तीव्र आलोचना, विशेषकर उनकी समाज-विरोधी कार्यवाहियों के कारण, की गई है। उनके विरुद्ध दोषारोपणों में कुछ निम्न-लिखित हैं—

(1) प्रामाणिक वेतन-स्तर पर अनुचित जोर देकर उन्होंने अधिक कार्यपटुता या ऊँचे श्रमिकों का वेतन-स्तर कम कर दिया है।

(ii) उन्होंने अभिनवीकरण (rationalisation), उत्पादन तथा उत्पादन के अधिक उन्नत साधनों के उपयोग का केवल इसलिए विरोध किया है कि उससे कुछ मजदूरों का काम छिन जाएगा। इस रूढ़ि के कारण टैकनिकल प्रगति तथा फलस्वरूप राष्ट्रीय लाभांश की वृद्धि में बाधा पड़ी है।

(iii) वे बहुधा 'धीरे काम करो' की नीति बरतने का पाठ पढ़ाते हैं, जिससे राष्ट्रीय लाभांश कम होता है। काम करने के अवसर कम होते हैं और इसलिए मजदूरों को ही हानि होती है। इससे 'मजदूरों की निधि' (work fund) का जो विचार मजदूरों में होता है उसकी वास्तविकता का भी पता चलता है।

(iv) अपनी शक्ति के मद में कभी कभी उन्होंने अपर्याप्त आधारों पर हड़ताल कराके उत्पादकों, समाज तथा स्वयं को हानि पहुँचाई है।

(v) इस बात का हठ करके कि केवल कामिक संध के सदस्य मजदूरों को ही काम पर लगाया जाए, उन्होंने श्रमिकों के कृत्रिम अभाव को उत्पन्न किया है।

४ औद्योगिक झगड़े (Industrial Disputes)—श्रमिकों और मालिकों के झगड़े पूँजीवादी देशों के औद्योगिक जीवन के एक प्रकार से साधारण अंग बन गए हैं। ऐसे झगड़ों का परिणाम या तो हड़ताल होता है अर्थात् मजदूरों का काम पर न जाना अथवा तालाबन्दी जिसमें मालिक मजदूरों को काम पर नहीं जाने देते। तालाबन्दी की अपेक्षा हड़ताल अधिक होती है क्योंकि अधिकांशतः मजदूर वर्ग, जो सतप्त पक्ष है, पहले कार्यवाही करता है।

श्रमिकों को हड़ताल का अधिकार होना चाहिए अथवा नहीं, यह एक विवाद-ग्रस्त प्रश्न है, विशेषकर सार्वजनिक अथवा अंशतः सार्वजनिक उद्योगों के सम्बन्ध में। रेलवे, ट्राम्वे, जल तथा विद्युत् सप्लाई करने वाले वर्कशापों के बन्द होने से समाज का जीवनक्रम अस्तव्यस्त हो जाता है। जहाँ तक व्यक्तिगत स्वामित्व में चलने वाले उद्योग हैं और खासकर जो बुनियादी उद्योग नहीं हैं, उनमें हड़ताल का अधिकार साधारणतया स्वीकार किया जाता है। सार्वजनिक उद्योगों में भी यदि मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगे तो न्याय की माँग है कि मजदूरों की शिकायतों पर ध्यान दिया जाए।

परन्तु कारण कुछ भी हो, औद्योगिक झगड़ों के फलस्वरूप हड़ताल से समाज

के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सभी सम्बन्धित पक्षों का कर्तव्य है कि वे ऐसी अवस्थाएँ उत्पन्न करें जिससे हड़तालों की सम्भावना कम से कम हो जाए। और जब ऐसे औद्योगिक भगड़े उत्पन्न हो ता उनको निपटाने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले भगड़ों के कारणों की जाँच की जरूरत होती है।

मोटे तौर पर औद्योगिक भगड़ों और श्रमिकों के असन्तोष के तीन कारण होते हैं—

(i) श्रमिकों की उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की आकांक्षा। इससे पर्याप्त मजदूरी देने की समस्या हल करने की आवश्यकता होती है। इस माँग को पूरा करने के लिए वेतन प्रणाली में कई प्रकार के परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है और कई देशों में उनका प्रयोग करके देखा गया है। उदाहरण के लिए स्लाइडिंग स्केल सिस्टम (sliding-scale system), बोनस (bonus) व लाभ में शेयर देने की योजना (profit sharing schemes), निम्नतम वेतन निर्धारण आदि। इन उपायों का वर्णन पहले विभागों में किया जाएगा।

(ii) श्रमिकों की अधिक आर्थिक सुरक्षा की आकांक्षा। इससे बेकारी की समस्या का सम्बन्ध है। अद्ययुग के अन्तिम भाग में इस पर विचार किया जाएगा।

(iii) उद्योग के प्रबन्ध और नियन्त्रण में कुछ भाग लेने की मजदूरों की माँग। इसके लिए भी कई तरीके बताए गए हैं जिनका उल्लेख आगे के विभागों में किया जाएगा।

(iv) काम करने के घण्टों के प्रश्न पर भी भगड़े उठते हैं। परन्तु अब उन्हें बानून बनाकर निश्चित कर दिया गया है।

(v) कमी-कमी मजदूरों के नेता, या सर्वप्रिय मजदूर का निकाला जाना अथवा श्रमिक सघ को अधिमान्यता न देने पर भी हड़तालें होती हैं।

अब हम श्रम सम्बन्धी भगड़ा की रोक धाम के उपायों पर विचार करेंगे।

५ लाभान्वित वितरण प्रणाली (Premium Bonus System)—लाभांश वितरण प्रणाली श्रम-काल (time rate system) तथा ठेके के आधार पर मजदूरी (piece rate system) देने के दोनों को दूर करने के लिए निकाली गई है। जब मजदूरी काम के समय के आधार पर दी जाती है, तो इस बात की आशंका रहती है कि मजदूर अपनी शक्ति भर काम नहीं करेगा। दूसरी ओर यदि ठेके के आधार पर मजदूरी दी जाती है, तो मजदूर काम में जल्दबाजी करके निम्न श्रेणी की वस्तु बना सकता है। चैपमैन (Chapman) के कथनानुसार, "लाभान्वित वितरण प्रणाली (Premium bonus system) में, जो कई प्रकार की है, इस बात की कल्पना की गई है कि उत्पादन के एक प्रामाणिक स्तर को स्वीकार किया जाए और उससे अतिरिक्त अधिक उत्पादन के लिए मजदूरी की घटी हुई अथवा अतिरिक्त उत्पादन की वृद्धि के साथ क्रमिक ढंग में घटी हुई दर मजदूरों को दी जाए। इससे मजदूर को सीमा से अधिक काम करने पर रोक रहती है क्योंकि जैसे ही समय बीतता जाएगा, अतिरिक्त अर्जन की न्यूनता होनी जाएगी। इस प्रकार जल्दबाजी और अत्यधिक जी तोड़ काम करने का

अवसर कम रह जाता है। इस प्रकार ठेके की दर (piece rate) के दोष उसके लाभो से बिना वंचित हुए दूर हो जाते हैं।

लाभांश वितरण प्रणाली के कई रूप हैं। कभी तो बोनस मजदूर द्वारा उत्पादन के 'योग्यता स्तर' (efficiency rate) प्राप्त करने पर काम के घण्टों की दर के अतिरिक्त दिया जाता है। कुछ स्थानो में योग्यता स्तर निम्नतम होता है और उससे अधिक उत्पादन के लिए बोनस दिया जाता है। पहले प्रकार में बोनस इसलिए दिया जाता है कि समय की बचत की जाती है और दूसरे में अतिरिक्त उत्पादन के लिए। पहले का उदाहरण अमरीका में प्रचलित हैलसे प्रणाली (Halsey System) है। उसमें जितना समय बचाया जाता है, उसके लिए साधारणतया प्रति घण्टे की निर्धारित मजदूरी से आधी मजदूरी प्रति घण्टे के अनुसार बोनस दिया जाता है। मान लीजिए कि एक कार्य को करने के लिए १० घण्टे नियत हैं और दर १० पेन्स प्रति घण्टा है। कोई मजदूर उस कार्य को आठ घण्टे में करता है तो उसे (१० × ८) पेन्स + (२ × ५) पेन्स का बोनस अर्थात् कुल योग ६० पेन्स मिलेगा।^१

६ विसृप वेतन श्रेणी या स्लाइडिंग प्रणाली (Sliding Scale)—इस योजना में मजदूरी उत्पादित वस्तु की कीमत के परिवर्तन या निर्वाह व्यय (cost of living) या उद्योग द्वारा अर्जित लाभ के आधार पर घटती-बढ़ती है। जब मजदूरी की दरों का सम्बन्ध कीमतों से होता है, तो कुछ आधारभूत कीमते निश्चित कर ली जाती हैं। यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो एक अनुपात से मजदूरी भी बढ़ाई जाती है, यदि कीमत गिरती है तो मजदूरी की दर भी गिरती है। परन्तु उसे एक निश्चित स्तर से नीचे नहीं गिरने दिया जाता। वैसे ही व्यवस्था निर्वाह-व्यय तथा लाभ में परिवर्तन होने पर की जाती है।

कभी कभी विसृप वेतन श्रेणी या स्लाइडिंग प्रणाली की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि उस से मजदूरों के वेतन में ऐसे कारणों से कमी हो सकती है जिनसे लाभ किसी प्रकार कम नहीं होता। उदाहरण के लिए उत्पादन के उन्नत साधनों के प्रयोग से, भाड़ा कम होने से, व्यापारिक खतरे कम होने आदि कई कारणों से कीमतें कम हो सकती हैं। ऐसी दशाओं में मजदूरी कम करना न्यायसंगत न होगा। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि व्यापार की अवस्थाओं में अन्तर उपस्थित होते रहने पर बुनियादी दरों में भी बहुधा संशोधन करना चाहिए।

निर्वाह व्यय के आधार पर विसृप वेतन श्रेणी या स्लाइडिंग स्केल प्रणाली को लागू करने पर भी कई आक्षेप किए गए हैं, जिनमें सूचक अंक (index numbers) की अपूर्णता भी है और यह भी कि प्रणाली में मजदूरी स्थायी हो जाती है और उससे केवल कम वेतन वाले मजदूरों को ही सुविधा मिलती है।

इन एतराजों का उत्तर यह दिया जाता है कि प्रणाली का उद्देश्य मुदा में भुगतान की जाने वाली मजदूरी की क्रय शक्ति को स्थिर रखना है। मजदूरी की दरें बढ़ाने के लिए तो मजदूरों को अलग से अपने मगठनों और आर्थिक सधों के द्वारा जोर डालना चाहिए। स्लाइडिंग स्केल प्रणाली से मजदूरी परिवर्तन कीमतों के अनुकूल होता

है और यह प्रणाली मजदूरों को, आवश्यक होने पर, मजदूरी की दर बढ़ाने के लिए जोर डालने को स्वतन्त्र छोड़े रहती है। इनके अतिरिक्त इन एतराजों को सूचक अकों के सुधार तथा निर्वाह-व्यय में परिवर्तन होने पर पूर्ण रूप से उचित मुद्दावजा देकर दूर किया जा सकता है।

७ लाभ में शयर (Profit Sharing) — इसमें मजदूरों को साधारण मजदूरी के अतिरिक्त उद्योग में होने वाले शुद्ध लाभ (net profit) का कुछ प्रतिशत भाग दिया जाता है। इसके लिए कई तरीके इस्तेमाल होते हैं, जिनमें सबसे अधिक प्रचलित नकद बोनस (cash bonus scheme) देने का है। इसमें समय-समय पर मजदूरों में कारखाने के लाभ के एक निश्चित अंश को वितरित किया जाता है।

८ श्रम-सहभागिता (Labour Co-partnership) — यह प्रणाली लाभ में शेर प्रणाली से मिलती जुलती है। केवल अन्तर यह है कि लाभ का भाग प्राप्त करने की प्रणाली में श्रमिकों का उद्योग के नियन्त्रण में कोई हाथ नहीं रहता, परन्तु श्रम सह-भागिता में एक सीमित अंश तक नियन्त्रण में भी हिस्सा होता है। यह या तो शेर (share) खरीदने के लिए प्रोत्साहित करके किया जाता है, जिसमें श्रमिकों को भागीदारों के साधारण अधिकार तथा उत्तरदायित्व प्राप्त होते हैं, अथवा संचालक मण्डल (Board of Directors) में श्रमिकों के एक या अधिक प्रतिनिधियों को नियुक्त करके किया जाता है। यह भेद इतर कई वर्षों से काम होता जा रहा है, क्योंकि श्रमिकों तथा मालिकों, दोनों के प्रतिनिधियों की सम्मिलित समितियाँ लाभ का शेर लेने (profit sharing) एवं सड़ भागीदारी, दोनों बातों के देखने के लिए अधिकधिक बनाई जा रही हैं। ये समितियाँ कारखाने के प्रबन्ध को देखने के लिए भी व्यापक अधिकारों का प्रयोग करती हैं।

लाभ का शेर लेने की प्रणाली की उपर्युक्त आलोचनाएँ भागीदारी (co-partnership) प्रणाली पर भी लागू होती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें यह भी दोष है कि यदि कारखाना बन्द हुआ तो श्रमिकों की रोज़ी भी जाती है और साथ-साथ उनकी पूँजी भी और इस आक्षेप में भी कुछ बल है कि मजदूरों के प्रतिनिधि संचालक सदस्य सदा ही शर सट्या में होते हैं।

लाभ का शेर लेने की प्रणाली ने इंग्लैण्ड में भी, जहाँ उसके प्रयोगों को पर्याप्त अवसर दिया गया, औद्योगिक झगड़ों को समस्या का सर्वथा समाधान नहीं किया। फिर भी योजना अभी प्रयोग की दशा में ही है और केवल सीमित क्षेत्र में ही लागू की गई है।

९ श्रम-परिषदें या कर्मशाला समितियाँ (Works Councils) — उद्योग के नियन्त्रण में श्रमिकों के सहयोग पाने का एक तरीका, जिसका प्रयोग इंग्लैण्ड में किया गया, श्रम समितियों का है। इस योजना को सन् १९१७ में व्हित्ले समिति की रिपोर्ट (Whitley Committee Report) के पदचान् सँवार किया गया। श्रम-समितियाँ श्रमिकों तथा मालिकों के समान प्रतिनिधियों को मिलाकर संगठित की जाती हैं। कहीं-कहीं उनमें केवल मजदूरों के प्रतिनिधि रहते हैं और उन्हें मालिकों से प्रबन्ध के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार-विनिमय का अधिकार होता है। इसके अलावा, किसी

एक उद्योग के मालिकों तथा मजदूरों के प्रतिनिधियों को मिलाकर जिला परिषदें (District Councils) भी बनाई जाती हैं।

श्रम-समितियाँ, जिन्हें ह्विटले समितियाँ भी कहते हैं, किसी सीमा तक मालिकों और श्रमिकों के बीच शान्ति और सद्भावना रखने में सफल हुई हैं। उनसे मजदूरों में उत्तरदायित्व की भावना अधिक बढ़ी, क्योंकि उद्योग के संचालन के हेतु किए गए निर्णयों पर प्रभाव डालने के लिए उन्हें अवसर दिया गया। भगड़े अधिकांशतः पारस्परिक विचार-विनिमय से हल हुए।

१०. न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages)¹—औद्योगिक भगड़ों को कम करने का एक तरीका पर्याप्त मजदूरी की व्यवस्था है। कानून के द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी जाती है जिससे कम देना अपराध करार दिया जाता है। न्यूनतम वेतन कुछ चुने हुए उद्योगों में, जिन्हें श्रमशील धन्धे (sweated trades) कहा जाता है, निर्धारित किया जा सकता है अथवा उसे राष्ट्रव्यापी बनाया जा सकता है। पहले हम कुछ चुने हुए उद्योग लेंगे। मान लीजिए कि राज्य ने कुछ कठिन परिश्रम वाले उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी। इस प्रकार की नीति का मजदूर, मालिक तथा उपभोक्ता पर क्या आर्थिक प्रभाव होगा ?

मान लीजिए कि किसी एक अथवा कुछ उद्योगों में प्रतियोगिता स्तर से अधिक ऊँची न्यूनतम मजदूरी कानून या कामिक संधि के दबाव से निश्चित कर दी जाती है। सरकार मालिकों को न्यूनतम मजदूरी देने के लिए बाध्य कर सकती है, परन्तु वह मालिकों को सब श्रमिकों को काम में लगाए रखने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। कुछ श्रमिकों को काम से अलग किया जा सकता है और उनके स्थान पर अधिक कार्यकुशल श्रमिकों को रखा जा सकता है। इस प्रकार न्यूनतम मजदूरी की योजना से उन्हीं का हित नहीं होता, जिनके लिए वह लागू की जाती है। उससे केवल श्रमिकों का पुनर्वितरण होता है।

साथ ही इस बात का भी खतरा रहता है कि सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी को मानिक अधिकतम मान कर लें। इस प्रकार मजदूरी के स्तर में वृद्धि के स्थान पर घटने की नीव पड़ी जाती है।

यदि इस ऊँची दर को उपभोक्ताओं के सिर पर डाला जाता है तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी और बेकारी नहीं होगी। परन्तु कीमत बढ़ाना हर दशा में शायद सम्भव न हो क्योंकि विदेशों में प्रतियोगिता हो सकती है अथवा उपभोक्ता उस वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु से काम चला सकते हैं।

यदि मालिक माधारण लाभ ही कमा रहा है, तो भार उसके लाभ पर जाकर पड़ेगा, परन्तु अधिक दिनों तक यह नहीं चल सकता।

अन्ततः, उद्योग के बम होने अथवा धम बचाने वाले धनो अथवा धम बचाने वाली उत्पादन प्रणालियों के परिवर्तित प्रयोग से बेकारी घबड़ ही होगी। स्ट्रिग्लर (Stigler) के शब्दों में, 'न्यूनतम मजदूरी जितनी ऊँची होगी उतनी ही अधिक सरक्षित

¹ See Stigler, G. J. "The Economics of Minimum Wage Legislation" in the American Economic Review, June 1946, pp. 358-363

अधिक (covered workers) निकाले जाएंगे।" यह अनुमान किया जाता है कि न्यूनतम मजदूरी का मजदूरों के कुल नियोजन (employment) पर उलटा प्रभाव पड़ता है।

परन्तु तब बेकारी न होगी, जब कि मजदूरी कुल उत्पादन लागत का एक छोटा हिस्सा ही होगा। तब वस्तु की कीमत में हल्की सी वृद्धि करने से मातृक को बड़ी मजदूरी देन से हुई हानि की क्षतिपूर्ति हो जाएगी।

इस प्रकार उस समय भी बेकारी की नौबत नहीं आ सकती जब कि उत्पादक का सम्बन्धित उत्पादन पर एकाधिकार हो और उस वस्तु की मांग अपेक्षाकृत अपरि-वर्तनीय हो, जैसे कि बिजली, पानी, गैस तथा अन्य सावजनिक उपभोग्य वस्तुओं के विषय में है।

यदि न्यूनतम मजदूरी प्रतियोगिता स्तर (competitive level) से कम है, तो उन उद्योगों में अधिक लाभ की आशा और सम्भावना के कारण अधिक पूंजी लगान को प्रोत्साहन मिलेगा। मजदूरों के लिए उनकी मांग बढ़ेगी। पर नए 'रगल्ड' इन कामों से दूर रहने का यत्न कर सकते हैं। इस प्रकार अतः, मजदूरों की पूर्ति कम होन तथा अतः उनकी मांग अधिक बढ़न से मजदूरी प्रतियोगिता स्तर पर आ सकती है।

यदि "अधमशील धन्वा" में पहले बहुत अधिक लाभ कमाया जा रहा था तो न्यूनतम वेतन को प्रतियोगिता स्तर पर स्थिर करने से बेकारी नहीं होगी बल्कि लाभ कम होकर साधारण स्तर पर आ जाएगा।

इस प्रकार यह दृढ़तापूर्वक नहीं कहा जा सकता कि न्यूनतम मजदूरी का प्रभाव अर्थ पर क्या होगा? कुछ स्थितियों में यह लाभदायक होगा और कुछ में हानिकारक। हर स्थिति में उसके गुणावगुणा (merits and demerits) के अनुसार विचार प्रकट करना पड़ेगा।

११ राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी (The National Minimum Wage)— देश भर में सब उद्योगों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का परिसराम और गम्भीर हो सकता है, विशेषकर यदि मजदूरी प्रतियोगिता के स्तर से अधिक ऊँची हो। इस दशा में सब मांग बन्द हो जाते हैं। अर्थिकों का एक उद्योग के स्थान पर दूसरे में लग जाना या अर्थ का पुनर्वितरण नहीं हो सकता। हर जगह उन्हें कम कम यही मजदूरी देनी पड़ेगी।

ऊँचे मूल्यों से उसका प्रभाव नष्ट न हो जाए, इसलिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी को वास्तविक न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए, न कि निर्धारित द्रव्य मजदूरी। जब कीमतें बढ़ें तो न्यूनतम मजदूरी भी बढ़नी चाहिए।

चूँकि इस न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी पर किसी मजदूर को कहीं भी नहीं रखा जा सकता, इसलिए एक उद्योग से निकाला गया मजदूर दूसरे में काम नहीं पा सकता। इस तरह काम से निकाले गए मजदूर तब तक स्थायी तौर पर बेकार बने रहें जब तक कि वह या तो अपनी कायक्षमता नहीं बढ़ाते या न्यूनतम से कम मजदूरी पर काम करने का तैयार नहीं हो जाते।

इस भार को उपभोक्ताओं पर भी नहीं डाला जा सकता, क्योंकि जब कीमते बढ़ेंगी तो फिर मजदूरी का स्तर भी बढ़ाना होगा मजदूरी, वास्तविक मजदूरी न होगी। उत्पादन के तरीकों को बदल देने से लाभ के स्तर को स्थिर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि धन बचाने वाली मशीनों तथा अन्य उपायों की भी कीमतें बढ़ जाएँगी। इसका परिणाम व्यापक बेकारी होगा और सभी प्रकार के उद्योगों में मकीर्णता घा जायेगी। इससे पूँजी के संचय और विनियोग में बाधा होगी।

इसके अतिरिक्त बकारों को सार्वजनिक कोष से सहायता देनी होगी, जिसका परिणाम ऊँचे कर और उद्योगों पर और अधिक भार तथा और अधिक बेकारी होगी। इस प्रकार जहाँ उत्पादन मकमो होगी वहाँ बेकारों पर किए गए व्यय के कारण टैक्स बढ़ेंगे। समाज अपनी पिछली बचत को व्यय करते हुए दिवालियापन की ओर जाएगा, और यदि यह नीति बहुत अधिक दिनों तक बरती गई तो आर्थिक क्रिया के स्रोत सूखने लगेंगे।

परन्तु इससे यह न समझ लेना चाहिए कि न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना आवश्यक तौर पर मजदूरी की हानि करना है। कई परिस्थितियों में उससे अनि-वाय रूप से लाभ हो सकता है —

(१) ऐसे उद्योगों में जहाँ बहुत बड़ी पूँजी (large capital) लगी है और विशेष प्रकार के यन्त्र काम में आ रहे हैं, उद्योगपति कारखाना चालू रखने पर विश्वास होगा, मूल ही मजदूरी चुकाने में उनके लाभ कम हो जाएँ। ऐसी दशा में लाभ सकुचनशील (squeezable) होते हैं। मजदूरी को बेकारी का तात्कालिक खतरा हुए बिना न्यूनतम मजदूरी मिलती रह सकती है।

(२) यह सम्भव है कि बढी हुई मजदूरी का उपयोग मजदूर इस प्रकार करें कि उनकी कार्यपटुता बढ़ जाए। इससे उनकी उत्पादन शक्ति बढ़ेगी और वे अधिक मजदूरी पाने के योग्य यदि पहले नहीं थे तो अब हो जाएँगे। तब मजदूरी वृद्धि का लाभ पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और तब पूँजी के हतोत्साह होने अथवा बेकारी बढ़ने का खतरा न होगा।

(३) यह सम्भव है कि मजदूरी के गरीब और असंगठित होने से मालिक उनका शोषण करते रहे हों। इस दशा में मजदूरी निश्चित करना, समय बीतने पर न्याय (belated justice) करने के समान होगा और मालिक का उन्हें काम से छुड़ाने का कोई कारण नहीं होगा।

(४) अन्त में, यदि किसी देश में बेकारी की सहायता की व्यवस्था है, तो मजदूरी को उतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। वे राज्य से भरण व्यय या खाने पीने का खर्च पाते हैं। उसका भार धनी कर दानाओं पर पड़ता है। इन तरह न्यूनतम मजदूरी निर्धारण धन को धनिकों से लेकर गरीबों में वितरण का साधन बन जाता है और आर्थिक तथा सामाजिक न्याय-स्थापना में सहायक होता है।

न्यूनतम वेतन का समर्थन निम्नलिखित ठोस आधारों पर किया जा सकता है। (क) इससे धनिकों को उचित जीवन स्तर का आश्वासन होता है उनकी कार्य पटुता बढ़ती है और गरीबों से उनका उद्धार होता है। (ख) इससे स्वार्थी मालिकों

की, जो कि मजदूरों का सोपान करते तथा न्यूनतम मजदूरी देने से बचने के लिए श्रमिकों को एक उद्योग से दूसरे में बदलते हैं, स्वायंपूर्ण तथा समाजविरोधी कार्य-वाहियों को रोक होती है। (ग) इससे अयोग्य मालिकों का, जो कि न्यूनतम मजदूरी देने भर को भी अर्जन नहीं कर सकते, सम्बन्धित उद्योगों से निष्काशन होगा और औद्योगिक प्रवन्ध का स्तर ऊँचा होगा।

परन्तु यह स्वीकार करना चाहिए कि न्यूनतम मजदूरी निर्धारण से मजदूरी प्रणाली में कठोरता तथा लोचहीनता आ जाएगी, जिससे उत्पादन लागत का कीमतों से समायोजन (adjust) करना कठिन हो जाएगा। वस्तुतः न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना सरल नहीं है। यदि दर बहुत अधिक ऊँचा है तो उद्योग की प्रतियोगिता-शक्ति घट जाएगी और बेकारी बढ़ेगी। यदि वह नीचा होता है, तो श्रमिकों को कोई लाभ नहीं होता।

भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (The Minimum Wages Act) १९४८ में पास हुआ। इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारें अपने कमचारियों को न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर सकती हैं, इसमें कलकं भी शामिल हैं। ऐसा अनुसूचित रोजगारों (scheduled employments) में हो सकता है तथा समुचित शासन (appropriate government) इस कानून को किसी भी उद्योग में लागू कर सकता है। मजदूरी निश्चित करने में सलाह आदि के लिए सलाहकार नमिति को नियुक्ति की जा सकती है। इस प्रकार निश्चित की गई दरों के पुनर्बि-लोकन के लिए एक अवधि निश्चित होती है जो पाँच साल से ज्यादा न हो। औद्योगिक श्रमिकों के लिए प्रत्येक राज्य में न्यूनतम मजदूरी की दर निश्चित है। जहाँ तक कृषि में लग मजदूरी का प्रश्न है, उनके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए एक अखिल भारतीय समिति की स्थापना की गई जो तत्सम्बन्धी आँकड़े एकत्रित करे। अधिकांश राज्यों में कृषक श्रमिकों की मजदूरी की दर निश्चित हो गई है।

भारत में १९४७ में औद्योगिक सम्मेलन में औद्योगिक सन्धि सकल्प (Industrial Trade Resolution) पास हुआ जिसमें उचित मजदूरी निश्चित करने की माँग की गई। सरकार ने इस सकल्प (resolution) को अपने १९४८ के औद्योगिक नीति विवरण (Industrial Policy Statement) में स्वीकार कर लिया। एक उचित मजदूरी समिति (Fair Wage Committee) की नियुक्ति की गई जिसने १९४९ में अपनी रिपोर्ट पेश की और इन सिफारिशों के आधार पर १९५० में एक अधिनियम का मसविदा (draft) तैयार किया गया। लेकिन वह बाद में व्यपगत (lapsed) हुआ। इस समिति के अनुसार उचित मजदूरी वह है जो न्यूनतम मजदूरी तथा निर्वाह मजदूरी (living wage) के बीच में बनती है, इसकी उष्चतर सीमा का निर्धारण उद्योग विषय को बर्दाश्त करने की क्षमता से निश्चित होता है।

१२ औद्योगिक भगड़ों का निपटारा (Settlement of Industrial Disputes)—औद्योगिक भगड़ों को निबटाने के लिए दो उपाय होते हैं (i) समझौता (conciliation) तथा (ii) पंच निर्णय (arbitration)।

(i) समझौता (Conciliation)—इस उपाय की मुख्य बात यह है कि

मजदूरो तथा मालिको के प्रतिनिधियो में स्वतः बिना किसी बाहरी व्यक्ति की मध्यस्थता के अथवा मध्यस्थ की सहायता से समझौता हो जाता है। भारतवर्ष में सन् १९२६ के औद्योगिक विवाद कानून से सरकार ने यह अधिकार प्राप्त किया कि किसी एक पक्ष की प्रार्थना पर वह भगडे की जाँच के लिए एक समझौता बोर्ड (Conciliation Board) नियुक्त कर सकती है। परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था से हड़तालें बिल्कुल ही असम्भव नहीं हो जाती, क्योंकि विरोध कर कामिक सघों में अविश्वास की भावना सदा बनी रहती है।

(ii) पंच-निर्णय (Arbitration)—इस प्रकार की व्यवस्था में भगडे के निपटारा कराने का कार्य एक बाहरी व्यक्ति या मध्यस्थ समिति को सौंप दिया जाता है। पंच निर्णय ऐच्छिक (voluntary) हो सकता है, जैसा कि इंग्लैण्ड में है, अथवा अनिवार्य, जैसा कि आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड में है। ऐच्छिक पंच निर्णय में भगडे को एक मध्यस्थ न्यायालय (Arbitration Court) में भेजा जाता है। न्यायालय के निर्णय को अधिकांशतः मान लिया जाता है, परन्तु दोनों पक्षों के लिए मानने की बाध्यता नहीं होती। मध्यस्थ न्यायालय की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है और बहुत से मामलों में जनमत के दबाव से दोनों पक्षों को निणय मानना पड़ता है।

१३. बेकारी (Unemployment)—आधुनिक औद्योगिक देशों में मजदूरों के भगडों का सबसे बड़ा कारण रोजगार की अनिश्चितता है। बेकारी का भय श्रमिकों के सामने सदा बना रहता है। इसे प्रगति की 'काली छाया' (shadow side of progress) कहा गया है।

पारिभाषिक रूप से बेकारी ऐसी दशा है जब कि किसी देश में कार्य-क्षम श्रम के शारीरिक-सामर्थ्य-सम्पन्न व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या काम करने के लिए प्रस्तुत है, परन्तु उसे प्रचलित मजदूरी की दरों पर काम नहीं मिल पाता। वह लोग जो शारीरिक अथवा मानसिक दुर्बलता के कारण कार्य करने में असमर्थ हैं, अथवा जो काम करना ही नहीं चाहते, जैसे शोध, उनकी गणना बेकारी में नहीं की जाती।

किसी उत्पादक कार्य में सलग्न होना ही बेकारी का बिल्कुल अभाव नहीं माना जाता। जो लोग केवल थोड़ा समय कार्य करते हैं अथवा अपनी योग्यता से नीचे का काम करते हैं, उन्हें पर्याप्त रूप से कार्य सलग्न नहीं कहा जा सकता। इसे न्यून-नियोजन (under-employment) की दशा कहते हैं। यह भी देश की समृद्धि के लिए समान रूप से अहितकर है। पूँजीवादी देशों में बेरोजगारी का होना अनिवार्य है। वहाँ अधिक से अधिक जो किया जा सकता है, वह है बेकारी की संख्या को घटा-सम्भव कम करना।

१४. बेरोजगारी के कारण (Causes of Unemployment)—चैपमैन (Chapman) ने बेरोजगारी के वस्तुपरक तथा आत्मपरक (objective and subjective) कारणों में अन्तर किया है। आत्मपरक कारण व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोषों से होते हैं चाहे वह जन्मजात हो अथवा बाद में पैदा हुए हों, उपचार योग्य हों या नाइजाज। वस्तुपरक कारण ऐसी स्थितियों से उत्पन्न होते हैं जिन पर व्यक्ति का कोई नियन्त्रण अथवा अधिकार नहीं होता। ये कारण इस प्रकार हैं—

(1) व्यापार चक्र (Trade Cycles)—इसका विस्तृत अध्ययन एक पृथक् अध्याय में किया जाएगा।¹ यहाँ केवल इतना कहना ही काफी होगा कि व्यापार सम्बन्धी अर्थसाध या मन्दी (depression) साधारणतः एक निश्चित काल के बाद आती है। मन्दी के समय व्यापारिक क्रिया घीमी हो जाती है और बेरोजगारी (un-employment) बढ़ती है। कुछ लोगों का काम छूट जाता है और कुछ को केवल आंशिक काम मिलता है।

(ii) मौसमी माँग (Seasonal Demand)—बड़े आर्थिक घेष्टाएँ मौसमी होती हैं। मन्दी के मौसम में मजदूरा की माँग कम हो जाती है और उसका परिणाम बेरोजगारी होना है। उदाहरण के लिए बर्फ के कारखानों में केवल गर्मी की ही ऋतु में काम होना है लेकिन वे भी काम फसल के समय होना है। तीन महीने से पाँच महीने तक हमारे कृषकों को विवशत बेकार रहना पड़ता है।

(iii) औद्योगिक परिवर्तन (Industrial Changes)—इसमें नई रीतियों का प्रयोग निहित है। चूंकि उत्पादन प्रणाली में धीरे-धीरे परिवर्तन होता है, इसलिए बहुत से मजदूर एक भाग राजगार से जुदा नहीं होते। परन्तु यदि ऐसे परिवर्तन शीघ्र होने हैं, तो बहुत से लोग बेकार हो जाते हैं। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रान्ति के फल स्वरूप सस्ते सामान न भारतीय बाजारों का पाट दिमा इनलिए स्वदेशी उद्योगों में लगे लाग बराबर हो गए।

(iv) आकस्मिक या सामयिक श्रम (Casual Labour)—आकस्मिक या सामयिक श्रम का आशय उन श्रम से है जो जोड़ समय के लिए विविध प्रकार के कार्यों में लगे रहते हैं जैसे बन्दरगाह पर माल लाने या उतारने का काम। ऐसे लोगों को तब तक काम मिलता है जब तक व्यापार चालू रहता है। उन्हें निरन्तर एक काम को छोड़ कर दूसरे काम को करना पड़ता है। बहुत से आलसी लोग अस्थायी कार्य करना पसन्द करते हैं अथवा जो इस तरह का कार्य करते हैं, वे आलस्य की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं। काम मिलने और करने में अनिश्चितता की इससे वृद्धि होती है।²

(v) सामाजिक समयान्तर (Social Time-lag)—सामाजिक समयान्तर वह समय है जो एक मजदूर को एक काम छोड़ कर दूसरे काम के ढूँढने में लगता है। यह समयान्तर मन्दी के समय अधिक और व्यापार के वृद्धिकाल में कम होता है। काम करने वाले की प्रवृत्ति तथा उनके आर्थिक वातावरण से भी समयान्तर भेद हो सकता है। यह बिल्कुल सम्भव है कि एक ओर मजदूर बेकार हों और दूसरी ओर मजदूरों की कमी हो। ऐसी स्थिति काम चाहने वाला तथा मजदूर चाहने वालों में सम्पर्क की कमी से पैदा होती है।

(vi) ऊँची मजदूरी (High Wages)—यह भी कहा जा सकता है कि श्रमिक सच की कार्यवाही न भी बेकारी हो सकती है। यदि सच ऐसा मजदूरी की दर स्वीकार कराने में सफल होते हैं जो कि सीमान्त उत्पादन शक्ति के हिसाब से अधिक है, तो आगे या पीछे मजदूरों को काम में अवश्य अलग किया जाएगा। ऐसा तब भी

1 Chapter XLI

2 Chapman, Op Cit, p. 301.

होगा जबकि न्यूनतम मजदूरी, जो कि मजदूरों की उत्पादन शक्ति से अधिक है; कानून द्वारा देना अनिवार्य की जाएगी, परन्तु जिसका देना उद्योग की सामर्थ्य के बाहर है।

(vii) सम्पत्ति में वृद्धि (Growth of Wealth)—कीन्स (Keynes) के अनुसार बेरोजगारी सम्पत्ति वृद्धि के परिणामस्वरूप भी हो सकती है। आय की वृद्धि के साथ लोगों में उसके क्रमशः कम अंश को तात्कालिक उपभोग में व्यय करने की प्रवृत्ति होती है। इससे उपभोग्य वस्तुओं की माँग कम होती है और इससे उन वस्तुओं के बनाने वाले व्यवसायियों का लाभ भी कम होने लगता है। इसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप उत्पादक उत्पादन के साधनों पर, जिसमें धूम्रिक भी शामिल होते हैं, कम व्यय करना चाहते हैं और मजदूरों की संख्या कम करने लगते हैं।

(viii) जनसंख्या में वृद्धि (Growth of Population)—यदि किसी देश में पृथ्वी के अनुपात में जनसंख्या की वृद्धि अधिक तीव्र है, तो वहाँ बेकारी फैलेगी। भारत इसका उदाहरण है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या को वैकल्पिक रोजगार देने की सम्भावनाएँ अल्पतः सीमित हैं।

१५. बेकारी दूर करने के उपाय (Remedies for Unemployment)—आर्थिक योजना (economic planning) तैयार करना और तदनुसार देश का आर्थिक विकास बेकारी दूर करने का सब से अच्छा उपाय है। सुनियोजित अर्थ-व्यवस्था में बेकारी की कोई गुँजाइश नहीं रहती। सन् १९२९-१९३४ की व्यापारिक मन्दी के समय अमेरिका में ४० लाख आदमी और ब्रिटेन में २५ लाख आदमी बेकार थे; परन्तु उसी समय रूस की आयोजित अर्थ व्यवस्था में एक व्यक्ति भी बेकार नहीं था।

परन्तु यदि किसी कारण समाजवादी ढंग की योजना न हो सके तो पूँजीवादी व्यवस्था में भी बेकारी को कम करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। ये निम्न-लिखित हैं—

(1) रोजगार के अवसरों की स्थापना (Establishment of Employment Exchanges)—ये संस्थाएँ एक ओर बेकार व्यक्तियों के नाम, उनकी योग्यताएँ तथा काम देने वाले मालिकों की आवश्यकताएँ रजिस्टर में लिखनी जाती हैं। इस प्रकार वे उन लोगों में जो कि काम की तलाश में रहते हैं और जिन्हें मजदूरों की जरूरत रहती है, सम्पर्क स्थापित करते हैं। इन संस्थाओं से कुछ और भी लाभ होते हैं। वे एक काम से दूसरे काम पाने के बीच के समय को कम करने में सहायक होते हैं और साथ ही मजदूरों को अपनी कार्य-पटुता बढ़ाने के अवसरों की सूचना भी प्रदान करते हैं। वे स्कूल के बाद शिक्षा जारी रखने अथवा शिल्प-शिक्षण पाने के विषय में भी परामर्श दे सकते हैं। अस्थायी कार्य करने वालों को स्थायी कार्य दिलाने में भी उनसे सहायता मिलती है।

(ii) व्यापार चक्र द्वारा उत्पन्न बेकारी का निराकरण दो प्रकार से हो सकता है। (क) मजदूरों की घटती हुई माँग को सब प्रभावित व्यवसायों में वितरित करके। (ख) धर्म की सार्वजनिक माँग को क्षति-पूर्ति का साधन बनाकर। जहाँ तक पहले उपाय का सम्बन्ध है, मजदूरों की माँग का वितरण उद्योग को कम समय तक चला

कर या काम के घंटे कम करके किया जा सकता है। चंपमैन का मत है कि "यह अधिक अच्छा होगा कि एक उद्योग में लगे हुए मजदूरों को कम काम करे और कम कमाएँ, बजाए इसके कि कुछ कर्मचारी कुछ भी न कमाएँ।" कुछ अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि मालिक सारी मजदूरी श्रमिक संघों (labour unions) को दे दें, जो सब श्रमिकों को नियमित रूप से मजदूरी दें।

दूसरे उपाय के विषय में, मजदूरी को सार्वजनिक (सरकारी) माँग अन्य उद्योगों की माँग के विपरीत होनी चाहिए। उदारणायें, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य जैसे रेल, सड़कें, सरकारी इमारतें आदि व्यापारिक मन्दी के समय शुरू होने चाहिए क्योंकि ऐसे समय निजी उद्यम (private enterprise) शिथिल अवस्था में होते हैं। इससे केवल उन कार्यों में लगे हुए लोगों को ही काम न मिलेगा वरन् व्यक्तिगत उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि निर्माण काम से सम्बन्धित अनेक वस्तुओं की माँग बढ़ेगी। इससे आर्थिक सक्रियता में तेजी आ सकती है। इसके विपरीत व्यापार के तेजी काल में सार्वजनिक अधिकारियों को यथासम्भव बड़ी योजनाओं को चालू न करना चाहिए। इसमें विशेष योजना बनाने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि विशेष मस्याएँ जैसे राष्ट्रीय रोजगार समिति तथा विकास बोर्ड (National Employment Committee and Development Board) बनाए जाएँ जो कि सार्वजनिक व्यय सम्बन्धी सहायक (compensatory) योजनाएँ तैयार करें।

(iii) सामयिक या ऋतु विशेष की बेकारी एक व्यापार को दूसरे से मिलाने से दूर हो सकती है। शिथिल काल में सग्रह हेतु सामग्री निर्मित की जा सकती है अथवा सामग्री पूर्ति के प्रथम आडर लिख जा सकते हैं और काम को वर्ष भर चलाया जा सकता है।

जहाँ तक काम करने के लिए असमर्थ लोगों का सम्बन्ध है, उनकी कई प्रकार से सहायता की जा सकती है। पहले, जो शराबी हैं, आवारा हैं या अन्य प्रकार से सामाजिक परोपजीवी (social parasites) हैं उनके सुधार की चेष्टा की जानी चाहिए। उन लोगों की, जो किसी शारीरिक रोग से असमर्थ हो गए हैं, यदि उनका रोग अच्छा होने लायक है, तो उनकी व्यवस्था करनी चाहिए।

बेकारों के कष्ट निवारण की एक प्रथम समस्या है। इससे हम सामाजिक सुरक्षा योजना की समस्या पर पहुँचते हैं जिसका क्षेत्र न केवल बेकारों की ही वरन् मजदूरों एवं उनके परिवारों की अन्य कठिनाइयों को भी दूर कर सकता है।

भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारम्भ करके देश में बेरोजगारी हटाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। भारत की जनसंख्या में ४५ लाख व्यक्ति प्रति वर्ष की वृद्धि हो रही है। इन में से ४० प्रतिशत व्यक्ति प्रत्येक वर्ष रोजगार की तलाश में पैदा होते रहते हैं। इस आधार पर प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में १० लाख रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए थे। किन्तु श्री सी० डी० देशमुख के अनुसार हम चायद प्रथम योजना काल में ५० लाख रोजगार के अवसर ही उपलब्ध करा सके। सम्पूर्ण प्रथम योजना काल में रोजगार के दफतरो में बेकारों की संख्या में

निरन्तर वृद्धि होती रही। इस प्रकार जिस अनुपात में हमारी जनसंख्या बढ़ती रही और रोजगार की माँग बढ़ती रही उस अनुपात में हम धर्मिकों को काम या रोजगार नहीं दे सके।

हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजनाका उद्देश्य है कि हम कृषि को छोड़ते हुए लगभग एक करोड़ अनिश्चित व्यक्तियों को रोजगार दे सकें। यद्यपि द्वितीय पंचवर्षीय योजना से देश की बेकारी की समस्या का काफी समाधान होगा; फिर भी सम्पूर्ण योजना-काल में हमको पर्याप्त सावधानी बरतनी होगी। भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था का मौलिक सम्बन्ध हमारी व्यापक बेरोजगारी से है। योजना आयोग ने कहा है—“यद्यपि द्वितीय योजना के दौरान में रोजगार के अतिरिक्त अवसर अवश्य प्रदान किए जाएंगे, फिर भी हम नहीं कह सकते कि बेरोजगारी या अर्द्ध-बेकारी की समस्या को द्वितीय पंचवर्षीय योजना कहीं तक हल कर सकेगी।”

१६. सामाजिक बीमा (Social Insurance)—सामाजिक बीमा, कोहोन (Cohon) के शब्दों में, “बीमा के सारे क्षेत्र का वह अंग है, जिसमें मजदूरों को उन सक्तों से रक्षा होती है, जिनमें या तो वह ऐसा रोजगार पाने में असमर्थ रहता है, जिसमें वह अपने एक अपने परिवार का सन्तोषजनक जीवन-निर्वाह कर मके अथवा शारीरिक असमर्थता के कारण काम ही नहीं कर सकता।” ऐसे मुख्य खतरे (क) अस्थायी असमर्थता जैसे दुर्घटना, रोग अथवा बेकारी (ख) अयोग्यता अथवा बुढ़ापे के कारण स्थायी असमर्थता, तथा (ग) मृत्यु, जिसमें विधवाओं अथवा बच्चों के लिए कोई भविष्य निधि नहीं छोड़ी गई है, से उत्पन्न होते हैं।

सामाजिक बीमे की परिभाषा इस प्रकार है कि “यह एक सहकारी युक्ति है, जिसका उद्देश्य बेरोजगारी, बीमारी तथा दूसरे आपातकालों में बीमा कराए हुए लोगों के लिए उचित सहायता का प्रबन्ध करना है, जिससे न्यूनतम जीवन-निर्वाह-स्तर सुनिश्चित हो सके। ऐसी सहायता त्रिपक्षीय (tripartite) निधि से मिले जिसे धर्मिकों के, मानिकों के तथा राज्य (सरकार) के अदान से मिला कर बनाया जाता है। साथ ही ऐसी सहायता बिना किसी साधन-परीक्षा के, उन व्यक्तियों को अपने अधिकार के रूप में मिले।”

उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर हमें सामाजिक बीमे के सम्बन्ध में मुख्य बातें सहज में ही मालूम हो जाती हैं। वे इस प्रकार हैं—(i) सामाजिक बीमे का उपबन्ध अनिवार्य रूप से होता है, (ii) यह सभी दलों की ओर से अदान के रूप में है, (iii) इससे प्राप्त होने वाली सुविधाएँ अधिकार-स्वरूप मिलती हैं तथा उनके आत्म-सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुँचती तथा (iv) सुविधाओं को सीमा में रखने के लिए वे सिर्फ न्यूनतम जीवन-निर्वाह स्तर बनाए रखने के लिए होती हैं। इसके अलावा, धर्मिकों का अदान इतना होता है जिसकी अदायगी वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकें। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सामाजिक बीमा आपातकाल (emergency) में सहायता तो कर सकता है लेकिन आपातकाल की स्थिति पैदा होने से रोक नहीं सकता।

१७. सामाजिक सुरक्षा (Social Security)—आधुनिक राज्यों की धार्मिक चैष्टाम्रो के अन्तर्गत 'सामाजिक सुरक्षा' वाक्यांश बहुत प्रचलित हुआ है। यह 'सामाजिक बीमा' वाक्यांश की अपेक्षा अधिक व्यापक है। उपर्युक्त वर्णित सामाजिक बीमा के अलावा इसमें सामाजिक सहायता (social assistance) भी शामिल है। सामाजिक बीमा जनकी सुविधा के लिए है जो अशदान देते हैं और इसकी (सुविधा की) अधिकार रूप में मांग कर सकते हैं। इसके विपरीत सामाजिक सुरक्षा का उपबन्ध सरकारी निधि में से सरकार की ओर से मुफ्त होता है। सामाजिक बीमे में सहायता पाने वालों के साधनों की परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, किन्तु सामाजिक सहायता सिर्फ उन्हे दी जाती है जो कुछ निर्दिष्ट शर्तें पूरी करते हैं।

कई जोखिमो (risks) का सर्वोत्तम सरक्षण तो सामाजिक बीमे के अन्तर्गत ही होता है। लेकिन कुछ प्राकस्मिकताएँ सामाजिक सहायता के लिए ही उचित हैं। प्रायः, यदि सामूहिक निधि के दुरुपयोग की आशंका है, अथवा गलत दावों का डर रहता है तो ऐसी स्थिति में सामाजिक बीमा ही सर्वोत्तम है। सामाजिक बीमे के अन्तर्गत, बेकारी, बीमारी, वार्धक्य आदि का उपबन्ध होता है। इसके विपरीत सामाजिक सहायता का सम्बन्ध अस्पतालों, सेनिटोरियो, प्रसूति-केन्द्रों, बाल-कल्याण केन्द्रों तथा स्कूल आदि संस्थाओं से है। किसी देश की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली वहाँ की सामाजिक बीमा तथा सामाजिक सहायता योजनाओं को मिलाकर बनती है।

सामाजिक सुरक्षा की भावना का उदय राज्य (सरकार) के इस दायित्व के प्रति सजग होने से हुआ कि कुछ आपदाओं से बचाने के लिए नागरिकों का उचित उपबन्ध होना चाहिए। इससे पूर्व राज्य गरीब नागरिकों के अभाव तथा निधनता का उपबन्ध मात्र करके अपने कर्तव्य को पूरा हुआ मानता था। युद्धोत्तर-काल में, इस बात पर विशेष रूप से विचार किया गया कि जन-साधारण का कल्याण किया जाए, और उसकी मजदूरी तथा निधनता से पैदा होने वाली अनेकों चिन्ताओं का निवारण किया जाए। तदनुसार, संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा तथा न्यूजीलैंड आदि देशों में तथा दूसरे देशों में भी जहाँ जनसाधारण के कल्याण की ओर ध्यान दिया जाता था, सामाजिक बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा जैसी बड़ी-बड़ी योजनाओं का सूत्रपात किया गया। कई देशों में इस ओर बहुत काम हुआ जिनमें ब्रिटेन की बेवेंडज योजना (Beveridge Scheme), कनाडा की सामाजिक सुरक्षा के लिए मार्श रिपोर्ट (Marsh Report) तथा संयुक्त राज्य अमरीका का मरे डिंगल विधेयक (Murray Dingell Bill) विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं।

किन्तु भारत में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में इतना काम नहीं हुआ जितना जरूरी था। इसका एक मुख्य कारण तो यह है कि हमारा देश एक उप-महाद्वीप के समान बड़ा है और यहाँ की विशाल जनसंख्या तथा लोगों की गरीबी किसी भी ऐसी योजना के लिए बाधक सिद्ध होती है जिसे अशदान के आधाम पर चालू किया जाए। इसलिए काफी घंटे तक सामाजिक बीमा योजना सिर्फ धौदिक स्तर पर सोच-विचार और वाद-विवाद का विषय बनी रही। बेवेंडज योजना के प्रकाशित होने से भारत में बड़ी रश्च उत्पन्न हुई। स्वाधीनता के आगमन, अधिक चर्च में चेतना उत्पन्न होने

तथा साम्यवादी विचारा के प्रसार से भारत में भी सामाजिक सुरक्षा के उपायों को लागू करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। भारत में मजदूरी कम है, रोग आदि का प्रकोप अधिक होता है, वैकारी बड़े पैमाने पर फैली है तथा जीवन स्तर बहुत गिरा हुआ है। श्रमिक अपनी सारी आय से दैनिक जरूरियात की वस्तुएँ कठिनाई से जुटा पाता है। ऐसी दशा में उनके लिए यह असम्भव है कि वह कुछ बचा पाए और विभिन्न आकस्मिकताओं का उपबन्ध कर सके। इस कारण से सामाजिक सुरक्षा योजना भारत के लिए बहुत जरूरी हो जाती है।

श्रमिक को जिन आकस्मिक कठिनाइयों का अपने जीवनकाल में सामना करना पड़ता है, उनमें से किसी के भी पूरे-पूरे निवारण का उपबन्ध नहीं हुआ है। यह सही है कि औद्योगिक दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति के लिए अधिनियम (Acts) बने हैं, साथ ही प्रसूति सहायता तथा हाल ही में स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ भी बनी हैं। लेकिन उन्हें किसी भी रूप से सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं कहा जा सकता। इस ओर १९४८ में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (Employees' State Insurance Act, 1948) तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ पास करके कुछ काम हुआ है। इसमें पहले का वित्तपोषण कर्मचारी राज्य बीमा निधि से होगा जिसे मालिकों तथा कर्मचारियों के अशदानों और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अनुदानों (grants) से मिला कर बनाया जाता है। प्रशासकीय खर्च (administrative expenses) के दो-तिहाई के लिए केन्द्रीय सरकार पहले पांच सानों के लिए प्रतिवर्ष अनुदान देती है और साथ ही राज्य सरकारों को औपधीय खर्चों की लागत का भार उठाना पड़ता है। मालिकों तथा कर्मचारियों के द्वारा साप्ताहिक अशदान की एक निश्चित रकम दी जाती है। बीमारी, प्रसूति, अग्रहानि (disablement), आश्रितों को सहायता तथा औपधीय सहायता आदि के लिए सहायता का उपबन्ध है।

१९५६-५७ में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees' State Insurance Corporation) की रिपोर्ट में बताया गया था कि समस्त फैक्टरी श्रमिकों में से प्रायः आधे (लगभग-१३ लाख) श्रमिकों को बीमा योजना सम्बन्धी सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम (Employees' Provident Fund Act) के उपबन्धों के अनुसार श्रमिकों और मालिकों को एक आना प्रति रुपया (६३%) जमा करना पड़ता है। १९५८ में ६३% के बजाय अशदान की दर ८३% कर दी गई। प्रारम्भ में उक्त अधिनियम उन्ही मुख्य उद्योगों वाली फैक्ट्रियों पर लागू होता था जिनमें ५० या इससे अधिक श्रमिक काम करते थे। १९५६ में उक्त अधिनियम में सुधार हुआ। अब यह योजना फैक्ट्रियों के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं और निकायों पर भी लागू हो सकती है। अब रोपण संस्थाओं पर भी उक्त अधिनियम लागू है। ३१ मई १९५७ के बाद से तो ३०० रुपये और ५०० रुपये के बीच की आय वाले कर्मचारियों पर भी उक्त योजना लागू हो गई है। १९५८ से उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ६२१५ वारसानों के या अन्य निकायों के प्रायः २८ लाख कर्मचारियों को लाभ प्राप्त हो रहा है।

अब यह आशा की जाती है कि इस प्रकार के प्रारम्भिक सामाजिक सुरक्षा के उपायों में भविष्य के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यापक योजना तैयार करना सम्भव होगा ।

निर्देश पुस्तकें

Keynes, J M General Theory of Employment, Interest and Money.

Davison, Sir R Social Security

Beveridge, W Social Security Scheme

Hicks, J. R Theory of Wages, 1932

Dobb, M. Wages (Rev Edition), 1946

Industrial Relations Handbook (His Majesty's Stationery Office),

Meyers, A L Elements of Modern Economics, 1951, Ch 16

Tarshis L Elements of Economics, 1946, Ch 39

अध्याय २८

व्याज

(Interest)

१ सकल तथा शुद्ध व्याज (Gross and Net Interest)—उधार ली गई रकम के उपभोग के एवज में दी जाने वाली कीमत व्याज है। सामान्य रूप से व्याज उधार दी गई राशि पर प्रतिशत के अनुसार लगाया जाता है। अधिकतर व्याज कही जाने वाली राशि पूंजी की सेवाओं की कीमत नहीं होती। प्रायः व्याज कही जाने वाली चीज वास्तव में सकल व्याज है। जैसा कि नीचे बताया गया है, शुद्ध व्याज सकल व्याज का छोटा सा अंश होता है। व्याज की दर में फर्क से इसी तथ्य का पता चलता है। विभिन्न कार्यों में शुद्ध व्याज की प्रवृत्ति समान होने की होनी है यदि प्रतिযোগिता (competition) खुली और पूर्ण रहे।

ऋणी साहूकार को जो परी रकम चुकाता है, उसे सकल व्याज कहते हैं। परन्तु ऋणी जो सब रकम साहूकार को देता है, वह शुद्ध व्याज नहीं होता, अर्थात् पूंजी की सेवाओं की कीमत नहीं होती। उसमें अनेक अन्य अंशों का समावेश होता है जिनमें से शुद्ध व्याज केवल एक अंश होता है। इसलिए सकल व्याज में निहित तत्वों का विश्लेषण आवश्यक है। वे निम्नलिखित हैं

(क) शुद्ध व्याज (Pure Interest)—यह पूंजी अथवा उधार ली हुई रकम की सेवाओं के बदले की कीमत होती है।

(ख) जोखिम या खतरे के लिए बीमा (Insurance against Risk)—ऋणदाता जब रुपया उधार देता है तो वह कुछ खतरा उठाता है। इन खतरों के बदले में उसे कुछ रकम मिलनी चाहिए। यह खतरे दो प्रकार के होते हैं (i) व्यक्तिगत जोखिम जो ऋण लेने वाले के चरित्र की अविश्वसनीयता के कारण होते हैं, और दूसरे (ii) व्यापारिक जोखिम जो रुपया लगाए जाने वाले किसी व्यवसाय के चढाव-उतार के कारण हो सकते हैं। इस प्रकार ऋणदाता को एक तो यह भय हो सकता है कि ऋण लेने वाला शायद उसका रुपया और व्याज वापिस न करे अथवा कर्जदार व्यापार में ही घाटा खा जाए। जितना ही अधिक इन बातों का भय होगा, उतना ही अधिक द्रव्य धरमा, (insurance money) के रूप में ऋणदाता लेना चाहेगा।

(ग) प्रबन्ध की मजदूरी (Wages of Management)—भूगतान का कुछ अंश प्रबन्ध की मजदूरी के रूप में हो सकता है। ऋणदाता को हिसाब-किताब रखना पड़ता है और थोड़े थोड़े समय के लिए ऋण देने की व्यवस्था करनी पड़ती है, इस तरह रुपया उधार देना या साहूकारी करना उसका पूरे समय का धन्धा हो जाता है।

(घ) फिर, अनुविधाओं के बदले में भी कुछ भूगतान होता है। जब कोई अपना रुपया दूसरे को उधार देता है, तो एक अवधि तक वह उस रुपये के अधिकार से

वर्धित हो जाता है। ऐसी दशा में लाभकारी अवसर (सयोग) हाथ से निकल सकते हैं। इस प्रकार की हानियों के लिए उभे क्षतिपूर्ति या मुआवजे के रूप में भी कुछ मिलना चाहिए। इसलिए वह शुद्ध व्याज के अतिरिक्त भी कुछ दमूल करता है।

२ व्याज की दरों में अन्तर (Differences in Interest Rates)—व्याज की दरों में कई प्रकार के अन्तर होते हैं, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं—

(क) दूरी के कारण अन्तर (Differences due to Distance)—लोग दूरी की अपेक्षा निवास के निकट ही रुपया नगाना अधिक पसन्द करते हैं। इससे पूँजी की अपेक्षाकृत गतिहीनता के कारण माँग और पूर्ति में अन्तर पैदा हो सकता है।

(ख) समय का अन्तर (Differences due to Time)—यदि लोगों को अधिक लम्बे समय के लिए अपना रुपया देना पड़ना है, तो वे अन्य खतरो एवं असुविधाओं के होने पर भी व्याज की अधिक ऊँची दर पाने की आशा करते हैं।

(ग) ऋण की मात्रा में अन्तर (Differences due to the Amount of Loans)—साधारणतया व्याज की दर और ऋण की मात्रा में विपरीत सम्बन्ध है। जब ऋण की रकम अधिक होती है तो व्याज की दर कम होती है।

मकल व्याज में उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित कारणों से भी अन्तर हो सकता है।

(1) सामाजिक सम्मान में अन्तर (Differences in Social Esteem)—ईमानदारी के लिए अधिक विख्यात व्यक्ति नोची व्याज की दर पर ऋण ले सकता है।

(2) उत्पादन शक्ति में अन्तर (Differences in Productivity)—जहाँ पर उत्पादक को पूँजी से अधिक लाभ हो सकता है, वहाँ वह अधिक व्याज देने के लिए प्रस्तुत होगा। परन्तु ऐसे व्यापार अधिकांश सटटेबाजी के होते हैं और ऊँचा व्याज अधिक खतरो के कारण ही होता है। इसलिए व्याज की दरों का अन्तर रुपया उधार देने के खतरो एवं असुविधाओं के आधार पर होता है। इसका अर्थवाद केवल तब हाता है, जब हम किसी एक ही बाजार से व्यवहार नहीं करना होना। एक ही बाजार में शुद्ध व्याज की दर लगभग एक ही होती है।

व्याज के सिद्धान्त

(Theories of Interest)

१ व्याज का उत्पादन सिद्धान्त (Productivity Theory of Interest)—व्याज के स्पष्टीकरण के लिए कई सिद्धान्त प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ पुराने अर्थशास्त्रियों का विचार था कि पूँजी उसी रूप में वस्तुओं का उत्पादन करती है, जिस प्रकार से भूमि द्वारा फसलों की पैदावार होती है। उनका मत था कि व्याज की विद्यमानता इस कारण से है कि पूँजी द्वारा अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन हो पाता है। किन्तु पूँजीगत माल से तैयार होने वाला भौतिक उत्पादन से व्याज की व्याख्या नहीं होनी। यदि उधार देने वाले बिना व्याज प्रथम राशि उधार देने लगे तो व्यापार उस सीमा तक बढ़ेगा कि वस्तुओं के उत्पाद में दूबरे खर्च (charges) शामिल होंगे लेकिन व्याज नहीं। व्याज लगान में नहीं आएगा। लेकिन व्याज वह लागत है जिसे प्रत्येक उद्यमी को जोड़ना चाहिए, जिससे कालान्तर में कीमत में व्याज सहित सारी लागत

आजाए। चूँकि व्याज रहित पूँजी की माँग में वृद्धि होगी, और पूर्ति में कमी, व्याज का उदय होना स्वाभाविक है। यदि कुछ उधार देने वाले बिना व्याज देने को तैयार हो तो भी प्रतियोगिता के कारण यह उन्हीं लोगों को मिलेगा जो व्याज भ्रदा करेंगे न कि भ्रदा न करने वालों को। अतः व्याज की व्याख्या उत्पादन शक्ति (productivity) में निहित न होकर दुर्लभता (scarcity) में निहित है।

उत्पादन शक्ति के सिद्धान्त से यह बात नहीं ज्ञात हो सकती कि व्याज की दरें कैसे निर्धारित की जाती हैं। यदि व्याज केवल उत्पादन शक्ति पर (सीमान्त उत्पादन पर नहीं) निर्भर होता, तो पूँजी की उत्पादन शक्ति के अन्तर के आधार पर ही व्याज का अन्तर भी होता। परन्तु व्यवहार में शुद्ध व्याज की दर एक बाजार में एक सी ही रहती है, और यदि पूँजी श्रम को अधिक उत्पादन करने में सहायक होती है तो इस अतिरिक्त उत्पादन में से कितना पूँजी के कारण होता है और कितना श्रम से, क्योंकि बिना श्रम के पूँजी तो कुछ भी पैदा नहीं करती और फिर उपभोग के उद्देश्य के लिए दिए गए ऋणों को क्या मानना होगा? वे उत्पादन तो करते नहीं किन्तु व्याज तो उन पर भी देना ही होना है। इन पर हम बाद में विचार करेंगे, किन्तु इन आपत्तियों पर विजय पाई जा सकती है, यदि हम केवल पूँजी की उत्पादन शक्ति की बात न करके सीमान्त उत्पादन शक्ति पर भी ध्यान रखें।

४ व्याज का त्याग अथवा प्रतीक्षा सिद्धान्त (Abstinence or Waiting Theory of Interest) — व्याज का दूसरा सिद्धान्त त्याग अथवा प्रतीक्षा का सिद्धान्त है। उत्पादन सिद्धान्त माँग की दृष्टि से व्याज की व्याख्या करने की चेष्टा करता है, और त्याग सिद्धान्त पूर्ति की दृष्टि से व्याज की समस्या का समाधान करता है। सीनियर (Senior) ने सर्वप्रथम बताया कि बचत में त्याग का अर्थ निहित है। बचत उपभोग के त्याग का एक कार्य है। चूँकि त्याग करने में कष्ट होता है, इसलिए उसके लिए लोगों को कुछ प्रतिदान या पुरस्कार चाहिए। धन का एक अर्थ व्यय करने की प्रवृत्ति बचत करने वालों को व्याज के रूप में यह पुरस्कार मिलता है।

त्याग के सिद्धान्त की इस तर्क से आलोचना की गई है कि इसमें कष्ट उठाने का भाव सन्निहित है, जब कि बहुत से धनी लोग, जो वास्तव में पूँजीधारी लोग हैं, बिना किसी प्रकार की असुविधा के ही बचत कर लेते हैं, इसलिए मास्नल ने 'त्याग' के स्थान पर 'प्रतीक्षा' शब्द रख कर बचत में प्रतीक्षा का भाव सन्निहित कर दिया। जब कोई व्यक्ति बचत करता है तो वह उपभोग का सर्वदा के लिए परित्याग नहीं करता वरन् वह केवल वर्तमान उपभोग को किसी भावी समय या तिथि के लिए स्थगित कर देता है। इस बीच उसे प्रतीक्षा करनी होती है। किन्तु, चूँकि अधिकांश लोग प्रतीक्षा करना पसन्द नहीं करते इसलिए इस उपभोग को स्थगित करने के लिए प्रोत्साहन रूप में किसी प्रलोभन की आवश्यकता होती है। व्याज वह प्रलोभन है।

कुछ 'प्रतीक्षा' व्याज प्राप्ति के प्रलोभन के बिना भी हो सकती है। कुछ लोग व्याज की नकारात्मक दर (negative rate) तक भी प्रतीक्षा कर सकते हैं। परन्तु इस प्रकार भी बचत पूँजी की माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अन्य लोगों की बचत के लिए प्रलोभन के रूप में व्याज देना ही चाहिए और उस दशा में

प्रतीक्षा करने में असुविधा होगी ही। बचत की सीमान्त वृद्धि या प्रतीक्षा को उत्पादन की माँग की पूर्ति के लिए अग्रणी करने के निमित्त ब्याज की दर भी पर्याप्त ऊँची होनी चाहिए। ब्याज की दर उसी स्तर पर नियत की जाएगी, जिसमें प्रतीक्षा की पूर्ति माँग के समान होगी।

इस सिद्धान्त में सवाई का पर्याप्त अर्थ है, किन्तु यह उस शक्ति का स्पष्ट विश्लेषण नहीं करती जो कि पूँजी के लिए माँग के पक्ष में क्रियाशील है।

५ ब्याज का आस्ट्रियन या पारितोषिक सिद्धान्त (The Austrian or Aagio Theory of Interest) — इसको मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त भी कहते हैं। पहले इसे "जान रे" (John Rae) ने सन् १८३४ में प्रस्तुत किया और उसको अन्तिम रूप आस्ट्रिया के प्रमुख अर्थशास्त्री बोम बावर्क (Bohm Bawerk) ने दिया। बाद में साधारण सशोधनों के साथ यह सिद्धान्त फिशर (Fisher) आदि अन्य अमरीकन अर्थशास्त्रियों में भी लोकप्रिय हो गया।

बोम बावर्क (Bohm Bawerk) के सिद्धान्तों का सार यह है कि ब्याज की उत्पत्ति इसलिए होती है कि लोग भविष्य की अपेक्षा वर्तमान सामग्री की अधिक इच्छा रखते हैं। "नौ नकद न तेरह उधार" की कहावत इस बात की पुष्टि करती है। ब्याज इसी घाटे की पूर्ति करता है, जो जरूर दिया जाना चाहिए, जिससे लोग रुपया उधार देने अथवा वर्तमान सन्तोष को भविष्य की तिथि के लिए स्थगित करने के लिए आकर्षित या प्रलुब्ध किए जा सकें। ब्याज भविष्य के सन्तोष को वर्तमान सन्तोष के समरूप बनाने के उद्देश्य से दिया जाता है।

६ फिशर द्वारा इस सिद्धान्त का प्रतिपादन (Fisher's Statement of the Theory) — फिशर 'समय अधिमान' (time preference) पर जोर देते हैं। लोग भविष्य की अपेक्षा वर्तमान सन्तोष को अधिक पसन्द करते हैं। इस प्रकार वे अपनी आय को इसी समय व्यय करने के लिए व्यग्र रहते हैं। यह व्यग्रता की मात्रा, आय की मात्रा, आय के वितरण का काल तथा उमर में भविष्य में सन्तोष पाने की निश्चिन्तता की मात्रा, व्यक्ति के स्वभाव एवं चरित्र पर निर्भर करता है। अधिक आय वाले की वर्तमान आवश्यकताओं का सन्तोष अधिक पूर्णता के साथ हो सकता है, और इस प्रकार वे गरीबों की अपेक्षा भविष्य की दर कम आँकेंगे।

आय के काल वितरण के सम्बन्ध में तीन स्थितियों का अनुमान किया जा सकता है। किसी की आय जीवन भर बराबर रह सकती है, आय के साथ बढ़ सकती है, तथा आय के साथ घट सकती है। यदि वह एक समान है तो व्यय करने की व्यग्रता भविष्य को कम आकने की दर, आय की मात्रा तथा व्यक्ति के स्वभाव से प्रभावित एवं निर्धारित होगी। यदि आय के साथ आय अधिक होती है, तो इसका अर्थ यह है कि भविष्य अच्छी तरह सुरक्षित है। तो उस दशा में भविष्य की दर ऊँची आकने की प्रवृत्ति होगी। यदि आय उम्र बढ़ने के साथ घटती है, तो इसके विपरीत होगा अर्थात् भविष्य का मूल्यांकन अल्प दर से किया जाएगा।

किसी व्यक्ति के समय अधिमान की दर इस बात पर भी आधारित है कि उसकी आय का कितना भाग उधार माँगा जा रहा है। उधार का भाग जितना बड़ा

होगा ब्याज की दर उतनी ऊँची होगी, चूँकि ऐसा करने में उधार देने वाले को अधिक नकदी का त्याग करना पड़ता है।

इस प्रकार, व्यक्तिगत अवधि-अधिमान इस तरह निर्धारित होने के बाद ब्याज की दर के समान हो जाता है। एक व्यक्ति, जो बाजार की ब्याज दर की अपेक्षा अवधि-अधिमान की अधिक ऊँची दर रखता है, वह अपनी तीव्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण लेने को प्रेरित होता है। यदि उसकी अवधि अधिमान की दर बाजार की ब्याज दर से कम होती है, तो वह ऋण देगा और इससे लाभ उठाएगा। इस प्रकार व्यक्ति अपनी आय धारा का प्रभाव उधार देकर या उधार लेकर परिवर्तित करेगा। इस क्रिया से ब्याज की दर अवधि अधिमान अथवा समय अधिमान (time preference) की दर के समान हो जाएगा।

७ नव-शास्त्रीय सिद्धान्त (New Classical Theory) —नव-शास्त्रीय अर्थ-वेत्ताओं का यह कहना था कि पूँजी के सम्बन्ध में ब्याज की दर का वही वापस है जो वस्तुओं के सम्बन्ध में कीमत का होता है—अर्थात् माँग और पूर्ति के बीच साम्य स्थापित करना। किसी वस्तु के सम्बन्ध में क्या होता है? मान लो गहूँ की माँग पूर्ति की अपेक्षा अधिक है। इसका फल यह होगा कि कीमत ऊँची होगी और कम भावदपक खरीदारों को एक तरह से खेतावनी मिल जाएगी। इस प्रकार माँग कम होकर पूर्ति के बराबर होगी। प्रबन्ध मान लो पूर्ति माँग से अधिक है। इससे कीमत घटेगी और माँग में वृद्धि होने से मण्डी से पूर्ति की मात्रा कम हो जाएगी। इस प्रकार कीमत के घटने बढ़ने से माँग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं।

ठीक इसी प्रकार का काम ब्याज की दर करती है। यदि माँग अर्थात् नियोजन (investment) पूर्ति अर्थात् बचत (savings) से अधिक है तो ब्याज की दर ऊँची होगी। इसके विपरीत यदि नियोजन से बचत की मात्रा अधिक है तो ब्याज की दर घटेगी। इससे बचत की मात्रा घटेगी और नियोजन में वृद्धि होगी। इस प्रकार ब्याज की दर बचत तथा नियोजन के बीच साम्यावस्था (equilibrium) स्थापित करने का काम करती है। इस तरह नियोजन तथा बचत में साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। संक्षेप में, ब्याज की दर उस स्थान पर स्थिर होगी जहाँ बचत और माँग दोनों बराबर हैं।

इस सिद्धान्त की निम्नलिखित आधारे पर आलोचना की गई है

(1) कुछ बचत अनैच्छिक रूप से हो जाती है। उस पर ब्याज की दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साम्य लाने के सम्बन्ध में ब्याज की दर की महत्ता बढ़ाकर कही गई है। (ii) एक कड़ी आलोचना कीस (Keynes) द्वारा की गई है। उनका कहना है कि इस सिद्धान्त में यह मान लिया जाता है कि समाज की आय उतनी ही बनी रहती है जो कि वास्तव में ठीक नहीं है। यदि प्रायः दो हई हैं तो यह सिद्धान्त ठीक है। उदाहरणार्थ, ब्याज की ऊँची दर से बचत में वृद्धि होगी लेकिन इस बात को यहाँ भुला दिया जाता है कि इस ऊँची दर का आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऊँची दर के प्रभाव से पूँजी का लगाना कम हो जाएगा। इससे प्रायः गिर जाएगी और फिर बचत करने की शक्ति भी कम हो जाएगी। कीस (Keynes) के कथनानुसार साम्य

की स्थापना व्याज की दर पर नहीं बल्कि आय के स्तर पर निर्भर है। उनका कहना है कि साम्य व्याज की दर में परिवर्तन द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि नियोजन तथा बचत सर्वत्र समान रहते हैं और यह समानता आय स्तर में परिवर्तन के कारण होती है, न कि व्याज की दर में परिवर्तन से।

कीस का व्याज सिद्धान्त—तरलता अधिमान (Keynes' Theory of Interest—Liquidity Preference) —अपनी "कार्य नियोजन, व्याज तथा द्रव्य के सामान्य सिद्धान्त" नामक युगान्तरकारी पुस्तक में स्वर्गीय लॉर्ड कीस (Lord Keynes) ने व्याज के सिद्धान्त को एक नया दृष्टिकोण दिया। उनके मतानुसार

व्याज एक निश्चित अवधि के लिए द्रव्य के परित्याग का पुरस्कार है।¹

एक निश्चित आय वाले व्यक्ति को पहले यह निर्णय करना होता है कि वह कितना उपभोग करे और कितनी बचत। पहली बात कीस के शब्दों में, व्यक्ति की उपभोग वृत्ति (propensity to consume) पर निर्भर करेगी। इस वृत्ति के पूर्ण होने पर व्यक्ति अपनी आय के कुछ अंश को बचाएगा। अब उसे दूसरा निर्णय करना होगा। क्या वह अपने साधनों को द्रव्य (money) के रूप में रखे जिससे किसी भविष्य समय पर वस्तुओं, सेवाओं तथा क्रय शक्ति पर वह तात्कालिक नियन्त्रण कर सके। अपने साधनों में से कितना वह चालू द्रव्य (नकद या बिना व्याज के बैंक में अमानत) के रूप में रखेगा और कितना वह उधार देगा, यह कीस के कथनानुसार तरलता अधिमान (liquidity preference) पर निर्भर होगा। उधार देने की जितनी ही कम इच्छा होगी उतनी ही अधिक तरलता अधिमान होगा। जैसा कि मेयर्स (Meyers) ने कहा है, "तरलता अधिमान वह अधिमान है जिसमें दूसरे पर दावों की अपेक्षा समान राशि की नकदी हो।" यदि भविष्य की अपेक्षा में अर्थ समान राशि का माल तथा नकदी रखना चाहें, तो मेरे अधिमान की दर निश्चयात्मक (positive) होगी। किन्तु यदि मैं समान राशि वर्तमान की अपेक्षा भविष्य में लेना चाहूँ तो इसे अधिमान की नकारात्मक दर (negative rate of preference) कहेंगे।

किसी व्यक्ति विशेष का तरलता अधिमान (liquidity preference) कई बातों पर निर्भर है। प्रश्न यह है कि लोग अपने साधनों को द्रव्य अर्थात् नकद रूपों के रूप में क्यों रखते हैं, जब कि उधार देने से उनको व्याज मिल सकता है। इसके कई कारण हैं (१) लोग नकद इसलिए रखते हैं जिससे "आय की प्राप्ति और व्यय के बीच के समय का काम चलाया जा सके।" इसी का दूसरा नाम द्रव्य हेतु (money motive) है। अधिकांश लोगो को सप्ताह या महीने में आय मिलती है जब कि खर्च हर दिन चलता रहता है। इसलिए नकद रूपों का भुगतान करने के लिए पाम रखना जरूरी होता है। उसकी मात्रा व्यक्ति की आय, आय प्राप्त होने की अवधि तथा स्थान विशेष में प्रचलित भुगतान के तरीकों पर निर्भर करती है।

(ii) व्यापारियों और उद्योगपतियों को भी अपने साधनों के कुछ अंश को

1 "Interest is the reward for parting with liquidity for a specified period"—Keynes: General Theory of Employment, Interest and Money p 167

नकद रूप में रखना होता है, जिसे विभिन्न प्रकार के भुगतान किए जा सकें। इस तरह द्रव्य का कार्य विनिमय करना है। कीस (Keynes) के अनुसार, इसे "व्यापार हेतु" (Business Motive) कहते हैं।

इन दोनों हेतुओं को एक दर्ज अर्थात् "कार्य सम्पादन हेतु" (transaction motive) कह कर किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि सौदा (कार्य-सम्पादन) तो उपभोक्ता तथा उद्यमी (entrepreneur) दोनों ही को करना पड़ता है।


(iii) अप्रत्याशित आवश्यकताओं के खर्च के लिए भी नकद रखा जाता है। ऐसे मौकों पर ऋण वापिस लेना शायद असम्भव हो अथवा उसके लेने से हानि की आशंका हो, जैसे कि सिक्युरिटियों को नुकसान में बेचना पड़े। इस प्रकार द्रव्य रखने को कीस (Keynes) "पूर्वावधान हेतु" (Precautionary motive) कहते हैं।

(iv) द्रव्य को जमा करने का एक कारण और भी है। एकमुश्त रकम लगाने से पूर्व यह जरूरी है कि द्रव्य को धीरे-धीरे जमा किया जाए। इसलिए, कुछ समय के लिए पैसे को अपने पास रखना पड़ता है। मन्तव्य काल (transition period) में पैसे को नकदी के रूप में रखना जरूरी है, जबकि निवेशक (investor) ने एक विस्म की आस्तियाँ (assets) बेच दी हो और इसके बजाए दूसरे काम में रूपा लगाए की देखभाल कर रहा हो। इस प्रकार पंसा रखने को "वित्तीय हेतु" (financial motive) कहते हैं।

(v) कुछ लोग सट्टेबाजी के लिए भी नकद रकम रखते हैं। इसे 'सट्टे हेतु' (speculative motive) कहते हैं। सट्टे हेतु (speculative motive) के लिए द्रव्य रखने का विचार कीस (Keynes) के आधार पर तथा विचार है। स्पष्ट ही, यह पूर्वावधान हेतु (precautionary motive) के अन्तर्गत मूल्य के भण्डार (store of value) को बताता है। किन्तु इसे बनाने का कारण दूसरा है। इस हेतु से रखा गया नकद पंसा सट्टेबाजी जैसे लाभ कमाने के लिए है और इस काम को बाँड आदि के क्रय-विक्रय से किया जा सकता है, जिनकी कीमत घटती-बढ़ती रहती है। इस हेतु के अन्तर्गत रखी जाने वाली धन की राशि, व्याज की दर से निश्चित होगी। यदि व्याज की दर गिरने की आशा है अर्थात् बाँड की कीमत बढ़ने की, तो व्यापारी बाँड इसलिए खरीदेंगे कि कीमत बढ़ने पर उन्हें बेचा जाए। दूसरे शब्दों में, सट्टे के लिए व्याज की कम दर की अपेक्षा ऊँची दर पर नकदी की माँग कम होगी। स्पष्ट शब्दों में स्थिति इस प्रकार होगी : व्याज की दर कम होने पर अधिक रखा जाएगा और व्याज की दर ऊँची होने पर कम रखा जाएगा। बीजगणित (Algebra) के अनुसार स्थिति यह होगी : इस हेतु के अन्तर्गत द्रव्य की माँग व्याज की दर के अनुसार घटता हुआ वृत्त्य (decreasing function) है। निम्नलिखित रेखाचित्र में इस सिद्धान्त का निरूपण इस प्रकार किया गया है —

OX रेखा के साथ सट्टे के लिए द्रव्य की माँग (कीस इसे 'अक्रिय शेष' "inactive balances" के नाम से पुकारते हैं) दिखाई गई है, और OY रेखा के

साय ब्याज की दर । l_p तरलता अधिमान (liquidity preference) है



चित्र ५६

जिसे ढाल पर वक्र के द्वारा दिखाया गया है, और यह दाईं ओर को मुड़ता है। इससे पता चलता है कि सट्टा हेतु के लिए द्रव्य की माँग जितनी कम होगी ब्याज की दर उतनी ही ऊँची होगी और वक्र को उपर्युक्त स्थिति होगी, तथा इसके विपरीत स्थिति वैसे ही बदल जाएगी। दाईं ओर अनुसूची अधिक लोचदार होती है और ब्याज की बहुत


कम दर पर बाँड की कीमत बहुत ऊँची है और ब्याज की दर मजरा-सी गिरावट से, मट्टे के लिए खरीदने की बहुत अधिक माँग होती है, क्योंकि कीमता के किसी भी क्षण गिरने की आशंका रहती है।

य पाँच हेतु परस्पर मिलकर द्रव्य की माँग का निर्णय करते हैं। कीस (Keynes) के अनुसार पहले तीन हेतुओं के अन्तर्गत रखा गया द्रव्य 'त्रियात्मक शेष' (active balances) कहलाता है और अन्तिम हेतु के अन्तर्गत रखा गया 'अक्रिय शेष' (inactive balances)। इसके कारण स्पष्ट है। सक्रिय शेष मुख्य रूप से आय के कृत्य हैं लेकिन अक्रिय शेष (inactive balances) ब्याज की दर (जैसा ऊपर दिखाया गया है) के कृत्य हैं। मान लीजिए कि हम पहले को M_1 तथा दूसरे को M_2 के नाम से पुकारते हैं। इसलिए किसी विशेष समय में द्रव्य की कुल माँग का स्वरूप $M_1 + M_2$ होगा।

जहाँ तक द्रव्य की पूर्ति का प्रश्न है, वह किसी देश के सेंट्रल बैंक की नीतियों द्वारा निश्चित होता है। द्रव्य की कुल सप्लाई में, सिक्के (coins) + बैंक नोट + बैंक निक्षेप (deposits) शामिल होते हैं। इस हम M कहते हैं।

अब हमारे मामले में द्रव्य की माँग के रखने का (to hold), तथा द्रव्य की पूर्ति के रखने का (to hold) स्पष्ट चित्र है। अब हम यह देखना है कि वास्तव में ब्याज की दर का निर्णय कैसे होता है। निम्नलिखित रेखाचित्र का ध्यान से अध्ययन कीजिए। बाईं ओर के रेखा चित्र में सक्रिय शेष (active balances) दिखाय गये हैं अर्थात् M_1 । यह आय कृत्य के रूप में है। जैसे आय y_1 से y_2 की ओर बढ़ती है M_1 की माँग OA से बढ़कर OA' हो जाती है, और यह क्रम इसी प्रकार चलता है। M_1 पर ब्याज की दर का प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव तभी पड़ता है जब ब्याज की दर बहुत ऊँची हो जाती है—अर्थात् y_3 से अधिक अंसा कि हमारे रेखाचित्र से

स्पष्ट है। इसलिए i_0 के बाद, y_1, y_2, \dots, y_7 को पिछली ओर को दाबवां दिखाया गया है, अर्थात् ब्याज की दर में वृद्धि से M_1 की मांग कम हो जाती है, जबकि आय वही रहती है।



चित्र ६०

दाईं ओर के रेखाचित्र द्वारा अक्रिय शेष (inactive balances) दिखाये गये हैं, अर्थात् M_2 में।

इन दोनों रेखाचित्रों का साथ अध्ययन करने में निम्नलिखित बातों का पता चलता है।

(i) विशिष्ट द्रव्य पूर्ति ($OA + OB$) तथा विशिष्ट आय (y_0), ऐसी स्थिति में ब्याज की दर जितनी ऊँची होगी, तरलता अधिमान भी उतना ही अधिक होगा और ब्याज की दर जितनी कम होगी, तरलता अधिमान भी उतना ही कम होगा। उपर्युक्त रेखाचित्र में आय के y_0 स्तर पर, द्रव्य की पूर्ति $OA + OB$ होने से, जब तरलता अधिमान lp है, तो ब्याज की दर i_0 है। लेकिन जब तरलता अधिमान बढ़ कर $l'p'$ हो जाता है, ब्याज की दर बढ़कर i_1 हो जाती है, यदि दूसरे हालात समान रहे। इसी प्रकार, जब तरलता अधिमान गिरता है, तो ब्याज की दर भी कम होगी, यदि दूसरे हालात समान रहें।

(ii) विशिष्ट तरलता अधिमान (lp) पर, तथा विशिष्ट आय (y_0) पर, द्रव्य की पूर्ति जितनी अधिक होगी, ब्याज की दर उतनी ही कम होगी। और द्रव्य की पूर्ति जितनी कम होगी, ब्याज की दर उतनी ही अधिक होगी। उपर्युक्त रेखाचित्र में जब y_0 आय-स्तर पर, तरलता अधिमान को lp द्वारा दिखाया गया है, द्रव्य की पूर्ति $OA + OB$ से बढ़कर $OA + OB'$ हो जाती है, तो ब्याज की दर i_0 से गिर कर i_1 हो जाती है। इसी तरह, यदि सब हालात समान रहें तो, पूर्ति में घटोत्तरी होने से ब्याज की दर बढ़ जाएगी।

(iii) विशिष्ट तरलता अधिमान ($l p$) होने पर, और विशिष्ट द्रव्य की पूर्ति $OA + OB$ होने पर, आय जितनी अधिक होगी, व्याज की दर उतनी ही अधिक होगी, तथा आय जितनी कम होगी, व्याज की दर उतनी ही कम होगी। उपर्युक्त रेखाचित्र में $OA + OB$ द्रव्य की पूर्ति की स्थिति में, तरलता अधिमान को $l p$ वक्र द्वारा दिखाया गया है, तो आय y_0 से बढ़कर y_1 हो जाती है, व्याज की दर i_0 से बढ़कर i_1 हो जाती है। यह इसलिए होता है कि सट्टे हेतु के लिए द्रव्य की पूर्ति में घटोत्तरी होती है। द्रव्य की कुल पूर्ति $OA + OB$ रहती है, आय में y_0 से y_1 वृद्धि होती है जिससे M_1 के अन्तर्गत बढ़कर AA' हो जाती है। M_2 से BB' राशि निकाल ली जाती है। इससे व्याज की दर बढ़ जाती है। अतः आय में परिवर्तन होने से व्याज की दर पर, द्रव्य की सापेक्ष माँग के कारण, M_1 तथा M_2 के लिए, प्रभाव पड़ता है।

संक्षेप में यह स्पष्ट है कि तरलता अधिमान सिद्धान्त के अनुसार, तरलता अधिमान द्वारा, एक ओर तो व्याज की दर का निर्धारण होता है और दूसरी ओर द्रव्य की पूर्ति। आय को सतत (constant) मान कर, तरलता अधिमान, अथवा द्रव्य की माँग, का निर्देश उग माँग से है जो सिर्फ सट्टेबाजी के लिए है। इस प्रकार, तरलता अधिमान जितना अधिक होगा, विशिष्ट द्रव्य पूर्ति पर व्याज की दर उतनी ही अधिक होगी, तथा स्थिति के अनुकूल इसके विपरीत भी विलोमत ऐसा ही होगा। यानी द्रव्य की पूर्ति अधिक होने पर विशिष्ट तरलता अधिमान में, व्याज की दर कम होगी, तथा स्थिति के अनुकूल इसके विपरीत भी विलोमत ऐसा ही होगा। अतः सट्टेबाजी के हेतु यह द्रव्य की माँग है जो द्रव्य की पूर्ति के साथ मिलकर व्याज की दर निर्धारण करती है। आय के विचार करने पर, द्रव्य की माँग का निर्देश $M_1 + M_2$ से होता है।

६ कौंस के सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of Keynes's Theory)—
कौंस ने व्याज की व्याख्या वास्तविक शक्ति के रूप में न करके शुद्ध द्रव्य शक्ति के रूप में की है। वे इस बात में सहमत थे कि पूँजी की शुद्ध भीमान्त उत्पाद की प्रवृत्ति व्याज की चालू दर के समान होने की है लेकिन व्याज की दर का निर्णय सीमान्त शुद्ध उत्पाद से नहीं होता। उसके अनुसार व्याज बचत का मुद्रावला नहीं है, बल्कि बचत में से (एक हिस्सा) दूसरे को देने का है। व्याज की दर बचत तथा नियोजन के बीच साम्बाधस्था पैदा नहीं करती। समानता तो आय के स्तर में परिवर्तन से पैदा होती है। कौंस (Keynes) के सिद्धान्त की एक कठिनाई उनके द्वारा अर्थद्वि गई "द्रव्य" की परिभाषा में उपस्थित होती है। उनका कहना है कि द्रव्य का विस्तार (co-extension) बैंक में जमा रकम के साथ होता है। दूसरी ओर रॉबर्टसन (Robertson) के साथ किये गए विचार-विनिमय में वह बैंक में जमा रकम में से साख (credit) को बहिष्कृत करते हुए प्रतीत होते हैं।

दूसरे, कौंस (Keynes) व्याज की दर को नियोजन की रकम की माँग से स्वतन्त्र मानते हैं। वास्तव में वह उतनी स्वतन्त्र नहीं होती। व्यवसायियों के रोकड़ बाकी पर पूँजी लगाने के लिए धन की माँग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। पूँजी की माँग

उसकी पूँजी की सीमान्त उत्पादन शक्ति पर निर्भर करती है और इस प्रकार ब्याज की दर पूँजी की सीमान्त उत्पादन क्षमता से स्वतन्त्र होकर निर्धारित नहीं की जा सकती ।

कीन्स (Keynes) का सिद्धान्त किसी सीमा तक बाम बावर्क (Bohm Bawerk) के पारितोषिक के सिद्धान्त (Agió Theory) से मिलता है, जिसे बाम बावर्क "भविष्य का कम मूल्यांकन करना" कहते हैं और फिशर (Fisher) जिसे "समय अधिमान" (Time Preference) कहते हैं, उसी को कीन्स "उपभोग की प्रवृत्ति" (Propensity to Consume) का नाम देते हैं । वास्तव में उन दोनों का भास्यम वर्तमान वस्तुओं की प्राप्ति को भविष्य की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक पसन्द करने से है । एक ब्याज को विद्यमान वस्तुओं पर अधिमूल्य (premium) मानता है, दूसरा उसे नकदी के परित्याग (parting with liquidity) का पुरस्कार समझता है । सार दोनों का एक ही है ।

परन्तु जहाँ बाम बावर्क (Bohm Bawerk) अप्रत्यक्ष रूप से पूँजी की उत्पादक शक्ति को एक निर्णायक तत्त्व स्वीकार करने हैं, वहाँ कीन्स ऐसा नहीं मानते । कीन्स (Keynes) के मत में चालू पूँजी के नियोजनों का महत्त्व नहीं होता कि उन्हे ब्याज की दर का निर्णायक तत्त्व माना जाए । वास्तव में उन पर ब्याज का प्रभाव पड़ता है ।

इसलिए सब मिलाकर कीन्स (Keynes) का सिद्धान्त ब्याज को स्पष्ट करने के लिए अपर्याप्त है क्योंकि उसमें केवल द्रव्य के अग्र को विचार में लिया गया है । वह वास्तविक द्रव्य सम्बन्धी शक्तियों (ऋणीय कोप से पृथक् पूँजी की माँग और पूर्ति) की क्रिया को प्रकाश में नहीं लाता ।


१० ब्याज का निधोजक निधि सिद्धान्त (The Investible Funds Theory of Interest) — इस सिद्धान्त का स्पष्टीकरण जे० एस० बेन (J S Bam) द्वारा उनकी पुस्तक "कीमत, वितरण तथा नौकरी" में हुआ है ।^१ उनका कहना है कि किसी दिय हुए समय में ब्याज की दर नियोजन निधि की कुल माँग तथा कुल पूर्ति की साभावस्था द्वारा निर्धारित की जाती है । ऐसी निधि की माँग नियोजन तथा नकद रकम की माँग होती है और निधोजक निधि की पूर्ति बचत की मात्रा तथा नकद रकमों या तरल शेषों (liquid balances) से पँदा होती है ।

यह आवश्यक नहीं है कि ब्याज की इस दर पर बचत और नियोजन एक समान हो । इन दोनों के बीच का अन्तर धन गाड़ने अथवा न गाड़ने से होना है । उदाहरण के लिए यदि बचत नियोजन से अधिक है, तो वह रकम जमीन में दबा कर जमा कर ली जाएगी, और यदि नियोजन बचत से अधिक है, तो वह रकम जमा से निकलेगी ।

हम किसी भी समय में तीन प्रकार की माँग तथा पूर्ति सूची प्राप्त कर सकते हैं जिनको रेखाचित्रों में इस तरह दिखाया जा सकता है—

1. Bam, J S—Pricing, Distribution, and Employment 1943, p. 384-

(१) I रेखा विनियोग (investment)¹ की रेखा है जो विनियोग तथा उपभोग के लिए आवश्यक मांग प्रकट करती है और S वचत की रेखा है जो



ब्याज की दर निर्धारण करने वाला रेखाचित्र
चित्र ६१

नियोजन तथा गाड़ कर रखन (hoard) के लिए उपलब्ध है ब्याज की एक दर पर I (विनियोग) और S (वचत) बराबर होंगे। इस चित्र में यह दर R_1M_1 के द्वारा दिखाई गई है जो I तथा S वक्रों के काटन के स्थान पर पड़ता है।

(२) निधि मांग की दूसरी अनुसूची DL रेखा से दिखाई गई है जो इस बात की प्रदर्शन करती है कि नकदी के रूप में रखने के लिए कितनी मात्रा की मांग है (अर्थात् बिलकुल खर्च न करने के

लिए) और SL पूर्ति की रेखा है जो इस बात को बताती है कि तकनी गैप में से कितना मात्रा उपलब्ध है। ब्याज की एक दर पर दोनों (अर्थात् नकदी के लिए मांग तथा नकदी की पूर्ति) बराबर होंगे। यह दर R_2M_2 होगी जो DL और SL रेखाओं के एक दूसरे को काटने के बिंदु पर मिलती है।

(३) दाइ और की अनुसूचियाँ मांग तथा पूर्ति दोनों को ही उपयुक्त दोनों अनुसूचियों के कुल योग (total) के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें कुल मांग अनुसूची द्वारा नियोजन के लिए मांगी गई राशि का प्रदर्शन होगा (जैसा कि उपयुक्त अनुसूची न० १ में है) + (न० २ अनुसूची में) तरल गैप (Liquid balance) के लिए मांगी गई राशि। दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार रख सकते हैं $I + DL$ । इतको कुल मांग वक्र AD (काली लाइन) द्वारा दिखाया गया है। इसी प्रकार AS (काली लाइन) कुल पूर्ति वक्र है जो कि नियोजन योग्य कुल निधि की पूर्ति प्रदर्शित करता है अर्थात् वचत में से (जैसा कि न० १ में ऊपर दिखाया गया है) + तरल गैप में से (जैसा न० २ में ऊपर दिखाया गया है)। R_1M_1 ब्याज की वास्तविक दर, वह होगी जिस पर नियोजन योग्य कुल निधि की मांग नियोजन योग्य कुल निधि की पूर्ति के बराबर हो (जैसा कि उपयुक्त परिभाषा में बतलाया गया है)। और जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया गया है। यह AD कुल मांग अनुसूची तथा AS कुल पूर्ति अनुसूची के काटने वाले बिंदु पर होगा। B पर दो दरों के बीच

1 अंग्रेजी investment शब्द के लिए 'व्यययोग' तथा 'नियोजन' दोनों शब्दों की प्रयोज्यता का रूप में लिया गया है।

की दर होगी अर्थात् R_1R_2 के जैसा कि अनुसूची से स्पष्ट है। तथा यह वह दर नहीं है जिस पर बचत और नियोजन समान होते हैं। दोनों के बीच का भेद (discrepancy) जब दबाकर धन रखने या मट्टेबाजी (hoarding) अथवा मट्टेबाजी न करने (dishoarding) जैसी स्थिति हो, की समान राशि से सन्तुलित होता है। बचत और नियोजन में असमानता (disparity) के कारण एक काल (period) से दूसरे तक द्रव्य आय में परिवर्तन होगा। उदाहरण के लिए, यदि बचत की तुलना में नियोजन अधिक है, तो इससे द्रव्य आय में वृद्धि होगी, और यदि बचत नियोजन से अधिक हो तो दूसरे काल में द्रव्य आय कम होना जरूरी है। द्रव्य आय की घटती-बढ़ती तब तक चलेगी जब तक बचत और नियोजन समान न होंगे।

— ११ सीमान्त-उत्पादन-शक्ति-सिद्धान्त (Marginal Productivity Theory)—‘मूल्य’ शब्द की किसी भी रूप में उचित व्याख्या देना बड़ा कठिन है, जब तक हम इसके पीछे मांग तथा पूर्ति की शक्तियों का अध्ययन नहीं करते। ब्याज की सबसे सन्तोषजनक व्याख्या सीमान्त-उत्पादन शक्ति-सिद्धान्त है, उसी प्रकार यह सिद्धान्त मूल्य की भी सन्तोषजनक व्याख्या करता है। सीमान्त-उत्पादन-शक्ति उस सम्बन्ध की अभिव्यक्ति है जो एक ओर तो दुर्लभता (पूर्ति) की मात्रा में तथा दूसरी ओर वस्तु अथवा सेवा (मांग) के वैकल्पिक उपयोगों में है जिनमें उन वस्तुओं या सेवाओं को प्रयोग किया जा सकता है या लगाया जा सकता है। जब हम इसे ब्याज पर लागू करते हैं, अथवा पूँजी से उठाई गई कीमत पर लागू करते हैं तो इसके अन्तर्गत मांग और पूर्ति दोनों ही आ जाते हैं।

मांग का विश्लेषण (Analysis of Demand)—मांग पक्ष में यह बात ध्यान देने योग्य है कि उधार की जट्रत दो कामों के लिए है। (i) उपभोग, तथा (ii) उत्पादन। उधार लेने वालों में उपभोग की मांग समय अधिमान (time preference) पर आधारित है। दूसरे शब्दों में यह इस बात पर आधारित होगी कि वे अपनी भविष्य की मांगों को कितना महत्त्व देते हैं। यदि वे मौजूदा मांग को पूरा करना ज्यादा जरूरी समझें, तो वे ब्याज की ऊँची दर पर भी उधार लेने को तैयार होंगे।

लेकिन उपभोग के लिए उधार की मांग उत्पादक कार्यों की तुलना में महत्त्वहीन है। उत्पादक अथवा उद्यमी जो ब्याज की दर देना चाहेंगे वह लाभ की प्रत्याशित दर पर आधारित होगा और यह पूँजी के सीमान्त-उत्पादन मूल्य पर निर्भर रहेगा। किसी समुदाय के उपलब्ध पूँजी स्रोतों को कई कामों में लगाया जा सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में, पूँजी की एक मात्रा का वितरण इस प्रकार होता है कि जिससे इसकी सीमान्त उपयोगिता अथवा उत्पादन-शक्ति विभिन्न उपयोगों में समान हो जाए। यदि किसी उपयोग-विशेष में पूँजी की सीमान्त-उत्पादन-शक्ति अधिक है, या यदि उसे वहाँ अधिक प्राप्ति (return) होती है, तो पूँजी का आकर्षण उस ओर सब तक बना रहेगा जब तक इसकी सहायता से तैयार माल कीमत न गिरा दे। इसलिए पूँजी की सीमान्त उत्पादन-शक्ति यह उपयोग है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक इस उपयोग से होने वाली प्राप्ति और उपयोगों से होने वाली प्राप्तियों

के समान न हो जाए। यह बात दोहराने की आवश्यकता है कि पूंजी की सीमान्त उत्पादन-शक्ति वह अतिरिक्त (additional) योग है जो कुल पैदावार में अतिरिक्त पूंजी की इकाई लगाकर होता है।

उधार लेने वाला व्यक्तिगत रूप में ब्याज की दर निर्धारित नहीं करता। ब्याज की दर तो सीमान्त ऋणदाता और ऋण लेने वाले तय करते हैं, और यह ऐसी होनी चाहिए जिस पर पूंजी की कुल माँग और उसकी पूर्ति साम्यावस्था में हो। वास्तव में व्यक्तिगत माँग के बजाए यह कुल माँग महत्वपूर्ण है। यदि पूंजी के लिए कुल माँग में वृद्धि होती है, तो ब्याज की दर में वृद्धि होगी, और इसके विपरीत भी विलोम ही होगा। पूंजी की अधिक माँग का अर्थ है एक निर्दिष्ट पूर्ति की ऊँची सीमान्त उत्पादन-शक्ति और कम माँगों का अर्थ है कम सीमान्त-उत्पादन-शक्ति। इन अर्थों में सीमान्त-उत्पादन-शक्ति ब्याज की दर निश्चित करती है।

पूर्ति का विश्लेषण (Analysis of Supply)—लेकिन पूर्ति के विषय में क्या कहा जा सकता है? अभी तक हमने पूर्ति को दिया हुआ मान लिया था। थोड़ी अवधि के लिए हम पूर्ति को स्थिर मान सकते हैं क्योंकि पूंजी की नई पूर्ति में समय लगता है। तो पूंजी की पूर्ति पर किन बातों का प्रभाव पड़ना है? उधार मिलने वाली रकम की सलाई (पूर्ति) इस बात पर आधारित है कि उधार देने वालों का समय तथा तरलता अधिमान (time and liquidity preference) के सम्बन्ध में क्या विचार है। इससे इस बात का निर्णय भी होता कि वे अपने निजी व्यापार में कितना पैसा लगाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बाजार से रुपया उधार लेने में उन्हें ब्याज की ऊँची रकम देनी पड़ती है, जो उनके समय और तरलता अधिमान से अधिक है, तो वे बाजार से उधार न लेकर अपने पैसे को अपने व्यापार में ही लगाएँगे। इसके विपरीत, यदि उनके समय तथा तरलता अधिमान से बाजार में ब्याज की दर कम है तो वे बाजार से उधार लेंगे।

जैसा कि एक पिछले अध्याय में बताया गया है, पूंजी की पूर्ति एक तो (क) बचत की शक्ति तथा दूसरे (ख) बचत की इच्छा पर निर्भर करती है। बचत की शक्ति (the power to save) तीन बातों पर निर्भर करती है : (i) कुल उत्पादन, (ii) जीवन-स्तर को कायम रखने के लिए निम्नतम आवश्यकताएँ, और (iii) बैंकिंग प्रणाली का विकास।

बचत की इच्छा शक्ति (The will to save) चार बातों पर निर्भर करती है—१. विधि और व्यवस्था तथा सुरक्षा का आश्वासन, २. देश में उपलब्ध बैंकिंग की सुविधाएँ, ३. ब्याज की दर की आशाएँ, तथा ४. अपने तथा अपने कुटुम्ब की भावी सुरक्षा का विचार।

जब बचत व्यक्तियों की अपेक्षा सार्वजनिक सस्थाओं द्वारा की जाती है, तो बचत की रकम अन्य बातों के अतिरिक्त उनकी नीति के ऊपर भी निर्भर करेगी।

बैंकिंग की साख से भी द्रव्य की पूर्ति होती है।

ब्याज की दर और बचत के बीच के सम्बन्ध को भी समझ लेना चाहिए। कुछ लोग एक समान रकम बचाएँगे, चाहे ब्याज की दर कम हो या अधिक। वे लोग कैब्रूत

हो सकते हैं, या बहुत अमीर। अन्य लोग, ब्याज की चाहे जो कुछ दर हो, बचत नहीं करेंगे। वे लोग बहुत गरीब हो सकते हैं या अपव्ययी। कुछ लोग ऐसे होंगे, जो कि ब्याज की दर जब कम होगी, तब अधिक बचाएंगे और जब अधिक होगी तब कम बचाएंगे। इस प्रकार सभी लोग भविष्य के लिए कुछ निश्चित आय की व्यवस्था करना चाहते हैं। यदि ब्याज की दर ऊँची है तो थोड़ी पूँजी के नियोजन से भी उन्हें पर्याप्त आय हो सकती है। किन्तु यदि ब्याज की दर कम है तो अधिक पूँजी लगानी पड़गी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ब्याज दर ऊँची होने पर अधिक पूँजी बचाते हैं, और ब्याज दर नीची होने पर कम बचाते हैं। परन्तु सब मिलाकर यह कहा जा सकता है कि देश में ब्याज की दर ऊँची होने से बचत को प्रोत्साहन मिलता है, और कम दर का विपरीत प्रभाव होता है। यदि ब्याज की दर इतने लम्बे समय तक ऊँची रहती है जिनसे बचत के लिए प्रेरणा होगी तो पूँजी की पूर्ति बढ़ेगी, उसकी सीमान्त-उत्पादन शक्ति घटेगी और ब्याज की दर आगे चल कर कम हो जाएगी।

हम एक साम्यावस्था की स्थिति (equilibrium) से आरम्भ करते हैं। मान लीजिए कि बचत में आकस्मिक वृद्धि होती है और इस प्रकार पूँजी की पूर्ति बढ़ जाती है। उससे ब्याज की दर कम हो जाएगी, क्योंकि पूँजी की सीमान्त-उत्पादन-शक्ति कम हो जाएगी, अर्थात् पूँजी ऐसे कामों के लिए भी उपलब्ध होगी, जिनमें उसकी सीमान्त-उत्पादन-शक्ति कम होगी। ब्याज की दर का गिरना उस समय रुकेगा जबकि दर वहाँ तक पहुँच जाएगी जहाँ कि उसके गिरने में माँग में जो बढ़ती हुई हो, वह पूर्ति के समान हो जाए। इसके विपरीत सब होगा जबकि पूँजी की पूर्ति में कमी होगी। पूँजी अपेक्षाकृत दुर्लभ होने पर ऐसे ही कार्यों में प्रयुक्त होगी, जिनमें उसकी सीमान्त उत्पादन शक्ति अधिक ऊँची होगी। तब ब्याज की दर बढ़ जाएगी। माँग और पूर्ति ऊँचे ब्याज की दर पर साम्यावस्था में होंगी।

माँग की वृद्धि का असर वही होता है, जो पूर्ति में कमी का होता है। और माँग की कमी का वही असर होता है जो कि पूर्ति में वृद्धि का होता है।

ब्याज की मार्केट दर वह होगी जिस पर कि पूँजी की माँग और पूर्ति साम्यावस्था में है अर्थात् वह बिन्दु जिस पर सकल उधार देने वालों की राशि सकल उधार लेने वालों की राशि के समान बैठती है।

ब्याज और दुर्लभता का सिद्धान्त (Interest and the Scarcity Principle)—वास्तविक स्रोतों (resources) की दृष्टि से ब्याज की उत्पत्ति एक और तो दुर्लभ साधनों से तथा दूसरी ओर उनके हो सकने वाले अनेक प्रकार के वैकल्पिक उपयोगों के सम्बन्ध से होती है। इस वास्तविक अर्थ में पूँजी की सीमान्त-उत्पादन-शक्ति उन वस्तुओं की सीमान्त-उपयोगिता से उत्पन्न होती है जिनके उत्पादन के लिए पूँजी (अन्य साधनों के सहित) की सेवाएँ प्राप्त की जाती हैं।

निर्दिष्ट स्रोत तथा प्रतियोगी माँग प्रामाण्य सामन्य आ जाती हैं। इन स्रोतों को दूसरे सर्वोत्तम कामों में लगाने से रोकने के लिए कीमत चुकानी ही चाहिए। अन्ततः ब्याज की दर से कमी की वह मात्रा ज्ञात होती है, जो उत्पादन के अन्य तत्वों के

सम्बन्ध से पूंजी की कमी ज्ञात होती है, जबकि वह उपभोक्ताओं की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं की प्रतिद्वन्द्वी माँगों में सहायक होती है।

१२ बैंकों का व्याज पर क्या प्रभाव होता है ? (How Banks Effect Interest ?) — यह कहना बड़ी भूल है कि उधार का एक मात्र स्रोत व्यक्तिगत रूप से बचत करने वाले हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि व्यापारी ऐसे लोगों से उधार नहीं लेते। वे बैंकों से उधार लेते हैं। बैंकों की ओर से उनका समय अधिमान (time preference) नहीं होता। चूँकि वे नकदी के रूप में उधार नहीं देते बल्कि निक्षेप (deposit) बनाने में सहायक होते हैं इसलिए वे उधार देने की ओर आकृष्ट होते हैं और अपनी प्राप्ति (earning) बढ़ाते हैं। इस तरह स्वेच्छा अथवा अनिवार्य बचत के कारण मुद्रा स्फीति (inflation) की स्थिति पैदा हो जाती है। यद्यपि बैंक के लिए समय अधिमान का कोई महत्त्व नहीं है, लेकिन तरलता अधिमान (liquidity preference) का है। उधार देने के लिए किये गए वायदों को पूरा करने के लिए उसके पास काफी तैयार पैसा होना जरूरी है। इससे वे शक्ति से ज्यादा उधार देने (over-lending) से बचे रहते हैं।

संपूर्ण बैंक, जो समस्त देश की बैंकिंग व्यवस्था का नियन्त्रण करता है, बैंक साख को नियमित करके इस स्थिति में है कि व्याज की दर निश्चित करे। वे सिक्कुरिटियाँ खरीद कर अथवा उधार देकर नये द्रव्य का मूजन कर सकते हैं, और द्रव्य की मात्रा, उधार देना बन्द करके अथवा सिक्कुरिटियाँ बेचकर घटा सकते हैं। संपूर्ण बैंक, बैंक दर निश्चित करता है और सारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है। जब तक बैंक के पास सिक्कुरिटियाँ बेचने और खरीदने के साधन हैं वे व्याज की कोई भी दर बनाए रख सकते हैं। बैन (Bain) के शब्दा में "संपूर्ण बैंक द्वारा विनियमित बैंकिंग व्यवस्था, व्याज की दर निर्धारित करने में समर्थ है, और जब वह ऐसा करता है, व्याज की दर निश्चित कीमत बन जाती है, तथा द्रव्य की मात्रा विभिन्न हो जाती है, जो नियोजन के लिए निधि की माँग, तथा तरल शेष (liquid balances), और बचत की पूर्ति आदि जैसे विभिन्न कामों के लिए अपने आपको अनुकूल बनाती है।"

१३ अनिवार्य एवं ऐच्छिक बचत (Forced Saving and Voluntary Saving) — हम ऊपर देख चुके हैं कि पूंजी की पूर्ति बचत पर निर्भर करती है। स्वेच्छा से की गई बचत और विवशता से की गई बचत में कभी-कभी कुछ अन्तर समझा जाता है। स्वेच्छिक बचत से तात्पर्य व्यय से बच रही आय से होता है। यह बचत की सामान्य कल्पना है। लोग इस प्रकार की बचत स्वयं करते हैं। वे अपनी आय बढ़ाने तथा व्यय कम करने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार बचत करते हैं। यह सब स्वेच्छा से होता है और बचत का सबसे अधिक स्वाभाविक मार्ग मालूम होता है।

परन्तु अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रकम और द्रव्य की शब्दावली में एक नई कल्पना प्रविष्ट हुई है। वह है अनिवार्य बचत की। इस बचत का सम्बन्ध मुद्रा प्रसार (inflation) से है। मुद्रा-प्रसार केवल नोट और द्रव्य बनाने वाले अधिकारियों द्वारा अधिकारिक नोट प्रचलित करने से ही नहीं बढ़ता बरन् बैंकों द्वारा अधिक उधार देने

तथा अधिक प्रत्यय दे देने के कारण भी मुद्रा-प्रसार हो सकता है। बैंक ऋण देकर साख की सृष्टि करते हैं। बैंक का प्रत्येक ऋण निक्षेप (deposit) की सृष्टि करता है। निक्षेप की यह कृत्रिम वृद्धि उधार लेने वालों के हाथों में अधिक रकम दे देती है। इससे समुदाय (community) में अतिरिक्त क्रय-शक्ति की सृष्टि होती है। इस प्रकार चाहे मुद्रा-प्रसार सरकारी नीति का परिणाम हो, चाहे बैंकिंग प्रथा का, उससे कीमत बढ़ सकती है। कीमतों में वृद्धि से "स्थायी धाय वालों को बचत के लिए बाध्य" होना पड़ता है।

स्वेच्छा की बचत अनिश्चित काल तक बिना किसी हानिकारक प्रभाव के चलती रह सकती है। स्वेच्छा की बचत स्वागत करन योग्य है और उसको प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक उपाय किया जाना चाहिए। परन्तु बाध्य बचत एक कृत्रिम वस्तु है और हानिकारक भी है। मुद्रा-प्रसार में बढ़ी सकटपूर्ण सम्भावनाएँ निहित रहती हैं। जो राष्ट्र मुद्रा-प्रसार का सहारा लेता है, वह एक बड़े जटिल चक्र में फँस जाता है और फिर उससे निकलना कठिन हो जाता है। अत्यधिक मुद्रा-प्रसार से आर्थिक व्यवस्था ही अस्त-व्यस्त नहीं हो जाती वरन् उससे राज्य की सुस्थिरता तक खतरे में पड़ जाती है। इसलिए अनिवार्य बचत को सकट-रहित सीमा के प्रतगंत ही रखना चाहिए, जबकि स्वेच्छापूर्ण बचत की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

हम इन दोनों अर्थात् अनिवार्य और ऐच्छिक बचतों में एक और अंतर देखते हैं। अनिवार्य बचत की परिस्थिति में उपभोग हकता है, इसलिए उपभोग की सामग्री का उत्पादन कम होने लगता है, परन्तु वस्तुओं की कीमत बढ़ने से व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है और अधिक कारखाने खड़े किए जाते हैं। इसलिए उत्पादन की सामग्री (पूँजीगत माल) में वृद्धि होती है।

अन्ततः बाध्य बचत (मुद्रा-प्रसार) कीमतों में सभी ओर वृद्धि करती है। उपभोग की वस्तुओं तथा पूँजीगत सामग्री दोनों की कीमतें बढ़ती हैं। परन्तु स्वेच्छा की बचत से उपभोग की वस्तुओं की माँग कम होती है और उत्पादकों की अर्थात् पूँजीगत सामग्री की माँग बढ़ती है। इसलिए उसकी कीमतें उपभोग की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक बढ़ती हैं।

१४. अल्पावधि और दीर्घावधि की दरें (Short-term and Long-term Rates)—उपर्युक्त विवेचन से यह समझना सहज है कि व्याज की दर में क्यो परिवर्तन होता है। यदि पूँजी की अपेक्षाकृत कमी (scarcity) होती है, तो व्याज की दर में साधारणतया वृद्धि होगी। अपेक्षाकृत कमी माँग का वृद्धि अथवा पूर्ति की कमी से होती है।

व्याज की दरों में परिवर्तन के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि अल्पावधि प्रभावों तथा दीर्घावधि प्रभावों में अंतर रहता है। पहले हम अल्पावधि की दरों (short-term rates) को लेंगे। अल्पावधि में सामान्य रूप से यह दुर्लभता माँग में आरम्भ होगी। यदि व्यापारियों को उद्योग वृद्धि अथवा अधिक ऊँचे दामों और लाभ की आशा होती है, तो अल्पकाल में व्याज की दर बढ़ेगी, क्योंकि पूँजी के लिए माँग अधिक होगी।

अल्पकालीन दरों की वृद्धि पूर्ति पर प्रभाव डालने वाले कारकों से भी हो सकती है। उदाहरणार्थ, पमलों के सराब होने से पूँजी की कमी पैदा हो सकती है। आयकर में वृद्धि होने से लोगों की बचत की शक्ति गिर सकती है। काम के घटे कम करने और परिष्कारमस्वरूप उत्पादन कम करने का भी ऐसा ही प्रभाव हो सकता है।

इसी प्रकार के प्रभावों ने अल्पावधि में ब्याज की दर कम होती है। व्यापार की मन्दी की आशंका ने व्यवसाय में नई पूँजी लगाने में हिचकिचाहट होगी, स्थिर व्यय वाली प्रतिभूतियों की माँग बढ़ जाएगी, उनका मूल्य बट जाएगा, उत्पादन गिरेगा और ब्याज की दर गिरेगी। जहाँ तक पूर्ति का सम्बन्ध है, नए आविष्कारों से पूँजी में बचत हो सकती है। बहुत 'मच्छी' पमल पैदा होने का भी पूँजी की पूर्ति में दृष्टी और अल्पकालीन दरों में गिरावट का असर हो सकता है। इसी प्रकार मजदूरी में सामान्य वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में पूँजी का शेष (अथवा ब्याज की दर) गिर सकता है।

अल्पकालीन दरों पर राजनैतिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। राजनैतिक सुरक्षा में सन्देह होने से उद्योग व्यवसाय में रकबा लगाने का जल्साह कम होगा और विनियोग के लिए माँग भी घटेगी और ब्याज की दर कम होगी। इस प्रकार किसी अन्तर्राष्ट्रीय मकद में ब्याज की दर बहुत कम हो जाएगी। परन्तु ब्याज की दर लोचो भी हो सकती है, यदि इस तरह का मकद ऋण-बाजार में उधार दी जाने वाली पूँजी को कम कर दे।

अभी तक अल्पावधि की दरों के बारे में बताया गया है। दीर्घकाल के विषय में क्या कहा जा सकता है? अल्पकालीन दरों में परिवर्तन होने से उर्मी के समान दीर्घकालीन दरों में परिवर्तन होता है, क्योंकि रकबा एक से दूसरे बाजार की ओर चलने लगता है परन्तु फिर भी दीर्घकालीन दरों पर दीर्घकालीन तत्वों का, जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि अथवा लोगो की बचत करने की आदतों में परिवर्तन होने का असर होता है और सब बातें समान होने हुए भी आवादी में वृद्धि होने से अल्पकालीन ब्याज की दरें बट जाती हैं और कमी होने से घट जाती हैं। दीर्घावधि की आशा में बचत को प्रोत्साहन मिलता है और ब्याज की दर कम होती है। इसके विपरीत भी विनोमन होता है। अविष्य के विषय में अनिश्चितता होने से बचत करने के लिए जल्साह नहीं होगा और ब्याज की दरों में वृद्धि होगी।

सामान्यतः दीर्घकालीन ऋणों पर अल्पकालीन ऋणों की अपेक्षा ब्याज की दर अधिक होती है। लम्बी अवधि की प्रतिभूतियों (securities) के ह्रास का भय अल्पकालीन ऋणपत्रों की अपेक्षा अधिक रहता है। इसलिए लम्बी अवधि के ऋण में ब्याज की दर का एक असा उत आसका के बढ़ने की क्षतिपूर्ति के रूप में होता है। ऋण की जितनी ही लम्बी अवधि होती है, उतना ही अधिक भुगतान न होने अथवा पूँजीगत मूल्य के ह्रास की आशंका रहती है।

अल्पकालीन दरों में दीर्घकालीन दरों की अपेक्षा अधिक चढाव-उतार की सम्भावना रहती है। कारण यह है कि परिवर्तन पहले अल्पकालीन ऋण के बाजार

में होता है, और उसी के अनुसार दीर्घकालीन ऋण (वास्तविक न कि नाममात्र का) की व्याज दरों पर प्रभाव पड़ने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि अल्पकालीन दरें तेजी से बढ़ती हैं, तो पूंजी लगाने वाले अपनी प्रतिभूतियों को, सरकारी ऋणपत्रों को बेच कर उनके रूपों को अल्पकालीन ऋण तथा ऐसे ही अन्य अल्पकालीन भुगतान पत्रों में लगाएंगे। बिक्री के दबाव से प्रतिभूतियों की कीमत गिरेगी और उसी के अनुपात से उनकी आय बढ़ जाएगी। इस प्रकार दीर्घकालीन दरें बढ़ जाएंगी। इसका उल्टा होगा यदि अल्पकालीन दरें गिरती हें। लोग अपनी रकम को अल्पकालीन ऋण बाजार में लगाने की अपेक्षा दीर्घकालीन बाजार में लगाने की ओर अधिक प्रवृत्त होंगे और दीर्घकालीन प्रतिभूतियों की मांग बढ़ने से उनके पूंजी मूल्य में वृद्धि होगी। ऐसी प्रतिभूतियों की कीमत कम हो जाएगी और दीर्घकालीन व्याज की दर बढ़ जाएगी।

१५. **आर्थिक प्रगति और व्याज की दर (Economic Progress and the Rate of Interest)**—आर्थिक प्रगति टेक्नीकल अर्थों में उत्पादन की मात्रा तथा प्रकार में विस्तार, जीवन-स्तर में वृद्धि, आदि बातों से जानी जाती है। आर्थिक प्रगति तथा ऊँची आय होने से वस्तुओं की मांग में वृद्धि अनिवार्य है। फलतः आर्थिक प्रगति के साथ पूंजी की मांग भी बढ़ जाती है। इसमें यह मालूम पड़ेगा कि जितनी ही हम आर्थिक प्रगति करेंगे, उतनी ही व्याज की दर भी बढ़ेगी।

परन्तु ऐसा होता नहीं। आर्थिक प्रगति के साथ-साथ हमारी बचत की शक्ति और इच्छा भी काफ़ी बढ़ जाती है। उपभोग की अपेक्षा उत्पादन अधिक होता है। बैंक और बीमा कंपनियों के विकास से लोगों को रुपया लगाने के अच्छे अवसर मिल जाते हैं। जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा, शिक्षा में उन्नति आदि से बचत करने की इच्छाएँ और प्रबल हो जाती हैं। इन सब का सम्मिलित प्रभाव यह होता है कि पूंजी की पूर्ति मांग की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए व्याज की प्रवृत्ति लगातार गिरने और घटने की ओर होती है।

१६. **समाजवादी राज्य और व्याज (Interest in a Socialist State)**—समाजवादी व्यवस्था में भी व्याज को हटाया नहीं जा सकता, भले ही वह प्राइवेट व्यक्तियों को भुगतान न किया जा सके। वहाँ भी उसके जरिए पूंजी के सीमित साधनों के विभिन्न उपयोगों के लिए प्राथमिकताओं का निर्णय करना पड़ेगा। समाजवादी राज्य में सम्भवतः प्राथमिकताओं का क्रम पूंजीवादी समाज से विभिन्न होगा, परन्तु व्याज अपना कार्य फिर भी करेगा। उसका वही काम है जो कीमत का है। पूंजी की मांग का उपलब्ध पूर्ति से समायोजन होता है। वह पूंजी को बकल्पिक उपयोगों के लिए होने वाली प्रतिद्वन्द्वताओं के बीच ठीक हिसाब में वितरण करता है। व्याज के द्वारा ही पूंजी के जिस उपयोग से अधिक लाभ की आशा होती है उसको प्राथमिकता दी जाती है। यह ठीक है कि पूंजीवादी व्यवस्था में अधिक से अधिक लाभ की कल्पना समाजवादी व्यवस्था से अलग प्रकार की होगी। पहली दशा में उद्योग में रुपया लगाने वाले व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ का विचार होगा और दूसरे में सर्वसाधारण के लाभ का; और उसी के अनुसार पूंजी के नियोजन में प्राथमिकता का क्रम निर्धारित होगा। व्याज को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसका समाजीकरण (socialisa-

tion) कर सकते हैं, बशर्ते कि आप पूँजी का समाजीकरण कर डालें। जब तक पूँजी का समाजीकरण नहीं होगा, तब तक पूँजी के निर्माण के लिए ब्याज अवश्य देना होगा। इसलिए ब्याज अवश्य दिया जाना चाहिए क्योंकि उधार लेने वाला उसे दे सकता है और यदि उसको पूँजी की आवश्यकता है तो ब्याज ऋणदाता को अवश्य दिया जाना चाहिए।

१७ ब्याज और लगान (Interest and Rent)—अब हम ब्याज और लगान के अन्तर को समझाने का प्रयत्न करेंगे।

(i) सम्यता और आर्थिक प्रगति के साथ ब्याज की दर कम होती है जबकि लगान की दर बढ़ती है। यह इसलिए होता है कि पूँजी की पूर्ति लगातार बढ़ती रहती है। परन्तु भूमि की मात्रा सीमित है और बढ़ाई नहीं जा सकती जबकि उसकी माँग जनसंख्या की वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है।

(ii) उर्वरा शक्ति तथा स्थितियों में विभिन्नता होने से भूमि के लगान में भी अनेक अन्तर होते हैं। भूमि के गुणों के अन्तर स्थायी होते हैं। जितनी ही अधिक प्रति-योगिता होगी, उतना ही अधिक लगानों में अन्तर होगा। भूमि की गतिहीनता के कारण उसको एक उपयोग से दूसरे उपयोग में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इस लिए लगान के अन्तर स्थायी होने की ओर प्रवृत्त रहते हैं।

दूसरी ओर ब्याज की प्रवृत्ति समानता की ओर होती है। केवल 'सकल' (gross) ब्याज में ख़ास तथा अमुविधाजनक तत्वों के कारण अन्तर होता है। पूँजी उससे कहीं अधिक गतिशील (mobile) होती है और इसलिए शुद्ध ब्याज के अन्तर यदि कुछ होते भी हैं तो प्रतियोगिता के कारण उनके लोप होने की सम्भावना रहती है।

(iii) लगान-रहित भूमि (no rent land) भी होती है परन्तु ब्याज हीन पूँजी (no interest capital) नहीं हो सकती। पूँजी का निर्माण अनुरूप्य ढाँचा होता है और उसकी पूर्ति की एक निश्चित कीमत होती है। पूँजी के प्रत्येक अंश पर कुछ न कुछ ब्याज अवश्य होगा। परन्तु कुछ भूमि इतनी अनुपजाऊ या अनुपयोगी हो सकती है कि उस पर कोई लगान न हो। भूमि प्रकृति की देन है और कुछ न मिलने पर भी इसे हटाया नहीं जा सकता।

१८ ब्याज, लगान और अर्थ लगान या आभास लगान (Interest, Rent and Quasi-Rent)—कुछ अर्थशास्त्री इस बात को स्वीकार नहीं करते कि लगान, अर्थ लगान या आभास लगान तथा ब्याज में कोई अन्तर है। उनका तर्क है कि भूमि के बारे में कोई द्विचिन्ता नहीं है और यदि है भी तो उसे बहुत बड़ा चढ़ा कर कहा जाता है। भूमि की तरह और भी अनेक वस्तुएँ हैं जो सीमित हैं। उत्पादन के अन्य साधनों में भी अन्तर का तत्त्व रहता है। इसलिए यह तर्क पेश किया जाता है कि पूँजी लगाने से हीन वाली आय चाहे वह भूमि सद्दृश स्थायी वस्तुओं में लगाई जाए चाहे अर्थस्थायी या नष्ट होने वाली वस्तुओं में लगाई जाए, अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों की क्रिया की दृष्टि में, यह सब समान है। दुर्लभता का सिद्धान्त मूल्य का निर्धारण करने में हर अवस्था में लागू होता है।

परन्तु इन समानताओं के कारण हमें व्याज, लगान अथवा अर्ध-लगान या आभास लगान के अन्तर को नहीं भुलाना चाहिए। सबसे बड़ा अन्तर परिवर्तन तत्त्व की पूर्ति की रकम पर होने वाली प्रतिक्रिया का होता है। लगान बढ़ सकता है या घट सकता है परन्तु भूमि की पूर्ति अप्रभावित रहती है और अर्ध-लगान या आभास लगान की दशा में भी कुछ समय के लिए पूर्ति अपरिवर्तित रहती है। परन्तु शीघ्र पुनरुत्थान की जाने वाली चीजों (पूंजी) के अर्जन में परिवर्तन होने की प्रतिक्रिया बड़ी शीघ्र उसकी पूर्ति पर होती है। बात यह है कि भूमि की दुर्लभता उसका स्थायी लक्षण है, जबकि और वस्तुओं की दुर्लभता अपवाद स्वरूप और अस्थायी होती है।

किसी साधन की पूर्ति की लोच (elasticity) और उसके सन्तुलन एवं समायोजन (adjustment) के लिए आवश्यक समय की आवश्यकता के कारण लगान, अर्ध-लगान और व्याज में अन्तर होता है। यदि किसी साधन की पूर्ति स्थिर होती है, जैसी कि भूमि की अल्प तथा दीर्घकाल दोनों के लिए होती है, तो उससे होने वाली आय लगान के तौर पर होती है। यदि पूर्ति अल्पावधि के लिए लोचहीन (inelastic) होती है और दीर्घकाल के लिए लोचदार होती है जैसे कि मशीन-धरो की युद्ध काल में होती है तो आय अर्ध लगान कहलाती है। परन्तु यदि किसी साधन की पूर्ति अल्प तथा दीर्घ दोनों कालों में लोचपूर्ण है, तो उससे होने वाली आय व्याज कहलाती है।

परन्तु मार्शल जैसे कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये अन्तर मात्रा के हैं, प्रकार के नहीं। वे कहते हैं कि 'धीरे-धीरे चल-पूंजी पर व्याज और पुरानी पूंजी के लगाने से प्राप्त अर्ध-लगान एक-दूसरे से मिल जाते हैं। भूमि का लगान भी स्वयं कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, बरन् एक बड़ी प्रजाति की ही एक मुख्य जाति है।'¹ परन्तु मात्रा का यह अन्तर भी व्यावहारिक नीति और कराधान नीति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इनसे सामाजिक और वित्तीय महत्त्व की बड़ी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

१६ व्याज पर द्रव्य के मूल्य में परिवर्तन होने का प्रभाव (Effect of Changes in the Value of Money on Interest)—द्रव्य के मूल्य का अर्थ होता है उसकी क्रय-शक्ति, जो फिर कीमतों के स्तर पर निर्भर है। यदि कीमतें बढ़ती हैं, तो द्रव्य कम खरीद सकता है अर्थात् द्रव्य का मूल्य कम होता है। इसके विपरीत जब कीमतें गिरती हैं, तो द्रव्य का मूल्य बढ़ता है।

अब हमें देखना चाहिए कि द्रव्य के मूल्य में अथवा कीमतों में परिवर्तन होने से व्याज की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है।

जब कीमतें ऊँची होती हैं, तो व्यापारियों को बड़ा लाभ होता है, पूंजी की माँग बढ़ती है और व्याज की दर भी बढ़ती है। कीमतें बढ़ने पर ऋणदाता को घाटा होने से वे अपनी क्षतिपूर्ति करने का प्रयत्न व्याज की दर बढ़ा कर करेंगे। फिर कीमतों में निरन्तर वृद्धि होते रहने से वर्तमान में वस्तुओं की प्राप्ति को भविष्य की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया जाता है। इस प्रकार व्याज के आस्ट्रियन सिद्धान्त (Austrian theory of interest) की दृष्टि से व्याज की दर बढ़ेगी। जब वस्तुओं

की कीमत बढ़ने के साथ द्रव्य का मूल्य घटता है पूँजीपतियों को रुपया बचाने के लिए आकर्षित करने की प्रसन्नता की आवश्यकता पड़ती है। जब तक वह प्रसन्नता नहीं होगी अर्थात् जब तक ब्याज की दर नहीं बढ़ती तब तक पूँजी की पूर्ति कम बनी रहेगी। माँग वहीं रहने पर, ब्याज की दर में वृद्धि अवश्य होगी।

दूसरी ओर जब कीमतें गिरती हैं, तो साधारणतया ब्याज की दरें भी गिरने लगती हैं। द्रव्य की क्रय शक्ति बढ़ने से ऋणदाता ब्याज की कम दर पर भी सन्तोष कर लेंगे। ऋणी भी अधिक ब्याज देने में समर्थ नहीं होंगे, क्योंकि जब कीमतें गिरती हैं, तो ऋण का बोझ बढ़ता है। कीमत गिरने से व्यापार में रुपया लगाने में हतोत्साह होता है, पूँजी की माँग कम होती है और ऐसी दशा में ब्याज की दर गिरेगी।

अतः, हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि विलोमत (inversely) ब्याज की दर द्रव्य के मूल्य में परिवर्तन के अनुसार तथा प्रत्यक्षतः वस्तुओं की कीमत के स्तर में परिवर्तन के अनुसार बदलती है।

२०. ब्याज की दर में परिवर्तन के परिणाम (Consequences of Changes in Interest Rates)—ब्याज की दरों में बढ़ती और घटती होने से कई प्रतिबन्धाएँ होती हैं। ब्याज की दर में वृद्धि होने के कुछ परिणाम, संक्षेप में, ये हैं—
 (१) ब्याज की दर बढ़ने में वस्तुओं का स्टॉक अधिक महंगा हो जाता है। सट्टेबाज और बिचौलिए (middlemen) हतोत्साह होते हैं। कच्चे माल तथा अर्थनिर्मित माल की माँग कम हो जाती है और परिणामस्वरूप उनकी कीमतें गिरने लगती हैं।
 (२) ब्याज की दरें बढ़ने पर मकानों के निर्माण की लागत भी बढ़ जाती है। यदि मकानों का किराया नहीं बढ़ता तो यह निर्माण कम होने लगता है। जब तक लाभ की दरें नहीं चढ़ती, तब तक कारखानों के लिए भी माँग नीचे गिरती रहेगी।
 (३) ब्याज की दर बढ़ने पर पूँजीपति भी तब तक कम ही उधार लेंगे जब तक उन्हें बहुत बड़े लाभ की आशा न होगी। इसमें औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास में बाधा पड़ेगी।
 (४) ब्याज की दर बढ़ने से बचत करने का प्रोत्साहन मिलेगा और कालान्तर में पूँजी की पूर्ति में वृद्धि होगी।
 (५) बाँडों की कीमतों में कमी हो जाएगी। क्योंकि ऊँचे ब्याज पर अपेक्षाकृत कम रकम लगाने से भी वचनपत्रों से उतना ही ब्याज मिलेगा।

ब्याज की दर कम होने से विपरीत परिणाम होंगे—(१) स्थिर ब्याज के बाँड (fixed interest bearing bonds) की कीमत बढ़ जाएगी। (२) बचत करने का उत्साह कम होगा। (३) सट्टेबाजों की वृद्धि होगी और कच्चे माल अथवा अर्थनिर्मित वस्तुओं की माँग बढ़ जाएगी क्योंकि स्टॉक की कीमत उस अवस्था में कम होगी। (४) औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रगति में सहायता मिलेगी, परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि केवल ब्याज की दर गिरने से यह नहीं होगा। अधिक लाभ होने की आशा अवश्य होनी चाहिए, नहीं तो केवल ब्याज की दर कम होने से व्यवसायी उधार लेने के लिए आकर्षित न होंगे। घोड़े को जल के पास ले जाया जा सकता है, परन्तु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। (५)

भवन-निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। (६) यदि व्याज की दर स्त्रैच्छिक वचन के कारण गिरी होगी तो उपभोक्ता सामग्री की माँग कम होगी और उत्पादन सामग्री के लिए बढ़ेगी। उत्पादन के साथ उत्पादन सामग्री के उद्योग की ओर प्रवाहित होंगे। (७) यदि व्याज की कम दर, पूँजी की पूर्ति अधिक होने से है, तो उत्पादन के अन्य साधनों के साथ पूँजी का अधिक उपयोग होने से उनकी सीमा-त उत्पादन शक्ति में वृद्धि होगी। इससे लगान और मजदूरी बढ़ेगी। (८) कारखाना में वस्तुएँ अधिक बनने से चीजें सस्ती होगी और इससे उपभोक्ता वर्ग को लाभ होगा।

निर्देश पुस्तकें

- Keynes, J N General Theory of Employment, Interest and Money
- Benham, F Principles of Economics
- Meyers A L Elements of Modern Economics, 1951 Ch 17
- Tarshis, L Elements of Economics, 1946, Ch 20
- Bain, J S Pricing Distribution and Employment 1918, pp 384 395
- Fisher, J The Nature of Capital and Interest
- Cassel G Nature and Necessity of Interest
- Stigler, G J Production and Distribution Theories
- Wilson T Fluctuations in Income and Employment, Chs 1, 2 and 3
- Lakshmi Narasimhan S Theories of Interest
- Marshall A Principles of Economics
- Marshall, A Readings in the Theory of Income Distribution, pp. 355 409
- Marshall, A Readings in Business Cycle Theory
- Hess and Others Outside Readings in Economics 1951
- Hicks J R Mr Keynes and the Classics Econometrica, 1936 (Reprinted in Readings in Theory of Business Cycles)
- Richard Youngdahl on The Structure of Interest Rates on Business Loans of Member Banks, Federal Reserve Bulletin, July 1947 pp 803 807

अध्याय २६

लाभ (Profits)

१ लाभ का स्वभाव (Nature of Profits)— लाभ उद्यमों कार्यों की अपेक्षा उद्यमों का पुरस्कार है। ड्रुकर (Druker) के शब्दों में, “विद्यमान लागत पर वर्तमान धाय की बढ़ती को लाभ कहते हैं। यह वर्तमान धाय की पिछल धौसन से तुलना करके मापा जाता है। यह भूतकाल पर वर्तमान का प्रयोग है।” व्यापारिक दृष्टि से लाभ वा पही अर्थ होता है। परन्तु औद्योगिक दृष्टिकोण इससे भिन्न है, यह व्यक्तिगत होने के बजाए साम्बोय (corporate) है। उत्पादन एक विस्तृत विधि है जब कि व्यापार प्रति सम्निहित विधि है। अतएव औद्योगिक अर्थव्यवस्था भूत की अपेक्षा भविष्य पर अधिक ध्यान देती है। औद्योगिक अर्थ व्यवस्था के दृष्टिकोण से लाभ वर्तमान लागत तथा वर्तमान उत्पादन की भिन्नता से मालूम किया जाता है और यह व्यवसाय में रुके रहने के लिए भावी लागत पर एक प्रकार का पारितोषिक है। और भावी लागत का आशय व्यवसाय में होने वाले विभिन्न प्रकार की जोखिमों से है।

२ सकल लाभ का विश्लेषण (Analysis of Gross Profits)—लाभ का वास्तविक स्वरूप समझने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि उद्यमों की सकल धाय का उनके विभिन्न भागों में विश्लेषण कर लिया जाए। उद्यमों को जो कुछ प्राप्त होता है, उस सब को ‘सकल लाभ’ कहा जाता है न कि सिर्फ उसके व्ययों से होने वाला लाभ। यह कई तत्वों का सम्मिश्रण है। प्रो० वॉकर (Walker) पहले अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने इस जटिल अवस्था में से लाभ और व्यय में फर्क करने की कोशिश की। उनके अनुसार, उद्यमों की आय सिर्फ दो तत्वों से बनी है अर्थात् व्यय तथा लाभ।

आधुनिक काल में इस विषय में और अधिक ज्ञान बोन हुई है जिससे पता चलता है कि शुद्ध लाभ तो बहुत ही सवे में से एक सवे है जो सिर्फ उद्यमों कृत्यों (entrepreneurial functions) से प्राप्ति के रूप में मिलती है। व्यापार से होने वाली कुल प्राप्तिमें से उस रकम को निकाल देना चाहिए, जो ठेकेदारों के आधार पर प्रयुक्त उत्पादन के विभिन्न साधनों को पारितोषिक रूप में दी गई है। इस प्रकार भूमि का लगान, मजदूरों का वेतन और पूंजी का व्याज घटा देना चाहिए। इसके बाद जो धन बचता है, वह व्यापार का सकल लाभ अथवा सकल धाय होती है। इनका निम्नलिखित रूपों में विश्लेषण किया जा सकता है —

(१) प्रायः व्यापार में लगी हुई उद्यमों की निजी पूंजी के व्याज को अर्थ से लाभ में शामिल कर दिया जाता है। लेकिन यह लाभ नहीं है, क्योंकि उद्यमों प्रयोजों को किसी धन्य को ऋण के रूप में देकर उनसे व्याज पा सकता है। इसलिये

हमें व्याज की चालू दर के अनुसार कुल प्राप्ति में से व्याज की रकम घटा देनी चाहिए।

(ii) उद्यमी की निजी भूमि के किराए को भी लाभ में नहीं शामिल करना चाहिए। वह अपनी भूमि को किसी दूसरे किराएदार को देकर उससे किराया ले सकता था। अस्तु उस प्रकार की भूमि का जो चालू किराया हो उसके बराबर कुल आय में से कटौती कर देनी चाहिए।

(iii) प्रबन्ध व्यवस्था पर वेतन के रूप में उद्यमी पर होने वाला व्यय—यह प्रबन्धक के रूप में उद्यमी द्वारा किए गए श्रम का पारिथमिक है। वह किसी दूसरी व्यवसाय संस्था में वेतन पर यही काम कर सकता था। इसलिए उसे वेतन दिया ही जाना चाहिए और इनको उसका वेतन समझा जाना चाहिए, न कि उनका लाभ।

उक्त तीनों तत्त्वा वस्तुतः, उद्यमी को पुरस्कार नहीं हैं बल्कि पूँजीवति, जमींदार व प्रबन्धक के प्रतिफल हैं जो बिना उद्यमी हुए भी वह इतना प्राप्त कर सकता है।

(iv) जोखिम उठाने वाले के रूप में उद्यमी का पुरस्कार—जोखिम उठाने का कार्य उद्यमी को स्वयं करना होता है। दुर्घटना, आग लगना आदि जैसे कुछ जोखिमों का तो बीमा किया जा सकता है लेकिन अनक ऐसे जोखिम हैं जिनका बीमा नहीं हो सकता और वे सब उद्यमी को ही उठाने पड़ते हैं।

(v) मजदूर, पूँजीवति, जमींदार, कच्चे माल की पूर्ति करने वाले तथा उपभोक्ताओं के साथ सौदा करने की अधिक योग्यता होने के कारण होने वाला उद्यमी का लाभ भी शामिल है।

(vi) तटस्थान् एकाधिकार लाभ का भी अंश हो सकता है (देखिए विभाग ६)। यह लाभ अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण होते हैं जिनका अनगण उद्यमी अधिक कीमत लेकर अथवा प्रयुक्त साधनों को कम पारिथमिक देकर अपने लाभ को बढ़ा सकता है।

(vii) सयोग्यता होने वाले लाभ—यह लाभ परिस्थितियों के कारण भाग्यवश अचानक हो जाते हैं, जैसे युद्ध छिड़ जाने पर युद्ध के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादकों तथा अन्य वस्तुओं के उत्पादकों को भी बड़ परिमाण में लाभ होते हैं। युद्धकाल में अनेक उद्यमियों ने चीजों की माँग और फलस्वरूप कीमत बढ़ जाने के कारण भारत तथा अन्य देशों में बहुत बड़े परिमाण में लाभ उठाया था। आकस्मिक लाभ केवल कीमत के तुरन्त ही बढ़ने से नहीं होता। वे स्वाद में परिवर्तन अथवा वस्तु के नए प्रयोग के पता लगने से माँग में आकस्मिक वृद्धि से भी हो सकते हैं। आकस्मिक लाभ जनमहत्या में परिवर्तन से भी होगा।

अब हम यहाँ लाभ के कुछ अविविदित सिद्धान्तों का अध्ययन करेंगे।¹

३ लाभ जोखिम उठाने का एक पुरस्कार (Profits, a Reward for Risk-bearing)—बहुत से ऐसे लोग हैं, जो जोखिमों का ध्यान रखते हैं और व्यापार के मैदान में आने से पहले हिचकिचाते हैं। व्यापार में जितना ही अधिक जोखिम होता है उतनी ही अधिक लाभ की आशा रहती है। सभी व्यापार में कम या अधिक जोखिम

1 For history of the theories of Profits see Knight, F. H.—Risk, Uncertainty and Profit, 1940 Ch. II,

होती है। अतः जब तक जोखिम उठाने वाले को पर्याप्त मात्रा में पुरस्कृत नहीं किया जाएगा, ध्यापार नहीं प्रारम्भ होगा। चूँकि जोखिम हतोत्साहित करने वाला होता है इसलिए उद्यमियों की मर्यादा कम रहती है और जो जोखिम उठाते हैं, उनकी आय पूँजी पर होने वाले साधारण प्रत्याय से बहुत अधिक होती है। इसलिए लाभ को जोखिम उठाने के लिए पुरस्कार माना जाता है।

लाभ का यह सिद्धान्त 'हाले' (Hawley) के नाम से सम्बन्धित है। उनके अनुसार 'लाभ उद्यमी द्वारा जोखिम उठाने तथा उसके उत्तरदायित्व का पुरस्कार होता है।'¹ ड्रकर (Drucker) चार प्रकार के जोखिम बताते हैं, पुनःस्थापना (replacement), जोखिम (risk proper) अनिश्चितता (uncertainty), तथा प्रयोग से हटना (obsolescence)। पुनःस्थापना को आमतौर पर अवमूल्यन (depreciation) भी कहते हैं। इसको गिना जा सकता है और लागत के रूप में माना जाता है। 'प्रयोग से हटने' को गिना (calculate) नहीं जा सकता परन्तु यह लागत की मुख्य मद है। जोखिम (अर्थात् उत्पाद के बाजार में बेचने की जोखिम) तथा अनिश्चितता लागत नहीं हैं, परन्तु लाभ के व्यय स्वरूप हैं। यह व्यवसाय में रुके रहने की लागत कह जा सकते हैं। प्राकृतिक जोखिम जैसे आग, दुर्घटना आदि की बीमा से रक्षा की जा सकती है, इसलिए इनको लागत में गिना जाता है। लेकिन कई जोखिम ऐसी हैं जिनका पूर्वानुमान नहीं हो सकता। इसलिए उनके बारे में निश्चित नहीं हो सकते। इन जोखिमों को उठाने के परिणामस्वरूप ही उद्यमी को पुरस्कार मिलता है।

इसके विपरीत एक यह भी विचार धारा है कि यद्यपि लाभ में जोखिम उठाने का कुछ पुरस्कार सम्मिलित है तथापि उद्यमी को जो भारी लाभ होता है, उस सबको जोखिम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। उठाए गए जोखिम के साथ उनका आनुपातिक सम्बन्ध किसी भी प्रकार नहीं होता। इसके विपरीत कार्वर (Carver) का कहना यह है कि "केवल जोखिम उठाने से लाभ नहीं होता बल्कि लाभ इसलिए होता है कि अच्छे उद्यमी जोखिम को कम करने में समर्थ होने हैं।"² हमको यह विरोधाभास प्रतीत होता है कि लाभ इसलिए नहीं होने क्योंकि जोखिम होता है, परन्तु इसलिए होते हैं कि जोखिम को हटा दिया जाता है और उसमें कोई सम्बन्ध ही नहीं रह जाता। इस पर भी इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि शुद्ध लाभ जोखिम उठाने का पुरस्कार है।

४ लाभ का गतिशील सिद्धान्त (Dynamic Theory of Profits)—यह सिद्धान्त अमरीकी अर्थशास्त्री श्री जे. बी. क्लार्क (J. B. Clark) के नाम से सम्बन्धित है। इनका कथन है कि स्थिर विश्व में जहाँ जनसङ्ख्या, पूँजी, मानव इच्छाओं का परिमाण व गुण, उत्पादन की प्रणालियाँ, टेक्निकल ज्ञान, ध्यापार का संगठन आदि एक ही स्थिति में रहने हैं, वहाँ प्रतियोगिता के प्रभाव से लाभ की प्रवृत्ति लोप होने की ओर रहती है। लाभ विषय मूल्य व लागत के बीच के अन्तर का प्रति-

1 Hawley, F. B.—Enterprise and the Productive Process, 1907

2 Carver—Distribution of Wealth, p. 274

निवृत्त करता है। यह लागत के ऊपर का आधिक्य या अतिरेक होता है। लेकिन सघर्षहीन ढंग पर प्रतियोगिता चलती रहे तो यह आधिक्य लुप्त हो जाता है। जहाँ कहीं आधिक्य होगा, उत्पादन में वृद्धि होने से कीमत घटेगी। इस प्रकार आधिक्य लुप्त हो जाएगा। 'स्थिर अवस्था में प्रत्येक साधन को जो वह पैदा करता है प्राप्त कर लेता है, और चूंकि लागत तथा विक्रय कीमत मर्दव समान रहती है, मजदूरी के प्रलावा जो सामान्य निरीक्षण कार्य है, कोई लाभ नहीं होगा।'¹ स्थिरता की स्थिति में लोग हर बात को जानते हैं और जान सकते हैं। ऐसी स्थिति में कोई जोखिम या अनिश्चितता नहीं होती और इसलिए लाभ नहीं होता।

परन्तु हम स्थिरता की स्थिति में नहीं रह रहे हैं। हमारा विश्व गतिशील है और इसमें निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। कुशल उद्यमी पहले से ही इन परिवर्तनों को जान लेता है। वह अप्रत्यामी है। वह आविष्कारों या अन्य किसी प्रकार से लागत को घटा कर लाभ प्राप्त करता है। दूरदर्शी साहसी और कुशल उद्यमियों के लिए अपने अनुकूल स्थिति बना कर लाभ करने के निमित्त परिवर्तनशील विश्व में असीम अवसर होते हैं। इनके लिए आगे बढ़ना और लाभ प्राप्त करना केवल इसीलिए सम्भव है कि विश्व गतिशील है। स्थिरता की स्थिति में लाभ गायब हो जाएँगे और उद्यमी को व्यवस्था और प्रबन्ध के लिए केवल वेतन मात्र ही मिल सकेगा।

५. लाभ, अनिश्चितता का नार उठाने का पुरस्कार (Profits, a Reward for Uncertainty-bearing)—प्रोफेसर नाइट के अनुसार जोखिम उठाने (जो उद्यमी का विशेष कार्य है) के बजाए अनिश्चितता वहन करना ही वह कारण है जिससे लाभ होता है। हम यह देख चुके हैं कि कुछ जोखिम ऐसे हैं, जो पहले से ही विदित होते हैं और जिनके लिए व्यवस्था कर ली जाती है। मृत्यु के जोखिम और अग्निकाण्ड, जहाज डूबने जैसी दुर्घटनाओं के जोखिम ऐसे हैं, जिनको पहले से निश्चित किया जा सकता है। ऐसे जोखिम गणना करने योग्य हैं। बीमा कम्पनियाँ प्रीमियम के रूप में प्राप्ति होने वाले धन के बदले इन जोखिमों को अपने ऊपर ले लेती हैं। इन प्रीमियमों के भुगतानों को उत्पादन की लागत में शामिल कर लिया जाता है। इन जोखिमों के बदले में उद्यमी को लाभ नहीं मिलता। इसलिए जोखिम उठाने का काम उद्यमी का नहीं बल्कि बीमा कम्पनियों का हो सकता है।

किन्तु कुछ जोखिम ऐसे हैं जिनके विषय में हमको पूर्वाभास नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए बिजली की व्यवस्था में अनिश्चितता रहती है। वस्तु की माँग भी अनिश्चित रहती है। लेकिन प्रोफेसर नाइट (Prof Knight) उन जोखिमों को जोखिम नहीं मानते जिनके विषय में पहले से नहीं जाना जा सकता। वे उन्हें 'अनिश्चितता' मानते हैं। जोखिम उन्हीं खतरों को कहा जाता है, जिनके विषय में पहले से जानकारी रहती है या जिन्हें पहले से जाना जा सकता है। उद्यमी को अनिश्चितताओं को वहन करने का पुरस्कार मिलता है न कि जोखिम उठाने का। ज्ञात जोखिमों का उत्तरदायित्व बीमा कम्पनियों को वहन करना पड़ता है।

जिन प्रकार प्रतीक्षा करना (पूँजी) उत्पादन वा साधन माना गया है, उसी प्रकार अनिश्चितता वहन करने को भी उत्पादन के साधन का दर्जा दिया गया है। उत्पादन के अन्य साधनों के समान अनिश्चितता वहन करने का भी एक पूर्ति मूल्य होता है, अर्थात् जब तक निश्चित प्रत्याप की आशा नहीं होती, विसी भी उद्यमी को अनिश्चितता वा साधना करने के लिए प्रलोभन नहीं दिया जा सकता। अनिश्चितता वहन करने की मात्रा, बहुत बड़ी सीमा तक उद्योगी वा उद्यमी की मनोवृत्ति, उसके साधनों की मात्रा तथा वह किस सीमा तक उन साधनों को जोखिम में डालने के लिए तैयार है, इन बातों पर निर्भर है। एक साहसी और धनवान उद्यमी, जिसने अपने धन के बड़े भाग को उद्योग में लगाने या इरादा कर लिया है वही अनिश्चितता वहन कर सकता है। एक उद्यमी जो कि अपनी पूँजी के छोटे भाग की प्रयत्ना बड़ा भाग उद्योग में लगाने के लिए तैयार है उसने लिए यह प्रलोभन आवश्यक है कि उसे अधिक लाभ हो। तभी वह अपनी पूँजी का बड़ा भाग जोखिम में डालेगा।

यह सर्व्व ध्यान में रखना चाहिए कि अनिश्चितता वहन करने की शक्ति और पूँजी के लगाने में ही उद्यमी को अच्छे लाभ के रूप में पुरस्कार मिलता है। अर्बली पूँजी निर्बल है और बिना पूँजी के अनिश्चितता वहन करना अर्थहीन है। केवल पूँजी ही जोखिम पर लगाई जा सकती है। इन दोनों का योग मुश्किल से ही होता है और यही लाभ की कुँजी है। कल्पनाशील मस्तिष्क के उद्यमी के पास थोड़ी ही पूँजी हो सकती है जिससे वह काफी लाभ उठा सकता है। दूसरी ओर एक अव्यक्त असाधारण रूप में धनी हो सकता है। किन्तु सम्भव है, वह दरपोक हो।

लाभ के एक कारण के रूप में "अनिश्चितता वहन करने" के इस सिद्धान्त की निम्नलिखित भाषाओं पर आलोचना की जाती है—

(१) अनिश्चितता ही केवल-मान वह कारण नहीं है जो उद्यमियों की पूर्ति को सीमित करता है। पूँजी, ज्ञान एवं अवसर का अभाव, आर्थिक सघर्ष का होना आदि कुछ ऐसे कारण हैं जो उद्यमियों की पूर्ति को सीमित करते हैं।

(२) अनिश्चितता वहन करना ही उद्यमी का कार्य नहीं है। जो लाभ वह प्राप्त करता है, वह अनेक प्रकार की सेवाओं का प्रतिफल होता है। वह उद्योग को स्थापित करता है, सगठित करता है, सौदे करता है, उद्यमी के ये कार्य अनिश्चितता वहन करने के अनिश्चित हैं।

(३) अनिश्चितता वहन करने को उत्पादन के साधन का दर्जा नहीं दिया जा सकता, वह धन की लागत से भिन्न उस वास्तविक लागत का एक अंग है, जिसका अर्थ शक्ति लगाना, आदमत्याग, बलिदान आदि हो सकता है। सामान्यतः वास्तविक लागत के रूप में लागत को नहीं जाना जाता। हम जानते हैं कि पूँजी उत्पादन का एक साधन है किन्तु पूँजी बचाने के लिए आत्मत्याग आवश्यक होते हुए भी उत्पादन का साधन नहीं माना जाता।

६ एकाधिकार और लाभ (Monopoly and Profits)—अभी तक हमने यह माना है कि नियोजक (employer) प्रतियोगिता की स्थिति में काम कर रहा है। दोर्धाविधि में पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में लाभ नहीं हाता। ऐसी दशा में लाभ

या नो अस्थायी होंगे, या फिर एकाधिकार के लाभ होंगे। एकाधिकारी उत्पादन की मात्रा पर नियन्त्रण स्थापित करके कीमत को लागत की सीमा तक गिरने से रोकता है। प्रतियोगिता की स्थिति में कीमत को लागत की सीमा तक गिरने से नहीं रोका जा सकता। एकाधिकारी व्यापार क्षेत्र में नई फर्मों के प्रवेश पर नियन्त्रण लगा कर, करार (agreements) तथा पेटेंट (एकस्व) आदि द्वारा तथा ऐसे ही अन्य उपायों से एकाधिकार लाभ उठाने की स्थिति में रहता है। लेकिन एकाधिकार लाभ का सबसे सामान्य लाभ एकाधिकार प्रतियोगिता अथवा उत्पाद विभेद (product differentiation) में है।

एकाधिकार लाभ का तत्त्व नवप्रवर्तन लाभ (innovation profit) अथवा पहल करने के कारण भी होता है। वह फर्म जो नया माल तैयार करती है, या जिमने किसी प्रकार के नए माल (material) की खोज की है, मथवा कोई नई मण्डी खोजी है तो वह उस दशा में तब तक लाभ कमाती रहेगी जब तक दूसरे प्रतिद्वन्दी नहीं खड़े होते। चूंकि प्रतियोगिता का अभाव रहता है आंशिक अथवा पूर्ण रूप में नवप्रवर्तन अथवा पहले में होने वाले लाभों को एकाधिकार लाभ माना जा सकता है।

७ लाभ और मजदूरी (Profits and Wages)—लाभ और मजदूरी के सम्बन्ध का दो दृष्टिकोणों से अध्ययन किया जा सकता है। प्रथम दृष्टिकोण समाजवादियों का है, और वह यह है कि लाभ मजदूरी के परिश्रम के फल का केवल एक हिस्सा है। इस विचारधारा के अनुसार लाभ न्यायपूर्ण नहीं है, क्योंकि वे वेतन प्राप्त करने वालों के अंश को छीन कर उपार्जित किए जाते हैं। दूसरी विचारधारा प्रोफेसर टॉसिग (Prof. Taussig) की है। वे लाभ को मजदूरी का केवल एक विशेष रूप मानते हैं।

जहाँ तक समाजवादी दृष्टिकोण का प्रश्न है यह कहा जा सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत एक ही प्रकार के श्रम की मजदूरी की दर एक ही उद्योग में समान होती है, जिससे नियोजक को लाभ नहीं होता। वह भी उतनी ही मजदूरी देता है जितनी ऊँचे लाभ पाने वाला देता है। अच्छा और योग्य नियोजक इसलिए ऊँचे लाभ उपार्जित नहीं करता कि वह कम मजदूरी देता है। (वह ऐसा प्रतियोगिता की दशा में नहीं कर सकता) बल्कि वह अपनी अधिक अच्छी संगठन योग्यता और अनिश्चितता बहन करने की शक्ति के कारण अधिक लाभ प्राप्त करता है। वह अपने से घटिया उद्यमी प्रतिद्वन्दी से कम लागत पर उत्पादन कर सकता है।

अब हम प्रोफेसर टॉसिग (Taussig) के इस मत पर विचार करेंगे कि लाभ केवल एक विशेष प्रकार के श्रम के लिए दी गई मजदूरी के समान है। टॉसिग (Taussig) का कथन है कि "लाभ मजदूरी का एक सर्वमान्य रूप है।" टॉसिग (Taussig) के इस विचार को बयो नहीं स्वीकार किया जा सकता। मजदूरी और लाभ में अनेक मौलिक अन्तर हैं जो इस प्रकार हैं—

(१) लाभ, जोखिम और अनिश्चितता का भार बहन करने का पुरस्कार है। मजदूर यह जोखिम नहीं उठाता। मजदूरी या मजदूर का पुरस्कार मुख्यत

उसके द्वारा किए गए श्रम के लिए है। नियोजक की जोखिम की तुलना में उसका जोखिम महत्त्वहीन है। (२) मजदूरी की वजाय लाभ में समय का तत्त्व अधिक होता है। मजदूरी निश्चित और निश्चित आय है जब कि लाभ अनियमित और अनिश्चित होता है। इस प्रकार मजदूरी लाभ से अधिक मयार्थ अर्थ में 'अर्जित' आय है। (३) लाभ का एक बड़ा भाग प्रतियोगिता की अप्रसुताओं के कारण होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता के अन्तगत, जब कि लाभ की प्रवृत्ति बढाव की ओर होती है, तो मजदूरी की प्रवृत्ति गिरावट की ओर रहती है। इसके कारण पहले बढाए जा चुके हैं।

८ क्या लाभ लगान का एक रूप है ? (Is Profit a Kind of Rent ?)—
लाभ के सम्बन्ध में एक दूसरी विचारधारा के अनुसार इसे लगान से मिलता-जुलता माना गया है। लाभ का 'लगान सिद्धान्त' अमरीकी अर्थशास्त्री एफ० ए० वाकर (F A Walker) द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अंग्रेजी अर्थशास्त्र सिद्धान्त में उसने सर्वप्रथम पूँजीपति और नियोजक में भिन्नता के मत को निश्चित किया। उद्यमी के लिए पूँजीपति होना आवश्यक नहीं है। वह बिना अपनी पूँजी का प्रयोग किए किसी व्यापार को प्रारम्भ कर सकता है।

वाकर (F A Walker) लाभ को योग्यता का लगान स्वरूप मानते हैं। जिस प्रकार भूमि के विभिन्न वर्ग हैं ठीक उसी प्रकार उद्यमियों के भी भिन्न-भिन्न वर्ग हैं। कम योग्यता का उद्यमी, जिसे वर्णमान माँग की पूर्ति के लिए उत्पादन क्षेत्र में रहना है अपने उत्पादन की लागत को ही बेवज्र निकाल पाता है। उसके ऊपर विभिन्न श्रेणियों की योग्यता के श्रेष्ठतर उद्यमी हैं। जिस प्रकार सीमान्त भूमि से श्रेष्ठतर भूमि में पार्थक्यपूर्ण सुविधा होती है, उसी प्रकार लाभ भी अलाभकर्ता उद्यमों या सीमान्त उद्यमों से अधिक योग्य उद्यमों को पार्थक्यपूर्ण योग्यता के लिए प्राप्य पुरस्कार है। इसी प्रकार लाभ भी लगान के समान है और लगान की भाँति कीमत में शामिल नहीं होता। व्यवस्था सम्बन्धी वेतन लाभ नहीं है। सीमान्त नियोजक केवल व्यवस्था-सम्बन्धी वेतन अर्जित करता है, और कुछ नहीं। कीमत और लागत में थोड़ा भी विपरीत हेरफेर होने पर वह नियोजक की अपेक्षा कर्मचारी के रूप में कार्य करना अधिक पसन्द करेगा। इस प्रकार उद्यमियों की पूर्ति को जारी रखने के लिए व्यवस्था-सम्बन्धी वेतन का भुगतान करना ही होगा। अस्तु, इस प्रकार वेतन कीमत में शामिल होता है।

इस सिद्धान्त में भी वही कमजोरी है, जैसी कि 'रिकार्डो' के लागत सिद्धान्त में है। जो नियोजक परिस्थितियों में तनिक सी विपरीत उलट-फेर होने पर ही व्यापार छोड़ देता है उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह कम योग्य हो। वह योग्यता में और अधिक ऊँचा हो सकता है तथा और अधिक लाभप्रद दूसरा काम उसे प्राकृतिक कर सकता है।

विशेषतः यह सिद्धान्त लाभ के वास्तविक स्वरूप को व्याख्या नहीं करता। यह केवल लाभ का एक माप-दण्ड उपस्थित करता है।

यह कहना गलत है कि लाभ कीमत में शामिल नहीं होता। अल्पकाल में ऐसा नहीं होता, किन्तु दीर्घकाल में लाभ कीमत में शामिल अवश्य होता है। उद्यमी जोखिम

उठाने का आवश्यक कार्य करता है। और जब तक वस्तु की कीमत इतनी ऊँची नहीं होती कि वह इसके लिए नियोजक की क्षतिपूर्ति करे नियोजको की पूंति घट जाएगी। जब तक कि जोखिम उठाने की सेवाओं के लिए भुगतान करने की कीमतें पर्याप्त ऊँची नहीं हो जाती, नियोजको की पूंति घटती रहेगी।

कुछ नियोजको को भारी लाभ हो सकते हैं और कुछ दूसरो को भारी क्षति का सामना करना पड सकता है। दीर्घ अवधि में जब औसत लिया जाता है तब कल्पित आधिव्य गायब हो जाता है।

और लाभ की मात्रा स्पष्ट करने में भी यह सिद्धान्त असफल रहता है। श्रेष्ठतर नियोजको के अभाव के कारण लाभ की भिन्नता होती है। पर ऐसा अभाव होता क्यों है? भूमि के अभाव का कारण प्राकृतिक सीमाएँ हैं। उद्यमियों के बारे में ऐसी सीमाएँ नहीं हैं। लाभ के सिद्धान्त को इस प्रकार के प्रभाव का स्पष्टीकरण करना ही चाहिए।

६. सामान्य या साधारण लाभ (Normal Profits) — कुछ लेखक साधारण लाभ के दृष्टिकोण को व्यवहार में लाते हैं। अनिश्चितता और अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण जो आधिक्य होता है, वह गतिशील या परिवर्तनशील स्थिति की घटना है। जैसा कि प्रोफेसर नाईट (Prof Knight) मकेत करते हैं कि साधारण लाभ समता की परिस्थिति में सम्बन्धित हैं और उनका सम्बन्ध ऐसी स्थिति से होता है, जिसमें परिवर्तन हो रहे हैं, जिसकी आशा पहले से की जा सकती है। साम्यावस्था या स्थिर समाज में साधन, कम या अधिक निश्चित हो जाते हैं और उनका विभिन्न उद्योगों में इस प्रकार वितरण होगा कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने का उद्देश्य ही नहीं रह जाता। किसी फर्म को उद्योग में प्रवेश करने अथवा छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं होती। अस्तु न्यूनतम अनिश्चितता और पूर्ण प्रतियोगिता रहेगी। ऐसी दशा में शुद्ध लाभ की प्रवृत्ति प्राप्त समाप्त होगी और उद्यमी लोग केवल निरीक्षण का वेतन अर्जित करेंगे। अतः व्यावहारिक रूप में साधारण लाभ केवल प्रबन्ध या व्यवस्था-सम्बन्धी आय रह जाएगी।

१० क्या लाभ में समानता की ओर प्रवृत्ति होती है? (Do Profits tend to Equality?) — यहाँ भी हम सीधा उत्तर नहीं दे सकते। यह उस समय की परिस्थिति पर निर्भर करेगा। साम्यावस्था की स्थिति में निरीक्षण के वेतन के अर्थ में लाभ समान हो जाएगा। शुद्ध लाभ लीप हो जाएगा। ऐसे समाज में, जिसमें परिवर्तन उपस्थित हैं, किन्तु अनिश्चितता नहीं है, लाभ सामान्य के आस-पास साम्यावस्था की ओर जाएँगे, जैसा पहले स्पष्ट किया जा चुका है। योग्यता में भिन्नता होने के कारण भिन्नताएँ भी पूर्णतः अनुपस्थित नहीं रहेगी। लेकिन प्रतियोगिता की शक्ति के द्वारा इन भिन्नताओं को सकीर्ण रखा जाएगा। अतः यह कहा जा सकता है कि जितना ही अधिक उद्योग का दैनिक कार्य जैसा स्वरूप होगा, उतना ही अधिक लाभ का भुकाव समानता की ओर होगा बसतें कि समय लम्बा हो और प्रतियोगिता पर प्रतिबन्ध न रहे। किन्तु अल्पकाल में असमानताएँ रह सकती हैं।

११ लाभ तथा सीमान्त उत्पादन-शक्ति (Profit and Marginal Productivity) — क्या हम लाभ पर सीमान्त उत्पादन शक्ति का सिद्धांत लागू कर सकते हैं? सामान्यतः हाँ। सीमान्त उत्पादन-शक्ति, जिमकी हम व्याख्या कर चुके हैं दुर्लभता तथा माँग के बीच के सम्बन्ध की अभिव्यक्ति है। उद्यमियों का अभाव है तथा उनकी पूर्ति बढ़ाना सरल नहीं है। उत्पादन की आधुनिक दशाओं में उद्यमियों विशेषतः अद्भुत योग्यता वाले उद्यमियों की माँग बढ़ी है। उद्यमियों की सीमान्त उत्पादन शक्ति ऊँची है, और इमीनिए लाभ ऊँच हैं। जितनी ही अधिक अनिश्चितता रहेगी, व्यापार को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त ऊँची योग्यता के नियोजकों का उतना ही अधिक अभाव रहेगा, और फलस्वरूप उतने ही ऊँचे लाभ होंगे।

अन्य साधनों की तुलना में उद्यमियों की सीमान्त उत्पादन शक्ति के सिद्धान्त को लागू करने में कठिनाई यही अन्तर है कि यहाँ प्रतियोगिता की शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप में काम करती हैं, जब कि अन्य साधनों के मामलों में वे नियोजकों के द्वारा कार्य करती हैं। अन्तिम मात्रात्व बढ़ी है। समाज की प्रतियोगितापूर्ण माँगों को सन्तुष्ट करना आवश्यक है और इस प्रकार उद्यमी विधायक योग्यता के वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। प्रतियोगिता की शक्तियाँ समान योग्यता के नियोजकों के लाभ को समान करती हैं।

यह सिद्धान्त जितना स्पष्ट रूप में मूल्य के अन्य विषयों पर लागू होता है उतना स्पष्ट रूप में लाभ पर लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा इस कारण से कि नियोजक जटिल कार्यों को सम्पादित करता है तथा अनिश्चितता का प्रमाणीकरण सम्भव नहीं है। चूँकि नियोजकों की संख्या की इकाई काफी बड़ी है इसलिए उनको जल्दी ही न तो कम किया जा सकता है और न बढ़ाया ही जा सकता है। एक इकाई को भी हटाने के अर्थ में समस्त उद्योग को अस्त-व्यस्त कर देता। इस प्रकार उत्पादन के साधनों के इस वर्ग की सीमान्त उत्पादकता का पता लगाना कठिन है।

१२ लाभ के कार्य (The Functions of Profit)¹ — साधारणतया यह सोचा जाता है कि लाभ उद्यमी को होता है तथा इसका भार उपभोक्ता अथवा साधारण जनता पर पड़ता है। परन्तु ऐसा विचार केवल एक भ्रम है। मर्घ्य के बजाए, दोनों के बीच अर्थात् उद्यमी क्या पाता है और समाज क्या देता है, बड़ी अनुसंधान है। भ्रमदा केवल दिखावटी है। समाज का रूप चाहे जिम प्रकार का हो—पूँजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी अथवा फासीवादी (Fascist)—लाभ बड़ा महत्त्वपूर्ण तथा उपयोगी कार्य करता है।

हर व्यक्तिगत उद्यमी का अपने अतिजीवन को बनाए रखने के अर्थ में (१) व्यवसाय की वर्तमान लागत और, (२) व्यवसाय में रुकने के कारण बताए गए चार प्रकार के जोखिमों (पुनः स्थापना जोखिम अनिश्चितता तथा प्रयोग से हटाना) को पूरा करने का कर्तव्य है। परन्तु इसके अतिरिक्त दो कर्तव्य और हैं जिमको लाभ प्राप्त करने वाले उद्यमी को पूरा करना चाहिए। (३) एक ताँ ड्रकर (Drucker)

¹ See P. F. Drucker on 'The Function of Profit' in *Fortune* March

के अनुसार असफल उद्योगों की हानि भरना चाहिए, अर्थात् सामाजिक दृष्टिकोण से एक सफल उद्यम (enterprise) को असफल उद्यम की हानि को पूरा करना चाहिए। 'जिस प्रकार कि एक उत्पादक तेल के कुएँ को सूखे छिद्र में ले जाए गए नल तथा धम की लागत को पूरा करना पड़ता है, इसी प्रकार एक सफल कम्पनी को दूसरी असफल कम्पनी की हानि को पूरा करना चाहिए।' यह बीमा का सिद्धान्त है। व्यक्तिगत उद्यमी इन असफल उद्योगों (dry holes) की चिन्ता चाहे न करे, परन्तु समाज ऐसा नहीं कर सकता। (४) इसीलिए लाभदायक उद्यम को असफल उद्योगों (dry holes) की हानियों को पूरा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त लाभ को एक और कार्य करना चाहिए। वह है सामाजिक भार का उत्तरदायित्व। सफल औद्योगिक उपक्रमों को सामाजिक सेवाओं अथवा सामाजिक सुरक्षा उदाहरणार्थ शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएँ, गरीबों की सहायता, बुढ़ापे की पेंशन, प्रसूति सहायता, रक्षा, नागरिक राज्य शासन आदि की लागत का भार सहना चाहिए।

निर्देश पुस्तकें

- Schumpeter, J Theory of Economic Development.
 Knight, F H Risk, Uncertainty and Profit, 1940
 Taussig F W Principles Vol II
 Benham, F Economics
 Readings in the Theory of Income Distribution, pp 347—371
 Meyers A L Elements of Modern Economics 1951, Ch 19
 Summer, M Stutcher An article entitled 'Are Profits Too High?' Atlantic Monthly, July 1948
 Peter F Drucker 'The Function of Profit' in Fortune March, 1949
 Knight, F H Article on Profit in Encyclopaedia of Social Sciences
 Robinson, Mrs Joan The Accumulation of Capital, 1956

विनिमय की कार्यविधि
(Mechanism of Exchange)

मुद्रा का रूप तथा कार्य

(The Nature and Functions of Money)

१ मुद्रा का अर्थ (Meaning of Money)—वस्तुओं के विनिमय प्रयत्न मूल्य के निर्धारण के विषय में हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। हमने मुद्रा को भी मान लिया है। अब हम मुद्रा तथा मुद्रा-व्यवस्था के बारे में विचार करेंगे।

“भिन्न-भिन्न लेखकों ने मुद्रा (money) की भिन्न-भिन्न प्रकार से व्याख्या की है। कुछ कहते हैं कि “मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है।” दूसरे शब्दों में जो भी मुद्रा का कार्य करते हैं, वे मुद्रा हैं। व्यापक रूप में मुद्रा विनिमय का आधार है। यह व्याख्या काफी विस्तृत है। चेको, बिलो आदि को प्रतिनिधि मुद्रा (representative money) कहा गया है क्योंकि वे मूल्य के मापदण्ड के सुविधाजनक प्रतिनिधि हैं। कुछ लेखक इस व्याख्या को सीमित कर देने हैं। और वे उसी वस्तु (अर्थात् सोना) को सम्मिलित करते हैं, जो मूल्य का कार्य कर सके। यह व्याख्या, मुद्रा की सूची से बैंक नोटों, सरकारी करेंसी नोटों आदि को पृथक् कर देती है। तर्क की दृष्टि से इन्हें पृथक् नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम क्लिफहॉल देखेंगे कि उनमें अच्छी मुद्रा के सभी गुण पाए जाते हैं। साधारणतया स्वीकृत मत यह है कि ‘भुगतान और विनिमय के प्रत्येक माध्यम को जिनका ऋण के भुगतान में कानूनन प्रयोग हो सकता है, मुद्रा कहा जा सकता है।’

इस प्रकार चैक, हण्डो (Bills of Exchange) तथा भुगतान के ऐसे ही दूसरे साधनों को मुद्रा की श्रुतियों में नहीं रखा जा सकता। उनके लिए हम “साख के साधन” (Credit Instrument) शब्दों को प्रयोग में लाते हैं जैसा कि हम घागे चल कर देखेंगे। मुद्रा की विशेषता यह है कि वह साधारणतया ग्राह्य होती है। चैक तथा हण्डियों का भुगतान नियमित नहीं होता और किसी व्यक्ति को भुगतान के लिए उन्हें स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। साधारणतया बैंकनोट ग्राह्य होते हैं, अतएव उन्हें मुद्रा कहा जा सकता है।

२ वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ (Difficulties of Barter)—वस्तु विनिमय में तीन साधारणतया कठिनाइयाँ हैं —

(1) आवश्यकताओं की दोहरी अनुपपत्ता (Double Coincidence of Wants)—वस्तु-विनिमय में आवश्यकताओं की दोहरी अनुपपत्ता की आवश्यकता पड़ती है। यदि अ के पास एक गाय है और वह उसके बदले में घोड़ा चाहता है तो

उसे ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जिसके पास न केवल घोड़ा हो वरन् जिसे गाय की भी आवश्यकता हो। मान लीजिए उमकी व व्यक्ति से भेंट होती है जिसे गाय की जरूरत है लेकिन बदले में देने के लिए उसके पास सिर्फ एक भेड़ है। अ को तब ऐसे व्यक्ति की खोज करनी होगी जिसे भेड़ की जरूरत है, और यह काम काफ़ी लम्बा हो जाएगा। इस तरह कई सौदों के बाद उसे अपनी जरूरत की चीज मिलेगी। यह स्पष्ट है कि इस साधन में अनगिनत कठिनाइयाँ और खतरे हैं।

(ii) मूल्य के सामान्य मापदण्ड का अभाव (Lack of Common Measure of Value)—वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का यही पर अन्त नहीं होता। यदि दो व्यक्ति, जिन्हें एक दूसरे की वस्तु की चाह है मिल भी जाएँ तो भी एक दूसरी परेशानी उपस्थित हो जाती है। किस अनुपात में दोनों वस्तुओं का विनिमय हो? मूल्य निर्धारण का कोई समान मापदण्ड नहीं होता। अनुपात इच्छा से निर्धारित किया जाएगा तथा उसका आधार दोनों पक्षों की आवश्यकता तथा उनकी परस्पर माँगों की तीव्रता होगी। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि एक पक्ष को हानि हो क्योंकि प्रत्येक विनिमय में लेन-देन पूरक रूप में होता है।

(iii) कतिपय वस्तुओं की विभाज्यता (Indivisibility of Certain Articles)—यदि विनिमय के अनुपात के सम्बन्ध में समझौता हो भी जाए तो उन वस्तुओं के सम्बन्ध में एक तीसरी परेशानी उपस्थित हो जाती है जो विभाजित नहीं हो सकती। मान लिया, एक व्यक्ति अपनी गाय के आधे मूल्य के बराबर गेहूँ लेना चाहता है। दूसरे आधे मूल्य के बदले में वह कपड़ा लेना चाहता है, जो तीसरे व्यक्ति के पास है। गाय का विभाजन कैसे हो? इसी प्रकार की कई दूसरी परिस्थितियों की हम कल्पना कर सकते हैं।

वस्तु विनिमय से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ का उदाहरण हम एक प्राचीनी समीक्षक से ले सकते हैं, जिसने एक ऐसे द्वीप में अपने संगीत का प्रदर्शन किया जहाँ द्रव्य का चयन नहीं था। उसे सूअरा, मुँगियों, बकरियों, सेब, केले आदि में भुगतान किया गया। बकरियों और सूअरों ने फलों और दूसरे खाद्य पदार्थों का सफाया कर दिया और अपने सूअरों और बकरियों को जीवित रखने के लिए उसे कई अन्य प्रदर्शन देने पड़े। उसे क्या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं। यदि उसे मुद्रा में भुगतान किया जाता तो वह धनी हो जाता।

३ मुद्रा का विकास (Evolution of Money)—शोध ही यह परिष्कार निकला कि विनिमय में बड़ी सुगमता लाई जा सकती है बशर्ते कि विनिमय का आधार किसी एक वस्तु को बना लिया जाए। इस वस्तु द्वारा सभी पदार्थों का मूल्यांकन किया जा सकता था और उसके द्वारा व्यक्ति वांछित वस्तु का न्य विक्रय कर सकता था।

इस रूप में अनेक प्रकार की वस्तुओं की भिन्न भिन्न सफलता के साथ अपनाया जा चुका है। दास, पशु, पत्थर, खाल, तौर, अनाज, कोडी आदि को अपनाया गया। किसी विशेष समाज के आर्थिक विवास के लिए यह उम युग पर आधारित था कि मुद्रा का क्या रूप हो। शिकारी स्वभावतः खाल और तौर को साधन मानने थे, वनजारे

पशु और किमान अनाज को मुद्रा का रूप देते थे। अभी कुछ ही दिनों पूर्व तक हमारे ग्रामों में त्रय के लिए अनाज और वपाम को काम में लाया जाता था।

अन्ततोगत्वा, किमी भाँति यह पता चला कि सोना और चाँदी जैसे मूल्यवान् धातु इम काम के लिए सर्वथष्ट हैं। प्रारम्भ में सोना और चाँदी को धातु पिण्डों के रूप (bullion) में प्रयोग में लाया गया। इममें अमुविधा होता थी और प्रत्येक बार जब वह एक हाथ से दूसरे में जाते थे, उनकी जाँच में गनती की सम्भावना रहती थी। तदनन्तर सरकारों ने उन्हें चतुर्थ या सिकको का रूप दिया, जिममें उहे ग्रहण करने वालों को उमकी क्स्म (quality) और उसके वजन का कुछ भरोसा रहे। कुछ समय बाद धातु के सिक्कों (metallic coins) के साथ कागजी मुद्रा (paper currency) का प्रचलन शुरू हुआ जिमें धातु मुद्रा में बदला जा सकता है। बहुत सी देशाधी में सिक्के विशिष्टकर के जो प्रमाणित (standard) होते थे, सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रचलित कागजी मुद्रा के सम्मुख लौह हो जाने थे और कागजी मुद्रा ही अकेली चलार्थ रूप में शेर रह जाती थी।

वस्तु-विनिमय अर्थ व्यवस्था (barter economy) से वस्तु-मुद्रा (commodity money) वस्तु मुद्रा में कागजी-मुद्रा (paper currency), और कागजी मुद्रा से बैंक मुद्रा अथवा साख अर्थ व्यवस्था (credit economy)—मुद्रा की उन्नति तथा उच्चता विकास इम प्रकार होता रहा है। क्रॉउथर (Crowther) के शब्दों में केवल "सामान्य स्वोक्ति ही मुख्य आवश्यकता है। मुद्रा का स्वयं मूल्यवान् होना आवश्यक नहीं। यह वास्तव में अपेक्षाहीन दुर्लभ होनी चाहिए। परन्तु, यदि इसको अपेक्षाकृत दुर्लभ रखने और माना में अपेक्षाकृत स्थिर रखने की आवश्यकता न रखी जाए तो मुद्रा में ऐसी बिकार वस्तुएँ पाई जाने लगेंगी जैसे कागज के फटे हुए टुकड़े अथवा बैंक की पुस्तकों में किमी वर्क के कलम द्वारा किए हुए निशान।"¹

मुद्रा के जारी करने से वह सभी अमुविधाएँ दूर हो गई हैं जो वस्तु-विनिमय से उत्पन्न होती थी। विनिमय के लिए आवश्यकताओं की दुहरी अनुस्पता की आवश्यकता नहीं रही। इच्छा के अनुसार वस्तु का विभाजन और विनिमय आसानी से हो सकता है। समाज को विनिमय का ऐसा माध्यम मिल गया जो साधारणतया सभी को मान्य था और सरलता से एक हाथ में दूसरे हाथ में जा सकता था। मूल्य के निर्धारण के लिए एक विशिष्ट मापदण्ड (Standard) लोगों को मिल गया। मूल्यवान् वस्तुओं का संचय करना अथवा स्थानान्तरित करना सुधम हो गया। ऋण का लेन देन निर्विघ्न सम्भव हो गया।

उभोक्ता को मुद्रा के चलन से अनगिनत लाभ हुए हैं। मुद्रा के हाथ में होने से वह दूसरों की वस्तुओं तथा सेवाओं पर अपना अधिकार प्रकट कर सकता है। मुद्रा से उसकी क्रय शक्ति व्यापक हो गई है। मुद्रा के अभाव में उपभोक्ता के लिए यह कठिन था कि वह अपने क्रय की विभिन्न दिशाओं से सम सीमान्त उपयोगिता (equi-marginal utility) प्राप्त कर सकता। इम प्रकार वह अब अधिकतम सन्तोष प्राप्त कर लेता है।

उत्पादक के लिए भी मुद्रा के जारी करने से कम लाभ नहीं हुआ है। अब वह अपने उत्पादन कार्य को अधिक कुशलता और मितव्ययिता से समर्थित कर सकता है। उत्पादक भी द्रव्य के द्वारा जिन साधनों को अपने उत्पादन कार्य में प्रयोग कर रहा है, उनकी सीमांत उत्पादन शक्ति को बराबर करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है।

समाज को भी मुद्रा के प्रादुर्भाव से काफी लाभ हुआ है। इर्षी के आधार पर माघ का विशाल भवन निर्मित हुआ है। राष्ट्र के आर्थिक विकास में साख और बैंक प्रथा के विस्तार से बड़ी सहायता मिली है। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि वर्तमान युग ने मुद्रा की जो सुविधाएँ दे रखी हैं, उनके अभाव में उद्योग और व्यवसाय कैसे इतने विकसित हो सकते थे। आर्थिक साधनों का अनुकूलतम वितरण (optimum distribution) तथा आधुनिक आर्थिक वृद्धि का कुशल मचालन बिना मुद्रा-प्रणाली के सम्भव ही नहीं था।

४ मुद्रा के कार्य (The Functions of Money)—हमने देखा है कि भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न वस्तुओं को मुद्रा के रूप में चुना गया है और सोना चाँदी तथा चांदी में कामज श्रेष्ठ मुद्रा के साधन निश्चित हुए हैं। श्रेष्ठ किस बात के लिए? मुद्रा के कार्यों को पूर्ण रूप से करने के लिए श्रेष्ठ।

मुद्रा क्या कार्य करती है? उसके पाँच अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य हैं—

- (क) वह विनिमय का माध्यम (medium) है।
- (ख) वह मूल्य संचय (store) करने के लिए प्रयोग में आती है या आधुनिक व्याख्या के अनुसार साधनों को द्रवता का गुण (liquidity) देना में सहायक होती है।
- (ग) वह मूल्यों का माप दण्ड (measure) है।
- (घ) ऋण के लेन देन का वह एक स्थिर साधन होती है।
- (ङ) वह मूल्य को स्थानान्तरित (transfer) करती है।

मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में (Money as Medium of Exchange)—अभी हमने उन विभिन्न अनुविधाओं की चर्चा की जो वस्तु-विनिमय से उत्पन्न होती हैं। मुद्रा के व्यवहार के द्वारा ये सब अनुविधाएँ दूर हो जाती हैं। मुद्रा की अर्थ-व्यवस्था में यह आवश्यक नहीं होना कि इच्छाओं की अनुत्पत्ता हो। उस व्यक्ति को, जो गाय के बदले में घोड़ा चाहता है, अब उसे ऐसे घोड़े वाले को ढूँढ़ने की आवश्यकता नहीं जिसे गाय की आवश्यकता हो। वह अपनी गाय को बाजार में बेच सकता और इस प्रकार जो द्रव्य मिले, उससे घोड़ा खरीद सकता है। जिस समय व्यक्ति अपनी सेवाओं अथवा वस्तुओं को अपूर्ण अवस्था में बेचना चाहता है, उसे मुद्रा के कारण बड़ी सुविधा रहती है जो मुद्रा के अभाव में सम्भव नहीं होती क्योंकि वह उन्हे सरलता से मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर सकता है। कतिपय वस्तुओं की अविभाज्यता का प्रश्न भी समाप्त हो गया है। मुद्रा की इकाइयाँ विभिन्न मूल्यों की होती हैं और उनसे किसी भी प्रकार की खरीदारी की जा सकती है जो वस्तु विनिमय में सम्भव नहीं थी।

द्रव या तरल आस्तियों के रूप में मुद्रा (Money as Liquid Assets)—मुद्रा मूल्य-संचय का कार्य सम्पादित करती है या यह कहना उचित होगा कि वह

व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं के एक घन को द्रव्य गुण देने के योग्य बना देती है। तरल आस्तियाँ (Liquid assets) वह साधन हैं जो किसी भी समय किसी भी व्यवहार में आ सकता है। आधुनिक जगत् में अधिकांश व्यक्ति अपनी जेबों में करंसी नोट रखते हैं अथवा उन्हें घर पर रखते हैं या बैंक में चालू खाते जमा रखते हैं और जिस समय चाहते हैं बैंक के द्वारा निकाल सकते हैं। यह इसलिए आवश्यक होना है कि आय और व्यय का प्रम समान गति से नहीं चलता। नियोजकों को मजूरी प्रादि का भुगतान एक अवधि में करना होता है, बन्नी-बन्नी दैनिक भी। लेकिन उन्हें अपनी आय इसी क्रम में और इसी रूप में नहीं मिलती। घन मुद्रा मूल्य संचय के रूप में रखा गया सबसे अच्छा साधन है।

मुद्रा मूल्य का प्रामाणिक मापदण्ड (Money as a Standard Measure of Value)—वस्तु विनिमय की एक यह कठिनाई भी अनुभव की गई है कि उसमें मूल्य का साधारण मापदण्ड नहीं था, जिसके अनुसार दूसरे मूल्यों को प्रकट किया जा सकता, जोड़ा जा सकता अथवा हिसाब लगाया जा सकता। मुद्रा ने यह कठिनाई भी दूर कर दी है। मुद्रा के रूप में हम मूल्य और सेवाओं की सुगमता से तुलना कर सकते हैं। वस्तुओं की मूल्यों की श्रेष्ठता उनके मूल्यों के अनुपात से प्राप्ति जा सकती है। मूल्य का कीमता में प्रकटीकरण हम उन्हें जोड़ने तथा व्यक्ति की हैमिपत का अथवा वस्तु की कीमत का अन्दाज लगाने में सहायक होता है। विनिमय के लिए मूल्य के रूप में एक सामान्य मापदण्ड होने से तोड़े करना सरल और ग्राह्ययुक्त हो जाता है।

मुद्रा विनिश्चित भुगतानों का आधार (Money as Standard of Deferred Payments)—मुद्रा ऐसे भुगतानों के आधार का भी स्तर कायम रखता है जिनका भुगतान कुछ समय बीत जाने पर किया जाता है। अतएव लेन-देन अवश्य ही किसी वस्तु के रूप में हमें जिनका स्वामी मूल्य होगा। बहुत सी वस्तुएँ समय के साथ नष्ट हो जाती हैं। किन्तु यदि मुद्रा की सामग्री का उचित चुनाव हुआ है और उसका उचित प्रबंध रखा जाता है, तो उसका मूल्य दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक स्वामी रहता है। सभी भुगतानों के लिए प्रामाणिक मापदण्ड का कार्य करने के कारण, मुद्रा ऋण लेन देने के खतरे को कम कर देती है। इस प्रकार यह सब प्रकार की आर्थिक कार्यवाहियों को मन्तुनित रखती है जिनका आधार ऋण या साक्ष्य होती है।

मुद्रा के कार्यों को संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं

“माध्यम (a medium), मापदण्ड (a measure), प्रामाणिकता (a standard) तथा एकत्रीकरण (a store)।”

“Money is a matter of functions four

A medium, a measure, a standard a store”

यह ध्यान में रखना चाहिए कि मुद्रा के यह चारों काम एक दूसरे से स्वतन्त्र नहीं हैं। ऋण के भुगतान के लिए मुद्रा को तरल आस्तियों के रूप में रखा जाता है। यह विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। यह विनिमय के माध्यम के रूप में

इसलिए स्वीकार किया जाता है कि इसका मूल्य अपेक्षाकृत स्थायी रहता है। इसी कारण से यह भावी भुगतान का साधन तथा मूल्य का मापदण्ड माना जाता है।

मुद्रा मूल्य को हस्तांतरित करने का साधन (Money as a Means of Transferring Value)—मुद्रा के द्वारा एक और महत्वपूर्ण कार्य भी होता है। कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर अपनी चल और अचल सम्पत्ति को बेच सकता है और दूसरे स्थान पर खरीद सकता है। इस प्रकार मूल्य हस्तांतरित हो सकता है। इस तरह के मामले भारत में विभाजन के बाद बहुत हुए हैं।

५. अच्छे मुद्रा पदार्थों के गुण (Qualities of Good Money Materials)—उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि अपने कार्यों को भली भाँति सम्पन्न करने के लिए मुद्रा पदार्थ में कुछ गुण अवश्य होने चाहिए।

(क) सर्वमान्यता या सव्याप्यता (General Acceptability)—वह वस्तु, जो सर्वसाधारण को ग्राह्य न हो, समुचित रूप से मुद्रा का कार्य सम्पन्न नहीं कर सकती। लोग एक वस्तु को या तो इस विश्वास पर स्वीकार कर लेते हैं कि दूसरे लोग उसे स्वीकार कर लेंगे या इस विश्वास पर कि वह उसे किसी दूसरे उपयोग में ला सकेंगे। सोना और चाँदी सर्वसाधारण को ग्राह्य रहते हैं। करैसी नोट इसलिए ग्राह्य रहते हैं, कि लोगों को विश्वास है कि उनसे क्या कर सकते हैं या उन्हें जारी करने वालों से उनके समान मूल्य पा सकते हैं आदि।

(ख) वहनीयता (Portability)—जो पदार्थ प्रयोग में आए, वह सहज वहनीय होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, थोड़ी मात्रा में उसका अधिक मूल्य होना चाहिए। उदाहरण के लिए कोयला अच्छा मुद्रा पदार्थ नहीं है जबकि सोना, चाँदी, कागज, आदि अच्छे मुद्रा पदार्थ हैं।

(ग) सञ्जेयता (Cognizability)—मुद्रा के लिए यह एक आवश्यक गुण है। इसके अर्थ हैं कि वह सुगमता से पहचान में आ सके। यदि आप को मुद्रा की प्रामाणिकता के लिए विरोधी खोजबीन करनी पड़े तो इससे बड़ी असुविधा होगी। सिक्के और कागजी मुद्रा, जिनका आकार प्रकार पहचान योग्य होता है, उनके प्रचलन में यह असुविधा दूर हो जाती है।

(घ) सजातिता या समरूपता (Homogeneity)—पदार्थ को एक ही गुण रूप का होना चाहिए। यदि उसके गुण (quality) अनुरूप नहीं हैं, तो ऐसे पदार्थ के एक परिमाण का मूल्य भी समान नहीं रहेगा।

(च) विभाज्यता (Divisibility)—पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि बिना अपना मूल्य खोये वह छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित हो सके। उदाहरण के लिए यदि एक हीरे के दो हिस्से कर दिए जाते हैं तो दोनों हिस्सों का वही मूल्य नहीं रहता जो पहले था। जाचवरो को उस समय तक विभाजित नहीं किया जा सकता जब तक कि वे जानबूझ रहे हैं। सोना और चाँदी विभाज्य हैं।

(छ) स्थायित्व (Durability)—नाशवान वस्तुएँ मुद्रा का कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर सकती। एक समय बाद उनका मूल्य कम हो जाता है। उदाहरण

के लिए जानवर बीमार पड़ सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं और मर सकते हैं। जल्दी मारा होने वाली वस्तुओं की स्थिति भी ऐसी ही है।

(ज) सब से खास बात तो यह है कि मुद्रा अपेक्षाकृत स्थिर मूल्य की (stable in value) होनी चाहिए क्योंकि वह दूसरे मूल्यों को निर्धारण करने के लिए प्रामाणिक मापदण्ड होती है। सोना और दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक स्थिर मूल्य का होता है, क्योंकि वह स्थायी होता है और इन पदार्थों को बड़ी मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है; फिर भी इतनी अधिक मात्रा में नहीं, जिनसे उनका मूल्य बहुत गिर जाए।

६ सिक्के और टकन (Coins and Coinage)—मोटे तौर पर मुद्रा को दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है, पहला धातु-मुद्रा और दूसरा कागजी मुद्रा। धातु करंसी अथवा सिक्के एक विशेष बजन और देश की सरकार की मोहरांकित धातु के टुकड़े होते हैं। ऊँचे मूल्य की मुद्राओं के बिना साधारणतया खुदे रहते हैं, जिससे वे नष्ट होने से बची रहें और उनके साथ की गई चालवाजी का आसानी से पता चल सके। अच्छे टकन के मुख्य सिद्धान्त यह हैं—(क) सिक्के सुविधाजनक आकारों के होने चाहिए, (ख) वे इस प्रकार के बने चाहिए कि चलन के कारण उनमें कम-से-कम छीजन हो, (ग) उनका स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए कि उनकी नकल बनाना या उन्हें घिसना या छोटना असम्भव हो जाए, और (घ) उन पर कलात्मक सरकारी मोहरें होनी चाहिए।

साकेतिक सिक्के (Token Coins)—धातु के सिक्के, पूर्ण शुद्ध धातु के सिक्के भी हो सकते हैं और साकेतिक सिक्के भी हो सकते हैं। पूर्ण शुद्ध सिक्के वे सिक्के होते हैं जिनकी धातु का मूल्य वही है जो उनका साकेतिक मूल्य है। किन्तु साकेतिक मुद्रा का साकेतिक मूल्य अधिक होता है, उसका वास्तविक मूल्य कम होता है। भारतीय रुपया साकेतिक सिक्का है। रुपय की धातु की कीमत उसकी साकेतिक कीमत से कम है। किन्तु १८६३ से पूर्व भारतीय रुपया शुद्ध धातु का सिक्का था। उस समय के रुपये की चाँदी की एक रुपये की कीमत में बेचा जा सकता था।

कभी कभी ऐसा भी होता है कि साकेतिक मुद्रा में प्रयुक्त धातु की कीमत इतनी बढ़ जाती है कि वह मुद्रा पूर्ण शुद्ध धातु वाले सिक्को के समान हो जाती है। उस समय ऐसे सिक्को को मलाकर या दबाकर रख लिया जाता है। उदाहरण के लिए १९१७ में चाँदी की कीमत इतनी बढ़ गई थी कि भारतीय रुपया साकेतिक मुद्रा न रहा और वह बाजार में चलन से गायब होने लगा। उस समय सरकार को रुपये के सिक्के मुद्रा करने में पर्याप्त कठिनाई हुई थी। इसी प्रकार १९४० में भी रुपये की कमी हो गई थी और सरकार को कम चाँदी के रुपये ढाल कर चलाने पड़े। इस समय भारतीय रुपये में $\frac{1}{2}$ शुद्ध चाँदी के बजाय $\frac{1}{4}$ शुद्ध चाँदी है। ऐसे सिक्को के दबाकर रखने का भय नहीं रहता। पुराने शुद्ध चाँदी वाले रुपये अब विधिमान्य मुद्रा नहीं हैं। उन रुपये में लोन देना नहीं हो सकता। १९४६ में निकित या रूपक धातु के रुपये का चलन प्रारम्भ हुआ।

साकेतिक सिक्के प्रायः सहाय टक होते हैं। किन्तु भारत में मुख्य सिक्का रुपया भी साकेतिक सिक्का ही है। वस्तुतः भारतीय रुपया शुद्ध सिक्के और साकेतिक सिक्के का मिश्रण है। कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय रुपया रूपक (nickel) पर छपा हुआ नोट है। सहायक सिक्को का प्रयोग छोटे भुगतान करने के लिए होता है। भारत में पैंसा, आना, चवन्नी या ५ या १० नये पैसे के सिक्के सहायक सिक्के हैं।

सीमित तथा असीमित विधिमान्य मुद्रा (Limited and Unlimited Legal Tender) — सिक्के सीमित विधिमान्य मुद्रा या असीमित विधिमान्य मुद्रा हो सकते हैं। विधिमान्य मुद्रा वह है जिसके माध्यम से ऋणों का चुकाना विधि द्वारा मान्य हो। यदि कोई व्यक्ति विधिमान्य मुद्रा को लेने से इनकार करे तो उसे दण्ड भुगताना पड़ेगा।

जब किसी मुद्रा के द्वारा किसी भी मात्रा में ऋणों का भुगतान सम्भव हो तो ऐसी मुद्रा को असीमित विधिमान्य मुद्रा कहेंगे। किन्तु यदि उस मुद्रा के द्वारा किसी सीमा के अन्दर ही भुगतान करना सम्भव है तो ऐसी मुद्रा सीमित विधिमान्य मुद्रा कही जाएगी। उदाहरण के लिए भारत में रुपये के सिक्के और रुपये के नोट असीमित विधिमान्य मुद्राएँ हैं। उन्नी प्रकार अठन्नियाँ भा असीमित विधिमान्य मुद्रा हैं। किन्तु इससे छोटे सिक्के सीमित विधिमान्य मुद्राएँ हैं। वे केवल १० रुपयों तक के भुगतानों के लिए विधिमान्य मुद्राएँ हैं।

प्रामाणिक मुद्रा (Standard Money) — प्रामाणिक मुद्रा वह मुद्रा है जिस के आधार पर मुद्रा की दूमरी किस्मों का मूल्य मापा जाता है। यह मुद्रा का अति उत्तम रूप है। या तो इसमें मुद्रा विययक प्रमाण है या यह उसका निकट प्रतिनिधि है। साधारणतया एक धातु को चुन लिया जाता है, और मुद्रा की इकाइयाँ उसमें बदली जा सकती हैं। कभी-कभी दो धातुएँ यह कार्य करती हैं। जब प्रामाणिक धातु एक होती है तो उस प्रणाली को एक धातु-मान (Monometallism) कहेंगे। जब दो प्रामाणिक धातुएँ होती हैं तो उसे द्विधातु-मान (Bimetallism) कहेंगे। इसी प्रकार यदि सोना धातु को चुना जाए तो उसे स्वर्णमान (Gold Standard) कहेंगे। और यदि धातु रजत है तो उसे रजतमान (Silver Standard) कहेंगे।

कभी-कभी कोई एक देश अपनी करेन्सी का मूल्य विदेशी करेन्सी के मूल्य के अनुपात में निर्धारित करता है। उसे विनिमय मान (Exchange Standard) कहेंगे। यदि विदेशी मान स्वर्ण मान होता है तब सम्बन्धित देश की करेन्सी स्वर्ण विनिमय मान (Gold Exchange Standard) होती है। वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ में भारत ने अपने रुपये को अंग्रेजी करेन्सी से सम्बन्धित कर लिया। इंग्लैण्ड स्वर्णमान वाला देश था। इस प्रकार भारत स्वर्ण विनिमय मान वाला देश हुआ। जब सन् १९३१ के सितम्बर मास में इंग्लैण्ड ने स्वर्णमान का परित्याग कर दिया तो भारत का सम्बन्ध स्टर्लिंग से हो गया। तब भारत स्टर्लिंग विनिमय मान वाला देश बन गया। जब से भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I.M.F.) से सम्बन्ध स्थापित किया है, भारतीय रुपये की स्टर्लिंग विनिमय कड़ी को विद्वान्तत समाप्त कर दिया गया है।

इन समय भारतीय रुपये का मूल्य ० १८६६२१ ग्रेन शुद्ध स्वर्ण के बराबर है । अतः अब भारत में स्वर्ण समाहंता मान (Gold Parity Standard) प्रचलित है ।

७ कागजी मुद्रा (Paper Money)—'कागजी मुद्रा' के अन्तर्गत बैंक नोट और सरकारी नोट आते हैं, जो हाथों हाथ बिना रोक टोक चलते हैं । इसके अन्तर्गत बैंक तथा हेंडियाँ नहीं आती, जिनका सीमित प्रचलन है ।

कागजी मुद्रा दो किस्म की होती है—परिवर्तनीय (convertible) तथा अपरिवर्तनीय (inconvertible) । पहले किस्म की मुद्रा उसके स्वामी की इच्छा अनुसार प्रामाणिक सिक्के (प्रामाणिक धातु) में बदली जा सकती है, लेकिन दूसरी इस रूप में नहीं बदली जा सकती ।

कागजी मुद्रा का परिवर्तित होना इसलिए आवश्यक है कि उससे लोगों को भरोसा रहे और वह एक निश्चित सीमा में प्रचलित रहे । जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि यदि माँग की वृद्धि के अनुरूप न हुई तो उसका मूल्य उसी भाँति घट जाता है जैसा कि अर्थ किसी जिन्स का । इसलिए कागजी मुद्रा का प्रचलन राज्य सरकार की विधिओं के अन्तर्गत नियन्त्रित रहता है । इसके नियन्त्रण का एक उपाय यह होता है कि उसे मुद्रा अथवा प्रामाणिक धातु में परिवर्तित किया जा सके ।

अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा में एक सबसे बड़ा खतरा यह रहता है कि वह अधिक प्रचलित (over-issue) हो सकता है । सरकार के लिए यह लाभप्रद होता है कि वह सकल काल में, जैसे युद्ध के समय, अपने साधनों में वृद्धि के लिए अधिक नोट छाप ले और उसकी कृप शक्ति से लाभ उठाए । मसाले के करेन्सी के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब नाटा का अधिक प्रचलन (over-issue) हुआ । जर्मनी ने पहले विश्वयुद्ध में और उस युद्ध के बाद भी यही किया । द्वितीय विश्वयुद्ध (१९३९—४५) में भारत में अधिक नोट प्रचलित हुए ।

८ बैंक मुद्रा (Bank Money)—बैंक मुद्रा में विभिन्न साख पत्र (instruments of credit) सम्मिलित रहते हैं । की-म (Keynes) के शब्दों में, 'बैंक मुद्रा केवल निजी कर्ज की स्वीकृति है जो कि लेखा द्रव्य (money of account) में प्रचारित की जाती है । लेन देन के निबटारे के लिए यह एक आदमी से दूसरे आदमी के पास वास्तविक मुद्रा के रूप में आती जाती रहती है ।'

बैंक मुद्रा का कई रूप हैं । इनमें से कुछ बैंक टिकट, बैंक ड्राफ्ट आदि हैं । इन का वर्णन हम आगे के अध्याय में करेंगे । यहाँ केवल यह समझ लेना चाहिए कि साख पत्र (credit instruments) मुद्रा नहीं हैं, क्योंकि वे सामान्य रूप से सर्व-स्वीकृत नहीं किए जाते । बैंक-मुद्रा अथवा बैंक द्वारा उत्पन्न की हुई मुद्रा समस्त आधुनिक सम्प्रदाया में परिमाण के रूप में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । जिस प्रकार प्राचीन मुद्रा ने मुद्रा की अन्य वस्तुओं का प्रतिस्थापन किया और कुछ ही समय के अन्दर कागजी मुद्रा ने उसको प्रतिस्थापित किया था उसी प्रकार बैंक मुद्रा ने आधुनिक काल में सभी प्रकार की मुद्राओं को प्रतिस्थापित किया है । बैंक तथा अन्य बैंक मुद्राएँ अन्य प्रकार की मुद्राओं से इसलिए अधिक अच्छी हैं कि ठाक द्वारा ले जाने में सरा पैसा देने में,

काउण्टर फायल के रूप में, रसीदों के देने में, तथा चुरा लिये जाने अथवा खोए जाने के प्रति सुरक्षित होने के कारण सुविधाजनक हैं।

६ लेखा शोधन मुद्रा (Money of Account)—लेखा शोधन मुद्रा वह इकाई है जिसमें किसी देश का लेखा तैयार किया जाता है और लेन-देन होता है। स्टर्लिंग, डालर, फ्रैंक और मार्क क्रमशः ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्तराष्ट्र, फ्रांस और जर्मनी की लेखा मुद्राएँ हैं।

उपर्युक्त देशों में क्रमशः यही सब इकाइयाँ चलन का माध्यम हैं। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा हो ही। लेखा मुद्रा किसी देश में प्रचलित मुद्रा से भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, मुद्रास्फीति (inflation) के कारण मन् १९२२-२४ में जर्मनी के मार्क का मूल्य अधिक गिर गया। लोगों का उस पर से विश्वास उठ गया, क्योंकि लोग नहीं जानते थे कि अगले दिन या अगले घंटे मार्क का क्या भूल्य होगा। यह बड़ा अरक्षित था कि इतनी अनिश्चित मूल्य की करेन्सी द्वारा लेन-देन किया जाए। अतएव मार्क लेखा शोधन मुद्रा नहीं रहा। उस समय अमेरिकन डालर सर्वाधिक सन्तुलित मुद्रा थी। अतएव लोगों ने लेन देन में उसे अपना लिया।

१० मुद्रा के कुछ अन्य रूप (Some other Forms of Money)—कुछ और भी शब्द हैं जो कि वाद-विवाद के समय मुद्रा के सम्बन्ध में प्रयोग किए जाते हैं। वे वस्तु मुद्रा (commodity money), प्रादिष्ट-पत्र मुद्रा (fiat money) तथा प्रबन्धित मुद्रा (managed money) हैं। कीन्स (Keynes) ने उनकी निम्न-लिखित परिभाषायें की हैं।^१

वस्तु मुद्रा (commodity money)—किसी विशेष असीमित मात्रा में प्राप्त उस नैकाधिकार (non-monopolised) वस्तु की वास्तविक इकाइयों से बना है, जिसकी अधिक प्रभित्वि मुद्रा के स्पष्ट कार्यों के बरने के लिए की गई हो, परन्तु उसकी पूर्ति का निर्धारण—अन्य वस्तुओं के अनुसार—दुर्लभता (scarcity) तथा उत्पादन व्यय (cost of production) से हा।

प्रादिष्ट-पत्र मुद्रा (fiat money), प्रतिनिधि मुद्रा (representative money) है (अर्थात् भौतिक पदार्थ का कुछ असली मूल्य जो कि उसके मुद्रा-विषयक अंकित मूल्य (monetary face value) से पूर्वक कर दिया गया है)—अब छोटी सज्ञा (denomination) के सिवा अधिकतर वागज की बनती है—जिसको सरकार बनाती अथवा निकालती है। परन्तु यह कानून के अनुसार अपने अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से बदलने योग्य नहीं है और बाहरी विनिमय के सम्बन्ध में इसका कोई निश्चित मूल्य नहीं है।

प्रबन्धित मुद्रा (managed money), प्रादिष्ट-पत्र मुद्रा (fiat money) के समान है। केवल अन्तर यही है कि राज्य इसके इस प्रकार चलाने की व्यवस्था का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेता है, कि चाहे बदलने योग्य हो या नहीं, किसी बाहरी वस्तु के प्रमाण के सम्बन्ध में इसका मूल्य नियंत्रण रहे। यह वस्तु मुद्रा तथा प्रादिष्ट-पत्र मुद्रा के बीच में एक दोगले के समान है। वस्तु मुद्रा के अनुसार इसका सम्बन्ध

1 Keynes, J N—A Treatise on Money, 1950, Vol I, pp 34

मूल्य के बाहरी प्रभाव से है और प्रादिष्ट-पत्र मुद्रा के अनुसार यह केवल प्रतिनिधि मुद्रा है और कोई निजी असली मूल्य नहीं रखती।

११ ग्रेशम का सिद्धान्त (Gresham's Law)—टकरन के सिलसिले में रानी ऐलिजाबेथ (Queen Elizabeth) के आर्थिक सलाहकार सर टोमस ग्रेशम (Sir Thomas Gresham) के नाम से सम्बन्धित एक अधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। रानी ऐलिजाबेथ इस बात के लिए उत्सुक थी कि वह अपने को बरेंसी में, जिसका मूल्य उनके पिता हेनरी अष्टम ने घटा दिया था, सुधार करें। किन्तु वे परेशान थीं कि ज्यों ही वे किसी नई मुद्रा को चलन में भेजतीं वह नोप हो जाती थी। तब सर टोमस ग्रेशम (Sir T. Gresham) से कहा गया कि वह इस पर प्रकाश डालें। उन्होंने जो उत्तर दिया, वह उन्हीं के नाम पर एक सिद्धान्त बन गया।

ग्रेशम के सिद्धान्त को संक्षेप में हम इस प्रकार कह सकते हैं।

“बुरी मुद्रा, अच्छी मुद्रा को चलन के बाहर कर देती है।”

ग्रेशम का सिद्धान्त तीन रूपों में कार्य करता है। (क) अच्छी मुद्रा को जमा कर लिया जाता है, (ख) अच्छी मुद्रा को गला डालते हैं, (ग) अच्छी मुद्रा को निर्यात कर देते हैं। इस प्रकार अच्छी मुद्रा चलन से बाहर हो जाती है।

अच्छी मुद्रा (good money) से हमारा तात्पर्य प्रमाण, वजन और श्रेष्ठता तथा पूर्ण मूल्य वाली मुद्राओं से है और बुरी मुद्रा (bad money) से हमारा अर्थ उमसे है जिसका मूल्य कम कर दिया गया हो, अथवा जो पुरानी हो गयी हो, जिससे उसके मूल्य में अन्तर पड़ जाए।

ग्रेशम का सिद्धान्त कब लागू होता है? (When does Gresham's Law Operate?)—यह सिद्धान्त तीन दशाओं में लागू होता है। (क) जब पूर्ण मूल्य वाली मुद्रा और कम मूल्य की, जाली अथवा पुरानी मुद्राएँ साथ-साथ चलन में हों, (ख) जब धातु-मुद्रा और कम मूल्य वाली कागजी मुद्रा साथ साथ प्रचलित हों और (ग) जब द्विधातुवाद या अर्थात् जब दो प्रामाणिक मुद्राएँ प्रचलित हों अर्थात् दोनों असीमित विधिग्राह्य दोनों निर्मूल्य मुद्राकन के अधीन हों और दोनों का अन्त मूल्य धातु के वास्तविक मूल्य के बराबर हों। द्विधातुवाद के अन्तर्गत ग्रेशम के सिद्धान्त के प्रभाव हम अगले अध्याय में देखेंगे।

नियम की सीमाएँ (Limitation of the Law)—यह नियम लागू नहीं होगा यदि (क) करेंसी में कमी हो और (ख) बुरी मुद्रा के विरुद्ध जनमत हो, जिसके कारण बुरी मुद्रा को चलन के बाहर जाना ही होगा।

१२ भारतीय मुद्रा प्रणाली (Indian Monetary System)—भारत में मुख्य मुद्रा रुपया है, जो लगभग पूर्णतया निकिल या रूपक का बना होता है। इसका मूल्य वास्तव में २-३ आने से अधिक नहीं होता। रुपया लेखा शोधन मुद्रा है और मूल्य निर्धारण का मान है। हमारी मुद्रा अठन्नी है, जिसका रूप रुपये के समान है। दोनों ही असीमित विधिग्राह्य मुद्रा हैं। हमारी मुद्राओं में चवन्नी, दुअन्नी, इकन्नी, अषन्ना, पंचा और पाई हैं। पाई का प्रयोग केवल लेखा शोधन के लिए होता था।

वह वास्तव में प्रचलन में थी ही नहीं। ये सिक्के दस रुपये तक सीमित विधिमान्य मुद्राएँ हैं।

१ अप्रैल मन् १९५७ से भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली प्रचलित हुई। नई व्यवस्था में भी रुपया ही मुख्य मुद्रा है। किन्तु जहाँ पहले रुपये को १६ आनों में या ६४ पैसे में विभाजित किया जाता था, अब रुपये को १०० नये पैसे में विभाजित किया गया है। तदनुसार अब अठन्नी ५० नये पैसे के और चवन्ती २५ नये पैसे के बराबर है। वर्तमान दुधनी, इक्की और अघन्ने के मूल्य का कोई सिक्का नयी दशमलव प्रणाली में नहीं है। फिलहाल १० नये पैसे, ५ नये पैसे और दो नये पैसे तथा एक नये पैसे के सिक्के जारी कर दिए गए हैं। इन छोटे सिक्को ने दुधनी, इक्की तथा अघन्ने का स्थान ले लिया है। बड़े सिक्के अर्थात् २५ नये पैसे, ५० नये पैसे और १०० नये पैसे के सिक्के बाद में चलन में आयेंगे। कुछ समय तक नये और पुराने सिक्के साथ-साथ प्रचलन में रहेंगे। व्यवस्था की गई है कि पुराने सिक्को को नये सिक्को में आसानी से परिवर्तित किया जा सके। कुछ पुराने सिक्को का वही रूप कुछ समय तक रखकर और उनके नये सिक्को में परिवर्तन की सुविधा देकर भारत सरकार ने इस परिवर्तन की अवस्था को सरल कर दिया है। निश्चित किया गया है कि दस वर्षों में नई दशमलव मुद्रा प्रणाली पूर्ण रूप से भारत में प्रचलित कर दी जाएगी।

दशमलव मुद्रा प्रणाली हिसाब किताब रखने तथा व्यवहार में बोधगम्य और सरल समझी जाती है। सन् १९०० सिक्के जारी करने वाले देशों में से १०५ देशों में दशमलव मुद्रा प्रणाली प्रचलित है। सर्वप्रथम अमरीका ने १७८६ में दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया था। इसके पश्चात् फ्रांस ने १७९६ में अमरीका का अनुकरण किया। इंग्लैण्ड इस दृष्टि से अपवाद है।

हमारे यहाँ कोई पूर्ण मुद्रा नहीं है अर्थात् वह मुद्रा, जिसका अंकित मूल्य (face value) अथवा सरकारी मूल्य (official value) धातुमूल्य (metallic value) के बराबर हो। हमारी कोई भी मुद्रा पूर्ण मुद्रा नहीं है। वह सभी प्रतीक या साकेतिक मुद्राएँ हैं। हमारा रुपया असीमित विधिमान्य मुद्रा है परन्तु वह भी साकेतिक मुद्रा ही है। उनका धातु मूल्य उनके अंकित मूल्य (face value) से बहुत कम है। उसे 'चाँदी पर मुद्रित नोट' कहा जाता था। अब यह कहना अधिक उचित होगा कि यह 'निकल पर मुद्रित नोट' है। इस प्रकार हमारा रुपया साकेतिक (token) और प्रामाणिक (standard) मुद्राओं का मिश्रण है।

धातु मुद्रा (metallic money) के अतिरिक्त हमारे यहाँ कागजी करेन्सी भी प्रचलित है। हमारे नोट (१०,०००), (५,०००), (१,०००), (१००), (१०), (५), (२), और (१) रुपये के हैं। भारत मन् १८३६ में सर्वप्रथम तीन प्रेसिडेन्सी बैंको—बैंक आफ बाम्बे, बैंक आफ मद्रास और बैंक आफ बंगाल ने करेन्सी नोट जारी किए थे। सन् १८६१ में नोट जारी करने का कार्य भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। सर्वप्रथम नोटों को जारी करने का प्रत्यक्ष भाग चार करोड़ निश्चित रुपये किया गया और उसके बाद शत-प्रतिशत सुरक्षित कोष रखना पड़ता था। यह सीमा

क्रमशः बढ़ा दी गई। हिल्टन यंग कमीशन (Hilton Young Commission) ने आनुपातिक सुरक्षित प्रणाली (Proportional Reserve System) को स्वीकार करने की सिफारिश की। सन् १९३५ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (Reserve Bank of India) ने नोट जारी करने का काम अपने हाथ में ले लिया। रिजर्व बैंक ऐक्ट के अनुसार कागजी करन्सी के पीछे रुपये के सिक्के, भारत सरकार की रुपये वाली सिक्कोरिटियाँ, स्वर्ण मुद्राएँ (Gold Coins), तथा (ब्रिटिश सरकार की) स्वर्ण सिक्कोरिटियों का अवयव ही पूरा सहारा होगा। किन्तु स्वर्ण और स्वर्ण सिक्कोरिटियाँ प्रत्येक दशा में पूर्ण सुरक्षित कोष का ४० प्रतिशत ही और स्वर्ण मुद्रा तथा धानु की मात्रा कम से कम ४० करोड़ रुपये हो। सभी नोट, वेवल एक रुपये के नोट को छोड़कर, रुपये के सिक्कों में परिवर्तनीय हैं। १९५६ में भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया संशोधन अधिनियम स्वीकार किया जिसके अनुसार आनुपातिक सुरक्षित मुद्रा प्रणाली के स्थान पर न्यूनतम निश्चित मुद्रा रिजर्व में रखने की व्यवस्था निश्चित हुई। साथ ही यह भी अधिनियमित हुआ कि भारत सरकार कम से कम ४०० करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूतियाँ और ११५ करोड़ रुपये के स्वर्ण पिण्ड आरक्षित रखे। इसके पश्चात् १९५७ में पुनः एक संशोधन किया गया जिसके अनुसार न्यूनतम आरक्षित कोष २०० करोड़ रु० कर दिया गया जिसमें ११५ करोड़ रु० के स्वर्ण पिण्ड सम्मिलित थे।

निर्देश पुस्तकें

- Crowther, G. An Outline of Money, 1950, Ch I
 Cole, G D H Money, Its Present and Future
 Cole and Others What Everybody Wants to Know about Money
 Brij Naram Money and Banking (S Chand and Co)
 Coulborn, W A L A Discussion of Money, 1950, Chs I--IV.
 Keynes, J N A Treatise on Money, 1950, Chaps. I, II and III
 Wicksell, K Lectures on Political Economy, Vol II Chaps I and II
 Kemmerer, E W Money, 1935, Ch I
 Badford, F A Money and Banking, 1936, Chs I and II
 Downie, G W Money and Banking, 1936, Chs. I and II.
 Leffler, R V Money and Credit, 1935, Chs I, II and III
 Halm, G N Monetary Theory, 1949 Chs 1 and 3
 Robertson, D N. Money, 1948
 Withers, H Meaning of Money, 1935

मुद्रा की प्रणालियाँ

(Monetary Systems)

१ द्विधातुमान (Bimetallism)—समय-समय पर कई प्रकार की मुद्रा प्रणालियों अथवा मुद्रा मानों को अंगीकार (adopted) किया गया है। ये प्रणालियाँ इस प्रकार हैं—(क) द्विधातुमान (Bimetallism), (ख) एकधातुमान (monometallism), (ग) रजतमान अथवा स्वर्णमान, तथा (घ) पत्रमान (Paper Standard)।

द्विधातुमान में सोने और चाँदी के सिक्के साथ-साथ चलते हैं। दोनों धातुओं के बीच एक विशेष अनुपात स्थिर कर दिया जाता है और दोनों ही धातुओं के बने सिक्के अस्मीमित विधिमान्य मुद्रा होते हैं। कभी कभी दोनों प्रकार के सिक्के अस्मीमित विधिमान्य मुद्रा होते हुए भी स्वतन्त्र मुद्रा निर्माण केवल एक प्रकार के सिक्के में होता है। फ्रांस में द्विधातुमान के समय में चाँदी के फ्रैंक का स्वतन्त्र मुद्रा निर्माण नहीं था। इस प्रकार की मुद्रा प्रणाली को लैम्पिंग मान (Lumping Standard) कहते हैं।

द्विधातुमान के गुण (Merits of Bimetallism)—द्विधातुमान के गुण निम्नलिखित हैं—(१) इस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति आसानी से बढ़ाई जा सकती है चूँकि दो धातुओं से मुद्रा बनाई जाती है। (२) ऋण के लिए बैंक उचित मात्रा में नकद रूपया सरलता से रख सकते हैं। चूँकि चाँदी या सोना दोनों धातुओं के सिक्के अस्मीमित विधिमान्य मुद्रा होते हैं। (३) सरकार को भी कुछ आर्थिक लाभ होते हैं। एकधातुमान की अपेक्षा इसमें सरकार अधिक सुगमता से नकदी की आवश्यकताओं की व्यवस्था कर सकती है। (४) द्विधातुमान से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बड़ी सुविधा हो जाती है क्योंकि इस मान के अन्तर्गत प्रत्येक देश से विनिमय सम्बन्ध स्थापित किए जा सकते हैं, क्योंकि हर देश में सोना या चाँदी की मुद्राएँ अवश्य प्रचलन में होंगी। (५) यदि केवल सोने का एकधातुमान रखा जाए तो इसके लिए सोना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सकेगा। इसलिए द्विधातुमान अधिक उपयोगी होता है। (६) १९वीं शताब्दी के अन्त की घोर चाँदी के भाव में कमी हो जाने के कारण द्विधातुमान अपनाते पर अधिक जोर दिया जाने लगा। यह विचार किया गया कि द्विधातुमान के प्रयोग से चाँदी के भाव ठहर जाएँगे। (७) लोगों का यह विश्वास था कि यह मान अधिक स्थिर रहेगा क्योंकि एक धातु की कीमत गिरने की कमी दूसरी धातु की कीमत की वृद्धि से पूरी हो जाएगी।

द्विधातुमान के अवगुण (Case against Bimetallism)—सब को विश्वास था कि जब तक अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि पर द्विधातुमान की स्थापना न होगी, तब तक सफलता

प्राप्त नहीं हो सकती। और इसकी कोई माशा न थी। यदि केवल एक देश इसे अपनाता तो प्रेशम के नियम के कारण यह सफल न होता।

इसके अतिरिक्त पत्र-मुद्रा के चलन के कारण भ्रव घातुओं के अर्पण होना भी डर नहीं रहा। सरकार भी पत्र-मुद्रा द्वारा अपनी कठिनाइयाँ हल कर सकती है। पत्र मुद्रा के कारण सरकार भी वित्तीय कठिनाई के समय को गुजार सकती थी।

और फिर विदेशी वित्तिय की प्रणाली अब इतनी विकसित हो चुकी है कि बिना द्विधातुमान के भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार हो सकता है।

पत्र-मुद्रा ने द्विधातुमान के प्रचलन के विचार को सदैव के लिए समाप्त कर दिया है।

जिस प्रकार दो मदान्ध व्यक्ति की अपेक्षा एक गम्भीर व्यक्ति अधिक स्थिर पग रख सकता है, इसी भाँति यह देखा गया कि सोना अथवा चाँदी के एक धातु मान में अधिक स्थिरता होती है।

टकरानी अनुपात तथा मार्केट अनुपात में प्रतिदिन विकर्षण (divergence) होने से व्यापार में गड़बड़, भ्रम तथा कई प्रकार की जटिलताएँ पैदा होती हैं। "यह (द्विधातु मान का कार्यवहन) वाणिज्यिक कार्यवाही तथा राष्ट्रीय स्पेर्डा का सूचक है, जिस से वाणिज्यिक व्यवस्था तथा देशभक्ति की भावना को ठेस पहुँच सकती है।"

२ रजत मान (Silver Standard) — रजत मान में मुद्रा की इकाई का मूल्य चाँदी में निश्चित किया जाता है। अक्सर एक निश्चित भार व शुद्धता के चाँदी के सिक्के स्वतन्त्र टकरा प्रणाली के अनुसार बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए भारतवर्ष में १८३५ से १८६२ तक रजत मान रहा। भारतीय रुपए का भार १८० ग्रेन होता था और इसमें $\frac{1}{16}$ के अनुपात में शुद्धता थी तथा रुपया स्वतन्त्र एव मुक्त ठाका जाता था।

इस प्रणाली के द्वारा मुद्रा चलन की वृद्धि या संकुचन स्वचालित तौर पर हो गया पर १८७४ में जब चाँदी का भाव तेजी से गिरने लगा तो सरकार को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। लोभ सस्ती चाँदी बाजार में खरीद कर सिक्के ढलवाने लगे जिससे उन्हें लाभ होता था। चलन में अधिक मुद्रा आ जाने के कारण कीमतेँ बढ़ने लगी। हमारे अस्मात् पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा क्योंकि पौंड के बदले में पहले से अधिक रुपये देने पड़ते थे और परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड के प्रति भारत के रुपयों से इंग्लैंड में होने वाला व्यय का भार बहुत बढ़ गया। भारतीय वजट के सन्तुलन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अन्त में हार्नल कमेटी के सुझाव के अनुसार भारतवर्ष में चाँदी का स्वतन्त्र टकरा बन्द कर दिया गया और इस प्रकार इस देश में रजत मान की समाप्ति हुई।

रजत मान व स्वर्ण मान की कार्य प्रणाली शायद एक ही है पर स्वर्ण मान इसलिए अधिक ठीक रहता है कि चाँदी की अपेक्षा स्वर्ण मूल्य में कम परिवर्तन होते हैं।

३. स्वर्ण परिचलन मान (Gold Circulation Standard)—इसको पूर्ण स्वर्ण मान भी कहते हैं। जिस देश में स्वर्ण केवल मूल्य के मान के रूप में ही नहीं वरन् सिक्कों के रूप में भी प्रचलित होता है, उस देश का मान स्वर्ण परिचलन मान कहलाता है। १९१४ के पहले इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका में स्वर्ण परिचलन मान प्रचलित था। ऐसी प्रणाली मुद्रा के लिए एक ठोस तथा स्पष्ट प्रतिभूति (tangible security) उपस्थित करती है। यह उन लोगों के लिए भी बहुत सुविधाजनक होती है जो विदेश में भ्रमण करते हैं क्योंकि वे अपनी मुद्रा ले जा सकते हैं और सप्ताह के किसी भी भाग में उसके स्वीकार किए जाने की निश्चित आशा रख सकते हैं। यह बहुत ही पुरानी मुद्रा प्रणाली है।

४ स्वर्ण धातु मान या स्वर्ण पिण्ड मान (Gold Bullion Standard)—इस प्रणाली के अन्तर्गत मुद्रा का मूल्य सोने में अंकित रहता था और इस चल मुद्रा (currency) को सोने (धातु या पिण्ड) में परिवर्तित किया जा सकता था सिक्के में नहीं और इसके विपरीत भी ऐसा ही सम्भव था। पर सोना सिक्कों के रूप में प्रचलित नहीं होता था।

संयुक्त राष्ट्र (U K) में बैंक ऑफ इंग्लैंड ३ पौंड १७ शिलिंग ६ पैसे में ($\frac{1}{3}$ विद्युद्धता) प्रति औंस सोना खरीद कर ४०० औंस तक सोना ३ पौंड १७ शिलिंग १० $\frac{1}{2}$ पैसे के हिसाब से बेचता था। यह वही दर थी जो १९१४ से पहले प्रचलित थी। सोने का निर्यात अथवा आयात स्वतन्त्र रूप से हो सकता था पर सोने के सिक्के नहीं चलते थे। इसका आशय विदेशी भूगतानों के लिए सोना सुरक्षित रखना था।

भारत में १९२७ में हिल्टन यंग कमीशन के सुझावों पर स्वर्ण-धातु मान अपनाया गया। इसके अनुसार राज्य को पूर्व-क्षोषित दरों पर कम से कम ४०० औंस सोना खरीदना व बेचना पड़ता था। कमीशन का दावा था कि इस प्रकार के मान में स्वर्ण मान की हानियाँ नहीं होती परन्तु लाभ सब होते हैं, जो इस प्रकार हैं—

(i) यह प्रणाली किफायती थी, चूँकि इसमें सोने के सिक्के बनाकर चलन में देने की जरूरत न थी। जनता रोज के चलन में सस्ती मुद्रा जैसे कागजी मुद्रा अथवा रुपए का प्रयोग करती है।

(ii) इससे राज्य का सम्मान बना रहता है क्योंकि सोने का स्वतन्त्र आयात अथवा निर्यात हो सकता है। स्वर्ण विनिमय मान की भाँति केवल विनिमय के लिए ही सोने का प्रयोग नहीं होता।

(iii) स्वर्ण धातु मान के अन्तर्गत कागजी मुद्रा स्थिर रहती है, क्योंकि इसे सोने में बदला जा सकता है। लेकिन स्वर्ण विनिमय मान के अन्तर्गत एक साकेतिक मुद्रा (नोट) को दूररी साकेतिक मुद्रा (रुपये) में बदला जा सकता है।

(iv) यह भी कहा जा सकता है कि इस मान में मुद्रा की वृद्धि अथवा संकुचन अपने आप होता रहता है, क्योंकि मुद्रा की वृद्धि तब होगी जब जनता, सोना अधिकारियों को बेचेगी और संकुचन तब होगा जब जनता सोना खरीदेगी।

(४) ऐसा विचार किया जाता है कि केन्द्रीय बैंक में संचित होना, अधिक उपयोगी होता है और राष्ट्रीय मुद्रा को उस सोने से अधिक सहारा देता है जो कि परिचलन में होता है।

(५) स्वर्ण धातु मान जनता को सोना प्राप्त करने की योग्यता तथा उसको गलाने या निर्यात करने की स्वतन्त्रता प्रदान करता है।

पर यह लाभ वास्तविक नहीं है। कम से कम भारत के लिए तो स्वर्ण धातु मान लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि साधारण मनुष्य इतने कागज के नोट कभी भी जमा न कर सकता था कि ४०० औंस सोना (४०० औंस = १०६५ तोला) बदले में ले सके। इस प्रकार स्वर्ण धातु मान में मुद्रा के विस्तार और नकुचन को स्वचालित नहीं रखा जा सका।

१९३१ में इंग्लैंड और भारत ने स्वर्ण धातु मान को छोड़ दिया और स्वर्ण धातु-मान को समाप्त हा गई। इस प्रकार स्वर्ण-धातु-मान पूर्णतया लुप्त हो गया।

५ स्वर्ण विनिमय मान (Gold Exchange Standard)^१—पहला देश जिम्ने स्वर्ण विनिमय मान अपनाया हार्लैंड है जिम्ने १८७७ में इस प्रणाली को अपनाया। कम न इसके बाद १८९४ में इसको अपनाया। इसी समय इसको आस्ट्रिया और हंगरी ने भी ग्रहण किया। तो भी इसको पूर्ण तथा सुचारु रूप से अपनाने का श्रेय भारतवर्ष को है जहाँ यह १९०७ में चटना शुरू हुआ। फिलीपाइन द्वीपसमूह ने इसको कुछ वर्षों पहले ग्रहण किया। जेनेवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने जो १९२२ में हुआ, एक प्रस्ताव द्वारा स्वर्ण विनिमय मान को अपनाने की सिफारिश की। १९१४-१८ के युद्ध के समय भारत में यही प्रणाली प्रचलित थी।

इस मान के अन्तर्गत देसी मुद्रा चाँदी के रूपों में थी, जो कि साकेतिक तिक्कों व कागज के नोटों की होती थी, पर विदेशी भुगतान के लिए एक विशेष दर पर रूपों के बदले ब्रिटिश मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। लन्दन में राज्य सचिव, परिषद् विपन्न (council bill) को (रूप्य) उन लोगों के भुगतान के लिए दिया करता था जो भारत में मीनों की अदायगी करना चाहते थे। भारत सरकार जब भारत में राज्य सचिव के विकल्प (draft) बेचती थी तो वे प्रति-परिषद् विपन्न (Reverse Councils) कहलाते थे। इस कम विकल्प की दर ऐसी होती थी कि स्टर्लिंग व रूप्ये का अनुपात १ शिलिंग ४ पेंस अथवा इसके ब्रास पास रहे।^२

स्वर्ण विनिमय मान में यह आवश्यक होता है कि दो प्रकार के रिजर्व रक्के जाएँ। एक तो उस देश में, जो इसे अपनाए और दूसरा विदेश में। यदि यह रिजर्व पर्याप्त होंगे तो प्रणाली सफल रहेगी। इसी उद्देश्य से भारत सरकार एक स्वर्णमान रिजर्व रक्का करती थी।

प्रथम महायुद्ध में चाँदी की कीमत और रूप्यो की माँग बढ़ जाने के कारण

1, See 'International Currency Experience,' League of Nations, 1944, Ch II

2 Before the war of 1914-18 the selling and buying rates of the Rupee were 1s 4d and 1s 3/2d respectively, the former in London (Council Bills) and the latter in India (Reverse Councils)

यह प्रणाली समाप्त हो गई। चाँदी की कीमत बढ़ जाने से रुपया जमा किया जाने लगा और गलाया जाने लगा। सरकार पुराने भाव पर रुपया नहीं दे सकती थी। पहले सरकार ने रुपये का भाव बढ़ा दिया। पर बाद में स्टर्लिंग में रुपये को स्थिर रखने का प्रयत्न छोड़ दिया गया।

सन् १९२० में फिर स्वर्ण विनिमय मान को २ शिलिंग (सोना) प्रति रुपया अपनाने का प्रयत्न किया गया पर यह प्रयत्न भी असफल रहा। इस बार इसकी असफलता का कारण यह था कि चाँदी की कीमत एक दम गिर गई और आयात निर्यात से बढ़ जाने के कारण विदेशों में भुगतान के लिए स्टर्लिंग की माँग अधिक हो गई। सरकार दो शिलिंग स्वर्ण प्रति रुपये के भाव से अथवा दो शिलिंग स्टर्लिंग के भाव से रुपये नहीं बेच सकी और स्वर्ण विनिमय मान स्थापित करने का प्रयत्न असफल रहा।

स्वर्ण विनिमय मान की कुछ विशेषताएँ ये हैं (१) द्रव्य मान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सोने की कुछ मात्रा में स्थिर कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ भारतीय रुपया ७ ५३ ग्रेन के बराबर बनाया गया था। (२) स्थानीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा से बाँध दिया जाता है और स्थानीय टकमाल में स्वतन्त्र ढलाई नहीं होती ताकि उसका मूल्य बनाए रखने में कोई अड़चन न पड़े। (३) यह आवश्यक है कि दूसरे देश में एक स्वर्ण रिजर्व रहे और पीछे चलने वाले देश में स्थानीय मुद्रा का रिजर्व रहे ताकि मुद्रा का विनिमय मूल्य घटे बड़े नहीं। (४) दोनों देशों में ड्राफ्ट (draft) स्वतन्त्रता से बेचे जाते हैं ताकि वास्तविक विनिमय दर में स्थिर दर से अधिक परिवर्तन न हो।

स्वर्ण विनिमय मान के बहुत से लाभों में से एक लाभ यह भी है कि इसके अन्तर्गत पूर्ण स्वर्ण मान के सम्पूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं जबकि वास्तव में सोने के सिक्के नहीं चलाने पड़ते। इस तरह यह तरीका किफायती है। इसके अतिरिक्त भारत के रुपये का स्टर्लिंग में सम्बन्ध हो जाने में कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत को लाभ हुआ है क्योंकि भारत के ब्रिटेन के साथ घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध थे और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लन्दन का प्रभाव अधिक था। इससे अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में सुविधा हो गई और विश्व व्यापार में भारतीय रुपये का सम्मान बढ़ गया। इस प्रणाली से होने वाले सामान्य लाभ ये हैं (१) यह किफायती होता है। (२) यह विदेशी व्यापार को सहायता पहुँचाता है। (३) यह मुद्रा के बाहरी मूल्य को स्थिर रखता है। (४) इससे कीमतों का तुलनात्मक स्तर भी स्थिर रहता है।

स्वर्ण विनिमय मान के अवगुण (Defects of the Gold Exchange Standard)—स्वर्ण विनिमय मान की या इससे मिली-जुली व्यवस्था की जो, युद्ध के बीच के काल में प्रचलित थी, बड़ी आलोचना की गई है : एक तो इस पर मुद्रा प्रसार के बढ़ाने का दोष रखा जाता है। पर यह मुद्रा-प्रसार के बढ़ाने के बजाए मुद्रा-संकुचन की विधि थी। दूसरे केन्द्रीय बैंक, स्वर्ण की अपेक्षा विनिमय रिजर्व पर अधिक गरोसा रखने में एक समान नीति न मानते थे। अतः उनके पक्षक कार्य प्राथमिक अगमति पैदा कर देते थे। तीसरे, किसी विदेशी मुद्रा में रिजर्व रखना राष्ट्रीय

गौरव को धक्का पहुँचाना है। चाँये, चूँकि यह मान अंग्रेजों का दास समझा जाता था, इसलिए बहुत से देश इसको पसन्द नहीं करते थे। पाँचवें, विदेशी मुद्रा के अवमूल्यन (depreciation) का भय था जिममें रिजर्व रक्के जाते थे। छठे, यह कहा जाता था कि स्वर्ण गति के विपरीत विदेशी विनिमय रिजर्व में गति से मुद्रा-संकुचन व मुद्रा-प्रसार न होता था।

जहाँ तक इस मान का सम्बन्ध भारतवर्ष से है, हिल्टन यंग कमीशन ने इसकी कटु आलोचना की है। इस सम्बन्ध में निम्न बातें उल्लेखनीय हैं -

(1) यह प्रणाली सरल नहीं है और 'अशिक्षित जनता की समझ में नहीं आती।' ऐसी प्रणाली जिसे शिक्षित भारतीय भी अधिक न समझते हों, जनता की विश्वास-पात्र नहीं हो सकती। इसमें लोगों के हृदय में अधिकारियों के प्रति शक उत्पन्न हो गया।

(ii) भारत में इस प्रणाली के अन्तर्गत कई प्रकार के रिजर्व दो स्थानों पर रखने पड़ते थे। भारत में ऐसे तीन रिजर्व थे, जिनके प्रतिरूप इंग्लैण्ड में होते थे। यह रिजर्व इस प्रकार थे—(a) स्वर्णमान रिजर्व (Gold Standard Reserve), (b) पत्र चल मुद्रा रिजर्व (Paper Currency Reserve) और (c) भारत सरकार के शेष (Government of India's Balances)। इस सञ्चित कोष की प्रतिनिधि निधि इंग्लैण्ड में भी रखनी पड़ती थी।

(iii) प्रणाली स्वचालित नहीं थी क्योंकि इसकी कार्यप्रणाली चलमुद्रा अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर थी।

(iv) इसमें लोच का सर्वथा अभाव था। यह अवश्य था कि परिषद् विपन (council bills) को पूरा करने के लिए जब रुपये निर्गमन (issued) किये जाते थे तो मुद्रा का विस्तार होता था। किन्तु बुराई यह थी कि एक बार निर्गमन होने के पश्चात् रुपये का चलन जारी रहता था। कोई ऐसा उपाय न था जिससे मुद्रा का संकुचन भी हो सके।

(v) सबसे बड़ा दोष यह था कि इस प्रणाली से एक देश की मुद्रा-नीति दूसरे देश की मुद्रा-नीति पर आश्रित हो जाती थी। भारतीय रुपये को अंग्रेजी मुद्रा की सब मुसीबतों में हाथ बटाना पड़ता था।

(vi) हिल्टन यंग कमीशन (Hilton Young Commission) का विचार था कि इस मान से कुछ जगजात बुराइयाँ हैं जिन्हे सुधारा नहीं जा सकता और इसलिए उन्होंने इसे समाप्त कर स्वर्ण बुलियन मान (Gold Bullion Standard) प्रपनाने की राय दी।

६. स्वर्ण समार्हता मान (Gold Parity Standard)—स्वर्ण मान की सूची में सबसे बाद में आने वाला स्वर्ण समार्हता मान है। यह वह मान है जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (international monetary fund) की अध्यक्षता के अधीन प्रचलित है। इस प्रणाली में सोने के सिक्के नहीं बनाए जाते। सोना विनिमय का माध्यम नहीं होता। देश की करन्सी में नोट तथा कुछ धातु के सिक्के होते हैं लेकिन सोने के नहीं और न यह नोट सिक्कों में बदले जा सकते हैं, जैसे पूर्ण स्वर्ण मान में। यह

नोट स्वर्ण धातु में भी नहीं बदले जा सकते जैसा कि स्वर्ण धातु मान में होता है और न स्वर्ण विनिमय मान की तरह दूसरी स्वर्ण पर आधारित विदेशी मुद्रा में ही नोट बदले जा सकते हैं। इस प्रणाली में सोने का कार्य केवल यह है कि मुद्रा अधिकारी देश की मुद्रा की विनिमय दर को सोने की एक निश्चित मात्रा में स्थिर रखने का भार अपने ऊपर लेता है। यह वह स्वर्ण मान है जिसको अ० मु० की० (I M F) के सदस्य देश मानते हैं।

७ स्वर्ण मान के लाभ तथा हानियाँ (Advantages and Disadvantages of Gold Standard)—स्वर्णमान के, विशेषतः जब यह अन्तर्राष्ट्रीय ढग पर अपनाया जाए तो कई लाभ होते हैं—

(१) यह व्यक्ति निरपेक्ष प्रणाली है और इसके ऊपर सरकार की अथवा चलमुद्रा अधिकारियों की सतत परिवर्तनशील नीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(२) इससे देश की मुद्रा की क्रय-शक्ति दीर्घकाल में स्थिर रहती है। इसका कारण यह है कि देश की मुद्रा और साध ऐसे स्वर्ण पर आधारित होती है जो चल-मुद्रा अधिकारियों के अधिकार में रहता है।^१

(३) स्वर्ण मान का एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि इससे मुद्रा का बाह्य मूल्य (विनिमय दर) पर्याप्त सीमामों में स्थिर रहता है।^२ वास्तव में स्वर्ण मान से विनिमय स्थिर हो जाता है जिससे व्यापारियों और नियोजकों को पर्याप्त लाभ होता है। और इससे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन हो जाता है।

(४) स्वर्णमान से हमको सामान्य सार्वदेशिक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के सभी लाभ प्राप्त हो जाते हैं। स्वर्णमान से अन्तर्राष्ट्रीय ढग पर मूल्य का माप प्राप्त हो जाता है। फाऊलर कमेटी (Report on Indian Currency in 1898) के समर्थ मार्शल (Marshall) ने यह कहा था कि स्वर्णमान को अपनाता रेल लाइनों को मुख्य लाइनों से भिलाकर एक रेल सघ की स्थापना करने के समान है। क्योंकि विनिमय दर में परिवर्तन होने से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा पड़ती है।^३ इससे विदेशी व्यापार में बड़ी सुविधा मिलती है।

(५) स्वर्णमान में विभिन्न देशों के बीच व्यापार शेष की भुगतान की रकमें स्वयं स्थिर हो जाती हैं। यह बात छोटे से उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगी। मान लीजिए कि इंग्लैण्ड और अमरीका दोनों में स्वर्णमान है और दोनों में आपस में व्यापार होता है। अब यदि इंग्लैण्ड की ओर से अमरीका का कुछ भुगतान बाकी है, तो ऐसी दशा में इंग्लैण्ड से अमरीका को सोना भेज दिया जाएगा। अग्रेजी केन्द्रीय बैंक को इससे हानि होगी और फलस्वरूप इंग्लैण्ड में मुद्रा का सकुचन हो जाएगा जिससे इंग्लैण्ड में कीमते गिर जाएँगी। अमरीका में मुद्रा का विस्तार होने के कारण मूल्य बढ़ जाएँगे। ऐसी दशा में इंग्लैण्ड में त्रय में लाभ रहेगा और विनय में हानि। इसके विपरीत अमरीका में विक्रय में लाभ रहेगा और त्रय में हानि। इंग्लैण्ड का निर्यात

१ केन्द्रीय बैंक अध्याय, अनुच्छेद ६ देखिए।

२ विदेशी विनिमय का अध्याय देखिये।

३ Report, Fowler Committee, para 34

बढ़ जाएगा और आयात कम हो जाएगा और अमरीकी निर्यात कम हो जाएगा व आयात बढ़ जाएगा। साम्यावस्था होने तक व्यापार शेष का भुगतान इंग्लैण्ड के हक में होगा। सोने का आदान प्रदान इस प्रकार कीमतों तथा व्यापार पर प्रभाव डालकर स्वर्णमान देशों में साम्यावस्था बनाए रखता है। इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे।

(६) इससे जनता में राज्य की ओर विश्वास पैदा होता है और विदेशों में देश का सम्मान बढ़ता है। जब तक "दस व्यक्तिओं में से नौ व्यक्ति हर देश में स्वर्णमान की मञ्छा समझते हैं तो वह सर्वोत्तम ही है।"

हानियाँ (Disadvantages)—

(i) यह बहुत महँगी होती है और लागत भी फिजूल होती है। हमें केवल विनिमय का माध्यम ही चाहिए और यह माध्यम सोने का बना हुआ क्यों हो यह ही वित्ताप्त मात्र की भावना है। 'पीली धातु को केवल अस्तम्य जातिवा ही पसन्द करेंगे।'

(ii) स्वर्ण का मूल्य भी दीर्घकाल में पूर्णतः स्थिर नहीं रहता।

(iii) स्वर्णमान में चल मुद्रा को आवश्यकतानुसार बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि चल मुद्रा की पूर्ति स्वर्ण की पूर्ति पर निर्भर करती है जिसका कि सम्बन्ध खातो में है और खातो के ऊपर उद्योग अथवा व्यापार के विस्तार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

हाल में स्वर्णमान भी प्रबन्धित (managed) मान रह गया है। केन्द्रीय बैंकिंग प्रणाली को स्वर्णमान पर नियन्त्रण करने का भार सौंपा गया। ऐसी दशा में यह मान जैसा कि माना जाता है, स्वचालित नहीं रहा।

(iv) स्वर्णमान बाह्य स्थिरता प्राप्त करने के लिए आन्तरिक स्थिरता की माहृति देता है, चूँकि इस मान में अन्तर्देशीय विनिमय पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

(v) इसके अतिरिक्त 'स्वर्ण की गति से व्याज की दरों में परिवर्तन हो जाता है। जिससे केवल आय को बढ़ाने अथवा घटाने के लिए वित्तियोजन (investment) की उन्नति अथवा घबनति होती है।' (बैनहम)

(vi) स्वर्णमान के देश की स्वतन्त्र नीति नहीं हो सकती। स्वर्णमान स्थिर रखने के लिए देश को अपनी इच्छा के विरुद्ध भी कभी कभी अपनी मुद्रा का सकुचन (d flate) करना पड़ता है। इस प्रकार का सकुचन देश के लिए बड़ा हानिकर होता है। क्योंकि इससे देश में बेकारी फैलती है और उद्योग प्रादि को हानि पहुँचती है।

म ध्वावहारिक रूप में स्वर्णमान (Gold Standard in Practice)—
स्वर्णमान के लाभ केवल सैद्धान्तिक हैं, व्यावहारिक नहीं। इनको तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि स्वर्णमान का देश इसके नियमों का सदैव पालन करता रहे।¹ प्रथम महायुद्ध तक स्वर्ण मान सकल रहा, क्योंकि उस समय तक देशों ने इसके नियमों का पालन किया। इसके अतिरिक्त, क्योंकि सोने के सिक्के भी चलते थे, इसलिए केन्द्रीय बैंक के सोने और भुगतानों के माध्यम के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध था।

किन्तु युद्ध के पश्चात् स्वर्ण धातुमान ने केन्द्रीय बैंक को करनेकी म घट बढ़ करने की अधिक शक्ति दे दी क्योंकि साल और द्रव्य के लिए रतले गए रिजर्व के

अनुपात में काफी परिवर्तन लाया जा सकता था। इस प्रकार स्वर्ण-मान ने, स्वचालित न रह कर, “प्रबन्धित” चलमुद्रा-प्रणाली का रूप ले लिया है।

६. स्वर्णमान के नियम (Rules of Gold Standard)—स्वर्णमान की सफलता के लिए स्वर्णमान वाले देशों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है—

एक तो देश में बहुत अधिक व्यापारिक स्वतन्त्रता होनी चाहिए जिससे व्यापार शेष के भुगतानों की असाम्यावस्था (disequilibrium) वस्तुओं की गति से व्यवस्थित हो जाए। स्वर्ण को केवल अल्पकाल में गतिशील होना चाहिए।

दूसरे, स्वर्णमान के देशों की आर्थिक व्यवस्था में काफी लोच होनी चाहिए जिससे कीमत और मजदूरी अपने को सोने के साथ व्यवस्थित कर ले।

तीसरी बात यह है, और यह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण भी है, कि राज्य व केन्द्रीय बैंक को सोने की गति के प्रभाव को कम करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जिस देश में सोने की हानि हो वहाँ पर कीमतों को गिरने देना चाहिए। और जिस देश में सोना आता अधिक हो वहाँ कीमतों को बढ़ने देना चाहिए। जब सोना देश में आये, तब मुद्रा का विस्तार करना चाहिए और जब सोना देश से बाहर जाए तब मुद्रा को सकुचन करना चाहिए। जैसा क्रॉउथर (Crowther) कहते हैं “स्वर्णमान का स्वर्ण नियम यह है—जब सोना आता हो तो साख को बढ़ाओ और जब सोना बाहर जाता हो तो साख को घटाओ।”¹

प्रथम महायुद्ध के बाद ये शर्तें पूरी नहीं हो सकी और स्वर्ण मान के देशों ने इन नियमों का पालन नहीं किया।

१० स्वर्णमान क्यों समाप्त हो गया ? (Why Gold Standard Broke Down ?)—प्रथम महायुद्ध के समाप्त होने के पश्चात् थोड़े ही दिनों बाद एक के बाद दूसरे देश से स्वर्णमान समाप्त होता चला गया। इसके कई कारण थे।

प्रथमतः, राजनैतिक अनिश्चितता के कारण बहुत से योरोपीय राज्य अपनी पूंजी के कुछ भाग विदेशी बैंकों, विशेषकर इंग्लैण्ड में रखन लगे। इन पूंजियों को किसी समय भी तनिक से भय के आभास मात्र से निकाला जा सकता था। चूँकि फ्रांस ने ब्रिटेन में अपनी पूंजी का भाग निरुन्वा लिया, इसलिए इंग्लैण्ड में १९३१ में स्वर्ण मान समाप्त हो गया। बैंक ऑफ इंग्लैण्ड (Bank of England) इतने कम समय में इतना अधिक सोना खो देना न सह सका।

इसके अतिरिक्त प्रथम महायुद्ध के फलस्वरूप बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व (International Obligations) व युद्ध क्षतिपूर्ति (Reparations) दायित्व पैदा हो गए। क्योंकि महाजन देशों ने वस्तुओं के रूप में भुगतान लेने से इन्कार कर दिया और अधिक ऋण देना भी पसन्द न किया, इसलिए ऋणी देशों को स्वर्ण द्वारा इस ऋण का भुगतान करना आवश्यक हो गया। परिणाम यह हुआ कि ससार के सोने का ३/४ भाग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व फ्रांस में जमा हो गया। यही दो मुख्य महाजन देश थे। जो सोना और देशों में बचा वह इतना नहीं था कि वह सफलतापूर्वक स्वर्ण मान को स्थापित रख सकता।

इस मान के असफल होने का तीसरा कारण यह था कि जिन देशों को सोना प्राप्त हुआ उन्होंने स्वर्ण मान नियमों का पालन नहीं किया। उन्होंने (विशेषतया यू० एस० ए०) अपने देशों में प्रचलित कीमतों को इस प्राप्ति हुए सोने से प्रभावित नहीं होने दिया—फलस्वरूप सोना प्रभावहीन (sterilised) हो गया और स्वर्ण मान स्वचालित रूप से काम न कर सका। यदि इन देशों में कीमतें बढ़ती तो आयात को प्रोत्साहन मिलता और निर्यात पर रोक रहती और इस प्रकार व्यापार संतुलन हक में न होने से सोने की गति दूसरी ओर हो जाती। चूंकि ऐसा नहीं होने दिया गया, स्वर्ण मान स्वयं ही बन्द हो गया।

और फिर प्रथम महायुद्ध के बाद हर देश का आर्थिक ढाँचा अत्यधिक लोचनीय हो गया था। इसके कई कारण थे। राज्यों तथा स्थानीय अधिकारियों के ऊपर कृपा होने के कारण दीर्घकाल के व्याज की किराओं का भुगतान आवश्यक हो गया और सामाजिक सेवाओं सम्बन्धी दूसरे आवश्यक व्यय कम नहीं किए जा सके। अब ट्रेड यूनियन भी अधिक शक्तिशाली हो गए थे। उन्होंने श्रमिकों के वेतन कम नहीं होने दिए। एकाधिकार व गुटबन्दी के कारण कच्चे माल व तैयार माल के मूल्य भी निश्चित रूप से स्थिर हो चुके थे। फलस्वरूप स्वर्ण की गति के अनुसार कीमतें उस दिशा में न चल सकीं और पुराने ढंग पर साम्यावस्था को न लाया जा सका।

यही नहीं इस मान की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि सकल के समय यह मान सदैव असफल हो जाता था। इसलिए अबसत यह मान अनुकूल समय मान (fair weather standard) के नाम से पुकारा जाता था।

और अन्तिम कारण यह था कि स्वर्ण गति के कारण व्याज की दरों में अनावश्यक परिवर्तन होते रहते थे। उदाहरण के लिए मान को स्थिर रखने के लिए सकल के समय मुद्रा संकुचन करना आवश्यक हो जाता है, पर इस प्रकार के मुद्रा संकुचन का प्रभाव बहुत बुरा होगा है। गिरते हुए मूल्य का सरकार व निश्चित भुगतान करने वाले लोगों पर बुरा असर पड़ता है। और फिर मूल्यों के गिरने से बेकारी आदि फैलती है और व्यापार को भी आघात पहुँचता है।

यही कारण है कि सब देशों ने यह स्वर्ण मान छोड़ दिया।

११ स्वर्ण मान का भविष्य (Future of Gold Standard)—इन अनुभवों के बाद अब शायद कोई भी देश स्वर्ण मान प्रस्तावता पसन्द नहीं करेगा। १९१४ के पूर्व के व्यापार की दशाओं में इस मान ने लगभग स्वयंचालित होकर काम किया पर लड़ाई के बाद के अनुभवों ने यह सिद्ध कर दिया कि इसकी सफलता के लिए स्वर्ण मान वाले देशों के बीच समुचित संगठन व बहुत अधिक सहयोग ही आवश्यकता है। पर आर्थिक प्रणाली की दृढ़ता के कारण मूल्य व व्यय में ऐसी प्रवृत्ति न हो सकी जिससे कि यह मान सफल रहता। युद्ध काल के अनुभव से यह स्पष्ट हो गया कि स्वर्ण मान में पर्याप्त व्यवस्था (management) की जरूरत है, तथा दूसरे स्वर्णमान स्तर वाले देशों के प्रबिकार्थिक सहयोग की भी। "स्वर्ण मान उसी दशा में कार्यशील होगा जब प्रत्येक साथ पण बढ़ा कर साथ-साथ चलने के लिए तैयार रहे।" जब तक स्वर्ण मान के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा, यह सफलतापूर्वक काम नहीं

करेगा। आर्थिक चेष्टाओं की कठोरता भी कीमतों और लागतों के स्तर के समायोजन (adjustment) में बाधक रही जो इसके सुचारु रूप से चलने में इतनी जरूरी थी।

और फिर विभिन्न देशों के बीच सोने का वितरण भी ठीक नहीं था। अमरीका के पास १९३६ में सगर का ८०% सोना था और इसका वितरण तब तक नहीं हो सकता था जब तक कि वस्तुएँ स्वतन्त्र गति द्वारा फिर से व्यवस्थित न हो जाएँ। इन सब बातों के लिए बहुत अधिक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। यदि किसी प्रकार ऐसा सहयोग प्राप्त हो जाए तो एक ऐसी संगठित प्रणाली को, जिसमें सोने की इतनी महत्ता नहीं होती जितनी कि स्वर्ण मान में, कार्यान्वित किया जा सकता है। लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं रहा कि सोना कीमतों अथवा विनिमय के स्तर को स्थिर रख सकता है। सत्य यह है कि स्वर्ण मान पर से लोगों का विश्वास ही जाता रहा। इसके विपरीत दूसरे देशों में प्रबन्धित चल-मुद्रा प्रणाली बड़ी सफल रही, उदाहरण के लिए इंग्लैंड में।

इसके विपरीत अमरीका व दक्षिणी अमरीका आदि स्वर्णोत्पादक देश किसी भी ऐसी प्रणाली का समर्थन नहीं कर सकते थे, जिसमें सोने का कोई भाग न हो। और फिर कोई भी संगठित प्रणाली, जो स्वर्ण की दृढ़ नींव पर स्थिर न हो, विश्वासपात्र नहीं हो सकती।

फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्कीम के द्वारा एक मध्यम मार्ग निकाला गया। इस स्कीम का ध्येय अन्तर्देशीय सहयोग द्वारा स्वर्ण-मान की हानियों को दूर कर उसके सम्पूर्ण लाभ प्राप्त करना है। इस प्रबन्ध का भो आधार स्वर्ण होगा, पर उसका वह प्रमुख महत्त्व नहीं रहेगा जो स्वर्ण मान के अन्तर्गत था। इस प्रबन्ध का अध्ययन हम विदेशी विनिमय के अध्याय में करेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुराने स्वर्णमान का कोई भविष्य नहीं है।

१२. स्वर्ण मान के कार्य (Functions of Gold Standard)¹— स्वर्णमान के विषय को समाप्त करने से पहले हम देख सकते हैं कि आधुनिक स्वर्ण मान दो कार्य करता है:—

(१) मुद्रा के आन्तरिक मूल्य का स्थायित्व (Stability of Internal Value of Currency)—पहला कार्य मुद्रा के आन्तरिक मूल्य अथवा घरेलू कीमतों के स्तर का स्थायित्व है। हर प्रकार के स्वर्ण मान में मुद्रा सोने से जुड़ी रहती है। इस कड़ी के द्वारा देश मुद्रा का मात्रा पर नियन्त्रण रखता है तथा उसकी व्यवस्था करता है। इंग्लैंड में सन् १९३६ में विश्वासनिष्ठ निर्गम (Fiduciary Issue) जो कि कुल नोट निर्गम का ५ था, ४० करोड़ पाँच था। चूँकि इसके अतिरिक्त नोटों के बढ़ने में १०० प्रतिशत सोना रखना पड़ता था, इसलिए नोटों का निर्गम बगैर सोने की वृद्धि के नहीं बढ़ाया जा सकता था। इस प्रकार सोना नोटों के निर्गम पर रोक लगाता था। युद्ध काल में विश्वासनिष्ठ निर्गम में समय-समय पर वृद्धि की गई। यहाँ तक कि १९४७ में वह नोटों के निर्गम के बराबर हो गया और सोने का सहारा शून्यकुल जाता रहा। इससे अधिक नोटों का निर्गम नियम-विरुद्ध होता यदि साथ-

1 See Crowther, G —An Outline of Money, 1950, pp 231-86

साथ केन्द्रीय बैंक के पास सोना न बढाया जाता। रिजर्व के बारे में कोई भी नियम बंधो न हो कोई भी केन्द्रीय बैंक अपने नियम भंग किए अपने पास के सोने से अधिक नोट निर्गम नहीं कर सकता। इस प्रकार स्वर्ण मान यह निश्चित करता है कि देश की मुद्रा एकबारगी तथा बिना सोचे समझे नहीं बढाई जाएगी। इससे कीमतों के स्तर में स्थायित्व आ जाता है।

(२) बाह्य मूल्य का स्थायित्व (Stability of External Value)—स्वर्ण मान का दूसरा कार्य आधुनिक समय में मुद्रा के बाह्य मूल्य का स्थायित्व है। यह कार्य केन्द्रीय बैंक पर यह प्रतिबन्ध लगा कर किया जाता है कि वह एक निश्चित दर पर असीमित मात्रा में सोना खरीदे व खरीदे। अतएव एक निश्चित दर पर खरीद सकने वाला खरीदार सोने की कीमत निश्चित करने योग्य रहता है। जब तक इस नियम का सुधार या खण्डन नहीं किया जाता तब तक सोने की धातु की बाजार खरीदार की दया पर रहती है। हर देश में जहाँ यह नियम लागू होता है मुद्रा की एक इकाई तथा एक औंस सोने में निश्चित अनुपात रहता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उपबन्ध (provisions) के अनुसार है। सोने के द्वारा सारे देशों की मुद्रा में एक निश्चित अनुपात स्थापित हो जाता है।

३ स्वर्ण की गतियों के कारण (The Causes of Gold Movements)—‘स्वर्ण मान के नियमों’ के अनुच्छेद में स्वर्ण के बाहर जाने व अन्दर आने का वर्णन किया गया था। अब हम यह समझने का प्रयत्न करेंगे कि इस गति के कारण क्या हैं। बेंहम (Benham) ने इसके निम्न कारण बताए हैं।¹

(१) मुद्रा-सम्बन्धी नीति (Monetary Policy)—यदि कोई देश अपने देश में मुद्रा प्रसार कर दे, और दूसरे देश न करें तो इस देश में कीमतें बढ़ जाएँगी। इससे निर्यात कम हो जाएँगे और आयात बढ़ जाएँगे। और यदि स्वतन्त्र स्वर्ण मान हुआ तब सोना बाहर चला जाएगा।

(२) पूँजी की गति (Capital Movement)—यदि कोई देश दूसरे देशों में अपना उधार देता है, तब सोना देश से बाहर जाएगा पर जब ऐसा होता है और स्वर्ण मान के नियम माने जाते हैं, तो मुद्रा सकुचन प्रारम्भ हो जाता है (अथवा द्रव्य आय कम हो जाएगी)। फलस्वरूप मूल्य गिरने लगते हैं, आयात कम हो जाते हैं और निर्यात बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में स्वर्ण लौटने लगेगा। जिस देश को स्वर्ण मिलेगा उसकी द्रव्य में आय बढ़ जाएँगी (वस्तु मुद्रा में फैलाव होगा) और वहाँ कीमतें भी बढ़ जाएँगी। ऐसे देशों में आयात बढ़ जाएँगे और निर्यात कम हो जाएँगे। इससे व्यापार का सन्तुलन हक में न रहने से यह सोना बाहर चला जाएगा।

(३) वस्तुओं एवं सेवाओं की पारस्परिक माँग व पूर्ति (Reciprocal Supply and Demand of Goods and Services)—जिस देश में वस्तुओं और सेवाओं का अधिक निर्यात होता है, उसके पास स्वर्ण अधिक होगा, तथा हालत के अनुसार विपरीत अवस्था में भी विलोमत ही होगा।

1 Benham, F.—Economics, 1940, pp 456-59

(४) जनसंख्या में परिवर्तन (Changes in Population)—यदि जनसंख्या आप्रवास (immigration) के कारण बढ़ जाती है तो द्रव्य की माँग बढ़ जाएगी और उसके मूल्य बढ़ने से कीमतें कम हो जाएँगी। निर्यात बढ़ने लगेगे, आयात कम हो जाएँगे और सोना देश के अन्दर आने लगेगा। जनसंख्या कम होने से इसके विपरीत प्रभाव होंगे।

(५) पूँजी में परिवर्तन (Changes in Capital)—जिस देश में वचत अधिक होगी, वहाँ पूँजी का संचय अधिक होगा। इससे उत्पादन बढ़ जाएगा, कीमतें कम हो जाएँगी, निर्यात बढ़ जाएँगे, आयात कम हो जाएँगे और सोना देश में आने लगेगा।

(६) उत्पादन-प्रणाली में परिवर्तन (Changes in Technique)—उत्पादन प्रणाली में उन्नति होने से उत्पादन सस्ता हो जाएगा। निर्यात बढ़ जाएँगे, आयात कम हो जाएँगे और सोना देश में आने लगेगा।

(७) माँग में परिवर्तन (Changes in Demand)—यदि किसी कारण विदेशों में किसी देश की वस्तुओं की माँग कम हो जाती है, तो निर्यात कम हो जाएँगे और सब बातें समान रहने पर सोना बाहर जाने लगेगा।

‘यह ध्यान रखना चाहिए कि इस सम्बन्ध में दूसरे देशों से सम्बन्धित परिवर्तन ही महत्वपूर्ण हैं न कि निरपेक्ष (absolute) परिवर्तन, जिनका विनोय महत्त्व नहीं है।’ (Benham)

१४ कागजी मान या प्रबन्धित कागजी मान अथवा चल मुद्रा विनिमय मान (Paper Standard or Managed Paper Currency or Currency Exchange Standard)—इस प्रणाली के अन्तर्गत कागजी द्रव्य प्रमुख द्रव्य होता है। देश के चलमुद्रा अधिकारी कागजी द्रव्य का सोने में विनिमय करने का उत्तरदायित्व नहीं लेते। विश्व-व्यापी मन्दी के पदचातू बहुत से देशों को, जिनमें भारत और ब्रिटेन भी थे, स्वर्ण मान छोड़ना पड़ा। इस प्रकार इन देशों में कागजी मान अपनाया।

यद्यपि १९३१ से ब्रिटेन ने स्वर्णमान छोड़ दिया है और स्टर्लिंग सोने में बदला नहीं जा सकता तब भी इस देश की मुद्रा १९४४ के बैंक चार्टर ऐक्ट के अनुसार स्वर्ण के रिज़र्व द्वारा व्यवस्थित रहती है।

१५ सर्वोत्तम मुद्रा प्रणाली (The Best Currency System) —अब प्रश्न यह है कि सबसे अच्छी मुद्रा प्रणाली कौन सी है। इसका उत्तर देना बहुत कठिन है, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न मानों में काफी सफलता से काम किया है। इसलिए इसी प्रश्न को इस प्रकार रखना अधिक उचित होगा—अच्छी चल मुद्रा प्रणाली की क्या परीक्षा है।

एक अच्छी मुद्रा प्रणाली में निम्नलिखित गुण होने चाहिए —

(१) यह देश में कीमत की स्थिरता रखने में समर्थ होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में इसका धान्तरिक मूल्य (अथवा सम्बन्धित देश में मान खरीदने अथवा सेवा लेने की क्रय शक्ति) में बहुत अधिक बहुत परिवर्तन नहीं होने चाहिए। जैसा कि हम अध्याय

करेंगे, इसके अर्थ यह है कि देश में व्यापार व उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार प्रचलित मुद्रा की मात्रा का नियंत्रण होना चाहिए।

(11) इसे मुद्रा के बाह्यमूल्य को भी स्थिर रखना चाहिए। इसके अर्थ यह है कि इसका विदेशी मुद्रा के निश्चित परिमाण पर इतना दबाव रहे कि इसकी विदेशों में वस्तुओं तथा सेवाओं पर ब्रह्म शक्ति एक सी रहे। पर यह विदेशी विनिमय की समस्या है जिसका अध्ययन हम बाद में करेंगे।

(12) यह विपायती होनी चाहिए। विनिमय का सहोपा माध्यम राष्ट्रीय माध्यम है।

(13) प्रणाली लोचपूर्ण तथा स्वचालित होनी चाहिए जिससे कि व्यापार की आवश्यकताओं के अनुरूप चलमुद्रा विस्तृत अथवा संकुचित हो सके।

(14) प्रणाली बहुत सरल होनी चाहिए जो साधारण मनुष्य की भी समझ में आ जाए।

निर्देश पुस्तकें

- Mlynarsky F Functioning of Gold Standard
 Robertson D H Money 1948, Ch I and III
 Crowther G An Outline of Money, 1950, Ch IX
 Benham, F Economics, 1945, Ch XXI
 Malhotra D K History and Problems of Indian Currency
 and Exchange
 Brij Narain Money and Banking (S Chand & Co)
 Withers Hartley Money, 1935 Ch II
 Laughlin J L Money, Credit and Prices, 1931, Ch IV
 Cole, G D H Money, 1935, Chapters I and III
 Houston H The Fundamentals of Money 1935, Ch II

अध्याय ३२

मुद्रा का मूल्य

(The Value of Money)

१ भूमिका—पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि सबसे अच्छी मुद्रा प्रणाली वह होती है जिसमें मुद्रा का बाह्य व आन्तरिक मूल्य स्थिर रहे। अब प्रश्न यह है कि “मुद्रा के मूल्य” का अर्थ क्या है ?

“मुद्रा का मूल्य” शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है। अस्तु, (i) स्वर्ण अथवा रजत के एक निश्चित वजन तथा खरेपन के अनुसार इसका अधिकार, जैसा कि स्वर्ण या रजत मान के अन्तर्गत होता है अथवा (ii) विदेशी मुद्रा की इकाइयाँ जिनका यह क्रय कर सकता है। उदाहरण के लिए इस समय स्टर्लिंग में रुपये का मूल्य १ शि० ६ पै० है। (iii) देश में वस्तुओं की क्रय शक्ति। इसे मुद्रा की (आन्तरिक) क्रय-शक्ति कहते हैं। जब हम बिना किसी दूसरे पद के जोड़े हुए “मुद्रा का मूल्य” शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमारा आशय इस तीसरे अर्थ से होता है।

यह बात ध्यान रखने योग्य है कि मुद्रा का मूल्य अथवा इसकी क्रय-शक्ति का देश के अन्दर प्रचलित कीमतों से एक विरोध, यद्यपि उलटा (inverse) सम्बन्ध होता है। जब सामान्य कीमतों का स्तर बढ़ जाता है तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। जब कीमतों का स्तर कम होता है तो यह मूल्य बढ़ जाता है। इस अध्याय में हम मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के कारणों पर विचार करेंगे।

२ मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त (The Quantity Theory of Money) — इटली के १६वीं शताब्दी के एक लेखक डवन्जाटी (Danzatti) इस मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के निर्माण करने वाले थे। इमको लॉक (Locke) तथा ह्यूम (Hume) ने प्रचलित किया तथा बाद में उनको प्रतिष्ठित (classical) अर्थ-शास्त्रियों ने अपने हाथ में लिया। सरलतम शब्दों में मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त यह बताता है कि मुद्रा के मूल्य में इसके परिमाण के विपरीत परिवर्तन होता है। “यदि मुद्रा का परिमाण द्विगुणित हो जाए और यदि अन्य बातें समान रहे तो वस्तुओं की कीमत पहले से दुगुनी हो जाएगी और मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। यदि परिमाण आधा कर दिया जाए तो, अन्य बातों के समान रहने पर कीमतें पहले से आधी रह जाएंगी और मुद्रा का मूल्य दुगुना हो जाएगा।”¹

कीमत का स्तर मुद्रा की मौजूदा राशि के सीधे अनुपात में होता है। यदि किसी वस्तु की मात्रा की वृद्धि होती है, तो इसका मूल्य कम हो जाएगा, और यदि मात्रा में कमी होती है, तो इसका मूल्य अधिक हो जाएगा। लेकिन मुद्रा में यही एक विशेषता

1 Taussig, F W —Principles of Economics Vol. I

है जो मुद्रा तथा दूसरी वस्तुओं में भेद उत्पन्न करती है कि मुद्रा की मात्रा (quantity of money) तथा वस्तु की कीमतों (commodity prices) में आनुपातिक सम्बन्ध (proportionality) है।

इस सिद्धान्त की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है—

मुद्रा के परिमाण में वृद्धि होने से उसका मूल्य उसी अनुपात में गिर जाता है (और कीमतें बढ़ जाती हैं)। इसके विपरीत यदि अन्य वस्तुएँ समान रहें तो मुद्रा के परिमाण में कमी होने से मुद्रा का मूल्य उसी अनुपात में बढ़ जाता है और कीमत स्तर गिर जाता है।

अब प्रश्न यह है कि 'अन्य वस्तुएँ समान रहने के क्या अर्थ हैं' ? इन पद के अर्थ यह हैं कि निम्नलिखित बातों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

(१) मुद्रा के चलन का वेग (Velocity)—मुद्रा के चलन के वेग का अर्थ मुद्रा की इकाई जितनी बार उपयोग में आती है उससे होता है। उदाहरण के लिए यदि एक निश्चित समय में पाँच रुपये का एक नोट पाँच बार उपयोग में आता है तो मुद्रा का परिमाण २५) रुपये हुआ न कि ५) रुपये।

(२) साख पत्रों का मुद्रा की भाँति प्रचलन—यदि साख पत्रों के प्रयोग में वृद्धि (अथवा कमी) हो जाए जैसे बैंक आदि तो यह सम्भवा चाहिए कि प्रचलित मुद्रा की मात्रा में वृद्धि (अथवा कमी) हो गई है। इसी प्रकार साख पत्रों के चलन के वेग की स्थिति है।

(३) वस्तु विनिमय के सौदे—यदि कुछ सौदे बिना मुद्रा के प्रयोग के किए जाएँ तो उन्हें या तो बिल्कुल अलग कर देना चाहिए अथवा मुद्रा के परिमाण (पूर्ति) में वृद्धि सम्भवा चाहिए अथवा सौदों की मात्रा (मुद्रा की माँग) में कमी सम्भवी चाहिए।

(४) व्यापार का परिमाण स्थिर रहना चाहिए—इसके अर्थ यह है कि मुद्रा द्वारा जो काम या सौदे होने हैं वह सदैव समान रहें। केवल विनिमय की हुई वस्तुएँ ही नहीं बल्कि उनके प्रचलन का वेग भी स्थिर (constant) रहना चाहिए।

एक शब्द में मुद्रा का मूल्य उसकी मात्रा के प्रतिकूल और वस्तुओं तथा सेवाओं की राशि के अनुकूल बदलता है।¹

३ प्रोफेसर इरविंग फिशर के विनिमय का समीकरण (Professor Irving Fisher's Equation of Exchange)—प्रोफेसर इरविंग फिशर ने मुद्रा के परिमाण व उसके मूल्य के सम्बन्ध को एक सूत्र (formula) के रूप में प्रकट किया है जिसे वह विनिमय का समीकरण कहते हैं। यह इस प्रकार है—

$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

यहाँ P=कीमतों का स्तर या $\frac{1}{P}$ = मुद्रा का मूल्य

1 In a word the value of money varies inversely with its quantity and directly with the volume of goods and services in existence

T = मुद्रा द्वारा होने वाले सौदे ।

M = धातु की मुद्रा ।

M' = साख मुद्रा ।

V = मुद्रा का चलन वेग ।

V' = साख मुद्रा का चलन वेग ।

इस सूत्र द्वारा मुद्रा की पूर्ति उसकी माँग के बराबर हो जाती है । कीमत-स्तर को सौदो से गुणा कर देने से कुल सौदे निकल आते हैं, जिसका अर्थ मुद्रा की माँग है (PT) । यह मुद्रा की पूर्ति के बराबर है, जिसमें नकद व साख अपने प्रचलन प्रवेग के साथ सम्मिलित हैं ($MV + M'V'$) ।

अस्तु, $PT = MV + M'V'$

$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

प्रोफेसर फिशर का कहना था कि अल्पकाल में T V V' , सदैव स्थिर रहते हैं । M' और M का अनुपात भी स्थिर रहता है, इसलिए P का M के साथ परिवर्तन सीधे अनुपात में होता है । दूसरे शब्दों में $1/P$ (मुद्रा का मूल्य) M अथवा प्रचलित द्रव्य के परिमाण के उल्टे अनुपात में होता है ।

अब प्रश्न यह है कि 'दूसरी वस्तुएँ' (TVV' और M' का M के साथ अनुपात) स्थिर क्यों रहती हैं, प्रोफेसर फिशर का मत है कि—

सौदे अथवा द्रव्य द्वारा होने वाला काम अल्पकाल में स्थिर रहता है । क्योंकि जनसंख्या नहीं बदलती, प्रति व्यक्ति के हिसाब से उत्पादन नहीं बदलता, उत्पादको द्वारा उपभोग की प्रतिशत मात्रा नहीं बदलती, अदल-बदल द्वारा विनिमय की प्रतिशत मात्रा नहीं बदलती, और वस्तुओं के चलन की तीव्र गति नहीं बदलती । इस सम्बन्ध में उत्पादन के ढग व लोगो की आदतें विलकुल स्थिर रहती हैं । अस्तु, मुद्रा की माँग स्थिर रहती है ।

जहाँ तक पूर्ति (Supply) का सम्बन्ध है मुद्रा तथा साख के चलन का वेग लोगो की आदतों व रीति-रिवाजों पर निर्भर करता है । M' का M के साथ अनुपात बैंको की नीति पर निर्भर करता है । अल्पकाल में इन बातों में विशेष परिवर्तन नहीं होते । इसलिए द्रव्य का मूल्य अपनी मात्रा के उल्टे अनुपात में होता है ।

४ परिमाण सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of the Quantity Theory) — परिमाण सिद्धान्त की कड़ी आलोचना हुई है । “अन्य बातें समान रहे” के पद के साथ यह सिद्धान्त सिद्ध अनावश्यक सत्य के और कुछ भी नहीं है । सच तो यह है कि अन्य वस्तुएँ कभी समान रहती ही नहीं । इनमें दीर्घकाल में ही नहीं, अल्पकाल में भी परिवर्तन होते रहते हैं । जनसंख्या, प्रतिव्यक्ति के हिसाब से सौदे, चलन का वेग, साख की नकद के अनुपात में नीति, इन सभी बातों में परिवर्तन हो सकते हैं और परिवर्तन होने भी रहते हैं ।

इसके अतिरिक्त जैसा कि फिशर (Fisher) का विश्वास है, यह बातें स्वतन्त्र नहीं हैं । उदाहरण के लिए M में किसी प्रकार के परिवर्तन से V में भी परिवर्तन हो जाएगा और P में M की अपेक्षा अधिक अनुपात में परिवर्तन होगा । पिछले

महापुद्ग के पश्चात् जर्मनी के भाकं का मूल्य तेजी से गिरने लगा। लोगों का इसमें से विश्वास उठ गया और फलस्वरूप मार्क के बदले में वे वस्तुएँ लेने लगे। अस्तु, द्रव्य के प्रचलन की गति (V) बढ़ गई, यहाँ तक कि वह नाटो के प्रचलन (M) के सब अनुपातो से अधिक हो गई। इसी प्रकार M में किसी प्रकार के परिवर्तन से I में भी परिवर्तन हो जाता है और P का परिवर्तन M में परिवर्तन कर देना है। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से कीमतें और फलस्वरूप लाभ बढ़ जाते हैं, जिससे उत्पादन को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलता है और कीमतों में मन्दी प्रारम्भ होती है। इसके प्रतिरिक्त अधिक ऊँचे कीमत-स्तर यह आवश्यक कर देने हैं कि द्रव्य की पूर्ति बढ़ जाए जिससे सौदे चलते रहें। इस प्रकार ऊँचा कीमत-स्तर मुद्रा के परिमाण का परिणाम नहीं बनने कारण होता है। फिर M का सम्बन्ध समय के एक क्षण से है और V का सम्बन्ध समय के एक काल से है तथा दा भिन्न वस्तुओं को गृहण करना गलत है (जैसे MV)।

मुद्रा परिमाण सिद्धान्त दो एमो कल्पनाओं पर आधारित है जिनकी पूर्ण मान्यता अनिश्चिन्त है (i) कीमतें कुल व्यय के साथ उसी अनुपात में बदलती हैं। (ii) कुल व्यय मुद्रा की कुल मात्रा के साथ उसी अनुपात में बदलता है। सेमुअलसन (Samuelson) का कहना है "यदि हम यह अध्यात्मिक कल्पना कर लें कि कुल उत्पादन समान रहता है और लोगों में बेकारी नहीं होती तब कुल व्यय में वृद्धि से कीमतें उसी अनुपात में बढ़ जाएंगी मन्दी के स्तर से कुल व्यय में वृद्धि से पैदावार में अधिक वृद्धि होती है और कीमतों में अनुपात से कम वृद्धि होती है।" और यदि इसके विपरीत यह मान लें कि "मन्दी के स्तर से कुल व्यय में कमी से उत्पादन में कमी होती है और माघ ही राजगार की दशा में भी कमी होती है तो परिणाम-स्वरूप कीमतों में अनुपात से कम गिरावट होगी।"¹ कुल व्यय तथा मुद्रा के स्टाँक में भी अनुपात के साथ परिवर्तन नहीं होता क्योंकि द्रव्य का चलन वेग भी करीब-करीब स्थिर नहीं रहता। जैसा कि सेमुअलसन कहते हैं "परिमाण (dimensionally) के हिसाब से व्यय का मुद्रा की मात्रा से वही सम्बन्ध है जो कि एक झील में पानी के बहाव का भोल से है।"²

मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का मूल दोष यह है कि वह मान लेता है कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि वस्तुओं तथा सेवाओं के खरीदने में लगाई जाती है। यही कारण है कि इससे कीमतें बढ़ जाती हैं। परन्तु इसके स्थान पर अधिक मुद्रा बैंकों में जमा की जा सकती है, तिजोरियों में बेकार पड़ी रह सकती है, इसका सिन्डोरिटी में विनियोजन किया जा सकता है अथवा बीमा कराने में प्रयोग में लाया जा सकता है। इस हद तक उसका कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कुछ लेखकों ने चलन वेग (velocity of circulation) के विचार को आलोचना की है। मार्शल (Marshall) का कहना है कि "परिमाण सिद्धान्त उन

¹ Economics, 1948 p 292

² "Dimensionally speaking spending bears the same relationship to the stock of money that a flow of water through a lake bears to the lake itself"—Samuelson.

बातों की, जिनसे चलन की तीव्रता निर्धारित होती है, कोई व्याख्या नहीं करता।" बजाम चलन वेग में वृद्धि अथवा कमी के कुछ लेखक मुद्रा की माँग में वृद्धि अथवा कमी का वर्णन करते हैं। हम इसका अध्ययन आगे करेंगे।

मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त एक दीर्घकालीन घटना की व्याख्या मान है। यह उस अल्पकालीन सप्ताह की घटनाओं की व्याख्या करने में असमर्थ है जहाँ साम्यावस्था (equilibrium) में विघ्न डालने वाले कई कारण लगातार कार्य करते रहते हैं और जो एक सक्रमण काल (transitional period) के सूचक हैं। परन्तु चूँकि हमारा वास्तविक सप्ताह शाश्वत रूप से सक्रमण अवस्था में है, सिद्धान्त की केवल सीमित उपयोगिता है। वह दीर्घकालीन साम्यावस्था जिसकी व्याख्या परिमाण सिद्धान्त करना चाहता है कभी भी प्राप्त नहीं होती। 'साम्यावस्था आने वाले कल (tomorrow) के समान है—यह कभी नहीं आती क्योंकि जैसे ही सुबह की भूरी लकीरें दीख पड़ने लगती हैं, कल के अर्थ कुछ और हो जाते हैं।'¹

मुद्रा की मात्रा तथा सामान्य कीमत स्तर के बीच साधारण और प्रत्यक्ष सम्बन्ध तभी ठीक होता है जब कि अर्थ-व्यवस्था एक साम्य की दशा में है। जैसा कि कीन्स (Keynes) कहते हैं "साम्य में—अर्थात् जब उदरादन के साधन पूर्णरूप से कार्य करते हैं, जब जनता सिक्योरिटियों के लिए न तो तेजी वाली और न मन्दी वाली प्रवृत्ति रखती है और जब जनता अपने कुल धन के सामान्य अनुपात से न तो अधिक और न कम भाग बचत जमा (savings deposits) के रूप में रखती है और जब बचत की मात्रा नय विनियोग की लागत तथा प्रकृति दोनों के बराबर होती है—इस प्रकार मुद्रा की मात्रा उपभोग वस्तुओं की कीमत स्तर तथा उत्पादन में एक विचित्र सम्बन्ध इस प्रकार का होता है कि यदि मुद्रा की मात्रा दुगुनी हो जाती है तो कीमतों का स्तर दुगुना हो जाता है।"² कौन कह सकता है कि ऐसा साम्य प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार मुद्रा परिमाण सिद्धान्त अपने प्रारम्भिक रूप में बेकार तथा धोखा देने वाला है।

प्रोफेसर हायक³ (Hayek) का विचार है कि इस सिद्धान्त ने व्यर्थ में मुद्रा के सिद्धान्त में इतना प्रमुख स्थान पा लिया है। उनका यह भी विश्वास है कि जिस विचार ने इस सिद्धान्त को जन्म दिया है उससे आगे की उन्नति में बाधा पड़ती है। "इस सिद्धान्त का एक बहुत बुरा प्रभाव यह है कि यह अर्थशास्त्र से मुद्रा के सिद्धान्त को पूर्णतः पृथक् कर देता है।"

लार्ड कीन्स (Lord Keynes) को इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में सबसे बड़ा विरोध यह है कि यह समस्या का उचित अध्ययन नहीं करता। मुद्रा के सिद्धान्त की वास्तविक समस्या केवल सांख्यिक समीकरण मात्र स्थापित कर देना ही नहीं है। उदाहरण के लिए मुद्रा के कुल परिमाण का मुद्रा के बदले मिलने वाली वस्तुओं से

1 "Equilibrium is like tomorrow—it never comes, for as soon as the grey streaks of dawn appear, tomorrow means something else"

2 A Treatise on Money, 1950, Vol I, pp 146-47

3 Prices and Production, Lecture I

सम्बन्ध है। इस सिद्धान्त का प्रसली कार्य तो यह है कि वह विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करे कि वह तमाम कारण, जिनसे कीमत-स्तर निश्चित होते हैं और वह उपाय जिनसे साम्यावस्था में हेर-फेर होते हैं, स्पष्ट हो जायें।¹² विट्टेकर (Whittaker) के शब्दों में, "परिमाणु सिद्धान्त इस अर्थ में तो बड़ा अच्छा है कि यह कीमत-स्तर को प्रणाली स्पष्ट कर देता है किन्तु जहाँ तक कारणों की व्याख्या का सम्बन्ध है, इसमें बड़ी कनियों हैं।"¹³

मुद्रा परिमाण सिद्धान्त को उसके प्रारम्भिक रूप में माना नहीं जा सकता। कुछ प्रश्न इसकी गलत प्रवृत्ति को स्पष्ट कर देंगे। क्या एक व्यापारी अपनी कम्प्युशो की कीमत केवल इसलिए बढ़ा सकता है कि केन्द्रीय बैंक ने अधिक नोटों को छाप दिया है? क्या प्रत्येक मनुष्य जितनी मुद्रा उसके पास है खर्च करने को तैयार है? इसका जवाब नहीं में है। क्या यह सम्भव नहीं है कि नई मुद्रा अधिक उत्पादन को सुविधा दे और इस प्रकार कीमतों को बढ़ने से रोके। सिद्धान्त वस्तुओं की पूर्ति की लोच पर ध्यान नहीं देता। जब पूर्ति लोचदार है तो T, P से अधिक बढ़ सकता है। फिशर (Fisher) का समीकरण समय (element of time) का ध्यान नहीं रखता। मुद्रा एकबारगी बढ़ाई जा सकती है, परन्तु व्यापार की मात्रा तथा वेग एक काल में फीते होते हैं।

किन्तु परिमाण सिद्धान्त पूर्णतः बेकार नहीं है। आर्थिक सिद्धान्त की हैसियत से यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसकी उपयोगिता यह है कि इससे हमें यह पता चल जाता है कि मुद्रा प्रसार की परिस्थितियों में अथवा बैंक के साल के काम विस्तार की दशा में अथवा व्यापार की वृद्धि की दशा में कौसा प्रभाव होगा। पर इसके लिए यह आवश्यक है कि हम दूसरी बातों (साधनों) का भी ध्यान रखें। अधिकारी अंग जब मुद्रा-प्रसार करते हैं अथवा मुद्रा संकुचन करते हैं, तो इसी सिद्धान्त के अनुसार काम करते हैं। सिद्धान्त मुद्रा प्रसार के काल में आर्थिक घटनाओं तथा भूतकाल में कीमतों की स्थिरता की व्याख्या करने में बहुत सहायक है।

३. मुद्रा की माँग व पूर्ति का सिद्धान्त (Supply and Demand Theory of Money)—मुद्रा के मूल्य निर्धारण में माँग तथा पूर्ति के नियम लागू होते हैं। हम जानते हैं कि कीमतों के सामान्य स्तर की तरह मुद्रा के मूल्य में उलटा परिवर्तन होता है। किन्तु कीमतों का स्तर एक ओर तो मुद्रा की माँग (अर्थात् बेचे जाने वाले मान की मात्रा) पर निर्भर करता है और दूसरी ओर मुद्रा की पूर्ति (अर्थात् माना) पर। इस सिद्धान्त के अनुसार 'मुद्रा का मूल्य दूसरी वस्तुओं के मूल्य की भाँति इसकी माँग और पूर्ति पर निर्भर करता है।' मुद्रा की माँग व पूर्ति का वर्णन परिमाण सिद्धान्त में भी है किन्तु वह सिद्धान्त माँग व पूर्ति की शक्तियों की व्याख्या करने में सफल नहीं हुआ।

1 Ibid Vol I p 123

2 The quantity theory is admirable as an elucidation of the mechanism involved in the price level, but as an explanation of causation, it has serious shortcomings.—Whittaker op cit, p 660

मुद्रा की पूर्ति (The Supply of Money)—वर्तमान समाज में मुद्रा की पूर्ति में बहुत-सी बातें सम्मिलित हैं। (क) धातु की मुद्रा अर्थात् सोना और चाँदी, (ख) विधिमान्य मुद्रा, जिसका प्रचलन सरकार करे अथवा सरकार के नियमों के अन्तर्गत हो, (ग) साख-पत्र जैसे बैंक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज (Bills of exchange) आदि।

इनमें से प्रत्येक की पूर्ति का साधन विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर है। (क) धातु की मुद्रा इन बातों पर निर्भर है—(i) खान खोदने के उपायों में उन्नति, (ii) नयी खानों की खोज, (iii) अमुद्रा (non-monetary) प्रयोगों से अधिक सोने का भ्राना।

(ख) विधिमान्य मुद्रा व दूसरे छोटे सिक्कों की मात्रा निम्नलिखित बातों पर निर्भर है—(१) सिक्का ढलाई व नोटों के अनुपात में मुद्रा सुरक्षित रखने के विषय में सरकारी नियम। (२) सरकार की मुद्रा-सम्बन्धी आवश्यकताएँ, (३) फुटकर सौदों का परिमाण।

(ग) 'बैंक मुद्रा' की पूर्ति निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है—(i) बैंक निक्षेपों (Bank deposits) की मात्रा, (ii) बैंकों की साख नीति, (iii) देश में आर्थिक विकास की दशा।

इस विषय में हम प्रत्येक भाति की मुद्रा के चलन के वेग का भी ध्यान रखना चाहिए। मुद्रा की वास्तविक पूर्ति सरकार की ऋण-नीति, सर्वसाधारण की मुद्रा गड़कर रखने की आदत आदि से भी प्रभावित होता है।

इन बातों से यह स्पष्ट है कि जिन देशों में धातु के सिक्के ही मुद्रा का एकमात्र स्वरूप हैं, वहाँ इतनी सरलता से मुद्रा की पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती जितनी उन देशों में, जहाँ सांकेतिक सिक्के अथवा कागज के नोट मुद्रा के रूप में चलते हैं। यदि कागज के नोट धातु के सिक्कों में विनिमय-साध्य न हो और यदि उनके विषय में कोई सख्त सरकारी नियन्त्रण न हो, तो उनका चलन करेती-अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर होगा। जिन देशों में बैंक मुद्रा का चलन होता है, वहाँ मुद्रा की पूर्ति किसी सीमा तक भी बढ़ाई जा सकती है। पर आमतौर से बैंकों में नकद रूपों का कुछ भाग निक्षेपों (deposits) के अनुपात में रिजर्व के रूप में रख लिया जाता है। चूँकि यह अनुपात लोचपूर्ण होता है, इसलिए पूर्ति किसी हद तक भी घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

मुद्रा की माँग (Demand for Money)—आरम्भ में यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मुद्रा की माँग के क्या अर्थ हैं? मुद्रा की माँग से हमारा तात्पर्य आद्य अथवा धन की माँग से नहीं है। इसका अर्थ है नकदी अथवा तरल स्रोतों (liquid resources) की माँग। यह इसलिए माँगी जाती है कि इनकी क्रय-शक्ति होती है। अतएव मुद्रा की माँग वास्तव में उसकी क्रय-शक्ति की इकाइयों की माँग है। फिशर (Fisher) के सूत्र के अनुसार मुद्रा की माँग (PT) कुल सौदों के मूल्यों के बराबर होती है जो किसी समय में पूरे हों। माँग का यह विचार न तो सही है, न वैज्ञानिक।

वास्तव में मुद्रा की माँग इसका उपभोग (consume) करने के लिए इतनी

नहीं होती जितनी कि उसे रखने (hold) के लिए। यह प्रवृत्ति मुद्रा के चलन के वेग के प्रतिकूल है। ध्येय, व्यापारिक समूह और लोक संस्थाएँ सभी प्रकार के लोग मुद्रा रखना चाहते हैं। किन्तु वे सब मुद्रा क्यों रखना चाहते हैं? इसके कई कारण हैं। साधारण उपभोक्ता तो मुद्रा केवल इसलिए रखना चाहते हैं कि इससे उनकी वस्तुएँ खरीदने की प्रतिदिन की आवश्यकताएँ पूरी होती रहे। उद्यमी मजदूरी और दूसरे प्रकार के व्यय करने के लिए मुद्रा चाहते हैं। इसी प्रकार के कारणों से प्रभावित हो लोक संस्थाएँ भी मुद्रा रखती हैं। कभी-कभी मुद्रा केवल इसलिए रखी जाती है कि इसके प्रतिरिक्त कोई दूसरा लाभदायक विकल्प नहीं होता। मुद्रा रखने का एक और विकल्प यह भी है कि इसे या तो वस्तुओं के अथवा म व्यय कर दिया जाए या विनियोजित (invest) कर दिया जाए। मुद्रा का विनियोजन वस्तुओं में भी हो सकता है, सिन्धोरिटियों में भी और बैंकों में केवल जमा पूँजी के रूप में भी हो सकता है।

किन्तु लोग अपनी सम्पूर्ण आय को प्राप्त करते ही समाप्त नहीं कर सकते। व्यय आवश्यकताओं के अनुसार होता है। जहाँ तक विनियोजन (investment) का प्रश्न है, इसमें सदैव आकर्षण नहीं हुआ करता है और अल्पकाल में तो यह बहुत कठिन हो जाता है। वस्तुओं के मूल्य गिरने लगता है या उनके खराब होने का डर रहता है। सिन्धोरिटियों का मूल्य भी गिरने लगता है और बैंकों से मिलने वाले व्याज की दर इतनी अधिक नहीं होती कि लोग बैंकों में रुपया जमा करने लगे। यह भी हो सकता है कि लाभ बहुत गिर जाएँ, ऐसी दशा में रुपया विनियोजित होने की अपेक्षा जमा अधिक किया जाएगा।

इसलिए लोग मन्दी के दिनों में रुपया अधिक जमा करना प्रारम्भ करेंगे किन्तु त्वरित व्यापार (brisk trade) के जमाने में मुद्रा को रोककर रखने का उतना भय नहीं रहता। इसलिए मन्दी के दिनों में मुद्रा का मूल्य, माँग बढ़ जाने के कारण, बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में मन्दी के दिनों में कीमतें कम हो जाती हैं, इसके विपरीत जब अधिक लाभ की आशा होती है, तो विनियोजन बढ़ जाता है और मुद्रा की माँग कम हो जाने के कारण (अर्थात् लोगों के पास कम पैसा होता है) इसका मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। व्यापारियों के पास होने वाली इस मुद्रा की मात्रा खाता साख (bank credit) पर निर्भर होगी जो वे परस्पर रखते हैं। लोगों की मुद्रा जमा करने की इस प्रवृत्ति को लार्ड कीन्स ने तरलता या मुद्रा-प्रीतिमान (liquidity preference) कहा है। मुद्रा-प्रीतिमान में वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है, जिसके अर्थ यह होते हैं कि लोग क्रय शक्ति के रूप में अपनी धन्य के भाग को कम या अधिक संचय करते हैं।

वस्तुतः और वस्तुओं की भाँति मुद्रा का मूल्य भी माँग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। माँग व पूर्ति ही कीमत और फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य निर्धारित करती है। यदि पूर्ति के साथ साथ मुद्रा की माँग जो मुद्रा के मूल्य का निर्धारण करती है बढ़ जाए तो सामान्य कीमत स्तर बढ़ जाएगा। निर्धारित पूर्ति की अवस्था में, माँग में वृद्धि से मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है अथवा सामान्य कीमतें

कम हो जाती है, जैसा कि मदी के दिनों में होता है। इसके विपरीत यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए तो उसका मूल्य कम हो जाएगा और कीमतें बढ़ जाएँगी जैसा कि त्वरित व्यापार के समय में होता है। पूर्ति और माँग जब साम्यावस्था पर पहुँच जाते हैं तो कीमतें स्थिर हो जाती हैं।

६ द्रव्य की माँग की लोच (Elasticity of Demand for Money)—
जब हम कहते हैं कि मुद्रा का मूल्य बिलकूल अपने परिमाण (quantity) (अर्थात् मुद्रा दुगुनी होने से उसका मूल्य आधा रह जाता है, और मुद्रा आधी होने से उसका मूल्य दुगुना हो जाता है) पर निर्भर करता है तो वह केवल इसलिए कि यह मान लिया गया है कि मुद्रा की माँग की लोच एक इकाई (unity) के बराबर है।

मुद्रा की माँग वस्तु-विनिमय, साख और सौदों के परिमाण पर निर्भर करती है। यह मान लिया गया है कि एक निश्चित समय में मुद्रा की माँग में बहुत ही थोड़ा परिवर्तन होता है। (अर्थात् माँग वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होता।) यदि मुद्रा की माँग समान रहे तो उसकी पूर्ति (मात्रा) उसका मूल्य निर्धारित करेगी। मुद्रा के परिमाण में किसी प्रकार के परिवर्तन से उसके मूल्य में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। यदि मुद्रा के परिमाण में शत प्रतिशत वृद्धि हो जाए तो कीमतों में भी शत-प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी और यदि मुद्रा के परिमाण में शत-प्रतिशत कमी हो जाए तो कीमतों में भी शत-प्रतिशत कमी हो जाएगी। वस्तुओं के सम्बन्ध में ऐसा नहीं होता। यदि गेहूँ की पूर्ति शत-प्रतिशत बढ़ जाए तो उसके मूल्य में उसी अनुपात में कमी नहीं होगी। ऐसा क्यों ?

ऐसा माना जाता है कि मुद्रा केवल एक टिकट मात्र है, जिसके द्वारा केवल विनिमय होता है। इसका दूसरी वस्तुओं की भाँति प्रत्यक्ष उपभोग नहीं किया जा सकता। जब वस्तुएँ अधिक तथा सस्ती होती हैं, तो उनका अधिक उपभोग होगा। परन्तु मुद्रा का इस प्रकार उपभोग नहीं हो सकता। इसलिए यदि मुद्रा बढ़ जाए तो उसका विनिमय वस्तुओं के बदले होगा। मान लीजिए, किसी देश में १०० वस्तुएँ हैं और १०० सिक्के हैं तो १०० सिक्कों के बदले में १०० वस्तुएँ मिलेंगी और प्रति वस्तु की कीमत एक सिक्का होगी। अब यदि मुद्रा का परिमाण दुगुना बढ़ जाए तो २०० सिक्कों के बदले में १०० वस्तुएँ मिलेंगी। अब २०० सिक्कों और १०० सिक्कों की क्रय-शक्ति बराबर है। इसलिए कुछ लेखकों का यह विश्वास है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का कोई महत्त्व नहीं होता। यही बात इस प्रकार भी कही जा सकती है कि माँग की लोच ऐक्य (unity) है। "इसका अर्थ है कि मुद्रा के मूल्य में वृद्धि से उस की माँग में उसी अनुपात में कमी होगी और मुद्रा के मूल्य में कमी से उसकी माँग में उसी अनुपात में वृद्धि हो जावेगी।"¹¹

किन्तु क्या मुद्रा की माँग की लोच वास्तव में ऐक्य (unity) है ? नहीं।

वास्तविक जगत् में हम यह नहीं पाते कि मुद्रा के परिमाण में किसी प्रकार के परिवर्तन से कीमतों में भी उसी अनुपात में परिवर्तन हो जाए। जर्मनी में प्रथम महा-युद्ध के पश्चात् मुद्रा-प्रसार के दिनों में कीमतें प्रचलित माध्यम से कहीं अधिक बढ़

गई थीं। मुद्रा-प्रसार के पश्चात् और अधिक मुद्रा-प्रसार आवश्यक हो जाता है। ऐसी दशा में मुद्रा की मांग भी बढ़ती रहती है। लोगों का मुद्रा से विश्वास उठ जाता है। प्रतिदिन कीमतें बढ़ती हैं। लोग आगे की कीमतें वसूल करने लगते हैं। अस्तु, जब मुद्रा का परिमाण बड़ जाता है तब उसका मूल्य अनुपात के अनुसार ही नहीं बरन् और भी अधिक कम हो जाता है। इसी प्रकार मन्दी के दिनों में कीमतें गिरती ही जाती हैं, चाहे मुद्रा के परिमाण में कोई परिवर्तन न हो। १९३० के आस-पास के दिनों में यद्यपि वृद्ध से देशों में मुद्रा-प्रसार बढ़ाकर कीमतें बढ़ाने का प्रयत्न किया गया था, किन्तु वह असफल रहे।

सच तो यह है कि कीमतों का निर्धारण एक बड़ी मद्दमून घटना है, जिसपर मुद्रा का परिमाण प्रभाव डालने वाला एक अग्र मात्र है। इसीलिए यह सोचना कि मुद्रा के परिमाण में हर प्रकार के परिवर्तन से कीमतों में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है, गलत है। हमने हम इस निष्कर्ष पर पहुँचने हैं कि मुद्रा की मांग की सोच ऐक्य (unity) के बराबर नहीं होती।

एक भीषण असंगति (An Anomaly)—पर यह बिल्कुल उल्टी बात है कि व्यापार की समृद्धि के दिनों में सौदों की संख्या बड़ जाती है। जिसके अर्थ यह है कि मुद्रा की मांग बड़ जाती है। अस्तु, मुद्रा का मूल्य भी बड़ जाना चाहिए और कीमतें गिरनी चाहिए। इसके विपरीत जब व्यापार मंदा पड़ जाता है तो मुद्रा की मांग बहुत कम हो जाती है, इसका मूल्य गिरना चाहिए अर्थात् कीमतें बढ़नी चाहिए। लेकिन होता इसके बिल्कुल विपरीत है। इसका क्या कारण है ?

इसका उत्तर यह है कि साख का परिमाण व्यापारिक दशाओं के अनुस्यू घटता बढ़ता है। समृद्धि के दिनों में आशावादी भावनाओं के कारण साख सूब बड़ जाती है। साख यहाँ तक बड़ जाती है कि वह व्यापार से भी अधिक अनुपात में बड़ जाती है। साख के बढ़ने का कारण यह है कि व्यापारिक समृद्धि के दिनों में लोगों में भ्राम तीर पर आशावादिना बड़ी होती है। परिणाम यह होता है कि समुदाय की ऋण शक्ति बड़ जाती है और कीमतों में वृद्धि हो जाती है। मन्दी के दिनों में साख कम होने से और व्यापार जल्द से ज्यादा मिकुड़ने से, कीमतें गिरने लगती हैं।

यह मान लेना, कि मुद्रा की मांग की लोच ऐक्य (unity) है, गतिहीनता और स्थिरता की मनोवृत्ति है। जिस निरन्तर परिवर्तनशील समार में हम रह रहे हैं, मुद्रा का परिमाण एक साथ ही दुगुना या तिगुना नहीं हो जाता। परिवर्तन अत्यन्त शनै शनै और धलरूप रूप में आते हैं, अनेक लस्व कार्यरत रहते हैं। इसीलिए मुद्रा के परिमाण में आनुपातिक परिवर्तनों की आशा करना गलत है।

निर्देश पुस्तकें

Hayek. Prices and Production, Lecture I

Keynes, J.N. A Treatise on Money, 1950, Book III, The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936; Tract on Monetary Reforms, 1924

Weiser Natural Value

Crowther, G. An Outline of Money, 1950, Ch III

अध्याय ३३

मुद्रा और कीमतें

(Money and Prices)

इस अध्याय में हम कीमतों में होने वाले हेरफेर (fluctuations) के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम मुद्रा-स्फीति (inflation), अपस्फीति (deflation) आदि वाक्यांशों का जिक्र करेंगे।

१. मुद्रा स्फीति, मुद्रा अपस्फीति (Inflation, Deflation)—मुद्रा स्फीति (Inflation) शब्द उस समय प्रयोग में लाया जाता है जबकि कीमतों में असामान्य वृद्धि होती है। जब कीमत का सामान्य स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसका कारण साधारणतः मुद्रा की पूर्ति का बढ़ना और मुद्रा की माँग का उसी के अनुसार बढ़ना नहीं होता तो उस दशा को स्फीति (inflation) कहते हैं। जब सोने की अधिक पूर्ति से कीमतें बढ़ जाती हैं तो हम स्वर्ण स्फीति (Gold inflation) कहते हैं। यदि कागजी मुद्रा के बढ़ने से कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसको कागजी मुद्रा स्फीति कहते हैं। और जब कीमतें साल (credit) के अत्यधिक बढ़ जाने से बढ़ती हैं तो उसको साल स्फीति (credit inflation) कहते हैं। केवल 'स्फीति' (inflation) शब्द से हमारा मतलब कीमतों के अत्यधिक बढ़ जाने से होता है जो कि ऊपर दिए हुए किसी एक या सब कारणों से हुआ हो। स्फीति उस दशा में भी उत्पन्न हो सकती है जब कि मुद्रा की माँग कम हो जाए परन्तु पूर्ति वैसे ही बनी रहे। परन्तु ऐसा बहुत कम होता है।

मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए हम निम्न उपाय बता सकते हैं, (i) बैंक दर या विवृत बाजार रीति (open market operations) के द्वारा केन्द्रीय बैंक का मुद्रा सकुचन, (ii) बैंक साल पर नियन्त्रण, (iii) कर बढ़ाकर, (iv) राष्ट्रीय सचय को प्रोत्साहन देकर, (v) सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता, (vi) मूल्य नियन्त्रण तथा (vii) उत्पादन की मात्रा बढ़ाकर।

मुद्रा अपस्फीति (Deflation), स्फीति (inflation) का उल्टा है। इसका अभिप्राय कीमतों के अत्यधिक गिरने से है जो कि मुद्रा की कमी के कारण हो अथवा उसकी अधिक माँग के कारण हो। मुद्रा अपस्फीति को, स्फीति से भी अधिक विनष्टकारी समझा जाता है।

सर्फीति (Reflation) अर्थात् मात्रा में नियन्त्रित स्फीति को कहते हैं। जब वस्तुओं की कीमतें इतनी अधिक गिर जाती हैं कि आर्थिक कार्यों में कोई लाभ नहीं होता तो उस समय मुद्रा अधिकारी कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं, जिससे कि मुद्रा परिचलन में अधिक आ जाए, जिसके कारण कीमतें बढ़ जाएँ तथा आर्थिक स्थितियों

में उन्नति हो। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मन्दी का मुख्य कारण मुद्रा की कमी ही है, तो उनके अनुसार मन्दी का सामना करने का यह भी एक साधन है। व्यापारिक चक्र (trade cycles) के अध्याय में इसके बारे में और अधिक प्रकाश डाला जाएगा।

विस्फीति (Disinflation) द्वारा कीमतों के विराने की एक प्रवृत्ति को कहते हैं जब कि वे (कीमतें) मुद्रा स्फीति के कारण अनियमित रूप से बढ़ गई हों। मुद्रा संस्फीति तथा मुद्रा विस्फीति दृष्ट अग्रिम भाव से रहित हैं।

२. कीमतों में परिवर्तन होने के परिणाम (Consequences of Changing Prices)—कीम (Keynes) ने अपनी पुस्तिका "Tract on Monetary Reform" में समुदाय को तीन भागों में विभाजित किया है। (१) विनियोजन करने वाला वर्ग, (२) व्यापारी वर्ग और (३) अर्जन करने वाला वर्ग। हम देखेंगे कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन किस प्रकार से इन तीनों वर्गों के लोगों पर असर डालता है। विनियोजन करने वाले वर्ग में अथवा उन वर्गों में, जिनकी आमदनी निश्चित है, इनका प्रभाव सबसे अधिक घातक होता है। वे अपनी स्थायी आय के द्वारा पहले से कम वस्तुएँ खरीद सकेंगे। कीमतों के बढ़ने से व्यवसायी वर्ग या उद्यमी वर्ग को लाभ होता है क्योंकि वस्तुओं के बेचने का दाम तो बढ़ हुए होते हैं परन्तु उत्पादन का खर्च सामान्यतः कम ही रहता है। चूँकि मजदूरी पहले से ही निर्धारित होती है, वह उसी समय नहीं बदलती। भूमि का किराया और न्याज भी नहीं बदलते, इसलिए उत्पादक वर्ग को लाभ होता है। किन्तु मजदूरी कमाने वाले वर्ग को नुकसान रहता है, क्योंकि उनकी मजदूरी या तनख्वाह वस्तुओं की महँगाई के अनुपात में नहीं बढ़ती। इस प्रकार उनकी समस्त मजदूरी कम हो जाती है। परन्तु चूँकि कीमतों के बढ़ने के समय व्यवसाय और उद्योग में उन्नति होती है, इसलिए इस वर्ग के लोगों को एक यह फायदा होता है कि उनकी नौकरी बनी रहती है।

अब हम देखना है कि उधार देने और लेने वालों पर कीमत परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो ऋणी लोगों को लाभ होता है। ऋण का भुगतान वस्तुओं या सेवाओं को बेचकर किया जाता है। यदि ऋणी व्यक्ति उत्पादक है तो वह ऋण के भुगतान करने के लिए कम मात्रा में वस्तुओं को बेच कर ऋण भरा कर सकेगा। और यदि वह धर्मजीवी है तो भी उसको अपना ऋण भरा करने के लिए कम काम करना पड़ेगा।

जब कीमतें बढ़ती हैं तो आमतौर पर उपभोक्ता वर्ग को हानि होती है। जब कि सभी वस्तुएँ महँगी हो जाती हैं तो व्यापारी, मटेरिबाल और चोरबाजारियों को छोड़कर अन्य सब वर्गों के उपभोक्ताओं को हानि होती है। जब सभी चीजों की कीमतें ऊँची हो जाती हैं तो वस्तुओं के उपभोग की मात्रा को अवश्य कम कर देना पड़ता है।

कीमतों के नीचे की ओर गिरने से इन वर्गों के लोगों पर प्रभाव इसका उल्टा होता है। विनियुक्तोपजीवी या अर्जितोपजीवी (rentiers) वर्ग, विनियोजन करने वाले वर्ग, तथा मजदूरी करने वाले वर्ग दोनों को लाभ होता है, क्योंकि अपनी स्थिर आमदनी में पहले से अधिक मात्रा में वस्तुएँ और सेवाएँ ले सकेंगे हैं। परन्तु यदि लगातार मन्दी बनी रहती है तो धर्मजीवी को हानि होती है क्योंकि उस समय बेरोज-

गारी (unemployment) बढ़ जाती है। कुछ ही भाग्यशाती व्यक्ति जिनकी नियुक्ति बनी रहती है इनका लाभ उठा पाते हैं। व्यापारी वर्ग को मन्दी से हानि होती है। एक तो कीमतों के गिरने के कारण उनको अपने व्यवसाय में आमदनी कम हो जाती है, दूसरे उनके व्यवसायी खर्च जैसे मजदूरी बगैरह यदि कम भी हुए, तो भी धीरे-धीरे ही कम होते हैं। इस प्रकार उनका व्यापारिक लाभ बहुत कम हो जाता है।

कीमतों के गिरने से ऋणी लोगों को भी नुकसान होता है क्योंकि उस समय उनको अपने ऋण को अदा करने के लिए अधिक मात्रा में वस्तुएँ और सेवाएँ देनी पड़ती हैं। सन् १९३० के बाद के प्रारम्भिक वर्षों में भारतीय किसान पर लगान का बोझ बहुत अधिक बढ़ गया था क्योंकि उस समय खेती की उपज का दाम बहुत ही कम हो गया था। परन्तु दूसरी ओर जो व्यक्ति रुपया उधार दे चुके हैं, उनको लाभ होता है क्योंकि जो धन उन्हें वापिस मिलता है उससे पहले की अपेक्षा वे अब अधिक वस्तुएँ खरीद सकते हैं।

कीमतों की कमी से आम तौर पर उपभोक्ताओं को फायदा होता है। वे अपने रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठा सकते हैं।

सधेप में, हम कह सकते हैं कि ऋणी लोगों को कीमतों के बढ़ने से फायदा होता है और उनके गिरने से हानि, क्योंकि उनके निश्चित धन-सम्बन्धी दायित्व वस्तुओं और सेवाओं में बढ़ जाते हैं, जब कि कीमतें गिरती हैं और यह दायित्व उस समय कम हो जाते हैं, जब कि दाम बढ़ते हैं। इसके विपरीत उधार देने वाले या महाजनों को कीमतों के बढ़ने से नुकसान होता है और गिरने से लाभ।

किसी भी दिशा की ओर अत्यधिक उथल-पुथल आर्थिक क्रियाओं के लिए हानिकर है क्योंकि इससे भविष्य अनिश्चित हो जाता है। अतएव आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि कीमतों में अपेक्षाकृत स्थिरता बनी रहे। इस कार्य को करने के लिए कीमत-स्तर सूचक अंक या देशनाक (Index numbers) रखने की जरूरत होती है।

३ देशनाक (Index Numbers)—मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए मूल्य देशनाक तैयार किया जाता है। इस प्रकार देशनाक बनाने के लिए जिन-जिन बातों की आवश्यकता होती है, वे नीचे दी जाती हैं—

(1) आधार वर्ष (Base Year) का निर्धारित करना—पहली आवश्यकता यह होती है कि आधार वर्ष को चुना जाए। आधार वर्ष का मतलब उस वर्ष से है जिस वर्ष की कीमतों की तुलना और दूसरे वर्षों की कीमतों से प्रतिशत में दिखलाते हैं। इस वर्ष के चुनने में सावधानी बरतनी चाहिए। यह एक औसत वर्ष होना चाहिए जिसमें कि आर्थिक दृष्टिकोण से न तो बहुत तेजी हो और न बहुत मन्दी हो। कभी-कभी कई वर्षों की कीमतों के औसत को ही आधार मान लिया जाता है।

(ii) वस्तुओं का चुनाव (Selection of Commodities)—दूसरा काम यह है कि उन वस्तुओं को छाँटा जाए जिनकी कीमतें सामान्य कीमत स्तर का निरूपण करें। वे वस्तुएँ वास्तव में प्रतिनिधि रूप को होनी चाहिए और साथ ही ऐसी होनी चाहिए जो कि काफी मात्रा में प्राप्त हों। इन वस्तुओं का चुनाव उस

उद्देश्य पर भी निर्भर रहता है, जिसको कि ध्यान में रखकर देशनाक (index number) बनाया जाता है।

(iii) इसके बाद हर वस्तु के मूल्य की सूची ली जाती है—इसके लिए ज्यादा अच्छा यह है कि उन वस्तुओं की औसत थोक कीमत कई एक प्रतिनिधि बाजारों में ली जाए। ये कीमतें आधार वर्ष (या वर्षों) के लिए मालूम की जाती हैं और दूसरे वर्षों के लिए भी जिनका देशनाक हमें बनाना है।

(iv) उसके पश्चात् अगला काम यह करना है कि प्रत्येक वस्तु के आधार वर्ष की कीमत १०० के बराबर मान ली जाए और उन सब वस्तुओं के दूसरे वर्षों की कीमत आधार वर्ष की कीमतों के प्रतिशत में निकाली जाए। उदाहरणार्थ यदि आधार वर्ष में गेहूँ की कीमत ४ रुपये मन है, जिसको कि सौ मान लिया जाता है, तो दूसरे वर्ष में जब गेहूँ की कीमत ८ रुपये मन हो जाती है तो वह २०० बहताएगा। इसी प्रकार हर वर्ष में हरेक वस्तु की कीमत होगी।

(v) आखिरी काम यह है कि प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक वस्तु के औसत अंक निकाले जाएँ। आधार वर्ष में तो औसत १०० ही होगा। दूसरे वर्षों में ये औसत अंक १०० से अधिक या कम होंगे। यदि कीमतें बढ़ी हैं तो १०० से अधिक होंगे और गिरी हैं तो १०० से कम।

नीचे दी हुई तालिका से मालूम होता है कि देशनाक किस प्रकार बनाए जाते हैं।

वस्तु	आधार वर्ष के दाम १९३६ (१०० प्रति मन)	आधार वर्ष का देशनाक १९३६	सन् १९४५ के दाम (१०० प्रति मन)	सन् १९४५ का देशनाक
गेहूँ	४००	१००	१०००	२५०
चावल	३५०	१००	१४००	४००
कपास	१५००	१००	२२५०	१५०
गन्ना	८००	१००	१६००	२००
बी	६०००	१००	१५०००	२५०
औसत		१००		$१ \times २५० + ५ = २५०$

ऊपर दिए हुए देशनाक के हिसाब से सन् १९४५ के दाम सन् १९३६ के दामों के मकाबले में १५० प्रतिशत बढ़े। इसका अर्थ यह हुआ कि १९४५ में भारत में मुद्रा का मूल्य सन् १९३६ के मूल्य का $\frac{३}{५}$ हो गया, अर्थात् ६० प्रतिशत कम हो गया।

भारत देशनाक (Weighted Index Numbers)—ऊपर जिस प्रकार का देशनाक दिया गया है वह अ-भारित देशनाक (unweighted index number)

है, जिसमें हर एक वस्तु को बराबर महत्त्व दिया गया है। परन्तु वास्तव में उपभोक्ता के लिए किसी वस्तु की कीमत में पौड़ी वृद्धि किसी दूसरी वस्तु की कीमत में अधिक वृद्धि से अत्यन्त हानिकारक हो सकती है क्योंकि पहली वस्तु की उपयोगिता उसके घरेलू खर्च में दूसरी वस्तु की उपयोगिता से अधिक हो सकती है। इनका महत्त्व उस समय और भी बढ़ जाता है जब हम निर्वाह देशनाक (cost of living index number) बनाना चाहते हैं, अर्थात् निर्वाह देशनाक से हमारा मतलब है किसी एक श्रेणी के रहन सहन के खर्च के परिवर्तनों को मापना।

मान लीजिए कि उपर्युक्त वस्तुएँ किसी एक अमूक श्रेणी के लोगों द्वारा प्रयोग की जाती हैं और हम यह जानना चाहते हैं कि मुद्रा-काल में उन लोगों के रहन-सहन के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। यह आवश्यक नहीं है कि इन उपभोक्ताओं के लिए इन सब वस्तुओं का महत्त्व एक ही हो। इन वस्तुओं के सापेक्ष महत्त्व को दिखलाने के लिए हम हर एक वस्तु को 'भार' या वजन दे सकते हैं। इसके लिए हमें हर एक वस्तु के देशनाक को उसके महत्त्व के अनुसार किसी सख्या से गुणा करना होगा। यह सख्या साधारणतः पारिवारिक बजट में वस्तुओं के ऊपर किए खर्च के अनुसार होती है।

नीचे दी गई तालिका से मालूम होता है कि भारत देशनाक किस प्रकार बनाया जाता है। इसमें वही सख्याएँ ली गई हैं जो पहली तालिका में थीं।

वस्तु	आधार वर्ष की कीमत १९२९ (₹० प्रति मन)	देशनाक १९२९	मन् १९४१ में कीमत (₹० प्रति मन)	देशनाक १९४१
गेहूँ	४००	$१०० \times ३ = ३००$	१०००	$२५० \times ० = ७५०$
चावल	३५०	$१०० \times १ = १००$	१४००	$४०० \times १ = ४००$
कमल	१५००	$१०० \times १ = १००$	२०५०	$१५० \times १ = १५०$
शक्कर	८००	$१०० \times २ = २००$	१६००	$२०० \times २ = ४००$
घा	६०००	$१०० \times १ = १००$	१५०००	$२५० \times १ = २५०$
जोड़		८००		१६५०
औसत		१००		२४३.७५

यहाँ पर हमने चावल के मुकाबले में गेहूँ को तीन गुना महत्त्व दिया है और शक्कर आदि को घा के मुकाबले में दुगुना आदि।

इस प्रकार से निकाला हुआ निर्वाह देशनाक उतना नहीं बढ़ा है जितना कि प्रभारित देशनाक। ये घक सी केवल उदाहरण के लिए दिए गए हैं। वास्तव में एक ही देशनाक कीमतों के स्तर के परिवर्तन और रहन-सहन के खर्च के परिवर्तन को

नापने के काम में नहीं लाया जा सकता। इसके अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों के लोगों के रहन-सहन के खर्च के परिवर्तनों को नापने के लिए काम में लाई जाने वाली वस्तुएँ एक न होंगी। इसके लिए हमें देखना होगा कि किस श्रेणी के लोग किस प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करते हैं।

यहाँ तो हमने थोड़ी सी ही वस्तुएँ चुन ली हैं। वास्तव में इन वस्तुओं की संख्या अधिक होनी चाहिए। उदाहरणार्थ, भारत सरकार के कर्माध्यक्ष इटेलीजेंस डिपार्टमेंट (Commercial Intelligence Department of the Government of India) के बनाए हुए देशनाक की माला (series) सबसे पुरानी है। इसमें २८ निर्यात की जाने वाली और ११ आयात होने वाली वस्तुएँ हैं। इस माला में गृहकृत या भारत देशनाक नहीं है और १८७३ को आधार वर्ष माना है; देशनाकों की दो और मालाएँ हैं—एक वम्बई की जिसमें ४० वस्तुएँ हैं और दूसरी कलकत्ते की जिसमें ७२ वस्तुएँ हैं।

गुणत्व या भार अथवा परीक्षण रूप में भी लाया जा सकता है यदि हम किसी वस्तु की एक से अधिक विस्म लें। उदाहरणार्थ गहूँ की ३ किस्में, रई की २ और चाय की ३ आदि।

भारत में विभिन्न महत्वपूर्ण नागरिक केन्द्रों से १६ प्रकार के निर्वाह देशनाक प्रकाशित होते हैं।

४ देशनाकों के लाभ तथा उनकी सीमाएँ (Uses and Limitations of Index Numbers)—देशनाकों से हम केवल कीमत के स्तर के परिवर्तनों को ही नहीं नाप सकते हैं बल्कि हम मुद्रा के मूल्य और रहन सहन के खर्च के परिवर्तनों को तथा प्रत्येक मात्रिक (quantitative) परिवर्तन को भी नाप सकते हैं। मजदूरी, आयात, निर्यात, व्यावसायिक क्रियाएँ, नौकरी, कृषि की भूमि के क्षेत्र के परिवर्तन और जनसंख्या के परिवर्तनों आदि के भी देशनाक बनाए जा सकते हैं। इन चीजों के माप से हमें सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों का ज्ञान होता है जिसमें कि आवश्यकतानुसार उपशुद्ध नीति बनाई जा सकती है।

उदाहरणार्थ, निर्वाह देशनाक से हमें मजदूरी या वेतन को कीमत के अनुसार समायोजित करने में सहायता मिलती है। थोक कीमत के देशनाक से मुद्रा प्राधिकारी को कीमत के स्तर और विनिमय के स्थायीकरण करने में सहायता मिलती है।

हम देशनाकों की सहायता से किसी श्रेणी के मनुष्यों की चिन्ही दो विभिन्न समयों की आर्थिक दशाओं का माप कर सकते हैं।

देशनाकों की सहायता से हम बहुत से करारों (agreements) का, जैसे कि उधार देना और उधार लेना, समान भुगतान कर सकते हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो उधार देने वाले को हानि होती है क्योंकि जो धन अब उसको वापिस मिलता है उसकी क्रय शक्ति कम होती है। यह अधिक न्यायमग्न होगा यदि उधार देने वाले को वही क्रय शक्ति वापस मिले। ऐसा करने के लिए मूलधन (principal) को उसी मात्रा में बढ़ा देना आवश्यक होगा जिस मात्रा में कीमतें बढ़ गई हो। इसी प्रकार जब कीमतें गिर गईं हो तो उधार लेने वाले को चाहिए कि वह उसी तरह कम धन

दे, नहीं तो ऋण का मूल्य वस्तुओं और सेवाओं के हिसाब से उसी मात्रा में बढ़ा हुआ होगा जिस मात्रा में कि कीमतें गिर चुकी हैं ।

सीमाएँ (Limitations)—इस प्रकार हम देखते हैं कि देशनाक अति लाभदायक ही नहीं हैं बल्कि वर्तमान शासन के लिए उनका बनाना अति आवश्यक है क्योंकि बगैर इसके राज्य की आर्थिक नीतियों का मतलब केवल अंधेरे में भटकना ही होगा । परन्तु यहाँ यह भी देखना आवश्यक है कि देशनाकों की कुछ सीमाएँ भी हैं । सबसे पहले तो वे केवल अनुमान (approximations) ही हैं । उनको हम बिल्कुल सही मार्ग दिखलाने वाला नहीं मान सकते । उनके अंशकडे भी बिल्कुल सही नहीं माने जा सकते और उनका मतलब भी विभिन्न लगाया जा सकता है । दूसरे, उनकी अन्तर्राष्ट्रीय तुलना विभिन्न आधारों, विभिन्न वस्तुओं की मात्रा और गुणों में अन्तर होने के कारण यदि असम्भव नहीं, तो कठिन तो अवश्य ही है ।

तीसरे, विभिन्न समयों में उनकी तुलना करना भी सरल नहीं होता । अधिक समय में कुछ सामान्य वस्तुएँ भी प्रतिस्थापित हो जाती हैं । कभी-कभी बिल्कुल ही नई वस्तु काम में लाई जाने लगती है या वस्तु वही हो केवल उसका नाम बदल दिया जाता है । हो सकता है कि नई और पुरानी वस्तु में बड़ा अन्तर हो । आधुनिक रेल के इंजन और पहले के इंजन की तुलना कीजिए । सन् १९५६ की फोर्ड कार और सन् १९३६ की फोर्ड कार में बड़ा अन्तर है ।

चौथे, देशनाकों से केवल एक ही प्रकार की कीमतों के स्तर की माप हो सकती है । एक देशनाक जो किसी विशेष उद्देश्य में बनाया गया है, उसको दूसरे काम में नहीं लाया जा सकता । एक ऐसा देशनाक जो कि मिल मजदूर या रेलवे कूलियों (porters) की आर्थिक दशा का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है, कालेज के अध्यापकों की आर्थिक दशा जानने के लिए बिल्कुल बेकार होगा । उनके लिए पूर्णतया भिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करना होगा । विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करते हैं और उनकी क्षमकति भी विभिन्न होती है इस लिए कीमत स्तर में परिवर्तन का प्रभाव विभिन्न श्रेणियों के मनुष्यों पर अलग-अलग होता है । इसका अर्थ यह हुआ कि एक ही देशनाक से यह नहीं पता चलता कि पृथक्-पृथक् वर्ग के मनुष्यों पर कीमत के स्तर में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा ।

यह भी हो सकता है कि किसी वस्तु को एक प्रकार के भार देने का प्रभाव कुछ और तथा दूसरे प्रकार के भार का फल दूसरा हो । इससे मालूम होता है कि देशनाकों में महत्त्व देना केवल स्वैच्छिक ही है ।

५ कीमत का स्थायीकरण (Price Stabilisation)—क्योंकि मुद्रा के मूल्य (या सामान्य कीमत स्तर) में एकाएक परिवर्तन होने से, सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल के प्रतिरिक्त, आर्थिक चेष्टाओं की भी धक्का लगता है, और वे अनिश्चित हो जाती हैं इसलिए कीमतों के स्थायीकरण की अधिक आवश्यकता प्रतीत होती है । कीमतों के स्थायीकरण का अर्थ यह नहीं है कि उनको पूर्ण रूप से नियन्त्रित करने की व्यवस्था की जाए । इस प्रकार की व्यवस्था न तो सम्भव है और न उसकी आवश्यकता ही है । कीमतों में छोटे-छोटे समय के उतार-चढ़ाव को बिल्कुल

रोका नहीं जा सकता। इसके प्रतिरिक्त्र दोषावधि में होने वाले कीमतों के परिवर्तनों से भी अधिक हानि नहीं होती। दोषावधि, जैते कि १० या १५ वर्षों में होने वाले कीमतों के परिवर्तनों की सरलता से कम किया जा सकता है। कीमतों के ऐसे उतार चढ़ाव को न्यूनतम करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे उतार-चढ़ाव का निरूपण समद-समय पर होने वाली तेजी (boom) और मन्दी (depression) में होता है।

कीमतों का स्थायीकरण दो प्रकार से हो सकता है (१) कुछ आवश्यक वस्तुओं की पूति और माँग के साधनों पर प्रभाव डालकर उनकी कीमतों का स्थायीकरण करना।

(ii) दूसरी रीति यह है कि मुद्रा की पूति को उसकी माँग के अनुरार बनाकर कीमतों के सामान्य स्तर की ममत्ता को सुलभाना। इसके लिए विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न मार्ग बतलाए हैं और कुछ स्वर्ण-मान पद्धति (gold standard system) को प्रकटा ममकते हैं और कुछ ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें नियन्त्रित पत्र मुद्रा हो।

कीमत का स्थायीकरण सर्वेव आवश्यक नहीं है (Price Stabilisation not always Desirable)—इत सब कठिनाइयों के प्रतिरिक्त्र यह भी कहा जाता है कि कीमतों का स्थायीकरण एक उद्देश्य समझकर सर्वेव आवश्यक नहीं समझा जाता। एक ऐसी प्राथिक व्यवस्था के लिए, जो कि स्वतन्त्र प्रतिस्पर्द्धिता पर खड़ी हुई हो, कीमतों का उतार चढ़ाव एक विशेष काम करता है। इसी यन्त्र के द्वारा जनसमुदाय के साधन काम में लगाए जाते हैं, जिसमें अधिक से अधिक लाभ हो। कीमतों से जनता की सापेक्ष माँग का पता चलता है। कीमतों के परिवर्तन से यह मालूम होता है कि कहीं न कहीं कोई गडबडी है और उसको ठीक करने की आवश्यकता है।

इसके प्रतिरिक्त्र जैसा कि ग्रेगरी (Gregory) और हेक (Hayek) ने बतचाया है स्थायी कीमतों से अर्थ-व्यवस्था में समद-समय पर गडबडी होने का डर रहता है जैसा कि अमेरिका ने मन् १९२३ से १९२९ के बीच अनुभव किया था। और यदि सामान्य कीमत स्तर स्थायी रहता है तो भी कुछ विशेष वस्तुओं के दामों में परिवर्तन से प्रादिक जीवन में गम्भीर उथल-पुथल हा सकती है।

अन्त में हम दबत हैं कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी स्थायी कीमतें सर्वेव मत्र में अच्छी नहीं मानी जा सकती। इम दत्ता में एक स्थायी परिमारा न वस्तुएँ उतार के लेन देन में रह सकती हैं। अधिक उथल के समय में उन्ही वस्तुओं की निरिक्त्र मात्रा के प्रति स्वायं-त्याग घोडा होगा और प्राविष्कारों के कारण औद्योगिक उत्पादन अधिक होगा। न्याय की दृष्टि में ऐसे समय में कीमतों को गिर जाने देना चाहिए। इनकी प्रतिकूल दशा में भी यह सब बातें विलीमत् ठीक होगी।

६ कीमत नियन्त्रण की कठिनाइयाँ (Difficulties of Price Control)— हम कीमत नियन्त्रण तथा इसके दोषों से तो परिक्त्रित हो ही गए हैं। साधारणत यह समझा जाना है कि किसी देश का केन्द्रीय बैंक साख पर नियन्त्रण करके कीमतों के स्तर को नियन्त्रित कर सकता है। यह अनुमान कुछ मानी हुई धारणाओं पर निर्भर है परन्तु ये धारणाएँ ठीक नहीं होतीं। यह धारणाएँ इन प्रकार हैं

(i) मूल्यों के देशनाको का ठीक-ठीक और शीघ्रता से बना लेना और उनसे पथ-प्रदर्शक का काम लेना सम्भव है। देशनाको की विभिन्न सीमाओं को हम पहले ही बतला चुके हैं। इस प्रकार के देशनाको में पूर्णरूप से प्रतिनिधि वस्तुएँ होनी चाहिए। उनका भार भी ठीक होना चाहिए और वे ऐसी वस्तुएँ होनी चाहिए जो कि आसानी से मिल सकें। साधारणतः इन सब बातों का होना असम्भव ही है।

(ii) दूसरी धारणा यह है कि मुद्रा की मात्रा और कीमतों के स्तर में सदैव एक दृढ़ सम्बन्ध रहता है। मुद्रा का पारिमाणिक सिद्धान्त (quantity theory of money) समभाते समय यह बतलाया गया था कि वास्तव में ऐसे सम्बन्ध का अस्तित्व होता ही नहीं। साख ग्रहण व्यवस्था में तो मुद्रा की मात्रा और कीमतों के स्तर में कोई सम्बन्ध हो ही नहीं सकता। पहले तो हम देखते हैं कि केवल बैंक-साख ही उधार लेने की एक रीति नहीं है। दूसरे, उधार लिया हुआ धन केवल वस्तुओं के खरीदने में ही नहीं लगाया जाता। यह वास्तविक सम्पदा (estate) जैसे कि भूमि और घर आदि और प्रतिभूतियाँ (securities) तथा सेवाएँ खरीदने के काम में भी साया जा सकता है। सम्पदा तथा प्रतिभूति की कीमत बढ़ने के कारण बैंक की साख में वृद्धि होने से वस्तुओं का स्तर गिर सकता है। इसके विपरीत, उधार में कमी होने से सम्पदा और प्रतिभूति की कीमतों में कमी हो सकती है जब कि वस्तुओं की कीमतों पर कोई प्रभाव न पड़े या वे बढ़ भी जाएँ।

इसके अतिरिक्त ऐसा भी हो सकता है कि मुद्रा के चलन का वेग उल्टी दिशा की ओर हो और वह बैंक द्वारा की गई साख की बढ़ती या कमी को प्रतितुलन (counter-balance) कर दे। केन्द्रीय बैंक इस वेग को अधिक नियन्त्रित नहीं कर पाता। कुछ ऐसे भी कारण हैं जो कि मुद्रा से सम्बन्धित नहीं हैं। परन्तु वे वस्तुओं के मूल्य पर प्रभाव डालते हैं जैसे कि जनवायु राजनैतिक और व्यावसायिक उत्थल-पुथल, उत्पादन की रीतियों में परिवर्तन, फैशन में परिवर्तन जनसंख्या और मनुष्यों के स्वभाव आदि में परिवर्तन आदि। इन सब कारणों में केन्द्रीय बैंक के मुद्रा के चलन के वेग को नियन्त्रित करने सम्बन्धी प्रयत्न निष्फल हो सकते हैं।

दूसरे महायुद्ध तथा उसके बाद में कीमत नियन्त्रण ने इस नीति की दृष्टियों को स्पष्ट कर दिया है। लड़ाई में कीमतें लगातार बढ़ती रहनी हैं और एक उचित स्तर रखने के लिए कीमत नियन्त्रण को पद्धति स्थापित की जाती है अन्यथा कीमतें अत्यधिक बढ़ने से स्थिति अत्यन्त भयावह हो सकती है। ऊँची कीमतें गरीबों पर अधिक प्रहार करती हैं तथा उनको जीवन की अनिवार्यताओं से वंचित रखती हैं। जनता की नैतिक अवस्था को ठीक रखना पड़ता है। आन्तरिक अस्थिरता का भय रहता है। कीमतों पर इसलिए भी नियन्त्रण किया जाता है ताकि सरकारों और ऊँची तनखाहों न मारें। लड़ाई में माँग तथा पूर्ति के बीच का मतुलन जाता रहता है। नागरिकों की माँग के प्रतिरिक्त युद्ध के कार्यों के लिए भी वस्तुओं की माँग होनी है। दूसरी ओर, पूर्ति कम हो जाती है क्योंकि उत्पादन के साधनों को युद्ध का सामान बनाने के लिए हटाना पड़ता है तथा घायात गिर जाते हैं। मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा का चलन वेग बढ़ जाने के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं और अमीर गरीब के बीच की

खार्च घीड़ी हो जाती है। इस सामाजिक असमानता को कम करने तथा रोकने के लिए कीमतों पर नियन्त्रण रखना सरकार का कर्तव्य ही जाता है।

युद्धकाल में कीमत नियन्त्रण असफल रहने के मुख्य कारण ये थे — (१) कीमत स्थिति को हल करने में देरी, (२) अधिकारियों में अनुभव का अभाव; (३) सरकारी नौकरों में निष्ठा का अभाव, (४) जन सहयोग की कमी, (५) सही तथा अत्यावधिक आकड़ों की कमी, तथा (६) कीमत-नियन्त्रण के उपायों का एकीकरण न होना (un-coordinated) तथा उनका योजना-रहित होना।

भिन्न-भिन्न जिलों में भिन्न-भिन्न कीमते निर्धारित की गई थीं। कभी-कभी भिन्न-भिन्न जिलों में परिवहन की लागत का खयाल न करके एक ही कीमत रख दी जाती थी। कभी-कभी फुटकर कीमतें ही निश्चित करके थोक विक्रेताओं को ऊँचे दाम लेने के लिए छोड़ दिया जाता था। कीमत पर नियन्त्रण था लेकिन पूर्ति पर कोई नियन्त्रण न था। सब वस्तुओं पर नियन्त्रण होने के बजाय कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर नियन्त्रण था जिसके कारण नियन्त्रण न की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं और नियन्त्रित वस्तुओं पर नियन्त्रण रखना कठिन हो गया। इसका ध्यान कभी भी न रखा गया कि अधिकतर वस्तुओं की कीमतें एक-दूसरे से जुड़ी थीं। नियन्त्रण के नियम इतने सामान्य थे कि उनका बनाना सरल था परन्तु उनका चलाना बहुत कठिन था।

किन्तु सब से महत्वपूर्ण बात मनुष्यों के नैतिक बरित्र से सम्बन्धित है। कीमत नियन्त्रण उन देशों में सफल हुए जहाँ जनता का नैतिक स्तर ऊँचा था तथा मनुष्य ईमानदार थे। पर जहाँ इन गुणों का अभाव था, वे अफ़सल रहे।

७ कीमत प्रक्रिया का कार्य (Function of Price Mechanism) — हम ऊपर यह अध्ययन कर चुके हैं कि कीमतों के स्थायीकरण की कहीं तक आवश्यकता है और हमने यह बतलाया था कि स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा पर निर्मित आर्थिक पद्धति में कीमत प्रक्रिया एक विशेष काम करती है। अब हम कीमत-प्रक्रिया का कुछ और अध्ययन करना चाहते हैं।

कीमत प्रक्रिया इस प्रकार चलती है कि आर्थिक पद्धति का समायोजन (adjustment) अपने आप होता रहता है और किसी केन्द्रीय प्राधिकारी को कोई आज्ञा देने की या सक्रेत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कीमत उत्पादन और उपभोग दोनों की नियन्त्रक है। उपभोगता जो कीमत देने के लिए तैयार होते हैं उस कीमत से उनकी रुचि का ज्ञान होता है। इसी प्रकार जो कीमत उत्पादक लेने के लिए तैयार होते हैं उनसे वस्तुओं की कमी या अधिकता मातूम होती है। कीमत के बढ़ने से माँग कम होती है और पूर्ति बढ़ती है, इसी तरह इसके प्रतिकूल भी विलोमत होता है। यदि किसी वस्तु की माँग पूर्ण से ज्यादा है, तब कीमत के बढ़ने से दोनों में समायोजन होगा। इसके प्रतिकूल यदि पूर्ण माँग से ज्यादा है तो कीमत गिर जाएगी और दोनों के बीच साम्य स्थापित हो जाएगा।

ऐसा समझा जाता है कि कीमत-व्यवस्था उपभोगता और उत्पादक दोनों के हित में साम्य स्थापित करती है। बेनहम (Benham) के शब्दों में, "कीमत व्यवस्था उद्योगी की लाभ की इच्छा और उपभोगताओं को दिए हुए उत्पादन के साधनों द्वारा

अपनी आवश्यकताओं की अधिक से अधिक पूर्ति की इच्छा, दोनों की समता से सम्पुष्टि करती है।" परन्तु वास्तव में यह समता देखने में नहीं आती। ऐसा देखा जाता है कि या तो उपभोक्ताओं का शोषण होता है, या उद्यमी लोग नुकसान उठाते हैं। कभी तो उपभोक्ताओं को सस्ते उत्पादन का लाभ मिलता है तो कभी जान-बूझ कर उनको धोखा दिया जाता है और वे एकाधिकारी की इच्छा पर रहते हैं, जो कि उनका पूर्ण रूप से शोषण करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। इसके अतिरिक्त एक समुक्त स्कन्ध समवाय (Joint Stock Company) को उसके संचालकों के कार्य कुशल न होने के कारण हानि हो सकती है, या यह हो सकता है कि संचालक अपने को धनी बनाने में लगे रहे जब कि कम्पनी की हानि होती रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि वास्तव में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों में मिन्यता है न कि समता, क्योंकि कीमत व्यवस्था प्रायः स्वतन्त्रता और सरलता से काम नहीं करती।

इन सब बातों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कीमत व्यवस्था के बिना पूँजीवादी व्यवस्था चल ही नहीं सकती। कीमत-व्यवस्था से ही आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न भागों का समायोजन होता है। यह सोचना ही कठिन है कि मूल्य व्यवस्था के बिना कोई अर्थ व्यवस्था किस प्रकार चल सकती है।

८ महँगी मुद्रा बनाम सस्ती मुद्रा (Dear Money Versus Cheap Money)—मुद्रा के विवेचन को समाप्त करने के पहले हम यह आवश्यक समझते हैं कि हम मुद्रा विषयक नीति पर केन्द्रित विवाद पर विचार करें।

जब अर्थ व्यवस्था युद्ध से नष्ट हो जाती है अथवा मंदी से छिन्न भिन्न हो जाती है तो एक ही विवाद स्पष्ट रूप में दिखाई देता है—अर्थात् देश एक महँगी मुद्रा वाली नीति को अपनाए या सस्ती मुद्रा वाली नीति को अपनाए।

किन्तु महँगी मुद्रा अथवा सस्ती मुद्रा के क्या अर्थ हैं? कुछ विद्यार्थी ऐसा समझते होंगे कि महँगी मुद्रा का यह अर्थ है कि उसका मूल्य वस्तुओं तथा सेवाओं में अधिक है अर्थात् कीमत नीची है तथा सस्ती मुद्रा का अर्थ है कि मुद्रा का मूल्य (अथवा उसकी क्रय शक्ति) नीची है और कीमतें ऊँची हैं। इस प्रकार महँगी मुद्रा का सम्बन्ध नीची कीमतों से हो सकता है और सस्ती मुद्रा का ऊँची कीमतों से। परन्तु महँगी तथा सस्ती मुद्रा की परिभाषा इस प्रकार नहीं दी जा सकती। मुद्रा की कीमत जिसकी तरफ 'महँगे' और 'सस्ते' शब्द संकेत करते हैं उसकी विनिमय-कीमत या क्रय शक्ति के शब्दों में निहित नहीं है। मुद्रा की कीमत का उचित अर्थ वह दर है जिस पर धन उधार लिया जा सकता है। इस प्रकार महँगी मुद्रा का अर्थ यह है कि उधार लेने की दर ऊँची है तथा सस्ती मुद्रा का अर्थ यह है कि ब्याज की दर नीची है। संक्षेप में मुद्रा की कीमत ब्याज की दर है।

कभी-कभी हम अर्थशास्त्रियों को महँगी बनाम सस्ती मुद्रा के वाद-विवाद में भाग लेते पाते हैं। कुछ महँगी मुद्रा की नीति अपनाते हैं और कुछ सस्ती मुद्रा की नीति का समर्थन करते हैं। इनमें से कौन ठीक है, यह उस आर्थिक स्थिति पर निर्भर है जिसका हमें सामना करना पड़ता है। किसी आर्थिक नीति को चलाने के लिए ब्याज की दर एक महत्वपूर्ण हथियार है। कुछ समय ऐसे होते हैं जब कि उचित आर्थिक

नीति के लिए यह आवश्यक है कि मुद्रा के बाजार में व्याज की दर नीची रखी जाने तथा कभी व्याज की दर ऊंची रखनी पड़ती है। उदाहरणार्थ, जब मुद्रा का अधिक प्रसार हो, जब सट्टेबाजी अधिक हो, जब उद्योगपति विनियोग (investment) अधिक मात्रा में करते हो, जब बैंको ने सीमा से अधिक साख बढ़ा रखी हो, जब भुगतान शेष (balance of payment) देश के प्रतिकूल हो, तो महँगी मुद्रा की नीति उचित होती है। यह मुद्रा संकुचन (deflationary) वाली नीति है। यह निर्वृद्धि पूँजी विनियोग पर रोक लगायेगी, यह बैंकों द्वारा साख के बढ़ाए जाने को रोकेगी; यह कीमतों को बढ़ने से भी रोकेगी, सट्टेबाजी के वेग को कम करेगी और अन्त में भुगतान शेष की स्थिति को एक दृढ़ अवस्था में कर देगी।

सस्ती मुद्रा की नीति प्रतिकूल स्थितियों में प्रकट होती है। उदाहरणार्थ जब मन्दी का बुरा प्रभाव व्यापार व्यवसाय पर पड़ रहा हो, जब बैंक उधार देने में हिचकते हो, जब नीचा कीमत स्तर धार्मिक उद्दीपन को नष्ट कर रहा हो, जब अधिक बेकारी हो, और जब विस्तृत निर्माण-कार्य हाथ में लेने हो तो सस्ती मुद्रा नीति अपेक्षा नीची व्याज दर विनियोग को प्रोत्साहन देती है, बेकारी के भार को कम करती है, और औद्योगिक यन्त्र की गति को तेज करती है। संक्षेप में, यह मन्दी और उसके बुरे प्रभावों को दूर करेगी।

सस्ती मुद्रा नीति (अर्थात् साख का सस्ता होना) (क) मन्दी को रोकने, (ख) बेकारी को दूर करने तथा (ग) विकास कार्यक्रम की व्यवस्था में एक साधन का कार्य करती है। जब सस्ती मुद्रा नीति अपनाई जाती है तो सरकार को खुले बाजार में उधार लेना पड़ता है। यदि साख की कमी है तो प्रतिभूतियों की कीमत बढ़ जाएगी और उनकी माँग गिर जाएगी। सरकार को बैंको आदि का आश्रय लेना पड़ेगा। सस्ती मुद्रा नीति का अर्थ मावँजनिक ऋण का मुद्रा निर्माण है अर्थात् सावँजनिक ऋण को तरल-नकदी (liquid cash) में बदलना है। यदि पूर्ण रोजगारी की अवस्था प्रा गई हो, तो इसका अर्थ स्फीतिकारी वित्त-व्यवस्था होगा।

अब यह प्रश्न उठता है कि क्या यह राज्य के अधिकार में है कि केन्द्रीय बैंक द्वारा या दूसरे प्रकार में मुद्रा को सस्ती या महँगा रखने के लिए व्याज दर पर नियन्त्रण रखे? क्या व्याज की दर ऋण सम्बन्धी माँग तथा पूर्ति के प्राकृतिक प्रभाव से निर्धारित नहीं होती? जैसे कि पहले समझाया जा चुका है इस सिद्धान्त को प्रबल दिया गया है कि व्याज की दर संचित धन की माँग तथा पूर्ति में साम्य लाती है। जैसा कि सर विलियम बेवेरिज (Sir William Beveridge) ने बतलाया है 'व्याज की दर मुद्रा की माँग तथा पूर्ति में साम्य स्थापित करने का कार्य नहीं कर सकती क्योंकि पूँजी व्यवसाय उसी सचप को जन्म देता है जिसकी आवश्यकता उसके अर्थ प्रबन्ध में होती है। एक को दूसरे की समता में लाने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वे प्राय के स्तर में परिवर्तन होने से समता में रहते हैं।¹ यदि व्याज की दर नीची है तो विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है। समुदाय द्वारा ऋण लेकर या रिजर्व से किया हुआ व्यय अधिकृत आय लाता है और वचत के नए उद्गम पैदा करता है। इस

प्रकार ब्याज की नीची दर बचत करने के उत्साह को भंग नहीं करती परन्तु यह व्यय तथा विनियोग को प्रोत्साहित करती है और अधिक बचत को सम्भव बनाती है ।

आधुनिक अर्थशास्त्री अब इस बात को मानते हैं कि राज्य को ब्याज की नीची दर स्थिर करने तथा बनाए रखने का अधिकार है और दर किन्हीं प्राकृतिक साधनों द्वारा निर्धारित नहीं होती । यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि युद्ध-काल तथा युद्ध-काल के बाद ऋण के लिए बढ़ती हुई मांग ब्याज की नीची दर पर सन्तुष्ट हुई । यह स्पष्ट रूप से बताता है कि ब्याज की दर पर नियन्त्रण रखना सम्भव है । हम को देखना चाहिए कि यह कैसे होता है । ब्याज की दर पर नियन्त्रण बचत पर नियन्त्रण के द्वारा हो सकता है । इसके लिए बचत के भिन्न-भिन्न रूपों का जानना आवश्यक है । मनुष्य अपने संचित धन को चार तरह से रख सकता है अर्थात् नकद, बैंक (डिपॉजिट्स) ; बिल (अल्पकालीन विनियोग), तथा बांड (दीर्घकालीन विनियोग) । सरकार देश को पूर्ण आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक विशिष्ट ब्याज दर स्थिर करने का निश्चय कर सकती है और तब बचाने वाली जनता को उस दर पर अपने संचय करने तथा जिस रूप में वह अपने संचित धन को रखना चाहती है, स्वतन्त्र छोड़ सकती है । जैसा कि वेबेरिज ने कहा है "सरकार को दीर्घकालीन बांड तथा अल्पकालीन पत्र अवश्य निकालना चाहिए ताकि बचाने वालों की इच्छानुसार संचित धन उनमें आए ।"

यदि यह देखने में आता है कि सरकार इच्छित धन को घोषित की हुई दर पर प्राप्त नहीं कर सकती और जनता का अल्पकालीन व दीर्घकालीन अशदान अपूर्ण है तो सरकार शेष धन को केन्द्रीय बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों (wages and means advances) के द्वारा प्राप्त कर सकती है । जैसे-जैसे सरकार का व्यय आगे बढ़ता है, नई बचतें होती जाती हैं और बैंक का नकद शेष बढ़ जाएगा । बचत जिसको जनता नकद तथा बैंकों से जमा करके रख सकती है, व्यापार की विक्रय राशि पर निर्भर करती है । वे अपनी आधिक्य बचत को अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों में भी लगा सकते हैं ।

इस प्रकार ब्याज की एक स्थायी दर निश्चित करने की सम्भावना का प्रश्न ही नहीं उठता । सरकार को केवल दर निश्चित करनी होती है और तब जनता को प्रस्ताव किया जाता है कि वह इस दर पर कितना रखना चाहेगी । केवल एक ही सावधानी बरतनी है कि दर में परिवर्तन धीरे-धीरे हो । ब्याज की दर में आकस्मिक और गम्भीर परिवर्तन वांछनीय नहीं हैं । यही कारण है कि शून्य दर निश्चित करना तथा उसको ऊपर की भाँति बनाए रखने का प्रयत्न करना सम्भव नहीं होगा । दर के अचानक घटा दिए जाने पर, पूँजी तथा दीर्घकालीन ऋण बढ़ जाएँगे । इससे सामाजिक तनाव उत्पन्न हो जाएगा । परम प्रतिभूतियों का स्रोत सूख जाएगा और बैंकों तथा बीमा बम्पनियों जैसी आर्थिक सत्यामों की क्रियाओं की नींव टूट-टुकड़े हो जाएगी ।

६ तटस्थ मुद्रा नीति (Neutral Money Policy)¹—हमने ऊपर मंहेगी बनाम सस्ती मुद्रा के बारे में विवेचन किया है परन्तु तीसरा उपाय भी है । वह

1. See Halm, G N.—Monetary Theory, 1946. pp. 122-31. Study also Hayek, F. A. (1) Prices and Production, and (2) Monetary Theory and Trade Cycles

है तटस्थ मुद्रा नीति । यह नीति यथेच्छाचारिता नीति (*laissez faire policy*) पर आधारित है । परन्तु व्यवहार म मह उससे पूर्व है क्योंकि तटस्थ मुद्रा नीति अपनाते के लिए मुद्रा सम्बन्धी शक्ति को सचेष्ट नीति खोजनी पड़ेगी । तटस्थ मुद्रा सिद्धान्त प्रोफेसर एफ० ए० हेयक (Prof P A Hayek) के नाम से जुड़ा हुआ है । इस सिद्धान्त के मानने वाला का विश्वास है कि आर्थिक स्थिरता के मुख्य कारण हैं मुद्रा नीति म परिवर्तन । मुद्रा नीति म परिवर्तनों को रोकने से अर्थ व्यवस्था स्थिर तथा सुव्यवस्थित हो जाती है ।

तटस्थ मुद्रा नीति क्या है ? यह वह नीति है जो एक ओर मुद्रा प्रसार के वारण और दूसरी ओर इसके सकुचन से बिघ्न डालने वाले प्रभावों को तटस्थ करने अथवा हटाने का प्रयत्न करती है । नई मुद्रा के बढ़ाव से मुद्रा स्फीति होती है तथा मुद्रा के हटाने तथा सकुचन से अस्फीति । मुद्रा स्फीति सस्ती मुद्रा से तथा मुद्रा अस्फीति महंगी मुद्रा से जुड़ी हुई है । आर्थिक स्थिरता अथवा कीमती, उन्नति तथा रोजगार के दृष्टिकोण से मुद्रा स्फीति तथा अस्फीति दोनों बुरे ममके जाते हैं । हम को दो म से एक को भी अपनाता न चाहिए । हम का तटस्थ रहना चाहिए । मुद्रा को न तो महँगे होनी चाहिए और न सस्ती ।

इस भाँति तटस्थ मुद्रा नीति मुद्रा स्फीति तथा अस्फीति के शून्य चिह्न के समान है । यह ऐसी स्थिति पैदा कर देती है जैसे कि मुद्रा है ही नहीं अथवा सार्व विनिमय वस्तुओं द्वारा ही होता है । परन्तु चूँकि मुद्रा बिल्कुल लोप नहीं होती, बदला-बदली की वुराइयों भी नहीं रहती । तटस्थ मुद्रा नीति अपनाने म मुद्रा सम्बन्धी अधिकारी को मुद्रा की पूर्ति की ऐसी व्यवस्था करना पड़ती है कि उत्पादन स्तर, मूल्य स्तर तथा व्यापार की मात्रा ऐसी है जैसे कि समुदाय किसी भी मुद्रा का उपयोग नहीं करना । यह मान लिया जाता है कि यदि मुद्रा चलन वाले माध्यम के टेढ़े भेडे प्रभाव को पृथक् रखा जाए, तो ऐसी काल्पनिक बिना मुद्रा वाली समुदाय की अर्थ व्यवस्था प्रतियोगिता के प्राकृतिक प्रभावों द्वारा स्थिर रखी जाएगी ।

तटस्थ मुद्रा नीति के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? हमने देखा है कि तटस्थ मुद्रा नीति का उद्देश्य क्या है । अब प्रश्न यह है कि यह उद्देश्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि इस नीति के अन्तर्गत मुद्रा स्फीति तथा सकुचन दोनों को रोकना पड़ेगा । क्या हम यह लक्ष्य मुद्रा की पूर्ति को अचल रख कर कर सकते हैं ? नहीं, बिल्कुल नहीं । हम जानते हैं कि कीमती म परिवहन केवल मुद्रा की पूर्ति म परिवहन होने से ही नहीं होता है परन्तु ऐसे कारणों द्वारा भी जैसे जनसंख्या म परिवर्तन, पत्र कला म तथा यातायात म सुधार, मुद्रा के चलन के वेग म परिवर्तन आदि । इस प्रभावों को भी तटस्थ बनाना होगा । यदि मुद्रा की पूर्ति दृढ़ता से स्थिर रखी जाए, तो एक पीछी म आर्थिक उन्नति तथा उत्पादन की काय कुशलता म सुधार से कीमतें बहुत गिर जाएँगी परन्तु एक तटस्थ मुद्रा नीति यह सब नहीं चाहती । इस प्रकार केवल मुद्रा बढ़ाने तथा घटाने से तटस्थ मुद्रा नीति वा उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता ।

तब मुद्रा सम्बन्धी प्राधिकारी को क्या करना चाहिए ? यदि जनसंख्या बढ़ती है तो मुद्रा की मांग बढ़ेगी, और इस मांग की सतुष्टि होनी चाहिए, नहीं तो मुद्रा की कमी से मुद्रा अस्फीति का प्रभाव पड़ेगा । इससे तटस्थ मुद्रा नीति अलग रहेगी । यदि मुद्रा के चलन का वेग बढ़ जाता है, तो यह मुद्रा स्फीति होगी, और इसके रोकने के लिए मुद्रा की वृद्धि की चाल धीमी करनी पड़ेगी । यदि आधिपत्यारो तथा दूसरे यांत्रिक मुद्यारो अथवा साधनों की कार्य-कुशलता में मुद्यारो के कारण उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है तो ऐसी दशा में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि कीमतों में कमी भयकर नहीं है । यदि परिवहन में सुधार होने से व्यापार में उन्नति होगी है तो बड़े हुए व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुद्रा की मात्रा बढ़ानी होगी । यदि व्यापार में संकटन होता है तो मुद्रा की मांग घट जाएगी । अधिकारियों को इसका भी ध्यान रखना होगा और कुछ प्रतिकारत्मक उपाय (Compensatory measures) करने होंगे । इनको एकाधिकारियों पर भी नियन्त्रण रखना होगा ताकि कीमतें उचित स्तर पर रहे । संकटन में इनको मुद्रा की पूर्ति स्थिर रखने की अपेक्षा कीमत-स्तर पर ध्यान रखना होगा । कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव बचाने ही होंगे ।

यह नीति फलोत्पादक कैसे हो सकती है ? कागज पर सिद्धान्त सरल मालूम होता है और तटस्थ मुद्रा नीति सीधी दिखाई देती है । पर वास्तव में इसमें बहुत सी उलझनें हैं । यह सिद्धान्त गलती से यह मान लेता है कि व्यापार चक्र को निर्धारित करने वाली बातें मुख्यतः मुद्रा नीति से सम्बन्धित हैं । कीमत स्तर, उत्पादन मात्रा तथा रोजगार पर प्रभाव डालने वाले साधन इतने भिन्न हैं कि किसी प्रकार की मुद्रा व्यवस्था उनमें स्थिरता नहीं ला सकती । आधुनिक अर्थशास्त्री यह मानने को तैयार नहीं हैं कि व्यापार चक्र केवल मुद्रा नीति से प्रभावित होते हैं । इस प्रकार तटस्थ मुद्रा नीति में बहुत सी कमियाँ हैं ।

तटस्थ मुद्रा-नीति कीमत स्थिरता नीति से कहाँ तक भिन्न है? तटस्थ मुद्रा-नीति तथा कीमत-स्थिरता नीति में भेद करने के लिए हम को दो कीमत-स्तरों का ध्यान रखना चाहिए, एक सामान्य (general) कीमत स्तर, और दूसरा सापेक्ष (relative) कीमत स्तर । एक तरह से इन दोनों नीतियों का उद्देश्य एक ही है । दोनों मुद्रा को तटस्थ बनाना चाहते हैं, और यह चाहते हैं कि वह एक ऐसा कार्य करे कि यदि कोई भी आर्थिक परिवर्तन हो तो मुद्रा का दोष न माना जाय । दोनों का उद्देश्य आर्थिक परिवर्तनों के एक मुख्य कारण को हटाना है । दोनों का अन्तर यह है । कीमत-स्थिरता की नीति का उद्देश्य सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तनों को रोकना है ताकि मुद्रा हिसाब की इकाई की तरह तटस्थ रहती है । तटस्थ मुद्रा नीति का उद्देश्य सापेक्ष कीमतों के ढाँचे को स्थिर रखना है । इस उद्देश्य के लिए यह मुद्रा की कुल मात्रा की व्यवस्था करना चाहती है ताकि मुद्रा विनिमय का एक माध्यम होते हुए अर्थ व्यवस्था में कोई गड़बड़ न डाल सके ।

१०. मुद्रा नीति के उद्देश्य (Objectives of Monetary Policy)¹—
मुद्रा नीति के कई उद्देश्य बताए गए हैं इनमें से हम मुद्रा के प्रवाह के निम्नलिखित
साथ उद्देश्यों को बता सकते हैं—

- (१) विनिमय स्थिरता,
- (२) कीमत स्थिरता,
- (३) तटस्थ मुद्रा; तथा
- (४) आर्थिक स्थिरता ।

कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो विदेशी विनिमय की दर को स्थिर रखना अधिक
महत्वपूर्ण समझते हैं । विदेशी व्यापार के लिए यह एक महत्वपूर्ण मुविधा होगी और
यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के जोखिम को कम कर देगी । विनिमय स्थिरता के बारे
में हम अगले अध्याय में विवेचन करेंगे ।

इस अध्याय में हम कीमत-स्थिरता की समस्या का विवेचन कर चुके हैं ।
कीमतों में तीव्र परिवर्तन अर्थ-व्यवस्था पर विघ्नकारी प्रभाव डालते हैं । इसके
प्रतिग्नित बड़े कुछ लोगों को कष्टदायक होते हैं तथा कुछ को लाभ पहुँचाते हैं ।
परन्तु एक दृढ़ता-पूर्वक बंधा हुआ कीमत-स्तर न तो सम्भव ही है और न उचित ।

हमने तटस्थ मुद्रा नीति तथा उसकी सीमाओं का अभी विवेचन किया है और
हम समझते हैं कि हम उसकी मुद्रा नीति के उचित उद्देश्य के रूप में सिफारिश नहीं
कर सकते ।

मुद्रा नीति का सबसे उचित लक्ष्य आर्थिक स्थिरता है । इससे ऐसा आर्थिक
विकास हो कि पूर्ण अर्थ-व्यवस्था शान्तिपूर्वक चल सके । संयुक्त राज्य फेडरल रिजर्व
सिस्टम (U S Federal Reserve System) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (Board of
Governors) ने आर्थिक स्थिरता की परिभाषा इस प्रकार की है "देश की उत्पादन-
शक्ति तथा श्रम का ऐसा प्रयोजन (employment) जो लगातार रह सके ।"
इस लक्ष्य को हम राष्ट्रीय साधनों की अधिकतम उपयोगिता भी कह सकते हैं । मुद्रा
नीति के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए बोर्ड ने यह निर्णय दिया है "बोर्ड विश्वास करता
है कि सार्वजनिक नीति का उद्देश्य कीमत स्थिरता की अपेक्षा आर्थिक स्थिरता होता
चाहिए । इसका दृढ़ विश्वास है कि यह उद्देश्य केवल मुद्रा नीति से नहीं प्राप्त किया
जा सकता परन्तु मुद्रा नीति तथा सरकार की दूसरी बड़ी नीतियों के एकीकरण से
यह प्राप्त किया जा सकता है, जिनका प्रभाव व्यापारिक क्रियाओं तथा कर, व्यय,
उधार, विदेशी विनिमय, सेतो तथा श्रम से सम्बन्धित विशेष नीतियों पर पड़ता
है ।"² देश के आर्थिक जीवन की स्थिरता पर मुद्रा नीति का क्या प्रभाव पड़ता है
इसका अगले अध्याय में विवेचन किया जाएगा ।³

¹ For detailed discussion See Chandler, L. V.—An Introduction to
Monetary Theory 1930, Ch. vii;
Durbu, E. F. M.—The Problem of Credit Policy, 1935
Gayer A. D.—Monetary Policy and Economic Stabilization, 1937
Royal Institute of International Affairs—The Future of Monetary Policy
1933, Ch. XLII

² International Currency Experience, 1954 pp. 109-110

³ Chapter XLI.

निर्देश पुस्तकें

- Whittlesey, C R Money and Banking, 1948, Ch. XXV
 Halm, G N Monetary Theory, 1946 Ch. 8
 Keynes, J M Essays in Persuasion
 Layton, W, and Crowther, G Introduction to the Theory
 of Prices
 Cannan, E Money, 1935, Part I, Chs II and III
 Crowther, G An Outline of Money, 1950, Ch III
 Cole, G D H Money, Its Present and Future
 Brij Narain Money and Banking (S Chand and Co)
 DeKock Central Banking, 2nd Edition (1946)
 Fisher, Irving The Purchasing Power of Money, 1926,
 Chs IX and X
 " " The Making of Index Numbers, 1923
 Laughlin, J L Money, Credit and Prices, Vol II, Chapter
 XXIV.
 Keynes J M Monetary Reform, 1924, Chapters I and II
 " " A Treatise on Money, 1950, Vol. I, Chapters
 IV, V and VI
 Robertson, D H Money, 1935, Chapter I
 Benham, F Economics, Chapter XXIV
 Coulborn, W A H A Discussion of Money, 1950, Chapter
 XII

अध्याय ३४

साख

(Credit)

१ साख क्या है ? (What is Credit ?)—मुद्रा के रूप बताते समय हमने साख अथवा बैंक मुद्रा की ओर संकेत किया था । साख का अर्थ किसी मनुष्य के प्रति 'सच्चाई, चरित्र की पवित्रता, योग्यता तथा गुण' पर आधारित अच्छे विचार से होता है । साख से किसी व्यक्ति का धन देने की इच्छा तथा योग्यता में विश्वास का अभिप्राय माना जाता है । किसी मनुष्य की साख तीन बातों पर निर्भर रहती है—चरित्र, योग्यता तथा पूंजी । इन सब गुणों के मयोग से साख का निर्माण होता है । जो व्यक्ति अपनी साख बनाना चाहता है उन दूसरे मनुष्यों से व्यवहार में निष्कपट तथा न्याय युक्त होना चाहिए, उमम इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह व्यवसाय को सफल बना सके, तथा वह व्यक्ति धनी हो । इस प्रकार साख कृपों का विनोय गुण होता है ।

२ साख पत्र (Credit Instruments) - आधुनिक व्यवसाय में साख का बहुत बड़ा महत्त्व है, और यह साख पत्र के प्रयोग द्वारा होता है । साख पत्र कई प्रकार के होते हैं जैसे खाता साख (Book Credit), बचन पत्र—वचन (Promissory Note), विनिमय हुडियाँ (Bills of Exchange), बैंक नोट (Bank Note), चेंक (Cheque) और ड्राफ्ट (Draft) आदि ।

बैंक नोट (Bank Note)—य साधारणतया साख पत्र तभी कहनाते हैं जब कि वे किसी साधारण बैंक द्वारा सरकार की आज्ञा से चालू किए गए हों । अब केवल एक बैंक को जिसे केंद्रीय बैंक कहते हैं नोट चलाने का एकाधिकार प्राप्त है । ये नोट मुद्रा के समान हैं साख पत्र नहीं ।

बचन पत्र या वचन (Promissory Note)—यह सब से सरल साख पत्र होता है । इस में क्रेता द्वारा विक्रेता को मुद्रा की निश्चित राशि प्राप्त कीमत के बदले में देने की प्रतिज्ञा होती है । ऐसा प्रलेख निजी वाणिज्य व्यवहार में प्रयोग किया जा सकता है । विनिमय पत्र केवल वाणिज्य व्यवहार में प्रयोग किए जाते हैं ।

विनिमय पत्र (Exchange Bills)—यह एक आदेश होता है जिसका भुगतान माँगने पर (On demand) अथवा निश्चित भविष्य में करने को सामान्यतः ऋणदाता द्वारा कृपणी, या खरीदार को किया जाता है, जिसमें खरीदार को यह आज्ञा होती है कि वह मुद्रा को उम मात्रा का भुगतान ऋणदाता या वाहक (Bearer) अथवा निर्दिष्ट किए हुए तीसरे व्यक्ति को करे ।

किसी हुडी का बड़ा उस पर अंकित मूल्य पर जितने समय तक पत्र की आवश्यकता होना है, प्रचलित दर पर व्याज या बट्टे का अनुमान लगाकर, अंकित मूल्य

से घटाकर बिया जाता है। यह वह कीमत है जिस पर बिल रखने वाला किसी समय बिल को बेच सकता है।

विनिमय पत्र (bill of exchange) का रूप साधारणतया इस प्रकार होता है :—

£ 100

Delhi

July 15, 1959.

Three months after the date pay to the Order of the State Bank of India Ltd £ 100 for value received

F Jones & Sons

G Lall,

London

जी० लाल ने दिल्ली से लन्दन के एफ० जॉन्स एण्ड सन्स को १०० पाँड के मूल्य के बराबर वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात किया है। बिल, १५ जुलाई, १९५९ से तीन महीने तथा तीन दिन के पश्चात् अथवा १८ अक्टूबर, १९५९ को परिपक्व हो जायगा। इस समय में यह एक पक्ष से दूसरे पक्ष को पृष्ठांकन (endorsement) के पश्चात् जा सकता है।

बिल के चलन का क्षेत्र स्वीकर्ता (acceptor) की साख पर निर्भर करता है। लोग अपने बिल या हुड्डियों को अच्छी फर्म जो इस व्यवसाय में विशेषोपयुक्त होती है, द्वारा स्वीकार कराते हैं और इस प्रकार अपने बिलों को बड़े क्षेत्र में चलने के योग्य बनाते हैं।

विनिमय पत्र व्यवसायी को दिना नकद भुगतान के वस्तुओं को त्रय करने के योग्य बनाता है। इसके पहले कि बिल परिपक्व (mature) हो वस्तुओं को बेच कर तथा मुद्राओं को पाकर दायित्व को पूरा किया जा सकता है। अतएव बिना अत्रिक पूर्ण के उपयोग के व्यापार किया जा सकता है। दूसरी ओर यह विधि निर्यातकर्ता (विक्रता) को, हुण्डी पर बट्टा काट देने के पश्चात् यदि वह मुद्रा तुरन्त चाहता है, तुरन्त मुद्रा प्राप्त करने के योग्य बनानी है। दूसरे, विनिमय बिल देशों के बीच बहुमूल्य धातु के परिवहन व्यय को बचाता है। अतएव यह अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की सस्ती तथा सरल विधि है। तीसरे, विनिमय बिल हर निर्यातकर्ता को अपने देश की मुद्रा में निर्यात का भुगतान पाने के योग्य बनाता है। इस प्रकार विदेशी व्यापार के वित्त पोषण में विनिमय पत्र बहुत महत्वपूर्ण है।

इसके प्रतिरिक्त तरल निधि (liquid funds) के विनियोग (investment) के लिए विनिमय बिल एक अत्यन्त साधारण विधि है। यदि वह (प्रायातकर्ता) मुद्रा चाहता है, तो वह विनिमय पत्र को सदैव किसी भी बैंक से भुना सकता है। यह विधि बैंक द्वारा साधारणतया अपनी संचित तरल निधि को नकद के रूप में रखने के लिए प्रयाग में लाई जाती है। बैंक विनिमय पत्र को केन्द्रीय बैंक से पुनः भुना सकते हैं।

हुण्डी—भारतवर्ष में बहुत समय से विनिमय पत्रों का प्रयोग होता रहा है। इसको हुण्डी कहते हैं। हुण्डी आन्तरिक विनिमय-पत्र होता है। यह आन्तरिक व्यापार

की अर्थ-व्यवस्था तथा मुद्रा के नुगतान में सहायता देता है। टूण्ड्री दो प्रकार की होती है - (i) दर्जनी टूण्ड्री—जो करीब करीब चैक की तरह होती है और उसको तुरन्त नांगने पर नुगतान करना होता है। (ii) मूढ़नी टूण्ड्री—जिसका एक निश्चित समय के परचात् नुगतान करना होता है। यह विनिमय बिल की भाँति होती है।

चैक—चैक बैंक पर द्राफ्ट, जिसने उस बैंक में मुद्रा जमा की हो, नांगने पर चैक के ले जाने वाले अथवा उसके आदेश पर, निश्चित किया हुआ नुगतान करने की आज्ञा देता है। पहले प्रकार के चैक को वेयरर चैक और दूसरे प्रकार के चैक को आर्डर चैक कहते हैं। जब चैक भौंसा होता है (अर्थात् उसके एक किनारे पर दो समानान्तर रेखाएँ खींची जाती हैं) तो उसका नुगतान उसके खाते में; जिसके हक में चैक लिखा जाता है या उसके आदेश पर दूसरे व्यक्ति के खाते में किया जाता है। ऐसा चैक प्रत्यक्ष रूप से नुनाया नहीं जा सकता। वेयरर चैक भौंसा होता और इसलिए उसको कोई भी भुना सकता है। यदि यह "आर्डर चैक" है, तो सही व्यक्ति को नुगतान देने का उत्तरदायित्व बैंक पर होता है।

ड्राफ्ट (Draft)—एक बैंक द्वारा दूसरे पर धनादेश की आज्ञा को ड्राफ्ट कहते हैं। यह धन देय के बैंक के लिए अथवा विदेशी बैंक के लिए जिसका नुगतान विदेशी मुद्रा में होता है, हो सकता है।

३. समाशोधन गृह (Clearing House)—यह ऐसी संस्था है, जिसमें अनेक बैंकों पर दिए गए बैंकों को एक दूसरे के विपरीत गृह (cancellation) किया जाता है तथा केवल शेष (balance) का नुगतान होता है। समाशोधन गृह का कार्य-संचालन नीचे दिए हुए उदाहरण में स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि कुल ४ बैंक अ, ब, स, द हैं जिनका हिसाब एक समाशोधन गृह द्वारा किया जा रहा है। हर एक बैंक अपना एजेंट बैंकों की निवासी (clearance) के लिए भेजता है।

यह भी मान लीजिए कि किसी समय इन बैंकों के परस्पर दावे (claims) इस प्रकार हैं—

बैंक अ—बैंक ब के नाम चैक देता है=	५,०००	₹०
बैंक स के " " " =	४,०००	₹०
बैंक द के " " " =	२,०००	₹०
योग=	११,०००	₹०

बैंक ब—बैंक स के नाम चैक देता है=	५,०००	₹०
बैंक द के " " " =	१,०००	₹०
बैंक अ के " " " =	४,०००	₹०
योग=	१०,०००	₹०

बैंक स—बैंक द के नाम चैक देता है=	५,०००	₹०
बैंक अ के " " " =	६,०००	₹०
बैंक ब के " " " =	२,०००	₹०
योग=	१३,०००	₹०

बैंक द—बैंक अ के नाम बैंक देना है=	३,००० रु०
बैंक ब के " " " =	१,००० रु०
बैंक स के " " " =	५,००० रु०
योग=	९,००० रु०

सभी बैंकों के द्रव्य का जोड़ जिसका हिसाब तै करना है, ४४,००० रु० है। यदि प्रत्येक बैंक के समाकलन तथा विकलन (Credit and Debit) को देखें, तो स्थिति इस प्रकार होगी।

		(Credit)	(Debit)	शेष (Balance)
बैंक	—	समाकलन	विकलन	+ या —
अ	—	११,००० रु०	१३,००० रु०	—२,००० रु०
ब	—	१०,००० ,,	९,००० ,,	+ १,००० ,,
स	—	१४,००० ,,	१४,००० ,,	×
द	—	९,००० ,,	५,००० ,,	+ १,००० ,,

अतएव यदि बैंक अ, बैंक ब को १००० रु० और द को १००० रु० दे दे तो सारा हिसाब ठीक हो जाएगा। (४४०००) रु० का हिसाब केवल (२०००) रु० के दे देने से हो जाता है। यह भी भुगतान नकद नहीं किए जाते बल्कि केन्द्रीय बैंक को चेक देकर किए जाते हैं। इस प्रकार यह लाभ वित्तपरिचालन या समाशोधनगृह और बैंक की व्यवस्था द्वारा होता है।

४ साख के विस्तार के कारण (Factors Determining the Volume of Credit)—साख का आशय उधार लेने तथा उधार देने की क्रिया से होता है। कभी-कभी उधार लेने तथा देने की क्रियाएँ बहुत तीव्र होती हैं। यह साख के विस्तार का समय होता है। पर कभी कभी ऋणदाताओं तथा ऋण लेने वालों की कमी हो जाती है। दूसरे शब्दों में, साख की कमी हो जाती है। अतएव साख का विस्तार अथवा उसकी कमी ऋणदाताओं की देने तथा ऋणों के लेने की इच्छा पर निर्भर करती है। यह इच्छा बाह्य स्थितियों पर आधारित रहती है, जिनमें से मुख्यतः यह हैं—

(i) व्यापार की दशाएँ (Trade Conditions)—यदि व्यापार अच्छा है, तो ऋणों उधार लेने को उत्सुक होते हैं। ऋणदाता उधार देने के प्रतिकूल नहीं होते, क्योंकि बड़े-बड़े व्यापार के समय व्याज के दर ऊँचे होते हैं। वह दो हुई मुद्रा के लोटने के बारे में निश्चित होते हैं क्योंकि ऐसे समय में सभी को लाभ होता है। पर मुद्रा के समय साख की कमी हो जाती है। पूँजी भी कम हो जाती है। व्यापारी विनियोग की जोखिम उठाने को तैयार नहीं होते।

(ii) राजनीतिक दशाएँ (Political Conditions)—व्यापार आधुनिक समय में राजनीतिक घटनाओं से बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित होता है। जब युद्ध के बादल छाये होते हैं तो बहुत कम नये व्यवसाय करने का साहस करते हैं। आन्तरिक अशांति के समय भी ऐसा ही होता है। शान्ति तथा सुव्यवस्था साख को बढ़ाती है।

(iii) सट्टेबाजी (Speculative activity)—साख का विस्तार तथा

सर्टिफिकेटों की विमाएँ साथ साथ चलती हैं। जब सर्टिफिकेट का कार्य अक्षय होता है, तो साथ का विस्तार होता है और जब सर्टिफिकेट हानि उठाने लगते हैं, तो साथ की कमी होती है।

(iv) मुद्रा की स्थिति (Currency Conditions)—नाश के विस्तार के लिए मुद्रा की उत्तम प्रणाली अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। जब मुद्रा चलन की दशाएँ ठीक नहीं होतीं, उदाहरणार्थ मुद्रा की मिलावट (debasement) अथवा प्रचलन (depreciation) हो जाता है, तो साथ की कमी हो जाती है।

५. साथ के कार्य तथा उसकी उपयोगिता (Utility and Functions of Credit)—ऊपर के दृष्टान्त ने यह स्पष्ट है कि साथ देश की आर्थिक उन्नति के लिए बहुत से उपयोगी कार्य करती है। इन—

(i) साथ धानु-द्रव्य के उपयोग में बचत करती है। साथ-पत्र सिककों की जगह से लेते हैं और इस प्रकार बहुत से अनावश्यक व्यय में बचत करते हैं।

(ii) यह व्यवसायियों का अधिक ऋण देकर उद्योगों के विकास में सहयोग देती है।

(iii) यह पूंजी की उत्पादन-शक्ति को बढ़ाती है। अनुसंधानी मुद्रा बैंक द्वारा उन लोगों को प्राप्त हो जाती है, जो उनका अच्छे ढंग से उपयोग कर सकते हैं।

(iv) साथ द्वारा बैंक थोड़ी सी रकम तबद में रखकर अधिक उधार दे सकते हैं।

(v) साथ पत्र मुख्यतः विनिमय बिल (bills of exchange) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सुगमता करने में महत्वपूर्ण होते हैं।

६. साथ के जोखिम (Dangers of Credit)—साथ में निम्नलिखित कुछ जोखिम निहित हैं—

(i) साथ अधिवर्धन या साथ-स्फूर्ति (Over-issue of Credit)—मुद्रा अधिकारी स्थिति का ध्यान ले सकते हैं, अथवा बैंक उदारता से उधार दे सकते हैं। ऐसी दशा में कामतों का बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए साथ का अधिवर्धन साथ का सबसे बड़ा जोखिम है।

(ii) साथ में लोग अभिसन्धियाँ हो जाते हैं। एक मनुष्य उधार लिये हुए धन को उतनी सावधानी से व्यय नहीं करता, जितना कि अपने कमाये धन को करता है। लोग अनुचित जोखिम उठाते हैं। अतएव साथ सरकार को तथा अनुसंधानी व्यवसायियों को व्यय व्यय करने की ओर प्रवृत्त करती है।

(iii) साथ ऐसे व्यवसायों का, जिनकी आर्थिक स्थिति अवाञ्छित होती है सहाय्य देने का साधन बन सकती है। किन्तु साथ के सहारे के बिना उनका शीघ्र विनाश हो सकता है। सत्य यह है कि अनाधिक व्यवसायों का विनाश जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है।

(iv) साथ व्यक्तियों तथा संस्थाओं के पास उनकी इच्छानुसार व्यय करने के लिए बहुत-सी पूंजी का प्रवण्य कर देती है। इस प्रकार बहुत बड़ी-बड़ी व्यवसाय

संस्थाओं का जन्म होता है । और उनमें उपभोक्ताओं व श्रमिकों के शोषण तथा व्यापारिक लेन-देन व अनुचित रीतियों के प्रयोग का भय होता है ।

७ साख तथा कीमतेँ (Credit and Prices)—साख कीमत पर किम प्रकार प्रभाव डालती है ? यह विवाद सम्बन्धी विषय है । मित (Mill) तथा उसके कुछ अनुयायियों ने इस पर जोर दिया कि साख कीमत पर उसी प्रकार प्रभाव डालती है जिस प्रकार नकदी प्रभाव डालती है, क्योंकि साख नकदी की ही तरह क्रय-शक्ति रखती है । दूसरी ओर अमरीकी अर्थशास्त्री वाकर (Walker), लाघ्लिन (Laughlin) आदि का मत था कि साख का कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होता । यह दोनों विचार दो अलग-अलग सीमाओं पर हैं, अतएव पूर्ण सत्य नहीं हैं । सत्यता तो इन दोनों के बीच में है । यदि साख पत्र नकद मुद्रा के स्थानापन्न (Substitute) है तो उनका प्रभाव कीमत पर नकदी के समान होगा । वास्तव में लोगों का विश्वास साख पत्र के बजाय नकद मुद्रा पर अधिक होता है । अतएव बैंक सदैव अपने पास माँग को पूरा करने के लिए कुछ अनुपात में नकद मुद्रा रखते हैं । जब साख का विस्तार होता है तो परिचालन से सचित नकदी का कम करने के लिए कुछ मुद्रा वापस कर ली जाती है । इसलिए कीमत उतनी नहीं बढ़नी जितनी कि नकद के वापस न करने पर बढ़ सकती है । परन्तु विस्तृत साख की मात्रा की अपेक्षा बहुत कम मात्रा में नकद मुद्रा वापस की जाती है । साख की यह स्फीति यदि ठीक तरह से रोकी न जाए तो मूल्य में वृद्धि करती है, और यही साख की जोखिम है, अर्थात् उसका अत्यधिक विस्तार ।

निर्देश पुस्तकें

Balogh T —Financial Organisation

Sayers, R S —Modern Banking

अध्याय ३५

बैंकिंग या अधिकोषण

(Banking)

१ बैंकों का विकास (Evolution of Banks)—बैंक वास्तव में एक ऐसी संस्था है जो द्रव्य या मुद्रा का व्यापार करती है। स्पष्ट रूप से बैंक उन लोगों से आधिनय द्रव्य (surplus money) खींचते हैं, जो उस समय उसे प्रयोग में न ला रहे हों, और जो लोग उसे उत्पादक कार्यों में लगा सकते हैं, उन्हें ऋण देते हैं। आधुनिक बैंकों ने छोटी स्थिति से विशाल उन्नति की है। प्राचीन साहूकार सुनार थे। योरोप में वे मुद्रा की धदन-बदल करते थे। ये एक प्रकार के द्रव्य को दूसरे प्रकार के द्रव्य के साथ बदलते थे। क्योंकि वे मूल्यवान् धातुओं का व्यापार करते थे, उनको अपने गोप की रक्षा करने की व्यवस्था करनी पड़ती थी। धीरे-धीरे लोग, जिनके पास मुद्रा या सोना अधिक होता था, अपनी मूल्यवान् धातुओं को ऐसे व्यक्तियों के पास जमा करने लगे। यह धारि रूप में निक्षेप अधिकोषण (deposit banking) का प्रारम्भ था। वे सुनार धातुओं के जमा करने पर रसीदें दिया करते थे। चूंकि हरेक व्यक्ति उनकी ईमानदारी पर विश्वास करता था, इसलिए समय बीतने पर अनुभव होने से ये रसीदें धीरे-धीरे पहले सोने में परिवर्तित किए हुए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास लेन-देन का भुगतान करने के लिए प्रयोग होने लगीं। ये रसीदें ही प्रादि बैंक के नोट थे।

क्रमशः, वैज्ञानिक कारोबार व्यक्तियों से समुक्त स्कन्ध संस्थाओं (joint stock concerns) के पास चला गया। कुछ समय के बाद राज्य ने हर बैंक को नोट छापने की स्वतन्त्रता देने में खतरे का अनुभव किया। धीरे-धीरे नोट छापने का काम साधारण बैंक से ले लिया गया और विशेष नियमों के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंको को सौंप दिया गया।

इसी बीच बैंकों ने क्रय शक्ति के निर्माण करने की नई विधियां निकालीं। उन्होंने अपने ग्राहकों को उनकी जमा पर बैंक काटने की स्वतन्त्रता दे दी। यह जमा आवश्यक रूप से वह धन ही नहीं था जो ग्राहकों द्वारा वास्तव में "जमा किया गया था"। ये जमा बैंक द्वारा अधिविकर्षण (overdraft) की सुविधा देकर या जमागत पर ऋण देकर उत्पन्न किए जा सकते थे। जब तक कि बैंक नकद रिजर्व (cash reserves) के सुरक्षित अनुपात पर विश्वास रख सकता था, उस समय तक वह ऋण या अधिविकर्षण (overdraft) की सुविधा देकर साह को एक ऊँचे सिखर तक पहुँचा सकता था।

२ बैंकों के भेद (Kinds of Banks)—बैंकों में उनके विभिन्न कार्यों के क्षेत्रों से सम्बन्धित विशेष उन्नति हुई है। विभिन्न प्रकार के बैंकों में अधिकोषण के

विभिन्न क्षेत्रों में विशेषीकरण अर्जित किया है। मुख्य प्रकार के बैंक नीचे दिए जाते हैं—

(i) व्यवसायी बैंक (Commercial Banks)—य बैंक विशेषकर आन्तरिक व्यापार की अर्थ-व्यवस्था करने में लगे हुए हैं तथा और भी साधारण साहूकारा व्यवसाय, जैसे कि जमा रखना, ऋण देना और हुण्डी का लेन देन करना करते हैं।

(ii) औद्योगिक बैंक (Industrial Banks)—य सस्थाएँ उद्योग धर्मों को वित्तीय सहायता देने में लगी होती हैं। जो व्यक्ति उद्यमी वा कार्य करते हैं, उनको ये दीर्घ काल के लिए ऋण देती हैं।

(iii) कृषि बैंक (Agricultural Banks)—इस प्रकार के बैंक दीर्घकाल और अल्पकाल के लिए खेती के लिए ऋण देते हैं। दीर्घकालीन पूंजी की, भूमि प्राप्त करने और उसकी उन्नति करने के लिए तथा भारी मशीनों खरीदने के लिए आवश्यकता होती है। अल्पकालीन पूंजी की आवश्यकता बीज, खाद मजदूरी आदि के चालू व्यय के लिए होती है। भारत में इन प्रकार के बैंको न अल्पकालीन उधार देने के लिए सहकारी समितियों (co operative societies) का रूप ग्रहण किया है और दीर्घकालीन उधार के लिए भूमि-बन्धक बैंको (Land Mortgage Banks) का।

(iv) विनिमय बैंक (Exchange Banks)—इन बैंको का विशेष काम विनिमय-पत्र, ड्राफ्ट, तार द्वारा विदेशी मुद्रा का संचार बल्कि विदेशी मुद्रा के स्वत्व वा क्रय और विक्रय करना है।

(v) बचत बैंक (Savings Banks)—य सस्थाएँ साधारणतया छोटी पूंजी के व्यक्तियों को धन संचित करने में सुविधा देती हैं। भारत में डाकखाने इन कामों को करते हैं। हाँ, दूसरे बैंक भी अल्प बचतों को जमा करते हैं।

(vi) केन्द्रीय बैंक (Central Bank)—किसी देश की बैंकिंग व्यवस्था में केन्द्रीय बैंक सबसे अधिक महत्वपूर्ण सस्था है। वास्तव में यह प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से अन्य समस्त बैंको को कारंदाइयों का नियन्त्रण करता है।

३ साधारण बैंकिंग कार्य (General Banking Functions)—स्पष्ट रूप में तीन ऐसे कार्य हैं जो कि बैंक (केन्द्रीय बैंको के प्रतिरिक्त) करते हैं (क) जमा रखना (holding deposits), (ख) ऋण देना (advancing loans); तथा (ग) अधिपत्रा का पूर्व प्रापण या हुण्डिया का भुनाना (discounting bills)।

(क) बचत को जमा रखना (Holding Deposits)—यह कार्य महत्वपूर्ण है क्योंकि बैंक विशेषकर उन जमा की रकमों पर निर्भर करते हैं जिनको कि जनता ने उनके पास जमा कर रखा है। निक्षेप तीन प्रकार के हैं—

(i) चालू खाते (Current Deposits) में जमा की हुई रकमों पर बैंक साधारणतः कोई ब्याज नहीं देता। वे बैंक के द्वारा एक अंश में या पूर्ण रूप से बैंक से किसी समय भी निकाले जा सकते हैं। (ii) मियादी जमा (Fixed Deposits) इसलिए ऐसे कहे जाते हैं क्योंकि वे एक निर्धारित समय के लिए बैंक के पास रहते हैं जिसके व्यतीत होने के पहले वे बिना उचित सूचना दिए निकाले नहीं जा सकते। ऐसी जमा की रकमों पर बैंक अधिक ब्याज देता है। (iii) सेविंग्स या बचत के खाते

में जमा की हुई रकम सप्ताह में एक या दो बार निकाली जा सकती है। और फिर भी सप्ताह में प्राय १,००० रु० से अधिक बचत के खाते में से नहीं निकाला जा सकता।

वास्तव में किसी विशेष समय पर जमा रकम का केवल एक छोटा भाग ही निकाला जाता है। परन्तु क्योंकि ग्राहक जमा वापिस ले सकते हैं और कभी-कभी लेते भी हैं, इसलिए बैंक को अपनी प्राप्तियों (Assets) के एक भाग को तरल नकदी में रचना पड़ता है। चाको सब विविध काम के लिए उधार दिया जा सकता है। भव हम बैंकों के दूसरे कार्यों पर घाले हैं।

(रा) ऋण देना (Advancing Loans)—इस दिशा में बैंक को सबसे अधिक उत्तरदायित्व लेना पड़ता है। बैंक ऋण देकर लाभ उठाता है। परन्तु बैंक दूसरे व्यक्तियों के धन से व्यापार करता है, जो किसी भी समय निकाला जा सकता है। उधार देने और बचत को जमा रखने में बलि विचार निर्णय की आवश्यकता रहती है। बैंकों को चाहिए कि अपनी तरलता स्थिति (liquidity) और लाभों के बीच उचित सामञ्जस्य बनाए रखें। यदि बैंक अपनी समस्त प्राप्तियों को तरल या नकद रूप में रखेंगे तो उन्हें लाभ कम होगा। इनके विपरीत यदि बैंक बहुत अधिक लाभ कमाना चाहेंगे तो शायद वे जमा करने वालों की माँगों को पूरा न कर सकें। अतः बैंकों को तरलता और लाभ दोनों में उचित सामञ्जस्य बनाए रखना चाहिए।

यह ध्यान पूर्वक देखना चाहिए कि बैंक केवल उमो रकम को उधार नहीं देता जो कि वास्तव में ग्राहक द्वारा जमा की गई है। बैंक स्वयं जमा की उत्पत्ति करता है और इस प्रकार वह उधार दी हुई रकम को जमा की हुई रकम से कहीं अधिक बना लेता है। अपने को सन्तुष्ट करके वह कार्य जिसके लिए ऋण की आवश्यकता है ग्राहक दृष्टि में उचित है, और जमानत आदि के द्वारा पूर्व सचेत होकर बैंक अपने ग्राहक को चैक देने का अधिकार दे देता है। सम्बन्धित व्यापारी का ऋण इस प्रकार उसके खाते में जमा हो जाता है। यदि ग्राहक एक चैक या कई चैकों द्वारा इस रकम को निकाल लेता है, तो उसका भुगतान किसी न किसी को कर दिया जाता है। वह चैक उस देश या प्रदेश के उसी बैंक या दूसरे बैंकों के पास फिर आ जाते हैं। वे उन व्यक्तियों को खाते में जिनको कि भुगतान किए गए थे, जमा के रूप में आ जाते हैं। इसका अर्थ हुआ “ऋण जमा को उत्पन्न करते हैं।” वर्तमान काल में रोड के जमा साक्ष के जमा में परिवर्तित हो गये हैं।

(ग) हंडियों का भुनाना या पूव प्रत्यण (Discounting of Bills)—व्यावहारिक दृष्टि से हंडियों को भुनाना या पूव प्रत्यण का अर्थ है अल्प-काल के लिए उधार देना। उदाहरण के लिए, व्यापारी, जो व्यापार-कार्य में बड़ी रकम फँसना नहीं चाहता, अपने ऋणों पर हण्डी कर सकता है और जब वह उसके ऋणों द्वारा या उसकी ओर से स्वीकृत हो जाए तब वह अपने बैंक द्वारा उसे भुना सकता है। इससे व्यापारी को ध्यान और बैंक के कर्मियों को निकाल कर बचो हुई रकम तुरन्त मिल जाती है। हण्डीमा साधारणतया तीन महीने के लिए होती है। और जब वे पूरी हो जाती हैं तो बैंक उनके अंकित मूल्य को वसूल कर लेता है। इस प्रकार बैंक व्यापार को सुविधा देने के अतिरिक्त लाभ भी उठाता है। ये बिल अल्पकाल में पूरे हो जाते हैं

और आवश्यकता पठने पर उनका पुनः पूर्व प्रापण हो सकता है। यह बैंक की सम्पत्ति (assets) के एक भाग को तरल अवस्था में रखने की एक साधारण युक्ति है। बैंक हण्डियों के लेन-देन को एक अति उत्तम विनियोग (investment) समझते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है बैंक का उत्तम संचालक एक बिल या हण्डि (bill) और बन्धक (mortgage) के अन्तर को जानता है। आधुनिक काल में हण्डि बाजार में व्यापार विपत्रो (trade bills) का उतना महत्त्व नहीं है जितना कि खजानो के विपत्रो (Treasury bills) का है।

बैंको के मुख्य कार्यों का संचालन एक वाक्य में किया जा सकता है।

बैंक ऋण देने के लिए उधार लेते हैं—वे जमा के रूप में उधार लेते हैं। (क) मियादो जमा (Fixed Deposits), (ख) सेविंग बैंक जमा (Savings Bank Deposits), तथा (ग) चालू खाते में जमा (Current Deposits)। बैंक तीन प्रकार से उधार देते हैं—(क) विवृत लेखा या अधिविकपण पर (On Open Account or Overdraft), (ख) रोकड़ साख के आधार पर ऋण (Loans on Cash Credit Basis), और (ग) बिल या हण्डियों का भुनाना (Discounting of Bills)।

४ साख का निर्माण और उसकी परिसीमाएँ (Creation of Credit and its Limitations)—साख का निर्माण आधुनिक बैंक के उच्चतम कार्यों में से एक है। देखना चाहिए कि साख निर्माण या उत्पादन का क्या अर्थ है ?

साख निर्माण क्या है? (What is Credit Creation?)—यह एक प्रत्यक्ष रहस्य है कि बैंक ग्राहको की माँगो की पूर्ति करने के लिए जमा के हिसाब से अतःप्रतिशत सुरक्षित कोष (reserve) नहीं रखते। बैंक कोई सामान रखने की जगह (cloak room) नहीं है, जहाँ कि आप अपने नोट (Currency Notes) या मुद्राएँ रख सकें और जब चाहे तब उन्हीं नोटो (Currency Notes) या मुद्रामो को वापस ले लें। सामान्यतः यह समझा जाता है कि बैंक में आया हुआ धन दूसरो को देने के लिए है। एक जमा करने वाले को, बैंक की केवल इस प्रतिज्ञा पर कि वह माँगने पर भुगतान कर देगा, सतोष करना पड़ता है। बैंक यह कार्य बहुत ही छोटे सुरक्षित कोष द्वारा कर लेते हैं क्योंकि सब ग्राहक अपना धन एक साथ नहीं निकालने आते। एक ही समय में कुछ निकालते हैं, ता कुछ जमा करते हैं। इस प्रकार बैंक एक छोटी रोकड़ संचिति (cash reserve) के द्वारा साख का बहुत विशाल भवन निर्माण करने में सफल होता है। बैंक वगैर रोकड़ अलग किए धन उधार देने में और उस पर व्याज लेने में समर्थ होता है और जैसा कि हमने ऊपर देखा है, बैंक का ऋण एक जमा का निर्माण करता है। वह उधार लेने वाले के लिए साख का निर्माण करता है।

इसो प्रकार बैंक सिक्कोरिटियाँ या प्रतिभूतियाँ खरीदता है और बिक्रेता को अपने बैंक द्वारा ही भुगतान करता है, जो रोकड़ नहीं होती, यह रोकड़ देने की केवल एक प्रतिज्ञा होती है। बैंक किसी बैंक में जमा कर दिया जाता है और सिक्कोरिटि के बिक्रेता के लिए साख की उत्पत्ति कर दी जाती है। इसको साख की उत्पत्ति या साख का निर्माण कहते हैं।

साख का निर्माण कैसे होता है ? (How is Credit Created ?)—जैसा

कि ऊपर संकेत किया गया है, दो ऐसी रीतियाँ हैं जिनके अनुसार बैंक साख का निर्माण करता है। (i) रोकड़ साख (Cash Credit) के आधार पर ऋण देकर या जमा से अधिक रकम तयार देने (Overdraft) की व्यवस्था करके, और (ii) सिक्कोरिटियाँ खरीदकर तथा उनका भुगतान अपने ही बैंक द्वारा करके।

इन दोनों व्यवस्थाओं में जमा की उत्पत्ति होती है या ऋणों के लिए साख की उत्पत्ति होती है और बैंक की साख किसी निश्चित लेन-देन में लगा दी जाती है। बहुत थोड़ी-सी रोकड़ संचित (cash reserve) लेन-देन के दायित्व को पूरा करने के लिए बैंक में रखी जाती है। इस प्रकार उत्पन्न की हुई साख एक बहुत बड़ी रकम के बराबर हो जाती है।

परिमितताएँ या परिसीमाएँ (Limitations)—साख-उत्पत्ति के उपर्युक्त वर्णन से, यह मान्य हो जाता है कि ‘बैंक बिना कुछ बोध ही फल प्राप्त करते हैं।’ वह बिना नकद दिए हुए उधार देते हैं या प्रतिभूतियाँ (securities) खरीदते हैं। और उसी प्रकार वे अपने दिए हुए ऋण पर व्याज लेते हैं और खरीदी हुई प्रतिभूतियाँ (securities) पर लाभांश (dividends) प्राप्त करते हैं। यह अति मार्करूपक है कि वह बिना नकद लगाए लाभ प्राप्त करते हैं। यह बैंक द्वारा निर्मित साख का जादू है, जो काम करता है। बैंक सचमुच, जितना अधिक सम्भव हो सकता है, उतना अधिक लाभ उठाना चाहेंगे। परन्तु वह अनिश्चित काल के लिए साख का विस्तार नहीं कर सकते। परन्तु अपने ही हित में अपनी ही रक्षा के लिए उन्हें रोक लगानी पड़ेगी, और वे लगते भी हैं क्योंकि यह तो सर्वविदित है कि बैंकों के लाभ बहुत अधिक नहीं होते। सबसे बड़ी परिमितता या परिसीमा यह है कि बैंक को जमा करने वालों की माँगों के दायित्वों को पूरा करना होता है।

बेनहम (Benham) ने बैंकों की साख उत्पन्न करने की शक्ति की तीन परिमितताएँ या परिसीमाएँ बतलाई हैं—

(i) देश में नकद की कुल रकम; (ii) रकम की मात्रा, जो जनता अपने पास रखना चाहती है, (iii) नकद से जमा का न्यूनतम प्रतिशत जो बैंक सुरक्षित समझते हैं।

जहाँ तक (i) का सम्बन्ध है यह कदा भी सकता है कि नकद के माध्यम पर साख की उत्पत्ति की जा सकती है। नकद अर्थात् विद्यमान्य मुद्रा साख जितनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक साख की उत्पत्ति की जा सकती है। परन्तु नकद रोकड़ की वह रकम जो बैंक के पास है, केन्द्रीय बैंक के नियन्त्रण के अन्तर्गत होती है। हम लोग अगले अध्याय में इस प्रकार के प्रभाव के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ पर यह बतला देना पर्याप्त है कि केन्द्रीय बैंक मुद्रा के निर्गम पर एकाधिकार रखता है। वह उसको बढ़ा सकता है और कम कर सकता है और साख उसी के अनुसार विकसित या सकुचित होगी। केन्द्रीय बैंक की मुद्रा नियन्त्रण शक्ति बैंकों की साख उत्पन्न करने की शक्ति के क्षेत्र पर नियन्त्रणकारी प्रभाव रखती है।

दूसरी सीमा लोगों के नकद रोकड़ के प्रयोग से सम्बन्धित आदतों के कारण होती है। यदि स्वभाव से लोग नकद व्यवहार में सति हैं और बैंक नहीं, जैसे कि

भारत में, तो जैसे ही ऋणी को बैंक साख देता है, वैसे ही वह बैंक का भुगतान करा लेगा और नकद ले लेगा। जब बैंक का नकद इस प्रकार कम हो जाता है तो उसकी साख उत्पन्न करने की शक्ति भी कमश सकुचित हो जाती है। इसके विपरीत यदि लोग नकद का व्यवहार केवल छोटे मोटे लेन-देन के लिए ही करते हो, तो बैंक की नकद संचित अधिक कम नहीं होती और उनकी साख उत्पन्न करने की शक्ति का भी ह्रास नहीं होता।

तीसरी परिसीमा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसकी उत्पत्ति होती है नकद और दायित्व के परम्परागत संचित अनुपात के कारण जो बैंक को अपनी रक्षा के लिए और उचित मात्रा में द्रवता (liquidity) बनाए रखने के लिए अवश्य रखना चाहिए। यह बहुत ही सीधी-सी बात है कि जब कोई बैंक साख की उत्पत्ति करता है या ऋण देता है, तो वह दायित्व का भार अपने ऊपर लेता है। उसके दायित्व में वृद्धि होती है और उसके फलस्वरूप संचित अनुपात में कमी होती है। बैंक उस अनुपात को एक विशेष न्यूनतम स्तर के नीचे नहीं गिरने देगा। जब यह न्यूनतम स्तर की दशा आ जाती है, तो बैंक की साख उत्पन्न करने की शक्ति का अंत हो जाता है। उस समय और अधिक ऋण देने में जोखिम रहती है, जब तक कि बैंक का अनुभव यह न बता सके कि और अधिक छोटे अनुपात से हानि न होगी। तब वह उसकी परिसीमा हो जाएगी।

इनमें चौथी परिसीमा भी जोड़ी जा सकती है। बैंक बिना आस्तियों (घादेय) के पाए साख का निर्माण नहीं कर सकते। घादेय एक प्रकार का धन होता है। इस प्रकार बैंक केवल गतिहीन धन को गतिशील धन बना देता है। अतएव क्राउथर (Crowther) के शब्दों में, 'बैंक हवा से मुद्रा का निर्माण नहीं करता—यह अन्य प्रकार के धन को मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर देता है।'¹

अतएव संक्षेप में साख के निर्माण के मूल गुण यह हैं कि बैंक को नए रोकड़ रिजर्व मिलें, वे उनको उधार देने को तथा व्यवसायी उधार लेने को तैयार रहे, और उधार लेने वाले कर्ज को वापस न लें, परन्तु बैंक में जमा के रूप में पड़े रहने से सतुष्ट रहे। इसलिए उपक्रमण (initiative) उधार लेने वालों के हाथ है। वास्तव में, निक्षेप (deposit) उधार ली राशि से नहीं बनता बल्कि उस राशि से बनता है जिसे बैंक से नहीं निकाला जाता।

५ संचित कोष का रखना (Maintenance of Reserves)—स्वयं अधिकोषण का रहस्य पर्याप्त कोष को बनाए रखना और उसके साथ हिस्सेदारों या अंशधारियों (shareholders) के लिए लाभ प्राप्त करना है। हमने देखा है कि बैंक दूसरे लोगों के मुद्रा द्रव्य से व्यापार करता है, वह इस दृष्टि से कि वह द्रव्य सूचना देकर या बिना सूचना के बैंक से निकाला जा सकता है। परन्तु अनुभव से बैंकर यह जानते हैं कि जमा का केवल छोटा भाग ही वास्तव में निकाला जाता है। उनका उद्देश्य इसीलिए यह रहता है कि माँग पूरी करने के लिए पर्याप्त कोष रखा जाए

1 Crowther, G.—An Outline of Money, 1950, p 30.

घरौ सौंप धन को उधार देकर लाभ उठाय़ा जाए । इसमें पर्याप्त सूझ बूझ और कुशलता की आवश्यकता होती है । एक चतुर बैंकर को तरलता (liquidity) तथा लाभ (profitability) के बीच उचित मनुलत बनाए रखना जरूरी है । अत्यधिक सावधानी का अर्थ होगा कम लाभ और अत्यधिक ऋण देने से बैंक सुरक्षित न रहेगा । बैंक में संचित निधि सम्बन्धी तरलता और लाभो के बीच सामंजस्य लाना आवश्यक है । परन्तु यह काम आसान नहीं है । बैंक में संचित निधि सम्बन्धी तरलता और लाभ दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं । दोनों के बीच समझौता या मध्यमार्ग निकालना अनिवायं है किन्तु यह इतना सरल नहीं है । क्योंकि चाहे ज़िम हूय तथा मात्रा म वे अपने रिज़र्व को रखें वे सामान्य समय बेकार होंग और जमा करने वालो के विश्वास के हटने पर अर्पयाप्त रहेंगे । बैंक म सुरक्षित कोष या रिज़र्व का रखना निम्नलिखित बातो से निर्धारित होता है, (१) बैंक के जमा म रोज के उतार-चढ़ व । (२) ग्राहको के उधार की आवश्यकता म बमी बेसी । (३) गौण कोष (secondary reserves) की प्रकृति तथा बैंकिंग प्रणाली म कोष व्यवस्था की प्रकृति ।

साधारणतया बैंक अपनी प्रास्तियो को द्रव्य साधना या नकद में परिवर्तनशीलता के घटेते हुए त्रम म रखता है । इसकी सुरक्षा को पहली लाइन जैसे कि कहा जाता है एक विशय मात्रा में वास्तविक नकदी रखना है । यह नकदी या तो मुद्रा के रूप में या नोटो के रूप म या केन्द्रीय बैंक में बचत के रूप म रखी जाती है । नोट जारी करना केन्द्रीय बैंक का एकाधिकार है ।

केन्द्रीय बैंक के आधिपत्य शेप (balances), सदैव विधि मान्य मुद्रा के रूप में निकाले जा सकते हैं । बैंक इन आधिपत्य शेप को इमीलिए नकद की भाँति मानते हैं । सभी मुख्य बैंक कानूनी तौर पर दत्त के केन्द्रीय बैंक मे अपन दायित्व व एक विशय भाग को रखने के लिए बाध्य होने हैं । यहाँ पर यह कह सकते हैं कि इन प्रकार के आधिपत्य शेपों का अस्तित्व केन्द्रीय बैंक को दूसरे बैंको को साख विस्तार पर नियन्त्रण करने की शक्ति प्रदान करता है ।

कोष या रिज़र्व को कायम रखने के लिए सुरक्षा की दूसरी पक्ति वह धन है जो अति अलकाल के लिए उधार दिया गया है । इंगलैंड म ऐसे अल्पकालीन ऋणों को याचना और अल्प काल सूचना पर देश राशि (money at call and short notice) कहते हैं । इसम वे ऋण शामिल होते हैं जो पूव प्रापण गृहो (discount houses) या बिलो या हुण्डियो के दलालो को दिए जाते हैं । स्टॉक एक्सचेंज को दिए जाने वाले ऋण भी इसमें शामिल होते हैं । इस प्रकार के ऋण माँग पर या कुछ दिनों के अन्दर वापस लिए जा सकते हैं ।

इसके पश्चात् हुण्डियो के बट्टे का काम आता है । ज्योही वे पूरी होती हैं भुनायी जा सकती हैं । यह या तो सरकारी हुण्डियां होती हैं या व्यावसायिक हुण्डियां ।

इसके बाद विनियोजनो का नम्बर आता है । यह मुख्यत सरकारी प्रतिभूतियां हाती हैं । निर्धारित ब्याज देने वाली प्रतिभूतियां (securities), जिन्हे

इंग्लैंड में परम प्रतिभूतियाँ (guilt-edged securities) भी कहते हैं, इस कार्य के लिए बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इसमें वास्तव में कोई जोखिम नहीं होता।

अन्त में ग्राहको के अग्रिम (advances) आते हैं। वे ऋण या अधिकर्षणो (overdrafts) का रूप ले सकते हैं। वे सबसे अधिक लाभ देते हैं, हालाँकि उनमें जोखिम भी सबसे अधिक है क्योंकि वे न्यूनतम तरल (liquid) होते हैं।

६ तरलता का महत्त्व (Importance of Liquidity)—बहु अनुपात, जिसके अनुसार अनेक रूपों में आदेय (assets) रखे जाते हैं, एक देश और दूसरे देश में, एक बैंक और दूसरे बैंक में और व्यापार की अवस्था के अनुसार अलग-अलग होते हैं। किसी बैंक का आस्तियों की तरलता जितनी ही अधिक होगी, उतना ही अधिक विश्वास उस पर किया जाएगा परन्तु उसके लाभ उतने ही कम होंगे।

समस्त बैंकिंग व्यापार बैंक की लोगों की माग पर धन के वापस देने की योग्यता के ऊपर और लोगों के बैंक के ऊपर विश्वास पर निर्भर है। यदि किसी भी कारणवश यह विश्वास हट जाता है, तो बैंक के प्रति एक 'दौड़' शुरू हो जाती है। कोई भी बैंक यह "दौड़" सदन नहीं कर सकता, क्योंकि समस्त निक्षेप नकदी की अवस्था में नहीं होता। बैंकिंग व्यापार समृद्धिकाल का व्यापार है। जब तक मौसम साफ है अर्थात् जब तक बैंक की साख बनी है और जमा कराने वालों का विश्वास बैंक पर है कोई भी अपना पैसा निकालना नहीं चाहता और बैंक इस बात को गर्व से कह सकता है "जो चाहे अपना पैसा निकाल ले।" लेकिन जैसे ही विपत्ति आती है और इस घबराहट में लोग पैसा निकालने के लिए दौड़ने हैं, तो पैसा मिलना मुश्किल हो जाता है। यदि किसी एक बैंक पर भी ऐसी विपत्ति आ पड़े तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है और बैंक को अपनी आस्तियों को रोबड में बदलना पड़ता है जिससे लोगों का भुगतान हो सके। किन्तु यदि विपत्ति बहुत भारी हो तो बैंक की हालत बिगड़ जाती है और जमा कराने वालों में से किसी को भी कुछ प्राप्त नहीं होता।

इस प्रकार यह आवश्यक है कि बैंक न केवल अपनी आस्तियों (assets) के कुछ अंश को तरल रूप में नैवार रखे, बल्कि उमें यह भी देखते रहना चाहिए कि लोगों का उसके प्रति विश्वास अडिग बना रहे। बैंको को अपने ग्राहको (depositors) को आदतों का भी खयाल रखना चाहिए। जिस समय बैंक के ग्राहक या निक्षेपक यह जानते हैं कि बैंक उनका रुपया वापस दे सकता है तो वे कभी भी रुपया वापस माँगने नहीं आवेंगे। किन्तु यदि उन्हें बैंक की देयता पर तनिक भी सन्देह हो जाता है, तो वे अपना धन बैंक से निकालने को आतुर हो जाते हैं। इसलिए बैंको का चाहिए कि वित्तीय आपात काल में वे खूब साख बढ़ावें। ऐसे अवसरों पर अन्य बैंक भी विपद्-ग्रस्त बैंक की सहायता करते हैं।

लोगों को अपनी आर्थिक दशा में नूचित रखने के लिए बैंको के लिए कानूनी रूप से यह आवश्यक है कि वे अपने स्थिति विवरण (balance sheet) को प्रकाशित करें। किसी बैंक का स्थिति विवरण (balance sheet) उसकी आर्थिक दशा का विवरण है। साधारणतया इस प्रकार का विवरण आर्थिक वर्ष (financial year)

के अन्त में निकाला जाता है। केन्द्रीय बैंक यह विवरण प्रति सप्ताह निकालता है। स्थिति विवरण (balance sheet) दो खानों में बनाया जाता है। बाईं ओर वाले खाने में बैंक का दायित्व (liabilities) रहता है और दाईं ओर के खाने में प्राप्ति (assets)। दायित्व वह धन है जो बैंक को देना है और प्राप्ति या आदेय वह धन है, जो दूसरों से बैंक को लेना है और जो कुछ भी बैंक के पास उस समय हो।

साधारणतः एक बैंक का चिट्ठा इस प्रकार होता है—

दायित्व (Liabilities)	आदेय (Assets)
पूंजी (Capital)	नकद (Cash)
सुरक्षित या संचित कोष (Reserve Fund)	केन्द्रीय बैंक में जमा नकद (Cash at Central Bank)
जमा (Deposits)	माँगने पर तुरन्त मिलने वाला द्रव्य या याचने राशि (Money at Call)
ग्राहकों के लिए स्वीकृतियाँ (Acceptances for Customers)	भुनाए हुए बिल (Bills Discounted)
	विनियोजन (Investments)
	स्वीकृति के लिए ग्राहकों का दायित्व (Liabilities of Customers for Acceptance)
	फर्नीचर आदि।
	भवन तथा अन्य सम्पत्ति (Premises and other Property)

बैंक अपने स्थिति विवरण (balance sheet) में यह दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि उनकी वित्तीय स्थिति दृढ़ है। यह कार्य वे एक बड़ी नकद संचिति रख कर या संचिति और दायित्व का उच्चतर अनुपात रख कर पूरा कर सकते हैं। इस उद्देश्य से वे उन रकमों को वापस माँगते हैं, जो माँग पर या अल्प सूचना पर वापस कर देने की शर्त पर दी गई थी और यह विश्वास दिलाते हैं कि दूसरे दिन फिर से वे उधार दे देंगे। इस प्रकार का एक सुन्दर दिखावा करने को 'अभिविद्यासन' (window dressing) कहते हैं।

निर्देश पुस्तकें

- Crowther, G. An Outline of Money, 1950, Ch II, pp 22-42
 Benham, F. Economics, 1940 pp 384-85
 Brij Narain Money and Banking (S Chand & Co)
 Meyers, A. L. Elements of Modern Economics, 1951, Ch 21
 Samuelson, P. A. Economics, 1948, Ch 14
 Keynes, J. M. A Treatise on Money, 1910, Vol I, Ch 3
 Coulborn, W. A. L. A Discussion of Money, 1900, Ch VI
 Sayers, R. S. Modern Banking, 1947, Ch II
 Bradford, F. H. Money & Banking, 1936 Ch V.
 Dowrie, G. W. Money & Banking, 1936, Ch VIII.

मुद्रा बाजार तथा केन्द्रीय बैंक

(Money Market And Central Banks)

१. मुद्रा बाजार (Money Market)—हम देख चुके हैं कि अर्थशास्त्र में “बाजार” शब्द का अभिप्राय किसी क्षेत्र या स्थान से नहीं होता बल्कि उस समस्त प्रदेश से होता है जहाँ-जहाँ क्रय और विक्रय होना है। परन्तु ‘मुद्रा बाजार’ क्या है? यह देखना है कि मुद्रा बाजार में क्रय और विक्रय कौन सा है? तथा ये क्रय और विक्रय किस वस्तु का आदान-प्रदान करते हैं? ‘मुद्रा बाजार’ का तात्पर्य कोई विशेष बाजार या चौक नहीं है, जहाँ नगर के बैंक का अधिकांश कार्यालय स्थित हों। “मुद्रा-बाजार”—यह शब्द भी किसी क्षण की ओर संकेत नहीं करता बल्कि विनिमय-संगठनों के समूहों (groups of exchangers) की ओर संकेत करता है। मुद्रा को उधार लेने तथा देने वाले ही विनिमय कर्ता या विक्रेता हैं और मुद्रा ही व्यवहार्य वस्तु है। उधार लेने वाले मुद्रा के स्वामीदार हैं। मुद्रा को उधार देने वाले विक्रेता हैं। जिस व्याज की दर पर मुद्रा उधार ली या दी जाती है, वही मुद्रा का मूल्य है।

२. मुद्रा बाजार के अंग (The Constituents of the Money Market)—मुद्रा-बाजार किन लोगों से बना है, तथा मुद्रा-बाजार के सदस्य कौन हैं? मुद्रा-बाजार किन लोगों का बनता है, यह तो हम सफ़्त कर चुके हैं। महाजन, दलाल, कटौती घर तथा रुपया लगाने वाले लोग—यही मुद्रा बाजार के सदस्य हैं। सबसे ऊपर केन्द्रीय बैंक है, जो मुद्रा बाजार की देखभाल तथा नियन्त्रण का कार्य करता है।

भारतीय मुद्रा-बाजार निम्नलिखित से बना है—रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India), स्टेट बैंक (State Bank of India) तथा अन्य संयुक्त बैंक (Joint Stock Banks), सहकारी बैंक, विनिमय बैंक, भूमि-बन्धक बैंक, सरकारी हाकिमानों के सेविंग्स बैंक, तथा अन्य पुरानी चाल के महाजन। भारतीय मुद्रा-बाजार के दो निश्चिन्त विभाग हैं। एक तो देशो महाजन है, दूसरे आधुनिक बर्किंग मस्पाएँ हैं।

३. केन्द्रीय बैंक (Central Bank)—देश की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने वाली सम्या केन्द्रीय बैंक है। राष्ट्र की अन्तिम मबिद निधि इसी के हाथ में होती है। अर्थशास्त्र के प्रवाह का नियन्त्रण भी इसी के हाथ में होना है चाहे वह चलाने का अर्थ हो, पाठे साधन का, तथा यह सत्त्या राज्य के लिए बैंक-सम्बन्धी कार्य सम्पादित करती है।

पिछले वर्षों में केन्द्रीय बैंक का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। इसके कई कारण हैं। विभिन्न देशों के भातरी तथा उनके आपसी आर्थिक जीवन में अन्वयन्यायता की

वृद्धि, मुद्रा प्रवाह के प्रवण तथा नियन्त्रण की अधिवाधिक आवश्यकता, सन् १९१४-१८ के महायुद्ध के पश्चात् मुद्रा-स्फीति तथा विनिमय-विषयक गड़बड़ी, भारी मन्दी का युग तथा उसके परिणाम के रूप में यह जानकारी कि केन्द्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति (supply) को नियन्त्रित करने से, भावों में घट-बढ़ का कुचक बहुत कुछ सुधारा जा सकता है; हाल ही में विभिन्न देशों की आर्थिक पद्धतियों में योजना-नुसार विकास के क्रम का प्रारम्भ किया जाना—इन्हीं समस्त कारणों के आधार पर एक ऐसी सस्था का महत्त्व बढ़ गया है, जो उन जटिल तथा विरोधी विषयों को नियन्त्रित करे, उनका प्रवण करे और उनमें नायजस्य स्थापित करे, जो निम्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करते रहे हों।

रिजर्व बैंक का स्थिति विवरण (Reserve Bank's Balance Sheet)— रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (Reserve Bank of India) भारत का केन्द्रीय बैंक है; तथा यह भारतीय मुद्रा-बाजार का आधारभूत है। इसका पालिका स्थिति विवरण प्रकाशित होता है। इंग्लैण्ड में बैंक ऑफ इंग्लैण्ड (Bank of England) के स्थिति विवरण (balance sheet) को मुद्रा बाजार का मापदण्ड या स्थिति मान (barometer) माना जाता है। कारण यह है कि लण्डन (London) का मुद्रा बाजार एक सुसम्बद्ध तथा संगठित पद्धति का झोका है। भारत में ऐसा नहीं है। घट भारतीय रिजर्व बैंक के स्थिति विवरण को हम भारतीय मुद्रा-बाजार का सच्चा मापदण्ड या स्थिति मान (barometer) नहीं कह सकते।

रिजर्व बैंक के साप्ताहिक स्थिति विवरण के दो भाग हैं। निर्गम विभाग (issue dept) से सम्बन्धित स्थिति विवरण, तथा बैंकिंग या अधिबोधन विभाग से सम्बन्धित स्थिति विवरण। पहली मई १९५८ को समाप्त होने वाले सप्ताह का रिजर्व बैंक स्थिति विवरण माय के पृष्ठ पर दिया गया है।

हम साथ में दिए गए स्थिति विवरणों में से प्रत्येक को समझने का प्रयत्न करेंगे। पहले निर्गम विभाग (Issue Department) को लें। जितने नोट निकाले जाते हैं, सब निर्गम विभाग के दायित्वों के रूप में होते हैं। जब भी नोटों का रूपया मांगा जाए, तभी नकद देना होगा। चाहे ये नोट जनता में चलते हों, या अधिबोधन विभाग में, इन नोटों के सम्बन्ध में दायित्व निश्चित है। ये विधिमार्ग लीगल टेंडर (legal tender) हैं। बैंक इनका प्रयोग अपने दायित्वों के चुकाने में कर सकता है। परन्तु यही नोट निर्गम विभाग के दायित्व हैं, क्योंकि निर्गम विभाग से किसी समय नोटों का बदले में नकद रूपया देने को कहा जा सकता है।

दायित्व की दृष्टि से जितने नोटों की निकामी है, वह आदेय में दी हुई रक्षित निधि से चुकाई जा सकती है। आस्तियों में दी हुई रक्षित निधि में निम्न लिखित अंग होते हैं—(१) स्वर्ण मुद्रा और वूलियन तथा स्टैलिग सिक्कोरिटियाँ, तथा (२) मुद्रा (रुपय) तथा रुपयों के रूप में सिक्कोरिटियाँ। य भारत सरकार की बैसी ही सिक्कोरिटियाँ हैं जैसे ब्रिटिश सरकार की स्टैलिग सिक्कोरिटियाँ या प्रिन्सिपलियाँ होती हैं। रिजर्व बैंक अधिनियम सन् १९३५ के अनुसार कम से कम ४० करोड़ ६० का सुरक्षित कोष स्वर्ण मुद्रा तथा वूलियन में अवश्य होना चाहिए।

1954-55 का आगत बजट—1 जन 1955 तक का आगत सन्धि का अन्ततः विवरण

दायित्व		निर्गम विभाग		आदिश्या	
	रु०		रु०		रु०
जारी किए गए नोट (बैंकिंग विभाग में)	रु० २७,५२,६६,०००	(क) सोने का सिक्का तथा बुलियन	रु० ११,७,७६,०३,०००	(क) भारत में	रु० १७,५०,००,६६,०००
चलन में नोट	रु० १७,५१,१०,७०,०००	(ख) भारत से बाहर	रु० २६,५७,६२,०००	(ख) भारत से बाहर	रु० १,३२,०५,६५,०००
जारी किए हुए नोटों की कुल संख्या	१७७७,६३,५६,०००	(क) का योग	रु० १३,५०,६०,७६,०००	(क) के सिक्के	रु० १७,७८,६३,५६,०००
योग का कुल दायित्व	१७७७,६३,५६,०००	(ख) रु० के सिक्के		भारत सरकार की रूपया प्रतिभूतिया	
दायित्व	रु०	आंतरिक विनिमय पत्र एवं अन्य पत्रादि		कुल योग प्रास्तिया	
पारदत्त पंजी	५००००,०००	नोट	रु० २७,५२,६६,०००		
रिजर्व निधि	६०,००,००,०००	रायों के सिक्के	५,०८,०००		
राष्ट्रीय सार्व (कृषि सन्ध-धी दीर्घकालीन निधि)	२५,००,००,०००	सहायक सिक्के	३,६४,०००		
राष्ट्रीय सार्व (कृषि स्यायीकरण निधि)	३,००,००,०००	खरीदे गये और भुनाए गये विल			
निक्षेप		(क) आन्तरिक			
(क) १ केन्द्रीय सरकार	५३,२८,०१,०००	(ख) बाह्य			
२ अन्य सरकारें	२२,४४,०५,०००	(ग) सरकारों खजानों के ऋण	५,१०,२७,०००		
(ख) बैंक	६३,७०,४७,०००	विदेशों में लेना बाकी	२५,२१,३०,०००		
(ग) अन्य	११,६०,०५,६८,०००	सरकारों को दी गई उधार (कम तथा अप्रिम ^२)	३६,३६,२४,०००		
देय पत्र	१५,७०,६६,०००	अन्य उधार तथा अप्रिम ^२	७५,६६,७७,०००		
अन्य दायित्व	४५,०५,१५,०००	विनियोजन	२६६,६७,७१,०००		
कुल योग	४४११२४३२०००	अन्य प्रास्तिया	१२,६६,२४,०००		
		कुल योग रु०	४५११२४३२०००		

1. इस में मरुत तथा बल्लकलीन (सक्योरिडिया शामिल है। 2 इस में राज्य सरकारों को दिये गये ओवर ड्राफ्ट (overdrafts) शामिल है।

3 इस में रु० १०,४७,०४,००० अनुदधि नई को दिये गए ऋण शामिल है जो सावधि विपद की जमानत पर रिजर्व बैंक आक इंडिया अभिनियम की धारा

३०(४) (०) के अधीन दिये गये थे।

किन्तु १९५६ के उक्त अधिनियम के सशोधन के अनुसार सुरक्षित कोष में ११५ करोड़ रु० होने चाहिए। प्रस्तुत स्थिति विवरण में रक्षित कोष ११७७६ करोड़ रु० है। अधिनियम में दूसरा उपबन्ध यह है कि कुल सुरक्षित कोष में कम से कम ४०% स्वर्ण तथा स्टलिंग प्रतिभूतियाँ (securities) होनी चाहिए। १९५७ के एक सशोधन के अनुसार विदेशी प्रतिभूतियों को न्यूनतम २०० करोड़ रु० का कर दिया गया है। किन्तु प्रस्तुत स्थिति विवरण में यह १७२'०० करोड़ रु० से अधिक है। इससे प्रबल होता है कि स्थिति बहुत दृढ़ है।

अधिकोषण विभाग (Banking Department)—अब अधिकोषण विभाग (Banking Department) का लीजिए। दायित्व का सबसे प्रमुख अंग जमा रकम का अंश है। इस रकम में से अधिकतर सार्वजनिक अर्थात् सरकारी जमा रकमें तथा अनुसूचित बैंकों (scheduled banks) की जमा रकम हैं। अन्य जमा रकमें फुटकर हैं, जैसे बन्धारी-गण के वेतन का अतिरिक्त भाग अथवा अन्य कोई रकम, जिसका जमा-खर्च नहीं हुआ हो, उदाहरणार्थ, स्टेट बैंक की कोई रकम।

अन्य दायित्वों में पूँजी, रक्षित निधि, तथा हानि-लाभ का हिसाब मुख्य है। आस्तियों में नोट, रुपय तथा अन्य मुद्रा हैं। कटीती लगाए हुए बिलों का अर्थ है वे बिल जिनका मूल्य, बैंक ने अपनी कटीती काट कर, उनके तात्कालिक मूल्य के आधार पर चुका दिया है। जब इन बिलों के भुगतान का समय आएगा, बैंक रुपया लेंगे। अतः ऐसे बिल बैंक की आस्तियाँ हैं। 'balance held abroad' का अर्थ है वह रकम जो विदेशी बैंकों में जमा है। 'अन्य ऋण तथा अग्रिम धन' (Other Loans and Advances) का अर्थ है अनुसूचित बैंकों को या प्रांतीय सहकारी बैंकों को दिया गया रुपया। सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा खजाने के बिल जो खरीदे गए हैं, 'निवेश' (investment) हैं। अन्य आदेश अन्य दायित्वों के समानान्तर हैं तथा इसमें भेज, कुर्सी आदि, साज-सामान लेखन सामग्री तथा बैंक की अन्य सम्पत्ति है।

५ **केन्द्रीय अधिकोषण के सिद्धान्त (Central Banking Principles)**—केन्द्रीय बैंकिंग जिन सिद्धान्तों पर संचालित होती है, वे सामान्य बैंकिंग सिद्धान्तों से बिल्कुल भिन्न हैं। (१) साधारण बैंक लाभ के लिए चलाया जाता है। किन्तु केन्द्रीय बैंक देश की वित्त-विषयक तथा आर्थिक स्थिरता विषयक जिम्मेदारी निभाने के लिए चलाया जाता है। डो कोक (De Koek) का कथन है कि 'केन्द्रीय बैंक का प्रमुख सिद्धान्त यह है कि उसे सार्वजनिक हित की दृष्टि से तथा समूचे राष्ट्र के 'हितार्थ' कार्य करना चाहिए तथा लाभ को प्रधानता नहीं देनी चाहिए।'^१ लाभ उपार्जन करता तो केन्द्रीय बैंक के लिए गौण विषय है। केन्द्रीय बैंक राज्य की विधि के अन्तर्गत कार्य करता है तथा किसी जोखिम वाले उद्यम में रुपया नहीं लगा सकता।

इस प्रकार केन्द्रीय बैंक लाभ तथा लाभांश के पीछे पड़ने वाली संस्था नहीं है और न अन्य बैंकों से प्रतिस्पर्धा ही करता है। अतः जमा रकम पर व्याज शायद ही कभी दिया जाए, और न अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति पर रुपया ही दिया जाता है। इस बैंक का प्रधान उद्देश्य होता है देश की समस्त बैंकिंग व्यवस्था में दोष

क्षमता (solvency) बनाए रहना। अतः इसको अस्तित्वां अधिक से अधिक नकद (liquid) रूप में रखनी पड़ती है।

(ii) केन्द्रीय बैंक सबसे बड़ा ऋणदाता है। समस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाएँ आवश्यकता पड़ने पर कुछ दर पर केन्द्रीय बैंक का सहारा ले सकती हैं। परन्तु केन्द्रीय बैंक नकद रूपया माँग कर अथवा विलो या प्रतिभूतियों को देकर किसी अन्य संस्था का सहारा नहीं ले सकता।

(iii) केन्द्रीय बैंक की नीति क्रियात्मक होनी चाहिए। जब देश की साख विषयक व्यवस्था में कहीं भी कोई गड़बड़ी उत्पन्न हो जाए तो केन्द्रीय बैंक चुप बैठकर तमाशा नहीं देख सकता। उस स्थिति को सम्भालने के लिए केन्द्रीय बैंक को क्रियाशील होना पड़ता है। इस अभिप्राय से केन्द्रीय बैंक दो प्रकार की कार्यवाही कर सकता है—प्रथम, बैंक दर की नीति में उलट फेर करके, द्वितीय, खुले बाजार में किए गए कृत्यों के द्वारा। इन उपायों का कार्यबहन आम समझाया गया है।

(iv) अपने कार्य संचालन के हेतु केन्द्रीय बैंक के पास विशेष साज सामान है (क) केन्द्रीय बैंक को नोट निकालने का एकाधिकार प्राप्त है। (ख) केन्द्रीय बैंक सरकारी बैंक है। (ग) यह अन्य बैंकों का भी बैंक है। इस प्रकार की स्थिति होने के कारण केन्द्रीय बैंक मुद्रा तथा साख को नियन्त्रित कर सकता है। सत्य यह है कि बिना मुद्रा और साख पर नियंत्रण के केन्द्रीय बैंक, केन्द्रीय बैंक ही नहीं हो सकता।

(v) केन्द्रीय बैंक को किसी राजनीतिक दल के हाथों में न रहना चाहिए। केन्द्रीय बैंक को राजनीतिक प्रभाव से बिलकुल मुक्त रहना चाहिए जिसमें सम्पूर्ण राष्ट्र के हित साधन में बिना भय या पक्षपात काय किया जा सके। फिर भी बैंक तथा सरकार के बीच विशेष पारस्परिक सहयोग विद्यमान रहता है।

६ केन्द्रीय बैंक के काम (Central Banking Functions)—अर्थ वेत्ताओं ने इस विषय पर बहुत विचार विमर्श किया है। कौन से कार्य ऐसे हैं जो केन्द्रीय बैंक के ही विशेषतया, मान जायें। एक विद्वान¹ ने हाल ही में केन्द्रीय बैंक के निम्नलिखित कार्य गिनाए हैं—

(१) कारोबार तथा जनसाधारण की आवश्यकताओं के अनुसार बागजी मुद्रा (नोटों) की निकासी। इसी हेतु केन्द्रीय बैंक को नोट निकालने का एकाधिकार (चाहे कुछ सीमित भले ही हो) प्राप्त रहता है।

(२) राज्य के लिए बैंकिंग सेवाएँ तथा अभिकरण (agency) के रूप में सेवाएँ करना,

(३) व्यापारिक बैंकों की नकद रक्षित निधियों की अभिरक्षा (Custody),

(४) राष्ट्र की धातु मुद्रा की अभिरक्षा,

(५) व्यापारिक बैंकों, विक्रेताओं तथा अन्य आर्थिक संस्थाओं द्वारा भेजे गए विनिमय बिल (Bills of Exchange), सरकारी बिल, तथा अन्य उपयुक्त बागजों का पुनः पूवप्रापण (re-discounting)।

(६) अन्तिम आश्रय के रूप में ऋणदाता का दायित्व स्वीकार करना,

(७) वंको के बीच जमा रखे वी वाकियों का निपटाना, तथा
 (८) साख के नियन्त्रण को कारोबार की आवश्यकताओं के अनुसार, अपने हाथ में रखना, जिनसे राज्य द्वारा निर्धारित मूद्रा विषयक मापदण्ड टिपर बना रहे। तदनुसार, केन्द्रीय बैंक के कार्य के सिलसिले में उसकी हैसियत निम्नांकित है—

- (i) नोट निकालने वाला अभिकरण।
 - (ii) राज्य के लिए बैंक।
 - (iii) बैंको के लिए बैंक।
 - (iv) साख पर नियन्त्रण द्वारा मूद्रा बाजार का अनिश्चय।
- इन कार्यों का अब हम विस्तृत विवेचन करेंगे।

७ केन्द्रीय बैंक, नोट निकालने वाले अभिकरण के रूप में (The Note-Issuing Agency)—बैंक पद्धति के प्रारम्भिक काल में, लगभग प्रत्येक बैंक को नोट निकालने का अधिकार प्राप्त था। फलस्वरूप, गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती थी। अत्यधिक नोटों की निकामी से मूद्रा स्फीति होकर मूद्रा प्रणाली में अव्यवस्था उत्पन्न होती थी, जिसके बुरे आर्थिक परिणाम होते थे। अतः नोट निकालने पर सरकार को कठोर नियन्त्रण करना पड़ा। धीरे धीरे राज्य के प्रधान बैंक—केन्द्रीय बैंक—को यह कार्य-भार सौंपा जाने लगा। अब लगभग प्रत्येक देश में केन्द्रीय बैंक को यह एकाधिकार प्राप्त है।

८ नोटों की निकासी के सिद्धान्त (Principles of Note-Issue)—नोट निकालते समय एक दूसरे के विपरीत दो उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। एक ओर तो नोटों की निकासी लचीली होनी चाहिए। व्यवसाय की आवश्यकतानुसार नोटा का चलन विस्तृत तथा सञ्चित होना चाहिए। दूसरी ओर नोटों की मूद्रा के रूप में रूपान्तर करते रहकर नोटों के प्रति जनता की विश्वास की भावना बनाए रखना चाहिए। प्रथम सिद्धान्त लचीलेपन का है तथा द्वितीय सिद्धान्त सुरक्षा में सम्बन्धित है। इसलिए नोटा की निकासी का उचित नियमन (regulation) आवश्यक है।

चलाय सिद्धान्त बनाम अधिकोपण सिद्धान्त (Currency Principle vs Banking Principle)—इंग्लैण्ड में सन् १८४४ में बैंक चार्टर एक्ट (Bank Charter Act) पास होते समय इस विषय पर बहुत मतभेद था कि नोटों के चलाने का सही सिद्धान्त क्या है? दो विचार पद्धतियाँ एक दूसरे का विरोध कर रही थीं। एक चलाय सिद्धान्त और दूसरी अधिकोपण सिद्धान्त की पक्षपाती थी।

चलाय सिद्धान्त के समर्थकों का कहना था कि पूरा अर्थान शांत प्रतिगत मौद्रिक रिजर्व कोष का होना अनिवार्य समझा जाए। प्रत्येक नोट, जो निकाला जाए, उसके बदले की मूद्रा बैंक में रख ली जाए। इस प्रकार नोट को मूद्रा के स्थान पर सुविधाजनक साधन मात्र माना गया था।

इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि इस प्रणाली के अन्तर्गत कागजी मूद्रा पर परिपूर्ण नियन्त्रण हो जाता है। मूद्रा अधिकारी हर समय नोटों के बदले धातु का मूद्रा

दे सकता था। किन्तु इस प्रकार नोटों की निकासी लचीली नहीं रहती। उतने ही नोट निकाले जा सकते हैं जितने के सम्बन्ध में नोट निकालने वाला अधिकारी सोना या चांदी जमा कर सके।

जो अधिकोपण-सिद्धान्त के पक्ष में थे, उनका कथन था कि नोटों की निकासी को पूर्णतया बैंको के स्वविवेक पर छोड़ दिया जाए। इस प्रकार वे व्यवसाय की आवश्यकतानुसार नोटों की निकासी को विस्तृत अथवा संकुचित कर सकेंगे।

इस सिद्धान्त के अनुसार नोटों की निकासी लचीली अवश्य हो सकती थी, क्योंकि नोटों की निकासी के सम्बन्ध में बैंको को पूरी छूट मिलने की थी। परन्तु नोटों की निकासी की यह पद्धति अरक्षित रही। इंग्लैंड के बैंकिंग इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जब लाभ के लोभ ने स्वविवेक को दबा दिया। अनेक बैंक बन्द हो गए, जिनसे वे स्वयं तथा उनके अनेक आश्रित नष्ट हो गए। अतः अनुभव यह बतलाता है कि साधारण बैंको के हाथ में नोटों की निकासी को छोड़ देना अच्छा नहीं।

इस प्रकार मौद्रिक सिद्धान्त में सुरक्षा है परन्तु लचीलेपन की कमी है, तथा बैंकिंग सिद्धान्त में लचीलापन है परन्तु सुरक्षा की कमी है। नोटों की निकासी की वह पद्धति ठीक होगी जिसमें लोच भी हो और सुरक्षा भी हो। अतः समस्त देशों में ऐसी पद्धतियाँ विकसित हो चुकी हैं जो इन दोनों सिद्धान्तों की सम्मिश्रण हैं। ये पद्धतियाँ हैं—(क) निश्चित विश्वास निष्ठा पद्धति या आंशिक जमा पद्धति (Fixed Fiduciary System or Partial Deposit System), आनुपातिक रक्षित पद्धति (Proportional Reserve System)।

फ्रांस तथा जर्मनी में दूसरी पद्धति अर्थात् आनुपातिक आरक्षित या संचित निधि पद्धति बरती जाती है। फ्रांस ३५ प्रतिशत तथा जर्मनी ४० प्रतिशत रक्षित निधि रखता है। मयुक्त राज्य अमेरिका की फेडरल रिजर्व प्रणाली में भी कुछ रूपान्तर सहित यही पद्धति ग्रहण की गई है। यह प्रणाली सस्तर के बड़े भाग में फैल गई है और इसका विशेष लक्षण यह है कि नोटों के चलन के निश्चित अनुपात से धातु के रूप में रक्षित निधि बनी रहे यह अनुपात २५ प्रतिशत से ४० प्रतिशत तक हो सकता है, शेष के सम्बन्ध में प्रावणायिक बिल तथा सरकारी प्रतिभूतियाँ हो, तथा यह उपबंध (provision) भी हो सकता है कि कुछ शर्तों तथा कुछ निग्रहों (penalties) को मानने हुए रक्षित निधि का अनुपात कानून द्वारा निश्चित न्यूनतम सीमा के नीचे भी गिराया जा सकता है।¹ आमतौर पर बैंक विधिमान्य न्यूनतम रक्षित निधि से अधिक ही रखते हैं ताकि कानून की गिरफ्त में न आजाएँ। किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि केन्द्रीय बैंक केवल जारी किए गए नोटों के एवज में ही रक्षित निधि नहीं रखता। किसी देश को जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की आवश्यकता होती है वह स्वदेश के चलाने और साथ पर हा निभर नहीं होनी। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की आवश्यकता तभी पूरी हो सकती है जब कि उच्चरतमन्द देश विदेशी व्यापार सन्तुलन में होने वाले परिवर्तनों को सहन करने की सामर्थ्य रखता

हो। और जो कुछ धारक्षित या रक्षित निधि के रूप में रखा जाता है, वह विदेशी व्यापार सन्तुलन की महायता शायद नहीं कर सकता है।

यह द्वितीय पद्धति (आनुपातिक धारक्षित या रक्षित निधि पद्धति), प्रथम अर्थात् आधिक जमा पद्धति (Fixed Fiduciary Principle) से अधिक लचीली है। यदि केन्द्रीय बैंक चालीस रुपये का सोना प्राप्त कर लेता है तो द्वितीय पद्धति के अन्तर्गत एक भी रुपये के नोट निकाल सकता है। किन्तु प्रथम पद्धति के अन्तर्गत, निश्चित सीमा पर पहुँच जाने के पश्चात्, केवल चालीस रुपये के ही नोट निकाल संवेगा। किन्तु द्वितीय पद्धति के अन्तर्गत सुरक्षा कम होती है।

कुछ लोगों का विचार है कि यदि राज्य की ओर से नोट निकाले जाएँ तो निकासी पर अधिक नियंत्रण रहता है। रिज़र्व बैंक के यह कार्य-भार सम्भालने के पूर्व भारत में राज्य द्वारा ही नोट निकासे आने थे। परन्तु प्राक्सिकान्त में तो नोट अधिक निकल ही जाएँगे, चाहे राज्य ऐसा स्वयं करे या केन्द्रीय बैंक पर अपने प्रभाव द्वारा कराए। सच तो यह है कि इस दृष्टिकोण से केन्द्रीय बैंक द्वारा नोट निकासी ही कुछ अच्छी रहती है, क्योंकि केन्द्रीय बैंक द्वारा उन सरकारी प्रस्तावों का कुछ विरोध हो सकता है जिनके अनुसार मुद्रा के हेतु सरकार अधिक नोट छपवाना चाहे।

जहाँ तक भारत का प्रश्न है रिज़र्व बैंक को नोट की निकासी का एकाधिकार प्राप्त है। इसी अन्तिमार्थ से रिज़र्व बैंक में एक अलग निकासी-विभाग (Issue Department) है, जैसा कि कुछ अन्य केन्द्रीय बैंकों जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी है। इस विभाग के प्रादेय (assets) को बैंक के दूसरे विभाग अर्थात् बैंकिंग विभाग के प्रादेय से अलग दिखाया जाता है।

निकासी विभाग की प्रास्तियों (assets) में चाँदी, मुद्रा के रूप में रुपय भारतीय सरकार की रुपय के रूप में प्रतिभूतियाँ, सुवर्ण मुद्रा, सोना बुलियन, स्ट्रैलिश प्रतिभूतियाँ होती हैं। सुवर्ण मुद्रा तथा सोना चालीस करोड़ रुपय से मूल्य में किसी समय कम नहीं होता, तथा सोना तथा स्ट्रैलिश प्रतिभूतियों को सम्पूर्ण रक्षित निधि चालीस प्रतिशत होना अनिवार्य है। केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेकर चालीस प्रतिशत की सीमा को सीमित काल के लिये, विशिष्ट कर देकर, घटाया जा सकता है। इस प्रकार भारत में जो प्रणाली प्रयुक्त है वह उल्लिखित दोनों पद्धतियों का सामंजस्य है।

१०. केन्द्रीय बैंक, राज्य के आधिकारिक धा बेकर के रूप में (Banker of the State)—केन्द्रीय बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य सरकार के लिए आधिकारिक (banker) के रूप में कार्य करता है। देश की सरकार के समस्त शेष रोकड़ केन्द्रीय बैंक में रखे जाते हैं। केन्द्रीय बैंक साधारणतया इन पर कोई ब्याज नहीं देता। किन्तु केन्द्रीय बैंक सरकार की कुछ सेवाएँ कर देता है। सामान्यतः केन्द्रीय बैंक सरकार के वित्तीय अभिवृत्तियों के रूप में कार्य करता है। तथा सरकार को मुद्रा, विनिमय तथा वित्त-विषयक परामर्श देता है।

केन्द्रीय बैंक का राज्य से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण कार्य थोड़े समय के लिए ऋण देना होता है। केन्द्रीय बैंक सरकारी खजाने के बिलों को, जो चाहे सीधे भाएँ हो या अन्य बैंकों द्वारा धाएँ हों, षटीती पर ले लेता है। यह इसलिए किया जाता

है, जिसमें प्राप्त होने वाली आय के आधार पर, वह अपने चालू आर्थिक दायित्वों के भार से मुक्त हो सके। युद्ध-सरीखे आपत्तिकाल में सरकार को इस प्रकार दिए गए ऋण के फलस्वरूप बहुत अधिक मुद्रा स्फीति हो सकती है।

जब केन्द्रीय बैंक खजाने के बिलों अथवा अन्य सरकारी प्रतिभूतियों के बदले में सरकार को अग्रिम धन (advances) देता है, तब सरकार द्वारा खर्च किया हुआ रुपया जिन लोगों को प्राप्त होता है, वह उमें पुनः व्यावसायिक बैंकों के पास जमा करा देते हैं। तदनुसार व्यावसायिक बैंकों की केन्द्रीय बैंक में जो रकम जमा होती है, वह बढ़ती है। यह जमा रकम, नकदी के समान ही समझी जाती है। और इस जमा रकम के आधार पर व्यावसायिक बैंक अपना ऋण तथा अग्रिम धन बढ़ा लेता है। इस प्रकार मुद्रा स्फीति का प्रारम्भ होता है। अतः यह आवश्यक है कि केन्द्रीय बैंक राज्य ले अलग रहे जिसमें खतरे के समय धन की माँग के रूप में सरकारी दबाव का बैंक द्वारा विरोध हो सके।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (Reserve Bank of India) राज्य का आधिकारिक या बैंकर (Banker) बन कर कई कार्य करता है। यह केन्द्रीय सरकार का तथा राज्यों की सरकारों का रुपया लेता है। उनकी जमा रकम की सीमा के अन्दर भुगतान करता है, उनका विनिमय तथा अन्य बैंक-विषयक कार्य जिनमें सार्वजनिक ऋण का प्रबन्ध भी शामिल है, संचालित करता है।

राज्य को दिए गए अग्रिम धन के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक पर कोई रोक नहीं है, परन्तु यह अग्रिम धन, दिए जाने के तीन मास के अन्दर अवश्य वापस आ जाना चाहिए। बैंक किसी भी देश की सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीद सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि महाजनी विभाग में जितनी रकम की ऐसी प्रतिभूतियाँ हों, वह रकम भी बैंक की शेयर-पूँजी, रक्षित निधि तथा महाजनी विभाग के जमा सम्बन्धी दायित्वों के ३ भाग के योग से अधिक न हो, साथ साथ यह भी प्रतिबन्ध है कि वे प्रतिभूतियाँ, जो एक वर्ष में अथवा दस वर्ष में पूरी होने वाली हों, एक निश्चित सीमा के बाहर न जाएँ।

११ केन्द्रीय बैंक बैंकों के लिए बैंक के रूप में (The Bankers' Bank) — केन्द्रीय बैंक महाजनी या अन्य बैंकों के लिए बैंक के रूप में तीन हैसियतों से कार्य करता है। (i) व्यावसायिक बैंकों की नकद रक्षित निधि के अभिरक्षक की हैसियत से, (ii) ऋण देने के लिए अन्तिम आश्रय की हैसियत से, (iii) केन्द्रीय जमा खर्च, निपटारों तथा हस्तान्तरणों के लिए बैंक की हैसियत से।

(i) व्यावसायिक बैंकों द्वारा केन्द्रीय बैंक में अपनी नकद रक्षित निधि जमा कराने की आदत का धीरे-धीरे विकास हुआ तथा इस आदत का केन्द्रीय बैंक के (सरकारी बैंक तथा नोट निकालने वाले बैंक के रूप में) कर्तव्यपालन से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। केन्द्रीय बैंक के पास रक्षित निधि रखने में सुविधा होने का कारण यह था कि केन्द्रीय बैंकों के नोटों पर सबसे अधिक विश्वास किया जाता था, तथा सरकारी बैंकिंग कार्य केन्द्रीय बैंक के द्वारा हुआ करते थे। पहले तो केन्द्रीय बैंक के

पास नकद रकम रखना (या नहीं रखना) अन्य बैंकों की इच्छा पर निर्भर था। परन्तु बाद में अधिकतर देशों में यह एक कानूनी पाबन्दी कर दी गई।

(ii) केन्द्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों के लिए ऋण-विपणन अन्तिम आश्रय है। जब व्यावसायिक बैंक अपने साधनों को समाप्त कर चुकते हैं तथा बाहरी साधनों से धन नहीं प्राप्त कर पाते तब केन्द्रीय बैंक का आश्रय ग्रहण करने हैं। केन्द्रीय बैंक पुनः पूर्व प्रापण सम्बन्धी श्रुतियों (re discounting operations) के द्वारा यह कार्य सम्पन्न करता है।

सद्वृत्त अर्थों में, केवल प्रथम श्रेणी के व्यावसायिक तथा कृषि-सम्बन्धी विलों का पुनः पृथक् प्रापण (rediscounting) किया जाता है। अर्थात् वे विल, जो ऐसे व्यावसायिक बैंकों, विलों का लेन देन करती वालों, या दलालों द्वारा केन्द्रीय बैंक के पास लाए जाते हैं जिनको नकद रकम की तात्कालिक आवश्यकता होती है और अपनी किन्हीं अल्पकालीन धास्तियों को नकद के रूप में परिणत करना चाहते हैं। विस्तृत अर्थों में जो कि अधिकतर देशों में मान्य है, पुनः कटौती करना या पुनः पूर्व प्रापण "व्यावसायिक बैंकों की साख को केन्द्रीय बैंक की अतिरिक्त साख में परिणत करना है, चाहे ऐसा कार्य सीधा किया जाए या अप्रत्यक्ष रूप में किया जाए (डि० काव)।" इस प्रकार पुनः कटौती या पुनः पूर्व प्रापण खजाने के विलों तथा बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं को दिए गए उन छोटी कालावधि वाले ऋणों पर भी लागू होता है जो केन्द्रीय बैंक द्वारा विलों, प्रामिसरी नोटों तथा सरकारी प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में दिए जाते हैं।

(iii) केन्द्रीय समाशोधन या जमा-खर्च (Clearing) का कार्य सभी केन्द्रीय बैंक करते हैं। कुछ देशों में तो यह परम्परा अबका सुविधा मान्य है अन्य देशों में यह कानूनी पाबन्दी है। जबकि केन्द्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों की नकद रक्षित निधि के अभिरक्षक हैं, तो उनकी इस स्थिति का उपर्युक्त फल होना तर्कसंगत है। जबकि अन्य बैंक, केन्द्रीय बैंक के पास नकद रक्षित निधि रखते हैं तो केन्द्रीय बैंक के खातों में जमा या नाम करा कर उनके वापसी निपटारे सुविधापूर्वक हो सकते हैं। कई देशों में तो बैंकों की आपसी तथा केन्द्रीय बैंक से सम्बन्धित दायित्वों का निपटारा करने के लिए अलग समाशोधन केन्द्र या जमा-खर्च के केन्द्र (clearing houses) होने हैं। इन देशों में, जो कुछ अन्त में शेष निकलता है, वह बिना नकदी दिए व्यावसायिक बैंकों तथा केन्द्रीय बैंक के खातों में जमा-खर्च मात्र से ही दिया-लिया जा सकता है। जमा-खर्च या समाशोधन के फलस्वरूप किसी बैंक की केन्द्रीय बैंक के पास जमा निश्चित सीमा के नीचे भी गिर सकती है। ऐसी दशा में वह बैंक कुछ दिनों के लिए पुनः पूर्व प्रापण कटौती के आधार का सहारा ले सकता है, जब तक कि रोकड़ शेष को कमी पूरी न हो जाए।

१२ साख का नियन्त्रण (Control of Credit)—नियन्त्रण के उद्देश्य (The Objectives)—केन्द्रीय बैंक निम्नलिखित उद्देश्यों का लेकर साख का नियन्त्रण करता है—

(क) स्वर्ण के रूप में रहने वाले, रक्षित कोष को घटाने वाले भीतरी तथा बाहरी दबावों से उक्त निधि का बचाव;

(ख) भीतरी कीमतों पर स्थायित्व बनाए रहना,

(ग) विदेशी विनिमय का स्थायित्व प्राप्त करना, तथा

(घ) उत्पादन तथा रोजगार में घट बढ (fluctuations) को दूर करना तथा दोनों के बीच सामञ्जस्य स्थापित करना। स्वर्ण मान की रक्षा के हेतु स्वर्ण निधि के बचाव की आवश्यकता उत्पन्न होती है। स्वर्ण मान देश (gold standard country) में सोने का स्वतन्त्रतापूर्वक आयात तथा निर्यात हो सकता है। तथा ऐसे देश की मुद्रा को कानून के अनुसार स्वर्ण जुलियन या स्वर्ण मुद्रा के रूप में रूपान्तरित किया जा सकता है। ऐसे देश में साख के अत्यधिक विस्तार से मुद्रा स्फीति हो जाती है। जब देश के अन्दर कीमतें बढ जाती हैं तब पहले तो बैंको से अधिक नकदी निकाली जाती है तथा केन्द्रीय बैंक से अधिक सोना निकाला जाता है, जिसमें उच्च-स्तर के सौदे निपट सकें। यह "निधि घटाने वाला भीतरी दबाव (internal drain)" कहलाता है। दूसरी बात यह है कि जब अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से देश के अन्दर कीमतें अधिक होती हैं तब आयात को प्रोत्साहन मिलता है तथा निर्यात कम हो जाता है। फलस्वरूप व्यापार का सन्तुलन बिगड़ जाने के कारण सोने का निर्यात करना पड़ता है। इसको "निधि घटाने वाला बाहरी दबाव (external drain)" कहते हैं। यदि विदेशी पूंजी लगाने वालों का मुद्रा में भविष्य में विश्वास उठ जाए और वे अपनी जमा धापस लेने लगे तो भी सोना बाहर जाने लगगा। इन दशाओं में केन्द्रीय बैंक साख के विस्तार को सकुचित करेगा, कीमतों को गिराएगा, तथा स्वर्ण निधि घटाने वाले भीतरी तथा बाहरी दबावों को बन्द करेगा।

दूसरा उद्देश्य आन्तरिक कीमतों में स्थायित्व बनाए रखना है। कीमतों की घट-बढ से होने वाली विभिन्न हानियों का हम पहले उल्लेख कर चुके हैं। कीमतों में स्थिरता न रहने से आर्थिक सम्बन्धों में गड़बड़ी, विषमताएँ तथा बुरे सामाजिक फल होते हैं। केन्द्रीय बैंक लोगों की आवश्यकतानुसार त्रय शक्ति की पूर्ति या नियन्त्रण करके कीमतों की अत्यधिक घटबढ को बहुत कुछ कम कर सकता है।

विदेशी विनिमय (अर्थात् विदेशी मुद्रा का देश की मुद्रा में मूल्य) में अस्थिरता से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में गड़बड़ी उत्पन्न होती है।

इस विषय पर मतभेद रहा है कि भीतरी कीमतों में स्थिरता या विनिमय की स्थिरता—इन दो उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य लेकर केन्द्रीय बैंक को चलना चाहिए, जब कि अक्सर ऐसा हो कि दोनों उद्देश्य एक साथ नहीं प्राप्त किए जा सकते हो। यदि समस्त सम्बन्धित देश स्वर्ण मान पर आरूढ हों, तो भीतरी कीमतों के नियन्त्रण का फल अपने आप यह होगा कि विनिमय सकुचित सीमा के अन्दर रहता हुआ स्थिर हो जाएगा।¹ अतः सन् १९१४ के महायुद्ध तक कीमत स्तर में विशेष गड़बड़ी उत्पन्न किए बिना ही, विभिन्न देश विनिमय को स्थिर बनाए रखते थे।

किन्तु जिन दिनों में कागजी मुद्रा का रूपान्तर एक देश से दूसरे देश के बीच

1. See 'Specie Points'

नहीं हो सका, उन दिनों में विभिन्न देशों की कीमतों अलग अलग मार्गों पर चल पड़ी और फलस्वरूप एक देश तथा दूसरे देश के बीच की कीमतों के स्तर में खाई पैदा हो गई। ऐसी परिस्थितियों में, विनिमय की स्थिरता चाहने वाले देश को अपने देश में कीमतों के स्तर में घट-बढ़ को विदेशी कीमतों के अनुरूप ही रखना पड़ा। ऐसा करने से उस देश की भीतरी आर्थिक व्यवस्था में बहुत उथल-पुथल हुई। अतः आधुनिक काल में केन्द्रीय बैंकों ने भीतरी कीमतों की स्थिरता पर अधिक ध्यान दिया है, तथा विदेशी विनिमय को अपने आपकी परिस्थितियों के अनुरूप बना लेने के लिए छोड़ दिया है।

हाल ही के एक नए दृष्टिकोण के अनुसार विदेशी विनिमय की स्थिरता तथा भीतरी कीमतों की स्थिरता इन दोनों उद्देश्यों को आवश्यकता नहीं है। विश्वव्यापी मन्दी के दिनों के अनुभवों के आधार पर इस दृष्टिकोण ने जन्म लिया है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का कहना है कि केन्द्रीय बैंक का उद्देश्य यही होना चाहिए कि व्यापारिक चक्र का मार्ग सुगम करे जो कीमतों के उतार-चढ़ाव पर प्रभावित नहीं है। इसमें सन्देह नहीं है कि प्रान्तरिक कीमतों में भी स्थायित्व होना चाहिए और विदेशी विनिमय की स्थिति भी अनुकूल होनी चाहिए, फिर भी देश की प्रान्तरिक कीमतों का स्थायित्व नितान्त आवश्यक है। सत्य यह है कि विदेशी विनिमय और प्रान्तरिक कीमतों का स्थायित्व दोनों ही को देश की आर्थिक व्यवस्था को दृढ़ बनाने में नितान्त आवश्यकता है। उद्देश्य यह होना चाहिए कि व्यापार उचित रूप से चलता रहे और उसमें ज्यादा भन्दी-तेजी (booms and slumps) न आए।

१३ साख के नियन्त्रण में कठिनाइयाँ (Difficulties of Credit Control)—प्रति केन्द्रीय बैंक उपर्युक्त उद्देश्यों में से एक या अधिक को प्राप्त करना चाहे तो भी इस मार्ग में भारी कठिनाइयाँ हैं। प्रथम, साख का नियन्त्रण करने में तो कठिनाइयाँ हैं ही, द्वितीय, यदि साख को नियन्त्रण कर भी लिया जाए तो भी यह आवश्यक नहीं है कि उद्देश्य प्राप्त हो जाएँगे। साख के नियन्त्रण में कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं—

(१) बैंक-साख ही साख का एकमात्र रूप नहीं है। अन्य प्रकार की व्यावसायिक साख जैसे विनिमय-पत्र, ऐसे प्राथमिकी नोट बैंकों द्वारा कटौती नहीं हुई हैं, खाता बाकी आदि होते हैं, जिन पर केन्द्रीय बैंक का नियन्त्रण नहीं के बराबर है।

(२) बैंक साख के मामले में भी समस्त बैंकों का केन्द्रीय बैंक से सीधा सम्बन्ध नहीं होता। उदाहरणार्थ, संयुक्त राज्य में व्यावसायिक बैंकों में से जिनके साधन सम्पूर्ण साधनों का पाँचवाँ अंश है, फेडरल रिजर्व प्रणाली (Federal Reserve System) के बाहर हैं। भारत में तो पुराने ढंग के महाजन, जो भारत के कुल महाजनो कारोबार का ६० प्रतिशत कारोबार करते हैं, अब भी रिजर्व बैंक के प्रभाव-क्षेत्र के बाहर हैं।

(३) यदि समस्त बैंक "सदस्य बैंक" बन जाएँ, तो भी व्यावसायिक बैंकों के सदा सहयोग नहीं देने पर तथा निश्चित मार्ग पर न चलने पर वही प्रश्न कोप रहे

जाता है। बिना इस प्रकार के सहयोग के साख का नियन्त्रण हो ही नहीं सकता।

(४) देश के आर्थिक ढाँचे में बैंको के अतिरिक्त अन्य तत्व भी हैं। अर्थात् वे परिस्थितियाँ, जो व्यापारी वर्ग के हल को प्रभावित करती रहती हैं, केन्द्रीय बैंक के कार्य-क्षेत्र के परे हैं।

(५) साख का प्रयोग क्योंकर और कैसे किया जाएगा, इस पर केन्द्रीय बैंक को नियन्त्रण नहीं प्राप्त हो सकता है। उदाहरणार्थ, पूर्ण व्यावसायिक ऋणों का प्रयोग सट्टे में किया जा सकता है।

किन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं है कि केन्द्रीय बैंक द्वारा किए गए साख को नियन्त्रित करने के प्रयत्न का असफल होना अवश्यम्भावी है। ऊपर तो केन्द्रीय बैंक के कार्यक्षेत्र की सीमाएँ दी हुई हैं। बैंक के अधिकारियों को इनका ध्यान रखना पड़ेगा।

यदि बैंक साख को नियन्त्रित कर भी ले, तो भी इसका यह अर्थ नहीं कि कीमतों में स्थिरता, विनिमय स्थिरता आदि अपने आप आ जाएगी। इसमें भी कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं जिनका हम अग्यत्र जिक्र कर चुके हैं।

अब हम साख के नियन्त्रण की प्रणालियों पर विचार करेंगे—ये हैं—

- (i) बैंक-दर की नीति (ii) खुले बाजार के कृत्य (iii) साख की राशनिग, (iv) अन्य प्रणालियाँ।

१४. बैंक-दर की नीति (The Bank-Rate Policy)—बैंक-दर वह दर है जिस पर किसी देश का केन्द्रीय बैंक प्रथम श्रेणी के बिलों की कटौती करने को प्रस्तुत रहे। अतः यह दर केन्द्रीय बैंक की कसौटी की दर है। बाजार रेट या कटौती की दर वह दर है, जो मुद्रा बाजार में अन्य ऋण देने वाली सस्थाओं में प्रचलित हो। केन्द्रीय बैंक अन्तिम आश्रय के रूप में ऋण देने वाला बैंक होता है, अतः बैंक की दर, बाजार की दर से ऊँची होती है। 'ब्याज की दर'—ये शब्द अधिकतर लम्बी अवधि के लिए लगाए गए धन पर लागू होते हैं। व्यापारिक बैंक अपने उन ग्राहकों को, जो उसके पास अपनी पूंजी लम्बे समय के लिए निक्षेप रूप में रखते हैं, जो कुछ ब्याज देते हैं, उसे ब्याज की दर कहते हैं। 'अल्पकालीन दर' (call rate) ब्याज की उस दर को कहते हैं जो बिलों के दलालों को थोड़े समय के लिए अग्रिम देने के लिए की जाती है। पूणतया विवसित मुद्रा बाजार में इन समस्त दरों का एक दूसरे से निरन्तर सम्बन्ध बना रहता है। उदाहरणार्थ, प्रथम महायुद्ध के पूर्व इंग्लैण्ड में बैंक अपनी 'अल्पकालीन दर' को अधिकतर बैंक दर से लगभग १॥ प्रतिशत नीचा रखा करते थे तथा बिलों के दलालों आदि को बहुत छोटी अवधि के लिए दी गई रकमों के लिए साधारणतया जमा कराने की दर से ३ प्रतिशत ऊँची दर रखी जाती थी, जिसमें बैंक को लेन देन में मुनाफा रहे। ग्राहकों से अग्रिम धन में बैंक-रेट से लगभग एक प्रतिशत अधिक लिया जाता था, किन्तु पाँच प्रतिशत न्यूनतम दर थी। कटौती की बैंक-दर तथा बाजार दर का सम्बन्ध मुद्रा-बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर रहता था।

बैंक-दर की नीति का सिद्धान्त (The Theory of Bank-rate Policy)—

इस सिद्धान्त के अनुसार केन्द्रीय बैंक की बैंक दर में परिवर्तन करने पर समस्त स्थानीय दरों में परिवर्तन आ जाता है। यदि बैंक रेट बढ़ाया जाता है, तो बाजार दर तथा मुद्रा-बाजार की अन्य श्रृंखला देने की दरें बढ़ जाती हैं, तथा जब केन्द्रीय बैंक अपना बैंक-रेट घटा देता है तब कटौती की बाजार-दर तथा अन्य दरें भी गिर जाती हैं। इन परिवर्तनों का प्रभाव मुद्रा की माँग तथा पूर्ति पर पड़ता है। जब दरें घट जाती हैं, श्रृंखला लेना बढ़ जाता है।

स्वर्णमान के बैंक दर की नीति (Bank-Rate Policy under Gold Standard)—इस नीति का सिद्धान्त स्वर्ण मान के विशेषतया अनुकूल है। अन्तर्ब्रिटेन में १९१४ के पूर्व इसने बहुत सफलतापूर्वक कार्य किया। स्वर्ण मान (gold standard) के अन्तर्गत व्यापार का अनुत्तुलन सब होता है जब विनिमय की गति उस स्थल पर पहुँच जाती है जहाँ कि सोने का निर्यात सीमा पार हो जाए तथा सोना बाहर जाने लगे। ऐसा होने का कारण या तो पूँजी का अत्यधिक निर्यात होता है या तैयार माल का अत्यधिक प्रायात होता है। इसके विपरीत जब भुगतान सेट (balance of payment)¹ पक्ष में आ जाता है तब सोने का प्रवाह भीतर की ओर हो जाता है।

सोने का प्रवाह बाहर की ओर होने का कारण यह हो सकता है कि उत्पादन की घरेलू लागत अधिक हो, जिसके फलस्वरूप निर्यात हतोत्साहित हो जाए और प्रायात प्रोत्साहित हो जाए, या अपने देश की मुद्रा पर अविश्वास होने के कारण, विदेशों में पूँजी अधिक लगा दी जाए या सट्टे का प्रभाव काम कर रहा हो या अन्य कारण भी हो सकते हैं।

ऐसी परिस्थितियों में बैंक-रेट बढ़ाने का फल हुआ—साख का संकुचन। वस्तुओं तथा प्रतिभूतियों का विक्रय बढ़ गया, क्योंकि व्याज की दर ऊँची होने के कारण उनको पडी रहने में लागत अधिक हो गई, विभिन्न वर्गों की आय घट जाने के कारण घरेलू माँग कम हो गई, सट्टा तथा नये काम में पूँजी लगाना कम हो गया, कीमतें और मजदूरी कम हो गई। अतः फल यह हुआ कि निर्यात बढ़ने लगा, विदेशी पूँजी आ लगी हुई थी उसका वापस जाना कम होने लगा आदि। इस प्रकार समयानुसार संतुलन पुनः स्थापित हो गया। सोने का बाहर जाना बन्द हो गया। यदि इस नीति को काफी दिन तक बरता जाए तो सोना देश में आने लगेगा, साख का तनाव (credit stringency) कम हो जाएगा, मुद्रा की दरें गिर जाएंगी तथा कारोबार पुनः जोर पकड़ेगा।

इस प्रकार बैंक दर के ऊँचा करने के दो प्रभाव होते हैं (i) तात्कालिक (immediate) तथा (ii) अन्त्य (ultimate)। तात्कालिक फल तो यह होता है कि बिलों की कटौती में हमी हो जाने के कारण श्रृंखला लेना कम हो जाता है। मुद्रा बैंकों के बाहर नहीं जा पाती। यही नहीं, बाहर की निधि भी आने लगती है, क्योंकि बैंक रेट के बढ़ने पर महाजना की रकबा जमा करने की दर भी बढ़ जाती है। अन्त्य फल यह होता है कि माल और मुद्रा के संकुचन के फलस्वरूप कीमतें गिर जाती हैं।

¹ For Balance of Payment, see Ch XXXIX

निर्यात बढ जाते हैं और आयात कम हा जाता है। व्यापार सतुलन पक्ष मे हाने लग जाता है और स्वण देश म आने लगता है। इस प्रकार बैंक दर को बढान का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अर्थात देश से सोन के निर्यात का दबाव कम हो जाता है और बढने म सोना देश म विदेशो से आन लगना है।

इसके विपरीत यदि सोना लगातार आता रहता है तो केन्द्रीय बैंक रेट को नीचे गिराता है। इससे मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है साख व्यापार उत्पादन रूपा लगाना तथा सट्टा य सब प्रोत्साहित होते हैं घरेलू बन्धन लागत बढ जाती हैं। आयात प्रोत्साहित होता है तथा निर्यात हतोत्साहित होता है। विदेशो म रूपा लगान को प्रोत्साहन मिलता है। यदि लम्बी अवधि तक यही नीति बरती जाती रहे तो भुगतान म असतुलन पैदा हो जाएगा और सान का प्रवाह दश के अन्दर की ओर न रह कर बाहर की ओर हो जाएगा।

बंक दर नीति की सीमाएँ (Limiting Conditions of Bank Rate Policy)—विचार करन पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि बंक-दर नीति की सफल क्रियाविति के लिए कई शर्तों का पालन आवश्यक हो जाता है—

(i) अ य सब दरों की गति को बैंक दर की गति का अनगामी होना चाहिए जिसम यथासम्भव एव यथा अवसर साख विस्तृत तथा सकुचित होती रहे।

(ii) देश का आर्थिक ढाँचा लचीला होना चाहिए जिसम साख विषयक परिवर्तन के फलस्वरूप मजदूरी लगान उत्पादन आदि म भी तदनुसार परिवर्तन हो जाए।

ब्रिटेन के से सगठित मुद्रा बाजार म प्रथम शत परिपूर्ण होती है।

ब्रिटेन म ऐसी परिपाटी हो गई है कि अ य सब दरों का सम्बन्ध बैंक दर से एक सा ही चलता रहता है। कभी कभी तब मद्रा बाजार म आवश्यकता से अधिक निधि संचित हो जाती है तब ऐसा भी हो सकता है कि बैंक दर भल ही प्रभावशाली न रहे और अ य मांग ग्रहण करना पडे। बहुत से अ य देशो म यह शत भी पूर्ण नहीं होती। अत यहाँ बैंक दर नीति का बहुत कम प्रभाव होता है।

दूसरी शत के सम्बन्ध म भी ब्रिटेन की स्थिति विशेषतया सन् १९१४ के युद्ध के पूर्व बहुत अच्छी थी। आर्थिक ढाँचा बहुत लचीला था। मद्रा की दरों तथा साख की परिस्थितियों मे परिवर्तन के अनुसार मजदूरी लगान और उत्पादन म बहुत कुछ परिवर्तन हो जाया करता था। कुछ समय पश्चात ब्रिटेन क आर्थिक ढाँचे का लचीला पन जाता रहा। इसके कई कारण थ जिनम स्वणमान का टट जाना मुद्रा का मदीन प्रबन्ध के अतगत आ जाना तथा मजदूरी तथा कीमता का नियमन प्रधान थ। अ य देशो म बैंक दर नीति को बहुत कम सफलता मिली क्योंकि उपयुक्त दोनो शर्तें विद्यमान नहीं थी।

बंक दर नीति के सम्बन्ध म कीस का दृष्टिकोण (Keynes View of Bank Rate Policy)—स्वर्गीय लाड कीस (Lord Keynes) के मतानुसार बैंक दर के पुरान सिद्धांत इस बात पर बहुत जोर देते थ कि बंक दर बैंक की पूँजी की मात्रा का नियमन करने का तथा देश की स्वण निधि के रक्षण का माधन है। उन सिद्धान्तो

में इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता था कि बचत को दृष्टिगत रखते हुए, रुपया लगाने की दर पर बैंक-रेट का क्या प्रभाव पड़ता है। रुपया लगाने तथा बचत—इन दोनों के सम्बन्ध में परिवर्तन का कीमतों, उत्पादन, काम धंधे तथा मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है।

कीन्स (Keynes) ने हाटरे (Hawtrey) की आलोचना की है। हाटरे ने रुपया लगाए जाने के विषय पर जोर दिया था किन्तु "केवल एक प्रकार से रुपया लगाए जाने पर (अर्थात् विन्नेताओं और दलालों द्वारा तरफ बस्तुओं में रुपया लगाया जाना) बैंक दर में परिवर्तन का प्रभाव बतलाया जाता है, जिसका वास्तव में अस्तित्व नहीं है।"¹ कीन्स के मतानुसार अल्पकालीन व्याज की दर में तथा चालू पूँजी वाली वस्तुओं के स्टॉक में परिवर्तन द्वारा आर्थिक स्थिति को प्रभावित नहीं किया जा सकता, बल्कि दीर्घकालीन व्याज की दरों तथा निश्चिन्त पूँजी वाले माल द्वारा उसे प्रभावित किया जा सकता है। बैंक दर में परिवर्तन का प्रभाव न केवल अल्पकालीन व्याज की दरों पर पड़ता है, बल्कि दीर्घकालीन दरों पर भी पड़ता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से परस्पर सम्बन्धित हैं। दीर्घकालीन दरों में परिवर्तन का प्रभाव रुपया लगाने वालों पर पड़ता है। रुपया लगाना दीर्घकालीन व्याज तथा लाभ की गुंजाइश पर निर्भर है। यदि यह मान लिया जाए कि लाभ की गुंजाइश उतनी ही रहेगी तो दीर्घकालीन दर जितनी ऊँची होगी, रुपया लगाना उतना ही कम आकर्षक।

अपनी हाल ही की कृति² में कीन्स (Keynes) ने सामान्य आर्थिक स्थिरता के लिए बचत तथा रुपया लगाए जाने—इन दोनों में सन्तुलन बनाए रखने के महत्त्व पर और अधिक जोर दिया है किन्तु उसके मतानुसार खुले बाजार में सञ्चालन (operation) द्वारा मुद्रा की मात्रा के नियमन को छोड़ते हुए, इस प्रकार की साम्यावस्था (equilibrium) बैंक-दर नीति द्वारा नहीं बल्कि राज्य द्वारा, राज्य की ओर से रुपया लगाया जाना सगठित करके तथा मन्दी के काल में सार्वजनिक कार्यों प्रारम्भ करवा कर किया जाना चाहिए। कीन्स (Keynes) का कथन है कि बैंक-दर नीति साख के नियन्त्रण की ऐसी रीति है, जो अब पुरानी हो चुकी है।

१६. खुले बाजार के कृत्य—सिद्धान्त (Open-Market Operations—The Theory)—वस्तुतः अर्थों में, खुले बाजार के कृत्यों का अर्थ है—केन्द्रीय बैंक द्वारा ऐसे किसी कागज की खरीद या बिक्री, जिसका केन्द्रीय बैंक आदान-प्रदान करता है; जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ, या अन्य सार्वजनिक प्रतिभूतियाँ या व्यापारिक हुडियाँ आदि, किन्तु इस पद का प्रयोग सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के सम्बन्ध में होता है। यह खरीद या बिक्री केन्द्रीय बैंक की ओर से, जानबूझ कर बरती जाने वाली साख नीति के रूप में की जाती है। यह बीस या तीस वर्षों में साख के नियन्त्रण की इस रीति का महत्त्व बहुत अधिक हो गया है।

खुले बाजार के कृत्य सञ्चालन का सिद्धान्त यह है—प्रतिभूतियों के विक्रय के फलस्वरूप साख सकुचित होती है, तथा ऋण के फलस्वरूप साख का विस्तार।

1 Keynes, A Treatise on Money, Vol. I, p 163

2 General Theory of Employment, Interest and Money, p 164

जब केन्द्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ बेचता है, उसको बदले में किसी व्यावसायिक बैंक का चैक मिलता है। यदि खरीदार (क्रेता) कोई बैंक है तो उसी बैंक पर ही चैक काटा जाता है। दोनों स्थितियों में फल एक ही होता है। सम्बन्धित बैंक को वह रोकड़ बाकी, जो केन्द्रीय बैंक के पास रहती है, कम हो जाती है। रोकड़ घटने से बैंक को ऋण घटाना पड़ता है। इस प्रकार साख का सकुचन होता है। जब केन्द्रीय बैंक, प्रतिभूतियाँ खरीदता है तो अपने आप पर ही चैक काट कर अदायगी करता है। इससे व्यावसायिक बैंकों को रोकड़ बाकी बच जाती है और वे साख का विस्तार कर सकते हैं। "अभिगम्य मुद्रा (legal tender money) का ध्यान रखो और साख स्वयं अपना ध्यान रखेंगे" यही सूत्र है।

सिद्धान्त की सीमाएँ (Limitations of the Theory)—यह स्पष्ट है कि यह सिद्धान्त तभी काम करेगा जब कुछ शर्तें पूर्ण हों। ये शर्तें निम्नलिखित हैं—

(i) जब केन्द्रीय बैंक प्रतिभूतियों की खरीद करता है, तब सदस्य बैंकों की नकद निधि बढ़ जाती है, तथा जब केन्द्रीय बैंक प्रतिभूतियाँ बेचता है, तब सदस्य बैंकों की नकद निधि घट जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि यह न हो। प्रतिभूतियों का विक्रय बैंकों में सोना आ जाने से, या चलन में रहने वाले नोट वापिस आ जाने या छिपी हुई निधि वापिस आ जाने से प्रभावहीन हो सकता है। उसी प्रकार प्रतिभूतियों की खरीद के साथ-साथ सोने की निकामी या एकत्रीकरण के लिए नोटों की खींच भी हो सकती है। दोनों दशाओं में सदस्य बैंकों की नकद निधि प्रभावित नहीं होगी।

(ii) और यदि सदस्य बैंकों की नकद निधि घट या बढ़ भी जाए तो भी बैंक तदनुसार साख का विस्तार या सकुचन न करें। रोकड़ और साख का अनुपात बिलकुल निश्चित नहीं होता तथा बड़ी सीमाओं के अन्दर रहता हुआ भिन्न स्थिति में भिन्न हो सकता है। बैंक केवल नकदी साधनों के आधार पर साख की विस्तृत या सकुचित नहीं करेगा। वरन् विद्यमान आर्थिक तथा राजनैतिक दशा को देख कर साख को विस्तृत या सकुचित करेगा।

(iii) तीसरी शर्त है कि जब व्यावसायिक बैंकों के नकदी साधन बढ़ेंगे तब ऋणों तथा अग्रिम धनो की माँग भी बढ़ेगी। विपरीत क्रिया का विपरीत फल होगा। परन्तु ऐसा होना भी आवश्यक नहीं है। आर्थिक तथा राजनैतिक स्थिति के डाँवाडोल होने पर सस्ती दर पर भी ऋण लेने वाले न मिलें, यह सम्भव है। इसके विपरीत जब व्यापार चलता है, तथा लाभ की गुंजाइश होती है, तब उद्यमी ऊँची दर पर भी ऋण लेगा।

(iv) अन्त में, बैंक की साख का चलन सम गति (constant velocity) से चलना चाहिए। परन्तु बैंक में जमा होने वाली रकम की गति एक-सी नहीं होती। व्यापार की उन्नति के समय में जमा होने वाली रकम की गति बढ़ जाती है और मन्दी के दिनों में घट जाती है। अतः चलन की गति अधिक हो जाने से साख के सकुचन की नीति निष्फल की जा सकती है और इसके विपरीत भी विलोमतः ही फल होगा।

इत सीमाओं के होते हुए भी, बैंक की साख के मद्दुचन तथा विस्तार में तथा केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतिया के विनय तथा ऋय म अशुछा खासा सम्बन्ध है।

१७ साख की राशनिग (Credit Rationing) — साख की राशनिग का अर्थ उन नियन्त्रणों से है जो मुद्रा की कमी के समय में केन्द्रीय बैंक द्वारा साख की माँग पर लगाए जाते हैं। प्रत्येक प्रार्थी की रकम सीमित कर देने से साख की राशनिग हो जाती है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक छोटी अशुधि के पश्चात् पूरी होने वाली हड्डियों की ही कटौती स्वीकार करता है। बैंक ऑफ इंगलैंड (Bank of England) द्वारा इस रीति का प्रयोग १८ वीं शताब्दी के अन्त तक किया गया जब कि व्याज विषयक कानूनों द्वारा कटौती की दर पांच प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती थी। हाल ही में, विशालतया प्रथम महायुद्ध के पश्चात उत्पन्न होने वाली कठिन परिस्थितियों में रूस तथा जर्मनी सरीखे कई देशों ने साख की राशनिग की नीति ग्रहण की।

साख-नियन्त्रण की इस रीति का दुष्प्रयोग बहुत हो सकता है अतः इसको केवल आपत्ति-काल में ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए।

१८ अन्य रीतियाँ (Other Methods) — साख नियन्त्रण की अन्य रीतियों का संक्षेप में विवेचन किया जा सकता है। सीधी कार्यवाही का एक मार्ग होता है। इसका अर्थ है दबाव डालने वाली नीति अर्थात् जिन बैंकों की साख नीति केन्द्रीय बैंक की इच्छानुसार न हो या जिन्होंने अपनी पूँजी और रक्षित निधि के अनुपात से अधिक ऋण ले रखा है, उनकी हड्डियों में पुनः कटौती कराने से इन्कार करना। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक सदस्य-बैंकों से प्रार्थना कर सकता है तथा उन्हें समझा सकता है कि सट्टे या अनावश्यक अभिप्रायों के लिए ऋण को न बढ़ावे। कानून द्वारा केन्द्रीय बैंक को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वह सदस्य बैंकों की न्यूनतम रक्षित निधि को परिवर्तित कर सकें। कानून के द्वारा प्रतिभूति ऋणों के ऊपर भी सीमान्त लगाया जा सकता है। अन्त में, प्रचार का साधन भी प्रयुक्त होता है। पाक्षिक ग्रांठके, निश्चित समय पर मुद्रा बाजार की दशा का पुनर्विलोकन सार्वजनिक वित्त, व्यवसाय तथा उद्योग की तलपट के रूप में आदेय तथा देनदारी का पाक्षिक स्थिति विवरण आदि प्रकाशित करना।

केन्द्रीय बैंक की साख नियन्त्रण शक्ति के विषय में क्रॉउथर (Crowther) ने लिखा है, 'देश में उपलब्ध मुद्रा की मात्रा का नियन्त्रण करने की केन्द्रीय बैंक की सीमाएँ हैं। किन्तु ये सीमाएँ विस्तृत तथा लोचदार हैं, इसलिए जहाँ तक मुद्रा की मात्रा का सम्बन्ध है केन्द्रीय बैंक का आधुनिक समाज में काफी नियन्त्रण है। इस अर्थ का कि प्रौढ़ा मुद्रा की मात्रा कौन निश्चित करता है, उत्तर यह है कि केन्द्रीय बैंक की नीति सामान्य रूप से जो स्वविवेक के अनुसार प्रवाहित होती है अपनी सीमा के अन्दर विस्तृत है किन्तु अपने क्षेत्र में केन्द्रीय बैंक स्पष्ट रूप से डिक्लेटर के समान है।'¹

१९ अन्तिम ऋणदाता (Lender of Last Resort) — आपात काल में नकदी की माँग पूरा करने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय बैंक का है। जब लोगों में हलचल

फैल जाती है और उनकी निष्ठा कम हो जाती है, जब दूसरे बैंको में भी गड़बड़ होने लगती है तो सेण्ट्रल बैंक निर्भयता से सामने आता है और नकदी देकर उस भय को कम करता है। इतने तरल अधिमान की अस्थिरता पर सिर्फ सेण्ट्रल बैंक ही काबू पा सकता है। इस स्थिति के लिए सेण्ट्रल बैंक के विधान में ऐसे उपबन्ध होते हैं कि वह नियमित राशि से अधिक नोट जारी कर सके।

इसके लिए हम रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का उदाहरण पेश कर सकते हैं जिसने इस ओर बड़ा सफल कार्य किया है। कृषि वित्त की उन्नति, बैंक सुधार कार्य, जरूरतमन्द बैंको की सहायता देशी महाजनो की बैंकिंग समस्याओ को आधुनिक बैंको से मिलाना आदि ऐसे कार्य हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत का रिजर्व बैंक सफलता की ओर जा रहा है।

२० केन्द्रीय बैंको का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Central Banks) — पिछले कुछ वर्षों में कई केन्द्रीय बैंको का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। इनमें बैंक ऑफ इंग्लैण्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक प्रधान हैं।

राष्ट्रीयकरण के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि ये बैंक सामाजिक सस्याएँ तो समझी ही जाती हैं। इनके भागीदारो के हित की अभिवृद्धि के स्थान पर राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि होती है। केन्द्रीय बैंक एक निश्चिन्त मोमा से अधिक लाभांश (dividend) नहीं घोषित कर सकना। हिस्सेदारो को उतना ही मिलता है जितना सरकारी प्रतिभूतिया में खपया लगाने वाला को। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक बहुत कुछ राष्ट्रीय सस्याएँ होती हैं। यदि वास्तव में ये राष्ट्रीय सस्याएँ हैं तो कानून उनको ऐसा क्यों न घोषित कर दिया जाए ?

दूसरे, सरकार हिस्सेदारो के हितो पर विशेष ध्यान रखे बिना, राष्ट्रीय हित में और अधिक दृढतापूर्वक तथा सुचारु रूप से कार्य कर सकेगी। सचालकमण्डल कुछ व्यक्तियो के प्रतिनिधि न होकर सरकार द्वारा मनोनीत (nominated) होंगे। हिस्सेदारो के प्रतिनिधि होने की दृष्टि में उनको कुछ तत्सम्बन्धी बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। किन्तु सरकारी तौर पर मनोनीत होने पर उनका दृष्टिकोण बिल्कुल बदल जाएगा। वे एकचित्त होकर केवल राष्ट्रीय हित वर्द्धन की बात ही सोचेंगे।

तीसरे, केन्द्रीय बैंक जमा रकम पर कोई व्याज नहीं देता, अतः उसे बहुत लाभ होता है। राष्ट्रीयकरण हो जाने पर यह लाभ समाज को होगा, हिस्सेदारो की सीमित सख्या को नहीं।

चौथे, केन्द्रीय बैंक प्रधानतया सरकारी काम करता है, करो आदि का संग्रहण (collection), सरकारी ऋणो का प्रबन्ध आदि। मुद्रा की तिकासी पूर्णतया सरकारी कार्य है, जिसे केन्द्रीय बैंक करता है।

पाँचवें केन्द्रीय बैंक का कारोबार क्रमबद्ध होता है तथा एकाधिकार के रूप में है, अतः राजकीय प्रबन्ध के अन्तर्गत सुचारु रूपेण चल जाता है।

आजकल समाजवाद की धूम है। केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण से जनता की इच्छामो की पूर्ति होगी तथा समाजवाद की ओर कदम बढ़ेगा।

राष्ट्रीयकरण के विरोधी नीकरशाही के भूत को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। वे कहते हैं कि वैकिंग व्यावसायिक उद्यम है, तथा उसका पूर्णतया व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार चलाया जाना जरूरी है। स्थायी राजकीय कर्मचारी ऐसा नहीं कर सकेंगे। उनका पद स्थायी होता है तथा सेवा काल के आधार पर उनकी तरफ़ी होती है। अतः अच्छा काम करने की सारी भावना तथा प्रेरणा मारी जाती है। ये लोग सरकारी घिस-घिस में बंधे रहते हैं।

इसके अतिरिक्त वैकिंग के कारोबार के लिए विशेष ज्ञान अपेक्षित है तथा सामान्य मन्त्री इसे नहीं समझ सकता। अतः उसे अपने स्थायी कर्मचारियों के हाथ में कठपुतली बनकर रहना पड़ेगा।

यह भी कहा जाता है कि राष्ट्रीयकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केन्द्रीय बैंक पूर्णतया राष्ट्रीय हितों के आधार पर मंचालित हो रहा है। असाधारणों (shareholders) को जो लाभांश मिलता है वह बहुत अधिक नहीं है। केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण का सबसे बड़ा खतम यह है कि केन्द्रीय बैंक को राजनीतिक दल-बन्दी की चालों में कहीं दब पर न रख दिया जाए। विचारहीन मन्त्रीमण्डल द्वारा केन्द्रीय बैंक का सहयोग दल का मतनव गँठने के लिए किया जा सकता है न कि समूचे राष्ट्र के कल्याण के हेतु।

सारी स्थिति को समझ कर हम यह कह सकते हैं कि केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण ने अपने प्रोत्थित को मिट्ट कर दिया है, तथा ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीयकरण के खतरों को अधिकतर बढ़ा-चढ़ा कर प्रदर्शित किया गया है।

२१ अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (International Bank for Reconstruction and Development)—मार्च १९४५ में दूसरी लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन लड़ाई के कारण जो विभिन्न देशों को महान् क्षति पहुँची थी, उसे दूर करना बाकी थी। आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्य बहुत ही आवश्यक था। इस कार्य के लिए केवल राजनीतिक उपाय ही पर्याप्त न थे। इस समस्या के हल के लिए अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम नस्था—I L O (San Francisco), और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नस्था—I T. O (Havana) तथा ब्रैटवुड्स (Brettonwoods)। इन सम्मेलनों के फलस्वरूप दो नस्थाओं का जन्म हुआ—एक तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) और दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (International Bank of Reconstruction and Development)।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (I B R D) का मुख्य उद्देश्य युद्ध-पीडित देशों के पुनर्निर्माण तथा पिछड़े हुए देशों के विकास में सहायता पहुँचाना है। इस कार्य के लिए यह बैंक दीर्घकालीन वित्त प्रदान करता है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I M F) अल्पकालीन ऋण ही देता है। अपनी पूँजी से ही नहीं बल्कि बाँड द्वारा संप्रह की कई पूँजी में भी यह बैंक दीर्घकाल के लिए साख की व्यवस्था करता है। उसके बाँड के विक्रय में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इनके पीछे सभी

सदस्य-देशों की गारंटी है। इसके अलावा यह बैंक व्यक्तिगत सस्थाओं द्वारा दिए गए ऋणों पर ३ या १ प्रतिशत कमीशन के ऊपर गारंटी दे सकता है। इससे विदेशों में पूंजी विनियोग के कार्य को प्रोत्साहन मिलता है।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (I. B. R. D.) के प्रयत्नों से अनेक देशों की युद्धकालीन अर्थव्यवस्था, शान्तिकालीन अर्थव्यवस्था में बदल चुकी है। यही नहीं, यह बैंक, ससार के प्रत्येक पिछड़े देश के लोगों का रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठाना चाहता है और सदस्य राष्ट्रों के श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना चाहता है।

ससार के ५० प्रमुख देश (रूस को छोड़कर) इस बैंक के सदस्य हैं और इसकी कुल पूंजी ६ बिलियन डालर है। इसमें अमरीका का हिस्सा एक-तिहाई है। भारत का अंश ४०० प्रयुत या मिलियन डालर है। अन्य देशों के हिस्से इस प्रकार हैं—इंग्लैण्ड १०० प्रयुत या मिलियन डालर, चीन ६०० मि० डा०, फ्रांस ४५० मि० डा०। सदस्य देशों ने अपने हिस्से का २० प्रतिशत दे दिया है और अब निकट भविष्य में शायद उन्हें और न देना पड़े। इस २० प्रतिशत में हर सदस्य देश को १८ प्रतिशत अपनी राष्ट्रीय मुद्रा में और शेष २ प्रतिशत सोने या डालर में देना पड़ा था।

बैंक की सहायता से सदस्य देश अपने उपलब्ध साधनों को पूर्ण रूप से उपयोग में लाकर जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं।

बैंक के कार्य उचित व्यावसायिक सिद्धान्त के अनुसार चलाए जाते हैं और ऋण तभी दिए जाते हैं जब इस बात का विश्वास हो जाता है कि जोखिम लाभ-दायक है। ऋण देने के पहले ऋणों की सब आवश्यक आर्थिक बातों और परिस्थितियों की पूरी जाँच-पड़ताल कर ली जाती है। बैंक उम समय तक उधार नहीं देता जब तक उसे यह निश्चय नहीं हो जाए कि (क) उधार लेने वाले देश की समूची आर्थिक व्यवस्था ठीक है, और वहाँ की नीति तथा व्यवहार से यह धारणा न बन जाए कि वहाँ बहुत जल्दी ही ठीक हालात पैदा हो जाएँगे, यदि वह देश सड़क में से घुजर रहा हो, (ख) अर्थ व्यवस्था के पुनर्निर्माण तथा विकास की समूची योजना ठीक प्रकार बनी है और उन्हें इस प्रकार चलाया जा रहा है जिससे आर्थिक व्यवस्था ठोस होगी, तथा (ग) वे परियोजनाएँ (Projects) जिनका वित्त पोषण बैंक द्वारा हो रहा है, उचित रूप में टेक्निकल ढंग में तैयार हुई हैं और उनका निर्माण वित्तीय तथा आर्थिक रूप में न्यायसंगत है।

घोड़े से समय में अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (I. B. R. D.) ने कई महत्वपूर्ण ऋण दिए हैं। सबसे पहला बड़ा ऋण फ्रांस को २५०० लाख डालर का मिला। इसके पश्चात् २६३० लाख डालर के ऋण नीदरलैण्ड्स (Netherlands), डेन्मार्क (Denmark), लक्सेम्बर्ग (Luxemburg) और चिली (Chile) आदि देशों को दिए गए। ३४० लाख डालर का एक ऋण मेक्सिको (Mexico) को विद्युत् शक्ति के विकास के लिए दिया गया। १९५७ में बैंक ने २० ऋण १५ देशों को ३८७८ ६ लाख डालर के लिए, जबकि १९५०-५१ में इसी बैंक ने ३९६५ लाख डालर

के २६ ऋण २० देशों को दिए थे। दस वर्षों में (१९४७-४७), बैंक ने ४३ देशों को ३१०७० लाख डालर के ऋण दिए और कई मिशन कई देशों को वार्षिक जीव पड़ताल करने के लिए भेजे। ऋण की अवधि १५-२० वर्षों है। बैंक की व्याज दर २½% तथा ५½% है और १% कमोशन बैंक के विशेष रिजर्व के नाम जमा करती पड़ती है। प्रारम्भ में प्रायः सभी ऋण कृषि उत्पाद की उन्नति के लिए तथा कम विकसित देशों में आधारभूत उपयोक्तारों पुरी करने के लिए दिए गए। उद्योगों के लिए दिया गया ऋण अपेक्षाकृत कम है। १९२७ में अधिकतर ऋण विद्युत् शक्ति के विकास के लिए दिए गए। अब तक के लिए दिए गए ऋणों में से प्रायः एक तिहाई ऋण केवल विद्युत् शक्ति के विकास के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अब उद्योगों के विकास के लिए भी ऋण दिए जा रहे हैं। यह बात माननी पड़ेगी कि जहाँ तक बैंक के श्रोतों का प्रश्न है वे मुझ द्वारा नष्ट हुए देशों तथा अर्थविकसित देशों के विकास के लिए वित्तीय सहायता के रूप में पर्याप्त राशि देने में असमर्थ हैं।

जहाँ तक भारत का प्रश्न है, अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने ३४० लाख डालर का ऋण इजिन खरीदने के लिए, १०० लाख डालर कृषि विकास तथा मशीनों, जैसे सेप्टल ट्रेक्टर मगठन को मशीनों खरीदने की दिया जिससे कान्स नामक गहरी घास को निकाल कर भूमि कृषियोग्य बनाई जा सके, और १८५ लाख डालर नदी घाटी योजनाओं के लिए दिया। इन योजनाओं की जाँच के लिए कई टेक्निकल मिशन भारत में भेजे गए। १९५१ के अन्तिम महीनों में एक टेक्निकल मिशन भारत का दौरा करने आया। उसका काम प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आयोजन, वित्त तथा निष्पादन आदि बातों के बारे में जानकारी हासिल करना था। मई १९५१ में बैंक के प्रतिनिधियों ने औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation) की सहायता के बारे में विचार किया जो उद्योगों के लिए छोड़े समय तथा दीर्घ अवधि के लिए ऋण का प्रबन्ध करे। जून १९५२ में बैंक स्टॉक का एक सव्य दामोदर घाटी योजना के बारे में अध्ययन करने आया। एक अन्य मिशन भारत में मोहा तथा इस्पात उद्योगों में सम्बन्धित टेक्निकल और वित्तीय समस्याओं का अध्ययन करने आया। उक्त मिशन का उद्देश्य था कि भारत में जहाँ तक लोहे और इस्पात के उत्पादन की वढाया जा सकता है। बैंक ने सिन्धु नदी घाटी योजना के प्रति भी कुछ रुचि प्रकट की है। विश्वास किया जाता है कि सिन्धु नदी घाटी योजना से भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को पर्याप्त लाभ होगा। १९५७ में भारत को २०० लाख डालर उद्योगों के विकास के लिए, ५६ लाख डालर हवाई यातायात की व्यवस्था सुधारने के लिए, ९८ लाख डालर विद्युत् शक्ति के विकास के लिए मिले। जून १९५७ तक भारत को १६८० लाख डालर की सहायता अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (I. B. R. D) से मिल चुकी थी। सत्तर के देशों में भारत तीसरा देश है जिसने अधिकतम ऋण उक्त बैंक में प्राप्त किया है। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत को साक्ष्य बहुत लोकप्रिय है।

निर्देश पुस्तकें

- De Kock Central Banking, latest edition
 Kisch, C H and Elkins, W A Central Banks
 Keynes, J M A Treatise on Money, 1950, Ch 13
 , General Theory of Employment, Interest
 and Money
 Brij Narain Money and Banking (S Chand & Co)
 Truptil R. J British Banks and London Money Market,
 1936
 Samuelson, P A Economics 1948 Ch 15
 Howtrey, R G The Art of Central Banking, 1932
 Harrod, R F The Trade Cycle 1936
 Sayers, R S Modern Banking, 1947
 Crowther, G An Outline of Money, Ch 2 pp 42 77
 League of Nations International Currency Experience, 1944
 Macmullan Committee Report on Finance and Industry

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त (Theory of International Trade)

१ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का पृथक् सिद्धान्त क्यों ? (Why Separate Theory of International Trade?)—अभी तक हम एक ही देश की वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय की समस्याओं के विषय में चर्चा करते रहे हैं। अब हम उन समस्याओं का अध्ययन करेंगे जो विभिन्न देशों में रहने वाले व्यक्तियों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय से सम्बन्धित हैं।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि अन्तरिक व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अन्तर किस्म का है, मात्रा (degree) का नहीं है। मूल सिद्धान्त दोनों में एक ही है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, देशी व्यापार (home trade) को भाँति, श्रम-विभाजन का फल है। व्यापारी लोग अन्तरिक व्यापार में उन वस्तुओं का उत्पादन करने में विशेषता हासिल करने का प्रयत्न करते हैं, जिनमें अधिकतम तुलनात्मक लाभ होता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी ऐसा ही होता है।

फिर भी देशी तथा विदेशी व्यापार में कुछ ऐसे भेद हैं जिनके कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का पृथक् सिद्धान्त बनाने की आवश्यकता होती है।

पहला भेद यह कि देश में श्रम तथा पूँजी की गतिशीलता विभिन्न देशों के बीच की अपेक्षा अधिक होती है। इस भिन्नता के कई कारण हैं। भाषा, परम्पराएँ, धर्म, रीति-रिवाज, सामाजिक तथा राजनीतिक दशाओं के अन्तर उनको अपने ही देश में रखते हैं। कभी-कभी आलस्य के बस भी लोग अपना घर छोड़ना नहीं चाहते। पूँजी श्रम से अधिक गतिशील होती है, परन्तु इसे भी लोग अपने ही देश में विभिन्न कारणों से लगाना अधिक पसन्द करते हैं। पूँजी लगाने वाले अपने देश में पूँजी लगाने में अपने का अधिक सुरक्षित समझते हैं।

विभिन्न देशों में श्रम तथा पूँजी की कम गतिशीलता के कारण प्रतियोगिता एक देश के विपरीत दूसरे देशों में एक प्रकार की वस्तुओं की उत्पादन-लागत को समान रखने में असमर्थ रहती है। किन्तु एक ही देश में समान चीजों की उत्पादन लागत समान रहती है। यही कारण है कि भिन्न-भिन्न देशों की भिन्न-भिन्न वस्तुओं के उत्पादन में अतिसमान लाभ होता है। प्रत्येक विभिन्न देशों के बीच प्रतियोगिता नहीं रहती। दो देशों के बीच में श्रम तथा पूँजी के गतिशील न होने का एक दूरवा परिणाम भी होता है। एक देश में किसी वस्तु की कीमत उसकी उत्पादन-लागत के समान हो जाती है क्योंकि श्रम तथा पूँजी एक उद्योग से दूसरे उद्योग में घा-जा सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसा नहीं होता। श्रम तथा पूँजी के गतिशील न होने के कारण कीमत तथा उत्पादन-लागत बहुत कम समान हो पाते हैं।

दूसरे, लाभ में अन्तर प्राकृतिक कारणों जैसे भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु की दशाओं द्वारा भी हो सकता है। इससे श्रम का प्रादेशिक विभाजन और उद्योगों का स्थानीयकरण हो जाता है। उदाहरणार्थ, कुछ देशों में विशिष्ट खनिज पदार्थ जैसे कोयला, लोहा, ताँबा होते हैं। दूसरों में जलवायु अथवा भूमि कुछ फसलों के योग्य होती है, जैसे बंगाल प्रान्त में जूट। या तो यह लाभ दूसरे देशों को हस्तान्तरित नहीं किए जा सकते अथवा उनकी हस्तान्तरण लागत बहुत अधिक होती है।

तीसरे, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ समस्याएँ इस बात से उत्पन्न होती हैं कि वे देश स्वतन्त्र राज्य होने हैं और मुद्रा, बैंकिंग कानून, विदेशी ऋण, कीमत, मजदूरी आदि के सम्बन्ध में स्वतन्त्र नीति अपना सकते हैं। सीमाओं के बाहर जाने वाली वस्तुओं पर राज्यों द्वारा रोक लगाई जा सकती है, प्राकृतिक तथा सामाजिक बाधाओं के कारण भी वस्तुएँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाई जा सकती।

इन सब कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का पृथक् सिद्धान्त है।

२ तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त (The Theory of Comparative Costs)—रिकाडों (Ricardo) ने सब से पहले तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर लागू किया था। उन्होंने बताया कि एक ही देश में भिन्न-भिन्न व्यवसायों में लाभ समान होता है, परन्तु विभिन्न देशों में ऐसा नहीं होता। इसका कारण यह है कि देश के अन्दर श्रम गतिशील होता है, परन्तु भिन्न-भिन्न देशों के बीच नहीं। गणित के उदाहरण द्वारा उन्होंने बताया कि यदि पुर्तगाल, इंग्लैंड की अपेक्षा सस्ता कपड़ा तथा शराब पैदा कर सकता है, तो भी पुर्तगाल के लिए यह लाभदायक होगा कि वह शराब में लगा रहे, जिसमें उसको अधिक तुलनात्मक लाभ है और कपड़े का इंग्लैंड से आयात करे।

जे० ई० केयरस (J E Cairnes) ने रिकाडों (Ricardo) की इस कल्पना पर आक्षेप किया कि उत्पादन के साधन एक देश के अन्दर ही गतिशील होने हैं, कई देशों के बीच नहीं। तो भी, वह मानते थे कि एक देश के अन्दर प्रतियोगिता न होने वाले समूहों के होते हुए भी उत्पादन के साधनों की गतिशीलता लाभ को समान करने के लिए पर्याप्त थी। किन्तु ऐसा विभिन्न देशों के बीच नहीं हुआ। इस भाँति पुरातन सिद्धान्त केयरस (J E. Cairnes) द्वारा पूर्ण हुआ। अब यह विश्वास किया जाता है कि एक देश के अन्दर तो वस्तुओं की विनिमय दर उनकी लागत के अनुपात में होती है किन्तु विभिन्न देशों में एक दूसरे की माँग इसे निश्चित करती है।

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का यह प्रतिष्ठित सिद्धान्त प्रधानतः आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा मान्य है, तो भी, उसकी दृढ़ता तथा उसकी व्याख्या में कुछ सुधार कर दिए गए हैं। ये सुधार इस प्रकार हैं—

(1) पुरातन एवं प्रतिष्ठित (classical) अर्थशास्त्रियों ने लागत का माप श्रम के अनुसार किया। आधुनिक लेखक सिद्धान्त को सीमान्त लागत में उत्पादन के साधनों की सापेक्ष न्यूनता की मात्रा के अनुपात में प्रस्तुत करते हैं।

(ii) रिकाडों (Ricardo) के सिद्धान्त ने यह मान लिया था कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थिर प्राप्ति (constant returns) का नियम लागू होता है। आधुनिक

लेसको ने इस साधारण वर्णन का वृद्धि तथा ह्रास नियम के प्रभावों को विख्याते हुए विस्तार किया है। अतएव यदि उत्पादन के पैमाने में वृद्धि से प्रति इकाई लागत कम हो जाती है, तो तुलनात्मक लाभ बढ जाएगा। दूसरी ओर, यदि अधिक उत्पादन से प्रति इकाई लागत बढ जाती है, तो तुलनात्मक लाभ घट सकता है अथवा समाप्त हो सकता है।

(iii) रिकार्डों (Ricardo) के सिद्धान्त ने विनिमय की शर्तों की व्याख्या नहीं की। एडम स्मिथ (Adam Smith) एव कुछ अन्य रिकार्डों (Ricardo) के पारम्भिक समर्थक बाजार के भाव 'मोल तोल' ('bidding') करते पर, जो एक अनिश्चित शब्द है, आधित मानते थे। आधुनिक विश्लेषण के अनुसार विनिमय का अनुपात प्रत्येक देश की दूसरे देश की वस्तुओं की माँग की लोच से निश्चित होता है।

ऊपर लिखे हुए नवीन विचारों के आधार पर अब हम तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त (theory of comparative costs) का विवेचन करेंगे।

सारा व्यापार केवल इसलिए होता है कि उत्पादन लागत में अन्तर होता है। ऐसे अन्तर तीन प्रकार के हो सकते हैं—

- (i) लागतों में पूर्ण अन्तर,
- (ii) लागतों में समान अन्तर, तथा
- (iii) लागतों में तुलनात्मक अन्तर।

व्यापार (i) तथा (ii) में सम्भव है, परन्तु (iii) में नहीं। हम इसका उदाहरण देकर समझा सकते हैं।

(1) लागत में पूर्ण अन्तर (Absolute Differences in Cost)

क देश में { गेहूँ के उत्पादन की सीमान्त लागत १०० प्रति मन है।
कपास के उत्पादन की सीमान्त लागत १०० प्रति मन है।

ख देश में { गेहूँ के उत्पादन की सीमान्त लागत १०० प्रति मन है।
कपास " " " " १०० " " "।

चूँकि कीमत उत्पादन की सीमान्त लागत के बराबर होती है, इसलिए क देश में १ मन गेहूँ, ३ मन कपास के बदले में दिया जाएगा। और ख देश में १ मन गेहूँ का विनिमय २ मन कपास के बदले में होगा।

इस प्रकार

लागत अनुपात

क देश में १ गेहूँ की इकाई = ३ कपास की इकाई १ : ३
ख देश में १ गेहूँ की इकाई = २ कपास की इकाई १ : २

इस प्रकार क देश को गेहूँ में और ख देश को कपास में पूर्ण मान है। क देश गेहूँ के उत्पादन में तथा ख देश कपास के उत्पादन में लग जाएगा। क देश को तब तक लाभ होगा, जब तक कि वह १ मन गेहूँ के बदले ३ मन कपास से अधिक पा सकता है। ख देश को तब तक लाभ होगा, जब तक कि वह १ मन गेहूँ २ मन कपास से कम के बदले में पा सकता है। विनिमय का अनुपात १ मन गेहूँ के लिए ३ तथा २ मन कपास के बीच में कही होगी। वास्तविक दर प्रत्येक पक्ष की दूसरे देश की वस्तुओं की माँग की सापेक्षिक लोच पर निर्भर होगी। इसको हम भागे देखेंगे।

पूर्ण लाभ के कारण व्यापार समशीतोष्ण (temperate) कटिबन्ध तथा अयनवृत्त (tropical) वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं।

(ii) लागत में समान अन्तर (Equal Differences in Cost)

जब तुलनात्मक लाभ समान होता है, तो दोनों पक्षों के बीच कोई स्थायी व्यापार नहीं हो सकता। अस्तु :

क देश में	{	गेहूँ के उत्पादन की सीमान्त लागत ५ रु० प्रति मन है।
	{	कपास के उत्पादन की सीमान्त लागत १० रु० प्रति मन है।
ख देश में	{	गेहूँ के उत्पादन की सीमान्त लागत ४ रु० प्रति मन है।
	{	कपास के उत्पादन की सीमान्त लागत ८ रु० प्रति मन है।

इस प्रकार

		लागत अनुपात
क देश में	गेहूँ की १ इकाई = $\frac{1}{2}$ कपास की इकाई	१ : २
ख देश में :	गेहूँ की १ इकाई = $\frac{1}{2}$ कपास की इकाई	१ : २

उपर्युक्त दशाओं में विशिष्टीकरण से किसी भी पक्ष को कोई लाभ न होगा। यदि क देश गेहूँ में विशिष्ट है और ख देश कपास में, तो क देश को केवल तभी लाभ हो सकता है, जबकि १ मन गेहूँ उसको $\frac{1}{2}$ मन से अधिक कपास प्रदान करता है। परन्तु ख देश १ मन गेहूँ के बदले $\frac{1}{2}$ मन से अधिक कपास न देगा, क्योंकि वह घर पर अपने साधनों को कपास से हटाकर और गेहूँ में लगाकर इतना उत्पादन कर सकता है। यदि व्यापार प्रारम्भ भी हो जाए, तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है, व्यापार थोड़े समय में समाप्त हो जाएगा।

(iii) लागत में तुलनात्मक अन्तर (Comparative Differences in Costs) — जब तुलनात्मक लाभ भिन्न हो तो व्यापार बड़ेगा और चलता रहेगा।

इस प्रकार

क देश में	{	गेहूँ के उत्पादन की सीमान्त लागत ७ रु० प्रति मन है।
	{	कपास के उत्पादन की सीमान्त लागत १४ रु० प्रति मन है।
ख देश में	{	गेहूँ के उत्पादन की सीमान्त लागत ५ रु० प्रति मन है।
	{	कपास के उत्पादन की सीमान्त लागत ७ रु० प्रति मन है।

ऐसी दशा में ख देश, क देश की अपेक्षा गेहूँ तथा कपास क देश से सस्ती उत्पन्न कर सकता है परन्तु तुलनात्मक लाभ कपास के उत्पादन में गेहूँ के उत्पादन से अधिक है। दूसरी ओर क देश की दोनों वस्तुओं के उत्पादन में तुलनात्मक हानि है, परन्तु हानि गेहूँ में कपास की अपेक्षा कम है।

इस प्रकार :

क देश में गेहूँ का १ मन = $\frac{1}{2}$ मन कपास	लागत अनुपात
ख देश में १ मन गेहूँ = $\frac{2}{3}$ अथवा ७१ मन कपास	१ : २
	१ : १ $\frac{1}{2}$

अतएव ख देश को कपास के उत्पादन में तथा क देश को गेहूँ के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करना अधिक लाभदायक होगा।

इससे यह नहीं मान लेना चाहिए कि क देश में कपास तथा ख देश में गेहूँ का उत्पादन पूर्णतया बन्द हो जाएगा। तुलनात्मक लागत सिद्धान्त केवल शीत

लागत को बताता है। यदि ख देश में हर कपास के खेत की लागत क देश के हर कपास के खेत की लागत से कम है, तथा यदि क देश में हर गेहूँ के खेत की लागत ख देश के हर गेहूँ के खेत की लागत से कम है, तो क देश में कपास और ख देश में गेहूँ का उत्पादन न होगा। परन्तु ऐसा होना असम्भव है। क देश में कुछ ऐसे कपास के खेतों का होना आवश्यक है जिनकी लागत ख देश के कुछ कपास के खेतों से कम है। अतएव क देश में कुछ कपास और ख देश में कुछ गेहूँ का उत्पादन होगा।

व्यापार की क्या शर्तें होंगी?—ख देश को तब तक लाभ होगा, जब तक कि वह ७१ मन से कम कपास के बदले में १ मन गेहूँ पाता रहे। क देश को तब तक लाभ होता रहेगा, जब तक वह १ मन गेहूँ के बदले में ५० मन से अधिक कपास पाता रहे। विनिमय की दर इनके बीच में होगी—

१ मन गेहूँ = ५० मन कपास।

१ मन गेहूँ = ७१ मन कपास।

वास्तविक दर एक पक्ष की दूसरे पक्ष की वस्तुओं की माँग की मापेक्षिक लोच (relative elasticities of demand) पर निर्भर करेगी।

यदि क देश की कपास की माँग ख देश की गेहूँ की माँग की अपेक्षा अधिक लोचदार है तो विनिमय दर क देश के लिए अधिक अनुकूल होगी। यह इस कारण है कि क देश कपास के लिए इतना उत्सुक न होगा। दूसरी ओर इसके विपरीत विनिमय दर ख देश के लिए अधिक अनुकूल होगी।

जब विनिमय दर क देश के लिए अनुकूल होगी तो वह १ मन गेहूँ— ७१ मन कपास की सीमा के निकट होगी। जब दर ख देश के लिए अनुकूल होगी तो वह १ मन गेहूँ = ५० मन कपास की सीमा के निकट होगी।

इस उदाहरण में लाभ की सीमा अधिक संकुचित है। वास्तविक व्यवहार में व्यापार उस समय होगा जब कि लाभ की सीमा अधिक विस्तृत होगी क्योंकि ऐसा होने पर अशुविधाओं का व्यापार पर कोई विशेष प्रभाव न पड़ेगा। इस तर्क में दो देशों को लिखा गया है किन्तु इसके अन्तर्गत दो से अधिक वस्तुएँ तथा दो से अधिक देश बिना मूल सिद्धान्तों को भंग किए, शामिल किए जा सकते हैं।

तुलनात्मक लागत का यही सिद्धान्त है, ता फिर विदेशी विनिमय के क्षेत्र में इसके प्रयोग में वहाँ अन्तर पड़ता है?

हम प्रारम्भ में कह चुके हैं कि सब प्रकार का व्यापार, लागत में अन्तर होने के कारण होता है। एक ही देश में उत्पादन के साधनों के एक कम लाभ वाले व्यवसाय से दूसरे अधिक लाभ वाले व्यवसाय की ओर सरलतापूर्वक गतिशील होने के कारण तुलनात्मक लागत में भेद के लोप हो जाने की प्रवृत्ति होती है। अतएव वस्तुएँ एक ही देश के अन्दर अपने उत्पादन की सीमान्त लागत के अनुसार विनिमय की जाती हैं। उत्पादन के साधनों के गतिशील न होने के कारण यह सामंजस्य दो देशों के बीच में नहीं हो सकता। इस भाँति तुलनात्मक लागत में स्थायी अन्तर हो जाता है, जिससे जैसा कि ऊपर बताया गया है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लाभप्रद हो जाता है।

परन्तु तुलनात्मक लागत में ऐसे अन्तर एक ही देश के विभिन्न प्रदेशों में

भी हो सकते हैं, यदि इन प्रदेशों के बीच उत्पादन-साधन गतिशील नहीं होते। इस प्रकार एक ही देश में प्रतिযোগिता न होने वाले समूह (non-competing groups) भी हो सकते हैं। उस दशा में तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त (theory of comparative costs) देशी व्यापार में भी लागू होगा। यही कारण है कि आधुनिक अर्थशास्त्री इस बात को नहीं मानते कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष सिद्धान्त की आवश्यकता है। परन्तु चूँकि तुलनात्मक लागत में अन्तर विभिन्न देशों में एक देश के भिन्न क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है इसलिए राष्ट्रों के बीच व्यापार पर विचार करते समय इस सिद्धान्त पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में यह सिद्धान्त कार्य करता है। जलवायु, खनिज पदार्थों तथा अन्य प्राकृतिक साधनों का वितरण, भौगोलिक स्थिति तथा प्राकृतिक बनावट का ध्यान रखते हुए प्रत्येक देश कुछ वस्तुओं के उत्पादन के लिए दूसरों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त है। यह प्रत्येक देश तथा समस्त सत्तार के लिए लाभदायक होगा कि हर देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करे, जिसमें उसको सापेक्ष लाभ है। ऐसी दशा में उस देश के उत्पादन के माधन लाभ की दृष्टि से अधिक उपयोग में आ सकेंगे। उन बातों में जो यह निर्धारण करते हैं कि किन किन वस्तुओं के उत्पादन में कोई देश विशिष्टता प्राप्त करेगा, हम विनिमय दर, एकाधिकारी तत्व, हस्तान्तरित लागत, उत्पादन के साधनों की कीमतें तथा उनकी तुलनात्मक कार्य-क्षमता को शामिल कर सकते हैं। एक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करेगा, जिनमें हस्तान्तरित लागत और उत्पादन के साधनों की कीमतें कम हैं लेकिन उत्पादन कार्य-क्षमता अधिक है।

साधारणतः वस्तुएँ वहाँ पैदा की जाती हैं, जहाँ उत्पादन-लागत सबसे कम होती है। परन्तु यह तथ्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार नहीं है। वास्तव में तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त का तात्पर्य यह है कि एक देश कुछ वस्तुओं के उत्पादन में विशेषता प्राप्त करे और अन्य वस्तुओं का आयात करे चाहे वह उनकी कम लागत पर उत्पन्न कर सकता हो। इंग्लैंड डेन्मार्क से दूध के पदार्थों का आयात करता है, यद्यपि उनके उत्पादन की लागत इंग्लैंड में कम है। कारण यह है कि इंग्लैंड, श्रम तथा पूँजी को अन्य दिशा में लगाकर अधिक लाभ कर लेता है, जैसे मशीनों आदि में, और पनीर तथा मक्खन के खरीदने में जो हानि होती है, वह उधर पूरी कर ली जाती है। अतएव तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त (theory of comparative costs) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में इस प्रकार लागू होता है कि प्रत्येक देश वही वस्तु उत्पन्न नहीं करता, जिसे वह दूसरे देशों की अपेक्षा सस्ती उत्पन्न कर सकता है; प्रत्युत वे वस्तुएँ जिनको वह अधिकाधिक सापेक्ष लाभ अर्थात् कम से कम तुलनात्मक लागत पर उत्पन्न कर सकता है।

दुमरे आर्थिक नियमों की भाँति तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त भी केवल एक प्रवृत्ति का विवरण है। वास्तविक व्यवहार में इस सिद्धान्त का प्रयोग भाषा, रीति-रिवाज, धर्म के अन्तर तथा श्रम और पूँजी के केवल आर्थिक महत्त्व से प्रभावित

न होने के कारण ठीक तरह से नहीं होता। उन पर राजनीतिक प्रवृत्तियों, व्यापारिक व्यवहारों तथा सामान्य सुरक्षा का भी प्रभाव पड़ता है। परिवहन की लागत तथा उत्पादन-लागत के उतार-चढ़ाव दूसरे मीमित करने वाले अंश हैं। विशेषीकरण उत्पादन के परिमाण को बढ़ाती है, परन्तु यदि उद्योग में बढ़ती लागत का नियम लागू होता है, तो तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त का प्रभावी होना बन्द हो जायगा।

३ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतियोगिता क्यों ? (Why Competition in International Trade?)—तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त (Theory of Comparative Costs) के अनुसार प्रत्येक देश को उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करनी चाहिए, जिनमें उसकी अधिकाधिक सापेक्ष लाभ हो। प्रत्येक देश को उत्पादन क्रियाओं का पृथक् क्षेत्र होगा। ऐसे विशिष्टीकरण से प्रतियोगिता की अपेक्षा सहयोग के बढ़ने की आशा की जाती है, क्योंकि प्रत्येक देश अपनी विशिष्ट वस्तुओं की पूर्ति दूसरे देशों को करता है। परन्तु हम बहुधा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गलाघोटू प्रतियोगिता पाते हैं जिससे विषाक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा बढ़ती है और इसके उपरान्त युद्ध। इंग्लैंड और अमरीका का जापान से विरोध होने का कारण उसकी औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रधानता थी। फिर इसका क्या कारण है ?

प्रथमतः, जैसा हमने ऊपर बताया है, तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त केवल एक प्रवृत्ति का वर्णन है, जिसका प्रयोग मधुपर्क के प्रभावों से नष्ट हो जाता है। यह सिद्धान्त स्वतन्त्र व्यापार पर आधारित समझा जाता है, जो विद्यमान नहीं होता। आर्थिक राष्ट्रीयकरण के कारण आयात-कर, कोटा-पद्धति (quota system), विनिमय नियन्त्रण आदि जैसे उपाय प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनसे वस्तुओं का स्वतन्त्र विनिमय नहीं हो पाता। अतएव विशिष्टीकरण पूर्ण नहीं होता तथा कुछ प्रतियोगिता का होना स्वाभाविक है।

दूसरे, तुलनात्मक लाभ ऐसा स्थापित उध्य नहीं है, जिसका मान सभी देश करते हो। हम कदाचित् ही वह साम्यावस्था (equilibrium) घबरा स्थायित्व की दशा प्राप्त करते हैं, जब हम यह कह सकें कि प्रत्येक देश ने कुछ वस्तुओं के उत्पादन में निश्चित रूप से प्रधानता प्राप्त कर ली है। सत्य यह है कि प्रत्येक देश सदैव प्रधानता की दशा प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। प्रत्येक देश यह जानने का भी प्रयत्न करता रहता है कि उसका तुलनात्मक लाभ कहां है। अतएव कुछ वस्तुएँ एक ही समय में विभिन्न देशों में उत्पन्न की जाती हैं, जिससे उनमें प्रतियोगिता होती है।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के अन्तर्गत कुछ नियमों के अन्तर्गत प्रतियोगिता के अन्तर्गत उत्पादन एक जाता है तथा उसका कुछ अंश आयात करना पड़ता है। उस दशा में कुछ प्रतियोगिता होना स्वाभाविक है। यदि उद्योग में प्रतियोगिता का बढ़ता हुआ नियम लागू होता है, तो तुलनात्मक लागत का क्षेत्र और भी अधिक विस्तृत हो सकता है।

४ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ (The Gain from International Trade)—सब व्यापारों की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में श्रम विभाजन के कारण लाभ होते हैं। भिन्न देशों में श्रम विभाजन सापेक्ष लागतों के अन्तरो और उत्पादन की पूर्ण लागत के अन्तरो के योग से उत्पन्न होता है। जब लागतों के अन्तर समान

होते हैं तो शुद्ध लाभ प्राप्त नहीं होता। इसी अध्याय के विभाग २ में दिए गए उदाहरण को यह दिखाने के लिए ले सकते हैं कि (i) और (iii) में कैसे लाभ हो जाता है, और (ii) में क्यों नहीं होता।

(1) लागतों में पूर्ण अन्तर (Absolute Differences in Costs)—क देश में (जैसा कि लागत अनुपात से स्पष्ट है) उत्पादन साधनों की एक इकाई या तो १ मन गेहूँ का उत्पादन करती है अथवा $\frac{1}{2}$ मन कपास का। ख देश में साधनों की एक इकाई या तो १ मन गेहूँ का उत्पादन करती है अथवा २ मन कपास का। यदि इनमें से प्रत्येक देश उत्पादन-शक्ति की दो इकाइयों की विशेषता दिए बिना लगाए तो सम्पूर्ण उत्पादन इस प्रकार होगा

क देश में = १ मन गेहूँ + $\frac{1}{2}$ मन कपास।

ख देश में = १ मन गेहूँ + २ मन कपास।

क + ख देशों में = २ मन गेहूँ + २ $\frac{1}{2}$ मन कपास।

यदि क देश केवल गेहूँ का उत्पादन करे और ख देश केवल कपास, तो उन्हीं उत्पादन के साधनों से इस प्रकार प्राप्ति होगी

क = २ मन गेहूँ

ख = ४ मन कपास

क + ख = २ मन गेहूँ + ४ मन कपास

इस प्रकार उन्हीं उत्पादन साधनों के विशेषीकरण से $1\frac{1}{2}$ मन अधिक कपास की प्राप्ति होगी। यह व्यापार से लाभ है।

(ii) लागतों में समान अन्तर (Equal Differences in Costs)—दूसरी अवस्था में विशेषीकरण के बिना और विशेषीकरण के साथ सम्पूर्ण उत्पादन समान है।

विशेषीकरण के बिना

क = १ मन गेहूँ + $\frac{1}{2}$ मन कपास

ख = १ मन गेहूँ + $\frac{1}{2}$ मन कपास

क + ख = २ मन गेहूँ + १ मन कपास

विशेषीकरण से : जब कि क देश सिर्फ गेहूँ का उत्पादन करता है और ख देश सिर्फ कपास का।

क = २ मन गेहूँ।

ख = १ मन कपास।

क + ख = २ मन गेहूँ + १ मन कपास।

(iii) लागतों में सापेक्ष अन्तर (Comparative Differences in Costs)—इस सूत्र में विशेषीकरण से आधिक्य (surplus) होता है।

विशेषीकरण के बिना :

क = १ मन गेहूँ + ५० मन कपास

ख = १ मन गेहूँ + ७१ मन कपास

क + ख = २ मन गेहूँ + १२१ मन कपास

विशेषीकरण के साथ : क देश गेहूँ पैदा करता है तथा ख सिर्फ कपास ।

क = २ मन गेहूँ

ख = १ ४२ मन कपास

क + ख = २ मन गेहूँ + १ ४२ मन कपास

आधिव्यय = २१ मन कपास

अतः व्यापार में यही लाभ है ।

५ लाभ की मात्रा निर्धारित करने वाले अंश (Factors Determining the Size of Gain) — ऊपर के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कुल लाभ दोनों देशों में लागत के अनुपात के अन्तर पर निर्भर करते हैं । जितना ही अधिक तुलनात्मक लागतों में अन्तर होगा, उतना ही अधिक कुल लाभ होगा । हैरड (Harrod) के शब्दों में, 'किसी देश को विदेशी व्यापार से तब लाभ होता है, जब व्यापारी यह जान लेते हैं कि अन्य देशों में कीमतों का अनुपात अपने देशों की प्रवेष्टा भिन्न है । वे वह वस्तुएँ क्रय करते हैं, जो उनको दूसरे देश में सस्ती दीस पड़ती हैं, और उन वस्तुओं को बेचते हैं, जो दूसरे देश में मँहवी दीख पड़ती हैं । जितना ही अधिक इन दोनों का अन्तर होगा, और जितनी ही अधिक महत्वपूर्ण वस्तु होगी, उतना ही अधिक व्यापार से लाभ होगा ।'¹

इस लाभ का विभाजन, जो दोनों पक्षों को मिलेगा, व्यापार की शर्तों पर निर्भर होगा, अर्थात् हमारे उदाहरण में जिस अनुपात में गेहूँ कपास के लिए बदला जाता है, यह अनुपात, जैसा कि हम बता चुके हैं, एक देश के लिए दूसरे देश की वस्तुओं की माँग की लोच अथवा दोनों की माँग की तीव्रता पर निर्भर है । जो देश खरीदने या बेचने के लिए अधिक उत्सुक होगा, अन्ततः सीदे में घाटा उठाएगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ सम्बन्धित देशों में मुद्रा-आय के स्तर द्वारा प्राप्त किया जाएगा । यह स्तर यह भी बतलाएँगे कि कौन सा देश लाभदायक सौदा कर रहा है । यदि किसी देश की वस्तुओं की माँग दूसरे देशों में निरन्तर बनी रहती है तो उस देश की मुद्रा-आय का स्तर ऊँचा होगा । निर्यात करने वाले उद्योगों में, अधिक विदेशी माँग के कारण, मजदूरी बढ़ जाएगी, ऐसे उद्योगों की सफलता दूसरे उद्योगों में भी मजदूरी को प्रभावित करेगी । प्रातयोगिता इन उद्योगों को निर्यात करने वाले उद्योगों के बराबर मजदूरी करने के लिए विवश करेगी । यदि ऐसा न होगा तो श्रम उन उद्योगों की ओर जाएगा जिनमें अधिक मजदूरी दी जा रही हो । इस भाँति सब आय बढ़ जाएगी । देश में इस प्रकार मुद्रा-आय तो बढ़ जाएगी लेकिन विदेशी वस्तुओं की कीमतें कम रहेगी । इसलिए लोगों को विदेशी वस्तुओं के उपभोगता के रूप में नाश होगा । इसके विपरीत उस देश में जिसकी विदेशी वस्तुओं की माँग अधिक है, मुद्रा-आय कम हो जाएगी, परन्तु विदेशी वस्तुओं के लिए उसे अधिक कीमत देनी पड़ेगी ।

६ व्यापार की शर्तें (Terms of Trade) — हम पहले ही कह चुके हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी देश को जो कुछ लाभ होता है, वह बहुत सीमा तक

व्यापार की शर्तों पर निर्भर करता है। कोई दो देश जिन शर्तों पर आपसी व्यापार करते हैं उन्हीं को व्यापार की शर्तें कह सकते हैं। मोटे तौर पर इस प्रकार समझाया जा सकता है कि आयातों के बदले में जो कुछ, कोई देश निर्यात करता है, उसके मूल्य को व्यापार की शर्तें समझना चाहिए। व्यापार की शर्तों में आशय उन दरों या भावों (rates) से है जिन पर कोई देश अपनी वस्तुओं को दूसरे देश की वस्तुओं से विनिमय करता है। यदि दो देशों के बीच व्यापार इस प्रकार का है कि एक देश कृषिजन्य उत्पादन में विशेषीकरण प्राप्त कर रहा है जबकि दूसरा कारखानों की बनी वस्तुओं के उत्पादन में विशेषीकरण प्राप्त कर रहा है, तो कृषि-प्रधान देश का व्यापार से लाभ नहीं होगा। उस स्थिति में हम कहेंगे कि व्यापार की शर्तें उन्नत देश (कृषि प्रधान देश) के लिए लाभदायक नहीं थीं। उन्हीं प्रकार यदि कोई देश कच्ची धातुएँ तथा कच्चा माल निर्यात करता है, तो वह देश भी विदेशी व्यापार में अलाभदायक शर्तों के श्रावण काम करता है। प्रतियोगी एवं तुलनात्मक लागतों की सीमाओं के बीच, देशी वस्तुओं का विदेशी वस्तुओं के साथ विनिमय, परस्पर दोनों देशों की माँगों की तीव्रता पर निर्भर करेगा, अर्थात् क देश की माँग ख देश की वस्तुओं के लिए कितनी तीव्र है और ख देश की माँग, क देश की वस्तुओं के लिए कितनी तीव्र है, इस पर देशों के बीच का व्यापार निर्भर करेगा।

व्यापार की शर्तों (Terms of Trade) को सूत्र रूप में इस प्रकार उपस्थित किया जा सकता है।

$$\text{व्यापार की शर्तें} = \frac{\text{आयातों का मूल्य}}{\text{निर्यातों का मूल्य}}$$

$$= \frac{\text{आयातों का मूल्य} \times \text{आयातों की मात्रा}}{\text{निर्यातों का मूल्य} \times \text{निर्यातों की मात्रा}}$$

यदि आयातों और निर्यातों की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता, तो व्यापार की शर्तों का सूत्र इस भिन्न से दिखाया जा सकता है—

$$\frac{\text{आयातों का मूल्य}}{\text{निर्यातों का मूल्य}}$$

यदि हम यह समझना चाहे कि व्यापार की शर्तों पर दीर्घ-काल में क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, तो हम आयातों और निर्यातों का देशनाक (index number) भी बना सकते हैं। किसी एक वर्ष को आधार वर्ष (= १००) माना जा सकता है। इस आधार वर्ष के आधार पर अन्य वर्षों के लिए देशनाक तैयार किए जा सकते हैं। इस प्रकार हमको नई भिन्न प्राप्त होगी जिससे हम जान सकेंगे कि दो देशों के बीच व्यापार की शर्तों का क्या रूप रहा।

किसी देश के लिए व्यापार की शर्तों का भारी महत्त्व है, क्योंकि व्यापार की शर्तों के आधार पर ही जाना ही जा सकता है कि किसी देश को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ हो रहा है या नहीं। यदि व्यापार की शर्तें किसी देश के हित में हैं, तो उस देश को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ बढ़ जाएगा; और फलस्वरूप उस देश के निवासियों की आय बढ़ जाएगी। और यदि किसी देश की व्यापार की शर्तें अलाभदायक हो जाती हैं तो विपरीत परिणाम होंगे। मान लीजिए कि ऐसे देशों में,

जिनको हम अपने खाद्यान्न निर्यात करते हैं, एकाएक अत्यधिक अन्न पैदा होने लगता है। इसका फल यह होगा कि हमारे खाद्यान्न की माँग समाप्त हो जाएगी, या कम अवश्य हो जाएगी। फलस्वरूप हमारे कृषक वर्ग की आय कम हो जाएगी और उन्हें आर्थिक सकट का सामना करना पड़ेगा।

७ विदेशी व्यापार से लाभ (Advantages of Foreign Trade)—अब हम उन तमाम लाभों की ओर सकेत कर सकते हैं, जो विदेशी व्यापार करने वाले देशों को होते हैं—

(1) सबसे प्रथम वह लाभ है जो तमाम देशों में अर्थ विभाजन के सिद्धान्त के लागू होने से होता है। विदेशी व्यापार देशों को उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्ट होने के योग्य बनाता है, जिसके लिए वे पूर्णतया ममथ हैं अथवा जिनके उत्पादन में उनको सबसे अधिक लाभ है। इसके कारण वस्तुओं का उत्पादन अनुकूल दशाओं में होता है और इस भाँति समार की कुल सम्पत्ति तथा हित बढ़ जाता है।

(ii) विदेशी व्यापार न केवल उपभोक्ताओं को उन विदेशी वस्तुओं के उपभोग करने योग्य बनाता है, जिनका उत्पादन उनका देश नहीं कर सकता, वरन् वह अपनी आवश्यकताएँ सस्तर के सबसे मस्ते बाजार से प्राप्त करते हैं।

(iii) अकाल के समय में एक देश के लोग विदेश से खाद्य पदार्थ का आयात करके अपने जीवन तथा स्वास्थ्य को बनाए रखने के योग्य होते हैं।

(iv) विदेशी प्रतियोगिता के भय से देशीय उत्पादकों को अपना उत्पादन आधुनिक रीति में करने के लिए विवश होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह एकाधिकार को रोक कर प्रतियोगिता को बढ़ाता है। अतएव उपभोक्ता के लिए कीमत कम हो जाती है।

(v) विदेशी व्यापार से वे देश जिनके पास कच्चा माल नहीं होता आयात द्वारा कच्चा माल प्राप्त कर सकते हैं। इससे उन उद्योगों के विकास में प्रोत्साहन मिलता है, जिनमें वे देश अन्यथा परिपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त कच्चे माल का उपयोग सर्वश्रेष्ठ प्रकार से हो सकता है।

८ विदेशी व्यापार से हानियाँ (Disadvantages of Foreign Trade)—तो भी ऊपर लिखे हुए लाभ निम्नलिखित हानियों के कारण एक सीमा तक कम हो जाते हैं और फलस्वरूप विदेशी व्यापार के इतने लाभ नहीं रह जाते।

(1) विदेशी व्यापार से देश के आवश्यक पदार्थ व खनिजों की समाप्ति हो जाती है जिनका प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता।

(ii) विदेशी व्यापार देशी उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता के अधीन कर देता है और कभी-कभी तो विदेशी वस्तुओं का राशिपातन (dumping) होने लगता है। १९ वीं शती में भारत की दस्तकारियों के पतन से हमारे आर्थिक ढाँचे को बड़ा धक्का पहुँचा और कृषि पर दबाव बढ़ गया। यह उम समय हुआ जब कि परिवहन और यातायात की उन्नति आदि से विदेशी प्रतियोगिता बढ़ गई। इसी विदेशी प्रतियोगिता ने भारतीय उद्योगों को आधुनिक रूप में विकसित होने में रुकावटें डाली और फलस्वरूप हमारी आर्थिक व्यवस्था मध्यकालीन रह गई।

(iii) विदेशी व्यापार हानिकर वस्तुओं के आयात द्वारा लोगों के उपभोग की आदतों को बदल देता है। विछली शताब्दी में ग्रफोम के व्यापार से चीन को बड़ी हानि पहुँची।

(iv) इसके अतिरिक्त तुलनात्मक लागत के नियम (Law of Comparative Costs) के कार्यान्वित होने से देश केवल कुछ वस्तुओं में ही विशेषता प्राप्त कर लेता है। इससे लोगों को प्राप्त होने वाले व्यवसाय कम हो जाते हैं। अस्तु, किसी देश की आर्थिक व्यवस्था को स्थिर रखने के लिए देश में किसी एक उद्योग में अधिक विशेषीकरण बुरा होता है।

(v) अतः, विदेशी व्यापार देश की आर्थिक व्यवस्था को दूसरे देशों पर निर्भर कर देता है। यदि युद्ध अथवा दूसरे कारणों से वस्तुओं का आयात निर्यात स्वतन्त्रता से नहीं हो सकता, तब ऐसी दशा में देश की आर्थिक व्यवस्था को बड़ा धक्का पहुँचता है।

निर्देश पुस्तकें

- Gordon, M S Barriers to World Trade
 Haberler, G International Trade
 Heuser, H Control of International Trade
 Whale, B International Trade
 Bertil, Ohlin Inter regional and International Trade
 Taussig, F W International Trade
 Harrod, R F International Economics
 Tarshis, L The Elements of Economics, 1946, Chapter, 40
 Meyers, A L Elements of Modern Economics, 1951, Ch 23
 Samuelson, P A Economics 1948 Ch 16
 Tinbergen, J International Economic Co operation

अबाध व्यापार बनाम रक्षण

(Free Trade Vs Protection)¹

१ अबाध व्यापार का सिद्धान्त (The Theory of Free Trade) — विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के अनियन्त्रित आदान प्रदान की नीति को अबाध व्यापार की नीति कहते हैं। परन्तु देशों उद्योगों को सुरक्षण देने के लिए जो नियन्त्रण किए जाने हैं, वे रक्षण की नीति के अन्तर्गत होने हैं। एडम स्मिथ (Adam Smith) के शब्दों में, "स्वतन्त्र व्यापार व्यावसायिक नीति की उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें देशी व विदेशी वस्तुओं में किसी प्रकार का भेद भाव नहीं रखा जाता और इसलिए न तो विदेशी वस्तुओं पर अनावश्यक कर लगाए जाते हैं और न स्वदेशी उद्योगों को कोई विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।"² इसके यह अर्थ नहीं है कि अबाध व्यापार के अन्तर्गत वस्तुओं पर किसी प्रकार के कर लगते ही नहीं। किन्तु जो भी कर लगें, वह केवल आय के लिए होने चाहिए, सुरक्षण के लिए नहीं।

व्यावहारिक नीति के रूप में अबाध व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उस सिद्धान्त पर आधारित है जिसका अध्ययन हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। कैरस (Carnes) के शब्दों में, 'यदि किसी विशेष नाम के हेतु कुछ राष्ट्र परस्पर व्यापार करना आरम्भ कर दें तो उनके अबाध व्यापारिक आदान प्रदान में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उनको इस लाभ से वंचित कर देगा।'³ इसमें वही पहले एडम स्मिथ (Adam Smith) ने लिखा था कि 'यदि कोई बाहरी देश किसी वस्तु को हमारे उत्पादन की अपेक्षा अधिक सस्ती दे सकता है, तो इसमें हम लाभ होगा कि हम किसी अन्य वस्तु को तैयार करें, जिसमें हम अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएँ प्राप्त हैं और उसके बিনিमय द्वारा विदेश की वस्तु को खरीदें।'⁴ आगे चल कर वे फिर लिखते हैं कि "यदि किसी देश को अन्य देशों की अपेक्षा कोई सुविधा प्राप्त हो, तो चाहे वह सुविधा प्राकृतिक हो अथवा प्राप्त की हुई, यह कोई विनाश महसूस की बात नहीं है, क्योंकि जब तक उस देश को वे सुविधाएँ प्राप्त रहेंगी, उस समय तक दूसरे देशों के लिए बजाएँ स्वयं उत्पादन करने के उस देश की वस्तुओं को खरीदना ही अधिक लाभप्रद होगा।"⁵ इस सम्बन्ध में एडम स्मिथ (Adam Smith) ने केवल प्रतिरक्षा सम्बन्धी (defence)

1 Reproduced by Heas and others in *Outside Readings in Economics* pp 738-742

2 Quoted by Pelgrave in *Dictionary of Political Economy*, Vol II p 143

3 Carnes *Leading Principles of Political Economy*, Pt III, Chapter IV, Sec 1

4. *Wealth of Nations*, Book IV, Chapter II.

उद्योगों का संरक्षण आवश्यक बताया है। क्योंकि समृद्धि की अपेक्षा देश की प्रतिरक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है।

२ रक्षण नीति (Protectionism)—देश के उद्योगों को कुछ सुविधाएँ या अग्र्युपकार (bounties) देकर अथवा विदेशी वस्तुओं पर ऊँचे कर लगा कर प्रोत्साहन की नीति को रक्षण की नीति कहते हैं। इसका ध्येय स्वदेशी उद्योगों की उन्नति करना होता है, चाहे इसमें कुछ समय के लिए उपभोक्ताओं के हितों को कुचलना भी पड़े। रक्षण की नीति में राजनीतिक व आर्थिक उद्देश्य मिले रहते हैं। "प्राथमिक स्वतन्त्रता स्थापित करना व विदेशी वस्तुओं के 'आक्रमण' से अपने देश की रक्षा करना आदि ऐसी दलीलें हैं, जो रक्षण के समर्थकों द्वारा दी जाती हैं। ये दलीलें ऐसी हैं, जिनसे पता चलता है कि रक्षण का विचार भयंकर अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष के दिनों में हुआ होगा।"¹ पर इस नीति का सबसे महत्त्वपूर्ण कारण राष्ट्रीयता के भावों का विकास है।

३ रक्षण के पक्ष में दलीलें (Arguments for Protection)—रक्षण के पक्ष में जो दलीलें दी जाती हैं, वे निम्नलिखित हैं —

(1) प्रारम्भिक उद्योगों को रक्षण (The Infant Industry Argument)—इंग्लैण्ड का जेम्स स्टुअर्ट मिल (J S Mill) केवल इसी दलील को मानता था। मिल ने इस दलील की व्याख्या इस प्रकार की थी, 'जो कर रक्षण के लिए लगाए जाते हैं, वह यदि काफी समय तक रहे तो वह अपने प्रयोग के लिए (नए उद्योग चालू करने में) सबसे कम अनुविधाजनक उपाय है, जिसे कोई भी राष्ट्र अपना सकता है। पर यह आवश्यक है कि रक्षण केवल तभी दिया जाए जब यह विश्वास हो जाए कि कुछ समय पश्चात् रक्षित उद्योग को रक्षण की आवश्यकता नहीं रहेगी।'²

पर यह दलील सर्वमान्य नहीं है। इसकी आलोचना दो कारणों से हुई है। (क) एक बार रक्षण मिल जाने पर उद्योग को स्वायत्त आ धरता है और तब रक्षण को हटाना असम्भव सा हो जाता है। (ख) एक बार इस आचार पर किसी उद्योग को रक्षण दे देने से सब प्रकार के उद्योग रक्षण माँगने लगते हैं। परिणामस्वरूप राजनीतिक अण्डाचार फैल जाता है।

पर इन कमजोरियों के होते हुए भी सत्तर के बहुत से देशों ने इसी दलील के आचार पर रक्षण की नीति के द्वारा अपना उद्योगीकरण किया है, जैसे अमरीका, बहुत से ब्रिटिश डोमोनियन और भारत।

(2) उद्योग का विभिन्नता एवं बहुरूपता सम्बन्धी तर्क (Diversification of Industry Argument)—जर्मनी के फ्रेडरिक लिस्ट (Frederich List) व दूसरे लेखकों ने यह दलील दी। इसके अनुसार किसी देश के पास उत्पादन व व्यवसाय के विभिन्न एवं बहुरूप साधन होने चाहिए। सतुलित आर्थिक प्रणाली के लिए यह आवश्यक है। किसी एक अथवा थोड़े से उद्योगों पर निर्भर रहना राजनीतिक व आर्थिक दोनों दृष्टियों से हानिकारक है। राजनीतिक दृष्टि से तो इसके अर्थ यह होते

1 Felgrave, op cit p 234

2 Mill, J S—Principles of Political Economy, Book V, Ch. 10, Sec 1.

हैं कि ऐसी दशा में राष्ट्र को विदेशी व्यापार पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़ेगा, जो युद्ध के समय में समाप्त हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से यह इसलिए हानिकारक है कि ऐसा करने से कुछ परिस्थितियों में उस उद्योग में बड़ी गड़बड़ी मच जाने के कारण देश में आर्थिक अव्यवस्था पैदा हो सकती है। जो देश केवल कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, उनके लिए तो उद्योगों और रोजगारों में विभिन्नता और बहुरूपता पैदा करना और भी अधिक आवश्यक है। क्योंकि कृषि से आय कम होती है। यह दलील भारत के ऊपर विशेष रूप से लागू होती है।

किन्तु यह बात ध्यान रखने योग्य है कि इस दलील से तुलनात्मक व्यय का सिद्धान्त पूर्णतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक देश को कुछ उद्योगों में विशेषीकरण प्राप्त करना चाहिए जब कि उद्योगों के बहुरूपता सम्बन्धी तर्कों के अनुसार देश उन वस्तुओं का भी उत्पादन करता है जिनसे उसे अपेक्षाकृत लाभ न हो।

(iii) रोजगार का तर्क (The Employment Argument)—यह कहा जाता है कि रक्षण के द्वारा औद्योगिक विकास से रोजगार बढ़ जाता है। यदि रक्षण न मिले तो विदेशी प्रतियोगिता पुराने उद्योगों को भी समाप्त करके देश में बेकारी फैला देगी। १९वीं शताब्दी में विदेशी प्रतियोगिता के कारण भारतीय दस्तकारी का पतन और फलस्वरूप फैलने वाली बेकारी इन बातों का प्रत्यक्ष उदाहरण है। अबाथ या स्वतन्त्र व्यापार के समर्थकों का कहना है कि रक्षण से रोजगार बढ़ता नहीं, वरन् उससे केवल रोजगार रक्षित उद्योगों में केन्द्रित हो जाता है। इसके विपरीत यदि विदेशी प्रतियोगिता देशी उद्योगों को समाप्त भी कर देती है, तो भी उस देश में दूसरे निर्यात सम्बन्धी उद्योग विकसित हो सकते हैं, अथवा वहाँ के लोग दूसरे स्थानों को जा सकते हैं। ऐसा यह मान कर कहा जाता है कि थम व पूंजी आसानी से एक उद्योग में दूसरे उद्योग और एक देश से दूसरे देश को जा सकते हैं। वास्तव में ऐसा बहुत धीरे-धीरे होता है। अबाथ व्यापार के समर्थक यह भी मान लेते हैं कि देश के सारे उत्पादन साधन पूरा रूप से निर्यातित हैं, जब कि वास्तविकता यह है कि भारत जैसे देश में ऐसे साधनों का पर्याप्त रूप में नियोजन नहीं हुआ है।

(iv) राष्ट्रीय साधनों का अधिरक्षण (Conservation of National Resources)—केरे और पट्टेन (Carey and Patten) के कथनानुसार अबाथ व्यापार का परिणाम यह हुआ कि अमरीका की सारी फसलों का निर्यात हुआ और भूमि को उत्पादन-शक्ति की क्षति पहुँची। इंग्लैण्ड में जेवन्स (Jevons) ने कोयले के निर्यात के सम्बन्ध में भी यही दलील दी थी। दक्षिणी अफ्रीका में सोने के सम्बन्ध में और भारत में अन्न (Mica) और लोहक धातु के सम्बन्ध में यही दलील दी जाती है।

(v) 'प्रतिरक्षा' का तर्क (The Defence Argument)—एडम स्मिथ (Adam Smith) का कहना है कि 'सुरक्षा सम्पत्ति से कहीं महत्वपूर्ण है।' कहा जाता है कि भले ही कोई देश आर्थिक दृष्टि से समृद्धिवादी न हो, उसको सैनिक दृष्टि से बहुत अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। हिटलर जर्मनी के लोगों से कहा करता था, 'बंदूकें मरखन से कहीं अच्छी होती हैं।' इस दलील के अनुसार उन

उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए जिनसे सुरक्षा सम्बन्धित है, चाहे इससे राष्ट्रीय स्रोतों का वितरण आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध ही क्यों न हो।

अबाध व्यापार के समर्थक कहते हैं कि यह तो अर्थशास्त्र की नहीं बल्कि राजनीति की बात है। आर्थिक दृष्टि से तो अबाध व्यापार ही आदर्श है।

(vi) राजस्व सम्बन्धी तर्क (The 'Revenue' Argument)—आय की दृष्टि से भी रक्षण का समर्थन होता है। रक्षण की दृष्टि से लगाए गए आयात-करों से अच्छी आय होती है। भारत में आयात-निर्यात करों तथा सीमा शुल्कों से बहुत लाभ हुआ है।

किन्तु राजस्व व रक्षण एक सीमा तक परस्पर-विरोधी भी हैं। यदि पूर्ण रक्षण प्रदान किया जाए तो सरकार को कोई आय (राजस्व से) नहीं होगी, क्योंकि इससे विदेशी व्यापार बन्द हो जाता है। जब विदेशी वस्तुएँ आँगी ही नहीं तो उन पर लगे करों से आय भी बन्द हो जाएगी। इसके विपरीत यदि हम आय (राजस्व) चाहते हैं तो विदेशी वस्तुओं को आने देना चाहिए। इससे हमारे उद्योगों को रक्षण प्राप्त नहीं होगा। यह विरोध पूर्ण रक्षण और पूर्ण राजस्व में है पर यदि कर कुछ हल्के हों तो आय भी होती रहेगी और रक्षण भी मिलता रहेगा।

(vii) 'मूल-उद्योग' का तर्क ('Key Industry' Argument)—यदि हम यह चाहते हैं कि किसी देश का औद्योगिक ढाँचा स्थिर व मजबूत रहे तो यह आवश्यक है कि उसमें कुछ प्रमुख या मूल उद्योगों का विकास किया जाए। मूल उद्योगों (basic industries) के बिना मानो देश का औद्योगिक भवन वाल की दीवार है जो कभी भी गिर सकती है। यदि किसी देश में इन उद्योगों के लिए तुलनात्मक सुविधाएँ न भी हों तो भी उन्हें विकसित करने के लिए उनका रक्षण आवश्यक है।

(viii) 'देश-भक्ति' का तर्क ('Patriotism' Argument)—रक्षण का समर्थन देशभक्ति की दृष्टि से भी किया जाता है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि जहाँ तक हो सके वह देशी वस्तुओं का ही प्रयोग करे।

(ix) 'आत्म निर्भरता' का तर्क ('Self-Sufficiency' Argument)—एक और तर्क यह है कि हर देश को अपने आप में सम्पूर्ण होना चाहिए और अपने प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दूसरे देशों पर निर्भर रहना युद्ध के दिनों में विशेष रूप से हानिकारक होता है क्योंकि आयात-काल में किसी भी समय विदेशी व्यापार ठप्प हो सकता है। और आजकल तो जब कि आकाश पर युद्ध के बादल मँडरा रहे हैं, इस दलील का विशेष महत्त्व है।

४ रक्षण के विरुद्ध दलीलें (Arguments Against Protection)—अब हम रक्षण का दूसरा पहलू देखेंगे। इसके विरुद्ध निम्नलिखित दलीलें दी जाती हैं—

(1) उद्योगों में निहित स्वार्थ पैदा हो जाते हैं। एक बार जब किसी उद्योग को रक्षण मिल जाता है तो उसकी हटाना बहुत ही कठिन हो जाता है। वे रक्षण

को अपना अधिकार मान लेते हैं। प्रारम्भिक स्थिति के नाम पर वे उद्योग रक्षण के हटते ही शोर मचाने लगते हैं।

(ii) रक्षण से उद्योग में आलस्य या शिथिलता आ जाती है। विदेशी प्रति-योगिता के समाप्त हो जाने से देश के व्यवसायी सापरवाह हो जाते हैं। वे किसी प्रकार उन्नति नहीं करते। इससे टेक्नीकल या तकनीकी प्रवीणता नष्ट हो जाती है।

(iii) रक्षण से भ्रष्टाचार फैलता है। उद्योगपति विधान सभा के सदस्यों को धूस देकर रक्षण नहीं हटने देते। किसी समय अमरीका में इस धूसखोरी की बुराई का बड़ा जोर था।

(iv) रक्षण से एकाधिकार का जन्म होता है। टैरिफ या प्रशुल्क (tariff) न्यायो (trusts) की जन्मी है। विदेशी प्रतियोगिता समाप्त हो जाने से देश के व्यवसायी गुटबन्दी द्वारा एकाधिकार के लाभ प्राप्त करते हैं। यही भारतीय शूगर सिंडीकेट के उदय का कारण है।

(v) ऐसी दशा में अरक्षित उद्योग और उपभोक्ता हानि उठाते हैं, क्योंकि आयात-करो के कारण कीमतें अत्यधिक बढ़ जाती हैं।

(vi) धन का वितरण असमान हो जाता है। रक्षण पूँजीवादियों का पक्ष करता है और वे अधिक अमीर हो जाते हैं। इस प्रकार अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढती ही जाती है।

(vii) रक्षण से अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में तनाव आ जाता है। इस प्रकार यह युद्ध के बीज बोता है।

(viii) रक्षण के विद्वद् सबसे बड़ी दलील यह है कि इससे अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। थम पूँजी व उत्पादन के दूसरे साधन सर्वाधिक लाभ वाले उद्योगों में नहीं जा सकते। इन साधनों का विनरण आर्थिक नियमों के अनुकूल नहीं रह जाता। फलस्वरूप, वह वस्तुओं के उत्पादन में अरता पूरा सहयोग नहीं दे पाते और उत्पादन में कमी होने के कारण जीवन स्तर नीचा होने लगता है और इस प्रकार सारे सत्तार की उन्नति रुक जाती है।

इस तर्क का यह उत्तर दिया जा सकता है कि जब तक सामारिक नागरिकता प्रारम्भ नहीं होती तब तक आर्थिक रूप से शक्तिवान् देशों की प्रतियोगिता से अपने हितों की रक्षा के लिए पिछड़े हुए देशों को रक्षण का सहारा लेना आवश्यक है।

इसलिए हम इस निष्पत्ति पर पहुँचते हैं कि सिद्धान्त के रूप में चाहे अन्वेष व्यापार आदर्श हो, किन्तु क्रियात्मक दृष्टि से कुछ परिस्थितियों में रक्षण आवश्यक होता है, विशेषकर भारत जैसे अध विकसित देशों में।

५ विदेशी व्यापार पर प्रतिबन्ध (Barriers to Foreign Trade)—
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों में रक्षणवाद के जोर पकड़ने से, विदेशी व्यापार पर, अनेक प्रतिबन्ध लगाए गए हैं। विदेशी व्यापार पर कई प्रकार की हकावटें हो सकती हैं। उनमें से कुछ ये हैं—(१) आयात अथवा निर्यात का निषेध, (२) विनिमय नियन्त्रण, (३) आयात निर्यात कर, (४) अविमान्य व्यवहार, (५) वोट, (६) आयात के लिए नाइसेन्स, (७) आयात सम्बन्धी एकाधिकार आदि।

(१) आयात अथवा निर्यात का निषेध (Prohibition of Imports or Exports)—कभी-कभी सरकार की ओर से कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ वस्तुओं का आयात बन्द कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए कहीं-कहीं पर "स्वच्छता के नियम" ("sanitary regulations") होते हैं। एक बार मयुक्त राष्ट्र अमरीका ने ब्रिटेन के किसी प्रदेश से आने वाले गो-मांस को बन्द कर दिया था क्योंकि वहाँ पर जानवरो के मुँह और पैर में बीमारी हो गई थी। बाद में यह निरोध सम्पूर्ण ब्रिटेन से आने वाले गो-मांस पर लगा दिया गया। कभी-कभी कुछ देश परोक्ष रूप से आयात कम करने के लिए निर्यात करने से इन्कार कर देते हैं, जब तक कि उ-पादन का कुछ काम उसी देश में न होने लगे। रूमानिया केवल इस शर्त पर अपने तेल का निर्यात करने को तैयार था कि उसे रूमानिया में ही साफ किया जाए। इसके विपरीत हंगरी की यह शर्त थी कि वह तभी रूमानिया से तेल लेगा जब कि उसकी सफाई निर्यात के बाद हंगरी में हो।

(२) विनिमय नियन्त्रण (Exchange Control)—जब राज्य की ओर से विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय में सरकारी हस्तक्षेप होता है, तो उसे "विनिमय नियन्त्रण" कहते हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार को कम करके उसे कुछ निश्चित दिशाओं की ओर कर दिया जाता है। ऐसी दशा में सरकार एक निश्चित राशन के अनुसार व्यापारियों को दूसरे देशों में केवल सीमित रूप में क्रय करने का अधिकार देती है। यही नहीं, वह विनिमय को 'बिलकुल बन्द' (block) भी कर सकती है। उदाहरणार्थ एक अमरीकन, जो जर्मनी को वस्तुओं का निर्यात करता है, उसे इस बात के लिए बाध्य किया जा सकता है कि वह वहाँ से मिले हुए मार्क सिक्के से जर्मनी में ही क्रय करे। दूसरे उपाय का नाम विनिमय समाशोधन (exchange clearing) है। इस प्रकार एक जर्मन जो अमरीका से \$१,००० डालर का माल खरीदता है उसके लिए यह आवश्यक होगा कि वह उस धन को जर्मनी में ही किसी बैंक के पास जमा कर दे और यदि कोई जर्मन उसी दाम का माल किसी अमरीकन को बेचता है तो उस बैंक से माल का भुगतान हो सकता है। इस प्रकार यह प्रयत्न किया जा सकता है कि बिना विदेशी विनिमय के विदेशी व्यापार चलता रहे।

(३) सीमा शुल्क (Customs Duties)—यह बहुत प्राचीन उपाय है, जिसके अन्तर्गत आयात और निर्यात पर आयात व निर्यात कर लगाए जाते हैं। निर्यात कर की अपेक्षा आयात कर अधिक प्रचलित है। जब कर परिमाण अथवा माप के अनुसार लगाया जाता है तो वह निश्चित कर (specific duty) कहलाता है, जैसे एक आना प्रति गज कपडा अथवा दो रुपये प्रति मन गेहूँ। जब यह कर मूल्य के अनुसार लगता है तो इसे मूल्यानुसार कर (ad valorem) कहते हैं, जैसे १०% मोटरो पर अथवा रेडियो पर।

इस प्रकार के सीमाशुल्कों का उद्देश्य या तो राजस्व प्राप्त करना होता है अथवा रक्षण देना। सूती कपडे के उद्योग को रक्षित करने के लिए अच्छी कपास के आयात पर कर लगा कर उमे उत्पादक के लिए सस्ता बनाया जा सकता है अथवा सूती कपडों पर आयात कर भी लगाया जा सकता है। दूसरा उपाय अधिक प्रचलित

है। सीमाशुल्क विशेषकर राजस्व प्राप्ति के लिए ही लगाए जाते हैं, और आमतौर पर वित्तीय वर्ष भर के लिए ही लगाए जाते हैं। इन शुल्को में परिवर्तन हो सकता है, या इन्हें अगले वित्तीय वर्ष में हटाया भी जा सकता है। इसके विपरीत रक्षण शुल्क काफी लम्बे समय तक चलते हैं। चूंकि रक्षण शुल्को का उद्देश्य पूंजी और धन को किसी उद्योग विशेष को और आरुपित करना होता है, इसलिए ऐसे शुल्क काफी लम्बे समय के लिए लगाए जाने चाहिए।

(४) अधिमान्य व्यवहार (Preferential Treatment)—कभी कभी विभिन्न देशों की वस्तुओं के ऊपर लगने वाले करो पर पक्षपातपूर्ण बर्ताव होता है। उदाहरण के लिए १९३२ के ओटावा समझौते के अनुसार भारत में अंग्रेजी वस्तुओं के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता था। भारत की वस्तुओं के साथ भी ब्रिटेन में साम्राज्य में बाहर की वस्तुओं के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता था। इसे शही अधिमान कहते हैं। इस प्रकार के समझौते से व्यापारिक दल बन जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस प्रकार कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी हो जाता है कि जिन देशों की वस्तुओं पर अधिक कर लग हों वे अपने देशों में सम्बन्धित देशों की वस्तुओं के विरुद्ध बदले की भावना से बहुत ऊँचे आयात कर लगा दें।

(५) कोटा प्रतिबन्ध (Quota Restrictions)—कोटा दो प्रकार के होते हैं (क) आशुल्क कोटा (customs quota) और (ख) आयात कोटा (import quota)। पहले प्रकार के कोटे के अनुसार किसी वस्तु की कुछ मात्रा कम कर पर ली जाती है और उस मात्रा के पश्चात् पूरा कर लिया जाता है। मात्रा की यह सीमाएँ समझौते द्वारा निर्दिष्ट की जाती हैं जैसे थमरीका, कनाडा की क्रोम व दूसरी वस्तुओं के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करता है। आयात कोटे का प्रभाव व्यापार के ऊपर अधिक गम्भीर होता है। इसमें एक मात्रा के बाद फिर उस वस्तु का आयात उस निश्चित समय में हो ही नहीं सकता।

आयात करो से राज्य को राजस्व प्राप्त होता है, पर कोटा प्रणाली में विदेशी कीमत का और देशी कीमत का अन्तर आयात करने वाले को जेब में जाता है और कोटे के लिए सम्पूर्ण व्यवस्था का व्यय सरकार को भुगतना पड़ता है। यदि निर्यात करने वालों के पास लाइसेंस हो और वे संगठित हों तो यह रूपका उनको जेब में भी जा सकता है। जबकि आयात करने वालों में उक्त वस्तु की पर्याप्त माँग होती है।

कोटे बहुत लोचपूर्ण होते हैं क्योंकि वे प्रशासन (administration) के अधीन होते हैं और विधान के अधीन नहीं होते।

इस नियम से एक लाभ और भी है। वह यह कि इस प्रणाली में चूंकि आयात की मात्रा निर्दिष्ट की जाती है, इसलिए देशी व्यापारी अपने उत्पादन की उस मात्रा के अनुसार उसे व्यवस्थित कर सकते हैं। कोटे की प्रणाली आयात करो की अपेक्षा कम धुरी समझी जाती है। इसके अतिरिक्त दूसरे देशों से व्यापारिक समझौते करते समय इनसे सौदे अच्छे हो सकते हैं। इसी समझौते के कारण जब आयात कर बढ़ाना आवश्यक हो जाता है तो इन्हें रक्षण बढ़ाने के लिए कम भी किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त सर्वाधिक सुविधा प्राप्त राष्ट्र (most favoured nations) का सिद्धान्त इसके द्वारा हट सकता है।

किन्तु कोटा प्रणाली से बहुत सी हानियाँ भी हैं। देश का बाजार ससार के बाजार से पृथक् हो जाता है। यदि दूररे देशों में कीमतें गिर रही हों तब भी उनका कोई प्रभाव देश के बाजार पर नहीं पड़ता। कोटा निश्चित होने के कारण और अधिक वस्तुएँ नहीं मँगाई जा सकती। पर आयात करों के विषय में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें ससार की कीमतों के गिरने के साथ-साथ देश में भी कीमतें गिर जाती हैं। इसी प्रकार यदि विदेशी निर्यात करने वाले अपने व्यय कम कर देते हैं तो उससे आयात करने वाले देश के उपभोक्ता उतना लाभ नहीं उठा सकते जितना कि स्थिर आयात कर की दशा में उठा सकते हैं। कोटा प्रणाली से सरकार को आय में बड़ी क्षति उठानी पड़ती है। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली से अन्तर्गत अधिकतर शक्ति प्रशासकों के हाथ में रहती है विधान मण्डलों के हाथ में नहीं।

(६) आयात लाइसेंस (Import Licence)—इस प्रणाली के अन्तर्गत बिना लाइसेंस के सरकार किसी प्रकार के आयात की आज्ञा नहीं देती। इस प्रकार आयात कम हो जाते हैं और कुछ वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लग जाता है।

(७) आयात एकाधिकार (Import Monopolies)—कभी कभी सरकार आयात कम अथवा उनमें भेदभाव करने के लिए, आयातों पर सरकारी एकाधिकार स्थापित कर लेती है, जैसा कि रूस में है।

दोनों युद्धों के बीच के समय में विशेषकर महामन्दी के दिनों में, विभिन्न देशों द्वारा आर्थिक राष्ट्रियता की भावना से इन प्रतिबन्धों का व्यापक प्रयोग हुआ था।

निर्देश पुस्तकें

- Carnes, J E Leading Principles of Political Economy
 Adam Smith Wealth of Nations Book IV, Ch II
 Carey, H C Principles of Social Science
 Last, F The National System of Political Economy
 Mill J S Principles of Political Economy
 Viner The Tariff Questions and the Economists
 Beveridge Tariffs
 Benham F Economics
 Knight, B W Economic Principles in Practice
 Ganguli Reconstruction of World Trade
 League of Nations Commercial Policy in the Post War Period
 International Currency Experience 1944
 Tarshis, L The Elements of Economics 1946, Ch 42
 Conference Number of the Indian Economic Association for
 the year, 1948

अध्याय ३६

भुगतान-शेष

(Balance of Payments)

१ व्यापार शेष तथा भुगतान शेष (Balance of Trade and Balance of Payments)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार चाहे अबाध हो, चाहे नियन्त्रित, यह किसी-न-किसी समय वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात पर उसी मात्रा में प्रभाव डालेगा जिस हद तक वह अबाध है या नियन्त्रित। कोई भी देश निर्यात में कमी किए धरैर आयात में कमी नहीं कर सकता। यदि देशों को अपना अस्तित्व रखना है, तो उनके लेखे का सन्तुलन आवश्यक है।

प्रत्यक्ष (visible) और अप्रत्यक्ष (invisible) आयात और निर्यात की मदों को समझना जरूरी है। जब वस्तुएँ, जिनमें निधि भी शामिल है, देश में बाहर से लाई जाती हैं या देश के बाहर भेजी जाती हैं तो बन्दरगाहों पर उनकी खानों में दर्ज किया जाता है। वह व्यापार की 'प्रत्यक्ष' मदें कहलाती हैं। सेवाओं के आयात और निर्यात का कोई लेखा नहीं किया जाता। इसलिए वे 'अप्रत्यक्ष' वस्तुएँ कहलाती हैं।

व्यापार के शेष का सम्बन्ध केवल वस्तुओं और निधि अर्थात् प्रत्यक्ष चीजों के मूल्यों से ही है जिनमें कोष (treasure) अथवा प्रत्यक्ष मदें शामिल हैं। भुगतान शेष (balance of accounts or balance of payments) का अर्थ समस्त विकलनों (debits) या समाकलना (credits) से है चाहे वह प्रत्यक्ष मदों के कारण हो या अप्रत्यक्ष मदों के कारण। विकलन और समाकलन का अन्त में सन्तुलन होना आवश्यक है। आयात और निर्यात व्यापार की वस्तुओं का सन्तुलित होना आवश्यक नहीं और ऐसा होता भी बहुत कम है। जब आयात निर्यात से अधिक होते हैं (एक वर्ष में), तब यह कहा जाता है कि व्यापार शेष विपरीत, अभावसूचक, निष्क्रिय या देश के लिए प्रतिकूल है, जब निर्यात अधिक होता है तो व्यापार-शेष वास्तविक क्रियाशील तथा अनुकूल कहलाता है। यह शब्द इंग्लैंड की अठारहवीं शताब्दी की वाणिज्य-प्रणाली (mercantilist school) के समय से चले आ रहे हैं। वे लोग आयात के ऊपर निर्यात की अधिकता को हितकर समझते थे, क्योंकि इस अधिकता के कारण उनके देश में अधिक सोना आता था। महत्वपूर्ण वस्तु व्यापार-शेष नहीं है, बल्कि भुगतान-शेष या लेखा शेष है। किसी देश के लेखे का सन्तुलन अन्त में होना ही चाहिए। इन्हीं अर्थों में यह कहा जाता है कि निर्यात ही आयातों के आधार हैं। निरन्तर प्रतिकूल भुगतान-शेष का अर्थ यह है कि वह देश दिवालिया हो जा रहा है।

उक्त अर्थ के अनुसार एक अनुकूल सन्तुलन का अर्थ जरूरी तौर पर यह नहीं है कि वह देश अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन (transactions) की अनुकूल स्थिति में है

या वह उन्नतिशील है। वास्तव में इसकी विपरीत स्थिति की अधिक सम्भावना है। ब्रिटेन का साधारणतः व्यापार-शेष प्रतिकूल रहता था जब कि भारत का अनुकूल। फिर भी ब्रिटेन भारत से कहीं अधिक समृद्धिवादी है।

२. भुगतान-शेष में आने वाले विषय (Items Entering Balance of Payments)—किसी देश का भुगतान-शेष क्या है? इसके अन्तर्गत विभिन्न मदें इस प्रकार हैं:—

(क) मुख्य मदें आयात और निर्यात की गई वस्तुएँ हैं, जैसा कि बतलाया गया है। आयात और निर्यात के मूल्य को तुलना करने से हम व्यापार-शेष का ज्ञान होता है।

(ख) इसके उपरान्त अप्रत्यक्ष आयात और निर्यात आते हैं। ऐसी सेवाएँ कई प्रकार की हो सकती हैं जैसे परिवहन सेवाएँ, जहाजों का भाड़ा, यात्रियों का किराया बन्दरगाह और नहर के किराए, पोस्ट, टेलीफोन तथा तार का शुल्क, व्यावसायिक सेवाएँ (शुल्क तथा कमीशन), अर्थ-सम्बन्धी सेवाएँ (दलालों के शुल्क आदि) और यात्रियों की यातायात सम्बन्धी सेवाएँ। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें से कोई भी सेवा दो बार न गिनी जाय। इस प्रकार यदि बाहर से मँगाई हुई किसी वस्तु को बड़े हुए दाम पर बाहर भेजा जाता है तो उस समय अप्रत्यक्ष निर्यात में आने वाली सेवाओं के कारण हुए अन्तर आयात और निर्यात के दामों द्वारा प्रदर्शित होंगे। ऐसी दशा में इसको अलग अलग नहीं गिनना चाहिए।

(ग) कभी-कभी व्यापार शेष और सेवाओं का सन्तुलन एक साथ कर दिए जाते हैं और साख के सन्तुलन से उनके अन्तर दिखलाए जाते हैं। इसके अन्तर्गत एक और व्याज सन्तुलन (interest balance) है और दूसरी और पूँजी-सन्तुलन (capital balance) हो सकता है।

व्याज सन्तुलन (interest balance) में निम्न बातें सम्मिलित हैं—

सरकारी, म्युनिसिपल तथा निजी ऋणों के नियत व्याज, परिवर्तनशील लाभ तथा लाभांश, लगान आदि।

पूँजी सन्तुलन (capital balance) में दीर्घावधि तथा अल्पावधि विनियोगों (investments) में अन्तर देखना आवश्यक होगा। दीर्घावधि पूँजी निर्यात में विदेशी उद्योगों के शेर तथा विदेश में लिये गए ऋणों के पुनः भुगतान आते हैं। अल्पावधि पूँजी निर्यात में विदेश के बैंकों में जमा धन में कोई बढती विदेशी ढुण्डी का रखना आदि आते हैं।

(घ) अन्त में, कुछ ऐसी मदें भी हैं, जो भुगतान शेष के अन्तर्गत मानी जाती हैं। ये हैं सरकारी लेन-देन, जैसे कि कूटनीतिक प्रतिनिधियों (diplomatic representatives) के वेतन, आर्थिक सहायता (subsides), युद्ध क्षति-पूर्ति (reparations), धन के उपहार जैसे कि उत्प्रवासियों (emigrants) द्वारा स्वदेश में भेजा गया धन, आदि।

ये ऐसी मदें हैं, जो भुगतान-शेष का पता लगाते समय साधारणतया ध्यान में रखनी चाहिए। जो भी हो, इस शब्द का हमेशा एक ही अर्थ नहीं होता। इस प्रकार—

(1) किसी समय इसका अर्थ एक विशेष समय की अवधि में होने वाली विदेशी मुद्रा की खरीदी गई या बची गई रकम से होता है। (ii) इस शब्द का अर्थ एक दिए हुए समय में विदेश को भुगतान की हुई रकम या विदेश से मिली हुई रकम में भी होता है। यह बात ऊपर दो हुई (1) जैसी नहीं है। भुगतान केवल विदेशी मुद्रा खरीद कर ही नहीं किया जा सकता बल्कि पूर्वत खरी हुई विदेशी मुद्रा का हस्तान्तरण किया जा सकता है। (iii) इस शब्द का प्रयोग एक और अधिक सीमित अर्थ में भी होता है। जैसे, जब इसे आय लेखा (income account) के भुगतान शेष में प्रयोग करते हैं। इसके अन्तर्गत व्याज शेष, व्यापार शेष और सेवाओं के शेष आएं। (iv) ऊपर दिए हुए अर्थ से एक कदम और आगे बढ़ने पर इस शब्द का अर्थ “अन्तर्राष्ट्रीय ऋणग्रस्तता” (international indebtedness) होगा, जो कि किसी निश्चित समय के अन्दर आन वाले दायित्वों के अन्तर्गत नहीं होता। यह किसी समय के दावों (claims) और दायित्वों (liabilities) की सम्पूर्ण मात्रा का प्रदर्शन करता है। (v) भुगतान शेष का सबसे अधिक महत्त्व विनिमय की दर (rate of exchange) पर उसके प्रभाव द्वारा उत्पन्न होता है। विनिमय की दर का अर्थ है स्वदेशी मुद्रा का विदेशी मुद्रा या मुद्राभा की दृष्टि से मूल्य। इस दृष्टिकोण से यह पर्याप्त नहीं है कि हम किसी दिए हुए क्षण में या किसी समय की अवधि में पूरे होने वाले दायित्वों का माप करें। ऐसी परिस्थिति में सबसे अच्छी विधि तो यह है कि यहाँ पर माँग और पूर्ति के विरलेपण का प्रयोग किया जाए। स्वदेशी मुद्रा की दृष्टि से इसको विदेशी मुद्रा का दाम माना जा सकता है। भुगतान शेष में नी गई मदों के आधार पर स्वदेशी मुद्रा (या विदेशी मुद्रा) की पूर्ति या माँग का पता चल सकता है। हेबरलर (Haberler) का कथन है ‘भुगतान शेष शब्द का उपयोग उस समय पूरा माँग या पूर्ति की दशा के अर्थ में होता है।’ इस अर्थ में हम इस शब्द का प्रयोग विदेशी विनिमय (foreign exchange) के अध्ययन के समय करेंगे।

भारत का सन् १९५६-५७ का (प्रारम्भिक) भुगतान शेष तथा अप्रैल ५७ से सितम्बर ५७ तक का लेखा सामने दिया गया है।

३ भुगतान-शेष की साम्यावस्था (Equilibrium of Balance of Payments)—जिस समय किसी देश में भुगतान शेष की साम्यावस्था होती है, उस स्थिति में स्वदेश की मुद्रा की माँग उसकी पूर्ति के बराबर होती है। इस प्रकार उस समय माँग और पूर्ति की परिस्थिति न तो अनुकूल ही होती है और न प्रतिकूल। यदि भुगतान शेष किसी देश की प्रतिकूल दिशा की ओर बढ़ता है तो उस समय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात या और दूसरे प्रकार के निर्यातों को प्रोत्साहन देकर या सब प्रकार के आयात को निरस्तार्हाहित करके उसकी व्यवस्था करना ही चाहिए। कोई भी देश सदैव प्रतिकूल भुगतान शेष की स्थिति में नहीं रह सकता, जब कि यह सम्भव है और अनेक देशों में अक्सर ऐसा होता है कि उनका व्यापार शेष सदैव प्रतिकूल रहता है। देशों के सम्पूर्ण दायित्वों और सम्पूर्ण आस्तियों (assets) का व्यक्तियों के दायित्वों और आदेशों की भाँति, अन्ततः सन्तुलन होना ही चाहिए।

इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी देश का भुगतान शेष प्रत्येक दूसरे देश के

साथ जिससे कि उसका व्यापारिक सम्बन्ध है, अलग-अलग साम्यावस्था में रहे। यह आवश्यक भी नहीं है और न वास्तविक सत्तार में ऐसा होता ही है। व्यापारिक सम्बन्ध अनेक रूपों के होते हैं। उदाहरण के लिए, भारत का भुगतान-शेष अमरीका के साथ अनुकूल हो सकता है और इंग्लैण्ड या दूसरे देशों के साथ प्रतिकूल। किन्तु इस और में प्रत्येक देश दूसरे देशों में निर्यात किए गए तमाम माल से (सब देशों के निर्यात मिलाकर) अधिक मूल्य प्राप्त नहीं कर सकती।

इस प्रकार भुगतान शेष में साम्यावस्था उस देश की अर्थ-व्यवस्था की दृढ़ता का प्रतीक है। परन्तु असमता छोड़े समय या अधिक समय के लिए उत्पन्न हो सकती है। निरन्तर असमता सूचित करती है कि देश आर्थिक तथा वित्त विषयक (financial) दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है। इसलिए हर एक देश को, अपने भुगतान-शेष के साम्य को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। यह जानने के लिए कि यह किस प्रकार किया जा सकता है हमें असमता के कारणों का भी अध्ययन करना होगा।

असम्यावस्था के कारण (Causes of Disequilibrium) — किसी देश के भुगतान शेष में असमता किस प्रकार उत्पन्न हो सकती है? विविध विषय, जो भुगतान शेष के अन्तर्गत हैं हम पहले ही विस्तारपूर्वक बतला चुके हैं। कोई भी कारण, जो उन विषयों को निरन्तर एक ओर ले जाता है, असमता उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ कारणों से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में कमी हो सकती है। इसी प्रकार दूसरे विषयों के बारे में भी विभिन्न प्रकार के कारणों द्वारा निर्यात में कमी हो सकती है। उदाहरण के लिए व्यापारिक वस्तुओं को ले लीजिए। हमारे निर्यात में ऋतु-सम्बन्धी या दूसरे कारणों से गिरे हुए उत्पादन के कारण कमी हो सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी वस्तुओं की माँग गिर सकती है बयाकि सम्भव है, इन वस्तुओं के उपभोक्ताओं की क्रय-शक्ति कम हो गई हो या भारत में इन वस्तुओं की उत्पादन-लागत अपेक्षाकृत बढ़ गई हो जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी प्रतिद्वन्द्वी शक्ति को कम कर देती है। हमारे निर्यात विदेशियों के लिए विनिमय-दर के बढ़ जाने से महँगे हो सकते हैं जैसे कि रुपये का मूल्य बढ़ जाए, उदाहरणार्थ, १ शि० ६ पै० से १ शि० ८ पै०। हम कृत्रिम रूप से रुपये का मूल्य, जितना कि आर्थिक स्थिति के हिसाब से न्याययुक्त है उससे अधिक रखें (जितना कि हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे) तो प्रतिकूल व्यापार शेष और भुगतान शेष का अस्तित्व बना रहेगा।

४ असमता किस प्रकार सुधारी जा सकती है? (How Disequilibrium may be corrected?) — जब किसी देश के भुगतान शेष में कोई गम्भीर असमता उत्पन्न हो जाती है, उस समय यदि देश की आर्थिक व्यवस्था को दृढ़ रखना है, तो असमता को सुधारने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। प्रत्यक्ष है कि उन कारणों को, जो इस दशा की उत्पत्ति के कारण हैं, प्रवश्य ही हटा देना चाहिए। ममायोजन के बारे में "प्रतिष्ठावादी" अर्थशास्त्रियों का विचार यह है—अनुकूल (active) अथवा प्रतिकूल (passive) सन्तुलन, जिसमें स्वर्ण का भीतर आना तथा बाहर जाना शामिल है, जो सामान्य रूप से गृह-मुद्रा पूर्ति के विस्तार तथा सकुचन का परिणाम माना जाता था, इस विस्तार तथा सकुचन से यह माना जाता था कि गृह तागती

तथा कीमतों के स्तर में उतार-चढ़ाव होगा। विस्तार से आयात को प्रोत्साहन मिलेगा और निर्यात हतोत्साहित होगा। सकुचन से, आयात हतोत्साहित होगा और निर्यात प्रोत्साहित। स्वर्ण बाहर जाना, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन तथा सापेक्ष कीमत स्तर में परिवर्तन आदि समायोजन तन्त्र के मुख्य साधन हैं।¹ हाल ही के चलमुद्रा सम्बन्धी अनुभवों से इस प्रतिष्ठावादी सिद्धान्त में रूपभेद हुए हैं। अब यह माना जाता है कि आय के बहाव में परिवर्तनों से जो भुगतान के शेष से प्रभावित हैं, साम्य साधन का कार्य करता है।

प्रतिकूल भुगतान शेष को ठीक करने के लिए पाँच महत्वपूर्ण विधियाँ हैं—

(१) निर्यात को प्रोत्साहित करना तथा/या आयात को रोकना (Stimulating Exports and/or checking Imports)—यदि निर्यात घट गया तो उसको बढ़ाने के लिए यत्न करना चाहिए। सम्भव है कि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए देश में लागत के स्तर को गिराना पड़े। हो सकता है कि इस काम के लिए मजदूरी, व्याज की दरें और दूसरी आमदनी को कम करना पड़े और कीमतों को गिराने के लिए मुद्रा को सकुचित करना पड़े।

व्यवसायियों को सज्जारी सहायता देकर भी निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाता है। आयात का पूर्ण निषेध के द्वारा या आयात-कर लगाकर या कोटा-प्रणाली (quota system) के द्वारा निरुत्साहित किया जा सकता है।

(२) दूसरी विधि यह है कि स्वदेशी मुद्रा का बाहरी (विनिमय) मूल्य कम किया जाए, जिससे विदेशियों के लिए स्वदेश की वस्तुएँ सस्ती हो जाएँ। परन्तु इस मार्ग की विशिष्ट सीमाएँ हैं, क्योंकि दूसरे देश भी वैसे ही करने लगेंगे और विनिमय का 'प्रतियोगी अवमूल्यन' (competitive depreciation) आरम्भ हो जाएगा जैसा कि १९३० के आमपास मन्दी के समय हुआ था।

(३) तीसरी विधि मुद्रा की अपस्फीति या सकुचन करना (Deflate the Currency) है। जब मुद्रा सकुचित होगी, तो दाम गिरेंगे, जिससे निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और आयात पर रोक लगेगी। परन्तु अपस्फीति की विधि अनेक खतरों से भरी हुई है। यदि दाम तेजी से गिराए जाते हैं, परन्तु खर्च, जो साधारणतया दृढ़ रहते हैं (विशेषकर उन देशों की मजदूरी जहाँ थम सघ भली प्रकार संगठित हैं) उसी प्रकार कम नहीं होने, तो उन देश में देश को एक बड़ी मन्दी और बेकारी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भुगतान शेष को सुधारने पर यह यदि एक बार भी असमता उत्पन्न हो गई तो उसको ठीक करना कठिन हो जाता है।

(४) चौथी विधि विनिमय अवमूल्यन (devaluation) है। इसका प्रभाव वही है, जैसा कि मुद्रा का मूल्य कम करने का होता है। जब किसी मुद्रा का अवमूल्यन होता है (अर्थात् इसका धातु का भाग कम कर दिया जाता है) तो विदेशी मुद्रा में इसका मूल्य कम हो जाता है। इसका फल यह होता है कि विदेशी लोग अपनी मुद्रा के द्वारा हमारे देश में पहुँचने में अधिक वस्तुएँ खरीद सकते हैं। इनमें

निर्यात को प्रोत्साहन मिलना है। परन्तु जब हम विदेशी वस्तुएँ खरीदना चाहते हैं, तो हमारी मुद्रा के सस्ते हो जाने के कारण, हमें अधिक भुगतान करना पड़ता है। इस प्रकार आयात निरस्तमाहित किए जाने हैं और समय बीतने पर व्यापार-शेष हमारे अनुकूल हो जाता है और भुगतान शेष को ठीक कर देता है।

(५) अन्त में एक विधि विनिमय नियन्त्रण की है। हम जानते हैं कि अपस्फीति (Deflation) भयकर है, अबमूल्यन का प्रभाव थोड़े समय के लिए होता है। और उसके द्वारा हमें भी अपस्फीति करने का उत्साह मिल सकता है; और अबमूल्यन देश के मान पर आपात करता है। इसलिए इन विधियों से बचने का प्रयत्न किया जाता है। और इसके बजाय शासन द्वारा विदेशी विनिमय का नियन्त्रण किया जाता है। अब निर्यातकर्त्ताओं को आज्ञा दी जाती है कि वे अपने विदेशी विनिमय केन्द्रीय बैंक के द्वारा करें और उनके बाद वह लाइसेंस प्राप्त आयातकर्त्ताओं को बांट दिए जाने हैं। इनके अतिरिक्त और किसी का वस्तुओं के आयात करने की आज्ञा नहीं दी जाती। इस प्रकार आयात को सीमा के अन्दर रखकर भुगतान-शेष ठीक कर दिया जाता है।

निर्देश पुस्तकें

- League of Nations International Currency Experience.
 Haberler, G Theory of International Trade
 Whale B International Trade
 Heuser Control of International Trade
 Crowther, G Outline of Money, 1950, Ch. X
 Benham, F Economics, 1940, pp 425-35
 Meade, J E Balance of Payments
 Tarshus L The Elements of Economics, 1946, Ch 41.
 Samuelson, F A Economics, 1948, Ch 16

विदेशी विनिमय (Foreign Exchange)

१ विदेशी विनिमय क्या है ? (Meaning of Foreign Exchange)—
‘विदेशी विनिमय’ के निम्नलिखित अर्थ हो सकते हैं—

(क) विनिमय की दर, अर्थात् विदेशी मुद्रा की वह मात्रा है जो स्वदेशी मुद्रा की एक इकाई खरीद सकती है,

(ख) विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय अथवा सौदे (व्यवहार), अर्थात् एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदलना या वह बन्ध, जिससे विदेशी भुगतान किया जाता है,

(ग) विदेशी विनिमय (मुद्रा) कोष जो किसी देश के पास हो।

यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार न होता तो विदेशी विनिमय भी न होता। यदि सारे सप्ताह के लिए एक जैसी मुद्रा होती तो उस समय भी विदेशी विनिमय की कोई समस्या न होती। परन्तु जैसी दशा है, उसके अनुसार देशों के आर्थिक सम्बन्धों के कारण एक-दूसरे के बीच लेन-देन का प्रश्न उठता है जिसको पूरा करना पड़ता है और विभिन्न देशों की मुद्राओं के रूप भिन्न भिन्न होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि आप १०० रु० की पुस्तक इंग्लैण्ड से भगाते हैं। भारत का रुपया इंग्लैण्ड के पुस्तक विक्रेता के लिए किसी काम का नहीं। आपको उसी मुद्रा में भुगतान करना होगा, जो इंग्लैण्ड में प्रचलित रहती है। इंग्लैण्ड की मुद्रा पाँड (£) स्टर्लिंग है। इसलिए आपके लिए यह आवश्यक है कि आप अपने १०० रुपयों को पाँड स्टर्लिंग में परिवर्तित करें (अथवा पाँड स्टर्लिंग के स्वत्व में)। यदि आपको सोना मिल सके और आप उसके परिवहन के व्यय को बर्दाश्त करना ठीक समझने हों, तो आप उसे भी भेज सकते हैं। इसी तरह एक अग्रज व्यापारी भारतीय निर्यातकर्ता में चाय खरीदता है। उसे अपने पाँड स्टर्लिंग को रुपयों में बदलना होगा अथवा यदि सम्भव हुआ और बचत जान पड़ी तो सोना भेजना होगा।

इसलिए हर एक देश में हर क्षण कुछ ऐसे व्यक्ति होने हैं, जो विदेशों को भुगतान करना चाहते हैं या ऐसे लोग, जो दूसरे देशों से भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं। इस तरह हर देश में विदेशी मुद्रा (या उसके स्वत्व) खरीदने वाले या विदेशी मुद्रा (या उसके स्वत्व) बेचने वाले लोग होते हैं। दूसरे शब्दों में, विदेशी मुद्रा की माँग और पूर्ति पर विनिमय की दर निर्भर है जिसके अनुसार विदेशी मुद्रा खरीदी जा सकती है (या देशी मुद्रा बेची जा सकती है) और बेची जा सकती है (या देशी मुद्रा

खरीदी जा सकती है)। ये क्रैता और विन्नेता मिलकर विदेशी विनिमय बाजार बनाते हैं।

२. विदेशी मुद्रा के स्वत्व (Titles to Foreign Money)—अभी हमें "विदेशी मुद्रा के स्वत्व" के अर्थ को स्पष्ट करना है। इनके ये रूप हो सकते हैं— (1) विनिमय बिल (Bills of Exchange), (ii) बैंक्स ड्राफ्ट्स (Bankers' Drafts), अथवा (iii) तार द्वारा हस्तान्तरण (Telegraphic transfers)। हमने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि विनिमय पत्र या ड्रॉडी क्या है और वही पर यह भी बतलाया गया है कि इससे विदेशी व्यापार के अर्थ-प्रबन्ध करने में क्या फायदे हैं। भारतीय निर्यातकर्ता अपनी वस्तुओं के इंग्लैण्ड के आयातकर्ता के नाम पीड स्टलिंग से सम्बन्धित विनिमय पत्र लिख देता है। वह बैंक को यह पत्र या ड्रॉडी बेच देता है या पारिभाषिक शब्दों में वह उसको भुना लेता है। पत्र का वर्तमान मूल्य उसको रुपये में मिल जाता है। भारत में इंग्लैण्ड की वस्तुओं का आयातकर्ता इस प्रकार के पत्र को रुपये देकर खरीद लेता है और उसको अपने इंग्लैण्ड के निर्यातकर्ता के पास भेज देता है, जो उसको किसी बैंक से भुना लेता है या उसके पूरे हो जाने पर पीड स्टलिंग में भुगतान पा लेता है।

ड्राफ्ट (Drafts) जैसा कि हम देव्य चुके हैं, बैंक से उनकी माखा के लिए या दूसरे बैंक के लिए जिनसे कि उनका हिसाब हो, किसी वाहक (bearer) को मांग पर लिखित रूप में मुद्रा देने के लिए एक आज्ञा है। संक्षेप में, ड्राफ्ट एक ऐसा चेक है, जो एक बैंक द्वारा किसी दूसरे बैंक के लिए एक तीसरे व्यक्ति के हित में लिखा गया हो। आप एक ड्राफ्ट जिनका कि अप्रेजी मुद्रा में भुगतान किया जा सकता हो, लरीन् कर धन इंग्लैण्ड भेज सकते हैं। यह ड्राफ्ट डाक से उस व्यक्ति के पास भेज दिया जाता है जिसको भुगतान पाना है, और वह व्यक्ति उसे उस बैंक को देकर जिसके नाम ड्राफ्ट लिखा गया है, अपना भुगतान पा जाता है।

तार द्वारा हस्तान्तरण (Telegraphic transfer) किसी बैंक को एक निश्चित धन-रशि का, कथित व्यक्ति को भुगतान करने का प्रादेश है। यह एक तार द्वारा भेजा गया ड्राफ्ट कहा जा सकता है। इस रीति में भुगतान तुरन्त कर दिए जाते हैं। इसलिए तार द्वारा हस्तान्तरण की दर, खरीदारों के लिए सामान्य ड्राफ्टों पर लगने वाले दरों के मुकाबले में अधिक महंगी होती है।

३. विनिमय की दरें (Rates of Exchange)—विनिमय की दर सम्भारने के लिए अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। हमने बताया था कि विदेशी मुद्रा की पूर्ति और मांग ही विनिमय की दर को निर्धारित करती है, ठीक वैसे ही जैसे वस्तुओं का बाजार-मूल्य पूर्ति और मांग की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। हमने यह भी बताया था कि विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति (या इसके विपरीत देशी मुद्रा की पूर्ति और मांग) किस प्रकार उत्पन्न होती है। जब पूर्ति मांग के बराबर होती है तो विनिमय सममात्र (par) होता है। यदि विदेशी मुद्रा की पूर्ति मांग से अधिक है तो विदेशी मुद्रा का मूल्य सममात्र के नीचे गिरता है (या देशी मुद्रा का मूल्य सममात्र के ऊपर उठता है) और इसके विपरीत यदि विदेशी मुद्रा की मांग उतकी पूर्ति से

अधिक है तो विदेशी मुद्रा का मूल्य सममात्र के ऊपर उठता है। (या देशी मुद्रा का मूल्य सममात्र के नीचे गिरता है।) किन्तु बहुत ही थोड़ी सरया म अन्तर्राष्ट्रीय सौदे विदेशी विनिमय बाजार में हुआओं के त्रय विक्रय के द्वारा तय होते हैं। अब तो एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ सीधा विनिमय होता है।

४ स्वर्ण मान के अन्तर्गत विनिमय की दरें (Rates of Exchange under Gold Standard) — जब दो सम्बन्धित देश स्वर्ण मान (Gold Standard) के अन्तर्गत होते हैं उस समय, जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है, उनकी मुद्रा इकाई या तो सोने के सिक्के होते हैं या वे एक नियत दर पर सोने म परिवर्तित हो सकने वाली होती हैं। इसके अतिरिक्त सोना अबाध रूप से देशों के बीच आता-जाता है। ऐसे देशों के बीच की विनिमय की दर को विनिमय की टकसाली दर कहते हैं। उन दो देशों की मुद्रा-इकाई म रहने वाले सोने को (या सोने की उस मात्रा को जो मुद्रा अधिकारियों न उनके बदले म देना नियत की हो) समीकरण करने म इसका निरूपण किया जा सकता है। एक स्वर्ण मान के देश और रजत मान क देश के बीच कोई विनिमय की टकसाली दर नहीं हो सकती।

५ स्वर्णिक (Specie Points) — मान लीजिए कि फ्रांसिसिया को इंग्लैण्ड के लोगों को उससे अधिक भुगतान करना पडता है जितना कि इंग्लैण्ड के लोग फ्रांसिसियों को करते हैं। फ्रांस म इंग्लैण्ड की मुद्रा की माँग उसकी पूर्ति से अधिक होगी। फ्रैंक की दर म पौण्ड का मूल्य बढ़ जाएगा। फ्रांसिसी आयातकर्त्ता को लन्दन में एक पौण्ड लेने के लिए २५ २२ १५ फ्रैंक से अधिक देन पडेंगे। परन्तु वह कितना अधिक देने को तैयार रहेगा? हम यह पढ़ने ही बता चुके ह कि आयातकर्त्ता सोना भेजेगा, यदि वह उसे प्राप्त हो और उसे भेजना अधिक गस्ता समझे। स्वर्ण मान के देश सदैव अपनी मुद्रा क बदले म सोना दे देते ह और उनको बाहर भेचन की आज्ञा भी देते हैं। परन्तु सोना बाहर भेजने म परिवहन व्यय (जहाज का किराया बीमा, व्याज आदि) लगता है। इसलिए फ्रांस में आयातकर्त्ता उसी समय सोना भेजगा यदि विनिमय सममात्र से पेरिस से लन्दन सोना भेजने के व्यय से भी अधिक है। मान लीजिए कि २५ २२ १५ फ्रैंक के मूल्य के सोने का पेरिस से लन्दन भेजन का खर्च ३ फ्रैंक है। यदि विनिमय की दर २५ २२ १५ फ्रैंक बराबर १ पौण्ड से ३ फ्रैंक से भी अधिक हो जाती है तो उस समय सोना भेजना उचित हो जाएगा। यदि विनिमय वास्तव म इस बिन्दु के ऊपर उठ जाता है तो सोना फ्रांस से इंग्लैण्ड की ओर जाने लगना। इसलिए यह बिन्दु फ्रांस के दृष्टिकोण से स्वर्ण निर्यात अंक (gold export point) और इंग्लैण्ड के दृष्टिकोण से स्वर्ण आयात अंक (gold import point) कहा जाएगा। यह अंक विनिमय की टकसाली दर म परिवहन व्यय जोड़ देने से मालूम होता है। इसे ऊपरी स्वर्ण बिन्दु या ऊपरी स्वर्णिक (upper gold point) भी कहते हैं।

इसी प्रकार फ्रांस के लिए निम्न-स्वर्णिक (lower specie point) या स्वर्ण आयात अंक होता है और इंग्लैण्ड के लिए निर्यात अंक। यह परिवहन-व्यय को सम-मात्र टकसाल में से घटा देन पर मालूम हो जाता है। ऊपर के उदाहरण म इस प्रकार

होगा २४ ६२१५ फ्रैंक बराबर १ पौण्ड के। यदि विनिमय दर इस अंक के नीचे गिर जाता है तो इंग्लैण्ड के आघातकर्त्ता फ्रैंक के स्वत्व खरीदने की अपेक्षा सोना भेजेंगे।

इस प्रकार यदि सोना मिल सकता है और उनको दो देशों (स्वर्ण-मान के अन्तर्गत) के बीच घाने-जाने की स्वतन्त्रता हो, तो विनिमय-दर उन दो सीमाओं के बीच चलेगी, जो कि ऊररी और नीची स्वर्ण अंको द्वारा निश्चित की गई है। यदि सोना न मिल सके तो विनिमय दर-स्वर्णांका को पार कर जाएगी। ये दो सीमाएँ हैं जिनके बीच में विदेशी मुद्रा अर्थात् हुडी ड्राफ्ट तार द्वारा परिवर्तन प्रादि की पूर्ति और माँग में परिवर्तना द्वारा उत्तार चढ़ाव होगा।

६ स्वर्ण तथा रजत मान के बीच विनिमय—उपर्युक्त उदाहरण ऐसा है जहाँ कि सम्बन्धित दोनों देश स्वर्ण-मान के अन्तर्गत हैं। यदि एक देश स्वर्ण-मान के अन्तर्गत हो, और दूसरा रजत मान के अन्तर्गत, तो उन समय विनिमय दर उन देश के, जो रजत मान के अन्तर्गत है, चादी की मात्रा में सोने के दाम द्वारा निश्चित की जाएगी, और जो स्वर्ण मान के अन्तर्गत है, सोने की मात्रा में चादी के दाम द्वारा निश्चित की जाएगी।

७ अविनिमयसाध्य कागजी मुद्राओं के बीच विनिमय—ऋणशक्ति की समता (Exchange between Inconvertible Paper Currencies—Purchasing Power Parity)—परन्तु सबसे कठिन समस्या उन देशों की है, जहाँ कि दोनों देश अपरिवर्त्य पत्र मुद्रा वाले हैं। मान लीजिए कि इंग्लैण्ड और फ्रांस दोनों धातु में बदल सकन वाली कागजी मुद्रा के अन्तर्गत हैं तब एक पौण्ड खरीदने के लिए कितने फ्रैंक देने पडेग ? स्पष्ट है कि उतन ही जिनकी कि फ्रांस में ऋण-शक्ति उतनी ही है, जितनी कि इंग्लैण्ड में एक पौण्ड की है। यदि इंग्लैण्ड में एक पौण्ड से 'क' वस्तुएँ खरीदी जा सकती हैं तो एक पौण्ड से फ्रांस में उतने फ्रैंक खरीदे जा सकेंगे जो फ्रांस में 'क' वस्तुएँ खरीदी सकें, 'क' वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में ले जाने के खर्च को छोड़कर।

मान लीजिए कि इंग्लैण्ड में एक पौण्ड 'क' वस्तुएँ खरीदता है।

फ्रांस में 'क' वस्तुओं का मूल्य २५ फ्रैंक है। तब विनिमय दर इस प्रकार प्रवृत्तशील होगी —

१ पौण्ड = २५ फ्रैंक।

अब कल्पना कीजिए कि दोनों देशों में कीमत-स्तर स्थिर रहता है परन्तु विनिमय किसी प्रकार बदल कर ऐसा हो जाता है—

१ पौण्ड = ३० फ्रैंक।

इसका अर्थ हुआ कि फ्रांस में पौण्ड की ऋण-शक्ति २५ फ्रैंक से अधिक है। लोगों को इस दर पर पौण्डों को परिवर्तित करने से लाभ होगा। वे फ्रांस में २५ फ्रैंक देकर 'क' वस्तुएँ खरीद कर फिर उनको इंग्लैण्ड में १ पौण्ड पर बेच देंगे। उस व्यापार से वे ५ फ्रैंक प्रति पौण्ड का लाभ उठाएँगे। इससे इंग्लैण्ड में फ्रैंक की माँग बहुत बढ़ जाएगी तथापि उनकी पूर्ति कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत कम लोग इंग्लैण्ड से फ्रांस के लिए वस्तुओं का निर्यात करेंगे। पौण्ड की मात्रा में फ्रैंक का मूल्य बढ़ता


जाएगा जब तक कि वह, १ पौण्ड=२५ फ्रैंक के नहीं हो जाता। उस बिन्दु पर फ्रांस से किए हुए आयात से असामान्य लाभ नहीं होगा। यह दर (१ पौण्ड=२५ फ्रैंक) दो देशों की खरीदने की समशक्ति (parity) कहलाती है। "जब कि किसी मुद्रा-इकाई का मूल्य दूसरी मुद्रा की मात्रा में किसी विशिष्ट समय पर बाजार की माँग और पूर्ति की स्थितियों में से निश्चित किया जाता है, दोघनाल में वह मूल्य दोनों मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य से, जिसका कि ज्ञान उनकी वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने की सापेक्षिक शक्ति द्वारा होता है, निश्चित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, विनिमय के दर की प्रवृत्ति उस बिन्दु पर स्थिर रहने की होती है, जो दोनों देशों की मुद्राओं की सापेक्षिक क्रय-शक्तियों में बराबरी दिखलाती है। यह बिन्दु क्रयशक्ति की समता कहलाता है।"

ऊपर दिए गए उदाहरण के अनुसार यदि फ्रांस में दाम दुगुने हो जाते हैं तो फ्रैंक का मूल्य बिलकुल आधा हो जाएगा। नई समता दर होगी १ पौंड=५० फ्रैंक। यह इस कारण होगा क्योंकि अब फ्रांस में ५० फ्रैंक 'क' वस्तु खरीदेंगे, जो पहले २५ फ्रैंक खरीदते थे। यहाँ हमने माना है कि इंग्लैण्ड में दाम वैसे ही रहने हैं जैसे पहले थे। परन्तु यदि दोनों देशों में दाम दुगुने हो जाते हैं, तब क्रय-शक्ति में कोई अन्तर न आएगा।

इस प्रकार—२ पौंड=५० फ्रैंक। १ पौंड=२५ फ्रैंक।

परन्तु वास्तविक परिस्थिति में खरीदने की सम शक्ति-दर वस्तुओं के एक देश से दूसरे देश तक के परिवहन-व्यय (कर आदि सहित) के कारण बदल जाती है।

इस प्रकार अविनिमयसाध्य कागजी मुद्रा वाले देशों के बीच टकसानी दर का स्थान क्रय-शक्ति की समता ले लेती है। दानों में अन्तर यह है कि पहली तो एक स्थिर दर है, जब कि दूसरी उन दोनों देशों में होने वाले दामों के उतार-चढ़ाव के



चित्र ६२

साथ बदलती रहती है। सम्बन्धित मुद्रा की पूर्ति और माँग में परिवर्तन होने के कारण इस सममात्र के इर्द-गिर्द पहले की तरह उतार चढ़ाव होगा। इस उतार चढ़ाव की सीमाएँ एक देश से दूसरे देश की वस्तुओं से जाने के परिवहन-व्यय द्वारा निश्चित होगी। इसलिए ये सीमाएँ जतनी निश्चित न होंगी, जितनी कि स्वर्णक में। उपर्युक्त रेखाचित्र से यह बात स्पष्ट हो जाती है।

८ क्रय शक्ति समता सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of Purchasing Power Parity Theory)—प्रथम महायुद्ध के बाद स्वीडन के एक अर्थशास्त्री गुस्टव कैसल (Gustav Cassel) द्वारा यह सिद्धान्त प्रचलित किया गया था। कैसल (G. Cassel) ने लिखा था, "दा मुद्राओं के विनिमय की दर अवश्य ही उनकी आन्तरिक क्रय-शक्तियों के फल पर निर्भर होनी चाहिए।" इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है यदि हम इस बात पर विचार करते हैं कि विदेशी मुद्रा में दी गई कीमत अन्त में वही कीमत होती है, जो देशी बाजार में वस्तुओं की कीमत से कोई न-कोई सम्बन्ध अवश्य रखती है।

यहाँ पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्रय-शक्ति समता दोनों देशों की कीमत के सामान्य स्तर की तुलना करती है, न कि केवल उन वस्तुओं के कीमत स्तर की, जो वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आती हैं। उपर्युक्त प्रकार की वस्तुओं की कीमतें हर देश में उनके परिवहन व्यय, तट-कर आदि का ध्यान रखते हुए, निःसन्देह एक ही होती हैं। यदि हम केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वस्तुओं की कीमत की तुलना करें तो इस सिद्धान्त को प्रमाणित करना अति सुगम हो जाएगा। वास्तव में जब हम इसे केवल इन्हीं वस्तुओं पर लागू करते हैं तो यह सारहीन तथ्य रह जाता है जैसा कि प्रो० हॉम (Halm) लिखते हैं कि 'यह स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय वस्तुओं की राष्ट्रीय कीमतों को यदि प्रचलित विनिमय दरों में अंकित किया जाए तो वे विभिन्न बाजारों में समानता की ओर चलेंगी।'¹

परन्तु जब हम उन सब वस्तुओं के दामों के देशों की तुलना करने का प्रयत्न करते हैं जो सम्बन्धित बाजार में बेची जाती हैं, तो उस समय विनिमय की दर इस प्रकार से निश्चित किए गए अंकों के सदैव अनुरूप न होगी। यह इसलिए कि घरेलू वस्तुओं की कीमतें कम से कम अल्पकाल में हो सकता है कि उसी दिशा की ओर न बढ़ें जिस ओर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ें। दीर्घकाल में तो अवश्य ही विनिमय दर और कीमत-स्तर की वृत्ति एक ही दिशा की ओर जाने की होगी। इसलिए यह सिद्धान्त केवल दीर्घकाल में ही लागू होता है। इसके अलावा उन वस्तुओं के बीच जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होती हैं, और वे जो शामिल नहीं होती, कोई स्थायी भेद नहीं होता। यह तो स्वयं विनिमय की दर पर आधारित है। यदि विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है तो कुछ वस्तुओं का, जो अभी तक देश में ही रहती थी, निर्यात लाभप्रद हो जाएगा तथा प्रतिफल भी उसी प्रकार विलोमत होगा।

दीर्घकाल में भी यह सिद्धान्त केवल उसी समय लागू होगा जब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यक परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं होता परन्तु ये परिस्थितियाँ बहुत ही कम परिचित रहती हैं। उदाहरणार्थ, व्यापार के वस्तु-विनिमय की शर्तें सदैव देशों के बीच विदेशी वस्तुओं की माँग में परिवर्तन के कारण या घरेलू वस्तुओं की पूर्ति की स्थितियों में होने वाले परिवर्तनों के कारण, निरन्तर बदलती रहती हैं। इसके अतिरिक्त, विदेशी ऋण की मात्रा में, परिवहन-व्यय में या अप्रत्यक्ष व्यापार-

सन्तुलन के किसी मद में परिवर्तन हो सकते हैं। वस्तु-विनिमय की शर्तों में इस प्रकार हुए परिवर्तन कीमत स्तरों के बीच के सम्बन्ध को अस्त-व्यस्त कर सकते हैं और हो सकता है कि इन कीमत स्तरों पर निर्मित समताएँ विनिमय-दर के अनुकूल न हों। जैसा कि श्री कैसल (Cassel) लिखते हैं, 'दो देशों की आर्थिक स्थिति में विभिन्नता विशेषकर यातायात तथा तट कर के सम्बन्ध में, साधारण विनिमय दर को कुछ, सीमा तक, मुद्राओं की क्रय-शक्ति द्वारा निर्धारित दर से दूर हटा सकती है।'¹ यदि कोई देश तट कर लगा देता है तो उसकी मुद्रा का विनिमय-मूल्य बढ़ जाएगा लेकिन मूल्य-स्तर वही रहेगा।

इसके अतिरिक्त भुगतान शेष (balance of payments) की अनेक मदें जैसे बीमा व्यय, अधिकोपण व्यय, और पूँजी को स्थानान्तरित करने के व्यय आदि पर कीमत स्तरों के परिवर्तनों का बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। फिर भी इन मदों का विनिमय दरों पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विदेशी मुद्राओं की माँग और पूर्ति प्रभावित होती ही है। क्रय शक्ति समता का सिद्धान्त (theory of purchasing power parity) इन प्रभावों पर ध्यान नहीं देता।

कैसल (Cassel) का सिद्धान्त यह बतलाता है कि कीमतों के परिवर्तन विनिमय-दर में भी परिवर्तन लाते हैं लेकिन विनिमय-दर के परिवर्तन कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं लाते। यह दूसरी बात ठीक नहीं है क्योंकि विनिमय के परिवर्तन आन्तरिक कीमतों पर कुछ-न कुछ प्रभाव अवश्य डालते हैं।

अन्त में, हम कह सकते हैं कि क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त विनिमय दर का निश्चय करने वाली तात्कालिक शक्तियों की अपेक्षा अन्तिम शक्तियों की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। अपनी नुटियों के होते हुए भी क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त आजकल दीर्घकाल के विनिमय दरों की प्रति सन्तोषजनक व्याख्या मानी जाती है।

६ विनिमय-दर की अस्थिरता (Fluctuations of the Rate of Exchange)—दीर्घकाल-समता चाहे टकसाल सममान हो जैसी स्वर्ण-मान के अन्तर्गत होती है, चाहे क्रय-शक्ति समता हो, जैसे अपरिवर्तनीय, कागजी मुद्रा के अन्तर्गत होती है, परन्तु अल्पकाल में बहुत से ऐसे कारण हैं जो इस साम्य-दर स्तर के नीचे या ऊपर विनिमय-दर को गिराते, उठाते हैं।

ये कारण दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं—

(1) जो विदेशी मुद्रा की माँग या पूर्ति पर प्रभाव डालते हैं; और

(ii) वे, जो कि मुद्रा की स्थितियों को प्रभावित करते हैं।

(1) पहले के सम्बन्ध में हम देखते हैं कि विदेशी मुद्रा की माँग और पूर्ति तीन कारणों से उत्पन्न होती है—

(क) व्यापारिक दशाएँ,

(ख) स्टॉक-विनिमय के प्रभाव, तथा

(ग) अधिकोपण के प्रभाव।

(क) व्यापारिक दशाएँ (Trade Conditions)—ये आयात और निर्यात पर प्रभाव डालती हैं और इसीलिए विदेशी मुद्रा की पूर्ति और माँग क्रमशः प्रभावित होती है। जिस समय हमारे निर्यात आयात से अधिक होते हैं, उस समय विनिमय की प्रवृत्ति हमारे हित को और बढ़ने की होगी और विपरीत स्थिति में इसकी प्रवृत्ति हमारे प्रतिकूल होगी। आयात और निर्यात के अन्तर्गत यहाँ पर केवल प्रत्यक्ष मदें (visible items) ही नहीं हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष मदें भी हैं।

(ख) स्टॉक-विनिमय के प्रभाव (Stock Exchange Influences)—इसके अन्तर्गत है ऋण का लेना, ब्याज और ऋणों का भुगतान करना, विदेशी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय, आदि। जब कोई देश किसी दूसरे देश को ऋण देता है तो मुद्रा की माँग बनती है और स्वदेशी मुद्रा के मूल्य की प्रवृत्ति गिरने की ओर होती है। जब देश के विनियोजक विदेशी प्रतिभूतियाँ खरीदते हैं या विदेशी विनियोजक स्वदेशी प्रतिभूतियाँ बेचते हैं तो उस समय भी ऐसा ही होता है। विनिमय किसी उस देश के हित में चलता है जब कि उसके ऋण का भुगतान हो रहा हो या जब विदेशी लोग उसकी प्रतिभूतियाँ खरीदते हों, क्योंकि इस प्रकार के कार्यों से स्वदेशी मुद्रा की माँग की उत्पत्ति होती है।

(ग) बँकि-प्रभाव के प्रभाव (Banking Influences)—बैंक ड्राफ्टों का क्रय-विक्रय, यात्रियों के साख पत्र अन्तर-परिचालन (arbitrage operations) (अर्थात् विदेशी मुद्राओं का क्रय-विक्रय करके, विभिन्न केन्द्रों में उनकी दरों में अन्तर हो जाने के कारण लाभ उठाना) आदि इस वर्ग के अन्तर्गत हैं। किसी विदेशी केन्द्र में ड्राफ्ट का विक्रय विदेशी मुद्रा की माँग की उत्पत्ति करता है और उसके मूल्य को बढ़ाता है या स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को गिराता है। बैंक-दर भी विनिमय-दर को प्रभावित करता है। ऊँची बैंक-दर विदेशी केन्द्रों से धन को आकर्षित करती है और इस प्रकार स्वदेशी मुद्रा की माँग को बढ़ाती है और इसलिए उसके मूल्य को भी। इसके विपरीत स्थिति में उसका मूल्य गिर जाता है, क्योंकि निधि देश के बाहर जाने लगती है और इस प्रकार विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ जाती है।

(२) मुद्रा-सम्बन्धी स्थितिर्षाँ (Currency Conditions)—मुद्रा के मूल्य सम्बन्धी वास्तविक या आशाश्रित परिवर्तन भी विनिमय दर को प्रभावित करते हैं। यदि मुद्रा बहुत अधिक बाहर निकाली गई है या उसकी आशा है, तो लोग उस देश में अपनी पूँजी का विनियोजन करने के इच्छुक न होंगे। वास्तव में पूँजी की प्रवृत्ति बाहर जाने की होगी, इसको 'मुद्रा से भागना' कहते हैं। यदि लोग मुद्रा के अधिमूल्यन की प्रतीक्षा करते हैं तो उनकी प्रवृत्ति स्टॉक के नाम के लिए ऐसी मुद्रा खरीदने की होगी। पहली दशा में विनिमय दर की प्रवृत्ति प्रतिकूल होने की होगी और दूसरी दशा में अनुकूल।

१०. विनिमय-दर के उतार-चढ़ाव की सीमाएँ (Limits to Exchange Fluctuations)—परन्तु उतार-चढ़ाव कुछ सीमामों के अन्दर ही होते हैं। हम यह पहले ही देख चुके हैं कि स्वर्ण-मान के अन्तर्गत इन सीमाओं का निर्धारण स्वर्ण या स्वर्ण-शुद्धी द्वारा होता है।

किसी देश के लिए अनुकूल विनिमय-दर उस समय होती है जब यह दर स्वर्ण आयात-अक्र के अधिक समीप हो, और उस समय प्रतिकूल होती है जब वह स्वर्ण-निर्यात अक्र के अधिक समीप हो। यह दर उस समय भी अनुकूल कहलाती है, जब स्वदेशी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में बढ़ जाता है या जब स्वर्ण आयात के स्थान पर निर्यात होने लगता है। यदि स्वदेशी मुद्रा का मूल्य गिरता है या सोने को प्रवृत्ति देश के बाहर जाने की होती है तो विनिमय-दर प्रतिकूल कही जाती है।

११ विनिमय की साम्य दर (Equilibrium Rate of Exchange) — उतार-चढ़ाव के बाद विनिमय दर अपेक्षाकृत एक ऐसे स्थायी स्तर पर पहुँच सकती है जिसे साम्य दर कहा जा सकता है। भारतीय मुद्रा के इतिहास में हमने १८ पें० और १६ पें० की विनिमय दरों का अध्ययन किया है। उनमें से कौन सा अनुपात ठीक था? दोनों दरों के बारे में यह कहा जाता था कि उन पर विभिन्न आर्थिक बातों का, जैसे कि कीमत, मजदूरी, ध्याज आदि का समायोजन था। अर्थात् वे दोनों साम्य दरें थीं। सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो दर सब से उत्तम होती है, उसे साम्य दर कहते हैं। उस दर पर किसी प्रकार की विषमता व असमता (जैसे कीमत लागत अम्भानता) नहीं होती तथा अर्थ व्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में असाम्य तथा दुर्व्यवस्था का चिह्न नहीं दीख पड़ता।

इसकी परिभाषा इन शब्दों में की गई है—“यह वह दर है जिस पर भुगतान साम्य की स्थिति में होता है और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा रिजर्व में कोई वास्तविक घट-बढ़ नहीं होती।” इसकी परिभाषा इस प्रकार भी की गई है, “जो शेष सप्ताह से अधिक बेरोजगार फैलाए बिना भुगतान शेष का साम्य बनाए रखता है।”¹ इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि साम्य दर वह दर है जिस पर प्रत्येक मुद्रा की माँग उसकी पूर्ति के बराबर होगी। यह विभिन्न अर्थ-व्यवस्थाओं के बीच साम्य का मकेत करती है। साम्य दर पर देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा के अनुपात में न तो अधिक मूल्य रखती है और न कम। यह न तो निर्यात को प्रोत्साहन देती है और न आयात को। यह तटस्थ रहती है।

थी हॉम (Halm) साम्य दर के बारे में निम्नलिखित बातें बताते हैं—²

(i) इसे घरेलू स्थिरता के औसत अनुपात में होना चाहिए। उदाहरणार्थ, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आन्तरिक वेकारी बाह्य वेकारी से अधिक न होनी चाहिए।

(ii) यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि इन दरों को स्थिर रखने के लिए राष्ट्रीय स्वर्ण कोष पर अधिक बोझ पड़े या विदेशी विनिमय की वृद्धि का अधिकाधिक प्रयोग करना पड़े। यदि इसके लिए देश की मुद्रा को कम करना पड़े जिससे फलस्वरूप मन्दी की स्थिति आए या विकास में रुकावट पड़े तो वह साम्य-दर नहीं होगी।

(iii) इससे विदेशी व्यापार में कृत्रिम लाभ या हानि नहीं हानी चाहिए।

1 International Currency Experience, pp 124 and 126, respectively

2 Monetary Theory, 1946, p 919

विदेशी व्यापार से सम्बन्धित दूसरे देशों की माँग, लागत व कीमत आदि बातों के सम्बन्ध में इसे निष्पक्ष रहना चाहिए।

१२ स्वर्ण मान के अन्तर्गत असमता कैसे ठीक की जा सकती है ? (Correcting Disequilibrium under Gold Standard ?)—यदि विदेशी विनिमय के सम्बन्ध में कुछ अमान्य है तो उसे दूर करना आवश्यक है। हमने स्वर्णमान का अध्ययन करते समय इसके गुणों में से एक की व्याख्या करते हुए यह बतलाया था कि इसके अन्तर्गत भूगतान-शीप के साम्य में होने वाली किसी भी गड़बड़ी की प्रवृत्ति स्वयं ठीक हो जाती है। अब हम यह देखेंगे कि यह किस प्रकार होता है। एक पूर्ण आदर्श स्वर्ण मान की कल्पना संद्वान्तिक रूप से ही की जा सकती है। परन्तु सन् १९१४ से पहले की ब्रिटिश पद्धति इस आदर्श के निकट मानी जा सकती है।

मान लीजिए कि उस समय ब्रिटेन का आयात निर्यात की अपेक्षा अधिक था और यह प्रतिकूल आधिक्य अप्रत्यक्ष निर्यात से भी पूरा नहीं हुआ। इससे विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ जाएगी। मान लीजिए फ्रांस की मुद्रा की माँग इंग्लैण्ड में बढ़ी और फ्रांस की मुद्रा स्वर्ण मान के अन्तर्गत थी जिससे कि स्टलिंग का फ्रैंको में अवमूल्यन (depreciation) होगा। यही अवमूल्यन स्वयं फ्रांसीसियों के लिए ब्रिटिश वस्तुएँ अधिक सस्ती करेगा और फ्रांसीसी वस्तुएँ अग्रजों के लिए अधिक महंगी। निर्यात को इस प्रकार प्रोत्साहन मिलेगा और आयात निरूत्साहित होगा और व्यापार सन्तुलन की प्रवृत्ति ब्रिटेन के हित में जाने की होगी। इस प्रकार पहले की असमता ठीक हो जाएगी। यह उस समय भी होगा जब कि विनिमय एक अक्ष में ब्रिटेन के प्रतिकूल भी जाए।

परन्तु मान लीजिए कि प्रतिकूल आधिक्य बहुत गम्भीर था और विनिमय इंग्लैण्ड से स्वर्ण निर्यात अक्ष को पार कर गया, तो सोना इंग्लैण्ड से बाहर निकलेगा और फ्रांस के भीतर जाएगा। इंग्लैण्ड में साख सङ्कुचित होगी (केन्द्रीय बैंक द्वारा अपनी निधि को बचाने के काय से) और उसी तरह फ्रांस में साख का प्रसार होगा। कीमतें और लागत इंग्लैण्ड में गिरेंगी और फ्रांस में बढ़ेंगी। इंग्लैण्ड खरीदने के लिए एक आकर्षक बाजार बन जाएगा और फ्रांस में इसके विपरीत होगा। इंग्लैण्ड के निर्यात के प्रोत्साहन मिलेगा और आयात निरूत्साहित होंगे। इस प्रकार असमता के मूल कारण ठीक हो जाएंगे।

१३ अविनिमयप्राप्त्य मुद्रा के अन्तर्गत असमता का सन्तुलन (Correcting Disequilibrium Under Inconvertible Paper)—यदि वस्तुओं के एक देश से दूसरे देश में जाने-जाने की पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाए तो उस देश में भी अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा के अन्तर्गत ऐसे ही स्वयंगतिक मसौघन की कल्पना की जा सकती है। सोने के चलन के स्थान पर वस्तुओं का चलन होगा और उससे दोनों देशों के सापेक्ष मूल्य-स्तर पर प्रभाव पड़ेगा।

परन्तु वास्तव में देशों में होने वाले दामों के सापेक्ष परिवर्तनों का उस समय अधिक कठिनार्थ से भाभास होता है जब कि सोने की अपेक्षा सम्बन्ध वस्तु या वस्तुओं

द्वारा जोड़ा जाता है। उन वस्तुओं की अपेक्षा जिनकी माँग बहुत से कारणों पर निर्भर है, सोना सर्वत्र मान्य होता है। इस तरह ऐसा हो सकता है कि वास्तविक विनिमय-दर त्रय शक्ति समानता से दूर रहे और यह असमता सापेक्ष कीमत के स्तरों के परिवर्तनों द्वारा समोधित न हो सके। ऐसी परिस्थिति में भ्रमता लाने का आम तरीका यह है कि विनिमय का स्वतः मूल्य स्तर का समायोजन करने के लिए स्वतन्त्र कर दिया जाए।

स्वर्ण मान के अन्तर्गत विनिमय और कागजी मुद्रा-मान के अन्तर्गत विनिमय के बीच एक और अन्तर यह है कि पत्र मुद्रा का वर्तमान मूल्य उसके भविष्य के आशातीत मूल्य के विचारा द्वारा बहुत कुछ प्रभावित होता है। यदि यह सामान्यतः विश्वास किया जाता है कि सम्बन्धित मुद्रा के अवमूल्यन की आशा है तो लोग उसको किसी दूसरी मुद्रा में परिवर्तन करके उससे पीछा छुड़ाने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार इस मुद्रा का अवमूल्यन होगा, भले ही उन देशों के सापेक्ष मूल्य स्तरों में कोई परिवर्तन न हुआ हो। इसी प्रकार इस तरह के परिकल्पी प्रभावों के कारण एक असमानता उत्पन्न हो जाएगी।

एक देश में दूसरे देश की वस्तुओं की परस्पर माँग की तीव्रता का प्रभाव भी एक कारण है। यदि सापेक्ष मूल्य स्तर स्थिर रहते हैं और किसी भी कारण से एक देश 'अ' की माँग देश 'ब' की वस्तुओं के लिए अपेक्षाकृत अधिक तीव्र हो जाती है, तो विनिमय दर देश 'अ' के विपरीत और देश 'ब' के अनुकूल उस सीमा से अधिक बढ़ेगी जितना कि मूल्य स्तरों के अन्तर के अनुसार आवश्यक है। यदि दोनों देश स्वर्ण-मान के अन्तर्गत हैं तो इस परिस्थिति का फल यह होगा कि सोना 'अ' देश से निकल कर 'ब' देश के पास तब तक जाता रहेगा, जब तक कि मूल्य स्तरों के परिवर्तन टकमाली विनिमय दर पर साम्य स्थापित नहीं करते।

संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि स्वर्ण-मान के अन्तर्गत दो देशों के बीच समता की प्रवृत्ति सोने के चलन और सापेक्ष मूल्य स्तरों द्वारा स्थापित होने की होती है तथा अविनिमयमाध्य कागजी मुद्रा के अन्तर्गत विनिमय की दरों में परिवर्तन द्वारा।

१४ विनिमय स्थायित्व बनाम कीमत स्थायित्व (Exchange Stability Versus Price Stability)¹—स्वर्ण मान के अन्तर्गत विनिमय अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं और सोने के चलन से समायोजन किए जाते हैं जिनका प्रभाव सापेक्ष मूल्य स्तरों पर पड़ता है। अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा के अन्तर्गत विनिमय के परिचलन द्वारा सम-वय अधिक सरलता से हो जाता है परन्तु कागजी मुद्रा के अन्तर्गत भी विनिमय कृत्रिम रूप से नियन्त्रित किए जा सकते हैं और स्थायी रखे जा सकते हैं। तब उन देशों के बीच समायोजन कीमतों और लागतों के एक दुखदायी सापेक्षिक परिवर्तन द्वारा करना होगा।

प्रश्न उठता है कि देश को किम नीति को अपना उद्देश्य बनाना चाहिए—विनिमय स्थायित्व या कीमत स्थायित्व? इस प्रश्न का कोई सीधा उत्तर नहीं दिया

ज मज्जा । यह देश की आर्थिक दशा और उसके विदेशी व्यापार के विस्तार पर निर्भर होगा ।

यदि देश बड़ा है और उसकी अर्थ-व्यवस्था में विदेशी व्यापार का स्थान तुच्छ है और उसके मूल्य और लागतों का ढाँचा लचीला नहीं है, तो उस समय उसके मूल्यस्तर के स्थायित्व को सुरक्षित रखना और विनिमय की दर की गतिविधि का उचित समन्वय करना उसके हित में होगा । इसके विपरीत एक छोटे देश के लिए, जिसका विदेशी व्यापार विस्तृत है और कीमतों और लागतों का ढाँचा लचीला है, यह लाभदायक होगा कि वह अपने विनिमय की दर को स्थायी रखे और आन्तरिक कीमत और लागतों की गतिविधि द्वारा समायाजन होने दे । उदाहरण के लिए, भारत जैसे देश का लक्ष्य कीमतों का स्थायित्व और स्वतन्त्र विनिमय होना चाहिए जब कि ब्रिटेन के लिए अधिक आवश्यक उद्देश्य स्थायी विनिमय होना चाहिए ।

इधर कुछ समय से मद्रा-नीति का उद्देश्य इन दोनों लक्ष्यों में दूर हट गया है । उद्देश्य अब न तो विनिमय की स्थिरता है और न कीमत की स्थिरता । आर्थिक जीवन में स्थिरता लाना अथवा व्यापार चक्र की गति को सन्तुलित बनाए रखना ही अब उद्देश्य बन गया है ।

१५ अनिश्चित बनाम निश्चित विनिमय (Fluctuating Vs Fixed Exchange)¹—क्या विनिमय-दरों को स्वतन्त्र छोड़ देना चाहिए, जिन और वे जाए जाने दिया जाए या उन्हें स्थिर रखना चाहिए ? दोनों पक्षों में कुछ कहा जा सकता है । लोचदार विनिमय के समर्थकों का कहना है कि स्वतन्त्र दर की प्रथा द्वारा कोई देश स्वतन्त्र आर्थिक नीति अपना सकता है । देश को आन्तरिक स्थिरता को और प्रयत्नशील रहना चाहिए अर्थात् कीमतों, उत्पादन और रोजगार के स्थायित्व पर विशेष ध्यान देना चाहिए और विनिमय-दर का स्वतन्त्र छोड़ देना चाहिए । इस प्रकार की नीति में आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था को बाहरी हस्तक्षेप से बचाया जा सकता है । विनिमय दर भुगतान शेष को साम्य स्थिति पर लाती है और यह ठीक ही होगा कि इसे इस प्रकार अपने आप स्वतन्त्रतापूर्वक रहने दिया जाए । यदि विनिमय दर को स्थिर रखा जाता है तो विदेश में उत्पन्न हुई मुद्रा विस्तार और सकृच्चन की बुराइयाँ आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था में धुमती हैं । परिवर्तनशील विनिमय-दरें इन बुराइयों से बचा सकती हैं और यह भी पूछा जा सकता है कि "यदि माँग पूर्ति के नियम सब आर्थिक क्षेत्रों में ठीक प्रकार कार्य कर सकते हैं तो विदेशी विनिमय में क्या नहीं कर सकते ?"

इस प्रकार के तर्कों में काफी मचाई है । फिर भी निम्नलिखित कारणों से स्वतन्त्र परिवर्तनशील विनिमय-दर की पद्धति को सर्वत्र स्वीकृत दिया गया है² :

(१) चूंकि विनिमय की दरों में परिवर्तन का प्रभाव आयात और निर्यात पर पड़ता है, इसलिए परिवर्तनशील विनिमय-दर आन्तरिक स्थिरता में बाधा डालती है ।

1 See League of Nations—International Currency Experience, 1944, pp 117-22 and also Ch XI

2. See Halm, G N—Monetary Theory, 1946, pp. 211—16.

(२) उतार-चढ़ाव वाली विनिमय दर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के जोखिमो को बढ़ा कर उसके विकास में बाधक है।

(३) उतार चढ़ाव वाली विनिमय की प्रथा में विदेशी मुद्राओं के सम्बन्ध में बहुत सट्टेबाजी होती है जिससे विनिमय की दरों में अत्यन्त अस्थिरता आ जाती है। यदि विनिमय में अचानक बदलाव की शका है, तो इससे बहुत खतरा बढ़ता है। पूँजी दूर भागने लगती है। इस प्रकार उतार-चढ़ाव वाली विनिमय दर समायोजन की वृद्धि के लिए उचित नहीं है।

(४) उतार चढ़ाव वाली विनिमय दरों से आकस्मिक लाभ और हानि बहुत अधिक होती है। विनिमय-दर में आकस्मिक परिवर्तनों से लाभ उठाने के लिए व्यापारियों को अधिक मात्रा में नकदी रखनी होती है। इससे साख का सकुचन होता है, व्याज की दर बढ़ जाती है और बेकारी फैलने लगती है।

(५) उतार चढ़ाव वाली दरों से दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रीय विनियोजन में भी बाधा पड़ती है क्योंकि जिस बात में आन्तरिक अर्थ व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा होती है उसका प्रभाव पूँजी लगाने वाले पर भी पड़ता है और वह पूँजी लगाने में हिचकने लगता है।

उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट है कि न तो स्थायी और न अस्थायी दरों से काम चल सकता है। "यह सच है कि विनिमय फेरफार भुगतान शेष की अल्पावधि की गड़बड़ी को दूर करने का अनुचित तथा अर्वाच्य उपाय है, लेकिन यह भी समान रूप से सही है कि आन्तरिक तथा बाह्य साधनों में बड़े परिवर्तन होने की दशा में निरपेक्ष (absolute) विनिमय-दर हानिकारक है। सामान्य हित की दृष्टि से चलमुद्रा मूल्य का समय समय पर पुनर्निरीक्षण होना चाहिए जिससे विभिन्न देशों के कीमत-स्तर तथा विनिमय दर में असमानता कम हो जाए।"

उतार-चढ़ाव वाली विनिमय-दर की जोखिमों तथा हानियों के कारण ही विनिमय नियन्त्रण प्रणाली का चयन हुआ।

१६ विनिमय नियन्त्रण (Exchange Control)—प्रथम युद्ध से विभिन्न कारणों के फलस्वरूप सरकार ने विनिमय पर नियन्त्रण रखना प्रारम्भ कर दिया है।

विनिमय पर नियन्त्रण करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसे उस स्थान के बजाए जहाँ यह आर्थिक शक्तियों को स्वतन्त्र छोड़ देने पर निश्चित होता, हमारे स्थान पर निश्चित किया जाए। हो सकता है कि देश की स्वर्ण निधि लगातार घट रही हो या भुगतान शेष निरन्तर घाटे का हो या देश से पूँजी लगातार बाहर को जा रही हो, या विदेशी विनिमय को स्थिर रखने के लिए बहुत अधिक पूँजी विदेशों में लगाना आवश्यक हो गया हो। इस प्रकार की परिस्थितियों में स्वतन्त्र विनिमय हानिकारक हो सकता है। अतः विनिमय नियन्त्रण एक नितान्त आवश्यकता है।

वह देश जो विनिमय नियन्त्रण बाह्यता है, इन तीन तरीकों से चल सकता है। यह वहाँ की आर्थिक स्थिति पर आधारित है (१) वह देश चल मुद्रा के मूल्य को कम कर सकता है (अथवा अचमूल्यन); (२) या अतिमूल्यन (overvaluation)

कर सकता है; अथवा (३) उतार-चढ़ाव से बचकर स्थिर दर बनाए रखने का निश्चय कर सकता है। अब हम प्रत्येक पर जुदा-जुदा विचार करेंगे।

जब कोई देश मूल्य म कमी करता हो अर्थात् स्वतन्त्र विनिमय के बाजार से कम मूल्य पर वस्तुओं को बेचता है तो आयात को घटका लगता है और निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है जिससे देश की वस्तुओं की कीमत दूसरे देशों की अपेक्षा बढ़ जाती है। यह तर्क मन्दी के हटाने के लिए प्रयोग म आता है। किन्तु यह पूर्ण रूप से सम्भव नहीं होता। इसम अन्तरिक कीमतों के बढ़ने के बजाए बाहरी कीमतें बढ़ सकती हैं। यह बड़े-बड़े देशों म ही घटित होती है, जैसे, भारत और अमरीका। चूंकि कीमतों पर आयातों और निर्यातों का प्रभाव अवश्य पड़ता है, इसलिए कीमत-स्तर तभी प्रभावित होगा जब कि किसी देश का विदेशी व्यापार अत्यन्त विस्तृत है अन्यथा नहीं।

विनिमय नियन्त्रण का दूसरा उद्देश्य मुद्रा अधिमूल्यन अथवा दूसरी मुद्रा से ऊंचा मूल्य निश्चित करना है। नियन्त्रण के न होने पर ऐसा नहीं हो सकता। यह रास्ता तभी अस्तित्व में किया जाता है जब व्यापार सन्तुलन म अधिक उतार-चढ़ाव पाया जाता है। फनस्वरूप राष्ट्रीय मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग से कहीं अधिक बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था म देश को विदेशी माल की अधिक आवश्यकता होगी या तो युद्ध की तैयारी के लिए अथवा युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए। यदि ऐसी अवस्थाओं में विनिमय की दरें कम कर दी जाएँगी तो आयात वस्तुओं की कीमत अधिक हो जाएगी अथवा आयात बन्द हो जाएगा। यदि किसी देश की आकस्मिक आवश्यकता किसी वस्तु की दूसरे देश से खरीदने की पड़ जाती है तो मुद्रा के मूल्य में वृद्धि लाना अधिक लाभप्रद पाया जाता है। यदि किसी देश में मुद्रास्फूर्ति है तो राष्ट्रीय मुद्रा के विनिमय का मूल्य कम हो जाएगा जब कि विनिमय स्वतन्त्र रूप से छोड़ दिया जाएगा। यदि विदेशी व्यापार मली प्रकार से देश की आर्थिक अवस्था के लिए कार्य कर रहा है तो इसे अवश्य रोकना चाहिए नहीं तो आयात महँगा हो जाएगा और निर्यात को लाभ होगा।

विनिमय नियन्त्रण का तीसरा रास्ता जो न तो अधिक मूल्य का है और न कम मूल्य का, वह है उतार चढ़ाव से बचाव। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विनिमय को कठोरता से एक सूत्र में बाँध दिया जाए और वह तनिक भी हिल-डुल न सके। इसका केवल तात्पर्य यह है कि विनिमय को आकस्मिक उतार-चढ़ाव से बचाया जाए जिससे कि सर्वसाधारण के लिए नाशदायक सिद्ध हो सके। विनिमय साम्य (exchange equalization) का यही परिणाम हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (IMF) के स्थापित करने का यही उद्देश्य है।

विनिमय नियन्त्रण विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय माल के विधिवत् आयात निर्यात में रहता है अथवा किसी निश्चित दर से विदेशी माल के क्रय और विक्रय में रहता है। विनिमय नियंत्रण तभी फलीभूत हो सकता है जब कि विनिमय बाजार में मुद्रा की मांग और पूर्ति को मनमाने ढंग से प्रभावित किया जा सके। यह तटकर, ब्याज दरों में परिवर्तन आदि द्वारा परीक्षण रूप में किया जा सकता है। आयात-कर और आयात

मात्रा (कोटा) आने वाले माल को कम कर देगी। विदेशी मुद्रा की माँग और मूल्य भी कम हो जाएँगे और स्वदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। निर्यात कर जो इतने प्रचलित नहीं हैं, इसके विपरीत प्रभाव डालते हैं। इस दिशा में सरकारी आर्थिक सहायता का पृथक् प्रभाव होता है। निर्यात सम्बन्धी सरकारी आर्थिक सहायता देशी निक्को के मूल्य को बढ़ा देती है और आयात सम्बन्धी सरकारी आर्थिक सहायता देशी मुद्रा के मूल्य में कमी कर देती है। व्याज की दर में वृद्धि विदेशी पूँजी को आकर्षित करती है तथा देशी मुद्रा की माँग को बढ़ाती है और साथ ही उसके मूल्य को भी बढ़ाती है। तथा इसके विपरीत दिशा में भी विलोमत ही होगा। किन्तु इन साधनों से विनिमय प्रभावित हो किया जा सकता है, नियन्त्रित नहीं। यदि प्रतिस्पर्धी देश भी इन्हीं उपायों का आश्रय लेगा तो ये उपाय व्यर्थ हो सकते हैं और विनिमय-नियन्त्रण केवल कल्पना मात्र रह जाएगा। यह ढग विनिमय पर नियन्त्रण करने के लिए प्रतिद्वन्द्वी देश के निमित्त प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। यह ढग विनिमय पर नियन्त्रण करने के लिए आवश्यक रूप से नहीं स्वीकार किए जाते। और न यह ढग कुशल नियन्त्रण लाने के लिए पर्याप्त ही हैं। अतः और बहुत से प्रत्यक्ष साधनों के प्रयोग आवश्यक होते हैं।

साधारणतया केवल दो ढग हैं जिनसे विनिमय पर नियन्त्रण लगाया जा सकता है (१) बाजार की ओर से विनिमय के बाजार में विदेशी विनिमय के क्रय और विक्रय के द्वारा विनिमय-दर को साम्य स्तर पर लाने के लिए हस्तक्षेप किया जाता है। इस ढग को हस्तक्षेप कहते हैं और यह विनिमय उद्बन्धन (exchange pegging) की ओर बढ़ाता है। (२) सरकार मुद्रा की माँग और पूर्ति पर रोक लगा सकती है जिससे वह विनिमय बाजार तक न पहुँच सके। इस विधि को प्रतिबन्ध कहते हैं। यह तरीका बहुत ही लाभदायक और प्रसिद्ध है, क्योंकि पहला तरीका केवल अल्पकालीन अस्त्र है। और इसमें अधिक व्यय की आवश्यकता होती है।

विनिमय प्रतिबन्ध वास्तविक विनिमय नियन्त्रण है। इसके लिए निम्नलिखित तीन बातों की आवश्यकता होती है (क) प्रत्येक विदेशी विनिमय क्रिया को सेंट्रल बैंक में केन्द्रित कर देना चाहिए। (ख) राष्ट्रीय बैंक के विनिमय के लिए बिना पूर्व-स्वीकृति के नहीं दिए जा सकते। (ग) अनधिकृत विदेशी विनिमय के लेन-देन में प्रवेश करने पर दण्ड दिया जाता है। इसके लिए साधारण रणनीति यह होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो बाहर माल भेजना चाहता है उसे सेंट्रल बैंक के पास प्रार्थना-पत्र तथा विदेशी निक्को पर अपना अधिकार प्रस्तुत करना चाहिए और सेंट्रल बैंक का लाइसेंस-प्राप्त व्यक्तियों के पास विदेशी आए हुए माल को बाँट देना चाहिए। इस प्रकार से विनिमय नियन्त्रण पूर्ण रूप से आए हुए माल पर नियन्त्रण रखता है। सन् १९३६ तक जर्मनी ही विनिमय-नियन्त्रण में प्रमुख देश था यद्यपि और भी कई यूरोपीय देशों ने महान् मन्दी (great depression) के दिनों में यह विधि अपनायी थी। विनिमय-नियन्त्रण ने जो विभिन्न रूप अपनाए हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(१) विनिमय "उद्बन्धन" (Exchange Pegging)—यह विधि साधारणतया युद्ध के समय में विनिमय उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए काम में लाई

जाती है। किसी मुद्रा के आन्तरिक मूल्य का मुद्रा प्रसार के कारण अवमूल्यन हो सकता है परन्तु सरकार अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन की सुविधा देने के लिए इसके बाह्य मूल्य को जितना कि वह न्य शक्ति समता के अनुसार उचित है, उससे भी ऊँचा स्तर बनाए रखन का प्रयत्न कर सकती है। यह विधि इंग्लैण्ड के द्वारा प्रथम महायुद्ध में, और फिर दूसरे महायुद्ध में भी काम में लाई गई थी।

(ii) विनिमय-समकारी या क्षतिपूरक लेखा (Exchange Equalisation Account)—विनिमय निधि का उदय अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान प्रचलन का अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण निर्णय प्रणाली में रूपान्तर करना था, जो (यह परिवर्तित प्रणाली) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सोने को सन्तुलन मद के रूप में उपयोग करने लगी। इंग्लैण्ड द्वारा सन् १९३१ में स्वर्ण-मान के बन्द किए जाने के बाद तीव्र विनिमय उतार-चढ़ाव के रोकने की फिर आवश्यकता हुई। इस कार्य के लिए विनिमय-समकारी लेखा-निधि (Exchange Stabilisation Fund) को काम में लाया गया। 'विनिमय-समकारी लेखानिधि आस्तियों का संग्रह है जिसे केन्द्रीय नियन्त्रण के अन्तर्गत पृथक् कर दिया जाता है ताकि विनिमय बाजार में ज्यादा उतार-चढ़ाव पर नियन्त्रण रखा जा सके। आवश्यकतानुसार विदेशी मुद्रा का इस निधि की सहायता से क्रय विषय किया गया और इस प्रकार अल्पकाल निधियों की इंग्लैण्ड के अन्दर जानें की या बाहर आने की अनिश्चित गतिविधियों के होते हुए भी विनिमय एक संकुचित क्षेत्र में सीमित रखा गया। यह निधि मुद्रा मूल्य में दीर्घकाल समायोजन (adjustment) को रोकने के काम में नहीं लाई जाती।

विनिमय समकारी लेखा निधि का विभिन्न देशों में भिन्न उपयोग हुआ है तथा एक ही देश में कई स्टेज पर भिन्न प्रयोग हुए हैं।

(iii) विनिमय नियन्त्रण (Exchange Control Proper)—वास्तव में विनिमय नियन्त्रण का अर्थ उन अनेक युक्तियों से है, जिनमें से बहुत सी जर्मनी में नाजी शासन के समय शुरू की गई थी। उनके बाद दूसरे देशों ने भी उनमें से कुछ को अपनाया।

विदेशी व्यापार की बाधाओं के बारे में समझते हुए हमने इनमें से कुछ युक्तियों का अध्ययन किया है। यहाँ हम फिर विदेशी व्यापार के दृष्टिकोण की अपेक्षा विदेशी विनिमय के दृष्टिकोण से उन पर प्रकाश डालेंगे। ये युक्तियाँ हैं: (क) निष्कासन या समाशोधन-समझौते (clearing agreements), (ख) पथापूर्व-स्थिति समझौते (standstill agreements), (ग) हस्तान्तरण शोष विलम्ब (transfer moratoria), और (घ) समावृद्ध लेखे (blocked accounts)।

दो देशों के बीच के समाशोधन-समझौते (clearing agreements) के अन्तर्गत आयात वरत्ता प्रपने-प्रपने केन्द्रीय बैंको में आयात की हुई सब वस्तुओं के अय-मूल्य को एक लेखे में जमा कर देते हैं। इस धन से फिर निर्यात कर्त्ताओं का भुगतान कर दिया जाता है। मुद्राओं की दर साधारणतया समझौते की शर्तों के अनुसार निर्धारित की जाती है। इसका उद्देश्य है राज्य की इच्छानुसार आयात का नियमन करना, भुगतान-सन्तुलन में साम्य निश्चित करना और घटते-बढ़ते हुए विनिमय की

अनिश्चितता को दूर करना। इस प्रणाली की प्रवृत्ति बहुमुखी व्यापार के वजाय त्रिमुखी व्यापार को प्रोत्साहन देने की है और इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसका प्रभाव अवरोधक होता है। इसके अतिरिक्त यह राशिपानन (dumping) और मुद्रा-अवमूल्यन को निरुत्साहित करती है। सब प्रकार से देखते हुए यह प्रणाली निन्दित ठहराई जाती है। केवल युद्ध के समय ही विनैय परिस्थितियों में या एक अस्थायी मुक्ति के तौर पर किसी देश के भुगतान शेष की असमता की परिस्थिति पर काबू पाने के लिए उस समय तक इसका आश्रय लिया जाता है, जब तक कि असमता के कारण दूर नहीं हो जाते।

पथापूर्व-स्थिति समझौता (Standstill Agreement)—किसी देश को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए समय देने की एक युक्ति है जिससे कि उस देश से प्रति विशिष्ट विदेशी अल्पकाल ऋण के विलम्ब काल शोध (moratorium) के रूप में पूंजी बाहर न जा सके। या तो अल्पकाल ऋण दीर्घकाल ऋण में परिवर्तित कर दिया जाता है या उसके धीरे-धीरे भुगतान करने की व्यवस्था कर दी जाती है। यह युक्ति जर्मनी में सन् १९३१ के सकट के बाद प्रयोग में लाई गई थी।

हस्तान्तरण विलम्ब काल शोध (Transfer Moratoria)¹ इसी प्रकार की एक दूसरी युक्ति है। इस प्रणाली के अन्तर्गत आयात कर्ता और दूसरे तोग अपने विदेशी ऋण का भुगतान अपनी स्वदेशी मुद्रा में एक निर्दिष्ट प्राधिकारी का करते हैं। जब विलम्ब काल शोध (moratorium) की समाप्ति हो जाती है तो ये निधियाँ विदेशों को भेज दी जाती हैं। कभी-कभी एक विदेशी ऋणदाता को उस देश में, जो विलम्ब काल शोध (moratorium) लागू करता है, अपनी निधि को सरकार द्वारा निर्दिष्ट ढंग पर व्यवहार में लाने की आज्ञा दे दी जाती है।

ऊपर बतलाए हुए पथापूर्व-स्थिति समझौते और हस्तान्तरण विलम्ब काल शोध की युक्तियों से एक तीसरी युक्ति निकलती है जिसका कि समावृद्ध लेखा या बंधे हुए खातों की प्रणाली (blocked accounts) कहते हैं। जिस समय केन्द्रीय बैंक को स्वदेशी मुद्रा में दिए गए विदेशी ऋण सरकार की आज्ञा के बगैर विदेश नहीं भेज जा सकते उस समय समावृद्ध लेखा का उदय होता है। चूंकि देश में पड़ी चेकार निधि साक्ष को सञ्चालित करती है, इसलिए विदेशी उत्तमर्ण या ऋणदाता उसको व्यवहार में लाने से बिलकुल बचित नहीं किए जाते। परन्तु निधियाँ सरकार की निर्दिष्ट विधि के अनुसार ही व्यवहार में लाई जाती हैं। साधारणतया उनको स्वतन्त्र बाजार में बेचने की आज्ञा दे दी जाती है। अधिकतर वे ऊँचे बट्टे पर बेची जाती हैं।

१७ वायदा विनिमय (Forward Exchange)—विनिमय में उतार-चढ़ाव की जोखिम, बिनापकर अविनिमयसाध्य मुद्रा के अन्तर्गत, एक युक्ति से हटाई जा सकती है, जिसको कि "वायदा विनिमय" कहते हैं। इसके अनुसार वह व्यक्ति, जिसे भविष्य में कभी कोई भुगतान करना है, या लेना है, एक ऐसे बैंक से प्रसविदा

1 An emergency measure authoring the suspension of payments of debts for a given time the period thus declared

कर लेता है जो उस समय विनिमय की दर का निर्णय करता है। मान लीजिए कि जिनो भारतीय आयात-कर्ता को तीन महीने बाद इंग्लैण्ड के एक निर्यात-कर्ता को १०० पौंड का भुगतान करना है। विनिमय की अनिश्चितता के कारण वह इस बात का निर्णय नहीं कर सकता कि समय आने पर उसको कितने रुपये देने होंगे। बिना यह समझे हुए जि उसकी लागत कितनी हुई वह आयात की हुई वस्तु का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता। इस समय व किसी निश्चित किए हुए दर पर अग्रिम (फॉरवर्ड) स्टिलिंग खरीद कर वह इस मुकद से मुक्ति पा सकता है। यह उसको विनिमय में उतार-चढ़ाव की जोरिम से सुरक्षित कर देगा। इसी प्रकार भारतीय निर्यात-कर्ता जिस की वि भविष्य में स्टिलिंग में भुगतान मिलना है, एक निश्चित की हुई दर पर हूडों बैंक का देव सकता है।

बायदा विनिमय की दरें प्रचलित दर में दो जाती हैं, या "तात्कालिक दर" (spot rate) में। यदि स्वदेशी मुद्रा की एक टुकड़ी के बदले में विदेशी मुद्रा का एक यादा नाग मिलता है, तो यह अग्रिम दर 'अग्रिमूल्य' (at a premium) पर होती है। यदि स्वदेशी मुद्रा की टुकड़ी के बदले में अधिक विदेशी मुद्रा मिलती है तो उसको "अपहार" अथवा बट्टे पर होना कहते हैं।

किन परिस्थितियों में अग्रिम दर अग्रिमूल्य पर या बट्टे पर ही सकती है? हमारे उद्देश में, वे क्या कारण हैं जिनको बैंक अग्रिम दरों का मूल्यांकन करते समय अपने ध्यान में रखते हैं। नाभारतव्या तीन धारों ध्यान में रखी जाती हैं—

(i) स्वदेश और विदेश में व्याज की मापेश दरें (The Relative Rates of Interest at Home and Abroad)—यदि व्याज की दर किसी विदेशी केन्द्र में स्वदेश से अधिक है तो बैंक को अपनी तिथि विदेशी केन्द्र में भेजने से लाभ होगा। इस प्रकार वह अग्रिम विनिमय मन्ती दरा पर देव सकता है। अग्रिम विनिमय का मूल्यांकन बट्टे पर होगा। यदि स्वदेश में व्याज की दर उच्चतर है तो तिथि के विदेश भेजने में कोई आकषण्य न होगा। ऐसी दगा में अग्रिम विनिमय का मूल्यांकन अग्रिमूल्य पर किया जाएगा।

(ii) मरिदा का सन्तुलन ('Marrying' a Contract)—तिथियों की एक जगह से दूसरी जगह भेजने के बजाय बैंक एक लेन-देन को दूसरे लेन देन से पूरा कर सकते हैं। कुछ व्यापारियों को विदेशी मुद्रा की भविष्य में आवश्यकता होगी और इसके विपरीत कुछ व्यापारी भविष्य में विदेशी मुद्रा देवना चाहते हैं। बैंक उनके बीच एक सम्बन्ध के तौर पर आ जाता है। यह एक ले लेती-दता है और दूसरे को देवता है और लाभ अर्जने लिए निष्काज लेता है। इनकी सविदा का सन्तुलन (marrying a contract) कहते हैं।

(iii) मुद्रा की स्थितियाँ (Currency Conditions)—यदि विदेशी मुद्रा के अग्रिमूल्य की आशा है, तो बैंक उसको अग्रिम दर से खरीदने के लिए तैयार न होगा और इस प्रकार अग्रिम दरें अग्रिमूल्य पर मूल्यांकित की जाएंगी।

उपर कही गई बातों को ध्यान में रखकर देखने से यह समझना सरल हो जाता है कि अग्रिम विनिमय या भविष्य का लेन-देन, किस प्रकार विनिमय में उतार-

चढ़ाव कम करने में सहायक होता है। ये लेन-देन केवल सच्चे व्यापारिक उद्देश्यों से ही प्रयोग में नहीं लाए जाने वाले सट्टेबाजी के उद्देश्यों से भी ऐसे मौके लिए जाते हैं।

१८ अन्तर-पणन (Arbitrage Operations)—जब अग्रिम विनिमय से विनिमय उतार चढ़ाव समय की दृष्टि से कम हो जाते हैं तो अन्तर पणन से विनिमय-दरों के अन्तर स्थान की दृष्टि से कम हो जाते हैं। एक उदाहरण में यह भेद समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि बम्बई के विनिमय बाजार में रुपया स्टर्लिंग विनिमय की दर है १८ पै० प्रति रुपया और लन्दन में किसी भी कारण से दर बढ़ कर १९ पै० प्रति रुपया हो जाती है। प्रथम है कि इस अन्तर के कारण लाभ कमाने का एक अवसर उत्पन्न हो जाता है। आप अपने इंग्लैण्ड के बैंक को तार से १९ पै० प्रति रुपया की दर पर स्टर्लिंग खरीदन का आदेश कर सकते हैं। आप उसी दिन अपने भारतीय बैंक द्वारा १८ पै० प्रति रुपया की दर पर बेचकर १ पै० प्रति रुपया लाभ उठा सकते हैं। और लोग भी अवश्य ऐसा करेंगे। लन्दन में स्टर्लिंग की मांग बढ़ जाएगी और विनिमय की दर १८ पै० प्रति रुपया की ओर उतरने के लिए प्रवृत्तिशील होगी। इसके विपरीत भारत में स्टर्लिंग की पर्याप्त मांग बढ़ जाएगी और रुपयों में इसका मूल्य गिरेगा। विनिमय की दर १९ पै० की ओर बढ़ेगी। यह उतार चढ़ाव तब तक चलता रहेगा, जब तक भारत और लन्दन में विनिमय दर लगभग एक ही हो जाती। वास्तव में इतना ऊँचा अन्तर जितना कि यहाँ हमने माना है, असम्भव होता है क्योंकि अन्तर पणन (arbitrage operations) अन्तर को न्यूनतम बनाए रहता है।

१९ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund)—आजकल एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना करके विनिमय उतार चढ़ाव को दूर करने का एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रयत्न किया गया है। इस समस्या का जन्म सन् १९४४ में होने वाले ब्रेटन वुड्स (Bretton Woods) सम्मेलन में हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नामक संस्था के स्थापित करने का उद्देश्य यह था कि विनिमय में स्थिरता आ जाए और एक दूसरे देशों में परस्पर विनिमय मिथतापूर्वक हो जिससे भुगतान शेष की विपत्तियाँ मिट जाएं।

इसी संस्था (I M F) के संविधान के अनुच्छेद १ के अनुसार इसके निम्नलिखित कार्य हैं —

- (१) एक स्थायी संस्था द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी कोष स्थापित करना।
- (२) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में साम्य रखना और सदस्य देशों में ऊँचे स्तर की नियोजन व्यवस्था करना।
- (३) विनिमय की प्रतिस्पर्धा को रोकना एवं विनिमय की स्थिरता में वृद्धि करना तथा प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन को निरस्तार्हित करना।
- (४) सदस्यों में विदेशी विनिमय के सम्बन्ध में, द्रव्य की अदायगी के लिए बहुमुखी पद्धति की दृष्टि के लिए सहायक होना तथा विदेशी विनिमय के मार्गों की बाधाओं को दूर करना।
- (५) सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध होना का विश्वास दिलाना

जिससे वे अपने दशा के भुगतान शेष को सही और ठीक रख सकें और जिससे राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय समृद्धि बरबाद न हो (जैसे अपस्फीति नीतियाँ) ।

(६) उपर्युक्त उपायों के आधार पर सदस्य-राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की विषमता को ठीक किया जाता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I M F) सदस्यों के चन्दे से बनाया गया, जिन्होंने कि उम कोष में भाग लेने का निश्चय किया था । यह कोष ८५ महापदम (billion) डालरों से प्रारम्भ किया गया था । इसमें भारत ने ४,००० लाख डालर जमा किए थे । चन्दे के भुगतान का कुछ भाग सोने में और अशत कुछ उस देश की मुद्रा में होता था । सदस्य देश को २५% अपना कोटा देना होता है अथवा सोने के भाग का १०%, जो भी कम हो । इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साधन, कुछ तो सोने में हैं और कुछ सदस्य-देशों की मुद्राओं में हैं जो कि उन देशों के केन्द्रीय बैंक में रखी जाती हैं ।

इस कोष का मुख्य कार्य सदस्य-देशों की मुद्राओं को एक दूसरे के लिए बच और विनिमय करता है । किन्तु ज्ञान यह है कि कोई देश अपने कोटे की २००% से अधिक मुद्रा नहीं ले सकता । सदस्य-देशों को इस निधि से उनके कोटे का ७५% और इसका अतिरिक्त २५% प्रति वर्ष, और अधिक से अधिक उनके कोटे के २००% तक सहायता दी जा सकती है । कोष की इच्छा पर य शर्तें ढीली की जा सकती हैं । इस कोष की सहायता से एक ऋणी देश सोने के निर्यात और उससे उत्पन्न हुई अपस्फीति (जैसा कि म्बरुं मान के अन्तर्गत हुआ था) से सुरक्षित रहता है ।

जहाँ तक विनिमय की दरों का प्रश्न है, सदस्य देशों को अपनी मुद्राओं की सोने के साथ विनिमय-दर निर्धारित करनी पड़ती है परन्तु ये दरें हर समय के लिए निर्धारित नहीं की जाती । उनमें पूर्णतया एकरूपी परिवर्तन उन सदस्य-देशों की गय से, जो अलग अलग अपने सम्पदा का १० प्रतिशत भाग देते हैं, किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त सदस्य देश अपनी मुद्राओं के विनिमय-मूल्य में १०% तक परिवर्तन कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त १०% परिवर्तन मुद्रा कोष की स्वीकृति से भी किया जा सकता है । इस सीमा के आगे परिवर्तन, इस कोष की स्वीकृति से केवल मौलिक असमता को ठीक करने के हतु ही किए जा सकते हैं ।

भुगतान शेष में फिर से समता लाने के लिए यह सत्था सदस्य देशों की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करती । सदस्य देश केवल एक निश्चित सूचना देकर इस कोष या समुदाय से अलग हो सकते हैं ।

मुद्रा कोष का प्रबन्ध कार्यकारी मंडल के १२ सचालकों द्वारा होता है । उक्त कार्यकारी मंडल में अमरीका, भारत, चीन और इंग्लैण्ड प्रत्येक को स्थायी स्थान दे दिया गया है । दो स्थान लैटिन अमरीका प्रजातन्त्र को दे दिए गए हैं और शेष ५ स्थानों की पूर्ण चुनाव द्वारा की जाती है ।

यह प्रचाली विनिमय स्थायित्व लेखों से, जिनको कि मन्दी के दिनों में पृथक्-पृथक् देशों ने निकाला था, मिलती-जुलती है । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी यही सिद्धान्त

प्रयोग में लाए गए हैं। यह निधि अन्तर्राष्ट्रीय-स्वर्णमान के उद्देश्य की प्राप्ति, उसकी वृद्धियों के बिना, करना चाहती है।

इस प्रकार उपर्युक्त वर्णन से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के तीन मुख्य कार्य हो सकते हैं —

(१) यह अल्पकालीन माला संख्या के रूप में कार्य करता है। यदि किसी देश को कठिनाई है और व्यापार-क्षेत्र उसके प्रतिकूल है तो ऐसे समय पर उसकी मदद के लिए मुद्रा-कोष आग कदम बढ़ाता है। लेकिन यह उस देश की विदेशी विनिमय की प्रत्येक पूर्ति की जो वहाँ पर प्रयोग में आती है, जिम्मेदारी नहीं लेता। सभी देशों से आशा की जाती है कि वे विदेशी विनिमय संचित रखें जिसे वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। यह सस्था प्रत्येक वस्तु की पूर्ति का उत्तरदायित्व नहीं लेती। वह तो केवल आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। कर्ज लेने वाले देश को व्याज देना पड़ता है और अपने कोटे (quota) को पूरा रखना पड़ता है। इस भय से कि कोई देश अत्यधिक ऋण में न डूब जाए, व्याज की दर बढ़ने लगती है ज्यो-ज्यो ऋण की रकम बढ़ती जाती है। कम व्याज उसी अवस्था में लिया जाता है जब कि ऋण अल्पावधि के लिए लिया जाता है। यदि ऋण के ऊपर व्याज की दर ५% से अधिक हो जाती है तो फिर मुद्रा-कोष (I. M. F.) व्याज की दर को किसी भी स्तर तक जमाने के रूप में बढ़ा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कोष (I. M. F.) दृढ़ व्यापारिक आधार पर ही स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि इसका यह भी निश्चित उद्देश्य है कि ऋण केवल अल्पावधि के लिए ही दिए जाएं।

(२) मुद्रा-कोष, दीर्घकालीन भुगतान शेष की स्थिति में भी सुधार लाने की व्यवस्था करता है। यह साधारण विनिमय-दरों को समायोजित करके दीर्घकालीन भुगतान शेष की स्थिति को सुधारता है। कोई भी सदस्य देश अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों में मनमानी प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकता। यदि कभी कोई देश यह समझता है कि उसकी विनिमय की दरें कम हैं तो वह मुद्रा-कोष के अधिकारियों से स्वीकृति मिल जाने पर ही अपनी विनिमय-दर में परिवर्तन कर सकता है। इस प्रकार से विनिमय-दरों के परिवर्तन पर एक निश्चित शर्त है। विनिमय-दर में परिवर्तन सभी होगा जब सम्बन्धित देश की आन्तरिक वित्तीय व्यवस्था में समायोजन और संतुलन बना रहे। इस प्रकार विनिमय दर के ऊपर नियन्त्रण का फल यह होगा कि एक ओर तो देश में आन्तरिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहेगी; और दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की गति अबाध रूप से चलती रहेगी। प्रत्येक देश को अपनी उत्पादक-वृद्धता पर विश्वास करना चाहिए। उसे विनिमय ह्रास की कृत्रिम उत्तेजना पर भरोसा न करके विश्व मार्केट में अपने बल पर चलना चाहिए।

(३) मुद्रा-कोष, अन्तर्राष्ट्रीय विचार विनिमय के लिए साधन आयोजित करता है। इस सस्था में ससार के मुख्य-मुख्य देशों के प्रतिनिधि आते हैं। इससे केवल ससार की आर्थिक व्यवस्था पर ही विचार नहीं होता बल्कि ससार के प्रत्येक देश के ध्यापार के विकास के विषय में आयोजनाएँ बनाई जाती हैं। विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक व्यापारिक गतिरोध भी इस सस्था के प्रयत्नों से दूर किए जाते

हैं। इस प्रकार के सहायक एवं और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के समन्वय का फल यह होगा कि सत्तार की अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी और विश्व-व्यापार का स्वस्थ विकास होगा, और सभी देशों में उत्पादन में वृद्धि होगी। इस प्रकार से प्रत्येक मध्यम देश के व्यवसाय-वर्गों और मानव विकास पर विचार किए जाते हैं। यह सत्ता इन सब समस्याओं को हल करने के लिए गहन अध्ययन और शोध-कार्य करने में सतत प्रयत्नशील है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष का वार्षिक अधिवेशन अक्टूबर, १९५८ में नई दिल्ली में हुआ था। उस समय मुद्रा-कोष के प्रबन्ध नचालक डॉ. रूथ (Ivor Root) ने कहा था, "कोष ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में यथेष्ट प्रगति की है। अब सत्तार में विनिमय स्थायित्व आता जा रहा है। कोष के मध्यम राष्ट्रों में सुविधाजनक विनिमय हो रहा है और वे आपस में प्रतिस्पर्द्धा स्वीकृति का आशय नहीं ले रहे हैं। उनमें आपस में विनिमय सम्बन्धी शर्तों हटनी जा रही हैं और उनके आपसी सौदों के विनिमय समारोहों में अनेक र्भाव हो रहे हैं। यद्यपि कुछ अल्प-विकसित देशों ने अपने माल की गिरती हुई माँग के कारण विनिमय सम्बन्धी नियन्त्रण लगाने आवश्यक समझे थे, फिर भी अधिकतर देश विनिमय सम्बन्धी नियन्त्रण हटाने के पक्ष में थे और हैं।

१९५८ के अन्त में पश्चिमी यूरोप के कई देशों ने जिनमें इंग्लैण्ड भी सम्मिलित था, अपनी मुद्रा-मात्रा का स्वतन्त्र विनिमय घोषित कर दिया। इस प्रकार यूरोप अब सत्तार से अलग-थलग न रहकर सत्तार के उगार-चटाव में समान रूप से भागी होने जा रहा है।

परन्तु यह सन्देहास्पद है कि मुद्रा-कोष, सत्तार की ऐसी स्थिति में, जब कि व्यापार की मात्रा और परिमाण अक्षय रूप से बढ़ गया है, अपना भाग स्वतन्त्रतापूर्वक अदा कर सकेगा। १९५७-५७ के दौर में सत्तार के निर्यात व्यापार में ६०% वृद्धि हुई, और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में १९३७-५७ के बीच वस्तुओं की कीमतों में १४७% की वृद्धि हुई। पिछले दस वर्षों में तो अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात व्यापार प्रायः दुगुना हो चुका है। किन्तु मुद्रा-कोष के कोटे में १९८४ से प्रायः विलकुल वृद्धि नहीं हुई है।

इसलिए मुद्रा-कोष के महासचिवों ने अक्टूबर '५८ में नई दिल्ली में मध्यम देशों से अपील की थी कि वे अपने-अपने कोटे (quotas) बटाकर कोष की सामर्थ्य बटावें। अब कोष के प्रबन्ध मण्डल ने कनाडा, जर्मनी (Federal Republic of Germany) और जापान से कहा है कि वे अपने वार्षिक कोटे को दुगुना कर दें।

भारत और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (India and the I M F) — भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (I M F) की निम्न कारणों से सदस्यता स्वीकार की —

(क) भारत स्वतन्त्र था कि वह स्टॉकिंग कमी से सम्बन्ध विच्छेद करके अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विनिमय व्यवस्था कर ले। मुद्रा-कोष की कोई ऐसी शर्त नहीं है कि भारत स्टॉकिंग के साथ ही जुड़ा रहे। वास्तव में भारत ने स्वयंमान के साथ बराबरी का सम्बन्ध स्थापित किया है। मुद्रा-कोष में यह भी सुविधा दी है कि कोई देश अपनी बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार विनिमय-दरों में परिवर्तन कर सकता है।

(ख) मुद्रा-कोप ने अपने सदस्य देशों की वित्तीय स्वायत्तता को मानने का आश्वासन दिया है। भारत अपनी राजकोपीय नीति अपनी औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित करने में स्वतन्त्र है।

(ग) भारत को मुद्रा-कोप के प्रबन्ध में स्थायी स्थान मिल गया है।

(घ) चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (I B R D) की सदस्यता तभी मिल सकती है जब कि कोई देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप का सदस्य हो, इसलिए भी भारत को मुद्रा-कोप (I M F) की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक था क्योंकि अन्यथा भारत को पुनर्निर्माण और विकास बैंक (I B R D) से ऋण प्राप्त न हो सकते।

(ङ) चूंकि बहू-से देशों ने मुद्रा-कोप की सदस्यता स्वीकार कर ली थी इसलिए भारत का अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग से अलग-थलग रहना उचित न रहता।

प्रत्येक सदस्य देश को अधिकार है कि वह अपने अशदान या कोटा के बराबर विदेशी मुद्रा किसी भी देश के ऊपर ऋण ले सकता है। और वह देश मुद्रा-कोप को उतनी मुद्रा अपनी मुद्रा के द्वारा चुका सकता है। भारत को अधिकार है कि वह अपने ४,००० लाख पाण्ड के अशदान के सहारे १,००० लाख डालर की विदेशी मुद्रा उन रूपया प्रतिभूतियों के सहारे ले सकता है, जिन्हें उसने कोप (I M F) के पास रहन रख दिया है। इसके अतिरिक्त २७५ लाख डालर के मूल्य के विदेशी विनिमय भी अपने स्वर्ण अशदान के सहारे ले सकता है। भारत ने १९४८-४९ में १,००० लाख डालर का ऋण मुद्रा-कोप से लिया था जिसे वह वापस दे चुका है। जनवरी, १९५७ में भारत के पास विदेशी विनिमय की कमी थी, अतः उसने १,२७५ लाख डालर का ऋण लिया। १९५७ में भारत ने कोप से २,००० लाख डालर की अस्थायी साख प्राप्त की। मुद्रा-कोप दीर्घावधि के ऋण नहीं देता। यह काम विश्व कोप (World Bank) का है। मुद्रा-कोप तो अल्पावधि के ऋण ही विनिमय सम्बन्धी भुगतान शेष के लिए देता है।

मुद्रा-कोप ने भारत को तकनीकी सलाह देने के लिए कई विशेषज्ञों को भारत भेजा है। मुद्रा-कोप के कई मिसन भी भारत आ चुके हैं जिन्होंने भारत की वित्तीय स्थिति राजकोपीय नीति और विकास योजनाओं का सम्यक अध्ययन करके अपनी सलाह दी है।

२० अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान के साथ तुलना (Comparison with International Gold Standard)—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप (I M F) निम्न बातों से स्वर्ण मान से मिलती है—

(१) स्वर्ण-मान के अन्तर्गत हर एक देश अपने बाह्य लेखे का सम्बन्ध सम्पूर्ण सतार से एकराशी करता है, न कि पृथक्-पृथक् देशों से।

इसको बहुपक्षवाद (multilateralism) कहते हैं। यह द्विपक्षवाद के विपरीत है, जो कि सन् १९३० की मन्दी के समय बहुत लोकप्रिय हो गया था। बहुपक्षवाद के अन्तर्गत एक देश का निर्यात आधिक्य दूसरे देश के आयात आधिक्य के भुगतान करने का काम म लाया जा सकता है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप के अन्तर्गत मुद्राएं

किसी विशेष समय पर निर्धारित की हुई दरों पर परिवर्तित की जा सकती है। इस प्रकार बहुपक्षी लेन देन को प्रोत्साहन मिलता है।

(i) स्वर्ण-मान के अन्तर्गत एक देश, जिसका भुगतान शेष घाटे में है, इस कमी को सोने या विकर्षों (drafts) के निर्यात से पूरा करता है। नई व्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कोटा इस कार्य को करता है।

(ii) स्वर्ण-मान के अन्तर्गत कोटा और प्रत्यक्ष विनिमय जैसी कोई बाधाएँ नहीं थी। ये बाधाएँ इस सिद्धान्त के असंगत हैं कि व्यापार तुलनात्मक लागत के द्वारा साक्षित होना चाहिए। ये बाधाएँ व्यापार को उस मार्ग पर ले गईं जो इस सिद्धान्त के विरुद्ध था। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के अन्तर्गत भी ये बाधाएँ अन्तर्वर्ती काल के बीतने पर हट जाएँगी और व्यापार फिर से स्वतन्त्र रूप से परिवर्त्य मुद्राओं और उचित स्थायी विनिमय द्वारा होने लगेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के अन्तर्गत ये सब सुविधाएँ, वगैर स्वर्ण-मान की बुराइयों के मिल जाती हैं। हम एक दूसरे सम्बन्ध में स्वर्ण-मान की कुछ त्रुटियों को पहले बतला चुके हैं। हम यहाँ पर स्वर्ण-मान की दो सब से बड़ी त्रुटियाँ बतलाते हैं, जो कि नयी व्यवस्था में नहीं पाई जाती।

(1) स्वर्ण-मान के अन्तर्गत किसी देश के संचित सोने पर चालू लेखे के अन्तर्गत आयात-आधिक्य (import surplus) (अर्थात् प्रतिकूल व्यापार-सन्तुलन) और पूँजी के वापस लेने का प्रभाव लगभग एक-सा ही था। सोना बाहर गया और साख संचुचित हो गई। विनिमय-समकारी लेखे की प्रणाली द्वारा, जो घरेलू साख के आधार को अल्पावधि पूँजी के आन्तरिक प्रवाह (inflow) तथा बाह्य प्रवाह (outflow) से प्रभावित नहीं होने देती थी, यह त्रुटि बहुत कुछ दूर हो गई है। नयी प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से एक देश को, उसकी साख-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाले बिना प्रतिकूल आधिक्य का सामना करने के लिए शक्तियुक्त बनाती है।

(ii) स्वर्ण मान की दूसरी और अधिक सहस्रपूर्ण त्रुटि यह थी कि विनिमय-स्थायित्व इस नीति का पहला उद्देश्य बनाया गया था और यह मान सोना बाहर भेजते रहने वाले देश के साख की अपस्फोति करके कायम रखा गया था। सिद्धान्तवत् जिस देश में सोना अन्दर जा रहा था उससे साख के विस्तृत होने की आशा थी। परन्तु इस व्यवस्था के नियमों के इस भाग का सदैव पालन नहीं किया गया। भुगतान शेष में समता कायम रखने की इस कोष ने, जिससे कि विनिमय समता रही, उस समय तक सरलतापूर्वक कार्य किया जब तक कि मजदूरी तथा दूसरी मायमें लोचदार रही, जिससे कि साख की अपस्फीति ने निरपेक्ष वस्तुओं की कीमत को कम किया और असमता के मौलिक कारणों को दूर किया। परन्तु क्योंकि विशेषकर व्यावसायिक सधों के मजदूरी कायम रखने के दबाव के कारण लागत अधिकाधिक बढ़ होत, गई इसलिए साख की अपस्फीति का अर्थ था आर्थिक व्यवस्था पर पक्षाघात और अपने सब दुष्परिणामों के साथ देश में बेकारी।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष स्वर्ण-मान की इन बुराइयों से बचने का प्रयास करता है, जैसा कि हमने देखा है, हालांकि विनिमय दरें सोने की मात्रा में सदस्य-देशों द्वारा

निर्धारित की जाती है, परन्तु फिर भी किसी मूल असमता के ग्राने पर सदस्यो द्वारा इन दरों में परिवर्तन करने की व्यवस्था है। हालांकि ये परिवर्तन इस कोष की आज्ञानुसार ही किए जा सकते हैं, परन्तु यह आज्ञा आवश्यक मामलों में रोकी नहीं जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अन्तर्गत भी सोना निम्नलिखित कार्य करेगा—

(१) जब सोने की विनिमय दरें बदल जाती हैं, तो यह विनिमय दर को स्थिर रखने में सहायक होगा।

(२) जब अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान शेष में अल्पकालिक असमता आ जाती है, तो यह फिलहाल काम चलाने में सहायता दे सकता है।

(३) यह विभिन्न मुद्राओं का सामान्य मान है।

(४) चूंकि मुद्रा-कोष में सोने को निश्चित स्थान दिया गया है, इसलिए उन देशों को, जो सोना उत्पन्न करते हैं, इस कोष में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष स्वर्ण-मान तथा स्वतंत्र विनिमय के गुणों का योग है। सोना अब भी मूल्य का अन्तिम मान है, परन्तु स्वर्ण-मान के कठोर नियमों और नियन्त्रणों को दूर रखा गया है। फिर भी इस नई प्रणाली को चलाने के लिए अधिकाधिक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए यद्यपि मुद्रा-कोष की व्यवस्था में अब भी सोना महत्त्वपूर्ण अंशदान करता है, क्योंकि सदस्य-देशों की मुद्राएँ स्वर्ण के अनुपात में प्रस्तुत की जाती हैं, फिर भी यह दिन की भांति स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना स्वर्ण-मान की पुनः स्थापना नहीं है।

निर्देश पुस्तकें

- Crowther, G An Outline of Money 1950, Chs 7 and 8
 Brij Narain Money and Banking (S Chand & Co)
 Publication of the League of Nations Economic Policy in
 Inter war and Post war Period
 Halm, G N Monetary Theory 1946, Chapters 11 15
 Publication of the League of Nations International Curr-
 ency experience, 1944 Chapters ० 8 also Report on Exchange
 Control
 Robinson, Joan Essays in Theory of Exchange
 Cassel, G Money and Foreign Exchange After 1914
 Keynes, J M Treatise on Monetary Reform
 Whale, B International Trade
 Ohlin, B 'Mechanism and Objectives of Exchange Control'
 in American Economic Review Supplement, March 1937
 Clare and Crump A B C of Foreign Exchange
 Ellis, H S Exchange Control in Central Europe
 Coulbron, W A L A Discussion of Money, 1950, Chs 11
 and 18
 Paul Einzig Exchange Control, 1941
 Escher, F Modern Foreign Exchange, 1932
 Furness, E S Foreign Exchange
 Griffin, C E Principles of Foreign Trade

नियोजन सिद्धान्त

(Theory of Employment)

१ समस्त उत्पादन और नियोजन (Aggregate Output and Employment) — पिछले अध्यायो म हमने मुख्यतः उत्पादक साधनों की कीमत निश्चित करने वाले सिद्धान्तों तथा उनके विभिन्न उपयोगों में उन साधनों के वितरण का अध्ययन किया है। मूल्य और वितरण का सिद्धान्त मुख्यतः इन सिद्धान्तों के साथ जुड़ा हुआ है। यद्यपि कीमता का काफी महत्त्व है, किन्तु सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक क्रिया-शीलता की मात्रा तथा नियोजन का भी पर्याप्त महत्त्व है। जिन साधनों पर नियोजन आधारित है, उन पर विचार करना अतीव आवश्यक है। अभी कुछ दिनों पूर्व तक इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता था। किन्तु सन् १९३० के आस-पास की महान् मन्दी और अवसाद ने अर्थशास्त्रियों को मजबूर किया कि वे इस समस्या पर गम्भीर विचार करें। श्री जे० एम० कीन्स (J M Keynes) ने इस दिशा में सर्व-प्रथम सोचना प्रारम्भ किया। अब अ विकसित या अर्द्ध-विकसित देशों का भी आर्थिक कायाकल्प होना जा रहा है। ऐसी दशा में नियोजन (employment) के प्रश्न का महत्त्व और भी बढ़ गया है। उन साधनों और उपायों का अध्ययन नितान्त आवश्यक है जिन पर किसी देश का नियोजन अवलम्बित है। अतः अब हम अर्थशास्त्र के विभिन्न अंगों के अध्ययन से हट कर समस्त अर्थशास्त्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब हम वस्तुओं और सेवाओं के समस्त उत्पादन की ओर साथ ही उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने वाले व्यक्तियों के नियोजन का चर्चा करेंगे। हम पता लगाने का प्रयत्न करेंगे कि कितने साधनों के द्वारा समस्त उत्पादन और नियोजन का स्तर निर्धारित किया जा सकता है, और समय-समय पर सकल उत्पादन और नियोजन के स्तरों में परिवर्तन क्याकर होते हैं। इन प्रकार इस समस्या के दो पहलू हैं (१) किसी एक निश्चित समय पर सकल उत्पादन और नियोजन की मात्रा का निर्धारण, (२) दीर्घकाल में इनके स्तरों में होने वाले परिवर्तनों के कारणों का विश्लेषण। हमारा पहलू औद्योगिक उतार-चढ़ाव के उस सिद्धान्त का स्रोतक है जो हमको व्यापार चक्रों के सिद्धान्त (Theory of Trade Cycles) की ओर ले जाता है। इसका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे।

२ बेकारी के प्रकार (Types of Unemployment) — सरचनारमक बेकारी, दीर्घकालीन बेकारी या मार्क्सवादी बेकारी (The Structural, Long Term or Marxian Unemployment) — बेकारी का इलाज सुझाने से पूर्व, हम बेकारी के कारणों का विश्लेषण करेंगे। हम २७वें अध्याय में बेकारी के कारणों पर प्रकाश डाल चुके हैं। उन कारणों पर पुनः विचार करना लाभदायक होगा।

आधुनिक सत्तार मे मनुष्य अकेला कुछ भी पैदा नहीं कर सकता । कृषक को भूमि, हल, बैल, बीज, खाद्यान्न का प्रबन्ध करना ही होगा ताकि वह खेती कर सके और बुवाई के समय से लेकर कटाई के समय तक अपना पेट भर सके । औद्योगिक क्षेत्र में भी मनुष्य को कारखाने, मशीनें आदि चाहिए । ये सारी चीजें समस्त समुदाय की पूँजी का अंश हैं । अब यदि सचित पूँजी की क्षमता की अपेक्षा आर्थिक क्रिया की गति तेज हो जाती है तो समस्त उपलब्ध श्रम शक्ति को उत्पादन सम्बन्धी नियोजन में लगाना कठिन है, क्योंकि उत्पादन के पर्याप्त उपकरण प्राप्त नहीं हैं जिनमें उन को नियोजित किया जाए । फलस्वरूप इस प्रकार की बेकारी को सरचनात्मक या दीर्घकालीन या मावसंवादी बेकारी कहेंगे ।

अर्थशास्त्रियों का प्रतिष्ठित वर्ग भी सरचनात्मक या दीर्घकालीन या मार्क्सवादी बेकारी को ही बेकारी मानता था । किसी राष्ट्र की सचित पूँजी अधिक विनियोग के द्वारा बढ़ाई जा सकती है; और यदि देश के प्राकृतिक ससाधन अर्थात् अछूते पड़े हैं तो समुदाय को उन ससाधनों का लाभ उठाने के लिए अधिक बचत करनी ही पड़ेगी । प्रतिष्ठित (classical) अर्थशास्त्री कहते थे कि पूँजी के निर्माण की गति वियाशील बनी रहनी चाहिए, तभी बड़ी हुई जनसंख्या को नियोजनों पर लगाया जा सकेगा । भारत जैसे पिछड़े देशों के सामने भी यही समस्या है । हाल के वर्षों में भारत की जनसंख्या १५०% की गति से बढ़ी है किन्तु राष्ट्रीय आय उसी अनुपात में नहीं बढ़ी है । चूँकि देश में पूँजों का निर्माण उसी गति से नहीं हो रहा है जिस गति से कि जनसंख्या बढ़ रही है, अतः बड़ी हुई श्रम-शक्ति को काम मिलना कठिन हो रहा है । इसी के दुष्परिणामस्वरूप शहरो में बेकारी बढ़ रही है और दूसरी ओर आवश्यकता से अधिक लोग कृषि कर्म में लगे हैं । सभी जानते हैं कि थोड़ा-सा तकनीकी सुधार होने पर जब कृषि में मशीनों का प्रयोग व्यापक हो जाएगा तो बहुत थोड़े आदमियों की कृषि में आवश्यकता रह जाएगी । यदि इन लोगों के लिए वैकल्पिक काम दिया जा सकेगा तभी इन्हे कृषि से हटाना सम्भव होगा और इनको अधिक उपयोगी कार्यों में लगाया जा सकेगा । इस मार्ग से देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी । किन्तु चूँकि कृषि क्षेत्र से बाहर नियोजन के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं, इसीलिए नई श्रम-शक्ति भी कृषि में ही लगी पड़ी है, जहाँ वे छिपी हुई बेकारी के शिकार हैं । यदि उन्हें अन्य वैकल्पिक कामों में लगाया जा सकता तो उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ती और देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती ।

इस समस्या का इलाज यही है कि पूँजी का निर्माण तीव्रगति से किया जाए ताकि नियोजन के अवसर बढ़ाए जा सकें । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बचत पर जोर देना चाहिए और उस बचत को लाभदायक कार्यों में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए । अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजी-नियोजन के लाभ अत्यन्त सीमित हैं, अतः वहाँ राज्य को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीतियों से पूँजी के निर्माण की ओर सक्रिय बंदम उठाने चाहिए । राज्य अपनी वित्तीय और आर्थिक नीति इस प्रकार बना सकता है कि पूँजी लगाने वालों को पूँजी लगाना हितकर जान पड़े । अर्द्ध-विकसित देशों में प्राइवेट पूँजी छिपी पड़ी रहती है, अतः आर्थिक पुनर्निर्माण का सारा कार्य राज्य को

ही करना पड़ता है। दूसरी ओर जनसंख्या की वृद्धि को भी रोकना चाहिए। हो सकता है कि माल्थस (Malthus) के जनसंख्या और आजीविका सम्बन्धी विचार गलत हो किन्तु इससे तो इन्कार नहीं किया जा सकता कि यदि जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही, तो इतने लोगों का वर्तमान जीवन-स्तर इसी राष्ट्रीय आय पर कायम रहना कठिन होगा। हमको बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी तभी हम बढ़ती हुई जनसंख्या का वर्तमान जीवन स्तर बनाए रख सकेंगे।

३ प्रतिरोधी बेकारी (Frictional Unemployment)—उन्नतिशील समाज में उत्पादन के तकनीक प्रतिदिन बदलते रहते हैं, इसका फल यह होता है कि आज जो लोग जिस काम में लगे हैं वे कल को नए तकनीक में नौसलिये होने के कारण बेकारी के शिकार हो सकते हैं। इसे प्रतिरोधी वृत्तिहीनता या बेकारी कह सकते हैं। तकनीकी उन्नति का यह स्वाभाविक परिणाम है। किन्तु यदि हम विस्थापित लोगों को पुनः प्रशिक्षण देकर इस योग्य बना सकें कि वे नए तकनीक के योग्य अपने आय को ढाल सकें या यदि हम श्रमिकों को एक रोजगार से दूसरे रोजगार में प्रतिस्थापित कर सकें, या उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकें जिससे एक रोजगार से दूसरे में लगने के संक्रमण काल के लिए उनके पास कुछ सहारा हो सके, तो हम किसी सीमा तक प्रतिरोधी वृत्तिहीनता (frictional unemployment) का दुःप्रभाव कम कर सकेंगे।

४ मौसमी बेकारी (The Seasonable Unemployment)—कुछ रोजगार मौसमी होते हैं, जिनमें लगे हुए व्यक्ति खराब मौसम में बेकार हो जाते हैं। भारतीय वृषि वर्ष में मौसमी कार्य है और खाली समय में भारतीय कृषक बेकार रहता है। बर्फ के कारखानों और घान कुटबाई के कारखानों या रूई धुनने वालों को भी मौसमी बेकारी (seasonable unemployment) का शिकार होना पड़ता है। मौसमी बेकारी का हल ढूंढने के लिए हमको उत्पादन के ढंग को बदलना पड़ेगा। यदि यह सम्भव नहीं है तो मौसमी बेकारी से रक्षा करने के लिए कुछ इस प्रकार के कृटीर-उद्योगों का निर्माण करना होगा जिससे लोग साल के बारह महीने कुछ न कुछ आजीविका कमान योग्य बने रहें।

५ कीन्स के वृत्तिहीनता सम्बन्धी विचार (Keynesian Unemployment)—कीन्स (Keynes) का विचार है कि प्रभावपूर्ण मांग की कमी के कारण वृत्तिहीनता या बेकारी पैदा होती है। इसको सक्रिय बेकारी भी कहते हैं। उन्नतिशील पूंजीवादी देशों में इस प्रकार की वृत्तिहीनता अधिक देखने में आती है। इस प्रकार की बेकारी का कारण है अत्यधिक पूंजी का होना। दूसरे ढंग में इस प्रकार की वृत्तिहीनता उस समय आती है जब समुदाय उतनी वस्तुओं का प्रयोग करने में असमर्थ होता है जितनी कि उपलब्ध पूंजी के द्वारा संवार होती है। निजी उद्योगों की अर्थव्यवस्था में उत्पादन लाभ के लिए किया जाता है। अतः जब वे अपनी मारी उत्पादित वस्तुएँ निकाल नहीं पाते तो उनकी प्रतिक्रिया यह होती है कि वे उत्पादन में कमी करते हैं। उत्पादन के विभिन्न साधनों को पारिश्रमिक तभी मिलता है जब वे उत्पादन में हाथ बँटाते हैं। किन्तु जब उद्योगी उत्पादन कम करने का निश्चय कर लेता है तो उत्पादन के कुछ साधन अवश्य ही बेकार होंगे। समाज के बड़े वर्ग की वृत्तिहीनता का अर्थ

है उसकी माँग की कमी । इस अध्याय में आगे हम कीन्स के विचारों के अनुसार वृत्तिहीनता पर विचार करेंगे ।

“उद्योग-प्रधान देशों में बेकारी बढ़ने का कारण यह है कि समाज की माँग उत्पादित वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा में गिर जाती है ।” इस सिद्धान्त के प्रवर्तक लार्ड कीन्स (Lord Keynes) माने जाते हैं । कीन्स (Keynes) से पूर्व के अर्थशास्त्री बेकारी की समस्या को विशेष महत्त्व नहीं देने थे । उदाहरण के लिए से (Say) का बाजार सम्बन्धी नियम (Say's Law of Markets) यह था कि स्वतन्त्र और प्रतियोगी पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में कभी भी उत्पादित वस्तुओं की माँग गिरेगी नहीं । से (Say) फ्रांस का प्रसिद्ध अर्थशास्त्री था । उसका मत था कि प्रत्येक उत्पादित वस्तु उतनी ही माँग भी उत्पन्न करती है । इसलिए वह यह नहीं मानता था कि कभी अत्यधिक उत्पादन की समस्या सामने आ सकती है । वह अत्यधिक उत्पादन के कारण बेकारी की उपस्थिति को स्वीकार नहीं करता था । इसके विपरीत वह यह मानता था कि बेकारी तब आ सकती है, जब प्रतियोगी कीमत-व्यवस्था के मार्ग में यथावदी बाधाएँ डाली जाएँगी । वह एकाधिकार, ट्रेड यूनियन, या सरकार द्वारा कीमत नियन्त्रण को कीमत व्यवस्था के मार्ग में बाधक मानता था । यह बात समझ में आती है कि वस्तुओं की पूर्ति से वस्तुओं और सेवाओं की माँग भी बनती है क्योंकि उत्पादन के विभिन्न साधन उत्पादन की क्रियाओं में रत रह कर ही अपनी आय कमाते हैं । जब उत्पादन के साधन वस्तुएँ तैयार करते हैं तो उन्हें मजदूरी, किराया, व्याज और लाभ के रूप में आय होती है । परन्तु इसके यह अर्थ नहीं हैं कि उत्पादित की हुई समस्त वस्तुओं की माँग पैदा हो जाएगी । और यह भी आवश्यक नहीं कि उत्पादन के साधन अपनी समस्त आय वस्तुओं और सेवाओं के क्रय पर ही व्यय कर डालेंगे । आय का कुछ भाग बचाकर भी रखा जाएगा; अतः यह अर्थ वस्तुओं और सेवाओं की माँग पैदा नहीं करेगा । इस प्रकार जब तक नियोजक अतिरिक्त पूँजी (बचत की गई पूँजी के बराबर) लगाने को तैयार न होंगे तब तक प्रभावों माँग इतनी न होगी जो समस्त पूर्ति को खपा सके । और यदि माँग इतनी ही भी जाए तो भी उत्पादक अपनी सारी पूर्ति को बेच नहीं सकेंगे, उनका लाभ गिर जाएगा और वे अपना उत्पादन कम कर देंगे । इससे वृत्तिहीनता या बेकारी बढ़ेगी ।

प्राइवेट अर्थव्यवस्था में उपभाक्ता कुछ आय तो खर्च करते हैं और कुछ को बचाकर रखना चाहते हैं । इसी प्रकार उद्यमी (entrepreneurs) भी मशीनों या कारखानों में किसी सीमा तक ही पूँजी लगाने हैं । सम्पूर्ण प्रभावी माँग = उपभोग और विनियोग का योग । प्राइवेट अर्थव्यवस्था में बचत करने वालों का उद्देश्य कुछ और है; और नियोजन करने वाला (investors) का उद्देश्य कुछ और । अतः ऐसी व्यवस्था प्राप्त करना कठिन है कि पूँजी बचाने वाले उतना ही बचावें जितना कि विनियोग करने वाले विनियोग करें । यदि इन दोनों वर्गों (savers and investors) के बीच साम्यावस्था नहीं होगी तो निश्चय ही उत्पादन, आय, नियोजन आदि में घट-बढ़ होगी जिसमें कि उपर्युक्त अनाम्य ठीक हो जाए । इसलिए यदि नियोजित विनियोग, नियोजित बचत से अधिक है, तो उत्पादन इतना नहीं होगा कि

वह माँग को पूरा कर सके। फलस्वरूप आय, उत्पादन और नियोजन बढ़ेंगे और इसके विपरीत विलोमत ही होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि से (Say) के नियम की मुख्य कमजोरी यह थी कि वचत और नियोजन को एक स्तर पर किस प्रकार लाया जाए। दूसरे, वचत करने वाले और लोग हैं जबकि नियोजन करने वाले और लोग हैं। दोनों वर्गों के उद्देश्य भी भिन्न हैं। ऐसी दशा में वचन और नियोजन का समान होना सम्भव नहीं। जब दोनों के बीच (वचन और नियोजन के बीच) असमता उत्पन्न हो जाती है, तो फिर उस असम्य को सुधारने के लिए आय या रोजगार की मात्रा में हेर-फेर करना अनिवार्य होगा।

६ सेवा नियोजनो की मात्रा के निर्णायक तत्त्व—पूँजी नियोजन (The Determinants of the Volume of Employments—Investment)—हम देख चुके हैं कि कीन्स (Keynes) के अनुसार सेवा-नियोजन वस्तुओं की प्रभावी माँग पर आश्रित है। प्रभावी माँग पर दो बातों का प्रभाव पड़ता है—पूँजी नियोजन और उपभोग। इन दोनों में से पूँजी नियोजन अनिश्चित और परिवर्तनशील है। पूँजी नियोजन से हमारा अभिप्राय यह है कि राष्ट्र की संचित निधि में कितनी वृद्धि हुई है। प्राइवेट व्यक्ति भी पूँजी-नियोजन कर सकते हैं और सरकार भी। नई फ़ैक्ट्रियों का निर्माण, नई मशीन का लगाना या तैयार भाग की वृद्धि को पूँजी नियोजन कह सकते हैं जबकि किसी कम्पनी में शेयर या अक्ष खरीदना पूँजी-नियोजन नहीं है।

वस्तुतः पूँजी-नियोजन (Investment) अनिश्चित और परिवर्तनशील तत्त्व है जो प्रभावी माँग को प्रभावित करता है। किन्तु उपभोग उतना अनिश्चित नहीं है। व्यापारी वर्ग बचोकर पूँजी-नियोजन करते हैं। अभी तक प्राइवेट पूँजी के नियोजन के निर्णायकों के सम्बन्ध में अयनास्त्रिया में एकमत नहीं है। मुख्यतः लाभ की आशा ही मुख्य रूप से प्राइवेट पूँजी को आकर्षित करती है। लाभ की आशाएँ आर्थिक गतिविधियाँ की मात्रा के स्तर तथा उत्पादन के तकनीक में परिवर्तन आदि पर अवलम्बित हैं।

उपभोग प्रवृत्ति

(The Consumption Function)

७ उपभोग करने और बचाने की औसत और सीमान्त प्रवृत्ति (Average and Marginal Propensity to Consume and Save)—जहाँ तक सर्व-साधारण की उपभोग प्रवृत्ति का प्रश्न है, उस पर निम्नलिखित तत्त्वों के प्रभाव पड़ते हैं —

(क) व्यक्ति की वास्तविक आय (the real income of the individual)।

(ख) उसकी पिछली वचत (his last savings)।

(ग) व्याज की दर (rate of interest)।

इन तीनों में से व्यक्ति की वास्तविक आय का प्रभाव सर्वाधिक होता है। अधिकतर लोगों के पास पिछली वचत प्रत्यल्प होती है और वह भी विशेष उद्देश्यों के लिए ही की जाती है। इसलिए पिछली वचत का प्रभाव इस समय के उपभोग


पर प्रायः नगण्य होता है। जहाँ तक ब्याज की दर में वृद्धि का प्रश्न है, इससे कुछ लोग अधिक बचत करने के लिए प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि बचत पर अधिक ब्याज मिलेगा, किन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बचत कर रहा हो तो वह अधिक ब्याज पर कम बचत करके भी भविष्य में उतना ही अपने निश्चित उद्देश्य के लिए बचा सकेगा। अतः ब्याज की ऊँची दर के कारण हमारी आय भी उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित करती है।

आय और उपभोग के बीच का सम्बन्ध उपभोग करने की श्रैणत और सीमान्त प्रवृत्तियों से भी जाना जा सकता है। उपभोग करने की श्रैणत प्रवृत्ति किसी निश्चित समय में सकल उपभोग (total consumption) और सकल आय (total income) के बीच का सम्बन्ध है, जब कि उपभोग करने की सीमान्त प्रवृत्ति आय की वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग में वृद्धि को मापती है। इस प्रकार


$$\text{श्रैणत उपभोग प्रवृत्ति} = \frac{\text{उपभोग}}{\text{आय}}$$

$$\text{और सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति} = \frac{\Delta \text{ उपभोग}}{\Delta \text{ आय}} \quad \}^1$$

आय और उपभोग में सामान्य सम्बन्ध ऐसा है कि जब आय बढ़ती है, तो उपभोग भी बढ़ता है। किन्तु उपभोग की मात्रा में वृद्धि आय की वृद्धि के अनुरूप नहीं होती। दूसरे शब्दों में सामान्य काल में उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति एक से कम होती है।



चित्र ६३



चित्र ६४

आय	उपभोग	बचत
१००	७५	२५
१२०	९०	३०
१४०	१०५	३५
१६०	१२५	४५
२२०	१६५	५५

उपर्युक्त तालिका, रेखा चित्र ६३ में अंकित की गई है, जिसमें आय तो

1 Δ उपभोग = उपभोग में वृद्धि स्वरूप परिवर्तन

Δ आय = आय " " "

X रेखा से और उपभोग Y रेखा से दिखाया गया है। OL रेखा दोनों रेखाओं के साथ 45° का कोण बनाती है। अतः OL पर कोई भी बिन्दु दोनों अक्ष रेखाओं से समानान्तर पर होगा। यदि आय और उपभोग की रेखाएँ इसी रेखा पर पड़े तो यह समझा जाएगा कि उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति एक के बराबर है। किन्तु ऐसा नहीं है। अतः आय और उपभोग का वक्र OP है जिसकी पूरी लम्बाई 45° से नीचे की ओर है। अतः उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति उस कोण की स्पर्शी रेखा से मापी जाएगी जो आय और उपभोग वक्र X रेखा के साथ बनावेगा। अतः

उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति = स्पर्शी रेखा \perp POX

ऊपर जो वक्र हमने बनाया है वह सरल रेखा है। इसका अर्थ यह है कि उपभोग की प्रवृत्ति सर्वत्र और हर हालत में सम रहेगी। किन्तु ऐसा होना आवश्यक नहीं है। और ज्यो-ज्यो आय बढ़ती है त्यों त्यों वक्र चौड़ा होता जाएगा; क्योंकि ज्यो-ज्यो उपभोग की आवश्यकताएँ कम होती जाएँगी त्यों ही त्यों बड़ी हुई आय में से वचत की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। वक्र OM यही दिखाता है, यद्यपि ज्यो-ज्यो आय बढ़ती है, त्यों त्यों उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति कम होती जाती है।

बचत वक्र (Savings Curve) — आय और उपभोग के सम्बन्ध के आधार पर हम बचत और आय का सम्बन्ध भी स्थिर कर सकते हैं, क्योंकि उपभोग में बिना लाई गई आय भी बचत ही है। ऊपर की तालिका देखो। यदि हम बचत को Y रेखा पर और आय को X रेखा पर अंकित करें तो रेखाचित्र ६४ में ON वक्र, बचत और आय का सम्बन्ध बतावेगा। एक निश्चित स्तर तक आय के सम्बन्ध में बचत को उम दूरी में मापा जा सकता है जो आय-उपभोग वक्र के ऊपर किसी बिन्दु और 45° वाली रेखा (रेखाचित्र ६३ देखिए) के ऊपर किसी बिन्दु के बीच होगा। जिस प्रकार कि उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति आय-उपभोग वक्र के ढाल से मापी जा सकती है, उसी प्रकार बचत करने की सीमान्त प्रवृत्ति भी आय-बचत वक्र के ढाल से मापी जा सकती है। बचत की सीमान्त प्रवृत्ति, बचत में वृद्धि है जो आय की निश्चित वृद्धि के कारण होती है।

$$\text{बचत की सीमान्त प्रवृत्ति} = \frac{\Delta \text{ बचत}}{\Delta \text{ आय}}$$

$$= 1 - \frac{\Delta \text{ उपभोग}}{\Delta \text{ आय}}$$

$$\text{बचत की औसत प्रवृत्ति} = \frac{\text{बचत}}{\text{आय}} = \frac{\text{सकल बचत}}{\text{सकल आय}}$$

८ गुणक का सिद्धान्त (The Concept of Multiplier) — उपभोग करने की सीमान्त प्रवृत्ति की सहायता से हम निश्चित रूप में कह सकते हैं कि यदि नियोजन में वृद्धि होती है तो फलस्वरूप आय में तदनुसृत परिवर्तन होता है। इन दोनों का सम्बन्ध समीकरण के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। मान लीजिए कि किसी दिन १०० रुपये का नियोजन होता है। इसका प्रथम परिणाम तो यह होगा कि नियोजन कार्य में रत लोगों की आय में १०० रु० की वृद्धि होगी। किन्तु यह वृद्धि यही

समाप्त नहीं हो जाती। जिन लोगों के हिस्से में उक्त १०० के अश आय के रूप में आवेंगे, वे अपनी अतिरिक्त आय का कुछ अश तो अवश्य व्यय करेंगे और कुछ को बचा कर रखेंगे। इस प्रकार उनके अतिरिक्त व्यय की मात्रा का निर्धारण उनकी उपभोग करने की सीमान्त प्रवृत्ति पर निर्भर होगा। मान लीजिए कि वह प्रवृत्ति (marginal propensity to consume) $\frac{3}{4}$ है। तो वे ७५ रु० व्यय करेंगे और २५ रु० बचाकर रखेंगे। जब वे इन ७५ रु० को व्यय करेंगे और सेवाएँ खरीदने में व्यय करेंगे तो सम्बन्धित वस्तुओं और सेवाओं के बेचने वालों की आयों में भी ७५ रु० की वृद्धि होगी। वे भी उक्त ७५ रु० की अतिरिक्त आय का कुछ अश अपनी उपभोग करने की सीमान्त प्रवृत्ति के अनुसार व्यय करेंगे। यदि उनकी भी प्रवृत्ति (marginal propensity to consume) $\frac{3}{4}$ है तो वे ५६ २५ रु० तो व्यय करेंगे और शेष धन को बचाकर रखेंगे। इस प्रकार व्यय का यह प्रारम्भिक चक्र प्रारम्भिक आय की राशि से कहीं अधिक आय उत्पन्न करता है। यदि उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति स्थिर है तो व्यय का यह चक्र गुणोत्तर श्रेणी (geometric progression) में बढ़ता चला जाता है।

$$100 + 100 \times \frac{3}{4} + (100) \left(\frac{3}{4}\right)^2 + 100 \times \left(\frac{3}{4}\right)^3 + 100 \times \left(\frac{3}{4}\right)^4$$

$$\Delta \text{आय} = 100 \left\{ 1 + \frac{3}{4} + \left(\frac{3}{4}\right)^2 + \left(\frac{3}{4}\right)^3 + \dots \right\}$$

$$= 100 \left(\frac{1}{1 - \frac{3}{4}} \right)$$

$$= 100 \times 4$$

$$\Delta \text{आय} = 400 \text{ रुपय।}$$

इस प्रकार हमने देखा कि प्रारम्भ में १०० रु० के नियोजन से राष्ट्रीय आय में ४०० रु० की वृद्धि हुई। नियोजन के सम्बन्ध में गुणक सिद्धान्त के द्वारा हम नियोजन में वृद्धि के फलस्वरूप आय में जो वृद्धि होती है उसकी माप कर सकते हैं।

$$\text{नियोजन गुणक} = \frac{\Delta \text{आय}}{\Delta I}$$

$$\text{ऊपर गुणक} = \frac{400}{100} = 4$$


ऊपर हम देखते हैं कि गुणक निम्न सूत्र से मालूम किया जा सकता है।

$$\text{गुणक} = \frac{1}{1 - \text{उपभोग करने की सीमान्त प्रवृत्ति}}$$


$$= \frac{1}{\text{बचत करने की सीमान्त प्रवृत्ति}}$$

६ आय और नियोजन के बीच साम्यवस्था-स्तर (Equilibrium Level of Income and Employment) — हम कह चुके हैं कि कीन्स (Keynes) के अनुसार वस्तुओं की प्रभावी माँग के अनुसार ही उत्पादन की मात्रा और नियोजन के विस्तार का निर्णय हो सकता है। प्रभावी माँग पर दो चीजों का प्रभाव पड़ता है—उपभोग और नियोजन। हम मान लेते हैं कि नियोजन की दर निश्चित है। ऐसी दशा में

आय का साम्य स्तर वहाँ स्थिर होगा? वास्तव में इस दशा में आय का स्तर उच्च बिन्दु पर स्थिर होगा जहाँ उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति के अनुसृत्य बचत बराबर है नियोजन में वृद्धि के।



चित्र ६५



चित्र ६६

रेखाचित्र ६५ में, C आय उपभोग वक्र है और $C - \lambda I$ उपभोग + नियोजन वक्र है जिनमें नियोजन, आय के प्रत्यक्ष स्तर पर समान है, तथा $C + I$ वक्र, वक्र C के समानान्तर है। उत्पादन का साम्य स्तर उस बिन्दु पर होगा जहाँ $C + I$ वक्र 45° रेखा को काटेगा। रेखाचित्र ६६ में, $C - I$ वक्र 45° रेखा को बिन्दु N पर काटेगा है, अतः OQ उत्पादन का साम्यस्तर है। साम्य स्तर बिन्दु N बिन्दु पर ही सम्भव है क्योंकि इसी बिन्दु पर उपभोग और व्यय नियोजन का कुल मांग इतनी माँग पैदा करता है कि उत्पादन माँग के अनुसृत्य पर्याप्त हो जाता है। केवल N पर OQ आय ($=NQ$) में नै NR बचत बराबर है नियोजन की वर्तमान दर के।

यही बात बचत आय वक्र (रेखाचित्र ६६) के द्वारा भी सिद्ध की जा सकती है। II नियोजन की निश्चित स्तर वाली रेखा है और वक्र OS आय और बचत के बीच सम्बन्ध प्रदर्शित करता है। आय का साम्य स्तर T बिन्दु पर है क्योंकि इसी बिन्दु पर बचत (PT), आय OP में नै बराबर है नियोजन (OI)। अतः उत्पादन और नियोजन का साम्य उस बिन्दु पर होगा, जहाँ बचत = नियोजन के।

१०. पूर्णनियोजन का विचार (The Concept of Full Employment)—

उक्त विचार-दिनिमय के आधार पर हम पूर्ण नियोजन के विचार पर पहुँच जाते हैं। नियोजन एक पूर्ण बड़ा जाता है जब किसी को काम की आवश्यकता हो तो उसे प्रवृत्त मजदूरों की दर पर वह मिल सके। निरन्धेह, पूर्ण नियोजन का आशय अनियोजन का सर्वथा अभाव न तो समझना चाहिए और न ही समझा जा सकता है। क्योंकि, किसी भी प्रकार की अर्थ व्यवस्था में अनियोजन या बेरोजगारी की कोई सीमा तो हागी ही। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो किसी कारणवश बेकार रहना पसन्द करते हैं, और उन्हें चाहे ही समय के लिए चाह जितना भी प्रलोभन क्यों न हो, काम करने की प्रेरणा नहीं की जा सकती। दूसरे, कुछ लोग ऐसे हैं, जो एक कार्य को छोड़कर दूसरे की खोज करते हैं, और उन्हें एक कार्य को छोड़कर दूसरे तक पहुँचने के मध्यकाल में बेकार रहना पड़ता है। उनके बाद कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने

अपने पुराने कार्य को छोड़ दिया होता है, और उन्हें नया काम सीखने में कुछ समय लगाना पड़ता है। उस सीखने के काल में वे अस्थायी होते हैं और उन्हें पारिश्रमिक नहीं मिलता अथवा मिलता भी हो तो नाममात्र का भत्ता मिलता हो। बेकारों में ऐसे सब लोगों की संख्या ३ से ५ प्रतिशत अथवा अधिक भी आंकी जा सकती है। इस सीमा को छोड़ कर, दोष प्रभावी मनुष्य शक्ति नियोजन के लिए उपलब्ध होती है। नियोजन तब पूर्ण कहा जाता है जब यह श्रम शक्ति, जो सम्पूर्ण श्रम शक्ति की ६५ से ६७ प्रतिशत है, पूर्ण रूप से नियोजित हो। नियोजन का ऐसा उच्च स्तर युद्ध के समय ही पूर्णरूपेण दृष्टिगोचर होता है। किन्तु समस्या तो इसे शान्ति-काल में प्राप्त करने की है। वस्तुतः प्रत्येक स्वतन्त्र बाजार-मन्वन्धी अर्थ-व्यवस्था की यह सबसे जटिल समस्या है।

११ बेकारी सम्बन्धी नीति (Policy Regarding Unemployment)—

(१) यदि बेकारी का कारण यह है कि जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है जबकि साधन-मात्र पूंजी में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हो रही है, तो हमको पूंजी का नियोजन श्रद्धाना चाहिए और जनसंख्या की वृद्धि को रोकना चाहिए।

(२) प्रतिरोधी वृत्तिहीनता (frictional unemployment) को रोकने के लिए पर्याप्त पुनर्प्रशिक्षण की सुविधाएँ देनी चाहिएँ, रोजगार दफ्तर खुलवाने चाहिएँ एक रोजगार से दूसरे रोजगार में जाने की सुविधाएँ होनी चाहिएँ तथा श्रमिका को सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन मिलना चाहिएँ।

(३) मौसमी वृत्तिहीनता (seasonal unemployment) के लिए महायक धन्धों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि खाली मौसम में लोग कुछ न कुछ पैदा करते रहे।

(४) यदि वस्तुओं की माँग की कमी के कारण वृत्तिहीनता है, तो माँग बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्राइवेट उद्योगपतियों को मस्ता प्रत्यय देकर और कर-भार में कमी करके माँग की कमी को दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार सर्व-साधारण के ऊपर कर भार कम करके भी उपभोग की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। यदि इन सब उपायों में भी वृत्तिहीनता कम नहीं होती तो सरकार को चाहिए कि सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम अपने हाथ में ले और इस प्रकार वृत्ति के अधिक अवसर जुटाए।

प्रश्न यह है कि यदि रोजगार या नियोजन की पूर्ण से भी अधिक की स्थिति पैदा हो जाए तो क्या किया जाए। जहाँ १९३० के आसपास के मन्दी के दौर में सभी देशों में बेकारी की स्थिति मुँह धाएँ खड़ी थी, युद्ध के बाद नियोजन पूर्ण से भी अधिक रहा और स्फूर्ति की दशा से सभी देश पीड़ित रहे। ऐसी स्थिति में वस्तुओं की माँग अत्यधिक है न कि कम। इसका इलाज यह है कि शर्न शर्न वस्तुओं की माँग की मात्रा को कम किया जाए किन्तु वृत्तिहीनता की स्थिति को अत्यधिक न बढ़ने दिया जाए। हमारी राजकोषीय नीति ऐसी हो जो व्यय करने पर अकुश रखे। साथ ही हमारी वित्तीय नीति ऐसी हो जो व्याज की दरें बढ़ें ताकि नियोजन की प्रवृत्ति घटे और अत्यधिक रोजगार की स्थिति का सही इलाज किया जा सके।

व्यापार-चक्र
(Trade Cycles)

१ व्यापार-चक्र कितने बहते हैं ? (What is a Trade Cycle ?)—पिछले डेढ़ सौ वर्षों में ससार ने महान् आर्थिक उन्नति का अनुभव किया है। पर यह विचार सर्वथा भ्रमपूर्ण होगा कि यह उन्नति सर्वत्र समान व गतिशील रही है। सच तो यह है कि दस या बारह वर्ष बाद व्यवसाय को एक धक्का सा लगता है, जिससे कई वर्षों के लिए उद्योगों की प्रगति रुक जाती है। अन्तु, व्यवसाय में प्रगति के साथ अवनति और अथसाद के भी दिन आते हैं और समृद्धि काल के पीछे मन्दी का समय भी आया करता है। मन्दी व समृद्धि के इसी क्रम को व्यापार-चक्र कहते हैं।

इसके विपरीत सबटनाल उस काल को कहते हैं जब व्यवसाय में कठिनाइयाँ उपस्थित होने लगती हैं। एडोल्फ वेगनर (Adolph Wagner) के शब्दों में, 'सकटकाल में व्यवसायियों के सामने इस प्रकार की कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं कि वे निरन्तर अपने को ऋण चुकाने के लिए अथसाद पाते हैं।' अथवा जे० एस० मिल (J S Mill) के अनुसार, 'जब बहुत से व्यापारी अपने व्यापार में कठिनाइयों का अनुभव करने लगते हैं और अपने दायित्व पूरे नहीं कर पाते तो वह अवस्था सकट की होती है। जब य कठिनाइयों केवल व्यापारियों तक ही सीमित रहती हैं तो सकटकाल व्यावसायिक होता है, पर जब य कठिनाइयाँ अत्यधिक बढ़ जाती हैं और बैंक आदि बन्द होन लगत हैं, तो वित्तीय सकट पैदा हो जाता है।'

२ व्यापार-चक्रों का क्रम (Course of Trade Cycles)—अब हम व्यापार-चक्रों के क्रम का संक्षेप में अध्ययन करेंगे। पहले हम व्यापार की उस स्थिति पर विचार करें जब चारों ओर व्यापार की गति शिथिल होती है और मन्दी तथा अथसाद की काली छाया सभी को आक्रान्त करती है। मन्दी के दिनों में जिन थोड़े से लोगों को राजगार मिला रहता है उन्हें भी अत्यन्त कम वेतन या पारिश्रमिक मिलता है और नौकरीपेशा लोगों की तनखाहें बिलकुल कम हो जाती हैं। ऐसे समय में मुद्रा की मूल्य शक्ति तो अवश्य बहुत अधिक बढ़ जाती है, पर व्यक्ति की क्रय-शक्ति कम हो जाती है। इसलिए उत्पादन-कार्य, चाहे वह उपभोक्ताओं की वस्तुओं का हो अथवा उद्योगी वस्तुओं का, शिथिल हो जाता है।

पर यह परिस्थिति सर्वत्र बनी नहीं रह सकती। थोड़े ही समय बाद आशा की क्षीण रेखाएँ प्रकट होने लगती हैं और मन्दी के दिन समाप्त होने लगते हैं। मन्दी में ही व्यापारिक उन्नति का रहस्य छिपा रहता है। चूंकि कार्य कुशल व्यवस्थाओं की भी तनखाहें कम होती हैं, इसलिए कुशल थम की पूर्ति बढ़ जाती है। मुद्रा व उत्पादन के अन्य पदार्थ और साधन बहुत सस्ते होते हैं। यह अवसर है कि

मूल्य कम होते हैं पर साथ ही उत्पादन-व्यय तो बहुत ही कम हो जाता है। कभी-कभी तो उत्पादन-व्यय व लागतों में इतनी कमी हो जाती है कि लाभ का भाग उभर पाता है और फलस्वरूप उद्यमी अपने प्रतिभोगियों को पीछे हटाने के लिए अपने व्यवसाय में हर प्रकार की उन्नति करने का प्रयत्न करता है ताकि मन्दी का दौर समाप्त होने पर वह अन्य उद्यमियों के मुकाबले में पिछड़ न जाए। अन्य लोग भी देखा देखी अपने-अपने व्यवसाय में उन्नति करने का प्रयत्न करते हैं। निर्माण-कार्य और सत्त्वम्बन्धी उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार बहुत से लोगों को आजीविका कमाने के अवसर हाथ लगते हैं। जिन लोगों की आय बड़ जाती है वे अपनी आय को उपभोग की बीजों पर व्यय करते हैं। इस प्रकार उद्योगों की उन्नति होती है और उत्पादन बढ़ता है। मन्दी में इन तमाम परिवर्तनों से व्यापार की दशा ही बदलने लगती है और उन्नति के लक्षण प्रकट होने लगते हैं।


पर जिस प्रकार से मन्दी के बाद तेजी आती है इसी प्रकार तेजी की परिस्थितियों में भी कुछ समय बाद गड़बड़ होने लगती है। क्योंकि सब प्रकार के लोग उद्योग में लग जाते हैं, इसलिए घटिया क्रिस्म के अधिक काम पर लग जाते हैं। परिणाम यह होता है कि कम योग्य व्यक्ति भी अधिक वेतन पाने लगते हैं। व्याज व अन्य वस्तुओं की दरें भी बढ़ जाती हैं। फलस्वरूप व्यय बड़ जाते हैं, जिससे लाभ का भाग कम होने लगता है। इस प्रकार समृद्धि का दौर समाप्त होने लगता है। बैंक अधिक देने में आनाकानी करने लगते हैं और स्थिर या पूँजी वापस माँगने लगते हैं। अन्ततः यह होता है कि समृद्धि का काल समाप्त हो जाता है।

फिर चक्र नीचे की ओर घूमता है। लाभ कम हो जाने में चतुर व्यापारी अपने व्यवसाय में छँटनी करना प्रारम्भ कर देते हैं। सरकार नियन्त्रण लगाती है, बैंक भुगतान पर जोर देते हैं, चारों ओर जमा की हुई वस्तुओं को निकालने की भावना जोर पकड़ जाती है। सभी लोग नकदी वापस लेकर सुरक्षित रखना चाहते हैं। मन्दी के लक्षण दृष्टगोचर होने लगते हैं, बहुत से उद्योगी तो दिवालिया हो जाते हैं। एक फर्म के फेल होने से अन्य फर्मों पर भी जिनका उस फर्म से सम्बन्ध था बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय में चारों ओर अदकार दिखाई पड़ने लगता है। व्यापार-चक्र के इस पहलू को सकट-काल कहते हैं।

सकट-काल उद्योगों के लिए सब से अधिक मुसीबत का समय हाता है। पर समय के साथ वे अपनी कठिनाइयों को पार कर लेते हैं। किसी प्रकार वह अपने भुगतानों का निपटाकर अपना व्यवसाय चलाते हैं। यह मन्दी का समय होता है। नाई आवरस्टोन (Lord Overstone) ने व्यापार-चक्र की गति का वर्णन इस प्रकार किया है—'स्थिरता का समय—उन्नति—विश्राम-काल—समृद्धि—उत्तेजना—अत्यधिक व्यापार—धक्का—निराशा—कठिनाई अथवा मन्दी और अन्त में फिर स्थिरता।'¹

मिचेल (Mitchell) के-शब्दों में हम व्यापार-चक्र के चार रूप बतला सकते हैं—प्रधान विस्तार (ऊपर की ओर गति), अवरोध, संकुचन (नीचे की ओर गति)

तथा समुत्थान । इसको हम इस प्रकार भी प्रस्तुत कर सकते हैं ।



चित्र ६७

३ व्यापार-चक्र की विशेषताएँ (Characteristics of a Trade Cycle)—

व्यापार-चक्र के अध्ययन से दो विशेषताओं का पता चलता है : (१) इसका चक्रात्मक रूप (cyclic nature) अर्थात् आवधिकता (periodicity) और (२) इसकी सामान्य प्रकृति (general nature), अर्थात् समरूपता (synchronism) ।

यह देखा गया है कि व्यापार चक्र लगभग निश्चित समय के उपरान्त प्रकट होते रहते हैं । यह व्यापार-चक्र जिस नियन्त्रित रूप से प्रकट होते हैं, उससे हम इस अवधि की निश्चितता का पता लगा सकते हैं । लोगो का विचार है कि लगभग सात तथा दस वर्षों में व्यापार-चक्र पूरा हो जाता है । इनके विषय में किसी निश्चित अवधि को स्थिर नहीं किया जा सकता । पर यह अवश्य है कि जिस प्रकार रात के पदचातु दिन होता है, इसी प्रकार मन्दी के बाद तेजी का होना आवश्यक है ।

व्यापार-चक्र की दूसरी विशेषता यह है कि यह सर्वव्यापक होता है । व्यापारिक विश्व एक सम्पूर्ण आर्थिक इकाई है जिसमें किसी भाग पर धक्का लगने से सम्पूर्ण व्यवसाय को झटका लगता है । यदि किसी एक उद्योग में बुराईयाँ उत्पन्न हो जाएँ तो वह सारे उद्योग, जिनका उससे सम्बन्ध है, प्रभावित होगा । इन प्रकार मन्दी एक उद्योग से दूसरे उद्योग में फैलती है । व्यवसाय जगत् में किसी एक उद्योग के बन्द होने से अन्य बहुत से उद्योग, जिनका उस फैल होने वाले उद्योग से सम्बन्ध था, बन्द होने लगते हैं । निराशावादी भावनाओं में छूट का प्रभाव होता है और इसलिए बहुत कम व्यवसाय ऐसे हैं, जो मन्दी अथवा तेजी की परिस्थितियों में प्रकृत रह सकें ।

'अमेरिकन इकोनामिक असोसिएशन' (American Economic Association) के अनुसार व्यापार-चक्र के साधारण लक्षण इस प्रकार हैं—

(i) कृषि को छोड़कर कीमत तथा उत्पादन की गति एक ही ओर की होती है ।

(ii) उत्पादक तथा स्थायी वस्तुओं के कुल व्यय में उपभोग तथा वीरन गट होने वाली वस्तुओं के कुल व्यय में अधिक परिवर्तन होता है । अतएव उन उद्योगों में, जो उत्पादक वस्तुओं तथा स्थायी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, अधिक तेजी से घटाव बढाव होते हैं ।

(iii) व्यावसायिक आविष्कार पर प्रचलित व्यय कुल बिधो से अधिक प्रतिशत दर से घटते अथवा बढते हैं ।

(iv) द्रव्य (मुद्रा तथा साख द्रव्य) की माग्ना तथा चलन-वेग कुल उत्पादन तथा व्यवसाय के परिवर्तन के साथ प्रत्यक्ष रूप में बदलता है ।

(v) निमित्त वस्तुओं की कीमतें सापेक्ष रूप में दृढ होती हैं जबकि कृषि उत्पादित वस्तुओं की कीमतें दृढ नहीं होती ।

(vi) माघ में दूसरे माघनों की भाय की अपेक्षा अधिक घटाव-बढाव होता है ।

व्यापार-चक्र के सिद्धान्त (Theories of the Trade Cycle)

४ व्यापार-चक्र का आधुनिक सिद्धान्त प्रारम्भिक चक्रवन्ध (Modern Theory of the Trade Cycle Introductory)—जबसे स्वर्गीय कीन्स (J M Keynes) की पुस्तक 'General Theory of Employment, Interest and Money' प्रकाशित हुई है, व्यापार-चक्र के सिद्धान्तों में पर्याप्त दिक्कत बढी है। निम्न-देह कीन्स (J M Keynes) से पहले भी यह माना जाता था कि नियोजन की मात्रा में घटाव से व्यापारिक गतिविधि पर उसी मात्रा में प्रभाव पड़ता है, परन्तु इस सम्बन्ध में वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया जा सकता। पिछले अन्वय में हमने यह सिद्धान्त का प्रयत्न किया था कि राष्ट्रीय नियोजन की मात्रा में परिवर्तन से राष्ट्रीय आय पर भी प्रभाव अवश्य पड़ता है। यह गुणक का प्रसिद्ध सिद्धान्त है। गुणक का सिद्धान्त (the theory of multiplier) हमको बताता है कि जब पूँजी का विनियोग बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है और रोजगार के अवसरों की भी वृद्धि होती है। इससे हमको विनियोग (investment) और आय का सम्बन्ध समझने में सहायता होगी। परन्तु गुणक का सिद्धान्त व्यापार-चक्र के सिद्धान्त की पूर्ण व्याख्या नहीं करता। वास्तव में व्यापार-चक्र की एक विशेषता यह है कि वह कभी ऊपर की ओर तो कभी नीचे की ओर उन्मुख होता है। जहाँ एक बार व्यापार चक्र ऊपर या नीचे को चलना प्रारम्भ होता है तो वह कुछ समय के लिए अपनी गति पर बढमान रहता है। अतः हमको आर्थिक उन्नति और आर्थिक अवसाद की व्याख्या करनी होगी। गुणक का सिद्धान्त आर्थिक उतार चढ़ावों की सही व्याख्या नहीं करता। मान लीजिए कि विनियोग में १०० रु० का वृद्धि होती है और गुणक की वृद्धि केवल ४ है। अतः गुणक के सिद्धान्त से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि राष्ट्रीय आय में ४०० रु० की वृद्धि होगी, और यदि केवल गुणक (multiplier) ही कार्य करता है तो बात यही समाप्त होती है और राष्ट्रीय आय एक उन्नत बिन्दु पर पहुँच जाती है। किन्तु व्यवहार में ऐसा होता नहीं, क्योंकि विनियोग (investment) में वृद्धि करने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि तो होगी परन्तु इसके देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर अन्य प्रभाव भी दृष्टि-गोचर होंगे। इस प्रतिक्रिया का अध्ययन हम गतिबद्धक सिद्धान्त (accelerator theory) के अन्तर्गत करेंगे।

५ गतिबद्धक सिद्धान्त (Acceleration Principle)—अब आय में ४०० रु० की वृद्धि होती है तो यह माना जाएगा कि सर्वसाधारण की व्यव करने की दृष्टि में भी इतनी ही वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त आय के सहारे लोग वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक व्यय करेंगे। यदि वस्तुओं की माँग बढ़ेगी तो माँग को पूरा करने के लिए मशीन (Plant) और मशीनों से अधिक काम किया जाएगा। इस प्रकार लाभ बढ़ेंगे और साथ ही उत्पादन बढ़ेगा। इससे नए नए काम खुलेंगे; नयी मशीनें लगेंगी और अधिक धन लगेगा। ज्यों ज्यों आय बढ़ेगी त्यों-त्यों अधिक पूँजी लगती जाएगी।

६ गुणक सिद्धान्त और गतिबद्धक सिद्धान्त को एक दूसरे पर प्रतिक्रिया (Interaction of the Multiplier and the Accelerator)—गतिबद्धक

सिद्धान्त में हम देखते हैं कि वह व्यापार-चक्र के दिनों में व्यापक अस्तव्यस्तता के कारण प्रस्तुत करता है। यदि केवल गतिवर्द्धन सिद्धान्त ही क्रियाशील होता तो अर्थ-व्यवस्था में पूर्ण अस्तव्यस्तता दिखाई पड़ती। शायद वास्तविक गडबडी से भी अधिक। किन्तु वास्तव में हम देखते हैं कि व्यापार-चक्र के चढ़ाव और उतार में अस्तव्यस्तता की भी सीमाएँ हैं। व्यापार-चक्र की सीमाएँ उच्चतम बिन्दु और निम्नतम बिन्दु तक ही पहुँचती हैं। इसका कारण यह है कि इन और गुणक का सिद्धान्त (theory of multiplier) काम कर रहा है। वास्तविक जीवन में गुणक का सिद्धान्त और गति-वर्द्धन सिद्धान्त दोनों ही काम करते हैं, और व्यापार-चक्र दोनों दिशाओं का परिणाम होता है। विनियोग से गुणक के द्वारा आय बनती है। और इस आय से पुन गति-वर्द्धन के द्वारा विनियोग तैयार होता है। इस प्रकार एक दूसरे की सहायता से यह क्रम जारी रहता है।

हाल ही के वर्षों में गतिवर्द्धन सिद्धान्त की बटु प्रालोचना हुई है। प्रो० काल्दोर (Prof Kaldor) का कथन है कि हम व्यापार-चक्र के पूरे प्रवर्तन-काल में गति-वर्द्धन सिद्धान्त के मूल्य को स्वीकार नहीं कर सकते। वे यह भी नहीं मानते कि १००) की माँग से बढ़कर ३००) की पूँजी उपस्थित हो जाएगी। और यदि यह मान भी लिया जाए कि माँग केवल अस्थायी है, तो भी नई मशीनों और नए कारखाने लगाने के बजाए कोई व्यक्ति मौजूदा मशीनों पर ही अधिक समय काम करेगा। पुनः कोई व्यवसाय मर्यादा नहीं रखता अधिक पसन्द करेगी किन्तु बड़े माँग रखना और उसका प्रयोग कष्टसाध्य होगा। इसलिए मशीनों में या पूँजी में अल्पवृद्धि अधिक रुचिकर होगी किन्तु अल्पवृद्धि रुचिकर नहीं होगी। अतः गतिवर्द्धन सिद्धान्त (accelerator theory), व्यापार-चक्र की सही व्याख्या करने में पूर्ण सफल नहीं है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि गतिवर्द्धन सिद्धान्त अर्थहीन है। यह ठोस साधारण पर टिका है और फिर हम यही कहेंगे कि राष्ट्रीय आय में परिवर्तन से पूँजी विनियोग की गति में भी परिवर्तन अवश्य होंगे।

७ व्यापार-चक्र के आधुनिक सिद्धान्त की स्पष्टतर व्याख्या (Modern Theory of Trade Cycle Further Explained)---व्यापार-चक्र का आधुनिक सिद्धान्त व्यापार चक्र को वास्तविक स्थितियों के प्रकाश में समझाने का प्रयत्न करता है जबकि सैद्धान्तिक अर्थशास्त्री, उदाहरणार्थ हाट्ट्रे (Hawtrey), व्यापार चक्र की व्याख्या मुद्रा सम्बन्धी सिद्धान्तों के प्रकाश में करते हैं। हम देख चुके हैं कि गुणक और गतिवर्द्धन सिद्धान्त व्यापार-चक्र के दो धुरे हैं और इन धुरों के प्रयोग से ही व्यापार-चक्र चलता है। अब हम यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि व्यापार-चक्र किस प्रकार गति पकड़ता है।

व्यापारिक समृद्धि के काल में आय और उत्पादन में वृद्धि होती है और गुणक एवं गतिवर्द्धन की परस्पर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आय और उत्पादन में और अधिक वृद्धि होती है। इस दौर में माँग मजबूत रहती है और लाभ भी अधिक रहते हैं। मन्दी के दुष्प्रभावों की शीघ्र समाप्ति होने की होती है। अतः विस्तार की गति तीव्र होती है। शीघ्र ही विस्तार की गति इतनी तीव्र होती है कि खुशहाली का दौर आ

जाता है। कुछ समय के लिए आर्थिक गतिविधि उच्च बिन्दु पर स्थिर हो जाती है। किन्तु इस समृद्धि में विनाश के बीज छिपे रहते हैं। शीघ्र ही इस दिखावटी खुशहाली का दौर समाप्त हो सकता है। ऐसा निम्नलिखित कारणों से या उनके संयोग से हो सकता है—

(१) विस्तार के समय पूँजी नियोजन तेजी से होता है। कुछ समय के लिए आर्थिक श्रियाकलाप ऊँचे स्तर पर स्थिर रहते हैं। किन्तु कुछ समय के पश्चात् जब पूँजी नियोजन के प्रभावी लाभ होने लगते हैं तो उत्पादन अत्यधिक बढ़ जाता है और पूँजी भी बढ़ जाती है। पूँजी स्टॉक के अत्यधिक बढ़ जाने से लाभ की मात्रा कम रह जाती है, अतः उद्यमी अधिक पूँजा लगाने से हाथ खींचने लगते हैं। ऐसी स्थिति में गुणक (multiplier) और गतिवर्द्धन (accelerator) सिद्धान्त प्रभावशील हो जाते हैं। और शून्य शून्य अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न होन लगती है।

(२) जब पूँजी नियोजन की गति तीव्र होती है तो नियोजन-वस्तुओं की कीमतें ऊँची हो जाती हैं। इससे उत्पादन व्यय बढ़ जाते हैं और फलस्वरूप लाभ की मात्रा सिकुड़ जाती है। अतः अगले दौर में पूँजी नियोजन की गति पहले दौर की अपेक्षा मन्द पड़ जाती है।

(३) मान लीजिए कि पूर्ण रोजगार की स्थिति है। जब किसी अर्थ व्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में विस्तार इतनी गति से नहीं हो सकता कि पूर्ण नियोजन से भी अधिक नियोजन दे सके, क्योंकि जनसंख्या भी तीव्र गति से बढ़ती है और उत्पादन भी। इस प्रकार जब पूर्ण नियोजन की स्थिति होती है तो गतिवर्द्धन (accelerator) की गति कुण्ठित हो जाती है। फलस्वरूप कमजोर गतिवर्द्धक पूर्ण नियोजन की स्थिति को स्थिर नहीं रख सकता और आज या कल अर्थव्यवस्था अवश्य लड़खड़ा जाएगी।

(४) जब समृद्धि काल में आय ऊँची होती है तो आय का अधिकांश भाग लाभ के रूप में मालिकों की जेब में जाने लगता है। किन्तु लाभ के धन में से उपभोग करने की सीमान्त प्रवृत्ति (marginal propensity to consume) उतनी तीव्र नहीं होती जितनी कि आय में से उपभोग करने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। इस प्रकार समस्त समाज की उपभोग करने की सीमान्त प्रवृत्ति गिर जाती है। इससे गुणक का मूल्य गिर जाता है और फलस्वरूप पूँजी नियोजन की दर पहले की अपेक्षा कम आय देने लगती है। इस प्रकार वस्तुओं की पूर्ण अधिक बढ़ती है किन्तु उनकी माँग में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं होती। फल यह होता है कि कुछ समय पश्चात् व्यवसायी अपनी वस्तुओं को बेच नहीं पाते और हानि उठाते हैं। और तब वे पूँजी नियोजन कम करने लगते हैं।

(५) व्यापारिक समृद्धि के दिनों में साख व्यवस्था में विस्तार हो जाता है किन्तु बैंक धन उधार देने पर अकुश रसना चाहते हैं। इससे व्याज की दर ऊँची हो जाती है, और बैंक अपनी सस्ती दरों पर लगाई गई पूँजी वापस माँगने लगते हैं। इससे मुद्रा बाजार में एक प्रकार की अव्यवस्था फैल जाती है जो बढ़ते बढ़ते समस्त आर्थिक जीवन को भ्रान्त कर लेती है।

(६) उद्यो ही एक बार व्यापारिक समृद्धि का दौर समाप्त हो जाता है, सारी अर्थ-व्यवस्था विष्टुखल सी-होने लगती है। ऐसे समय में गुराक और गतिवर्द्धक नीचे की ओर कार्य करते हैं। वित्तीय आपात के बीच में बैंकिंग व्यवस्था की गड़बड़ी से और भी स्थिति खराब हो जाती है। अपनी तरल गति को मुद्ध बनाने के लिए बैंक व्याज की दर को और ऊँची करते हैं और उन व्यवसाय सस्थाओं से ऐसे समय में पूँजी वापस माँगते हैं जब वे वित्तीय आपात के घेरे में होती हैं और जो पूँजी वापस करने की स्थिति में नहीं होती। इससे स्थिति और बिगड़ती जाती है और अनेक व्यवसाय सस्थाएँ दिवालिया हो जाती हैं।

किन्तु कभी न कभी अर्थ व्यवस्था में सुधार होगा ही और वह अधोगति में जाने से कुछ सम्भल जाती है। ऐसा पूँजी नियोजन घटाने से होता है। यदि आय गिरती है तो पूँजी नियोजन भी गिरेगा, किन्तु किसी निश्चित समय में पूँजी नियोजन की कमी का प्रभाव मशीनों के प्रतिस्थापन (replacement) के द्वारा उलटा किया जाता है। यदि आप वास्तव में ही पूँजी नियोजन में कमी करना चाहते हैं तो पुरानों, घिसी मशीनों का प्रतिस्थापन मत कीजिए। फलस्वरूप कुछ समय पश्चात् गतिवर्द्धन (accelerator) शून्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति आ जाने पर पूँजी नियोजन को रोकना असम्भव होगा। फलस्वरूप उस स्थिति के आने पर कम से कम कुछ समय के लिए आर्थिक गतिविधि स्थिर हो जायगी।

इस स्तर पर अर्थ व्यवस्था में विस्तार की पर्याप्त सम्भावनाएँ विद्यमान रहती हैं। किन्तु कुछ समय तक विस्तार नहीं हो पाता। तब ऐसी स्थिति अवश्य आएगी जबकि कम जमा पूँजी को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिस्थापन पूँजी नियोजन नितांत आवश्यक होगा। जब सकल नियोजन शून्य से बढ़कर प्रभावी स्थिति तक पहुँच जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि अर्थव्यवस्था का सुधार या पुनरुद्धार हो रहा है। किन्तु पुनरुद्धार इससे पहले भी हो सकता है क्योंकि सम्भव है, इन्हीं दिनों प्राचीनिक उन्नति हो रही हो और कुछ उन्नति शील व्यवसाय सस्थाएँ नई खोजों के आचार पर अधिक ध्यान उठा रही हों। उनकी सफलता से अथवा सस्थाओं को भी उत्साह प्राप्त होगा और इस प्रकार रोगी अर्थ व्यवस्था की रोगमुक्ति शनैः शनैः उन्नति और समृद्धि की आरंभ बढ़ सकती है। इन दिनों यदि मुद्रा बाजार में द्रव्य मस्ती दरो पर मिले तो पुनरुद्धार और उन्नति के इस क्रम में तीव्रता अवश्य आ सकती है।

८ आर्थिक संकट को दूर करने के उपाय (Remedial Measures to High Economic Crisis)—संकट के समय व्यवहार में आने वाली नीतियों के विषय में संकट के कारणों की अपेक्षा अधिक महत्त्व है। अधिकतर अर्थशास्त्री अब इस विषय पर सहमत हैं कि वर्तमान आर्थिक अवस्था में संकट अवश्यम्भावी है। अधिक से अधिक उन्हें स्थगित मात्र किया जा सकता है, रोकना नहीं जा सकता। अस्तु, इन मन्टों का सामना करने के लिए हमें दो प्रकार के उपायों की आवश्यकता है—निवारक (preventive) और औपचारिक (curative)।

निवारक उपाय संकट की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। कच्चे भात की पूर्ति पर जलवायु का जो प्रभाव होता है, उससे हम विमल नहीं रह सकते। भारत जैसे

देश के लिए, जहाँ दो-तिहाई से अधिक निवासी कृषि पर निर्भर करते हैं, यह आवश्यक है कि कृषि को वर्षा से स्वतन्त्र किया जाए। पानी की नियमित पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में कुओ, नहरों व तालाबों का निर्माण अति आवश्यक है। यह अवश्य है कि युद्ध, भूचाल व छूत की बीमारी जैसे बाह्य कारणों का कोई उपाय नहीं किया जा सकता पर इनका व्यापार-चक्र में कोई विशेष महत्त्व नहीं है। कम से कम यह नियमित रूप से तो कोई प्रभाव नहीं डाल सकते।

माँग व पूर्ति की अपूर्ण व्यवस्था को फसलों की दशा, उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मात्रा, व्यवसाय की दशा, आयात व निर्यात, आय प्रति व्यक्ति, मूल्य व लागत सम्बन्धी देशनाको, व लाभ की दशा आदि की सही परिगणना करके सम्हाला जा सकता है। इसके द्वारा व्यापारी वस्तुओं की माँग व पूर्ति के विषय में ठीक अनुमान लगा सकता है। इसके अतिरिक्त सूचना विभाग को अनुचित आशावादिता अथवा निराशावादिता को रोकने के हेतु समय-समय पर चेतावनियाँ प्रकाशित करत रहना चाहिए। समृद्धि के दिनों में कारखानों को लाभान्वित करने के समय विशेष सावधानी से कार्य करना चाहिए। और भविष्य के लिए निधि संचित करके रखनी चाहिए।

मुद्रा-नीति (Monetary Policy)—पर केवल इतने निवारक उपाय ही पर्याप्त नहीं हैं। इसके अलावा समृद्धि एवं मंदी को रोकने के लिए देश को सदैव उचित वैश्विक नीति को अपनाना चाहिए। नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि यदि किसी भाँति अधिक सकट उपस्थित भी हो जाए तब भी कम से कम उनकी तीव्रता तो कम हो जिससे शीघ्रातिशीघ्र आर्थिक स्थिरता स्थापित हो सके।

मुद्रा-नीति के अन्तर्गत अधिरोपण नीति, साख नीति, ऋण और व्याज नीति, मुद्रा मान नीति (monetary standard) और सांख्यिक ऋण नीति आती है। मुद्रा-नीति साख के विस्तार का प्रभावित करके देश में प्रचलित कीमती व आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। इसका विस्तृत अध्ययन हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। यहाँ केवल इतना याद रखना पर्याप्त है कि इस नीति को दो उपायों से प्रभावशाली बनाया जा सकता है—बैंक दर को व्यवस्थित करके और खुले बाजार की क्रियाओं को समुन्नत करके। जब समृद्धि की परिस्थितियाँ होती हैं तो बैंक-दर को बढ़ाकर व्यापारिक क्रियाओं में और अधिक विस्तार को रोक दिया जाता है। इसी प्रकार मंदी के दिनों में सस्ती मुद्रा की नीति से व्यापारिक विनियोजन को प्रोत्साहन दिया जाता है और इस प्रकार पुनर्जीवन में महायत्ना होनी हैं।

बैंक की साख-नीति में दो प्रकार के नियन्त्रण होते हैं—परिमाण-सम्बन्धी तथा गुण-सम्बन्धी (quantitative and qualitative)। परिमाण सम्बन्धी नियन्त्रण से अभिप्राय साख-पद्धति को यथा आवश्यकता सामान्य, दृढ़ तथा ढीला करने से है। यह बैंक के बोध को प्रभावित करके किया जाता है। गुण सम्बन्धी नियन्त्रण एक विशिष्ट प्रकार की साख को नियन्त्रित करता है। इस नियन्त्रण का उद्देश्य यथा आवश्यकता बैंक के अग्रिमों को नियन्त्रित करना है ताकि विशिष्ट योजनाओं के लिए पूंजी उपलब्ध होती रहे या उसके मिलने पर आवश्यक अक्षुण्ण लगे रहें। पिछले कई

वर्षों से भारतीय रिजर्व बैंक प्रवृत्त साख्त नियन्त्रण (selective credit control) की नीति पर चल रहा है।

निस्सन्देह नियन्त्रित-मुद्रा नीति के अनेक लाभ हैं। इसीलिए प्रायः बीस वर्ष पूर्व तक नियन्त्रित मुद्रा नीति को व्यापारिक-बैंकों के कुश्रम से बचाने के लिए प्रभावी उपाय समझा जाता था। किन्तु हम पहले ही देख चुके हैं कि बैंक दर के नियन्त्रण या खुले बाजार के हृत्यों से निश्चित और इच्छित लाभ नहीं मिलते।¹ इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कहाँ तक बहुत सी मानी हुई बातें सही हैं। उदाहरणार्थ, यह बात ध्यान रखने योग्य है कि अन्य बैंक किस सीमा तक केन्द्रीय बैंक का अनुकरण करने को तत्पर हैं, कहाँ तक बैंक अपने ऋणियों को रुपये का उचित विनियोजन करने के लिए बाध्य कर सकते हैं, कहाँ तक आर्थिक परिवर्तनों के लिए मुद्रा-सम्बन्धी कारण उत्तरदायी हैं और अन्त में व्यापारिक वर्ग परिवर्तित दर पर विनियोजन करने को तत्पर है या नहीं।

लेकिन, यह बातें सर्वथा सत्य नहीं हैं, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था पूर्णतया सफल नहीं हो सकती। मन्दी के दिनों में विशेष तौर से यह नीति सर्वथा असफल रहती है, क्योंकि इन दिनों में व्यापारी वर्ग निराशा में ऐसा जकड़ा होता है कि दरों में अत्यधिक कमी होने पर भी वह नवीन विनियोजन करने अथवा अपने व्यापार का विस्तार करने की हिम्मत नहीं करता। मुद्रा अधिकारी व्यापार के लिए प्रोत्साहन मात्र दे सकते हैं, वे व्यापारियों को उधार लेकर व्यापार चालू करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) — मुद्रा-नीति के अन्वयित होने के कारण दूसरे उपायों की खोज हुई। इनमें सब से महत्त्वपूर्ण उपाय राजकोषीय नीति का उपाय पाया गया। यद्यपि “इस उपाय की खोज केवल मुद्रा नीति की सहायता के लिए की गई थी किन्तु अब वह उसी नीति को घिलकुल नष्ट करना चाहती है।” (विलियम्स)। चूँकि राज्य प्रशासन पर होने वाले खर्च की मात्रा बहुत अधिक होती है इसलिए यह कुल राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग है। इस तरह राजकोषीय नीति से कीमत स्तर प्रभावित होता है। इसके अलावा उपादन और नौकरी पर भी प्रभाव पड़ता है, चाहे ऐसी नीति जान-बूझ कर अपनायी गई हो या नहीं।

मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि राजकोषीय नीति में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं—(क) राजकीय व्यय (public spending), या सार्वजनिक निर्माण-नीति और (ख) उचित कर प्रणाली (appropriate taxation)।

हम यह देख चुके हैं कि कीन्स (Keynes) के सिद्धान्त के अनुसार व्यापार-बचक अथवा विनियोजन के बीच असमता के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए यदि राज्य और सार्वजनिक संस्थाओं के विनियोजनों का विभिन्न व्यक्तिगत विनियोजनों से समन्वय कर दिया जाए तो असमता उत्पन्न होने से रोकी जा सकती है और इस प्रकार आर्थिक स्थिरता स्थापित की जा सकती है। और यदि किसी भाँति असमता उत्पन्न भी हो जाए तो सार्वजनिक व्यय के समायोजन द्वारा उसको ठीक किया जा

सकता है। इसलिए व्यापारिक स्थिति के अनुसार सार्वजनिक व्यय को परिचालित करते रहना पड़ता है। मन्दी के दिनों में जब व्यक्तिगत विनियोजन बहुत शिथिल होता है, तो उमकी कमी पूरी करने के लिए राज्य को बड़ी मात्रा में विनियोजन करना पड़ता है। इसके विपरीत यदि समृद्धि का काल है तो राज्य को अपने व्यय कम करने पड़ने हैं। इस प्रकार मन्दी के दिनों में राज्य को अपने चालित राजस्व की सीमा में परे खूब करने को तैयार रहना चाहिए। दूसरे दृष्टी में, मन्दी के दिनों में राज्य को घाटे के वित्तिकरण के लिए उद्यत रहना चाहिए और असाधारण समृद्धि के दिनों में अतिरिक्त आयव्ययक के लिए तैयार रहना चाहिए। इसको यूँ भी कहा जा सकता है कि वज्राय प्रत्येक वर्ष सन्तुलित आयव्ययक रखने के राज्य को दीर्घावधि के सन्तुलित आयव्ययक का ध्येय रखना चाहिए।

जहाँ तक राज्य के राजस्व का प्रश्न है, राज्य को मन्दी के दिनों में कम कर देने चाहिए और तेजी के दिनों में अधिक। यही नहीं, मन्दी के दिनों में राज्य की ओर से कई प्रकार की उदार रियायतें और दूसरी सुविधाएँ दी जानी चाहिए।

इस प्रकार राजकोपीय नीति का मचालन सार्वजनिक राजस्वों और सार्वजनिक व्यय के नियन्त्रण द्वारा हो सकता है। इसे राजस्व का चक्र विरोधी सगठन भी कहते हैं। इन दोनों में व्यय वाला सिद्धान्त अधिक सफल है, क्योंकि इसमें व्यापारिक क्रिया को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त राजस्व वाला ढग विशेष लाभ का नहीं होता क्योंकि इससे विनियोजन उचित रूप से नहीं हो सकता। पर सब से अधिक सफलता तब प्राप्त की जा सकती है जब दोनों ढगों के सहयोग से काम लिया जाए।

राजकीय व्यय अथवा सार्वजनिक निर्माण की नीति (Public Spending or Public Works Policy)—यह नीति अधिक सफल हुई है इसलिए इस पर विचार से विचार की आवश्यकता है। मन्दी के दिनों में जब आर्थिक क्रियाएँ पूर्णतः शिथिल हो जाती हैं, और फलस्वरूप बेकारी बढ़ जाती है, तो वस्तुओं के उपभोग की प्रवृत्ति में कमी आ जाती है। यह बात बड़ महत्त्व की है कि उपभोग की ओर रुचि बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए। यदि किसी प्रकार सार्वजनिक कार्यों द्वारा कुछ नवीन नियोजन पैदा किया जा सके तो लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ जाएगी और उपभोग की मात्रा भी बढ़ जाएगी, जिससे गुणक और गतिवर्द्धन के सिद्धान्त (principles of multiplier and acceleration) के अनुसार व्यक्तिगत विनियोजन को प्रोत्साहन मिलता है। अस्तु सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर सरकार की ओर से व्यय किए गए धन के व्यक्तिगत विनियोजन को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार किसी देश की आर्थिक क्रिया में राज्य जीवन-संचार का कार्य करता है।

इससे मन्दी के प्रभाव को रोका जा सकता है या यदि मन्दी मुँह बाये आ रही हो तो उसको आने से भी रोका जा सकता है। पर सार्वजनिक व्यय से एक और भी काम होता है—वह यह कि इससे आर्थिक क्रिया में दीर्घकाल में स्थिरता आ जाती है और वह मन्दी व तेजी से सुरक्षित हो जाती है। इस उद्देश्य को व्यक्तिगत विनियोजनों के अनुसार सार्वजनिक विनियोजनों का समन्वय करके प्राप्त किया

जा सकता है। इसे राजकोषीय नीति का क्षतिपूर्क या पूर्णात्मक कार्य (Compensatory action) कहते हैं। 'अमरीकन इकॉनामिक एसोसिएशन' (American Economic Association) के अनुसार 'ऐसी राज्य व्यवस्था में जहाँ अविश्वस्य लोग प्राइवेट कार्यों में लगे हैं, सरकारी नीति यह होनी चाहिए कि सामान्य आर्थिक दशा में परिवर्तन किया जाए जिससे प्राइवेट (निजी) व्यापार आदि में विकसित उद्योग बढ़ाव में कुछ कमी हो और ऐसे हालात में सुधार हो।' चक्र की स्थिरता को रोकने के लिए सरकारी नियन्त्रण निम्नलिखित हैं —

(१) व्यक्तिगत प्रेरणा में परिवर्तन लाने के लिए कर-दर तथा कर के ढाँचे में परिवर्तन।

(२) कुल आय में सरकारी अंश का हस्ता-तरित भुगतान द्वारा (उदाहरणार्थ employment benefit) परिवर्तन।

(३) राजकीय निर्माण कार्यों में तथा अन्य सरकारी व्यय में परिवर्तन।

(४) लागत तथा बैंक साख की प्राप्ति में परिवर्तन लाने के लिए मुद्रा-सम्बन्धी नियन्त्रण।

(५) जनता की वित्तीय आस्थिरता और दायित्वों में परिवर्तन लाने के लिए ऋण अथवा मुद्रा सम्बन्धी नीति का आश्रय।

(६) विनियोजन नियम तथा उत्पादन और व्यवसाय से सम्बन्धित निर्णय को प्रभावित करने के लिए सरकारी नीति की ठीक समय में घोषणा।

(७) कीमत तथा मजदूरी निर्धारण पर प्रभाव डालने वाले उपायों का आश्रय।

(८) उचित अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति।

आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करने के लिए दो मूल नियम बतलाए गए हैं—

(क) सरकारी करों से प्राप्त आयदानी (राजस्व) को पूर्ण व्यवसाय के समय में ऊँचा तथा बेकारी के दिनों में अपेक्षाकृत कम होना चाहिए।

(ख) पूर्ण व्यवसाय के समय में द्रव्य तथा साख सापेक्ष रूप से अधिक दुर्लभ हो और व्यापक बेकारी के समय हीला होना चाहिए।

पर अब भी अर्थशास्त्रियों में इस सम्बन्ध में बड़ा मतभेद है कि सार्वजनिक व्यय की नीति द्वारा बचत व विनियोजन में समता रखी जा सकती है अथवा नहीं। इसके विपरीत यह सब मानते हैं कि राजकोषीय नीति चक्रात्मक परिवर्तनों में लड़ने में बड़े उपयोग्य की है।

मन्दी के दिनों में विनियोजन में सहायता देने के अतिरिक्त राज्य द्वारा सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम हाथ में ले लेने से राज्य को कम मूल्य में सार्वजनिक निर्माण कार्य करने में सहायता मिलती है। मजदूरी, कीमत व व्याज की दरें मन्दी के दिनों में कम हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के शुद्ध व्यय तो और भी कम होते हैं, और फिर यदि यह नीति नहीं अपनायी जाती तो बेकारी के भत्त दान आवश्यक हो जाते हैं। इसलिए सार्वजनिक कार्यों का शुद्ध व्यय उनके पूर्ण व्यय में से बेकारी के भत्ते निकालकर होता है जो कि अन्यथा दिया जाना आवश्यक होता है।

पर राजकोपीय नीति में कुछ कमजोरियाँ भी हैं। बहुत से सार्वजनिक कार्य ऐसे भी हैं, जिन्हें मन्दी की प्रतीक्षा में स्थगित नहीं किया जा सकता। उनमें से बहुतों का सम्बन्ध तो व्यवसाय की गति से होता है और इसलिए उनके द्वारा सुधार का विचार ठीक नहीं है। फिर धर्म की गतिहीनता के कारण कभी-कभी नीति अतिरिक्त नियोजन का निर्माण करने में असफल रहती है। जैसे सड़क बनाने के काम में सूती मिल के बेकार मजदूर नहीं लगाए जा सकते। एक जनतन्त्रात्मक राज्य में जनता समृद्धि के दिनों में लाभ के वित्तपोषण का विरोध करती है और करोड़ों की माँग करती है। इसके अतिरिक्त राज्य को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ना है कि वह ऐसे क्षेत्रों में व्यय करे जहाँ व्यक्तिगत विनियोजन की सम्भावना न हो, अन्यथा राज्य का विनियोजन व्यक्तिगत विनियोजन को प्रतिस्थापित मात्र कर देगा। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि राज्य के सार्वजनिक व्यय से उत्पादन-व्यय बढ़ जाने के कारण व्यक्तिगत विनियोजन की कठिनाइयाँ भी कहीं बढ़ न जाएँ।

इन सब बातों के होते हुए भी राजकोपीय नीति बहुत अच्छा व्यापार-चक्र विरोधी शस्त्र है। यदि इसके साथ समुचित वित्त-प्रबन्ध भी हो तो यह और भी अधिक सफल हो सकती है। राजकोपीय नीति और वित्त प्रबन्ध योजना की क्रिया-शक्ति के द्वारा एक से निरन्तर दूसरों को बल मिलेगा। "मन्दी से निवृत्त होने के लिए घाटे का वित्तीकरण आय के नवीन साधन निकालकर और सस्ते द्रव्य को अपनाकर अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकता है तथा समृद्धि के दिनों में मृदा की नीति अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती है।"

विनियोजन पर राज्य-नियन्त्रण (State Control of Investment)—कुछ वर्षों से व्यापारिक-चक्र के कुचक्र में बचाव के लिए अर्थशास्त्री राज्य विनियोजन के अतिरिक्त और भी उपाय सोचने लगे हैं। उनका कहना है कि व्यक्तिगत विनियोजन के ऊपर राज्य की ओर से नियन्त्रण होना चाहिए। कुछ देशों में सन् १९३० से यह नियन्त्रण लागू है। यद्यपि पहले यह केवल मकड़ से बचाव के लिए लगाए गए थे तो भी, लड़ाई के दिनों में यह नियन्त्रण और भी बढ़ा दिए गए। पर इनका उद्देश्य केवल युद्ध के साधनों को व्यवस्थित करना था। युद्ध के पश्चात् यह नियन्त्रण कम कर दिए गए पर अर्थशास्त्री अब भी इस बात पर जोर देने हैं कि आर्थिक स्थिरता के लिए यह नियन्त्रण आवश्यक है। किन्तु इस नीति में भय यह है कि राज्य के बढ़ते अधिक हस्तगत से व्यक्तिगत विनियोजन समाप्त हो जाएगा। पर व्यक्तिगत विनियोजन का पूर्णतः स्वतंत्र छोड़ देना भी भयंकर है। अस्तु, एक मध्यम मार्ग की आवश्यकता है। कीमती विश्वास है कि इस प्रकार का भाग निकाला जा सकता है और यदि ऐसा हो गया तो आर्थिक स्थिरता प्राप्त की जा सकती है।

अन्तर्राष्ट्रीय उपाय (International Measures)—अभी तक हमने केवल उन उपायों का अध्ययन किया है जो व्यक्तिगत राष्ट्रों की ओर से किए जाते हैं। पर व्यापार-चक्र की प्रकृति अन्तर्राष्ट्रीय है। कोई देश सप्ताह के दूसरे भागों से पृथक् नहीं रह सकता। इसीलिए यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति सकेट नियन्त्रण को जटिल बना देती है।

अन्तर्राष्ट्रीय ढंग पर व्यापार-चक्र के दुष्प्रभाव का रोकने के लिए जिन उपायों का सुझाव रखा गया है, वे इस प्रकार हैं—अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन नियन्त्रण (International Production Control); अन्तर्राष्ट्रीय निरोध स्तक (International Buffer Stocks); अन्तर्राष्ट्रीय विनियोजन नियन्त्रण (International Investment Control); अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन नियन्त्रण के अन्तर्गत उत्पादन की प्रमुख वस्तुओं के उत्पादन तथा उनकी कीमतों पर नियन्त्रण रखा जाता है। इस प्रकार के नियन्त्रण में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। भारत जैसे देशों में कृषि बहुत छोटे पैमाने के व्यवसाय के रूप में ही नहीं बल्कि जीवन की आवश्यकता के रूप में होती है। फलस्वरूप यदि कृषि लाभप्रद न भी रहे तो भी उसे छोड़ा नहीं जा सकता। पर उत्पादन नियन्त्रण और स्वयं निरोधक पूर्ति के प्रचानक परिवर्तनों को रोककर कीमता के उतार चढ़ाव को रोक सकेगा।

पर यह उपाय बहुत अधिक सफल नहीं हो सके। अभी तक भी व्यापारिक सकट की कोई अच्छी दवा नहीं खोजी जा सकी है। वास्तव में आवश्यकता तो इस बात की है कि हमारे आर्थिक ढाँचे को पूरा बदल दिया जाए। यह सम्पूर्ण सकट पूँजीवाद की देन है और सभार में जब तक पूँजीवाद रहेगा यह सकट भी रहगा। इसलिए नियोजित अर्थव्यवस्था या समाजवाद के किसी रूप से ही इस भयावह स्थिति को मुधारा जा सकेगा।

निर्देश पुस्तकें

- Schumpeter J A Business Cycles
 Hawtrey R G Trade and Credit; also Economic Destiny
 Pigou A C Industrial Fluctuations
 Brij Narain Money and Banking (S Chand & Co)
 Croxther G An Outline of Money
 Myrdal G Monetary Equilibrium
 Keynes J M Treatise on Money, also the General Theory of Employment Interest and Money
 Robertson D H Money
 Hayek F A Prices and Production
 Eley Business Cycles
 Haberler G Prosperity and Depression
 American Economic Association Readings in Business Cycle Theory 1944
 American Economic Association on 'The Problem of Economic Instability' in the American Economic Review, September 1950, pp 565-3
 Mitchell W C Business Cycles; The Problem and its Setting
 Hansen A H Fiscal Policy and Business Cycles, 1941
 Hahn G N Monetary Theory 1946 Chs 20-23
 Hicks J R A Contribution to the Theory of Trade Cycles, 1950
 Kalecki M. Essays in Theories of Economic Fluctuations, 1939

अध्याय ४३
सार्वजनिक अर्थशास्त्र
(Public Economics)

१. विषय प्रवेश (Introduction)—राज्य एक राजनीतिक समाज है। इसका अन्तिम उद्देश्य मानव कल्याण की वृद्धि है। इसलिए राज्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने नागरिकों की आर्थिक क्रियाओं पर दृष्टि रखे। अब तो यह आम तौर पर माना गया है कि राज्य का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप और नियन्त्रण सामान्य कल्याण के लिए आवश्यक है।

२. राज्य की क्रियाकलापों की परीक्षा (Views on State Activity)—यदि ठीक ही कहा गया है कि "राजनीतिक सिद्धान्त परिस्थितियों पर आश्रित है।" जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं, वैसे ही राज्य की गतिविधि के उचित क्षेत्र के विचार भी बदलते गए हैं। राज्य के हस्तक्षेप की सीमा और रूप के सम्बन्ध में राजनीतिक विचारकों में मतविभिन्नता रही है। हम यहाँ पर कुछ राजनीतिक विचारों के मुख्य रूपों का भेद उपस्थित करते हैं।

प्रराजकतावादी (The Anar lists)—य लोग शासन-तंत्र न होने में विश्वास करते हैं। वे सोचते हैं कि एक ऐसी अवस्था आएगी, जब मनुष्य नैतिकता के इतने ऊँचे स्तर पर पहुँच जाएगा कि शासन अनावश्यक हो जाएगा और 'उसका अन्त हो जाएगा।' समाज स्वयं अपने को नियमित कर लेगा। राजनीतिक विचारकों का यह केवल स्वप्न मात्र है।

साम्यवादी (The Communists)—दूरे छोर पर साम्यवादी हैं, जो विश्वास करते हैं कि राज्य का हटाना तो दूर भी बात है, राज्य को जीवित रखना होगा और उसे आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सक्तरानी साधन के रूप में दृढ़ होना होगा। साम्यवादी व्यक्तिगत आर्थिक चेट्टाओं पर दृढ़ नियन्त्रण रखेंगे। प्रत्येक वस्तु राज्य की होगी और वासन सब तरह की आर्थिक गतिविधियाँ की व्यवस्था करेगा। व्यक्ति तो केवल शतरज के खेल में एक प्यादे के समान है। कुछ लोग इसकी आर्थिक दामना बहेग। यह अवस्था अभी व्यावहारिक राजनीति से दूर है।

इन दो चरम धारणाओं के बीच में दो अन्य विचारधाराएँ हैं जिन्होंने वास्तव में राजनीतिक नीतियों को प्रभावित किया है। इनमें से एक विचारधारा वह है, जिसको व्यक्तिवाद (individualism) या आर्थिक उदारता (economic liberalism) कहते हैं, दूसरी है समूहवाद (collectivism)।

व्यक्तिवादी (Individualists)—व्यक्तिवादी राज्य को एक बुराई समझते हैं, और यह बुराई अनिवार्य है। उनका विश्वास है कि मानव कल्याण उस समय सब से अधिक होगा, जब आर्थिक गतिविधि राज्य के हस्तक्षेप के बिना, निर्वाह, रुकावट और अञ्चन रहित दशा में होगी।

फ्रांस के एक फिजियोक्रेट (Physiocrat) फ्रैंकोस क्वेजने (Francois Quesnay) के शब्दों में, "प्रतियोगिता को असंमित स्वतन्त्रता आन्तरिक तथा बाह्य वाणिज्य का सबसे उत्तम संरक्षण है, यह बहुत ही ठीक है और राष्ट्र और राज्य, दोनों के लिए अति लाभदायक है।" इंग्लैंड में ऐडम स्मिथ (Adam Smith) की आर्थिक विचारधारा के अनुसार, सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिये। यह एक पुलिस राज्य होगा और नियमों का पालन कराना और शान्ति स्थापित रखना ही केवल इसका काम होगा। कारखानों के नियम और सामाजिक सुरक्षा के लिए इसमें कोई स्थान न होगा। स्पष्ट है कि यह विचारधारा समाज की उचित आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देती।

व्यक्तिवाद को राजनीतिक सिद्धान्त और राज्य के कार्यों के लिए एक पथ-प्रदर्शक के रूप से भी दोषी ठहराया गया है। व्यक्तिवाद की नींव कर्मों की नष्ट हो चुकी है। अब कोई भी यह सचाई से विश्वास नहीं करता कि हर व्यक्ति अपने हित को ठीक-ठीक समझता है या उसके पाने की शक्ति रखता है। यहाँ तक कि जे० एस० मिल (J. S. Mill) को भी, जो 'यथेच्छाचारिता' (laissez faire) के प्रबल समर्थक हैं, कुछ क्षेपों में राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता स्वीकार करनी पड़ी। आज के ऐसे मसाले में उन्नीसवीं शताब्दी के व्यक्तिवाद का कोई भी स्थान नहीं है।

समूहवादी या समाजवादी विचारधारा (The Collectivist or the Socialist View)—समूहवादिया और समाजवादियों की विचारधाराएँ बिल्कुल निम्न हैं। समाजवादी और समूहवादी समाज के हित पर ज्यादा जोर देते हैं और व्यक्तियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर कम। राज्य को एक अनिवार्य बुराई समझना तो दूर रहा, वे इसको एक अति आवश्यक और उपयोगी सत्त्वा मानते हैं और वे उसको बहुत-सी सीमा-रहित शक्तियाँ देना चाहते हैं। वे राज्य के हर प्रकार के हस्तक्षेप को उचित मानते हैं बशर्ते कि उसके द्वारा सामाजिक कल्याण में उन्नति होती हो। राज्य के हस्तक्षेप की कोई सीमा नहीं है किन्तु उसका उद्देश्य मानव-कल्याण की प्रगति होनी चाहिए।

आधुनिक काल की विचारधारा समाजवाद या समूहवाद की ओर दृढ़ता से झुकी हुई है। आज के राजनीतिज्ञ शासन के आर्थिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने की कोई सीमा निश्चित नहीं करते। वे केवल यही देखते हैं कि राज्य के कार्य प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से समाज के हित में होते हैं या नहीं।

३ आधुनिक राज्य के कार्य (Functions of a Modern State)—जे० एस० मिल ने राज्य के कार्यों को दो वर्गों में विभाजित किया है—(क) आवश्यक कार्य, जो न्याय और सुरक्षा का प्रबन्ध करें, और दूसरे वैकल्पिक कार्य, जिनमें अन्य सब कार्य सम्मिलित हों। ऐडम स्मिथ (Adam Smith) ने अपनी १७७६ की प्रकाशित पुस्तक 'वेल्थ ऑफ नेशन्स' (Wealth of Nations) में शासक के तीन कर्तव्यों का उल्लेख किया है—

- (१) समाज की, अन्य स्वाधीन समाजों के अन्याय तथा हिंसा से रक्षा करना;
- (२) नागरिकों के बीच आन्तरिक न्याय का प्रबन्ध;

(२) जनता की उन सस्यामों को बनवाना तथा बनाए रखना जो बड़े समाज के लिए अत्यन्त लाभदायक हो, चाहे वे एक व्यक्ति को कभी व्यय न अदा कर सके।

आधुनिक राज्य के मुख्य कार्यों का नीचे दिया हुआ वर्गीकरण उचित माना जा सकता है—

(i) **सरक्षण तथा रक्षा के कार्य (Protective Functions)**—वाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करना और देश में शांति स्थापित रखना, इन कार्यों में शामिल है। राज्य का यह पहला काम है।

कुछ लेखक इन कार्यों को अनुपादक कार्य कहते हैं। परन्तु यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि मकुचित आर्थिक दृष्टि से देखने हुए इस प्रकार के कार्यों का कोई भौतिक या प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता, तिम पर भी विस्तृत दृष्टि से और अप्रत्यक्षत रक्षा-विषयक कार्य उत्पादक कहा जा सकता है। जब तक कोई देश बाहरी आक्रमण से सुरक्षित नहीं रखा जाता, उस समय तक वहाँ कोई उत्पादन-कार्य नहीं किया जा सकता।

(ii) **प्रशासनीय कार्य (Administrative Functions)**—सेना और पुलिस रखने के अतिरिक्त, जि-हे देश की प्रतिरक्षा के लिए रखा जाता है हर एक सरकार बहुत से ऐसे प्रशासन कर्मचारियों और सस्यामों का प्रबन्ध करती है, जिनका काम शासन के विभिन्न विभागों का प्रबन्ध करना होता है। प्रशासन-कार्यों का सम्बन्ध सरकार के नित्य-प्रति के कार्यों के करने से है।

(iii) **सामाजिक कार्य (Social Functions)**—इस वर्ग में आम तौर पर वे कार्य हैं जैसे मरीजों, रोगियों और बेकारों की सहायता का प्रबन्ध, सामाजिक बीमा, जिसमें कि आरोग्य और बेकारों का बीमा शामिल है, और वृद्धावस्था की पेंशनें, जो वर्तमान काल में सभी मध्य सरकारों के आवश्यक कार्य समझे जाते हैं। सत्तार के उन्नतिशील देशों में आजकल ऐसी बड़ी बड़ी और जँधी योजनाएँ बनाई जा रही हैं, जिनका लक्ष्य जनता से अभाव और भय को एक दम हटा देना है। इन सब बातों के अतिरिक्त आजकल की सरकारें अजायबघर, सार्वजनिक उद्यान, पुस्तकालय, शिक्षा, चिकित्सा और मकानों का भी प्रबन्ध करती हैं और इनको अपना कर्तव्य समझती हैं।

सकुचित दृष्टि से इन कार्यों से कोई आर्थिक लाभ नहीं होता, परन्तु विस्तृत दृष्टि से वे कार्य अति लाभदायक समझे जाते हैं। इनसे राष्ट्र के प्राकृतिक और मानवीय साधनों का उत्थान होता है।

(iv) **आर्थिक और वाणिज्यिक कृत्य (Economic and Commercial Functions)**—अर्थशास्त्र में हमारा ऐसे कामों से ही अधिक सम्बन्ध है। म सरकार के सभी व्यापारिक और औद्योगिक कार्यों से सम्बन्धित हैं। इनमें "व्यापार को सुविधाएँ देना, उत्साहित करना और उस पर नियन्त्रण करना" शामिल है।¹

अब हमें यह देखना चाहिए कि राज्य का हस्तक्षेप कब उचित है, और वह किस रूप में सामने आना चाहिए।

४ राज्य द्वारा हस्तक्षेप (Sphere of State Intervention)—आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप निम्नलिखित दशाओं में उचित है¹ :—

(i) जब व्यापार एकाधिकार-प्रकृति का हो (When the Business is of Monopolistic Nature)—एकाधिकार के होने पर उपभोक्ताओं के एकाधिकारी द्वारा शोषण किए जाने की सम्भावना और भी बढ़ जाती है। उस समय राज्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह एकाधिकारी शक्ति के दुरुपयोग को रोके और शोषण को बन्द करे। ऐसे समय में शासन के लिए एकाधिकारी के कार्य पर नियन्त्रण करना आवश्यक हो सकता है, यहाँ तक कि सामान को एकाधिकार वस्तु की कीमत को भी निर्दिष्ट कर देना चाहिए।

(ii) जब निजी उद्यम का कोई आकर्षण नहीं होगा (When Private Enterprise would not be Attracted)—यह अधिकतर उस समय होता है, जब कि विनियोजन पर लाभ की कोई आशा नहीं होती, जैसे स्कूल, अस्पताल और मठके। इस प्रकार के उद्योगों से अधिक लाभांश नहीं मिल सकता, इसलिए उनको चलाने के लिए समाज की मिलकर काम करना पड़ता है। सरकार को उस अवस्था में भी दखल देना चाहिए, जब व्यक्तिगत उद्योग आने न बढ़ता हो, क्योंकि उसको पतनमान पीढी में लाभ नजर नहीं आता। उदाहरणार्थ, जंगलों के लगाने की योजनाएँ, भूमि बंटाव बन्द करने की योजनाएँ आदि।

(iii) जबकि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तिवर्गों की रक्षा की आवश्यकता हो (Where the Economically Weak Require Protection)—कारखानों के मजदूर बहुत ही शोचनीय दशा में हैं और उनकी शक्तिशाली मंचालकों से अधिक रक्षा करने ही होगी। ऐसी दशा खासतौर पर पसीने की कमाई या पसीने के धंधों में पाई जाती है।

(iv) सामाजिक एकाधिकार या सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाएँ (Social Monopolies or Public Utility Services)—माधारणतः रेलवे, डाक तथा तार, जल, विद्युत् या गैस वितरण आदि लोकप्रयोगी कार्यों की सूची में आते हैं। ऐसी अवस्थाओं में यह स्पष्ट है कि प्रतियोगी मस्बाओं का सेवाओं की पूर्ति करना अमितव्ययी तथा अवाञ्छनीय है। लगातार और सस्ती सेवाओं के बनाए रखने के लिए ऐसी सेवाओं पर नगरपालिका या शासन का नियन्त्रण होना आवश्यक है। इसलिए यह शासन के हस्तक्षेप करने का उचित क्षेत्र है।

(v) जहाँ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जरूरत हो (Where the Consumers' Interests need Protection)—साधारण उपभोक्ता से किसी वस्तु की क्वालिटी या शुद्धता के बारे में ठीक निर्णय पर पहुँचने की आशा नहीं की जा सकती। इस प्रकार वह इस स्थिति में नहीं होता कि अपने हितों की रक्षा कर सके। सरकार को उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

(vi) जहाँ कि राज्य प्रबन्ध और नियन्त्रण के लिए राजनीतिक या सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से आज्ञा दी जाती है (Where State Management

and Control are Dictated by Political or Social as well as Economic Considerations) — इसके उदाहरण स्पष्ट हैं : मुद्राचलन की पूर्ति तथा अस्त्र-शस्त्रों का उत्पादन । अब यह माना जाता है कि कागजी मुद्रा का निजी मस्याओं द्वारा निकाला जाना सम्पूर्ण समाज के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है । आर्थिक यन्त्र को अव्यवस्थित न होने देने के लिए मुद्रा-चलन का राज्य द्वारा नियन्त्रण और नियमन बहुत ही आवश्यक है । इसी प्रकार शस्त्रों का निर्माण और विक्रय निजी उद्यम को नहीं सौंपा जा सकता, क्योंकि उस दशा में शान्ति भंग होने का भय रहेगा ।

५ व्यवसाय में राज्य-हस्तक्षेप (State Intervention in Business) — अब हमें यह देखना चाहिए कि राज्य की गतिविधि किस प्रकार से देश में व्यापार और व्यवसाय को सहायता पहुँचाती है । विस्तृत रूप में हम व्यापार और व्यवसाय को सहायता पहुँचाने वाले राज्य कार्यों को निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं—

(1) व्यापार को सुविधाएँ देना (Facilitating Business) — सरकार व्यापारियों को अनेक प्रकार की सुविधाएँ देती है, जिनके बगैर उनको लगभग अपना काम चलाना मुश्किल हो जाए । उनमें से खास यह हैं—मुद्रा-चलन की व्यवस्था करना, मचार और परिवहन के साधनों की व्यवस्था करना, नाव और तौल, मापों और बाटों को निर्धारित करना, व्यापारिक बानूना का बनाना आदि । इस तरह की सब सुविधाओं के कारण व्यापार और व्यवसाय का चलना आसान हो जाता है ।

(ii) व्यवसाय को प्रोत्साहन देना (Encouraging Business) — आधुनिक समय में ऊपर बतलायी हुई सुविधाएँ मुश्किल से पर्याप्त समझी जाती हैं । राज्य के इस प्रकार के उपेक्षित व्यवहार से देश की उतनी मात्रा में उन्नति होने की आशा नहीं की जा सकती जितनी कि वह कर सकता है । इसलिए ऐसा अनुभव किया जाता है कि सरकार को अवश्य ही देश में औद्योगिक और आर्थिक कार्यों को बौद्धना से प्रोत्साहन देना चाहिए । वह प्रोत्साहन अनेक रूपों में दिया जा सकता है । एक उचित राजकोपीय नीति देश को बहुत कुछ व्यावसायिक दृष्टि से समृद्धिराली बना सकती है । घरेलू व्यवसाय विदेशी प्रतियोगिता से आयात-कर लगाकर रक्षित किए जा सकते हैं या विदेशी आयात, कोटा प्रणाली द्वारा, जिससे विदेशी प्रतियोगिता सीमित हो, नियमित किया जा सकता है । किसी उद्योग को सरकारी सहायता या आर्थिक सहायता देकर सरकार उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन दे सकती है । द्विमुखी या बहुमुखी व्यापार-सम्बन्धी करार देश के वाणिज्य के हितों के लिए किए जा सकते हैं ।

(iii) व्यापार का नियमन (Regulating Business) — देश में व्यापारिक क्रियाशीलता का नियमन करने के लिए और उद्यमी की आवश्यक और असामाजिक प्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप और भी आवश्यक है । भूतकाल में अनियमित और अनियन्त्रित प्रतियोगिता से ऐसी सामाजिक बुराईयाँ पैदा हुईं, जो सामाजिक चेतना पर गहरा आघात करने के लिए पर्याप्त थीं । औद्योगिक क्रान्ति की आदि अवस्था में कारखानों के मालिकों के लालच और स्वार्थ-साधन के परिणाम-स्वरूप श्रमजीवियों पर बहुत प्रत्याचार हुआ । व्यवित्तों की आर्थिक क्रियाओं पर

राज्य-नियमन रखने की आवश्यकता को देख राजनीतिज्ञ जैसे जाग उठे। कारखानों के लिए नियम बनाए गए। कानून में रेलों और जहाजों के मजदूरों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था है। दुर्घटना होने पर मुआवजा दिया जाता है और सभी उन्नत देशों में सामाजिक बीमा की योजनाएँ कार्य कर रही हैं। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई है। लोकोपयोगी सेवाओं का दृढ़ता से नियमन करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की गई है।

(iv) नियन्त्रण (Control)—कूछ राज्या को केवल व्यापार को सुविधाएँ देने से, प्रोत्साहन देने से और उनके नियमन करने में ही सन्तोष नहीं होता। वे भाग बढ़ते हैं और देशवासियों के आर्थिक जीवन पर एक नियन्त्रण रखने लगते हैं। शान्ति के समय इटली और जर्मनी जैसे फासिस्ट देशों में राज्य नियन्त्रण एक दूर सीमा तक पहुँच गया था। उस समय वहाँ पर उत्पादन और उपभोग, दोनों पर कठोर नियन्त्रण था। जन-साधारण अब आर्थिक नियन्त्रणों की कार्य प्रणाली से भली-भाँति परिचित हो गए हैं। यद्यपि युद्ध का अन्त हो गया है तथापि नियन्त्रणों का अस्तित्व जारी है। विनिमय पर नियन्त्रण है आयात और निर्यात पर नियन्त्रण है, कीमतों तथा पूँजी व धन पर नियन्त्रण है आदि। जब राष्ट्र सबूट-वाल से निकल रहा हो या जब राज्य नियोजित विकास कार्य में लगा हो तो ऐसे नियन्त्रण आवश्यक हो जाते हैं।

(v) राज्य स्वामित्व (State Ownership)—हस्तक्षेप का अधिकतम उद्यम रूप, जो कि राज्य धारण करता है, वह है उद्योग के निजी स्वामित्व का अन्त करना। इंग्लैंड के बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। भारत में रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी राष्ट्रीयकरण हो चुका है। कुछ स्थितियों में ऐसा समझा जाता है कि राष्ट्र के सम्पूर्ण हितों की सब से अच्छी रक्षा उस समय हो सकती है, जब निजी व्यवसाय को हटा दिया जाए। समाज लाभ को कुछ आर्थिक कार्यों से इस प्रकार लाना चाहता है कि वह व्यक्ति विनाश को घनी न बनाकर इस प्रकार से वितरित किया जाए कि उससे साधारण समाज का हित हो। आजकल समूहवाद या राष्ट्रीयकरण की ओर तीव्र झुकाव है। निजी उद्यम के क्लि के मध्य में ही निरंकुश पूँजीवाद का इमारत टुकड़ टुकड़ होकर गिरती हुई दिखालाई देती है।

निर्देश पुस्तकें

- Hanley Government Control of Economic Life
 Chase, S Government in Business
 Dalton, H Public Finance
 Pigon, A C Public Control of Industry
 Findlay Shurtas Public Finance

अध्याय ४४
सार्वजनिक वित्त
(Public Finance)

१. सार्वजनिक वित्त तथा उसका महत्त्व (Public Finance and its Importance)—“द्रव्य से ही गाड़ी चलती है”, यह बहुत साधारण कहावत है। प्रत्येक व्यक्ति उन सब कार्यों में, जिन्हें वह करता है, द्रव्य की आवश्यकता को अनुभव करता है। यदि व्यक्ति के लिए द्रव्य का महत्त्व बड़ा है तो सरकार के लिए द्रव्य का महत्त्व तो और भी अधिक है। विद्यने अध्याय में हम उन अनेक कार्यों का अध्ययन कर चुके हैं, जिन के बारे में हम आशा करते हैं कि आधुनिक सरकार को उन्हें करना चाहिए। यह स्पष्ट है कि इन कार्यों को सम्पन्न करने के लिए द्रव्य की आवश्यकता है। किसी भी राष्ट्र की शक्ति का सूचक उसका आय-व्ययक (budget) होता है। राष्ट्र के कार्यों की सीमा तथा उसकी कार्यक्षमता मुख्यतः उसके कोष की शक्ति पर निर्भर करती है।

एक अर्थशास्त्री के लिए, जो मुख्यतः मानव-कल्याण की उन्नति का अध्ययन करता है, वास्तव में सार्वजनिक वित्त के अध्ययन का महत्त्व बहुत बड़ा है।

सार्वजनिक वित्त के विज्ञान का सही अर्थ हम क्या समझते हैं तथा इसका क्षेत्र और विषय क्या है? इसके अन्तर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि सरकारें राजस्व कैसे प्राप्त करती हैं और वह उसको किस प्रकार खर्च करती हैं? आर्मिटेज स्मिथ (Armitage Smith) के शब्दों में, “राजकीय व्यय और राजकीय आय के स्वभाव व सिद्धान्तों की जाँच को सार्वजनिक वित्त कहा जाता है।”¹

किन्तु सार्वजनिक वित्त का विज्ञान, जैसे कि आजकल समझा जाता है, केवल राजकीय व्यय व राजकीय आय से ही सम्बन्धित नहीं है। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। इस में आर्थिक प्रशासन भी सम्मिलित है।

बेस्टेबल (Bastable) के शब्दों में, “सार्वजनिक वित्त राष्ट्र के राजकीय अधिकारियों के आय-व्यय, उनके पारस्परिक सम्पर्क तथा आर्थिक प्रशासन व नियंत्रण में सम्बन्ध रखता है।”

अस्तु, व्यापक दृष्टि से राजकीय वित्त-व्यवस्था या वित्त विज्ञान के अध्ययन को निम्नलिखित मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है—

- (क) सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण तथा उसके सिद्धान्त,
- (ख) सार्वजनिक राजस्व प्राप्त करने की प्रणालियाँ तथा कर लगाने के सिद्धान्त,

1 Armitage Smith Principles and Methods of Taxation, 1935, p 14

(ग) वित्तीय प्रशासन—जिसमें आय-व्ययक का प्रस्तुत करना, उसकी स्वीकृति, जंच आदि शामिल हैं, और

(घ) लोक ऋण—लोक ऋण लेने के साधनों व सिद्धान्तों का अध्ययन,

२ सार्वजनिक एवं निजी वित्त का अन्तर (Distinction between Public Finance and Private Finance)¹—सार्वजनिक वित्त का अध्ययन करने के पूर्व इसका अध्ययन कर लेना उचित होगा कि सरकारी वित्त एवं वैयक्तिक वित्त में क्या अन्तर है। इसमें हमको यह समझने में आसानी होगी कि सरकार की तथा व्यक्ति की सार्वजनिक वित्त के सम्बन्ध में क्या नीति है और क्या उद्देश्य है।

(1) आय व्यय का समायोजन (Adjustment of Income and Expenditure)—यह एक प्रसिद्ध कहावत है कि 'उतना पैर पसारिय जितनी चादर होय'। लोगों को प्रायः यही उपदेश दिया जाता है, किन्तु सरकार पहले चादर की लम्बाई चौड़ाई निश्चित करती है और उसके बाद उसके लिए आवश्यक कपड़े का प्रबंध करती है। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति को अपनी आय की सीमा के अन्दर रहना अर्थात् आय के अनुसार व्यय करना आवश्यक होता है। किन्तु सरकार पहले व्यय का अनुमान लगानी है उसके पश्चात् उतना धन प्राप्त करने के उपाय एवं मार्ग निकालती है।

(ii) समय की अवधि (Period of Time)—लोक अधिकारियों के लिए, आय व्ययक के लिए समय की अवधि एक वर्ष होती है। परन्तु व्यक्ति उस एक वर्ष की अवधि को कोई विशेष महत्त्व नहीं देता। उसे किसी निश्चित तागैल को या निश्चित अवधि के अन्दर अपना आय-व्ययक मन्तुवित करने की आवश्यकता नहीं होती।

(iii) व्यक्ति कोई आन्तरिक ऋण नहीं ले सकता (No Internal Borrowing for an Individual)—सरकार तथा व्यक्ति के अपने भाषना में भी अन्तर होता है। जब कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार देश व विदेशों से ऋण ले सकती है अर्थात् वह आन्तरिक या बाह्य ऋण ले सकती है, लेकिन व्यक्ति केवल बाह्य ऋण ही ले सकता है आन्तरिक नहीं।

(iv) सरकार के लिए मुद्रा प्रसार—एक विशेष सुविधा (Inflation, a Peculiar Privilege of the Government)—सरकार के लिए आय का एक दूसरा स्रोत भी जुला रहता है। वह मुद्रण-यंत्र का आश्रय ले सकती है। युद्ध में लिम्ब, सन्धी, सरकारों के, कर्म व्य, अधिक, युद्ध के अन्ति, व्यय की, पूर्ति के लिए नोट छापे। सन् १९१४-१९१८ के युद्ध में अपनी ने तो नोटों के अत्यधिक प्रसार से अपने को नष्ट ही कर लिया। जब सरकारें यह अनुभव करती हैं कि राष्ट्र की कर लगाने की सामर्थ्य पर अधिक भार हो गया है और जनता का विश्वास समाप्त हो रहा है तब वे इस 'मुप्त-शक्ति' का प्रयोग कर सकती हैं और इस जादू के डंडे को चलाकर अपना बना सकती हैं। व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता।

¹ For a fuller discussion see Findlay Shirras Principles of Public Finance, 1936, Vol 1, Ch IV

(v) सीमान्त उपयोगिताओं का समीकरण (Equalising Marginal Utilities)—हम यह देख चुके हैं कि सम-सीमान्त उपयोगिता के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यय को ऐसा व्यवस्थित करना चाहता है कि वह व्यय की गई मुद्रा की प्रत्येक इकाई से वही सीमान्त उपयोगिता पाता रहे। इस उद्देश्य से वह सतर्कतापूर्वक विभिन्न वस्तुओं के खरीदने की उपयोगिताओं पर विचार कर लेता है। किन्तु जब सरकार धन को व्यय करती है तो उसके लिए इस प्रकार सतर्कतापूर्वक विचार करना सम्भव नहीं है, क्योंकि उपयोगिता निराकार है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि सार्वजनिक व्यय अविवेकपूर्ण होता है।

(vi) सार्वजनिक वित्त में सेव-विचार कर भारी परिवर्तन करना आसान है (Deliberate and Big Changes in Public Finance are Easier)—किसी व्यक्ति के लिए आय अथवा व्यय में बड़ा परिवर्तन लाना आसान नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय को बढ़ाना या दुगुना करना चाहता है। लेकिन ऐसा कितने लोग कर सकते हैं? इसी प्रकार व्यक्ति रहन सहन के एक निश्चित स्तर का आदी हो जाता है जिसमें आसानी से परिवर्तन व समायोजन नहीं हो पाता। लेकिन सरकार सार्वजनिक आय व व्यय की योजना में अच्छी तरह बड़े व मौलिक परिवर्तन कर सकने में समर्थ है। यदि एक समाजवादी दल के हाथ में सत्ता आ जाए तो वह निश्चित ही सार्वजनिक आय और व्यय दोनों में प्रान्तिकारी परिवर्तन कर सकता है। निजी वित्त प्रबन्ध में इस लोच का अभाव है।

(vii) भविष्य के लिए व्यवस्था (Provision for the Future)—भविष्य के लिए व्यवस्था करने में सरकार बहुत अधिक उदार और दूरदर्शी होती है। जगलात सम्बन्धी, निर्माण कार्य व सामाजिक सुरक्षा आदि से सम्बन्धित योजनाओं पर सरकार भारी रकम खर्च करती है, जिनके बदले में उसको कुछ धन का लाभ नहीं होता यदि होता भी है तो पीड़िया बाद। इसके विपरीत व्यक्ति शीघ्र लाभ प्राप्त करने को उरसुक रहता है। मानव-जीवन इतना अनिश्चित होता है कि कुछ व्यक्ति भविष्य की विशेष चिन्ता नहीं करते। परन्तु समाज व्यक्तिता के आवागमन के बाद भी जीवित रहता है। वह हमेशा स्थायी रहता है। इसलिए राज्य भविष्य के लिए ठोस व्यवस्था करने को बाध्य होते हैं।

(viii) अधिशेष का आय-व्ययक व्यक्ति के लिए एक गुण है परन्तु राज्य के लिए नहीं (Surplus Budgeting is a Virtue for an Individual but not for the State)—मितव्ययी व्यक्ति को अपनी आय से कम व्यय करना ही चाहिए। उसका अधिशेष आय-व्ययक होना चाहिए। व्यक्ति के लिए यह स्वाभाविक है, किन्तु राज्य के लिए नहीं। घाटे के बजट निःसन्देह बुरे हैं और अस्थिर वित्त-व्यवस्था का संकेत करते हैं। परन्तु कुछ भी हो, अधिशेष का आय व्ययक होना वास्तव में कोई गुण नहीं है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि करो का स्तर अनावश्यक रूप से ऊँचा रखा गया है और राजकीय व्यय अनुचित रूप से कम रखा गया है। बल्त्याण सम्बन्धी या राष्ट्रनिर्माण-सम्बन्धी जैसे कुछ विभागों को पोषण रहित रहना पड़ सकता है। सर्वे अधिशेष के आय व्ययक को ही रखना अच्छी वित्त-

व्यवस्था नहीं है। यदि प्रतिवर्ष बड़ी तादाद में आधिक्य आय हो तो कर-दाताओं को कुछ छूट देना या सामाजिक व्यय के स्तर में वृद्धि करना अधिक उत्तम होगा।

(ix) व्यक्तिगत वित्त-प्रबन्ध रहस्य में छिपा है (Individual Finance is Shrouded in Mystery)—व्यक्तिगत वित्त प्रबन्ध गुप्त होता है। प्रत्येक धनवान व्यक्ति दूसरों की बुरी नज़र बचाता है। व्यक्तिगत साख इस बात पर आश्रित नहीं होती कि उसके पास कितना धन है वरन् वह साख इस पर निर्भर रहती है कि उसे कितना धनवान माना जाता है। वह लोगों को अनुमानों में भटकने देता है। वह अपनी आर्थिक स्थिति के विषय में लोगों के सामने अस्पष्ट तथा बड़ा हुआ चित्र रखने का प्रयत्न करता है। किन्तु इसके विपरीत सार्वजनिक वित्त का सार प्रचार है। आय-व्ययक प्रकाशित होते हैं और इनका अधिकतम प्रचार किया जाता है। प्रचार सावजनिक साख को कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाता है।

यही वे तथ्य हैं जिनके द्वारा सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत वित्त-प्रबन्ध के बीच का अन्तर जाना जाता है और जो व्यक्तिगत वित्त प्रबन्ध से राजकीय वित्त-प्रबन्ध को भिन्न रखते हैं।

ii सावजनिक व्यय (Public Expenditure)—सार्वजनिक वित्त के सार्वजनिक आय व सावजनिक व्यय नामक जो दो अंग हैं, उनमें से पहले हम सार्वजनिक व्यय का अध्ययन करेंगे। १९वीं शताब्दी में सार्वजनिक वित्त के लेखकों द्वारा सावजनिक वित्त के इस विभाग पर कम ध्यान दिया गया। केवल सार्वजनिक आय पर ही अधिकाधिक ध्यान दिया गया। वर्तमान शताब्दी में ही यह अनुभव किया गया कि सार्वजनिक व्यय जनहित में उससे अधिक महत्वपूर्ण है। संभवतः, पहले सार्वजनिक व्यय की उपेक्षा किए जाने का मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि उस समय सार्वजनिक व्यय की रकम बहुत थोड़ी थी, क्योंकि सरकारी कार्य के क्षेत्र सीमित थे। किन्तु अब सरकारी कार्य के क्षेत्र बहुत बड़ गए हैं।

(i) क्षेत्र व जनसंख्या में वृद्धि (Increase in Area and Population)—सर्वप्रथम सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का कारण यह है कि राष्ट्रों की सीमा में व्यापक प्रसार हो गया है। 'अराजक क्षेत्रों' में भी संगठित शासन होने लगा है। साथ-साथ जहाँ क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई, वहाँ जनसंख्या काफी मात्रा में बढ़ गई है। इसलिए सरकारों को उन जगहों के करांडा अनिश्चित लोगों की आवश्यकताओं का प्रबन्ध करना पड़ता है जो कि विस्तृत क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

(ii) उच्च कीमत स्तर (The High Price Level)—सार्वजनिक व्यय में अधिकाधिक बढ़ते जान का दूसरा कारण उच्चतर कीमत स्तर है। जिन्होंने भारत के पुराने 'ग्रच्छे दिन' देखे हूँ या उनके विषय में सुना है, उनका कथन है कि एक समय वह था, जब घी रुपये का चार सेर बिकता था, जबकि आज उसका भाव रुपये में चार छटाँक भी नहीं है। अन्य वस्तुओं की कीमतों में भी इसी प्रकार वृद्धि हुई है। अतः व्यक्ति के समान सरकारों को भी इन वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए अधिक धन का प्रबन्ध करना पड़ा।

(iii) राष्ट्रीय धन व रहन-सहन के उच्चतर स्तर में वृद्धि (Increase in

National Wealth and the Higher Standard of Living) — हर देश में कृषि, व्यापार व उद्योग में निरन्तर विकास हुआ है, यद्यपि भारत जैसे कुछ देशों में इसकी गति दुःखद रूप से धीमी रही है। प्रति व्यक्ति की आय में काफी वृद्धि हुई है और उसके फलस्वरूप जीवन-स्तर में सुधार हुआ है। साथ-साथ सार्वजनिक राजस्व (public revenue) तथा सार्वजनिक व्यय (public expenditure) में भी विकास हुआ है।

(iv) युद्ध व युद्ध निवारण (War and Prevention of War) — हम हानि उठाकर यह जान चुके हैं कि आधुनिक युद्ध कितना खर्चीला है। गत युद्ध में इंग्लैंड १५० लाख पौंड दैनिक खर्च कर रहा था। आज, जब कि युद्ध चल भी नहीं रहा है, तब भी उसकी तैयारी या उसे रोकने के उपायों पर भारी रकम खर्च की जा रही है। सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कारणों में से युद्ध मुख्य रहा है।

(v) दोषपूर्ण वित्त व्यवस्था व नागरिक प्रशासन (Defective Financial and Civil Administration) — नागरिक प्रशासन के कारण सार्वजनिक व्यय में कोई कम वृद्धि नहीं हुई। सरकारी मस्यामों का दोहराव तथा उनका अनावश्यक गुणवत्ता हो जाना साधारण बात है। साधनों एवं कार्यों के दोषपूर्ण निर्धारण से भी अधिक व्यय होता है। सार्वजनिक व्यय पर ढीला नियन्त्रण होने से भी व्यय के अकामनावश्यक रूप में ऊँचे हो जाते हैं।

(vi) प्रजातन्त्र का भार (Incidence of Democracy) — प्रजातन्त्र राज्य में कई राजनीतिक दल होते हैं और उनमें से प्रत्येक जनता का समर्थन प्राप्त करने को उत्सुक रहता है। इन दलों के समर्थक सार्वजनिक निधि से लाभ व सुविधाओं के लिए निरन्तर जोर देने रहते हैं। देश के हर कोने तथा हर वर्ग की ओर से अधिकाधिक सुविधा, शिक्षा, चिकित्सा सहायता, सड़क आदि के लिए आवाज उठाई जाती है। मन्त्रियों से जनता के लिए जिन्हे जिन म कालेज आदि खोलने की माँग की जाती है। अस्तु प्रजातन्त्री शक्तियों के द्वारा सरकारों पर कार्यों का बोझ बढ़ता जाता है। “सार्वजनिक कार्यों में वृद्धि” के वैंगनर के सिद्धान्त के अनुसार सार्वजनिक कार्यों में गहन व विस्तृत दोनों रूपों में वृद्धि हुई है। पुराने कार्यों को और अच्छे ढंग से सम्पादित किया जा रहा है तथा अनेक नए कार्य हाथ में लिये जा रहे हैं।

४ सार्वजनिक व्यय के सिद्धान्त (Principles of Public Expenditure) — जित्त प्रकार कर लगाने के सुविधित नियम हैं, ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसे नियमों को बना लेना सम्भव है जिनके अनुरूप मितव्ययी सार्वजनिक व्यय हो। ये निम्नलिखित हैं—

(1) अधिकतम सामाजिक हित (The Maximum Social Benefit) — सार्वजनिक व्यय के लिए “अधिकतम सामाजिक हित” के मूल आधार की पूर्ति करना आवश्यक है। सरकार द्वारा खर्च किए गए हर रुपए का उद्देश्य समाज को अधिकतम हित पहुँचाना होना चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि सार्वजनिक निधि का प्रयोग समाज के किसी गुट या विशेष वर्ग के हित में न हो। हमारा ध्येय

समाज का सामान्य कल्याण होना चाहिए। सरकार जनता की भलाई के लिए होती है। इसलिए पूरे समाज के हित में सार्वजनिक व्यय होना न्यायपूर्ण है।

(ii) मितव्ययिता (Economy)—यद्यपि सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना है तथापि इससे सरकार के अपने व्यय में अधिकतम मितव्ययिता करने में रुकावट नहीं आती। मितव्ययिता का अर्थ कृपारता नहीं है। इसका अर्थ केवल अप्रत्यय और क्षय को रोकना है। सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परन्तु यह हानिकारक भी हो सकता है।

किफायत करने के लिए यह जरूरी है कि अधिकारी दोहरे खर्च से बचने का पूरा-पूरा यत्न करें। सार्वजनिक व्यय का बचत पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यदि सरकारी कार्यविधि व्यक्ति की बचत करने की इच्छा या शक्ति को नष्ट कर देती है तो यह मितव्ययिता नियम के विपरीत होगी।

(iii) स्वीकृति नियम (The Canon of Sanction)—सार्वजनिक व्यय का एक अन्य मुख्य सिद्धान्त यह है कि वास्तविक रूप में इस व्यय को करने के पूर्व इसकी ठीक अधिकारी द्वारा स्वीकृति ले ली जाए। अस्वीकृत खर्च करने से अप्रत्यय व अतिव्यय होगा। इसका अर्थ यह भी है कि किसी भी रकम को उसी उद्देश्य पर खर्च किया जाना चाहिए जिसके लिए यह स्वीकृत हुई हो। स्वीकृति नियम से सम्बन्धित एक दूसरा नियम लेखा परोक्षण का है। सार्वजनिक व्यय के लिए उसकी पूर्व स्वीकृति ही अनिवार्य नहीं है बल्कि व्यय के बाद उसकी परोक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। मनी सार्वजनिक खातों के शिपय में प्रतिवर्ष इस बात की जांच होनी चाहिए कि रकमों को अनुचित ढंग से तो खर्च नहीं किया गया।

(iv) आधिक्चन नियम (The Canon of Surplus)—व्ययितक वित्त व्यवस्था के समान ही सार्वजनिक वित्त की यह सुदृढ़ प्रणाली है कि बजट को सन्तुलित रखने व आम-व्यय में सामञ्जस्य लाने का प्रयास करते रहना चाहिए। प्रतिवर्ष बड़े परिमाण में आधिक्य प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। ऐसा भी शायद व्ययक अच्छा नहीं होगा। परन्तु निरन्तर घाटे में बचने की जरूरत है। यदि किसी देश को अपनी अर्थ-साधन रखनी है और स्वायत्तत्व को नष्ट नहीं होने देना है, तो उसको अपने आय-व्ययक में उचित मन्तुलन रखना ही चाहिए।

(v) लोच नियम (The Canon of Elasticity)—सार्वजनिक व्यय का एक और सिद्धान्त यह भी है कि इसको उचित रूप में लोचदार होना चाहिए। सार्वजनिक अधिकारियों के लिए आवश्यकता व परिस्थितियों के अनुसार व्यय में भिन्नता लाना सम्भव होना चाहिए। व्यय का कठोर स्तर आपत्तिकाल में कष्टदायक हो सकता है। व्यय के स्तर में वृद्धि कर देना आसान है। किन्तु लचीलेपन की आवश्यकता व्यय को घटाने की दिशा में सबसे अधिक होती है। मितव्ययिता की कुल्हाड़ी का प्रयोग करना वेदनाप्रद तरीका है। व्यापक स्तर में छुट्टी से गम्भीर सामाजिक अग्रन्तोप उत्पन्न होता है। इसलिए यदि सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना है तो उसे धीरे-धीरे बढ़ाना बहुत आवश्यक है। छोटे मत्प के लिए यदि संपृद्धि प्राप्त जाए तो उसके साथ ही दीर्घकालीन व्यय निर्धारण न करना चाहिए। आगम में जब गिरावट आ

रही हो तब यदि आर्थिक आपात से बचना है तो सार्वजनिक व्यय का उचित मात्रा में लचीला होना अत्यन्त आवश्यक है।

(vi) उत्पादन व वितरण पर बुरा प्रभाव न हो (No Adverse Influence on Production or Distribution)—इस पर भी ध्यान रखना आवश्यक है कि धन के उत्पादन व वितरण पर सार्वजनिक व्यय का अच्छा प्रभाव बना रहे। उसे उत्पादन सम्बन्धी कार्य को इतना पोसाहन देना चाहिए कि देश का उत्पादन स्तर बढ जाए और इससे जनता के जीवन के स्तर को ऊँचा करना भी सम्भव हो सके। लेकिन इस उद्देश्य की पूर्ति केवल तभी सम्भव है, जब कि धन का समान वितरण हो। यदि नव-उत्पादित धन केवल उनके ही पाम जाता है जिनके पाम पहले से ही धन है तो इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य धन के वितरण की अमानता को कम करना होना चाहिए।

५ राजनीय व्यय का वर्गीकरण (Classification of Public Expenditure)¹—ऐसे कई आधार हैं जिन पर राजकीय व्यय का वर्गीकरण हो सकता है। हम आगे कुछ प्रसिद्ध वर्गीकरण दे रहे हैं—

सार्वजनिक अधिकारियों के प्रादेशिक कार्यों के आधार पर हम एक वर्गीकरण कर सकते हैं। इस आधार पर सार्वजनिक व्यय के निम्नलिखित वर्ग किए जा सकते हैं—

(i) केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित केन्द्रीय या राष्ट्रीय व्यय (Central or National Expenditure)—जैसे भारत सरकार का व्यय।

(ii) स्थानीय व्यय (Local Expenditure)—स्थानीय सस्थाओं, जैसे कारपोरेशन नगरपालिकाएँ तथा जिला बोर्ड समितियों के व्यय और

(iii) अर्द्धराष्ट्रीय व्यय (Semi national Expenditure)—इस वर्ग में भारत तथा अमरीका की राज्य सरकारों का व्यय आता है।

एडम्स (Adams) ने सार्वजनिक व्यय को इस प्रकार विभाजित किया है—

(i) सुरक्षण व्यय (Protective Expenditure)—जैसे सेना, पुलिस आदि पर होने वाला व्यय।

(ii) व्यावसायिक व्यय (Commercial Expenditure)—व्यवसाय के नियन्त्रण, नियमन, प्रासाहन तथा सुविधा आदि देने तथा प्रत्यक्ष राज्य द्वारा व्यावसायिक उद्यम पर किया जाने वाला व्यय।

(iii) विकास सम्बन्धी व्यय (Development Expenditure)—शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह निर्माण, विकास कार्य, अन्न सञ्चलन आदि सम्बन्धी व्यय।

६ उत्पादन पर सार्वजनिक व्यय के प्रभाव (Effects of Public Expenditure on Production)—एक दूसरे प्रकार का सार्वजनिक व्यय भी है, जो कुछ लोगों के अनुसार अनुत्पादक है। यह व्यय युद्ध की तैयारी या उसके संचालन में

¹ For a fuller discussion see Findlay Shirras, Principles of Public Finance, 1936, Vol I Ch V.

होता है। यह विश्वास पूर्ण रूप से सही नहीं है। सैनिक व्यय, यदि अधिक न किया जाए, तो वह समाज में व्यवस्थित आर्थिक जीवन बनाकर उत्पादन में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होता है। वस्तुतः ऐसा व्यय आवश्यकता से अधिक होता है और उसके एक बड़े भाग को अनुत्पादक व्यय कहा जा सकता है। साथ ही हम यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि छोटा और सफल युद्ध कुछ आर्थिक सुविधाओं को प्राप्त कराके राष्ट्र का बहुत आर्थिक लाभ कर सकता है। इसी प्रकार आक्रमण को रोक कर सशस्त्र सेना देश को आर्थिक हानि से बचा सकती है। इसलिए सैनिक व्यय को अप्रत्यक्ष या व्यापक रूप में उत्पादक माना जा सकता है।

सावजनिक व्यय का अधिकांश भाग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, उत्पादक ही होता है। प्रत्येक देश में सरकारें व्यापारिक उद्योगों का संचालन करती हैं, जो प्रत्यक्ष रूप में उत्पादक हैं। भारत सरकार ने नहरों और रेलों के रूप में ठोस और उत्पादक सम्पत्ति बना ली है। राज्यों के उद्योग उन्मादन में प्रत्यक्ष योगदान देते हैं। इसी प्रकार भूमि का सुधार करके उसे कृषि योग्य बनाने व जंगल उगाने की योजनाएँ भी प्रत्यक्ष रूप में उत्पादक हैं।

कुछ भी हो, सावजनिक व्यय का बड़ा भाग केवल परोक्ष रूप में उत्पादक होता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित मद्दे पर सावजनिक व्यय के प्रभावों के विषय में विचार किया जा सकता है—

(क) कार्य करने तथा बचत करने की शक्ति,

(ख) कार्य करने और बचत करने की इच्छा, और

(ग) साधनों और स्रोतों को भिन्न-भिन्न जगहों और नियोजनों में लगाना।

कार्य करने व बचत करने की शक्ति (Power to Work and Save)—जहाँ तक इसका सम्बन्ध है, यह ध्यान में रखने की बात है कि आधुनिक सरकारों द्वारा किया जाने वाला सामाजिक दृष्टि से वाञ्छनीय व्यय निःसन्देह समाज की उत्पादन शक्ति का वृद्धांतर है और इसके परिणामस्वरूप बचत करने की शक्ति को भी वृद्धांतर है। इस प्रकार के व्यय में सूचना, संचार व परिवहन के साधनों की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक गवेषणा, मनुष्य, पशु व पौधों के रागों पर नियन्त्रण, सामाजिक बीमा (स्वास्थ्य बीमा, वफारी बीमा, वृद्धावस्था में पेन्शन) आदि सम्बन्धित व्यय सम्मिलित हैं।

कार्य करने व बचत करने की इच्छा (Will to Work and Save)—यह अधिकतर सावजनिक व्यय व उसको संचालित करने वाली नीति पर निर्भर करती है। यदि जनता का सावजनिक व्यय से संबंध में होने वाले लाभ की आशा दिखाई जाए तो इसमें जनता की काम करने व बचत करने की इच्छा नष्ट हो सकती है। सावजनिक व्यय में वृद्धावस्था में पेंशन देना, बेकारी व अस्वस्थता का बीमा और शिक्षा की व्यवस्था करने से जनता में भविष्य के प्रति उदासीनता आ सकती है और वह बचत करने की उपेक्षा उत्पन्न कर सकती है।

साधनों और स्रोतों का भिन्न-भिन्न जगहों व नियोजनों में लगाना—व्यय का उत्पादन पर लाभदायक प्रभाव हो सकता है। सहायता व अनुदानों द्वारा सरकार

अपने साधनों का ऐसी मदों में प्रयोग कर सकती है, जो अब तक उपेक्षित रहे हो। इसी प्रकार वह नए उद्योगों की स्थापना कर सकती है। और पिछड़े हुए क्षेत्रों पर रुपये खर्च करके सरकार देश के कुल उत्पादन को बढ़ा सकती है। वृद्धिमानी से संचालित सार्वजनिक ऋण लेने की नीति से समाज के वर्गों को पूंजी लगाने व वचत करने की प्रेरणा मिल सकती है, जो कि उत्पादन के लिए निश्चित रूप में लाभदायक है। साथ ही सरकार अपने साधनों का ऐसी मदों में प्रयोग कर सकती है, जिसमें राष्ट्रीय धन की पर्याप्त वृद्धि हो सकती है।

अन्ततः, हम इन परिणाम पर पहुँचते हैं कि वृद्धिमानी से होने वाले सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। काम करने व वचत करने की इच्छा बढ़ाकर तथा साधनों और लोगों को भिन्न-भिन्न जगहों व नियोजनों में लगाकर यह परोक्ष रूप में उत्पादन में सहायता करता है। यह राज्य द्वारा चलाए जाने वाले उद्यमों से होने वाले प्रत्यक्ष उत्पादन के अलावा होता है।

७ सार्वजनिक व्यय के वितरण पर प्रभाव (*Effects of Public Expenditure on Distribution*)—समाज में धन के वितरण पर सार्वजनिक व्यय का बहुत अच्छा और बड़ा प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि यह आय की असमानताओं को भी दूर कर सकता है। इस बात को सब मानते हैं कि राज्य-सहायता द्वारा गरीबों को अमीरों से अधिक लाभ पहुँचता है। धनी व्यक्ति अपना संरक्षण स्वयं कर सकता है। वह अपनी शिक्षा तथा चिकित्सादि की व्यवस्था स्वयं कर सकता है। परन्तु एक निर्धन मनुष्य असहाय होता है। अस्तु, सार्वजनिक कार्यों से निर्धन ही अधिक लाभ प्राप्त करता है। सार्वजनिक व्यय इस सीमा तक धनी तथा निर्धन के बीच की खाई को पाटने का प्रयत्न करता है और यही उसका लक्ष्य भी होता है।

कुछ निश्चित व्यय ऐसे हैं जिनसे गरीब का मुख्यतः हित होता है, जैसे गरीबों की सहायता, वृद्धावस्था में पेंशन, बेकारी व अस्वस्थता में सहायता आदि। इन रीतियों से गरीबों को जो लाभ होता है, उसे उनकी आय में शुद्ध योग कहा जा सकता है। जब कि हम यह जानते हैं कि धनियों पर कर लगाकर राजस्व प्राप्त किया जाता है, तब हमें इसी परिणाम पर पहुँचना होगा कि कुछ सीमा तक सार्वजनिक व्यय धन-वितरण की असमानताओं को कम करता है।

किन्तु फिर भी सार्वजनिक व्यय व उसको गंचालित करने वाली नीति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जिस प्रकार आनुपातिक, प्रगतिशील व प्रतिगामी कर होते हैं, ठीक उसी प्रकार सार्वजनिक अनुदान भी आनुपातिक, प्रगतिशील व प्रतिगामी हो सकते हैं। यदि वास्तव में सार्वजनिक व्यय द्वारा धन के वितरण को अधिक न्यायपूर्ण बनाना है तो उसे प्रगतिशील होना ही पड़ेगा। इसे (कर के रूप में भुगतान की क्षमता के अनुरूप ही) प्राप्ति की क्षमता के अनुकूल रहना ही होगा। कर में न्यूनतम त्याग के सिद्धान्त के अनुकूल सार्वजनिक व्यय में अधिकतम लाभ का सिद्धान्त निहित है। सार्वजनिक व्यय को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि उससे पूरे समाज को अधिकतम लाभ हो। यह मार्गदर्शक सिद्धान्त है। इस दृष्टि से हम

यह देखते हैं कि ऋण सम्बन्धी सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय प्रतिगामी होता है क्योंकि इससे धनी लोगों की अधिक आय होती है। वृद्धावस्था में सहायता (पेंशन) तथा सामाजिक बीमा आदि के लाभा का अनुदान प्रगतिशील है। यदि सरकार गरीबों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में सहायता देती है तो वह प्रगतिशील है अन्यथा प्रतिगामी।

हम यहाँ वैयक्तिक आय पर सावजनिक व्यय की प्रतिक्रिया पर भी विचार कर देना चाहिए। यदि सावजनिक अनुदान काय करने व घटत करने की इच्छा को कम करता है तो इससे लाभ पाने वालों की आय में कमी हो सकती है। यदि ऐसा है तो धन के वितरण की असमानताएँ कम नहीं की गईं।

सारान यह है कि आधुनिक युग में सावजनिक व्यय समाज में धन के वितरण में अधिकतर समता लाता है।

सार्वजनिक वित्त (क्रमशः)

(Public Finance—Contd)

सार्वजनिक राजस्व

(Public Revenue)

१ सार्वजनिक राजस्व का वर्गीकरण (Classification of Public Revenue)—पिछले अध्याय में सार्वजनिक व्यय के बारे में चर्चा की गई थी, अब हम सार्वजनिक राजस्व पर विचार करेंगे। पहले इसके वर्गीकरण को लेंगे। सार्वजनिक राजस्व का वर्गीकरण इस प्रकार है। एडम स्मिथ (Adam Smith) ने सार्वजनिक राजस्व को दो भागों में विभक्त किया है—(i) सम्पूर्ण प्रभु (sovereign) की सम्पत्ति से प्राप्त राजस्व, तथा (ii) लोगों की आय और सम्पत्ति से प्राप्त राजस्व। स्पष्टतया यह वर्गीकरण समयानुकूल नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण प्रभु (sovereign) और राज्य (state) के बीच पूर्ण अलगव किया गया है। सम्पूर्ण प्रभु को गिविन लिस्ट की उदार सूची से सन्तुष्ट होना पड़ता है। आधुनिक राज्य अपनी अधिकांश आय करो द्वारा प्राप्त करता है।

एडम्स (Adams) ने सार्वजनिक राजस्व का इस प्रकार वर्गीकरण किया है—

(i) प्रत्यक्ष राजस्व (Direct Revenue)—राज्य की निजी आय अर्थात् सार्वजनिक कार्यों, सार्वजनिक उद्योगों, श्रेष्ठियों, उपहार, ज़मीन और हर्जानों से प्राप्त किया जाता है।

(ii) व्युत्पन्न राजस्व (Derivative Revenue)—यह आय लोगों की आय से प्राप्त की जाती है। इसे आयकर, फीस निर्धारित कर, जुर्माना और दण्डों से प्राप्त किया जाता है।

(iii) प्रत्याशित राजस्व (Anticipatory Revenue)—इसमें भावी आय का अनुमान किया जाता है, जैसे ऋण तथा ट्रेजरी बिलों से प्राप्त आय।

किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि ऋणों से प्राप्त आय सामान्यतः सार्वजनिक राजस्व का अंग नहीं मानी जाती। जैसा कि साधारणतया विदित है, सार्वजनिक राजस्व में राज्य की आय सम्मिलित है, जो राज भूमि-प्रधिकार, उद्योग और करो आदि से प्राप्त हाता है।

हमें स्मरण रखना चाहिए कि वर्गीकरण के प्रयत्न का केवल सैद्धान्तिक महत्त्व होता है, व्यावहारिक महत्त्व बहुत थोड़ा या बिल्कुल नहीं होता। भारत में राजस्व के साधनों का वर्गीकरण केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय में किया गया है। केन्द्रीय राजस्व में आय कर, चुगो, केन्द्रीय आबकारी कर, अफीम, नमक, डाक-तार, रेलवे और कारपोरेशन कर सम्मिलित हैं। राज्य राजस्वों में हैं लगान, जमलान,

रजिस्ट्रेशन, टिकट, आवकारी, आमोद प्रमोद कर, बित्री कर तथा आय कर का भाग सम्मिलित हैं तथा स्थानीय राजस्व में राज्य-पालिकाओं के लिए चुंगी कर, गाड़ियों, व्यापारों, व्यवसायों पर कर, पानी कर, मकान कर, आदि तथा जिला बोर्डों के लिए प्रांतीय दरें और अनुदान सम्मिलित हैं।

२ कर, फीस, दर आदि (Tax, Fees, Rates etc.)—हमने देखा है कि सार्वजनिक राजस्व का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्रोत कर है। किंतु करो द्वारा प्राप्त राजस्व के वृद्धि में रुक होते हैं। उनमें कर, फीस, कीमते, विशेष निर्धारण, दरें आदि सम्मिलित हैं। अब हम इन सब के भेदों पर विचार करेंगे।

कर (Tax)—प्लेहन (Plehn) ने कर की परिभाषा इस प्रकार की है—
कर धन के रूप में दिए गए सामान्य अनिवार्य अशदान है जो राज्य के निवासियों पर सामान्य लाभ पहुँचाने के लिए किए गए व्यय को पूरा करने के लिए, लोगों से लिए जाते हैं।¹ इस परिभाषा से कर का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। कर की विशेषता यह है—(क) कुछ दशाओं के अन्तर्गत यह अनिवार्य आरोपण (levy) है और (ख) यह राज्य के सामान्य प्रयोजनों के लिए लिया जाता है। व्यक्ति यह आशा नहीं कर सकता कि उसके द्वारा दिए गए कर के बदले राज्य को उसकी विशेष सेवा करनी चाहिए।

शुल्क या फीस (Fee)—यह भी अनिवार्य अशदान है, जो उन लोगों द्वारा दी जाती है जो बदले में निश्चित सेवा कराते हैं। फीस की गई सेवा की लागत के एक अंश को सामान्यतः पूरा करने के लिए ली जाती है। यह सेवा की लागत से अधिक नहीं होती।

कीमत (Price)—राज्य द्वारा की गई विशिष्ट सेवाओं के लिए कीमते भी दी जाती हैं। किंतु फीस और कीमत में अन्तर यह है कि फीस में सार्वजनिक हित प्रमुख होते हैं जब कि कीमत व्यापारिक ढंग की सेवा के लिए अदायगी है, जैसे कि राज्य की रेलों द्वारा यात्रा करने की लागत।

विशेष निर्धारित कर (Special Assessment)—प्रोफेसर सेलिगमैन (Prof Seligman) ने विशेष कर निर्धारण की परिभाषा इस प्रकार की है—“यह विशेष लाभ के अनुपात से लिया गया एक अनिवार्य अशदान है जो सार्वजनिक हित के लिए ली गई सम्पत्ति के विशेष सुधार की लागत को चुकाने के लिए लिया जाता है।” कल्पना कीजिए कि सरकार सड़क का निर्माण करती है अथवा नालियों की उचित व्यवस्था करती है तो पड़ोस की सारी सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। सरकार को अधिकार है कि वह इस अनर्जित आय-वृद्धि का एक भाग उपयोग में लाए।

दरें (Rates)—वे स्थानीय अभिप्रायों से नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों द्वारा लगाए जाते हैं। वे सामान्यता निवासियों की अर्जित सम्पत्ति पर लगाए जाते हैं किंतु यह आवश्यक नहीं कि ये किसी विशेष सुधार अथवा लाभ के बढ़ने में लगाए जाते हैं। दरें स्थान-स्थान पर भिन्न होती हैं।

३ करो का वर्गीकरण (Classification of Taxes)—करो का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया गया है। कुछ वर्गीकरण नीचे दिए जा रहे हैं—

(1) कर अनुपाती (proportional), प्रगामी (progressive), प्रतिगामी (regressive) तथा अधोगामी (degressive) हो सकते हैं।

अनुपाती कर (Proportional Tax)—आनुपातिक कर उमे कहते हैं जिसमें आय का चाहे जो भी आकार हो, वही दर अथवा वही प्रतिशत लिया जाता है। यदि सभी कर-दाताओं को अपनी आय का १ प्रतिशत अथवा स्पष्ट म ६ पाई दर के रूप में देना पड़े तो यह आनुपातिक कर कहलाता है। सभी कर-दाताओं से एक ही प्रतिशत दर पर कर लिया जाता है।

प्रगामी कर (Progressive Tax)—इसके विपरीत यदि कर की दर उस आय की वृद्धि के साथ बढ़ती है, जिस पर कर लगाया जाए तो इस कर को प्रगामी कर कहते हैं। प्रगामी कर का सिद्धान्त यह है कि जितनी अधिक आय हो उतनी ही अधिक कर की दर होती है।

प्रतिगामी (या क्रमश घटता हुआ) कर (Regressive Tax)—जब कर का भार अमीरों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पड़ता है, तो उसे प्रतिगामी कर कहते हैं।

अधोगामी कर (Degressive Tax)—उस कर को अधोगामी कर कहते हैं, जो अधिक आय उचित त्याग नहीं करती अथवा जब कर का भार अमीरों पर अपेक्षा-कृत कम होता है। ऐसा उस दशा में होता है जब कर अर्द्ध-प्रगामी होता है अर्थात् जब प्रगतिशीलता की गति काफी ढालू नहीं होती। कोई भी कर एक सीमा तक प्रगतिशील हो सकता है, जिसके आगे वही दर ली जाती है। ऐसी दशा में कम आय की अपेक्षा अधिक आय को, कम त्याग करना पड़ सकता है।

(ii) करो का एक अन्य वर्गीकरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करो (Direct or Indirect Taxes) में किया जा सकता है। प्रत्यक्ष कर में जो व्यक्ति उसे भुगत करता है, वही उसे बरदाश्त भी करता है। किन्तु अप्रत्यक्ष कर का भार अन्य व्यक्तियों पर चला जाता है। यदि मैं आय कर देता हूँ तो मुझे ही उसे बरदाश्त करना पड़ता है। मैं उसे किसी अन्य व्यक्ति के माथे बरदाश्त करने के लिए नहीं भुगत सकता। यह प्रत्यक्ष कर है। किन्तु यदि शक्कर पर कर लगाया जाता है तो शक्कर का व्यापारी जो उस कर को देता है वह उसकी भदायगी दूसरे जेता से करा लेता है। अन्त में यहाँ तक कि उसे शक्कर के उपभोक्ताओं द्वारा बरदाश्त करना पड़ता है। कर एक के ऊपर से दूसरे पर बरदाश्त करने के लिए हट जाता है। इसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं।

(अगले अध्याय में हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करो के गुण दोषों पर विचार करेंगे।)

(iii) विशिष्ट तथा यथामूल्य कर (Specific and 'Ad valorem' Taxes)—विशिष्ट कर वस्तु के भार के अनुसार लगाया जाता है। यथामूल्य कर वस्तु के मूल्य के अनुसार होता है। यदि उसे मोटी और सस्ती वस्तुओं पर लगा दिया जाए तो उसे प्रतिगामी समझा जाता है। किन्तु ऐसे करो का प्रशासन करना आसान होता

है। यथामूल्य करों के प्रशासन के लिए समुचित प्रशासकीय व्यवस्था की आवश्यकता होती है।

४ कर नीति के सिद्धान्त (Canons of Taxation)—अर्थशास्त्र सिद्धान्त के इस अंश के प्रति एडम स्मिथ (Adam Smith) का योगदान अब भी प्रतिष्ठित और मौलिक माना जाता है। उसके निम्नलिखित चार नियम अब भी कर-निर्धारण सिद्धान्तों पर होने वाली बातचीत का आधार ग्रहण करते हैं।

(i) समानता का सिद्धान्त (The Canon of Equality)—“प्रत्येक राज्य की प्रजा को अपनी क्षमतानुसार सरकार के सहयोग के लिए योगदान देना चाहिए अर्थात् उस आमदनी के समानुपात से जो राज्य द्वारा दी गई सुरक्षा के अन्तर्गत उसे प्राप्त होती है।”

इस नीति में समानता या त्याग का सिद्धान्त निहित है। यह कर-निर्धारण का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है। इससे कर-प्रथा की नैतिक नींव पड़ती है। समानता के नियम का यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक कर-दाता को उतना ही कर अदा करना चाहिए। ऐसा अनुचित होगा। न इसका यही अर्थ है कि उन्हें उसी दर से अदा करना चाहिए जिसका अर्थ होता है समानुपातिक कर-निर्धारण। और समानुपातिक-कर भी उचित कर नहीं होता। इस रीति का अर्थ है त्याग की समानता। कर की मात्रा कर-दाता की क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। इसमें साफ-साफ प्रगामी (progressive) कर का संकेत मिलता है।

(ii) निश्चितता का सिद्धान्त (Canon of Certainty)—“वह कर जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अदा करना पड़ता है, निश्चित होना चाहिए, ऐच्छिक नहीं। अदायगी का समय, अदायगी का ढग, अदायगी की मात्रा, अदा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्पष्ट होनी चाहिए। जहाँ ऐसी बात नहीं है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति, जिसे कर अदा करना होता है, कर वसूलकर्ता के अधिकार के अन्तर्गत कम या ज्यादा आ जाता है। वसूलकर्ता या तो कर न देने वाले व्यक्ति के ऊपर यह कर और अधिक बढ़ा सकता है अथवा बढ़ावे वा डर दिखाकर अपने लिए कुछ भेंट या रिश्वत वसूल कर सकता है।”

न केवल कर-दाता के दृष्टिकोण से निश्चितता आवश्यक है वरन् राज्य के दृष्टिकोण से भी उमकी आवश्यकता है। लगाए जाने वाले प्रस्तावित करों का मोटे तौर से सरकार में अनुमान लगाने की क्षमता होनी चाहिए, और उसे उस समय का भी अनुमान लगाने की योग्यता होनी चाहिए जब कि वे आने लगेंगे। तभी सरकार अपने विनीय कार्यक्रम पर चल सकती है।

(iii) सुविधा का सिद्धान्त (The Canon of Convenience)—प्रत्येक कर का ऐसे समय और इस ढग से लगाना चाहिए, जिससे कि कर-दाता को अधिक से अधिक सुविधा का अनुभव हो।

निश्चितता का नियम बताता है कि अदायगी का समय और ढग निश्चित होना चाहिए, किन्तु सुविधा का नियम बताता है कि अदायगी का समय और ढग सुविधाजनक होना चाहिए। यदि भूमि अथवा मकान पर किराया ऐसे समय में लिया

जाता है जब कि किराया अदा किए जाने की आशा है, तो यह सुविधाजनक हो जाता है। यदि कर चेक द्वारा अदा किया जा सकता है तो यह ढग सुविधाजनक है, किन्तु यदि कर अधिकारी को व्यक्तिगत रूप में अदा करना है तो इस मामले में बहुत अधिक अशुविधा और परेशानी होगी।

(iv) मितव्ययिता का सिद्धान्त (The Canon of Economy)—प्रत्येक कर को इस प्रकार लगाना चाहिए कि लोगों की जेबों से जितना लिया जाता है, और जितना सरकार के पास पहुँचता है, इन दोनों में कम से कम अन्तर हो।

मितव्ययिता की रीति का अर्थ बहुत ही स्पष्ट है। वह कर मितव्ययी है जिम पर बमूली की लागत बहुत कम होती है। इससे विपरीत यदि कर बमूली करने वाले अधिकारियों के वेतन में कर से प्राप्त आय का बहुत बड़ा भाग निकल जाता है, तो यह कर निश्चय ही अमितव्ययी होगा। जहाँ तक सम्भव हो, राज्य के कोष में उतना धाना चाहिए, जितना कि लोगों की जेबों से लिया जाए।

अन्य सिद्धान्त (Other Canons)—जब से एडम स्मिथ (Adam Smith) ने लिखा है, तब से सार्वजनिक वित्त-विज्ञान ने बराबर प्रगति की है। वाद के लेखकों ने एडम स्मिथ के चार सिद्धान्तों में अपने सिद्धान्त भी जोड़ दिए हैं।

(v) राजकोषीय औचित्य अथवा उत्पादकता (Fiscal Adequacy or Productiveness)—कर द्वारा लोगों से प्राप्त राजस्व पर ही राज्य को रहना चाहिए। सरकार को आर्थिक कठिनाइयों से मुक्त रहना चाहिए। अतएव यह आवश्यक है कि कर से प्राप्त आय पर्याप्त होनी चाहिए और सरकार को घाटा नहीं होना चाहिए। किन्तु सरकार को ज्यादती की गलती भी नहीं करनी चाहिए। अधिक राजस्व बढ़ाने के उस्ताह में उसे समाज की उस्ताह क्षमता को किसी भी प्रकार से कम अथवा देश के आर्थिक साधनों का नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए।

(vi) लोच का सिद्धान्त (The Canon of Elasticity)—लोच का सिद्धान्त राजकोषीय औचित्य के निकट है। जैसे-जैसे राज्य की ज़रूरतें बढ़ती हैं, वैसे वैसे राज्य की आय भी बढ़नी चाहिए अन्यथा वे पर्याप्त नहीं रह पाएँगे। सकट अथवा परेशानी की अवधि का सामना करने के लिए राज्य को इस स्थिति में होना चाहिए कि वह अपने आर्थिक साधनों को बढ़ा सके। कुछ कर ऐसे होने चाहिए कि यदि आवश्यकता आ पड़े तो उनसे अधिक आय हो सके। आय कर तोचपूर्ण कर का एक अच्छा उदाहरण है।

(vii) लचीलापन (Flexibility)—लचीलेपन का सिद्धान्त लोच के सिद्धान्त से मिलता-जुलता लगता है किन्तु दोनों के बीच का अन्तर बहुत ही स्पष्ट है। लचीलेपन का अर्थ यह है कि कर-प्रथा में कोई कठोरता न होनी चाहिए जिससे कि उसका नई दिशाओं के अनुसार आसानी के साथ समन्वय किया जा सके। लोच का अर्थ यह है कि आय बढ़ाई जा सकती है। जब तक प्रथा लचकदार नहीं है, आय बढ़ाई नहीं जा सकती, क्योंकि परिवर्तन सम्भव नहीं होगा। इस प्रकार लचीलापन का होना लोच की एक शर्त है।

(viii) सरलता (Simplicity)—आरमीटेज स्मिथ (Armitage Smith)

के शब्दों में "कर-प्रथा सारी, सीधी और सर्वसाधारण की समझ में आने योग्य होनी चाहिए।" भ्रष्टाचार और दबाव को रोकने के लिए कराधान का सरल होना आवश्यक है।

(ix) अनेकरूपता (Diversity)—करो में अनेकरूपता भी आवश्यक है। अकेले एक कर से अथवा थोड़े करों से काम नहीं चलेगा। करों की बहुत सी किस्में होनी चाहिए, जिससे कि सभी नागरिक जो राज्य की भाँति में अक्षदान करने की क्षमता रखते हों, दे सकें। उनके पास विभिन्न तरीकों से पहुँचना चाहिए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का बुद्धिमत्तापूर्ण मिश्रण होना चाहिए।

(x) आधुनिक काल में करारोपण के लाभों पर विचार करते हुए एक नए सिद्धान्त का जन्म हुआ है, अर्थात् किसी समुदाय में कर का प्रभाव वहाँ के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों के तथा उन संस्थाओं तथा विविधा के अन्तर्गत होना चाहिए जो इन्हें पूरा करने में सहायक हों। तटस्थता का सिद्धान्त अथवा 'वे जैसे हो उन्हें रहने दो' सिद्धान्त आज इस कमीटी पर पूरा नहीं उतरता। करारोपण नीति अधिक निश्चिन्त होनी चाहिए। इसका उद्देश्य अधिकधिक आर्थिक स्थिरता तथा विकास के अलावा राजनैतिक तथा सामाजिक लक्ष्य पूरे करना है।

५ उत्तम कर-प्रथा की विशेषताएँ (Characteristics of a Good Tax System)—उत्तम कर प्रथा में ऐसे कर शामिल होने चाहिए जो उपर्युक्त कर-निर्धारण के नियमों के अनुकूल हों। समूची कर प्रथा समान और न्याय्य होनी चाहिए। उसका भार सभी पर पड़ना चाहिए। उसे किरायेनी होना चाहिए जिससे कि एकत्र करने का काम जितना ही सन्ने ढग से हो सके उतना ही अच्छा है। उसमें व्यापार और उद्योग के विकास में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। इसका विपरीत उसे देश के आर्थिक विकास में सहायता करनी चाहिए। सरकार का अपनी आमदनी के सम्बन्ध में निष्पक्ष होना चाहिए। कर-प्रथा सम्पूर्ण और वर्तमान आँकड़ों सम्बन्धी जानकारी पर आधारित होनी चाहिए, जिससे कि सही भविष्यवाणी सम्भव हो सके। कर-प्रथा अंधेरे में एक उछालमात्र नहीं होनी चाहिए। उसके प्रभावों का सही-सही हिसाब लगाया जा सकता चाहिए। समूचे कर सुविधाजनक होने चाहिए अर्थात् उनको जितना भी सम्भव हो, उतना कम महसूस किया जा सके।

कर-प्रथा सरल, वित्तीय रूप से उचित और लोचपूर्ण होनी चाहिए जिससे कि उसको आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित किया जा सके। वह हमारे लगान की भाँति जटिल नहीं होनी चाहिए जो ३० या ४० वर्षों के लिए निर्धारित कर दिया जाता है। पत्राव में लगान की विसृप्त अनुमाप प्रणाली (sliding scale system) के उपयोग से यह खराबी कुछ सीमा तक दूर हो जाती है।

सरलता के आदर्श से हम एकल (single) कर-प्रणाली के समर्थक हो सकते हैं। किन्तु एकल कर प्रथा अन्य गम्भीर आपत्तियों को जन्म देगी। अतएव, यह माना जाता है कि कर-प्रथा का जितना सम्भव हो, उतना ही विस्तृत आधार होना चाहिए। कर-प्रथा में विभिन्नता और अनेकरूपता होनी चाहिए। किन्तु हम करों की बहुत अधिक संख्या नहीं चाहते।

इसके अतिरिक्त प्रशासन के दृष्टिकोण से कर-प्रथा सुगम होनी चाहिए। बकाया से दबा जाने अथवा जमा हो जाने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वह इतनी सरल और बोधगम्य हो कि भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम रहे।

उत्तम कर-प्रथा की एक अन्य विशेषता यह है कि वह पूरी तरह से सम्भावना-पूर्ण, मधुर और सुव्यवस्थित होनी चाहिए। वह वास्तविक रूप में एक प्रथा होनी चाहिए न कि अलग करो की वसूली मान। प्रत्येक कर सम्बन्धी कर-प्रणाली में ठीक-ठीक जम जाना चाहिए जिससे कि वह मिली-जुली सम्पूर्ण कर-व्यवस्था का एक अंग हो जाए। आर्थिक ढाँचे में प्रत्येक कर को एक निश्चित और उचित स्थान प्राप्त होना चाहिए। वे विभिन्न दिशाओं में खींचातानी करने वाले नहीं होने चाहिए। उदाहरणार्थ, संरक्षणार्थक शुल्क (protective duty) तथा उत्पादन शुल्क (excise duty) साथ-साथ भली भाँति नहीं चल सकते।

६ भारतीय कर-प्रणाली (The Indian Tax System)—प्रशासन के दृष्टिकोण से भारतीय कर-प्रणाली बहुत ही सुन्दर है। चोरी से वस्तुएँ लाने और ले जाने का काम नहीं हो पाता और न उसमें बहुतमी खामियाँ ही हैं। कर देने से बचना भी आसान नहीं है। कर वसूली की लागत भी असमानुपातिक रूप से अधिक नहीं है। वह बहुत ही सधी है। राज-कर के अचित्य और पर्याप्तता के आधार पर कठिनाता से कोई आपत्ति की जा सकती है। कर-प्रथा नितान्त उत्पन्न है। इसका आधार भी पर्याप्त विस्तृत है। यहाँ तक कि देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी कुछ न कुछ अदा करता है, अर्थात् लगान। यह अनेक रूपों वाली कर-प्रणाली है। अन्य देशों की अपेक्षा भारतीय कर-प्रथा विशेषतया असुविधाजनक भी नहीं है। लगान कितना म अदा किया जाता है और फल कटने के वाद दिया जाता है। वस्तुओं पर करों का महत्वपूर्ण स्थान है। लचीलेपन अथवा लोच के आधार पर हमें शिकायत का कोई कारण नहीं है। हमारी कर-प्रथा ने खर्चीले युद्ध के प्रभावों का शानदार ढंग से सामना किया है।

किन्तु हम यह नहीं कह सकते कि हमारी कर-प्रणाली आदर्श कर-प्रथा है। भारत में भारतीय व्यापार और उद्योग की आवश्यकता के महत्त्व को समझे बिना कर लगाए गए हैं। चूंगी कर आमदनी के उद्देश्य से लगाए गए हैं। टैरिफ अनुसूची में भारतीय उद्योगों के विकास में बहुधा बाधा उत्पन्न हुई, घिसाई-खर्च के लिए कम राशि मञ्जूर की गई। अतएव, उद्योग के यन्त्रों का नया करने अथवा उनके स्थान पर दूसरे यन्त्र लगाने में वास्तविक कठिनाई अनुभव हुई। यद्यपि हाल के बजटों में इस बुराई को कुछ सीमा तक दूर किया गया है, फिर भी हमारी कर-प्रथा किरायत सम्बन्धी नियम के पूरी तरह अनुकूल नहीं है।

सबसे अधिक उत्तम न्याय्यता के नियम का है।¹ भारतीय कर-प्रथा अमीरों के प्रति गरीबों के विरुद्ध भेद भाव रखती है। आय कर वह कर है, जो अमीरों द्वारा अदा किया जाता है, किन्तु प्रगति उतनी विम्प (steep) नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। लगान, चूंगी, धाबकारी और यहाँ तक कि रेलवे किराया कुल मिलाकर गरीबों द्वारा अमीरों की अपेक्षा अधिक अदा किया जाता है। उत्तराधिकार अथवा

1 See Indian Economies by Dewett and Singh

मृत्यु कर की अनुपस्थिति हमारी कर-प्रथा की प्रतिगामी प्रवृत्ति को बढा देती है । प्राफेसर के० टी० शाह के शब्दों में, "अमीर वर्ग अपेक्षाकृत थोड़े भार के साथ बच जाता है, यद्यपि इस भार को टाल देने अथवा महन करने की उनकी क्षमता अधिक होती है, जब कि गरीब वर्ग, जो इस प्रकार के भार से बच नहीं सकता, उसे सह-नी शक्ति के इस भारी बोझ को वहन करना पडता है जबकि उसे वहन करने की उसकी क्षमता मँमने जैसी होती है ।" भारतीय आय-कर-प्रथा आश्रितों की सख्या के लिए कोई भत्ते की व्यवस्था नहीं करती । अतएव वह अदायगी की क्षमता के सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है ।

अनिश्चितता का तत्त्व भी इसमें निहित है । मानसून एक धबडाहट पैदा करने वाला कारण । भारतीय बजट मानसून में एक जुआ माना गया है ।

भारतीय कर-प्रणाली में अन्ध बहून से दोष हैं । वह बहुत ही उलटी सीधी है और उसकी योजना बँजानिक ढंग से नहीं तैयार की गई । वह समय की आवश्यकताओं के अनुकूल तोड़ी मोड़ी गई है । विशेष आवश्यकता बजट में सन्तुलन बनाने की रही है । करों के प्रभावों तथा उत्पादन और वितरण पर उनके प्रभावा के प्रति बहुत कम ध्यान दिया गया है । वह वास्तव में कोई प्रथा नहीं रही । सर वाल्टर लेटन ने भारतीय बजट को 'फसा हुआ' (tight-fit) बताया है, जिसमें अप्रत्याशित और अनजाने व्ययों की बिलकुल ही व्यवस्था नहीं है ।

हमारी कर प्रणाली बहुत ही अनुदार भी है । वर्तमान रूप में आबकारी कर और लगान कर भी जारी हैं, यद्यपि उनकी व्यापक रूप से निन्दा की गई है ।

अन्य उन्नत देशों के समान भारत में प्रत्यक्ष कर गौण कार्य करते हैं, यद्यपि युद्धकाल (१८३६-८५) में घपनाए गए आधिक साधनों के फलस्वरूप यह प्रथा इस दशा में सुधारी गई है । १९३८-३९ में सम्पूर्ण राजस्व में आय पर लगाए बरों का अनुपात २२ ६ प्रतिशत था, किन्तु १९४५-४६ में वह ६२ ३ प्रतिशत था ।

अभी हाल तक हमारी कर-प्रणाली ने अर्जित और अनर्जित आय में कोई भेद नहीं किया और इस प्रकार वास्तविक धार्मिक और निष्क्रिय अमीर के साथ एक सा व्यवहार किया जाता रहा । १९४५-४६ में अर्जित आय पर १० प्रतिशत सहायता स्वीकार की गई थी ।

केन्द्रीय प्रान्तीय और स्थानीय वित्त के बीच वितरण की रीति भी दोषपूर्ण है । चूँकि आय कर प्रत्यक्ष कर है, अतएव वह सम्पूर्णतया प्रान्तीय होना चाहिए और बहुत से प्रान्तीय कर जैसे मनोरंजन कर और बिक्री कर स्थानीय सत्वाओं के होने चाहिए । भूमि कर का एक भाग भी स्थानीय निकायों को मिलना चाहिए ।

प्रो० काल्दर (Prof Kaldor) के अनुसार भारतीय प्रत्यक्ष कर प्रणाली दोषपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण है । यह अन्यायपूर्ण इसलिए है कि विधि विहित आय का विचार ही गलत है और निहित स्वाध उसका मनमाने अर्थ लगा सकते हैं । यह दोषपूर्ण भी है क्योंकि बहुत बड़ी सख्या में कर देयता की सामर्थ्य वाले लोग भी बरों से बचे रहते हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि सीढ़ी और सम्पत्ति पर आय के सम्बन्ध में उचित रिपोर्टें सम्बन्धी व्यवस्था नहीं है ।

प्रो० कल्दर (Prof. Kaldor) ने इस दिशा में स्वस्थ सुझाव पेश किए हैं जिन्हें भारत सरकार कार्यान्वित कर रही है। कल्दर ने सुझाया है कि आय पर ४१% से अधिक कर किसी भी हालत में नहीं लिया जाना चाहिए। इस समय कुछ प्रायः पर २२% तक कर लिया जाता है। वे सम्पत्ति कर की अधिकतम सीमा १.३% करना चाहते हैं जो ११ लाख से अधिक की सम्पत्ति पर लगना चाहिए। व्यक्तिगत व्यय पर वे अधिक-से अधिक ३०% कर का सुझाव देते हैं और उपहार कर अधिक-से-अधिक ८०% (प्रति व्यक्ति ५०,००० वार्षिक व्यय पर ३०% व्यय कर, और ४० लाख से ऊपर के उपहार पर ८०% उपहार कर)। उनका सुझाव है कि पूंजीगत लाभ पर आय कर की दर से ही कर लें। प्रो० कल्दर (Prof. Kaldor) ने आय कर को न्याय्य और सम बनाने के लिए यह भी सुझाया है कि कर योग्य आय में स घटाई जाने वाली राशि के सम्बन्ध में कुछ सुधार किया जाए। वे चाहते हैं कि कम्पनियाँ से उनकी सम्पूर्ण आय पर ७ अंश प्रति रकमा कर लिया जाए।

प्रो० कल्दर चाहते हैं कि करों से बचने वाले लोगों की रोक-थाम करने के लिए यह आवश्यक है कि जिन व्यापारियों की आय ५०,००० रु० वार्षिक से अधिक है उनके हिसाब-किताब की लेखा परीक्षा (auditing) होनी चाहिए और जिन लोगों की व्यक्तिगत आय १,००,००० रु० वार्षिक से अधिक है, उनके हिसाब-किताब की भी सरकार की लेखा-परीक्षा करानी चाहिए।

अतएव, हम यह नहीं कह सकते कि भारतीय कर प्रणाली पूर्णतः सन्तोषजनक है। सुधार की बहुत ही गुंजायश है।

७ कराधान में न्याय की समस्या (The Problem of Justice in Taxation) — हमने कर-निर्धारण के विभिन्न नियमों पर विचार किया है और इनमें अत्यधिक महत्त्वपूर्ण नियम न्याय्यता का नियम जान पड़ता है। अतएव कर-निर्धारण की अत्यधिक आधारभूत समस्या न्याय की समस्या है। प्रत्येक व्यक्ति वित्त मन्त्री से आशा करता है कि वह अपने कर निर्धारण प्रस्तावों को इस प्रकार तैयार करे कि जिससे इस बात का विश्वास पैदा हो जाए कि कर-निर्धारण का भार उन पर पड़ता है, जो उस पूरी तरह से वहन कर सकते हैं। यह उचित है कि एक ही आर्थिक स्थिति के लोगों के साथ कर-निर्धारण के अभिप्राय से एक प्रकार से व्यवहार किया जाए, किन्तु आर्थिक स्थिति की नाप क्या होनी चाहिए ?

कर निर्धारण में न्याय के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए समय-समय पर अनेक सिद्धान्त सामने रले गए हैं। हम नीचे उनमें से कुछ सिद्धान्तों की जाँच करेंगे—

(1) सेवा की लागत का सिद्धान्त (The Cost of Service Principle) — कहा जाता है कि यदि लोगों से उतना ही कर वसूल किया जाए जितनी कि सेवाएँ उनको दी जाती हैं, तो ऐसा कर न्यायसंगत होगा। किन्तु चाहे कितना ही सेवा लागत सिद्धान्त उचित जान पड़े, उसे वास्तविक व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता। करों से प्राप्त आय द्वारा की जाने वाली सेवाएँ जैसे सदासच सेनाएँ, पुलिस आदि का लागत खर्च ठीक ठीक निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। हम हिसाब लगाया

समानुपातिक त्याग (proportional sacrifice) के सिद्धान्त के अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के ऊपर वास्तविक बोझ समान नहीं बरन् या तो उनकी आय या आयिक कल्याण, जो वे प्राप्त करते हैं, उनके समानुपातिक होगा। जो अधिक त्याग कर सकते हैं, उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। इसका अर्थ है प्रगामी (progressive) कराधान।

न्यूनतम त्याग का सिद्धान्त (Minimum Sacrifice Principle)—कर-दाताओं का विचार सम्पूर्ण रूप से करता है न कि व्यक्तिगत रूप से। इस सिद्धान्त के अनुसार समुदाय पर कुल बोझ इतना कम होना चाहिए, जितना कि सम्भव हो। न्यूनतम सम्पूर्ण त्याग सिद्धान्त के प्रमुख प्रतिनिधि एजवर्थ (Edgeworth) के शब्दों में, "न्यूनतम त्याग कर-निर्धारण का श्रेष्ठतम सिद्धान्त है।" इस सिद्धान्त में "न्यूनतम शक्ति का एक ऊँचा धरातल होगा और जैसे-जैसे आय बढ़ती है, बहुत ही ढालू क्रम (steep progression) निहित होगा। जितना ही सम्पूर्ण त्याग कम होगा, उतना ही समुदाय पर कर-भार का अच्छा वितरण होगा। राज्य मानव-कल्याण को बढ़ाने के लिए होता है। ऐसा वह निहित त्यागों को कम करके कर सकता है।

अतएव व्यक्ति की क्षमता को मापने के लिए हमें दूसरी विधि से काम लेना चाहिए। यहाँ हमारा आधार अपेक्षाकृत अधिक निश्चिन्त है। किन्तु यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि बहुत सी विधियाँ बताई गई हैं। व्यक्ति की कर देने की क्षमता को (क) उपभोग, (ख) सम्पत्ति, अथवा (ग) आय के अनुसार मापना चाहिए। उपभोग निश्चिन्त विधि नहीं है क्योंकि गरीब द्वारा राज्य की सेवाओं का उपभोग अथवा उपयोग उनके साधनों के सम्पूर्ण समानुपात से बाहर माना जाता है। अतएव उसे कर-निर्धारण का व्यावहारिक सिद्धान्त नहीं माना जा सकता। सम्पत्ति भी कर-निर्धारण का उचित आधार नहीं मानी जा सकती, क्योंकि उसी आकार और उसी प्रकार की सम्पत्ति से वही आय नहीं प्राप्त हो सकती। कुछ लोगों के पास दिखाने के लिए कोई सम्पत्ति न हो, किन्तु हो सकता है कि वे अधिक आय प्राप्त करते हों, जब कि सम्पत्ति वाले व्यक्तियों को, हो सकता है, छोटी आय होती हो। सम्पत्ति के आधार पर क्षमता के अनुसार कर नहीं होगा। फिर भी मनुष्य की देने की क्षमता के लिए आय सबसे अच्छा परीक्षण है। किन्तु आय के मामले में भी कर क्षमता के अनुसार तभी होगा जब कि उचित निर्वाह के लिए न्यूनतम छूट दी जाती है, वरतें कि आश्रितों की सहाय के लिए भत्ते की व्यवस्था कर दी जाती है, और अन्त में यदि बनी व्यक्ति पर ऊँची दर पर कर लगाकर प्रगतिशीलता के सिद्धान्त को लागू किया जाता है।

इसके अतिरिक्त न केवल हम व्यक्तिगत कर-दाता की बरन् सम्पूर्ण समुदाय की कर-देयता की क्षमता पर विचार करना है। इस अवस्था में यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण कर-प्रणाली दबावपूर्ण न हो अर्थात् वह बचत को हतोत्साह न करती हो और न ही पूँजी के निर्माण में शिथिलता लाती हो, और न देश के व्यापार एवं उद्योग के विकास में अड़चन डालकर समुदाय की उत्पादन-क्षमता को कम करती हो।

कर-निर्धारण (कराधान) में न्याय की समस्या का यही हल है। न्याय के

उद्देश्य से सेवा के मूल्य सिद्धान्त को लागू करने अथवा लाभ के अनुसार कर लगाने से पूर्ण न्याय नहीं होता, वरन् न्याय अदा करने की क्षमता और योग्यता के अनुसार ही होता है। अदा करने की क्षमता निहित त्याग की मात्रा के द्वारा परोक्ष ढंग से नहीं माँकी जा सकती, वरन् मनुष्य की आय के अनुसार परोक्ष ढंग से, और उसके उपभोग अथवा सम्पत्ति के अनुसार ही माँकी जा सकती है। न्याय प्राप्त करने का प्रत्येक प्रस्ताव कर-निर्धारण में प्रगतिशीलता के एक ढंग को ओर ले जाता है। आवश्यकता है कि सम्पूर्ण कर प्रणाली न्याय्य हो। प्रत्येक व्यक्तिगत कर विलकुल ही उचित नहीं हो सकता। एक कर की बुराई दूसरे कर की अच्छाई से तटस्थ बन सकती है।

८ करधान के कुछ अन्य सिद्धान्त (Some Other Theories of Taxation) — सार्वजनिक वित्त पर कुछ लेखकों द्वारा प्रस्तुत कुछ अन्य सिद्धान्तों अथवा विधियों का हम यहाँ पर केवल संक्षिप्त उल्लेख करेंगे।

“जैसा उन्हें पाया वैसा छोड़ दो” सिद्धान्त (‘Leave-as-you-found them’ Principle) — इस सिद्धान्त के अनुसार वर्तमान धन वितरण से छेड़-छाड़ नहीं की जाती। धन वितरण की असमानताएँ न तो बढ़ाई जाती हैं और न घटाई जाती हैं। इस सिद्धान्त के समर्थक वर्तमान धन-वितरण के प्रश्न की आलोचना न करने का रुख अपनाता चाहते हैं। इसके अनुसार “मरो को इस प्रकार लगाना चाहिए कि जब सभी उन्हें अदा कर दें, प्रत्येक व्यक्ति अपने साथियों जैसी स्थिति में रह जाए जैसा कि वह अदायगी में पहले था।” इस सिद्धान्त को आधुनिक काल में नहीं माना जाता। राज्य को धन वितरण की असमानता को कम करना चाहिए और जैसे वे हैं, वैसे ही उन्हें नहीं छोड़ देना चाहिए।

राजनीतिक अथवा नैतिक सिद्धान्त (The Political or Ethical Principle) — इसका सम्बन्ध कर निर्धारण में समानता, औचित्य अथवा न्याय से है। इस सिद्धान्त पर हम पहले ही विचार कर चुके हैं। यदि करदाता की परिस्थितियाँ और आर्थिक दशा वही रही तो न्याय प्राप्त करना एक साधारण क्रम होगा। किन्तु व्यक्तिगत करदाता को विभिन्न परिस्थितियों में न्याय प्राप्त करने का प्रयत्न वित्त-मन्त्री को कुछ सिर दर्द पैदा कर सकता है। अनेक तरीकों के सुझाव किए हैं जिनकी पहले ही जाँच की जा चुकी है।

वित्तीय सिद्धान्त (The Financial Principle) — कॉल्बर्ट (Colbert) ने इनका धर्तन इस प्रकार किया है—“ऐसी चूटकी बाटो कि रोए नहीं।”¹ इस सिद्धान्त के अनुसार कर वसूल करने वाले के लिए एक मात्र पथ-प्रदर्शन यह है कि कम से-कम विरोध के साथ अधिक से अधिक आय हो। उसके मस्तिष्क में न्याय का कोई विचार नहीं आना चाहिए। उसे कम-से-कम विरोध का मार्ग अन्वेषित करना चाहिए। वास्तव में वित्तमन्त्री इस प्रकार के मार्ग को अपनाते हैं, यद्यपि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

1 ‘Pluck the goose without its squealing’

समाजवादो अथवा सम्पूरक सिद्धान्त (Socialist or Compensatory Theory)—कर निर्धारण के इस सिद्धान्त के समर्थक, के अनुसार यह राज्य का काम है कि वह समुदाय में धन वितरण में समानता लाए। यह प्रगतिशील या प्रगामी कर निर्धारण द्वारा किया जा सकता है। उद्देश्य गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटने का है। यदि यह उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त हो जाता है तो उमम अमीरों पर इस सीमा तक कर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी कि वचत को प्रोत्साहन न मिले और पूँजी को बाहर खदेड़ दे, जिससे इमम सन्देह नहीं कि समुदाय की उत्पादन-शक्ति पगु बन जाएगी। धन वितरण की असमानताएं केवल कर लगाने से ही नहीं बरन् बुद्धिमत्ता से सार्वजनिक व्यय कम करके कम की जा सकती हैं।

प्रत्येक व्यक्ति को कुछ धदा करना चाहिए (Every one Ought to Pay Something)—विचार यह है कि राज्य के मामला में प्रत्येक नागरिक में जिम्मेदारी की भावना पैदा हो जिससे कि वह नागरिक जीवन में अधिक सत्रिय और बुद्धि-सम्पन्न दिलचस्पी ले सके। इससे नागरिक को अपनी स्थिति का आभास और राज्य में अपने महत्त्व का आभास होगा। किन्तु गरीब लोग के लिए यह नागरिक आभास बहुत ही महंगा पड़ेगा यदि उनसे अत्यधिक कर देने को कहा जाता है। इसलिए यदि गरीबों को कर के भार से बिलकुल मुक्त कर दिया जाए तो यह अधिक उचित होगा।

६ आनुपातिक बनान प्रगामी कराधान (Proportional Vs Progressive Taxation)—कर-भार के उचित वितरण के विभिन्न सिद्धान्तों पर विचार करते समय हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जहाँ कहीं सम्भव हो कर में प्रगतिशीलता की कुछ मात्रा होने चाहिए। तभी कराधान प्रणाली न्याय्य होगी। प्रगामी कराधान के सिद्धान्तों को सर्वत्र स्वीकार किया गया है। किन्तु ऐसा सदैव नहीं था।

आनुपातिक कर निर्धारण के बहुत से नमूने हुए हैं। मैक कुलो (McCulloch) का प्रसिद्ध कथन १९वीं शताब्दी की मनोवृत्ति को स्पष्ट करता है। उ होने लिखा है—'जब आप मरल सिद्धान्त (समानुपात) को छोड़ देते हैं तो आप अपने को बिना पतवार तथा कमान के समुद्र में पाठ हैं और अनौचित्य की कोई सीमा नहीं जिसे आप पार नहीं कर सकते हैं।'

त्याग की समानता के सिद्धान्त के अनुसार आनुपातिक करारोपण केवल इस अनुमान पर उचित हो सकता है कि आय के बढ़ने के साथ धीरे धीरे आय की उपयोगिता कम होनी है। परन्तु यह मान लेना ठीक नहीं है। यदि हम समानुपातिक त्याग के सिद्धान्त को दृष्टिकोण में रखें तो समानुपातिक कर केवल इस अनुमान पर उचित हो सकता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, वैसे वैसे आय की उपयोगिता बिलकुल ही कम नहीं होती। यह अनुमान गलत है, क्योंकि जब आय बढ़ती है तो उसकी उपयोगिता अक्षय गिरनी चाहिए। इसलिए आनुपातिक करारोपण न तो त्याग की समानता के सिद्धान्त पर धीरे न आनुपातिक त्याग के ही सिद्धान्त पर उचित है। आनुपातिक करारोपण में समान त्याग निहित होगा जब कि स्वयं त्याग करदाता की समता के अनुपात में होना चाहिए। अतएव समानुपातिक करारोपण न्यायपूर्ण और

उचित नहीं है। वह पर्याप्त लाभदायक भी नहीं है और यहाँ तक कि आनुपातिक करारोपण में भी स्वेच्छा का तत्त्व बिलकुल ही अनुपस्थित नहीं रहता। अतएव समानुपातिक करारोपण के सिद्धान्त को, जहाँ तक प्रत्यक्ष करारोपण का सम्बन्ध है, बिलकुल ही त्याग दिया गया है। दूसरे शब्दों में, जहाँ सम्भव है, प्रगामी करारोपण का सिद्धान्त अपनाया गया है।

प्रगामी करारोपण का सिद्धान्त कुछ अनुमानों पर उचित भी है। यह मान लिया गया है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, आय में होने वाली प्रत्यक्ष वृद्धि की उपयोगिता कम होती है। अतएव यह भी मान लिया गया है कि आय के बढ़ने के साथ विलास की सामग्रियों पर व्यय बढ़ता है। जब कि आर्थिक लाभ के विचार से विलास की सामग्रियों की अपेक्षा आवश्यकताएँ अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। अतएव इससे यह होता है कि धनवानों पर अधिक कर लगाकर हम उन्हें विलास की सामग्रियों में कमी करने के लिए बाध्य करते हैं। इसमें जो त्याग निहित है, वह उन गरीबों को होने वाले लाभ की भाँति ही महान् है कि जिन पर कर से प्राप्त धन खर्च किया जा सकता है।

प्रगामी करारोपण से अधिक आय होती है और इस कारण वह अधिक उत्पादक है। यह बड़ा कठिन है कि प्रगामी सिद्धान्त की अनुपस्थिति में आधुनिक सरकारें आज अपने बजट को किस प्रकार सन्तुलित करती हैं।

प्रगामी करारोपण अधिक मितव्ययितापूर्ण है। जब दर बढ़ती है तो करो के उगाहन की लागत नहीं बढ़ती। प्रगामी करारोपण की न्याय्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। वह करदरता से समानुपातिक त्याग की माँग करता है। वह चौड़ी पीठ पर सबसे भारी बोझा रखता है।

प्रगामी कर-प्रणाली, कर प्रणाली को अति आवश्यक समानता प्रदान करती है। जब आवश्यकता पड़ती है तो दरों में थोड़ी वृद्धि कर देने से स्थिति का सामना किया जा सकता है।

प्रगामी कर प्रणाली के सिद्धान्त के विरोधियों ने इस प्रणाली के विरुद्ध बहुत सी आपत्तियाँ उठाई हैं। हम नीचे इन आपत्तियों की जाँच करेंगे।

(1) कहा जाता है कि यह बिलकुल ही स्वेच्छाचारितापूर्ण है। प्रगामी कर-प्रणाली की मात्रा वित्तमन्त्री द्वारा बिना किसी निश्चित और वैज्ञानिक आधार के तय की जाती है। यह विन्दुद्धत व्यक्तिगत राय होती है। स्पष्ट है कि यह आपत्ति सिद्धान्त पर नहीं वरन् प्रगामी कर प्रणाली की मात्रा पर है। यद्यपि उसे वैज्ञानिक ढंग से निर्धारित नहीं किया जा सकता, फिर भी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए छोटे अन्तरों का कोई महत्त्व नहीं। वित्तमन्त्री की बुराइयों को ठीक करने के लिए विधान सभा के सदस्य तो होते ही हैं।

(2) कहा जाता है कि प्रगामी कर प्रणाली के सिद्धान्त का समर्थन हित-वृद्धि करने के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हित परोक्ष होता है और उसे मापा नहीं जा सकता। ऐसा कोई वैज्ञानिक यन्त्र नहीं जिससे यह परीक्षण किया जा सके कि आय में असमानता की कमी होने के फलस्वरूप हित-वृद्धि हुई है या नहीं। कदाचित् गरीबों को आराम पहुँचाने की अपेक्षा धनवानों को परेशानी अधिक हाती है।

(iii) प्रगामी कर प्रणाली बचत को हतोत्साहित करेगी, पूँजी को बाहर निकालेगी और इस प्रकार व्यापार तथा उद्योग में बाधा उपस्थित करेगी। सक्षम म वह मितव्ययितापूर्ण नहीं होगी।

किन्तु ऐसे बुरे परिणाम उसी दशा में होंगे, जब प्रगामी कर-प्रणाली औचित्य और विवेक की सीमा पार कर जाएगी। ऐसा बहुत कम हुआ है। पूँजी इतनी चेतनशील नहीं है जैसा कि समझा जाता है।

(iv) प्रगामी कर प्रणाली वैज्ञानिक आधार पर उचित नहीं ठहरती। उसका यह आधारभूत अनुमान कि वही आय उसी सन्तोष को नापती है, उचित नहीं है। फिर घटती हुई या आह्वानी प्राप्ति के नियम की उपयोगिता धन के मामले में ठीक नहीं भी उतर सकती। उनका कथन है, 'धन एक वस्तु का प्रतिनिधित्व नहीं करना बल्कि सामान्यतः अनेक वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है। चूँकि मानव की आवश्यकताएँ असोम हैं, इसलिए यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या धनी व्यक्ति को अतिरिक्त धन की आवश्यकता कम होनी है। यह भी हो सकता है कि जैसे जैसे आय बढ़े वैसे वैसे उसकी अतिरिक्त आय की इच्छा भी बढ़े। ऐसा उस दशा में हो सकता है जब आय में वृद्धि उसके रखने वालों को उच्चतर सामाजिक क्षेत्र में आन जाने के लिए प्रेरित करे और इस प्रकार उनकी आवश्यकताओं में वृद्धि हो।¹ चूँकि गरीब की अपेक्षा अमीर के लिए आय की सीमान्त उपयोगिता कम होती है इसलिए अमीरों पर प्रगामी करारोपण होना चाहिए।

किन्तु इस क्षेत्र में राबिंस (Robbins) घटती हुई उपयोगिता सिद्धान्त को पूरे तौर पर अस्वीकार और अस्वीकार करते हैं।² चूँकि सीमान्त उपयोगिता आत्मपरक है इसलिए दृष्टिगोचर नहीं होती। राबिंस (Robbins) के अनुसार व्यक्तियों की परस्पर भावनाओं का मापना असम्भव है। प्रगामी करारोपण के अन्तर्गत हम यह मानते हैं कि समान आय वाले को उससे समान सन्तुष्टि प्राप्त होती है। किन्तु हम यह नहीं कह सकते कि यह धारणा निश्चित तथ्यों पर आधारित है, चूँकि सन्तुष्टि की माप नहीं की जा सकती। राबिंस (Robbins) कहते हैं 'यदि हम अपनी बात को पुष्टि के लिए यह बहाना बनाएँ कि यह किसी भी रूप में वैज्ञानिक है ही, तो सचमुच यह बड़ी मूर्खता होगी।'

वैज्ञानिक धरातल पर तो इस तर्क का कोई उत्तर ही नहीं है। प्रगामी करारोपण का जोरदार समर्थन समान रूप से नैतिक तथा राजनैतिक आधारों पर किया जा सकता है।

वैज्ञानिक आधार पर इस दलील का जवाब नहीं दिया जा सकता किन्तु धार्मिक और राजनैतिक आधार पर प्रगामी कर प्रणाली का समर्थन जोरों के साथ किया जा सकता है।

(v) कहा जाता है कि क्रमवर्धमान या प्रगामी करारोपण से कर देने से बच

1 Thomas S E Elements of Economics 1936 p 332

2 Robbins L.—The Nature and Significance of Economic Science

जाने की भावना बढ सकती है । किन्तु समानुगतिक वर निर्धारण म भी कर देने से बच रहने की सम्भावना कम नहीं है । यह सामाजिक चेतना पर निर्भर करता है ।

इस प्रकार प्रगामी करारोपण चाहे वैज्ञानिक ढंग में उचित हो अथवा नहीं, नैतिक रूप में ठीक है सामाजिक रूप से उचित है और मितव्ययिता, उत्पादन तथा नग्नता के नियमों के अनुरूप है ।

१० कर-देय क्षमता (Taxable Capacity)—कर देने की क्षमता के विचार ने बहुत से अर्थशास्त्रियों और विचारकों को प्रेरित किया है । डाल्टन (Dalton) उसे एक 'धुंधला अस्त व्यस्त विचार' कहते हैं । वह कहते हैं कि 'कर देने की क्षमता एक ऐसी पौराणिक कहानी है जिसे सावजनिक वित्त पर होने वाले गम्भीर विचार के समय बिलकुल ही त्याग देना चाहिए ।' इस प्रश्न पर कि क्या कर देने की क्षमता नापी जा सकती है उनका विचार है कि कैनन (Canon) का यह उत्तर कि "नहीं कमें ?" सबसे अच्छा है । किडले शिराज (Findlay Shirras) कहते हैं कि "सरकार के लिए मोटे तौर से भी यह जानना बुद्धिमानी होगी और साथ ही उपयोगी भी, कि साधारण और असाधारण दोनों ही परिस्थितियों में करों के द्वारा देश किस सीमा तक अदायगी कर सकता है ।" उनका आग्र यह कहना है कि 'युद्धोत्तरकालीन वित्त की आवश्यकता ने, विशेषकर सार्वजनिक ऋण में लड़े आय व्ययका के सन्तुलन की आवश्यकता ने कर अदा कर सक्ने की क्षमता को कर निर्धारण का एक स्थिर और वास्तविक समस्या बना दिया है ।'¹

कर-देय क्षमता क्या है ? (What is Taxable Capacity ?)—कर अदा कर सकने की क्षमता दो अर्थों में प्रयुक्त हो सकती है—(१) निरकुश (निरपेक्ष) अर्थों में (ii) तुलनात्मक (सापेक्ष) अर्थों में । निरकुश या निरपेक्ष कर-देय क्षमता की परिभाषा भिन्न तरीकों से की गई है । इसका अर्थ है कि एक विशेष समुदाय करों के रूप में कोई अशोभनीय प्रभाव पड़े बिना कितना वर अदा कर सकता है । इसके विपरीत तुलनात्मक कर देय क्षमता का अर्थ है साझे खर्च में अर्थात् केन्द्रीय खर्च के प्राप्तीय योगदान में समुदायों को अलग अलग कितना देना चाहिए । डाल्टन (Dalton) का कहना है कि पहली एक कल्पना है, और दूसरी वास्तविकता । सापेक्ष सीमा पर निरकुश सीमा के बिना जाया जा सकता है अर्थात् हम उस सीमा तक पहुँच सकते हैं कि एक विशेष समुदाय को कितना अदा करना चाहिए । ऐसा हम उस सीमा तक पहुँचे बिना कर सकते हैं कि जिसके आगे सम्भवतः वह समुदाय अदा नहीं कर सकेगा ।

निरकुश वर अदा कर सकने की क्षमता के दो अलग-अलग दृष्टिकोण हैं—(क) बिना पीडा के अदा करने की क्षमता, (ख) पीडा की परवाह किए बिना अदा कर सकने की क्षमता । पहले अर्थ में अदा कर सकने की क्षमता वस्तुतः कुछ भी नहीं है क्योंकि प्रयत्न वर में कुछ पीडा निहित होती ही है । दूसरे अर्थ में अदा कर सकने की क्षमता की कोई सीमा नहीं है । सिवा इसके कि जो समुदाय के साधनों के विचार से निश्चित की जाए ।

सर जोसिया स्टाम्प (Sir Josiah Stamp) ने कर-देय क्षमता की परिभाषा इस प्रकार की है— 'यून उत्पादन में से कुल व्यय निकासकर शेष धन या जनमक्षय को एक जीवकोपाजर्न के स्तर पर रखने के लिए आवश्यक धन। इसका अर्थ यह है—'अधिक-से अधिक जो कि समुदाय बढ़ा कर सक और इस बढ़ावमें न दुखी और पददलित जीवन न रह और न मगठन न बहुत अधिक बढ़ती हो।' फिडले शिराज (Findlay Shirras) ने निरकुश कर-देय क्षमता की परिभाषा इस प्रकार की है—'किसी असहनीय वस्तु का अनुभव किए बिना देव के नागरिका द्वारा सार्वजनिक खर्च के लिए दिया गया अधिक-से-अधिक धन। यज्ञेय न कर देय क्षमता दगाव की सीमा है। 'राष्ट्र की कर दे सकने की क्षमता है कर से वसूल किया गया और समुदाय और आर्थिक भलाई के लिए खर्च किया गया अधिक-से-अधिक धन।'

इन परिभाषाओं में वैज्ञानिक औचित्य की कमी है और साथ ही वह स्पष्ट भी हैं। स्टाम्प (Sir Josiah Stamp) का 'जीवकोपाजर्न का धरातल और दुःपद पददलित जीवन' और शिराज (Findlay Shirras) का असहनीय दुःख और 'अधिक-से अधिक अधिक बल्ल्याण' को वैज्ञानिक परिभाषा नहीं की जा सकती और न उनको ठोस शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। किन्तु इससे कर-देय क्षमता के विचार की उपयोगिता तथा व्यावहारिक महत्व कम नहीं होता। ऊपर की परिभाषाओं में जो अर्थ है, वह बहुत ही स्पष्ट है। यद्यपि हम यह स्वीकार करना चाहिए कि कर दे सकने की क्षमता को नापने के लिए कोई भी प्रयत्न निश्चित रूप से असफल होगा। कैनन का 'नहीं कैसे' वास्तव में सही उत्तर है।

कर-देय क्षमता की सीमा कब पार होती है? (When is the Limit of Taxable Capacity Exceeded)—इस सम्बन्ध में भी दृष्टिकोणों में अन्तर है कि कर देय क्षमता कब पार हो जाने की पहचान क्या है। स्टाम्प (Sir Josiah Stamp) कर देय क्षमता के लिए दो सीमाओं का उल्लेख करते हैं—(अ) कुल उत्पादन पर अकुश व (ख) कुल राजस्व प्राप्ति पर अकुश। किन्तु अत्यधिक कर निर्धारण के अतिरिक्त अकुश के और भी कारण हो सकते हैं। कर निर्धारण ही एक ऐसा कारण नहीं है जो उत्पादन पर प्रभाव डालता है। एलिंगर (E Linger) समझते हैं कि सीमाओं तक उस समय पहुँचा जाएगा जब कि करदाता की जेब से इतना लिया जाए कि उत्पादन के लिए किए गए प्रयत्न में कमी हो जाए और जब कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक पूँजी की व्यवस्था करने के लिए तथा बढ़ी हुई जनसंख्या में नए अधिकों को काम पर लगाने के लिए अपर्याप्त शेष रह जाता है।¹ वह उत्पादन पर सार्वजनिक व्यय के लाभप्रद प्रभाव को स्पष्टतया ध्यान में नहीं रखते।

तथ्य यह है कि कर-देय क्षमता का जटिलता के साथ निर्धारित नहीं किया जाता। वह एक गतिशील बिन्दु है। वह ऐसे बहुत से कारणों से सम्बन्धित है जिसमें होने वाला कोई भी परिवर्तन राष्ट्र की कर-देय क्षमता के सम्बन्ध में किए गए

हमारे अनुमानों को बदल देगा। फिन्ले शिराज (Findlay Shirras) ने निम्न तत्त्व बताए हैं जो राष्ट्र की कर देय क्षमता को निर्दिष्ट करते हैं¹—

(१) निवासियों की संख्या (The Number of Inhabitants)—यह विलकुल स्पष्ट है कि जितनी ही अधिक जनसंख्या होगी उतना ही अधिक सरकारी व्यय होगा और उस व्यय को पूरा करने के लिए समुदाय उतना ही अधिक बर देगा। इस दृष्टिकोण से भारत का स्थान अच्छा है। उसकी कर-देय क्षमता उस समय निश्चित रूप से बढ़ेगी, जब कि देश का उचित आर्थिक विकास किया जाएगा।

(२) देश में धन का वितरण (The Distribution of Wealth in the Country)—यदि धन को अधिक समानता के साथ वितरित किया जाएगा तो उसी हिसाब से कर-देय क्षमता भी कम होगी। किंतु यदि कुछ हाथों में धन का अधिक जमाव है तो सरकार अमीरों पर बर लगाकर अधिक धन एकत्र कर सकती है।

(३) कराधान का तरीका (The Method of Taxation)—वैज्ञानिक ढंग से निर्मित कर-प्रणाली, जिसमें करा क विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों का दृष्टिमानों के साथ समन्वय किया गया हो, निश्चित रूप से अधिक प्राप्ति करेगी। हमारी कर प्रणाली इसनी विभिन्नरूपी नहीं है। कृषि की लम्बी आय तथा उत्तराधिकार पर हमारे यहाँ कर नहीं लगाए जाते। इससे निश्चय ही बर दे सकने की क्षमता में कमी आती है।

(४) कराधान का उद्देश्य (The Purpose of Taxation)—यदि करारोपण का उद्देश्य लोगों की भलाई करने का है, तो अपने ऊपर कर लगाने के लिए वह अपेक्षाकृत अधिक इच्छुक होंगे। एक लोकप्रिय उद्देश्य के लिए लोग अपनी क्षमता को अधिकाधिक विस्तृत करने के लिए इच्छुक होंगे। यदि सरकार अकाल और बीमारी का सामना करने के लिए और शिक्षा प्रसार के लिए धन वसूल करना चाहती है तो करों की प्राप्ति में आश्चर्यजनक विस्तार होगा।

(५) करदाता की मनोवैज्ञानिक स्थिति (The Psychology of the Tax Payer)—सरकार के प्रति लोगों के हस्त पर भी कर देय क्षमता निर्भर करती है। लोकप्रिय सरकार लोगों के उत्साह को बढ़ा सकती है और उन्हें बड़े त्याग के लिए तैयार कर सकती है। लोगों की देश-भक्ति की दुहाई देकर किसी लोकप्रिय कार्य के लिए धन वसूल किया जा सकता है। युद्ध के लिए ऋण, इसी प्रकार इकट्ठे किए जाते हैं। लोगों का मनोविज्ञान एक महत्त्वपूर्ण वस्तु है और जब तक उचित ढंग से उनके पास पहुँचा न जाए, वे अपने ऊपर कर लगाने के लिए तैयार नहीं हो सकते।

(६) आय की स्थिरता (Stability of Income)—यदि नागरिकों की आय गम्भीर रूप से कम है तो अधिक बर-निर्धारण के लिए गुंजाइश नहीं रह सकती। अनिश्चित मानसून भारत में कम कर-देय क्षमता का कारण है। केवल स्थिर आय पर ही दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थाएँ आधारित हो सकती हैं।

(७) मुद्रा-स्फीति (Inflation)--इससे लोगों की क्रय-शक्ति कम हो जाती है। कर देने की शक्ति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।

राष्ट्र की कर देय क्षमता की जानकारी के लिए हमें इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कर देय क्षमता पर प्रभाव डालने वाले अनेकानेक कारणों के फलस्वरूप हम इस क्षमता की माप न कर सकें। महत्व याना में निहित है, न कि लक्ष्य में।

११. एकल कर प्रथा का श्रौचित्य (Feasibility of a Single Tax)-- इसकी साक्ष्य से प्राकृतिक होकर बहुत से लेखकों ने केवल एक कर लगाने का समर्थन किया है। इसके पीछे एक लम्बा इतिहास है। साथ ही इसका समर्थन भी विभिन्न रूपों में किया गया है।

क्वेसने (Quesnay) और टर्गोट (Turgot) जैसे निर्वाधानादियों (physiocrats) ने भूमि में एकल कर का समर्थन किया है। उनके अनुसार भूमि ही धन के उत्पादन का एक-मात्र साधन है। भूमि ही से अकेले विशुद्ध आय की प्राप्ति होती है। उन्होंने इस विशुद्ध प्राप्ति पर इकट्ठे कर की व्यवस्था की है।

सानफ्रांसिस्को के हेनरी जार्ज (Henry George) ने भूमि के मूल्य में अनर्जित वृद्धि पर एकल कर का समर्थन किया है। वह समाजवादी ढंग की विचार-धारा रखते थे और उनका कहना था कि भूमि पर कुछ लोगों का एकाधिकार जनता की गरीबी का कारण है। वे समझते थे कि लगान अनर्जित आय है। उन्होंने राज्य द्वारा करारोपण के माध्यम से समूचे लगान पर अधिकार बरने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इसके वाद किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं होगी।

उसके सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया गया और उनके प्रस्तावों के विरुद्ध निम्न आधारों पर आपत्ति उठाई गई है—

(क) कहा जाता है कि केवल भूमि-कर से प्राप्त आय आधुनिक सरकार के लम्बे खर्च को सहन करने के लिए काफी नहीं होगी।

(ख) उससे एक ढंग की आय के व्यक्तियों को दण्ड सहना पड़ेगा और हमारे लोग बिनकुल अछूते बच जाएंगे। यह न केवल अनुचित है, बरन् उससे कर देने से बचे रहने का मार्ग खुलेगा, क्योंकि जमींदार जमीन के बजाय हमारे ढंग की जायदाद प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे और उससे कर के बोझ का उचित वितरण नहीं होगा।

(ग) यह हिमायत लगाना आसान नहीं है कि ठीक ठीक कितनी आय अनर्जित है और व्यक्तिगत प्रयत्न अथवा भूमिस्वामी के सुधारों के फलस्वरूप आय में कितनी वृद्धि हुई है।

(घ) जहाँ भूमि का मूल्य कम हो जाता है, वहाँ राज्य द्वारा मुद्राबजा देना पड़ेगा। अनावश्यक रूप से सरकार भूमि मूल्य के उताव-चडाव के विवादों में फँस जाएगी।

(ङ) बहुत सी प्रशासन-सम्बन्धी कठिनाइयाँ होंगी।

आय पर एकल कर (Single Tax on Income)--समाजवादी आय पर एकल कर का समर्थन करते हैं। वे चाहते हैं कि प्रत्येक आय पर कर लगाना चाहिए।

कहा जाता है कि इससे भूमि पर एकल कर के समक्ष उपस्थित दो प्रमुख कठिनाइयाँ आमानी के साथ हल की जा सकती हैं। सभी आयों पर सामान्य तौर पर और ऊँची आयों पर अधिक कर लगाने में उचित कोप तैयार किया जा सकता है। वर्गीकरण और अन्तरीकरण (graduation and differentiation) के द्वारा भी कर का बोझ उचित ढंग में वितरित किया जा सकता है। किन्तु यह प्रस्ताव भी आपत्तियों से मुक्त नहीं है। निम्नलिखित आपत्तियाँ ध्यान देने योग्य हैं—

(क) यह कष्टप्रद होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को कर देने की असुविधा उठानी पड़ेगी।

(ख) अनेकानेक छोटी छोटी आयों से कर वसूल करने का खर्च लगभग निषेधात्मक होगा। फिर भी शासन सम्बन्धी सुधारों से इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है।

(ग) जब केवल एक ही कर होगा तो कर से बच रहना अपेक्षाकृत एक गम्भीर मामला होगा। शिथिलताओं को ठीक करने के प्रयत्न में कर-प्रणाली और भी दुरुह हो जाएगी।

(घ) प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयाँ होंगी।

(ङ) धन के उत्तराधिकारी बचे रहेंगे, यदि केवल आय पर कर लगाया जाएगा। इस पर केवल इमो प्रकार विजय प्राप्त की जा सकती है कि उत्तराधिकार को कर लगाई जाने वाली आय समझा जाए।

(च) इससे बचत पर रोक रहेगी और इसलिए पूंजी जमा न होगी और फिर इससे व्यापार और उद्योग के विकास में बाधा पहुँचेगी। इस आपत्ति को बचत पर छूट देकर दूर किया जा सकता है। किन्तु इसका अर्थ व्यक्तिगत आय पर कर लगाना न होगा वरन् व्यक्तिगत खर्च पर कर लगाना होगा। इससे फिर प्रशासकीय कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी और बहुत सी शिथिलताएँ रह जाएँगी।

इस प्रकार आय पर एक कर व्यावहारिक भी नहीं है।

इसहारे कर की दूसरी किस्म सम्पत्ति की पूंजीगत कीमत पर कर लगाना है। किन्तु हम पहले ही कह चुके हैं कि आय पर कर-निर्धारण जायदाद की अपेक्षा मनुष्य की अदा कर सकने की शक्ति का अधिक अच्छा सूचक है।

एकल कर के विशेष रूपों के विरुद्ध आपत्तियों के अलावा एकल कर के सभी रूपों के विरुद्ध सामान्य ढंग की दो दलीलें दी जा सकती हैं—

(क) इससे व्यक्तियों के बीच असमानता पैदा होगी और उस असमानता को केवल बहुसूत्री कर-प्रणाली द्वारा ही सुधारा जा सकता है।

(ख) एकल कर-पद्धति में कर देने से बच रहेना आसान है जबकि गुणक (multiple) प्रणाली में करों से बचना उतना आसान नहीं है।

एकल कर सिद्धान्तवादियों का स्वप्न था। व्यावहारिक राजनीतिज्ञों में उनके बहुत कम समर्थक हैं। इस धार-विवाद का केवल सैद्धान्तिक महत्त्व है, क्योंकि एकल कर व्यावहारिक वित्त के परे की चीज है। प्रत्येक देश ने कर निर्धारण की निश्चित प्रथमा गुणक कर-प्रणाली अपनायी है।

१२. स्थानीय कर (Local Taxation)¹—चूँकि स्थानीय अधिकारी ही नागरिकों के घनिष्ठ सम्पर्क में आते हैं, इसलिए स्थानीय कर-यत्रस्था का अपना महत्त्व पूर्ण स्थान है। इसलिए अर्थशास्त्रियों को स्थानीय कराधान के सिद्धान्त पर अवश्य विचार करना चाहिए।

स्थानीय वित्त की सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या केन्द्रीय और स्थानीय वित्त सम्बन्धों का समन्वय है। यह एक टेढ़ी समस्या है। प्रजातन्त्रवाद और कार्य-क्षमता कुछ अंश तक एक दूसरे के विरोधी हैं। प्रजातन्त्रवाद के सिद्धान्त की पूर्ति के लिए स्थानीय बोर्ड या कमिटी को बहुत अधिकार या छूट दनी पड़ती है। लेकिन स्थानीय बाड सुचारु रूप से उच्च कोटि की सेवाएँ नहीं कर सकना। फलस्वरूप वाय धमना गिरेगी। लेकिन यदि कोई कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार स्थानाय सहायों को अपने हाथों में लेती है तो स्थानीय बाडों की स्वतन्त्रता और अधिकार छिन जायेंगे। स्थानीय सुप्रबन्ध के लिए उन स्थानों की जानकारी आवश्यक है। लेकिन स्थानीय सम्पत्ति और स्थानीय आवश्यकताओं के बीच जो अन्तर होता है उसके कारण स्थानीय वित्त समस्या का समाधान अत्यन्त कठिन होता है। अधिकतर स्थानीय सम्पत्ति आवश्यकताओं की दृष्टि से बहुत कम होती है। जितना ही कोई स्थान निधन होता है, उतनी ही अधिक वहाँ की आवश्यकताएँ होती हैं। स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति अधिकारी भी प्रायः उदासीन रहते हैं। और फिर स्थानीय प्रशासन का स्तर भी प्रायः गिरा हुआ होता है। इस कमी को दूर करने के लिए स्थानीय करा और केन्द्रीय अनुदानों की उचित व्यवस्था आवश्यक है।

केन्द्रीय सरकार और स्थानीय शासन के बीच तीन प्रकार के सम्बन्ध होते हैं। सघातमक शासन में स्थानीय निकायों को व्यापक वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं, और उनके करारोपण सम्बन्धी अधिकार केन्द्रीय सरकार के अधिकारों से अक्सर टकराते हैं इसके विपरीत कठोर एकात्मक शासन में स्थानीय निकायों को प्रायः वित्तीय स्वतन्त्रता नाम मात्र की ही हानी है, और उन्हें केन्द्रीय अधिकार के नियन्त्रण में कार्य करना पड़ता है। वास्तव में अपने राजस्व पर उन्हें प्रभावी नियन्त्रण प्राप्त नहीं रहता। इन दोनों अतिवृत्तियों के बीच एक ऐसी स्थिति की भी कल्पना की जा सकती है जहाँ एकात्मक शासन के ढाँचे में स्थानीय निकायों को पर्याप्त स्थानीय स्वायत्तता प्राप्त रहे और वे आर्थिक एवं वित्तीय प्रवृत्तियों का भली प्रकार संचालन कर सकें। फिर भी हम सर्वत्र यही देख रहे हैं कि आधुनिक राज्यों की आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के वश स्थानीय वित्त पर केन्द्रीय प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है।

जिस प्रकार केन्द्रीय कर सम्बन्धी कुछ सिद्धान्त हैं उसी प्रकार स्थानीय करा के सम्बन्ध में कुछ सिद्धान्तों की स्थापना की जा सकती है। एक अच्छी स्थानीय कर-प्रणाली के लिए क्या-क्या बातें आवश्यक हैं? अन्य करा की तरह, स्थानीय करा को भी समानता, निश्चिन्ता, वचन तथा सुविधा के सिद्धान्तों को पूरा करना चाहिए। इनक

अलावा अच्छे स्थानीय करों की कुछ और भी विशेषताएँ हैं क्योंकि स्थानीय वित्त-व्यवस्था केन्द्रीय वित्त-व्यवस्था से बड़ी आधारभूत बातों में भिन्न है।

(१) अच्छे स्थानीय करों की एक मुख्य विशेषता यह है कि उनसे प्राप्त आय स्थायी हानी चाहिए। व्यापार के उतार-चढ़ाव का उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पटना चाहिए। स्थानीय सरकार के लिए यह बात अपेक्षाकृत बहुत आवश्यक है। स्थानीय सरकार की ऋण लेने की शक्ति सीमित होती है जबकि केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में इस दिशा में वस्तुतः कोई सीमा नहीं होती। अतः यह आवश्यक है कि स्थानीय सरकार की आय जहाँ तक हो सके स्थायी हो और व्यापार आदि की दशा पर निर्भर न हो। अन्वय्या मन्दी के दिना में स्थानीय सेवाओं का काम बन्द हो जाएगा। सन् १९३० में अमरीका में ऐसा ही हुआ।

(२) आधार का स्थानीयकरण स्थानीय कर-प्रणाली की दूसरी विशेषता है। जब तक कि कर का आधार कुछ सीमाओं के भीतर केन्द्रित न होगा, बजट पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण सम्भव न होगा, और स्थानीय स्वायत्तता भी पूर्ण न होगी। लेकिन इसमें एक खतरा भी निहित है। कगधान इतना भारी हो सकता है कि स्थानीय निकाय के क्षमता में पूँजी और उपयुक्त मद्रा के लिए विदा हो सकता है। छोटे क्षेत्रों में आमदनी का अचरितता कम होते हैं लेकिन बाहर जाने के अवसर अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। वन्दई में ऊँचे स्थानीय करों के कारण सूती मिल उद्योग वहाँ से हटकर हैदराबाद, अहमदाबाद आदि नगरों की ओर चला गया। इसलिए यह आवश्यक है कि स्थानीय कर अमीरा और गरीबों के बीच को खाई को और अधिक चौड़ा न करे। इसमें हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जहाँ तक सम्भव हो, स्थानीय वित्त व्यवस्था से तीव्र और प्रयत्नशील करों को यथासम्भव दूर रखना चाहिए। स्थानीय करों को आनुनातिक और थोड़ा ना घटता हुआ होना चाहिए।

(३) "स्थानीय उपयोग के लिए स्थानीय कर" एक तीसरी विशेषता है। राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच कर लगाने के अधिकारों का उचित बँटवारा होना आवश्यक है। इसमें स्थानीय स्वायत्तता अक्षुण्ण बनी रहेगी। ऐसा न होने पर दोषारा और तिबारा कर लगाने का डर बना रहेगा, जिससे वित्तीय क्षेत्र में बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। साथ ही केन्द्रीय सरकार को अपनी कर-व्यवस्था को उन्नतिशील बनाने में अड़चन होगी।

इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए भूमि और मकान पर कर स्थानीय उद्देश्यों के लिए अति उत्तम प्रतीत होते हैं। इन करों से आय स्थायी होती है और इनका आधार निश्चिन्त रूप से केन्द्रित होता है। स्थायी होने का कारण यह है कि अन्य मान या तुलना में इनके चलन का वेग धीमा होता है और फलस्वरूप इनके मूल्य में कम उतार-चढ़ाव होता है। अचल सम्पत्ति पर कर में एक और अड़चन है। प्रत्येक नागरिक के आर्थिक जीवन में उनका इतना महत्व होता है कि कर के बोझ से भार में भी काफी प्राय हो सकती है। 'इस प्रकार अयोग्य सरकार इस तरह से स्वतन्त्र रूप में काफी राजस्व प्राप्त कर सकती है और उन्हें अपनी मदों को अधिकतम करने की जरूरत भी नहीं है।' केन्द्रीय सरकार द्वारा इन करों पर

अधिकार प्राप्त करने का भी डर नहीं रहता । सामान्य समय में केन्द्रीय सरकार की दशा ठीक रहती है किन्तु आपातकाल में इन मशौ से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त नहीं कर सकती, चूँकि ये पूर्णतया स्थायी होते हैं ।

फिर भी अचल सम्पत्ति पर कर लगाने के सम्बन्ध में एक कमजोरी नजर आती है । अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन बहुत दिनों पहले हुआ था । स्थानीय निकाय अचल सम्पत्ति के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त नहीं कर सकते । हाँ, यदि केन्द्रीय सरकार स्थानीय अचल सम्पत्ति के वर्तमान मूल्यांकन का प्रबंध कर दे, तो कुछ सुविधा हो सकती है । एक दूसरी कठिनाई छूट के गुणन से पैदा होती है । फल यह होता है कि जिन्हें छूट नहीं मिल पाती उन्हें कर का अधिक भार वहन करना पड़ता है । सिद्धान्ततः भूमि कर या अचल सम्पत्ति पर कर के विरुद्ध यह बात बही जाती है कि स्थानीय अधिकारों की दृष्टि से यह आय लोचनीय है, और करदाता की दृष्टि से यह प्रतिगामी है । लेकिन हम यह पहले ही कह चुके हैं कि लोचनीयता और प्रतिगामी स्वरूप, स्थानीय कर-प्रणाली के गुण हैं, दोष नहीं ।

तो फिर उपर्युक्त विक्षेपण के बाद हम किन करों को स्थानीय प्रयोजनों के लिए उचित मानें ? कितनी नए देश में सबसे अच्छा कर वह होगा जो अचल सम्पत्ति (जमीन) के मूल्य के अनुसार निर्धारित किया जाएगा । इसके अतिरिक्त आमोद-प्रमोद कर, सवारी कर, मोटर कर, चूंगी कर, आजीविका कर, साइकिल कर, पशु कर आदि भी लगाए जा सकते हैं ।

यदि स्थानीय सरकारों को अनुदान देने की व्यवस्था हो तो इससे विभिन्न स्थानीय निकायों में समता स्थापित की जा सकेगी । अनुदानों से स्थानीय आवश्यकताओं और स्थानीय साधनों के बीच का अन्तर कम किया जा सकेगा । स्थानीय साधनों की सहायता करना नितान्त आवश्यक है । किन्तु अनुदान देते समय अत्यधिक उदारता न करनी चाहिए अन्यथा स्थानीय अधिकारी अधाधुंध खर्च कर डालेंगे । स्थानीय अधिकारियों को प्रत्येक मद पर व्यय करने के पूर्व अनुमान तैयार कराने चाहिए और व्यय होने के बाद स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा होनी चाहिए । सभी कार्यों के लिए एक मुश्किल अनुदान अच्छा रहेगा किन्तु विशिष्ट कार्यों के लिए अलग-अलग अनुदान उतने ठीक नहीं क्योंकि छोटे छोटे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुदान स्थानीय आय-व्ययों के लिए सिर दब बन सकते हैं ।

कर का भार या करापात

(Incidence of Taxation)

१ कर का भार और उसका महत्व (Incidence and its Importance)—वास्तव में कर कौन देता है ?—यही कर के भार की समस्या है। कर सदैव उन्हीं व्यक्तियों पर नहीं पड़ता जो उसको प्रारम्भ में देते हैं। कभी-कभी वह अन्य व्यक्तियों पर टाला जा सकता है। करापात का अभिप्राय कर के अन्तिम स्थान पर स्थिर होने से है। कर का भार उस मनुष्य के कंधों पर पड़ता है, जो अन्त में उस कर का द्रव्य भार सहन करता है।

हम दबाव (impact) और भार (incidence) में भेद कर सकते हैं। कर का दबाव उस व्यक्ति पर होता है जो प्रारम्भ में उसे देता है। और भार उस व्यक्ति पर होता है जो अन्त में उसे सहन करता है। यदि चीनी पर उत्पादन-कर लगा दिया जाता है, तो प्रारम्भ में उमका भुगतान चीनी का व्यवसायी करता है, तथा उसका दबाव उसी पर ही पड़ता है। परन्तु वह कर चीनी की बिक्री के समय मूल्य में जोड़ दिया जाएगा जो कि तबादलों द्वारा अन्त में चीनी के उपभोक्ता पर पड़ेगा। अतएव उसका भार अन्त में उपभोक्ता पर पड़ता है।

कर या भार, विवर्तन नहीं होता (Incidence is not Shifting)—कर विवर्तन का अर्थ है हस्तांतरण की विधि अर्थात् एक कर का उस व्यक्ति से, जो सबसे पहले भुगतान करता है, आगे उस व्यक्ति तक बढ़ना, जो अन्त में सहता है। यह कर विवर्तन या चलन की विधि के द्वारा ही है कि कर का भार अन्त में वहीं-न कही पड़ ही जाता है। कर विवर्तन की क्रिया धीमी हो सकती है अथवा कुछ ही अंग तक प्रभावक हो सकती है, जिसके कारण एक कर का बोझ उस व्यक्ति पर पूरी तरह नहीं भी पड़ सकता, जिस पर कि पड़ना चाहिए था। कर विवर्तन को प्रतिक्रिया या प्रतिप्रभाव (repercussion) भी कहते हैं।

कर विवर्तन अपवचन से सवया पृथक् है (Shifting is Quite Different from Evasion)—अपवचन का अर्थ कर देने से मुंह चुराना है। मैं कर लगी हुई वस्तु का उपभोग छोड़ सकता हूँ और इस प्रकार कर को टाल सकता हूँ। इस प्रकार कर से बचना बिलकुल कानूनी है। अपवचन में किसी दूसरे पर कर विवर्तन का कोई प्रश्न नहीं उठता, बर तो बिलकुल दिया ही नहीं जाता।

कर के 'भार' और प्रभाव या परिणाम में भेद करना चाहिए। कर के प्रभावों से उमक आनुपगतिक परिणाम प्रतीत होते हैं। एक कर के लगाने से ऐसे बहुत से परिणाम होते हैं जो कि कर भार की समस्या से सवया पृथक् होने हैं। जैसा कि

हम देख चुके हैं, यदि चीनी पर उत्पादन कर लगाया जाता है तो वह अन्त में चीनी के उपभोक्ता पर विवर्तित किया जा सकता है। उपभोक्ता पर उसका भार पड़ता है परन्तु ऐसे उत्पादन-कर के प्रभाव गहरे भी हो सकते हैं, भारी उत्पादन-कर किसी उद्योग को कुचल सकता है। उम व्यवसायी का लाभ कम हो सकता है। मजदूरी घट सकती है। श्रमिकों तथा पूंजीपतियों को उद्योग छोड़ना पड़ सकता है। हजारों विधौलियों की, जो कि चीनी के वितरण में लगे हुए हैं, आय घट सकती है। उनके पारिवारिक आय व्ययको (बजटो) में उथल-पुथल होने के कारण कुछ अन्य वस्तुओं की मांग पर भी प्रभाव पड़ सकता है। चीनी का उपभोग कम हो सकता है और उसकी स्थानापन्न वस्तुओं का उपभोग बढ़ सकता है। यह सब कर के हा प्रभाव हैं।

हम कर के द्रव्य-भार तथा वास्तविक भार में भेद कर सकते हैं। कर का मुद्रा-भार, कोष में जो कुल द्रव्य आता है उसके बराबर होता है। यदि एक उपभोक्ता को ५ रुपये प्रतिमास चीनी पर इसलिए व्यय करने पड़ें क्योंकि चीनी पर कर लगा हो, तो उसको मुद्रा-भार सहना ही होगा। परन्तु वह चीनी के उपभोग को कम कर सकता है जिससे उसके आर्थिक क्षेम में कमी हो जाएगी। उसको अन्य वस्तुओं के उपभोग को भी कम करना पड़ सकता है। यह प्रेरणा, अनुविधा, त्याग अथवा मक्षेप में आर्थिक कल्याण की क्षीणता है जो कि एक कर का वास्तविक भार कहा जा सकता है। कर के भार में हम मुद्रा भार को ही देखते हैं, न कि वास्तविक भार को।

२. प्रत्यक्ष और परोक्ष कर (Direct and Indirect Taxes)—हम पहले यह बता चुके हैं कि कर के भार की समस्या, जहाँ तक कि एक प्रत्यक्ष कर की सम्बन्ध है, बहुत सीधी है, क्योंकि एक ही व्यक्ति पर कर का आपात् और कर-भार पड़ते हैं परन्तु एक परोक्ष कर का एक व्यक्ति पर तो दबाव पड़ता है और दूसरे पर भार। एक प्रत्यक्ष कर को विवर्तमान बनाने की इच्छा से नहीं लगाया जाता, जब कि एक परोक्ष कर को इसी इच्छा से लगाया जाता है। वास्तव में कर के भार की समस्या परोक्ष कर के सम्बन्ध में ही खड़ी होती है। इसमें पहले कि हम एक कर के भार की खोज करें, हमको चाहिए कि प्रत्यक्ष और परोक्ष करों में अधिक स्पष्ट रूप में भेद करें और उनके सापेक्ष गुण-अवगुण का अध्ययन करें।

वस्तुओं पर कर, साधारणतः परोक्ष कर कहलाते हैं, क्योंकि वे पूर्ण रूप से अथवा अपूर्ण रूप से उपभोक्ताओं पर टाल दिए जाते हैं यद्यपि वे विक्रेता या उत्पादकों से पहले वसूल किए जाते हैं। परन्तु हमको यह याद रखना चाहिए कि वेबल एक वस्तु पर कर का लगाना ही उसको परोक्ष कर नहीं बना देता। कर को परोक्ष कहने से पूर्व हमको यह निश्चित करना चाहिए कि उसका दबाव विवर्तमान हो। यह भी बहुत सम्भव है कि किसी वस्तु पर कर लगाया जाए, तो भी उसकी कीमत पर कोई प्रभाव न पड़े। इस अवस्था में उपभोक्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना और कर प्रत्यक्ष होगा न कि परोक्ष यद्यपि कर वस्तु पर ही है।

३ प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों के सापेक्ष गुण और अवगुण (Relative Merits and Demerits of Direct and Indirect Taxes)—हम प्रत्यक्ष करों के पक्ष में यह कह सकते हैं (In favour of direct taxes we can say)—

(क) वे अधिक निष्पक्ष हैं, क्योंकि उनमें क्रमबद्धमान सिद्धान्त लागू होता है। कर की दर को बदला जा सकता है ताकि कर नागरिक की कर-देयता के अनुसार हो।

(ख) वे मितव्ययी होते हैं, क्योंकि उनके सग्रह पर बहुत थोड़ा व्यय होता है और क्योंकि कर-दाता और राज्य के बीच में कोई मध्य जन नहीं होते इसलिए मार्ग में कर का कोई भ्रष्ट लोप नहीं हो जाता।

(ग) उनकी प्राप्ति की गणना बहुत कुछ पूर्ण रूप से की जा सकती है। कर-दाता को भी अपनी निश्चित राशि का, जो उसको देनी है, जान होता है।

(घ) उनमें अत्यधिक मात्रा में लाच होती है। प्रायः कर के युद्ध में राज्य को अत्यधिक बड़ी हुई आवश्यकताओं की काफी पूर्ति की।

(ङ) वे कर-दाताओं में एक नागरिक चेतना का भाव उत्पन्न करते हैं। एक मनुष्य जो कि प्रत्यक्ष कर देता है, और जो यह अनुभव करता है कि वह राज्य के व्यय के प्रति धन दे रहा है तो उससे यह आशा की जाती है कि वह नागरिक मामलों में अधिक तीव्र अभिर्गच रहेगा।

इसके विपरीत प्रत्यक्ष करों में कुछ अस्वगुण भी होते हैं (On the other hand, direct taxes have some drawbacks too)—(क) उनके भुगतान करने में बहुत असुविधा होती है। प्रत्यक्ष कर-दाता को उनको देते समय कष्ट होता है। इसलिए वे लोकप्रिय नहीं हैं। कर को एक इकट्टी राशि में देना पड़ता है। विक्रय बन्दी का अनुवर्तन एक जटिल काम है और बहुत क्लेश सहना पड़ता है।

(ख) उनको आसानी से बचाया जा सकता है और राज्य को यथोचित प्राय में धोखे के कारण कमी हो जाती है। एक तरह से प्रत्यक्ष कर ईशानदारी पर लगाए गए कर के समान होता है।

परोक्ष कर के मूल निम्नलिखित हैं (The Merits of Indirect Taxation are as under)—

(क) ये सुविधाजनक हैं। हम जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो कर देते हैं और वह उस समय जब वह सुविधा से दिया जा सकता है। वह थोड़ा-थोड़ा बरके दिया जाता है, न कि एकमुश्त। 'बहुत से व्यक्ति कर के मामले में अघकार में रहना पसन्द करते हैं।' कर-दाता यह अनुभव नहीं करता कि वह कर दे रहा है। कर तो उस वस्तु के मूल्य में मिश्रित रहता है जिसको वह खरीदता है।

(ग) परोक्ष कर को टालना अत्यन्त दुष्कर है।

(ग) यदि उन वस्तुओं पर कर लगाया जाए जो कि प्रायः धनी पुरुष ही उपभोग करते हैं, तो परोक्ष करों को भी अधिक समान बनाया जा सकता है। विलास-सामग्री पर साधारणतः कर अधिक दर से लगाया जाता है।

(घ) जब कि परोक्ष कर जोधन की अनिवार्यताओं पर लगाया जाता है प्रमत्त उन वस्तुओं पर जिनकी माँग तोचपूर्ण हो, तो वह कर बहुत असा तक लोच-पूर्ण हो जाता है।

(ङ) उनका एक लाभदायक सामाजिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऐसे करों द्वारा हानिकारक पदार्थों तथा मादक वस्तुओं के उपयोग को कम किया जा सकता है।

परोक्ष करों में निम्नलिखित अवगुण होते हैं (The Demerits of Indirect Taxes are as follows) —

(क) वे अनिश्चित होते हैं। किसी कर के, जो कि एक वस्तु पर लगाया गया हो, अनेक प्रभावों के सम्बन्ध में पूर्ण धारणा करना मर्यादा सम्भव नहीं है। वित्तमन्त्री ठीक ठीक यह अनुमान नहीं कर सकता कि एक कर से कितनी आय प्राप्त हो सकेगी।

(ख) वे प्रतिगामी होते हैं। एक कर लगाई हुई वस्तु का प्रत्यक्ष उपभोक्ता, चाहे वह धावान हो अथवा गरीब, एक ही दर से कर देता है। अतएव, वास्तविक भार गरीब पर धनवान की अपेक्षा अधिक पड़ेगा।

(ग) वे कर दाता में किसी नागरिक चेतना का विकास नहीं करते।

(घ) यद्यपि दुकानदार को अर्बतनिव कर इकट्ठा करने वाला समझा जाता है, तो भी यह विचार किया जाता है कि कुछ निश्चित परोक्ष करों को वसूल करने में लागत अत्यधिक लग जाती है। सीमा शुल्क के वसूल करने के लिए एक उच्च आगम वर्गचारी वर्ग को, चोरी से भीतर से माल लाने को रोकने के लिए छापा मारने वाले समूह का अभियोजन करना पड़ता है। यह कर एक दूसरी दृष्टि से भी अनाभकर हैं। कर आरोपित वस्तु अनेक मध्य जनों के बीच से निकलती है और हर एक उम पर कुछ कर जोड़ देता है। इस प्रकार अन्तिम ग्राहक, राज्य को जो कुछ मिलता है, उससे कहीं अधिक भुगतान करता है।

४ कर का सम्मिश्रण सिद्धांत (Diffusion Theory of Taxation) — कर के सम्मिश्रण के सिद्धांत को मानने वाले यह कहते हैं कि कर समुदाय में अपने आप विस्तारपूर्वक मिश्रित हो जाता है जिससे कि हर एक कर दाता कर के बोझ का केवल एक छोटा अनुपात ही अपने ऊपर लेता है। वह एक ऐसा अनुपात है जिसे वह सह सकता है और उसे सहना भी चाहिए। वास्तविकता यह है कि कर का बोझ अपने आप समाज के विभिन्न वर्गों के ऊपर बराबर से बँट जाता है।

विनिमय की विधि के द्वारा प्रसार होता है। यदि किसी वस्तु पर कर लगा दिया गया है तो वह वस्तु की कीमत में छिपकर धीरे धीरे उपभोक्ताओं पर आ जाता है। लाभ पर लगाया हुआ कर भी वस्तु की लागत में आ जाएगा। कर उत्पादन व्यय का एक भाग होता है या किसी सेवा काय के व्यय का भाग होता है और इस प्रकार यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास वस्तु के साथ जाता है और शांत हो जाता है जब कि उसे होना ही चाहिए। यह समुदाय में किसी विशेष भाग को हानि नहीं पहुँचाता।

इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि करारोपण का कुछ प्रसार या सम्मिश्रण ता होता ही है परंतु यह कहना कि कर प्रसार के कारण करारोपण का बोझ अपने आप कर दाता की सहनशक्ति के अनुसार समायोजित हो जाता है, शायद अतिशयोक्ति होगा। यदि यह इतना स्वयंमयी होता तो वित्तमंत्रियों को किसी कर के सम्भावित प्रभाव का पता लगाने और उसकी गहरी खोज करने की आवश्यकता न पड़ती। यदि कर किसी अज्ञात नियम के अनुसार प्रसारित हुआ करते, तो वे किसी

विशेष वर्ग के लोगों के लिए करारोपण के मार्ग न ढूंढें। कोई भी यह गम्भीरता-पूर्वक विश्वास नहीं करता कि वर नमस्त समुदाय के ऊपर अपने आप न्यायोचित दण्ड में जैसे हुए हैं वरना जब भी कर लगाया जाता है, उस समय के कोलाहल की ध्याएया हम बिना प्रकार कर सकते हैं।

कुछ ऐसे कर हैं जैसे पोल टैक्स, उत्तराधिकार कर या आय कर जिनमें कि विवर्तन (shifting) बिलकुल नहीं होता, उनमें सम्मिश्रण भी बिलकुल नहीं होता। इस सिद्धान्त का प्रयोग केवल सीमित है। यह परोक्ष करों के सम्बन्ध में प्रयुक्त होता है और उनके सम्बन्ध में भी यह नहीं कहा जा सकता कि ये नमस्त समुदाय में स्वयं फैल जाते हैं।

सम्मिश्रण या प्रसार-सिद्धान्त स्वतन्त्र और पूर्ण प्रतिযোগिता को मान लेता है, जिसका अस्तित्व नहीं होता। आर्थिक सघर्ष अधिक मात्रा में रहता है जो कि कर के विवर्तन के मार्ग को रोकता है।

प्रसार सिद्धान्त, नियम की दृष्टि से दोषपूर्ण है, वास्तविक अनुभव तथा विश्वास के प्रतिकूल है तथा यह केवल एक सीमित प्रयोग के ही अन्तर्गत है। इसकी केवल यही विशेषता है कि यह इस बात पर जोर देता है कि कर जहाँ पहुँचे लागू किए जाते हैं, वही नहीं बने रहते। किन्तु समाज में उचित रूप से पूर्णतः कर के बोझ को वितरित करने के लिए हम ऐसे सिद्धान्त पर विश्वास नहीं कर सकते।

हम अब कुछ महत्त्वपूर्ण करों के भार पर विचार करेंगे।

५ वस्तु कर (Commodity Tax)—किसी वस्तु पर कर विवर्तन की प्रवृत्ति उत्पादक से उपभोक्ता की ओर, और फिर उपभोक्ता से उत्पादक की ओर विवर्तन करती रहती है। किसी वस्तु के उत्पादन पर कर की प्रवृत्ति उसकी कीमत को बढ़ाने की ओर रहती है और इसलिए उसको साधारणतः उपभोक्ता सहन करेगा। किन्तु उपभोग पर कर लगाने से उपभोग पर रोक लगाने की सम्भावना रहती है और उसकी प्रवृत्ति फिर पीछे उत्पादक तक विवर्तन की ओर रहती है।

किन्तु जिस सीमा तक वास्तव में कर का विवर्तन किया जाएगा, यह माँग और उसकी पूर्ति बन्नी पर आधारित है। यदि माँग लोचहीन है, जैसा कि जीवन की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में है, तो लोग उस वस्तु को अवश्य खरीदेंगे। उत्पादक की स्थिति दृढ़ रहेगी और कर के पूरे बोझ को उपभोक्ता पर विवर्तित किया जाएगा। परन्तु यदि माँग लोचदार हुई तो लोग कम खरीदेंगे। इस स्थिति में कर की पूरी रकम के अनुसार कीमत नहीं बढ़ेगी। इसलिए कुछ अन्न में विक्रेता व कुछ अन्न में खरीदार कर का बोझ सहन करेंगे। ठीक-ठीक कितना? यह लोच की मात्रा पर निर्भर करेगा। इसी प्रकार यदि पूर्ति लोचहीन होती है, जैसा कि सराब हो जाने योग्य वस्तु के सम्बन्ध में होता है, विक्रेता पूर्ति को वापस नहीं ले सकता। उसकी स्थिति कमजोर होती है। कर उसी पर पड़ेगा और जमा रहेगा। यदि पूर्ति लोचदार हुई तो वह उपभोक्ता पर बोझ को विवर्तित कर सकता है।

यह सम्भव है कि कीमतों में बिलकुल वृद्धि न हो। यह तब होता है जब कि उपभोक्ता उन वस्तु को ऐसी प्रतिपूर्ति ढूँढ़ निकालता है, जिस पर कर नहीं लगा हो

या उसने कोई दूसरी ऐसी वस्तु निकाली हो जो उसी की स्यानापन हो और जिम पर कर न लागू हो। ऐसी स्थिति के कर का पूरा बोझ उत्पादक तथा विक्रेता पर पडगा।

पूर्ति की ओर से प्राप्त के नियम अपने प्रभाव का प्रयोग करेंगे। किसी वस्तु पर कर लगान में उसकी मांग पर राज लागती है जिसके बदले में उत्पादन भी रुक जाएगा। यदि किसी उद्योग पर क्रम बद्धमान प्राप्ति का नियम लागू होता है तो ऊँची लागत पर कम उत्पादन होगा, किन्तु यदि आह्वामी प्राप्ति का नियम लागू होता है तो कम लागत पर अधिक उत्पादन। इस स्थिति से पहले बताई गई स्थिति में कीमतें ऊँची होंगी, फलन उपभोक्ता पर बोझ आएगा।

बहुत कुछ कर की रकम और प्रणाली पर भी निर्भर करता है। छोटे कर की कोई चिन्ता नहीं करता। थोड़ी सी रकम के लिए कोई उत्पादक अपने ग्राहक को परेशान करना पसन्द नहीं करेगा। वह स्वयं प्रसन्नता के साथ उसे सहन करेगा। केवल जब कर की रकम भारी होगी तभी उसका विवर्तन होगा। सीमान्त पैदावार पर कर कीमत को बढा देगा पर तु आधिक्य पैदावार पर नहीं।

वस्तु की किस्म से भी अन्तर पडगा। शक्कर जैसी वस्तु पर लग कर का विवर्तन सीधे से हो जाएगा। किन्तु इतनी जल्दी एक मकान पर लग कर का विवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि एक निश्चित अवधि के लिए किराया निश्चिन होना है और जब तक पट्टा चालू है, उम अवधि में कुछ भी नहीं किया जा सकता।

वस्तु-कर के विवर्तन की क्रिया को जो अन्य तत्व प्रभावित करते हैं, वे यह हैं—प्रतियोगिता पूर्ण है या नहीं तथा श्रम और पूँजी स्वतन्त्र रूप में गतिशील है या नहीं। केवल स्वतन्त्र और बन्धनरहित प्रतियोगिता के द्वारा ही कर को उपभोक्ता तक पहुँचाया जा सकता है। अन्यथा यह उत्पादक पर ही स्थिर रहेगा। यदि श्रम तथा पूँजी स्वतन्त्र रूप में गतिशील हैं तो इससे उत्पादक की उपभोक्ता पर बोझ डालने की क्षमता में वृद्धि होती है। इसके विपरीत, यदि किसी उद्योग में पूँजी बड परिमाण में एकजित और बेकार पडी है, तो उत्पादक की उतनी ही स्थिति कमजोर रहेगी और सम्भावना इस बात की रहेगी कि उसी को कर का बोझ सहन करना पडेगा। वह अपनी पूँजी को वापिस नहीं ले सकता। कुछ समय गँवाते हुए भी उसे मँदान में रहना ही होगा।

इस प्रकार 'भार' बहुत जटिल प्रश्न है। यह कीमत की निर्धारण की बड़ी समस्या का एक भाग है। कीमत पर भिन्न भिन्न और परस्पर विरोधी प्रभाव होते हैं।

६ एकाधिकार पर कर (Tax on Monopoly)—हम यह बता चुके हैं कि कर भार का प्रश्न कीमत सम्बन्धी सिद्धान्त के बड प्रश्न का एक भाग है। जिस प्रकार एकाधिकार के अन्तर्गत कीमत निर्धारण प्रतियोगिता की स्थिति में होने वाले कीमत निर्धारण से भिन्न होता है, उसी प्रकार एकाधिकार पर कर का भार भी भिन्न रूप में कार्य करता है।

एकाधिकार कर (क) एकाधिकृत उत्पादित वस्तु की उपस्थिति से स्वतन्त्र

हो सकता है (ख) तथा वह पैदावार से भिन्न रूप का हो सकता है अर्थात् पैदावार के साथ वृद्धि या कमी ।

जब कर उत्पादित वस्तु के परिमाण से स्वतन्त्र होता है, तब यह एकाधिकारी पर एकमुश्त रकम के रूप में कर, या एकाधिकारी के विशुद्ध राजस्व (लाभ) का एक प्रतिशत हो सकता है । इन दोनों स्थितियों में यह एकाधिकारी पर पड़ेगा । वह इसका विवर्तन उपभोक्ता पर नहीं कर सकता । ऐसा कीमत बढ़ाकर किया जा सकता है । किन्तु ऐसा माना जाता है कि वह पहले ही कीमत निश्चित कर चुका है, जिससे उसके एकाधिकार की अधिकतम विशुद्ध आय हुई है । इससे ऊँचे या नीचे मूल्य (कीमत) का अर्थ होगा कम एकाधिकार का लाभ । यदि उसके लिए अपना लाभ अधिकतम करने की नीति के अनुत्पन्न कीमत बढ़ाना सम्भव होता है, तो उसने इसे पहले ही कर लिया होता है । इस प्रकार लाभ काटकर ही कीमत में कोई परिवर्तन होगा । ऐसा होने के कारण उसको अब अपने लाभ में से ही कर का भुगतान करना होगा । विक्रय-कीमत को अपवर्तित रखकर और उपभोक्ता को बिना प्रभावित किए हुए वह कर का भुगतान करने के बाद अधिकतम लाभ प्राप्त करेगा ।

यह सम्भव है कि वह वजाय यह खोज करने के कि कर देने के बाद लाभ को कैसे अधिकतम किया जाएगा वह कीमत बढ़ाकर उपभोक्ता पर कर का बोझ डाल दे । लेकिन ऐसा करना लाभ को कम करना होगा ।

यदि अधिकतम लाभ पाने की अपेक्षा वह उपभोक्ता के हित का ध्यान रखते हुए कम लाभ लेता है तो जब कर लगेगा, वह धीरे से उसे प्राप्त कर लेगा और इस सीमा तक कर के बोझ को उपभोक्ताओं पर विवर्तित कर दिया जाएगा ।

आइए हम अब यह अध्ययन करें कि जब कर प्रत्यक्ष रूप में या उलटे रूप में उत्पादित वस्तु के परिमाण में भिन्न होता है, तब क्या होता है । ऐसी स्थिति में जैसा कि पहले विचार किया जा चुका है, माँग और पूर्ति की लोच तथा उत्पादन के नियमों के प्रभाव पर विचार करना होगा । कर उत्पादन की लागत में शामिल हो जाएगा । इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक उत्पादित इकाई के व्यय में योग हो जाएगा । अस्तु वस्तुओं पर कर लगने से कीमत बढ़ती है जो माँग को कम कर देगी ।

यदि वस्तु का उत्पादन नम वर्तमान प्राप्ति के नियम को मानता है, तो कर लगाने के फलस्वरूप उत्पादन में होने वाली कमी घटती हुई प्राप्ति के नियम से भी अधिक कीमत बढ़ा देगी । पहली स्थिति से दूसरी स्थिति में उपभोक्ता पर अधिक भार आएगा । जब भीमान्त लागत स्थिर है तथा एकाधिकारी के सामने माँग वक्र एक सीधी रेखा की तरह है, तो एकाधिकार कीमत के सिद्धान्त¹ के अनुसार कर लगाई गई वस्तु की कीमत कर की प्राचीन मात्रा के बराबर बढ़ जाएगी; जबकि प्रतियोगिता की स्थिति में कीमत कर की पूरी मात्रा के बराबर बढ़ जाती । यदि माँग वक्र नतोदर (Concave) है तो कीमत में वृद्धि इससे अधिक होगी । जहाँ माँग वक्र इस प्रकार नतोदर है कि सीमान्त आय वक्र प्रासंगिक फलभाव पर माँग वक्र के समानांतर है तो कीमत कर की पूरी मात्रा के बराबर बढ़ जाएगी । तो भी यदि माँग वक्र केवल

1 See Mrs J Robinson—The Economics of Imperfect Competition

नतोदर नहीं है परन्तु स्थिर लोच प्रकट करता है, तो सीमान्त लागत और कीमत के बीच अनुपात स्थिर रहेगा। सीमान्त आमदनी, कीमत से कम होने के कारण सीमान्त आमदनी वक्र की ढाल माँग वक्र की ढाल से कम होगी, अतः कीमत कर से अधिक बढ़ जाएगी।¹

यदि उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कर की दर उत्पादन के विपरीत रूप में भिन्न होती है, तब एकाधिकारी को अधिक उत्पादन करने तथा कीमत को नीचा रखने को प्रलोभन मिलेगा। कर का भार पूर्णतः एकाधिकारी पर होगा जो वास्तव में अपने एकाधिकार-लाभ का एक अंश उपभोक्ताओं को देता रहेगा।

सत्य यह है कि चूंकि एकाधिकारी में कीमत प्रभावित करने की बहुत अधिक क्षमता होती है और साथ ही चूंकि वह बाजार पर भी नियन्त्रण रखने की स्थिति में होता है, इसलिए एकाधिकार कर का भार अनिश्चित रहता है।

७ आयात तथा निर्यात पर कर (Taxes on Imports and Exports)—सामान्यतः तथा लगभग विशिष्टतः स्वदेश के उपभोक्ताओं को ही आयात करों को सहन करना पड़ता है। आयातकर्ता जो कर देता है, वह उस कीमत में जोड़ दिया जाना है जिसे वह दूसरे खरीदार से लेता है और यही तम चलता रहता है। अन्तिम रूप से कर उपभोक्ता तक ही पहुँचता है। ऐसे थोड़े से ही आयात होते हैं जिनमें कर का भार विदेशी उत्पादकों पर छोड़ा जा सकता है। यदि आयात की हुई वस्तु के लिए हमारी माँग लोचदार है ताकि हम उसे खरीदें या न खरीदें, और यदि पूर्ण लोचदार नहीं है, और विदेशी उत्पाद के लिए कोई दूसरा बाजार नहीं है, तब ऐसी स्थिति में कर का भार विदेशी उत्पादक पर डाला जा सकता है। किन्तु ऐसी स्थितियाँ बहुत कम रहती हैं तथा स्वदेश के उपभोक्ता ही को कर का भार सहन करना पड़ता है।

इसी प्रकार निर्यात कर माल भेजने वाले को देना पड़ता है। जहाँ तक उस का सम्बन्ध है विश्व के बाजारों में कीमत निश्चिन्त है। कोई भी व्यक्तिगत निर्यातक विश्व की कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। किन्तु हम यहाँ भी उस स्थिति की कल्पना कर सकते हैं, जिनमें अपवादस्वरूप निर्यातक मञ्जूर स्थिति में है, ताकि कर विदेशी खरीदार पर डाला जा सके। उदाहरणार्थ, किसी वस्तु की पूर्ण के हम एकाधिकारी हो सकते हैं और हमारे उत्पादनो के लिए विदेशियों की माँग लोचहीन हो सकती है, क्योंकि गन्तव्य दूसरे बाजार हमारे माल के लिए खुले हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम कर की पूरी रकम के अनुरूप वस्तु की कीमत बढ़ाकर निश्चित रूप में विदेशियों से निर्यात कर देना सकते हैं। किन्तु ऐसी स्थिति मुश्किल से आती है। जब तक यह स्थिति उपस्थित न हो, निर्यातक को ही निर्यात कर देना पड़ता है। डारटन ने यह नियम स्थिर किया है—“आयात और निर्यात पर करों को विनिमय की बाधा माना जा सकता है और पिछले सिद्धान्त के अनुसार ऐसी किसी बाधा के मुद्रा-सम्बन्धी भार को विनिमय के दो पक्षों के बीच में अपनी क्रमिक माँगों की लोच के विपरीत अनुपात में विभाजित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में

विभाजन उनकी अधिक आवश्यकताओं की तात्कालिकता के प्रत्यक्ष अनुपात में होता है जिनकी पूर्ति विनियम के द्वारा होती है।¹

c भूमि पर कर (Taxation on Land)—भूमि का मूल्य दो प्रकार क तत्वों पर निर्भर करता है—(क) भूमि की उर्वरता, भूमि की स्थिति तथा कुछ अन्य प्राकृतिक दशाएँ तथा (ख) नाशिया सम्बन्धी योजनाओं पर पूँजी का लगान। भूमि मूल्य विराधी उपाय निम्न ई सम्बन्धी सुविधाएँ तथा उत्पादित शक्ति को कायम रखन और उत्पन्न वृद्धि करन के लिए आवश्यक अन्य उपाय। प्रथम प्रकार क तत्व पर आश्रित रहने वाला कर आर्थिक लगान पर कर है और वह मालिक पर आता है। वह इस विराएदार पर नहीं लगा सकता। कारण अधिक लगान भूमि कर से स्वतंत्र भावना द्वारा निश्चित किया जाता है। सीमान्त भूमि से अगली भूमि की उत्पादक के अनुक्रम मालिक पहलू ने ही पूरा किराया लेता रहता है, यह अनुमान लगाया गया है। किन्तु यदि अनाज या घासस्यवसा वह पूरा आर्थिक किराया नहीं ले रहा है तो जब कर लगाया तब वह चारा और नीम ही अपनी दृष्टि डालता और धारे से उसे प्राप्त कर लेता। इस सीमा तब कर का वास्तविक किरायेदार पर आ जाता है।

इस प्रकार क कर अर्थात् आर्थिक लगान पर कर का शीघ्र उपभोगता पर नहीं टाला जा सकता क्योंकि केवल कीमत के द्वारा ही उभायता तक पहुँचा जा सकता है। हम जानते हैं कि लगान कीमत में नहीं शामिल होता। लगान को कम या अधिक करने का प्रभाव कीमत पर नहीं पड़ता। भूमि पर रहने वालों के द्वारा लगान का भुगतान होता है वह वत कोई अंतर नहीं उत्पन्न करती। यदि वह कर का भुगतान करता है तो वह मालिक को लगान का नुस्तान करने के समय उसे उसमर काट सकता है।

इन प्रकार भूमि के मालिक द्वारा आर्थिक लगान सहन किया जाता है न कि किरायेदार या उपभोगता के द्वारा।

किन्तु जहाँ मालिक भूमि में अपने विनियम को बदल सकता है, वहाँ जब कर लागू होगा वह अनाज विनियम का बंधन करेगा। इसका प्रभाव उर्वर पर और इतना कि अनाज की कीमत पर पड़ेगा। ऐसा स्थिति में अनाज उद्योग को स्थिति में कर उभायता पर पहुँचा जाता है।

अन्य के स्थानों पर लगान वला कर इन स्थानों के मालिक पर ही आयेगा भूमि की अधिक अन्तों स्थिति तब के कारण अतिरिक्त आय प्राप्त करते हैं पड़ता है।

d मकान पर कर (Tax on Buildings)—जहाँ तक यह निर्माण का सम्बन्ध है दो पक्षों का तत्काल पारस्परिक सम्बन्ध होता है। यथा है मालिक और किरायेदार। यदि मालिक पर कर लगाया जाता है तो वह मकान का किराया बजाने का प्रयास करेगा और इस प्रकार वह कर के वास्तविक किरायेदार बन जा रहेगा

पर पहुँचा देगा। किन्तु जब तक पट्टा चालू है उस अवधि के बीच वह कुछ नहीं कर सकता। किराय पर नियंत्रण रखन और मालिका को किराया बढ़ान से रोकन के लिए किराया कानून भी हो सकते हैं। यदि वह किराया बढ़ा भी सकता है तो किरायदार कम निवास स्थान का अधिक ऊँचा किराया लगभग हमारे मकान ग चला जा सकता है। अतः ऐसे मामला में कम से कम कुछ समय के लिए भार जमीं दार पर ही रहेगा। किन्तु परिणाम यह हो सकता है कि किराय पर उठान के लिए भवन निर्माण लाभप्रद साध्य न रहे। भारी कर भवन निर्माण की क्रिया में रुकावट हो जाएगा तथा सम्भव है कि इस कार्य में नगरीय लोगो व निर्माणकर्ता की आय का स्तर गिर जाए। भवना के लिए स्थानों की मांग कम हो सकती है। यदि वे उसे बेचने की चेष्टा करे तो नया खरीदार को ध्यान में रखगा और उनका अनुसूप कम कीमत आँकगा। किन्तु कुछ समय में मकानों का पूर्ति कम हो सकती है। तब किराय में अधिक वृद्धि होगी। इस प्रकार कुछ सीमा तक दर का बोझ पर किराय दारों पर आ जाएगा। इस प्रकार कर का बोझ अतः मालिकों और भवन निर्माण कर्ता और अशत रहने वाले पर पड़ता है।

इस प्रकार अतः हम इस परिणाम पर पहुँच सकते हैं कि सामान्यतः मकान पर लागू कर का बोझ रहने वाले पर आता है। परन्तु कुछ परिस्थितियों में इसे मालिक या निर्माण कर्ता या ग्राहक पर डाला जा सकता है।

१० जायदद कर (Property Tax) वास्तव में यह आय कर है और यह श्रमपूर्ति के अभिप्राय से लगाया जाता है। जब किसी भी प्रकार की जायदद पर कर लगाया जाता है तो उसका कीमत में वृद्धि होती है। यह मांग को कम करेगी तथा इसके पश्चात् पूर्ति समायोजित हो जाएगा जिससे इसका उत्पादक साधन दूसरे व्यवसाय में प्रयोग में लाए जाएंगे। इसके विपरीत कर के हटाए जाने अथवा कम करने से उत्पादक साधन इस ओर आकर्षित होगा। स्वामी वस्तुओं में जिनके उत्पादन में काफी समय लगना है पूर्ति केवल कम से प्रभावित होगी। यह मकानों में लागू होता है। उत्पादक वस्तुओं के विषय में क्या होगा? उत्पादक साधनों का जो कर लगाई गई वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग में लाए जाते हैं मूल्य कम हो जाएगा। परन्तु वह किस सीमा तक गिरेगा यह मांग की प्रकृति यत्र के जीवन तथा कब तक उसका प्रयोग सम्भव है इस पर निर्भर होगा। परन्तु जब उत्पादक वस्तुओं पर प्रत्यक्ष रूप में कर लगाया जाता है उनका मूल्य तुरन्त प्रभावित होगा। जितनी ही वस्तु स्थायी होगी और जितने ही समय तक दर लगन की सम्भावना होगी उतना ही अधिक उत्पादन मूल्य पर प्रभाव पड़गा जब कि कम स्थायी वस्तुओं पर थोड़ा समय के लिए कर लगन से प्रभाव कम पड़गा।

११ दरों का भार (Incidence of Rates)—सम्पत्ति के पूजोक्त मूल्य या वार्षिक मूल्य के अनुपात से अचल सम्पत्ति पर स्थानिक मन्थ्याया द्वारा दर लागू किए जाते हैं। उनका भार ठीक भवन निर्माण करों के भार जसा होता है। इसको भी मालिक रहने वाले या ग्राहक (यदि व्यावसायिक उद्देश्य में सम्पत्ति का प्रयोग होता है) सहन करेगा तथा हर एक पड़न वाला कमिक बोझ वार्षिक सवप तथा सभी

पक्षा की सम्बन्धित सीढ़ा करने की शक्ति या उस सम्पत्ति के लिए मांग और पूति की सापेक्ष लोचो पर निर्भर करेगा ।

यह सामान्य नियम है कि स्थान के मूल्य पर कर उसके मालिक पर पडेगा और भवन का कर अथवा निर्माण दर उसके रहने वाले या उद्योग के ग्राहक पर पडेगा । रहने वाले की दूसरा मकान बदलने की इच्छा तथा योग्यता पर बहुत कुछ निर्भर करेगा । जितना ही अधिक वह स्थान बदलने के लिए इच्छुक तथा योग्य होगा, उतना ही अधिक दर का भार मालिक पर पडने की सम्भावना होगी । अल्पावधि म मशह की रीति भी महत्वपूर्ण है । चाहे मालिक अथवा रहने वाले, जिस पर भी इसका दबाव होता है, अल्पावधि म इसकी प्रवृत्ति वही पर जमे रहने की रहेगी ।

यह सभी जानते हैं कि हर म्यूनिसिपैलिटी के तथा हर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अपने अपने अलग अलग दर होते हैं । इसलिए करदाता ऊँचे कर वाले स्थानो से हटकर नीची दर वाले स्थानो को हटना पसन्द करते ह । वर्तमान स्थानीय करो की असमानताएँ बहुत अधिक हैं किन्तु इनमे देश म उत्पादक साधनो के सही वितरण म सहायता मिलेगी ।

१२ मृत्यु कर (Death Duty)—लगभग सभी विकसित देशो में मृत्यु कर कर व्यवस्था का प्रमुख अंग है । मृत्यु कर के दो रूप होने हैं—मम्पदा कर (Estate Duty) तथा उत्तराधिकार कर (Succession Duty) । उत्तराधिकारी के सम्बन्ध म प्रयोजन न रखत हुए मृत व्यक्ति द्वारा छोडी हुई चल अचल समस्त सम्पत्ति के कुल मूल्य पर भू सम्पत्ति कर लगाया जाता है । सम्पत्ति के कुल मूल्य के अनुसार इसका वृद्धि हो जाती है । उत्तराधिकार कर में मृतक के साथ माफीदार (beneficiary) के सम्बन्ध के अनुरूप रूपांतर होता है । इसकी उम अल्प तत्त्व के आधार पर विभाजित किया जाता है जो सम्बन्ध की दूरी को बढ़ाता है । यह उत्तराधिकारी के वैयक्तिक हिस्सा पर विचार करता है न कि कुल मूल्य पर, असा कि भू सम्पत्ति कर के सम्बन्ध म होता है ।

मृत्यु करो का भार नहीं पर पडता है ? क्या यह भार मृतक या माफीदार अर्थात् उत्तराधिकारी पर हाता है ? यदि मालिक म चूका है तो ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु समस्त ऋण का भुगतान करती है । उससे अब और अधिक कर नहीं लिया जा सकता । उम पर प्राय कोई और बोझ नहीं डाला जा सकता । यदि उस प्रकार का कर देने के लिए उमका बीमा हुआ होता, तब वह निश्चित रूप म इसे महन करता जब कि उसने प्रीमियम का भुगतान किया है । क्योंकि जायदाद के मालिक को, जब कि वह जीवित था, ऐसी कोई सम्भावना नहीं थी, इसलिए अब उम कर का भार स्पष्टतः माफीदार पर पडगा क्योंकि वह उसकी अपनी कम सम्पत्ति का उत्तराधिकारी है । मृतक की सम्पत्ति पर लगाए गए कर क द्वारा वह और गरीब होता है ।

करदाता के दृष्टिकोण से भारी वार्षिक आय कर तथा मृत्यु कर में कौनसा कर अच्छा है ? यह इस बात पर निर्भर है कि वह किस दर से मृत्यु कर के अपने दायित्व को पूर्णप्रापण करता है । क्योंकि वर्तमान स्वामी को न तो अपनी आय देनी पडती है और न अपनी पूंजी । इसलिए वह मृत्यु कर के दायित्व को ऊँची दर से

अपहार करता है। अतएव मृत्यु कर का अर्थ उसके लिए थोड़े त्याग से है। अतः सरकार आय कर के लगाने के बजाय मृत्यु कर लगाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकती है तथा इससे करदाता को अस्त-तोष भी कम होगा।

जहाँ तक मृत्यु कर के आर्थिक प्रभाव का प्रश्न है, वे वापिक आय कर की भाँति अधिक हैं किन्तु एकमुदत कर भुगतान से समान उतने नहीं हैं। इसमें सन्देह नहीं कि मृत्यु कर का भुगतान भू सम्पत्ति अथवा पूँजी से किया जाता है परन्तु इस दायित्व को भुगतान करने में वेनी जाने वाली सम्पत्ति समुदाय की सामान्य दायित्व बचत द्वारा सरलता से खरीदी जा सकती है। अतः मृत्यु कर का भुगतान पूँजी की अपेक्षा आय से समझना चाहिए।

समुदाय में मृत्यु कर धन के वितरण में अधिक समानता लाना है और इसलिए सामाजिक न्याय के आदर्श के पूर्णतया अनुरूप है। यह उपभोग में स्थिरता प्रोत्साहित करता है।

यह बहुधा कहा जाता है कि मृत्यु कर छोटे व्यवसायियों का विस्तार के लिए पूँजी इकट्ठा करने में बाधक होता है। परन्तु इसके लिए केवल मृत्यु कर पर पूरा दोष न लगाना चाहिए। आजकल छोटी व्यावसायिक मस्याओं की पूँजी के बाजार में अधिक साख नहीं है। अतिरिक्त कर भी विनियोजन के लिए पर्याप्त निधी पूँजी में कमी कर देता है। तो भी मृत्यु कर कृपि पूँजी को हानि पहुँचाता है। वास्तविक भू सम्पत्ति का बाजार सीमित होता है और अब मृत्यु कर के दायित्व को भुगतान करने के लिए उन्हें बेचना होता है तो उसके उत्पादक मूल्य में भारी कमी हो सकती है।

१३ आय पर करों का भार (Incidence of Taxes on Income)—
 आय-कर, अतिरिक्त कर तथा आधिव्य लाभ कर में सभी प्रत्यक्ष कर हैं और इनको वे लोग सहन करते हैं जो पहले इनका भुगतान करते हैं। उनको माधारणतया स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता। किन्तु एक व्यवसायी यदि उन लोगों से जिनसे उस के व्यापारिक सम्पर्क हैं ज्यादा मजबूत स्थिति में होता है तो वह अपने कर के एक भाग को अपने ग्राहकों पर डाल सकता है। हो सकता है कि वह बहुत ही लोकप्रिय व्यापारी हो हो सकता है कि वह ऐसा चिकित्सक हो जिसमें उसकी रोगियों का पूर्ण विश्वास हो। ऐसी स्थिति में ग्राहक कुछ अधिक भुगतान करने को तैयार हो सकते हैं। किन्तु ऐसी स्थिति बहुत कम होती है और आय कर-दाताओं को ही कर का बोझ सहन करना पड़ता है। अल्पावधि में यह निश्चित है कि व्यवसायी पर कर की कीमत जो माँग और पूर्ति के द्वारा निश्चित होती है, कोई प्रभाव नहीं रखती। लाभ कीमत पर निर्भर करता है परन्तु इसके विपरीत नहीं है। अतः लाभ पर कर कीमत में वृद्धि करके उपभोक्ता पर नहीं डाला जा सकता। दीर्घकाल में भारी कर पूँजी धारण किए हुए लाभों को घटाकर उद्यम में बाधा डाल सकता है। परन्तु यह पूँजी लगाने के प्राप्य बर्कल्पित स्रोतों तथा पूर्ति की सोच पर निर्भर करेगा। यह कहना अत्यन्त कठिन है कि दीर्घकाल में क्या होगा। उदार कर की प्रवृद्धि प्रतिनिध्या न होने की संभावना है।

यदि आय कर अत्यधिक भारी है, तो यह वचत को हतोत्साह कर सकता है, पूंजी के इम्पल्स होने को रोक सकता है, या उसे बाहर निष्कास सकता है। ऐसे भारी कर की व्यापक प्रतिक्रिया होगी तथा समाज की उत्पादक क्षमता का ह्रास होगा। किन्तु मुद्रिकल से ही कर इनके भारी हतं हैं। अस्तु, साधारणतः ये कर जहाँ पर निर्भर करते हैं, जिन पर इन्हें लागू किया जाता है।

भारी आय कर उपक्रम तथा माहस को हनाग कर सकता है। फिर भी यह इस बात पर निर्भर होगा कि कर औसत आय पर पड़ता है या सीमान्त आय पर पड़ता है। पहली अवस्था में करदत्ता कम आय की श्रेणी में हस्तान्तरित हो जाता है तथा उसको अपने प्रचलित रहन-सहन का स्तर बनाए रखने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। यदि कर की वृद्धि पूर्णतया सीमान्त आय वालों पर पड़ती है तो इसका अर्थ आय को पूरा करने के लिए उत्साह भंग करने के कार्य में होगा। वास्तव में उद्यम कितना प्रभावित होगा यह करदाता की आय तथा उसके अपने प्रयत्न को परिवर्तित करने, दायित्व को परिवर्तित कर सजने की शक्ति पर निर्भर होगा। साधारणतया अपने प्रयत्नों को परिवर्तित करके आय को परिवर्तित कर सकने की शक्ति कुछ ही श्रमिकों में होती है। ऐसा तभी हो सकता है जबकि अतिरिक्त समय में काम करने की माँग अधिक है।

१४ धराज पर कर (Tax on Interest)—आय के स्रोत के रूप में साधारणतः आय कर के अन्तर्गत धराज पर कर लिया जाता है। किन्तु धराज से होने वाली आय पर जुदा कर लगाया जा सकता है। साधारणतः इस प्रकार के कर पूँजीपति द्वारा सहन किए जाएँगे। विरोध तथा तब, जब कि पूँजी की पूँति बहुत अधिक हो और पूँजी के लिए माँग कम हो परन्तु यदि माँग अधिकतर तात्कालिक है और पूँजी की पूँति बहुत छोटी है जैसा कि भारत में प्रायः होता है तो धराज पर लगने वाले कर को ऋण वाले पर पहुँचा दिया जायगा। बहुत कुछ पूँजी की गतिशीलता की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि पूँजी को न्यूनतम कुछ अन्य स्रोतों में ले जाया जा सकता है तो उधार देने के लिए पूँजी का पूँति सफुर्चित हो जाएगा जिससे धराज की दर बढ़ जाएगी। इनका अर्थ यह है कि इसका भार ऋण देने वाले पर होगा। वास्तव में मुद्रिकल में ही पूँजी इनकी गतिशील होती है तथा कर का एक अल्प कम से कम पूँजी के स्वामियों द्वारा सहन किया जाता है। यदि कर बहुत भारी है तो यह पूँजी के एकत्रित होने को हतोत्साहित करेगा, जिससे देश के व्यवसाय तथा उद्योग की क्षति होगी। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं में भार व्यापक रूप में फैल जाएगा।

१५ लाभ पर कर (Tax on Profits)—लाभ पर कर के भार की समस्या इस बात के कारण जटिल है कि लाभ तथा जिन तत्त्वों से यह बनते हैं, उनकी व्याख्या पर अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। प्रोफेसर वॉकर (Prof. Walker) जैसे अर्थशास्त्री लाभ को लाभ के सदृश मानते हैं। इस अर्थ में लाभ ऐसे उत्पन्न द्वारा अर्जित आयिक्य है, जो सीमान्त उद्यमी से श्रेष्ठकर है। सीमान्त उत्पादक द्वारा बाजार में कीमत निर्दिष्ट है इसलिए लगान के समस्त लाभ भी कीमत में नहीं शामिल होता। अतः इसे उपभोक्ता पर नहीं डाला जा सकता। इसे वही व्यापारी सहन करेगा जो इसका भुगतान करता है। किन्तु हम इस विचारधारा को नहीं मानते।

सोमान्त उद्यमी भी दीर्घावधि में थोड़ा लाभ प्राप्त कर सकता है। अतः साधारण लाभ आधिक्य नहीं बरन् आवश्यक लागत का एक भाग है। इसमें हम इस परिणाम पर नहीं पहुँचते कि जब तक उद्यमी कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता जिसको बड़ा मुश्किल से कर सकता है, तो लाभ पर लगाया कर उपभोक्ता पर डाल दिया जाएगा। किसी उद्यमी के लिए बाजार की कीमत निर्दिष्ट है। ऐसा होने के कारण उसका लाभो पर लग हुए कर उसी को अपनी जेब में अदा करने हाग। जब तक कीमतें तेजी से न घट रही हों और उपभोक्ता स्वर्गदत्त के लिए उतने 'चम्कित' न हों तब तक लाभो पर लगन वाला कर, जैसा कि नियम है, स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता। मगर ऐसा बहुत कम हाता है।

परन्तु यदि कर किसी विशेष व्यापार तथा उद्योग से हुए लाभ पर है, तो उद्यमियो में इन उद्योगों से हट जाने की प्रवृत्ति फैल जाएगी। यदि ऐसा होता है तो यह कर भार वस्तु के उपभोक्ताओं पर, तथा ऐसी सेवा प्राप्त करने वाला पर जि हे इन उद्यमियो ने उत्पादित किया अन्ततः डाला जाएगा। बहुत कुठ भाग की लोच तथा पूँजी की गतिशीलता पर निर्भर करता है।

लाभो पर लगने वाला कर लाइसेंस कर का रूप धारण कर सकता है। इस स्थिति में भी उत्पादक ही इसको सहन करेगा। अपनी हानि को मन्तुलित करने के लिए वह अपने उत्पादन को बढ़ा सकता है। उपभोक्ता को सामान्यतः लाभ होता है लेकिन लाइसेंस कर का भार उत्पादक पर पड़ेगा। यह सामान्यतः इतना छोटा कर होता है कि उत्पादक इसका विवर्तन करने की चेष्टा ही नहीं करता।

यद्यपि लाभ को कर से पूरी छूट देना वाञ्छनीय नहीं है तो भी अधिक करारोपण अवाञ्छनीय है। इसमें आदिष्कार तथा उद्यम पर बुझाराघात होगा। राजस्व खत्म हो जायेंगे और साथ ही मशीनों का आधुनिकीकरण का कार्य चोपट हो जाएगा। श्रीमती हिक्स (Mrs Hicks) के शब्दों में, लाभ पर अधिक कर का प्रभाव यह होगा कि प्रत्याशित लाभ के बरु पर अनिश्चित कर से बच बाएँ को मुड़ जाएगा, किन्तु इससे इसकी आकृति में अन्तर न आएगा तथा नुकसान का अदसर न होगा। इस प्रकार पहले ऊँचे लाभ के अन्वय में जो आश्रित बाल बड नुकसान के नियोजक बन्ना वे कारण सत्तुलित होते न खत्म हो जाते हैं और परिणामस्वरूप तुला इसके विरुद्ध हो जाती है, इसका विपरीत सुरक्षित नियोजन, जो अपक्षान्त प्रभाव रहिन रहता है, अधिक आकर्षक रहेगा। अधिक लाभो पर कर के विरुद्ध उपक्रम पूँजी' (venture capital) में भेद करना विसा देश के लिए गहन हो सकता है, अर्थात् आधुनिक विकास के साथ जुड़े रहना, यह विनोद रूप से औद्योगिक देश के लिए गहन है, जहाँ कई किस्म का औद्योगिक सामान मिलता है और जहाँ, नए उद्यम को होजियार रहने की जरूरत है। इस टैक्स में महत्वपूर्ण चक्र गति है। मन्दी में, प्रत्याशित प्राप्ति के बरु सीधे हो जाते हैं, बहुत से सुरक्षित नियोजन प्रायः आश्रित वाले वग में चले जाते हैं।"¹

१६ **आधिक्य लाभ पर कर (Excess Profit Tax)**—यह स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए कि आधिक्य लाभ पर कर का अर्थ अत्यधिक लाभ पर कर से नहीं है अर्थात् वह लाभ जो आवश्यक लाभ से अधिक है। कौन बता सकता है कि लाभ कितना होना चाहिए? यदि लाभ के लिए कोई एक दर निश्चित कर दी जाए जिससे अधिक लाभ प्रति लाभ मान लिया जाए तो यह मनमाना होगा। इस प्रकार अतिरिक्त विनियोजित पूंजी आदि के बारे में टैक्नीकल कठिनाइयों तथा अनियमितता के कारण, जो इस तरह के कर से पैदा होती हैं, बचना चाहिए क्योंकि इससे समयाय (equity) का सिद्धान्त भंग होता है। विशेष कठिनाइयों तथा इस कर की अव्यवस्थाओं के कारण इसको लागू देना चाहिए नहीं तो यह समता रीति के विरुद्ध होगा। क्योंकि अतिरिक्त सामान्य लाभ का होना इस बात का आवश्यक आर्थिक सूचक है कि समुदाय के उत्पादक साधन किस ओर ले जाए जायें। इसलिए ऐसी लाभ पर कर इस सूचक को हटाकर साधनों के सर्वोत्तम बंटवारे को रोकेगा। अतएव हम को ऊँचे लाभ पर यह समझकर कि लाभ भारी है कर न लगाना चाहिए।

१७ **मजदूरी पर कर (Tax on Wages)**—आधुनिक युग में मजदूरी (वेतन) पर प्रत्यक्ष कर नहीं लिया जाता। परन्तु सामाजिक बीमा की योजनाओं में धर्मिका के योगदान को मजदूरी पर कर माना जा सकता है। यदि धर्मिकों पर कर सामान्यतः लागू किया जाता है तो मजदूर नियोजकों पर इस कर को स्थानान्तरित करने में समय नहीं हो सकता यदि श्रमक लिए माँग लोचदार है और पूर्ति लोचहीन है। यह सबविदित है कि मजदूरों की सापेक्ष सौदा करने की शक्ति कमजोर होती है। यदि उन पर कर लागू होता है तो मजदूरी में वृद्धि कराना उनकी शक्ति में नहीं है। जब तक वे मजदूरी में वृद्धि नहीं करा पाते, कर का बोझ उन्हीं पर रहेगा। श्रम सम्बन्धी भगड़ा में कमचारी (मजदूर) सदैव विजयी नहीं होते। धर्मिकों के लिए माँग में जितनी अधिक लोच होगी, उतनी ही अधिक उन पर मजदूरी का भार होगा। और इसका विपरीत भी विलोमत ही होगा। यदि हमसे उनका जीवन स्तर गिरता है तो कर का भार मजदूरों पर आता है। किन्तु यदि यह योग्यता के स्तर को गिराता है तो उत्पादन कम हो जाएगा और वस्तु की कीमत ऊँची हो जाएगी। ऐसी स्थिति में कर का बोझ उपभोक्तियों पर चला जाएगा। स्वयं उपभोक्ता होते हुए मजदूरों को भी कर में अपना भाग बँटाना पड़ेगा।

परन्तु विशेष प्रकार के श्रम पर लागू कर का विवर्तन किया जा सकता है। वे दूसरे व्यवसाय में जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में श्रम की पूर्ति में बहुत अधिक लोच होगी परन्तु माँग उतनी लोचदार नहीं हो सकती। अस्तु यदि श्रम की पूर्ति लोचदार है किन्तु माँग लोचहीन है तो मजदूरी कर का बोझ मालिकों पर पड़ेगा।

१८ **सामाजिक बीमा भार (Incidence of Social Insurance)**—सामाजिक बीमा योजना में योगदान का भुगतान मालिक तथा सेवक दोनों करते हैं। जहाँ तक मालिक के योगदान का प्रश्न है यह मजदूरी के लेखा में जुड़ जाता है। इसमें करीब करीब उभी अनुपात में कोमत बढ़ जाती है। परन्तु क्योंकि बीमा का घन धर्मिका को घाँटा जाता है तो उनको प्रायः में बीमन की वृद्धि के साथ वृद्धि होती

है। इससे वास्तविक आय तथा व्यवसाय प्रभावित नहीं होते। यद्यपि आन्तरिक स्थिति नहीं प्रभावित होती परन्तु बाह्य स्थिति अवश्य प्रभावित होती है। घरेलू कीमत में वृद्धि से निर्यात में कमी हो जाती है जबकि श्रमिकों की आय में वृद्धि से आयात बढ़ सकते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि भुगतान शेष की स्थिति कमजोर हो जाती है।

१६ आधिक्य पर कर (Taxation on Surplus)—किसी भी उत्पादन साधन की पूर्ति बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसके लिए निम्नतम पारिश्रमिक की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक अभिकर्ता को न्यूनतम मजदूरी, व्याज की न्यूनतम दर व लान की उचित तथा साधारण दर मिलनी ही चाहिए। उन्नी आय आवश्यक लागत का सविधान करती है। इन आवश्यकतागतों पर कर नहीं लिया जा सकता। यदि इन पर कर लगाया गया तो वह विवर्तित हो जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि कोई कर साधारण लाभ में कटौती करता है तो इसमें उद्यमी हतोत्साहित होगा, उत्पादन में कमी हो सकती है और कर मजदूरों या उपभोक्ताओं पर विवर्तित हो जाएगा। यदि न्यूनतम मजदूरी पर कर लगता है तो या तो यह श्रमिक की योग्यता को घटा देगा या उसकी पूर्ति को घटा देगा। इसका अर्थ उपभोक्ता या मालिक पर कर का विवर्तन होगा। आवश्यकतागतों पर कर लगाने का अर्थ सम्बन्धित साधनों को हटाना होगा। इस प्रकार यह कहा जाता है कि सभी करों की प्रवृत्ति आधिक्य, अर्थात् किसी साधन को नियमित रखने के लिए न्यूनतम आवश्यकता से अधिक आय की ओर होती है। यदि एकाधिकारी आधिक्य का आनन्द लेता है तो वह स्वयं ही कर का बोझ संभालेगा। यदि जीवन की आवश्यकता के उत्पादन से आधिक्य आता है तब माँग के लोचहीन होने के कारण कर का बोझ पूर्णतः उपभोक्ताओं पर चला जाएगा। यदि यह वस्तु विलासिता की है तो इस भार को अशत उत्पादक, अशत मध्यम वर्ग और अशत उपभोक्ता सहन करेंगे।

२० विक्री कर का भार (Incidence of Sales Tax)—यह कर विक्रय राशि पर लगता है चाहे लाभ हो या न हो। इसका भार एक जटिल समस्या है, क्योंकि इसमें विस्तृत रूप में विभिन्न किस्म की वस्तुएँ आ जाती हैं। यदि किसी वस्तु के लिए माँग लोचहीन है तो उसकी कीमत बढ़ायी जा सकती है और बाद में उसी सीमा तक उपभोक्ताओं पर कर को विवर्तित कर दिया जाएगा। किन्तु यदि माँग लोचदार है तो अशत विक्रेता और अशत उपभोक्ता इसे सहन करेंगे। विक्रय कर लाभों पर ऐसा आघात पहुँचा सकता है जिससे व्यवस्था विभाग व कर्मचारियों की छटनी हो सकती है, कुछ व्यावसायिक स्थान खाली रह सकते हैं। इस प्रकार इसके भार कर्मचारियों, व्यवस्था विभाग व जमींदारों पर पड़ सकते हैं। वास्तव में विक्री कर विभिन्न प्रकार की बड़ी सख्या में जनता पर चोट करता है।

२१ व्यवसाय कर या हैसियत कर (Profession Tax or Haisiyat Tax)—यह कर व्यवसाय या सेवा नियोजन पर लगता है। इसका भार आय कर के समान होता है। यह वही पडा रहता है, जहाँ इसे लागू कर दिया जाता है और विवर्तित नहीं होता बशर्ते कि यह सामान्य कर है। यदि यह कुछ निश्चिन् व्यवसायों

पर कर है और भारी है तब यह उन व्यवसायों में दूसरा क प्रवेश की हतोत्साहित करता है। जो जोग एमे लागू की सेवा का प्रयोग करते हैं उन्हें अधिक मगवान करना होगा और अधिक भार सहन करना होगा।

२२ करों की विभिन्नता (Tax Differentiation) — जय कोई कर लगाया जाता है तो उसमें कुछ लागू निश्चय ही प्रभावित होगे। कुछ के पक्ष और कुछ के विपक्ष में इसका प्रभाव पड़ेगा। किसी स्थान के लोगों के पक्ष में यह पड़ सकता है और किसी दूसरे स्थान के लोगों को यहाँ दौड़ाने कर सकता है। कुछ लोगों की हानि करके यह प्रभाव कुछ व्यापारियों को लाभ पहुँचा सकता है। दूसरे शब्दों में करों में कुछ लागू के पक्ष व कुछ के विपक्ष में भिन्नता होती है। यही कर भिन्नता है।

अध्याय ४७

लोक ऋण

(Public Debt)

१ प्रस्तावना (Introduction)—मन्कार द्वारा ऋण लेने की प्रणाली हाल ही में प्रारम्भ हुई है। १८वीं शताब्दी तक इसे कोई नहीं जानता था। जब भी कोई आकस्मिक घटना, जैसे लड़ाई आदि छिड़ती थी, तो राजा अपने संचित धन का आश्रय लेता था अथवा अपनी निजी साख पर ऋण लेता था। इतिहास में बहुत से ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं, जिनमें राजाओं के खजानों अथवा मन्दिरों और गिरजाघरों से संचित धन की लूटमार वा वसूल किया गया है। परन्तु वित्त प्रबन्ध की यह रीति प्राधुनिक काल के लिए उचित नहीं है। यह पर्याप्त तथा मितव्ययी नहीं होगी। १९वीं शताब्दी में निजी ऋण का स्थान लोक ऋण ने ले लिया है। एक साधारण नागरिक आजकल अधिक सुरक्षा तथा विश्वास के कारण उधार देने के अधिक योग्य और तत्पर है। ये सब लोक ऋण की प्रणाली के मुख्य आधार हैं।

२ लोक ऋण के लाभ व हानियाँ (The Benefits and the Dangers of Public Debt)—इससे उत्पादन का विकास होता है, और इससे राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि होती है। धीरे-धीरे इससे जीवन स्तर भी ऊँचा हो जाता है। लोक-ऋण के बिना राज्य के बड़े-बड़े कार्य, जैसे, सड़कों, नहरों आदि का निर्माण कार्य असम्भव था। लोक ऋण ही प्राकृतिक दुर्घटनाओं जैसे बाढ़, भूकम्प, अकाल आदि के समय देश की साधारण स्थिति बनाए रखने का एकमात्र उपाय है। इस प्रकार की दुर्घटनाओं का सामना सामान्य राजस्व के सहारे करना कठिन ही नहीं, असम्भव भी है।

प्राधुनिक युद्ध भी लोक ऋण के बिना नहीं लड़े जा सकते। जिस राष्ट्र की आर्थिक स्थिति सङ्चित हो जाती है, वह युद्ध में आत्म समर्पण के लिए बाध्य हो जाता है। अतः लोक ऋण ही राज्य की सुरक्षा और स्वतन्त्रता का अस्तित्व बनाए रखता है। जनता द्वारा दिए गए लोक ऋण से ही पिछड़े देश अपने प्राकृतिक साधनों का विकास करके, अपनी शक्ति और प्राकृतिक सम्पत्ति बढ़ा सकते हैं। उधार देने वाले राष्ट्रों को भी लोक ऋण अधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ है। उधार देने वाले राष्ट्रों के नागरिकों के लिए सुरक्षित और लाभजनक धन लगाने के साधन मिल जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय ऋण व्यापारिक सन्तुलन में एक अनुकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है और बहिर्देशिक विनिमय को भी सन्तुलित रखता है।

अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय ऋण व्यवस्था के कुछ ऐसे लाभ भी हैं जो शुद्ध आर्थिक नहीं हैं, जैसे उधार देने वाले देश ऋणी देश के भौतिक उत्पादन में रुचि रखने लगते हैं। यह उधार देने वाले देश के नागरिकों के दृष्टिकोण को विकसित करता है। इस

तरह विभिन्न देशों का पारस्परिक सम्बन्ध एक दूसरे को समझने में सहायक होता है और फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को बनाए रखने में समर्थ होता है।

लोक ऋण के लाभों के साथ-साथ कुछ हानियाँ भी होती हैं, जो निम्न प्रकार हैं—

लोक ऋण का सबसे बड़ा भय इस बात से उत्पन्न होता है, कि सरकार बहुत आसानी से उधार ले सकती है। किन्तु कोई-कोई सरकार अत्यधिक ऋण भी ले सकती है और यह ऋण लेना लोगों की कर देने की क्षमता की सीमा पार कर सकता है। नये और पिछड़े देशों का लापरवाही से उधार लेना उनको अमितव्ययी बना देता है। अधिक व्यय वाली योजनाएँ होने वाले लाभ का भाग किए बिना ही प्रारम्भ की जाती हैं और इस ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता कि योजनाएँ देश की सहन शक्ति की सामर्थ्य की हैं भी या नहीं। यह घाने वाली पीढी पर ध्याज का भार और अधिक बढ़ा देती है, जब कि इन योजनाओं से कोई विशेष लाभ नहीं होता।

अत्यधिक ऋण लेने के कारण बहुत से देशों ने अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता तक खो दी। भिल्ल उनमें से एक देश था। देश के राजस्व कभी कभी विदेशी बाण्ड रखने वालों के यहाँ धरोहर के रूप में रख दिए जाते हैं। उनके हित सुरक्षित रखने के लिए विदेशी सरकार हस्तक्षेप करती है। विदेशी ऋण देश के धन को निरन्तर देश के बाहर ले जाते हैं। अगर धन अनुत्पादक कार्यों के लिए लिया गया है, तो ब्याज का देना घाने वाली पीढी पर ध्याज का भार होगा। लोक ऋण अन्तर्राष्ट्रीय उसभर्तें बढ़ाता है और शान्ति को बढ़ाने के बजाए उसको खतरे में डाल देता है। इससे निजी स्वार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। लोक ऋण प्रायः उधार देने व लेने वाले देशों में निरन्तर फूट का कारण बन जाते हैं।

३. आपातकालीन कोष (Funds For Emergencies)—सरकारें सक्टापन्न स्थितियों में धन जुटाने के निम्नांकित साधन अपनाती हैं —

- (i) संचित धन का उपयोग।
- (ii) सरकारी सम्पत्ति का विक्रय।
- (iii) नए करों का लागू करना और पुराने करों की दर में वृद्धि करना।
- (iv) अस्थायी ऋणों का लेना।
- (v) स्थायी ऋणों का लेना।
- (vi) अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा का चलन।

संचित सम्पत्ति कुछ ही आधुनिक सरकारों के पास होती है। जवाहरात और संचित सम्पत्ति शासकों की अपनी निजी सम्पत्ति है। दूसरा साधन 'सरकारी सम्पत्ति का विक्रय' है, जो कि पुगने देशों में जहाँ राज्य की भूमि पहले से ही बिकी हुई मान ली जाती है, महत्वपूर्ण नहीं है। एक आधुनिक सरकार पूर्वत सम्पत्ति को बेचने की अपेक्षा अधिक सम्पत्ति प्राप्त करना चाहेगी।

जब कभी युद्ध जैसा आर्कास्मिक सक्टा उपस्थित हो जाता है तो राज्य के कोष को बढ़ाने के लिए सबसे पहला साधन है, नए करों की वृद्धि के साथ पुराने करों जैसे आय कर, उत्पादन कर, रेलवे और डाक दरों आदि में वृद्धि करना। इसके

अतिरिक्त कुछ नए कर भी लगाए जा सकते हैं। नए उत्पादन कर लगाए जा सकते हैं, और आयात-निर्यात करों की सूची बढाई जा सकती है। परन्तु इसकी भी एक सीमा होती है। इसके बाहर सरकार को इस दशा में अप्रिय कर बढाना सुरक्षित नहीं है। एक सीमा के बाहर लोग कर देने में घममर्य या अपने आपको परेशान पाते हैं या कर न देने की इच्छा करते हैं। यदि कर अधिक लगाए जाते हैं तो इससे राष्ट्र के उत्पादन-सामर्थ्य को क्षति होती है। इसके अलावा देश के नागरिकों की देश भक्ति पर अत्यधिक दबाव पडता है। इसलिए सरकार कम-से कम विरोध की नीति को अपनाती है और अपनी कर-प्रणाली को अधिक नहीं फैलाती। ऐसी स्थिति में सरकार के सामने दूसरा विकल्प है लोक ऋण लेना।

४ अस्थायी बनाम स्थायी ऋण (Temporary Vs Permanent Loans)—ऋण अस्थायी भी हो सकते हैं और स्थायी भी। अस्थायी ऋण बहुधा सरकारी हुण्डियों के बेचने से प्राप्त किया जाता है अथवा केन्द्रीय बैंक के अर्थोपाय-पेशगियों (ways and means advances) द्वारा। नियम के अनुसार यह ऋण देश के अन्दर ही प्राप्त किए जाते हैं। नीचे कुछ "अल्प-अवधि ऋण" लेने के विषय में आवश्यक विवेचनाएँ दी जाती हैं—

(क) जब मुद्रा बाजार में व्याज की दर साधारण से कुछ अधिक हो तो यह बुद्धिमत्ता नहीं होगी कि सरकार अधिक व्याज के बोझ को सहन करे। जब व्याज की दर कम हो तब स्थायी ऋण लेना बुद्धिमत्ता होगी।

(ख) जब सरकार को अस्थायी कठिनाइयाँ पर विजय पानी होती है तब स्थायी ऋण लेना अनावश्यक होगा, जैसे बजट की कमी को पूरा करना या तारकालिक व्यय और आशान्वित आय के बीच की खाई को पूरा करना। जून और जुलाई से पहले नए करों की आय का आना प्रारम्भ नहीं हो सकता और अप्रैल और मई में धन-बोध का अभाव हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में अल्पकालीन या अस्थायी ऋण-व्यवस्था ही केवल एकमात्र उपाय है। अगर ऋण की आवश्यकता अस्थायी है तो ऋण का स्थायी होना आवश्यक नहीं।

(ग) अस्थायी ऋण की यह विशेषता है कि वह सरकार को अपने कामों को अविरोध और बेरोक टोक करने की क्षमता प्रदान करता है और स्थायी ऋण बढाने की कठिनाइयों से बचाता है।

(घ) मुद्रा बाजार में अस्थायी ऋण के निकालने का स्वागत होता है। सरकारी हुण्डियाँ सबसे अधिक सुरक्षित और बैंकों के लिए सबसे अधिक लाभप्रद विनियोग हैं और वे बैंकों के लिए एक आदर्श विनियोग बनाती हैं।

दूसरी ओर अस्थायी ऋणों की कुछ बुराइयाँ भी हैं—

(क) जब सरकार मुद्रा बाजार में अस्थायी ऋण प्राप्त करने के लिए प्रवेश करती है तो बैंकों का रुपया व्यापार और उद्योग से हटाकर सरकारी हुण्डियों में परिवर्तित कर दिया जाता है। फलस्वरूप वे नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि बैंक जमा में भी कमी आ जाती है। सरकार की ओर से भी ऐसी स्थिति के कारण आर्थिक चेष्टा को आघात पहुँचता है।

(ख) एक बड़े अल्पकालीन ऋण का होना सरकार के लिए एक परेशानी का कारण बन सकता है। इससे सरकार को आर्थिक स्थिरता में अविश्वास उत्पन्न हो सकता है और इसके परिणाम घुरे हो सकते हैं। जब एक बड़ा अस्थायी ऋण पूरा हो जाता है तो यह सरकारी अर्थ-प्रबन्ध के लिए कठिन और भार-स्वरूप प्रतीत होता है।

(ग) यह बहुधा देखा जाता है कि जब एक अस्थायी ऋण पूरा प्राप्त होता है तो उसके भुगतान के लिए दूसरे ऋण निकाले जाते हैं। इस तरह से यह अस्थायी ऋण एक स्थायी ऋण का रूप धारण कर लेता है। मुद्रा बाजार का धन अनिश्चित बान के लिए एक जगह बन्द कर दिया जाता है जिससे व्यापार और उद्योग को क्षति पहुँचती है।

(घ) एक बड़े अल्पकालीन ऋण का होना, भविष्य में एक भयानक रूप धारण कर लेता है जब कि वास्तविक नफ़्त उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए जब बूझ छिड़ जाता है तो सरकार को शीघ्र ही अतिरिक्त धन की आवश्यकता हापी, लेकिन पहले से ऋणी होने के कारण और ऋण लेने के कम अवसर प्राप्त होते हैं।

(ङ) अल्पकालीन ऋण से दूसरी कठिनाई यह उत्पन्न होती है कि वह मुद्रा-प्रसार का जन्म देता है। जब ऋण लौटाने का समय आता है तो चुनाने के लिए सरकार पत्र मुद्रा छाप सकती है और मुद्रा प्रसार की कठिनाइयों से तो हम भली भाँति परिचित हैं। मुद्रा प्रसार सम्बन्धी कठिनाइयों का हम आगे विवेचन करेंगे।

(च) अल्पकालीन ऋण पर वैधानिक नियन्त्रण नहीं रहता और उसका प्रचार भी अधिक नहीं होता। य सब निजय वायपालिका द्वारा किए जाते हैं। अत्यधिक ऋण लेना वास्तव में एक बड़ी कठिनाई है। अत्यधिक ऋण लेना अनिज-व्ययता को जन्म देता है।

स्थायी ऋण की भी हानियाँ और लाभ हैं। स्थायी ऋण के पक्ष में हम निम्न बातें कह सकते हैं—

(क) यह उम समय लाभप्रद होगा जबकि व्याज की दर कम हो। इन परिस्थितियों में जन कल्याण की योजनाएँ कार्यान्वित करना अच्छा होगा क्योंकि धन के लिए अतिरिक्त व्याज नहीं देना पड़ेगा।

(ख) दीर्घकालीन ऋण सरकार के लिए कठिनाई स्वरूप नहीं होते। इनके भुगतान के लिए सामयिक प्रबन्ध किए जा सकते हैं।

(ग) सरकारी बॉण्ड वास्तव में अच्छा विनियोग है। वे न्याय कोषों (trust funds), बैंक और बीमा कंपनियों के लिए लाभप्रद प्रतीत होते हैं। निःसन्देह इसके द्वारा धन का दबन बटनी है और देश अतिरिक्त पूँजी का मन्वय कर सकता है।

(घ) यह हमारी समस्याम की भावना को भी सन्तुष्ट करता है जिससे रेतो, नहरों का निर्माण आदि वाली सत्तान को लाभप्रद होता है। उन्हें ही इन व्ययों का बोझ वहन करना पड़ना है। युद्ध के द्वारा हुई वर्षादी के लिए भी दीर्घकालीन ऋण ही लाभप्रद हो सकता है। यह सब तभी हो सकता है जब कि अधिक समय के लिए ऋण लिया जाए।

(ड) आधुनिक युद्ध को सफल बनाने और उसके द्वारा हुई बर्बादी के सुधार के लिए स्थायी ऋणों का लेना नितान्त आवश्यक है। दतिग्रस्त स्थायी की मरम्मत और पूर्ववत् दशा में लाने के लिए भी इतने अधिक कोष चाहिए जो अधिक बरों के बढ़ाने में पूरे न होंगे। ऋण का इनका बड़ा भार कुछ ही वर्षों द्वारा प्राप्त धन पर नहीं लादा जा सकता। इसे सहने योग्य बनाने के लिए इसकी अवधि अधिक लम्बी होनी चाहिए। यह केवल स्थायी ऋण के द्वारा ही सम्भव है।

(च) उत्पादन-कार्यों के लिए लिये गए ऋण राष्ट्रीय धन की उत्पत्ति करते हैं, जिसे मजदूर और व्याज, दोनों चुकाए जा सकते हैं। स्थायी ऋण की सहायता से धन बढ़ाने वाले साधन उत्पन्न होते हैं—जैसे नहरें, रेलें आदि जो सदैव रहती हैं और भविष्य में राष्ट्रीय धन को बढ़ाती हैं। अतः स्थायी ऋण अधिक लाभकारी है।

(छ) अन्त में स्थायी ऋणों के कारण नागरिकों की राज्य में स्थायी रुचि उत्पन्न होती है। यह उनमें नागरिक भावनाएँ तथा देश-भक्ति को बढ़ाते हैं और सरकार का जनता द्वारा ऋण लेने से सरकार और जनता के बीच एक निरन्तर सम्पर्क स्थापित हो जाता है।

दीर्घकालीन अथवा स्थायी ऋण में कुछ बुराइयाँ भी हैं जो निम्नलिखित हैं—

(क) स्थायी ऋण व्याज की दर ऊँची होने की दशा में लेना उचित नहीं होता। ऐसे समय में दीर्घकालीन ऋण का निकालना जनता के हितों में अनुचित होगा।

(ख) यह भी उचित नहीं है कि हमारी भूता का आने वाली सन्तान भुगतें। हिटलर द्वारा की जाने वाली भूलों के लिए जर्मनी की आने वाली सन्तानों को क्यों दण्ड दिया जाए? इसी ढंग से चलन चलाने की योजनाएँ भी आने वाली सन्तान के लिए अहितकर व भारस्वरूप हो सकती हैं।

(ग) सरकार के लिए करों की तुलना में ऋण लेना आसान है। कर तो क प्रिय नहीं होते लेकिन सरकार ऋण लेकर एक अप्रिय कार्य की उन्नति दे सकती है या एक अहित उद्देश्य को चला सकती है। सरकार के हाथ में यह एक भयंकर शस्त्र है और यह प्रजातन्त्र की भावना के विपरीत है। यदि युद्धों की अफले करों द्वारा ही अर्थ व्यवस्था होती है तो वह समाप्त हो जाएंगे।

(घ) भारी लोक ऋण उद्योग और व्यवसाय पर रोक लगाने का काम करते हैं। सरकार को अधिक व्याज का भुगतान करने के लिए (ऊँचे) भागी करों का लगाना आवश्यक हो जाता है और अधिक कर अधिक उन्नति में बाधक होते हैं। इस तरह उद्योग पर भारी दबाव पड़ेगा।

५ राष्ट्रीय ऋण की सीमा (Limit to National Borrowing)—आखिरकार ऋण चुकाने ही होते हैं। इसलिए कोई भी राज्य लौटान की सामर्थ्य के बाहर उधार ऋण नहीं ले सकता। राज्य विभिन्न रूपों में ऋण ले सकता है, लेकिन इनकी भी सीमा है और राज्य उस सीमा के बाहर नहीं जा सकता। आइए, हम ऋण के विभिन्न रूपों और उनमें से हर एक की सीमा पर विचार करें।

(क) कागज़ी मुद्रा का जारी करना (Issue of Paper Money)—यह अस्वाभाविक या विवश ऋण कहलाता है। अब यह मान लिया गया है कि मुद्रा-प्रसार

एक बहुत भयानक दस्त है। हम चीन ही बंधी हुई कीमतों के जाल में जकड़ जाते हैं। अगर कागजी मुद्रा-प्रसार सीमा के बाहर बढ़ जाता है, तो यह सारहीन हो जाता है और देश को नष्ट कर देता है।

(ख) बाह्य ऋण (External Loan)—विदेशी ऋण लेना देश की आर्थिक स्थिरता और साख पर निर्भर करता है। कुछ ही देशों की असिमित राष्ट्रीय साख होती है। प्रत्येक देश का बजट उस सीमा को बसलाता है जिसके बाद विदेश से ऋण लेने की आशा नहीं की जा सकती। विदेशी सरकार उधार लेने वाले देश के नागरिकों की कर-महन-विवेक और देन के प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय के अनुसार ही ऋण देगी। कोई भी विदेशी सरकार एक सीमा के बाहर उधार नहीं दे सकती।

(ग) आन्तरिक ऋण (Internal Borrowing)—यहाँ फिर से इसे दुहराना पड़गा कि उधार लेने की भी एक सीमा है। उसके बाहर उधार लेना असम्भव है। भौतिक सम्भावित बचत के द्वारा ही उधार लेने की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है। सिद्धांततः यह कहा जा सकता है कि सरकार वह सब उधार ले सकती है जो कि नागरिक बचत करते हैं। निम्नदेख जब तक सरकार कठोर संघर्ष काल में न गुजर रही हो तब तक ऐसा कम ही होता है। परन्तु यदि सरकार उस सब का, जो कि नागरिक बचाने हैं, से लेती है तो व्यापार और उद्योगों को चलाने के लिए कुछ भी नहीं बचना। नई पूँजी का निरन्तर बहाव वर्तमान पूँजी को न केवल पूर्ववत् बनाए रखने के लिए है वरन् और नई पूँजी बनाने के लिए भी आवश्यक है, साथ ही उद्योगों का न केवल संचार रूप से चलाने के लिए ही बल्कि उनके उत्पादन के लिए भी आवश्यक है। अगर सरकार पूँजी के इस बहाव को रोक देती है या मन्द कर देती है, तो निस्सन्देह व्यापार और उद्योग-धन्धों को हानि पहुँचेगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि साधारणतया सरकार अतिरिक्त बचत ही उधार ले सकती है। अतिरिक्त बचत से हमारा तात्पर्य उस धन से है जो उद्योग-धन्धों और व्यापारों की आवश्यकता के बाद बचे रहते हैं।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि चाहे सरकार विदेश से उधार ले या देश के भीतर से, या केवल कागजी मुद्रा छापकर धन प्राप्त करे, प्रत्येक दशा में इन सब की एक सीमा होगी। इस सीमा को या तो देश की सुरक्षा को खतरे में डाले बिना या देश की उत्पादन शक्ति को हानि पहुँचाए बिना पार नहीं किया जा सकता।

६ नोट जारी करके लोक-धन प्राप्ति करना (Public Fund Through Note Issue)—आधुनिक युद्ध दतने महेंग हो गए हैं कि किसी देश का युद्ध में प्रवृत्त होना पत्र-मुद्रा निकाले बिना असम्भव हो गया है। ऋण और कर युद्ध संचालन के लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं होते। १९१४-१८ के युद्ध के अन्तिम दिनों में, जर्मनी को करीब-करीब पूरा रूप में इसी का आश्रय लेना पड़ा और यह उसके लिए विनाशकारी भी सिद्ध हुआ। द्वितीय महायुद्ध से सम्बन्धित सभी देशों ने कम या अधिक रूप में इस साधन को अपनाया। इंग्लैण्ड और अमेरिका जैसे देशों में भी प्रचुर मात्रा में कागजी मुद्रा छपी गई। भारत में इसने बहुत बड़े रूप में खतरे का आह्वान किया, जिसका भारतीय अर्थशास्त्रियों ने विरोध किया। भारत में पहली सितम्बर, १९३६ को १८२

करोड़ रुपये के नोट चलन में थे। किन्तु १९ अक्टूबर, १९४५ को १,१६० करोड़ रुपये के नोट चलन में हो गए थे। इस प्रकार यह छ गुना से भी अधिक वृद्धि हुई।

इस प्रकार आकस्मिक घटनाओं के लिए धन बढ़ने में पत्र-मुद्रा निकालने के साधन ने सार्वजनिक वित्त व्यवस्था में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है। लेकिन यह मानना होगा कि यह एक गलत और चिन्तायुक्त साधन है। यहाँ हम पत्र-मुद्रा प्रसार के विपरीत आर्थिक कारणों पर विचार नहीं करेंगे। किन्तु हम बलपूर्वक कह सकते हैं कि पत्र-मुद्रा प्रसार या उसके अत्यधिक निकालने का आन्तरिक व्यापार पर बुरा प्रभाव होता है, और यह विदेशी विनिमय को उद्विग्न करके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा उत्पन्न कर देता है। यह भयानक सट्टे के व्यापार को जन्म देता है और व्यापारिक सम्बन्धों में अविश्वास की भावना उत्पन्न करता है। इस प्रकार यह व्यापार की जड़ काटता है जिम पर किसी देश की भविष्य की उन्नति निर्भर होती है।

मुद्रा-चलन के तीव्र विस्तार के कारणों से कीमतों में जो कष्टकर वृद्धि होती है, उससे समाज को अनंत कष्ट उठाने पड़ते हैं। इससे निर्धन उपभोक्ताओं, परिमित आय वाले और मजदूरी पाने वालों को सबसे अधिक कष्ट होता है। ऋण लेने वाले और देने वालों के पारस्परिक सम्बन्ध विगड़ जाते हैं। मुद्रा-प्रसार के विशुद्ध परिणाम से कुछ षो अनुचित लाभ और अनेकों को अवारण्य हानियाँ होती हैं।

राज्य की स्थिरता से लोगों का विश्वास उठ जाता है। देश की निर्माण मुद्रा पलायन कर जाती है। सरकार एक दुश्चक्र में फँस जाती है जिसमें निरुलना आसान नहीं होता। नोटों का निकालना कीमतों को बढ़ाता है, इसलिए, सरकार को अपने ऋण के लिए अधिक धन प्राप्त करना ही पड़ता है। इसके फलस्वरूप पत्र-मुद्रा और अधिक निकाली जाती है, और इसी प्रकार क्रम जारी रहता है। यह बहुत ही असन्तुलन का मार्ग है, और मुद्रा प्रसार का विस्तार करने वाली सरकार आर्थिक और राजनीतिक विनाश को आमन्त्रित करती है।

किन्तु मुद्रा प्रसार की इन भीषण प्रतिक्रियाओं के अतिरिक्त भी अर्थशास्त्र के पण्डितों ने इसकी कड़ी निन्दा की है क्योंकि यह वित्त व्यवस्था की सुदृढ़ नीतियों को विरोधी है।

द्रव्य के इस प्रकार प्राप्त करने के प्रति आधारमूलक आपत्ति यह है कि यह न्याय अथवा समानता की रीति को भंग करता है। जब कीमतें बढ़नी हैं तो धनी और निर्धन, सब ऊँची कीमतें देते हैं, और वे सब एक ही कीमत पर खय करत हैं। यदि खाँड की कीमत ५० नये पैसे प्रति सेर से १५० मेर हो जाती है, तो निर्धन भी धनी के साथ साथ दुगुनी कीमत देता है। किन्तु धनी तो सशक्त है और निधन दे नहीं सकता। मुद्रा-प्रसार की आनुपातिक टैकम-निर्धारण से तुलना हो सकती है। यह सहन करने की शक्ति का विचार नहीं रखती। इसलिए, अपने प्रभाव की दृष्टि से यह प्रतिगामी है। समाज का निर्धन वर्ग राज्य के अर्थ कोष में अधिक अशदान करने के लिए निवश किया जाता है और वही ऐसे लोग हैं जो देने की शक्ति ही नहीं रखते। यह सर्वथा अ-न्याय है। सम्पत्ति का पुनर्वितरण जन्ही के पक्ष में होता है जो पूर्वत धनी हैं।

इस प्रकार मुद्रा-प्रसार राजनीतिक दृष्टि से भयानक, आर्थिक दृष्टि से विनाश-

कारी और नैतिकता की दृष्टि से बुरा है। यदि यह उपाय सरकारों के लिए कभी-कभी अत्यावश्यकता के समय और केवल सकट पूति के लिए न होता, तो कौषो की रचना का यह उपाय, सम्भवतः कदापि न ग्रहण किया जाता। यह धन के वितरण की प्रथमताओं में वृद्धि करता है, यह सम्पत्ति के उत्पादन के यत्र को नष्ट-भ्रष्ट कर देता है और आगम का छात होने के लिये यह शीघ्र ही सूख जाता है।

७ ऋण को कम करना या चुकाना (Debt Redemption or Repayment)—आधुनिक सरकारें अपने ऋण चुकाने को एक सम्मानपूर्ण कार्य समझती हैं। ऋण चुकाना उनको साख और शक्ति को बनाए रखता है। जब कभी राष्ट्र पर सकट आता है, तो बाद में कोष बढ़ाना सरल हो जाता है। ऋण चुका देने से व्यापार और उद्योग के लिए धन मुक्त हो जाता है।

ऋण चुकाने के निम्नांकित कुछ उपाय हैं—

(१) आधिक्य राजस्व का उपयोग (The Utilization of Surplus Revenue)—यह एक प्रचीन उपाय है लेकिन अधुनिक परिस्थितियों में पूर्ण रूप से व्यर्थ है। वज्रट का आधिक्य साधरणतः सम्भव नहीं है और यदि वज्रट में आधिक्य भी हो तो वह इतना महत्वहीन होगा कि वह ऋण को कम करने में उपयोगी नहीं हो सकता।

(२) सरकारी प्रतितापत्रों का क्रय (Purchase of Govt Bonds)—सम्भव है, सरकार बाजार में अपने निजी स्टॉक को क्रय कर ले और इस प्रकार उस नीमा तक अपने दायित्व का अन्त कर दे। यह कार्य राजस्व के आधिक्य या कम व्याज पर अनुकूल परिस्थिति में लिये हुए ऋण से किया जा सकता है।

(३) सांनिधि वार्षिकी (Terminal Annuities)—जब यह पूर्ण निश्चय कर लिया जाता है कि सरकार को अपने स्थायी ऋणों का भुगतान करना है तो वह प्रतिवर्ष कुछ निश्चित धन व पिकी के रूप में ऋणदानाओं को उधार चुकाने के लिए बांध देती है। इसी भुगतान का वार्षिकी कहते हैं। यह स्पष्ट है कि जिस काल में यह वार्षिकी दी जा रही होगी उसमें केवल व्याज देन के काल की अपेक्षा सरकारी वित्त पर कहीं अधिक दबाव पड़ा होगा।

(४) रूपान्तरकरण (Conversion)—ऋण का भार घटाने का यह एक अच्छा उपाय है। सम्भव है कि कभी सरकार ने ऊँची दर के समय ऋण लिया हो और अब अगर व्याज की दर कम हो गई हो तो सरकार ऊँचे व्याज की दर वाले ऋण को कम व्याज की दर के ऋण में परिवर्तित कर सकती है। ऐसे समय में सरकार उधार देन वालों को सूचना देनी है या तो अपने व्याज की दर को कम करें या अपना रुपया वापस लें। यदि बांड होल्डर (bond holder) व्याज की दर को कम करना स्वीकार नहीं करते तो सरकार कम व्याज पर दूसरा धन उधार लेकर उस धन से पिछले ऋण को चुका देती है। इस प्रकार ऊँचे व्याज की दर को कम व्याज की दर में परिवर्तित करने से सरकार का आर्थिक बोझ कम हो जाता है।

(५) ऋण निवारण निधि (Sinking Fund)—यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष राजस्व में से एक निश्चित धन ऋण चुकाने के लिए निकाल लिया जाता

है। यह इस हिसाब से निकाला जाता है कि एक निश्चित समय के अन्दर ऋण को ब्याज सहित चुकाने में यासानी हो।

ऋण चुकाने के इन साधारण उपायों के अतिरिक्त कुछ और भी नवीन ऋण-कारि योजनाएँ हैं। उनमें में ये मुख्य हैं—

(क) ऋण निपेय (Debt Repudiation)—जब कोई नई ऋण-कारि सरकार बनती है तो वह पहली सरकार द्वारा लिये गए ऋण चुकाने से इनकार कर सकती है। यह तभी होता है, जब नई सरकार का निर्माण क्रान्ति द्वारा हुआ हो लेकिन विद्वान् राजनीतिज्ञ इन प्रस्तावों का स्वागत नहीं करते। सरकार के लिए यह एक चलन है कि वह अपनी पूर्ववर्ती सरकार के वचनों का सम्मान करे।

(ख) ब्याज में अनिवार्य कमी (Compulsory Reduction of Interest)—यदि परिस्थितियों के बदल जाने से ऊँची ब्याज की दर सरकार को कष्टदायक हो गई हो तो सरकार का ब्याज की दर में कमी करना कम अप्रिय उपाय दिखता है, लेकिन एक सम्यक् सरकार के लिए वचन भंग करना उचित नहीं है।

(ग) ऊँची आय पर उच्च करारोपण (Steep Taxation of Higher Income)—हम पहले कह आए हैं कि करो की अधिकता में उद्योग-व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह नए धन या बचत को नष्ट कर देता है। नई औद्योगिक योजनाएँ विफल और व्यर्थ हो जाती हैं; क्योंकि उन्हें ठीक तरह से चलाने के लिए सामयिक सुधार और प्रतिस्थापन आवश्यक हो जाते हैं। इसलिए व्यापारी वर्ग के हितों में यह आवश्यक है कि कोई ऐसा आर्थिक कदम न उठाया जाए, जिससे उद्योग व्यापार की पूंजी में कमी आए, और व्यापार की क्षति हो। वास्तव में जब कि पुराने कर अपनी अन्तिम सीमा तक पहुँच गए हों उस समय करो का लगाना उद्योग व्यापार के लिए अहितकर होगा।

(घ) इसके अलावा पूंजी कर (Capital Levy) का भी बड़ा महत्त्व है इस-लिये इस पर एक अलग विभाग में विचार किया गया है।

८. पूंजी कर (Capital Levy)—पूंजी कर के समर्थकों का कथन है कि युद्ध-काल में लिये गए ऋणों को चुकाने के लिए पूंजी पर एक प्रकार का कर लगाना चाहिए, जिसे पूंजी कर कहते हैं। एक ऐसा कानून बनाया जाए, जिसके अनुसार “एक निश्चित मात्रा की सम्पत्ति वाला प्रत्येक व्यक्ति भरा हुआ मान लिया जाएगा और दूसरे दिन वह फिर अपनी सम्पत्ति पर कर देने के बाद उस सम्पत्ति के उत्तराधिकारी के रूप में जीवित हो जाएगा।” यह प्रस्ताव प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) के समय बहुत ठीक और उसके अनुकूल था, क्योंकि उस समय मनोवैज्ञानिक परिस्थितियाँ इसके अनुकूल थी। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद इसके समर्थकों का उत्साह कम हो गया। प्रशासन की दृष्टि से कर लगाना बिल्कुल व्यावहारिक है लेकिन यह साधारण-तया बिना पूर्व-स्वीकृति के नहीं चलाया जा सकता।

पूंजी पर करारोपण के प्रस्ताव के विपक्ष में भी कई तर्क उपस्थित किए जा सकते हैं।

सबसे पहले तो यह कि इससे पूंजी तथा माल दोनों को हानि पहुँचेगी।

इससे उद्योग और व्यापार को क्षति पहुँचेगी। इस प्रकार के अपहरण से जनता का विश्वास उठ जाता है और उद्योग व्यापार में पूँजी का आना रुक जाता है।

दूसरे, यह मितव्ययिता के प्रति एक दण्डस्वरूप है। जो लोग अधिक खर्च करते हैं मरकार उनसे कुछ नहीं ले सकती। वे अपना मस्त जीवन बिताएँगे। पूँजी पर करारोपण की परछाईं से ही पूँजी भाग खड़ी होगी और बचत निम्नताहित होगी।

तीसरे, पूँजी पर करारोपण से व्यापार पर दबाव पड़ता है। कीमतों और मजदूरी में कमी आ जाती है तथा व्यापारी वर्ग को उधार लेने की शक्ति क्षीण हो जाती है।

चौथे, यह कि पूँजी पर करारोपण से यह डर रहता है कि पूँजी उपभोग के काम में न आ जाए और इस तरह समाज की उत्पादक-क्षमता को नष्ट कर दे। इससे समाज के वर्तमान उपबन्ध की तुलना में भविष्य का उपबन्ध समाप्त हो जाएगा।

अन्ततः पूँजी पर सम्बन्धी प्रशासन में भी कठिनाई आयेगी।

पूँजी पर करारोपण निम्नांकित आधारों पर न्यायमगत है—(क) सरकारी खजाने को ऋण के भारी भार से मुक्त करके उसे सार्वजनिक (समाज-सेवा) कार्यों में लगाया जा सकता है। अधिक-से-अधिक मनुष्यों की हालत सुधारी जा सकती है। अब यह सम्भव नहीं है, क्योंकि आंगम का अधिक-से-अधिक भाग बाँड रखने वालों को चला जाता है।

(ख) यह युद्ध-काल में गरीबों और अमीरों के त्याग में समानता लाएगा। कहा जाता है कि युद्ध काल में धनी वर्ग तो घर पर रहा और कीमती के बड़ जाने से अधिक धन कमाते रहे जब कि गरीबों ने सेना में भर्ती होकर युद्ध क्षेत्र में अपनी जानें गँवाई।

(ग) यह करारोपण के समानता के सिद्धान्त का पालन करता है। जो लोग कर देने की क्षमता रखते हैं, उन्हें कर देना ही पड़ेगा। पूँजी का मालिक उसमें प्राप्त आय के अतिरिक्त कुछ आर्थिक लाभ भी उठाता है। पूँजीपति के इस आधिक्य पर कर लगाना उचित है।

(घ) यातना को एक ही बार सह लेना कहीं अच्छा है, और दो सौ वर्ष तक चुकाने की सरदरों की अपेक्षा एक ही घबके में ऋण चुका देना चाहिए।

(ङ) ऊँचे करो की अपेक्षा पूँजी पर कर लगाना अधिक न्याय-संगत है हालाँकि दोनों एक ही से हैं। दोनों ही नैतिक दृष्टि से बुरे बताए जाते हैं, लेकिन उपरोक्त से स्थितिगत रूप से कोई अनेतिकता नहीं। नैतिकता तो केवल सार्वभूमिक पदावलि है।

(च) यह धन-वितरण को असमानताओं को कम करेगा।

(छ) अर्थव्यवस्था के उपक्रम तथा उद्यम को मिटाता है और लोगों को कर बचन की ओर प्रवृत्त करता है। परन्तु पूँजी पर कर से यह दोष नहीं होते क्योंकि इसका सम्बन्ध पिछले कार्यों में है न कि वर्तमान प्रयास से।

(ज) पूँजी पर कर का समर्थन युद्धकालीन मुद्रा-प्रसार को रोकने के लिए किया जाता है क्योंकि इसका प्रसार अपस्फीतिकारी होता है। यह इसलिए है क्योंकि इससे

पूँजी का पूर्ण रूप से हस्तान्तरण हो जाता है ताकि करदाताओं के पास कर-भुगतान के लिए तरल निधि हो सके। तो भी वास्तव में इसका उल्टा असर हो सकता है, क्योंकि कर का भुगतान करने के लिए उनको ऋण लेने की मुगमता दी जाती है। इस नये ऋण का स्फीतिकारी प्रभाव पड़ता है।

इस प्रकार निरोधी तर्कों के समक्ष कोई अपना मत उपस्थित करना सरल नहीं है। इस पर एक राय होना असम्भव है। फिर भी हमारा मत है कि पूँजी पर करारोपण वित्तीय व्यवस्था की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है और न इससे ऋण के चुकाने में ही कमी आती है।

वास्तव में इस पूँजी कर के पक्ष में दो मुख्य तर्क हैं—(१) ऋण का पूँजी मूल्य अत्यधिक है, और (२) ऋण की वार्षिक लागत भी अधिक है। यह आवश्यक रूप से उचित नहीं है कि राज्य ऋण की मात्रा घटा दी जाए। राष्ट्रीय ऋण की वापसी पर देश की आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। पूँजा पर कर लगाने से सम्पत्ति का बड़ पैमाने में जो नाश होता है उसमें व्यापार के कार्यक्रम तथा पूँजी बाजार में विघ्न पड़ता है। तो भी वार्षिक ऋण व्यय का कम करने के बहुत से सारपूर्ण लाभ हैं। पर यह पूँजी कर के ढाँचे पर अर्थात् उमकी छूट की अन्तिम सीमा तथा उसकी वृद्धि के उत्तरोत्तर तम पर निर्भर है। ऋण पर व्याज की दर, कहां तक यह कर-रहित है, तथा ऋण की मात्रा आदि पर भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत कम देशों में पूँजी पर कर लगाने के अनुकूल स्थिति होगी।

६ लोक ऋण का बोझ (Burden of Public Debt) —लोक ऋण के बोझ की ध्यारुणा करने के लिए हम उसके रूप और उद्देश्य की विवेचना करनी पड़ेगी। यदि ऋण उत्पादक या जन-व्ययों के कार्यों के लिए लिया गया है, जैसे सिंचाई, रेलवे आदि, तो यह बोझ नहीं होगा, बल्कि अगर योजना सफलतापूर्वक चलाई गई है, तो ऐसा ऋण लाभ ही पहुँचाएगा। लेकिन यदि ऋण अनुत्पादक कार्यों के लिए लिया गया है तो यह आर्थिक दृष्टि में भी और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी समाज पर बोझा होगा, भले ही वह आन्तरिक ऋण हो या विदेशी।

आन्तरिक ऋण में धन देश में ही हस्तान्तरित होता है, जैसे अगर सरकार ने किसी से ऋण लिया तो उधार देने वाले का धन हस्तान्तरित होकर सरकार के पास आ जाता है और सरकार फिर उस धन को देश के दूसरे लोगों, जैसे सरकारी नौकरों, ठेकेदारों आदि को देती है। इस तरह देश का धन एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाता है। इसे हमें सरकार के ऊपर बोझ नहीं समझना चाहिए या यह ऋण बोझ के रूप में नहीं है। लेकिन देने वाले वर्ग पर यह एक प्रत्यक्ष बोझ होगा, परंतु यदि धन का हस्तान्तरण उपयुक्त रूप से होना है, जैसे अगर धन धनी वर्ग से गरीब लोगों के पास जाता है, तो लोक ऋण बोझ की अपेक्षा लाभदायक ही सिद्ध होगा, लेकिन यदि लोक ऋण इसके विपरीत होता है, तो निःसन्देह एक बोझ हो जाएगा।

अस्तु, हम 'हस्तान्तरण' के रूप की पूर्ण विवेचना करनी चाहिए। ऋण और व्याज के भुगतान के लिए सरकार को कर लगाना आवश्यक है, लेकिन जो कुछ करों के लगाने से मिलता है, वह बाँट रखने वाले से लेते हैं। ऐसे पत्र (bonds) रखने

वासे तो निःसन्देह ही धनी होते हैं, लेकिन करो का बोझ केवल अमीरों पर ही नहीं, बल्कि गरीबों पर भी पड़ता है। अधिकतर करो का बोझ गरीबों पर ही पड़ता है, इसलिए धन के हस्तान्तरण से अधिकतर धन गरीबों के पास जाता है। इसका अर्थ यही है कि आर्थिक हितों की वास्तविक क्षति होती है।

इस तथ्य से यह बोझ और भी बढ़ जाता है कि युवकों से बूढ़ (बाँड वाले, जो सरकार के ऋणदाता होते हैं सामान्यतः बड़ी आय वाले होते हैं) और समाज के सक्रिय सदस्यों से निष्क्रिय सदस्यों को यह हस्तान्तरण होता है। डाल्टन (Dr Dalton) का कथन है 'राजस्व के क्षेत्र में, अन्यत्र नहीं समानता अथवा न्याय की ऊँची एवं स्पष्ट ध्वनि घोषित होती है। उत्पादन के आधार पर (वितरण के आधार को छोड़कर) यह सामान्य धारणा भी है कि निष्क्रिय सक्रिय के बल पर अधिकाधिक धनी होते हैं जिनके द्वारा संचित सम्पत्ति के लाभ के लिए कार्य और उत्पादक जोखिम लेना दण्डनीय हो जाता है।' इस प्रकार आन्तरिक ऋण का सम्पत्ति के उत्पादन और वितरण दोनों पर ही विपरीत प्रतिघात होता है। यह इसका प्रत्यक्ष वास्तविक बोझ है।

इसका वास्तविक भार अप्रत्यक्ष रूप में उत्पादन की रोक पर लगता है। यदि बाय करने तथा बचाने की योग्यता और इच्छा को कम कर दिया जाता है तो निश्चय ही उत्पादन पर रोक लगगी। यदि ऋण चुकाने के लिए भारी करो को लगाया जाता है तो अवश्य ही काम करने की योग्यता और धन बचत करने की इच्छा में कमी हो जायेगी।

अब विदेशी ऋण-भार के विषय में विचार कीजिए। विदेशी ऋण भी हस्तान्तरण का प्रोत्साहन देता है, लेकिन धन का यह हस्तान्तरण उसी देश में नहीं होता। इससे स्थिति में बहुत अन्तर पड़ जाता है। जब ऋण लिया जाता है तो धन उधार देने वाले देश को चला जाता है परन्तु जब भुगतान होता है तो इससे विपरीत दिशा में होता है। जो धन उधार लेने वाला देश देता है उसमें उसे मूलधन के बोझ के साथ ही साथ व्याज का भार भी देना होता है। लेकिन यदि हम वास्तविक भार को जानना चाहते हैं तो हम इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि इस उधार का चुकाने में गरीबों और अमीरों ने किम अनुपालन में अशक्तान दिया (अर्थात् कितने आर्थिक कल्याण का त्याग सहन किया) क्योंकि सरकार यह धन करो द्वारा प्राप्त करेगी। यदि यह कर प्रत्यक्ष रूप से धनी वर्ग से लिया जाते हैं, तो वास्तविक ऋण का सीधा भार अधिकतर गरीबों से लिये गए करो की अपेक्षा कम होगा। जो भुगतान हम बाहरी देशों या साहूकारों को करते हैं तो उसमें हमारा माल और सेवा भी आ जाते हैं। अर्थात् हमारी वस्तुओं और सेवाओं पर विदेशी सत्ता का अधिकार हो जाता है। हमारा धन उनके उपयोग का नहीं होता। वे हमारी सेवाओं और वस्तुओं को लेते हैं, धन नहीं लेते। वे उस धन से हमारे देश का सामान मोल लेते हैं, इसलिए विदेशी ऋण से हमारा माल भी बाहर चला जाता है। ऋणों न होने

पर यह माल देश के अन्दर ही हम लोगों द्वारा उपयोग किया जाता । इसका अर्थ है हमारे आर्थिक दुखों का हनन और फलत एक प्रत्यक्ष तथा वास्तविक बोझ ।

अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी ऋण का भार देश के धन-उत्पादन पर रोक लगाता है । ऋण चुकाने के लिए करो के लगने में कार्य करने की क्षमता और बचन करने की इच्छा में कमी हो सकती है । सरकार द्वारा ऋण चुकाने से सावजनिक व्यय की उन दिशाओं में कमी होगी जिसमें उत्पादन में वृद्धि होती है । फलन उत्पादन घट सकता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान केवल वस्तुओं के निर्यात में ही मजबूत है । इस कारण उधार लेने वाले देश को उमका भुगतान करने के लिए अधिक उत्पादन करना पड़ता है । इससे उत्पादन को सहायता मिलनी है लेकिन उत्पादन एक निश्चित दिशा में होता है । साधारणतः उत्पादन और नियोजन में सामान्य वृद्धि नहीं होती । उत्पादन के साधन सीमित होते हैं । यदि उत्पादन के साधनों की आवश्यकता निर्यात सम्बन्धी उद्योगों में होनी है तो उन साधनों को अन्य उद्योगों से हटाकर निर्यात उद्योगों में ही नियोजित करना पड़ेगा । इससे अन्य उद्योगों का विकास रुकेगा । इस प्रकार उत्पादन के साधनों का हस्तान्तरण मान होता है, और उत्पादन तथा नियोजन में वास्तविक वृद्धि नहीं होती ।

१० युद्धकालीन वित्त-व्यवस्था (War Finance)¹—युद्ध का किस तरह अर्थ-प्रबन्ध किया जाए ? इस प्रश्न का कोई प्रत्यक्ष या सीधा उत्तर नहीं दिया जा सकता । युद्ध का कुल व्यय, युद्ध-प्रारम्भ काल, मुद्रा बाजार की परिस्थितियों और इन सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों पर इस प्रश्न का उत्तर निर्भर है । एक परिस्थिति के अन्तर्गत किया हुआ कार्य दूसरी परिस्थिति के अन्दर भिन्न हो सकता है ।

हम यहाँ एक पुराने विवादग्रस्त विषय को ले सकते हैं कि "क्या युद्ध के लिए अर्थ-प्रबन्ध करो से या ऋणों से करना चाहिए ?"

कुछ अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण कर-प्रणाली तथा कुछ ने पूर्ण ऋण-प्रणाली का समर्थन किया है । रिजार्वों पूर्ण कर-रीति का पक्का समर्थक था, और युद्ध का अर्थ-प्रबन्ध करने के लिए ऋण लेने का वह विरोध किया करता था, क्योंकि इससे घाटा होता है और पूँजी कम हो जाती है । साथ ही युद्ध के लिए लगाए गए कर उस समय की मन्तान के महिष्ठक में युद्ध के विह्वल धारणा उत्पन्न कर देते हैं ।

पूर्ण कर-रीति के पक्ष में यही मत दिया जाता है कि कर युद्ध-व्यय को कम से कम मतह तक बनाए रखने हैं और युद्ध-काल को भी कम से कम करते हैं । दूसरे, कर युद्ध के द्वारा उत्पन्न होने वाले मुद्रा-प्रसार को रोकते हैं, क्योंकि प्राथमिक युद्ध में मुद्रा-प्रसार का महारा अतिव्यय है । पिछले युद्ध के परिणामस्वरूप कितनी ही प्रकार की परेशानियाँ केवल मुद्रा-प्रसार के कारण भेजनी पड़ी । करो से अधिक व्यय और अनावश्यक उपभोग कम हो जाएगा । करो के बोझ से युद्ध की कठिनाइयाँ युद्ध करने वाली पीढ़ी को भेजनी पड़ेंगी और वही अपनी गलतियों के लिए उचिन ही भुगतेंगी ।

लेकिन इन मतों के विरोध में भी यह कहा जा सकता है कि कोई भी कर-प्रणाली आधुनिक युद्ध के भयानक बोझ को सहन नहीं कर सकती है। अधिक करों से देश की पूंजी कम होगी और इससे उत्पादन की क्षति पहुँचेगी। भारी कर लगाने से उच्च वर्ग की जनता में से सरकार के प्रति विश्वास उठ जाएगा और यह सरकार के विपक्ष में गुप्तचर कार्यों को बढ़ावा देंगे। इससे सामाजिक मगल में दरार पड़ जाएगी। चतुर राजनीतिज्ञ ऐसी स्थिति को कभी पंदा नहीं होने देंगे।

ऋण नीति धन को प्राप्त करने का अच्छा और सरल ढंग है। करों की अपेक्षा ऋण लेने से सरकार की लोकप्रियता नहीं घटती। ऋण देने वाले यह जानते हैं कि वे व्याज से जो धन प्राप्त करेंगे, वह उस वर से अधिक होगा जो कि उनको ब्याज भुगतान करने के लिए देना पड़ेगा। इसलिए अपनी आवश्यकताओं को कम करके लोग युद्ध काल में बड़े-बड़े बाँड खरीदकर लाभ उठाते हैं और इस प्रकार युद्ध की भी सहायता मिलती है। कर उद्योग व्यापार में भी बाधा डालते हैं लेकिन ऋण उत्पादन का सहायक होता है। ऋण देने वाले अपनी आवश्यकताओं में बचे हुए धन की ही देते हैं। इस प्रकार उद्योग-वन्धों को हानि नहीं पहुँचती। सरकार भी लिये हुए ऋण का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए करती है। अतः इससे व्यापार को सहाय मिलता है।

इन प्रकार युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था के दो रूप हैं—(१) केवल ऋण लेकर, और (२) अर्चले करों से। लेकिन यह दोनों ही अर्थ में अपने-अपने पक्ष में एकतरफा हैं। दोनों के मिश्रित उपयोग द्वारा ही आय प्राप्त करना सबसे अच्छा है। एडम स्मिथ (Adam Smith) का कथन है कि "शान्ति के दिनों में खर्च करने से बचाया हुआ धन युद्ध-काल में देना आवश्यक हो जाता है।" लेकिन हमारे मतानुसार शान्ति काल की अर्थ-व्यवस्था ही युद्ध-काल में आधुनिक युद्ध की अर्थ-व्यवस्था को पूर्ण नहीं कर सकती। ऋण लेना आवश्यक है। लेकिन ऋण लेना उस समय अति आवश्यक हो जाता है जब युद्ध छिड़ जाता है और सरकार को शीघ्र ही उसके लिए कोष की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में बच आगम शीघ्र प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसलिए सरकार के लिए ऋण लेना आवश्यक हो जाता है।

युद्ध के लिए अर्थ-प्रबंध का तीसरा तरीका है कागजी मुद्रा का छापना। यह बहुत ही भयानक उपाय है। सदा युद्ध में लगे रहने वाले राष्ट्रों में इसका उपयोग होता आया है लेकिन इसका उपयोग बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए। हम इस विषय पर अर्थ-विभाग में कह आए हैं। इस प्रकार युद्ध की अर्थ-व्यवस्था हम तीन तरह में कर सकते हैं—

(१) ऋण से, (२) करों से, और (३) पत्र मुद्रा निकालने से।

११ युद्ध कालीन भार (The Cost of War ?)—युद्ध की लागत का अर्थ द्रव्य लागत से या वास्तविक लागत से हो सकता है। युद्ध की द्रव्य लागत का अर्थ उन तमाम खर्चों से है जो युद्ध में करने पड़ते हैं। इसका भार उन लोगों पर पड़ता है जो युद्ध-व्यय के लिए योगदान करते हैं, जैसे कर देने वाले, ऋण देने वाले और भविष्य में आने वाली सन्तान, जिसको इसके लिए कर तथा व्याज देना पड़ेगा। युद्ध की

वास्तविक लागत है - भातक, चिन्ता, दृष्ट, वियोग, परेशानियाँ, धृग्गा और नैतिक पतन । यह लागत स्पष्टतः वर्तमान पीढी को भुगतनी पडती है ।

युद्ध का भार युद्धकालीन जनता पर है या कि आने वाली सन्तान पर, यह युद्ध के लिए प्राप्त आय और उनकी आर्थिक परिस्थितिया की नीति पर निर्भर है । जहाँ तक युद्ध के लिए अर्थ-प्रबन्ध पत्र-मुद्रा छापने से प्राप्त किया जाता है उमका भार अधिकतर उस काल की जनता पर ही होता है । मुद्रा प्रसार के सभी कुपरिणामो को उस समय की जनता को ही उठाना पडता है, भविष्य के लिए इमका कोई भी कुपरिणाम शेष नहीं रह जाता ।

साधारणतः यह कहा जाता है कि करो द्वारा युद्ध के लिए प्राप्त आय का भार उस समय की जनता पर पडता है और ऋण द्वारा प्राप्त आय का भार आने वाली सन्तान पर । लेकिन यह आवश्यक नहीं है ।

ऐसा विश्वास करने के कुछ कारण हैं कि करो का अधिक आघात वर्तमान पीढी को भी सहना पडना है । बर देनदारो को अपने उपभोग का कम करना पडता है । अधिक करो का तो उपभोग व्यापार पर ऐसा उल्टा प्रभाव पडना है कि आवश्यक वस्तुओ की भारी कमी हो जाती है । लेकिन यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह उत्पादन का कुप्रभाव आने वाली सन्तान पर न छा जाएगा ? कल-कारखानो की उत्पादन की क्षमता के नष्ट होने से भविष्य म भी उत्पादन कम हो सकता है ।

यह जानने के लिए कि किस सीमा तक आने वाली सन्तान पर ऋण का भार पडता है, हम यह सोचना पडेगा कि क्या यह अल्प-प्रवधि ऋण है या स्थायी ऋण है, और साथ ही यह देखना होगा कि वह आन्तरिक ऋण है या बाह्य ऋण ।

यदि ऋण की अवधि २० ३० वर्ष है, तब तो वर्तमान पीढी में ही वह समाप्त हो जाएगा, और भावी पीढी पर उमका कोई प्रभाव नहीं होगा, केवल दीर्घकालीन ऋण की दशा में ही भावी सन्तति पर ब्याज चुकाने का बोझा पड सकता है ।

आन्तरिक ऋण के बारे में यह सकारण है कि क्या ऋण का सम्पूर्ण भार आने वाली सन्तान पर पडता है । नि सन्देह ब्याज और मूलधन भविष्य म चुकाए जाएँगे, और उनके लिए लोगो पर कर लगाए जाएँगे । इसलिए भविष्य में कर देने वालों को उसका भार सहन करना पडेगा । किन्तु ब्याज का भुगतान कौन प्राप्त करता है ? वर्तमान स्टॉक होल्डरो की सन्तानें । इसके यह अर्थ हुए कि सम्पत्ति का भावी पीढी के कुछ वर्गों में से (अर्थात् कर दाताओ) भावी पीढी के अन्य वर्गों में (अर्थात् बाँड रखने वालो में) हस्तान्तरण हुआ । इसलिए यदि आने वाली सन्तान को कुछ देना पडता है तो आने वाली सन्तान कुछ लेती भी है । इसलिए हम कैसे कह सकते हैं कि भविष्य की सन्तान को ऋण का भार सहन करना पडता है । हाँ, यदि ऋण आन्तरिक नहीं है तो ऐसा नहीं होता ।

लेकिन यदि ऋण बाहरी है तो भविष्य की सन्तान को ब्याज तथा मूलधन का भुगतान करना पडता है । पूँजी उधार लेने वाले देश से उधार देने वाले देश म हस्तान्तरित होती है । इस तरह से एक देश का धन दूसरे देश म जाने लगता है । युद्ध-काल में

या युद्ध के बाद ही जब व्यापार पूरे जोर पर तथा कीमते बढ़ी हुई और बेकारी नहीं होती है, तब ऋण का बोझ कम होता है। लेकिन जब परिस्थितियाँ इसके प्रतिकूल होती हैं और मन्दी का दौर चलता है तब यह बोझ बहुत बढ़ जाता है।

इन सब का सार निकालकर अगर हम यह कहे कि युद्ध की वित्त-व्यवस्था पत्र मुद्रा से हो तो बहुत हद तक उस काल की सन्तान को ही उसका बोझ उठाना पड़ता है लेकिन जहाँ तक युद्ध के लिए भयं की पूर्ति कर द्वारा होती है उस काल की सन्तान को ही मुख्यतः उसके बोझ को उठाना पड़ता है। फिर भी भविष्य की सन्तान भारी करों के कुप्रभाव से बची नहीं रह सकती। इसी प्रकार हमारा कि ऋणों का यह स्वभाव है कि वह भविष्य की सन्तान पर अपना बोझ बाँजते हैं, लेकिन लोक ऋण से उस काल की जनता पर प्रभाव पड़ता है। यदि वह अल्पकालीन ऋण है तो आने वाली सन्तान बची रहती है लेकिन आन्तरिक स्थायी ऋण में भी आने वाली सन्तान पूर्ण भार नहीं उठाती, क्योंकि वह भविष्य की सन्तान, भविष्य की सन्तान को ही दे देती है। केवल विदेशी ऋण में ही युद्ध-का बोझ पूर्णतः आने वाली सन्तान पर पड़ता है। केवल इसी तरह हम युद्ध-कर का आने वाली सन्तान से वसूल करते हैं जबकि युद्ध के दोषी हम हैं।

निर्देश पुस्तकें

- Dalton, H Public Finance
 Pigou A C Public Finance
 U Hicks Public Finance
 Macgregor Public Aspects of Finance
 Armitage Smith Principles and Methods of Taxation.
 Lutz, Harley Leist Public Finance
 Robinson Public Finance
 Adams The Science of Finance
 Silverman Taxation
 Shyras Science of Public Finance
 Plehn Introduction to Public Finance
 Bastable Public Finance
 Keynes, J M How to Pay for the War, 1940
 De Vebi De Marco Principles of Public Finance
 Alfred G Buehler on "Taxation and Economy" in (National
 Tax Journal June, 1900, pp 121-33)

घाटे की वित्त-व्यवस्था

(Deficit Financing)

१. प्रस्तावना (Introduction)—निजी खर्च, कुल खर्च अथवा अर्थ-व्यवस्था में ज़रूरी माँग के स्तर में जो पूर्ण नियोजित पैदावार चालू कीमत स्तर पर खरीदने के लिए ज़रूरी है गिरावट आने से, घाटे की वित्त-व्यवस्था, १९३० के आस-पास की मन्दी के दौर की एक महत्वपूर्ण खोज थी। आज तो सरकारें उमका मुख्य अस्त्र के रूप में प्रयोग करती हैं। विशेष रूप से उन देशों में जहाँ उन्नत निजी उद्यम की व्यवस्था है, जिससे निजी खर्च में मन्दी की प्रवृत्ति दिखाई देने पर भी विशेष रूप से निजी कुल घरेलू नियोजन में, आर्थिक चेष्टाओं का उच्च स्तर सुनिश्चित रहे।

२. घाटे की वित्त-व्यवस्था क्या है? (What is Deficit Financing?)—घाटे की वित्त-व्यवस्था वास्तविकता की परिभाषा उस उद्देश्य के सन्दर्भ में की जा सकती है जिसके लिए घाटे की वित्त-व्यवस्था की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति यह खोज करना चाहे कि सरकार किन सीमा तक अपने उपलब्ध साधनों की सीमा में व्यय कर रही है? जब कोई सरकार अपना सार्वजनिक व्यय (चालू व्यय और पूँजीगत व्यय), अपने प्राप्त करों, फीसों, सरकारी व्यापारों और उद्यमों के आधिकारों से प्राप्त प्राप्तियों से भी अधिक करती है तो कहा जाएगा कि उक्त सरकार घाटे की वित्त-व्यवस्था का आश्रय ले रही है। इस परिभाषा के अन्तर्गत चाहे तो सरकार सार्वजनिक ऋण प्राप्त करके अपना घाटा पूरा करे, चाहे बैंकों से ऋण लेकर अपना व्यय पूरा करे, दोनों प्रकार से कमी को पूरा करने को घाटे का वित्तीयकरण कहेंगे। पुनः कोई अन्वेषक यह भी जानने का प्रयत्न कर सकता है कि सरकार के आय-व्ययक से मुद्रा-स्फीति किस सीमा तक बढ़ेगी। सरकार द्वारा व्यय के लिए आवश्यकताओं के अनुरूप ही किसी देश का आय-व्ययक मँजोया जाता है। सरकार की कुछ प्राप्तियाँ (जैसे करों द्वारा प्राप्त प्राप्तियाँ) सर्वसाधारण की क्रय-शक्ति कम करके ही प्राप्त की जाती हैं। उस सीमा तक सर्वसाधारण देश के उपलब्ध साधनों के प्रयोग से वंचित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है कि सरकार की कुछ अन्य प्राप्तियों से सर्वसाधारण की क्रय-शक्ति बिलकुल नहीं घटती या उस सीमा तक नहीं घटती जो घाटे की वित्त-व्यवस्था का आश्रय लेना आवश्यक हो जाए। सरकार के घाटे में किन प्राप्तियों को शामिल किया जाए, यह निर्णय करने के लिए हमको यह निर्णय करना होगा कि किस प्राप्ति से सर्वसाधारण की समान राशि की क्रय शक्ति का ह्रास होता है और वह भी किस सीमा तक। इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देना कठिन है; इसलिए अर्थशास्त्री घाटे के वित्तीयकरण की सर्वसम्मत परिभाषा देने में भी असमर्थ रहे हैं। पुनः, कोई व्यक्ति आय-व्ययक के घाटे की राशि से यह

अनुमान लगाने का प्रयत्न कर सकता है कि सरकार ने देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में कितना तरल योगदान दिया।

उपरोक्त विवेचन के सम्बन्ध में हम कह सकते हैं कि सभी देशों में तब समयों पर घाटे की वित्त-व्यवस्था की एक ही परिभाषा नहीं होगी। भारतीय योजना आयोग (Planning Commission of India) ने घाटे की वित्त-व्यवस्था की जो परिभाषा बताई है वह यह है: "घाटे की वित्त-व्यवस्था का अर्थ है संपत्ताधारण की अर्थ-शक्ति में उसी सीमा तक वृद्धि।" जब कभी सरकार का व्यय उभरी आय से (करों, फीसों और लोक-ऋणों में प्राप्त धन) अधिक बढ जाता है तो उस अवस्था में सरकार को घाटे की वित्त-व्यवस्था का आश्रय लेना पड सकता है। आय और व्यय के बीच की खाई को पाटने के लिए सरकार या तो केन्द्रीय बैंक के पास जमा भंडारों को कम करती है अथवा उसमें उधार लेती है। इस खाई को पाटने के लिए प्रयोग में लाए गए उक्त दोनों उपाय घाटे की वित्त व्यवस्था के दो रूप हैं। घाटे की पूर्ति के उपरोक्त दोनों उपाय संपत्ताधारण की मुद्रा-पूर्ति की शक्ति को विस्तार प्रदान करते हैं। इन्हीं अर्थों में भारत सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था की परिभाषा इन प्रकार करती है "यह सरकारी व्यय का वह भाग है जो या तो सरकार की जमा तरल नेप से पूरा किया जाता है, या फिर केन्द्रीय बैंक (Reserve Bank of India) से ऋण लेकर पूरा किया जाता है। घाटे की वित्त-व्यवस्था की उस परिभाषा सरकार के उस व्यय से सम्बन्धित है जिसका वित्त-पोषण संपत्ताधारण की मुद्रा-पूर्ति की क्षमता में वृद्धि उत्पन्न करता है।"

३. महती के दौर में घाटे की वित्त व्यवस्था (Deficit Financing During the Depression)—व्यापार-चक्रो सम्बन्धी अन्वेषण में हमने उन्नतिशील और विकसित देशों में व्यापक बेरोजगारी के कारणों पर प्रकाश डाला था। वहाँ पर हमने यह भी बताया था कि चक्रिक बेरोजगारी का मुख्य कारण वस्तुओं की प्रभावी माँग का अभाव था। ऐसी स्थिति में प्रभावी माँग उत्पन्न कर देने से स्थिति सुधर सकती है। इस दिशा में सरकार बहुत कुछ कर सकती है। यदि सरकार स्वयं अत्यन्त हस्तक्षेप न करना चाहे तो भी वह प्राइवेट उपभोग को बढ़ावा देकर नियोजन को प्रोत्साहन दे सकती है। सरकार करों की दरों को घटाकर, किन्तु साथ ही अपने व्ययों को उन्हीं की तरह रखकर प्राइवेट उपभोग का उत्पन्न कर सकती है और नियोजन को प्रोत्साहन दे सकती है। इस दशा में चूंकि सरकार अपनी करों की आय से अधिक व्यय करने लग जाती है इसलिए वह एक प्रकार से घाटे का वित्त पोषण करने लगती है जिसमें घाटे की रकम ऋण से पूरी की जाती है। यदि इस प्रकार सरकार आर्थिक क्रिया-कलाप को गति नहीं दे पाती तो वह सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम प्रारम्भ कर सकती है। इस स्थिति में सरकार की करों से आय तो स्थायी बनी रहती है, किन्तु उसका व्यय बहुत बढ जाता है, अतः पुनः इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार का ऋण का आश्रय लेना पडता है।

स्वर्गीय लार्ड जे० एम० कीन्स (J. M. Keynes) ने यही दिशा इंगित की थी। शास्त्रीय अर्थशास्त्री विनायक रूप से घाटे की वित्त-व्यवस्था के विरुद्ध थे।

किन्तु लाडं कीन्स (Lord Keynes) ने सिद्ध कर दिया कि जहाँ व्यापक बेरोजगारी फैली हो, और पूँजी को लाभदायक कामों में लगाने की गुंजाइश हो, वहाँ घाटे की वित्तीय व्यवस्था का परिणाम मृदा-स्फीति नहीं हो सकता। उनका तर्क यह था कि जब सरकार घाटे की वित्त-व्यवस्था का आश्रय लेगी तो उसके द्वारा अधिक धन नियोजन होगा और अधिक पूँजी नियोजन होगा तो साथ ही साथ उत्पादन भी तो बढ़ेगा। मन्दी के दौर में उत्पादन की औसत और सीमान्त लागत में विना वृद्धि किए हुए भी पूर्ति में वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार अतिरिक्त माँग के द्वारा विना कीमतों में वृद्धि किए हुए अतिरिक्त पूर्ति की जा सकती है। अतः मन्दी के जमाने में घाटे की वित्त-व्यवस्था के द्वारा, उत्पादन, धन नियोजन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है जबकि स्फीति का भय नाम की भी न होगा। बल्कि मन्दी के दिनों में करों की दर बढ़ाना अच्छा नहीं किन्तु सरकारी व्यय को घाटे की वित्त-व्यवस्था के आधार पर बढ़ाना अधिक अच्छा है। यदि करों की दरें बढ़ाई जाएँगी तो इससे आर्थिक गति मन्द होगी क्योंकि बड़े हुए करों का प्रभाव यह होगा कि प्राइवेट उपभोग और नियोजन पर आघात लगेगा और फनस्वरूप प्रभावी माँग घटेगी। इस प्रकार सरकारी व्यय में वृद्धि के आर्थिक परिणाम ऊँचे करों के प्रभाव से कुण्ठित हो जाएँगे और निजी नियोजन तथा उपभोग पर अनर्थकारी प्रभाव पड़ेगा।

४ घाटे की वित्त-व्यवस्था और आर्थिक विकास (Deficit Financing and Economic Development)—भारत जैसे अविक्तित देशों में घाटे की वित्त-व्यवस्था के द्वारा कहाँ तक आर्थिक विकास किया जा सकता है? नियोजन के सिद्धान्त सम्बन्धी अध्ययन से हमने कहा था कि अविक्तित देशों की मुख्य कठिनाई यह है कि उनमें पूँजी-निर्माण की गति धीमी है जबकि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। ऐसे देशों में समस्त श्रमिक शक्ति को पूर्ण नियोजन तभी दिया जा सकेगा जबकि बहुत अधिक पूँजी की व्यवस्था पूर्ण कर ली जाएगी। अविक्तित देशों की वास्तविक समस्या प्रभावी माँग की कमी नहीं है। वहाँ पर कमी है पर्याप्त पूँजी की और पर्याप्त पूँजी-गत माल की। विकसित और उन्नत देशों में पूँजी-निर्माण निजी या प्राइवेट उद्यमियों के हाथ में है जबकि गरीब देशों में ऐसे लोगों का सर्वथा अभाव है जो पूँजी-निर्माण कर सकें या उद्यम चला सकें। अतः भारत जैसे अविक्तित देशों में सारा उत्तर-दायित्व सम्बन्धित सरकारों को ही बहन करना होगा।

सत्य यह है कि पूँजी नियोजन की गति बढ़ाकर ही अविक्तित देशों का आर्थिक कार्याकल्प किया जा सकेगा। इसके लिए बहुत अधिक पूँजी दरकार होगी और पर्याप्त विदेशी सहायता के अभाव में हमको देश में बचत योजना को आगे बढ़ाना होगा और बचत के धन को उत्पादक कार्यों में लगाना होगा। सर्वसाधारण में ऐच्छिक बचत को प्रोत्साहन देना चाहिए। राष्ट्रीय अल्प बचत योजना के द्वारा बचत की धनराशि को सरकार के सुपुर्दे किया जा सकता है। किन्तु ऐसे देश में जहाँ लाखों-करोड़ों व्यक्ति मुश्किल से भरेपेट अन्न प्राप्त कर पाते हैं, वहाँ आमदनी और उपभोग के बीच कुछ बचत ही कहाँ है; और ऐसी स्थिति में ऐच्छिक बचत से इतना

धन संप्रहू करना सम्भव है जिससे देश के विकास में कुछ सहायता मिल सके। अतिरिक्त करो की आय से भी विकास योजनाओं की पूर्ति सम्भव है किन्तु गरीब देशों में करो की आय भी इतनी नहीं होगी जिससे विकास योजनाओं को पूरा किया जा सके। और अधिक ऊँचे षरा से अधिक और राजनीतिक अशांति का भी भय होता है। अतः अन्तिम उपचार के रूप में अतिक्रिसित देश को सरकार को घाटे की वित्त-व्यवस्था का ही आश्रय लेना पड़ता है।

५ घाटे की वित्त-व्यवस्था और स्फीति (Deficit Financing and Inflation) — १९३० के आस पास उन्नत देशों में भी घाटे की वित्त व्यवस्था का आश्रय लिया गया था। किन्तु उनमें स्फीति की दशा उत्पन्न नहीं हुई क्योंकि वहाँ उत्पादन के पूर्ति बक लोचदार थे। अतिरिक्त सरकारी व्यय के कारण प्रभावी माँग में वृद्धि होती है। किन्तु यदि उसी अनुपात में पूर्ति को भी बढ़ाया जा सकता है तो स्फीति का भय नहीं रहता।

किन्तु अतिक्रिसित देशों की स्थिति भिन्न है। वहाँ विकास के प्रारम्भिक चरणों में स्फीति का भय वास्तविक होता है। इसका कारण यह है कि मातायात और मचार के साधनों के विकास के लिए बहुत अधिक पूँजी आयोजित करना नितान्त आवश्यक हो जाता है। इस पूँजी विनियोजन से भी अन्य विनियोजनों की माँग ही माँग बढ़ती है किन्तु इनसे उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन की पूर्ति नहीं बढ़ती। इन्हीं सब कारणों से अतिक्रिसित देशों में घाटे की वित्त-व्यवस्था के परिणामस्वरूप स्फीतिकारी परिणाम अवश्य भोगने पड़ने हैं और इनको नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से इन पर कड़ी निगाह रखना आवश्यक है। घाटे की वित्त-व्यवस्था का एक परिणाम होता है कि जनता के पास मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। यद्यपि मुद्रा की पूर्ति के बढ़ जाने और कीमतों में स्फीतिकारी वृद्धि के बीच सीधा सम्बन्ध नहीं है। उदाहरण के लिए मबनिर्मित मुद्रा को बचाकर या गाड़कर रख दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मुद्रा-स्फीति नहीं होगी। किन्तु जहाँ तक नए द्रव्य मुद्रा से नए व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, वहाँ तक वह सारा द्रव्य अतिरिक्त माँग पैदा करेगा। उसी प्रकार यदि अतिरिक्त नियोजन से अतिरिक्त उपभोग्य वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है तो भी स्फीतिकारी प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होगा, और उच्चतर स्तर पर माँग और पूर्ति में साम्य स्थापित हो जाएगा। किन्तु यदि किसी कारणवश माँग के अनुरूप पूर्ति को न बढ़ाया जा सका, तो कीमतों में स्फीतिकारी वृद्धि होगी।

६ घाटे की वित्त-व्यवस्था के स्फीतिकारी परिणामों पर अक्रुश (Minimising Inflationary Potential of Deficit Financing) — निम्नलिखित उपायों से घाटे की वित्त व्यवस्था से उत्पन्न स्फीतिकारी परिणामों को प्रभावहीन किया जा सकता है—

(१) राजकोपीय नीति (Fiscal Policy) — किसी सीमा तक घाटे की वित्त-व्यवस्था से उत्पन्न स्फीतिकारी परिणामों को अपस्फीतिकारी राजकोपीय नीति द्वारा संचालित प्रयत्नों के द्वारा प्रभावहीन किया जा सकता है। इसके लिए प्रायः कर

से प्राप्त राजस्व को बढ़ाना होगा, व्यय पर भी पर लगाना होगा तथा अनावश्यक सरकारी व्यय में काट-छाँट करनी होगी।

(२) मुद्रा नीति (Monetary Policy)—मुद्रा जारी करने की नीति पर नियन्त्रण रखकर आवश्यक शासनेतर पूँजी नियोजन को नियन्त्रित किया जा सकता है और इस नियन्त्रण के परिणामस्वरूप आवश्यक पूँजी नियोजन में सहायता मिलेगी।

(३) प्रवृत्त नियन्त्रण (Selective Controls)—नियन्त्रित साख भौतिक एवं राजकोषीय नियन्त्रणों के द्वारा सरकार शासनतर नियोजन को प्रभावित कर सकती है और उसको ठीक दिशा प्रदान कर सकती है। उदाहरण के लिए अलम्प पदार्थों का राशन किया जा सकता है, भवन निर्माण सम्बन्धी नीति पर नियन्त्रण लगाया जा सकता है और कम्पनियों द्वारा पूँजी निगम पर रोक लगाई जा सकती है।

(४) प्राकृतिक साधनों का उचित बँटवारा (Proper Allocation of Resources)—ऊपर जिन उपायों का निर्देश किया गया है वे माँग के दबाव को कम करने में सहायक सिद्ध होंगे। किन्तु साथ ही उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न भी करते रहना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए उद्योगों और कृषि के बीच उचित सामञ्जस्य रखना आवश्यक होगा। उसी प्रकार भारी उद्योगों और छोटे उद्योगों के बीच भी सन्तुलन रखना आवश्यक होगा। कृषि से ही भोजन मिलता है जो मौलिक पारिश्रमिक है। इसलिए यदि आर्थिक विकास की योजना में कृषि के विकास पर उचित ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो वह स्फीतिकारी प्रभावों को बढ़ावा देगी। उसी प्रकार छोटी पूँजी वाले और शीघ्र फलदायक छोटे कुटीर उद्योगों के विकास पर उचित ध्यान दिया जाना नितान्त आवश्यक है।

(५) आयात आधिक्य का निर्माण (Developing an Import Surplus)—आयात आधिक्य का सहारा लेकर भी वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में भारतीय योजना आयोग ने २०० करोड़ ६० के स्टर्लिंग शेष निकालना निश्चय किया था, ताकि घाटे की वित्त व्यवस्था के स्फीतिकारी परिणामों का निराकरण किया जा सके। किन्तु वास्तव में योजना की वित्त-व्यवस्था में घाटा, आशा से अधिक रहा जबकि स्टर्लिंग शेष आशा से कम निकाला जा सका। फिर भी कोई देश एक सीमा तक ही आयात आधिक्य का निर्माण कर सकता है। विदेशी विनिमय साधनों की सीमा और विदेशी ऋण प्राप्त करने की सीमा भी आयात आधिक्य के निर्माण में बाधक है।

७ घाटे की वित्त-व्यवस्था की सीमाएँ (Scope and Limitations of Deficit Financing)—ऊपर हमने घाटे की वित्त व्यवस्था की सीमा और विस्तार का वर्णन किया है। किसी देश की विकास योजनाओं की पूर्ति के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था आवश्यक हो सकती है किन्तु इस उपाय का अत्यधिक आश्रय घातक होगा। जिस सीमा तक हम स्फीतिकारी प्रभावों पर नियन्त्रण रख सकेंगे और वस्तुओं की माँग पर काबू रख सकेंगे, तथा जिस सीमा तक हम देश में उत्पादन बढ़ा सकेंगे, वही तक घाटे की वित्त-व्यवस्था लाभदायक सिद्ध हो सकती है।

अध्याय ४६
आर्थिक व्यवस्थाएँ
 (Economic Systems)

१ पूंजीवाद (Capitalism)—किसी देश की आर्थिक क्रिया उस देश में प्रचलित अर्थ-व्यवस्था के अनुरूप होती है। मुख्य आर्थिक व्यवस्थाएँ ये हैं—पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था, मजदूरीवादी अर्थ-व्यवस्था और साम्यवादी अर्थ-व्यवस्था। इस अध्याय में हम इन आर्थिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। पहले हम पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था पर विचार करेंगे।

पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत समस्त खेत, कारखाने तथा उत्पादन के अन्य साधन व्यक्तियों तथा फर्मों की निजी सम्पत्ति मानी जाती है, तथा अपने लाभ के लिए उनका उपयोग करने अथवा न करने की उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। अपनी सम्पत्ति का किसी प्रकार आदान-प्रदान करते समय लाभ प्राप्त करना सम्पत्ति के स्वामियों का एक मात्र उद्देश्य होता है। हर व्यक्ति उत्पादन का कोई भी मार्ग ग्रहण कर सकता है, तथा अपने लाभ के लिए अन्य नागरिकों से सविदा अथवा ठेका करने के लिए स्वतन्त्र है। यद्यपि जन कल्याण के लिए समस्त आधुनिक राज्य प्राइवेट सम्पत्ति के प्रयोग पर कुछ प्रतिबन्ध लगाते हैं, तथापि इन प्रतिबन्धों के होते हुए भी सम्पत्तिज्ञान वर्गों को अपनी सम्पत्ति का जैसे चाहें वैसे प्रयोग करने की, अपने लिए लाभदायक कोई भी कारोबार चालू करने की, तथा अपने हिता की आगे बढ़ाने के लिए किसी प्रकार के सविदा करने की बहुत गुंजायश रहती है।

पूंजीवाद की वेब्स (webbs) द्वारा की गई परिभाषा से इस पद्धति में निहित अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। यह परिभाषा इस प्रकार है—“पूंजीवाद या पूंजीवादी पद्धति या पूंजीवादी सम्यता का अर्थ है उद्योगों के विकास तथा वैधानिक संगठन में वह स्थिति जिसमें कि व्यक्ति का समुदाय उत्पादन के यन्त्रों के स्वामित्व से इस प्रकार अलग हो जाता है और वह ऐसे मजदूरों में परिणत हो जाता है कि उनका निर्वाह तथा निजी स्वातन्त्र्य राष्ट्र के मोटे से ऐसे व्यक्तियों की, जो भूमि, यन्त्रादि तथा अम-सहित के स्वामी हैं, तथा अपने कानूनी स्वामित्व के द्वारा उनके प्रबन्ध पर नियन्त्रण रखते हैं और अपने लिए व्यक्तिगत तथा निजी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसा करते हैं, इच्छा पर निर्भर हो जाता है।”

२ पूंजीवाद के प्रमुख लक्षण (Outstanding Features of Capitalism)—पूंजीवाद के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि इस पद्धति के कई प्रमुख लक्षण हैं। इनमें से (१) निजी सम्पत्ति का अस्तित्व तथा उत्तराधिकार की प्रणाली सबसे प्रधान है। हर एक व्यक्ति को निजी सम्पत्ति प्राप्त करने का, उसे रखने का तथा अपनी मृत्यु के पश्चात् अपने उत्तराधिकारियों को देने का अधिकार होता है।

(ii) इसी से सम्बन्धित दूसरा लक्षण यह है कि उत्पादन व साधन व्यक्तियों के हाथों में रहते हैं और वे उनका प्रबंध एक मात्र अपने लाभ के लिए करते हैं।

(iii) इसी वर्तमान प्राथमिक व्यवस्था का एक और लक्षण प्रकट होता है। वह है वग-संधर्ष। समाज दो वर्गों में बँट गया है। एक वे जो 'भरे' (सम्पन्न) हैं, दूसरे वे जो 'खाली' हैं। दोनों वर्गों में निरन्तर संधर्ष चला करता है।

(iv) पूँजीवादी व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण प्राथमिक स्वातन्त्र्य है जिसमें तीन बातें निहित हैं—(क) उच्च स्वातन्त्र्य, (ख) सविदा या ठेके (Contract) का स्वातन्त्र्य (ग) अपनी सम्पत्ति का बेरोक-टोक उपयोग। हर व्यक्ति को जो उद्योग वह चाहे करने की स्वतन्त्रता होती है तथा अन्य नागरिकों से रुपय लिए सबसे अधिक लाभदायक ढंग से सविदा या ठेका करने की स्वतन्त्रता भी होनी है। किन्तु व्यवहारतः इस प्रकार की स्वतन्त्रता को निरपेक्ष नहीं कहा जा सकता क्योंकि सब साधारण व बल्याण की दृष्टि से समस्त राज्याः में व्यक्तिगत अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाए गए हैं। अपना काम स्वयं चुनने की स्वतन्त्रता नाम मात्र की ही है।

(v) वर्तमान प्राथमिक व्यवस्था का एक विशेष लक्षण अपनी अयत्न-स्था है। प्राथमिक नियंत्रणों का कोई विचारयुक्त नियमन या कन्द्रीय संचालन नहीं होता। सब कुछ अपने आप हाता हुआ सा प्रतीत होता है। अनक एकाकी साहसिक उपक्रमों व करने वालों और उनके निश्चयों के फलस्वरूप उत्पादन जारी रहता है।

(vi) वर्तमान प्राथमिक व्यवस्था का एक मुख्य लक्षण यह भी है कि साहसी उद्यमी महत्त्वपूर्ण रोल अदा करता है। मारे देश की समस्त उत्पादक यन्त्रावली उसी के निर्देशानुसार चलती है।

(vii) वर्तमान प्राथमिक व्यवस्था का एक और लक्षण यह है कि कारोबारों का नियन्त्रण तथा जोखिम सहगामी है। इसे पूँजीवाद का स्वयं नियम कहते हैं।

(viii) हम को इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान प्राथमिक व्यवस्था न केवल प्रतियोगिता पर अवलम्बित है धरन् साथ साथ विभिन्न हिता के संघर्ष पर भी अवलम्बित है।

३ पूँजीवाद की सफलताएँ (Achievements of Capitalism)—पूँजीवाद की अनेक सफलताएँ हैं—

पूँजीवाद के समर्पक हमारा ध्यान सामान तथा सेवाओं की विभिन्नता तथा बाहुल्य की ओर आकर्षित करते हैं। लाभ की तृष्णा व बचीभूत उद्यमी जाखिम उठाने तथा उत्पादन के नवान क्षेत्रों का हस्तगत करने का प्रयत्न करने के लिए बाध्य हो जाता है। रहन सहन का स्तर ऊँचा हो गया है। जीवन के वैभव में वृद्धि हुई है तथा जीवन अधिकाधिक परिपूर्ण तथा सम्पन्न होता गया है। इस प्रकार पूँजीवाद ने समाज की बहुत बड़ी सेवा की है।

दूसरे, समाज के सीमित साधन अधिकतम मितव्ययिता से तथा न्यूनतम षट्ट हाते हुए प्रयुक्त होने हैं। जिस व्यक्ति पर दिनाग का दायित्व होता है, उसे एगि तथा दिवाले के रूप में अपनी गलती का फल तुरन्त मिया जाता है।

तीसरे, पूँजीवाद में सबसे अधिक योग्य, साहसी तथा दूरदर्शी उद्यमी को ही

सबसे अधिक लाभ होता है। जो प्रायः बढ़कर असाधारण चातुर्य और जीवट से काम करता है वही ऊँचे से ऊँचे लाभ का भागी होता है। इससे अधिक उचित और न्याय है कि योग्यता के अनुसार पारितोषिक मिले।

चौथ उपभोक्ताओं का नियंत्रण घना रहने के कारण यह पद्धति जनतन्त्र की भङ्गना को व्यवस्त करती है। यह कोई नती चाहता कि उपभोग के मामले में हमारी रुचि पर कोई अर्थ उच्चतर शक्ति शासन करे।

पाचवें पूँजीवादी में जोखिम और नियंत्रण साथ साथ चलते हैं अतः आर्थिक विषयों पर सदा विचारपूर्वक निश्चय किए जाते हैं।

और छठ यदि जीवन-सम्पन्न ही जीवित रह पाता है के सिद्धांत को किसी पद्धति की श्रद्धा का आधार मान लिया जाए तो पूँजीवाद निस्संदेह ठोस सिद्धांत कहा जाएगा। इस पद्धति में अनको विषय परिस्थितियों का सामना किया है परन्तु अतः मंथनी पद्धति अपनी कुछ कमजोरियाँ के बावजूद भी विजयी सिद्ध हुई है। इस पद्धति में प्रत्येक व्यक्ति के अपने-अपने परिचलनशील परिस्थितियों के अनुकूल बनाया है। इस पद्धति की सुन्दरता और अवसर के अनुकूल बन जाने की योग्यता का इससे बड़ा प्रमाण और न्याय हो सकता है कि इस पद्धति ने दो खर्चीले महायुद्धों के भार को भली भाँति वहन किया है।

४ पूँजीवाद की आलोचना (Criticism of Capitalism)—परन्तु अब पूँजीवाद की चारों ओर आलोचना हो रही है। सर्वप्रथम प्रतियोगिता जो कि पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है एक विनाश मात्र है। विनाश तथा विनाश पट्टण में बहुत बड़ी धन राजियाँ केवल प्रतिद्वन्द्वियों को मार देने के लिए व्यय की जाती हैं। इन दोड़ में हारने वाला द्वारा प्रयुक्त सामानों को विनाश ही कहा जाएगा। भोजन और विनाशकारी प्रतियोगिता से कोई विशेष सामाजिक लाभ नहीं होता।

दूसरे अधिक व्यवस्था में गड़बड़ी को दूर करने के लिए आवश्यक शक्तियों का आवास प्रवास प्रतियोगिता के क्रियाशील होने पर ही निर्भर है। परन्तु कानूनी सामाजिक और आर्थिक संघर्ष के फलस्वरूप खुली प्रतियोगिता नहीं हो पाती तथा उत्पन्न शक्तियाँ अधिकतर व्यय पड़ी रहती हैं।

तीसरे उपभोक्ताओं अर्थात् समाज तथा उत्पादकों के हितों में माना हुआ संसृष्ट वास्तविक नती होता। जबकी प्रतियोगिता न हो सके के कारण नतिकता हीन उत्पादकों द्वारा जान बूझकर बेरुमानी करने के कारण तथा व्यक्तिगत रूप से उपभोक्ता के अज्ञानी और साहसहीन होने के कारण यह उपभोक्ता राजा से रक हो जाता है और आपण का गिकार हो जाता है।

चौथ अत्यधिक प्रतियोगिता तथा अत्यधिक बचत के कारण व्यापारिक घट बढ़ की पुनरावृत्तियों को शून्य फलस्वरूप अत्यधिक उत्पादन होता है हम पूँजीवाद का सबसे बड़ा फल कह सकते हैं। जब कि एक ओर उत्पादन योजना हीन होकर पूँजी के निरंतर बढ़ते हुए एकत्रीकरण के कारण जोर पकड़ना है तथा दूसरी ओर उपभोक्ताओं में से अधिकतर का भोजन होता है। ऐसी स्थिति में उत्पादन और खपत में संतुलन बनाए रखना कठिन अवश्य होगा।

पाँचवें, हमारे राष्ट्र का बहुत बड़ा अंग श्रमजीवियों का है और वे हर समय नौकरी से हटा दिए जाने के भय से घबरा रहे हैं। स्थिरता की कोई भावना उनमें नहीं है।

छठे, पूंजीवाद मानवीय अधिकारों के विरुद्ध सम्पत्ति के अधिकारों पर अनुचित जोर देता है। ईश्वर का अन्न, मानव, एक वस्तु-मत्र समझा जाता है।

सातवें, धर्म तथा पूंजी नामक प्रतिद्वन्द्विता में समाज को बाँटकर पूंजीवाद ने चिर-सामाजिक असन्तोष का बीज बोया है। यह दोनों प्रतिद्वन्द्वी एक-दूसरे को घूर-घूरकर देखते हैं और परस्पर लड़ने का अवसर ढूँढते रहते हैं।

आठवें, पूंजीवाद का सबसे विषम फल धन के वितरण की यह अत्यधिक असमानता है, जो समय के साथ-साथ बढ़ रही है। जैसा कि जी० डी० एच० कोल (G. D. H. Cole) ने लिखा है, 'उद्योग के मन्दिर में सुख के नाम पर पृथ्वी और वास्तु में जमीन आसमान का अन्तर है।'¹

अन्त में पूंजीवाद घातक विरोधाभासों से परिपूर्ण है। कुछ थोड़ा-सा तोंग तो मनमाने वैभव में मस्त हैं, किन्तु अधिकांश आधे-पेट भोजन करके जीवित रहते हैं। एक ओर फर्शें सड़ रही हैं तो दूसरी ओर मनुष्य भूखा मर रहा है। कारखानों के अन्दर मशीनें खाली पड़ी हैं और बाहर बेकारी नग्न नृत्य कर रही है।

इन थोड़ी-सी बातों में वर्तमान पूंजीवादी पद्धति की पर्याप्त आलोचना हो जाती है। स्त्रियों और बच्चों का बढोढ़तापूर्वक शोषण, वृद्ध, रूग्ण और बेकारों की निरम उपेक्षा, तथा समस्त मानव सम्बन्धों पर आर्थिक विषमताओं के प्रभुत्व ने समाज की आत्मा को छेद दिया है तथा लोग अन्य किसी मर्ग की खोज में भटक रहे हैं। संसार के बहुत बड़े भाग में पूंजीवाद का शव दफनाया जा चुका है। अब समाजशास्त्रियों की दिशा में बढ़ रहा है और पूंजीवाद की काली छाया समाप्त हो रही है। पूंजीवाद में सर्वसाधारण को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनसे बचाव के लिए पूंजीवाद के बजाए निम्नलिखित तीन विकल्प सुझाए गए हैं। वे हैं आयोजित पूंजीवाद (Planned Capitalism), समाजवाद (Socialism) और साम्यवाद (Communism)। अब हम इनमें से प्रत्येक पर विचार करेंगे।

५ आयोजित अर्थ व्यवस्था (Planned Economy)—महान् मन्दी के उन दिनों के पश्चात्, जब कि संसार में वास्तव्य हाते हुए भूखमरी का विचित्र तथा असाधारण दृश्य उपस्थित हुआ, संसार की प्रवृत्ति योजनाबद्ध रहने की ओर अग्रसर होती जा रही है। अब आर्थिक व्यवस्था का माँग और पूर्ति के आधार पर अपने आप संचालित होना अच्छा नहीं समझा जाता। वर्तमान प्रणाली में वैषम्य के दोष का खतरा मूलतः विद्यमान है। अब बहुत कम लोगों की यह आशा रह गई है कि यदि आर्थिक शक्तियों को निरकुश छोड़ दिया जाए तो देश के आर्थिक साधनों का सर्व-सम्पन्न वितरण हो सकेगा। विषमताओं की उन पुनरावृत्तियों को रोकने के लिए, जिसके कारण वर्तमान आर्थिक प्रणाली में व्यापार-चक्र चलने लगता है, योजनाओं के बनाने की विशेष आवश्यकता पर जोर दिया जाता है।

किन्तु योजना बनाने का क्या तात्पर्य है ? (But What is Planning ?)---इस विषय पर विचारो म बहुत मतभेद है । रॉबिन्स का कथन है, "सब तो यह है कि आर्थिक जीवन म हर जगह योजना बनाने की आवश्यकता पडती है । योजना बनाने का अर्थ है कि किसी अभिप्राय को लेकर कार्य किया जाए तथा चयन किया जाए । यही चयन आर्थिक योजना का मूल तत्त्व है ।¹ परन्तु सामान्यतया योजना बनाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाता और न योजना बनाने का यह अर्थ है कि उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो अथवा कृषि की पुन व्यवस्था हो । भारत में केन्द्रीय तथा राज्या की सरकारो के विभिन्न विभागा ने द्वितीय युद्ध के पन्चात् विकास की योजनाएँ बनाईं । एक प्रकार से इमे भी भविष्य के लिए योजना बनाना कह सकते हैं । परन्तु ऐसी योजना को आर्थिक नियोजन कहना समझ म नहीं आता ।

योजना बनाने का अर्थवेत्ता जो अर्थ लगाने हैं वह यह है कि राष्ट्रीय माधनों को निश्चित उद्देश्य के आधार पर रेखांकित किया जाए तथा केन्द्रीय नियन्त्रण मे रखा जाए जिसम समस्त आर्थिक विषया का निश्चित रूप म एकत्रीकरण हो जाए तथा उनम सामग्रस्य स्थापित हा जाए तथा इस प्रकार 'अर्थ' को प्रतियोगिता तथा व्यय का दांहराव हो ही न पावे । लारविन (Lorwin)ने योजनाधीन अर्थ-व्यवस्था की व्याख्या इस प्रकार की है, 'आर्थिक ब्रदन्ध की ऐसी योजना समस्त प्राप्य साधनों को उपयोगी बनाने व अभिप्राय से व्यक्तिगत तथा विभिन्न यन्त्रादि, उद्यम तथा उद्योगों को एक ही प्रणाली की एक साथ चलने वाली इकाइयाँ माना जाता है जिससे निश्चित समय क अन्दर लागू की आवश्यकताप्रा की अधिकतम तुष्टि हा सके ।'² अथवा जैसा कि डिक्सेन्सन (Dickenson) कहता है, 'आर्थिक योजना बनाने का तात्पर्य बड़ बड़ आर्थिक निश्चय करना है—क्या और कितना उत्पादन किया जाए, तथा एक सुनिश्चित अधिकारी के विचारयुक्त निश्चयानुसार सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था के विस्तृत निरीक्षण के आधार पर वह किसको बाटा जाए ।'³

इस आधार को लेकर योजना बनाने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएँ स्पष्ट हो जाती हैं—

(क) योजना बनाना विचारयुक्त, जानबूझकर तथा एक निश्चित उद्देश्य को लेकर हो ।

(ख) एक ही ऐमा अविभक्त अधिकारी हो, जो विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को आयोजित करत और उनका एकीकरण करने के लिए जिम्मेदार हो । कृत्यों का भार दूसरो पर भी डाला जा सकता है ।

(ग) सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र आयोजित किया जाता परमावश्यक है । टुकड़े-टुकड़े करके योजना न बनाई जाए ।

(घ) समस्त प्राप्य साधनों का एकमात्र सर्वसाधारण के कल्याण के उद्देश्य से वैज्ञानिक वितरण किया जाए ।

1 Robbins, Lionel Economic Planning and International Order, 1937

2 Quoted by George Frederick in his 'Readings in Economic Planning

3 Dickenson H D Economics of Socialists, 1939, p 41

योजना बनाना अथ केवल सैद्धान्तिक वाद विवाद का विषय नहीं रह गया है अपितु व्यावहारिक नीति का एक आवश्यक अंग हो गया है। जून सन् १९३३ के राष्ट्रीय औद्योगिक पुनर्जीवन अधिनियम (National Industrial Recovery Act) द्वारा अमरीका की सरकार को उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ण नियन्त्रण का अधिकार दिया गया। इस प्रयोग के सफल होने में किसी को संदेह नहीं है। हम में तो आयोजन द्वारा और भी अधिक साधन प्राप्त हुई हैं, निम्न क्रिस्स को औद्योगिक उत्पादन में यूरोप में प्रथम तथा नसार में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। जर्मनी में भी, जहाँ पूँजी पर राज्य का स्वामित्व नहीं था, आयोजन के फलस्वरूप बेकारी दूर हुई, वेतन बढ़ तथा कृषि का विकास हुआ। आयोजन से बिना जर्मनी इतना अश्चर्यजनक आर्थिक पुनर्निर्माण न कर पाता।

नियोजन के आलोचकों का कहना है कि इससे आर्थिक स्वतन्त्रता खत्म हो जायेगी। उनका कहना है कि उपभोक्ता की स्वतन्त्रता तथा उत्पादक का उपक्रम नष्ट हो जाएगा। किन्तु यह त्रिचार भ्रमपूर्ण है। नियोजन तो आर्थिक स्वतन्त्रता का पूर्णतया पोषक है। श्रीमती वूटन (Mrs. Wootton) का कथन है "आर्थिक प्राथमिकताओं के मंचन रूप में योजना बनाने में ऐसा कोई भी तत्त्व नहीं पाया जाता जो स्वतन्त्रता का—ऐसी स्वतन्त्रता का जिसे अमरीकावासी और अग्रज सामयिक काल में नितान्त आवश्यक मानते हैं—वैरी हो। नियोजित अर्थ व्यवस्था में उपभोक्ताओं को मनमाना उपभोग करने की छूट दी जा सकती है और उत्पादकों को स्वतन्त्रतापूर्वक उत्पादन करने की छूट दी जा सकती है।"¹

६ समाजवाद (Socialism)—समाजवाद पूँजीवाद का एक विकल्प है। इसका सबसे अधिक विस्तृत प्रभाव है। स्वीडन के एक राजा ने अपने एक मंत्री से कहा था, "यदि कोई व्यक्ति पच्चीस वर्ष की आयु तक समाजवादी नहीं होता है तो इसने यह प्रकट होता है कि उसके हृदय नहीं है। परन्तु यदि पच्चीस वर्ष की आयु के पश्चात् वह समाजवादी बना रहता है तो उसके मस्तिष्क नहीं है।" वस्तुतः समाजवाद ने सार ससार के नौजवानों की कल्पना को जकड़ रखा है।

परन्तु इस विषय पर विद्वानों में पूर्ण मतभेद नहीं है कि समाजवाद वास्तव में है क्या? ऐसा प्रतीत होता है कि जितने समाजवादी हैं उतने ही प्रकार के समाजवादी मत भी हैं। समाजवाद को उस हैट के समान कहा गया है जिसका हर किसी के पहन लेने के कारण, कोई रूप ही नहीं रह गया है। यह कथन ठीक ही है कि समाजवाद के अन्तर्गत बहुत सी बातें शामिल हैं और उसी प्रकार बहुत सी बातों का मिलाकर समाजवाद का नाम दे दिया गया है। इस बहुरंगी स्थिति का विवरण शेडवेल (Shadwell) ने इस प्रकार दिया है—'यह समान रूप से भावपूर्ण तथा ठोस सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक, आदर्शवादी तथा भौतिक, प्राचीनतम तथा आधुनिकतम है। यह भावना मात्रा से लेकर निश्चित कार्यक्रम तक चलता है। इसके पोषक इसे जीवन दर्शन मानते हैं, अर्थात् एक प्रकार का धर्म, नीतिसाम्य, आर्थिक प्रणाली,

ऐतिहासिक सत्य, न्याय सिद्धान्त आदि। यह लोकप्रिय आन्दोलन है तथा वैज्ञानिक विश्लेषण भी है। यह भूतकाल का विवेचन और भविष्य का स्वप्न, युद्ध की विभीषिका तथा मरु का निषेध, हिनात्मक क्रान्ति तथा सहज क्रान्ति भी है। यह प्रेम का उपदेश तथा परोपकार, धृष्टा और लोभ का मूलमन्त्र भी है। यह मानवमात्र की आशा तथा सभ्यता का अन्त, स्वर्णिम युग का उषा काल तथा भयकर विनाश का घनघोर विगुल भी एक साथ ही है।'

इस प्रकार समाजवाद में कितना विरोधाभास है। समाजवादी समाज-यवस्था के चित्र का समझन के लिए हम को विभिन्न दलों के समाजवादियों की मान्यताओं का समझना आवश्यक है।

७ मार्क्सवादी समाजवाद अथवा वैज्ञानिक समाजवाद (Marxian Socialism of Scientific Socialism)—काल मार्क्स (Karl Marx) ने सन् १८६७ में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'दाम कैपिटल' (Das Capital) लिखी, जो समाजवाद की गीता समझी जाती है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। उसके सिद्धान्त के प्रधान अंग निम्नलिखित हैं—

(१) इतिहास की भौतिक धारणा (Materialistic Conception of History)—उसने इतिहास की प्रत्यक्ष घटना के आर्थिक आधार को लेकर समझने का प्रयत्न किया है। उसने इतिहास का आर्थिक विश्लेषण किया है। तमस्त युद्ध, दंगे तथा राजनैतिक आन्दोलनों के भूत में आर्थिक कारण होते हैं। हर एक आर्थिक स्थिति का सप्तकालीन कोई न कोई उपर्युक्त राजनैतिक मगहन होता है। उदाहरणार्थ, पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था ऐसी शासन प्रणाली का विकास करती है जो सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों का समन्वय तथा अनुगमन करती है।

वह आता यह समझता है कि किस प्रकार पूँजीवाद से ऐसी परिस्थितियों का प्रादुर्भाव होगा, जिनमें समाजवाद पूँजीवाद का स्थान ग्रहण कर लेगा। पूँजीपति समय बीतते बीतते अतिरिक्त धनवान होते जाएँगे परन्तु उनकी सत्ता कम होती जाएगी। बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को लीलती जाएँगी। एकाधिकार उत्पन्न हो जाएँगे। उत्पादन बढ़ेगा तथा विदेशी बाजारों में माल की खपत के लिए भड़भड़ाहट होगी। साम्राज्यवादी युद्ध होगा जब तक कि इस संघर्ष में पूँजीवाद समाप्त हो जाएगा तथा मजदूर वर्ग के हाथों में शासन की बागडोर आ जाएगी।

(२) अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत (Theory of Surplus Value)—कार्ल मार्क्स का कथन है कि उत्पादक अपनी बनाई हुई वस्तु के मूल्य के रूप में श्रम तथा अन्य लागत में लग हुए धन से अधिक धन प्राप्त कर लेता है। बाजार मूल्य का वह भाग जो लागत से अधिक होता है मूल्याधिक्य या अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। यह अतिरिक्त मूल्य या मूल्याधिक्य श्रमिकों की ही सृष्टि है। इसकी उत्पत्ति होने का कारण यह है कि श्रमिक को, जो मिलना चाहिए उससे बहुत कम मिलता है। पूँजीपति द्वारा इस मूल्याधिक्य को हड़प कर आना कार्ल मार्क्स की दृष्टि में लूट तथा शोषण है। उसके अनुसार हर वस्तु श्रम का निखरा हुआ अथवा सिमटा हुआ रूपान्तर मात्र है।

८ समूहवाद अथवा राजकीय समाजवाद (Collectivism or State Socialism)—समूहवादी अथवा राजकीय समाजवादी सत्सदीय जनतन्त्र में तथा उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण में विश्वास करने हैं। वे राजनीतिक शक्तियों को हस्तगत तथा सुदृढ करके उनको समाजवादी उद्देश्यों तथा आदर्शों की प्राप्ति में प्रयुक्त करना चाहते हैं। वे बलवान राजकीय शक्ति का प्रयोग धनोभाजन तथा उमके समवितरण में करना चाहते हैं। समाजवादियों के लिए राज्य ही सब कुछ है, तथा उनको राज्य शक्ति प्राप्त होते ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। राय उनके लिए सब कुछ करेगा। व्यक्तिगत उद्यम समाप्त कर दिए जाएंगे तथा समस्त उत्पादन राज्य के वैतनिक अधिकारियों द्वारा सम्भाल होकर लाभ मावजनिक रूप में वितरित होगा और उमका प्रयोग जनता को उन्नति के लिए किया जाएगा। पूंजीवाद और राजकीय समाजवाद में केवल इतना ही अन्तर है कि राजकीय समाजवाद में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और प्रबन्ध व्यक्तिगत रूप में उद्यमी के हाथ में न रहकर राज्य के हाथ में रहना है। पूंजीवाद के अन्य विविध माधन, जैसे मूल्योत्पन्न विक्रय आदि ज्यों के त्यों बन रहते हैं।

समाजवादी सिद्धान्त के अन्तर्गत ये मान्यताएँ सम्मिलित हैं—(क) उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियन्त्रण, (ख) राष्ट्रीय आय का न्याय के अनुसार पुनर्वितरण, (ग) आर्थिक नियोजन, तथा (घ) प्रजातन्त्रात्मक तथा शान्तिपूर्ण उपायों से अर्थ व्यवस्था का स्वस्थ विकास।

९ श्रेणी समाजवाद (Guild Socialism)—श्रेणी समाजवादी राज्य पर विश्वास नहीं करते। समूहवादियों के समान, श्रेणी समाजवादी राज्य को इस योग्य नहीं समझते हैं कि वह उत्पादन के साधनों का सफल संचालन कर सकगा। श्रेणी समाजवादियों के अनुसार पूंजीपतियों का स्वामित्व हरण नितान्त आवश्यक है। परन्तु वे व्यवसाय-पस्थाओं, कारखानों तथा उत्पादन के साधनों आदि को श्रमिकों की श्रेणियों को सौंप देना चाहते हैं। वे समझते हैं कि श्रमिक श्रेणियाँ उद्योगों के प्रयत्न अच्छी तरह कर सकती हैं। वे श्रमिकों को उद्योगों में स्वसामन देना चाहते हैं। वे तो चाहते हैं कि राज्य तो केवल देखभाल करे, कीमतें निश्चित करने के लिए तथा उत्पादित माल की कांटी का ध्यान रखने के लिए उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करे।

मूल सिद्धान्त यह है कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व राज्य के हाथ में अवश्य हो परन्तु स्वामित्व की वास्तविक क्रियान्विति कारीगरों के हाथों में होनी चाहिए। राज्य का कार्य तो केवल यह देखने रहना है कि उपभोक्ता को धोखा तो नहीं दिया जा रहा है या उमके साथ छल तो नहीं किया जा रहा है। अत्यधिक केन्द्रीकरण की बुराइयों का तथा कारोबार में नीकरशाही की अयोग्यता को दूर करना श्रेणी समाजवादियों का उद्देश्य है। इनका दावा है कि इनकी पद्धति के अनुसार विकेन्द्रीकरण होने पर समार में वास्तविक जनतन्त्र आ जाएगा तथा उद्योगों में वक्ष्यता अवश्य आ जाएगी।

१० श्रमिक सघवाद (Syndicalism)—श्रेणी समाजवादियों के समान श्रमिक सघवादी भी समाजवादी आदर्शों की प्राप्ति के लिए राज्य शक्ति को उपयुक्त नहीं समझते। राजकीय अधिकारों में, वह चाहे जिस श्रेणी का भले ही ब्यो न हो, एक विषय प्रकार की तीकरशाही प्रवृत्ति अवश्य होती है। वह कभी समझ ही नहीं सकता कि श्रमिक क्या चाहता है? दूसरों पर शक्ति जमाने की उमकी घादत होती है। अतः श्रमिक सघवादियों के विचारों का अनुसार राज्य को शक्तिमान बना देने पर बहुत से छोटे-छोटे प्रत्याचारी नासक उत्पन्न हो जाएंगे। अतः श्रमिक सघवादी मार्शाज्जक, राजनीतिज्ञ तथा आर्थिक ढाँचे को, ट्रेड यूनियनों की नींव पर बनाना चाहते हैं।

वैधानिक उपायों से यह अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं—इसमें भी इनका विश्वास नहीं है। वे जानते हैं कि राजकीय अधिकारी बहुत शक्तिमान होते हैं। अतः इनका विरोध भी तथा हिंसात्मक कार्यवाही में है। हड़ताल इनका प्रधान अस्त्र है। इनका विश्वास है कि यदि हड़ताल असफल भी हो तो भी उससे आर्थिक युद्ध का अनुभव कामकाज को प्राप्त हो जाता है। हड़तालना से कामकर मुमकठित होते हैं और पूँजीपतियों के प्रति उनकी घृणा बढ़ती है। इस घृणा को कम न होने देना चाहिए। इनका मन है कि हड़ताल पर हड़ताल जारी रहे तथा अन्त में एक जम्बी ग्राम हड़ताल होकर राजनीतिक प्रक्रिया को व्यर्थ कर दिया जाए और शक्ति को हस्तगत कर लिया जाए। श्रमिक सघवादी विद्यमान आर्थिक और राजनीतिक ढाँचे को नष्ट करने पर बहुत जोर देते हैं और शक्ति के पश्चात् समाज के उन ढाँचे पर जिसे यह नष्ट देना चाहते हैं जान भूमर प्रकाश नहीं डालते। वे विनाश की नीति पर चलते हैं, निर्माण की नीति पर नहीं।

११ साम्यवाद (Communism)—माजकल का साम्यवाद, जैसा कि सन् १८४५ के साम्यवादी घोषणापत्र (Communist Manifesto of 1845) में स्पष्ट है, साम्यवादी उद्देश्य की प्राप्ति के सिद्धान्तों को अधिक स्पष्ट करता है, किन्तु जैसे समाज को यह जन्म देना चाहते हैं उसको स्पष्ट नहीं करता। साम्यवादी इस बात पर जोर देने हैं कि सारे देस में ही नहीं, बल्कि समस्त ससार में साम्यवादी सगठनों का जात बिजा दिया जाए, तथा अन्य सगठनों के केन्द्रीय पदों को हस्तगत करके शक्तिपूर्वक अपने अनुयायियों की सख्या बढ़ाई जाए। जब पार्टी सुदृढ़ हो जाए, तब वह पूँजीपतियों का सख्या पलटकर शासन मूत्र अपने हाथ में ले सकती है और मजदूर राज्य स्थापित कर सकती है। राज्य-शक्ति का उपयोग समस्त विरोध को दबाने तथा पूँजीपतियों को समाप्त करने में किया जाए। इनका उद्देश्य है—वर्ग-विहीन समाज की स्थापना, जिसमें कोई ऊँचा-नीचा, धनी या निर्धन न हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के पश्चात् राज्य की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। राज्य अपने साथ विलीन हो जाएगा।

साम्यवादी जिस प्रकार का समाज चाहते हैं, उसका कुछ अनुमान प्लेटो (Plato) की 'रिपब्लिक' (Republic) तथा वेल की 'न्यू वर्ल्ड फार ओल्ड' (Well's New World for Old)—इन पुस्तकों में लग सकता है। साम्यवादी न

केवल उत्पादन के साधनों पर सब प्रकार की निजी सम्पत्ति को समाप्त कर देना चाहते हैं, वरन् उपभोग वस्तुओं में भी निजी सम्पत्ति के प्रश्न को समाप्त कर देना चाहते हैं। साम्यवादी चाहते हैं कि भोजन और कपड़ा जैसी आवश्यक वस्तुओं पर तो व्यक्तियों या परिवारों का अधिकार रहे, किन्तु मकान आदि पर समाज का नियन्त्रण रहे, हाँ, व्यक्तिगत उपभोक्ता ऐसी सम्पत्ति की सहायता का उपभोग कर सकते हैं।

लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करें और अपनी आवश्यकतानुसार फल प्राप्त करें। हर एक व्यक्ति को निश्चित कार्य दे दिया जाए। वह स्वयं अपना उद्यम न चूँ सकेगा। साम्यवादी समाज-व्यवस्था में किसी का निजी मकान अथवा बैंक न हिसाब नहीं होगा। हर व्यक्ति सरकारी कर्मचारी समझा जाएगा। उमर बढ़ रुपया नहीं मिलेगा वरन् राजकीय क्वार्टरों में निवास तथा राजकीय भोजनालय से भोजन मिलेगा। उसे वही वस्तुएँ तथा सेवाएँ प्रदान की जाएँगी, जो राज्य द्वारा तत्कालीन उत्पादन के आधार पर निश्चित किए जाएँगे। बच्चों का पालन-पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा आदि सब राज्य का काम होगा। मृत्यावन की प्रणाली ही समाप्त हो जाएगी। लाभ की नीयत के बिना राज्य उत्पादन को नियन्त्रित करेगा, काम देगा और कार्य का प्रतिफल एवं वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत निश्चित करेगा। कमा सुहावना स्वप्न है !

साम्यवादी समाज में तो व्यापारिक उद्यम पुथल हो सकती है, न बेकारी रह सकती है, न धनवान तथा निर्बन का भेद-भाव रह सकता है और न पूँजा तथा भ्रम में सशर्प हो रह सन्ता है। विचार निस्सन्देह काल्पनिक और अवागवहारिक हैं। प्रारम्भिक अवस्थाओं में रूसियों ने इन विचारों को काय रूप में परिणत करने का प्रयास किया। उन्होंने मुद्रा तथा विनिमय समाप्त कर दिया। परन्तु सफलता नहीं मिली। मुद्रा-सम्बन्धी आर्थिक व्यवस्था की पुनः स्थापना करनी पड़ी। कार्य-कुशलता को प्रोत्साहन देने तथा कलीभूत करने के लिए विभिन्न वेतन देने पड़े।

१२ अराजकतावाद (Anarchism)—साम्यवादियों का अन्तिम उद्देश्य यही है कि समाज का ऐसा ढाँचा बना लिया जाए कि राजकीय शासन का अस्तित्व समाप्त हो जाए। राज्य विलीन हो जाएगा सामान्य बोलचाल में अराजकता का अर्थ अव्यवस्था, कुप्रबंध आदि से होता है। परन्तु समाजवादी शब्दावली के अनुसार इस का अर्थ है 'राज्य-हीनता' जबकि शासन अनावश्यक हो चुका हो। साम्यवादियों की आशा है कि जब नसार से पूँजावादी उठ जाएगा तब सोभ, स्वार्थ, छल, अत्याचार आदि पाप नष्ट हो जाएँगे तथा उनके स्थान पर त्याग, समाज सेवा, सद्भावना आदि गुणों का प्रादुर्भाव होगा, एवं लोगों में हड़पने की प्रवृत्ति के स्थान पर त्याग की भावना प्रबल होगी। उस समय मानव इतना ऊँचा उठ जाएगा कि पुनिस की आवश्यकता नहीं होगी। न्यायालय ध्वस्त हो जाएँगे। क्या यह चकित करने वाली बातें नहीं हैं? प्राचीन भारत के सम्बन्ध में फाहियान (Fahien) हम बतलाता है कि चोरियाँ तथा डकैतियाँ नहीं होती थी और लोग घरों में ताले नहीं डालते थे। सम्भव है, अराजकतावादियों के स्वप्न कभी सजीव हो जाएँ।

सामाजिक तथा आर्थिक जीवन को स्वशासित सस्थाओं द्वारा सुसंयोजित किया जाएगा। समाज के सारे कायकलाप स्वैच्छिक समझौते के आधार पर स्वयं सम्पन्न होने रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के अधिकारों का आदर करेगा, अतः कोई कठिनाई नहीं होगी। सरकार तो आवागमन पर रोक थाम रखने वाले चौराहे के सिपाही के समान होगी। जब कुछ घण्टों के लिए मिपट्टी चला जाता है तब भी आवागमन चतता रहता है, ठीक इसी प्रकार समाज की क्रियाएँ चला करेंगी। यह और भी अधिक सुलभ स्वप्न है। प्रिंस फोर्गटकिन से हम इस योजना की रूप-रेखा प्राप्त हुई है। अराजकतावादियों का कथन है कि पूँजीवादियों के अन्यायपूर्वक प्राप्ति किए गए लाभ तथा लूट भयवा सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए ही राज्य की आवश्यकता है। जब यह सब चला जाएगा तो राज्य शासन भी उमका अनुत्तामी होगा।

१३ फेबियन समाजवादी (Fabian Socialists)—बर्नार्ड शॉ के समान य समाजवादी साहित्यिक हैं। इंग्लैंड में और भी बहुत से ऐसे विद्वान हैं, जिन्हें यह विश्वास है कि समाजवाद का सम्बन्ध धारणा से है। यदि लागू को समाजवाद से उत्पन्न विषयताओं का विश्वास दिलाया जा सके तो समाजवाद के स्थापित होने को रोक नहीं जा सकता। फेबियन समाजवादी, साहित्य—विशेषतया उपन्यास, नाटकों तथा कहानियों द्वारा पूँजीवाद के विरुद्ध अविराम प्रचार करते रहते हैं, तथा समाजवाद की आवश्यकता तथा उसमें लाभ का दिग्दर्शन करते हैं। उनका यह विश्वास है कि वह समय आएगा जबकि मसार को समाजवाद में विश्वास हो जाएगा तथा समाजवाद चारों ओर फैल जाएगा। यह विश्वास सही हो सकता है।

१४ समाजवादी योजना के सार तत्त्व (Essentials of a Socialist Scheme)—हम समाजवादियों के मतों के विभिन्न दृष्टिकोणों का सिद्धाबलोकन कर लिया है। इन दृष्टिकोणों में अन्तर होते हुए भी, जो किसी किसी विषय पर अत्यन्त तीव्र विरोध का रूप धारण किए हुए हैं एक ऐसी योजना समझ में आ सकती है, जिस पर अधिकांश समाजवादियों का मतैक्य हो। उत्पादन के साधनों का व्यक्तिगत स्वामित्व हटाए जान के पक्ष में सभी समाजवादी हैं। भूमि, कारखाने, रेलें खाने तथा उत्पादन के अन्य समस्त साधनों का राष्ट्रीयकरण अवश्यमेव किया जाए। उनका स्वामित्व तथा नियन्त्रण राज्य के हाथ में हो, जिसमें राज्य हर एक व्यक्ति को काम दे सक। कोई निजी उद्यम नहीं होगा। उत्पादन में राज्य ही हाथ डालेगा, तथा राज्य ही उत्पादन का संचालन करेगा, वेतन देगा तथा अन्य व्यवस्था करेगा, और लाभ राज्य स्वयं लेगा। पूँजीपतियों तथा जमींदारों को व्याज तथा किराएँ आदि की अदायगी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि राज्य ही पूँजीपति, जमींदार तथा उपक्रमी माना जाएगा। साम्यवादियों को छोड़कर समस्त समाजवादी मकान, फर्नीचर, घरेलू सामान तथा अथ उपभोग सामग्रियों को निजी सम्पत्ति के रूप में रहन दे सकते हैं।

अनर्जित आय पर रहना हनात्साहित किया जाएगा। कार्य का प्रतिफल कार्य की कोटि के अनुरूप तथा बिलकुल समान नहीं होगा। योग्यता के अनुसार इसमें विभिन्नता होगी। इस दिशा में माँग तथा पूँति के नियम की सीमित रूप में प्रियान्विति को मान्य समझा गया है। यह विश्वास निराधार है कि समाजवाद के अन्तर्गत

सब लोग आर्थिक दृष्टि से समान होंगे। आर्थिक समानता की कोई गारंटी नहीं की जा सकती। श्रेणी विहीन आधार पर सभी के लिए अवसर की समानता अवश्य प्राप्त होगी। राज्य व्यक्ति को अपना उद्यम चुनने में तथा उसे उम उद्यम के योग्य बनाने में सहायता करेगा।

राज्य के ऊपर ही उत्पादन तथा वितरण दोनों का दायित्व भार होगा। समाज के उत्पादन साधनों का वितरण तथा उपयोग केन्द्रीय प्राधिकारों के निर्देशानुसार निश्चित किया जाएगा। उत्पादन के लाभ कुछ थोड़े से व्यक्तियों की जवाब जाने के स्थान पर राजकीय खजाना में जाएँगे तथा उनका व्यव सामान्य व्यक्ति को, उसके परिवार तथा बच्चों को पर्याप्त चिन्त्रिमा परिपूर्ण तथा निःशुल्क शिक्षा तथा प्रामोद-प्रमोद के दृष्टि साधन प्रदान करके उनके भाग्य में परिवर्तन लाने के लिए किया जाएगा, आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य ही होगी तथा अरुद्र से उत्पन्न भय के लिए कोई स्थान न रहेगा। हर एक व्यक्ति को अपना उद्यम चुनने में स्वतंत्रता होगी तथा अपनी आय को वह जैसे चाहे व्यय कर सकेगा। समाज में बग या श्रमियाँ नहीं होंगी। सन्धेप में यही समाजवादी योजना है।

बहुन दिनों तक वेब्स (Webbs) द्वारा की गई समाजवाद की परिभाषा को अधिकांश समाजवादी स्वीकार करते रहे। वह परिभाषा यह है 'समाजवादी सिद्धान्तों पर अवलम्बित उद्योग वह है जिसमें उत्पादन के राष्ट्रीय साधन सामाजिक प्राधिकार अथवा स्वेच्छापूर्वक किए गए मस्थापन के स्वामित्व में हों तथा अन्य व्यक्तियों को किए गए विक्रय से लाभ प्राप्ति की दृष्टि से मन्त्रालित न हो बरन् उन लोगों की सीधी सेवा के रूप में हों—जिनका वह प्राधिकारी या मस्था प्रतिनिधित्व करती है।' यह परिभाषा समाजवाद की वर्तमान धारणा से नहीं मिलती, क्योंकि इसमें योजना बनाने का विचार निहित नहीं है। अतः डिकेन्सन (Dickenson) द्वारा की गई परिभाषा अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। डिकेन्सन (Dickenson) के अनुसार समाजवाद समाज का वह आर्थिक संगठन है जिसमें उत्पादन के भौतिक साधन सम्पूर्ण समाज के स्वामित्व में होते हैं तथा ऐसे अंगों द्वारा चलाए जाते हैं, जो एक सामान्य योजना के अनुसार समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा समाज के प्रति उत्तरदायी हों, और समाज के समस्त सदस्यों को ऐसे समाजवादी आयोजित उत्पादन के फलों से प्रथम लाभ समान अधिकारों के आधार पर प्राप्त करने का हक हों।¹

१५ समाजवाद की आलोचना (Case against Socialism)—समाजवाद के आलोचकों ने समाजवादी बुनावट में बहुत से छिद्र बतलाए हैं। कुछ आपत्तियाँ तो विचार हीन हैं जैसे समाजवाद धर्म को नष्ट कर देगा, विनाशित या पारिवारिक बन्धनों को समाप्त कर देगा आदि। भोले तथा मूढ़ व्यक्तियों को भटकाने के ऐसे प्रयत्नों के अनिश्चित समाजवाद को समझकर उसकी वास्तविक कठिनाइयाँ तथा खनरे बतलाने का भी प्रयत्न किया गया है।

समाजवाद के विरुद्ध सबसे महत्त्वपूर्ण तर्कों का समूह आर्थिक व्यवस्था के

1 Dickenson H D—Economics of Socialism 1939 p 11

नौकरशाही द्वारा संचालन होने के विरुद्ध है। नौकरशाही को कारोबार चलाने में कार्य कुशल नहीं समझा जाता।

कोई भी सरकारी विभाग कारोबार में सफलता का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि ता-कालिक निश्चय करने पड़ते हैं तथा माहमयुक्त नीति की आवश्यकता होती है। सरकारी कर्मचारीमण्डल नए क्षेत्रों को हस्तगत करने के योग्य नहीं होता। सरकारी विभागों में योग्य व्यक्ति अभाव में होते हैं परन्तु राज-सेवाओं का वातावरण अनुसंधान योग्यता प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त नहीं होता। प्राप्त होने वाला फल किए गए परिश्रम के अनुरूप नहीं समझा जाता। नौकरशाही में व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य नहीं रहता और अहंकार की भावना से सरकारी अधिकारियों काम करते हैं और सरकारी विभागों में छिपी हुई गुप्त कार्य प्रणाली का आश्रय लिया जाता है।

यह भी कहा जाता है कि सरकार समस्त उद्योग तथा व्यापार की उन्नति तथा सफल संचालन के लिए बहुत बड़ी आवश्यक पूंजी का प्रबन्ध नहीं कर सकती।

समाजवाद के अन्तर्गत समाज के साधनों का सबसे अधिक मितव्ययितापूर्वक उपयोग का बीच वितरण करने के लिए कोई स्वचालित यन्त्र नहीं होगा। पूंजीवाद के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की पसन्द एक ऐसी बात है, जो कीमतों को अपने आप उतार-चढ़ाकर इन साधनों का आभासीतः वितरण करती रहती है। अतः समाजवाद में हम अंधेरे में टंगेला पड़ेंगे। कुछ वस्तुएँ अधिक उत्पादित होंगी और खराब जाएँगी जबकि अन्य वस्तुओं की कमी होगी और मांग पूरी नहीं होगी। भय है कि मांग और पूर्ति में असम्यक्त्व उत्पन्न हो जाए। कोई भी एक प्राधिकारी इतने बड़े कार्य को नहीं कर सकता कि उत्पादन का प्रबन्ध करे, भूमि के प्रत्येक एकड़ को उचित प्रयोग के लिए बाँटे, प्रत्येक कामकार को सही काम दे तथा प्रत्येक रूप को अधिकतम कार्यक्षमता की दृष्टि से लगावे।

पूंजीवाद के अन्तर्गत उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। यह तो सही है कि यह प्रभुत्व उसकी प्रायः एकाधिकार के अस्तित्व आदि द्वारा सीमित होता है, फिर भी उसके लिए पसन्द और चुनाव का बहुत विस्तृत क्षेत्र है। परन्तु समाजवाद के अन्तर्गत तो उसका प्रभुत्व जाता रहेगा। उपभोग को उत्पादन के अनुरूप बनाना होगा। उपभोक्ता के लिए यह हानि बहुत वास्तविक है। वह अपने आपको यथेष्ट रूप से मनुष्य नहीं कर सकेगा। अतः समाजवाद का अर्थ है कि उपभोक्ता को मुसीबत और तंगी झेलनी पड़ेगी तथा त्याग करना पड़ेगा। राज्य द्वारा कीमतें अवश्य निर्दिष्ट हो जाएँगी परन्तु सब स्वेच्छाचारयुक्त होंगी।

यह भी भय है कि जब निजी लाभ या व्यक्तिगत हित का प्रश्न ही न रहेगा तो कठिन परिश्रम तथा आत्मोपार्जन की प्रेरणा भी नहीं रहेगी। लोभ लगन से कोई कार्य नहीं करेगा। आविष्कार, उत्थान और आनन्द बढ़ने की प्रवृत्ति धीरे-धीरे कम होती जाएगी तथा मूजन कार्य असंभव हो जाएगा। कहा गया है कि "जेवसपियर वे अ थो का अच्छा संस्करण सरकार अवश्य निकाल सकती है, परन्तु उन ग्रन्थों को लिखना नहीं सकती।"¹

कुछ लोग समाजवाद से इस कारण हतोत्साहित हो गए हैं कि इस म, जहाँ समाजवाद की त्रियान्विति हुई, वहाँ आर्थिक समानता स्थापित न हो सकी। वहाँ श्रम भी धनवान और निर्धन का भेदभाव है। वर्ग विहीन समाज का स्वप्न अब भी बहुत दूर है।

यह मानना पड़ता है कि समाजवाद के अन्तर्गत बेकारी नहीं होती। परन्तु समाजवाद के आलोचका का कहना है कि जेल म भी तो बेकारी नहीं होती। समाजवादी राज्य को एक बहुत बड़ी जेल समझा जाना है तथा इन आलोचका का कहना है कि रोजगार से लगाए जाने को स्वातन्त्र्य-विनाश का मही बदना नहीं माना जा सकता।

अन्त म यह भी बतलाया जा सकता है कि मान्यवादी समाजवाद की वास्तव में पूर्ण रूपरेखा वैज्ञानिक नहीं है। समस्त मूल्य का एकमात्र आधार धर्म नहीं है और न समस्त मूल्य को धर्म द्वारा ही ले लिया जाना अधिष्ठत माना जा सकता है। इतिहास के भौतिक विवेचन को, जो मानव की मान्यता है बहुत कम लोग मानते हैं। यद्यपि आर्थिक उद्देश्य सबसे अधिक बलवान होते हैं परन्तु वही मनुष्य मात्र के कार्यों को प्रभावित करने वाले एकमात्र उद्देश्य नहीं कहे जा सकते।

१६ समाजवाद के आलोचको को मुंहनोड जवाब (Answer to Critics of Socialism)—समाजवाद के विरुद्ध बहुत से तक दिए गए हैं परन्तु उनमें विशेष सार नहीं है। समाजवाद का सुदृढता पूंजीवाद की बुराईयों से प्रकट है जो सिद्ध हो चुकी है। समय समय पर सत्तार म इतनी मन्दी आ जाती है कि अर्थव्यवस्था, बेकारी तथा मुसीबत बहुत बढ जाती है। पूंजीवाद द्वारा आर्थिक स्थायित्व प्राप्त नहीं हो सका है और राष्ट्रीय साधनों को व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयुक्त किया गया है। मानव, विशेषतया स्त्री बच्चों को पूंजीपतियों का धन बढ़ाने के लिए मशीना के रूप म प्रयोग किया गया है। जिस समय कोई गरीब परिवार कठिन परिश्रम करने पर भी भूखा और नगा दिखाई देता है, जब उनके तंग बदनदार मकानों म उनके स्वास्थ्य का नाश प्रतिदिन हो रहा है, जब दूध और चिकित्सा सम्बन्धी श्रमावों के कारण बच्चे अकाल मौत मर रहे हैं, तो समाज की आत्मा स्वतः तड़प उठती है। इसके विपरीत धनवान विलास म डूब रहे हैं। उनके घोड़े और कुत्ते उनके सहयोगी मानवों में उत्तम भोजन और निवास के भागी होते हैं। वे धनिक सम्भवन यह समझते हैं कि निर्धन म मनुष्यत्व है ही नहीं। वह तो किसी अन्य कोटि का प्राणी है। जिस पद्धति से ऐसी असमानता उत्पन्न हो वह अपने आप कलकित मानी जाएगी।

इसके विरुद्ध समाजवाद की ओर देखिए। समाजवाद में व्यापारिक मन्दी नहीं हो सकती और बेकारी, जो श्रमिका के सर पर नगी तलवार के रूप म लटका करती है, दूर भाग जाती है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको समाजवाद दूर करता है। पूंजीवादी व्यवस्था म उद्योग की स्वतन्त्रता विडम्बना मात्र होनी है। अपना उद्योग बोन चुन पाता है। चुनाव तो उसके माता-पिता के साधना तथा प्रभाव पर निर्भर होता है। कभी-कभी मनुष्य जो भी काम मिल जाए, वही करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। परन्तु काम नहीं मिलता। पूंजीवाद ऐसे व्यक्ति को बूझा समझता है।

कोई भी लाचारी में बान करते रहते को बेचारी और भूलमरी से अछा समझेगा। समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत हर एक व्यक्ति को अपनी-अपनी सामर्थ्य तथा गुणवत्ता के अनुकूल स्वामी तथा पेशान सहित काम मिलता है।

समाजवादी राज्य म नम्र व के साधनों का एक मात्र सामाजिक स्थिरता तथा कल्याण के आधार पर बाँटा जा सकता है। उपभोगियों की इच्छा के स्थान पर उच्च जाति की सामाजिक भावनाओं को स्थान दिया जाता है। यह सम्भव है कि किसी स्थिति में किसी प्रकार की उपभोग सामग्री की कमी हो जाए। परन्तु ऐसा समाज के वास्तविक कल्याण के लिए जान-बूझकर किया जाना है। इनमें कोई हानि नहीं है कि हम कुछ दिनों के लिए त्याग करें, जिससे हमारे बच्चे प्राण बच कर जीवन अछे स्तर पर व्यतीत कर सकें। देश की शक्ति और उन्नति के लिए केवल समाजवादी व्यवस्था ही सुदृढ़ नींव डाल सकती है। पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में दृष्टिकोण सर्कीर्ण तथा नीति अदूरदर्शी होती है, जिसमें एकमात्र उद्यमी के लाभ की ओर ध्यान दिया जाता है।

समाजवाद में सब प्रकार की शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत कुछ व्यय किया जा सकता है, सपुष्टित शिक्षा-प्रवर्धन किया जा सकता है, उद्योगों को वैज्ञानिक आविष्कारों से सज्जित किया जा सकता है, कृषि का पुनर्गठन हो सकता है। फल-स्वरूप राष्ट्र के शैक्षिक तथा मानव साधन बहुत उन्नति कर जाते हैं। समाजवादी राज्य में शिक्षकों की महत्प्रत्याशा बहूत बड़ी धन राशि प्राप्त हो सकती है क्योंकि लान का धन पूँजीवादी व्यवस्था में धनवानों का धन बढ़ाता है परन्तु वहीं धन समाजवादी व्यवस्था में शैक्षिक क्षेत्र में एकत्रित हो जाता है। स्वास्थ्य तथा कार्यक्षमता के लिए उपयुक्त वस्तुएँ नि:शुल्क अथवा बहुत कम मूल्य में दी जा सकती हैं।

समाजवादी राज्य सब प्रकार के उत्पादन में तत्काल वृद्धि कर सकता है। ऐसे समय में कुछ दिन पूर्व ही अचानक अज्ञानी, पिछड़े हुए, स्टिचरियायण दान विमान ध, वे समाज के अन्तर्गत काम कर सकते हैं, इसका जीना-जागता उदाहरण हमी पञ्चवीस शीतनाओं की मफलता है। हमारे ही समाज हम भी छोटे छोटे विमानों का एक दार था, जो सब अचूक थे। अब हम देश में लगभग शत प्रतिशत लोग पढ़े हुए हैं और उत्पादन में हमने लगभग उन सब योरोपियन देशों को पछाड़ दिया है, जिन्होंने लगभग एक शताब्दी पूर्व औद्योगिक दौड़ प्रारम्भ की थी। इसका कारण यह है कि समाजवादी राज्य में ही नियोजन वास्तव में प्रभावशाली हो सकता है।

नौकरशाही के प्रदग्ध से उत्पन्न खतरा को बटा-चटाकर बर्हिण किया गया है। बन्धनियों के प्रदग्ध में भी पूँजीवादी पद्धति के अन्तर्गत "लान फीते" की बहुत प्रयानता होती है। समाजवादी राज्य भी लान-डेन तथा बेरो के कार्य का ऐसा प्रवर्धन कर सकता है कि किसी प्रकार की असमता का नाम न रहे।

जहाँ तक बर्हिण परिधम का प्रश्न है समाजवादी राज्य में लगभग प्रचार तथा शिक्षा द्वारा जनता की मनोवृत्ति को बदला जा सकता है तथा नई भावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है। उत्पादन-विषयक अतिरिक्त लाभों द्वारा अधिकों को अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। गरीब तथा नीच सेवा-कार्य

कौन करेगा ? समाजवादियों का कहना है कि अधिकतर ता वह मशीन से किया जाएगा। मशीन का प्रयोग ऐसे कार्यों में आजकल इसी कारण नहीं हो रहा है कि मनुष्य मशीन से सस्ता है।

समाजवाद हर एक को आर्थिक समानता भले ही न प्रदान कर सके, लेकिन यह सभी समाजवादी राज्य को प्रगतिशील शक्ति की सभी के कारण नहीं बनने मनुष्यों के जन्मजात असमानता के कारण ही होगा। प्रकृति सबको समान नहीं बनाती। प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न शक्ति तथा कार्य सामर्थ्य है। राज्य इसके लिए क्या करे। विधान द्वारा इसे नहीं सभाला जा सकता। परन्तु समाजवादी राज्य में प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता और भुकाव जानकर शिक्षा तथा प्रशिक्षण द्वारा उसे सम्पूर्णतः किया जा सकता है जिससे हर एक नागरिक राज्य के कल्याण के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान कर सके। निधनता के कारण वास्तविक योग्यता को दबने या नीचे गिरने नहीं दिया जाएगा। समाजवादी राज्य में नीचे से नीचे परिवार में से प्रतिभाशाली व्यक्ति को निकालकर उसे पूर्ण सुविधाएँ तथा अवसर दिए जा सकते हैं। अतः यदि आर्थिक समानता की प्राप्ति सम्भव नहीं दिखलाई पड़ती तो कम से कम अवसर की समानता का हर व्यक्ति को आश्वासन दिया जा सकता है और इतना ही जाना ही कोई छोटा काम न कहलाएगा। जनता को बहुत कुछ समान स्तर पर भी लाया जा सकता है।

अस्तु, समाजवाद का भविष्य बहुत आशाप्रद जान पड़ता है।

१७ समाजवाद की प्रगति (Progress of Socialism)—पीग (Pigou) ने कहा था, "यदि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को जैसी कुछ वे अपने देश में आजकल है, हम पूँजीवाद का प्रतिनिधि मान लें, तथा समाजवाद को स्पष्ट रूप में छोड़ दें, तो पूँजीवाद का पलड़ा ऊँचा उठकर समाजवाद के बराबर आन लगेगा, क्योंकि ऐसा करते समय हम वास्तव में पूँजीवाद की नग्न मूर्ति को जिसके समस्त दोष स्पष्ट हैं, समाजवाद की ऐसी मूर्ति के सामने रखेंगे जिस पर पर्दा पड़ा हुआ है।" अब समाजवाद की मूर्ति परदे के अन्दर नहीं है। एक समय था जब समाजवाद प्लेटो की 'रिपब्लिक' (Plato's Republic) अथवा मूर की 'यूटोपिया' (More's Utopia) सरीखी पुस्तकों में ही पाया जाता था अथवा राबर्ट ओवन (Robert Owen) सरीखे आदर्शवादी उसे कार्यान्वित करने का प्रयत्न करते थे। आधुनिक समाजवादी पूरे देश को समाजवाद से ओत-प्रोत चाहता है, समाजवाद के बिखरे हुए टुकड़ नहीं। सन् १८४८ के कम्युनिस्ट घोषणापत्र ने समस्त सत्तार के मजदूरों से एक हान की पुकार करके सनमनी फैला दी। यह आन्ति की पुकार थी और उत्तम कहा गया था कि मजदूरों के बन्धन टूटने के अतिरिक्त उनका और कुछ नहीं विगड़ता है तथा समस्त सत्तार विजय किए जाने के लिए सामने है।

तब से समाजवाद के अनुयायी सभार में बढ़ते जा रहे हैं। जर्मनी से भागकर यहूदियों ने साइप्रस में समाजवादी आधार पर कई समाज स्थापित किए। लेकिन हाल ही में समाजवाद का फैलाव देखने योग्य हुआ है। सन् १९१९ में जर्मन चुनावों में

समाजवादियों को लगभग पचास प्रतिशत वोट मिले। सन् १९२४ में एक-तिहाई ब्रिटिश जनता ने मजदूर दल को वोट दिया, १९३५ में यह सत्ता चालीस प्रतिशत हो गई तथा १९४५ में मजदूर दल को ठोस बहुमत से चुन लिया गया। फ्रांस में १९३६ में एक तिहाई से अधिक मसद् सदस्य (Deputies) समाजवादी विचारों के थे स्पेन में समाजवादी सरकार थी जिसको जनरल फ्रैंको ने हिटलर और मुसोलिनी से अनुचित गठ-बन्धन करके उलट दिया। रूसी सेनाओं ने पिछले महायुद्ध में शान-दार सफलता पाई तथा हिटलर के प्रवाह को ऐसा पलटा जैसा कि अन्य कोई राष्ट्र न कर सके। इस प्रकार रूस समस्त मसद् की सराहना का भागी बना। स्वाभाविक फल यह हुआ है कि लगभग सब पूर्वी योरोपीय देश साम्यवादी हो रहे हैं। इटली, बल्गेरिया, यूगोस्लाविया, फ्रांस आस्ट्रेलिया और पोलैण्ड नव देशों की सरकारें समाजवाद की ओर झुक रही हैं।

पूर्व में कम्युनिस्टों ने पृथ्वी के एक अच्छे खासे भाग, चीन का हस्तगत कर लिया है। चीन की कम्युनिस्ट जीत मानव इतिहास की सबसे प्रभाव युक्त घटना मिद्ध हो सकती है। इन प्रकार पूर्व और पश्चिम में समाजवाद का प्रभाव बढ़ता जा रहा है।

भारतीय मस्तिष्क युवक-हृदय तथा प० जवाहरलाल नेहरू सरीखे नेता किसी न किसी रूप में समाजवाद पर विश्वास करते हैं। भारत में देश में समाजवादी राज्य स्थापित करने का जतन किया है।

समाजवाद के लिए उन्माह उत्पन्न करने का श्रेय रूस को है। यदि हम रूसी प्रयोग के विषय में कुछ तथ्यों को मकनित करें तो ऐसा करना अवसर के अनुकूल होगा।

१८ रूस का प्रयोग (The Russian Experiment)—वाल्शेविक नेता लेनिन के नेतृत्व में रूसी मजदूर वर्ग ने किसानों की महायत्ना से ७ नवम्बर, १९१७ को सर्वहारावर्गीय समाजवादी क्रान्ति को पूरा किया। इसके फलस्वरूप एक नए राज्य का निर्माण हुआ जिसमें मजदूर वर्ग को सशक्त राजनैतिक शक्ति प्राप्त हुई। क्रान्ति के नेताओं को मार्क्स के समाजवादी सिद्धान्तों से प्रेरणा मिली थी जिससे उन्होंने क्रान्तिकारी कार्यक्रम आरम्भ किया। मूल उद्योगों तथा भूमि का राष्ट्रीयकरण बिना मृदावजा दिए किया गया। ऐसा विचार था कि समस्त निजी उद्योग तथा व्यापार को धीरे-धीरे सार्वजनिक स्वामित्व में बदल दिया जाए, तथा खेती को समाजवादी आधार पर पुनर्गठित किया जाए। किन्तु १९१८-२० का गृह युद्ध, कई विदेश शक्तियों के हस्तक्षेप के कारण तथा घरेलू प्रति-क्रान्तीय तत्त्वों के कारण, समाजवादी समाज का ढाँचा बनाने में असफल रहा। गृह-युद्ध के कारण उत्पन्न हुई शोचनीय दशा को कठोर उपायों द्वारा सुधारा जा सकता था। इन उपायों को "उग्र साम्यवाद" (War Communism) का नाम दिया जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य ये थे— (क) उत्पादन का केन्द्रीयकरण तथा मूल उत्पादन और सेवाओं का वितरण और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बीच के तथा लघु-स्तर के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

करना, साथ ही किसानों से कृषि-जन्य आवश्यकताओं से अधिक माल लेकर उसका राष्ट्रीयकरण करना, (ख) मजदूरी को माल के रूप में देना चूँकि उस समय मुद्रा का मूल्य मुद्रा स्फीति के कारण त्रिकुल खत्म हो गया था, तथा (ग) युद्ध की सी स्थिति का मुकाबला करने के लिए धर्म-सेवा को व्यापक रूप देना ।

गृह युद्ध के समाप्त होने के पश्चात् देश में सामान्य स्थिति पैदा हुई । इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अर्थ-व्यवस्था को फिर से ठीक किया जाए जो कि युद्ध के कारण खत्म हो गई थी, इसलिए १९२१ में नयी आर्थिक नीति शुरू की गई । इस नीति की मुख्य बात यह है कि राज्य के अन्तर्गत अर्थ सम्बन्धी सभी ज़रूरी चीजें आती थी, किन्तु एक सीमित मात्रा में निजी उद्योग को भी स्वतन्त्र छोड़ दिया गया । खेती द्वारा तैयार अधिक मात्रा को सरकारी बजट में लेने के बजाए एक प्रकार का टैक्स लगाया गया जो माल के रूप में था जिससे किसानों को अधिक पैसा करने का प्रेरणा मिल । कुछ निजी उद्योगों तथा व्यापारों को खूला छोड़ दिया गया जिससे औद्योगिक उत्पादन तथा वस्तुओं के आदान प्रदान बना रहे । इसके बाद मजदूरी फिर मुद्रा में दी जाने लगी ।

गोल्डोविस्ट युग के प्रारम्भिक काल में कम से कम ३ वर्षों तक चलने वाले गृह युद्ध के कारण दीनता तथा दुःख का राज्य छा गया था । उत्पादन युद्ध के पूर्वकाल के आकड़ा का अंश मात्र रह गया था, तथा रहने-सहने का स्तर बहुत कुछ गिर गया था । परन्तु पुनर्वास का कार्य जारी रहा तथा सन् १९२७ में युद्ध काल के पूर्व की स्थिति को प्राप्त कर लिया गया । १९२६ में प्रथम पंचवर्षीय योजना का शीर्षक हुआ, जिसमें कृषि विपयक तथा बड़े उद्योगों के उत्पादन के निश्चित लक्ष्य निर्धारित किए गए । कृषि के क्षेत्र में एक्कीकरण की नीति पूरे जोर से काम में लाई गई । बड़े बड़े फार्म बनाए गए, ऋण तथा मशीनें दी गई । कृषि के उत्पादन में बाढ़ सी आ गई । सन् १९३३-३४ में कृषि के सामूहिकीकरण या एक्कीकरण की चाल धीमी कर दी गई तथा व्यक्तिगत लाभ का कुछ सीमा तक स्थान दिया गया । स्टालिन (Stalin) ने बड़ी वास्तविक नीति ग्रहण की । उसने मानव मनाविज्ञान का पूर्ण-रूपेण लाभ उठाया जो शक्ति प्रभाव, यश और प्रतिफल चाहता है । औद्योगिक नेताओं को सम्मान सूचक पदक प्रदान किए गए । अधिक मात्रा कुशलता के लिए लाभांश तथा पारितोषिक दिए गए । प्रतिस्पर्धा की भावना को विभिन्न औद्योगिक समूहों के बीच फैला दिया गया तथा सम्स्त वातावरण को खिलाड़ियों के ऐसे खेल के समान कर दिया गया जिसमें दोनों पक्ष सम्मान के लिए परिश्रम करते हैं । उत्पादन की गति बढ़ी तथा योजना आयोग (Gosplan) के निर्देशानुसार लक्ष्य प्राप्त किए गए । जब वे अर्थ सम्पन्न पदक किमान, जिन्होंने कभी सामूहिक कार्य करना नहीं जाना था नई प्रणालियों में काम पर लगाए गए तब सम्भव संसार में हस्त को तिरछी निगाहों से देखा परन्तु जब प्रथम योजना ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली, तब संसार चकित रह गया । ट्रैक्टर, मशीन बनाने के कल-पुर्जे, माटरे तथा अन्य भारी मशीनें कारखानों से तैयार बाँध कर निकलने लगी ।

दूसरी योजना में उपभोग्य माल के उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। १९२८ में तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसके अन्तर्गत १९२८-४२ का समय आता है, शुरू की गई। १९४० में सोवियत संघ एक औद्योगिक देश बन चुका था। कच्चे लोहे की पैदावार १५० लाख टन, इस्पात १८३ लाख टन, कोयला १६६० लाख टन, तेल ३१० लाख टन, तथा ४८० करोड़ किलोवाट बिजली का उत्पादन होना लगा। सन् १९२८ में यह आँकड़े इस प्रकार थे—कच्चा लोहा ३३ लाख टन, इस्पात ४३ लाख टन, कोयला ३५५ लाख टन, तेल ११७ लाख टन तथा बिजली ५० करोड़ किलोवाट। इसके बाद नाज़ी हमले के कारण आर्थिक विकास में बाधा पड़ी जिससे सोवियत प्रथम व्यवस्था फिर से विगड़ गई। सोवियत यूनियन में युद्ध पूर्व की स्थिति का स्तर १९४८ में प्राप्त हुआ। इस तरह युद्ध काल में आठ वर्ष तक बाधा पड़ती रही। किन्तु तब से यह उन्नति बहुत अधिक हुई है। १९५० में चौथी पंचवर्षीय योजना तथा १९५५ में पाँचवी पंचवर्षीय योजना पूरी हुई। १९५५-५६ में छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत काफी बड़ा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। १९६० में सोवियत यूनियन में कच्चा लोहा ५३० लाख टन, इस्पात ६८३ लाख टन, कोयला ५६३० लाख टन, तेल १३५० लाख टन तथा बिजली ३२०० करोड़ किलोवाट उत्पन्न होगी। इसके अलावा ५५० लाख टन सीमेंट और १८०० लाख टन अनाज उत्पन्न होगा। यह पैदावार आज के ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी तथा फ्रांस की कुल पैदावार से बहुत ज्यादा है। अमरीकी पैदावार की तुलना में यह कम है किन्तु सोवियत यूनियन को इस बात का पूरा भरोसा है कि वे इस सीमा को पार कर जाएँगे और जहाँ तक आर्थिक विकास का सम्बन्ध है वह सप्ताह में पहले दर्जे का देश होगा। इस विश्वास की भूलक सोवियत यूनियन की छठी योजना में दिखाई देती है। इस समय हम के पास सारी आवश्यक चीज़ें मौजूद हैं। यदि हम इन थोड़े समय में शान्तिपूर्ण और आर्थिक प्रतियोगिता के माग से अपने मुख्य आर्थिक लक्ष्य प्राप्त कर चुका है तो यह उसके लिए निस्सन्देह बड़े गर्व का विषय है। सभी विचारवान लोग यह मानते हैं कि हम न पूँजीवादी देशों को प्रति व्यक्ति उत्पादन के क्षेत्र में पीछे छोड़ दिया है।

१९ समाजवादी राज्य में आर्थिक समस्याएँ (Economic Problems in a Socialist State)—हम ने अपनी विभिन्न आर्थिक समस्याओं का कैसे सामना किया, यह जानना रुचिकर होगा।

निजी सम्पत्ति (Private Property)—मकान, मोटर, कुछ जानवर तथा अन्य उपभोग सामग्री के रूप में निजी सम्पत्ति रखना कानून के खिलाफ नहीं है। सरकारी बाड़ तथा प्रतिभूतियाँ खरीदी जा सकती हैं तथा बैंक में हिस्सा रखी जा सकता है। पचास सहस्र रुबल तक की सम्पत्ति उत्तराधिकार में दी जा सकती है, परन्तु बिना कमाई की आय पर निर्भर रहना बहुत हतोत्साहित किया जाता है और ऐसी आय पर भारी कर लगाया जाता है।

कीमत व्यवस्था (Pricing System)—स्वतन्त्र व्यवसाय प्रणाली या प्रति-योगी व्यवसाय प्रणाली या शक्तिगत व्यवसाय प्रणाली में कीमत व्यवस्था के द्वारा

प्रमुख आर्थिक समस्याएँ अपने आप हल हो जाती हैं। कुछ अर्थ-विज्ञानवेत्ताओं विशेषतया श्रीमती हेयक (Mrs Hayek) तथा रॉबिन्स (Robins) का कथन है कि समाजवादी पद्धति के अन्तर्गत विचारयुक्त हिंसायुक्त विचार रखना असम्भव है। उनका विचार है कि कीमत व्यवस्था के विषय में समाजवादी अंधेरे में भटकते हैं। परन्तु पीगू (Pigou) आदि कई अर्थशास्त्रियों का कथन है कि समाजवादी पद्धति में ऐसा हिंसायुक्त विचार रखने में कोई कठिनाई नहीं है। डिकेंसन (Dickenson) का विचार भी यही है कि मूल्य व्यवस्था तथा विक्रय व्यवस्था का पूंजीवादी अर्थ-समाजवाद में भी सफलता के साथ प्रयोग किया जा सकता है। हसी लोगो ने अपनी वस्तुओं की कीमतें अवश्य निर्धारित की हैं। वे किसी वस्तु की कीमत निर्धारित करते समय कच्चे काल की कीमत, मजदूरी लागत, यातायात व्यय और अन्य आवश्यक लागतों को जोड़कर उसमें कुछ प्रतिशत लाभांश भी जोड़ते हैं। इस प्रकार वे विक्रय कीमत निर्धारित करते हैं। यह किसी सीमा तक मनमानी कीमत बही जा सकती है। समाजवादी व्यवस्था में उपभोक्ताओं की माँग की तीव्रता पर ध्यान नहीं दिया जाता, यद्यपि वस्तुओं की दुर्लभता पर कुछ ध्यान अवश्य दिया जाता है। किन्तु पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था के समान ही समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में भी कीमतें इतनी नीची भी होंगी कि माल पड़ा न रहे, और इतनी ऊँची भी होंगी जो उत्पादन की ऐसी सीमान्त लागत अवश्य प्राप्त हो जाए, जो समाज के निर्वाह लायक काफी हो। समाजवादी अर्थ व्यवस्था में यह आवश्यक नहीं है कि कीमत बाजार कीमत ही हो जैसा कि पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था में आवश्यक है। वस्तु समाजवादी व्यवस्था में कीमत, पूर्ण निश्चित होती है जिसे नियोजन अधिकारी निश्चित करते हैं।

श्रम की पूर्ति तथा मजदूरी (Supply of Labour and Wages)—अब रूस में धन्यो को छाँटने की स्वतन्त्रता है। परन्तु अब टेक्नीकल शिक्षा की बहुत सुविधाएँ हैं। शिक्षा का व्यय सरकार इस दृष्टि पर सहन करने को तैयार है कि शिक्षा के पश्चात् निश्चित अवधि तक (शर्त के अनुसार) वे सरकारी कारखानों में काम करें। कार्य का प्रतिफल (मजदूरी) द्रव्य या रुपय के रूप में दिया जाता है और योग्यता, कार्यपटुता तथा काम के आधार पर मजदूरी में अन्तर होता है। कार्य में कितना श्रम और कितना समय लगना है (motion study and time study) आदि की जाँच करके इसका पूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन करने के पश्चात् मजदूरी का प्रमाण निर्धारित किया जाता है। जिन श्रमिकों को अधिक उपादन करने, या काम सम्पन्न लगना है, उन्हें उनकी कार्यपटुता के आधार पर अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है। श्रमिकों को वेतन के अतिरिक्त सामाजिक लाभांश भी दिया जाता है जिससे वे अपना जीवन-स्तर अच्छा रख सकें। सामाजिक लाभांश, परिवार के सदस्यों की सहायता और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कम या अधिक होता है। इस प्रकार के लाभांश देने का उद्देश्य यही है कि विभिन्न वर्गों की आय के स्तरों में कम से-कम भेद हो। यदि किसी विशेष कोटि के श्रम की कमी है, तो ऊँचे वेतन का प्रलोभन देना पड़ता है, जिनमें अच्छा और सही श्रम प्राप्त हो सके। कामकरा को निश्चित कार्य सौंपा जाता है। श्रमिकों को सरकारी कर्मचारियों के समान एक स्थान से

दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। सरकार माँग के अनुसार पूर्ति का प्रबन्ध करने की व्यवस्था करती है।

वित्त (Finance)—हमियों ने विदेशी ऋणों को खत्म कर दिया था। अतः विदेशी ऋण मिलने की तो आशा ही नहीं थी। इसलिए उन्हें मुद्रा-द्रव्य बनाना पड़ा। नोट बढ़ी नक्या भी निकाले गए। मुद्रा-स्फीति तथा उसके समस्त परिणाम भेजने पड़े—बड़े-बड़े मूल्य और बड़ा महँगा जीवन-निर्वाह। जनता से भी ऋण लिया गया। तदनुसार उद्योगों में आय होने लगी और योजना के अन्तर्गत वित्त-प्राप्ति होने लगी।

लगान (Rent)—समाजवादी राज्य में भी लगान के विचार को हटाया नहीं जा सकता। पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था को समाजवादी रूप देने में सीमित भूमि, असीमित नहीं बन जायेगी। उत्पादन शक्ति के सूचक के रूप में लगान भूमि की विभिन्न प्रयोगों में विभक्त करने में सहायक होगा। समाजवादी राज्य को भी भूमि को एक उपयोग में हटाकर दूसरे उपयोग में लगाना होगा जिसमें उसकी सीमान्त उत्पादन-शक्ति सब उपयोगों में समान हो जाए। नधान द्वारा जमीन की सीमान्त उत्पादन शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसा कि सम्मुलसन का कथन है "जमीन की कीमत अथवा लगान इसलिए बढ़ना है कि सर्वोत्तम उपयोग में इसकी पूर्ति बँट सके।" समाजवादी राज्य में भी भूमि को एक काम से हटाकर दूसरे में लगाना होगा, जिनमें सब उद्योगों में इसका सीमान्त उत्पादन समान रहे। लगान के आधार पर ही हम भूमि की सीमान्त उर्वरता को निर्धारित कर सकते हैं। मूल्यवान् मानवीय अथवा अमानवीय स्रोतों के उचित बँटन सुनिश्चित करने का यही मार्ग है।

व्याज (Interest)—रूसियों ने व्याज को समाप्त नहीं किया है। राजकीय ऋण पर व्याज मिलता है। इससे यह प्रकट होता है कि पूँजी को माँग और पूँजी की प्राप्ति को समतल पर लाने का प्रयत्न किया गया है। व्यक्तिगत खातों पर बैंक भी व्याज देता है। निजी पूँजी के समाप्त हो जाने के कारण पूँजीपतियों को प्रयोग-हीन धन के जमा रखने के व्याज के रूप में प्रतिफल नहीं मिल पाता। राज्य ऋण लेता है, व्याज देता है, और उद्योग का लाभ स्वयं रख लेता है।

समाजवादी व्यवस्था में व्याज का क्या कार्य होना है? जैसा कि हम जानते हैं, पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में व्याज निम्नलिखित तीन कार्य करता है—(१) बाँड तथा आस्तियों आदि की महत्वता से व्याज के द्वारा लोगों की धन का अन्दाजा लगाया जा सकता है, (२) व्याज के कारण लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि वे पूँजी निवेशित करें तथा (३) व्याज वर्तमान और भावी मूल्यों में सम्बन्ध स्थापित करता है अर्थात् व्याज से समाज यह निश्चय करता है कि राष्ट्रीय धन का कितना अंश पूँजी निर्माण में लगाया जाए, और फिर वह निर्मित पूँजी किस काम में लगाई जाए। समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में प्रथम दो बातों का कोई महत्त्व नहीं दिया जाता क्योंकि पूँजी पर व्यक्तिगत स्वामित्व ही नहीं, अतः व्याज न तो समाज की धन

निर्धारित करने का मापदण्ड है और न वह पूंजी निर्माण में प्रोत्साहन देने वाला तत्त्व है। परन्तु अर्थ व्यवस्था का प्रकार कुछ भी हो, ब्याज के द्वारा राष्ट्रीय पूंजी का वर्तमान कार्यों पर कितना अंश लगाया जाए और भविष्य के कार्यों पर कितना अंश लगाया जाए यह तो निश्चित करना ही होगा। पूंजी सीमित होती है किन्तु इसके प्रयोग असीमित हैं। ब्याज की दर यह निर्धारित करती है कि पूंजी किन दिशाओं में लगाई जाए। निस्सन्देह वे व्यवसाय जहाँ १२% ब्याज मिलने की सम्भावना है उन व्यवसायों से अधिक आकर्षक होंगे जहाँ केवल १०% आय की सम्भावना है। दुर्लभ पूंजी की प्राप्ति के लिए भी ब्याज का आकर्षण प्रभावी होता है। ब्याज की दर से ही हम बैकल्पिक विकल्प योजनाओं में प्राथमिकता दे सकते हैं।

मजदूरी (Wages)—अन्य उत्पादन साधनों की तरह श्रम के सम्बन्ध में लेखा-कीमत्त की पद्धति उपयुक्त न होगी क्योंकि श्रम की मात्रा बँधी हुई नहीं है। लोग कार्यों को अपनी पसन्द के हिसाब से चुन सकते हैं और यह भी तय कर सकते हैं कि अधिक काम करें या कम अर्थात् वे आमदनी प्राप्त करें या आराम करें। इसलिए यह आवश्यक है कि वास्तविक वाद्वार-मजदूरी की दरें निश्चित की जाएँ। ये दरें विभिन्न बातों पर निर्भर होंगी, जैसे काम की पम्पदगी, सहायक धन्यो के मिलने के अवसर, श्रमिकों की उत्पादन-शक्ति आदि। सीमान्त उत्पादन-शक्ति से मजदूरी निर्धारित होगी। अस्तु, समाजवादी राज्य में कोई एक बँधी हुई मजदूरी की दर नहीं होगी। मजदूरी की दरें श्रमिकों की उत्पादन-क्षमता, तथा कठिन काम करने वाले मजदूरों को दिए जाने वाले मूद्राविजे की रकम पर निर्भर करेगी। समाज के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों की आयों में जो असमानता होगी, उमका आधार सम्पत्ति विषयक असमानता न होकर ऊपर कहे गए कारण होंगे।

उत्पादन के साधनों का बँटन (Allocation of Factors of Production)—राज्य का योजना अधिकारी किसी उद्योग से सम्बन्धित उन साधनों की आँकता है जो उच्च उद्योग में अधिकतम उत्पादन के लिए नितान्त आवश्यक होते हैं और तब फिर वह उन साधनों की पूर्ति की व्यवस्था करता है। पहले यह निश्चित किया जाता है कि किन उद्योगों को विकसित करना है और किन सीमा तक। तब उक्त साधनों को उपभोक्ताओं की पसन्द के आधार पर नहीं बरन् योजना अधिकारियों के निश्चयानुसार प्रवाहित किया जाता है। उदाहरण के लिए रूसियों ने भारी उद्योगों की और साधनों को केन्द्रित किया। अतः स्वाभाविक ही था कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की वस्तुओं की कमी हो गई और उनकी कीमते बहुत ऊँची चली गईं। पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत ऐसी स्थिति में उत्पादन के साधन, उपभोक्ताओं की आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगाए जाते, ताकि उक्त कमी पूरी हो सकती। किन्तु समाजवादी राज्य में इस ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता। वहाँ कमी बनी रहती है और कीमत्त नियन्त्रण तथा रसर्तित प्रभावी कर दिए जाते हैं। रूस में राज्य अधिकारियों के द्वारा सामान्य कीमत्त प्रणाली को, जो उपभोक्ताओं के मूल्यांकन के आधार पर साधनों का बँटन करती है, निष्क्रिय कर दिया जाता है। अतः साधनों का बँटन, उपभोक्ताओं की पसन्द के आधार पर न

होकर राज्य की इच्छा के आधार पर होता है। राष्ट्र के जीवन में अमुक अवधि के लिए सब में उपयोगी क्या है, इसका निर्णय राज्य करता है। उमी के अनुसार राज्य साधनों का घंटन करता है। उपभोक्ताओं को अपनी मांग राजकीय परिस्थितियों तथा उत्पादन की स्थिति के अनुसार व्यवस्थित करनी पड़ती है।

२० कल्याणकारी राज्य (The Welfare State)—इन दिनों हर व्यक्ति कल्याणकारी राज्य के बारे में कुछ न-कुछ सोचता है। सभी आधुनिक राज्य कल्याणकारी राज्य होने का दावा करते हैं। परन्तु कल्याणकारी राज्य का वास्तविक अर्थ क्या है, इस बारे में सभी लोग एकमत नहीं हैं। फलस्वरूप विभिन्न देशों में सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम भी भिन्न हैं। कल्याणकारी राज्य में समाज को निम्नलिखित सर्वाधिकारें अवश्य प्राप्त होनी चाहिए

(१) कल्याणकारी राज्य के नागरिकों की आकस्मिक विपत्तियों जैसे बीमारी, बेकारी, बुढ़ापा आदि के विरुद्ध सुरक्षा की व्यवस्था रहनी चाहिए।

(२) कल्याणकारी राज्य नागरिकों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा तथा चिकित्सा आदि सामाजिक सेवाओं की सुविधा व्यवस्था करे।

(३) कल्याणकारी राज्य समस्त हृष्टपुष्ट धर्मिकों के लिए पूरा रोजगार देने की व्यवस्था करे चाहे इसमें कितना ही व्यय क्यों न हो। काम के इच्छुक धर्मिकों के लिए काम की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य है।

(४) कल्याणकारी राज्य में सभी नागरिकों को वित्त भेदभाव के समान काम के अवसर मिल और विभिन्न वर्गों के बीच आय में अधिक अन्तर न रहे। धनिकों पर अधिक कर लगाकर तथा सार्वजनिक निर्माण पर अधिक पूंजी व्यय करके समाज में ऊँच नीचे का भेद भाव कम किया जा सकता है।

(५) और सामाजिक सेवाओं तथा भौतिक उद्योगों का नियन्त्रण राज्य (समाज) के हाथों में रहे।

आधुनिक राज्यों में कल्याणकारी राज्य का दर्जा प्राप्त करने के सम्बन्ध में मानो होड़ लगी है। उदाहरण के लिए जहाँ पहले स्वयंसेवक संस्थाएँ सामाजिक सेवा का कार्य किया करती थी वही कार्य अब सरकारें अपने हाथों में ले रही हैं। पहले जो सेवाएँ केवल गरीब लोगों के लिए की जाती थी, वे अब सभी नागरिकों को उपलब्ध की जा रही हैं। राज्य अब सुरक्षा बीमा योजनाएँ चला रहे हैं, जिनमें नागरिकों को बुढ़ापा बीमारी और बेकारी के विरुद्ध सुरक्षा का आश्वासन रहता है। राज्यों ने स्थानीय निकायों से ऐसी सेवाओं को लेकर अपने अधीन कर लिया है जिनका सम्बन्ध नागरिकों के कल्याण से है। अब राज्य, सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करते हैं, उनका प्रबन्ध और वित्तपोषण भी करते हैं, ताकि सारे राष्ट्र को सामाजिक सेवाओं का फल प्राप्त हो सके।

सामाजिक सेवा से तारपय यह है कि सरकार स्वैच्छिक निकायों या विभागों के द्वारा सर्वसाधारण को नियोजन के अवसर दे, चिकित्सा-यवस्था करे, रहने को अच्छे घर दे तथा पिछड़े वर्गों को अधिक सहायता उपलब्ध करे ताकि वे भी आगे बढ़ सकें। सामाजिक कल्याण का अर्थ यह है कि सारे समाज को उन्नति हो। इसका अर्थ यह

है कि सभी व्यक्तियों की उन्नति हो, सभी परिवारों की भी उन्नति हो और समाज के प्रत्येक वर्ग और समुदाय की भी उन्नति हो। सामाजिक कल्याण के अन्तर्गत लोगों की धार्मिक भावनाओं का भी सहन करना होगा और उनमें लोकतन्त्रात्मक जाग्रति भी उत्पन्न करनी होगी। इस प्रकार सामाजिक कल्याण के किसी कार्यक्रम को पूरा करते समय हमका ध्यान रखना होगा कि समाज के सभी वर्गों और सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाएँ ताकि सभी अपनी शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आर्थिक, बौद्धिक और राजनीतिक एवं सामाजिक उन्नति कर सकें। सामान्यतः सामाजिक कल्याण कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें सम्मिलित रहती हैं—परिवार भत्ता, वैवाहिक अनुदान, मन्तान अनुदान, भोजन महँगाई भत्ता स्कूली नास्ता व्यवस्था, घर या फर्नीचर आदि खरीदन के लिए मरता सरकारी ऋण, कपड़ों की व्यवस्था छात्रवृत्तियाँ, चिकित्सा सुविधाएँ छुट्टी वतन मुफ्त छुट्टी व्यवस्था, मुफ्त यात्रा, तथा स्त्रियों और बच्चों को विशेष सुविधाएँ आदि आदि। सामाजिक सुरक्षा का अन्तिम ध्येय यही है कि समाज के सभी वर्गों को विपत्ति के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा का आश्रयमन रहे। इस प्रकार सभी लोगों को कुछ मुफ्त सामाजिक सेवाएँ प्राप्त हो तथा सामाजिक बीमा उन्हें आकस्मिक विपत्तियों में रक्षा प्रदान करे।

कल्याणकारी राज्य से निम्नलिखित आर्थिक लाभ भी हैं—समानता सामाजिक सुरक्षा, अपनी आय से अधिक महँगी वस्तु नितान्त आवश्यक सेवाओं की प्राप्ति, आर्थिक प्रजातन्त्र पूर्ण नियोजन आदि आदि। और कल्याणकारी राज्य के निम्नलिखित राजनीतिक लाभ भी हैं—सामाजिक शान्ति, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा। इसके अतिरिक्त कल्याणकारी राज्य में लोगों का नैतिक स्तर भी उच्च रहता है।

क्या भारत एक कल्याणकारी राज्य है ? (Is India A Welfare State ?) भारत के लिए कल्याणकारी राज्य का विचार नवीन विचार नहीं है। अशोक आदि कई प्राचीन राजाओं ने तथा अकबर, फीरोजगुलक शेरशाह सूरी आदि कई मध्य-युगीन राजाओं ने सामाजिक कल्याण की ओर पर्याप्त ध्यान दिया था। हमारे ब्रिटिश शासकों ने भी विधान निर्माण के द्वारा तथा प्रशासनिक उपायों के द्वारा सामाजिक सुधार करने चाहे थे। किन्तु आम तौर पर राज्य इस ओर उदासीन रहा। अन्त में १९वीं शताब्दी के अन्त में इस ओर समाज-सुधारकों ने पहल की। १८९० में अखिल भारतीय सामाजिक सम्मेलन (All India Social Conference) की स्थापना हुई।

बीसवीं शताब्दी में कई समाज सुधारक हुए, जिनमें महात्मा गाँधी के इस दिशा में किए गए प्रयत्न सर्वाधिक लाभदायक सिद्ध हुए। १९२६ में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई। १९३६ में कस्तूरबा ट्रस्ट तथा टाटा के सामाजिक विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई। इसके पश्चात् १९४७ में भारतीय समाज सेवकों के सम्मेलन की स्थापना हुई। फिर १९५७ में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सभा हरिजन सेवक सघ, तथा केन्द्रीय सामाजिक सेवा निगम की स्थापना हुई।

भारत का संविधान चाहता है कि भारत कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि 'भारत के लोग, भारत

को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को—

(१) सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,

(२) विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता;

(३) प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में

(४) व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए सविधान को अङ्गीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं।”

उसी प्रकार भारतीय सविधान में वर्णित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में कहा गया है कि “राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी मत्प्राप्तियों को अनुशासित करे, भरसक कार्यसाधक रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा।” आगे चलकर कहा गया है कि ‘राज्य अपनी नीति का विश्लेषण ऐसा संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से—

(क) समान रूप में नर और नारी सभी नागरिकों को जीविता के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो,

(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार बँटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो,

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे घन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केन्द्रण न हो,

(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो,

(ङ) श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों का स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुर्लभोग न हो, तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों, और

(च) बच्चों और सुकुमारों को शरण से तथा अनैतिक व्यापारों से बचाया जाए”।

१९५० में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई। उक्त आयोग का ध्येय है कि भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य पूर्ण हो। प्रथम पंच-वर्षीय योजना के लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा गया था कि सभी नागरिकों के साथ सामाजिक न्याय किया जाएगा और विभिन्न वर्गों के बीच की आर्थिक और सामाजिक असमानता को कम किया जाएगा। योजना के द्वारा राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का समुचित विकास अभीष्ट है। सामाजिक सेवाओं से सम्बन्धित ऋणायन में बताया गया है कि कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या क्या उपाय करने होंगे।

भारत में भारत सरकार के प्रशासनिक विभाग और भारत सेवक समाज सरोक्षी अनेक समस्याएँ सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम को पूरा कर रही हैं। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत युवक सुधार, स्त्री कल्याण, सामुदायिक विकास, अपाहिजों और

भगहीनो की सेवा-शुश्रूषा, गरीबों, पतितों और अनाथों का भरण-पोषण तथा पिछड़े लोगों की आर्थिक और बौद्धिक उन्नति भी शामिल है।

इस प्रकार भारत शनैः शनैः किन्तु दृढ़ता से कल्याणकारी राज्य का दर्जा प्राप्त करने जा रहा है। इस दिशा में हमारी प्रगति हमारे अपने साधनों और विदेशी सहायता की मात्रा पर बहुत कुछ निर्भर होगी।

निर्देश पुस्तकें

Taylor, F and Lange O On the Economic Theory of Socialism

Ludwig Von Mises Socialism

Joad C E M Modern Political Theories

Cole, G D H Principles of Economic Planning

Dickenson H D Economic Planning and International

Order

Pigou A C Capitalism Vs Socialism

Hayek Collectivist Economic Planning

Lewis Principles of Economic Planning

Dobb Studies in Development of Capitalism

Meade Planning and Price Mechanism

Joan Robinson Essay on Marxian Economics

Wootton B Freedom under Planning

Harris S E Economic Planning in Foreign Countries

Govt of India First Five Year Plan and Second Five Year

Plan

Hess and others Outside Readings in Economics 1957

Paul Douglas and Others What is Capitalism pp 793 4

Edward Ballaney The Parable of the Water Tank p 804 12

Karl Marx and F Engels The Communist Manifesto pp

816 18

Loucks and Weldon Hoot Socialism and Communism Defined,

pp 811 23

परिशिष्ट

अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का अध्ययन करने के लिए निर्देश पुस्तकें—

प्रारम्भिक विद्यार्थियों के लिए

Croome, H and King, G *The Livelihood of Man*

Croome, H *Approach to Economics*

Dane *Economics for Boys and Girls*

Dewett, Varma and Singh *Introductory Economics, Part I (Theory)*.

Hague and Stonier *Essentials of Economics*

बी० ए० के विद्यार्थियों के लिए

Hicks, J R *The Social Framework* (2nd edn.)

Meade, J E, and Stone, J. R N *National Income and Expenditure*

Tew, J H B *Wealth and Income*

Benham, F. C *Economics*.

Carrneross, A K *Introduction to Economics*

Samuelson, Paul A *Economics An Introductory Analysis*

Nevin, E *Textbook of Economic Analysis*

Albert Meyers *Elements of Modern Economics*

Stonier and Hague *A Textbook of Economic Theory*

Tarshis, L *The Elements of Economics*

परम्परागत अर्थशास्त्र (Traditional Economics) का अध्ययन करने के लिए निर्देश पुस्तकें—

उच्च विद्यार्थियों के लिए

Marshall, A *Principles of Economics*

Henderson *Supply and Demand*

Wicksteed *Common Sense of Political Economy*

Wicksell *Lectures on Political Economy*

Pigou *Economics of Welfare*.

Meade *Economic Analysis and Policy*

परम्परागत अर्थशास्त्र से सम्बन्धित पुस्तकों का मुख्य सम्बन्ध माकेट प्रणाली के विश्लेषण से है जो गतिहीन तथा भावपरक और कार्त्तनिक है। इसके अन्तर्गत उपभोग का सिद्धान्त, उत्पादन का सिद्धान्त तथा वितरण का सिद्धान्त शामिल है। इसके प्रत्येक अंग में कुछ सैद्धान्तिक चाररणाओं के अन्तर्गत जिनका सम्बन्ध प्रतिपयोगिता तथा स्रोतों की स्थिति से है, साम्य की स्थिति का पता लगाने का प्रयत्न किया गया है। परम्परागत अर्थशास्त्र में हम माँग, पूर्ति और कीमत व्यवस्था के परस्पर सम्बन्धों के अन्तर्गत मूल्य के सिद्धान्त को विवेचना करते हैं। अधिकतम आर्थिक कल्याण की प्राप्ति के लिए कीमत व्यवस्था किस प्रकार की रहे, यही पीगू (Pigou) और मीड (Meade) ने अपनी अपनी उपरोक्त पुस्तकों में बताया है।

नवीन अर्थशास्त्र

कीन्स का अर्थशास्त्र (Keynesian Economics) या नवीन अर्थशास्त्र, परम्परागत अर्थशास्त्रियों की मान्यताओं पर प्रहार करता है। कीन्स (Keynes) नया दृष्टिकोण प्रदान किया है। कीन्स वास्तविक मसाले में विचारण करता है। उसने अपनी पुस्तक (General theory of Employment Interest and money) में नया आर्थिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। कीन्स के अर्थशास्त्र सम्बंधी विचारों का अध्ययन करने के लिए प्रारम्भिक विद्यार्थी को जोन रॉबिन्सन (Joan Robinson) की पुस्तक (Introduction to the Theory of Employment) पढ़नी चाहिए। इस के प्रतिरिक्त ये पुस्तक भी पढ़नी चाहिए

- Oxford institute of Statistics *Economics of full Employment*
 Meade *Economic Analysis and Policy*
 Planning and the Price Mechanism
 Morgan *Conquest of Unemployment*
 Dillard *Economics of Keynes*
 Hansen *Guide to Keynes*
 Harris (Ed) *New Economics*

परम्परागत अर्थशास्त्र के विरोध के साथ साथ अर्थशास्त्र के अर्थों और उस की सीमा को लेकर भी विरोध चल पड़ा है। इस अध्ययन के लिए देखिए —

- Robbins *Nature and Significance of Economic Science*
 Wootton *Lament for Economics*
 Hess and others *Outside Readings in Economics*
 Robinson E E G *Monopoly*
 Joan Robinson *Economics of imperfect Competition*
 Chamberlain *Theory of Monopolistic Competition*
 Hicks *Value and Capital*
 Hicks *Revision of Demand Theory*
 Hayek *The Pure Theory of Capital*
 Stigler *Production and Distribution Theories*
 Theory of Price (2nd edition)
 Tugwell *Trend of Economics*
 Boulding *Economic Analysis* (3rd edition)
 Hansen *Monetary and Fiscal Policy*
 Ellis H S (ed) *A Survey of Contemporary Economics*, Vol 1
 Haley, B F (ed) *A Survey of Contemporary Economics* Vol 2
 American Economic Association's *Readings series*

कोन्स के अर्थशास्त्रीय क्षेत्र (Keynesian field) से बाहर का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित पुस्तकें भी लाभदायक होंगी —

Joan Robinson *Essay in Theory of Employment*

Essay on Marxian Economics

M Kalecki *Theory of Economic Dynamics*

W J Baumol *Economic Dynamics An Introduction*

अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को सामयिक पत्रिकाया में भी लाभदायक सामग्री मिल सकती है। निम्नलिखित पत्रिकाओं का अध्ययन लाभदायक होगा —

- 1 *The Economic Journal* (Royal Economic Society, London)
 - 2 *Economica* (London School of Economics)
 - 3 *Review of Economic Studies*, Cambridge
 - 4 *Oxford Economic Papers*, New Series
 - 5 *Quarterly Journal of Economics* (Department of Economics, Harvard University)
 - 6 *Review of Economics and Statistics* (Do)
 - 7 *Journal of Political Economy* (Department of Economics, University of Chicago)
 - 8 *American Economic Review* (American Economic Association)
 - 9 *Econometrica* (Econometric Society, Chicago)
-